

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

यह बरकत वाली किताब, जिसको हमने आप पर इसलिये उतारा कि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र से काम लें और अकलमन्द लोग नसीहत हासिल करें।

कुरान मजीद पारा 23 सूर : सुवाद रुकूअ 3 आयत 29

शरीअत या जहालत इज़ाफ़ा शुदा

तालीफ

मौलाना मुहम्मद पालन हक्कानी गुजराती रह.

नाशिर

रब्बानी बुक डिपो

1813, कटरा शेख चांद, लाल कुआं दिल्ली-6

Ph.:9811504821, 9873875484 Fax :23982786

E-mail : rbd_4books@yahoo.co.in

शरीअत
या
जहालत

इजाफ़ा शुदा



तालीफ

मौलाना मुहम्मद पालन हक्कानी गुजराती

नाशिर

रब्बानी बुक डिपो

1813, कटरा शेख चांद, लाल कुआं दिल्ली-6

9811504821, 9873875484 फ़ेक्स: 011-23982786

ऐलान

शरीअत या जहालत इजाफ़ा शुदा तालीफ हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक्क़ानी गुजराती साहब की हिन्दी किताब के हक्क़ रब्बानी बुक डिपो ने Copy Right L-18935/99 द्वारा Registration महफूज़ करा लिये है। अगर किसी साहब ने इस किताब को छापने की कोशिश की तो उन साहब पर हर तरह से क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी।

नाम किताब	:	शरीअत या जहालत
तालीफ	:	मौलाना मुहम्मद पालन हक्क़ानी गुजराती
तसीह	:	मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी
एहतेमाम	:	फेज़ुर रहमान रब्बानी
मुआविन	:	ज़िकरुर रहमान रहमानी
कम्पोजिंग	:	लेज़र कम्प्यूटर सर्विसिज़, फोन : 3217840
प्रेस	:	शुएब प्रिंटस, चाबुक सगरान, दिल्ली - 110006
इशअत	:	2015
कीमत	:	275 /-

नाशिर

रब्बानी बुक डिपो

1813, कटरा शेख चांद लाल कुआँ, दिल्ली-6



23220118, 23217840

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम०

दरूद शरीफ़

अल्लाहुम-म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिव-व अला
आलि सय्यिदिना मुहम्मदिव - व बारिक व सल्लिम

ऐ अब्रे करम ज़रा थम के बरस
इतना न बरस कि वह¹ आ न सकें।
जब वह आ जाएं तो जम के बरस,
इतना बरस कि वह जा न सकें।

॥

आमद है किस की हूरें सभी गा रही हैं आज,
अफ़लाक पर क्यों धूम मची जा रही है आज,
अर्शे बरीं से दावते हक़ आ रही है आज,
हर लब पे मरहबा की सदा आ रही है आज।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

ज़िक्रे खुदा रसूल की महिफ़ल सजी है आज,
हूरों में धूम सल्ले अला की मची है आज,
जन्नत खुदा के नूर से दुल्हन बनी है आज,
हर गुंचा व गुल के होठों पे देखो हंसी है आज।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

1. वह से मुराद मल्लूके खदा ह

बन्दे खुदा के उठो चलो मस्फ़िल नबी की है,
 है वक्त कम उठो चलो मस्फ़िल नबी की है,
 ज़िक्रे खुदा शरीक हो मस्फ़िल नबी की है,
 दामन मुराद से भरो मस्फ़िल नबी की है।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
 पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

कुरआन और हदीस को मज़बूत थाम ले,
 न यहां खिलाफ़े शरअ हरगिज़ तू काम ले,
 बन्दे खुदा तू हर घड़ी मौला का नाम ले,
 तू हशर में रसूल से कौसर का जाम ले,


रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
 पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

इस बज़्म में शरीक जो रुकने खास व आम है,
 उस का सुनो तुम मोमिनो! जन्नत मुक़ाम है,
 पढ़ते रहो दरूद अगर सुबह व शाम है,
 वल्लाह! उस पे आतिशे दोज़ख़ हराम है।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
 पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

दस बातें

1. तौहीद मुसलमानों के लिए ईमान की जड़ है।
2. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में मुसलमानों की कामयाबी है।
3. शरीअत पर अमल करना मुसलमानों के लिए अमन है।
4. जहालत पर चलना इन्सान के लिए बर्बादी है।
5. मिल-जुल कर रहना मुसलमानों की खास शान है।
6. तक्वे से इन्सान मारफ़त तक पहुंच सकता है।
7. नफ़सानी ख़्वाहिश आदमी को तबाह कर देती है।
8. तौबा कर लेना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
9. जिद पर अड़े रहना इबलीस का अमल है।
10. मंज़िल तक वही पहुंचता है, जिस को हक़ की तलाश है।



हवाले (उर्दू किताबें)

किताब 'शरीअत या जहालत' में जिन-जिन किताबों के ज्यादातर हवाले दिये गये हैं, वे किताबें जहां पर छपी हैं, वहां का मुकम्मल पता नीचे दिया जा रहा है, ताकि हवाला नम्बर तलाश करने में आसानी रहे।

1. तफ्सीर इब्ने कसीर,
-नूर मुहम्मद कारखाना तिजारते कुतुब, आराम बाग, कराची, (पाकिस्तान)
2. तफ्सीर हक्कानी,
-शेख गुलाम अली एन्ड सन्स, कश्मीरी बाजार, लाहौर (पाकिस्तान)
3. सहीह बुखारी शरीफ,
-नूर मुहम्मद, कारखाना तिजारते कुतुब, आराम बाग, कराची, (पाकिस्तान)
4. सहीह मुस्लिम शरीफ,
-मक्तबा दारुल फुर्कान, दफ्तर आस्ताना, जामा मस्जिद, दिल्ली, (इन्डिया)
5. तिर्मिजी शरीफ
-नूर मुहम्मद, कारखाना तिजारते कुतुब, आराम बाग कराची (पाकिस्तान)
6. अबूदाऊद शरीफ,
-कुरआन महल, मुक़ाबिल मौलवी मुसाफिर ख़ाना, कराची (पाकिस्तान)
7. नसई शरीफ
- मक्तबा अय्यूबिया, ए. एम. न० 1 कराची 1, (पाकिस्तान)
8. इब्ने माज़: शरीफ,
-मक्तबा सजूदिया, प्रिंस रोड, कराची (पाकिस्तान)
9. दारमी शरीफ,
-कुरआन महल, मुक़ाबिल मौलवी मुसाफिर ख़ाना, कराची (पाकिस्तान)
10. मिश्कात शरीफ,
-दारुल फुर्कान, जामा मस्जिद, दिल्ली (इन्डिया)
11. मज़ाहिरे हक़,
12. फ़तावा आलमगीरी
13. ऐनुलहिदायः,
14. ग़ायतुल अवतार,
उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार,
-नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (इन्डिया)

फेहरीसत मजामीन

क्या ?

कहां ?

1. कुछ किताब और साहिबे किताब के बारे में 10
2. अपनी बात 15
3. अल्लाह की किताब 20
4. सच्चाई और सच्ची बात कहना 25
5. शरीअत या जहालत 28
6. नसीहत 39
7. जन्नत मुफ्त में मिलती है 55
8. ला इला-ह इल्लल्लाह 62
9. मुहम्मदुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 66
10. कलिमा-ए-तय्यिबः 73
11. मुसलमान को मुसलमान समझने की हद 76
12. सलाम का जवाब 79
13. मुसलमान को काफिर कहने वाला 84
14. काफिर को भी काफिर कहना मक्रूह है 90
15. बुरा गुमान और ग़ीबत 94
16. खात्मे की ख़बर खुदा ही को है 99
17. अच्छे अरब्लाक 101
18. तौबा 105
19. बेहतरीन उम्मत 116
20. तब्लीग 119
21. सुन्नत वल जमाअत और इख़्तिलाफी मसअले 125
22. जमाअते अहले हदीस का चारों इमामों से इख़्तिलाफ 151
23. हुसाफ़े के बयान में 178
24. हलाला 180
25. पांच बातों का इल्मे ग़ैब 184
26. इल्में ग़ैब की दलीलें 188
27. तंबीहात 200
28. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इल्मे ग़ैब 209
29. सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का इल्मे ग़ैब 230
30. इल्मे ग़ैब के बारे में हनफियों का अक़ीदा 234
31. हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कुछ भी नहीं छिपाया 236

क्या ?	कहां ?
32. वह्य के बगैर अहकाम नहीं बताये	238
33. मैं इन्सान हूं	240
34. हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शाने मुबारक	249
35. फज़ाइले सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन)	257
36. रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैरवी	275
37. ख़त्मे नुबूवत	280
38. हयातुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम	288
39. भाई हम कहते हैं या हम को कहा है	290
40. अंगूठे चूमें या दरूद शरीफ़ पढ़ें?	295
41. दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	301
42. या रसूल, या ग़ौस कि या अल्लाह?	303
43. नारा-ए-तक्बीर	322
44. हाज़िर व नाज़िर	323
45. मदद किस से मागें?	332
46. नफ़ा और नुक़सान का ग़ैर-अल्लाह को अख़्तियार नहीं	355
47. मोज़िज़े और करामतें भी अल्लाह ही के अख़्तियार में हैं	369
48. इस्लाम और साइन्स	370
49. वसीला	385
50. मुर्दे जिन्दा हैं या नहीं?	398
51. मुर्दे सुनते हैं या नहीं?	402
52. मुर्दे कुछ कर भी सकते हैं या नहीं?	406
53. पुजवाने वालों से पूछो तो?	411
54. शिर्क	416
55. शफ़ाअत	430
56. बे-अमल आलिम	437
57. मुनाज़रा	443
58. बातिल को हक़ समझने वाले	450
59. गुनाह के कामों में मख़्लूक की इताअत हराम है	451
60. जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी	455
61. गुमराहों की तक़लीद का अंजाम	463
62. बिदअत	467
63. तावीलों का अंजाम	474
64. शक़ वाली बातों से बचो	477
65. ताज़िया	478

क्या ?

कहां ?

- | | |
|----------------------------------------------------|-----|
| 66. बुतपरस्ती का अंजाम | 493 |
| 67. बुतपरस्ती कैसे फैली? | 499 |
| 68. कब्रों पर इमारतें, फूल और चिराग | 503 |
| 69. उर्स | 512 |
| 70. कव्वाली | 515 |
| 71. कब्रों की ज़ियारत मर्दों के लिए | 516 |
| 72. कब्रों की ज़ियारत औरतों के लिए | 518 |
| 73. मन्नत | 519 |
| 74. गैर अल्लाह के नाम का जानवर हलाल नहीं | 527 |
| 75. औलियाअल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम | 532 |
| 76. ईसाले सवाब और फ़ातिहा | 541 |
| 77. नमाज़ के बाद का फ़ातिहा | 551 |
| 78. नमाज़ के बाद का मुसाफ़ा | 554 |
| 79. सखी और बखील | 556 |
| 80. कियाम की दलीलें | 568 |
| 81. रूहे मुबारक आती है या नहीं? | 579 |
| 82. सलामी | 583 |
| 83. जनाजे के साथ मीलाद | 590 |
| 84. मौलूद की मज्लिसें और मज्लिसों के फ़ज़ाइल | 591 |
| 85. क़साइद की मज्लिसें | 594 |
| 86. तीन शर्तें | 597 |
| 87. मां-बाप के हुक्क | 603 |
| 88. मक्खूह से मुराद मक्खूहे तहरीमी है | 607 |
| 89. इस्तिंजा | 608 |
| 90. लहसुन, प्याज़ और तम्बाकू | 610 |
| 91. नुजूम (तारे) | 617 |
| 92. तस्वीर | 618 |
| 93. औरतों की शाने मुबारक | 624 |
| 94. तीजा और कुरआन ख्वानी | 640 |
| 95. कफ़न पर कलिमा और कब्र पर अज़ान | 643 |
| 96. ख़त्ना | 645 |
| 97. मस्जिद के कुछ मसाइल | 646 |
| 98. हिदायत की हदीसें | 648 |
| 99. हिन्दुस्तान के उलेमा-ए-किराम के इज़्हारे एतमाद | 661 |

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम०

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहित करीम०

कुछ किताब और साहिबे किताब के बारे में

हज़रत मौलाना सैयद हबीबुर्रहमान साहब मद्द ज़िल्लहुल आली

-एडीटर 'आबेहयात', अहमदाबाद

जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' के एक के बाद एक पांच पांच हजार के दो गुजराती एडीशन छप कर हाथों-हाथ उठ जाने के बाद उर्दू एडीशन छापा गया। किताब के मकबूल होने का अन्दाज़ा केवल इसी से हो जाता है कि सिर्फ़ डेढ़ साल की मुदत में इसके दो एडीशन निकल जाने के बाद भी हर तरफ़ से इस की मांग पहले ही की तरह बाकी है और अब इसी किताब का हिन्दी एडीशन आप के हाथों में है। खुदा करे यह भी और एडीशनों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो।

जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी गुजरात प्रदेश के बहुत ज़्यादा मकबूल और सब के दिल में घर कर लेने वाले वाइज़ (उपदेशक) हैं। उनके वाज़ों ने गुजरात के हज़ारों मुसलमानों की जिस तरह काया पलटी है, शिर्क, बिदअत गैर-इस्लामी रस्म और वहम भरी बातों की जड़ें काट कर आम व खास को नमाज़-रोज़े का पाबन्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की पैरवी करने वाला बनाया है, उस की मिसाल पिछले पचास साल की गुजराती तारीख़ में नहीं मिलती।

ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मय्यशाउ०

(यह अल्लाह तआला की मेहरबानी है, जिसे चाहता है, देता है)

जनाब हक्कानी साहब का असल वतन मालिया मियाना (सौराष्ट्र) है। आप का ताल्लुक मियाना बिरादरी से है, जो अपनी बहादुरी और हिम्मत में ज़ितनी मशहूर है, उतनी ही जहालत, वह्म परस्ती और पुरानेपन से जुड़े रहने में भी खासी मशहूर हैं। हुकूमत की नज़रों में यह एक जरायम पेशा कौम थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौर में इस कौम पर किस्म किस्म की पाबंदिया लगी हुई थीं, इन को सुधारने और हुकूमत का इस कौम के बारे में ख्याल बदलने के लिए मौलाना शौकत अलीमरहूम और दूसरे लीडरों ने आज से 30-35 साल पहले काफी जद्दोजेहद की थी। चूंकि गुजरात और सौराष्ट्र के अक्सर डाकू और सर फिरे लोग इसी कौम में पैदा हुए थे, इसलिए हुकूमत की नज़रों में यह कौम ना-पसन्दीदा थी। जहालत का यह हाल था कि बावजूद मुसलमान होने के दीन के हुकमों और शरीअत के तकाज़ों का उसे कोई इल्म न था।

देश आज़ाद हुआ और साथ ही इस कौम पर से पाबंदियां भी काफी हद तक उठा ली

गयीं। जनाब हक्कानी साहब इसी कौम के एक फर्द हैं। इन के वालिद पालन खुद एक मशहूर डाकू थे। डाका डालना उन का एक खानदानी पेशा था, लेकिन किसे मालूम था कि इसी डाकू की नस्ल से पैदा होने वाला बच्चा आगे चलकर उम्मते मरहूमा का बेहतरीन खादिम, मुबल्लिग और वाइज होगा।

हक्कानी साहब ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए कि जिस दौर और जिस माहौल में उन्होंने होश संभाला और पले-बढ़े, उस दौर में उनकी कौम से तालीम को कोई दूर का भी ताल्लुक न था, पर बावजूद इसके कुदरत को इस नव-निहाल से अपने दीन की खिदमत लेनी थी, इसलिए यों कहिए कि इत्तिफाक के तौर पर शुरू उम्र ही में कुछ गुजराती और कुछ उर्दू की तालीम पा ली थी और यही थोड़ी सी और महदूद तालीम उनके हक में ला-महदूद और जबरदस्त नेमत साबित हुई।

बालिग होने के बाद मिल में मजदूरी का काम शुरू हुआ। गुजरात वैसे भी एक इंडस्टीरियल एरिया है। कपड़े के लिए अनगिनत मिल यहां पर जगह-जगह पाए जाते हैं। यहां के मुख्य मुकाम अहमदाबाद में तो मिलों का जाल बिछा हुआ है, चुनांचे हक्कानी साहब ने अहमदाबाद की एक मिल में मेहनत-मजदूरी से अपनी जिंदगी की शुरूआत की। जवानी का आलम, तबियत में ला-उबालीपन के साथ साथ कौम और खानदान की खूबियां भी मौजूद थी। कोई रोकने-टोकने वाला न था, कोई हिदायत देने वाला और सुधारने वाला भी न था, चुनांचे धीरे धीरे वे तमाम बुरे अख्लाक उनमें जमा हो गये, जो उस वक्त और उस माहौल की खास पैदावार थे। हक्कानी साहब की शादी भी अपनी ही कौम में हुई। आगे चल कर वह शहर वांकानेर (सौराष्ट्र) आ कर रहने लगे और यहां के एक मिल में काम करने लगे। उस जमाने में आप को कव्वाली का बड़ा शौक था। जुबान फसीह न थी, फिर भी उर्दू गजलें खूब गाते थे और महिफल में रंग जमा देते थे, लेकिन इस शौक के साथ साथ जरायम का सिलसिला भी किसी न किसी शकल में चल ही रहा था।

यही रिंदी और फक्कड़पन का जमाना था कि आप को एक मज्जुब (बुजुर्ग) से अकीदत पैदा हुई, अक्सर उन की खिदमत में हाजिर रहते, उन्हें खाना खिलाते, कव्वालियां सुनाते, उन के कपड़े बंदलवाते और जब कभी मज्जुब खुशी और मुसरत की हालत में हों, यह उन से दख्वास्त करते कि, 'बाबा! ऐसी दुआ कर दो कि मेरा घोड़ा सब से आगे निकल जाए।' इन लफ्जों से हक्कानी साहब का मतलब सिर्फ यह था कि कव्वाली में उन्हें ऐसी महारत पैदा हो जाए कि कोई कव्वाल उन की बराबरी न कर सके, मगर हक सुब्हानहू व तआला के नजदीक इन लफ्जों का मतलब कुछ और ही तै पाया। धीरे-धीरे उन का दिल दीन की तरफ माइल होने लगा। नमाज से कुदरती तौर पर चाव पैदा हुआ। इसी के साथ दीन में गौर व फिर और शरई उलूम के हासिल करने का जब्बा करवटें लेकर जागता दिखाई दिया। आप ने उर्दू और गुजराती में दीनी किताबों को पढ़ना शुरू किया और फिर तो जौक व शौक इतना बढ़ा कि मिल से जो तन्खाह

मिलती, उसका बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने की भेंट चढ़ जाता और जब यह शौक हद से आगे बढ़ा, तो बीवी के गहने भी किताबों की भेंट चढ़ गये, नौबत फ़ाकों तक पहुंची।

मगर इस के साथ ज़िदगी में ऐसा इंकिलाब आया, जो सच तो यह है कि बड़ी हैरत में डाल देने वाला था। मेरा ख्याल है कि खुद कुदरत उन्हें दीन की खिदमत के लिए तैयार कर रही थी। वैसे भी आमतौर से देखा गया है कि जब हालात ज्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो अल्लाह तआला अपने किसी ऐसे बन्दे को खड़ा करके उससे काम लेता है, जिसके बार में किसी को वहम व गुमान न हो। हक्कानी साहब ने दीन के लिए काफी तकलीफें बर्दाश्त कीं। खुद खानदान वालों की क़दामत पसन्दी और वहम परस्ती ने दामन पकड़ लिया, दाढ़ी रखवाई, तो घर वालों ने सब से ज्यादा मुख़ालफ़त की, शर्ई लिबास अपनाया, तो लोग मज़ाक़ उड़ाने लगे। सुन्नते नबवी की पाबन्दी की तो लोग इस तरह ताज्जुब की निगाह से देखने लगे, गोया कोई अजीब मख़्लूक़ उनके सामने खड़ी हो गयी हो और फिर जब उन्होंने दोस्तों और क़ौम वालों में दीन की तब्लीग़ शुरू की, तो लोगों को शिर्क व बिदअत से बचने और सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी पर उभारा, तो क़ौम ने आप का बाइकाट किया, गालियां दी और गांव से निकाल दिया।

मगर दुनिया ने देखा कि जिसे उस की क़ौम सिर्फ़ इस लिए निकाल देती है कि वह अल्लाह के और उसके रसूले बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी की तरफ़ बुलाता है, तो उसी ठुकराये हुए इन्सान को अल्लाह की रहमत अपने साएं में ले लेती है। हक्कानी साहब के साथ भी यही हुआ। बिरादरी ने उन्हें ठुकरा दिया, तो सौराष्ट्र और गुजरात के मुसलमानों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। यह अब तक सिर्फ़ अपने ही इलाके में तब्लीग़ करते थे। अब उन्होंने बढ़ कर पूरे सौराष्ट्र में वाज़ का सिलसिला शुरू किया। मख़्लूक़े खुदा गरवीदा होने लगी। बड़े-बड़े दौलतमन्द लोग अकीदत से आप के चारों ओर मंडलाने लगे। आप को जिन-जिन किताबों की ज़रूरत थी, जो आसानी से नहीं मिल रही थीं और आप को उन किताबों के खरीदने की ताक़त भी न थी, ऐसी तमाम किताबें कुदरत की तरफ़ से मुहय्या होती चली गयीं। एक साहब ने माइक और लाउडस्पीकर भी दिला दिया, ताकि आप गांव-गांव फिर कर हक़ की तब्लीग़ अदा करें।

जब यह सिलसिला आगे बढ़ा तो मजबूरन आप को नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस मुद्दत में आप ज्यादा वक़्त किताब पढ़ने और दीन में गौर व फ़िक्र करने पर लगाने लगे। कुदरत ने आप को ग़ज़ब का हाफ़िज़ा दिया है, जो कुछ पढ़ते, वह सीने पर अमिट हो जाता। चुनांचे कुरआन मजीद की सैकड़ों आयतें, सिहाहे सित्ता की सैकड़ों हदीसों, मोतबर और मुस्तनद तफ़्सीरों, के सैकड़ों हवाले आप को अच्छी तरह याद हो गये जब आप तक़रीर के दौरान हर मस्ले की तायीद में कुरआन की आयतों, हदीसों, मोतबर तफ़्सीरों 'हनफ़ी फ़िक्ह और दूसरी किताबों के नाम, जिल्द, पारा, सफ़हा नम्बर, हदीस नम्बर, आयत नम्बर के बीसियों हवाले देते हुए दलील पेश करते हैं, तो अच्छे अच्छे उलेमा-ए-किराम भी दंग रह जाते हैं, आप के वाज़ में यह खूबी

है कि पन्द्रह और बीस-बीस हजार का मज्मा घंटों तक यकसूई और इत्मीनान के साथ उसी तरह बैठा हुआ सुनता रहता है गोया कलामे इलाही और हदीसे नबवी ने उसे मोह लिया है। जिस मुहल्ले में दो-चार वाज होते हैं, वहां खासा इन्क़लाब आ जाता है। जुआ, सट्टा, शराब, बेहयाई जैसे बुरे जरायम से लोग तौबा करके मस्जिदों की ओर रुख करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि 70-70, 80-80 साल के बूढ़े मर्द, औस्त जिनकी पेशानी कभी अल्लाह के सामने नहीं झुकी, वे भी नमाज के पाबन्द हो गए और पाबन्द भी ऐसे कि तहज्जुद तक कज़ा नहीं होने देते। हक्कानी साहब ने सौराष्ट्र से निकल कर गुजरात में कदम रखा और अहमदाबाद को अपना मर्कज़ बनाया, तो सिर्फ एक ही महीने में यह हालत हो गयी कि हर वाज में 25-25 हजार का मज्मा होने लगा, जिसमें 5-5 और 7-7 हजार तो सिर्फ औरतें ही होती थीं, चूंकि औरतों को अमल पर उभारने का ढंग हक्कानी साहब को खूब याद है, इसलिए औरतों में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। धीरे-धीरे पूरे गुजरात से हक्कानी साहब के लिए मांग होने लगी और उन्होंने भी एक एक ज़िले में 15-15 और 20-20 वाजों का प्रोग्राम बना कर सिर्फ कुछ ही महीनों में गुजरात में हलचल मचा दी।


आपने शुरू ज़माने में 'शरीअत या जहालत' नाम की एक किताब लिखी थी, जिस में इख़्तिलाफी मसाइल और क़ौम में जड़ पकड़े हुए ग़ैर-इस्लामी रिवाज और रस्मों की कुरआन मजीद, हदीसों, तफ़्सीरों और हनफ़ी फ़िक्ह की रोशनी में ऐसी दलीलों से उन की इस्लाह फ़रमायी थी कि जनता उसे आसानी से समझ लेती और उनका ज़मीर गवाही देने लगता कि यही हक़ है, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि जब कोई आदमी इस्लाह की तहरीक (सुधार- आन्दोलन) लेकर उठता है, तो एक न एक खुदग़रज़ तब्का उस की मुख़ालफ़त के लिए मैदान में आ जाता है। यही सूरत गुजरात में पेश आयी। गुजरात के लोग, खासतौर से क़स्बों और देहातों में रहने वाले सादा दिल मुसलमान सालों से वहम परस्ती के शिकार रहे हैं। उसी के साथ साथ यह भी एक हकीक़त है कि गुजरात के बहुत से जाहिल पीर और अपने आप कहलाने वाले मौलवी-मुल्ला जिन्हें अपनी आक़िबत की कुछ परवाह नहीं है, उन लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूले बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम लेकर हमेशा से धोखा देते आए हैं। इनके अलावा गुजरात में उलेमा-ए-हक़ और कुछ मुख़्लिस और हमदर्दनि तरीक़त भी मौजूद हैं, मगर फ़िल्ना फैलाने वालों की हुल्लड़ बाजियों की वजह से ख़ामोशी से अपनी-अपनी जगह बैठे हुए मज़हब व मिल्लत की तामीरी ख़िदमत कर रहे थे। हक्कानी साहब के ख़िलाफ़ जो तब्का मैदान में आया, वह पेट का पुजारी और खुदग़रज़ था, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत देखिए कि उस तब्के ने जिस क़दर हक्कानी साहब और उनकी किताब के ख़िलाफ़ प्रचार किया, उतना ही हक्कानी साहब और उनकी किताब की शोहरत बढ़ती गयी। उस किताब को दिल दुखाने वाली और तौहीन वाली करार देकर उसे ज़ब्त कराने के लिए बाक़ायदा तहरीक शुरू की। दूर-दूर से चन्देबाज़ मौलवियों को बुलाया और फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, मगर इसी बीच गुजरात

के दीनदार उलेमा दारुलउलूमों के मोहतमिम लोग और मुफ्ती लोग मैदान में आए और उन्होंने एलान किया कि हक्कानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' कर्तई तौर पर तौहीन करने वाली नहीं है। बल्कि कौम के हक में बहुत मुफीद है।

गुजराती जुबान में अब तक जो किताबें छपी हैं, उनमें यह किताब अपने ढंग की अकेली किताब है और फिर उस की अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है कि किताब के लिखने वाले कोई दारुलउलूम के सनद याफ़्ता आलिम नहीं हैं। हाफ़िज़, मुहद्दिस, मुफ़स्सिर य फ़कीह नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह ऐसी किताब तैयार कर सके हैं, जिसने गुजराती मुसलमानों को हद दर्जा मुतास्सिर किया है, सैकड़ों गुमराहों को हिदायत का रास्ता दिखाया है। बयान करने का ढंग इतना सादा और सब की समझ में आने वाला है कि हर छोटा-बड़ा इससे बराबर फ़ायदा उठा सकता है।

जनाब हक्कानी साहब गुजरात से निकल कर बम्बई पहुंचे तो मख़्लूके खुदा के रुजूअ का यह हाल था कि हर वाज़ में मज्मा कन्ट्रोल से बाहर होता था। किताब का दूसरा एडीशन बम्बई में साफ़ हो गया, उसी के साथ किताब के उर्दू एडीशन की ज़बरदस्त मांग होने लगी, उर्दू एडीशन भी आ गया, अब हिन्दी की बारी है। हिन्दी एंडीशन आप के हाथ में है। अल्लाह अताला इसे भी कुबूल फ़र्माये और हिन्दी जानने वालों में इस्लाह का काम करे।

-सैयद हबीबुर्रहमान ग़ज़नवी
एडीटर 'आबेहयात', अहमदाबाद



बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अपनी बात

कुरआन करीम के आठवें पारे में सूर: अन्आम् के पन्द्रहवें रकूअ में आयत न० 125 में अल्लाह तआला इशाद फरमाता है-

तर्जुमा - सो जिस आदमी को अल्लाह तआला रास्ते पर डालना चाहते हैं, उस के सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं और जिस को बे-राह रखना चाहते हैं, उसके सीने को तंग और बहुत तंग कर देते हैं।

अल्लाह पाक फरमाता है कि जिस को अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इस्लाम के लिए उस का दिल खोल देता है यानी दीने इस्लाम अपना उस के लिए आसान बना देता है। चुनांचे यह चीज निशानी है इस बात की कि उस की किस्मत में खैर लिखी है, जैसा कि फरमाया, इस्लाम के लिए जिस का दिल खुल जाता है, तो खुदा की तरफ से उस के लिए नूर तै कर दिया जाता है।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 14, सूर: अन् आम के पन्द्रहवें रकूअ की तफसीर में।

मेरे अजीज दोस्तों ! आप इतनी बात तो आसानी से समझ सकते हैं कि कोई आदमी उस वक्त तक आलिम, मुफ्ती, मौलवी, कारी और हाफिज नहीं बन सकता, जब तक कि वह अपनी जिंदगी के कई साल दीनी मदरसों में दीन का इल्म हासिल करने में न लगाये, लेकिन आपको यह सुन कर हैरत और ताज्जुब होगा कि एक मामूली मिल मजदूर बगैर किसी दारुलउलूम और मदरसा में तालीम पाये सिर्फ अल्लाह के करम और एक अल्लाह को पहुंचे हुए मज्जुब सिफ्त बुजुर्ग की दुआ से इस काबिल हुआ कि अपने दीन, अपनी कौम और इंसानियत की खिदमत कर सके। उस मर्दे खुदा जनाब अली शाह बापू की दुआ का असर और अल्लाह तआला की कुदरत का करिश्मा देखना हो तो इस मिल मजदूर यानी मुझ नाचीज की लिखी किताब 'शरीअत या जहालत' - आप संजीदगी और दयानतदारी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से पढ़िए, आप को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि दीन की तब्लीग का यह इतना बड़ा काम तहरीरी और तकरीरी तौर से मुझ जैसे कमजोर और ना-तवां बन्दे से किस तरह लिया और उस को कुबूले आम बरखा, इस पर अल्लाह रब्बुल इब्जत का हजार-हजार शुक्र है कि मौला की तौफीक से यह सब कुछ हुआ और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिकुल मुल्क ! मुझे जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने दीने मतीन की खिदमत के लिए हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाये। आमीन!

मेरे अजीज दोस्तों ! आप इतना तो जरूर जान सकते हैं कि दुनिया में इन्सान का बोलना दो तरह का होता है, या तो सच होगा या झूठ। अब जो लोग सच्चे होते हैं, वे तो दुनिया

से बे-परवाह होते हैं और किसी को तकलीफ़ देना पसन्द नहीं करते और जो लोग झूठे होते हैं, वे दुनिया तलब होते हैं और अपने नफ़्स की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, आपस में लड़वाते भी हैं और सच्चे मुसलमानों को तकलीफ़ भी पहुंचाते रहते हैं।

हर ज़माने में दो किस्म के लोग होते आए हैं और आज भी हैं और क़ियामत तक होते रहेंगे-

एक सच्चे, और दूसरे झूठे।

इन में झगड़े सिर्फ़ कुछ मसअलों पर हुआ करते हैं और यही मुसीबत आज हमारे हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों में फैल गयी है हजारों मुसलमान भाई अपने आप को सुन्नी कहते हैं, पर अफ़सोस, जहालत और ज़िद की वजह से इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल करते हैं और जब उन भाइयों को समझाया जाता है तो उन समझाने वालों को वहहाबी, ग़ैर-मुक़ल्लिद और इस्लाम से खारिज समझते हैं।

हिन्दुस्तान में ज़्यादातर देवबन्दी और बरेलवी गिरोहों में मसअले मसाइल का इख़िलाफ़ चल रहा है। इन दोनों गिरोहों में कौन सा गिरोह सच्चा है, वह आम मुसलमानों के लिए समझना मुश्किल है। हां, जब देवबन्द और बरेली का जन्म भी नहीं हुआ था, अगर उस वक़्त की पुरानी किताबों को देखा जाए, तो अल-बत्ता आसानी से इन-शाअल्लाहु तआला बात समझ में आ जाएगी कि हक़ पर कौन है और ग़लती पर कौन है।

यही बात हम आप मुसलमानों को समझना चाहते हैं, इसलिए इस किताब में जिन-जिन मसअलों पर बहस की गयी है, उन को हमने पहले की पुरानी किताबों से तहक़ीक़ करके इस किताब में छापा है। हर मसअले में जहां तक भी हो सका है, पहले क़ुरआन करीम, फिर हदीसें और फिर हनफ़ी मसलक की मोतबर व मुस्तनद किताबों से पूरी-पूरी तहक़ीक़ करके अल्लाह तआला के फ़ज़ल से आप साहबों की ख़िदमत में यह किताब पेश की जा रही है।

अक्सर काम ऐसे होते हैं, जो शरीअत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन लोग अपनी जहालत की वजह से उसे शरीअत समझ कर अमल करते हैं। ऐसे ही लोगों को समझाने की नीयत से यह किताब लिखी गयी है, इस लिए इसका नाम हमने 'शरीअत या जहालत' रखा।

यह काम, जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि मेरी हस्ती से बाहर था, मगर मेरे मालिके मुख़्तार ने मेरा साथ दिया और सतरह साल की सख़्त मेहनत के बाद आज यह तहक़ीकी मजमूआ आम मुसलमान भाइयों की ख़िदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस किताब को क़द्र की निगाहों से देखेंगे।

हमारे बहुत अधिक मोहिसम सेठ ज़मीर अहमद सिद्दीकी साहब, ज़िला गौंडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फ़िलहाल बम्बई के अन्दर कुरला में क़ियाम करते हैं, एक दिन फ़रमाया कि आप इस किताब में इज़ाफ़ा क्यों नहीं करते? हमने कहा कि इज़ाफ़ा के खर्चे, दोबारा किताबत वगैरह को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने फ़रमाया कि आप तवक्कल अलल्लाह इज़ाफ़ा

तैयार कर लें। इन्शाअल्लाहु तआला सब कुछ हो जाएगा। हमने अल्लाह के भरोसे पर क़लम उठाया और आम मुसलमानों के लिए जो अहम एतकादी मसअले हैं, जैसा कि मुर्दे जिंदा हैं या नहीं और अगर जिंदा हैं तो सुनते हैं या नहीं और अगर फ़र्ज कर लो कि मुर्दे सुनते हैं तो कुछ कर भी सकते हैं या नहीं, इस के अलावा दूसरे नये बाब भी दर्ज कर दिये हैं और जो मसअले इस किताब में पहले से मौजूद थे, उन में कहीं-कहीं इज़ाफ़ा भी कर दिया है। इन सारी बातों का सेहरा जनाब ज़मीर अहमद सिद्दीकी साहब के सर है। उन्हीं के सच्चे जज़्बे और खुलूस का यह नतीजा है कि आज 'शरीअत या जहालत' आप के हाथों में इज़ाफ़े के साथ मौजूद है। इस किताब में इज़ाफ़े की शुरुआत सेठ ज़मीर अहमद सिद्दीकी साहब से और इस भले काम में जनाब ऐनुल्लाह जाहिद अली साहब, ज़िला बस्ती (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं और फ़िलहाल बम्बई के अन्दर खार में क़ियाम करते हैं, वह भी शामिल हैं। इस किताब की किताबत के लिए हम बहुत परेशान थे, कोई सही कातिब हमारी मर्जी के मुताबिक़ नहीं मिल रहा था, इस बारे में हमारे बहुत ही बड़े मुख़्लिस मुह्सिन जनाब बदरुज़्ज़मां साहब जो कमरहट्टी में रहते हैं, जिनका पता अनवर आर्ट प्रेस न० 6/A कनाई सेल स्ट्रीट (ज़करिया स्ट्रीट), कलकत्ता 73 है, यह सेहरा उनके सर है। उन्होंने हम को जनाब मुंशी महमूदुल हसन साहब जैसा कातिब दिया। आप का पता मुहल्ला शेख़ाना ख़ुर्द, डाकख़ाना बिहार शरीफ़ ज़िला नालंदा, पटना के रहने वाले हैं और फ़िलहाल तांती बाग़ कलकत्ता 14 में क़ियाम करते हैं, किताबत का सेहरा आप ही के सर है। यह पूरी किताब अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आप ही के हाथ से किताबत हुई है। इस किताब की सेहत और इस्लाह का सेहरा हमारे बहुत बड़े मुख़्लिस मुह्सिन आलिम व फ़ाज़िल मौलाना ज़मीर अहमद साहब आजमी के सर है जो क़स्बा जलालपुर, ज़िला फ़ैज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) में क़ियाम फ़रमां हैं।

यह किताब पहली बार दिसम्बर सन् 1962 ई० में गुजराती में छपी थी, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से लोगों में बहुत मक़बूल हुई, फिर उर्दू में भी छपने की मांग होने लगी तो गुजराती से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब (इब्ने मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब) चुने गये। मौलाना ने बड़ी ही दयानतदारी से तर्जुमा किया और कुछ जगहों पर इस्लाह भी कर दी। आप शहर जूनागढ़ (सौराष्ट्र) के रहने वाले हैं और फ़िलहाल बंगलौर में चारमीनार मस्जिद कर्नाटक स्ट्रीट में रहते हैं। सन् 1965, मई महीने में यह किताब उर्दू में छप गयी।

उर्दू में किताब का मैदान में आना यह मौलाना अब्दुल मतीन ही के सर सेहरा है और गुजराती से उर्दू तर्जुमा कराने में हमारे बहुत बड़े मोहसिन अब्दुल हमीद साहब और जनाब मुहम्मद अमीन साहब ने बहुत ही बड़ी हिमायत की है। ये साहिबान शहर जूनागढ़ सौराष्ट्र ही में रहते हैं और उन्होंने मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब से उर्दू में तर्जुमा करवाया, क्योंकि मौलाना अब्दुल मतीन साहब गुजराती भाषा भी जानते थे और उर्दू अरबी के तो सुब्हानल्लाह आलिम थे और दूसरा कमाल सुनिए, मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब कातिब

भी थे और आप ही के हाथ से किताबत होकर उर्दू में छप सकी और आज तक छपती रही। किताब छपाने में पैसों की इमदाद हमारे बहुत बड़े मुख़्तस, मोहसिन जनाब अहमद भाई इसमाईल साहब के सर है जो भड़ौच, गुजरात प्रदेश के रहने वाले हैं, फ़िलहाल बम्बई के अन्दर जोगेश्वरी में क़ियाम कर रहे हैं। यह सेहरा आप ही के सर है। इस किताब को छपे हुए काफी अर्सा हो गया और अल्लाह तआला ने हमारे इल्म में इज़ाफ़ा भी कर दिया तो हमें एहसास हुआ कि इस किताब में और ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जाए और नये सिरे से किताबत करा के आफ़सेट पर छापा जाए। वहरहाल यह किताब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इज़ाफ़े के साथ छप गयी।

जनाब निज़ामुद्दीन साहब (उर्फ़ मुन्ना सेठ) ने ठीक वक़्त पर इस किताब के छपवाने में काफी मदद फ़रमायी है। आप (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं, फ़िलहाल बम्बई में रहते हैं। अल्लाह तआला आप को हर आफ़त व बला से बचाए रखे और दोनों जहान में भली-से भली नेमतों से नवाज़े। आमीन! हारून ट्रेडिंग कम्पनी ने ठीक वक़्त पर काफी मदद फ़रमायी है। अल्लाह तआला इन साहिबों को जज़ा-ए-ख़ैर दे और भली से भली नेमतें दोनों जहान में अता फ़रमाये। आमीन!

मोहतरम मौलाना अब्दुरहमान साहब हैदराबादी ने भी इस किताब की चैकिंग और मदद में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। आप मेरे बहुत ही बड़े मोहसिन हैं। अल्लाह तआला आप को दोनों जहान में कामियाब रखे और भली से भली नेमतें अता फ़रमाये। आमीन!

इस किताब के लिखने में और हवाला नम्बर चैकिंग करने की ख़िदमत अंजाम देने वाले हमारे मोहसिन मौलाना मुहम्मद इसमाईल साहब के सर है। आप पोस्ट बाग़नगर, ज़िला बस्ती (यू० पी०) के रहने वाले हैं। इस किताब की मुकम्मल सेहत में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथी मुहम्मद फ़ारूक साहब गोरखपुरी के सर है, इस किताब के छापने में और तब्लीग़ के सिलसिले में मेरी बहुत बड़ी मदद करने वाले हमारे मुख़्तस दोस्त जनाब अब्दुरशीद साहब हैं, पोस्ट वहोर, तालूका महाड, ज़िला कुलावा, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये चार भाई हैं और ये सब हमें दिल से चाहते हैं। अल्लाह तआला इन साहिबों की हर आफ़त व बला से हिफ़ाज़त फ़रमाये और भली से भली नेमतें अता फ़रमाये। आमीन!

इस किताब की किताबत की शुरुआत बम्बई से हुई और इस के ख़त्म का सेहरा हमारे मोहसिन अब्दुस्सलाम लोरी वाले और नूर आलम साहिबान के सर है, ये साहिबान बेलगछिया, कलकत्ता न० 37 में रहते हैं अल्लाह तआला इन साहिबों को और उन की आल व औलाद को और तमाम बेलगछिया वालों को, मर्द व औरत और बच्चों को भली से भली नेमतें दोनों जहान में अता फ़रमाये। आमीन!

वेस्ट बंगाल में हमारे आने का सेहरा तंज़ीमे नव-जवानाने हिंद, बेलगछिया, कलकत्ता 37 के सर है।

इस किताब के छपवाने और बाइंडिंग वगैरह का इन्तिजाम हमारे बहुत बड़े मुस्लिम मुहिम मौलाना हकीम मिस्बाहुद्दीन साहब के सर है आप का पता है रब्बानी बुक डिपो, कटरा शेख चांद, लाल कुआँ, दिल्ली-6, आप ही के यहां से आप साहिबान को यह किताब शरीअत या जहालत भी मिल सकती है और दूसरी बहुत सी किताबें और कुरआन शरीफ वगैरह ताजिराना रेट पर मिल सकते हैं।

हमने कुरआन करीम की अरबी आयतें इस किताब में नहीं लिखी हैं, सिर्फ तर्जुमे पर बस किया है। अगर कोई साहब अरबी आयतें देखना चाहें तो कुरआन शरीफ में देख लें, उस के लिए हमने जहां से आयत ली है, उस का पारा, रूकूअ और आयत नम्बर भी लिख दिया है। इसी तरह जहां से हदीस ली है, उस किताब का नाम, जिल्द, बाब, पृ० (सफ़हा) नम्बर भी दे दिया है, ताकि अगर कोई मुसलमान भाई इबारत ढूढना चाहें तो उन्हें दिक्कत न हो। उम्मीद है कि यह किताब आम मुसलमान भाइयों-बहनों के लिए हिदायत का ज़रिया और आखिरत में नजात का सबब बनेगी।

आखिर में दुआ है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला! अपने रहम व करम से इस किताब को कुबूल फ़रमा और इस किताब की किताबत व तबाअत व इशाअत में मदद करने वालों के लिए दीन और दुनिया में भलाई अता फ़रमा और आखिरत में नजात कर सबब बना। जिसने भी इस किताब में जानी, माली या जुबानी मदद की है, उस के लिए भी ऐ अल्लाह! दुनिया में रंज व ग़म से नजात और जान व माल और ईमान की सलामती अता फ़रमा और आखिरत के लिए अपनी रहमत व मग़िफ़रत का सबब बना और मेरी कोशिशों को अपने रहम व करम से, ऐ मेरे मौला! हमारे आम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए हिदायत का ज़रिया बना और मेरे लिए आखिरत की नजात का सबब बना और मेरे मां-बाप को और मेरे सब मोहिसनों को बरख़्शा दे। आमीन! सुम-म आमीन या रब्बल आलमीन!

नोट - अब अलहम्दु लिल्लाह ज़बरदस्त मक़बूलियत और मांग के सबब इस किताब का हिन्दी एडीशन पेश किया जा रहा है जिसे निहायत मेहनत और तवज्जोह से अन्जाम व तकमील तक पहुंचाने का सहारा भी जनाब हकीम मिस्बाहुद्दीन साहब रह० के साहिबज़ादों (मालिकान रब्बानी बुक डिपो, लाल कुआँ, दिल्ली-6) के सर हैं। अल्लाह जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाये कि इन साहिबों ने जदीद कम्प्यूटर (लेज़र कम्प्यूटर सर्विसिज) पर उम्दा कम्पोज़िंग करायी और छपाई के आला मज़यार को बाकी रखा।

आप की भली दुआओं का तालिब

मुहम्मद पालन हक्कानी

(गुजराती)

तारीख : 1-9-1998

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम०

अल्लाह की किताब

कुरआन करीम के पंद्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के नवें रकूअ में आयत न० 82 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है।

तर्जुमा - और यह कुरआन जो हम नाज़िल फ़रमा रहे हैं, ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिमों के लिए घाटा और नुक़सान ही बढ़ता है।

जो लोग इस कुरआन को अपना रहनुमा मानते हैं और अपने को इस किताब का अमीन समझते हैं, उन के लिए तो यह कुरआन रहमत और शिफ़ा है और उन की तमाम ज़ेहनी, नफ़सानी, अख़्लाकी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, पर जो ज़ालिम इस कुरआन के हुक़म को बकवास समझ कर इसे झुठला कर इस की हिदायत से मुंह मोड़ें, इस किताब को मानते हुए भी इस की बतायी हुई हिदायतों पर अमल न करें और अपनी मनमानी जिंदगी जिएं, तो गोया वे अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, यह कुरआन उन को उस हालत पर भी नहीं रहने देता जो इस किताब के नाज़िल होने से पहले थी या इसके जानने से पहले थी, बल्कि यह कुरआन उन्हें उल्टा घाटे में और नुक़सान में ज़्यादा बढ़ा देता है। इस की वजह यह है कि जब तक कुरआन मजीद आया नहीं था या जब तक वे कुरआन मजीद को जानते नहीं थे, उन का घाटा सिर्फ़ जहालत का घाटा था, पर जब कुरआन उन के सामने आ गया और उसने हक़ व बातिल का फ़र्क़ खोल कर रख दिया, तो उन पर खुदा की हुज्जत पूरी हो गयी। अब अगर वे कुरआन मजीद के हुक़मों को रद्द कर के गुमराही पर अड़े रहते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वे अनजान नहीं हैं, बल्कि ज़ालिम हैं, हक़ को छोड़ कर बातिल की ओर झुके जा रहे हैं। यह घाटा और नुक़सान ही नुक़सान है और अपने आप पर जुल्म करना है।

दुनिया में इस वक़्त मुसलमान ही वह खुशकिस्मत क़ौम है, जिस के पास अल्लाह का कलाम बिल्कुल महफूज़, तमाम घट-बढ़ से पाक और ठीक-ठीक उन्हीं लफ़्ज़ों में मौजूद है जिन लफ़्ज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरा था और दुनिया में इस वक़्त मुसलमान ही वह बद-किस्मत क़ौम है, जो अपने पास अल्लाह का कलाम रखती है और फिर भी उसकी बरकतों और बे-हिसाब नेमतों से महरूम है। कुरआन पाक हमारे पास इस लिए भेजा गया था ताकि उस को पढ़ें और समझें, उस के हुक़म के मुताबिक़ अमल करें। यह कुरआन हमको खुदा की ज़मीन पर खुदा का असली ख़लीफ़ा बनाने आया था और तारीख़ गवाह है कि जिन लोगों ने उस की हिदायत के मुताबिक़ अमल किया, तो उसने उन

को दुनिया का इमाम और पेशवा बना कर दिखा दिया।

कुरआन मजीद के अठारहवें पारे में सूर: नूर के सातवें रकूअ में आयत नं० 55 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन से खुदा का वायदा है कि उन को मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा कि उन से पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उन के दीन को जिसे उसने उन के लिए पसन्द किया है, मज़बूत और पायदार करेगा और डर के बाद उन को अमन बख़ोगा, वे मेरी इबादत करेंगे (और) मेरे साथ किसी और को शरीक न बनाएंगे और जो उस के बाद कुफ़र करे, तो ऐसे लोग फ़ासिक (नाफ़रमान) हैं।

अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वायदा फ़रमा रहा है कि आप की उम्मत को वह ज़मीन का मालिक बना देगा, लोगों का सरदार कर देगा, मुल्क उन की वजह से आबाद होगा, अल्लाह के बन्दे उन से दिलशाद होंगे, आज ये लोगों से लर्जा-तरसां हैं, कल ये बा-अमन व बा-इत्मीनान होंगे, हुकूमत उन की होगी, सल्लतनत उन के हाथें में होगी। अल-हम्दु लिल्लाह ! यही हुआ भी (--) मक्का, ख़ैबर, बहरीन, अरब प्रायद्वीप और यमन तो स्वयं आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मौजूदगी में जीत लिये गये। हिज़्र के मजूसियों ने जिज़या देकर मातहतती कुबूल कर ली। शाम (सीरिया) के कुछ हिस्सों का भी यही हाल हुआ। शाहे रूम हिरक़ल ने तो तोहफ़े-तहाइफ़ ख़ाना किये।

मिस्र के वाली ने भी ख़िदमते अक़दस में तोहफ़े भेजे। स्कन्दरिया के बादशाह मकोक़स ने और अमान के शाहों ने यही किया और इस तरह अपनी इताअत गुज़ारी का सबूत दिया। हब्शा के बादशाह ऊस्हमा रज़ि० तो मुसलमान ही हो गये और उन के बाद हब्शा का जो बादशाह हुआ, उसने भी सरकारे दो आंलम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़दस में बड़ी अकीदतमंदी के साथ तोहफ़े ख़ाना किये। फिर जब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोहतरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी मेहमानदारी में बुलवा लिया, आप की ख़िलाफ़त हज़रत सिद्दीके अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभाली। ज़ज़ीरा-ए-अरब की हुकूमत मज़बूत और मुस्तक़िल बनायी, साथ ही एक भारी लश्कर सैफुल्लाह ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सिपहसालारी में फ़ारिस के शहरों की तरफ़ भेजा, जिसने वहां फ़त्हों (विजय या जीत) का सिलसिला शुरू किया। कुफ़र के पेड़ों को जड़ से काट दिया और इस्लामी पौधे हर ओर लगा दिये। हज़रत अबू उबैदा बिन ज़रह रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह सरदारों के मातहत शाम के मुल्कों की तरफ़ इस्लामी फ़ौज के जांबाज़ों को ख़ाना फ़रमाया। उन्होंने भी वहां मुहम्मदी झंडा ऊंचा किया और सलीबी निशान (झंडे) औंधे मुंह गिराये। मिस्र की तरफ़ मुजाहिदों की फ़ौज हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की सरदारी में ख़ाना फ़रमायी। बसरा, दमिश्क़, अमान वगैरह की जीतों के बाद आप इस दुनिया से सिधारे और खुदा के इल्हामी इशारे से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ज़बरदस्त व जोरावर हाथों में इस्लामी हुकूमत की बाग-डोर

दे गये। सच तो यह है कि आसमान तले किसी नबी के बाद ऐसे पाक खलीफाओं का दौर नहीं हुआ। आपकी तर्बियत की ताकत, आप की सीरत की नेकी, आप के इंसफ़ का कमाल, आप की खुदातरसी की मिसाल दुनिया में आप के बाद तलाश करना बिल्कुल बेकार और बे-फ़ायदा है। तमाम मुल्क शाम, मिस्र का पूरा इलाका, फ़ारिस का अक्सर हिस्सा, आप की ख़िलाफ़त के ज़माने में जीता गया। किसरा हुकूमत के टुकड़े-टुकड़े हो गये। खुद किसरा को मुंह छिपाने के लिए कोई जगह न मिली। पूरी ज़िल्लत व रुसवाई के साथ भागता फिरा। कैसर को फ़ना कर दिया, नाम मिटा दिया, शाम की हुकूमत से हाथ खींचना पड़ा, कुस्तुन्तुन्या में जाकर मुंह छिपाया। इन हुकूमतों की सदियों की दौलत और जमा किये हुए अनगिनत ख़जाने अल्लाह के इन बन्दों ने नेक नफ़स और मिस्कीन ख़स्तत बन्दों पर खर्च किये और खुदा के वायदे पूरे हुए, जो उसने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबानी किये थे- सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि०

फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त का दौर आता है और पूरब से पश्चिम की हदों तक अल्लाह का दीन फैल जाता है। खुदाई फ़ौज एक तरफ़ पूरब की हदों तक और दूसरी तरफ़ पश्चिम की इतिहाओं तक पहुंच कर दम लेती है और इस्लाम के मुजाहिद खुदा की तौहीद को दुनिया के कोने-कोने और चप्पे-चप्पे में पहुंचा देते हैं उन्दुलुस, क़ब्रस कीरवान व सब्ता, यहां तक कि चीन तक आपके ज़माने में जीत लिये गये। किसरा को क़त्ल कर दिया गया, उस का मुल्क छोड़ नाम व निशान तक मिटा दिया गया और हज़ारों वर्ष के आतिशकदे (जलायी गयी आग) बुझा दिये गये और हर ऊंचे टीले से अल्लाहु अकबर की सदा आने लगी। दूसरी तरफ़ मदायन, इराक़, ख़ुरासान, अह्वाज़ सब फ़तह हो गये। तुर्कों से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। आख़िर उन का बड़ा बादशाह ख़ाक़ान ख़ाक़ में मिला ज़लील व रुसवा हुआ और ज़मीन के पूर्वी और पच्छिमी कोनों ने अपने ख़राज़ (टैक्स) ख़िलाफ़ते उस्मानी के दरबार में पहुंचाए। हक़ तो यह है कि मुजाहिदों की इन जां-बाज़ियों में जान डालने वाली चीज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावते क़ुरआन की बरकत थी। आप को क़ुरआन से ऐसा लगाव था जो बयान से बाहर है। क़ुरआन को जमा करने, उस के फैलाने, उस के संभालने में जो नुमायां ख़िदमतें तीसरें ख़लीफ़ा ने अंजाम दी, यकीनन उस की मिसाल नहीं मिल सकती। आप के ज़माने को देखो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस पेशीनगोई को देखो कि आपने फ़रमाया था-

‘मेरे लिए ज़मीन समेट दी गयी, यहां तक कि मैंने पूरब व पश्चिम देख लिया, बहुत जल्द मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंच जाएगी, जहां तक मुझे इस वक़्त दिखाई गयी है।’

मुसलमानो! रब के उस वायदे को पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस पेशीनगोई को देखो, फिर तारीख़ के पन्नों को पलटो और अपनी पिछली शान व अज़मत को देखो, आओ, नज़रें डालो कि आज तक इस्लाम का परचम, अल्लाह का शुक्र है कि बुलंद है और मुसलमान उन मुजाहिदों की जीती ज़मीनों में शाहाना हैसियत से चल-फिर रहे हैं। अल्लाह और उस

के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे हैं। मुसलमानो ! अफसोस और सैकड़ों बार अफसोस। उस पर जो कुरआन व हदीस के दायरे से बाहर निकले। हसरत और सैकड़ों बार हसरत उस पर जो अपने बाप दादों के जखीरों को गैर के हवाले करे। अपने बाप दादों के खून के कतरों से खरीदी हुई चीजों को अपनी नालायकियों और बे-दीनियों से गैर की भेंट चढ़ा दे और सुख से बैठा-लेटा रहे। अल्लाह हमें कामिल ईमान अता करे। अल्लाह हमें सच्चा जौक दे। अल्लाह हमें इस्लाम का सिपाही बना। अल्लाह हमें अपनी फौज की तौफीक दे। ऐ अल्लाह! हमें अपना सिपाही बना ले। आमीन ! आमीन !

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 76, सूः नूर के सातवें रूकूअ की तफसीर में।

हमारे यहां इस के सिवा और कुछ नहीं रहा कि घर में कुरआन करीम को रख कर जिन्न-भूत भगाएँ या उस की आयतों को लिख-लिख कर गले में बांधे या धो-धो कर घोल-घोल कर पिएँ या कुरआन करीम की आयतों का मतलब ग़लत-सलत बयान करके अनपढ़ और भोले इंसानों को गुमराह करें या सिर्फ़ सवाब के लिए पढ़ लिया करें। अब हम इस से अपनी ज़िंदगी के मामलों में हिदायत नहीं मांगते। यह उससे नहीं पूछते कि हमारे अकीदे क्या होने चाहिए, हमारे अमल कैसे होने चाहिए, हम ज़िंदगी कैसे बसर करें, दोस्ती और दुश्मनी में किस क़ानून की पाबन्दी करें। खुदा के, बन्दों के और खुद अपने नफ़स के हक़ हम पर क्या हैं और उन्हें कैसे अदा करें हमारे लिए हक़ क्या है और बातिल क्या है? हम इताअत किस की करें और ना-फ़रमानी किस की करें और ताल्लुकात किस से रखें और किस से ताल्लुकात न रखें? दोस्ती किससे करें और दुश्मन किस को समझे? हमारे लिए इज़्ज़त और नफ़ा किस चीज़ में हैं और ज़िल्लत, नामुरादी और नुक़सान किस में हैं? ये सारी बातें बहुत-से मुसलमानों ने कुरआन शरीफ़ से पूछनी छोड़ दी हैं। अब ये गुमराह और खुदग़रज़ लोगों से जेबभरू पीरों और पेटभरू मौलवियों नफ़स परस्त मुजाविरों या खुद अपने नफ़स के शैतान से पूछते हैं और उन्हीं के कहने पर चलते हैं अब खुदा और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ानून को छोड़ कर दूसरों के कहने पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए, वही हुआ और हो रहा है।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूः बनी इस्राईल के पहले रूकूअ में आयत नं० 9 और 10 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तज़ुमा - यकीनन यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है और ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं, इस बात की खुशख़बरी देता है कि उन के लिए बहुत बड़ा बदला है और जो लोग आख़िरत पर यकीन नहीं रखते हैं, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।

अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक किताब की तारीफ़ में फ़रमाता है कि यह कुरआन बेहतरीन राह की तरफ़ रहनुमाई करता है, ईमानदार, जो ईमान के मुताबिक़ फ़रमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अमल करते हैं, उन्हें यह खुशख़बरियां सुनाता है कि उनके

लिए खुदा के पास बहुत बड़ा बदला है, उन्हें अनगिनत सवाब मिलेगा और जो ईमान से खाली हैं, उन्हें यह कुरआन कियामत के दिन दर्दनाक अज़ाबों की ख़बर देता है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा पन्द्रह, पृ० 28, सूः बनी इस्राईल के पहले रकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे मोहतरम साहब ! आप के पास अगर कोई ख़त ऐसी जुबान में आए, जिस को आप जानते नहीं हैं तो आप फ़ौरन चल देंगे और उस जुबान को जानने वाले से उस ख़त का मतलब पूछेंगे। जब तक आप उस ख़त के मतलब को नहीं समझेंगे, आप को चैन नहीं आएगा। ये मामूली कारोबार के ख़तों के साथ आप का बर्ताव है, मगर खुदावन्दे आलम का जो ख़त आप के पास आया हुआ मौजूद है और उस में आप के लिए दीन व दुनिया के तमाम फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसको अपने पास यों ही रख छोड़ा है। उस का मतलब समझने के लिए कोई बेचैनी आप में पैदा नहीं हुई, क्या यह हैरत और ताज्जुब की बात नहीं है?

यह किताब तो हमें खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशनुदी हासिल करवाने के लिए आयी थी, जन्नत की खुशख़बरी देने आयी थी, दोज़ख़ की आग से बचाने के लिए आयी थी, क़ब्र और हशर के अज़ाब से ख़लासी दिलाने के लिए आयी थी, दीन व दुनिया में सुख़रू बनाने आयी थी, कुफ़्र और शिर्क के अन्धेरे से निकालने के लिए आयी थी, बिद्अत और बुतपरस्ती के फदे से आजाद कराने आयी थी, इस्लाम का सीधा और साफ़ रास्ता बताने आयी थी, दुनिया एं जहान का ख़लीफ़ा और इमाम बनाने आयी थी, काफ़िर, मुशिरक, मुनाफ़िक़ और गुमराहों को हक़ का पैग़ाम सुनाने आयी थी, हर एक इंसान को हमेशा की सज़ादत दिलाने आयी थी।

यह क़तई ना-मुम्किन बात है कि कोई क़ौम खुदा की किताब की हामिल हो और दुनिया में ज़लील व रुसवा हो, दूसरों की महकूम हो, पांव से रौंदी जाती हो, जूतियों से ठुकरायी जाती हो उसके गले में गुलामी का फंदा हो और गैरों के हाथों में उसकी बागें हों और वे उनको इस तरह हांकें, जैसे जानवर हांके जाते हैं। यह अंजाम उस वक़्त होता है, जब वह अल्लाह के कलामे पाक पर जुल्म करती है।

कुरआन करीम के सत्ताइसवें पारे में सूः कमर के पहले रकूअ में आयत नं० 17 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने कुरआन को लोगों की नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत लेने वाला।

अल्लाह तआला तो हम लोगों को नसीहत हासिल करने के लिए कुरआन करीम में जगह-जगह ताकीद और ऐलान कर रहा है, फिर भी हम लोग कुरआन पाक जैसी नेमत से मुंह फेरे रहेंगे और नसीहत नहीं लेंगे और अपने जाहिल बाप-दादा की बुरी रस्म व रिवाज को निभाते

रहेंगे, तो बद-नसीब हम ही रहेंगे।

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: फुर्कान के तीसरे रकूअ में आयत नं० 30 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - रसूल कहेगा, ऐ मेरे पालनहार ! मेरी उम्मत के लोगों ने इस कुरआन को छोड़ रखा था।

कियामत वाले दिन अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत की शिकायत जनाबे बारी में करेंगे कि ये लोग न तो कुरआन की तरफ झुकते थे और न चाव से कुबूलियत के साथ सुनते थे, बल्कि औरों को भी उसके सुनने से रोकते थे, इस कुरआन पर ईमान नहीं लाते थे, न इसे सच्चा जानते थे, न इसमें गौर व फिक्र करते थे, न इसे समझने की कोशिश करते थे, न इस पर अमल करते थे, न इस के हुकमों की पाबंदी करते थे न इस के मना किये हुए कामों से रुकते थे, बल्कि इस के बजाए दूसरे कामों में लगे रहते थे, जैसे शेर व अश-आर, गज़लियात, बाजे-गाजे, राग और रागनियां, इसी तरह और लोगों के कलाम से दिलचस्पी लेते थे और उन कामों पर अमल करते थे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 6, सूर: फुर्कान के तीसरे रकूअ की तफ्सीर में।

प्यारे मुसलमानो ! ज़रा सोचने का मौका है। जब हज़रत मुहम्मद मुस्तुफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कियामत के दिन खुदा के सामने यह बात कहेंगे, तो उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा। शफ़ाअत की जगह शिकायत होगी। उस वक्त किताबे इलाही पर अमल न करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे और जवाब देना भारी पड़ जाएगा।

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के ग्यारहवें रकूअ में आयत नं० 216 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) अगर नाफ़रमानी करें तेरी तो कह दे कि तह्कीक, मैं बेज़ार हूँ उन कामों से जो तुम कर रहे हो।

जिन कामों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कोई हुकम नहीं, जिन कामों के बारे में करने या न करने पर कोई फ़त्वा नहीं, उन कामों को हम मज़हब की बुनियाद समझें और जिन कामों पर मज़हब की बुनियाद है, उनसे हम लापरवाई बरतें, तो इस का अंजाम हम ही को भुगतना पड़ेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस के जिम्मेदार नहीं हैं।

सच्चाई और सच्ची बात कहना

कुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में सूर: तौबा के पन्द्रहवें रकूअ में आयत नं० 119 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो ।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ़ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ़ ले जाती है और आदमी सच बोलता है, यहां तक कि उस का नाम सच्चों में लिख लिया जाता है और झूठ इंसान को फ़ुज़ूर और बद-कारी की तरफ़ ले जाता है और बदकारी दोज़ख़ में ले जाती है और आदमी झूठ बोलता है, यहां तक कि खुदा के यहां उस का नाम झूठों में लिख लिया जाता है ।

- हवाला**
1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 184, हदीस 895, बाब 413, किताबुल अदब,
 2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 700, हदीस 4585, ग़ीबत का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 94, आदाब के बयान में ।

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूः निसा के बीसवें रकूअ में आयत नं० 135 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! इंसाफ़ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे (इस में) तुम्हारा या तुम्हारे मां-बाप और रिश्तेदारों का नुक़सान ही हो । अगर कोई अमीर हो या फ़कीर तो खुदा उन का भला चाहने वाला है, तो तुम नफ़्स की ख्वाहिशों के पीछे चल कर इंसाफ़ को न छोड़ देना, अगर तुम पेचदार गवाही दोगे (या गवाही से बचना चाहोगे) तो (याद रखो कि) खुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है ।

अल्लाह तआला ईमान वालों को हुक़म दे रहा है कि वे अद्ल और इंसाफ़ पर मज़बूती से जमे रहें, उस से एक इंच इधर-उधर न सरकें, ऐसा न हो कि किसी के डर से या किसी लालच की वजह से, खुशामद से या किसी पर रहम खाकर या किसी की सिफ़ारिश से, अद्ल और इंसाफ़ को छोड़ बैठें । सब मिल कर अद्ल को कायम रखें । एक दूसरे की इस मामले में मदद करें और मख़्लूक़े खुदा में अद्ल के सिक्के जमा दें । गवाहियां अल्लाह ही की रज़ा हासिल करने के लिए दो । जो बिल्कुल सही, साफ़, सच्ची और बे लाग हो, बदलो नहीं, छिपाओ नहीं, चबाकर न बोलो, साफ़-सच्ची गवाही दो, चाहे वह तुम्हारे अपने खिलाफ़ हो, तुम सच कहने से न रुको और यकीन मानो कि अल्लाह तआला अपने फ़रमांबरदार गुलामों की मुख़्लिसी (यानी छुटकारा) और निजात की बहुत-सी शक़लें निकाल देता है । कुछ इसी पर मौकूफ़ नहीं कि झूठी गवाही से ही उसका छुटकारा होगा, चाहे सच्ची गवाही मां-बाप के खिलाफ़ हो या उससे रिश्तेदारों को नुक़सान होता हो, लेकिन तुम सच को हाथ से न जाने दो, गवाही सच्ची दे दो, इसलिए कि हक़ हर एक पर हाकिम है । गवाही के वक़्त न मालदारी का लिहाज़ करो, न ग़रीब पर रहम करो, उन की मस्लहतों को खुदा तुम से बहुत बेहतर जानता है । तुम हर शक़ल और हर

हाल में सच्ची गवाही दो। देखो किसी की बुराई में आकर तुम खुद अपना बुरा न कर लो, किसी की दुश्मनी में, अस्बियत और कौमियत में फना होकर अदल और इंसाफ को हाथ से न छोड़ बैठो, बल्कि हर हाल, हर आन इंसाफ का, अदल का मुजस्समा बने रहो।

हवाला तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 114 सूर: निसा के बीसवें रूकूअ की तफ्सीर में।

हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि० फरमाते हैं कि अगर सच्चों के साथी बनना चाहते हो, तो दुनिया में बे-परवाई से रहो और मुसलमानों को न सताओ और लोगों से मेल-जोल कम करो।

हवाला तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 30, सूर: तौबा के पन्द्रहवें रूकूअ की तफ्सीर में।

कुरआन करीम से छठे पारे में सूर: माइदा के दुसरे रूकूअ में आयत नं० 8 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह के लिए पूरी पाबन्दी के साथ सच्ची और सही गवाही दिया करो। किसी कौम की दुश्मनी या किसी गिरोह की दुश्मनी या किसी इंसान की दुश्मनी तुम को इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ को छोड़ बैठो। इसी का नाम तक्वा है और अल्लाह तआला से डरो। बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे हर अमल की खबर रखता है।

अल्लाह तआला ईमान वालों को समझा रहा है कि देखो, इंसाफ को हाथ से जाने न दो, किसी कौम की दुश्मनी या किसी गिरोह की दुश्मनी या किसी इंसान की दुश्मनी तुम को इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ को छोड़ बैठो।

शीआ-सुन्नी की दुश्मनी, देवबन्दी और बरेलवी की दुश्मनी, मुकल्लिद और गैर-मुकल्लिद की दुश्मनी, हिन्दु व मुस्लिम नाम की दुश्मनी तुम को इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ को छोड़ बैठो। तुम इंसाफ ही करो, चाहे कुछ भी हो। इसी का नाम तक्वा और परहेजागारी है।

अगर हमने जरा-सी ठोकर खायी या किसी की जरा बराबर भी गलत तरफदारी की, हक को दबा कर बातिल की तरफदारी की, तो याद रखो, अल्लाह तआला हमारे हर अमल को जानता है। हम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। इसी बात को नज़र के सामने रख कर अल्लाह तआला के वास्ते अगर ईमान वाले हो, तो सच्ची गवाही दो। अल्लाह का सवाल ईमान वालों से है बे-ईमानों से नहीं है। समझे मेरे भोले भैया कि और समझाऊं?

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अहज़ाब के नवें रूकूअ में आयत नं० 70 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला से डरो और जब बात करो, सही करो।

अल्लाह तआला ईमान वालों से फरमा रहा है कि तुम जहां बोलो, जब भी बोलो, सच

और सही बोलो। अगर हम सच और सही बोलेंगे, तो अल्लाह तआला हम से वायदा फरमा रहा है।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अहजाब के नवें रूकूअ में आयत नं० 71 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - तुम्हारे आमाल को सही कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, जो इन्सान अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर चलेगा, वह बड़ी कामियाबी को पहुंचा।

अल्लाह तआला फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो! तुम सच बोलो तो मैं तुम्हारे आमालनामे को ठीक और सही कर दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और जो इंसान अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलेगा, वह दुनिया में भी कामियाब होगा और आखिरत में भी कामियाब होगा।

झूठ बोलना तमाम गुनाहों की जड़ है। एक झूठ छिपाने के लिए दस और झूठ बोलने पड़ते हैं और दस झूठ छिपाने के लिए एक सौ झूठ बोलने की नौबत आ जाती है, इसलिए ईमान वालों को अल्लाह तआला का हुक्म है कि तुम सच बोलो, चाहे कुछ भी हो।

शरीअत या जहालत

कुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूर: बकर: के सैंतीसवें रूकूअ में आयत नं० 269 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - वह जिसे चाहे हिक्मत और दानाई देता है और जो हिक्मत और समझ दिया जाए, वह बहुत सारी भलाई दिया गया। नसीहत सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल करते हैं।

हिक्मत से मुराद यहां पर कुरआन करीम और हदीस शरीफ़ की पूरी महारत है, जिस से नासिख, मंसूख, मुहकम, मु-त-शाबेह, मुकदम-मुअख़्बार, हलाल, हराम की और मिसालों की मअरिफत हासिल हो जाए। पढ़ने को तो इसे हर बुरा भला पढ़ता है, लेकिन इस की तफ़्सीर और इस की समझ वह हिक्मत है, जिसे खुदा चाहता है, इनायत फरमाता है कि वह असल मतलब को पा ले और बात की तह को पहुंच जाए और जुबान से उसका सही मतलब अदा हो, सच्चा इल्म, सही समझ उसे अता हो, अल्लाह का डर उसके दिल में हो।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 21 सूर: बकर: के सैंतीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत मुआविया रज़ि० अन्हु फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिस आदमी के साथ खुदावन्द तआला भलाई का इरादा करता है, उसको दीन की समझ अता फरमा देता है।

(मुख्तसर)

हवाला 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 113, हदीस 188, किताबुल इल्म ।

2. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 103, हदीस 505, अब-वाबुल इल्म ।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूरः रूम के चौथे रकूअ में आयत नं० 30 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - पस तू यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जह कर दे, खुदा की वह फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है । अल्लाह के बनाये को बदलना नहीं, बस सीधा दीन यही है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते ।

मिल्लते हब्राहीम हनीफ पर जम जाओ । जिस दीन को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए पसन्द कर लिया है और जिसे ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आपके हाथ पर खुदा-ए-करीम ने कमाल को पहुंचाया है, रब की फितरते सलीमा पर वे ही कायम हैं जो इस दिन इस्लाम के पाबन्द है यानी तौहीद पर हैं । रब ने तमाम इंसानों को बनाया है, रोजे अव्वल में इसी का सब से इकरार करा लिया गया था कि क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूं, तो सबने इकरार किया कि बेशक तू ही हमारा रब है । खुदावन्दे करीम ने अपनी सारी मख्लूक को अपने सच्चे दीन पर पैदा किया है, गो कि उसके बाद लोग यहूदियत और नस्रानीयत वगैरह पर चले गये । लोगो ! खुदा की इस फितरत को न बदलो, लोगों को राहे हक से न हटाओ ।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 29 सूरः रूम के चौथे रकूअ की तफसीर में ।

हदीस - हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत (इस्लामिया) पर ही पैदा होता है, फिर उस के मां-बाप उस को यहूदी, ईसाई, मजूसी बना देते हैं, जैसे जानवरों को सालिम बच्चा पैदा होता है, तो क्या तुम उन में कानफटा देखते हो, (नहीं, बल्कि वे सही व सलामत होते हैं) फिर लोग उनके कान वगैरह चीर डालते हैं । ऐसे ही इंसानों का बच्चा फितरत (इस्लामिया) पर पैदा होता है, आप ने वही आयत पढ़ी जो ऊपर है ।

हवाला 1. बुखारी शरीफ जिल्द दोम, पारा 19, पृ० 554, हदीस 1878, सूरः रूम की तफसीर में,

2. मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, पृ० 192, हदीस 937, बाब 441, किताबुल कद्र,

3. तिर्मिजी शरीफ जिल्द 2, पृ० 2 हदीस 6, तक्दीर के बाब में,

4. मिश्कात शरीफ जिल्द 1, पृ० 96, हदीस 83, तक्दीर के बाब में ।

5. मजाहिरे हक जिल्द 1, पृ० 52, किताबुल ईमान ।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हजरत अस्वद बिन सरीअ रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और आपके साथ मिल कर कुफ़ार से जिहाद किया, वहां हम अल्लाह के फज़ल से ग़ालिब आ गये । उस दिन लोगों ने

बहुत से काफ़िरो को क़त्ल किया, यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चों को भी क़त्ल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इस बात का पता चला तो आप बहुत नाराज़ हुए और फ़रमाने लगे, यह क्या बात है कि लोग हद से आगे निकल जाते हैं, आज बच्चों को भी क़त्ल कर दिया। किसी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लुल्लाहु अलैहि व सल्लम! आख़िर वे भी तो मुश्रिकों की ही औलाद थे? आप ने फ़रमाया, नहीं, नहीं! याद रखो तुम में से बेहतरीन लोग मुश्रिकों ही की तो औलाद हैं। ख़बरदार! बच्चों को कभी क़त्ल न करना। लोगों! छोटे बच्चों के क़त्ल से रुक जाना। हर बच्चा फ़ितरत (इस्लामिया) पर पैदा होता है, यहां तक कि अपनी जुबान से बोलने लगे, फिर उसके मां बाप उसे यहूदी व नस्रानी (ईसाई) बना लेते हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर पारा 21, पृ० 29, सूर: रूम के चौथे रकूअ की तफ़सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! क़ुरआन और हदीस से तो यह साबित हो रहा है कि हर बच्चा पैदा होते वक़्त मुसलमान होता है, फिर अपने मां-बाप की बुरी तालीम की वजह से यहूदी, नस्रानी या मुश्रिक बन जाता है। इसी तरह एक आदमी मुसलमान होने के बावजूद भी रस्मों की पाबन्दी या माहौल की ख़राबी या नफ़्सानी ज़िद की वजह से इस्लाम के तरीके से निकल जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात को करीब-करीब चौदह सौ साल होने को आते हैं, मगर अल्लाह का करम देखिए कि आज तक शरीअत नहीं बदली, बल्कि अपनी असली हालत पर कायम है और इन्शाअल्लाह तआला क़ियामत तक रहेगी, रहीं जहालत की रस्में, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों! वे बदलती रहती हैं। आप देखिए, अमरीका में कुछ रिवाज हैं तो रूस में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और रिवाज हैं तो जापान में कुछ और हैं और हमारे हिन्दुस्तान ही को देख लो, एक ही मुल्क है, लेकिन देहातों, क़स्बों और शहरों में अलग-अलग रस्म व रिवाज हैं, यह है हमारी जहालत।

यहां एक सवाल आपके मन में पैदा हुआ होगा कि फिर ये मुसलमान भाई रस्मों को छोड़ते क्यों नहीं? जवाब है कि जो आदमी रस्मों में पैदा हुआ और जवान भी उसी में हुआ और मरते दम तक बे-इल्मी की वजह से रस्मों की पाबन्दी करता रहा, इसी तरह कई नस्लें ख़त्म हो जाने पर वह रस्में दिल के अन्दर घर कर जाती हैं, जैसे किसी कपड़े में फूल रख देने से कुछ देर के बाद उस कपड़े में खुशबू पैदा हो जाती है, इसी तरह लोहे को कुछ देर आग में रख देने के बाद उस में आग पैदा हो जाती है। यही हालत रस्मपरस्तों की होती है, रस्मों में पैदा होने वालों में से जिसको अल्लाह तआला बचाना चाहता है, उस को बचा लेता है।

मेरी अपनी पैदाइश भी रस्म व रिवाज वाले ख़ानदान में हुई और मैं जवान भी उन्हीं में हुआ। कुछ थोड़ा-सा दीन का इल्म हासिल किया था, जिस की वजह से मैं छोटी-छोटी किताबें पढ़ने लगा और इन किताबों में करीब-करीब मेरे ख़्याल की रस्में जायज़ लिखी हुई नज़र आती थीं। इसी बीच देवबन्दी और बरेलवी आलिमों में मसअले-मसाइल के अन्दर बड़ी घमाघमी हुई। हर एक तरफ़ से अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए काफ़ी परचे यानी हैंडबिल छपवा-छपवा

कर बांटे जाते थे। इस झगड़े ने मेरे दिल पर काफी असर किया। दिल में यह फैसला कर लिया कि किसी एक फ़िर्के की किताबें न पढ़नी चाहिएं, बल्कि वे किताबें पढ़नी चाहिएं, जो हनफी मस्लक में मोतबर और मुस्तनद मानी जाती हैं और जिस वक़्त देवबन्दियत और वरेलवियत का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक़्त की किताबें देखना चाहिएं और अपनी ज़ात से खुद तह्कीक़ करनी चाहिए ताकि मालूम हो जाए कि शरीअत क्या है और जहालत क्या है?

मेरी उम्मीद के मुताबिक़ अल्लाह तआला की रहमत ने मेरा साथ दिया, यानी जो किताबें हिन्दुस्तान में फ़िलहाल मिलनी मुश्किल हैं, वे अपने आप मिलने लगीं, फिर तो रात दिन मसाइल की तहकीक़ात में लगा रहा, मगर मेरे अज़ीज़! मैं क्या कहूँ, मैंने जो भी पन्ना खोला, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मामला निकला, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मैं अपने आप को अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाला ही समझता था। अब क्या किया जाए, एक तरफ़ तो शरीअत है और दूसरी तरफ़ जहालत से भरा हुआ माहौल। पस ऐसी परेशानी में मेरे मालिके मुख्तार ने अपने रहम व करम से शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समझ मेरे मन में पैदा कर दी और एक जोश भी पैदा कर दिया कि हक़ का ऐलान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब नुबुव्वत मिली और कलिमा-ए-हक़ का ऐलान किया तो उस वक़्त भी उस ज़माने का माहौल और समाज जहालत में डूबा हुआ था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुदा पर भरोसा करके उठे, हिदायत व तब्लीग़ का काम जारी रखा और किसी से न दबे न किसी किस्म का दुनियावी लालच और तमन्ना की। मुझे भी वही सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की याद आ गयी। मैंने भी खुदा के भरोसे पर अह्द कर लिया कि जब तक तन में जान है मुसलमनि भाइयों को समझाने की कोशिश की जाए। जब मैं अपने काम में मशगूल हुआ तो सबसे पहले वास्ता उन लोगों से पड़ा जो वर्षों से जाहिलों की इमामत करते थे और मौलवी कहलाते थे और दूसरा वास्ता उन साहिबों से पड़ा जो हर साल इन जाहिलों से नज़रानों के नाम पर काफी रक़म वसूल करके अपने आप को पीर और सैयद कहते थे और उसी पर उनका गुज़ारा रहता है।

‘हां, यह जो पीरज़ादे खानदानी धंधा समझ कर खाने-कमाने के लिए बैअत कर लेते हैं और शरीअत से अलग रास्ता चलते हैं, यह बिल्कुल बे-असल काम है।’

हवाला - तफ़्सीरे हक्कानी, जिल्द 6, पृ० 288, सूः फ़त्ह के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

ऐसे मौलवी और पीरज़ादे गुमराह होते हैं। पहली उम्मतों में भी इसी तरह होता रहा है, जिसका बयान इन्शाअल्लाहु तआला आगे पूरी तफ़्सील से कुरआनी आयतों के साथ आएगा। यह मौलवी और पीर दोनों बे-इल्म और बे-अमल होते हैं। अगर किसी में इल्म होता भी है, तो उस में नफ़सानियत आ जाती है, जिसकी वजह से वह भी जाहिलों की हां में हां मिलाता रहता है, क्योंकि उसी में उस की कमाई होती है। यह हराम की कमाई खाने वाले तो कियामत तक रहेंगे और कियामत उस वक़्त तक नहीं आएगी, जब तक लोग दीन पर अमल करना बिल्कुल न छोड़ दें और दीन धीरे-धीरे मिटते-मिटते सिर्फ़ मक्का और मदीना ही में रह जाएगा।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

ईमान मदीने की तरफ़ इस तरह सिमट कर आ जाएगा, जिस तरह सांप अपने सूराख़ की तरफ़ आ जाता है।

- हवाला** , 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 7, पृ० 420, हदीस 1731, फ़ज़ाइले मदीना में,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 108 हदीस 151, सुन्नत के बयान में,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 75, किताबुल ईमान।

जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता हो और उस के सामने कोई मस्अला आए और उस के समझने में उलझन-सी महसूस हो या किसी से बहस हो जाए या आपस में इख़्तिलाफ़ पैदा हो जाए, तो उस वक़्त उस को क्या करना चाहिए? उस का हुक़म कुरआन में हो रहा है-

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूर: निसा के आठवें रकूअ में आयत न० 59 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा .- ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और तुम में जो लोग हुकूमत के लोग हैं, उनका भी, फिर अगर किसी बात में आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगे, तो उस बात को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। वहां से जो हुक़म मिले; उस को बग़ैर चूं-चरा किये मान लो। अगर तुम अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो (तो इतना करो)। यह काम भी अच्छा है और उन का अंजाम भी अच्छा है।

अल्लाह तआला का यह हुक़म ईमान वालों को हो रहा है, बे ईमान के लिए नहीं है, यानी आप साहिबान जिस बात में लड़-झगड़ रहे हो, जिस बात में इख़्तिलाफ़ हो गया हो, जिस बात में झगड़ा पैदा हो गया हों, जिस बात में तू-तू मैं-मैं कर रहे हो, उस बात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ लौटा दो, वहां से जो हुक़म मिले बग़ैर चूं-चा किये दिल व जान से मान लो, अगर अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान रखते हो, तो इतना करो, यह काम भी अच्छा है कि और इसका अंजाम भी अच्छा है, अगर तुम समझ सको।

हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में ही दो जमाअतें हो गयी थीं। एक जमाअत ईमान का इक़रार भी करती थी, उसके साथ साथ अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातों पर अमल भी करती थी और एक जमाअत ईमान का इक़रार तो करती थी, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ़ जुबान का इक़रार था और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातों पर अमल नहीं था, बल्कि इंकार था।

यह एक मुस्तक़िल जमाअत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में भी थी और आज भी है और क़ियामत तक रहेगी। इस जमाअत का काम कुरआन व हदीस के ख़िलाफ़

अमल करना और हक परस्तों को काफिर, वहहाबी कहना और ईमानदारी का दावा भी करते रहना, यह उन का मुस्तकिल काम है। अगर ये लोग ईमानदारी का दावा न करें, तो उन का घोखा देने वाला मसलक चल ही नहीं सकता। इस फरेब देने वाली जमाअत का जिक्र अल्लाह तआला कुरआन करीम में फरमाता है, देखो-

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: नूर के छठे रकूअ में आयत न० 48 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है।

तर्जुमा - ये लोग जब अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की तरफ इस गरज से बुलाये जाते हैं कि रसूल सल्ल० उनके दर्मियान फैसला कर दें तो उनमें का एक गिरोह इंकार कर जाता है।

अगर उन्हें शर्ई फैसले में अपना नफा नजर आता हो, तो लम्बे-लम्बे कलिमे पढ़ते हुए, गरदन हिलाते हुए हंसी-खुशी चले आएंगे और जब मालूम हो जाए कि शर्ई फैसला उन की तबई ख्वाहिश के खिलाफ है, दुनियवी मफाद के मुखालिफ है, तो मुड़ कर हक की तरफ देखेंगे भी नहीं, पस ऐसे लोग पुख्ता काफिर हैं। इसलिए कि तीन हाल से खाली नहीं-

- 1- या तो यह कि उन के दिलों में ही बे-ईमानी घर कर गयी है,
- 2- या उन्हें अल्लाह के दीन के हक होने में शक है,
- 3- या खौफ है कि कहीं खुदा व रसूल उनका हक न मार लें, उन पर जुल्म व सितम करें और ये तीनों सूरतें कुफर की हैं। अल्लाह उन में से हर एक को जानता है। जो जैसा बातिन में है, उस के पास वह जाहिर है। असल में यही लोग फाजिर हैं, जालिम हैं, खुदा और रसूले खुदा इससे पाक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में ऐसे काफिर जो जाहिर में मुसलमान थे, उन्हें जब अपना मतलब कुरआन व हदीस में निकलता नजर आता तो खिदमते नवबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में अपने झगड़े पेश करते थे और जब अपना मतलब नजर नहीं आता तो सरकारे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में आने से साफ इंकार कर जाते थे।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 74, सूर: नूर के छठे रकूअ की तफसीर में।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

जिन दो आदमियों में कोई झगड़ा हो और वह इस्लामी हुकम के मुताबिक फैसले की तरफ बुलाया जाए और वह उस से इंकार कर दे, वह जालिम है और ना हक पर है।

हवाला - तफसीरे इब्ने कीर 18, पृ० 74, सूर: नूर के छठे रकूअ की तफसीर में।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: नूर के सातवें रकूअ में आयत न० 51, 52 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है-

तर्जुमा - मुसलमानों का कहना तो यह है कि जब उन को (किसी मुकदमे में) अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ बुलाया जाता है, ताकि वे उन के दर्मियान

में फैसला कर दें तो वह कहते हैं कि हमने सुन लिया और उस को दिल व जान से मान लिया। ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। जो आदमी अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कहना माने और अल्लाह से डरे और उस की मुख़ालफ़त से बचे, पस ऐसे ही लोग बा-मुराद होंगे।

सच्चे मोमिनो की शान बयान हो रही है कि वे अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिवा तीसरी चीज़ को दीन में दाख़िल नहीं समझते, वे तो कुरआन व हदीस सुनते ही, उस की आवाज कान में पड़ते ही साफ़ कह देते हैं कि हमने सुन लिया और दिल व जान से मान लिया। यह कामियाब, बा-मुराद और निजात पाये हुए लोग हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 74, सूः नूर के सातवें रूकूअ की तफ़सीर में।

अब खुदा के वास्ते आप इंसाफ़ करें कि कौन-सी जमाअत हक़ पर है और कौन ग़लती पर है। हिन्दुस्तान में एक जमाअत ऐसी है जो मुसलमानों को वहहाबी और काफ़िर कहती है, लेकिन यही जमाअत मक्का शरीफ़ के रहने वालों को और मदीना शरीफ़ के रहने वालों को भी वहहाबी और काफ़िर कहती है।

हदीस - अम्र बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीन (इस्लाम अल-बत्ता) इसी तरह सिमट आएगा, तरफ़ हिजाज़ के, जिस तरह कि सिमट आता है सांप अपने बिल की तरफ़ और दीन हिजाज़ में इस तरह जड़ पकड़ेगा, जिस तरह बकरी पहाड़ की चोटी पर जगह पकड़ लेती है और दीन शुरू में ग़रीब पैदा हुआ था और आख़िर में ऐसा ही हो जाएगा, जैसा कि पैदा हुआ था, पस खुशख़बरी है ग़रीबों को, वही दुरुस्त कर देंगे उस चीज़ को, जिस को मेरे बाद लोगों ने ख़राब कर दिया होगा यानी मेरी सुन्नत को।

हवाला 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 110, हदीस 160, सुन्नत के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 78, किताबुल ईमान।

यह पेशीनगेई कि आख़िर में जब सारी दुनिया के कोने-कोने से ईमानदारी और दीनदारी जाती रहेंगी, उस वक़्त सिर्फ़ मदीने में ईमानदारी रहेगी, अब हमारी जहालत को देखिए कि हमारे जेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी मक्का और मदीना शरीफ़ के रहने वालों को भी वहहाबी और गुमराह कहते हैं और हमसे ऐसे-ऐसे काम कराते हैं जो वहां पर आज तक नहीं हुए हैं और इन्शाअल्लाह कियामत तक न होंगे।

हदीस - हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘दज्जाल मदीने की तरफ़ मुतवज्जह होगा, लेकिन खुदा के हुक़म से वह मदीने के रास्तों में दाख़िल न हो सकेगा।’

(मुत्तसर)

हवाला

1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 788, हदीस 5216, कियामत से पहले की निशानियों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 343, कियामत से पहले की निशानियों का बयान।

मेरे मोह्सिन साहिबान, ज़रा सोचें कि जिस सर ज़मीन के अन्दर दज्जाल भी न आ सकेगा, वहां पर काफ़िरों की हुकूमत होने का क्या सवाल पैदा हो सकता है, इसके बावजूद कि इस सर-ज़मीन के रहने वालों को काफ़िर, वह्हाबी, गुमराह और बद-अकीदा समझा जा रहा है। यह जहालत नहीं तो और फिर क्या है?

कुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के चौथे रकूअ में आयत न० 28 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा

- ऐ ईमान वालो ! मुशिरक बिल्कुल ही नापाक हैं, वे इस साल के बाद मस्जिदे हराम के पास भी न फटकने पाएंगे। अगर तुम्हें मुफ़िलसी का डर है तो खुदा उन्हें ग़नी कर देगा, अपने फ़ज़्ल से अगर अल्लाह चाहे। अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला है।

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने मुशिरकों को हज के लिए आने से मना फ़रमाया। यह पेशीनगोई हर्फ-हर्फ कर के पूरी हुई। आज चौदह सौ साल हो गये, लेकिन कोई काफ़िर हज को नहीं जा सका और इन्शाअल्लाहु तआला कियामत तक नहीं जा सकेगा, हालांकि उस वक़्त सरहदों की कोई पाबन्दी नहीं थी, लेकिन हिन्दुस्तान के जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी अपने-अपने मुरीदों और पैरवी करने वालों को, जो हज के लिए जाते हैं, उनको समझाते रहते हैं कि वहां के लोग म-आज़ल्लाह (अल्लाह की पनाह) वह्हाबी और काफ़िर हो चुके हैं, इसलिए उन के पीछे जमाअत से नमाज़ न पढ़ना, बल्कि अकेले तंहा पढ़ना। अगर जमाअत से नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज़ ही नहीं होगी। हद है कोई जहालत की।

जहां पर लाखों मुसलमान मिल कर नमाज़ पढ़ते हैं और दुनिया के कोने-कोने से हज को आने वाले मुसलमान हर मसलक के कंधे से कंधा मिला कर नमाज़ पढ़ते हैं, वहां पर उन लोगों को इस्लाम नज़र नहीं आता और जमाअत से नमाज़ पढ़ने से महरूम रह जाते हैं।

जो हज को जाते हैं, उन को मदीना मुबारक में आठ दिन रहने का हुक्म है, ताकि आठ दिन में चालीस नमाज़ें मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में जमाअत से पढ़ लें, लेकिन यह गिरोह जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत करने वाला और आपका आशिक होने की बड़ी-बड़ी डींग मारता है, वहां भी जमाअत से नमाज़ नहीं पढ़ता। अब आप ही फैसला करें कि हद है कोई जहालत की।

जिस सर-ज़मीन की इज्जत इस्लामी दुनिया के बच्चे-बच्चे के दिल में मौजूद है और जिस सर-ज़मीन की एक एक खजूर के दाने की मुसलमानों के दिल में बड़ाई है और जिस सर ज़मीन के पानी के एक एक कतरे को बरकत और तबरूक समझा जाता है, उस सर-ज़मीन के रहने

वालों को भी काफिर कहा जा रहा है, तो फिर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को कैसे बर्खा जाएगा?

यह साहिबान दावा तो करते हैं मुसलमानियत का, लेकिन न तो कुरआन करीम के हुक्म को मानते हैं, न तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात को मानते हैं, वरना जब कुरआन करीम ने फरमा दिया कि मुशिरक हज को न आएँ और आज तक कोई एक काफिर भी हज को नहीं जा सका, तो फिर हुक्मत काफिरों की वहां पर कैसे हो सकती है? अगर वहां हुक्मत काफिरों, इस्लाम से पलट जाने वालों की है और वहां के रहने वाले सब वहहाबी हो गये हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मआज़ल्लाह! कुरआन व हदीस दोनों झूठे साबित हुए। अल्लाह की पनाह!

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक सब से बुरे तीन आदमी हैं-

- 1- हरमे मक्का में जुल्म करने वाला,
2. वह आदमी, जो नाहक किसी का खून बहाना चाहे,
3. इस्लाम में जहालत के तरीके ढूँढने वाला।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 409, हदीस 1774, बाबुल मुर्तद, ये लोग जहालत के तरीके ढूँढते फिरते हैं और जहां तक हो सके, अपने मुक्तदियों और मुरीदों को जाहिल ही रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हर आदमी पर ज़रूरत के मुताबिक़ दीन का इल्म सीखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़रूरी ठहराया है और इसीलिए फुक़हा-ए किराम ने फर्ज़ बताया है-

‘इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज़ है।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 11, मुक़दमे में। इल्म का सीखना फर्ज़ ऐन होता है हर आदमी पर और फर्ज़ ऐन इस क़दर है, जिस की तरफ़ आदमी हाजतमंद हो, अपने दीन के वास्ते और ज़रूरत से ज़्यादा सीखना फर्ज़ किफ़ायत है।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 16, दीबाचे में।

मगर अफ़सोस अहले सुन्नत वल जमाअत का दावा करने वालों में से हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, जिन को कलिमा भी याद नहीं और कमाल यह है कि यही लोग दूसरों को इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं। जहालत की भी आख़िर कोई हद है।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह इल्म को (आख़िरी ज़माने में) इस तरह नहीं उठाएगा कि लोगों के दिल व दिमाग़ से निकाल ले, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएगा कि उलेमा-ए-किराम को उठा लेगा (यानी उलेमा-ए-हक़ धीरे-धीरे कम होते जाएंगे), यहां तक कि जब कोई आलिम बाक़ी न होगा, तो लोग जाहिलों को अपना

पेशवा बना लेंगे, उन से (दीन की) बातें पूछी जाएंगी। ये इल्म के बगैर फ़त्वा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।

हवाला

1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 194, हदीस 950, बाबुल इल्म,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 519, हदीस 2167, बाबुल ऐतसाम।
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 114, हदीस 194, किताबुल इल्म,
4. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 41, हदीस 54, बाबुल कियास,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 89, किताबुल इल्म।

अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज दुनिया में लाखों उलेमा-ए-हक़ मौजूद हैं, फिर भी जहालत की यह हालत है कि जब कोई सही मसअला उन भाइयों को बताया जाता है, तो फौरन कह देते हैं कि हम अपनी रस्मों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे अल-फ़ाज़ कहने वालों के लिए उलेमा-ए-दीन का फ़त्वा सुनिए-

‘अगर किसी ने दूसरे से कहा कि इस काम में शरीअत का यह हुक्म है और दूसरे ने कहा कि मैं रस्म पर चलता हूँ, न कि शरीअत पर, (तो ऐसा कहना) कुफ़र है।’

हवाला

- फ़त्वा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 848, बाबुल मुर्तद। आज हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमान भाइयों की तरफ़ से हक़ परस्तों को ऐसे ही जवाब मिलते हैं और रस्म व रिवाज में पैसे भी ख़ूब बर्बाद करते हैं। उस पर उन को डांटना, धमकाना तो दूर की बात, बल्कि उनके जेबभरू मौलवी ऊपर से उन को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा किया। अब सुनिए उलेमा-ए-दीन का फ़त्वा-

‘अगर किसी ने शरीअत के खिलाफ़ किया और दूसरे ने कहा, बहुत अच्छा किया, तो यह कुफ़र है।’

हवाला

- मुक़दमा ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 86, बाबुल अकाइद।

मगर जहालत की पाबन्दी का अंधापा भी कुछ ऐसा हिन्दुस्तान पर छाया हुआ है कि रस्मों की पाबन्दी को शरीअत समझते हैं और उन पर अमल न करने वालों को मुसलमान ही नहीं समझते हैं, चाहे वह कितना ही परहेज़गार और मुत्तकी क्यों न हो। ‘किसी ने खिलाफ़े शरीअत गुनाहों पर चलने को कहा कि यह भी एक मज़हब की राह है, तो काफ़िर है।’

हवाला

- फ़त्वा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 850, बाबुल मुर्तद, ऐसी बातें जब लोगों की जुबान से सुनता हूँ तो मुझे ये नीचे की हदीसें बहुत याद आती हैं-

हदीस

- हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी मिसाल और उस की मिसाल, जो अल्लाह ने मेरे पास भेजा है, उस आदमी की तरह है कि उसने किसी कौम से आकर कहा मैंने अपनी दोनों आंखों

से देखा है कि एक फौज़ दुश्मनों की आती है और मैं तुम्हें साफ़-साफ़ डराता हूँ कि तुम उस से बचो! उस से बचो! एक गिरोह ने उस का कहा, माना और रात ही रात वहां से चल दिये। वे तो बच गये और दूसरे गिरोह ने उसका कहा न माना। सुबह को वह फौज़ आ पहुंची और उसने उन्हें मार डाला।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 322, हदीस 1398, किताबुर्रिकाक।

इस मिसाल से डराया गया है कि गुनाहों से बचो और सही बात कहने वाले की बात सुनो और अमल करो, वरना हलाक हो जाओगे।

हदीस - हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मैंने सुना है कि आप फ़रमाते थे कि,

‘मेरी और लोगों की मिसाल ऐसी है कि किसी ने आग रोशन की। जब उस की रोशनी फैली, तो परवाने और कीड़े-मकोड़े उस में गिरने लगे और वह आदमी उन कीड़ों को आग के पास से भगाता है। और वे नहीं भागते आखिर वे गिर कर जल जाते हैं। ऐसे ही मैं तुम्हारी कमरों को पकड़ता हूँ और तुम आग में गिरते जाते हो।’

- हवाला**
1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 322, हदीस 1399, किताबुर्रिकाक,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 128, हदीस 629, बाबुल फ़ज़ाइल,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 107, हदीस 140, सुन्नत के बयान में,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 72, किताबुल ईमान,

ये हदीसें हमने इसलिए बयान की हैं कि अगर आप अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आशिक कहते हैं, तो कम से कम हदीसों की तो लाज रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तो समझाने में और शरीअत के बताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत! तूने भी हम को बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।

कुरआन मजीद के सौलहवें पारे में सूरः कहफ़ के बारहवें रकूअ में आयत न० 103, 104, 105, 106 में अल्लाह तआला इश्रादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - पूछ ले कि अगर तुम कहो तो मैं बता दूँ कि आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में कौन है, वह है जिस की दुनिया की ज़िन्दगी की पूरी कोशिशें बेकार हो गयीं और वह इसी गुमान में रहे कि वे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वे लोग हैं, जिन्होंने अपने पालनहार की आयतों से और उस की मुलाक़ात का इन्कार किया, तो उनके तमाम आमाल रद्द हो गये। बस क़ियामत के दिन हम कोई उस का वज़न कायम न करेंगे। हाल यह है कि उनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ़्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मज़ाक़ उड़ाया।

आयत आम है, जो भी खुदा की इबादत व इत्ताअत इस तरीके से बजा लाए, जो तरीका, खुदा को पसन्द नहीं और फिर भी वह अपने आमाल से खुश हो और समझता हो कि मैंने

आखिरत का तोशा-भत्ता बहुत कुछ जमा कर लिया है, मेरे नेक आमाल खुदा को पसन्द हैं और मुझे उन पर अज़्र व सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका यह गुमान ग़लत है। उसके आमाल कुबूल नहीं, बल्कि मर्दूद हैं (यानी कुबूल करने के काबिल नहीं) बेकार हैं रद्द हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 16, पृ० 14, सूः कट्फ़ के बारहवें स्कूअ की तफ़्सीर में।

हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि मुझ से पहले किसी क़ौम में कोई नबी खुदा ने ऐसा नहीं भेजा, जिसके मददगार और दोस्त उसी क़ौम में से न हों (ऐसे मददगार और दोस्त) जो उस के तरीके के पैरो होते और उसके हुकमों की पूरी इताअत करते, फिर उनके बाद ऐसे ना लायक लोग पैदा होते हैं, जिन को ना-ख़ल्फ़ कहा जाता है। ये लोग ऐसी बात कहते हैं, जिस को खुद न करते और वह काम करते, जिनका उन को हुकम नहीं मिला था, बस जो आदमी (तुम में से) उन लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उन से अपनी जुबान से जिहाद करे वह मोमिन है और जो उनसे अपने दिल से जिहाद करे, वह मोमिन है और उसके बाद (जो आदमी उनके खिलाफ़ इतना भी न कर सके, उसमें) राई बराबर भी ईमान नहीं है।

हवाला - मुस्लिम शरीफ़, ज़िल्द 1, पृ० 11, हदीस 32, बाब 18, किताबुल ईमान।

नसीहत

कुरआन मजीद के सातवें पारे में सूः माइदा के चौदहवें स्कूअ आयत न० 105 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! तुम खुद अपने आप को सीधे रास्ते पर कायम रखो। जब तुम खुद सीधे रास्ते पर रहोगे, तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

अल्लाह पाक अपने बन्दों को हुकम देता है कि तुम अपनी ज़ात से ठीक रहो। नेकियों की हर मुम्किन कोशिश करते रहो, जिस ने अपना सुधार कर लिया, चाहे करीब व दूर की सारी दुनिया बिगाड़ पैदा करने वाली हो, तुम पर कोई आंच नहीं। जब बन्दा हलाल व हराम में मेरी इताअत करे तो कोई कितना ही गुमराह क्यों न हो जाए, उस को कोई नुक़सान नहीं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 29, सूः माइदा के चौदहवें स्कूअ की तफ़्सीर में। इससे यह न समझना चाहिए कि बुरी बातों से या रस्म व रिवाज से रोकने की कोशिश भी न करे, बल्कि जहां तक हो सके, समझाने की कोशिश करनी चाहिए।

हदीस - हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस ज़ात की क़सम, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम भलाई का हुकम करते रहो और बुराई से रोकते रहो, तो बेहतर है, वरना बहुत

जल्द अल्लाह तआला तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फ़रमाएगा, फिर तुम दुआ भी करोगे तो कुबूल न होगी।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 8, हदीस 35, अब वाबुल फ़ितन।

यानि फिर वह अज़ाब न टलेगा; चाहे कुछ भी हो।

हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में सवाल हुआ, तो आप ने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया था, तो आप ने फ़रमाया, तुम भलाई का हुकम करते रहो, और बुराई से रोकते रहो, यहां तक कि बखील की पैरवी की जाए और नफ़्स की ख्वाहिश की पैरवी की जाए और दुनिया पसन्द की पैरवी की जाए और हर आदमी की अपनी राय पर फूलना आम हो जाए, उस वक़्त तुम सिर्फ़ अपनी इस्लाह में लग जाओ और आम लोगों को छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारे पीछे सब्र के दिन आ रहे हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 29, सूः माइदा के चौदहवें रकूअ की तफ़सीर में।

आज वही ज़माना आ गया है और हमारी नज़रों के सामने ये सारी बातें हो रही हैं। फ़िलहाल अक्सर लोग ऐसे हैं, जिनमें शरीअत के अमल का कुछ भी असर नज़र नहीं आता और जहालत की रस्मों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं। वे अपने आप को रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाले समझते हैं और जो लोग शरीअत के पाबन्द हैं, उनको गुमराह और बे-दीन समझते हैं, पस जो लोग शरीअत के पाबन्द हैं, उनके लिए यही आजमाइश और सब्र के दिन हैं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते थे कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, जिसमें अपने दीन पर साबित क़दम रहने वाला लोगों के दर्मियान ऐसा होगा, जैसा कि चिंगारी को अपनी मुट्ठी में दबाने वाला।

हवाला - तिर्मिज़ी, जिल्द 2, पृ० 29, हदीस नं० 127, अब-वाबुल फ़ितन।

जिस तरह मुट्ठी में चिंगारी दबाने वाला उस आग की जलन पर सब्र नहीं कर सकता, उसी तरह एक वक़्त ऐसा आएगा कि जाहिल लोगों के बीच में दीनदार और परहेज़गार आदमी गुनाहगारों और नाफ़रमानों के फ़िल्ने फैलाने की वज़ह से अपने दीन और परहेज़गारी पर बड़ी मुश्किल से कायम रह सकेगा और मुंसीबतें आने के बावजूद भी जो दीन पर कायम रहे, उस के लिए सवाब भी बहुत बड़ा है।

हदीस - हज़रत अबू उमैया शाबानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु से यों रिवायत किया है कि फ़रमाया रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, आपस में एक दूसरे को भलाई का हुकम दो और बुराई से रोको। आख़िर जब देखो कि लालची और बखील की हुकूमत है और नफ़्स की ख्वाहिश की पैरवी की जा रही है और दुनिया सबसे अच्छी

समझी जा रही है और हर राय वाला अपनी राय और समझ पर नाज़ व तकब्बुर कर रहा हो, तो उस वक़्त तुम सिर्फ़ अपने आप को पकड़ लो (यानि अपनी खुद की इस्लाह और दुरुस्ती में लग जाओ) और आम (लोगों) को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बाद ऐसे दिन आने वाले हैं, जिन पर सब्र करना (यानी मुसीबतों को झेलना और मुकाबला करना) चिंगारी को गोया मुट्ठी में रखना होगा। उस ज़माने में अमल करने वाले को उन पचास आदमियों के बराबर सवाब होगा जो तुम्हारे जैसे अमल करते हों।

हवाला

1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 181, हदीस 916, तफ़सीर सूः माइदा।
2. मिशकात शारीफ़, जिल्द 2, पृ० 736, हदीस 4888, अम्र बिल मारूफ़।
3. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 191, अम्र बिल मारूफ़।

हदीस

– हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘जिस आदमी ने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक़्त मेरी सुन्नत को ज़िदा किया, उसको एक सौ शहीदों का सवाब मिलेगा।

हवाला

1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 111, हदीस 165, सुन्नतों के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 80, किताबुल ईमान।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से जब इस आयत का मतलब पूछा गया, तो आपने फ़रमाया, यह वह वक़्त नहीं है। आज तो तुम्हारी बातें मान ली जाती हैं, लेकिन हां, एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है कि नेक बातें कहने और भलाई का हुक़म करने वालों के साथ जुल्म व ज्यादती की जाएगी, उस वक़्त तुम सिर्फ़ अपने नफ़्स की इस्लाह में लग जाना।

हवाला

– तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 30, सूः माइदा के चौदहवें रूकूअ की तफ़सीरे में।

आज वही वक़्त आ गया है, जिस की ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दे चुके हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी बता चुके हैं। हमारी नज़रों के सामने है कि हक़ परस्तों पर जुल्म किये जा रहे हैं, उन की बातें नहीं सुनी जाती, उन को वाज़ करने की इजाज़त नहीं मिलती, उनके वाज़ में जाने से लोगों को रोका जाता है, मगर बस्ती में शराब पीने, जुआ खेलने, जिनाकारी करने, चोरी करने, रंडियों के नाच, क़व्वालियों की महफ़िलें और भांड, गवैयों के खेल-तमाशों को कोई नहीं रोकता नाटक-सिनेमा देखने वालों को, ताशे-बाजे और रेडियो बजाने वालों को और शतरंज व ताश खेलने वालों को कोई नहीं रोकता। अगर कोई रोक टोक है तो सिर्फ़ वाज़ करने पर है और वह भी कहां! अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में बोर्ड लगा दिये जाते हैं कि यहां पर कोई साहब वाज़ न करें और कुछ जगहों पर तो नमाज़ ही नहीं पढ़ने देते। मस्जिदों में बोर्ड लगा दिये जाते हैं कि वहहाबियों को, नज्दियों को, देवबन्दियों को, गैर-मुकल्लिदों को, तब्लीगी जमाअत वालों को इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त

नहीं है। अगर किसी मस्जिद में किसी इन्सान को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए तो उस मस्जिद में जुमा की नमाज या ईद की नमाज नहीं होती, क्योंकि जुमा और ईद की नमाज के लिए इज्ने आम होना शर्त है, यानी आम लोगों को नमाज के लिए आने की इजाजत होनी चाहिए। इस पर तमाम उलेमा का इत्तिफाक है। अब ये जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी इस किस्म की मुखालफत करके हज़ारों की नमाज बातिल कर देते हैं और ऊपर से अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत और आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझते हैं। हद है कोई जहालत की।

और जुमा की अदायगी के लिए एक शर्त आम इजाजत का होना है, इसलिए कि जुमा शआइरे इस्लाम में से है, इसलिए इसका कायम करना इस तरह से कि लोगों के दर्मियान उस की भरपूर शोहरत हो, वाजिब है।

हवाला - शरह नकाया, जिल्द 1, पृ० 125, जुमा की नमाज के बयान में।

और इज्ने आम जुमा की शर्तों में से है, यहां तक कि अगर वक्त का बादशाह अपने मुताल्लिक लोगों समेत अपने महल में नमाज पढ़े और महल के दरवाजे को खोल दे और आम लोगों को जुमा की नमाज के लिए इजाजत दे दे, तो उस की नमाज जायज होगी, चाहे लोग जाएं, चाहे न जायें और अगर महल का दरवाजा न खुले या हर एक को जाने की इजाजत न हो तो उस की भी नमाज नहीं होगी।

हवाला - अल-मब्सूत, जिल्द 2, पृ० 25, जुमा के बयान में।

ये दो इबारतें तो हनफियों की किताबों में से हैं। अब मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी के फत्वे सुन लें, जिन को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने के बोर्ड लगाने वाले साहिबान अपना बड़ा और इमाम मानते हैं-

इज्ने आम की सेहत जुमा के लिए शर्त है। इसके यह मायने कि जुमा कायम करने वालों की तरफ से उस शहर के तमाम जुमा वालों के लिए वक्ते जुमा की इजाजत आम हो। (कुछ लम्बी बहस के बाद आला हज़रत अपनी तट्कीक तहरीर फरमाते हैं कि) मैं कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ जुल्म की वजह से या बिला वजह या बराए तास्सुब रोकते हैं, तो बिला शुब्हा उनका जुमा बातिल कि एक आदमी की रोक भी इज्ने आम को बातिल करने वाली है, जैसा कि शामी में है-

‘अल-ला युम-नज़ अ-ह-दन’ (यानी हरगिज़ किसी एक को मना न किया जाए)

हवाला - फ़तावा रिज़्विया, जिल्द 3, पृ० 678, 379, अब-वाबुल जुमा।

अंधी तक्लीद करने वाले किसी की भी नहीं मानते। ये लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह का हुकम, जो कुरआन करीम में है, उसको नहीं मानते। ये लोग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानते हैं लेकिन अमली जिन्दगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

के हुक्म को क़बूल नहीं करेंगे। जिस मसलक को और जिन उलेमा को अपना 'अकाबिर' तसलीम कर चुके हैं, उनके फ़त्वों को भी नहीं मानते, जुबानी दावे से मुसलमान हैं, अमली जिन्दगी से हजारों मील दूर हैं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मस्जिद में (बैठे) थे कि एक देहाती आया और खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा ने उस को झिड़का, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उस को पेशाब करने से न रोको, छोड़ दो। चुनांचे लोगों ने उसको छोड़ दिया, यहां तक कि वह पेशाब से फ़ारिग़ हो गया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस देहाती को अपने पास बुलाया और फ़रमाया।

ये मस्जिदें हैं, इनमें पेशाब करना या नजासत डालना मुनासिब नहीं है। यह तो सिर्फ़ ज़िक्र इलाही, नमाज़ और कुरआन पढ़ने के लिए हैं।'

और इसके बाद एक आदमी को (पानी का डोल लाने का) हुक्म दिया। वह पानी का डोल लाया और पेशाब की जगह पर पानी को बहा दिया।

- हवाला** - 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 50, हदीस 243, बाब 99, तहारत का बयान।
 2. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस 212 पारा 1, तहारत का बयान,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 144, हदीस 451, नजासतों को पाक करने का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 161, तहारत का बयान।

रहमदिली देखिए कि मस्जिदे नबवी में एक आदमी पेशाब करने लगा तो उस को पेशाब करने से भी नहीं रोका गया और पूरे तौर से पेशाब करने दिया गया, फिर मस्जिद को पानी से धो डाला। आज उन ही रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दावा करने वाले मस्जिदों में नमाज़ भी नहीं पढ़ने देते। आख़िर जुल्म और जहालत की भी कोई हद है।

नसानियों (ईसाइयों) के कुछ लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मज़हब की तहकीक़ात के लिए आए थे। जब उन की नमाज़ का वक़्त आ गया तो नमाज़ की जगह खोजने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन को मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी। उन्होंने पूरब की तरफ़ मुंह करके मस्जिदे नबवी में अपने तरीक़े पर नमाज़ पढ़ ली।

- हवाला** - 1. तफ़्सीर इब्ने कसीर पारा 3, पृ० 72, सूर: आले इम्रान के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

2. सीरतुन्नबी, जिल्द 2, पृ० 371।

मस्जिद में पेशाब करने वाले को इत्मीनान से पेशाब करने दिया और वह मस्जिद भी कौन-सी? मस्जिदे नबवी और पेशाब से फारिग होने के बाद किसी ने उस पर किसी तरह का जुल्म या सख्ती नहीं की और नसानियों को जो उस वक्त दीन के सख्त दुश्मन थे, जिनका क़िब्ला भी जुदा था। मिसाल के तौर पर हम हिन्दुस्तान वाले सूरज छिपने की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं और कोई आदमी हमारी मस्जिदों में पूरब की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़े, इतना बड़ा फर्क था, मगर फिर भी हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रहम और दरिया दिली तो देखिए, आपने मस्जिदे नबवी में उन लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी कि जिस तरह चाहो, नमाज़ पढ़ लो।

मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! आज मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वालों पर और वाज़ करने वालों पर जुल्म कर रहे हैं, लम्बी दाढ़ियों पर हंसते हैं, लम्बे कुरतों का मज़ाक उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं।

कुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बकर: के चौदहवें रकूअ में आयत नं० 114 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - उस आदमी से ज़्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो खुदा की मस्जिदों में खुदा का ज़िक्र करने से रोके और उन्हें वीरान करने की कोशिश करे। अगर कोई तब्लीगी जमाअत मस्जिद में चली जाए तो मस्जिद को धो डालते हैं और कहीं-कहीं तो तब्लीगी जमाअत वालों को भी धो डालते हैं और दावा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मानने का करते हैं। जहालत का यह हाल देखिए। हर मस्जिद में हर दिन पांच वक्त अज़ान होती है और पांच वक्त इक़ामत होती है और हर बार अज़ान में भी और इक़ामत में भी दो-दो मर्तबा यह कहा जाता है-

‘हय-य अलस्सला:, हय-य अलस्सला:’

यानी नमाज़ के लिए आओ, नमाज़ के लिए आओ।

पूरे चौबीस घंटे में बीस मर्तबा, यह आवाज़ मस्जिद से आती है और उसी मस्जिद में कहीं-कहीं इस किस्म के बोर्ड लगाये हुए हैं कि यहां पर देवबन्दी, नज्दी, वहहाबी तब्लीगी, अह्ले हदीस वगैरह नमाज़ न पढ़ें। अब इन दोनों में से एक जहालत की बात ज़रूर होगी। नमाज़ के लिए बुलाना तो शरीअत है और बुलाने के बाद नमाज़ नहीं पढ़ने देना यह जहालत है। आई बात समझ में मेरे भोले भैया के।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: अहज़ाब के तीसरे रकूअ में आयत नं० 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - यकीनन तुम्हारे लिए रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है हर उस आदमी के लिए, जो अल्लाह की और क़ियामत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को ख़ूब याद रखता है।

इस आयते शरीफा में बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम कौल अमल और हाल इक्तिदा, पैरवी और ताबेदारी के लायक हैं। यकीनन ये सारी चीजें इस काबिल हैं कि मुसलमान इन्हें अपनी जिन्दगी का, बड़ा हिस्सा बना लें और अपने प्यारे पैगम्बर हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने लिए बेहतरीन नमूना बना लें।

अगर तुम यतीम बच्चों वाली जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। जवानी वाली जिन्दगी जीना चाहो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो, मंमनी वाली व शादी वाली जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। बाल-बच्चों वाली जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। नमाज़ पढ़ने वाली जिन्दगी, सीखने और सिखाने वाली जिन्दगी जीना चाहो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। सब्र करने वाली और माफ़ करने वाली जिन्दगी जीना चाहो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। तक्वा और परहेजगारी करने वाली जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। वाज़ करने वाली और फ़त्वा देने वाली जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। जानवर चराने वाली या इंसानों की सरदारी वाली जिन्दगी जीना चाहो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। मज़दूरी और तिजारत वाली जिन्दगी, खेतों और बागों वाली जिन्दगी, गोशानशीनी वाली जिन्दगी और खानकाह वाली जिन्दगी, रोज़ा रखने वाली और हज करने वाली जिन्दगी, दुनिया दारी की जिन्दगी और अखिरत वाली जिन्दगी, फ़कीरों और बादशाहों वाली जिन्दगी, सियासत और हिक्मत वाली जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। बेहतरीन से बेहतरीन और भली से भली और प्यारी से प्यारी जिन्दगी जीना चाहो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो। फ़लाह वाली जिन्दगी, अमन वाली जिन्दगी, चैन वाली जिन्दगी निजात वाली जिन्दगी अगर जीना चाहो तो मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो।

इंसान की मुहब्बत दुनिया में बटी हुई होती है, मां बाप में होती है, भाई-बहन में होती है, बीवी-बच्चों में होती है, दोस्तों में और रिश्ते-नातेदारों में होती है, कारोबार और तिजारत में होती है, लेकिन यह मुहब्बत कभी कभी सिमट कर यानी सब जगह से लौट कर किसी एक चीज़ पर भी लग जाती है, तो उस वक़्त यह इंसान किसी की बात नहीं मानता। मिसाल के तौर पर कोई इंसान किसी पर आशिक़ हो गया है, तो अब उस को वही नज़र आता है, जिस के ऊपर यह आशिक़ हो गया है, क्योंकि इन की सारी मुहब्बत, जो दुनिया में बटी हुई थी, वह सब की सब जमा होकर इसी एक तरफ़ लग गयी है। इसी तरह मेरे मोहसिन साहिबान! हमारी सारी मुहब्बत जमा कर के जब तक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नहीं लगा देंगे,

कामियाबी नहीं मिलेगी।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिस आदमी ने पाक व हलाल खाया और सुन्नत के तरीके पर अमल किया और उस की ज़्यादातियों से लोग अम्न में रहे, वह जन्नत में दाखिल होगा। एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ऐसे लोग तो आजकल बहुत हैं? आपने फ़रमाया, और भी मेरे बाद ऐसे लोग होंगे।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 111, हदीस 167, सुन्नतों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 81, किताबुल ईमान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया मुझ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि ऐ मेरे बेटे ! अगर तुझ से यह मुम्किन हो तो सुबह से लेकर शाम तक इस हाल में बसर कर दे कि तेरे दिल में किसी से कीना और खोट न हो तो, तू ऐसा ही कर। फिर आपने फ़रमाया, ऐ मेरे बेटे ! यह ही मेरा तरीका और सुन्नत है। तो जिस आदमी ने मेरे तरीके को, पसन्द किया, उसने मुझ को दोस्त रखा और जिसने मुझ को दोस्त रखा, वह जन्नत में मेरे साथ होगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 110, हदीस 164, सुन्नतों का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 80, किताबुल ईमान।

मेरे दोस्तों ! हम को लम्बी दाढ़ियों पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे ऊपर भी दाढ़ी का रखना सुन्नते मुअक्कदा है और लम्बे कुरतों का मज़ाक उड़ाने से बेहतर तो यह था कि हम भी लम्बा कुरता पहनते, क्योंकि यह भी सुन्नत है। मगर अफ़सोस, हमारी जहालत हम को कहां तक ले गयी है, उस के लिए सोचने और समझने की फ़िक्र ही नहीं करते। नमाज़ पढ़ते पढ़ते पेशानी पर जो सियाह घब्बा हो जाता है, उस को हमारे कुछ जाहिल मुसलमान भाई वहहाबी की निशानी समझते हैं?

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः फ़तह के चौथे रकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उन का निशान उनके चेहरों पर सज्दों के असर से है। खुदावन्दे करीम सज्दों के निशान की तारीफ़ कर रहा है और हम अपनी जहालत से क्या समझ रहे हैं? ज़रूरी तो यह था कि हम भी नमाज़ के पाबन्द होते। उन लोगों को देख कर कुछ नसीहत हासिल करते, लेकिन हमारे पीरों और मौलवियों ने हम को कहां तक पहुंचा दिया है कि उन को देख कर गुस्से में आ जाते हैं।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

दोज़ख़ की आग इंसान के तमाम जिस्म को खा जाएगी, फ़क़त सज़े का निशान बाकी रहेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने उस को आग पर हराम कर दिया है।'

- हवाला** 1. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 657, हदीस 4323, दोज़ख़ की कैफ़ियत के बयान में।
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा, 27 पृ० 339, हदीस 1486, किताबुर्रिकाक़।

यह है शरीअत जिस पर अल्लाह के लाल अमल कर रहे हैं और कियामत तक इन्शाअल्लाहु तआला अमल करते रहेंगे। रही हमारी जहालत कि हम उनको गालियां देते हैं, वे सब करते हैं, हम उन को ताने देते हैं और वे हमको नसीहत करते हैं, हम उनको मस्जिद से निकालते हैं और वे रो-रो कर अल्लाह से हमारी हिदायत के वास्ते दुआ मांगते हैं, हम उन को घक्के देकर गांव से या मस्जिद से बाहर निकालते हैं और वे लोग बार-बार अपना वतन और बाल बच्चों को छोड़ कर हमारी भलाई के लिए हम को समझाने आते हैं, हम उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं और वे हमको भली नज़रों से देखते हैं हम उनको इस्लाम में ख़ारिज, वहहाबी और काफ़िर समझते हैं और वे हमें दीनी भाई समझते हैं।

कुरआन करीम के अट्ठाईसवें पारे में सूर: हश्र के तीसरे रकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वाले ! अल्लाह से डरो और अपनी ज़ात के लिए सोचो कि कल कियामत के दिन के लिए कौन-सा ज़ख़ीरा जमा कर रखा है और अल्लाह से डरो और याद रखो कि अल्लाह तआला तुम्हारे हर काम को जानता है।

अल्लाह तआला ईमान वालों से फ़रमा रहा है कि तुम अल्लाह से डरो और अपनी हालत पर नज़र करो कि कल कियामत के दिन निजात के लिए कौन सी दलील है। क्या हश्र के मैदान में यही कहोगे कि बारी तआला मैंने तो बहुत से मुसलमानों पर कुफ़्र का फ़त्वा लगाया था, लोगों को मस्जिद में नमाज़ तक नहीं पढ़ने देता था। अपने मुक़्तदियों और मुरीदों को ख़ूब समझाता रहता था कि देवबन्दियों को ख़ूब गालियां दो, तब्लीगी जमाअत वालों को ख़ूब सताओ, अह्ले हदीस भाइयों की ख़ूब धज्जियां उड़ाओ, हश्र के मैदान में क्या यही निजात की दलील होंगी? कुरआन व हदीस को मानते हुए और जानते हुए भी यह हरकत और जहालत ?

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'मुसलमान वह है जिस की जुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज़ और सलामत रहें।'

- हवाला** 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 10, हदीस 24, बाब 12, किताबुल ईमान।
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 9, बाबुल वह्य,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 99, हदीस 488, अब-वाबुल ईमान,

4. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 82, हदीस 4, ईमान के बयान में,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 26 किताबुल ईमान।

मुसलमानों ! सोचने की बात है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, मुसलमान वह है जिस की जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ न हो। अफ़सोस! आज अपने आप को पीर और मौलवी कहलाने वाले भी मुसलमानों को सताने में कसर बाकी नहीं रखते, अपने मुरीदों और मुक़्तदियों को बहकाते रहते हैं और वे लोग उनके कहने में आकर मुसलमानों को नमाज़ तक मस्जिद में नहीं पढ़ने देते और सताने और दुख देने में अपनी ईमानदारी और निजात समझते हैं। काश! वे लोग इस आयते करीमा को देख लेते-

कुरआन मजीद के तीसवें पारे में सूः बुरूज में आयत न० 10 में अल्लाह तआला इशदि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिन्होंने मुसलमान मर्दों और औरतों को तकलीफ़ें पहुंचायी और तौबा न की, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है और वह बहुत ही बुरी जगह है।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर हर चीज़ हराम है, चाहे उस की जान हो या माल या आबरू हो।

हवाला -1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 587, हदीस 3928. बाबुल फ़िल्ना।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! फ़लां औरत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने, रोज़े रखने और ख़ैरात करने में बहुत शोहरत रखती है, लेकिन वह अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह दोज़ख़ में जाएगी। उस आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! और फ़लां औरत है, जिस के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत कम रोज़े रखती है, बहुत कम ख़ैरात करती है और बहुत कम नमाज़ पढ़ती है और वह सिर्फ़ कुछ टुकड़े क़रूत (पनीर) के खुदा की राह में देती है, लेकिन अपनी जुबान से, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। आपने फ़रमाया, वह जन्नत में जाएगी।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 719, हदीस 4746, शफ़क्कत व रहमत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 142, शफ़क्कत व रहमत का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करता है और न उस को हलाकत

में पड़ा हुआ छोड़ता है और जो अपने भाई की ज़रूरत (पूरी करने) में रहेगा, खुदा उस की ज़रूरत (पूरी करने) में रहेगा।'

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 430, हदीस 1841, किताबुल इकराह।

कुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजुरात के पहले रकूअ में आयत नं० 10 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - मुसलमान तो सब भाई-भाई हैं। पस अपने दो भाइयों के बीच (अगर झगड़ा हो गया है तो) सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए।

अल्लाह तआला इस आयते शरीफ़ा में मुसलमानों को हुकम दे रहा है कि अगर कहीं आपस में लड़ाई-झगड़ा हो जाए, तो सुलह-सफ़ाई करा के मुसलमानों के दिल मिला दो। यह नहीं कि सुलह कराने के बजाए झगड़े में मिट्टी का तेल छिड़को, पेट्रोल के छीटे मारो और माचिस दिखा कर झगड़े को और बढ़ा दो। क्या इसी का नाम ईमानदारी है? आज हम देखते हैं कि हमारे अन्दर अगर दो दिलों के दर्मियान फूट पड़ जाए या उन के बीच में रंजिश पैदा हो जाए, तो बजाए सुलह कराने के हम और खुश होते हैं और लुफ़ हासिल करते हैं। मुसलमानों! सोचो, किस क़दर जहालत में डूबे जा रहे हो, ज़रा हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशादि गरामी सुनो!

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ुरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपने भाई मुसलमान की मदद किया करो, चाहे वह ज़ालिम हो या मज़्लूम हो। एक आदमी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जब वह मज़्लूम हो तो मैं उस की मदद बेशक करूंगा, मगर जब ज़ालिम हो तो उसकी मदद कैसे करूं? आपने फ़रमाया, उस को जुल्म करने से रोक दे, यही उस की मदद है।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 430, हदीस 1842, किताबुल इकराह।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मज्लिस में एक साहब आए, बड़ी साफ़ सुथरी और तेज जुबान से कहने लगे, सुनिये जनाब! छः आदमी हैं, सब कुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं और जानने-बूझने वाले समझदार हैं, लेकिन हर एक दूसरे को मुशिरक बताता है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, शायद तू यह चाहता है कि तुझे यह कह दूं कि जा, तू उन्हें क़त्ल कर डाल, नहीं, बल्कि मैं यह कहता हूँ कि जा उन्हें नसीहत कर और बुराई से रोक और अगर तेरी बात न मानें तो अपनी राह लग।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा सातवां, पृ० 30, सूर: माइदा के चौदहवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘अल्लाह तआला उस आदमी पर रहम नहीं करता, जो लोगों पर रहम नहीं करता।’

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4701, शफ़क़त व रहमत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 129, शफ़क़त व रहमत का बयान।

हिन्दुस्तान में भी आज अक्सर जगह पर यही हालत है कि एक दूसरे को मुश्रिक, काफ़िर और मुर्तद बतला रहे हैं और मज़हब की जो मोतबर किताबें हैं, उनको देखते नहीं कि इन मसअलों के बारे में क्या हुक्म है और अगर कोई हक़ परस्त हिम्मत कर के इन बातिल वालों के सामने कोई मोतबर किताब लाकर दिखाता है तो बातिल परस्त बचने की यह तर्कीब करते हैं कि ये किताबें ग़लत छप गयी हैं या यों कहेंगे कि इन किताबों का तुर्जुमा ग़लत कर दिया गया है। यह भी नहीं तो कुछ और तावीलें कर लेंगे, लेकिन सही बात को हरगिज़ नहीं मानेंगे।

मेरे इस किताब के लिखने की सिर्फ़ यही गरज़ है कि मुसलमान फ़िर्कापरस्तों से बचें और हक़ क्या है वे खुद अपनी ज़ात से बड़ी-2 मोतबर किताबों से मसाइल की तहकीक़ात कर लें। इससे अग़र इस किताब में सिवाए मोतबर किताबों के फ़िर्कापरस्तों की किसी किताब का हवाला नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो गुमराही कुदरती तौर पर फैलने वाली है, वह तो फैल कर रहेगी, मगर हम को अपनी कोशिशों में कमी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लां शहर को जो ऐसा और ऐसा है, उस के बाशिंदों समेत उलट दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार! उस के बाशिंदों में तेरा फ़लां बन्दा भी है, जिसने एक लम्हे के लिए भी तेरी नाफ़रमानी नहीं की है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया उस पर और सारे बाशिंदों पर शहर को उलट दे, इसलिए कि इस आदमी का चेहरा (गुनाहगारों के गुनाहों को देख कर) एक लम्हे के लिए भी मेरी खुशनुदी के लिए बदला नहीं। (यानी उसने गुनाहगारों के गुनाहों को एक लम्हे के लिए भी बुरा न जाना।)

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 738, हदीस न० 4896, अम्र बिलमारूफ़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 196, अम्र बिल मारूफ़ का बयान।

हदीस - हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, एक बार हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठायी, फिर फ़रमाया, ये वह घड़ियां हैं कि (इन के बाद) लोगों से इल्म छीन लिया जाएगा। नतीजा यह होगा कि इल्म का कोई हिस्सा उनके पास बाकी न रहेगा। (वे बिल्कुल जाहिल रह जाएंगे और इल्म के एक ज़र्रे पर भी उन का कब्ज़ा न रहेगा।) इस पर हज़रत

ज़ियाद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि हम में से इल्म कैसे जाता रहेगा, जबकि हमने कुरआन पढ़ लिया है (और इल्म कुरआन में मौजूद है)? सो खुदा की कसम ! हम लोग खुद भी पढ़ेंगे और अपनी अपनी औरतों और बेटियों को भी पढ़ाएंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तेरी मां तुझे रोये, मैं तो तुझे मदीना के आलिमों में और अक्लमंदों से गिनती करता था। देखो, यह तौरात और इंजील यहूदियों और ईसाइयों के पास भी मौजूद हैं, फिर इन लोगों को उन से क्या फ़ायदा हुआ ?

- हवाला** 1. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, ज़िल्द 2, पृ० 104, हदीस 513, अब-वाबुल इल्म,
2. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 608, हदीस 4044, बाबुल-फिल्ना।

जिस तरह तौरात और इंजील होते हुए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की हकीकत को ग़ारत कर दिया और किताबों ने उन्हें कुछ फ़ायदा न दिया उसी तरह एक ज़माना ऐसा आएगा, जिस में खुद परस्त ज़िद परस्त और नफ़्स परस्त कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे कि कुरआन व हदीस होते हुए भी शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हकीकत को ग़ारत कर देंगे और कुरआन व हदीस उनके कुछ भी काम न आएंगे।

आज यही हो रहा है, कुरआन करीम मौजूद है, हदीस की किताबें मौजूद हैं, हनफ़ी मसलक के फ़ुक़हा किराम की दलीलें और फ़त्वे मौजूद हैं, फिर भी कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों में करीब करीब आम मुसलमान डूबे हुए हैं।

कुरआन मजीद के तेईसवें पारे में सूः जुमर के पहले रूकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'नसीहत वही लेते हैं, जो अक्लमंद हैं।'

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला का सवाल अक्लमंदों से हैं, बे अक्लों से नहीं।

हिदायत तो हकीकत में वही लोग हासिल करते हैं, जो अक्लमंद होते हैं। अल्लाह तआला ने अपनी मख़्लूक की हिदायत के लिए और शैतान के फ़दे से बचाने के लिए लगभग एक लाख चौबीस हजार नबी और रसूल पैदा किये और किताबें भी नाज़िल फ़रमायीं। इन के अलावा अनगिनत कुत्ब, अब्दाल, औलिया और उलेमा-ए-हक़ भी पैदा किये, लेकिन जिन लोगों की किस्मत में हिदायत नहीं होती है, उनको जितना भी सीधा समझाया जाए, उतना ही वह उलटा समझते हैं।

कुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूः जुमर के चौथे रूकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'जिस को खुदा गुमराह कर दे, उस को कौन हिदायत पर ला सकता है।'

कुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूः शूरा के पांचवें रूकूअ में आयत न० 46 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'जिस को खुदा गुमराह कर दे, उस की हिदायत के लिए कोई दलील ही नहीं बन सकती।'

गो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कुबूल हो गयी, लेकिन इब्लीस को हिदायत नहीं हुई, गो हाबील की कुर्बानी कुबूल हो गयी, लेकिन काबील को हिदायत नहीं हुई, गो नूह अलैहिस्सलाम की कशती पानी की लहरों में बहने लगी लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके लड़के को हिदायत नहीं हुई, गो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश बरसी, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को हिदायत नहीं हुई, गो सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊंटनी पहाड़ से पैदा हो गयी, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हिदायत नहीं हुई, गो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग बाग बन गयी, लेकिन नमरूद को हिदायत नहीं हुई, गो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहरे कुलजुम फट गया, लेकिन फिरऔन को हिदायत नहीं हुई, गो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो गये, लेकिन अबूजहल को हिदायत नहीं हुई। जिस की किस्मत में हिदायत नहीं होती, उसके लिए मोजिजे और करामतें भी हिदायत की दलील नहीं बन सकते, वरना जो आदमी अपने आप को मुसलमान कहे, उस की हिदायत के लिए इस से बढ़ कर और क्या हो सकता है कि उसके सामने कुरआन व हदीस मय हवालों के रख दी जाए, फिर भी हिदायत न हो, तो उसकी जहालत का अन्दाज़ा आप खुद ही लगा लें।

कुरआन करीम के अठारहसवें पारे में सूर: मुस्तहिना के दूसरे स्कूअ में आयत नं० 7 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला से उम्मीद है कि तुम में और उन लोगों में जिन से तुम्हारी दुश्मनी है, दोस्ती कर दे। अल्लाह तआला को बड़ी कुदरत है और अल्लाह तआला माफ़ करने वाला रहम करने वाला है।

अल्लाह तआला तुम में और उन में मेल-मिलाप करा दे। बुग़ज़ नफ़रत और जुदाई के बाद मुहब्बत और ताल्लुक़ पैदा कर दे। कौन-सी चीज है, जिस पर खुदा कुदरत न रखता हो। वह अलग-अलग और बिखरी चीजों को जमा कर सकता है। दुश्मनी और फूट के बाद दिलों में प्रेम और मुहब्बत पैदा कर देना उसके हाथ में है।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा, 28 पृ० 44, सूर: मुस्तहिना के दूसरे स्कूअ की तफ़सीर में।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अपने दोस्त से हल्की मुहब्बत रख, मुम्किन है एक दिन वह तेरा दुश्मन हो जाए और अपने दुश्मन से हल्की दुश्मनी रख, मुम्किन है कि वह एक दिन तेरा दोस्त हो जाए।

हवाला - त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 379, हदीस 1895, एहसान के बयान में।

इस आयते करीमा और हदीस शरीफ़ का मतलब यह है कि दोस्ती और दुश्मनी में बीच का रास्ता अपनाओ, न हद से ज्यादा दोस्ती रखो, न हद से ज्यादा दुश्मनी करो। इतनी दलील

होने के बावजूद इन जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी और उनके चाहने वालों की जहालत का हाल यह है कि बात चीत करना तो दूर की बात, सलाम का जवाब तक नहीं देते, कुरआन व हदीस की हिदायत को भी कुबूल नहीं करते, ऐसे लोगों को हिदायत कैसे हो सकती है?

मेरे अजीज़ दोस्त ! हम को अल्लाह तआला अपने रहम व करम से हक के रास्ते पर लाने के लिए शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर जम जाने के लिए, जहालत से बचाने के लिए प्यार और मुहब्बत भरे लफ़्ज़ों में हिदायत करते हुए इर्शाद फ़रमाता है-

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूर: बकर: के पच्चीसवें रकूअ में आयत न० 208 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दम से क़दम मिला कर न चलो । वह तुम्हारा खुला दुश्मन है ।

हदीस - हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि शैतान आदमी का भेड़िया है, जैसे बकरी का भेड़िया होता है, जो उस बकरी को उठा ले जाता है, जो रेवड़ से भाग निकली या रेवड़ से दूर चली गयी हो या रेवड़ के किनारे पर हो, और बचो तुम पहाड़ की घटियों (यानि गुमराहियों) से और जमाअत और मज्मे के साथ रहो ।

- हवाला** 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 112, हदीस 173, सुन्नतों के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 83, किताबुल ईमान ।

मेरे अजीज़ दोस्तो ! मज़ा तो जब है कि इस्लाम के हर एक रुकन पर दिल व जान से खुशी के साथ पूरी तरह अमल किया जाए और हर उस अमल को छोड़ दिया जाए जो शरीअत के खिलाफ़ हो ।

कुरआन करीम के नवें पारे में सूर: अन्फ़ाल के तीसरे रकूअ में आयत न० 24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो । तुम अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हुक्म को मान लिया करो, जबकि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हें ऐसे काम की तरफ़ बुलाते हैं, जो तुम को हमेशा की ज़िन्दगी बरखाता है ।

ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मान लो । ऐसी कौन सी बात है, जो तुम को गरां गुज़री है । दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकतीं । हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलेंगे, तो शैतान की मुख़ालिफ़त होगी । और अगर शैतान के कहने पर चलोगे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालिफ़त होगी । अब आप किसकी पैरवी करना चाहते हैं । हुज़ूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की या शैतान की? अल्लाह तआला ने ईमान

वालों से फ़रमाया है कि मेरे महबूब मुहम्मद सल्लसल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलो और शैतान के कहने पर न चलो।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: नूर के तीसरे रूकूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! शैतान के कहने पर न चलो और अगर शैतान के कहने पर चलोगे तो वह तुम से बुरी बातें और बुरे काम ही करवाएगा।

अगर हम शैतान के कहने पर चलेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसी भली तालीम नहीं देगा, बल्कि जहालत और गुमराही की तरफ़ ले जाएगा।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के पहले रूकूअ में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उस के दुश्मन बन कर रहो।

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अदा को शैतान छुड़ाना फ़ख्र समझता है, तो फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अदा पर अमल करना फ़ख्र क्यों नहीं समझते ? दुनिया में एक तरफ़ शरीअत है, तो दूसरी तरफ़ जहालत है। अब हम शरीअत पर अमल करेंगे, तो जहालत से नजात मिलेगी और (अल्लाह पनाह में रखे) जहालत पर अमल करेंगे तो शरीअत छूट जाएगी। तीसरा रास्ता दुनिया में है ही नहीं, इसी लिए इस किताब का नाम 'शरीअत या जहालत' रखा गया है।

हदीस - हज़रत अम्र बिन मैमून ऊदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को नसीहत फ़रमाते हुए कहा-

पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले ग़नीमत समझ,

1. बुढ़ापे से पहले जवानी को,
2. बीमारी से पहले तन्दुरुस्ती को,
3. ग़रीबी से पहले खुशहाली को,
4. मस्रूफ़ होने से पहले फ़ुर्सत को,
5. मौत से पहले जिन्दगी को।

हवाला 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 742, हदीस 4918, रिक्क़ के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 205, रिक्क़ के बयान में।

अफ़सोस ! आज हिन्दुस्तान में रहने वाले अक्सर पीर व मौलवी साहिबान को हमने अपनी आंखों से देखा है कि वे खुद शरीअत का दामन अपने हाथों से छोड़ बैठे हैं और अपने कानों से सुना है कि वे लोग अपने वाज में गालियां देते रहते हैं, लान-तान की बारिश बरसाते रहते हैं, एक दूसरे से नफ़रत दिलाने के बयान करते हैं। अब आप ही सोचें कि जिन के पीरों और

मौलवियों की यह हालत हो, तो उन के मुरीदों और मुक्तदियों की क्या हालत होगी ? इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगा लें।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के पहले रकूअ में आयत न० 5 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ लोगों ! अल्लाह का वायदा हक़ है, इसलिए दुनिया की ज़िन्दगी-तुम्हें धोखे में न डाल दे और न धोखेबाज शैतान तुम्हें ग़फ़लत में डाल दे।

दुनिया की ज़ाहिरी तरी वहां की सच्ची खुशी से कहीं तुम्हें महरूम न कर दे, इसी तरह शैतान मक्कार से भी होशियार रहना, उस के चलते-फिरते जादू में न फंस जाना, उस की दूठी और चिकनी बातों में आकर खुदा और रसूल के हक़ कलाम को न छोड़ बैठना।

जन्नत मुफ़्त में मिलती है

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूर: अन्आम के नवें रकूअ में आयत न० 82 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ गड़ड़-मड़ड़ नहीं करते, ऐसों ही के लिए अमन है, वही राह पर चल रहे हैं।

जो लोग ईमान ले आए और अपने ईमान के साथ जुल्म का पैवन्द नहीं लगाया, अमन व इत्मीनान तो उन्हीं का हक़ है और वही हिदायत पाए हुए हैं। उन्होंने अपनी इबादत शिर्क के हिस्से से पाक रखी थी, दुनिया व आखिरत पर उन्हीं का कब्ज़ा है।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 88, सूर: अन्आम के नवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, दो बातें हैं जो जन्नत और दोज़ख़ को वाजिब करती हैं। एक आदमी ने पूछा, कौन-सी चीज़ें हैं, जो जन्नत और दोज़ख़ को वाजिब करती हैं ? आपने फ़रमाया-

जो आदमी शिर्क की हालत में मरे, वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा और जो आदमी इस हाल में मरे कि खुदा के साथ किसी को शरीक न समझता हो, वह जन्नत में दाख़िल होगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 87, हदीस 33, किताबुल ईमान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 35 किताबुल ईमान।

तौहीद बग़ैर पैसे खर्च किये मिल जाती है और शिर्क बग़ैर पैसे खर्च किये नहीं मिल सकता। शिर्क हो या कुफ़्र या बिदअत या हमारे बाप दादों के बनाये हुए रस्म व रिवाज निभाने के लिए खूब पैसे खर्चो, दुनिया भर से लड़ाई झगड़े करो, अदालतों में दरख़ास्तें देते फ़िरो हुकूमत की खुशामदें भी करो, तकलीफ़ें उठाओ, दुनिया भर के लोगों से तू-तू मैं-मैं भी सुनो, तब ये सारी बातें निभ सकती हैं और सही दीन पर अमल करने के लिए एक पैसे का भी खर्च नहीं

करना पड़ता ।

हदीस - हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जिस आदमी ने इस एतकाद पर वफ़ात पाई कि खुदा के सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, वह जन्नत में दाखिल होगा ।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 9, हदीस 14, बाब 9, किताबुल ईमान ।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद, इबादत के काबिल नहीं है और फिर यह गवाही देता हूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ । जो आदमी इन दोनों बातों का सच्चा एतकाद रखता हो और किसी किस्म का शक व शुब्हा उस को न हो, वह मरने के बाद ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा ।

(मुख़्तसर)

हवाला - मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 9, हदीस 15, बाब 9, किताबुल ईमान ।

यह कलिमा जब कोई इंसान सच्चे दिल से पढ़ लेता है, तो वह मुसलमान मसज़ा जाता है, इस कलिमे के पढ़ने में एक पैसे का भी खर्च नहीं होता, कलिमा पढ़ लेने के बाद सब से पहला फ़र्ज़ नमाज़ है और नमाज़ के लिए जो हुक्म है, वह सुनिए ।

कुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में सूर: मुअमिन्न के पहले रकूअ में आयत न० 9, 10, 11 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है ।

तर्जुमा - और जो आदमी नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं, ऐसे ही लोग वारिस होने वाले हैं, जो फ़िरदौस के वारिस होंगे, वे उस में हमेशा हमेशा रहेंगे ।

अब आप ईमानदारी से बताएं कि नमाज़ पढ़ने में क्या खर्च होता है ? एक पैसा भी खर्च नहीं होता और नमाज़ी जन्नत का मालिक हो जाता है और उस में हमेशा-हमेशा के लिए रहेगा, न खुदा की खुदाई ख़त्म हो और न हमारी ज़िन्दगी ख़त्म हो और न अल्लाह तआला की नेमतें ख़त्म हों । ये सारी नेमतें बग़ैर पैसे खर्च किये मिलती हैं ।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक देहाती ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझको कोई ऐसा काम बताइए कि मैं उसे अमल में लाकर जन्नत में दाखिल हो जाऊं । आपने फ़रमाया-

खुदा की इबादत कर, किसी को उसका शरीक करार न दे, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर और रमज़ान के महीने के रोज़े रख ।

(यह सुन कर) देहाती ने कहा, कसम है उस जात की, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इस पर न तो कुछ ज्यादा करूंगा और न इस में कमी करूंगा, जब वह चला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी जन्ती आदमी को देखने की खुशी हासिल करना चाहे, वह इस आदमी को देख ले।

- हवाला**
1. मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 7, हदीस 5, बाब 4, किताबुल ईमान,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 83, हदीस 12, किताबुल ईमान,
 3. मजाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 28, किताबुल ईमान।

इस हदीस पर आप गौर करें, जो बातें उस देहाती को बतायी हैं, उस में से उसने कहा, न तो मैं कम करूंगा और न तो कोई इस से ज्यादा अमल करूंगा। इस पर खुदा की कसम खाकर जाने लगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुनने वालों को खिताब करके फरमाया, तुमको जन्ती देखना हो, तो इस आदमी को देख लो।

अब आप साहिबान सौंचे और समझें कि इन कामों के करने में क्या खर्च करना पड़ता है? एक पैसा भी खर्च नहीं आता और जन्नत मुफ्त में मिल रही है। अल बत्ता अगर मालदार है, तो जकात दे और मालदार नहीं है, तो जकात का सवाल भी नहीं है। नमाज़ पढ़ने के लिए वुजू का हुकम आया है।

कुरआन शरीफ के छठे पारे में सूर: माइदा के दूसरे रकूअ में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है।

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हुआ करो, तो धो लो अपने मुंह को, धो लो अपने हाथों को कुहनियों तक और कर लो अपने सर का मसह और धो लो अपने पैरों को टखनों तक।

हदीस - हज़रत उक्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोगों के जिम्मे ऊंट चराने की खिदमत थी, जिस दिन मेरी बारी ऊंट चराने की आयी, मैंने ऊंटों को चराया और शाम को (मामूल के मुताबिक) वापस लाया। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (एक जगह) लोगों से हदीस बयान फरमा रह हैं। मैंने आप की हदीस का सिर्फ यह जुम्ला सुना कि-

जो मुसलमान वुजू करे और अच्छी तरह वुजू करे, फिर खड़ा होकर दो रकूअत नमाज़ (तहीयतुल वुजू) दिल और मुंह की तवज्जोह (यानी खुशूअ व खुजूअ) से पढ़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है।

मैंने (हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इर्शाद को सुन कर) कहा, कैसी अच्छी बात है।

(यह सुन कर) एक आदमी ने जो मेरे सामने खड़ा था, कहा, इस से पहली बात और भी अच्छी थी।

मैंने आंख उठा कर देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फिर उन्होंने मुझ से

फरमाया, 'शायद तुम अभी आए हो' यह कह कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फरमाया था-

'तुम में से जो आदमी मुबालगे के साथ वुजू करे या पूरे तौर पर वुजू के हिस्सों (अंगों) को धोए हो और फिर यह कहे कि 'अशहदु अल-ला इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू', उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, वह उन में से जिस के अन्दर उस का दिल चाहे, दाखिल हो जाए।'

हवाला

1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 45, हदीस 200, बाब 80, तहारत का बयान,
2. तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 67, सूः माइदा के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

मेरे मोहसिन साहिबान ! ईमानदारी से बताना, इस में क्या खर्च करना पड़ता है ? एक पैसे का भी खर्च नहीं है और जन्नत के आठों दरवाज़े वाजिब कर दिये जाते हैं। मेरे भोले भैया! जन्नत तो मुफ़्त में मिलती है और जहन्नम मुफ़्त में नहीं मिलती। जहन्नम में जाने के लिए खूब पैसे खर्चो, खूब नाचो, कूदों और रस्म व रिवाज निभाओ और कुफ़्र व शिर्क करो और हक़परस्तों की मुख़ालफ़त के लिए खूब दौड़-धूप करो, रिश्वतें भी दो, जानी-माली मेहनतें भी करो और पैसे भी बर्बाद करो, तब जहन्नम मिलती है।

हदीस

- हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सुबह की नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब फरमाया और कहा, तुम को किस चीज़ ने जन्नत के अन्दर मेरे आगे पहुंचाया, क्योंकि मैं जब कभी जन्नत में दाखिल हुआ, तुम्हारी जूतियों की आवाज़ अपने आगे सुनी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैंने अज़ान देने के बाद हमेशा दो रक़अत नमाज़ पढ़ी है और जब कभी मेरा वुजू टूटा है और मैंने वुजू किया है, तो इस बात को अपने ऊपर लाज़िम समझा है कि खुदा के वास्ते मुझ पर दो रक़अत ज़रूरी हैं, यानी हर वुजू के बाद वुजू किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, इन्हों दो चीज़ों की वजह से तुम जन्नत के अन्दर मेरे आगे-आगे थे।

हवाला

1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 247, हदीस 1245, नफ़ल नमाज़ का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1546, मनाकिब का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 430 नफ़ल नमाज़ का बयान।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हब्शी थे, सैयद नहीं थे, रंग में काले थे, सफ़ेद नहीं थे, ग़रीब थे, मालदार नहीं थे, गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, अनपढ़ थे, आलिम नहीं थे, लेकिन उनके तक्वा का हाल यह था कि मक्का की सर ज़मीन पर चलते थे और उन के पैर की आहट जन्नत में बजती थी, उनके दिल में शीआ-सुन्नी जैसा तास्सुब नहीं था, उनके दिल में देव बन्द-बरेली का झगड़ा नहीं था, उन के दिल में अह्ले हदीस और अह्ले तक्लीद का हसद नहीं था, अगर कुछ था, तो वह खुलूस था, तौहीद पर यकीन व ईमान था और हुक़मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम पर अमल था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का जो अमल था, आपका जो अकीदा था, आप का जो खुलूस था, उस में एक पैसे का भी खर्च नहीं। ये नेमतें मेरे भोले भैया मुफ्त में मिलती हैं।

जिस तरह नमाज़ से पहले वुजू करने का हुकम है, उसी तरह नमाज़ से 'पहले अज़ान देने का हुकम है।

हदीस - हज़रत उक्वा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

राज़ी होता है तेरा रब बकरियां चराने वाले से, जो बकरियां चराता हो पहाड़ की टीकरी पर और अज़ान देता है वह नमाज़ के लिए और नमाज़ पढ़ता है, पस फ़रमाता है अल्लाह तआला फ़रिश्तों और करीबी रूहों से कि देखों, मेरे इस बन्दे की तरफ़, अज़ान देता है और नमाज़ पढ़ता है और मुझ से डरता है, पस वरूखा दिया मैंने अपने बन्दे को और दाख़िल करूंगा मैं उस को जन्नत में।

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 164, हदीस 612, अज़ान का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 216, अज़ान का बयान।

हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है- जब अज़ान देने वाला 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे और उस के जवाब में तुम में से हर आदमी -अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे, फिर जब मुअज़्ज़िन 'अश्हदु अल-लाइला-ह इल्लल्लाह' कहे और (उस के जवाब में) वह भी अश्हदु अल-लाइला-ह इल्लल्लाह कहे फिर मुअज़्ज़िन अश्हदु अन्न-मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे और (उसके जवाब में) वह भी 'अश्हदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह' कहे, फिर जब मुअज़्ज़िन 'हय-य अलस्सला' कहे और (उस के जवाब में) वह 'ला हौ-ल व ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह' कहे और जब मुअज़्ज़िन हय-य अलल फलाह कहे और (उसके जवाब में) वह ला हौल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह कहे और जब मुअज़्ज़िन 'अल्लाहु अकबर० अल्लाहु अकबर०' कहे, और वह (उस के जवाब में) 'अल्लाहु अकबर० अल्लाहु अकबर०' कहे और जब मुअज़्ज़िन 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कहे और (उस के जवाब में) वह 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कहे और इन तमाम लफ़्ज़ों को सच्चे दिल से कहे वह ज़रूर जन्नत में जाएगा।'

- हवाला** 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 61, हदीस 329, बाब 143, नमाज़ का बयान,
2. मिशकात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 164, हदीस 605, अज़ान के जवाब की फ़जीलत,
3. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 214, अज़ान के जवाब की फ़जीलत।

मेरे मोह्तरम अज़ीज़ दोस्त ! आप ही बताएं कि अज़ान के कहने में और अज़ान का जवाब देने में क्या खर्च करना पड़ता है? शरीअत को अल्लाह तआला ने हमारे लिए आसान कर दिया है और अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को और जन्नत को मुफ्त में लुटा रहा है, कोई लेने वाला चाहिए और जहालत उस को कहते हैं, जिन को करने का न तो कुरआन करीम

में कोई हुक्म है और न तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया है और न तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया और न तो इमामों ने किया और न मुहद्दिसों ने किया और न ही औलियाअल्लाह में से किसी ने किया और न करने का हुक्म दिया। ऐसे काम हम क्यों करें, जिन के करने पर न तो सवाब मिलता है और न तो जन्नत मिलने का वायदा है।

कुरआन के दूसरे पारे में सूर: बकर: के तेईसवें रूकूअ में आयत नं० 183 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालों ! तुम पर रोज़े फ़र्ज किये गये, जिस तरह तुम से अगले लोगों पर फ़र्ज किये गये थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ।

अल्लाह तआला इस उम्मत के ईमानदारों को खिताब करके उन्हें हुक्म दे रहा है कि रोज़े रखो। रोज़े के मायने अल्लाह तआला के फ़रमान को पूरा करने की ख़ालिस नीयत के साथ खाने-पीने और जिमाअ से रुक जाने के है। इस से फ़ायदा यह है कि नफ़से इंसानी पाक-साफ़ और तय्यिब व ताहिर हो जाता है, रद्दी और वाही अरुल्लाक़ से इंसान बच जाता है। इस हुक्म के साथ ही फ़रमाया है कि इस हुक्म के साथ तुम तंहा नहीं हो, बल्कि तुम से अगलों को भी रोज़ों का हुक्म था। इस बयान से यह भी मक्सद है कि यह उम्मत इस फ़र्ज के पूरा करने में अगली उम्मतों से पीछे न रह जाए।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 32, सूर: बकर: के तेईसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो बन्दा किसी दिन खुदा की राह में (यानि खुदा की खुश्नूदी के लिए) रोज़ा रखता है, खुदा उस के बदले में उसको सत्तर साल की दूरी के बराबर दोज़ख़ से दूर कर देता है।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 186, हदीस 1165, बाब 336, रोज़ोंका बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 327, हदीस 1524, जिहाद का बयान।

हदीस - हज़रत सल्ल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया-

जन्नत में एक दरवाज़ा है उसे रय्यान कहते हैं, उस दरवाज़े से क़ियामत के दिन रोज़ेदार दाख़िल होंगे, उन के सिवा कोई नहीं दाख़िल होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहां हैं ? पस वे उठ खड़े होंगे, उन के सिवा कोई उस दरवाज़े में दाख़िल न होगा। फिर जिस वक़्त वे दाख़िल हो जाएंगे, दरवाज़ा बन्द कर लिया जाएगा, गरज़ उस दरवाज़े से कोई दाख़िल न होगा।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1. पारा 7, पृ० 424, हदीस 1751, रोज़े का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 186, हदीस 1164, बाब 335, रोज़े का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 151, हदीस 683, रोज़े का बयान।

मेरे मुख़्लिस मोह्सिन किताब पढ़ने वाले ! रोज़ा रखने में क्या खर्च करना पड़ता है ?

एक पैसा भी खर्च नहीं होता और जन्नत का वायदा हो रहा है। मेरे भोले भैया! जन्नत मुफ्त में मिलती है।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अहज़ाब के नवें रकूअ में आयत न० 70-71 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और जब बात करो, सही करो, तुम्हारे आमाल को सही कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जो इंसान अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलेगा, वह बड़ी कामियाबी को पहुंचा।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को अपने तक्वे की हिदायत करता है। उन से फ़रमाता है कि इस तरह वे उस की इबादत करें कि गोया उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं और बिल्कुल सीधी, ऐंच-पेंच के बगैर, सच्ची और भली बात बोला करें। जब वे दिल में तक्वा, जुबान पर सच्चाई अपना लेंगे तो उस के बदले में अल्लाह तआला उन्हें नेक अमल की तौफ़ीक़ देगा और उनके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, बल्कि आइंदा के लिए भी इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ देगा। ताकि गुनाह बाकी न रह जाएं। खुदा -रसूल के फ़रमाबंदार सच्चे कामियाब हैं, जहन्नम से दूर और जन्नत से सरफ़ाज़ हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 39, सूर: अहज़ाब के नवें रकूअ की तफ़्सीर में। मेरे भाई साहब! आप बताएं कि सच बोलने में क्या खर्च करना पड़ता है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता और जन्नत के करीब हो जाता है और जहन्नम के लिए झूठ बोलो और एक झूठ को छिपाने के लिए दस झूठ बोलो और झूठ बोलने की वजह से झगड़े-फ़साद होते रहते हैं और अदालत के चक्कर खाने पड़ते हैं। दुनिया भर की परेशानियां उठाओ और अपने आराम का वक़्त भी बर्बाद करो और पैसा भी खर्च करो, तब जहन्नम मिलती है।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जो औरत पांचों वक़्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के महीने के रोज़ रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे, अपने शौहर की इत्ताअत करे, उस को अख़्तियार है, जन्नत के जिस दरवाज़े से जाना चाहे, चली जाए।

हवाला 1. मिशक़ात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 509, हदीस 3093, औरतों के हुक्क़ का बयान,
2. मजाहिरे हक़ जिल्द 3, पृ० 176, औरतों के हुक्क़ का बयान।

मेरी मां साहिबा ! ज़रा सोचो, इन कामों के करने में क्या खर्च करना पड़ता है। एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और जन्नत के आठों दरवाज़े तेरे लिए वाजिब करार दे दिये गये हैं। मेरी मां साहिबा ! जन्नत तो मुफ्त में मिलती है।

जन्नत में जाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत ही आसान तरीका बता दिया है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। पांच

वक्त की नमाज़ पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर मालदार हो तो माल की ज़कात दो और पूरी ज़िन्दगी में एक बार हज करो, पस आप जन्नती हो गये और जहन्नम में जाने के लिए रस्म व रिवाज और बिदअतों पर अमल करो। दुनिया वालों से लड़ाई-झगड़ा भी करो और दौलत भी खर्च करो और दुनिया भर की परेशानियां उठाओ, तब रस्म व रिवाज और बिदअतें निभती हैं और जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के साथ शिर्क न करो और नमाज़ पढ़ो और रोज़े रखो, जिस में एक पैसा भी खर्च नहीं होता और न किसी से झगड़ना पड़ता है और न किसी से तू-तू मैं-मैं करने की नौबत आती है।

ला इला-ह इल्लल्लाह

कुरआन हकीम के तेईसवें पारे में सूर: साफ़ात के दूसरे रूकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।

हदीस - हज़रत उम्मेहानी रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि रसूले अन्वर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘कलिमा ‘ला इला-ह इल्लल्लाहु’ से बढ़ कर कोई कलिमा नहीं है, इस से कोई गुनाह बाकी नहीं रहता।

हवाला - इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 566, हदीस 3795, कलिमा की फ़ज़ीलत।

जब यह कलिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुनिया वालों के सामने रखा, तो ज़िद और गुस्से में आ कर और बौखला कर बातिल परस्तों ने कहा-

कुरआन शरीफ़ के 23 वें पारे में सूर: साफ़ात के दूसरे रूकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और कहने लगे कि क्या हम अपने माबूदों को एक शायर और पागल के कहने पर छोड़ देंगे?

यह उस रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर टाइटिल लगाया जा रहा है, जिस को अल्लाह तआला ने सारी मख़्लूक में बेहतरीन से बेहतरीन बताया है। आप को जादूगर कहा गया, आप को शायर कहा गया, आप को मआज़ल्लाह! पागल कहा गया। जब ये लफ़्ज उन बातिलपरस्तों ने अदा किये तो उन का जवाब खुदा -ए-करीम ने इन लफ़्जों में दिया-

कुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में सूर: तूर के दूसरे रूकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - आप समझाते रहिए, क्योंकि आप अल्लाह तआला के फ़ज़ल से न तो काहिन हैं, न मजनू हैं।

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तारीफ़ में कुरआन करीम भरा हुआ है। ऐसा रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो सारी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा गया है, उन जाहिलों को पागल नज़र आ रहा था। इस की वजह यह थी कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पागल न कहते, तो आप की बात माननी पड़ती और जहालत को छोड़ना पड़ता, बिल्कुल इसी तरह बातिल परस्त आज हक़ परस्तों को वह्हाबी कह कर हक़ बात को टाल रहे हैं। अगर लह्हाबी, लह्हाबी न कहें, तो उन को कुरआन व हदीस को मानना पड़ता है। नफ़सानियत और जहालत को दुनिया में बाहाल रख कर अपनी नफ़सानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हक़परस्तों को बुरा कहना लाज़िमी चीज़ है। अगर हक़परस्तों को बुरा न कहें, तो उन के रस्म व रिवाज निभ नहीं सकते बल्कि उन को तर्क करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह तआला जिन को हिदायत देना चाहते हैं, वे सीधे रास्ते पर आ जाते हैं और तमाम रस्म व रिवाज से भी तौबा कर लेते हैं।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

सुब्हानल्लाह कहना भरता है तराजू के आधे पलड़े को (यानी आमालनामे की तराजू के पलड़े को) और अल्हम्दु लिल्लाह कहना भरता है सारी तराजू को और 'लाइला-ह इल्लल्लाह' कहने वाले के लिए खुदा तक पहुंचाने के लिए कोई परदा हायल नहीं है, वह सीधा खुदा तक पहुंचता है।

- हवाला**
1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 381, हदीस 2188, तस्बीह, तह्मीद तहलील और तक्बीर की फ़ज़ीलत,
 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 280, तस्बीह, तह्मीद तहलील और तक्बीर की फ़ज़ीलत।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

क़ियामत के दिन जिन लोगों की मैं शफ़ाअत करूंगा, उन में ज़्यादा खुशनसीब वह आदमी होगा, जिसने ख़ालिस दिल से 'लाइला-ह इल्लल्लाहु' कहा होगा-

- हवाला**
1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 809, हदीस 5308, हौजे कौसर और शफ़ाअत का बयान,
 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 392, हौजे कौसर और शफ़ाअत का बयान।

हदीस - हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिस आदमी का आखिरी कलाम 'लाइला-ह इल्लल्लाहु' होगा, वह जन्नत में दाखिल होगा।

- हवाला** 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 284, हदीस 1527, जांकनी के वक्त तल्कीन के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 31, जांकनी के वक्त तल्कीन के बयान में।

इस कलिमा-ए-शरीफ़ को जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुनिया में फैलाया तो जिस को कुबूल करना था उसने कुबूल किया और जिस को कुबूल नहीं करना था, नहीं किया, मगर हम को यहां यह बताना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ल्बे मुबारक में 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहने वाले के लिए किस क़दर मुहब्बत थी और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दावा करने वालों के दिल में 'लाइला-ह इल्लल्लाहु' कहने वालों के लिए कितनी मुहब्बत है? इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए।

हदीस - हज़रत अबू मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिसने लाइला-ह इल्लल्लाह कहा और उन माबूदों का इंकार कर दिया, जिन की खुदा के सिवा इबादत की जाती है, उसने अपने माल व जान को मुझे से बचा लिया और उस के इकरार की हकीकत का हिसाब लेना खुदा पर है।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 12, बाब 7, किताबुल ईमान।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझ को लोगों से उस वक्त तक लड़ने का हुकम दिया गया है, जब तक वे ला इला-ह इल्लल्लाह न कहें, लेकिन जब ला इला-ह इल्लल्लाह कह लें, तो उन्होंने अपनी जान व माल को मुझसे बचा लिया, मगर किसी शरई हक़ के बारे में किसास (यानि बदला देना) होगा और ऐसे आदमी का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है, वही उस का हिसाब लेगा।

- हवाला** 1. सही बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 3, पारा 28, पृ० 420, हदीस 1815, बाबुल मुर्तद,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 94, हदीस 467, अब-वाबुल ईमान,
3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 586, हदीस 3921, बाबुल फ़िल्ना।

हदीस - हज़रत मिक्दाद बिन अम्र कुन्दी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा, आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी काफ़िर से लड़ूं और हम ख़ूब लड़ें और वह मेरा एक हाथ तलवार से उड़ा दे, फिर मुझ से (डर कर) एक पेड़ की पनाह ले ले और कहे कि मैं खुदा पर (ईमान और) इस्लाम ले आया, उसको इस इकरार के बाद मारूं (या नहीं)? आपने फ़रमाया, उसको मत मारो। हज़रत मिक्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! उसने मेरा हाथ काट दिया है, फिर काटने के बाद यह कलिमा कहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उसे हरगिज़ न मारो। अगर तूने उसे मार दिया, तो वह तेरी जगह गिना जाएगा, जैसा कि

तू उस के मारने से पहले था और तू उस की जगह गिना जाएगा जैसे वह इस कलिमा के कहने से पहले था।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 303, हदीस 1182, किताबुल मगाजी।

हदीस - हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक फ़ौज़ के साथ भेजा, हम (रवाना) होकर सुबह ही सुबह कबीला जुहैना की आबादियों के करीब पहुंच गये। मैंने एक आदमी को जा पकड़ा, उसने फ़ौरन 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कह दिया। मैंने उस को नेज़ा मारा और क़त्ल कर दिया। उस के बाद मेरे दिल में अफ़सोस पैदा हुआ कि तू ने यह काम अच्छा नहीं किया। वापस पहुंच कर मैं ने उसका ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कहने के बाद भी तुमने उस को मार डाला? मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! उसने हथियारों के डर से ला इला-ह इल्लल्लाह कहा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों न देखा कि उसने यह कलिमा दिल से कहा था या हथियारों के डर से? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बार-बार मेरे सामने ये लफ़ज़ दोहराते रहे, मेरे दिल में यह आरजू पैदा हुई कि काश! मैं आज ही मुसलमान हुआ होता।

- हवाला**
1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 78, बाब 38, किताबुल ईमान,
 2. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2 पारा 17, पृ० 367, हदीस 1399, किताबुल मगाजी,
 3. सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 पृ० 17, हदीस 79 में इतना और ज़्यादा है कि कियामत के दिन, ऐ उसामा! तुम उसके 'ला इला-ह इल्लल्लाह' का क्या जवाब दोगे? यह इबारत तफ़ीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 101, सूः अनफ़ाल के पांचवें रुकूअ की तफ़सीर में भी है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपने मरने वाले को ला इला-ह इल्लल्लाह की गवाही की तल्कीन करो। मौत के वक़्त जिसने इसे कह लिया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गयी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जिसने ज़िन्दगी में कह लिया? आपने फ़रमाया, उस के लिए और ज़्यादा वाजिब हो गयी। क़सम खुदा की जिस के हाथ में मेरी जान है कि ज़मीन व आसमान और उन की और उन के दर्मियान की और उन के नीचे की तमाम चीज़ें तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इला-ह इल्लल्लाह की गवाही दूसरे पलड़े में रखी जाए, वह इन सब से वज़न में बढ़ जाएगी।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 16, पृ० 52, सूः मरयम के छठे रुकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिस आदमी ने इस एतकाद पर वफ़ात पायी कि खुदा के सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है (यानि मरते वक़्त ला इला-ह इल्लल्लाह कहा तो) वह जन्नत में दाख़िल होगा।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 9, हदीस 14, बाब 9, किताबुल ईमान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अपनी जुबान काबू में रख, किसी को बुरा कहने से चुप रहना ही बेहतर है।

तेरा यह कलिमा, जो तू ने जुबान से ला इला-ह इल्लल्लाह कहा है, वह तुझ को कब और किस वक़्त और किस हालत में काम आ सकता है, इस का जवाब हज़रत सय्यिदुना अब्दुल कादिर जीलानी रमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं।

जब तूने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा कि कोई माबूद नहीं, अलावा अल्लाह के, तो (तौहीद का) दावेदार बन गया। अब कहा जाएगा, बता कोई तेरा गवाह भी है? वह गवाह क्या है? हुकम मानना, मना की गयी चीज़ों से बाज़ रहना, मुसीबतों पर सब्र करना और तक्दीर के सामने गरदन झुकाना, ये इस दावे के गवाह हैं और यह भी हक़ तआला के लिए इख़्लास के बग़ैर मक्बूल न होंगे, क्योंकि कोई कौल कुबूल नहीं होता बिना अमल के और कोई अमल मक्बूल नहीं होता बग़ैर इख़्लास और सुन्नत की मुवाफ़क़त के।

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी पृ० 31, मज्लिस 2

हज़रत सय्यिदुना अब्दुल कादिर जीलानी रमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

तुझ पर अफ़सोस है कि तेरी जुबान मुसलमान है, मगर दिल मुसलमान नहीं तेरा कौल मुसलमान है, मगर अमल मुसलमान नहीं, तू अपनी जलवत में मुसलमान है, मगर ख़लवत में मुसलमान नहीं।

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 36, मज्लिस 3।

मुहम्मदुरसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: फ़तह के चौथे रकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक फौज नज्द की तरफ़ ख़ाना फ़रमायी। उस फौज के लोग कबीला बनू हनीफ़ा के एक आदमी को पकड़ लाए, जिस का नाम समामा बिन उसाल था और जो शहर यमामा के लोगों का सरदार था। लोगों ने उस को मस्जिदे नबवी के एक सतून से बांध दिया।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस के पास तशरीफ लाये तो पूछा, समामा तेरा क्या हाल है? या तू क्या ख्याल रखता है कि मैं तेरे साथ किस किस का सुलूक करूंगा? समामा ने कहा, मुहम्मद! मेरे पास माल व दौलत है, अगर तुम मुझ को कत्ल करोगे, तो एक ऐसे आदमी को कत्ल करोगे, जो खून करने की वजह से कत्ल का हकदार है या तुम मुझ को कत्ल करोगे, तो ऐसे आदमी को कत्ल करोगे, जिस का खून बेकार नहीं जाएगा, (बल्कि मेरी कौम मेरे खून का बदला लेगी) और अगर बख्शिश करोगे, तो ऐसे आदमी पर करोगे जो शुक्र गुज़ार और क़दरदान है। (यानि उस का बदला तुम को दिया जाएगा।) अगर तुम माल के ख्वाहिशमंद हो तो, जो मांगोगे, दिया जाएगा। (यह सुन कर) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस को उसके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा, समामा क्या हाल है? उसने कहा, मैं फिर वही कहता हूँ जो कह चुका हूँ यानी अगर इनाम करोगे (यानी मुझ को छोड़ दो) तो एहसान व इकराम करोगे क़दरदान पर और अगर कत्ल करोगे तो कत्ल करोगे खून वाले को और अगर माल के ख्वाहिशमंद हो, तो जिस क़दर चाहोगे दिया जाएगा। उस दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस को उस के हाल पर छोड़ दिया। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर उस से पूछा, समामा! क्या बात है? उसने कहा, वही बात है, जो मैं आप से कह चुका हूँ, यानी अगर बख्शिश करोगे, तो बख्शिश करोगे क़दरदान पर और कत्ल करोगे तो कत्ल करोगे खून वाले को और अगर माल चाहते हो तो जिस क़दर मांगोगे, दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों से फ़रमाया समामा को छोड़ दो। चुनांचे उस को सतून से खोल दिया, वह मस्जिद से निकला और खूज़ूर के पेड़ों में चला गया, जो मस्जिद के करीब थे और वहां से गुस्ल कर के फिर मस्जिद में आया और कहा, मैं गवाही देता हूँ (यानी सच्चे दिल से इकरार करता हूँ) कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुदा के बन्दे और खुदा के रसूल हैं-ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! खुदा की क़सम! रू-ए ज़मीन पर तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ मेरे नज़दीक कोई चेहरा न था, लेकिन अब आप का चेहरा सारी दुनिया के चहरों से मुझको ज़्यादा महबूब है और क़सम है खुदा की! मेरे नज़दीक तुम्हारे दीन से ज़्यादा नफ़रत भरा कोई दीन न था, लेकिन अब आप का दीन सारे दीनों से ज़्यादा मुझ को पसन्द है और क़सम है अल्लह की, मेरे ख्याल में तुम्हारे शहर से ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ कोई शहर नहीं था, लेकिन अब आप का शहर मुझे सारे शहरों से ज़्यादा महबूब है। (ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) मैं उमरे का इरादा रखता था कि आप की फौज ने मुझ को गिरफ्तार कर लिया, अब आप मुझको क्या हुक्म देते हैं? आप ने उसको खुशबरी दी कि (इस्लाम कुबूल करने की वजह से उस के सारे गुनाह बख्श दिये गये) और फिर हुक्म दिया कि वह उमरा कर ले, फिर जब समामा मक्का में आया, तो किसी आदमी ने उस से कहा, क्या तू बे दीन हो गया? उसने कहा, नहीं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाया

हूँ, बद दीन नहीं हुआ हूँ। कसम है खुदा की! अब यमामा से तुमको गेहूँ का एक दाना भी नहीं भेजा जाएगा, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इजाजत न दें।

हवाला

1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 46, हदीस 225, बाब 84, किताबुल जिहाद,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 603, हदीस 3764, कैदियों के अहकाम के बयान में,
3. मजाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 418, कैदियों के अहकाम के बयान में।

यह समामा रज़ियल्लाहु अन्हु जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दूर थे, आप की हर चीज़ बुरी नज़र आ रही थी, लेकिन जब करीब आए, तो हर चीज़ भली नज़र आने लगी।

मेरे मोह्तरम ! आप जिन लोगों को बुरा समझ रहे हैं, अगर उनके करीब जाएंगे तो इन्शाअल्लाह वे भले ही भले नज़र आएंगे।

हज़रत समामा रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का जाते हैं, तो मक्का वालों ने हज़रत समामा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ऐ समामा! तू बे-दीन हो गया। इस से आप अन्दाजा लगा लें कि हर ज़माने में बातिल परस्तों को हक़ परस्त बे-दीन ही नज़र आते हैं और यही हालत आज हिन्दुस्तान में रहने वालों की है।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सारी दुनिया में एक आदमी भी आप को ऐसा नहीं मिलेगा जो कलिमा तैबिया सच्चे दिल से यकीन के साथ पढ़ने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुश्मनी रखता हो, मगर सिर्फ़ मुहब्बत काम नहीं दे सकती, शरीअत पर अमल करने की भी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत मुहब्बत करते थे, लेकिन आप की लायी हुई शरीअत पर ईमान और अमल नहीं था, तो जन्नत से महरूम रह गये।

हदीस

- हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि- मेरी कुल उम्मत जन्नत में दाख़िल होगी, मगर जो इंकार करेगा (वह जन्नत में दाख़िल न होगा), पूछा गया, वह कौन है जिसने इंकार किया? फ़रमाया, जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने मेरा इंकार किया, (और वह जन्नत में दाख़िल नहीं होगा)

हवाला

1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 510 हदीस 2141, किताबुल एतसाम,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 105, हदीस 134, सुन्नतों का बयान,
3. मजाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 69, किताबुल ईमान।

हदीस

- हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

कसम है उस की, जिस के कब्जे में मेरी जान है कि इस उम्मत में से जो आदमी भी हो, चाहे नसरानी (ईसाई) हो, चाहे यहूदी हो, मेरी नुबूवत की ख़बर पाएगा और मेरी लायी हुई

शरीअत पर ईमान लाए बगैर मर जाएगा, वह यकीनन जहन्नमी है।

- हवाला** 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 28, हदीस 140, बाब 63, किताबुल ईमान,
2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 4, सूः हूद के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

ऊपर की हदीसों तो आपने इताअत यानी पैरवी और फ़रमांबरदारी के बारे में सुनी। आइए, अब मुहब्बत के बारे में भी हदीसों सुनिए।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे और आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप मुझको सिवाए मेरी जान के हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, नहीं ऐ उमर! कसम है उस ज़ात की, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब तक तू अपनी जान से भी ज़्यादा मुझको प्यारा न समझेगा (तब तक तेरा ईमान कामिल न होगा)। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बेशक अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हां, अब ऐ उमर! (तुम्हारा ईमान कामिल हुआ।)

हवाला -सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3; पारा 27 पृ० 351, हदीस 1538, बाबुनुजुर।

हदीस -हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

कोई बन्दा या कोई आदमी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक मैं उसकी नज़र में उस के बाल बच्चे, माल और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब और प्यारा न हो जाऊं।

- हवाला** 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 26, बाब 14, किताबुल ईमान,
2. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 43, हदीस 70, राय और क़ियास का बयान।

मेरे दोस्तों! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत और आप के हुक्म की ताबेदारी दोनों बातें होनी चाहियं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जैसी मुहब्बत हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से थी, वैसी ही मुहब्बत आप की लायी हुई शरीअत पर अमल करने से भी थी।

हदीस हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, तो आपने (उस के हाथ से) उतार कर फेंक दी और फ़रमाया कि क्या आदमी जान बूझ कर आग का अंगारा उठा कर अपनी हथेली पर रख सकेगा? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ ले गये, तो उस आदमी से कहा गया कि अपनी अंगूठी उठा ले और उस से नफ़ा हासिल कर। उस आदमी ने कहा, जिस चीज़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फेंक दिया, मैं उस को कभी न उठाऊंगा।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 473, बाब 227, किताबुल्लिबास।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवायी थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस को पहनते, तो उस का नग अन्दर कर लेते और लोगों ने आपकी अंगूठी देख कर अंगूठियां बनवा लीं। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर बैठ कर अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और फ़रमाया, मैं इस अंगूठी को पहना करता था और इस का नग हथेली की तरफ़ रखता था। यह फ़रमा कर आपने अंगूठी को फेंक दिया और फ़रमाया, 'खुदा की क़सम! अब मैं इस को कभी नहीं पहनूंगा।' यह देख कर लोगों ने अपनी अपनी अंगूठियों को फेंक दिया।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 474, बाब 227, लिबास के बयान में।

सहाबा किराअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जितना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानते थे, उतना ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म को भी मानते थे और आज हमारे में ज्यादातर मुसलमान ऐसे हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तो मानते हैं, लेकिन आप के हुक्म को नहीं मानते।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैतुल मक्दिस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ते थे और यहूद व नसारा भी बैतुल मक्दिस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ते थे, तो इस हालत में यह तमीज़ करना मुश्किल था कि इन में मुसलमान कौन है और यहूदी व नसारा कौन हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमन्ना थी कि अल्लाह तआला काबे को क़िब्ला बना दे, तो हम काबा की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ें, ताकि मुसलमान और यहूद व नसारा (ईसाई) दोनों में फ़र्क हो जाए, तो इर्शाद होता है-

कुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बकर: के सत्तरहवें रकूअ में आयत न० 144 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है -

तर्जुमा - हमने तेरे मुंह (मुबारक) को आसमान की तरफ़ बार-बार उठाना देखा। अब हम तुझे उस क़िब्ले को जानिब हुक्म करेंगे, जिससे आप खुश हो जाएं, तो अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ़ फेर ले और तुम जहां कहीं भी हो, अपना मुंह उसी की तरफ़ किया करो।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इस हाल में कि लोग मक़ामे कुबा में सुबह की नमाज़ में थे (और उन के मुंह बैतुल मक्दिस की तरफ़ थे) कि एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आज की रात एक आयत नाज़िल की गयी है और आप को हुक्म दिया गया है कि काबे की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ें, पस (इतना सुनते ही) सब लोगों ने काबा की तरफ़ मुंह कर लिये, वरना उन के मुंह शाम की तरफ़ (यानी बैतुल मक्दिस की तरफ़) थे, तो वे काबा की तरफ़ फिर गये।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 107, हदीस 387, नमाज़ के बयान में।

यह थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानने वाले, यानी सलाम फेरने तक इन्तिज़ार नहीं किया, बल्कि फौरन उसी वक़्त नमाज़ की हालत में ही घूम गये और यह भी

नहीं पूछा कि कहने वाला सनद वाला है या गैर-सनद वाला, देवबन्द का रहने वाला है या बरेली का, कहने वाला शीआ था या सुन्नी था या हब्शी था, मालदार था या गरीब था, गुलाम था या आज़ाद था, यह कुछ भी नहीं पूछा और देखा तो सिर्फ़ इतना देखा कि हुक्म किस का था।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बकर: के इक्कीसवें रकूअ में आयत 177 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - सारी भलाई मशिरक व मग़िब की तरफ़ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन भला वह आदमी है, जो अल्लाह तआला पर, क़ियामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो जो उस की मुहब्बत में माल खर्च करे, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आज़ाद करे, नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदाएंगी करे, जब वायदा करे, उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख-दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं।

मोमिनों को पहले तो हुक्म हुआ कि वह बैतुल मक़िदस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ें, फिर उन्हें काबा की तरफ़ घुमा दिया गया, जो अहले किताब पर और कुछ ईमान वालों पर भी बोझ गुज़रा, पर अल्लाह तआला ने उसकी हिक्मत बयान फ़रमायी कि असल मक़सद इताअते फ़रमाने खुदा है। वह जिधर मुंह करने को कहे कर लो। असल तक्वा, असल भलाई और कामिल ईमान यही है कि मालिक के ज़ेरे फ़रमान रहे। अगर कोई मशिरक की तरफ़ मुंह कर ले या मग़िब की तरफ़ मुंह फेर ले और खुदा का हुक्म न हो तो वह इस तवज्जोह से ईमानदार नहीं हो जाएगा, मगर हकीकत में बा-ईमान वह है, जिस में वे औसाफ़ हों, जो इस आयत में बयान हुए।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 24, सूर: बकर: के इक्कीसवें रकूअ की तफ़सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मुबारक पर अमल। अब आप भी अगर अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं और हकीकत में आप सच्चे आशिक हैं, तो गुस्सा को, ज़िद को और नफ़सानियत को छोड़ कर अपनी ईमानदारी के साथ इस किताब के एक एक मसूअले पर दिल से गौर करना और फिर इन्साफ़ के साथ फैसला करना कि सच क्या है ? मैं आप से दौलत नहीं मांगता, सिर्फ़ ईमानदारी के साथ इन्साफ़ मांगता हूँ और वह भी आप की भलाई के लिए कहता हूँ कि शरीअत पर अमल करो और जहालत को छोड़ दो।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से/रिवायत है कि मैं एक दिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर लोगों को शराब पिला रहा था, उस दिन उसके हराम होने का हुक्म उतरा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को मुनादी करने का हुक्म फ़रमाया, वह मुनादी करता फिरता था। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझ से कहा, बाहर जाकर तो देख, यह कैसी आवाज़ है? मैं बहार आया ! मैंने सुना कि एक आदमी मुनादी कर रहा है, ख़बरदार हो जाओ, आज से शराब हराम कर दी गयी। मैंने यह अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा,

उन्होंने कहा, जाओ जो शराब रखी है, उसे फेंक दो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन मदीना शरीफ़ा की तमाम गलियों में शराब बही-बही फिर रही थी।

हवाला

1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 469, हदीस 1722, सूर: माइदा की तफ़्सीर में।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 87, हदीस 387, बाब 185, बाबुल अशिरब:।

मेरे मोह्तरम दोस्त ! ये लोग थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानने वाले। जब सुना कि आज से शराब हराम कर दी गयी है, तो जिस के हाथ में थी, उस के हाथ में ही रह गयी और जिसके होंठों पर थी, उस के होंठों पर ही रह गयी और जिसके मुंह में थी, उसके मुंह में ही रह गयी, हलक़ से नीचे न उतरी, हालांकि यह शराब उन लोगों को इतनी प्यारी थी कि उस के गीत गाये जाते थे और घर में शराब के मटकों के मटके भरे हुए थे, मगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुर्मत का एलान किया, तो उन तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, जिन के घरों में शराब रखी हुई थी, मटकों के मटके औंधे कर दिये और तमाम शराब फेंक दी। उस वक़्त मदीने की गलियों में शराब इस तरह बहती फिर रही थी, जैसे कि बरसात का पानी गलियों में बहता फिरता है।

कुरआन मजीद के सातवें पारे में सूर: माइदा के बाहरवें स्कूअ में आयत न० 90, 91, 92 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! शराब और जुआ और बुत और पांसे, ये सब नापाक काम और आमाल शैतान से हैं। तुम इन से बचते रहना, ताकि निजात पाओ। शैतान तो चाहता है कि शराब और जुवे की वजह से तुम्हारे अन्दर आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें खुदा की याद से रोक दे नमाज़ से रोक दे, तो तुम को इन कामों से बाज़ रहना चाहिए और खुदा की फ़रमांबरदारी और रूसल सल्ल० की पैरवी करते रहो और डरते रहो और अगर मुंह फेरोगे तो जान लो कि हमारे पैग़म्बर सल्ल० के जिम्मे तो सिर्फ़ पैग़ाम पहुंचा देना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आम शराब और जुआ और गेहूं की शराब और शतरंज और चौसर, गाने-बजाने के आले (सामान) सब हराम कर दिये हैं और सिर्फ़ मुझ पर सलाते वित्र वाजिब फ़रमायी है।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा सातवां, पृ० 11, सूर: माइदा के बारहवें स्कूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, कि शराब के दस मुताल्लक़ात, पर लानत, खुद शराब पर लानत, पीने और पिलाने वाले पर लानत बेचने वाले और खीदने वाले पर लानत, शराब निचोड़ने वाले, शराब बनाने वाले, शराब उठा कर ले जाने वाले और जिस की तरफ़ ले जा रहा हो, उस पर और शराब की कीमत खाने वाले, उन सब पर लानत।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 12 सूः माइदा के बारहवें रूकूअ की तफ्सीर में।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूः नूर के नवें रूकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है।

तर्जुमा - अब जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं, उन को इस से डरना चाहिए कि उन पर कोई आफत आ पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अज़ाब नाज़िल हो जाए।

जो लोग रसूलुल्लाह अलैहि व सल्लम का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरअ या रसूल के हुक्म के खिलाफ करें, वे सज़ायाब होंगे। इंसान को अपने कौल व फैल रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों और हदीसों से मिलाने चाहिए, जो मुवाफिक हों, अच्छे हैं, जो मुवाफिक न हों, मर्दूद हैं।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 86, सूः नूर के नवें रूकूअ की तफ्सीर में।

अफ़सोस, आज शराब की भट्ठियां चल रही हैं, तो मुसलमानों की और जुए के अइडे चल रहे हैं तो मुसलमानों के और बुतपरस्ती के ठेकेदार हैं, तो मुसलमान ही और दावा करते हैं रसूल की मुहब्बत का।

कलिमा-ए-तय्यिबः

‘ला इला-ह इल्लल्लाह’

(नहीं कोई माबूद सिवा-ए-अल्लाह के)

‘मुहम्मदुर रसूलुल्लाह’

(मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं)

यह वह पाक कलिमा है, जिस को सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ जब कोई आदमी पढ़ता है, तो क्या से क्या हो जाता है। इस कलिमा-ए-पाक के पढ़ने से पहले मुश्रिक था, अब मुसलमान हो जाता है, पहले जहालत में था, अब शरीअत में आ जाता है, पहले गुमराह था, अब हिदायत पाया हुआ समझा जाता है। इस पाक कलिमे के पढ़ने वालों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दिल में किस क़दर इज़्ज़त थी और हमारे दिल में इस पाक कलिमे के पढ़ने वालों के लिए कितनी इज़्ज़त है, इस का आप खुद ही इन्साफ़ कर लेना।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस हाल में कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे थे, आपने फरमाया कि ऐ मुआज़ बिन जबल ! उन्होंने अर्ज किया लब्बैक, या रसूलल्लाहु अलैहि व सल्लम ! फिर आपने फरमाया, ऐ मुआज़ ! उन्होंने अर्ज किया कि लब्बैक या रसूलल्लाहु अलैहि व सल्लम ! तीसरी मर्तबा (ऐसा ही कहा, फिर) आपने फरमाया, ऐ मुआज़ ! जो कोई अपने सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि सिवाए

खुदा के कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तआला उस पर (जहन्नम की) आग हराम कर देता है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या मैं लोगों को इसकी ख़बर कर दूँ ? ताकि वे खुश हो जाएं। आपने फ़रमाया कि इस वक़्त (जब कि तुम ख़बर कर दोगे) तो लोग इसी पर भरोसा कर लेंगे (और शरीअत पर अमल नहीं करेंगे)।

मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस अपनी मौत के वक़्त गुनाह के डर से बयान कर दी, (क्योंकि हदीस को छिपाना भी गुनाह है।)

- हवाला**
1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 45, हदीस न० 124, किताबुल इल्म,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 10, हदीस 18 बाब 9, किताबुल ईमान,
 3. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 85, हदीस 22, ईमान का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 32, ईमान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क़ियामत के दिन इन सब लोगों में से ज़्यादा बहरामन्द (यानी फ़ायदा उठाने वाला) आप की शफ़ाअत से कौन होगा? रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक मुझे ख़्याल था, ऐ अबूहुरैरह (रज़ियल्लाहु अन्हु!) कि तुम से पहले कोई यह बात मुझ से ने पूछेगा, इसलिए कि मैं ने तुम्हारी हिर्स हदीस (के मालूम करने) पर देख ली। सब के ज़्यादा बहरामन्द मेरी शफ़ाअत से क़ियामत के दिन वह आदमी होगा, जो अपने ख़ालिस दिल से या ख़लिस जी से 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्दुरसूलुल्लाह' कह दे।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 37, हदीस 97, किताबुल इल्म।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला मेरी उम्मत में से एक आदमी को चुन कर अलग कर देगा और उस पर निन्नान्वे दफ़्तर गुनाहों के खोल देगा। हर दफ़्तर इतनी-इतनी दूर तक होगा, जितनी दूर तक निगाह जाती होगी। फिर हक़ सुब्हानहू व तआला फ़रमाएगा, क्या इन में से तुझे किसी (गुनाह) से इंकार है? यह तेरे सामने तेरे आलामनामे हैं, इनको देख ले, क्या मेरे लिखने वाले मुहाफ़िज़ों (यानी किरामन कातिबीन) ने तुझ पर कोई जुल्म किया है? वह अर्ज करेगा, नहीं, ऐ परवरदिगार! (जो कुछ लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है) फिर इर्शाद होगा, अच्छा, तेरा कोई उज़्र है? वह अर्ज करेगा, नहीं ऐ परवरदिगार! (मेरा कोई उज़्र नहीं!) फिर फ़रमाने इलाही होगा, मेरे पास तेरी एक नेकी है और यह बिल्कुल यकीनी (बात) है कि आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। इतने में एक कपड़े में लिपटा हुआ एक परचा निकाला जाएगा, जिस में लिखा होगा-

'अशहदु अल-ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू'

अल्लाह तआला उस से फ़रमायेगा कि अपनी मीज़ान के पास हाज़िर हो। वह अर्ज़ करेगा! भला इन दफ़्तरों के मुक़ाबले में इस परचे की क्या हकीकत है? अल्लाह तआला फ़रमायेगा, हां आज तुझ पर कोई जुल्म न किया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि उस के तमाम दफ़्तर एक पलड़े में रखे जाएंगे और वह परचा दूसरे पलड़े में रखा जाएगा और रखते ही दफ़्तरों वाला पलड़ा ऊंचा हो जाएगा और परचे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह तआला के नाम के मुक़ाबले में कोई चीज़ भी भारी नहीं होती।

- हवाला** 1. तिर्मिज़ी, शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 499, किताबुल ईमान,
2. इब्नेमाजा शरीफ़ पृ० 652, हदीस 4297, परहेज़गारी का बाब,
3. तफ़्सीरे इब्नेकसीर, पारा 17, पृ० 14, सूः अंबिया के चौथे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं शहादत (गवाही) देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद इबादत के काबिल नहीं, फिर यह शहादत देता हूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ। जो आदमी इन दोनों ब्रातों पर सच्चा एतकाद रखता हो और खुदा की वह्दानियत और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत में किसी किस्म का शक और शुब्हा उस को न हो, वह मरने के बाद ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। (मुत्तसर)

हवाला - हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जिस आदमी ने खुदा को अपना परवरदिगार, इस्लाम को अपना दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना नबी मान लिया, उस ने ईमान का मज़ा चख लिया।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 10 हदीस 19, बाब 9, किताबुल ईमान।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे! ईमान के साथ-साथ शरीअत पर अमल की भी ज़रूरत होती है और जो लोग अमल से ग़फ़िल होते हैं, तो ऐसे लोगों में गुमराही और बे-दीनी फैल जाती है। शैतान के फदे में ग़फ़िल लोग ही फंसते हैं।

जो लोग कलिमा पढ़ते हैं, उन से हज़रत सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

तू दुनिया में रहने और यहां के मज़े उड़ाने के लिए नहीं पैदा हुआ, हक़ तआला की नाराज़ियों में जिस हालत में तू मुब्तला है, उस को बदल, तू ने अल्लाह की इताअत में सिर्फ़ 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' कह लेने पर क़नाअत कर ली है, हालांकि जब तक उस के साथ दूसरी चीज़ (यानी अमल को) न मिलायेगा, यह तुझ को नफ़ा न देगा। ईमान मजमूआ है कौल का और अमल का, ईमान न मक़बूल होगा और न मुफ़ीद जब तक तू मासियतों और लज़ि़शों और हक़ तआला की मुख़ालफ़त का मुर्तकिब होगा और उस पर अड़ा रहेगा, अगर नमाज़,

रोजा और सद्का और नेकियां छोड़ेगा, तो वहदानियत व रिसालत की सिर्फ गवाही क्या नफा देगी?

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 32, मज्लिस 2

कुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूर: आले इम्रान के नवें रूकूअ में आयत न० 85 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो आदमी इस्लाम के सिवा और दीन को तलाश करे, उस का वह दीन कुबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुक़सान पाने वालों में होगा।

हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी मरते वक़्त मेरी रिसालत की गवाही और खुदा की वहदानियत का सच्चे दिल से इकरार कर लेगा, तो अल्लाह तआला उस को बर्खा देगा।

हवाला - इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 566, हदीस 3794, बाबुज़्ज़िक्र।

कलिमा तय्यिबा के दो हिस्से हैं-

एक 'ला इल-ह इल्लल्लाह,' और

दूसरा - मुहम्मदुरसूलुल्लाह।

ला इला-ह इल्लल्लाहु का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह तआला ही को अपना माबूद समझो और उसी की इबादत करो। बग़ैर इबादत के अल्लाह को हम अपना माबूद किस मुंह से कह सकते हैं। इस लिए बन्दे पर माबूद की इबादत ज़रूरी है। दूसरा यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना रसूल जाने यानी 'रिसालत की गवाही दे, कि आपकी शरीअत पर अमल करे। यह आप की रिसालत की अमली गवाही है।

मुसलमान को मुसलमान समझने की हद

कुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में सूर: तौबा के पहले रूकूअ में, आयत न० 5 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो जाएं और ज़कात अदा करने लगे, जो तुम उन की राह छोड़ दो। यकीनन अल्लाह तआला बर्ख़ाने वाला मेहरबान है।

अगर तौबा कर लें, नमाज़ के पाबन्द हो जाएं और ज़कात अदा करने लगे, तो बेशक उन के रास्ते छोड़ दो सताओ नहीं। हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी जैसी आयतों से दलील ली थी कि लड़ाई इस शर्त पर हराम है कि इस्लाम में दाख़िल हो जाए और इस्लाम के वाजिबात बजा जाए। इस आयत में इस्लाम के अर्कान का तर्तीबवार ज़िक्र फ़रमाया है- आला फिर अदना- पस शहादत (गवाही) के बाद सब से बड़ा रुकन इस्लाम में नमाज़ है जो अल्लाह तआला का हक़ है। नमाज़ के बाद ज़कात जिस का नफ़ा फ़कीरों, मुहताजों को

पहुंचता है और मरूल्क का ज़बरदस्त हक़, जो इंसान के ऊपर है, वह अदा हो जाता है। यही वजह है जो अक्सर नमाज़ के साथ ही ज़कात का ज़िक्र अल्लाह तआला फ़रमाता है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 32, सूर: तौबा के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में, सूर: तौबा के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 11 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो जाएं और ज़कात देते रहें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। अल्लाह तआला हुक़्मों को खोल-खोल कर बयान कर रहा है, ताकि समझ सकें।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! जो लोग कुफ़र और शिर्क से तौबा कर लें और नमाज़ के भी पाबन्द हो जाएं और साथ साथ ज़कात भी देते रहें, तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं। हाय रे हिन्दुस्तान की जहालत। आज तो कुफ़र व शिर्क करने वाले अपने आप को मुसलमान समझते हैं और जो लोग नमाज़ के पाबन्द हैं, शरीअत पर अमल कर रहे हैं, कुफ़र व शिर्क और बिदअतों से बचे हुए हैं, उन को इस्लाम से ख़ारिज और वहहाबी समझते हैं।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मुझे यह हुक़्म दिया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करूँ, यहां तक कि वे इस बात की गवाही दें कि सिवाए खुदा के कोई इबादत के लायक नहीं और इस बात की कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढ़ने लगे और ज़कात दें। पस जब यह करने लगे, तो मुझ से अपना खून, अपना माल बचा लेंगे, सिवाए इस्लामी हक़ के (यानी किसान, दियत वगैरह ली जाएगी) बाकी अन्दरूनी हिसाब उसका अल्लाह के हवाले हैं।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 11, हदीस 23, किताबुल वह्य,
2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 82, हदीस 10, ईमान का बयान,
3. मज़ाहिरे कह जिल्द 2, पृ० 27, ईमान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

जिसने अपने किसी (मुसलमान) भाई पर जुल्म किया हो, तो उस से माफ़ करा ले, क्योंकि वहां (यानी कियामत के दिन) रुपए-अशर्फियां न होंगी, इस से पहले कि उस की नेकियां उस को दिलायी जाएं और अगर उस के पास नेकियां न हों तो उस के गुनाह उस पर लादे जाएंगे।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 332, हदीस 1450, किताबुर्रिकाक़।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! जब तेरी नेकियां उस आदमी को दिलायी जाएंगी, जिस पर तू ने जुल्म किया था, उस की ग़ीबत करता था, वहहाबी- वहहाबी कह कर गालियां देता था। उस दिन

तुझे यह सारी बातें याद आएंगी और अगर तेरे पास नेकियां न होंगी, तो उस आदमी के गुनाह तुझ पर लाद दिये जाएंगे। तेरी हिदायत के वास्ते कलाम मजीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों भी काम न दे सकें, तो तू ही सोच कि तेरी जहालत तुझे कहां तक ले गयी है।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तुम लोग आपस में एक दूसरे से रिश्ता और दोस्ती के नाते न तोड़ा करो और न कोई एक दूसरे से भागो और न आपस में दुश्मनी रखो। (तुम) सब के सब आपस में अल्लाह के बन्दे और भाई भाई बन जाओ। मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वह अपने भाई से मुलाकात और बातें करना तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2 पृ० 178, हदीस 852, बाब 391, आदाब का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस 1834, बाबुल ऐतसाम।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह है शरीअत, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे लिए छोड़ गये हैं। अब हमारी जहालत को देखिए कि बाप और बेटे में जुदाई और झगड़े दो भाइयों में जुदाई और झगड़े, शौहर और बीवी में जुदाई और झगड़े, जहां देखो, वहां पर यही बात चल रही है कि यह वह्हाबी हो गया है, यह दीन से फिर गया है। इस का अक़ीदा बिगड़ गया है। अरे नादान! अगर उस का अक़ीदा बिगड़ गया है तो तुझे तो कुछ नुक़सान नहीं, तू बेचारे इस ग़रीब को क्यों गालियां देता है और क्यों रिश्ते-नाते तोड़ने की धमकियां देता है ?

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जो आदमी अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, उस को चाहिये कि अपने (टूटे हुए) रिश्तों को मिलाये और जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 249, हदीस 1065, किताबुल आदाब।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कोई हमारी (तरह) नमाज़ पढ़े और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुंह करे और हमारा ज़बीहा ख़ाये, तो वही मुसलमान है, जिस के लिए अल्लाह का जिम्मा है और अल्लाह के रसूल का जिम्मा है, तो तुम अल्लाह की ख़ियानत उसके जिम्मे न करो।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 104, हदीस 377, किताबुस्सलात,
2. मिशक़ात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 82, हदीस 11 ईमान का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 28, ईमान का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अगर शरीअत पर अमल करना हो, तो मेहरबानी कर के खुदा और

उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्मों को मान लो। आप के सामने कलाम मजीद की आयतें और हदीसें मौजूद हैं और अगर आप पर नफसानियत सवार है और जहालत ही पर अड़े रहने में आप को लुत्फ व माज़ा आता है, तो आप जानें। हमारा काम तो सिर्फ़ समझाना है, हिदायत का देना तो सिर्फ़ अल्लाह ही के अख्तियार में है।

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

तमाम मुसलमानों का एक जिम्मा है, उन में का मामूली आदमी भी उस की पैरवी कर सकता है। पस जो आदमी किसी मुसलमान भाई की आबरूरेज़ी करे, उस पर खुदा की, फ़रिश्तों की और तमाम आदमियों की लानत है, न उस की कोई नफ़ली इबादत कुबूल होगी, न फ़र्ज।
(मुक्त्तसर)

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 115, हदीस 413, बाबुल जिहाद।

ऐ दोस्त ! आपने आप की फ़िक्र कर और शरीअत पर अमल करने वाला बन जा। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की फ़िक्र करते फिरें और आप खुद ही ग़फ़लत में रह जाएं।

सलाम का जवाब

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूर: निसा के ग्यारहवें रकूअ में आयत न० 86 में अल्लाह तआला इशदि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और जब तुम्हें सलाम किया जाए, तो तुम उस से अच्छा जवाब दो या उन ही लफ़्ज़ों को लौटा दो।

हदीस - हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मुसलमान पर मुसलमान के छः पसंदीदा हक़ हैं-

1. जब कोई मुसलमान मिले, तो उस को सलाम करना,
2. कोई मुसलमान दावत करे, तो उस को कुबूल करना,
3. किसी मुसलमान को छींक आए, तो उस का जवाब देना,
4. कोई मुसलमान बीमार हो, तो उस की मिज़ाज़ पुरसी करना,
5. कोई मुसलमान मर जाए, तो उस के जनाजे के साथ जाना,
6. और हर मुसलमान के लिए उस चीज़ का पसन्द करना, जिस को खुद अपने लिए पसन्द करता हो।

- हवाला**
1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 118, हदीस 595, आदाब का बयान,
 2. दारमी शरीफ़, पृ० 398, हदीस 2602, बाब 1045, इजाज़त का बयान-
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 681, हदीस 4411, किताबुल आदाब,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 46, सलाम के बयान में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

सवार सलाम करे पैदल चलने वाले को और पैदल चलने वाला सलाम करे बैठे हुए को और थोड़े आदमी सलाम करें ज़्यादा आदमियों को।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 110, हदीस 520, बाब 253, किताबुलसलाम,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 680, हदीस 4401, आदाब का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 46, सलाम का बयान।

हदीस - हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब आदमियों की कोई जमाअत गुज़रे और उन में से एक किसी आदमी या जमाअत को सलाम कर ले तो यह सलाम सारी जमाअत की तरफ़ से काफ़ी है और इसी तरह अगर किसी जलसे में सिर्फ़ एक आदमी किसी के सलाम का जवाब दे दे तो यह सलाम सारे मज्मे की तरफ़ से काफ़ी है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 682, हदीस 4416, आदाब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 50, सलाम का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

किसी मुसलमान को यह बात जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे और उस से मुलाक़ात न करे। जो आदमी तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहा और इस बीच वह मर गया, तो वह दोज़ख़ में जाएगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 724, हदीस 4785, तर्के मुलाक़ात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 155, तर्के मुलाक़ात का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

किसी मुसलमान को यह बात जायज़ नहीं है कि वह तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहे और उस से मुलाक़ात न करे। तीन दिन गुज़र जाने पर उस को चाहिए कि वह अपने मुसलमान भाई से जाकर मिले और उसको सलाम करे। अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो (सुलह सफ़ाई) के अज़्र में दोनों शरीक़ हैं और अगर सलाम का जवाब न दे तो जवाब न देने वाला गुनाहगार हुआ और सलाम करने वाला तर्के मुलाक़ात के गुनाह से बरी हो गया।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 724, हदीस 4787, तर्के मुलाक़ात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 155, तर्क मुलाक़ात का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! आपने देखा भी है कि जहालत इंसान को कहां तक ले जाती है। आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह पर ऐसे लोग भी हैं, जो सलाम का जवाब भी नहीं देते और सलाम करने वाले से मुंह फेर लेते हैं, अब सुनिए, इस बारे में फ़ुक़हा-ए-किराम का फ़त्वा।

‘सलाम करना सुन्नत है और जवाब सलाम का वाजिब है।’

हवाला - अैनूल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 345, कराहत के बयान में।

‘अगर सलाम का जवाब न देगा, तो गुनाहगार होगा, इस लिए कि सलाम का जवाब देना खुदा का हुक्म है।’

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 74, सूर: निसा के ग्यारहवें स्कूअ की तफ़सीर में।

अपने आप को दीन के पेशवा कहलाने वाले भी अक्सर इस मुसीबत में मुब्तला हैं कि खुले आम वाजिब को छोड़ रहे हैं और अपने आपको आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझते हैं।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

तुम उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाओगे, जब तक ईमानदार न बनोगे और ईमानदार उस वक़्त तक नहीं बनोगे, जब तक आपस में मुहब्बत नहीं करोगे। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बता दूं, जिस पर अमल करने से तुम आपस में मुहब्बत करने लगे, वह बाल सलाम को रिवाज देना है।

- हवाला**
1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 12, हदीस 36, बाब 20, किताबुल ईमान,
 2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 110, हदीस 547, अब-वाबुल आदाब,
 3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 43, हदीस 71, राय का बयान,
 4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 680, हदीस 4400, आदाब व सलाम का बयान,
 5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 46, सलाम का बयान।

हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों का अंधापा तो देखिये, न तो कुरआन मजीद की आयतों को मानते हैं, न हदीसों को और न हनफी मस्लक की मोतबर किताबों को, फिर भी आपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत समझते हैं।

हदीस - हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

मुसलमान के लिए यह हलाल नहीं कि अपने भाई से मिलना-जुलना (और बात-चीत

करना) तीन दीन से ज़्यादा छोड़ दे। जब दोनों मिलें तो यह इधर मुंह फेर ले, वह उधर मुंह फेर ले। इन दोनों में अच्छा वह आदमी है जो पहले सलाम करे।

- हवाला** 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1831, बाबुल ऐतसाम,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 178, हदीस 853, बाब 392, आदाब का बयान,
3. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 270, हदीस 1160 इजाज़त लेने का बयान।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘अल्लाह तआला से नज़दीक तर वह आदमी है, जो पहले सलाम करे।’

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 682, हदीस 4414, आदाब व सलाम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 50, सलाम के बयान में।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है।’

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2 पृ० 684, हदीस 4434, आदाब व सलाम का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 56, सलाम के बयान में।

सलाम तो क्या ख़ाक करेंगे, जवाब भी नहीं देते। जाहिल जेब भरू पीर और जालिम पेट भरू मौलवी अपने मुरीदों और मोतकिदों को बहकाते रहते हैं कि तब्लोगी जमाअत वालों को या देवबन्द के आलिमों को या उन के चाहने वालों को तुम लोग सलाम करोगे या जवाब दोगे, तो काफ़िर हो जाओगे। जहालत की भी कोई हद है?

हदीस - हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

यहूदी जब तुम में से किसी को सलाम करते हैं, तो ‘सामुन अलैकुम’ कहते हैं (यानी तुम पर मौत हो) तुम जवाब में (सिर्फ़) ‘व अलैकुम’ कह दिया करो। (यानी तुम पर हो)

- हवाला** 1. सही गुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 421, हदीस 1818, मुर्तद के बयान में,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 257, हदीस 1154. सूर: मुजादल: की तफ़सीर में।

तिर्मिज़ी शरीफ़ की इसी रिवायत में यह लिखा है कि जब तुम को अहले किताब सलाम करें तो जवाब में यों कहो, ‘अलै-क मा कुल-त’ (तुझ पर हो जो तूने कहा) इस हदीस की शरह में लिखा है कि यह कलिमा उस वक़्त जब कि वह सलाम के अलावा कोई बुरा कलिमा

कहे, वरना उस के सलाम का जवाब सलाम ही से देना चाहिए, बल्कि उस से भी ज्यादा।

कुछ उलेमा कहते हैं कि सलाम का जवाब सलाम ही से देना चाहिए और कुछ कहते हैं कि सिर्फ 'अलै-क' कहना चाहिए। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

अब देखिए हनफी मस्लक के उलेमा-ए-दीन क्या फरमाते हैं?

'जिम्मियों और कुफ़ार के सलाम का जवाब देने में कोई हरज नहीं।'

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 346, कराहत का बयान।

'यहूदी या नसरानी (ईसाई) या मजूसी मुसलमान को सलाम करें तो उस का जवाब देने में हरज नहीं।'

हवाला - गायतुल औतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार जिल्द 4, पृ० 239, बाबुल हजर।

हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की मख़्लूक में से कोई भी सलाम करे, उसे जवाब दो चाहे वह मजूसी हो

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 74, सूर: निसा के ग्यारहवें रकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के अठारहवें पारं में सूर: नूर के आठवें रकूअ में आयत न० 61 में अल्लाह तआला का इशार्द होता है।

तर्जुमा - जब तुम घरों में जाने लगे, तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, यह दुआ-ए-ख़ैर है, जो बा-बरकत और पाकीज़ा है खुदा की तरफ़ से।

हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि जब तुम घरों में जाओ तो खुदा का सिखाया हुआ बा-बरकत सलाम कहा करो (मैं ने तो आजमाया है कि यह सरासर बा-बरकत है) और इब्ने ताऊस रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, तुम में से जो घर में दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम कहे।

हवाला तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 84, सूर: नूर के आठवें रकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! कुछ नफ़्सपरस्त मुसलमान ऐसे भी हैं जो मुसलमान भाइयों को आपस में मिलने-जुलने से और बात-चीत करने से भी रोकते हैं। सलाम करने और सलाम का जवाब देने से भी मना करते हैं, हालांकि यही रोकन वाले दूसरी कौमों से, ग़ैर-मुस्लिमों से बड़े मज़े से मिलते-जुलते हैं, उन के पास उठते-बैठते भी हैं, बात-चीत भी करते हैं, कहीं-कहीं तो खाते-पीते भी देखे गये हैं, गरज़ यह कि दुनिया भर से यह मुसलमान याराना और दोस्ती करते फ़िरेंगे, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों से इस क़दर दुश्मनी कि सलाम व कलाम और मिलने-जुलने से भी रोकते हैं, यह कोई इंसफ़ है?

कुछ जगह, कुछ मौलवी मुसलमानों को इस क़दर डराते रहते हैं कि अगर तुम वहहाबियों

को, देवबन्दियों को, गैर-मुकल्लिदों को, तब्बीगी जमाअत वालों को सलाम करोगे या सलाम का जवाब दोगे तो तुम्हारा निकाह टुट जाएगा, जहालत की भी हद हो गयी है।

मुसलमान को काफ़िर कहने वाला ?

कुरआन शरीफ के पांचवें पारे में सूर: निसा के तेरहवें रूकूअ में आयत न० 94 में अल्लाह ताअला इशादि फरमाता है।

तर्जुमा - और जो तुम को सलाम अलैक (यानी तुम को सलाम करे) तो तुम उसे न कहो कि तू मुसलमान नहीं है।

मुहकम बिन जुसामा का वाजिआ यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना एक छोटा-सा लश्कर अरक्सम की तरफ भेजा। जब वह लश्कर वादी अरक्सम में पहुंचा तो आमिर बिन अजबत अशजजी अपनी सवारी पर सवार मय असबाब के चले आ रहे थे। पास पहुंच कर उन्होंने सलाम किया, तो सब तो रुक गये, लेकिन मुहकम बिन जुमासा ने कुछ आपस की बिना पर (यानी नफ्सानी झगड़ों की वजह से) उस पर झपट कर उन्हें कत्ल कर डाला और असबाब लूट लिया। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पहुंचे और आप से यह वाकिआ बयान किया कि आमिर ने इस्लामी तरीके पर सलाम किया था, लेकिन जाहिलियत के ज़माने में पहली दुश्मनी की वजह से मुहकम ने उसे तीर मार कर हलाक कर डाला। मुहकम अपनी दोनों चादरें ओढ़े हुए आए और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने बैठ गये इस उम्मीद से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे लिए दुआ-ए इस्तग़फ़ार कर देंगे, लेकिन आपने फरमाया, अल्लाह तुझे न बरख़ो। यहां से यह सख्त शर्मिदा और रोते हुए उठे। अपनी चादरों से आंसू पोंछते जाते थे। सात दिन भी न हुए थे कि वह मर गये। लोगों ने उन को दफ़न किया, लेकिन ज़मीन ने उन की लाश बाहर फेंक दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब यह ख़बर हुई तो आपने फरमाया, तुम्हारे इस साथी से निहाय ही बदतर लोगों को ज़मीन संभाल लेती है, लेकिन खुदा का यह इरादा है कि वह तुम्हें मुसलमान की हुर्मत दिखाये, चुनांचे उन की लाश को पहाड़ पर डाल दिया गया और ऊपर पत्थर रख दिये गये।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 84, सूर: निसा के तेरहवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब किसी आदमी ने अपने (मुसलमान भाई) से कहा, ऐ काफ़िर ! तो (इन) दोनों में से एक ऐसा ही होगा।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 243, हदीस 1031, अदब का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 13, हदीस 45, किताबुल ईमान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 100, हदीस 497, ईमान का बाब,

4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 699, हदीस 4576, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 92, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान ।

यानी जिस को काफ़िर कहा गया है, अगर वह वाकई काफ़िर है, जब तो कुछ हरज नहीं और वह पक्का मुसलमान है, तो उस को काफ़िर कहने वाला खुद काफ़िर हो जाएगा ।

किसी को बुरा कहने के बारे में हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं-

‘किसी मुसलमान को भी हकीर न समझो कि हक़ तआला के अस्रार उन के अन्दर बिखेर दिये गये हैं पस क्या है कि किस का दिल कब बार आवर होकर वली बन जाए ।’

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 119, मज्लिस 20

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अगर कोई आदमी मरते वक़्त काफ़िर होकर मरा है, तो खुदा का बन्दा है और खुदा उस का मालिक है, जो चाहे करे, हमें उस में कुछ दख़ल देने का अख़्तियार नहीं है । अगर मरने वाला पक्का मुसलमान होकर मरा है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कौल के मुताबिक़ किसी मुसलमान को काफ़िर कहने वाला खुद काफ़िर है । अब मरने वाला इस्लाम पर मरा या कुफ़र पर मरा, वह सिवाए खुदा के और कोई नहीं जानता, पस किसी को काफ़िर कहने से चुप रहना ही बेहतर है ।

हदीस - हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो आदमी किसी को काफ़िर कह कर पुकारे या खुदा का दुश्मन कहे और वह ऐसा न हो तो यह कलिमा कहने वाले पर लौट पड़ता है ।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 700, हदीस 4578, ग़ीबत और बुराई का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 92, आदाब का बयान ।

हदीस - हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जब बन्दा किसी चीज़ पर लानत करता है, तो वह लानत आसमान की तरफ़ जाती है और आसमान के दरवाज़े उस लानत पर बंद कर दिये जाते हैं, (यानी उस लानत को आसमान पर जाने का रास्ता नहीं दिया जाता) फिर वह लानत ज़मीन की तरफ़ मुतवज्जह होती है और ज़मीन के दरवाज़े भी उस पर बन्द कर दिये जाते हैं, फिर वह दाएं-बाएं जाती है (और इस जानिब भी वह रास्ता नहीं पाती) आख़िर वह उस आदमी या चीज़ की तरफ़ मुतवज्जह होती है, जिस पर लानत की गई है । अगर वह लानत की अह्त और मुसतहिक़ है, तो उस पर ठहर जाती है और अगर वह लानत की अह्त और मुसतहिक़ नहीं है, तो लानत कहने वाले पर लौट आती है ।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 703 हदीस 4609 ग़ीबत और बुराई का बयान ।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 101, आदाब का बयान ।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़मज़म

बिन जौश यमामी से कहा कि ऐ यमामी ! किसी आदमी से हरगिज़ यह न कहना कि खुदा तुझे न बख़ोगा या जन्नत में दाख़िल न करेगा ।

यमामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, हज़रत ! ये बातें तो हम लोग अपने भाइयों और दोस्तों से भी गुस्सा-गुस्सा में कह देते हैं ।

आपने फ़रमाया, ख़बरदार ! हरगिज़ न कहना, सुनो ! मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप ने फ़रमाया, बनी इस्राईल में दो आदमी थे, जिन में से एक तो इबादत में मुस्तैद और चुस्त था और दूसरा अपनी जान पर ज़्यादाती और गुनाह करने वाला था और दोनों में दोस्ताना और भाईचारा था । आबिद कभी-कभी उस दूसरे को किसी न किसी गुनाह में देखता था और कहता रहता था, ऐ आदमी! (गुनाहों से) बाज आ । वह जवाब देता, तू मुझे मेरे रब पर छोड़ दे, क्या तू मुझ पर निगहबान बना कर भेजा गया है? एक बार आबिद ने देखा कि वह फिर किसी गुनाह के काम को कर रहा है वह गुनाह उसे बहुत बड़ा गुनाह मालूम हुआ, तो कहा, अफ़सोस ! तू तौबा कर ले । उस ने वही जवाब दिया, तो आबिद ने कहा, खुदा की क़सम ! खुदा तुझे नहीं बख़ोगा या जन्नत नहीं देगा । अल्लाह तआला ने उन दोनों के पास फ़रिश्ते को भेजा, जिसने उन दोनों की रूहें क़ब्ज़ कीर लीं । जब ये दोनों खुदा के यहां पहुंचे, तो अल्लाह तआला ने उस गुनाहगार से फ़रमाया, जा और मेरी रहमत की बिना पर जन्नत में दाख़िल हो जा और आबिद से फ़रमाया, क्या तुझे सही इल्म था ? (कि मैं उस को नहीं बख़ूंगा) क्या तू मेरी चीज़ (यानी रहमत) पर कुदरत रखता था ? इसे जहन्नुम की तरफ़ ले जाओ । हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस की क़सम, जिस के क़ब्जे में मेरी जान है, उसने एक कलिमा जुबान से ऐसा निकाल दिया, जिस ने उस की दुनिया व आख़िरत बर्बाद कर दी ।

हवाला

1. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 45, सूर: निसा के सातवें रूकूअ की तफ़सीर में,
2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 385, हदीस 2221, तौबा के बयान में,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 290, तौबा के बयान में ।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी हयाते तय्यिबा में ऐसे मुनाफ़िकों को इस्लाम से खारिज़ नहीं फ़रमाया, जिन का निफ़ाक़ अल्लाह की वह्य से मालूम था ।

हवाला

- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 115, मुक़दमे में ।

यानी ऐसे लोग, जो ज़ाहिर में मुसलमान थे, मगर दिल में ईमान नहीं लाये थे उन के बारे में गो आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वह्य के ज़रिए मालूम हो गया था कि यह दिल में इस्लाम कुबूल नहीं किए हुए हैं, मगर फिर भी आप ने उन को मुसलमानों की जमाअत से खारिज़ और अलग नहीं फ़रमाया ।

मुझे इन फ़िरकापरस्तों पर बड़ा अफ़सोस होता है कि सच्चे मुसलमान और दीन के रहबरो

को काफिर कहते हैं और जो उन को काफिर न कहे उस को भी काफिर समझते हैं और जो उन के कुफ़र में शक करे, उसे भी काफिर समझते हैं। जहालत की भी कोई हद है।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: नूर के दूसरे रकूअ में आयत नं० 19 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने के आरजूमंद रहते हैं, उन के लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते।

जो आदमी कोई ऐसी बात सुने (जिस बात की उसके पास में कोई तहकीक नहीं है), उसे उस का फैलाना हराम है। जो ऐसी बुरी ख़बरों को उड़ाते-फिरते हैं (जिन से मुसलमानों में फूट पैदा हो) उन्हें दुनियावी सज़ा यानी हद भी लगेगी और आखिरत की सज़ा यानी अज़ाबे जहन्नम भी होगा।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 48 सूर: नूर के दूसरे रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में एक आदमी था, जिस का नाम अब्दुल्लाह था और लोग उसे हिमार (यानी गधा) कहते थे। यह आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हंसाया करता था और आपने उसको शराब पीने पर मारा भी था। फिर एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पकड़ा हुआ आया (क्योंकि उसने शराब पी थी)। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको फिर मारने का हुक़म दिया। हाज़िर लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह! इस पर लानत कर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में (यह शराब पिया हुआ) लाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस को लानत मत करो। क़सम खुदा की, मैं जानता हूँ कि यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखता है।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 383, हदीस 1381, हुदूद का बयान।

शराब पीने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करे, जुआ खेलने वाला जेब काटने वाला, डाढ़ी मुड़ाने वाला, रोज़े न रखने वाला, ज़कात न अदा करने वाला, बल्कि ब्याज खाने वाला, ये सब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करें और एक दीन का पाबंद, शरीअत पर अमल करने वाला होने के बावजूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत न करे, यह जहालत नहीं तो फिर और क्या है ?

छोटे और बड़े गुनाहों के जो आदी बन चुके हैं और बिदअत व शिर्क और कुफ़र में सर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं वे भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करते हैं और शरीअत की पाबन्दी करने वाले मुसलमान क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नहीं मानते होंगे, यह शैतानी फ़रेब और नफ़्सानी धोखा नहीं तो और क्या है? अक्सर बातें या अमल ऐसे होते हैं कि उन पर कुफ़र का फ़त्वा होता है, लेकिन याद रहे कि वह फ़त्वा सिर्फ़

उस फेल पर होता है, न कि इंसान पर यानी वह काम कुफ़र का होता है, लेकिन वह काफ़िर नहीं होता।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 79, अकाइद के बयान में।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूले खुदा सल्लल्लाहु व सल्लम ने फ़रमाया, मेरे और इन लोगों के दर्मियान में नमाज़ का अहद है। जिस आदमी ने नमाज़ को छोड़ा, उसने कुफ़र किया।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 173, हदीस 1091, तर्के नमाज़ का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बन्दे और कुफ़र के दर्मियान सिर्फ़ तर्के नमाज़ का फ़र्क़ है।

हवाला

1. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 98, हदीस 481, ईमान का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 14, हदीस 63, ईमान का बयान,
3. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 153, हदीस 521, ईमान का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 183, ईमान का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सही हदीसों से साबित है कि नमाज़ को जान-बूझ कर छोड़ देना कुफ़र है। अल्लाह के कलाम में भी यही है।

कुरआन शरीफ़ के इक्कीसवें पारे में सूरः रूम के चौथे रकूअ में आयत नं० 31 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - कांयम रखो नमाज़ को और न हो जाओ शिर्क करने वालों में से।

नमाज़ पढ़ना मोमिन की आदत है और नमाज़ नहीं पढ़ना मुशिरकों की आदत है, तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि 'तुम मोमिन बनो, मुशिरक न बनो। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं, एक ही तलवार रहेगी। इसी तरह दो आदतों में से कोई एक आदत रह सकती है, या तो नमाज़ पढ़ कर मोमिन बने या तो नमाज़ को छोड़ कर मुशिरक बने।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

शिर्क और इस्लाम में सिर्फ़ नमाज़ का फ़र्क़ है, इसलिए जिस आदमी ने नमाज़ को छोड़ दिया उसने शिर्क किया।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 173, हदीस 1092, तर्के नमाज़ के बयान में।

हदीस - हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि हमारे और मुनाफ़िकों के दर्मियान जो अहद है, वह नमाज़ है, पस जिसने नमाज़ को छोड़ दिया, वह काफ़िर हुआ।

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 153, हदीस 525, नमाज़ के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 184, नमाज़ के बयान में।

हदीस - हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मुसलमान और काफ़िर के दर्मियान में नमाज़ से फ़र्क होता है।

हवाला - इब्ने माज़ा शरीफ, पृ० 173, हदीस 1090, तर्के नमाज़ के बयान में।

मगर आज हज़ारों मुसलमान ऐसे मौजूद हैं, जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम उन्हें काफ़िर नहीं कहते, क्योंकि उन की आख़िरत का हाल खुदा जानता है, हमें क्या मालूम कि वह जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में।

हदीस - हज़रत साबित बिन जह्हाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

बन्दे पर उस चीज़ में नज़्र नहीं, जिसका वह मालिक नहीं और मोमिन को काफ़िर कहा, वह भी उस के कातिल की तरह है और जिसने किसी चीज़ से खुदकुशी की, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस को उसी चीज़ से अज़ाब देगा, जिस से उसने खुदकुशी की होगी।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 100, हदीस 496, अबवाबुल ईमान।

किसी को काफ़िर कहने के मसाइल में मुख्तार यह है कि कहने वाले ने अगर उस को बुरा कहने की नीयत से (काफ़िर) कहा और उसे काफ़िर एतकाद नहीं किया है, तो (कहने वाला) काफ़िर नहीं है और उस को काफ़िर एतकाद कर के अपने एतकाद के साथ उस को (काफ़िर) कहा, तो (कहने लगा) खुद काफ़िर है।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 855, मुर्तद का बाब।

निन्नान्वे एहतमाल कुफ़र के हों और एक एहतमाल ऐसा हो कि जिससे कुफ़र की नफ़ी होती है, तो मुफ़्ती और क़ाज़ी के लिए यही बेहतर है कि उसी एहतमाल पर अमल करे, जिससे कुफ़र लाज़िम नहीं आता।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 77, मुक़दमे में।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

इंसान के इस्लाम की अच्छाई और बेहतरी में यह बात भी दाख़िल है कि वह फ़ुज़ूल (बातें को) और लगव यानी बेकार चीज़ों को छोड़ दे।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 39, हदीस 179, जु हद का बयान।

हमारे हिन्दुस्तान में कुछ जगह पर ऐसी जहालत फैली हुई है कि अपने दीन की अच्छाई इसी में समझते हैं कि दूसरों को काफ़िर कहें और लोगों की जुबान से काफ़िर कहलाएं। गालियां

और ताने दें, दूसरों का मजाक उड़ाएं उनकी बेइज्जती करें उन की आबरू उतारें उन पर लोगों को हंसाएं। उन को मस्जिद में नमाज़ न पढ़ने दें, उन के वाज़ बन्द कराएं, बग़ैरह-वग़ैरह।

काफ़िर को भी काफ़िर कहना मक्रूह है

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूर: बकर: के उन्नीसवें रकूअ में आयत न० 161 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो काफ़िर अपने कुफ़र ही में मर जाएं, उन पर खुदा की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है।

जो लोग कुफ़र करें और तौबा नसीब न हो और कुफ़र ही की हालत में मर जाएं, उन पर खुदा की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। यह लानत उन पर चिपक जाती है और कियामत तक साथ रहती है और फिर दोज़ख़ की आग में ले जाएगी और अज़ाब में हमेशा-हमेशा साथ रहेगी, न तो अज़ाब में कमी होगी और न उस से पनाह मिलेगी, बल्कि हमेशा के लिए सख़्त से सख़्त अज़ाब होते रहेंगे।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 15, सूर: बकर: के उन्नीसवें रकूअ की तफ़सीर में।

हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि कियामत के दिन काफ़िर को ठहराया जाएगा, फिर उस पर अल्लाह तआला लानत करेगा, फिर फ़रिश्ते, फिर तमाम लोग।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 16, सूर: बकर: के उन्नीसवें रकूअ की तफ़सीर में।

काफ़िरों पर लानत भेजने के मसअले में किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है, मगर किसी मुतअय्यन काफ़िर (यानी किसी एक का नाम लेकर) लानत भेजने के बारे में उलेमा-ए-किराम का एक ग़िरोह कहता है कि यह जायज़ नहीं है, इसलिए कि उस के मरने की ख़बर किसी को नहीं (कि मुसलमान होकर मरेगा या काफ़िर होकर मरेगा)।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 16 सूर: बकर: के उन्नीसवें रकूअ की तफ़सीर में।

किसी काफ़िर को ऐ काफ़िर! या ऐ फ़ासिक! ऐ मुशिरक! कहना मक्रूह है, अगर उसको बोझ हो (यानि बुरा लगे)।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 286, कराहत का बाब।

मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी हैं, जिस का बयान इन्शाअल्लाहुतआला आगे आएगा।

हमारे हनफ़ी मसलक में काफ़िर को भी 'ऐ काफ़िर!' कहना मना है, तो फिर एक मुसलमान को काफ़िर कहना और लोगों से कहलवाना कैसे जायज़ होगा! बड़े शर्म की बात है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग फ़साद, बुग़ज़, अनाद, और फ़िर्कापरस्ती के झगड़ों में मुब्तला हो गये हैं, अपनी पेट भराई के लिए दूसरों को लहहाबी, वहहाबी, बिदअती, गुमराह, काफ़िर ग़ैर-मुक़ल्लिद

वगैरह-वगैरह कहते फिरते हैं। ऐसे लोग नफ़्सपरस्त होते हैं। उन को मज़हब का और मुसलमानों की बर्बादी का कुछ ख़्याल नहीं होता और जहां पर उन के वाज़ होते हैं, वहां पर सिवाए आग लगाने के और लोगों को लड़ाने के आलावा कुछ भी नसीहत नहीं होती, उन की दी हुई बुरी तालीम की वजह से उन के जाहिल मुरीद और जाहिल मुक्त्तदी बर सरे आम यानी खुल्लमखुल्ला हक़परस्तों को फ़ासिक, फ़ाजिर, काफ़िर मुर्तद, गुमराह, बे दीन, वहहाबी, खुर्रा, फिरा हुआ कह कर इस्लाम से ख़ारिज कर देने को दीनी काम और आख़िरत के लिए निजात का ज़रिआ समझते हैं। अल्लाह तआला इन नफ़्सपरस्तों को हिदायत दे दे और अगर इन लोगों की किस्मत में हिदायत नहीं है, तो अल्लाह तआला से मेरी दिली दुआ है कि उम्मतें मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन के फ़िल्नों से बचाए। आमीन!

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूः अन्आम के तेरहवें रकूअ में आयत न० 108 में अल्लाह तआला इश़ादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - जिन लोगों को ये मुश्रिक खुदा के सिवा पुकारते हैं (या पूजते हैं) उन को बुरा न कहना कि यह भी कहीं खुदा को बे-समझे-बूझे बुरा न कह बैठें।

सुब्हानल्लाह! अल्लाह तआला की मस्लहत को कोई क्या समझ सकता है, खुद खुदावन्दे करीम उन को बुरा कहने से मना फ़रमा रहा है, जो खुदा के मुक़ाबले में पूजे जा रहे हैं। वजह इस की यह बतायी कि तुम लोग उन को बुरा न कहो, इस लिए कि हो सकता है कि वह अपने मज़हबी तास्सुब में आकर (मआज़ल्लाहु) कहीं खुदा को बुरा न कह बैठें। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अगर तुम उन्हें बुरा न कहोगे तो मुम्किन है कि वे तुम्हारी बात सुनें और उन की हिदायत का कोई ज़रिया बन जाए और सब बात नहीं सुनेंगे, तो हमेशा के लिए हिदायत से महरूम रह जाएंगे, तो गोया उनकी गुमराही की दलील खुद हम ही बने। जब बुतों को बुरा कहना मना है। तो किसी मुसलमान को काफ़िर कहना और कहलवाना कहां कि ईमानदारी है?

हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहद के दिन फ़रमाया, इलाही! अबू सुफ़ियान पर लानत भेज! इलाही हारिस बिन हिशाम पर लानत भेज, इलाही! सफ़वान बिन उमैया पर लानत भेज।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 166, हदीस 863, सूः आले इम्रान की तफ़सीर में। यह बात उहद की लड़ाई के दिन की है। उस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को चोट भी लग गयी थी, दांत मुबारक भी शहीद हो गया था। उस वक़्त इन तीन आदमियों का नाम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत की, तो उसी वक़्त अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी-

कुरआन मजीद के चौथे पारे में सूः आले इम्रान के तेरहवें रकूअ में आयत न० 128 में अल्लाह तआला इश़ादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ पैग़म्बर! तुम्हारे अख़्तियार में कुछ नहीं, खुदा चाहे तो उन की तौबा कुबूल

कर ले, चाहे तो अज़ाब करे, क्योंकि वे ज़ालिम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने लानत करने से रोक दिया।

कुरआन शरीफ़ के सत्तरहवें पारे में सूः अंबिया के सातवें रूकूअ में आयत न० 107 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और हमने (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप को सारे आलम के लिए रहमत बना कर भेजा है।

ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप तो सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजे गये हैं, आप को मुनासिब नहीं कि किसी पर लानत भेजें, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो उन की तौबा कुबूल कर लूँ और चाहूँ तो अज़ाब करूँ, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, जुल्म कर रहे हैं, सच्चों का सामना करते हैं, लड़ते हैं और आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 166, हदीस 863 की शरह में और सूः आले इम्रान की आयत न० 128 की तफ़सीर में लिखा है कि जिन-जिन लोगों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नाम ले-ले कर लानत फ़रमायी थी, वे सब के सब मुसलमान हो गये और उन का इस्लाम अच्छा हुआ यानी पक्के मुसलमान और मोमिन होकर दुनिया से रहलत फ़रमायी।

ये लीनों आदमी मुशिरक थे और मक्का के मुशिरकों के सरदार थे, दीन के दुश्मन थे, हक़परस्तों से लड़ रहे थे, बातिलपरस्तों का साथ दे रहे थे, उहद की लड़ाई वाले दिन लड़ाई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया था, इस के अलावा और भी ज़ख़्म लगे हुए थे। उस वक़्त अल्लाह तआला ने ऊपर आने वाली आयतें नाज़िल फ़रमायीं।

अल्लाह तआला ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लानत करने से रोक दिया, तो फिर हमारी और आप की क्या हस्ती है कि एक दूसरे को दुनियावी झगड़ों की वजह से मज़हब को आड़ बना कर काफ़िर कहते फिरें। बेहतर यही है कि ऐसी बातों से रुक जाएं और तौबा कर लें।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूः हुजुरात के दूसरे रूकूअ में आयत नं० 11 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालों! न मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, क्या ख़बर कि (जिस पर हंसते हैं) वे उन (हंसने वालों) से खुदा के नज़दीक बेहतर हों और न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्या ख़बर कि वे उनसे बेहतर हों, न एक दूसरे को ताना दो और न एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो, ईमान के बाद गुनाहगारी बुरी बात है और जो तौबा न करें, वही लोग ज़ालिम हैं।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला लानत करने से रोक देने के बाद अब ईमान वालों की तरफ़ मुखातब होकर ताकीद फ़रमा रहा है कि मर्दों को मर्दों

पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन पर हंसा जा रहा है, वे हंसने वालों से अल्लाह के नजदीक अच्छे हों और औरतें दूसरी औरतों पर भी न हंसे। हो सकता है कि हंसने वाली औरतों से वे औरतें अच्छी हों, जिन पर हंसा जा रहा है और न किसी किस्म का टाइटिल लगाओ और न किसी को बुरे नाम से बुलाओ, क्योंकि ईमान लाने के बाद ये बातें आप को ज़ेबा नहीं देती। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी हमने लानत करने से रोक दिया और आप साहिबान हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान ला चुके हैं, इसलिए आप को भी ज़ेबा नहीं देता कि किसी दूसरे पर लान-तान करें या बुरे अलकाब से पुकारें और अगर इस हिदायत को नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारी गिनती ज़ालिमों में होगी, ईमानदारों में नहीं। ईमानदारी तो उस वक्त मानी जाएगी, जब हमारी हिदायत को मान लो।

एक दूसरे को ताना देने से और टाइटिल लगाने से मना फ़रमाया है, इसलिए कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जिनको ग़लत समझ रहे हैं, वे सही तरीके पर होते हैं और ग़लत समझने वाले खुद ही ग़लती पर होते हैं और उन को पता तक नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे हिन्दुस्तान में एक जमाअत ने एक जमाअत को कहा वहहाबी। अब जिन को वहहाबी कहा गया था, उन्होंने जवाब में कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा नाम है- 'ला इला-ह इल्लल्लाहु सुब्हानल वहहाब' (अल्लाह का नाम ही वहहाब है) तो हम तो अल्लाह वाले हैं और हमें अल्लाह वाला कहा जा रहा है। इन लफ़्ज़ों से जिन को वहहाबी कहा गया था, वे साहिबान चिड़े नहीं, तो चिड़ाने वाली जमाअत ने वहहाबी कहना छोड़ दिया और 24 नम्बर कहने लगे, क्योंकि वहहाबी के अदद 24 होते हैं-

$$व=6, ह=5, अ=1, ब=2, य=10$$

वहहाबी में पांच हुरूफ़ हैं और इन पांच हुरूफ़ की संख्या 24 होती है, लेकिन अब इस इत्तिफ़ाक़ को क्या करें कि कलिमा-ए-पाक के हुरूफ़ भी 24 हैं।

$$ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुरसूलुल्लाह=24$$

ला इला-ह में 12 हुरूफ़ है और मुहम्मदुरसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ़ है और साल की गिनती के लिए अल्लाह तआला ने महीने भी बारह बनाये हैं और महीनों की गिनती के लिए अल्लाह तआला ने रात और दिन बनाये हैं, अब रात के घंटे भी बारह हैं और दिन के घंटे भी बारह बनाये हैं। रात व दिन दोनों मिलाएं तो चौबीस घंटे होते हैं, जिन को चौबीस साअतें और चौबीस क्लाकें भी कहते हैं। मेरे मोहतरम! चौबीस के दायरे से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। चौबीस के दायरे में रह कर चौबीस की मुख़ालफ़त करना जहालत नहीं तो फिर और क्या है?

ऐ अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला जिस को चाहे हिदायत दे, जिस को चाहे गुमराह करे, हमको कुछ भी अख़्तियार नहीं है। अगर हम खुद हक़ पर हैं, तो हमारा काम है दूसरों को नसीहत करना, बेचारे ग़रीब, अनपढ़ और भोले-भाले मुसलमान को आपस में लड़ाना,

गालियां, देना और दूसरों से दिलवाना यह हमारा काम नहीं है।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीकां रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तमाम आदमियों में सब से ज़्यादा नफ़रत और अदावत अल्लाह तआला को उस आदमी से हैं, जो बड़ा झगड़ालू हो।

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 160, हदीस 835, सूर: बकर: की तफ़सीर में,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 9, पृ० 552, हदीस 2267, कि़सास का बयान।

मेरे दोस्तो! झगड़ना बन्द कर दो। यह जो हिन्दुस्तान में कुछ लोगों की तरफ़ से कुफ़रबाज़ी के फ़त्वों की मशीनगन चल रही हैं वे तो कुछ भी नहीं हैं बल्कि असल बात उन लोगों की नफ़सानियत है और पेट भराई के घंघे हैं,

‘अगर किसी यहूदी या मजूसी से कहा कि ‘ऐ काफ़िर!’ तो गुनाहगार होगा, अगर उस पर (इस का कहना) गरां गुज़रे।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 314, कराहत का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! काफ़िर का लफ़ज़ ऐसा बुरा है कि अगर काफ़िर को ऐ काफ़िर कह कर बुलाया जाए, तो यकीनन उसे भी बुरा मालूम होगा, इसलिए किसी काफ़िर को भी काफ़िर कहना मक्खूह है, क्योंकि किसी भी इंसान के मरते दम की ख़बर तो अल्लाह ही को है कि वह ईमान पर मरा है या कुफ़र पर मरा है।

ये सारी आयाते शरीफ़ा और अहादीसे करीमा, मोतबर किताबों के फ़त्वे आप के सामने हैं, अब आप खुद ही इंसफ़ से फ़ैसला करें कि एक मुसलमान को काफ़िर कहना और लोगों से जबरन किसी को काफ़िर कहलवाना और जो काफ़िर न कहे, उस को भी काफ़िर समझना किस क़दर जहालत है।

बुरा गुमान और ग़ीबत

क़ुरबान करीम के 36 वें पारें में सूर: हुजुरात के दूसरे रकूअ में आयत न० 12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - ऐ ईमानवानों! बहुत बद-गुमानियों से बचो, यकीन मानो कि कुछ बद-गुमानियां गुनाह हैं और भेद न टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत किया करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसन्द करेगा, तुमको इससे घिन आए और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को बद-गुमानियों से और तोहमत धरने से और अपनों

और गैरों को डराने से और ख़ामख़ाह की दहशत दिल में रख लेने से रोकता है और फ़रमाता है कि कभी-कभी अक्सर इस किस्म के गुमान बिल्कुल गुनाह होते हैं, पस तुम्हें इस में पूरी एहतियात चाहिए।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 82, सूः हुजुरात के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूः बनी इस्राईल के चौथे रूकूअ में, आयत न० 36 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिस बात की तुझे ख़बर ही न हो, उस के पीछे मत पड़, क्योंकि कान और आंख और दिल इन में से हर एक से पूछ-गछ की जाने वाली है।

यानी जिस बात का इल्म न हो, उस में जुबान न हिलाओ। बिना जाने किसी को ऐब न निकालो और बोहतान बाज़ी न करो, झूठी गवाहियां न देते फ़िरो, बिना देखे न कह दिया करो कि मैंने देखा, न बिना सूने सुनना बयान करो, न बे-इल्मी पर अपना जानना बयान करो, क्योंकि इन तमाम बातों की जवाबदही खुदा के यहां, होगी। गरज़ वहम व ख़्याल और गुमान के तौर पर कुछ कहने को मना हो रहा है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 44, सूः बनी इस्राईल के चौथे रूकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ वे लोगों, जिन की जुबानें तो ईमान ला चुकी हैं, लेकिन दिल ईमानदार नहीं हुए! तुम मुसलमानों की गीबतें करना छोड़ दो और उन के ऐबों की कुरेद न किया करो। याद रखो, अगर तुमने उनके ऐब टटोले, तो अल्लाह तआला तुम्हारी पोशीदगियों को ज़ाहिर कर देगा, यहां तक कि तुम अपने घराने वालों में भी बदनाम और रुसवा हो जाओगे।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 84, सूः हुजुरात के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, इस लिए कि बदगुमानी सब से बुरी झूठी बात है और किसी का हाल या कोई ख़बर मालूम करने की कोशिश न करो, जासूसी न करो और किसी के सौदे को न बिगाड़ो (यानी चीज़ के लेने का इरादा न हो और ख़ामख़ाह किसी के सौदे पर सौदा करने लगे) और आपस में हसद न करो, आपस में बुज़ न रखो, एक दूसरे की गीबत न करो और खुदा के सारे (मुसलमान) बन्दे आपस में भाई-भाई बन कर रहो और एक रिवायत यह भी है कि आपस में लालच न करो।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 723, हदीस 4779, तर्क मुलाक़ात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 152, तर्क मुलाक़ात का बयान,

3. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 236, हदीस, 999, आदाब का बयान,

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ि० से पूछा, तुम जानते हो, ग़ीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खूब जानते हैं। आपने फ़रमाया कि ज़िक्र करना अपने मुसलमान भाई का ऐसी बातों के साथ जो उस को बुरी मालूम हों (ग़ीबत है)। पूछा गया, अगर मेरे भाई के अन्दर वह बुराई मौजूद हो, जिस का मैंने ज़िक्र किया है, तब भी उस को ग़ीबत कहा जाएगा? आपने फ़रमाया अगर उस के अन्दर वह बुराई मौजूद हो, जिस का तू ने ज़िक्र किया है तो तूने उस की ग़ीबत की और अगर वह बुराई उस में मौजूद न हो तो फिर तू ने उस पर बोहतान लगाया।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 8, पृ० 701, हदीस 4589, ग़ीबत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 95 ग़ीबत का बयान।

बुरा गुमान इंसान को कहां ले जाता है, इस पर आप गौर करें। इब्लीस इबादत के ज़रिए से फ़रिश्तों के जुमरे में आ गया था और उस का नाम अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम था। जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को हकीर समझा, तो फ़रिश्तों के जुमरे से खारिज कर दिया गया और लानत का तौक उस के गले में पड़ गया और इब्लीस का लक़ब लग गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन के इंसफ़ की धूम रहती दुनिया तक रहेगा, उन को शहीद कराने वाला यही गुमान था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दो साहबज़ादियां ब्याही गयी थीं और जीते जी जिन के लिए जन्नत की बशारत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी थी, उन को शहीद कराने वाला यही गुमान था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को कौन नहीं जानता है उन को भी शहीद कराने वाला यही गुमान था। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़हर देकर शहादत का जाम पिलाने वाला यही गुमान था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आप के साथियों को कर्बला की लड़ाई में शहीद कराने वाला यही गुमान था। जब एक इंसान दूसरे किसी इंसान को हकीर और बुरा समझने लगता है, तो वह खुद कितनी तबाही तक पहुंच जाता है, इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगा लेंगे। इसी लिए अल्लाह तआला ने ईमान वालों से फ़रमाया कि आप साहिबान गुमान से बचो और किसी की इज़्ज़त लेने के लिए चालें न चलो और ग़ीबतें न करो।

कुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: हुमज: की पहली आयत में अल्लाह तआला इर्शादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - बड़ी ख़राबी है हर ऐसे आदमी की जो ऐब टटोलने वाला और ग़ीबत करने वाला हो।

हदीस - हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, ग़ीबत ज़िना से बदतर है। सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! ग़ीबत ज़िना से क्योंकर बुरी हो सकती है ? आप ने फ़रमाया, आदमी ज़िना करता है, फिर तौबा करता है और खुदावन्द तआला उस की तौबा कुबूल फ़रमा लेता है और एक रिवायत में ये लफ़ज़ हैं कि फिर ज़ानी तौबा करता है और अल्लाह तआला उस को बख़्श देता है, लेकिन ग़ीबत करने वाले को खुदा नहीं बख़्शता, जब तक कि वह आदमी उस को माफ़ न कर दे, जिस की उसने ग़ीबत की है।

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 705, हदीस 4630, ग़ीबत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 107, ग़ीबत का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाहु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, अल्लाह तआला जब मुझ को ऊपर ले गया (यानी मेराज में), तो वहां मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन के नाखून तांबे के थे और उन नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को खरोंच लेते हैं। मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वह लोग हैं, जो लोगों का गोश्त खाते हैं, (यानी ग़ीबत करते हैं) और उनकी आबरू के पीछे पड़े रहते हैं।

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 725, हदीस 4796, तर्के मुलाकात में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 158, तर्के मुलाकात में।

हदीस - हज़रत मस्तूर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया, जो आदमी किसी मुसलमान की बुंराई और ग़ीबत कर के एक लुक़मा खाये (यानी इस ज़रिए से रोज़ी हासिल करे) अल्लाह उसको उस लुक़मे की तरह दोज़ख़ की आग ख़ालाएगा। (मुख़्तसर)

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 725, हदीस 4797, तर्के मुलाकात में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 158, तर्के मुलाकात में।

हदीस - हज़रत उक्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो आदमी किसी आदमी में कोई ऐब देखे और फिर वह उस को छिपा ले, तो उस को उस का सवाब उस आदमी के बराबर होगा, जिसने ज़िंदा दफ़न की हुई लड़की को बचा लिया।

- हवाला** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 718, हदीस, 4738, शफ़क़त व रहमत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 139, शफ़क़त व रहमत का बयान।

हदीस - हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो आदमी किसी को अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने यानी ग़ीबत करने से ग़ायबाना यानी उस की ग़ैर हाज़िरी में रोके तो खुदा पर उस का हक़ है कि उसको दोज़ख़ की आग से आज़ाद कर दे।

- हवाला** 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 718, हदीस 4735, शफ़क़त व रहमत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 139, शफ़क़त व रहमत का बयान,

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और हर बन्दे की बरिखाश की जाती है, बशर्ते कि वह खुदा के साथ किसी को शरीक न करता हो और सिर्फ़ वे लोग इस बरिखाश से महरूम रह जाते हैं, जो किसी मुसलमान से कीना और अदावत रखते हैं और फ़रिश्तों से कहा जाता है कि इन लोगों को दो दिन की मोहलत दे दो, ताकि वे आपस में सूलह कर लें।

- हवाला** 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 723, हदीस 4780, तर्के मुलाक़ात में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 153 आदाब में।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है, जो आदमी खुदा की हदों में सिफ़ारिश करके रोक बने (यानी अल्लाह की हदों के लागू करने में अपनी सिफ़ारिश से रोक बने) उसने अल्लाह से ज़िद की और जो आदमी किसी ना हक़ या झूठी बात में झगड़ा करे और वह उस के हक़ होने को जानता हो, वह हमेशा खुदा के अज़ाब में रहता है, जब तक उस से बाज़ न आ जाए और जो आदमी किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बात कहे, जो उस में नहीं पायी जाती, वह उस वक़्त तक दोज़ख़ियों की पीप और कीचड़ और खून में रहेगा, जब तक उस से तौबा न कर ले।

- हवाला** 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 560, हदीस 3427, सज़ा की सिफ़ारिश का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 3, पृ० 321, किताबुल हुदूद।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, तुम जानते हो, मुफ़्लिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया हम में तो मुफ़्लिस वह आदमी है, जिस के पास न तो दिरहम (रुपया-पैसा) हो और न सामान व असबाब। आपने फ़रमाया, मेरी उम्मत में से कियामत के दिन मुफ़्लिस वह आदमी होगा जो दुनिया से नमाज़, रोज़ा और ज़कात वगैरह हर किस्म की इबादतें लेकर आएगा और साथ ही किसी को गाली देने, किसी पर तोहमत लगाने, किसी का माल खा जाने, किसी को ना हक़ मार डालने और किसी को ना हक़ मारने के गुनाह भी लाएगा। फिर एक मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा और दूसरे मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा

और जब उस की ये नेककियां खत्म हो जाएगी और लोगों के हक बाकी रह जाएंगे, तो उन हकदारों की बुराइयां और गुनाह उस पर डाल दिये जाएंगे और फिर उस को दोज़ख में डाल दिया जाएगा।

- हवाला** 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 733, हदीस 4871, जुल्म व सितम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 183, आदाब का बयान।

खात्मे की ख़बर खुदा ही को है

कुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के तेरहवें स्कूअ में आयत न० 129 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, वह सब अल्लाह का है। वह जिसे चाहे बरखा दे और जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह पाक बरख़ाने वाला बड़ा मेहरबान है।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है, सब का ख़ालिक व मालिक और रोज़ी देने वाला अल्लाह तआला है, हमें किसी बात में कुछ अख़्तियार नहीं है, वह जिस को चाहे अज़ाब करे और जिसको चाहे बरखा दे, हमें तो सिर्फ़ इतना हुक़म मिला है कि कोई मुसलमान भाई शरीअत के ख़िलाफ़ काम करता हो, तो उस को नमी से, इख़्लास से, प्यार से, मुहब्बत से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वह मान ले तो अच्छा है, अगर न माने तो उस के हक़ में अल्लाह तआला से हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। उस को काफ़िर, फ़ाजिर, फ़ासिक़, मुनाफ़िक़, लहहाबी, वहहाबी, गुमराह, खुरा, फिरा हुआ कहने से या गालियां और ताने देने से कोई इंसान हिदायत पर नहीं आ सकता और हमें ऐसा करना और दूसरे लोगों से कराना ज़ायज़ भी नहीं है इसलिए कि उस आदमी का हकीकी इल्म हमें नहीं है कि वह मरते वक़्त ईमानदार होकर मरेगा या काफ़िर होकर मरेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे काम करते रहते हैं और मरते वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ईमानदार होकर मरते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और मरते वक़्त काफ़िर होकर मरते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने रहम व करम से हम को हमारे आम मुसलमान भाइयों और बहनों को बुरी मौत से बचा कर ईमान के साथ दुनिया से उठाये। (आमीन)

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कसरत से यह फ़रमाते थे, 'ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर मज़बूरी से कायम रख। मैं ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम आप पर ईमान लाये और आप जो कुछ (खुदा की तरफ़ से) लाये, उस पर भी ईमान लाये तो हम लोगों के बारे में (दीन से फिर जाने का) आप अंदेशा रखते हैं? आपने फ़रमाया, हां क्योंकि (सब लोगों के) दिल अल्लाह तआला की दो उंगलियों के दर्मियान हैं। अल्लाह तआला उन

को जैसे चाहता है, फेर देता है।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 2 हदीस 9, तक्दीर का बयान।

हदीस - हज़रत सह्ल बिन साद साज़िदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और मुशिरकों से मुक़ाबला हुआ और दोनों तरफ़ वालों ने खूब लड़ाई की। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी फ़ौज में लौट कर आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों में से एक आदमी था, जो काफ़िरों का कोई भागा हुआ आदमी भी न छोड़ता था, उस के पीछे जाता और उसे अपनी तलवार से मार देता, तो सह्ल रज़ि० ने कहा कि आज हमारी तरफ़ से कोई आदमी ऐसा नहीं लड़ा जैसा फ़लां आदमी लड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, आगाह रहो। वह आदमी जहन्नम वालों में से है। हाज़िर लोगों में से एक आदमी ने कहा कि मैं उस के साथ रहूंगा। चुनांचे वह उस के साथ रहा, जहां कहीं वह खड़ा हुआ, वहीं यह भी खड़ा रहा और जब वह दौड़ा, तो यह भी उस के साथ दौड़ा। सह्ल रज़ि० कहते हैं, फिर यह आदमी सख़्त घायल हो गया, तो उसने मरने में जल्दी की और अपनी तलवार का कब्ज़ा ज़मीन पर टिका कर और उस की नोक अपने सीने के बीच में रख दी, फिर अपनी तलवार पर झुक पड़ा और अपने आप को क़त्ल कर डाला, (यानी खुदकुशी कर ली) पस वह आदमी रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप खुदा के रसूल हैं। हज़रत ने फ़रमाया, क्या हुआ? उस ने अर्ज़ किया, जिस के बारे में आप ने अभी फ़रमाया कि यह जहन्नमियों में से है और लोगों ने उसको बहुत सख़्त जाना था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इत्मीनान कराये देता हूँ। चुनांचे मैं उस की निगरानी में निकला। आख़िर में वह आदमी सख़्त घायल हो गया, फिर उस ने मरने में जल्दी की और अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। पस रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस वक़्त फ़रमाया कि एक आदमी जाहिर में दोज़ख़ वालों के काम करता है, हालांकि वह अख़िरकार जन्नत वालों में से होता है और एक आदमी जाहिर में जन्नत वालों के काम करता है, हालांकि वह अख़िरकार दोज़ख़ वालों में से होता है।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 11, पृ० 45, हदीस 155, जिहाद का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 20, हदीस 97, बाब 43, किताबुल ईमान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया और वह सादिक़ व मसूक़ थे कि तुममें से हर आदमी की पैदाइश उस की मां के पेट में पूरी की जाती है। चालीस दिन तक नुत्फ़ा रहता है, फिर उतने ही ज़माने तक बंधा हुआ खून रहता है, फिर उतने ही दिनों तक गोश्त का लोथड़ा रहता है, फिर अल्लाह फ़रिश्ता भेजता है और उसे चार बातों (के लिखने) का

हुक्म देता है कि उस का अमल, उसकी रोजी और उस की उम्र लिख दे और (यह लिख दे कि) नेक है, या बुरा, फिर उस में रूह फूंक दी जाती है, पस बेशक तुम में से कोई आदमी (ऐसे) अमल करता है कि उसके और जन्नत के दर्मियान में सिर्फ एक गज़ (की दूरी) रह जाती है, फिर उस पर लिखा हुआ ग़ालिब आ जाता है और दोज़खियों के अमल करने लगता है और कोई आदमी (ऐसे) अमल करता है कि उस के और दोज़ख के दर्मियान में सिर्फ एक गज़ (बाकी) रह जाता है, फिर उस पर खुदा का लिखा हुआ ग़ालिब आ जाता है और वह जन्नत वालों के काम करने लगता है।

हवाला 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 123, हदीस 439, पैदाइश का बाब।

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 2, हदीस 5, तक्दीर का बयान।

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 94, हदीस 75, तक्दीर का बयान।

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 49, ईमान का बयान।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया।

‘बन्दा हज़ारों, फिर हज़ारों वर्ष तक खुदा के यहां मोमिन लिखा रहता है, लेकिन मरता है इस हाल में कि खुदा उस पर नाराज़ होता है और बन्दा खुदा के यहां हज़ारों साल तक काफिर लिखा रहता है फिर मरते वक़्त खुदा-ए-तआला उस से खुश हो जाता है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 14, सूः कलम के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे ! इन हदीसों को नज़र में रख कर हमें चुप रहना ही बेहतर है ! अपनी नज़रों से अगर हम किसी को काफिर समझें तो यह हमारी नफ़्सानियत और जहालत है, क्योंकि किसी के मरते वक़्त की ख़बर हम को नहीं है कि वह मरने वाला ईमान पर मरा है या कुफ़र पर।

अच्छे अरूलाक़

कुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूः कलम के पहले रूकूअ में आयत न० 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ‘और बेशक आप बहुत बड़े (उम्दा) अरूलाक़ पर हैं।’ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम इर्शाद फ़रमाते हैं मैं बेहतरीन अरूलाक़ और पाक-साफ़ आदतों को पूरा करने के लिए आया हूँ।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 12, सूः कलम के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि-जितनी चीज़ें (क़ियामत के दिन) तराजू में रखी जाएंगी, उनमें से एक चीज़ भी अच्छे अख़्लाक़ से भारी नहीं (होगी) और अच्छे अख़्लाक़ वाला इस के ज़रिए रोज़ेदारों और नमाज़ी के दर्जे तक पहुंच जाता है।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 380, हदीस 1901, एहसान का बाब।

हदीस - हज़रत नवास बिन सम्ज़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नेकी और गुनाह का हाल मालूम किया। आपने फ़रमाया, नेकी अच्छे अख़्लाक़ का नाम है और गुनाह वह है, जो तेरे दिल में खटक पैदा करे और तू इस मामले को बुरा समझे कि लोग उसे जान जाएं।

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 728, हदीस 4823, हुस्ने खुल्क़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 168, हुस्ने खुल्क़ का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क्या मैं उस आदमी को बता दूँ, जिस पर दोज़ख़ की आग़ हराम हो। यह वह आदमी है जो नर्म मिज़ाज़, नर्म तबियत और नर्म खू हो।

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 729, हदीस 4833, अख़्लाक़ की फ़ज़ीलत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 170, हया और हुस्ने खुल्क़ का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हूज़ूर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मोमिन नेक, भोला और बुजुर्ग़ होता है और फ़ाजिर चालाक़, बख़ील और बुरे अख़्लाक़ का मालिक होता है।

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 729, हदीस 4834, अख़्लाक़ की फ़ज़ीलत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 170, हुस्ने खुल्क़ का बयान।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जिस आदमी को नर्मी में से हिस्सा दिया गया, उस को दुनिया व आख़िरत की भलाई दी गयी और जिस आदमी को नर्मी से महरूम रखा गया, उसको दुनिया व आख़िरत की भलाई से महरूम रखा गया।

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 728, हदीस 4826, अख़्लाक़ का बयान।

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 168, अख़्लाक़ का बयान।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना, मोमिन (कामिल) अपने अच्छे अख़्लाक़ के ज़रिए रात को इबादत करने वाले और दिन को हमेशा रोज़ा रखने वाले आदमी का दर्जा हासिल कर लेता है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 728, हदीस 4831, अख़्लाक़ का बयान।

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 169, अख़्लाक़ का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तुम जानते हो, जन्नत में आदमी को अक्सर कौन सी चीज़ दाख़िल करती है, वह चीज़ अल्लाह से डरना और अच्छा अख़्लाक़ है और तुम जानते हो, दोज़ख़ में लोगों को अक्सर कौन सी चीज़ ले जाती है, वह दो चीज़ें हैं, मुंह और शर्मगाह।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 701, हदीस 4593, ग़ीबत का बयान।

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 97, आदाब का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

अबूज़र! मैं तुझ को दो ऐसी बातें बताऊं जो निहायत सुबुक और हल्की हैं, लेकिन आमाल के तराजू में बहुत भारी हैं। अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, हां, जरूर बताइए। आपने फ़रमाया, लम्बी ख़ामोशी और अच्छा अख़्लाक़। कसम है उस ज़ात की, जिस के कब्जे में मेरी जान है इन दो आदतों से बेहतर मख़्लूक के लिए कोई काम नहीं।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 704, हदीस 4624, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 106, आदाब का बयान।

हदीस - हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क़ियामत के दिन मुझ को सब से ज़्यादा अज़ीज़ व महबूब और मुझ से करीब तर वे लोग होंगे जो तुम में ज़्यादा अच्छे अख़्लाक़ वाले हैं और ग़ैर महबूब और ग़ैर अज़ीज़ और मुझसे बहुत दूर वे लोग होंगे जो बद-अख़्लाक़ हैं (और बद अख़्लाक़ वे हैं) जो ज़्यादा बातें बनाने वाले, बे-एहतियाती से बेकार बातें करने वाले और तकब्बुर करने वाले हैं।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 698, हदीस 4560, बयान व शेअर का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 88, बयान व शेअर का बयान।

हदीस - हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

तू मोमिनों को आपस में रहम करने, मुहब्बत रखने और मेहरबानी करने में ऐसा पाएगा जैसा कि बदन है कि जब बदन का कोई अंग दुखता है, तो सारे बदन के अंग उस के दुख में शरीक हो जाते हैं और जागने और तपने में सारा जिस्म शरीक रहता है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 715, हदीस 4707, मख़्लूके खुदा पर शफ़क़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 130, मख़्लूके खुदा पर शफ़क़त का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

कसम है उस ज़ात की, जिस के कब्ज़े में मेरी जान है कि बन्दा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक कि अपने (मुसलमान) भाई के लिए भी उस चीज़ को पसन्द न करे जिस को वह अपने लिए पसन्द करता है, यानी दीन व दुनिया की भलाई में से जिन चीज़ों को अपने लिए पसन्द करता है, सारे मुसलमानों के लिए भी उन को पसन्द करे।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 716, हदीस 4715, मख़्लूके खुदा पर शफ़क़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 133, मख़्लूके खुदा पर शफ़क़त का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जो आदमी मेरी उम्मत में से किसी आदमी की (दीनी या दुनियावी) ज़रूरत को पूरा करे और उस से उस का मंशा उस आदमी को खुश करना हो, तो उसने मुझ को खुश किया और जिस ने मुझ को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और जिसने अल्लाह को खुश किया, अल्लाह उसको जन्नत में दाख़िल करेगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 719, हदीस 4750, मख़्लूके खुदा पर शफ़क़त का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 143, मख़्लूके खुदा पर शफ़क़त का बयान।

तौबा

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूर: निसा के सोलहवें रूकूअ में, आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो आदमी कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक़ में जुल्म करे, फिर खुदा से बख़्शिश मांगे, तो अल्लाह तआला को बड़ी रहमत वाला, बड़ी मग़्फ़िरत वाला पाएगा।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क्या कोई आदमी पानी पर इस तरह चल सकता है कि उस के पांव तर न हों? सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया, नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आपने फ़रमाया, यही हाल दुनियादार का है कि गुनाहों से बचा नहीं रहता।

- हवाला**
1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 745, हदीस 4949, रिक्क़ का बयान,
 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 216, रिक्क़ का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी ऐसा (पाक व साफ़) हो जाता है, जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किया।

- हवाला**
1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 388, हदीस 2237, इस्तग़फ़ार व तौबा का बयान,
 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 294, इस्तग़फ़ार व तौबा का बयान।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला की यह हिक़ायत बयान फ़रमायी कि एक आदमी ने गुनाह किया और और कहा, ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे तो खुदावन्द तआला फ़रमाता है, मेरे बन्दे ने एक गुनाह किया और वह जानता है, उसका एक परवरदिगार है, जो गुनाहों को बख़्श देता है और गुनाहों पर पकड़ भी करता है, मैंने अपने उस बंदे को बख़्श दिया। इसी तरह तीन बार कहा।

(मुख्तसर)

- हवाला**
1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 205, हदीस 1024, बाब 477, तौबा का बयान,
 2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30 पृ० 574, हदीस 2352, तौहीद का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फ़रमाते थे, खुदा की क़सम! मैं एक दिन में सत्तर बार से ज़्यादा (यानी हर वक़्त) अल्लाह तआला से तौबा और इस्तग़फ़ार करता हूँ।

- हवाला** 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 286, हदीस 1230, दुआ का बयान,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 382, हदीस 2198, तौबा का बयान।
 3. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 283, तौबा का बयान।

कुरआन शरीफ के सोलहवें पारे में सूर: मरयम के चौथे रकूअ में आयत न० 60 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - हां, जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किये तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका ज़रा भी नुक़सान न किया जाएगा।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

तुम से पहले लोगों (यानी बनी इस्राईल) में एक आदमी था, जिसने निन्नान्वे आदमियों को क़त्ल किया था। उसने लोगों से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? उसको एक राहिब का पता दिया गया। वह आदमी उस आबिद (इबादत गुज़ार) के पास पहुंचा और उस से कहा कि मैंने निन्नान्वे को क़त्ल किया है, क्या मेरी तौबा कुबूल हो सकती है? उस आबिद ने जवाब में कहा कि नहीं (हो सकती)। यह सुन कर उसने आबिद को भी मार डाला और पूरी सौ की तायदाद कर ली। उस के बाद उसने पूछा कि दुनिया में सब से बड़ा आलिम कौन है? उस को एक आलिम का पता दिया गया उसने उस के पास पहुंच कर कहा मैंने सो आदमियों को क़त्ल कर दिया है। क्या मेरी तौबा कुबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा हां! (हो सकती है) तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दर्मियान कोई चीज़ भी रोक नहीं बन सकती। तुम फ़लां बस्ती में जाओ, वहां तुम को कुछ लोग खुदा की इबादत करते हुए मिलेंगे, तुम भी उनके साथ खुदा की इबादत करो और अपनी बस्ती में वापस आ जाओ। चुनांचे वह आदमी उस बस्ती की तरफ़ रवाना हो गया। अभी आधा रास्ता भी तै न हुआ था कि मौत ने उसको पकड़ लिया। उसकी मौत के बाद रहमत के फ़रिश्तों ने कहा, यह आदमी तौबा कर के खुदा की तरफ़ मुतवज्जह होकर आया है, (इसके लिए इसकी रूह (आत्मा) को हम ले जाएंगे)। अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा, इस आदमी ने कभी कोई नेक काम नहीं किया (इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे)। आख़िर एक फ़रिश्ता आदमी की शकल में (उन के झगड़े का फैसला करने) आया और रहमत और अज़ाब के फ़रिश्तों ने उसको अपना हक़म (फैसला करने वाला) मुक़रर कर लिया। उसने कहा कि दोनों तरफ़ की ज़मीनों को नापो, जिधर का रास्ता उस आदमी के करीब हो, उस को उसी की जानिब गिन लो (यानी अगर वह जगह इस आदमी के करीब है, जहां से यह चला है तो यह गुनाहगार है, इसलिए कि नेकी की जगह इस से दूर है। अगर वह जगह करीब है, जिधर वह जा रहा था, तो फिर यह गुनाहगार नहीं है, इसलिए कि गुनाह की जगह से दूर और नेकी की जगह से करीब पहुंच गया) चुनांचे ज़मीन को नापा गया, तो उस जगह को करीब पाया गया, जिधर को वह जा रहा था और रहमत के फ़रिश्तों

ने उस की रूह को अपने कब्जे में कर लिया। जब उस आदमी को मौत ने पकड़ लिया था, तो वह सीने के बल (यानी घसिटते हुए) कुछ आगे बढ़ गया था, ताकि वह उस जगह के करीब हो जाए जहां वह जा रहा था।

और एक रिवायत में है कि जब ज़मीन को नापा गया तो इबादत गुज़ार लोगों की आबादी का फ़ासला सिर्फ़ एक बालिशत करीब था, इस लिए उसको नेक लोगों की आबादी में गिन लिया गया और एक रिवायत है कि जब उस आदमी को जीच रास्ते में मौत आ गयी तो खुदा ने ज़मीन को हुकम दिया कि वह ज़मीन, जिधर से वह आ रहा था, दूर हो जाए और वह ज़मीन, जिधर वह जा रहा था, करीब हो जाए।

- हवाला** 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 207, हदीस न० 1029, बाब 480, तौबा का बयान,
 2. बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 2, पारा 14, पृ० 185, हदीस न० 681, बनी इस्राईल का बयान,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 383, हदीस 2202, तौबा का बयान
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 285, तौबा का बयान।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! देखा तौबा का फल कि उस के ज़िन्दगी भर के गुनाह बरखा दिए गये। वह डाकू था, लुटेरा था, कातिल था, सब कुछ था, लेकिन दिल में नदामत आयी और दिल के साथ अपने मालिक की तरफ़ झुक पड़ा तो रहमते खुदावन्दी ने उस को अपने दामन में ले लिया। खुदा की रहमत तो बन्दे से बहुत करीब रहती है, लेकिन हम उस से दूर भाग रहे हैं। यह है हमारी जहालत।

कुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूर: जुमर के छठे रूकूअ में आयत न० 53 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा -मेरी जानिब से कह दो कि ऐ मेरे बन्दो ! जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म व ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो जाओ। यकीनन अल्लाह तआला (तुम्हारे) सारे गुनाहों को बरखा देता है। वाकई वह बड़ी बरिख़िश और बड़ी रहमत वाला है।

इस आयत में तमाम ना फ़रमानों को, चाहे वे मुशिरक व काफ़िर हों। तौबा की दावत दी गयी है और बताया गया है कि खुदा की जात ग़फ़ूर (माफ़ करने वाली) रहीम (रहम करने वाली) है। वह हर तौबा करने वाले की तौबा कुबूल करता है। हर झुकने वाले की तरफ़ मुतवज्जह होता है। तौबा करने वाले के अगले गुनाह भी माफ़ फ़रमा देता है, चाहे वे कैसे ही हों, कभी के हों।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 10, सूर: जुमर के छठे रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने,

शैतान ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया, कसम है तेरी इज़्जत की, ऐ परवरदिगार! मैं

हमेशा तेरे बन्दों को गुमराह करता रहूंगा, जब तक उन की रूहें उनके जिस्मों में हैं। परवरदिगार बुजर्ग व बरतर ने फ़रमाया और क़सम है मुझ को अपनी इज़्जत और अपने जलाल की और अपने बुलन्द मर्तबे की, जब तक मेरे बंदे मुझ से बख़्शाश मांगते रहेंगे, मैं हमेशा उन को बख़्शाता रहूंगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 385, हदीस न० 2218, तौबा का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 289, तौबा का बयान।

3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 27 सूः आले इम्रान के चौदहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के पचीसवें पारे में सूः शूरा के तीसरे रूकूअ में, आयत न० 25 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - वही तो खुदा है जो अपने बंदों की तौबा क़ुबूल कर लेता है और गुनाहों से दरगुज़र करता है और जो कुछ तुम कर रहे हो, सब जानता है।

अल्लाह तआला अपना एहसान और अपना करम बयान फ़रमा रहा है कि वह अपने बंदों पर इस क़दर मेहरबान है कि बद से बद गुनाहगार भी जब अपनी बद-किरदारी से बाज़ आ जाता है और खुलूस के साथ उस के सामने झुक जाता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तो वह अपने रहम व करम से उस पर परदा डालता है और उस के गुनाह माफ़ कर देता है और अपनी मेहरबानी उस के शामिले हाल कर देता है।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 16, सूः शूरा के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात के वक़्त बयान दिया कि मैंने एक हदीस छिपा रखी थी, वह सुनाता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

अगर तुम लोग गुनाह न करते तो अल्लाह तआला एक और मख़्लूक़ पैदा करता जो गुनाह करती और अल्लाह तआला उस को बख़्शा देता।

हवाला 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 204, हदीस न० 1017, बाब 474, तौबा का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 332, हदीस न० 1387, दुआ का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 383, हदीस 2203, तौबा का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 286, तौबा का बयान।

इंसान से गुनाह तो हो ही जाते हैं, लेकिन गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा कर लेना और आगे ऐसा गुनाह न करना, यह है अक़लमंदी की बात।

कुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के चौदहवें रकूअ में, आयत न० 135 में अल्लाह तआला फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं, फिर फौरन ही अल्लाह का ज़िक्र और इस्तग़फ़ार करने लग जाते हैं, वे जानते हैं कि अल्लाह के सिवा माफ़ करने वाला है भी कौन और वे जान बूझ कर अपने गुनाहों पर अड़े नहीं रहते।

ज़रा सा भी गुनाह हो गया, लज़िश खा गये, तो फौरन अल्लाह को याद कर लिया और जान बूझ कर अपने गुनाहों पर अड़े नहीं रहते कि शराब पीना है तो पीना है, जुआ खेलना है तो खेलते ही रहना है, चोरी करना है तो करनी है, झूठ बोलना है तो बोलना है, शिर्क व कुफ़र और बिदअतें करनी हैं तो करनी हैं, नमाज़ नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना तो नहीं रखना, दाढ़ी मुंडवानी है तो मुंडवानी है, शतरंज, ताश और जुआ खेलना है तो, खेलना ही है, हज को नहीं जाना तो नहीं जाना, ज़कात नहीं देनी तो नहीं देनी, ब्याज खाना तो खाते ही रहना है, बल्कि जान-बूझ कर, इरादा कर के अपने गुनाहों पर अड़े नहीं रहते ऐसे लोगों के लिए फ़रमाया है-

कुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के चौदहवें रकूअ में आयत न० 136 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - यही वे लोग हैं, जिनके लिए अल्लाह तआला के यहां मग़्फ़िरत है और जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे। नेक कामों के करने वालों का सवाब बहुत ही अच्छा है।

हदीस - हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब कोई बंदा खुदा से तौबा करता है, तो वह अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है और इस क़दर खुश होता है कि इतना खुश तुम में से वह आदमी भी नहीं होगा, जो अपनी सवारी पर एक चटयल मैदान में जा रहा हो, फिर वह सवारी गुम हो गयी हो और उस पर उस का खाना और पानी भी हो और वह (काफ़ी तलाश करने के बाद) ना-उम्मीद होकर एक पेड़ के पास आया हो और उस के साए में लेट गया हो। पस वह इसी मायूसी की हालत में ख़ामोश व दुखी पड़ा हो कि यकायक उस की सवारी उस के पास आ खड़ी हो, उस ने उस की रस्सी पकड़ ली हो और खुशी की ज़्यादती की वजह से उसके मुंह से ये ग़लत लफ़ज़ निकल गये हों, ऐ अल्लाह। तू मेरा बंदा है और मैं तेरा परवरदिगार !

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 203, हदीस 1016, बाब 474, तौबा का बयान,

2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 383, हदीस 2207, तौबा का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 286, तौबा का बयान।

जिस तरह उस को सवारी मिलने पर खुशी हासिल हुई और जुबान से उलटे लफ़्ज़ निकल गये क्या उसकी खुशी का अन्दाज़ा हम लगा सकते हैं? इसी तरह जब तौबा करने वाला तौबा करता है, तो अल्लाह तआला भी ऐसे ही खुश होते हैं कि मेरा बन्दा जानता है कि उस का कोई बख़्ताने वाला है।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: नहल के पन्द्रहवें रकूअ में, आयत न० 119 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा - आप का रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की वजह से बुरा काम किया और उस के बाद तौबा कर ली और (आगे के लिए) अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, तो अल्लाह तआला (इस तौबा के बाद) बड़ी मग्फ़रत करने वाला और बड़ी रहमत वाला है।

कोई इंसान अगर अपनी ख़ताओं पर दयानतदारी से नज़र डालेगा, तो इन्शाअल्लाहु तआला वह दुसरो को हकीर नहीं समझेगा और तौबा करने वालों के लिए तो अल्लाह की रहमत का बहुत बड़ा और फैला मैदान मौजूद है। है कोई तौबा करने वाला।

कुरआन करीम के आठवें पारे में सूर: अन्-आम के चौदहवें रकूअ में आयत न० 120 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ो, बिला शुब्हा जो लोग गुनाह कर रहे हैं, उन को किये की बहुत जल्द सज़ा मिलेगी।

मेरे रब ने हर किस्म की ख़्वाहिश हराम कर दी है, चाहे वे एलानिया हों या छिपे तौर पर हों। फ़रमाया कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं, ज़रूर उनको अपने अमल का बदला दिया जाएगा, चाहे वे ज़ाहिर हो या छिपे हुए।

हवाला तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 6, सूर: आन-आम के चौदहवें रकूअ की तफ़्सीर में।

कुछ गुनाह वह होते हैं जो इंसान करता है और किसी से नहीं डरता, बल्कि ललकार कर कहता है, किसी में हिम्मत हो तो हम को रोक ले और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान इंसान से शर्माता है कि अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, हालांकि उस को खुदा से शर्माना चाहिए था। दुनिया में कोई देखे न देखे, लेकिन खुदा तो देख ही रहा है। इन दोनों किस्म के गुनाहों से तौबा कर लो, इन्हें भी छोड़ दो उन्हें भी छोड़ दो।

हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं- 'जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जब कोई बन्दा अपने दरवाज़े को बन्द करता है और परदे डाल लेता है और मख़्लूक से छिप कर अकेले में हक़ तआला की ना-फ़रमानियां करता है, तो हक़ तआला फ़रमाता है, ऐ इब्ने आदम ! तू ने अपनी तरफ़ देखने वालों में सब से ज़्यादा मुझ को कमतर समझा।

हवाला - फुयूजे यज़दानी, पृ० 66, मज्लिस 9।

कुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: निसा के तीसरे रकूअ में आयत न० 17-18 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - तौबा जिस का कुबूल करना अल्लाह तआला के जिम्मे है, वह तो उन ही की है जो हिमाकत से कोई गुनाह कर बैठते हैं, फिर करीब ही वक़्त में तौबा कर लेते हैं, सो ऐसों पर तो अल्लाह तआला तवज्जोह फ़रमाते हैं और अल्लाह तआला ख़ूब जानते हैं हिक्मत वाले हैं और ऐसे लोगों की तौबा नहीं, जो गुनाह करते रहते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूं और न उन लोगों की (तौबा कुबूल करते हैं) जिन को कुफ़्र की हालत पर मौत आ जाती है। उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है।

जो भी मोमिन बंदा अपनी मौत से महीने भर पहले तौबा कर ले, उस की तौबा अल्लाह तआला कुबूल फ़रमा लेता है, यहां तक कि उस के बाद भी, बल्कि मौत से एक दिन पहले भी, बल्कि एक साअत पहले जो भी इख़्लास और सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ़ झुके, अल्लाह तआला उसे कुबूल फ़रमाता है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 91, सूर: निसा के तीसरे रकूअ की तफ़सीर में।

जब जिंदगी से मायूस हो जाए, फ़रिश्तों को देख ले और रूह बदन से निकल कर हलक़ तक पहुंच जाए, सीने में घुटने लगे, हलक़ में अटके, गरगरा शुरू हो तो उसकी तौबा कुबूल नहीं होती, इसी लिए इस के बाद फ़रमाया कि मरते दम तक जो गुनाहों पर अड़ा रहे और मौत देख कर कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं तो ऐसे आदमी की तौबा कुबूल नहीं होती।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा न० 4, पृ० 91, सूर: निसा के तीसरे रकूअ की तफ़सीर में।

मरते वक़्त तो फ़िरऔन ने भी तौबा की थी, लेकिन अल्लाह तआला में कुबूल नहीं की।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के नवें रकूअ में आयत नं० 90 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने बनी इस्राईल को दरिया से पार कर दिया, फिर उन के पीछे-पीछे फ़िरऔन मय अपने लश्कर के जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहां तक कि जब डूबने लगा, तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूं कि उसके अलावा कि जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये हैं कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में दाख़िल होता हूं।

जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया तो बोल उठे कि हम एक खुदा पर ईमान लाये और कुफ़्र व शिर्क से बाज़ आये, लेकिन हमारा अज़ाब देख चुकने के बाद ईमान नफ़ा बरखा नहीं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 78, सूर: यूनुस के नवें रकूअ की तफ़सीर में।

जब फिरऔन कलिमा पढ़ने लगा और ईमान का इकरार किया और अपनी खताओं से, अपनी लज़िशों से, अपने गुनाहों से, अपने काले, करतूतों से बाज़ आने के लिए तौबा का इज़हार किया, तो अल्लाह तआला ने जवाब दिया-

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के नवें रकूअ में आयत न० 91 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, पहले से सरकशी करता रहा और फसादियों में दाखिल रहा।

अल्लाह पाक ने फिरऔन के जवाब में कहा कि, अब ईमान लाता है और अब तक ना-फरमान और काफ़िर बना हुआ था और फ़िल्ने मचा रहा था और लोगों को गुमराह कर रहा था।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 78, सूर: यूनुस के नवें रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन मजीद के उन्नीसवें पारे में सूर: फुर्कान के छठे रकूअ में, आयत न० 70 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जिसने तौबा की और ईमान लाए और अच्छे काम किये तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह तआला नेकियों से बदल देगा और खुदा तो बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।

इस आयत की तफ़सीर में हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं, गुनाह के बदले सवाब के काम करने लगे, शिर्क के बदले तौहीद पर जम गये, बद कारी के बदले पाकदामनी हासिल हुई, कुफ़्र के बदले इस्लाम मिला। एक मायने तो इस आयत के यह हुए। दूसरे मायने यह है कि खुलूस के साथ उन की जो तौबी थी, उस से खुश होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन के गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। यह इस लिए कि तौबा के बाद जब कभी उन्हें गुनाह याद आते थे, तो उन्हें शर्मिंदगी होती थी। यह ग़मगीन हो जाते थे, शमनि लगते थे और इस्तग़फ़ार करते थे। इस वजह से उन के गुनाह ताअत से बदल दिये गये हैं, गो वह उन के आमालनामे में गुनाह के तौर पर लिखे हुए थे, लेकिन क़ियामत के दिन वह सब नेकियां बन गये।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 20, सूर: फुर्कान के छठे रकूअ की तफ़सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! रहमते खुदावंदी के तो ख़ज़ानों के मुहाने खुले हुए हैं, लेने वाला चाहिए, तौबा करने वाला चाहिए। आज तक जितने भी गुनाह किये हों, सब नेकियों से बदल दिये जाएंगे, नमाज़ें छोड़ कर जितने गुनाह कमाये, जुआ खेल कर जितनी बुराई कमायी, शराब व कबाब में परवरदिगार की जितनी नाफ़रमानी हासिल की और भी जितने काले करतूत किये, तौबा कर ले, सब नेकियों से बदल जाएंगे, यानी दुनिया में किये हुए गुनाहों की जगह नेकियों की तौफीक़ मिलेगी और आख़िरत में उनके बदले नेकियों का सवाब मिलेगा, जितने उर्स और क़व्वाली में गुनाह कमाये, वे सब तौबा करने से नेकियों में बदल दिये जाएंगे, जितना मुसलमानों को सता

कर, उन्हें मार पीट कर, उन्हें गालियां देकर, उन्हें ताने दे देकर उन का मजाक उड़ा कर, उन्हें इस्लाम से खारिज बता कर, उन्हें काफिर व फ़ाजिर कह कर उन्हें फ़ासिक व मुनाफ़िक बतलाकर उन्हें वहहाबी, लहहाबी, बेईमान, बे दीन, ग़ैर-मुक़ल्लिद, खुर्रा, फिरा हुआ के खिताब देकर परवरदिगार का गुस्सा कमाया है और तौबा कर के और माफ़ करा कर सही दीन पर आ जाओ, वह गुस्सा ग़फ़ूरहीम की रज़ामंदी और रहमत में बदल जाएगा। कुरआन व हदीस से मुंह मोड़ कर अंबिया, औलिय, ग़ौस, कुत्ब, अब्दाल और उलेमा-ए-हक के रास्ते को छोड़कर जितनी भी रस्में और बिदाअतें कर के ढोल-ताशे, ताबूद बना कर जेबभरू पीरों को और पेटभरू मौलवियों को अपना पेशवा बना कर जितने भी कुफ़्र व शिर्क और जहालत के बद-तरीन गुनाह किये हैं वे सब तौबा कर के शरीअते मुहम्मदिया पर आ जाने के बाद नेकियों में बदल जाएंगे। मुख़्तसर यह कि बन्दा अगर अपने गुनाहों में सर से पांव तक डूबा हुआ हो और चाहे दिन की रोशनी में खुले हुए और रात के अंधेरो में छिपे हुए गुनाहों की तायदाद ज़मीन से आसमान तक या पूरब से पच्छिम तक फैली हुई हो और उस हालत में भी अपनी जहालत छोड़ कर तौबा कर के शरीअत पर आ जाए तो यकीनन परवरदिगार अपनी अनगिनत रहमतों के साथ उस की तरफ़ मुतवज्जह होने के लिए हर वक्त तैयार है। अगर फिर भी ऐ मेरे अज़ीज़! तौबा की तौफ़ीक़ नसीब न हो तो इस से बड़ी नाकामी और इस से बड़ी बद-किस्मती और जहालत क्या हो सकती है?

हदीस - हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

मैं जानता हूँ उस आदमी को, जो सब के बाद जन्नत में जाएगा और सब से आखिर में दोज़ख़ से निकाला जाएगा। वह आदमी वह है, जो क़ियामत के दिन खुदा के दरबार में लाया जाएगा और हुक्म होगा कि उस के सगीरा यानी छोटे छोटे गुनाह उस के सामने पेश करो और उसके कबीरा यानी बड़े-बड़े गुनाह अलग (छिपा कर) रखो। चुनांचे सगीरा गुनाह उस के सामने पेश किये जाएंगे, और पूछा जाएगा, फ़लां दिन तू ने ऐसा ऐसा किया था और फ़लां दिन तू ने ये काम किये थे? वह इंकार नहीं कर सकेगा और कहेगा, हां, (मैं ने ये गुनाह किये थे), लेकिन कबीरा गुनाहों से डर रहा होगा। फिर उस से कहा जाएगा, तेरे हर गुनाह के बदले में एक नेकी है। यह सुन कर वह अर्ज़ करेगा, परवरदिगार! मैंने कुछ और (गुनाह के बड़े-बड़े) काम भी किये थे, जिन को मैं यहां नहीं देख रहा। (पहले तो ज़ाहिर होने से डर रहा था और अब इस नीयत से कह रहा है कि शायद उन गुनाहों के बदले में भी नेकियां मिल जाएं तो अच्छा है) इस बात को बयान करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी हंस पड़े।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 39, हदीस 171, बाब 69, किताबुल ईमान,

2. शमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 170, हदीस 4, हुज़ूर सल्ल० के हंसने का बयान,

3. तपसीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 20, सूः फुर्कान के छठे स्कूअ की तपसीर में।

हमारे गुनाह अगर समुद्र की मोजों के बराबर होंगे, तब भी बरखा देगा और इतनी ही नेकियां देगा और अगर समुद्र के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे, तब भी अल्लाह तआला बरखा देगा और उतनी ही नेकियां देगा और अगर पेड़ों के पत्तों के बराबर भी गुनाह होंगे, तब भी बरखा देगा और उतनी ही नेकियां देगा और अगर आसमान के सितारों के बराबर गुनाह होंगे, तब भी बरखा देगा और उतनी ही नेकियां देगा और अगर बारिश की बूंदों के बराबर गुनाह होंगे, तब भी बरखा देगा और उतनी ही नेकियां देगा। सुब्हानल्लाह ! अल्लाह पाक की रहीमी और करीमी को देखिए कि गुनाह तो माफ़ किये ही जा रहे हैं और उसके अलावा उतनी ही नेकियां दी जा रही हैं।

कुरआन करीम के सोलहवें पारे में, सूः ताहा के चौथे स्कूअ में, आयत न० 82 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जो तौबा करे और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर चले, उस को मैं बरखा देने वाला हूँ।

हदीस - हज़रत नवास बिन सम्ज़ान रज़ियल्लहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा। आपने फरमाया, कि नेकी अच्छे अस्लाक का नाम है और गुनाह वह है जो तेरे दिल में खटक पैदा करे और जिस पर लोगों की अगाही को तू पसन्द न करे।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 51, हदीस न० 251, जुहद का बयान।

मेरे मोहतरम दोस्त ! नेकी वह है जो दिल में इत्मीनान पैदा करे और गुनाह वह है जो दिल में खटक पैदा करे। अब तू अपने दिल से ईमानदारी के साथ पूछ ले कि जो काम तू कर रहा है, वह कैसा है। अगर दिल में इत्मीनान पैदा करता है, जब तो ठीक है और अगर खटक पैदा करता है, तो तौबा कर ले।

आज मुसलमानों पर दुनिया के दरवाज़े एक-एक कर के बन्द होते जा रहे हैं, सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा ग़फ़ूरहीम का हमारे लिए हर वक्त खुला है। है कोई बन्दा अपने मालिक मेहरबान की तरफ़ आने वाला?

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूः निसा के 21 वें स्कूअ में आयत न० 146 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - लेकिन जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह तआला पर पूरा यकीन रखें और अपने दीन को ख़ालिस अल्लाह ही के लिए किया करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और मोमिनों को बहुत जल्द अल्लाह तआला बड़े बदले अता फरमाएंगे।

जो तौबा कर लें, नादिम हो जाएं और सच्चे दिल से निफ़ाक़ से हट जाएं और रब से अपने इस गुनाह की माफ़ी चाहें, फिर अपने आमाल में इस्लाम पैदा करें, सिर्फ़ अल्लाह की खुशी और मौला की मर्ज़ी के लिए नेक आमाल पर कमर कस लें, दिखावे को इस्लाम से बदल दें, खुदा के दीन को मजबूती से थाम लें, तो बेशक अल्लाह तआला उनकी तौबा कुबूल फ़रमा लेगा और उन्हें सच्चे मोमिनों में दाख़िल करेगा और बड़े सवाब और बड़ा अज़्र इनायत फ़रमाएगा।

हवाला तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 120, सूः निसा के इक्कीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

अगर तुम अपने आमाल को संवार लो और खुदा पर और उस के रसूल सल्ल० पर सच्चे दिल से ईमान लाओ तो कोई वजह नहीं जो खुदा तुम्हें अज़ाब करे। वह तो छोटी-छोटी नेकियों की भी क़द्रदानी करने वाला है। जो उस का शुक्र करे, उस की इज़्जत बढ़ाता है, वह पूरे और सही इल्म वाला है, जानता है किस का अमल इस्लाम वाला और कुबूलियत और क़द्र के लायक है। उसे मालूम है कि किस दिल में मजबूत ईमान है और कौन-सा दिल ईमान से खाली है। जो इस्लाम और ईमान वाले हैं, उन्हें भरपूर अमल और कामिल बदला अल्लाह तआला इनायत फ़रमाएगा।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 120, सूः निसा के इक्कीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन करीम के अठईसवें पारे में, सूः तहरीम के दूसरे रूकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह के सामने सच्ची ख़ालिस तौबा करो। मुम्किन है कि तुम्हारा पालनहार तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में पहुंचा दे जिन के नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन अल्लाह तआला नबी को और ईमानदारों को जो उन के साथ हैं, रुसवा न करेगा, उन का नूर उन के सामने और उन के दाएं दौड़ रहा होगा। ये दुआएं करते हुए (चलेंगे और कहेंगे) ऐ हमारे रब ! हमें और नूर अता फ़रमा और हमें बरखा दे। यकीनन तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है।

फ़रमान है कि ख़ालिस तौबा करने वाले क़तई तौर पर अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेंगे और हरी-भरी जन्नतों में जाएंगे। फिर इर्शाद है, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला अपने नबी और उन के ईमानदार साथियों को हरगिज़ शर्मिंदा न करेगा, उन्हें खुदा की तरफ़ से नूर आता होगा, जो उन के आगे-आगे और दायीं तरफ़ होगा और सब अंधेरे में होंगे और ये रोशनी में होंगे।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 101, सूः तहरीम के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

बेहतरीन उम्मत

जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक शान तमाम नबियों में सब से ऊंची और अफज़ल है, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत की शान तमाम नबियों की उम्मतों से ऊंची और अफज़ल है।

कुरआन मजीद के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के ग्यारहवें रूकूअ में आयत न० 104 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और तुम में एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ़ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं।

हदीस - हज़रत मुगीरह बिन शोबा रज़िल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा ग़ालिब रहेगा, यहां तक कि क़ियामत आ जाएगी और वह ग़ालिब ही रहेगा।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 521, हदीस 2171, बाबे ऐतसाम,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 80, हदीस 345, वाब, 162, किताबुल इमार:
कुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के बारहवें रूकूअ में आयत न० 110 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए ही पैदा की गयी हो, तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो।

हदीस - हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मेरे मालिक ने मुझ से वायदा किया है कि मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे और उन में से हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार आदमी होंगे, इन के आलावा मेरे मालिक की तीन मुट्ठियां होंगी, (जो हशर के मैदान में से भर कर जन्नत में डाल दी जाएंगी।)

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 62, हदीस 301 अबवाबुल क़ियामत वर्रिकाक़,
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 650, हदीस 4283, परहेज़गारी का बयान।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि- मुझे मेरे रब ने सत्तर हज़ार आदमियों को मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होने की खुशख़बरी दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुन कर फ़रमाया,

हुज़ूर सल्ल० ! कुछ और ज़्यादा तलब करते (तो फिर) ? आपने फ़रमाया, मैंने अपने रब से सवाल किया, तो मुझे खुशख़बरी मिली कि हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार होंगे। फ़ारूके आज़म रज़ि० ने कहा, हुज़ूर ! और बरकत की दुआ करते, (तो फिर) ? आपने फ़रमाया, मैंने फिर दुआ की, तो हर-हर आदमी के साथ सत्तर हज़ार का वायदा हुआ। हज़रत उमर रज़ि० ने फिर गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! और कुछ मांगते (तो फिर) ? आपने फ़रमाया, मांगा तो मुझे इतनी ज़्यादाती और मिली और फिर दोनों हाथ फैला कर बताया कि इस तरह।

हदीस की रिवायत करने वाले कहते हैं, इस तरह जब खुदा समेटे तो खुदा ही जानता है कि किस क़दर मख़्लूक इस में आएगी।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 13, सूः आले इम्रान के बारहवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूले अन्वर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जब क़ियामत का दिन होगा तो किसी नबी के साथ एक मोमिन आदमी होगा, किसी के साथ दो ही आदमी होंगे, किसी के साथ तीन, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ इस से कम, किसी नबी के साथ कोई नहीं होगा। उन से पूछा जाएगा, तुमने अपनी क़ौम को तब्लीग़ कर दी थी ? वे अर्ज़ करेंगे, जी हां, कर दी थी, तब उन की क़ौम को बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा, (क्या इन नबियों ने तुम को मेरा पैग़ाम पहुंचाया था ?) वे लोग इससे इंकार कर देंगे, तब अल्लाह तआला (नबियों से) फ़रमाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है ? वे नबी अर्ज़ करेंगे, उम्मत मुहम्मदी ! उस वक़्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत को बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा कि फ़लां-फ़लां नबी ने अपनी उम्मत को तब्लीग़ कर दी थी ? ये अर्ज़ करेंगे, जी हां, कर दी थी। उन से सवाल होगा कि तुम को कैसे मालूम हुआ ? वे अर्ज़ करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तमाम नबियों ने अपनी क़ौमों को तब्लीग़ कर दी थी और हमने अपने पैग़म्बर के लाये हुए की तस्दीक़ कर ली थी।

- हवाला** 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 144, हदीस 562, पैदाइश का बयान
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 650, हदीस न० 4281, परहेज़गारी का बयान।

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूः बकरः के सत्तरहवें रूकूअ में, आयत न० 143 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने इसी तरह तुम्हें आदिल यानी इंसाफ़ करने वाली उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं।

सुब्हानल्लाह ! यह शान है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत की, जो भलाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकने वाले हैं। उन की गवाही से नबियों की तस्दीक होगी। अब इस से अन्दाज़ा लगा लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान का क्या मर्तबा होगा।

इब्ने अबी हात्तिम के हवाले से लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं और मेरी उम्मत क़ियामत के दिन एक ऊंचे टीले पर होंगे और तमाम मस्लूक में नुमायां होंगे और सब को देख रहे होंगे, जिस-जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है, हम अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे कि इन तमाम नबियों ने रिसालत का हक़ अदा किया था।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा न० 2, पृ० 4, सूः बकरः के सत्तरहवें रुक्अ की तफ़सीर में।

यह मर्तबा और आलीशान मक़ाम है हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत का कि नबियों (अलैहिमुस्सलाम) के दर्मियान ये लोग गवाह बन कर खड़े होंगे, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि ये वही लोग होंगे, जिन्होंने लोगों को बुराई से रोक कर जहालत से निकाला और नेकी व भलाई का हुक्म देकर शरीअत पर ला खड़ा किया।

मेरे अज़ीज़ ! यह एक बहुत ही कड़वी हकीक़त है कि आज उम्मतें मुहम्मदिया के अक्सर लोग तरह तरह की बुराईयों में फंस कर इस आलीशान मर्तबे को ठुकरा रहे हैं आम जाहिल लोगों की बात तो अलग रही, जो ख़ास-ख़ास लोग हैं, वे भी बुरी से बुरी जहालतों के शिकार हैं। आप के सामने हैं कि जेबभरू पीर और उन के मुरीद कैसे-कैसे काले करतूत फैला रहे हैं। आप आंखों से देख रहे हैं कि पेटभरू मौलवियों और उनके मुक़तदियों के कैसे गोरख-धंधे चला रखे हैं। आप देख रहे हैं कि गुमराह सूफ़ियों ने कैसी दीन के अन्दर तूफ़ाने बद-तमीज़ी फैला रखी है। आप देख रहे हैं कि नाम के दरवेशों, जाहिल फ़कीरों, कोर बातिन सज्जादा-नशीनों और दाम के गुलाम मुफ़्तियों ने किस तरह अपनी दुकानें जमा रखी हैं। क्या ऐसे फ़सादी लोग क़ियामत के दिन खड़े होकर नबियों (अलैहि मुस्सल्लाम) का फैसला कराएंगे। हरगिज़ नहीं! हरगिज़ नहीं!

यह उम्मत, दुनिया पर सच्चाई और इन्साफ़ का सिक्का जमाने आई थी, यह उम्मत दुनिया की अदावत और दुश्मनी ख़त्म कर के सबको भाई-भाई बनाने आयी थी। यह उम्मत खुदा की तौहीद की शैदा बन कर तमाम कुफ़्र व शिर्क और बिद्अतों की गन्दगी को ख़त्म करने आयी थी। यह उम्मत रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत में डूब कर आप की शरीअत पर मर मिटने के लिए आयी थी, यही उम्मत अगर झूठी और बे-इन्साफ़ बन जाए, यही उम्मत अगर लोगों में अदावत और दुश्मनी पैदा करने लगे, यही उम्मत अगर शरीअत से हट कर जहालत पर आ जाए, तो फिर दुनिया की इस्लाह कौन-सी उम्मत करेगी ?

हदीस - हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

कियामत के दिन जन्नतियों की एक सौ बीस सफ़ें होंगी, जिन में से अस्सी सफ़ें मेरी उम्मत के लोगों की होंगी और बाकी दूसरी उम्मतों की चालीस सफ़ें होंगी।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 650, हदीस 4285, परहेज़गारी का बयान।

तब्लीग़

कुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के छठे स्कूअ में, आयत न० 38 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है।

तर्जुमा - ए ईमान वालो ! तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम से कहा जाता है कि चलो खुदा की राह में, तो तुम ज़मीन पकड़ लेते हो, क्या तुम आख़िरत के बदले दुनिया की ज़िन्दगी ही पर रीझ गये हो। सुनो दुनिया की ज़िन्दगी आख़िरत के मुक़ाबले में तो कुछ यों ही-सी है।

जब तुम्हें राहे खुदा में जिहाद की तरफ़ बुलाया जाता है, तो तुम क्यों ज़मीन में घंसने लगते हो ? क्या दुनिया की इन फ़ानी चीज़ों पर खुश होकर आख़िरत की नेमतों को भुला बैठे हो, सुनो दुनिया की तो आख़िरत के मुक़ाबले में कोई हस्ती ही नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कलिमें की उंगली की तरफ़ इशारा कर के फ़रमाया, इस उंगली को कोई समुद्र में डुबो कर निकाले, उस पर जितना पानी समुद्र के मुक़ाबले में है, उतना ही मुक़ाबला दुनिया का आख़िरत से है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 61, सूर: तौबा के छठे स्कूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि मैंने सुना है, आप हदीस बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला एक नेकी के बदले एक लाख का सवाब देता है, आपने फ़रमाया, बल्कि मैंने दो लाख का फ़रमान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है। फिर आपने इस आयत के इस जुम्ले की तिलावत करके फ़रमाया कि दुनिया जो गुज़र गयी और जो बाकी है, वह सब आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत ही कम है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 10, पृ० 61, सूर: तौबा के छठे स्कूअ की तफ़्सीर में।

ईमान वालों से अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में घर से बाहर निकलो, अपने घरों को छोड़ो, अपने बाल-बच्चों की मुहब्बत को अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कुर्बान कर दो। दुनिया के ऐश व इशरत कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। अल्लाह की राह में निकलने पर जो मुश्किलें और परेशानियां आएँ, वह अल्लाह की मुहब्बत के लिए सह लो।

आखिरत में जो-जो नेमतें मिलने वाली हैं, उन पर दुनिया की नेमतों को तर्जिह न दो और याद रखो कि सारी दुनिया की नेमतें अगर किसी इंसान को मिल जाएं, तो वे आखिरत की नेमतों के मुक़ाबले में एक ज़र्रे बराबर भी नहीं हैं।

अल्लाह की राह में निकलना यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना एक तो वह जिहाद था जो सहाबा किराम और ताबईन व तब्अ ताबिअीन कर चुके। हमारे अन्दर वह ताक़्त नहीं है तो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए इंसानों को सही रास्ते पर लगा देने के लिए घर-बार छोड़ना और दर बदार की ठोक़रें खाना भी एक किस्म का जिहाद है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि, मुझ से पहले किसी क़ौम में कोई नबी खुदा ने ऐसा नहीं भेजा, जिसके मददगार और दोस्त उसी क़ौम में से न हों, (ऐसे मददगार और दोस्त) जो उस के तरीके के पीछे चलने वाले होते हैं और उसके हुक़मों की पूरी इत्ताअत करते हैं, फिर उन के बाद ऐसे नालायक़ लोग पैदा हुए, जिन को ना-ख़लक़ कहा जाता। ये लोग ऐसी बात कहते, जिसको खुद न करते और वे काम करते, जिन का उन को हुक़म नहीं मिला था, पस जो आदमी (तुम में से) उन लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उन से अपनी जुबान से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उनसे अपने दिल से जिहाद करे, वह मोमिन है और इस के धाद जो आदमी उन के ख़िलाफ़ इतना भी न कर सके, (उस में) राई बराबर भी ईमान नहीं है।

हवाला- मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 32, बाब 18, किताबुल ईमान।

हिन्दुस्तान के बहुत-से मुसलमान तब्लीग़ के नाम से चिड़ते हैं, हालांकि तब्लीग़ खुद भी करते हैं और चिड़ते भी हैं, किसी इंसान को बुराई से रुक जाने के लिए कहना उसी का नाम तो तब्लीग़ है, फिर क्यों चिड़ते हो? दुनिया में जितने भी रसूल और नबी अलैहिमुस्सलाम आए, वे सब के सब तब्लीग़ ही करने आए थे। असल में जमाअत के साथ निकलने को वह तब्लीग़ समझता है और जो अकेला आदमी काम करे, उस को तब्लीग़ नहीं समझता।

मेरे मोह़तरम ! तब्लीग़ में दो बातें होती हैं, दीन का सीखना या दीन का सिखाना।

अगर दीन की बातों को, दीन के अरकानों को, दीन के हुक़मों को आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने घर को छोड़ दें, बाल-बच्चों की मुहब्बत माल व दौलत की मुहब्बत को छोड़ दें और दीन की बातें सीखने के लिए निकलें और अगर आप जानते हैं, तो दूसरे मुसलमान भाई जो दीन से ग़ाफ़िल हैं, उन को सिखाने और समझाने के लिए घर को छोड़-छाड़ कर बाहर निकलें। अब दीन सीखना भी नहीं और सिखाना भी नहीं और सिखाने वालों को सिखाने देना भी नहीं, यह जहालत नहीं तो और क्या है? यह दीन की मुख़ालफ़त नहीं तो और क्या है? यह ज़िद नहीं तो और क्या है? दीन का काम करना भी नहीं और दूसरों को करने देना भी नहीं, यह नफ़सानियत और शैतानियत नहीं तो और क्या है?

आखिरत में जो-जो नेमतें मिलने वाली हैं, उन पर दुनिया की नेमतों को तर्जीह न दो और याद रखो कि सारी दुनिया की नेमतें अगर किसी इंसान को मिल जाएं, तो वे आखिरत की नेमतों के मुक़ाबले में एक ज़र्रे बराबर भी नहीं हैं।

अल्लाह की राह में निकलना यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना एक तो वह जिहाद था जो सहाबा किराम और ताबईन व तब्अ ताबिओन कर चुके। हमारे अन्दर वह ताक़त नहीं है तो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए इंसानों को सही रास्ते पर लगा देने के लिए घर-बार छोड़ना और दर बदर की ठोकरें खाना भी एक किस्म का जिहाद है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि, मुझ से पहले किसी क़ौम में कोई नबी खुदा ने ऐसा नहीं भेजा, जिसके मददगार और दोस्त उसी क़ौम में से न हों, (ऐसे मददगार और दोस्त) जो उस के तरीके के पीछे चलने वाले होते हैं और उसके हुक़मों की पूरी इत्ताअत करते हैं, फिर उन के बाद ऐसे नालायक लोग पैदा हुए, जिन को ना-ख़लक़ कहा जाता। ये लोग ऐसी बात कहते, जिसको खुद न करते और वे काम करते, जिन का उन को हुक़म नहीं मिला था, पस जो आदमी (तुम में से) उन लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उन से अपनी जुबान से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उनसे अपने दिल से जिहाद करे, वह मोमिन है और इस के बाद जो आदमी उन के ख़िलाफ़ इतना भी न कर सके, (उस में) राई बराबर भी ईमान नहीं है।

हवाला- मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 32, बाब 18, किताबुल ईमान।

हिन्दुस्तान के बहुत-से मुसलमान तब्लीग़ के नाम से चिड़ते हैं, हालांकि तब्लीग़ खुद भी करते हैं और चिड़ते भी हैं, किसी इंसान को बुराई से रुक जाने के लिए कहना उसी का नाम तो तब्लीग़ है, फिर क्यों चिड़ते हो? दुनिया में जितने भी रसूल और नबी अलैहिमुस्सलाम आए, वे सब के सब तब्लीग़ ही करने आए थे। असल में जमाअत के साथ निकलने को वह तब्लीग़ समझता है और जो अकेला आदमी काम करे, उस को तब्लीग़ नहीं समझता।

मेरे मोह़तरम ! तब्लीग़ में दो बातें होती हैं, दीन का सीखना या दीन का सिखाना।

अगर दीन की बातों को, दीन के अरकानों को, दीन के हुक़मों को आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने घर को छोड़ दें, बाल-बच्चों की मुहब्बत माल व दौलत की मुहब्बत को छोड़ दें और दीन की बातें सीखने के लिए निकलें और अगर आप जानते हैं, तो दूसरे मुसलमान भाई जो दीन से ग़ाफ़िल हैं, उन को सिखाने और समझाने के लिए घर को छोड़-छाड़ कर बाहर निकलें। अब दीन सीखना भी नहीं और सिखाना भी नहीं और सिखाने वालों को सिखाने देना भी नहीं, यह जहालत नहीं तो और क्या है? यह दीन की मुख़ालफ़त नहीं तो और क्या है? यह ज़िद नहीं तो और क्या है? दीन का काम करना भी नहीं और दूसरों को करने देना भी नहीं, यह नफ़सानियत और शैतानियत नहीं तो और क्या है?

कुरआन हकीम के दसवें पारे में, सूर: तौबा के छठे स्कूअ में आयत न० 39 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा- अगर तुम (अल्लाह की राह में) नहीं निकलोगे तो अल्लाह तआला तुम को सख्त सज़ा देगा और तुम्हारे बदले दूसरी क़ौम को पैदा कर देगा (और उनसे अपना काम लेगा) और तुम अल्लाह (के दीन) को कुछ भी नुक़सान न पहुंचा सकोगे और अल्लाह को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है।

इस आयते करीमा में दो बातें बत़ायी जा रही हैं-

1. एक बात तो यह कि अगर हम दीन की सही मेहनत नहीं करेंगे, तो अल्लाह तआला हम को अज़ाब में मुब्तला कर देगा।

2. दूसरी बात यह बतायी जा रही है कि दीन को फैलाने में, दीन के सही अर्कान बताने में मख़्लूके खुदा तक शरीअत को पहुंचाने में अगर हम सुस्त रहेंगे या काहिली बरतेंगे या ला परवाही करेंगे तो अल्लाह तआला हमारी जगह पर दूसरी क़ौम को पैदा कर देगा।

अब आप पहली बात पर गौर करें-

आज हमारी आपस की ना-इत्तिफ़ाक़ियां खुदा का अज़ाब नहीं तो और क्या है? शीआ और सुन्नी के झगड़े, देवबन्दी और बरेलवी के झगड़े, अह्ले हदीस और अह्ले तक़लीद के झगड़े, ये अज़ाबे खुदावन्दी नहीं तो और क्या है? हालांकि इन सब के नज़दीक अल्लाह एक ही है, ये सब साहिबान एक ही रसूल का कलिमा पढ़ते हैं, कुरआन करीम आसमानी किताब है, काबा अल्लाह तआला का घर है, क़ियामत पर यक़ीन है, सज़ा और जज़ा मिलने वाली है, यह सब कुछ मानते हुए भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। कोई किसी पर रहम खाने को तैयार नहीं है-ये सब अज़ाबे खुदावन्दी नहीं है तो और क्या है? फिर भी मुसलमानों की आंखें नहीं खुलतीं, इतना होने के बावजूद अल्लाह की राह में तब्लीग़ के लिए निकलना तो दूर की बात, बल्कि उलटा तब्लीग़ के लिए निकलने वालों को काफ़िर, वहहाबी और इस्लाम से खारिज कहा जा रहा है। यह जहालत नहीं तो और क्या है? आप तारीख़ उठा कर देखे कि जितना नुक़सान मुसलमानों को मुसलमानों से हुआ है और हो रहा है, उतना किसी दूसरी क़ौम से नुक़सान नहीं हुआ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दीन के कामों से रोक कर उसको बे-इज़्ज़त और रुसवा और ज़लील करने की तमाम कोशिशें कर के अपने दिल में फूलता है और अपनी कामियाबी समझता है। यह जहालत नहीं तो मेरे मोहतरम! और क्या है?

दूसरी बात अल्लाह तआला ने यह फ़रमायी है कि हम दीन का काम करने के लिए दूसरों को पैदा कर देंगे।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अपने दिल में फूलना नहीं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम के मददगार हैं। अगर तुम दुरुस्त न रहे तो खुदा तुम्हें बर्बाद कर के अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी औरों को पैदा कर देगा, जो तुम जैसे न होंगे। तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह नहीं कि तुम न जाओ तो मुजाहिद जिहाद कर ही न कर सकें। अल्लाह में सब कुदरतें हैं, वह तुम्हारे बगैर भी दुश्मनों पर अपने गुलामों को गालिब कर सकता है।

हवाला- तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 61, सूः तौबा के छठे रूकूअ की तफ्सीर में।

अगर हम अल्लाह के दीन की हिमायत नहीं करेंगे, तो अल्लाह तआला दूसरों को पैदा करेगा, वे दीन की मेहनत करेंगे, हम उन से जलते हैं, तो जलते ही रहेंगे। अल्लाह तआला को इस की कोई परवाह नहीं है। अगर सैयदजादे होते हुए गुमराहों की सरदारी करेंगे, तो अल्लाह तआला डाकुओं को हिदायत देकर उन से दीन का काम लेगा। अगर हम इल्म रखते हुए भी गुमराही की तरफ मख्लूके खुदा को घसीटते गये तो अल्लाह तआला अनपढ़ों को हिदायत देकर उन से दीन का काम ले लेगा, अगर हम मालदार होते हुए गुमराहों की मदद करेंगे और हकपरस्तों की मुखालफत में दौलत को खर्च करेंगे तो अल्लाह तआला गरीबों से काम ले लेगा। अल्लाह तआला तो हर चीज पर कुदरत रखता है। वह तो हवा से, पानी से, अलग से, परिन्दों से, मच्छरों से, जिससे चाहेगा, काम ले लेगा।

कुरआन करीम के छठे पारे में सूः माइदा के आठवें रूकूअ में आयत न० 54 में अल्लाह तआला इशार्दि फरमाता है-

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! तुम में से जो आदमी अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह तआला बहुत जल्दी ऐसी कौम को लायेगा, जो खुदा की महबूब होगी और वह भी खुदा से मुहब्बत रखती होगी, नर्म दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफ़ार पर, खुदा की राह में जिहाद करते रहेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी नहीं करेंगे। यह अल्लाह की मेहरबानी है, जिसे चाहे दे, खुदा बड़ी वुस-अत वाला और जबरदस्त इल्म वाला है।

सच्चे मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जिहाद से मुंह नहीं मोड़ते, न पीठ दिखाते हैं, न थकते हैं न बुजदिली और न आराम तलबी करते हैं न किसी की मरव्वत में आते हैं, न किसी की मलामत का खौफ करते हैं। वे तो बराबर अल्लाह की इताअत में उसके दुश्मनों से लड़ाई करने में, भलाई का हुकम करने में और बुराइयों से रोकन में लगे रहते हैं।

हवाला- तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 112, सूः माइदा के आठवें रूकूअ की तफ्सीर में।

मेरे अजीज दोस्त ! आप ईमानदारी से सोचें और अल्लाह के वास्ते इंसाफ करें कि फ़िलहाल हिन्दुस्तान में अल्लाह तआला ने जिस जमाअज को तब्लीग़ के लिए पसन्द कर लिया है, वह बढ़ते-बढ़ते आज कितनी तरक्की पर काम कर रही है और उस की मुखालफत करने वाले सर

‘मैं इस का ज्यादा हकदार था कि तू मुझ से डरता।’

हवाला- तफसीरे इब्ने कसीर पारा 6, पृ० 112 सूः माइदा के आठवें रकूअ की तफसीर में।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूः अन्कबूत के सातवें रकूअ में आयत न० 69 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा- जो लोग हमारी राह में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखा देंगे, यकीनन अल्लाह तआला नेकों के साथ है।

अल्लाह की राह में तकलीफों को बर्दाश्त करने वालों से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और आपके हुकम मानने वाले लोग हैं, जो कियामत तक होंगे, फरमाता है कि हम इन कोशिश और खोज करने वालों की रहनुमाई करेंगे। दुनिया और दीन में उन्हें रास्ते दिखाते रहेंगे।

हवाला- तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 14, सूः अन्कबूत के सातवें रकूअ की तफसीर में।

जो इंसान अल्लाह की राह में तकलीफें बर्दाश्त करता है, उस के लिए अल्लाह तआला रास्ते खोल देते हैं। दीन की समझदारी के रास्ते, तरक्की के रास्ते, इज़्जत के रास्ते, रोज़ी के रास्ते, हर तरह की बरकत के रास्ते यानी रहमत के दरवाजे उस के लिए खोल दिये जाते हैं।

इस वक़्त जो इज़्जत व शराफ़त और तरक्की अल्लाह तआला ने तब्लीगी जमाअत को बरख़ी है, उस की नज़ीर इस ज़माने में मिलनी मुश्किल है। तब्लीगी जमाअत का जहां भी इज्तिमाअ होता है, वहां लाखों की तायदाद में आदमी आ जाते हैं, हालांकि न कोई अख़बार में ख़बर छपी जाती है और न कोई इश्तिहार छपाये जाते हैं, लाखों आदमियों का इज्तिमाअ होने के बावजूद न कोई झगड़ा होता है, न कोई चोरी होती है, न कोई शिकायत या फरियाद होती है, तीन दिन और तीन रातें कुल बहत्तर घंटे इज्तिमाअ चलता है और हर तरह का इंतज़ाम ऐसा होता है कि अक़ल हैरान रह जाती है, जितने इंसान इज्तिमाअ में आते हैं, यह मालूम होता है कि ये सब के सब एक ही मां के जने हुए भाई हैं। ये सब के इनाम नहीं तो फिर और क्या है? मक़बूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है?

कुरआन करीम के तेरहवें पारे में, सूः रअद के दूसरे रकूअ में आयत न० 11 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा- किसी कौम की हालत अल्लाह तआला नहीं बदलता, जब तक वह खुद उसे न बदले, जो उन के दिलों में है। अल्लाह तआला जब किसी कौम की सजा का इरादा कर लेता है, तो बदला नहीं करता और उस के अलावा कोई भी उन का कारसाज़ नहीं होता।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि बनी इस्राईल के नबियों में से एक की तरफ़ खुदा की वह्य हुई कि अपनी कौम से कह दें कि जिस बस्ती वाले और जिस घर वाले खुदा की इताअत-गुज़ारी करते-करते खुदा की नाफ़रमानी करने लगते हैं, तो अल्लाह तआला उन की

राहत की चीजों को उन से दूर करके उन्हें वे चीजें पहुंचता है जो उन्हें तकलीफें देने वाली हों।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 32, सूः रअद के दूसरे रकूअ की तफ़सीरमें। अल्लाह तआला फ़रमाता है जिस बस्ती के जिस घर के लोग मेरी ना फ़रमानियों में पड़े हों, फिर उन्हें छोड़ कर मेरी फ़रमाबरदारी में लग जाएं तो मैं भी अपने अज़ाब और दुख उन से हटा कर अपनी रहमत और सुख उन्हें अता फ़रमाता हूँ।

हवाला- तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 33, सूः रअद के दूसरे रकूअ की तफ़सीर में। जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती, अल्लाह तआला उन की हालत को नहीं बदलते। जो कौम या जो इंसान बुरे कामों का आदी हो जाए और उसी पर जमा रहे, तौबा का इरादा ही न करे, तो अल्लाह तआला की क्या ग़रज़ पड़ी है कि ला-महाला उसे हिदायत दे ही दे। अल्लाह तआला की ग़रज़ हमको है, हमारी ग़रज़ अल्लाह तआला को नहीं है। हर मुसलमान को चाहिए कि जान से, माल से, दीन में मेहनत करे और सही तरीके पर करे।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूः मुहम्मद के पहले रकूअ में आयत न० 7 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित क़दम रखेगा। अल्लाह तआला का सवाल ईमान वालों से है, बे-ईमानों से नहीं। फ़रमाता है कि तुम मेरे दीन की मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मददों की मदद, मस्जिदों की मदद, अल्लाह के दीन में मेहनत करने वालों की मदद, यतीमों की, मिस्कीनों की, मुहताजों की, ग़रीबों की, फ़कीरों की, मुसाफ़िरों की हम मदद करेंगे, तो अल्लाह तआला भी हमारी मदद करेगा और हम को साबित क़दम रखेगा, दुश्मनों के मुक़ाबले में भी और जब मरने का वक़्त आएगा, उस वक़्त शैतान ईमान लेने के लिए जो जो चालें चलेगा, उस वक़्त भी अल्लाह तआला हमारी मदद फ़रमायेगा और हम को साबित क़दम रखेगा और हमारा खात्मा बिल खैर होगा। आयी बात समझ में मेरे भोले भैया के।

सुन्नत वल जमाअत और इख़्तिलाफ़ी मसअले

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूः शुअरा के पहले रकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- शायद आप उन के ईमान न लाने पर (रंज करते करते) अपनी जान दे देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल में तमाम लोगों का दर्द था। आप को यही चिन्ता रहती थी कि सारी दुनिया अल्लाह की रहमत की हक़दार बन कर जन्नत में

दाखिल हो जाए और अल्लाह की सारी मख्लूक अल्लाह के ग़ज़ब से बच जाए और जहन्नम यों ही खाली और कोरी पड़ी रहे। इस पर अल्लाह तआला ने वह्य उतारी, दुनिया में जहालत खत्म हो जाए, इंसान नेक और एक होकर एक खुदा की इबादत करें और अल्लाह की अज़ाब से बच जाएं इस पर यह आयते करीमा उतरती है-

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में सूर: हूद के दसवें रकूअ में आयत न० 118 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- अगर आप का पालनहार चाहता तो सब लोगों को एक ही गिरोह में कर देता, लेकिन वे हमेशा इख़िलाफ़ करते ही रहेंगे। अल्लाह तआला मख्लूक के हालात और उन के काम की हिक्मत को अच्छी तरह जानते हैं कि उस के बहुत से बदे हक़ को सुन कर जहां उसे कुबूल करेंगे, वहां बहुत से लोग हक़ बात को अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश से रद्द भी कर देंगे और अल्लाह के पसंदीदा गिरोह और जमाअत से कट कर अलग-अलग अपनी टोलियां और गिरोह बना लेंगे। ऐसी हालत में मोमिनों का और हठधर्मों का एक प्लेटफ़ार्म पर जमा होना मुश्किल है।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के दूसरे रकूअ में, आयत न० 19 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- और तमाम लोग एक ही तरीके पर थे। फिर उन्होंने इख़िलाफ़ पैदा कर लिया और अगर एक बात न होती, जो आपके पालनहार की ओर से पहले तै हो चुकी है (यानी क़ियामत) तो जिस-जिस बात में ये लोग इख़िलाफ़ कर रहे हैं उन का फ़ैसला कर दिया जाता। दुनिया के अन्दर एक ही दीन था, एक ही खुदा की इबादत होती थी। बाद में लोग इख़िलाफ़ पैदा कर के गिरोह दर गिरोह और पार्टी दर पार्टी होते गये। अगर अल्लाह तआला की ओर से एक बात तै न होती यानी क़ियामत, तो आज ही यह फ़ैसला हो जाता कि हक़ पर कौन है और जहालत पर कौन है।

कुरआन करीम के पचीसवें पारे में सूर: शूरा के दूसरे रकूअ में, आयत न० 14 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- इल्मे हक़ आ जाने के बावजूद ये लोग ज़िद की वजह से गिरोह दर गिरोह होते जा रहे हैं। फूट की वजह यह नहीं थी कि अल्लाह तआला ने नबी नहीं भेजे थे या किताबें नहीं उतारी थीं, इस वजह से लोग सीधा रास्ता न जान सके और अपने अपने मज़हब मदरसे, और ज़िन्दगी के निज़ाम खुद ईजाद कर बैठे, बल्कि यह फूट उन में अल्लाह की ओर से हक़ का हल्म आ जाने के बाद ज़िद की वजह से हुई है, इसलिए अल्लाह तआला इस का ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि वे लोग खुद इस के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने दीन के साफ़-साफ़ उसूलों और शरीअत के खुले हुक़मों से हट कर नये-नये मज़हब और तरीके या मसलक बनाये हैं।

इस फूट डालने के पीछे कोई भला या नेक ज़ब्बा नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी निराली ऊंची शान दिखाने की ख़्वाहिश की वजह से अलग होते हैं, अपना अलग झंडा ऊंचा करने की

चिन्ता में है, आपस की जिद्दमजिद्दा में एक दूसरे को हराने की कोशिश जो की है, वह माल व मरतबे की तलब का नतीजा है। मक्कार और नफ़्स परस्त लोगों ने देखा कि अल्लाह के बन्दे अगर सीधे और साफ़ सुथरे दीन के रास्ते पर चलते रहेंगे, तो एक खुदा होगा जिस के आगे झुकेंगे, एक रसूल होगा जिस को लोग पेशवा और रहनुमा मानेंगे, एक किताब होगी जिसकी ओर लोग रुजू करेंगे और एक साफ़ अक़ीदा होगा। इस निज़ाम में उन की अपनी जात के लिए कोई नुमायां जगह नहीं हो सकती, जिस की वजह से उनकी मुजावरी या पीरी या गद्दी चल सके और उन की खानकाहें आबाद हो सकें और लोग उनकी आवभगत करें। और उन के आगे सर भी झुकाएं और हाथ-पैर भी चूमें-चाटें या धो-धो कर पिएं। फ़िर्काबन्दी की असल वजह यही थी, जो नये-नये अक़ीदे और इबादत के नये-नये तरीके, नयी-नयी रस्में और जिन्दगी के नये-नये निज़ाम ईजाद किये गए, उन्हें लोगों ने अल्लाह की मख़्लूक के एक बड़े हिस्से को दीन की साफ़ और सुथरी राह से हटा कर मुख़्तलिफ़ राहों में बांट कर गुमराह कर दिया।

हदीस- हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यहूदियों के इकहत्तर या बहत्तर फ़िर्के हो गए और ईसाई भी इसी तरह, लेकिन मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िर्कों में बंट जाएगी।

हवाला- तिमिज़ी शरीफ़, ज़िल्द 2, पृ० 102, हदीस 500 अबवाबुल ईमान। पेशीनगोई 1400 साल पहले की है कि मेरी उम्मत के तिहत्तर फ़िर्के होंगे। वह तो हुए और होते रहेंगे।

कुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूः अंबिया के छठे रकूअ में आयत न० 93 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तुर्जुमा- उन लोगों ने अपने दीन के अन्दर इख़्तिलाफ़ पैदा कर लिया, सब हमारे ही पास वापस आने वाले हैं। बांट दिया अगली उम्मतों ने अपने दीन का काम आपस में यानी फ़िर्के-फ़िर्के हो गए जैसे यहूदी और ईसाई। वे एक दूसरे को काफ़िर जानते थे। ये सब फ़िर्के हमारी तरफ़ फिरने वाले हैं और हम उन्हें उन के कामों के मुताबिक़ बदला देंगे।

हवाला- तफ़सीरे कादरी, जिल्द 2, पृ० 67।

कुरआन मजीद के इक्कीसवें पारे में सूः रूम के चौथे रकूअ में आयत न० 32 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तुर्जुमा- जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया और बहुत से गिरोह हो गए। हर गिरोह अपने उस तरीके पर नाज़ करता है जो उसके पास है।

हर फ़िर्का अपने आप को हक़ पर समझता है और दूसरों को गुमराह, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक फ़िर्के को जन्नत में जाने की खुशख़बरी दी, बाकी फ़िर्कों को दोज़ख़ी बताया है। अब आप ही सोचें कि अपने आप को दोज़ख़ी कौन कहेगा?

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूरः अनआम के तेरहवें रकूअ में आयत न० 108 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- हमने इसी तरह हर तरीके वालों को उन का अमल अच्छा कर के दिखाया है, फिर अपने पालनहार ही के पास उन को जाना है और वहां उन्हें मालूम हो जाएगा जो कुछ किया करते थे।

अक्सर लोग खुल्लमखुल्ला कुफ़्र व शिर्क और बुतपरस्ती करते हैं, वे भी अपने आप को जन्नती समझ कर करते हैं। अगर वे लोग समझते कि यह काम बुरा है, दोज़ख में ले जाने वाला है। तौहीद के खिलाफ़ है तो हरगिज़ नहीं करते, लेकिन यह सब अन्धी तक्लीद हो रही है, खुद कुछ सोचते-समझते नहीं, सिर्फ़ लोगों की देखा-देखी करते हैं या लोगों के कहने-सुनने पर चलते हैं। अब आइए हम बताते हैं, अल्लाह तआला के फ़ज़ल से कि जन्नती फ़िर्का कौन-सा है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ही ज़माना आएगा, जैसा कि बनी इस्राईल पर आया था, बिल्कुल ठीक और दुंस्त, जैसी कि दोनों जूतियां बराबर और ठीक होती हैं, यहां तक कि बनी इस्राईल में से अगर किसी ने अपनी मां से एलानियां बद-फ़ेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करेंगे (मतलब यह है कि जो गुमराहियां और ख़राबियां यहूदियों में हुई हैं, वही मेरी उम्मत में भी होंगी और मुसलमान उन के कदम-ब-कदम चलेंगे।) चुनांचे देख लीजिए कि जो ख़राबियां यहूदियों में थी, वे सब मुसलमानों में मौजूद हैं, (बल्कि उन से भी ज़्यादा) और बनी इस्राईल की क़ौम बहत्तर फ़िर्कों में बंट गयी थी और मेरी उम्मत में तिहत्तर फ़िर्के होंगे, जिन में से सिर्फ़ एक फ़िर्का जन्नती होगा, बाकी सब दोज़ख में जाएंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! जन्नती फ़िर्का कौन सा होगा ? आपने फ़रमाया, वही जिस पर मैं हूँ और मेरे साथी (रज़ियल्लाहु अन्हुम)।

- हवाला-**
1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 102, हदीस 501, अब-वाबुल ईमान।
 2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 110, हदीस 161, सुन्नतों का बयान।
 3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमाने के मुताबिक़ फ़िर्के तो हो गए और हो रहे हैं, उन तमाम फ़िर्कों में सही फ़िर्का जन्नत में जाने वाला कौन-सा है, यह आम और अनपढ़ मुसलमानों के लिए समझना मुश्किल है, उस की जानकारी हम को जो किताबों से मिली है और जो अक्ल भी तस्लीम करती है, वह यह है-

अल्लाह का कलाम अल्लाह की बड़ी नेमत है और वह अक्सर सुन्नियों ही को याद होता है। राफ़िज़ी महरूम हैं और हज़ारों में किसी को याद भी हुआ तो वे बहुत नादिर हैं। अन

नादिर कलमअ-दूम (यानी अगर किसी को याद भी है तो बहुत ही थोड़ा सा याद होगा, पूरा कुरआन करीम याद नहीं होगा।)

हवाला- मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

अल्लाह तआला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संदके में एक नेमत ऐसी दे रखी है कि सारी दुनिया के मज़हब वालों को नीचा देखना पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, उन सब के पास अपने-अपने मज़हब की किताबें मौजूद हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी, लेकिन दुनिया के किसी मज़हब वाले को अपने मज़हब की किताब पूरी की पूरी जुबानी याद नहीं है, चाहे वह छोटी से छोटी क्यों न हो, वह एक-एक हर्फ़ करके याद नहीं हो सकती और कुरआन करीम लाखों मुसलमानों को एक-एक हर्फ़ करके जुबानी याद है।

और जो गिरोह इस्लाम में हक़परस्ती से हट जाएगा, उसमें भी आपको कुरआन के हाफ़िज़ नहीं मिलेंगे। शीआ साहिबान करोड़ों की तायदाद में हैं, उन की हुकूमतें भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनकी जमाअत में एक भी कुरआन का हाफ़िज़ नहीं मिलेगा और जो हकीकत में सच्चे और सही अहले सुन्नत वल जमाअत हैं उनकी जमाअत में आप को हजारों कुरआन के हाफ़िज़ मिलेंगे और जो मां की गोद से अंधे पैदा हुए हैं, वे भी हाफ़िज़ हैं और इस किस्म के हाफ़िज़ हैं कि मदरसों में जो हिफ़ज़ कराने का दर्जा होता है, उस में कुछ जगहों पर अंधे ही पढ़ाते हैं यानी आंख वाले अगर कुरआन को हिफ़ज़ करना चाहें तो अन्धे के मदरसे में दाखिला लेना पड़ता है। यह हक़परस्ती और फ़ज़ले रब्बी की दलील नहीं तो और क्या है?

जिन जिन को वहहाबी और काफ़िर समझा जा रहा है, उन में भी सैंकड़ों नहीं, बल्कि हजारों कुरआन के हाफ़िज़ मौजूद हैं और हर गिरोह से इस गिरोह में कुरआन के हाफ़िज़ माशाअल्लाह ज्यादा हैं, फिर भी उन को इस्लाम से खारिज और वहहाबी समझा जा रहा है। यह जहालत या जिद और नफ़्सपरस्ती नहीं है तो और क्या है?

जलन रखने वाले लोग जो एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगा कर जलन और कीना की आग में जले जा रहे हैं और अल्लाह की मख़्लूक को गुमराह भी कर रहे हैं और आपस में लड़ा भी रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला उन लोगों को अक़ल और तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और उन लोगों की किस्मत में हिदायत नहीं है तो उन के फंदों में जो भोले और अनपढ़ लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फ़रमाये। (आमीन)

कुरआन करीम कहने को तो एक है, इस के पारे तीस हैं, इस की सूरतें एक सौ चौदह हैं, इस के रुकूअ पांच सौ अठावन हैं, इस की आयतें छः हजार छः सौ छियासठ हैं, इस के लफ़ज़ सत्तर हजार चार सौ उन्तालीस हैं और इसके हुरूफ़ तीन लाख इक्कीस हजार एक सौ अस्सी हैं।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, जिल्द 1, पृ० 9।

यों तो हर गिरोह अपने आप को सुन्नत वल जमाअत कहता है, लेकिन जिस गिरोह

में जितने ज्यादा कुरआन के हाफिज़ होंगे, उतना ही वह गिरोह अक़ीदे में सही और हक़ पर समझा जाएगा।

इस उम्मत की मुबारक शान देखिए कि सात-सात साल और आठ-आठ साल के बच्चे और बच्चियां भी कुरआन की हाफिज़ हैं और उनको तो जाने दो, ये बच्चे तो आंख वाले हैं और आंखों से देख कर कुरआन करीम को हिफ़ज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मां के पेट से अन्धे पैदा होते हैं, जिन की जन्म से ही आंखें नहीं हैं और अन्धे हैं, वे भी कुरआन के हाफिज़ हैं; इस से बढ़ कर हक़परस्ती की दलील और क्या हो सकती है। जब रमज़ान के महीने में इस कुरआन करीम को हाफिज़ साहब तरावीह में पढ़ते हैं, तो खुदा की कुदरत का नज़ारा-ए-अजीब नज़र आता है, हजारों हफ़ों की हेर-फेर होती है, मसलन जे कहीं हैं, तो ज्वे कहीं हैं, हमज़ा कहीं है, तो अेन कहीं है, ते कहीं है, तो त्वे कहीं है।

इस के अलावा हजारों जगह पर ज़बर कहीं है तो कहीं ज़ेर है और कहीं पेश है और कहीं दो ज़बर हैं, तो कहीं दो ज़ेर और कहीं दो पेश हैं। इस के अलावा जज़्म, तशदीद, मद अलिफ़ वगैरह हजारों हेर-फेर होती रहती है, लेकिन हाफिज़ लोग पानी की बाढ़ और आंधी-तूफ़ान की तरह पढ़ते चले जाते हैं और कहीं शिक्षक तक महसूस नहीं करते। इत्तिफ़ाक़ से किसी हाफिज़ साहब से भूल-चूक हो गयी, यानी तअ-लमून की जगह यअलमून पढ़ दिया या यअ-लमून को तअ-लमून पढ़ दिया, तो उसी वक़्त दूसरे हाफिज़ उस को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। इतनी तेज़ी से पढ़ने के बावजूद पढ़ने वाला हरफ़ में ग़लती करके आगे नहीं बढ़ सकता और लकुमा देने के बाद वह वापस लौटेगा और सही कर के फिर आगे बढ़ेगा। यह फ़ज़्ले रब्बी और हक़परस्ती की दलील नहीं, तो फिर और क्या है? यही बात है कि कुरआन करीम को उत्तरे लगभग 1400 वर्ष पूरे हो गये हैं, लेकिन आज तक किसी हफ़ में तब्दीली नहीं हुई है। हर देश में हजारों की तायदाद में कुरआन के हाफिज़ हैं और अल्लाह तआला की दी हुई पेशीनगोई हफ़-हफ़ के पूरी हो रही है।

कुरआन मजीद के चौदहवें पारे में सूर: हिज़्र के पहले रकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

हुशुआ हमने कुरआन को उतारा है और हम ही उस की हिफ़ाज़त करने वाले (और निगहबान) हैं

इस पेशीगोई के तहत इस कुरआन करीम में कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता जैसा और किताबों में होता रहा है कि बावजूद किसी मुख़ालिफ़ के न होने के भी उन की किताबों में कमी बेशी होती रही है और इस कुरआन करीम में मुख़ालिफ़ों की कोशिश के बावजूद यह बात नहीं हो सकी और क़ियामत तक इन्शाअल्लाह नहीं हो सकेगी।

कुरआन करीम जो एलान सारी दुनिया के लिए कर रहा है, वह सुनिये-

कुरआन करीम के पंद्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के दसवें रकूअ में आयत न० 88 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है।

तर्जुमा- आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रमा दीजिए कि अगर तमाम इंसान और सब जिन्स इस बात के लिए जमा हो जाएं कि ऐसा कुरआन बना लाएं, तब भी ऐसा न ला सकेंगे अगरचे एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं।

कुरआन करीम के बारहवें पारे में सूर: हूद के दूसरे रकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- क्या ये यों कहते हैं कि आपने इस को (अपनी ओर से) खुद बना लिया है, आप (जवाब में) फ़रमा दीजिये कि (अगर यह मेरा बनाया हुआ है) तो तुम भी इस जैसी दस सूरतें बना कर ले आओ और अपनी मदद के लिए जिन-जिन गैर अल्लाह को बुला सको, बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के चौथे रकूअ में आयत न० 38 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा- क्या ये लोग यह कहते हैं कि आपने इस को बना लिया है, आप कह दीजिये कि तो फिर तुम उस जैसी एक ही सूर: बना लाओ और (अकेले नहीं, बल्कि) जिन-जिन गैर-अल्लाह को (मदद के लिए) बुला सको, बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।

अगर तुम को इस के अल्लाह की ओर से होने में ज़रा भी शक हो और यह ग़लत ख्याल तुम्हारे मन में बैठा हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे आप बनाया है, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं। अगर वह ऐसे कुरआन बना सकते हैं तो तुम में का सबसे काबिल कोई आदमी क्यों नहीं बना सकता ? चुनांचे अपने दावे को साबित करने के लिए इस जैसी बस एक ही सूर: पेश करो जो कुरआन जैसा अदब और मायने पेश करती हो। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तो अकेले थे, अब तुम दुनिया भर के इन्सान और जिन्नात सभी कोशिश कर देखो। इस तरह अल्लाह तआला गोया उन्हें चैलेन्ज करता है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपना गढ़ा हुआ है तो आओ इस चैलेन्ज को कुबूल करो, अकेले नहीं, बल्कि सैकड़ों-हज़ारों मिल कर, इस के बाद एक दूसरा इस से भी ज़बरदस्त दावा है कि यह सुन रखो कि तुम कभी इस पर कादिर न हो सकोगे यह बात भी हम अभी से कहे देते हैं कि तमाम इन्सान और जिन्नात भी अगर जमा हो जाएं कि ऐसा ही कोई कुरआन बना सकें, तो हरगिज़ नहीं बना सकते, चाहे अपने लिए कितने ही मददगार क्यों न बना लें। फिर इस दावे को दस सूरतों तक भी महदूद कर के कहा गया, जिस का जिक्र पहले सूर: हूद में है कि क्या वे कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस को बना लिया है। अच्छा तो फिर इस जैसी दस ही सूरतें तुम बना कर ले आओ, पूरा कुरआन न सही, इतना ही सही। खुदा को तुमने छोड़ दिया, तो दूसरे सब की तुम मदद ले सकते हो, सच्चे हो तो सामने आओ, लेकिन नहीं आते, फिर इस से भी नीचे उतर कर इशादि होता है कि अगर इस को मुहम्मद (सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम) ने बना लिया है, तो ज्यादा नहीं एक ही सूरः पेश करो। सूरः बकरः (जो मदीने में) उत्तरी थी उस में भी यही एक सूरः का चैलेन्ज़ है और यह बतला दिया गया है कि तुम को ऐसा करने पर कुदरत नहीं है तो सुनो। अगर तुमने ऐसी आयतें पेश नहीं कीं और पेश कर भी कहां सकते हो, तो फिर दोज़ख के अज़ाब से बचो। हालांकि अदब अरब की घुट्टी में पड़ा हुआ था और उन का खास कमाल समझा जाता था। उन के शेअर और वे कसीदे, जो काबे के दरवाजे पर लटका दिये गये थे उन के अदब के कमाल का सबूत हैं। लेकिन अल्लाह ने जो कुरआन पेश कर दिया, कोई उस के अदब को छू भी नहीं सका। चुनोचें उस के अदब और मिठास और थोड़े में कमाल दर्जे के मायने को पहना हुआ देख कर जो ईमान ले आया, वह ले आया, क्योंकि इन्हीं अदब के माहिरों में ऐसी समझ और बुझ वाले भी थे, जिन्होंने कुरआन के अदब का लोहा मान लिया और सिर झुका दिया। मान लिया कि यह हो सकता है तो खुदा ही का कलाम हो सकता है।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 58-59। सूरः यूनुस के चौथे स्कूअ की तफ़्सीर में।
यों तो कुरआन करीम में कमाल ही कमाल है, जिनमें से एक कमाल यह भी है कि इसे पढ़ने से जी भरता ही नहीं है! दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, उन में से कोई भी किताब दो-चार बार पढ़ लेने के बाद जी भर जाता है और इस कुरआन करीम को एक इन्सान सैंकड़ों बार पढ़ लेता है लेकिन फिर भी उस का दिल नहीं भरता, हर साल रमज़ानुल मुबारक में करीब-करीब हर मस्जिद में ख़ल्मे कुरआन का इन्तिज़ाम किया जाता है और हर साल कुरआन शरीफ़ पढ़ा जाता है, न तो पढ़ने वालों का दिल भरता है और न सुनने वालों का दिल भरता है। दुनिया में जितना कुरआन पढ़ा जाता है, उतनी दुनिया में दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। यह खुला हुआ मोजिज़ा नहीं है तो फिर और क्या? लेकिन फिर भी जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं है, उस को हिदायत मिलती ही नहीं है, चाहे मोजिज़ा हो या करामत।

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के सतरहवें स्कूअ में, आयत न० 115 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा- हिदायत मालूम हो जाने के बाद जो इन्सान रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त करे और मोमिनों की जमाअत से अलग चले तो हम उस को उधर ही जाने देते हैं जिधर वह जा रहा है और उस का ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है।

जो आदमी भी शरीअत से अलग चले, शरअ का हुकम एक ओर हो और उस के चलने का रुख़ दूसरी ओर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के तरीके की मुख़ालफ़त करे और मोमिनों की जमाअत से अलग चले तो हम उस को उधर ही जाने देते हैं जिधर वह जा रहा है और उसका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 101, सूरः निसा के सतरहवें स्कूअ की तफ़्सीर में।

सुन्नत से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी है। (यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने जो काम किये हैं और करने के लिए फ़रमाया, उस को सुन्नत कहते हैं) और वल जमाअत से मुराद आप की हिदायत के मुताबिक़ अमल करने वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन हैं और यही अहले सुन्नत वल जमाअत है। (मुख्तसर)

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 121, मुक़दमे के बयान में।

अहले सुन्नत वल जमाअत की चार जमाअतें मशहूर हैं-

1. एक हनफी,
2. दूसरी मालिकी,
3. तीसरी शाफ़ज़ी,
4. चौथी, हंबली।

इमाम अबूहनीफ़ा रह० की पैदाइश सन् 80 हि० में हुई वफ़ात 150 हि० में हुई।

इमाम मालिक रह० की पैदाइश सन् 95 हि० में हुई और वफ़ात सन् 199 हि० में हुई,

इमाम शाफ़ाई रह० की पैदाइश सन् 150 हि० में हुई और वफ़ात 204 हि० में हुई,

इमाम अहमद बिन हंबल रह० की पैदाइश सन् 164 हि० में हुई और वफ़ात सन् 241 हि० में हुई,

हवाला- न० 558 का क़ुरआन शरीफ़ 55 खूबी वाला, पृ० 26 पर लिखा है-

पैदाइश और वफ़ात की तारीखों में कुछ इख़्तिलाफ़ भी है। ये चारों इमाम मशहूर हैं और चारों हक़ पर हैं अगरचे मसअलों के इज्तिहाद और अमलियात में इन चारों इमामों के अन्दर बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है। अगर वे हदीसों यहां पर बयान कर दी जाएं, तो इन्शाअल्लाह ग़ैर मुनासिब नहीं होगा। पढ़ने वालों के समझने और समझाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब सुनिये ये हदीसों जिन में इख़्तिलाफ़ है-

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नमाज़ में बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज़ में पढ़ते सुना तो बोले कि बेटा, यह तो बिद्अत है और बिद्अत से बचो। फिर कहा कि मैं ने असहाबे नबी से ज़्यादा किसी को बिद्अत से दुश्मनी और नफ़रत करते नहीं देखा। साथ ही फ़रमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि० के साथ नमाज़ पढ़ी है, मगर किसी को बिस्मिल्लाह कहते नहीं सुना। इस लिए तुम को भी बिस्मिल्लाह जोर से न कहनी चाहिए। जब तुम नमाज़ पढ़ों तो अल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस हसन है और अक्सर आलिमों का इसी पर अमल है। चारों खुलफ़ा-ए-राशिदीन वग़ैरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और अक्सर ताबईन इसी के कायल हैं। सुफ़ियान सोरी रह० इमाम इब्ने मुबारक रह० इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक़ रह० भी इसी के कायल हैं, यानी ये सब इस बात के कायल हैं कि बिस्मिल्लाह धीरे से पढ़ी जाए।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 56,, हदीस 217, नमाज़ का बयान।

2. नसई शरीफ, जिल्द 1, पृ० 234, नमाज़ का बयान,
3. दारमी शरीफ, पृ० 204, हदीस 1228, बाब न० 210 ।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी नमाज़ बिस्मिल्लाह से शुरू फ़रमाते थे । इस हदीस की सनदें कुछ मज़बूत नहीं । सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और अक्सर ताबअीन इसी के कायल हैं कि बिस्मिल्लाह (अल हम्दु शरीफ़ और सूरः की तरह) ऊंची आवाज़ से पढ़नी चाहिए । इमाम शाफ़ई रह०, इस्माईल बिन हम्माद रह० और अबू ख़ालिद कूफ़ी रह० भी इसी के कायल हैं ।

हवाला- तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 53, हदीस 218, नमाज़ का बयान ।

हनफ़ी मसलक में नमाज़ के अन्दर सूरः फ़ातिहा से पहले 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम' धीरे से पढ़ना सुन्नत है और शाफ़ई मसलक में नमाज़ के भीतर सूरः फ़ातिहा से पहले 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम' ऊंची आवाज़ से मढ़ना सुन्नत है ।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा है कि जब आप नमाज़ में खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, यहां तक कि वे दोनों हाथ आप के कंधों के बराबर हो जाते और जब आप रूकूअ के लिए तक्बीर कहते, यही (उस वक़्त भी) करते और यही जब आप (रूकूअ से) अपना सर उठाते (उस वक़्त भी) करते और 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहते और सज्दे में आप यह (अमल) न करते थे ।

- हवाला-**
1. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1. पारा 3, पृ० 172, हदीस न० 687, नमाज़ का बयान ।
 2. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 54, हदीस न० 227, नमाज़ का बयान ।
 3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 265, नमाज़ का बयान,
 4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 180, हदीस न० 735, नमाज़ का बयान ।
 5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 256, नमाज़ का बयान ।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने (एक बार लोगों से) फ़रमाया, (आओ) मैं तुम लोगों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ पढ़ूं (यानी तुम्हें अमली तौर पर दिखा दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हाथ उठाने के बारे में क्या करते थे) फिर आपने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ पहली बार हाथ उठाया, उस के बाद नहीं उठाया । इस बाब में हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है । हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस हसन है । कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन इसी के कायल हैं और हज़रत सुफ़ियान सोरी रह० व कूफ़े वालों का यही कौल है ।

- हवाला** 1. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 55, हदीस न० 228रु नमाज़ का बयान ।
 2. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 298, हदीस न० 743, वाब 269,
 3. नसई शरीफ, जिल्द 1, पृ० 259, नमाज़ का बयान,
 4. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 182, हदीस 750, नमाज़ का बयान,
 5. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 264, नमाज़ का बयान।

यह है इख़्तिलाफ़ । हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में बार-बार हाथ उठाते थे, यानी रफ़अे यदैन् करते थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ की नीयत करने के बाद नमाज़ शुरू करते वक़्त सिर्फ़ एक बार हाथ उठाया है, बार-बार नहीं उठाया है, यानी रफ़अे यदैन् नहीं किया है । जानना चाहिए कि यह इख़्तिलाफ़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का है, इमामों का नहीं है । ये वे हज़रात हैं, जिन का फ़त्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़िन्दगी में भी चलता था । मसलके हनफी में रफ़अ-ए-यदैन् न करने की रिवायत पर अमल है ।

हदीस हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उस आदमी की नमाज़ नहीं होती जो सूः फ़ातिहा न पढ़े ।

- हवाला** 1. बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 175, हदीस 707, नमाज़ का बयान,
 2. मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 63, हदीस 339, वाब 147, नमाज़ का बयान,
 3. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 53, हदीस न० 220, नमाज़ का बयान,
 4. नसई शरीफ जिल्द 1, पृ० 236, नमाज़ का बयान,
 5. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 142, हदीस 847, नमाज़ का बयान,
 6. दारमी शरीफ, पृ० 204, हदीस 1230, बाब 212, नमाज़ का बयान,
 7. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 185, हदीस न० 761, नमाज़ का बयान,
 8. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 269, नमाज़ का बयान ।

अकेले आदमी के लिए नमाज़ की हर रक़अत में सूः फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ में पहले क़अदा के बाद की जो रक़अतें हैं, उन में सूः फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है । इन के अलावा हर रक़अत में सूः फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या वाजिब हो, चाहे सुन्नतें हो या नफ़लें हों और यही हुक़म इमामत करने वाले के लिए है, यानी इमामत करने वाला इमाम भी हर रक़अत में सूः फ़ातिहा पढ़ेगा । इस में किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है, अल-बत्ता इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुक़तदी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ते वक़्त सूः फ़ातिहा पढ़ें या न पढ़ें, इस में इख़्तिलाफ़ है ।

हदीस- हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ी, आप की किरात भारी हो गयी। जब आप नमाज़ में फ़ारिग हुए तो फ़रमाया कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम लोग इमाम के पीछे पढ़ते हो (यानी कुरआन पढ़ते हो) हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हम लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! खुदा की क़सम ! हम पढ़ते हैं। फ़रमाया कि ऐसा मत करो मगर हां, उम्मुल कुरआन (यानी सूर: फ़ातिहा तो पढ़ लिया करो और कुछ न पढ़ा करो) , क्योंकि जिसने सूर: फ़ातिहा नहीं पढ़ी, उस की नमाज़ नहीं। इस बाब में हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस हसन है। दूसरे रिवायत करने वालों ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से यों रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, 'जिसने सूर: फ़ातिहा नहीं पढ़ी, उस की नमाज़ नहीं।' इस बारे में यह रिवायत पहली रिवायत से ज़्यादा सही है। इमाम के पीछे कुरआन पढ़ने में ज़्यादातर उलेमा का इस हदीस पर अमल है, जिनमें सहाबा व तालिईन दाख़िल हैं। इमाम मालिक बिन अनस रह०, इमाम इब्ने मुबारक रह०, इमाम शाफ़ई रह० इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक रह० का भी यही कौल है कि इमाम के पीछे (सूर: फ़ातिहा) पढ़ना चाहिए।

- हवाला-**
1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस न० 274, नमाज़ का बयान,
 2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 321, हदीस 814, बाव 287।
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, हदीस 790, नमाज़ का बयान।
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 279, नमाज़ का बयान।

इमाम के पीछे सूर: फ़ातिहा पढ़ने वालों के लिए यह हदीस है और जो लोग इमाम के पीछे सूर: फ़ातिहा पढ़ने के कायल नहीं हैं, वे नीचे लिखी हुई हदीसों से दलील पकड़ते हैं। हम इन्शाअल्लाह हर चीज़ ईमानदारी से बयान करेंगे, ख़ियानत नहीं करेंगे, क्योंकि मरना हमें भी है, हमको अल्लाह की मेहरबानी से किसी जमाअत से कोई तास्सुब नहीं है और न किसी को रुसवा करना मक़सूद है, सिर्फ़ हक़ बात ही मरल्लूके खुदा तक पहुंचाना मक़सूद है, ताकि कम पढ़े-लिखे लोग एक दूसरे पर तान करने से बचें।

हदीस- हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसी नमाज़ से फ़ारिग हुए जिस में किरात ऊंची आवाज़ से की जाती है। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम में से अभी किसी ने कुरआन पढ़ा है?' इस पर एक आदमी ने कहा कि, हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! (मैंने पढ़ा है) फ़रमाया, मैं भी तो कहता था कि (क्या वजह है) मुझ से कुरआन छिना जाता है? रिवायत करने वाले कहते

हैं कि इसके बाद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे जेहरी नमाज़ में (जिस में किरात ऊंची आवाज़ से की जाए) कुरआन पढ़ना छोड़ दिया। इस बारे में हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इम्रान बिन हसी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है। यह हदीस हसन सही है।

हवाला

1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस न० 275, नमाज़ का बयान,
2. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 78, हदीस न० 187, बाब 120,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, हदीस 791, नमाज़ का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 279, नमाज़ का बयान।

हदीस

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब तुम नमाज़ पढ़ो (जमाअत से), तो अपनी सफ़ों को सीधा करो, फिर तुम में से एक आदमी तुम्हारा इमाम हो और जब वह अल्लाहु अक्बर कहे, तो तुम भी अल्लाहु अक्बर कहो और जब इमाम 'गैरिल मज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन' कहे तो तुम भी 'आमीन' कहो, तुम्हारी दुआ खुदा कुबूल कर लेगा। फिर वह जब अल्लाहु अक्बर कहे और रूकूअ करे, तो तुम भी 'अल्लाहु अक्बर' कहो और रूकूअ करो और इमाम तुम से पहले रूकूअ करता है और तुम से पहले सर उठाता है। चुनांचे रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इमाम का पहले सर उठाना बदला है पहले रूकूअ करने का और जब इमाम 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहे, तो तुम भी 'अल्लाहुम-म रब्बना ल-कल हम्दु' कहो, अल्लाह तुम्हारी तारीफ़ सुनता है (मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत में ये लफ़ज़ हैं कि 'जब इमाम किरात करे, तो तुम ख़ामोश रहो।'

हवाला

1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 185, हदीस न० 765, नमाज़ का बयान।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस न० 351, बाब 152, नमाज़ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 271।

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, 'जब इमाम पढ़े तो तुम ख़ामोशी के साथ सुनो।'

हवाला

इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 144, हदीस न० 857, किरात के वक़्त ख़ामोश रहने का बयान।

हदीस

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इमाम इस लिए मुक़र्रर किया गया है कि उस की पैरवी की जाए। जब इमाम तक्बीर कहे, तुम भी तक्बीर कहो और जब वह पढ़े, तो तुम चुप रहो। जब वह कहे, 'गैरिलमज़ूबि अलैहिम व लज़्ज़ाल्लीन०', तुम कहो 'आमीन' जब वह रूकूअ करे, तो तुम भी

रुकूअ करो। जब वह कहे 'समिअल्लाहु लिमन हमिदहं तो तुम कहो 'रब्बना ल-कल हम्दु', जब वह सज्दा करे, तो तुम भी सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो। (यानी तशह्हुद)

हवाला इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 143, हदीस 856, किरात के वक़्त ख़ामोश रहने का बयान।

हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जिस वक़्त सवाल किया जाता कि क्या इमाम के पीछे आप लोगों में से कोई किरात करता था ? आप जवाब देते कि जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो उस को इमाम का पढ़ना काफी होता है। (यानि इमाम की किराअत् मुक़्तदी की किराअत् होती है) और जब तुम तन्हा नमाज़ पढ़ो तो फिर किरात करनी चाहिए। नाफ़ेअ कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इमामा के पीछे नहीं पढ़ा करते थे।

हवाला मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 79, हदीस न० 188, बाव 121, नमाज़ का बयान।

हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब कोई आदमी इमाम के पीछे हो, तो इमाम की किरात उस आदमी का पढ़ना ही समझा जाएगा।

हवाला इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 144, हदीस 860, नमाज़ का बयान।

जो लोग इमाम के पीछे सूः फ़ातिहा नहीं पढ़ते, वे इन हदीसों पर अमल करते हैं। अब कोई आदमी अगर ऐसे लोगों पर तान करता है, तो उसका यह ताना करना, सहाबा के अमल पर तान करना होगा और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में यह तो सोचा ही नहीं जा सकता कि उन्होंने बग़ैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुने या बग़ैर देखे किसी अमल को अपना लिया होगा या बयान कर दिया होगा। इसी लिए हनफ़ी मसलक का अमल इमाम के पीछे सूः फ़ातिहा न पढ़ने पर है और हनफ़ियों को नहीं पढ़ना चाहिए।

हकीक़त में सही बात यह है कि इमाम के पीछे सूः फ़ातिहा पढ़ने वालों की भी नमाज़ हो जाती है और जो इमाम के पीछे सूः फ़ातिहा नहीं पढ़ते, उन की नमाज़ भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कम-अक़ल होते हैं और वे अपनी ना-समझी की वजह से या नादानी की वजह से उम्मत में झगड़े खड़े करते रहते हैं और अल्लाह के बंदों को एक नहीं होने देते।

एक बात यह भी याद रखने के काबिल है कि कुछ आदमी ऐसे मुतास्सिब होते हैं कि एक-दूसरे के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ते, यह भी जहालत है। इन दोनों जमाअतों में से किसी जमाअत के इमाम के पीछे कोई साहब नमाज़ पढ़ लें, तो उन की नमाज़ हो जाएगी।

हदीस वाइल विन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्ल ल्लाहु अलैहि व सल्लम को 'गैरिल मज़ूबि अलैहिम व लज़्जाल्लीन०' के बाद 'आमीन' ऊंची आवाज़ से कहते सुना है।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 187, हदीस 783, किरात का बयान।

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 276 ।

जानना चाहिए कि फ़ातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहनी सुन्नत है, सब इस पर मुत्तफ़िक हैं, चाहे अकेला हो या इमाम या मुक्त्तदी, अगरचे इमाम आमीन न कहे और उस का पुकार कर कहना सुन्नत है। इमाम शाफ़ई रह० और इमाम अहमद रह० के नज़दीक और इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक पुकार कर न कहे। वह कहते हैं कि हदीसें पुकार कर कहने के बारे में यह बताती हैं कि यह सिखाने के लिए शुरू में था फिर जब कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सीख लिए, चुपके कहने लगे। चुनांचे इब्ने हुमाम रह० ने रिवायत की अहमद रह० और अबू यज़ली रह० और तबरानी रह० और दार कुत्नी रह० और हाकिम रह० ने शोबा की हदीस से और उन्होंने अल्क़मा बिन वाइल से नक़ल किया, उसने अपने बाप से रिवायत किया कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, पस जब 'गैरिल मज़ूबि अलैहिम व लज़्जाल्लीन०' पर पहुचें, आमीन कही और चुपके से कही और उन्होंने पैरवी की है हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की कि वह चुपके से कहते थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि उन्होंने कहा कि चार चीजें हैं कि इमाम उस में ज़ोर से न बोले-अज़ूजु और बिस्मिल्लाह और सुब्हा-न कल्लाहुम-म और आमीन असल दुआ में चुपके पढ़ना है वास्ते कौल अल्लाह तआला के 'उदअू रब्बकुम तज़र्र अंव-व खुफयः' यानी दुआ करो अपने पालनहार से गिड़गिड़ा कर और चुपके। (पारा 8, सूरः आराफ, रूकूअ 2, आयत 55) और इस में शक नहीं कि आमीन दुआ है, पस उस को चुपके चुपके कहने ही को तर्जीह दी जाएगी और आमीन कुरआन से नहीं है सब के नज़दीक, पस यह इस लायक नहीं है कि कुरआन की आवाज़ के साथ कोई और आवाज़ हो, जैसे कि इस का लिखना जायज़ नहीं मुस्हफ में। वल्लाहु अज़ लम ।

हवाला- मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 276, क़िरात का बयान ।

कुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ के 24 वें रूकूअ में आयत नं० 205 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा- और ऐ आदमी ! अपने पालनहार को याद किया कर अपने दिल में आजिज़ी के साथ और डर के साथ और ज़ोर की आवाज़ के मुकाबले में कम आवाज़ के साथ सुबह और शाम और ग़ाफ़िल लोगों में मत गिना जाना ।

आमीन ऊंची आवाज़ से कहना भी सुन्नत से साबित है और धीरे कहना भी सुन्नत से साबित है। जो लोग आमीन को धीरे से कहना ज़्यादा पसन्द करते हैं, इन की जमाअत में अगर कोई ऊंची आवाज़ से कहने वाला शरीक हो जाए तो आमीन को ऊंची आवाज़ से सुन्नत समझ कर कहे। दूसरों को चिढ़ाने की नीयत से न कहे, क्योंकि चिढ़ाने के लिए सुन्नत को अमल में लाना या सुन्नत से चिढ़ना दोनों में गुनाह है, बल्कि कुछ हालात में तो कुफ़्र का भी अंदेशा है, क्योंकि चिढ़ना किसी चीज़ से हिक़ारत पैदा करता है और दीन की ज़रूरी बातों का इंकार

या उस को हकीर जानना कुफ़्र है और ऐसी सुन्नत, जो अपने सबूत के लिहाज़ से दीन की ज़रूरतों में गिनी जाए, उस को हकीर समझना कुफ़्र है।

‘अगर किसी ने सुन्नत को हकीर जाना, तो काफ़िर हुआ।’

- हवाला** -1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 541, नवाफ़िल का बयान।
 2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 156, नवाफ़िल का बयान।
 3. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 316, नवाफ़िल का बयान।

इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने जब अपने बेटे हम्माद रह० को इल्मे कलाम में मुनाज़रा करते देखा, तो उस को मना फ़रमाया। पस हम्माद रह० ने अर्ज़ किया कि मैं ने आप को इल्मे कलाम में मुनाज़रा करते देखा है और आप मुझे मना फ़रमाते हैं, तो फ़रमाया कि हम मुनाज़रा किया करते इस सुकून से कि गोया हमारे सिरों पर चिड़ियां हैं, इस डर से कि हमारे मुकाबले वाला डगमगा न जाए और तुम इस नीयत से मुनाज़रा करते हो कि तुम्हारे मुकाबले वाला फ़िसल जाए और जिसने अपने मुकाबले वाले की लग़िज़श चाही तो उस का कुफ़्र चाहा और जिस ने उस का कफ़्र चाहा तो खुद काफ़िर हुआ।

हवाला ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 53, अकाइद का बयान।

हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जनाज़े पर नमाज़ पढ़ी, तो उस में सूः फ़ातिहा भी पढ़ी। मैं ने उन से इस के बारे में पूछा तो फ़रमाया कि यह सुन्नत है। या (फ़रमाया) कमाले सुन्नत है यह हदीस हसन व सही है और कुछ इल्म वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व ताबईन रह० के नज़दीक इसी पर अमल है। उन्होंने यह अख़्तियार किया है कि पहली तक्बीर के बाद सूः फ़ातिहा पढ़ी जाए। इमाम शाफ़ई रह०, इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक रह० का यही क़ौल है। कुछ उलेमा कहते हैं कि जनाज़े की नमाज़ में उस को न पढ़ना चाहिए। यह (जनाज़े की नमाज़ की दुआ है जिस में) तो अल्लाह की हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजना है और मय्यत के लिए दुआ करना है। सुफ़ियान सोरी रह० और दूसरे कूफ़ा वालों का यही क़ौल है।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 198, हदीस 932, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
 2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 297, हदीस 1236, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
 3. अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 573, हदीस न० 1441, बाब 601, बयाने जनाज़ा,
 4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 232, हदीस 1515, बाब 601, बयाने जनाज़ा,

5. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 291, हदीस 1559, बाब 601, बयाने जनाजा,
6. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 51, बाब 601, बयाने जनाजा,

हदीस - अबू इब्राहीम अशहली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब जनाजे की नमाज़ पढ़ते तो फ़रमाते-

‘अल्लाहुम-मग़िफ़र लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गा़िबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना’ (ऐ अल्लाह! हमारे जिंदों, हमारे मुर्दों, हमारे हाज़िर, हमारे ग़ायब, हमारे छोटे, हमारे बड़े, हमारे मर्दों और हमारी औरतों को बरखा दे) यह्या रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी ही हदीस रिवायत की है, मगर इस में ये लफ़ज़ बढ़ा दिये हैं-

अल्लाहुम-म मन अह्यैतहू मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहू मिन्ना फ़-त-वफ़हू अलल ईमान० (ऐ अल्लाह! तू हम में से जिस को जिंदा रखे तो उस को इस्लाम पर जिंदा रख और जिसे मौत दे तो उसे ईमान पर मौत दे।) इस बारे में हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आइशा सिद्दिका रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है कि हज़रत अबू इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद की हदीस हसन व सही है। हिशाम और अली बिन मुबारक ने यह हदीस यह्या बिन अबी कसीर से, उन्होंने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुर्सलन रिवायत की है, मैं ने इमाम बुखारी रह० को यह कहते सुना है कि इस बाब में तमाम रिवायतों में से ज़्यादा सही रिवायत वह है जो यह्या बिन अबी कसीर रह० ने अबू इब्राहीम अशहली रह० और उनके वालिद से रिवायत की है।

- हवाला** -
1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 198, हदीस 929, नमाजे जनाजा का बयान,
 2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 574, हदीस 1444, बाब 602, नमाजे जनाजा का बयान,
 3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 232, हदीस 1518, नमाजे जनाजा का बयान,
 4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 293, हदीस 1579, नमाजे जनाजा का बयान,
 5. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 52, नमाजे जनाजा का बयान,

हनफ़ी मसलक का अमल इसी हदीस पर है।

हदीस - हज़रत कसीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दादा (उमर बिन औफ़ मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दोनों ईदों में पहली रक़अत में कुरआन पढ़ने से पहले सात बार और दूसरी रक़अत में भी कुरआन पढ़ने से पहले पांच बार अल्लाहु अकबर कहा, इस बारे में हज़रत आइशा सिद्दिका रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है, यह हदीस हसन है। इस बारे

में यह रिवायत सबसे अच्छी है कसीर के दादा का नाम उमर बिन औफ मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु है। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन रह० का इसी पर अमल है। रिवायत है कि मदीने में हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह नमाज़ पढ़ी। मदीने वालों का यही कौल है। इमाम मालिक बिन अनस रह०, इमाम शाफ़ई रह०, इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक रह० इसी के कायल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से दोनों ईदों की तक्बीरों के बारे में रिवायत है कि आपने फ़रमाया, (दोनों ईदों की नमाज़ में कुल) नौ तक्बीरें हैं। पहली रकूअत में क़िरात से पहले पांच तक्बीरें और दूसरी रकूअत में अल-हम्दु और सूरः के बाद रकूअ की तक्बीर समेत चार तक्बीरें हैं। कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतअल्लिक यही रिवायत है और कूफ़ा वालों का और सुफ़ियान सोरी रह० का यही कौल है।

हवाला

1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 108, हदीस 478, ईदैन के बारे में,
2. अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 431, हदीस 1138, बाब 402, ईदैन के बारे में,
3. इब्ने माज़ा शरीफ़, पृ० 203, हदीस 1295, बाब ईदैन के बारे में,
4. दारमी शरीफ़, पृ० 255, हदीस 1595, बाब 396, ईदैन के बारे में,
5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 260, हदीस 1351, ईदैन के बारे में,
6. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 475, ईदैन के बारे में।

हदीस

1. हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदुल फ़ित्र और ईदे कुर्बा की नमाज़ों में किस तरह तक्बीरें कहते थे, अबूमूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप चार तक्बीरें कहते थे, जिस तरह जनाजे की नमाज़ में कही जाती हैं और अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस की तस्दीक की है।

हवाला

1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 261, हदीस 1353, ईद का बयान,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 432, हदीस 1140, बाब 402,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 475, ईद का बयान।

इस हदीस को बयान करने वाले भी सहाबी हैं और इस की तस्दीक करने वाले भी सहाबी हैं, यानी जिस तरह जनाजे में चार तक्बीरें कही जाती हैं, इसी तरह ईदैन में चार-चार तक्बीरें हर रकूअत में कहते हैं। पहली रकूअत में चार तक्बीरें क़िरात से पहले तक्बीरें तहरीमा समेत और दूसरी रकूअत में चार तक्बीरें क़िरात के बाद तक्बीरे रकूअ समेत यही मज़हब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का है।

हवाला

मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 475, ईदैन का बयान,

हनफ़ियों का अमल इसी हदीस पर है। पहली रक़अत में भी चार तक्बीरें हैं और दूसरी रक़अत में भी चार तक्बीरें हैं। पहली रक़अत में पहली तक्बीर कहने के बाद हाथ बांध कर 'सुब्हानकल्ला-हुम-म' पूरी पढ़ कर तीन तक्बीरें कहने के बाद 'अजूजुबिल्लाहि मिनशैतानिर्जीम०' पढ़े, उस के बाद 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्हीम०' पढ़े, फिर क़िरात शुरू करेंगे और दूसरी रक़अत में क़िरात के बाद तीन तक्बीरें कहेंगे, उस के बाद चौथी तक्बीर रक़ूअ में जाते वक़्त कहेंगे। ये कुल आठ तक्बीरें हो गयीं।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें मूछों को छोटा करने और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म फ़रमाया है।

- हवाला** - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 121, हदीस नं० 623, आदाब का बयान।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1 पृ० 47, हदीस 218, बाब 88, तहारत का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मुश्रिकों के खिलाफ़ करना चाहिए और दाढ़ियों को बढ़ाओं और मूछें कतरवाओ और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब हज करते या उमरा करते तो दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते, जितनी मुट्ठी से ज़्यादा होती कतरवा देते।

- हवाला** - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 24, पृ० 207, हदीस नं० 832, नाख़ुन काटने का बयान।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 121, हदीस 621, आदाब का बयान।

तिर्मिज़ी शरीफ़ में इतने लफ़्ज ज़्यादा हैं। साथ ही हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुट्ठी में पकड़ कर बाकी दाढ़ी कतरवाते थे और अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द 3, पारा 26, पृ० 294, हदीस 796 की शरह में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वे अपनी दाढ़ियां एक मुट्ठी के बराबर रखते थे और इस से ज़्यादा कतरवा डालते थे। इमाम मालिक रह० से सवाल हुआ कि अगर दाढ़ी लंबी हो जाए तो ? उन्होंने कहा कि कतरवाना चाहिए। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है कि आं-हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी मुबारक दाढ़ी में से कतरवा लिया करते थे लम्बाई और चौड़ाई में से, ताकि गोल हो जाए।

दाढ़ी की लम्बाई कम से कम एक मुट्ठी होना सुन्नत है और एक मुट्ठी से कम करना सुन्नत के खिलाफ़ है, 'सुन्नत यह है कि मर्द अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़े, जितना मुट्ठी से बाहर हो काट डाले।'

- हवाला** - 1. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 235, बाबुल हज़र।
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 329, किताबुल कराहत।

3. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 299, किताबुल कराहत ।

जैसे एक बहुत बड़ी नदी है, जिस में बहुत साफ, पाक और उमदा मीठा पानी भरा हुआ है। इस नदी के मुखलिफ किनारों पर मुखलिफ लोग अल्लाह के बन्दों को पानी भर-भर कर पिला रहे हैं। चारों ओर अल्लाह के बन्दों की भीड़ है और इस नदी पर पानी पीने के लिए लोग गिरोह के गिरोह चले आ रहे हैं। पानी पिलाने वाले शीशे के गिलास में पानी भर-भर कर पिला रहे हैं। इन गिलासों के रंग मुखलिफ हैं, किसी का रंग हरा है, किसी का लाल है, किसी का पीला, किसी का आसमानी है, पीने वालों को महसूस हो रहा है कि पानी का रंग अलग-अलग है, हालांकि यह रंग कांच के गिलासों का है, वरना पानी तो एक ही है और एक ही नदी से पिलाया जा रहा है, पिलाने वाले सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम और इमाम साहिबान रहमतुल्लाहि अलैहिम और मुहद्दीसीन रहमतुल्लाहि अलैहिम हैं और पीने वाले उम्मती हैं, जो नदी के हर किनारे से पिये जा रहे हैं। इन में से किसी को हक नहीं कि दूसरे किनारे पर पीने वाले को नीचा समझे, क्योंकि पानी एक ही नदी का है, पीने वाला जिस ओर से भी पियेगा इन्शाअल्लाह यकीनी तौर पर सेराब होगा।

अब जो भाई जिस इमाम की पैरवी करता है, उस को उसी इमाम के मसलक पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इमामों की तक्लीद वाजिब है, मगर इतना याद रखना चाहिए कि कभी इस इमाम की, कभी उस इमाम की तक्लीद करना ठीक नहीं है। किसी एक इमाम की तक्लीद अख्तियार करे, फिर उन के बताये हुए मसअलों पर अमल करे। जो लोग इमामों के इख्तिलाफी मसअलों को नहीं जानते, वही लोग भारत में लड़-झगड़ रहे हैं और जानने के बावजूद भी जो लड़ रहे हैं, वे नफसानियत में पड़ गए हैं और जो लोग कहते हैं कि इमामों की तक्लीद हराम है, वे भी ग़लती पर हैं, क्योंकि फ़िलहाल दुनिया में बगैर तक्लीद के चारा नहीं, क्योंकि सब इन्सानों को इतना इल्म नहीं होता कि हर कोई अपना मसअला कुरआन व हदीस से निकाल सके। इसके अलावा फ़र्ज, वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते गैर मुअक्कदा के लफ़्ज़ कहां से लाओगे? और फ़र्ज छूटेगा तो हराम का दर्जा रखता है और वाजिब व सुन्नते मुअक्कदा छूटेगा तो मक्रूहे तहरीमी का दर्जा रखते हैं और सुन्नते गैर मुअक्कदा छूटेगी तो मक्रूहे तन्जीही का दर्जा रखती हैं, ये सारी तर्तीबिं तक्लीद ही में तो हैं, बगैर तक्लीद के ये सारी नेमतें आप कहां से लाएंगे? इस के अलावा नमाज़ का ख़राब होना, मक्रूह होना और सज़्दा सह्व कहां-कहां और कौन-कौन से कामों के छोड़ने से ज़रूरी होता है, ये सारी तर्तीबिं हम कहां से लाएंगे, अगर इन मसअलों की हदीसें नहीं हैं, तो नमाज़ी नमाज़ में कहीं ठोकर खा गया, तो अब क्या करे? सह्व का सज़्दा करे या न करे, इन मसअलों में तक्लीद ज़रूरी है या नहीं?

मेरे नज़दीक इन्साफ और दयानतदारी की बात अगर पूछो, तो यह है कि इस ज़माने में जिन की अमली जिंदगी है, वे अहले हदीस भी हैं और अहले तक्लीद भी हैं और सही मयनों

में वही सुन्नत वल जमाअत हैं और जिन की अमली जिंदगी नहीं है, वे न अह्ले हदीस हैं, न अह्ले तकलीद हैं और न ये सुन्नत वल जमाअत हैं। किसी की बात मान लेना उसी का नाम तकलीद है। इमाम बुखारी रह० की बात मान लेना या किसी भी मुहदिस की या किसी बुजुर्ग की बात मान लेने को तकलीद कहते हैं। अगर किसी इन्सान ने किसी इन्सान की बात मान ली और वह बात कुरआन व हदीस से टकराती नहीं, बल्कि कुरआन करीम की किसी न किसी आयत से या हदीस से उस का सबूत मिलता है, तो वह तकलीद हराम नहीं है, बल्कि जायज़ और ज़रूरी है, क्योंकि असल में वह बात कुरआन व हदीस से बताई गयी है या कुरआन व हदीस से निकाली गयी है, इसलिए वह तकलीद हराम नहीं होगी। अलबत्ता जो बात कुरआन व हदीस से टकराती हो या इस बात का कुरआन व हदीस में कोई इशारा तक भी न हो, तो ऐसी तकलीद हराम होगी, चाहे वह किसी की भी हो।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० के दो जानशीं हज़रत इमाम मुहम्मद रह० और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रह०, ये दोनों हज़रत बड़े पाए के बुजुर्ग थे और दोनों हज़रत अबू हनीफ़ा रह० की तकलीद में थे। अगर वाकई तकलीद ग़लत होती तो ये हज़रत तकलीद को क्यों कुबूल करते? इन बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें, 1. जामेअ सगीर 2. जामिअ कबीर, 3. सियरे सगीर, 4. सियरे कबीर, 5. ज़ियादात, 6. मब्सूत, 7. मुहीत आज भी मौजूद हैं।

मशहूर साहिबे सिलसिला बुजुर्ग फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह० (वफ़ात सन 187 हि०) फ़िक्ह और हदीस में इमाम आजम अबू हनीफ़ा रह० के शार्गिद थे, उन की बुजुर्गी का अन्दाज़ा सिर्फ़ इस बात से किया जा सकता है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रह० उन के शार्गिद हैं।

शेख़ इब्राहीम बिन अदहम बलख़ी रह०, (वफ़ात 161 हि०) बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं। यह इमाम आजम अबू हनीफ़ा रह० के फ़िक्ह में शार्गिद हैं। बादशाही छोड़ कर फ़कीरी अपना ली थी। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह० से ख़िलाफ़त पायी थी।

शेख़ अली मख़दूम हुज्वेरी रह०, (वफ़ात 465 हि०) जो दातागंज बख़्श के नाम से जाने जाते हैं, उन की एक किताब 'कशफ़ुल महज़ूब' बहुत ज़्यादा मशहूर और मक़बूल है। आप हनफ़ी हैं और अपनी इसी किताब में इमाम आजम अबू हनीफ़ा रह० की बड़ी तारीफ़ फ़रमायी हैं।

हज़रत ख़्वाजा मुहम्मद अब्दुल बाकी नक़्शबन्दी रह० जो ख़्वाजा बाकी बिल्लाह के लक़ब से मशहूर हैं, नक़्श बन्दी सिलसिला आप ही से चला है और आप की बुजुर्गी का अन्दाज़ा इस बात से होता है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानो आपसे मुरीद हुए और ख़लीफ़ा हुए, यह भी हनफ़ी थे।

हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानो रह०, हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रह० और न मालूम कितने औलिया अल्लाह हनफ़ी गुज़रे हैं। अगर वाकई तकलीद ग़लत होती, तो ये हज़रत उस को कुबूल क्यों करते।

शाफ़ज़ी मसलक में हज़रत इमाम गज़ाली रह०, जो बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, जिनकी किताब 'एह्याउल उलूम', उर्दू तर्जुमा 'मज़कुल आरफीन', जो चार जिल्दों में मौजूद है, इस के अलावा दूसरी किताब 'अक्सीरे हिदायत' उर्दू तर्जुमा 'कीमिया-ए-सआदत' भारत में मशहूर व मारूफ़ हैं, वह शाफ़ज़ी मसलक के थे।

हंबली मसलक में हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रह०, जो बड़े पीर के नाम से मशहूर हैं, आप ने तीन किताबें लिखी हैं-

1. ग़न्यतुत्तालिबीन, 2. खुत्बा-ए-ग़ैसिया, 3. फ़ुतूहुल ग़ैब, जो आज भी भारत में मिल रही हैं, वे खुद हंबली मसलक के थे, अगर तक्लीद ग़लत होती, तो ऐसे बुजुर्ग तक्लीद को क्यों कुबूल करते। हज़रत इमाम इब्ने कसीर मशहूर बुजुर्ग हैं। आप की लिखी हुई किताब 'तफ़सीरे इब्ने कसीर' सारी दुनिया में मक़बूल है। आप भी शाफ़ज़ी मसलक के थे। अगर तक्लीद ग़लत होती, तो ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियां तक्लीद को क्यों कुबूल करतीं। तक्लीद जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। बच्चा मां की गोद में होता है और वह बच्चा जब समझने और बोलने लगता है, तो मां उस बच्चे को समझाती है कि यह तेरा बाप है, मां जिसकी तरफ़ इशारा कर देती है, बच्चा उसी को बाप मान लेता है, हालांकि उस के पास कुरआन व हदीस की कोई दलील नहीं है कि यही उस का बाप है, सिर्फ़ मां के कहने पर वह उस को बाप समझ रहा है।

दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे भी हैं, जो इज्तिहाद और क़ियास को नहीं समझते और उन के दिल व दिमाग़ में यह बात घूमती रहती है कि कुरआन व हदीस के मौजूद होते हुए इज्तिहाद और क़ियास की क्या ज़रूरत है। इन साहिबों के लिए हम एक मसअला बयान कर देते हैं ताकि आम लोगों की समझ में आ जाए कि इज्तिहाद और क़ियास किसे कहते हैं और कैसे होता है और यह कि इज्तिहाद हर एक के बस की बात नहीं है।

एक मर्द था, वह अपने घर गया तो उस की बीवी किसी वजह से अपने शौहर से नाराज़ थी, इसलिए बोल नहीं रही थी। मर्द ने बार-बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज़गी की वजह से नहीं बोली। इधर मर्द को भी गुस्सा आ गया। मर्द ने कहा, खुदा की क़सम! अगर तू मुझ से नहीं बोलेगी तो मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगा। मर्द की यह बात सुन कर औरत भी गुस्से में आ गयी। उसने भी क़सम खायी कि अगर तू मुझ से नहीं बोलेगा, तो खुदा की क़सम! मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगी। आमने सामने दोनों ने क़सम खा ली। अब दोनों में से कोई किसी से नहीं बोलता। अगर कोई बोले तो उस को क़सम का कफ़ारा अदा करना पड़े। क़सम का कफ़ारा दस मिस्कीनों को खाना या कपड़ा देना या एक गुलाम आज़ाद करना और अगर यह न हो सके तो तीन दिन लगातार रोज़े रखना है। कुछ दिनों तक दोनों का मामला गुम-सुम चला। मर्द ने कई आलिमों से पूछा, तो जिन से भी पूछता था, वे यही कहते थे कि क़सम का कफ़ारा अदा कर दो। इत्तिफ़ाक़ से इमाम आजम रह० से उसने यही मसअला पूछा, तो आपने जवाब में कहा कि तू अपनी बीवी से जाकर बोल, तेरे ऊपर कफ़ारा नहीं है। वह मर्द

खुश हो गया और बीवी से बोलने लगा। यह बात बहुत जल्द शहर में फैल गयी। आलिम लोग जमा हो गये और इमाम आजम अबू हनीफा रह० को बुलवाया गया लोगों ने कहना शुरू किया कि आप हदीसों के खिलाफ फ़त्वा देते हैं। इमाम आजम ने फ़रमाया कि हमने किस को हदीस के खिलाफ फ़त्वा दिया। उन लोगों ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि इस आदमी ने अपनी बीवी से न बोलने की क़सम खायी थी और आप ने बग़ैर कफ़ारा के बोलना जायज़ कर दिया, तो इमाम आजम रह० ने उस आदमी से कहा कि तुम अपना पूरा पूरा वाकिआ बयान करो। उसने कहा कि जब मैं घर पर गया तो मेरी बीवी मुझ से बोल नहीं रही थी, तो मैंने क़सम खा ली कि खुदा की क़सम! जब तक तू मुझ से नहीं बोलेगी, मैं तुझ से नहीं बोलूंगा। यह बात सुन कर औरत ने भी क़सम खा ली कि खुदा की क़सम! अगर तू मुझ से नहीं बोलेगा, तो मैं भी तुझ से न बोलूंगी। इस बात को सुन कर इमाम अबू हनीफा रह० ने फ़रमाया कि मर्द पर क़सम का कफ़ारा नहीं है। यह सुन कर आलिम लोग फिर बिगड़ गए कि क़सम का कफ़ारा कैसे नहीं है, जबकि दोनों ने क़सम खायी है और हदीस में क़सम तोड़ने का कफ़ारा मौजूद है। इमाम साहब ने फ़रमाया कि बात को समझने की कोशिश करो। मर्द जब घर पर गया, तो उस की औरत उस से नहीं बोल रही थी तो मर्द ने क़सम खायी, तू मुझ से नहीं बोलेगी, तो खुदा की क़सम, मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगा। मर्द की क़सम बंध गयी। अब मर्द के सामने औरत क़सम खा रही है कि तू मुझ से नहीं बोलेगा, तो खुदा की क़सम! मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगी। औरत क़सम खा रही है, मगर बोल रही है। जब मर्द के सामने औरत बोल रही है, मर्द की क़सम उतर गयी और औरत की क़सम बंध गई। अब अगर मर्द अपनी औरत से बोलेगा तो औरत की क़सम उतर जाएगी। न मर्द पर क़सम का कफ़ारा होगा, न औरत पर। हदीस की मुखालफत भी नहीं हुई और मसअला भी हल हो गया। समझे मेरे भैया। इसी को कहते हैं इज्तिहाद और क़ियास। कोई मसअला पेश आ गया कि वह कुरआन व हदीस में साफ-साफ नहीं है, तो उस के लिए इज्तिहाद करने की इजाज़त हदीसों से साबित है। लेकिन यह हक़ हर एक इंसान को हासिल नहीं, बल्कि जो कुरआन व हदीस पर पूरी-पूरी नज़र रखता हो, उसे इज्तिहाद करने की इजाज़त है। इज्तिहाद करने वाले में अगर नफ़सानियत नहीं है, तो इज्तिहाद में भूल हो जाए, तब भी उस को एक सवाब मिलेगा और इमामों ने तो अपनी सफाई भी पेश कर दी है।

इमाम आजम अबू हनीफा रह० ने फ़रमाया कि 'किसी को यह हलाल नहीं है कि हमारा क़ौल अख़्तियार करे, जब तक उस को कुरआन करीम और सुन्नत शरीफ़ या इज्माअे उम्मत या क़ियासे जली से मालूम न कर ले।'

हवाला फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 121, मुकदमे में।

इमाम शाफ़ई रह० ने फ़रमाया कि, 'जब हदीस सही मिल जाए और मेरा क़ौल खिलाफ़ पड़े, तो मेरे क़ौल को दीवार से मार दो और हदीसे जाबित पर अमल करो।'

हवाला फ़तावा अलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 121, मुक़दमे में।

हकीकत में जो इमामों में इख़्तिलाफ़ है, वे इमाम साहिबान के नहीं, बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन के इख़्तिलाफ़ हैं।

हदीस - हज़रत अ़िरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से जो जिंदा रहेगा, वह बहुत इख़्तिलाफ़ पाएगा, पस नयी बातों में बचते रहना, क्योंकि यही गुमराही है, तो तुम में से जो आदमी यह जमाना पाए, तो मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत पाये हुए खुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नतों को मज़बूत पकड़े।
लोगों ! इस सुन्नत को दांतों से मज़बूत पकड़ लो। (मुख़्तसर)

हवाला - 1. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 108, हदीस 535, अब-वाबुल अ़िल्म।

2. मिशक़त शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 109, हदीस 156, किताबुसुन्नः।

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 77, किताबुल ईमान।

इस बरकत वाली जमाअत यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमाअत के लिए खुद खुदावन्द करीम फ़रमा रहा है।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः तौबा के तेरहवें रकूअ में आयत न० 100 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - वे मुहाजिर और अंसार जिन्होंने सब से पहले ईमान की दावत पर लब्बैक कहने में पहल की (और बाकी उम्मत में) जितने लोग इख़्लास के साथ उन की पैरवी करेंगे, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वे सब अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

हदीस - हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि, 'मैंने अपने परवरदिगार से अपनी वफ़ात के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच इख़्तिलाफ़ के बारे में पूछा (यानी यह कि उन के बीच जो इख़्तिलाफ़ पैदा होगा उस में क्या मस्लहत है?) अल्लाह तआला ने मुझ को वह्य के ज़रिए बताया कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) तेरे साथी मेरे नज़दीक ऐसे हैं, जैसे आसमान पर सितारे। कुछ इन में मज़बूत हैं, यानी उन में ज़्यादा रोशनी है, कुछ ऐसे हैं कि उन में रोशनी कम है, लेकिन बहरहाल सब रोशन हैं। पस जिस आदमी ने उन के इख़्तिलाफ़ में से कुछ लिया, मेरे नज़दीक वह हिदायत पर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मेरे साथी सितारों की तरह हैं, इन में से जिन की भी पैरवी करोगे, हिदायत पाओगे।

हवाला - 1. मिशक़त शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 897, हदीस 5732, मनाकिब के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक, ततिम्मा जिल्द 4, पृ० 90, मनाकिब के बयान में,

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के महबूब थे, जिस तरह अल्लाह तआला को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम महबूब थे, इसी तरह आप की हर अदा अल्लाह तआला को महबूब थी, तो अल्लाह तआला ने इमामों में इख़्तिलाफ़ पैदा करवा के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हर अदा पर अमल करवा दिया। यह इख़्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर सुन्नत पर अमल करवा दिया। अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से हम लोगों पर यह बहुत ही बड़ा एहसान फ़रमाया है। अब सुनिए वे हदीसें, जिन से इज्तिहाद की इजाज़त साबित होती है।

हदीस - हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन को यमन की तरफ़ (काजी बना कर) भेजा तो पूछा कि तुम वहां जाकर फ़ैसला किस तरह करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया, जो कुछ अल्लाह की किताब में है, उस के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा। आपने फ़रमाया, अगर वह अल्लाह की किताब में न हो, तो (यानी तुम जिस बात का फ़ैसला करना चाहो, वह बात कुरआन शरीफ़ में न पाओ, तो फिर क्या करोगे?) उन्होंने अर्ज़ किया, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से (फ़ैसला करूंगा)। आपने फ़रमाया, अगर सुन्नत में भी न पाओ तो (फिर क्या करोगे?) उन्होंने कहा कि अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह की हम्द, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कासिद को (सही तरीका-ए-अमल की) तौफ़ीक़ दी।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द, 1 पृ० 266, हदीस 1227, बाबुल अहकाम,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 23, पृ० 94, हदीस 196, बाब 71।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब हाकिम फ़ैसला करे और इज्तिहाद करे (यानी सोच-विचार कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करे) और सही फ़ैसला करे तो उस के लिए दो सवाब हैं और फ़ैसला किया और उस में ग़लती की, तो उस के लिए एक बदला है (यानी सोच-विचार के बाद भी ग़लती हो जाए तो एक सवाब है।)

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 266, हदीस 1226, बाबुल अहकाम,

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 529, हदीस 2207, किताबुल एतिसाम।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इल्म (अमल करने के काबिल) तीन हैं, इन के अलावा

तमाम इल्म गैर-ज़रूरी हैं (यानी बेकार हैं)-

1. अल्लाह की किताब, 2. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत,
3. इज्तिहादी एहकाम ।

हवाला इब्ने माजा शरीफ, पृ० 41, हदीस 56, बाबुराए वल कियास ।

हदीस हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, शैतान पर एक फ़कीह आलिम हज़ार आबिदों से ज़्यादा भारी है ।

हवाला- 1. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 65, हदीस 223, इल्म के बयान में,

2. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 109, हदीस 540, इल्म के बयान में,
3. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 116, हदीस 204, इल्म के बयान में,
4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 93, किताबुल इल्म ।

शैतान जब लोगों पर दरवाजे ख्वाहिशे नफ़्सानी के खोलता है, आलिम पहचान लेता है और उन को दफ़ा करने का उपाय बताता है, जबकि निरा आबिद ऐसा नहीं कर सकता इसलिए कि वह अक्सर इबादत में लगा होता है और शैतान के जाल में फंसा होता है, लेकिन जानता नहीं ।

हवाला मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 93, किताबुल इल्म ।

इन बुजुर्गों ने इज्तिहाद से जो दीन की ख़िदमत की है वह कद्र के काबिल है अल्लाह पाक इन मामामें पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाये । इन लोगों ने एक-एक आयत और एक-एक हदीस से सैंकड़ों मसअले बयान कर दिये हैं । इन इमामों के अलावा अल्लाह ने मुहद्दीसीन की जमाअत पैदा की, जिन्होंने हदीसों को जमा करने में अपनी जिन्दगियां खत्म कर दी हैं और इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है । अगर मुहद्दीसीन की जमाअत पैदा न होती, तो हो सकता था कि हम गुमराह हो जाते, लेकिन अल्लाह तआला ने अपने रहम व करम से ऐसे-ऐसे असबाब बनाये कि जिनको हक की खोज है, कियामत तक गुमराह नहीं हो सकते । अल्लाह पाक इन मुहद्दीसीन की जमाअत पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाये । आमीन ।

जिन लोगों को हक की खोज ही नहीं और आंखें बन्द कर के बिदअतों और रस्मों पर अमल किये जा रहे हैं, उन का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं और कुछ लोग हक को समझने और जानने के बावजूद भी हक की मुखालफ़त कर रहे हैं और मख्लूके खुदा को गुमराह भी कर रहे हैं और उम्मत को आपस में लड़ा रहे हैं, वे नफ़सानियत में पड़ गये हैं, उन का भी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं ।

जमाअते अहले हदीस का चारों इमामों से इख्तिलाफ

इन चार मसलकों के अलावा एक पांचवीं जमाअत भी है, जो अपने आप को अहले हदीस कहती है। यों तो हर जमाअत में कुछ न कुछ लोग तंग नज़र होते हैं और वे दूसरों पर नुक्ता-चीनी करते रहते हैं। इसी तरह इन अहले हदीस साहिबान की जमाअत में भी नुक्ता-चीनी करने वाले हैं। इन का एतराज़ यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हनफी, मालिकी, शाफ़्ज़ी और हंबली, ये सब मसलक कहां थे? ये सब नये फ़िर्के हैं और बाद में बने हैं। बहरहाल कुछ लोग तो इन मसलक वालों को गुमराह समझते हैं और उन के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ते और एतराज़ करने वाले लोग अपने-आप को अहले हदीस कहते हैं। हालांकि कुछ अहले हदीस की लड़कियां तक़लीद वालों के घर में हैं और तक़लीद वालों की लड़कियां अहले हदीस के घर में हैं। अगर वे वाकई एक दूसरे को गुमराह या बिदअती समझते हैं तो एक-दूसरे की लड़की लेते क्यों हैं? बहरहाल ईमानदारी से देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हनफी, मालिकी, शाफ़्ज़ी और हंबली मसलक नहीं थे, तो मसलके अहले हदीस भी कहां था, इस में तो हम सब के सब बराबर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में क्या था और कौन-सा मसलक था, उस का कुरआन करीम इन लफ़्जों में बयान करता है।

कुरआन करीम के छठे पारे में, सूर: माइदा के पहले रूकूअ में, आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा- आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को पूरा कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: आले इम्रान के नवें रूकूअ में, आयत न० 85 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा- जो आदमी इस्लाम के सिवा और दीन खोजे, उस का वह दीन कुबूल न किया जाएगा और वह आख़िरत में नुक़सान पाने वालों में होगा।

मुस्नद अहमद रह० के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, क़ियामत के दिन आमाल आएंगे। नमाज़ आकर कहेगी कि ऐ खुदा! मैं नमाज़ हूँ। अल्लाह तआला फ़रमाएगा, तू अच्छी चीज़ है। सद्का आएगा और कहेगा, पालनहार! मैं सद्का हूँ। जवाब मिलेगा, तू भी ख़ैर पर है। रोज़ा आकर कहेगा, मैं रोज़ा हूँ। अल्लाह तआला फ़रमाएगा, तू भी बेहतरी पर है। फिर इसी तरह और भी अमल आते जाएंगे और सब को यही जवाब

मिलता रहेगा, फिर इस्लाम आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह ! तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह तआला फ़रमाएगा, तू खैर पर है, आज तेरी ही वजह से मैं पकड़ूंगा, और तेरी ही वजह से मैं इनाम दूंगा।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा न० 3, पृ० 86, सूः आले इम्रान के नवें रकूअ की तफ़्सीर में।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सिर्फ़ दीने इस्लाम था, न कोई हनफ़ी था, न कोई मालिकी था और न कोई शाफ़ज़ी और न हंबली था और न अह्ले हदीस का मसलक था। इस एतराज़ में तो मेरे भोले भैया, हम सभी आ जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन-जिन बादशाहों को खत लिखे हैं, उन को इस्लाम की दावत दी है, फिर एक दूसरे पर एतराज़ करना जहालत नहीं तो और क्या है ?

ये पांचवीं जामअत वाले जो अपने आप को अह्ले हदीस कहते हैं, कुछ मसअलों में इन चारों इमामों से अलग हैं। चारों मसलक वाले तरावीह की बीस रकूअत पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग तरावीह की सिर्फ़ आठ रकूअत पढ़ते हैं। चारों मसलक वाले दोनों हाथ से मुसाफ़ा करते हैं, ये साहिबान एक हाथ से करते हैं। चारों मसलक वाले जुमा के खुत्बे से आधा घंटा पहले जो अज़ान देते हैं, वह अज़ान हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से शुरू हुई है, इस पर चारों मसलक वालों का अमल है, ये लोग उस पर अमल नहीं करते। चारों इमामों के नज़दीक एक मज्लिस की तीन तलाकें तीन ही समझी जाती हैं, लेकिन ये लोग तीन को तीन नहीं, बल्कि एक मानते हैं। चारों मसलक वाले फ़िक्ह को मानते हैं और अह्ले हदीस नहीं मानते, बल्कि फ़िक्ह को फ़िल्ना कहते हैं और हर बात के लिए हदीस की मांग करते हैं। इन बातों में जम्हूर उलेमा-ए-किराम का फ़त्वा एक ओर है और इन साहिबों का अमल दूसरी तरफ़ है। बहरहाल वे अमल चाहे जिस तरह करें, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि इन अह्ले हदीस लोगों को जम्हूर उलेमा किराम पर एतराज़ है, यह जहालत नहीं तो और क्या है।

अब हम इन बातों को एक-एक करके मय हवालों के बयान करते हैं, पहले तरावीह के मसअले को लीजिए-

हदीस- हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ रमज़ान में किस तरह होती थी ? उन्होंने कहा कि आप रमज़ान में और ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकूअत से ज़्यादा नमाज़ न पढ़ते थे, चार रकूअत पढ़ते थे, मगर उन की लम्बाई की हालत न पूछ। फिर चार रकूअत नमाज़ पढ़ते थे और तू उन की खूबी और उन की लम्बाई की हालत न पूछ फिर तीन रकूअत (वित्र) पढ़ते थे। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो रहते हैं? आपने फ़रमाया

कि ऐ आइशा! मेरी आंखें सो जाती हैं और मेरा दिल नहीं सोता।

- हवाला-**
1. सही बुखारी, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 255, हदीस 1065, तहज्जुद का बयान।
 2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 119, हदीस 725, बाब 247, रात की नमाज़ का बयान।
 3. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 502, हदीस 1327, बाब 459, तहज्जुद की नमाज़।

इस हदीस को इमाम बुखारी रह० ने तहज्जुद के बयान में लिया है और इमाम मुस्लिम रह० ने रात की नमाज़ के बयान में लिया है और इमाम अबूदाऊद रह० ने तहज्जुद के बयान में लिया है, अलबत्ता इसी हदीस को इमाम बुखारी रह० ने तरावीह के बयान में भी लिया है। हवाला यह है, बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 448, हदीस 1857, तरावीह के बयान में। अब इस हदीस पर ज़रा गौर करें, हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमा रही हैं कि रमज़ान शरीफ में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे और गैर रमज़ान में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे। इस में दो बातें हैं, रमज़ान और गैर-रमज़ान, तरावीह का कोई ज़िक्र नहीं है और न ज़माअत से पढ़ने का ज़िक्र है। अब इस बात पर गौर करें कि रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग्यारह रक्अत पढ़ते थे, तो यह ग्यारह रक्अत कौन-सी नमाज़ होती थी। अगर हम इस से तरावीह मुराद लेते हैं, तो आठ रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र, ये कुल ग्यारह रक्अतें हो गयीं और अगर तहज्जुद की नमाज़ मुराद ली जाए, तो आठ रक्अत तहज्जुद की नमाज़ और तीन वित्र, यह कुल ग्यारह रक्अतें हो गयीं। इन दो नमाज़ों में से आप एक ही नमाज़ साबित कर सकते हैं, दोनों नमाज़ें साबित नहीं हो सकतीं। अगर तरावीह मुराद लेते हैं तो तहज्जुद साबित नहीं होती और अगर तहज्जुद मुराद लेते हैं, तो तरावीह की नमाज़ साबित नहीं होती, अब आप इन ग्यारह रक्अत नमाज़ से कौन-सी नमाज़ मुराद लेंगे?

तहज्जुद की नमाज़ रमज़ानुल मुबारक में भी पढ़ी जाती है और गैर-रमज़ान में भी पढ़ी जाती है। तरावीह गैर-रमज़ान में नहीं पढ़ी जाती। इस हदीस से तो साफ़ साबित हो जाता है कि रमज़ान में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे और गैर-रमज़ान में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे। यह बात तहज्जुद की हो रही है। तरावीह का इस हदीस में कोई ज़िक्र नहीं है।

हदीस- हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी, उस के बाद (तहज्जुद के वक़्त उठ कर) आठ रक्अतें और दो रक्अतें बैठ कर पढ़ीं और दो रक्अतें फ़ज़्र की अज़ान और इकामत के दर्मियान में पढ़ीं, उनको कभी छोड़ते न थे।

हवाला- सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 258, हदीस 1075, तहज्जुद के बयान में।

यह हदीस अबू सलम वाला हदीस की तस्दीक कर रही है। इन ग्यारह रक़अतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी छोड़ते न थे, कभी छोड़ना नहीं, यह तहज्जुद की बात हो रही है, तरावीह की नहीं। तरावीह सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में पढ़ी जाती है और तहज्जुद रमज़ानुल मुबारक में भी पढ़ी जाती है और गैर-रमज़ान में भी पढ़ी जाती है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी, इसलिए इस को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इस के अलावा सुबह की दो सुन्नतें भी नहीं छोड़ते थे। इन ग्यारह रक़अतों से तरावीह की नमाज़ वहां साबित होती है।

इस हदीस से अगर तरावीह मान ली जाए, तो गोया भआज़ल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म कुरआन करीम दे रहा है।

कुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूर: मुज़म्मिल के पहले रूक़अ में आयत न० 1, 2, 3 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले! रात को खड़े रहा करो, मगर कम, आधी रात या उस से किसी क़दर कम कर दो या उस से कुछ बढ़ा दो।

अल्लाह तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म देता है कि रातों के वक़्त कपड़े लपेट कर सो रहने को छोड़ दें और तहज्जुद की नमाज़ के कियाम को अपना लें।

हवाला- तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 52, सूर: मुज़म्मिल के पहले रूक़अ की तफ़सीर में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पूरी उम्र इस हुक्म को पूरा करते रहे, तहज्जुद की नमाज़ सिर्फ आप पर वाजिब थी, यानी उम्मत पर वाजिब नहीं है।

हवाला- तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 52, सूर: मुज़म्मिल के पहले रूक़अ की तफ़सीर में। कुछ उलेमा कहते हैं, शब-बेदारी आंहरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वाजिब व फ़र्ज़ थी, न कि उम्मत पर।

हवाला- तफ़सीर हक्कानी, पारा 29, पृ० 247, सूर: मुज़म्मिल के पहले रूक़अ की तफ़सीर में। इज्तिहाद करने वाले उलेमा में इख़्तिलाफ़ है कि कियामुल्लैल यानी तहज्जुद क्या आंहरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़र्ज़ थी या कि नफ़ल थी और मज़बूत शरई दलीलें सबूत यह देती हैं कि आप पर फ़र्ज़ थी।

हवाला- तफ़सीर मवाहिबुर्हमान, पारा 29, पृ० 179, सूर: मुज़म्मिल के पहले रूक़अ की तफ़सीर में।

'नाफ़िल:' के मायने डिक्शनरी में 'ज्यादा' हैं और पांच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के ऊपर यह नमाज़ आप के लिए ज्यादा फ़र्ज़ थी और आप की खुसूसियत से मालूम हुआ कि उम्मतियों

घर फ़र्ज नहीं है।

हवाला तफ़्सीर मवाहिबुर्हमान, पारा 29, पृ० 179, सूः मुज्जम्मिल के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

जिन-जिन उलेमा-ए-किराम ने तफ़्सीरें लिखी हैं, उन सब की यही राय और फ़त्वा है कि तहज्जुद की नमाज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़र्ज थी और किसी तफ़्सीर में यह नहीं लिखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ग्यारह महीने तो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज थी और रमज़ान शरीफ़ में यह नमाज़ आप पर फ़र्ज नहीं थी, बल्कि नफ़ल थी या तरावीह की गिनती में थी, इस के अलावा किसी हदीस में भी यह नहीं मिलता कि यह तहज्जुद की नमाज़ रमज़ानुल मुबारक में आप पर फ़र्ज नहीं थी।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ में, आयत न० 79 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा- और किसी क़दर रात के हिस्से में तहज्जुद पढ़ा कीजिए, जो आप के लिए ज़्यादा चीज़ है। उम्मीद है कि आप का रब आप को मक़ामे महमूद में जगह देगा।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज थी।

हवाला- तफ़्सीरे हक्कानी, पारा 15, पृ० 95, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में- 'कुछ तो कहते हैं, तहज्जुद की नमाज़ औरों के बर ख़िलाफ़ सिर्फ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़र्ज थी।'

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 61, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

'तहज्जुद की नमाज़ एक ज़्यादा फ़र्ज है और दूसरे फ़र्जों पर यह फ़रीज़ा आप ही पर है। अक्सर उलेमा का कौल है कि तहज्जुद आप पर वाजिब थी।'

हवाला- जामिअुल बयान, पारा 15, पृ० 235, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

'पांचों फ़र्ज नमाज़ों के अलावा यह एक ज़्यादा फ़र्ज ख़ास आप पर है, न कि आप की उम्मत पर।'

हवाला- जलालैन शरीफ़, पारा 15, पृ० 235, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

बेशक तहज्जुद की नमाज़ एक ज़्यादा फ़र्ज है, जो ख़ास कर आप के दर्जों की बुलंदी के लिए अल्लाह तआला ने आप पर फ़र्ज किया है, न कि आप के अलावा पर, क्योंकि और तमाम उम्मत के लिए तहज्जुद की नमाज़ नफ़ल है।

हवाला- मदारिकुत्तंज़ील, पारा 15, पृ० 308, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

'तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज थी, ख़ास कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और तमाम उम्मत पर नफ़ल है।'

हवाला- अक्लील अला मदारिकित्तंजील, पारा 15, पृ० 158 सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफसीर में।

‘तहज्जुद पांचों फ़र्जों के अलावा ज़्यादा फ़र्ज है आप पर, खास कर आप की फ़जीलत और बुजुर्गी बढ़ाने के लिए।’

हवाला- बैजावी शरीफ, पारा 15, पृ० 708, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफसीर में।
‘फ़र्ज किया तहज्जुद की नमाज़ को आप पर अल्लाह तआला ने आप की फ़जीलत व बुजुर्गी बढ़ाने के लिए।’

हवाला- मज़ालिमुत्तंजील, पारा 15, पृ० 533, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफसीर में।
‘तहज्जुद की नमाज़ ज़ायद इबादत है और खास कर आप ही पर अल्लाह तआला ने फ़र्ज किया है, न कि ग़ैर पर, इसलिए कि औरों के लिए तहज्जुद की नमाज़ नफ़ल है।’

हवाला- तफसीरे कश्शाफ, पारा 15, पृ० 781, सूः बनी इस्राईल के नवें रूकूअ की तफसीर में।
हदीस- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इशा से सुबह तक ग्यारह रूक़अतें पढ़ते थे और हर दो रूक़अत में सलाम फेरते थे और एक रूक़अत वित्र पढ़ते थे और जब मुअज़्ज़िन अज़ान से फ़ारिग़ होता था तो दो रूक़अतें हलकी पढ़ते थे फिर लेटते थे यहां तक कि आप के पास मुअज़्ज़िन आता था, तो आप उस के साथ जाते थे।

हवाला- 1. दारमी शरीफ, पृ० 234, हदीस 1438, बाव 324।

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 119, हदीस 723, बाव 247, रात की नमाज़ के बयान में।

3. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 500, हदीस 1322, बाव 468, तहज्जुद की नमाज़।

4. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 213, हदीस 1375, रात में कितनी रूक़अतें पढ़ना चाहिए।

इस हदीस में इशार्द हो रहा है कि शाम से लेकर सुबह की अज़ान तक पूरी रात में कुल ग्यारह रूक़अत नमाज़ पढ़ते थे। यह तहज्जुद का बयान है, तरावीह का इस में नाम नहीं है और रमज़ानुल मुबारक का भी ज़िक्र नहीं है।

हदीस- हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने एक दिन अपने मन में कहा कि आज रात को मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ को ग़ौर से देखूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो हल्की रूक़अतें पढ़ी और फिर दो लंबी रूक़अतें पढ़ी, फिर दो रूक़अतें इन दो लंबी रूक़अतों से कम लंबी पढ़ी, फिर दो रूक़अतें उन से कम पढ़ी,

फिर दो रक़अतें उन से कम पढ़ीं, फिर दो रक़अतें उन से कम पढ़ीं। फिर वित्र पढ़ा और ये सब तेरह रक़अतें होती हैं।

हवाला-

1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 124, हदीस 726, बाब 250, रात की नमाज़,
2. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 511, हदीस 1352, बाब 468, तहज्जुद की नमाज़।
3. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 213, हदीस 1378, रात में कितनी रक़अतें पढ़नी चाहिए।

हदीस -

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह एक रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में रहे और वह उन की खाला थीं, (आप फ़रमाते हैं) मैं मस्नद के अर्ज में लेट गया और रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप की बीवी उस की लंबाई में लेट गये। पस आप सो रहे, यहां तक कि आधी रात हो गयी या करीब इस के। फिर आप अपने चेहरे से नींद को मलते हुए जागे, उस के बाद आले इम्रान की दस आयतें आपने पढ़ीं, फिर रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक लटकी हुई मशक की तरफ मुतवज्जह हुए और वुजू किया, खूब अच्छी तरह, बाद उस के नमाज़ पढ़ने खड़े हो गये तो मैंने भी ऐसा ही किया और आप के पहलू में खड़ा हो गया। पस आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरे कान को पकड़ कर मोड़ने लगे। (गरज़ यह कि मुझ को अपने बायीं तरफ खींच लिया) फिर आप ने दो रक़अत नमाज़ पढ़ी, उस के बाद फिर दो रक़अत पढ़ीं, उस के बाद फिर दो रक़अत पढ़ीं, उस के बाद फिर दो रक़अत पढ़ीं, उस के बाद फिर दो रक़अत पढ़ीं, उस के बाद वित्र पढ़े और लेट रहे, यहां तक कि मुअज़्ज़िन अज़ान देकर आप की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप उठ खड़े हुए और दो रक़अत पढ़ीं, फिर बाहर तशरीफ ले गये और सुबह की नमाज़ पढ़ीं

हवाला-

1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 124, हदीस 761, बाब 250, हुज़ूर की नमाज़ और दुआ,
2. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 507, हदीस 1339, बाब 468, तहज्जुद की रक़अतें।
3. नसई शरीफ, जिन्द 1, पृ० 415, 'जब रात को उठे, तो पहले क्या कहे' के बयान में,
4. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 213, हदीस 1379, रात में कितनी रक़अतें पढ़ना चाहिए।

हदीस

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को तेरह रक़अतें पढ़ते थे, फिर जब अज़ान सुनते, सुबह

की दो रकअतें हल्की पढ़ते थे।

हवाला - अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 501, हदीस 1225, बाब 468, तहज्जुद की रकअतों के बयान में।

असल में यह नमाज़ तरावीह की नमाज़ नहीं है, बल्कि रात की नमाज़े तहज्जुद का बयान हो रहा है। बयान करने वाले लोग तरावीह का बयान नहीं कर रहे हैं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को कितनी रकअत नमाज़ पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे, वह अदा बयान कर रहे हैं; इन हदीसों में न तो रमजानुल मुबारक का बयान है और न तरावीह का बयान है।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से नक़ल किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहज्जुद की नमाज़ तेरह रकअत पढ़ते थे। (मुख्तसर)

हवाला - दारमी शरीफ, पृ० 252, हदीस 1571, बाब 386,

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वित्र की कितनी रकअतें पढ़ते थे। उन्होंने कहा, कभी सात रकअतें पढ़ते थे, कभी नौ रकअतें, कभी ग्यारह रकअतें और कभी तेरह रकअतें, लेकिन सात से कम नहीं पढ़ते थे और तेरह से ज्यादा नहीं पढ़ते थे और फ़र्ज की दो सुन्नतों को कभी नागा नहीं करते थे।

हवाला - अबू दाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 510, हदीस 1348, तहज्जुद की रकअतों का बयान।

हदीस - हज़रत मस्रूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रात की नमाज़ के बारे में मालूम किया, तो उन्होंने कहा, (कभी आप) सात रकअतें पढ़ते थे और कभी नौ और ग्यारह अलावा फ़र्ज की सुन्नत की दो रकअतों के।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ: 254, हदीस नं० 1057, तहज्जुद का बयान।

ये जितनी हदीसें हैं, वे सब की सब तहज्जुद के बारे में हैं, चाहे सात रकअत वाली हो या आठ रकअत वाली हो या नौ रकअत वाली हो, या ग्यारह रकअत वाली हो या तेरह रकअत वाली हदीस हो, ये सब तहज्जुद के बारे में हैं। तरावीह का इस में कोई जिक्र नहीं है और न रमजानुल मुबारक का इस में कोई जिक्र है। तरावीह की नमाज़ इशा की नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है और तहज्जुद की नमाज़ रात को सोने के बाद उठ कर पढ़ी जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह नमाज़ सोने के बाद उठ कर पढ़ी है।

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा जौजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आधी रात को एक रात बाहर तशरीफ लाए और आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और कुछ लोगों ने भी आप के पीछे नमाज़ पढ़ी, फिर सुबह को लोगों ने इस का चर्चा किया और मस्जिद में ज्यादा लोग जमा हो गये और सबने आप के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर सुबह को लोगों ने और ज्यादा चर्चा किया, तो मस्जिद में तीसरी रात को और ज्यादा लोग जमा हो गये, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर तशरीफ लाये और नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आप के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर जब चौथी रात हुई, तो मस्जिद लोगों पर तंग हो गई, (इसलिए आप रात को बाहर तशरीफ न लाये) यहां तक कि आप सुबह की नमाज़ के लिए ही तशरीफ लाये। पस जब आप फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ चुके तो लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और तशह्हुद के बाद फ़रमाया अम्मा बअद, मुझ पर तुम्हारा यहां मौजूद होना छिपा हुआ न था, मगर मुझे यह डर हुआ कि कहीं तुम पर यह नमाज़ फ़र्ज न हो जाए और तुम उस के अदा करने से आजिज़ आ जाओ। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गई और यही हाल रहा।

हवाला-

1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 448, हदीस 1856, तरावीह का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 123, हदीस 758, कियामे रमज़ान या तरावीह का बयान,
3. अबू दाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 514, हदीस 1359, बाब 471, रमज़ान का बयान,
4. नसई शरीफ, जिल्द 1, पृ० 140, रमज़ान की रातों में नमाज़ पढ़ने का बयान।

इस हदीस में तीन रात जमाअत से नमाज़ पढ़ना साबित है। रमज़ानुल मुबारक का या तरावीह का इस में कोई जिक्र नहीं है, अल-बत्ता इमाम बुख़ारी रह० ने इस हदीस को तहज्जुद के बयान में भी लिया है। हवाला यह है, बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 252, हदीस 1047, तहज्जुद का बयान। इस हदीस में इतने लफ़्ज ज्यादा हैं कि यह वाकिआ रमज़ान का है। इस हदीस से तरावीह की नमाज़ मान ली जाए, तो तीन रात से ज्यादा जमाअत से नमाज़ पढ़ना साबित नहीं है।

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन रात लगातार नमाज़ जमाअत से पढ़ाई है और चार किताबों के हवाले हैं और ये चारों किताबें सिहाहे सित्ता की किताबें हैं। अहले हदीस इन हदीसों पर अमल नहीं करते? और पूरे महीने जमाअत से नमाज़ तरावीह क्यों पढ़ते-पढ़ाते हैं? इस हदीस से अगर तरावीह साबित करना है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आधी रात के बाद जमाअत से नमाज़ पढ़ाई है। आप साहिबान शुरू रात ही में नमाज़ क्यों पढ़ लेते हैं?

हदीस -

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हमने आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रोज़ा रखा तो आपने हम लोगों को नमाज़ (यानी तरावीह) नहीं

पढ़ाई, यहां तक कि जब महीने (रमज़ान) के सात दिन रह गये, तो आप हम लोगों के साथ खड़े हुए (यानी) नमाज़ में, यहां तक कि तिहाई रात गुज़र गई। फिर दूसरी रात खड़े न हुए बल्कि पांचवीं रात को खड़े हुए (यानी एक रात नागा कर के दूसरी रात, जबकि पांच दिन रमज़ान के बाकी रहे, तो हमारे साथ नमाज़ पढ़ी,) यहां तक कि आधी रात गुज़र गयी। हम लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! काश, हमारी इस बाकी रात में भी हमें नफ़ल पढ़ा देते (तो बेहतर होता यानी आधी रात के बाद भी पढ़ते) आपने फ़रमाया कि जो इमाम के साथ खड़ा हो, यहां तक कि वह नमाज़ से फ़ारिग हुआ (यानी इमाम के साथ नमाज़ में खड़ा रहा) उस के लिए तमाम रात का खड़ा होना लिखा जाता है, फिर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी (अगली रात फिर नागा कर दी) यहां तक कि जब तीन दिन बाकी रह गये, तो उस रात आपने अपने घर वालों को भी बुलाया और हमारे साथ इतनी देर खड़े रहे कि हमें फ़लाह (सहरी) छूट जाने का डर हुआ। रिवायत करने वाले कहते हैं कि मैंने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि यह फ़लाह क्या चीज़ है? कहने लगे सेहरी खाना। यह हदीस हसन व सही है।

हवाला-

1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस 721, तरावीह का बयान,
2. अबू दाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 515, हदीस 1361, बाब 471, रमज़ान के हुकमों का बयान,
3. नसई शरीफ, जिल्द 1, पृ० 410, रमज़ान की रातों का बयान।

इस हदीस से साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हफ़्ते में तीन रात तरावीह जमाअत से पढ़ाई है, लेकिन एक-एक रात दर्मियान में छोड़ कर पढ़ाई है और तीन किताबों के हवाले मौजूद हैं और ये तीनों किताबें सिहाहे सित्ता की किताबें हैं। इस हदीस पर अहले हदीस अमल क्यों नहीं करते और हर साल पूरा महीना तरावीह को जमाअत के साथ क्यों पढ़ते हैं?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तीन रात नमाज़े तरावीह जमाअत से पढ़ने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से कोई नहीं कहता कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तीन रात तरावीह की नमाज़ जमाअत के साथ इतनी रकअत या इतनी रकअत पढ़ी है। जब किसी सहाबी से रकअतों के बारे में फ़ैसला नहीं है, तो फिर अहले हदीस ने आठ रकअत जमाअत से पढ़ने का फ़ैसला कैसे कर लिया और कौन-सी सही हदीस से किया?

अगर आप लोग वाकई अहले हदीस हैं और सही हदीसों पर अमल करना चाहते हैं, तो आप को एक साल हज़रत आइशा सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत पर अमल करना चाहिए, यानी सिर्फ़ तीन रात तरावीह की नमाज़ जमाअत में पढ़नी चाहिए और आधी रात के बाद पढ़नी चाहिए और एक साल हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत पर अमल करना चाहिए यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हफ़्ते में तीन रात तरावीह की नमाज़ पढ़नी

चाहिए और बीच में एक-एक रात छोड़ कर पढ़नी चाहिए और एक साल रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज़ जमाअत से बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, ताकि हर हदीस पर अमल हो जाए।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब समझ कर रात की नमाज़ पढ़े, उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जोहरी रह० कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गयी और यही हालत रही, फिर हज़रत अबू बक्र रज़ियल्ललाहु अन्हु की ख़िलाफ़त में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शुरू ख़िलाफ़त में इसी पर अमल रहा। जोहरी रह० उर्व: बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से, वह अब्दुरहमान बिन अब्दुलक़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि वह कहते थे, मैं एक रात रमज़ान में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद गया, तो क्या देखता हूँ कि लोगों की जमाअतें अलग-अलग हैं। कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़ रहा है, किसी के पीछे कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को एक क़ारी पर जमा कर दूँ, तो बहुत मुनासिब हो, फिर इस राय को पक्का कर लिया और फिर सब को उबई बिन क़अब् रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे जमा कर दिया। फिर मैं एक दूसरी रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद गया, तो मैंने देखा कि लोग अपने क़ारी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने (यह देख कर) कहा कि क्या अच्छी बिदाअत है और जिस चीज़ से ग़ाफ़िल होकर तुम सो रहते हो, वह इस से अफ़ज़ल है जिस का तुम एहतिमाम करते हो। मुराद आप की रात का आख़िर था, और लोग रात के शुरू में इबादत किया करते थे।

- हवाला**
1. सही बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 1, पारा 8, पृ० 447, हदीस 1855, तरावीह की नमाज़ का बयान,
 2. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 140, हदीस 358, वाब 222, तरावीह की नमाज़ का बयान,
 3. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 243, हदीस 1222, नमाज़ का बयान।
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 420, नमाज़ का बयान।

इस हदीस में तरावीह को जमाअत से पढ़ने का सबूत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है, लेकिन रक़अतों के बारे में कोई फ़ैसला कर देने वाली बात नहीं है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तरावीह की नमाज़ जमाअत से इस लिए नहीं पढ़ायी कि कहीं यह नमाज़ उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाए और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब फ़र्ज़ होने का जो ख़तरा था, वह ख़त्म हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तरावीह की नमाज़ जमाअत से वित्र के साथ शुरू करवा दी।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली रिवायत में भी रक्अतों के बारे में कोई आखिरी बात नहीं है। हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हा वाली रिवायतों में भी रक्अतों के बारे में कोई आखिरी बात नहीं है और जोहरी रह० वाली रिवायत में भी रक्अतों के बारे में कोई आखिरी बात नहीं। फिर अह्ले हदीस आठ रक्अत तरावीह जो जमाअत से पढ़ते हैं वह कौन-सी सिहाहे सिता की किताब की हदीस है ?

जब आठ रक्अत तरावीह जामअत से पढ़ने के लिए सिहाहे सिता की किताबों में कोई हदीस नहीं है, तो फिर बीस रक्अत तरावीह जमाअत से पढ़ने वालों पर आप को एतराज़ करने का क्या हक है?

इस हदीस में जो बिदअत का लफ़्ज है, उस से बिदअती लोगों ने धोखा खाया, (और बहुत सी) बिदअतें अल्लाह की मख़्लूक में जारी करवा दीं और उन के गुमान में यही रहा कि हम जिस बिदअत को अच्छी समझें, वह बिदअते हसना है। हमारी निकाली हुई बिदअत अच्छी है और अल्लाह तआला के नज़दीक मक़बूल है, इस की क्या दलील है? यही क़ियास हराम है, क्योंकि क़ुरआन व हदीस से टकराता है। बिदअत का पूरा बयान इन्शाअल्लाह तआला आगे आ रहा है।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अज-मईन की पैरवी के लिए हदीसों मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नतों को मज़बूती से पकड़ लो और क़ुरआन करीम का भी ऐलान है कि अमली ज़िंदगी में जो भी इस भली जमाअत की पैरवी करेंगे, हम उन को बरख़ा देंगे।

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के तेरहवें रक्अ में, आयत न० 100 में अल्लाह तआला ने इशादि फ़रमाया है-

तर्जुमा- वे मुहाजिर और अन्सार, जिन्होंने सब से पहले ईमान की दावत को कुबूल करने में पहल की (और बाकी उम्मत में) जितने लोग खुलूस के साथ उन की पैरवी करेंगे, अल्लाह तआला उन सबसे राज़ी हुआ और वे सब अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह तआला ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

हदीस - हज़रत इरवाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुममें से जो ज़िन्दा रहेगा, वह बहुत इख़्तिलाफ़ पायेगा, पस नयी बातों से बचते रहना, क्योंकि यही गुमराही है, तो तुम में से जो आदमी यह ज़माना पाये तो मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत पाये हुए खुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नतों को मज़बूत पकड़ ले। लोगो ! इस सुन्नत को दांतों से मज़बूत पकड़ लो। (मुख्तसर)

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 108, हदीस 535, अब-वाबुल इल्म,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 109, हदीस 156, किताबुसुन्न:

3. मजाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 77, किताबुल ईमान ।

तरावीह के बारे में, ईमानदारी की बात यह मालूम होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में और हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शुरू ख़िलाफ़त में रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज़ की रक़अतों की कोई गिनती नहीं थी, जिस की जितनी मर्ज़ी होती थी, उतनी ही रक़अतें पढ़ लिया करता था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से कोई हुक़म नहीं था कि इतनी या उतनी रक़अतें पढ़ो। हुक़म सिर्फ़ इतना था कि जितनी भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, तो जिस को जितनी हिम्मत और शौक़ होता था, वह उतनी ही रक़अतें पढ़ लिया करता था। तरावीह की जमाअत पूरे महीने की पाबन्दी के साथ न तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में पढ़ी गयी है और न हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पढ़ी गयी। यह अमल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में शुरू हुआ और आज तक सारी दुनिया के मुसलमान पाबन्दी के साथ उस पर अमल कर रहे हैं, चाहे बीस रक़अत तरावीह पढ़ने वाले हों या आठ रक़अत पढ़ने वाले हों।

अहले हदीस हर साल भारत में कहीं न कहीं इश्तिहार छपाते हैं या अख़बारों में देते हैं कि बीस रक़अत तरावीह कोई हदीस से साबित कर दे, तो हम उस को इतना या इतना इनाम देंगे।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के महीने में बग़ैर जमाअत बीस रक़अत नमाज़ पढ़ा करते थे।

हवाला - किताबुस्तु-ननुल कुबरा (बैहकी), जिल्द 2, पृ० 296, किताबुस्सलात।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान में बीस रक़अत पढ़ा करते थे और वित्र की नमाज़ भी।

हवाला - मुअत्ता इमाम मुहम्मद के हाशिए पर पृ० 411, मंकूल अज़ इब्ने अबी शैबा, अब्द बिन हमीद, बग़वी, बैहकी, तबरानी।

हदीस - हज़रत मुक़िसम रह० कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ानुल मुबारक में बीस रक़अत और वित्र पढ़ा करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा रह० जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में कितनी रक़अतें पढ़नी चाहिए।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे, जिस की वजह से आप

से पर्दा नहीं किया जाता था। अक्सर रात को हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां रात गुज़ारते थे। वह जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रात की इबादत को जानते थे, उतना दूसरे कम ही जानकार हो सकते थे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात की खोज भी रहती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस तरह रात को इबादत करते हैं। यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वह हस्ती हैं, जिनका फ़त्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िंदगी में भी चलता था।

लीजिए बीस रक्अत तरावीह का सबूत मिल गया। अब वह इनाम, जिस का आप हर साल एलान करते हैं, हमें दिया जाए और अपने वायदे को पूरा किया जाए, क्योंकि आप ईमान वाले हैं और ईमान वालों को वायदा पूरा करने के लिए कुरआन करीम हुक्म कर रहा है।

कुरआन करीम के छठे पारे में सूर: मायदा के पहले रूकूअ में, आयत न० 1 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ ईमान वालों! अपने वायदों को पूरा करो।

लेकिन हम जानते हैं कि आप इनाम देने में यह बहाना करेंगे कि ये रिवायतें सिहाहे सित्ता की नहीं हैं, तो हम आप से सवाल करते हैं कि आप जो आठ रक्अत तरावीह जमाअत से पढ़ते हैं, वही सिहाहे सित्ता की किताबों से हम को बतला दीजिए। हम आप से इनाम का वायदा तो नहीं करते, लेकिन इन्शा अल्लाह आप के बहुत शुक्रगुज़ार होंगे और दिल से दुआएं देंगे।

हदीस - हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु और तमीम दारमी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वे लोगों को ग्यारह रक्अतें पढ़ाएं और उस ज़माने में क़ारी नमाज़ में वे सूरतें पढ़ता था, जो सौ आयातों से ज़्यादा होती थीं, यहां तक कि हम क़ियाम लम्बे होने से मज़बूर होते थे कि डंडे का सहारा लें और हम उस नमाज़ से फ़ारिग़ होकर फ़ज़्र के करीब वापस होते थे।

हवाला- 1. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 142, बयान 362, बाब 223।

2. किताबुस्तुन-निल कुबरा (बैहकी) जिल्द 2, पृ० 496, किताबुस्सलात।

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत है, इस हदीस से यह पता नहीं चलता कि यह हुक्म एक दिन के लिए था या दो चार दिन के लिए था या पूरे महीने के लिए था? या हर साल पूरी ज़िंदगी के लिए था? तहज़ुद के लिए था या तरावीह के लिए था? जब इस बात की कोई तफ़सील इस हदीस में नहीं है, तो अहले हदीस सहिबों ने क़ियामत तक आठ ही रक्अत तरावीह पढ़ने का फ़ैसला कैसे कर लिया और कौन-सी सही हदीस की रोशनी में किया?

हदीस - साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ानुल मुबारक के महिने में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबअीने अ़िजाम रह० को बीस रक्अत तरावीह और एक रक्अत वित्र पढ़ाने के लिए हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फ़रमाया था। ये लोग दो-दो सौ आयतों वाली सूरतें पढ़ा करते थे और फ़ज़्र होने से कुछ पहले वापस लौटते थे।

हवाला- मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हुमाम, जिल्द 4, पृ० 260, रमज़ान में क़ियाम का बाब। (बैरूत में छपी)

हदीस - दूसरी रिवायत में है कि हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं कि हम लोग ख़िलाफ़ते फ़ारूकी में तरावीह पढ़ कर फ़ज़्र होने से कुछ पहले वापस होते थे और फ़ारूकी ख़िलाफ़त में तेईस रक्अत तरावीह पढ़ी जाती थी। (बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र।)

हवाला - मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हुमाम, जिल्द 4, पृ० 261, रमज़ान में क़ियाम का बाब। (बैरूत में छपी)

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु की किस रिवायत पर आप अमल करेंगे? ग्यारह रक्अत वाली रिवायत पर या तेईस रक्अत वाली रिवायत पर? ग्यारह रक्अत वाली रिवायत में न तो तरावीह का ज़िक्र है और न रमज़ान का ज़िक्र है और तेईस रक्अत वाली रिवायत में रमज़ानुल मुबारक का भी ज़िक्र है और तरावीह का भी ज़िक्र है, साथ ही तेईस रक्अत वाली रिवायत की तस्दीक दूसरी अनगिनत रिवायतें भी कर रही हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूरे महीने में सिर्फ़ तीन रात जमाअत से तरावीह पढ़ी है, जो सही हदीसों से साबित है। पूरा महीना जमाअत से तरावीह का पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का न अमल है और न हुक्म। यह अमल और हुक्म हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। फिर सही हदीसों को छोड़ कर अहले हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल पर क्यों अमल करते हैं?

अगर हम सिहाहे सित्ता की किताबों से हट कर दलील लेते हैं, तो आप इन को बिदअत करार देते हैं और आप लोग सिहाहे सित्ता की किताबों से हट कर किसी और किताब से दलील लें तो इस को सुन्नते मुअक्कदा समझते हैं। यह कौन-सा इंसफ़ है?

हदीस - हज़रत कअब् बिन अम्र यमानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गरदन का मसह फ़रमाया सर के मसह के साथ।

हवाला - 1. कबीरी मनीयतुल मुसल्ली की शरह, जिल्द 1, पृ० 21, वुजू का बयान,

2. शरहे नकाया, जिल्द 1, पृ० 9, वुजू का बयान,

यह ऊपर वाली हदीस तबरानी के हवाले से लिखी है, उस को तो अहले हदीस बिदअत बतलाते हैं और खुद किसी के कौल पर अमल करें, तो उस को सुन्नत समझें।

गरदन का मसह हनफीया के नजदीक मुस्तहब है और अहले हदीस इस को बिदअत कहते हैं, हालांकि गरदन के मसह की दलील हदीस से मिल रही है।

वुजू में गरदन का मसह मुस्तहब है और वह दोनों हाथों के पीछे से करना चाहिए।

हवाला- फतावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 9, तहारत का बयान।

मुअत्ता इमाम मालिक और बैहकी की रिवायत है कि 'साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग्यारह रक्अत जमाअत से पढ़ने का हुक्म दिया, इसको अहले हदीसों ने दिल व जान से कुबूल कर लिया और सुन्नते मुअक्कदा करांर दे दिया और सही मुस्लिम शरीफ में और अबूदाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि आपने एक मज्लिस की तीन तलाक को तीन समझा, उस को क्यों नहीं मानते? यह नफसानियत और जिद नहीं तो और क्या है?'

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफत में और दो साल तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफत में एक साथ तीन तलाकें देने को एक तलाक ख्याल किया जाता था। उस के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस काम में लोगों को देर करनी चाहिए थी, वे उस में जल्दी करने लगे हैं (यानी हर हैज़ के बाद एक-एक तलाक देनी चाहिए थी, लोग एक साथ तीन तलाक देने लगे हैं) तो हम क्यों न इस को लागू कर दें? चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लागू कर दिया (यानी शरीअत के हुक्म के मुताबिक तीन तलाक एक साथ देने पर तीनों के पड़ जाने का एलान फरमा दिया।)

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 240, हदीस 1500, बाब 477, किताबुत्तलाक,

2. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 177, हदीस 432, बाब 138,

इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा के मज्में में तीन तलाकों को लागू करने का एलान फरमाया था, लेकिन न उस वक्त, न उस के बाद कभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने इस से इख़िलाफ जाहिर किया। अब क्या यह सोचा जा सकता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नत के ख़िलाफ किसी काम का फ़ैसला कर सकते थे? और सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उस पर ख़ामोशी अपना सकते थे?

यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वह हस्ती हैं, जिनकी सच्चाई और हक़परस्ती की तस्दीक

व ताईद बार-बार कुरआन करीम कर चुका है।

हदीस - हज़रत आमिर शाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने हज़रत फ़ातमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम अपने तलाक़ का वाकिआ बयान करो। उन्होंने कहा कि जब मेरा शौहर यमन को जाने लगा, तो उसने मुझ को तीन तलाक़ें दे दीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस को जायज़ रखा।

हवाला - 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 309, हदीस 2047, एक ही बार तीन तलाक़ें देने का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 233, हदीस 1083, अबवाबुत्तलाक़।

हज़रत फ़ातमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आयी और मैंने बयान किया कि मैं आले खालिद की बेटी हूँ और फ़लां की बीवी हूँ और उसने मुझ को तलाक़ कहला भेजी है और मैं उस के लोगों से नफ़का (रोटी-कपड़ा) और रहने के लिए घर मांगती हूँ, वे इंकार करते हैं। मर्द की तरफ़ के लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! इस के खाविंद ने इस को तीन तलाक़ें कहला भेजा हैं। आपने फ़रमाया, नफ़का यानी खर्च और रहने की जगह उस औरत को मिलती है, जिस औरत से मर्द रुज़ूअ कर सके (और तीन तलाक़ के बाद रुज़ूअ नहीं कर सकता) तो नफ़का भी नहीं मिलेगा।

हवाला - नसई शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 354, तीन तलाक़ का बयान,

हदीस - हज़रत फ़ातमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जिस औरत को तीन तलाक़ें दी गयी हों, उस को मर्द की तरफ़ से न घर दिया जाए, न नफ़का।

हवाला - नसई शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 345, तीन तलाक़ का बयान,

हदीस - तलाक़ देना हो तो इदत तक के लिए तलाक़ दो यानी एक ही वक़्त में तीन तलाक़ देकर हमेशा के लिए अलगाव के लिए तलाक़ न दे बैठो, बल्कि एक या हद से हद दो तलाक़ें देकर इदत तक इन्तज़ार करो, ताकि इस मुदत में हर वक़्त तुम्हारे लिए रुज़ूअ की गुंजाइश बाकी रहे और अगर कोई तीन तलाक़ें देगा तो तीन ही पड़ेंगी और उस पर वह औरत हराम हो जाएगी।

हदीस - हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ख़बर दी गयी हुज़ूर सल्लमल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी आदमी की कि उसने तलाक़ दी अपनी औरत को तीन तलाक़ एक ही वक़्त में। यह सुन कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गए और गुस्से में फ़रमाने लगे, क्या अल्लाह की किताब से खेल होता है? हालांकि मैं अभी तुम में मौजूद हूँ। यह बात सुन कर एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं उस को कल्ल कर डालू?

हवाला-

1. नेसई शरीफ, जिल्द 2, पृ० 352, इकट्ठी तीन तलाक़ देने पर गुस्से का बयान,
2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 513, हदीस 3129, तलाक़ का बयान।
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 188, तलाक़ का बयान,

इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक़ तीन तलाक़ें इकट्ठी देनी हराम व बिदअत हैं। चुनांचे इस हदीस से भी मालूम होता है कि तीन तलाक़ें इकट्ठी देना हराम है। इसलिए कि आंहरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं ख़फ़ा होते थे, मगर साथ करने गुनाह के और इमाम शाफ़ी रह० के नज़दीक़ तीन तलाक़ें इकट्ठी देना बेहतर नहीं है और फ़ायदा अलग-अलग तलाक़े देने में यह है कि शायद बाद तलाक़ के अल्लाह तआला ख़ाविंद के दिल को फेर दे, बीवी की तरफ़ और वह रूजूअ कर ले और इख़्तिलाफ़ किया है उलेमा ने उस आदमी के हक़ में कि कहे अपनी बीवी को तुझको तीन तलाक़ है पस कहा मालिक रह० और शाफ़ी रह० और अबू हनीफ़ा रह० और अहमद रह० और अक्सर उलेमा ने कि तीन तलाक़ें पड़ती हैं।

हवाला- मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 188, तलाक़ का बयान।

कोई इंसान अपनी जहालत से या गुस्से की वजह से एक ही महफ़िल में एक ही साथ तीन तलाक़ें देगा, तो तीनों पड़ जाएंगी और वह औरत उस कें कब्जे से बाहर हो जाएगी और मर्द गुनाहगार होगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ने जो आसानी उस को दी थी, उस का उस ने इस्तेमाल नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुस्से में आने की वजह यही थी। अगर तीन तलाक़ें देने पर एक ही तलाक़ पड़ती हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्से में हरगिज़ न आते।

हदीस - मालिक रह० कहते हैं, उन को मालूम हुआ कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैंने अपनी बीवी को सौ तलाक़ें दी हैं। आप मेरे बारे में क्या हुक्म देते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तेरी तीन तलाक़ें पड़ गयीं और तेरी बीवी तुझ से अलग हो गयी और सत्तान्वे तलाक़ों से तूने अल्लाह की आयतों का मज़ाक उड़ाया।

हवाला-

1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 513, हदीस 3130, तलाक़ का बयान।
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 188, तलाक़ का बयान।

हदीस - एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जब कोई इस किस्म का तलाक़ का मसअला पूछता, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, अगर तू ने अपनी बीवी को एक या दो तलाक़ें दी हैं, तो आं-हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस के बारे में मुझ को यह हुक्म दिया है (यानी उस को वापस अपने पास रख सकता है) और अगर तू ने तीन तलाक़ें दे दी हैं तो वह औरत तुझ पर हराम

हो गयी है और तूने औरत को तलाक़ देने के मामले में खुदा के हुक्म की नाफ़रमानी की है।

हवाला सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 240, हदीस 1499, बाब 276, किताबुत्तलाक़।

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रुत्बे और इल्म में, साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बत की वजह से भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत बड़े हुए हैं और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे होते हैं और मुअत्ता इमाम मालिक और बैहकी से सही मुस्लिम शरीफ़ और अबू दाऊद शरीफ़ का रुत्बा दर्जे में कहीं ज़्यादा है, फिर यह कौन-सी ईमानदारी है कि साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ग्यारह रक्अत वाली जो मुअत्ता इमाम मालिक और बैहकी में है, उस को तो कुबूल कर लिया जाए और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, जो मुस्लिम शरीफ़ और अबू दाऊद शरीफ़ में तीन तलाकों को तीन ही मानने के बारे में है, उस को रद्द कर दिया जाए, यह हठधर्मी नहीं तो और क्या है।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये तीनों वे लोग हैं, जिन का फ़त्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़िंदगी में चलता था।

बड़े रंज और अफ़सोस की बात है कि अह्ले हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल और फ़ेल पर अमल करें, तो उस को सुन्नत समझें और अगर हम लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल और फ़ेल पर अमल करें, तो उस पर एतराज़ करें या बिद्अत समझें, यह ज़िद नहीं तो और क्या है?

आठ रक्अत तरावीह जमाअत के साथ पूरा महीना पाबंदी के साथ पढ़ना और हर साल पढ़ते रहना उस के लिए कोई हदीस नहीं है, बल्कि सिर्फ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है और उस कौल में यह पता नहीं चलता कि यह हुक्म कितने दिनों के लिए था, उसको तो अह्ले हदीस ने दिल व जान से मान लिया और क्रियामत तक के लिए मान लिया और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दूसरी अज़ान की जो शुरूआत हुई है और आज चौदह सौ साल हुए, बराबर होती आ रही है और आज भी मदीना तय्यबा और मक्का मुअज़्ज़मा में हो रही है, जिन को चारों मसलक वालों ने मान लिया, हज़ारों में नहीं, बल्कि लाखों मस्जिदों में हर जुमें को दूसरी अज़ान हो रही है, उस को अह्ले हदीस क्यों नहीं मानते?

कुरआन करीम की सूरतों की मौजूदा तर्तीब जो इस वक़्त मौजूद है, वह हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दी गयी है, उस को तो अह्ले हदीस ने मान लिया, हालांकि उस के बारे में कोई हदीस नहीं है और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में

जुमा की दूसरी अज़ान की शुरूआत हुई, उस को क्यों नहीं मानते? क्या इसी का नाम इंसाफ़ है कि एक बात को तो बग़ैर हदीस की दलील के मान लिया जाए और दूसरी बात के लिए हदीस की मांग की जाए, यह कौन सी दयानतदारी है?

तरावीह की बीस रक़अतों के बारे में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इज्माअ और उम्मत के इज्माअ को नज़रअन्दाज़ कर के सबूत के लिए हदीस की मांग करना अगर सही है, तो फिर हम पूछेंगे कि कुरआन करीम की सूरतों की मौजूदा तर्तीब किसी हदीस में है तो हमें बतलाई जाए और अगर नहीं है तो अह्ले हदीस ने इस को कैसे मान लिया?

अह्ले हदीस हर बात के लिए हदीस की मांग करते हैं और कुरआन करीम के पारे और एराब और सूरतों की जो मौजूदा तर्तीब किताबी शक़ल में मौजूद है, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दी गयी है और एराब तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने लगवाए हैं, उसके लिए न तो सही हदीस है और न तो कमज़ोर हदीस है, फिर अह्ले हदीस ने कुरआन करीम की तर्तीब को किताबी शक़ल में कैसे मान लिया और कौन-सी हदीस की रोशनी के तहत मान लिया।

इन सवालों का जवाब आप हदीसों से दें, अक्ली दलीलों से न दें, क्योंकि आप अह्ले हदीस होने के दावेदार हैं और तक्लीद को मानते नहीं हैं। हर एक के जवाब में एक-एक हदीस से जवाब दें और अगर हदीस नहीं हैं, तो ज़िद से तौबा कर लें और नफ़सानियत को छोड़ दें।

हम को समझाने के लिए फ़िक्ह की किताबों का आप सहारा बिल्कुल न लें, क्योंकि आप जिस चीज़ को मानते नहीं, उस चीज़ का सहारा लेना आप की शान के खिलाफ़ है। इस लिए आप हम को हदीसों ही से समझाएं और सही हदीसों से समझाएं।

हम लोग तक्लीद वाले हैं। हम जिन-जिन बुजुर्गों को मानते हैं, उन्होंने जिन-जिन बातों को हमें दलीलों से समझाया है, हमने मान लिया, लेकिन आप लोग अपने आप को अह्ले हदीस कहते हैं और हम आप से हदीसों से ही समझना चाहते हैं। आप मेहरबानी कर के हम को हदीसों से ही समझाएं, क्रियासी या अक्ली दलीलों से न समझाएं और हमारा मसलक भी हम को यही नसीहत करता है।

जब कोई हदीस सही मिल जाए और मज़हब उस के खिलाफ़ हो तो उस हदीस पर अमल किया जाएगा और यही मज़हब करार दिया जाएगा और उस पर अमल करने से हनफ़ी मज़हब होने से तक्लीद करने वाला बाहर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इमाम आजम रह० से सही रिवायत आयी है कि जब कोई हदीस सही मिल जाए, तो वही मेरा मज़हब है।

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 120, मुक़दमे में।

मुअत्ता इमाम मालिक और बैहकी ने साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जो ग्यारह रक़अत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है, वह तो अह्ले हदीस साहिबों के लिए

ताकीदी सुन्नत हो गयी और इसी मुअत्ता इमाम मालिक और बैहकी ने यज़ीद बिन रोमान रह० से रिवायत की कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में तेईस रक्अतें पढ़ा करते थे। बीस रक्अत तरावीह और तीन वित्र, जिन पर जम्हूर उलेमा-ए-किराम अमल कर रहे हैं, उसको तो बिद्अत समझें या एतराज़ करें, यह जिद नहीं तो और क्या है?

हवाला बाब 224, रमज़ान की तेईस लम्बी क़िरात वाली रक्अतें।

इमाम मालिक रह० यज़ीद बिन रोमान रह० से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में तेईस रक्अतें पढ़ा करते थे।

हवाला- 1. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 142, बयान 363, बाब 224,

2. किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहकी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, रमज़ान में तरावीह की रक्अतों की तायदाद का बयान।

तरावीह की बीस रक्अतें और वित्र की तीन रक्अतें ये दोनों मिल कर तेईस होती हैं, ग्यारह महीनों में वित्र की जमाअत नहीं होती। वित्र की जमाअत सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की जमाअत के साथ होती है। इस लिए वित्र को मिला कर तेईस रक्अतों का बयान हो रहा है।

हदीस - हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन को हुक्म फ़रमाया कि रमज़ान की रात में लोगों को तरावीह पढ़ाएं और यह भी इर्शाद फ़रमाया कि आम लोग दिन को रोज़ा रखते हैं और कुरआन की क़िरात को नहीं जानते, अगर तुम उन को रमज़ान की रात में तरावीह में कुरआन सुनाओ तो बहुत अच्छा होगा। हज़रत उबई बिन कअब् ने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन ! यह ऐसा अमल है, जो इस से पहले नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इर्शाद फ़रमाया, हां मैं यह बात जानता हूँ, लेकिन यह अमल बहुत अच्छा होगा, फिर हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ाई।

हवाला- कंज़ुल उम्माल, जिल्द 8, पृ० 409, हदीस 23471 ।

हदीस - यज़ीद बिन खसीफ़ा रह० कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त में रमज़ान की तरावीह बीस रक्अत पढ़ा करते थे और लगभग दो-दो सौ आयतों वाली सूरतें पढ़ा करते थे और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त के दौर में लंबी क़िरात की वजह से अपने डंडे का सहारा ले लिया करते थे।

हवाला- किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहकी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रक्अत की तायदाद का बयान।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में कारियों को तलब फ़रमाया और हुक्म दिया

कि इन में से एक लोगों को बीस रकअत नमाज़ पढ़ाए।

हवाला किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहकी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रकअतों की तायदाद का बयान।

शतीर बिन शक्ल, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफदारों में से थे, रमज़ान के महीने में लोगों को बीस रकअतें तरावीह और तीन रकअत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला अस्सु-न-नुल कुबरा (बैहकी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रकअतों का बयान।

हज़रत अबुल हसनात रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह लोगों को पांच तर्वीहा से बीस रकअत नमाज़ पढ़ाए।

हवाला किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहकी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रकअतों का बयान।

जैद बिन अली रह० अपने बाप अली जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं और वह अपने बाप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से और वह अपने बाप हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस आदमी को हुक्म दिया था, जो रमज़ान के महीने में लोगों को तरावीह पढ़ाया करता था कि वह लोगों को बीस रकअत तरावीह पढ़ाये और हर दो रकअत के बाद सलाम फेर दे और हर चार रकअत के बाद रुके, ताकि ज़रूरत वाला अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हो जाए और वुजू करने वाला वुजू कर ले और यह भी हुक्म दिया कि तरावीह के बाद लोगों को वित्र की नमाज़ पढ़ाए।

हवाला किताब मुस्नद इमाम जैद, पृ० 158, बाब अल-क़ियाम फ़ी शहरे रमज़ान, इब्ने तैमिया रह० का फ़त्वा।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को बीस रकअत तरावीह पढ़ाते थे और उस के बाद वित्र की नमाज़।

हवाला फ़त्वा इब्ने तैमिया रह० न० 1, पृ० 148, प्रिंट मिस्त्र अरबी।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में कारियों को तलब फ़रमाया और हुक्म दिया, इन में से एक लोगों को बीस रकअत नमाज़ पढ़ाए।

हवाला मिन्हाजुस्सुन्न: इब्ने तैमिया, जिल्द 4, पृ० 224, प्रिंट मिस्त्र अरबी।

अल्लामा इब्ने तैमिया रह० ने रिवायत नकल की है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह ! उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ब्र को नूर से भर दे, जैसा कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को तरावीह की नमाज़ से मुनव्वर कर दिया।

हवाला हाशिया मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 140 ।

हज़रत इस्माईल बिन अब्दुल मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत सईद बिन जुबैर रह० (मशहूर ताबई) रमज़ानुल मुबारक में हम को तरावीह में कुरआन पाक किराते हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, किराते हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक सुनाया करते थे और पांच तर्वीहा (बीस रक़अतें) तरावीह पढ़ते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक बिन हुमाम रह० जिल्द 4, पृ० 266, कियामे रमज़ान का बयान, प्रिंट बैरूत।

यह्या बिन सईद रह० कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुकम फ़रमाया कि वह लोगों को बीस रक़अत तरावीह पढ़ाए।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक़अत पढ़नी चाहिए।

नाफ़ेअ बिन उमर रह० कहते हैं कि इब्ने अबी मुलीका रज़ियल्लाहु अन्हु रमज़ान में हम लोगों को बीस रक़अत पढ़ाते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक़अत पढ़नी चाहिए।

हसन बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० कहते हैं कि हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु रमज़ान में लोगों को शहर मदीना में बीस रक़अत तरावीह और तीन रक़अत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक़अत पढ़नी चाहिए।

अबू इसहाक रह० कहते हैं कि हारिस रह० रमज़ान की रात में लोगों को बीस रक़अत तरावीह और तीन रक़अतें वित्र पढ़ाया करते थे और वित्र में रकूअ से पहले कुनूत पढ़ा करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक़अत पढ़नी चाहिए।

शतीर बिन शकल, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफदारों में से थे, रमज़ान के महीने में लोगों को बीस रक़अत तरावीह और तीन रक़अत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक़अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत अबुल हसनात रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुकम दिया कि वह लोगों को पांच तरवीहा से बीस रक़अत नमाज़ पढ़ाये।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक़अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत दाऊद बिन कैस रह० कहते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० की ख़िलाफ़त के ज़माने में और हज़रत अब्बान बिन उस्मान रह० की ख़िलाफ़त के ज़माने में मदीना तैयिबा के अन्दर लोगों को बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ते देखा है।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान के महिने में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत अबुल बख़्तरी रह० रमज़ानुल मुबारक में पांच तरवीहा (बीस रक्अत) और तीन रक्अत वित्र पढ़ा करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत अता रह० फ़रमाते हैं कि मैंने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और ताबअीन रह० को रमज़ान में 23 रक्अत तरावीह वित्र के साथ पढ़ते देखा है।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

सईद बिन उबैद रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन रबीआ रह० रमज़ानुल मुबारक में लोगों को पांच तरवीहा (बीस रक्अत) तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हदीस - अबुल हसनात रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह रमज़ान में लोगों को पांच तरवीहों में बीस रक्अत नमाज़ पढ़ाये।

हवाला - कंज़ुल उम्माल, जिल्द 8, पृ० 409, हदीस 23474, (हल्ब प्रिंट)

अब ऐसी रिवायतें, जिन में ज़िक्र हो कि आठ रक्अत तरावीह और तीन वित्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जमाअत से या बग़ैर जमाअत के पढ़ी हैं और आप के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसी तरह पाबंदी के साथ पढ़ी हैं और अलग-अलग रिवायत करने वालों से रिवायत हो और उस में बिल्कुल साफ़ लफ़्ज़ हों, जिस तरह बीस रक्अत के लफ़्ज़ तरावीह के उन्वान से मौजूद हैं, तो मेहरबानी कर के वे इबारतें, चाहे सिहाहे सिता की किताबों से हों या ग़ैर-सिहाहे सिता की किताबों से, हमें लिख भेजें, हम आप का एहसान मानेंगे।

बीस रक्अत तरावीह और तीन वित्र की दलील हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिल रही है और जमाअत के साथ पढ़ने की दलील हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से मिल रही है और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु

के दौर से भी मिल रही है और अलग-अलग रिवायत करने वालों से मिल रही है और आज भी मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह बीस रक्अत तरावीह तीन वित्र के साथ पढ़ी जा रही है, उस पर अमल नहीं करना, बल्कि उल्टा एतराज करना यह हठधर्मी नहीं तो और क्या है?

इसी तेईस रक्अत पर अमल हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के जमाने में होता रहा, उस के बाद हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए और आप के जमाने में उसी 23 रक्अत पर अमल होता रहा, इस के बाद हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु का जमाना आया। तब भी इसी तेईस रक्अत तरावीह पर अमल होता रहा और आज लगभग चौदह सौ साल हो चुके, मदीना तैयिबा में इसी तेईस रक्अत तरावीह पर बराबर अमल हो रहा है और मक्का मुअज्जमा में भी 23 रक्अत तरावीह पर ही अमल हो रहा है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम हंबल रह०, ये चारों इमाम और इन चारों इमामों के मानने वाले करोड़ों की तायदाद में मख्लूके खुदा सारी दुनिया में वित्र को मिला कर 23 रक्अत तरावीह पढ़ रहे हैं और अहले हदीस जो तायदाद में गिने-चुने हैं, वे आठ रक्अत तरावीह पढ़ रहे हैं।

ताज्जुब और हैरत की बात तो यह है कि इन आठ रक्अत तरावीह पढ़ने वालों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ने वालों पर एतराज है। इस एतराज में हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु भी आ जाते हैं और मदीना वाले और मक्का वाले भी आ जाते हैं और जम्हूर उलेमा किराम और करोड़ों मुसलमान भी आ जाते हैं। मेरे मोह्तरम किताब पढ़ने वाले ! ईमानदारी से बता, यह जिद नहीं तो और क्या है ?

रमजानुल मुबारक के क्रियाम (यानी तरावीह) के बारे में उलेमा किराम का इख्तिलाफ है। कुछ लोगों की राय यह है कि वित्र के साथ (यानी वित्रों को शामिल कर के) इक्तालीस रक्अतें पढ़ें। मदीने वालों का यही कौल है और मदीने में उन का इसी पर अमल है और उलेमा की ज्यादा तायदाद बीस रक्अतों की कायल है, क्योंकि हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु से ऐसी रिवायतें नकल की गयी हैं, इमाम सूफियान सोरी रह० और इमाम इब्ने मुबारक रह० का यही कौल है। इमाम शाफअी रह० फरमाते हैं कि इस बारे में मैंने अपने शहर मक्का में लोगों को इसी तरह बीस रक्अतें पढ़ते पाया। इमाम अहमद रह० फरमाते हैं कि इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की रिवायतें हैं और उन्होंने इस बात का फ़ैसला नहीं किया कि इन मुख्तलिफ रिवायतों में कौन सी रिवायत एतमाद और भरोसे के लायक और अमल के लायक है। इमाम इसहाक रह० फरमाते हैं कि हम इक्तालीस रक्अत को अख्तियार करते हैं, जैसा कि हजरत उबई बिन कअब् रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है (रहा यह सवाल कि यह नमाज जमाअत से पढ़नी चाहिए या अलग-अलग, तो इस के बारे में वह रिवायत है कि) इमाम इब्ने मुबारक रह०, इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक रह० रमजान शरीफ

में (यानी तरावीह में) नमाज़ जमाअत से पढ़ना पसन्द और अख्तियार करते हैं। (तरावीह की नमाज़ जमाअत से पढ़ना सब के नज़दीक सुन्नत है।)

हवाला - तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस नं० 721, की शरह में तरावीह का बयान।

बहुत से उलेमा ने लिखा है कि तरावीह के मसून होने पर अहले सुन्नत वल जमाअत का इत्तिफाक (इज्माअ) है और अहले क़िबला में से राफ़िज़ियों के सिवा कोई फ़िक़ा भी इस का इन्कार नहीं करता। चारों इमाम रह० यानी इमामे आजम रह०, इमाम मालिक रह०, इमाम शाफ़ी रह० और इमाम अहमद बिन हंबल रह० सब की फ़िक्ह की किताबें में इस की तशरीह है कि तरावीह की बीस रक्अतें सुन्नते मुअक्कदा हैं, अल-बत्ता इमाम मालिक रह० के नज़दीक मशहूर कौल के मुताबिक 36 रक्अतें हैं। हंबली फ़िक्ह की मशहूर किताब 'मुग्नी' में लिखा है कि इमाम अहमद रह० के नज़दीक तर्जीह वाला कौल 20 रक्अतों का है और यही मज़हब है सुफ़ियान सोरी रह० और इमाम शाफ़ी रह० का, अल-बत्ता इमाम मालिक रह० के नज़दीक 36 रक्अतें हैं।

इमाम मालिक से नक़ल किया गया है कि मेरे पास बादशाह का कासिद आया कि तरावीह की रक्अतों में कमी की इजाज़त दे दी जाए, मैंने इन्कार कर दिया। इमाम मालिक रह० के शागिर्द कहते हैं कि मदीना तैयिबा में 39 रक्अतें पढ़ी जाती थीं, यानी छत्तीस तरावीह और तीन वित्र।

औजुल मसालिक में यह बहस तफ़्सील से है। मेरे उस्तादों का इर्शाद है कि मदीना में 36 रक्अतें जो पढ़ी जाती थीं, उन में बीस तरावीह होती थीं, लेकिन हर तरवीहा में उतनी देर ठहरना मुस्तहब है, जितनी देर में चार रक्अत पढ़े, इस लिए वे लोग हर तरवीहा में चार रक्अत नफ़ल पढ़ लेते थे, इस लिए यह सोलह रक्अत चार बीच के तरवीहों की बढ़ गयीं। बहरहाल यह मालकिया का मसलक है, बाकी तीन इमामों के नज़दीक तर्जीह का कौल बीस रक्अत ही का है।

हवाला - ख़साइले नबवी, तर्जुमा शमाइले तिमिज़ी, पृ० 226, हदीस 10, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत के ज़िक्र का बयान।

हज़रत दाऊद बिन कैस रह० कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० और हज़रत अब्बान बिन उस्मान रह० की ख़िलाफ़त के दौर में मदीना तैयिबा में लोगों को छत्तीस रक्अतें और तीन रक्अत वित्र पढ़ते देखा।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा रह०, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत दाऊद बिन कैस रह० कहते हैं कि अब्बान बिन उस्मान रह० और उमर बिन अब्दुल

अजीज रह० की खिलाफत के दौर में मदीना तैयिबा के लोग छत्तीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ा करते थे और मक्का मुकर्रमा में 23 रक्अतें पढ़ा करते थे।

हवाला- फतहुल बारी, शरहुल बुखारी, जिल्द 4, पृ० 220, किताबुस्सलात (अत-तरावीह)।

उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी के मुसन्निफ अल्लामा ऐनी रह० ने फरमाया कि मक्का वाले हर दो तरवीहा के बीच काबे का तवाफ कर के दो रक्अत तवाफ की नमाज पढ़ा करते थे और पांचवी तरवीहा के बाद तवाफ नहीं करते थे। मदीना तैयिबा के रहने वाले मक्का वालों से बराबरी करने के लिए हर तरवीहे के बाद चार रक्अत नफ़ल पढ़ा करते थे, इस तरह बीस रक्अत तरावीह के साथ सोलह रक्अतें नफ़ल ज्यादा हो गईं

हवाला- उम्दतुल कारी, शरहुल बुखारी, जिल्द 3, पृ० 598।

मुतर्जिम कहता है कि रक्अतों की तायदाद, जबकि अग्रे तौकीफी है, तो यकीनी तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बीस पर जमा करना और उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन का कुबूल करना इस के बगैर न होगा कि यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पाया गया है।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 563, किताबुस्सलात।

‘तरावीह के बयान में और वे पांच तरवीहा होते हैं, हर तरवीहा में चार रक्अतें दो सलामों से होती हैं।

हवाला- फतावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 160, नफ़लों का बयान।

बीस रक्अतों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नते कौली और फेली और खुलफा-ए-राशिदीन की सुन्नत और मुसलमानों का इत्तिफाक, ये सब जमा हैं और अगर उसने आठ पर बस की, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद और सुन्नते खुलफा-ए-राशिदीन और मुसलमानों की जमाअत से मुखालफत ज़रूरी है और कम से कम दर्जा इस का बुरा होना है, इसी लिए हज़रत हसन रह० ने इमाम अबू हनीफा से रिवायत किया कि तरावीह का छोड़ना जायज़ नहीं और सदर शहीद रह० ने कहा कि यही सही है। ऐनी रह० ने कहा कि बीस रक्अत हमारा और शाफ़ी रह० और अहमद रह० का मज़हब है और काज़ी रह० ने उस को जम्हूर उलेमा का कौल नकल किया है। इब्ने कुदामा हंबली ने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक को हुकम दिया, जिसने रमज़ान में बीस रक्अतें पढ़ायीं और कहा कि यह इज्माअ के कायम मक़ाम है।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 563, किताबुस्सलात।

मेरे मोहतरम पढ़ने वाले ! अब आप ही ईमानदारी से बताएं कि ज्यादा एहतियात किस में है, आठ रक्अत तरावीह पढ़ने में या बीस रक्अत तरावीह पढ़ने में?

मुसाफ़े के बयान में

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तशह्हुद सिखाया और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफ़ा किया।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 276, हदीस 1187, इजाज़त लेने का बयान।

‘बाब दोनों हाथों’ से मुसाफ़ा करने के बयान में और हम्माद बिन ज़ैद रह० ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० से दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 277, इजाज़त लेने का बयान।

इस हदीस में जो मुसाफ़ा का ज़िक्र है और दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने के बयान में है, उस को अहले हदीस क्यों नहीं मानते, हालांकि इमाम बुख़ारी रह० नु मुसाफ़ा का बाब बांधा है और उसके बाद मुसाफ़े की हदीस को बयान फ़रमाया है। इस के बाद दूसरा बाब दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने के बयान में बांधा है। यह किताब हदीसों की तमाम किताबों पर बड़ाई रखती है और इमाम बुख़ारी रह० तमाम हदीस बयान करने वालों में मुमताज़ हैं फिर भी दोनों हाथ से मुसाफ़ा न करना ज़िद नहीं तो और क्या है?

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर जैसे मुझे कुरआन की सूरा सिखाया करते थे, यह अत्तहीयात सिखायी-

अत्तहीयातु लिल्लाहि वस्स-ल-वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबीयु व र्हमतुल्लाहि व ब-र-कातुहू अस्सलामु अलैना व अला अ़िबादिल्लाहिस्सालिहीन अशशहदु अल्ला-लाइला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 277, हदीस 1190, इजाज़त का बयान।

इमाम बुख़ारी रह० ने पहले मुसाफ़ा का बाब बांधा है, इस के बाद मुसाफ़ा की हदीसों बयान की हैं, जिन में एक हदीस दो हाथ के मुसाफ़ा की भी है। इस के बाद फिर दो हाथ के मुसाफ़े का बाब बांधा है और दो हाथ से मुसाफ़ा करने वाले बुजुर्गों का नाम मुबारक भी लिख दिया है, इस के बाद दो हाथ से मुसाफ़ा करने की हदीस तफ़सील से बयान कर दी है, इससे बढ़ कर दो हाथ से मुसाफ़ा की और क्या तफ़सील हो सकती है?

मुसाफ़े का बाब बांधने के बाद फिर दो हाथ से मुसाफ़ा करने का बाब बांधने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन इमाम बुख़ारी रह० की यह निहायत ही दयानतदारी है कि आपने

इसी हदीस का मतलब समझाने के लिए दो हाथ से मुसाफा करने का बाब भी बांध दिया, ताकि मरल्लूके खुदा समझ ले कि मुसाफा एक हाथ से नहीं, बल्कि दोनों हाथों से है।

इस हदीस से तशह्दुद का सिखाना भी साबित है और दो हाथ से मुसाफा करना भी साबित है। यही वजह है कि इमाम बुखारी रह० ने दो हाथ से मुसाफा करने का बाब बांधने के बाद इस हदीस को बयान फरमाया है और अगर इस हदीसे मुबारक से सिर्फ तशह्दुद ही सीखना मुराद होता, तो इस हदीस मुबारक को नमाज के बाब ही में लाया जाता, मुसाफा के बाब में नहीं, दो हाथों से मुसाफा करने के बाब में इस हदीसे मुबारक को लाना ही मुसाफे की दलील है, समझे मेरे भोले भैया।

हमने किताबों से तहकीक करने में कोई कमी नहीं की है। सिहाहे सिता की जो किताबें हैं, उन में से किसी किताब में भी नहीं देखा कि किसी मुहदिस ने एक हाथ से मुसाफा करने का बाब बांधा हो और बाब बांधने के बाद एक हाथ से मुसाफा करने की हदीस भी बयान की हो, अल-बत्ता एक हाथ से बैअत करने की हदीसे मिलती हैं और वह किताबुल बैअत के बाब में हैं, न कि मुसाफा के बाब में, बैअत एक हाथ से होती है और मुसाफा दोनों हाथों से होता है, बैअत हर रोज नहीं होती और न बार-बार होती है और मुसाफा रोजाना होता है और एक दिन में कई-कई बार भी हो सकता है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफा किया। दोनों हाथों से मुसाफा करने की इस से ज्यादा क्या खुली दलील मिल सकती है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत बयान फरमा रहे हैं कि आपने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफा किया। आप किसी से दोनों हाथों से मुसाफा करेंगे, तो सामने वाले इंसान का एक हाथ आप के दोनों हाथों के बीच में होगा और सामने वाले इंसान के दोनों हाथों के बीच में आप का एक हाथ होगा और अगर एक हाथ से मुसाफा करेंगे तो इस में गैर-कौमों की मुशाबहत होगी।

हदीस - हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी कौम की शकल अख्तियार कर ले, वह गोया उसी कौम में से है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 649, हदीस 4128, लिबास का बयान।

2. मजाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 536, लिबास का बयान।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गैर-कौमों की शकल अपनाने को सख्ती से मना फरमाया है और दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, वे सब की सब करीब-करीब एक ही हाथ से मुसाफा करती हैं, फिर हम एक हाथ से मुसाफा क्यों करें, जबकि हम को दो हाथ से मुसाफा

करने की दलील मिल रही है।

मदीना तैयिबा में भी दोनों हाथों से मुसाफा होता है और मक्का मुआज्जमा में भी दोनों हाथों से मुसाफा होता है, जहां से दीन सारी दुनिया में फैला है। इन मुबारक जगहों पर दोनों हाथों से मुसाफा होता है। अगर इमाम बुखारी रह० की वह रिवायत (अल्लाह की पनाह) ग़लत है, तो इस का मतलब यह होगा कि ये तमाम लोग जो दोनों हाथों से मुसाफा करते हैं, इस मसअले को समझ नहीं सके और न इमाम बुखारी रह० समझ सके, अल्लाह की पनाह।

एक हाथ से मुसाफा करने वाले अहले हदीस नमाज़ में सूः फ़ातिहा पढ़ने और रफा-ए-यदेन करने और तरावीह की दलील सही बुखारी से लेंगे और मुसाफा के बारे में सही बुखारी से हट कर दूसरी किताबों का सहारा लेंगे, यह हठधर्मी नहीं तो और क्या है?

इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रह०, इमाम हंबल रह० और इन चारों इमामों के मानने वाले मुसलमान करोड़ों की तायदाद में दोनों हाथों से मुसाफा करते हैं और अहले हदीस एक हाथ से मुसाफा करते हैं। ऐ किताब पढ़ने वाले मुह्सिन साहब ! अब आप ही बताएं कि हक़ पर कौन है और ज़िद पर कौन है !

हलाला

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूः बकरा के 29 वें रूकूअ में आयत न० 230 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अगर उस को तलाक़ दे दिया (यानी तीन तलाक़ें, तो) अब उस के लिए हलाल नहीं, जब कि वह औरत उस के सिवा दूसरे से निकाह न कर ले, फिर अगर वह भी तलाक़ दे दे, तो इन दोनों में मेल-जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि यह जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे, ये हैं अल्लाह की हदें, जिन्हें वह जानने वालों के लिए बयान फ़रमा रहा है।

अगर दूसरा शौहर निकाह और वती (सोहबत) के बाद तलाक़ दे दे, तो पहले ख़ाविंद पर फिर उसी औरत से निकाह कर लेने में कोई गुनाह नहीं और यह भी जान लें कि वह दूसरा निकाह सिर्फ़ धोखा और मकर व फ़रेब का न था, बल्कि सच्चाई थी।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 103, सूः बकरा के 29 वें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रिफ़ाआ क़रज़नी की बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, मैं रिफ़ाआ के निकाह में थी, उसने मुझ को तीन तलाक़ें दे दीं। फिर मैं ने अब्दुरहमान बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह कर लिया और नहीं है उस के पास (यानी उस का ख़ास अंग) मगर फुंदने की तरह। आपने पूछा, क्या तू फिर रिफ़ाआ के पास जाना चाहती है? उसने

कहा, हां। आपने फ़रमाया, तू उस वक़्त तक रिफ़ाज़ा से निकाह नहीं कर सकती, जब तक कि अब्दुरहमान तेरा मज़ा न चख़ ले और तू उस से मज़ा न पा ले।

हवाला- मिशकात शरीफ़ जिल्द 2 पृ० 514 हदीस 3132, तीन तलाकों का बयान।

जब तक कि दूसरा शौहर सोहबत न करे, पहले शौहर से निकाह करना हलाल नहीं और यह हदीस मशहूर है, इस पर दलील बनती है कि बीच हलाल होने, औरत के पहले ख़ाविंद के लिए सिर्फ़ निकाह का होना काफी नहीं, बल्कि सोहबत का होना ज़रूरी है और सोहबत करने में अंग का दाख़िल होना काफी है, मनी का गिरना शर्त नहीं।

हवाला- मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 189, किताबुन्निकाह।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले दोनों पर लानत फ़रमायी है, (यानी एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दीं, फिर उस ने एक आदमी से कहा कि तू इस से निकाह कर के इस को मेरे लिए हलाल कर दे। इन दोनों आदमियों पर आपने लानत फ़रमायी है।)

हवाला- मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 514, हदीस न० 3133, तलाक का बयान।

अगर शर्त हो हलाल करने की जबानी इस तरह कि कहे मर्द उस तलाक दी हुई औरत को कि मैं निकाह करता हूँ तुझ से इसलिए कि हलाल करूँ तुझ को तेरे तलाक देने वाले ख़ाविंद के लिए या कहे औरत कि मैं तुझ से निकाह करती हूँ इस लिए कि हलाल होऊँ मैं अपने ख़ाविंद के लिए, तो यह मक्रूहे तहरीमी है।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 189, किताबुन्निकाह।

हलाला कराने वाले और हलाला करने वाले इन दोनों आदमियों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमायी है, ताकि लोग तलाक देने में जल्दबाज़ी न करें, बल्कि सोचें-समझें और सोच-समझ कर तलाक दें, क्योंकि तलाक देना बहुत ही बुरी बात है। अगर तलाक देना ही है तो एक तलाक दे और एक महीना ठहर जाए। इस के बाद दूसरी तलाक दे और एक महीना ठहर जाए। हो सकता है कि इस दरमियान में अल्लाह तआला सुलह की शकल पैदा कर दे और दोनों मियां-बीवी के दिल मिल जाएं, क्योंकि दो तलाकें देने के बाद भी बीवी को शरीअत के क़ानून के मुताबिक़ अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर इदत गुज़र चुकी हो, तो निकाह दोबारा पढ़ाना पड़ेगा और अगर तीन तलाकें एक ही साथ में दे दी हैं या अलग-अलग कर के दी हैं, तो अब यह औरत मर्द के क़ब्जे से निकल जाएगी और उस के लिए हराम हो जाएगी। अब यह मर्द जिसने अपनी बीवी को तीन तलाकें दी हैं, अगर औरत को फिर से अपने पास रखना चाहे, तो उस के लिए हलाला शर्त है। बग़ैर हलाला के नहीं रख सकता और अगर बग़ैर हलाला के अपने पास उस औरत को रख लेगा तो गुनाहगार

होगा ।

हलाला इस को कहते हैं कि तलाक़ देने के बाद जब तीन हैज़ (माहवारी) गुज़र जाए तो उस औरत से कोई दूसरा मर्द निकाह कर ले और उस को अपने पास रखे, हफ़्ता दो हफ़्ता या महीना दो महीना या एक या दो दिन अपने पास रखे और उस औरत से हमबिस्तर भी हो, जब तक हमबिस्तर यानी उस औरत से वती नहीं करेगा, हलाला नहीं होगा, इस के बाद उस औरत को तलाक़ दे दे और वह औरत तीन हैज़ और अगर हैज़ वाली न हो तो तीन महीने घर पर बैठी रहे और अगर हमल है तो बच्चा पैदा होने के बाद उस पहले शौहर से निकाह पढ़ा ले, इसी को हलाला कहते हैं । अगर जिना से हमल है तो निकाह हो जाएगा, लेकिन वती जायज़ नहीं ।

बेहतर यह है कि बच्चा पैदा हो जाए और निफ़ास की मुद्त भी ख़त्म हो जाए, उस के बाद निकाह पढ़ाए, क्योंकि निकाह पढ़ा लेने के बाद जब औरत उस के पास रहेगी, तो इंसान सब्र नहीं कर सकता और अगर कोई मजबूरी है और निकाह पढ़ाना ही है तो निकाह के बाद उस औरत को अपने पास न रखे, बल्कि उस को अपने मैके ही में रहने दे या खुद कहीं बाहर गांव चला जाए और जब निफ़ास की मुद्त भी ख़त्म हो जाए तो बीवी को अपने पास बुलाये या खुद बीवी के पास चला जाए । जिस से हमल है अगर उसी से निकाह हो जाए तो हमबिस्तर जायज़ है ।

समझदार इंसान तो ऐसी हरकत को कभी पसन्द नहीं करेगा कि उस की औरत से कोई दूसरा इंसान हमबिस्तर हो और बाद में उस औरत को वह अपने पास फिर से रखे । इसी को कहते हैं हलाला । इस हलाले में दो बातें हैं-

1. पहली बात तो यह है कि हलाला के लिए किसी मर्द को दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से तैयार किया जाता है कि भाई ! तू इस औरत से निकाह पढ़ा ले और बाद में तलाक़ दे दे, ताकि मेरे लिए हलाल हो जाए, तो कुछ जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं और उस औरत से निकाह पढ़ा लेते हैं और फ़ौरन ही तलाक़ भी दे देते हैं या एक रात अपने घर पर उस औरत को रख लेते हैं, लेकिन उस औरत को हाथ भी नहीं लगाते कि दोस्त की बीवी है, कौन उस से हमबिस्तर होगा और सुबह को तलाक़ दे देते हैं । तो यह हलाला नहीं हुआ । हलाला के लिए हमबिस्तर होना शर्त है । जब हमबिस्तर नहीं होगा, हलाला सही नहीं होगा । चाहे वह अपने पास उस औरत को एक महीना रखने के बाद भी तलाक़ देगा, जब भी हलाला नहीं होगा और अगर हमबिस्तर होने के बाद तलाक़ दी है, तो हलाला सही हो जाएगा, लेकिन इन दोनों पर यानी हलाला कराने वाले पर और हलाला करने वाले पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमायी है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही से तलाक़ दिलवाने का वायदा करा लिया है और अगर कोई इंसान वायदा करा लेने के बाद तलाक़ न दे, तो उस के लिए वह बीवी हमेशा के लिए हलाल रहेगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जिन से हलाला कराया जाता है,

वह मर्द उस औरत को भा जाता है और मर्द को औरत पसन्द आ जाती है, फिर वह काहे को तलाक दे। अब पहले वाला मर्द हमेशा को रोता रहे, अलबत्ता निकाह पढ़ाने वाले पर वायदाखिलाफी का जुर्म रहेगा, मगर लानत से बच जाएगा।

2. दूसरी बात यह है कि एक मर्द ने अपनी औरत को तीन तलाक दे दी हैं और इद्त के बाद उस औरत ने किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लिया, अब कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद कुदरती तौर से इन मियां-बीवी में ना-इत्तिफाकी हो गयी और उसने तलाक दे दी या किस्मत से उस का शौहर मर गया तो अब यह औरत इद्त गुजरने के बाद पहले वाले मर्द के लिए हलाल हो गयी, अगर वह निकाह करना चाहे, तो उस औरत से फिर से निकाह कर ले, इस मामले में लानत का हकदार नहीं बनेगा, क्योंकि उस को उसने तलाक देने के लिए कहा नहीं था, बल्कि उस मर्द ने उस औरत को किसी वजह से तलाक दी है।

कहीं-कहीं यह भी सुनने में आया है कि एक मुकल्लिद ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी हैं, फिर बगैर हलाला किये अपने पास रखना चाहता है, तो चूंकि चारों मसलक में जायज़ नहीं है, इसलिए कहीं-कहीं अहले हदीस लोग उस मुकल्लिद को समझाते हैं कि तुम गैर-मुकल्लिद हो जाओ, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, तो ना-समझ और कम इल्म वाले मसलक को बदल देते हैं और उस औरत को बुला लेते हैं और यह समझते हैं कि यह औरत उन के मसलक बदलने से हलाल हो गयी, यह बिल्कुल ग़लत है, नफ़सानी फ़रेब और शैतानी धोखा है। अल्लाह के वास्ते आप इतना तो सोचें कि आपने तलाक तक्लीद के दायरे में दी है, अब तलाक देने के बाद गैर-मुकल्लिद होने से क्या फ़ायदा? हालांकि आप तक्लीद में रहें या गैर-मुकल्लिद हो जाएं, तीन तलाक देने से तीन ही पड़ जाती हैं, जिन का तफ़्सीली बयान 'जमाअते अहले हदीस का चारों इमामों से इख़्तिलाफ़' के बाब में हम कर चुके हैं, अब कोई न माने इस का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं।

औरतों को तलाक देने के जो अख़्तियार मर्दों को दिये गये हैं, उन को अक़लमंदी से इस्तेमाल किया जाए, तो घर बिगड़ने से बच सकता है, तलाक देकर पछताने की नौबत नहीं आ सकती और मेल पैदा होने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका बाकी रहता है और अगर आख़िर में अलगाव हो भी जाए तो दोबारा निकाह पढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी नासमझी में अपने अख़्तियारों को ग़लत तरीके से इस्तेमाल कर बैठे, तो वह अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा और शरीअत ने उस के लिए जितने रास्ते जायज़ कर रखे थे, वह सब के सब खो बैठेगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एक बाप अपने बेटे को तीन सौ रुपये दे और कहे कि यह तुम्हारी मिलकियत है, इन को तुम अपनी मर्जी से खर्च करने के मुख़्तार हो। अब वह लड़का चाहे तीन महीने में खर्च कर डाले या एक मिनट में खर्च कर डाले, बहरहाल रकम तो खर्च हो ही जाएगी।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि शैतान अपना तख़्त पानी (यानी समुद्र) पर बिछाता है और उस पर

बैठ कर अपनी फ़ौजों को हुक्म देता है कि आदमियों में जा कर उन को गुमराह करें और फ़िल्ते में डालें। शैतान की इस जमाअत का छोटा-सा शैतान वह है जो इतिहा दर्जे का फ़िल्ता पैदा करने वाला हो इनमें से एक शैतान अपने सरदार के पास आकर कहता है कि मैंने ऐसा-ऐसा किया है, यानी ऐसे-ऐसे काम किये। सरदार (शैताने आजम) कहता है, तू ने कुछ नहीं किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि एक और शैतान आता है और कहता है कि मैंने इंसान का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ा, जब तक कि उस के और उस की बीवी के बीच जुदाई न डाल दी। आंहरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस के बाद फ़रमाया कि (शैताने आजम) यह सुन कर उस को अपने करीब जगह देता है और कहता है, तू ने बहुत अच्छा काम किया। आमश रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझ को यह ख्याल है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये लफ़्ज कहे हैं कि (यह सुन कर शैतान उस को गले से लगा लेता है।)

हवाला - 1. मिशकात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 92, हदीस 64, वस्वसे का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, हलाल चीज़ों में खुदा के नज़दीक सब से बुरी चीज़ तलाक़ है।

हवाला - 1. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 512, हदीस 3118, तलाक़ का बयान,

हदीस - हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो औरत बे-वजह अपने शौहर से तलाक़ चाहे, उस पर जन्नत की गंध हराम है।

हवाला - 1. इब्ने माजा शरीफ पृ० 314, हदीस 2078, तलाक़ का बयान।

2. दारमी शरीफ, पृ० 344, हदीस 2245, बाब 765, तलाक़ का बयान।

पांच बातों का इल्मे ग़ैब

कुरआन शरीफ के इक्कीसवें पारे में सूर: लुक़मान के चौथे रूकूअ में, आयत न० 34 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

अल्लाह ही के पास कियामत का इल्म है। वही बारिश बरसाता है, और मां के पेट में जो है उसे जानता है और कोई भी नहीं जानता है कि कल क्या कुछ करेगा और न किसी को यह मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा। याद रखो कि अल्लाह ही पूरे इल्म वाला और सही ख़बर वाला है।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि पांच चीज़ें हैं, जिन को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता-

1. जो रहम के अन्दर है (यानी मां के पेट में लड़का है या लड़की) उस को सिवाए खुदा के कोई नहीं जानता।
2. और कल जो कुछ होगा (यानी कल क्या होने वाला है?) उसको सिवाए खुदा के कोई नहीं जानता।
3. और यह कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी?
4. यह कोई नहीं जानता, वह कौन सी जगह मरेगा?
5. और यह सिवाए खुदा के और कोई नहीं जानता कि कियामत कब आएगी?

- हवाला-**
1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 537, हदीस 2232, तौहीद का बयान।
 2. तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 58, सूः लुक़्मान के चौथे रूकूअ की तफ्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त ! अब इल्मे ग़ैब के मसअलों का बयान हो रहा है, मेहरबानी करके, बग़ैर गुस्सा और ज़िद के इत्मीनान के साथ, दिल के खुलूस से ख़ूब ग़ौर व फ़िक्र और समझदारी के साथ पढ़ना। इन्शाअल्लाहु तआला उम्मीद है कि पूरी हकीकत आप की समझ में आ जाएगी। आपने कुरआन करीम में पढ़ लिया कि पांच बातों का इल्मे ग़ैब अल्लाह तआला के सिवा और किसी को नहीं है और सही बुखारी शरीफ की हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी यही फ़रमाते हैं कि इन पांच बातों का इल्म सिवाए खुदा के और किसी को भी नहीं है, फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत-सी बातें आज तक जो हो चुकीं और कियामत तक जो होने वाली हैं, वह बता दी हैं और बहुत से अल्लाह के लाल दुनिया में थे और फ़िलहाल भी मौजूद हैं और इन्शाअल्लाहु तआला कियामत तक रहेंगे कि कुछ होने वाली बात कह देते हैं।

इल्मे ग़ैब दो किस्म का है-एक ज़ाती, दूसरा अताई।

अब जो ज़ाती है, वह सिवाए अल्लाह तआला के और किसी को भी नहीं है वही एक ग़ैब का इल्म रखने वाला है, सिवाए उस के और कोई भी ग़ैब का जानकार नहीं है और जो अताई है वह इत्तिलाअ अलल ग़ैब है, यानी अल्लाह तआला की तरफ से बताया हुआ इल्म।

किसी नबी या वली या फ़रिश्ते को हम तो क्या बल्कि धरती पर कोई भी ग़ैब का आलिम नहीं कहेगा और हुज़ूरे पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी कोई ग़ैब का आलिम नहीं कहता, क्योंकि यह इल्म आप को बताया गया है, सिखाया गया है। जिस वक़्त जितनी ज़रूरत पड़ी, उतना ही अल्लाह पाक ने बता दिया। अल्लाह तआला के जो ख़ास और मख़सूस बन्दे हैं, उन को अल्लाह तआला किस तरह से ग़ैब की बातें बताता है, उस का खुलासा कुरआन करीम में मौजूद है-

कुरआन मजीद के पच्चीसवें पारे में, सूर: शूरा के पांचवें रूकूअ में, आयत न० 51 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - किसी इन्सान का यह मरतबा नहीं कि अल्लाह तआला उस से आमने-सामने बात करे (बल्कि तीन तरह से बात होती है) या तो इल्हाम से, या पर्दे के पीछे से या फरिश्ते के ज़रिए से, वह खुदा के हुकम से खुदा को जो मंजूर होता है, पहुंचा देता है, वह बड़ा ही आलीशान और हिक्मत वाला है।

1. अल्लाह तआला किसी से आमने-सामने बात नहीं करते, बल्कि तीन तरह से बात करते हैं-

1. इल्हाम के ज़रिए से दिल में, कोई बात डाल देना या सपने में कोई बात ज़ाहिर कर देना।

2. परदे के पीछे से। मतलब यह है कि इन्सान एक आवाज़ सुने, मगर बोलने वाला उसे नज़र न आए, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि तूर पर्वत पर एक पेड़ में से आवाज़ तो आ रही है, लेकिन बोलने वाला नज़र नहीं आता।

3. व्ह्य के ज़रिये, व्ह्य उस को कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ख़बर लेकर आये।

कुरआन करीम के बारहवें पारे में, सूर: हूद के चौथे रूकूअ में, आयत न० 49 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - ये ख़बरें ग़ैब की ख़बरों में से हैं, जिन की व्ह्य हम तेरी तरफ करते हैं। उन्हें इस से पहले न तो तू जानता था और न तेरी क़ौम।

नूह अलैहिस्सलाम के क्रिस्से और इसी क्रिस्म के गुज़रे हुए वाकिए वे हैं, जो आप के सामने नहीं हुए, लेकिन व्ह्य के ज़रिए से हम आप को इन की ख़बर कर रहे हैं और आप लोगों के सामने वे हकीकत इस तरह बयान कर रहे हैं कि गोया उन के होने के वक़्त आप वहां पर मौजूद थे, हालांकि इस से पहले न तो आप को इन बातों की ख़बर थी और न आप की क़ौम में से कोई जानता था।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 20, सूर: हूद के चौथे रूकूअ की तफ़सीर में।

जब किसी नबी या वली को कोई बात मालूम करानी हो या कुछ दिखाना हो, तो अल्लाह तआला उसके दिल और आंखों के सामने से पर्दा हटा लेता है, तो वे सारी चीज़ें उस को नज़र आने लगती हैं, जितनी अल्लाह तआला बतलाता जाता है, जैसे हम अहमदाबाद में हैं और अल्लाह तआला हम को बम्बई दिखाना चाहता है या हम बम्बई में हैं और कलकत्ता दिखाना चाहे, तो उस के दर्मियान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वे अल्लाह के हुकम से बीच से हट जाती हैं और वह शहर ऐसा नज़र आता है, गोया हमारे सामने मौजूद है।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब मुझे कुरैश ने झुठलाया (और कहा कि आप का मेराज का दावा सही नहीं है और अगर सही है तो बैतुलमक्दिस के हालात बता दो), तो मैं हजर (हतीम) में खड़ा हो गया। (खाना काबा के पास एक-आधे दायरे की नीची दीवार है, उसे हतीम या हजर कहते हैं, वहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये) अल्लाह तआला ने बैतुलमक्दिस को मेरे सामने जाहिर कर दिया।) मैं बैतुलमक्दिस को देख-देख कर उस की निशानियां बताने लगा। उस वक़्त ऐसा मालूम होता था कि गोया मैं बैतुलमक्दिस को देख रहा हूँ।

- हवाला-**
1. तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 204, हदीस 991, सूर: बनी इस्राईल की तफ़्सीर।
 2. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 864, हदीस 5586, मेराज का बयान।
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 536, मेराज का बयान।

अब वह्य का जो मामला था, वह तो हमारे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात से ख़त्म हो गया। रहीं दो बातें, तो उन के ज़रिए से आज भी अल्लाह तआला अपने प्यारे बंदों को जो बातें बतलाना चाहता है, वह बतला देता है, मगर जानकार तो सिवाए खुदा के और कोई भी नहीं।

आयते करीमा में अल्लाह पाक ने जो फ़रमाया है कि किसी इंसान का यह मक़ाम नहीं कि वह अल्लाह तआला से आमने-सामने बातचीत करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेराज वाली रात में अल्लाह तआला को देखा है या नहीं, इस बात में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इख़्तिलाफ़ है। कुछ कहते हैं कि देखा है और अक्सर कहते हैं कि नहीं देखा।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हज़रत कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई और उन्हें पहचान कर उन से एक सवाल किया, जो उन पर बहुत भारी गुज़रा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, हमें बनू हाशिम ने यह ख़बर दी है, तो हज़रत कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने अपना दीदार और अपना कलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दर्मियान बांट दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दो बार बातें कीं और आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दो बार अपना दीदार दिखाया। एक बार हज़रत मसूरूक रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये और पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने रब को देखा है? आपने फ़रमाया, तू ने तो ऐसी बात कह दी, जिस से मेरे रौंगटे खड़े हो गये। मैंने कहा, उम्मुलमोमिनीन! कुरआन करीम फ़रमाता है, आपने अपने रब की निशानियां देखीं? आपने फ़रमाया, कहां जा रहे हो, सुनो? इस से मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का देखना है, जो तुम से कहें कि मुहम्मद

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने रब को देखा या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुदा के किसी फ़रमान को छिपा लिया या आप इन पांच बातों में से कोई बात जानते थे, यानी कियामत कब होगी? बारिश कब और कितनी बरसेगी? मां के पेट में नर है या मादा? कौन कल को क्या करेगा? कौन कहां मरेगा? उसने बड़ी झूठ बात कही और खुदा पर बोहतान बांधा। बात यह है कि आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था। दो बार खुदा के इस अमीन को आपने उनकी असली शकल में देखा है-

1. एक तो सिद्रतुल मुन्तहा के पास, और
2. एक बार जिहाद में।

उन के छः सौ पर थे और आसमान के कुल किनारे उन्होंने भर रखे थे।

- हवाला-**
1. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 24, सूः नज्म के पहले स्कूअ की तफ़सीर में।
 2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 251, हदीस 1132, तफ़ासीर में।

इल्में ग़ैब की दलीलें

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों के इल्में ग़ैब की दलील सुनिये-

क़ुरआन मजीद के पहले पारे में, सूः बक़रः के चौथे स्कूअ में, आयत न० 31-32-33 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा कर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा, ऐ अल्लाह ! तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ इतना ही इल्म है, जितना तू ने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म व हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, तुम उनके नाम बता दो। जब उन्होंने उन के नाम बता दिये तो फ़रमाया, क्या मैं ने तुम्हें (पहले ही से) न कहा था कि ज़मीन व आसमान का ग़ैब मैं ही जानता हूँ।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन्सान, जानवर, ज़मीन, समुन्दर और पहाड़ वगैरह के नाम बता कर उन फ़रिश्तों के पास भेजा, जो इब्लीस के साथी थे और उन से फ़रमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा न बनाऊं, तो मुझे ज़रा इन चीज़ों के नाम बता दो। जब उन फ़रिश्तों ने देखा कि हमारी अगली बात से खुदावन्दे आलम नाराज़ हैं, तो वे कहने लगे कि ऐ अल्लाह ! तू इस बात से पाक है कि तेरे सिवा और कोई ग़ैब को जाने। हमारी तौबा है और इक़रार है कि हम ग़ैब के जानने वाले नहीं। हम तो सिर्फ़ वही जान सकते हैं जो तू हमें सिखला दे, जैसे तूने इन चीज़ों के नाम सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम

को ही सिखाये हैं। अब अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम उन्हें तमाम चीज़ों के नाम बता दो, चुनांचे उन्होंने बता दिए, तो फ़रमाया, ऐ फ़रिश्तो! क्या मैंने तुम से नहीं कहा था कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब को जानने वाला सिर्फ़ मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 98, सूः बकरः के चौथे रूकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज दोस्त ! जो बात अल्लाह तआला के बतलाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, वह बात फ़रिश्ते नहीं जानते थे, क्योंकि फ़रिश्तों को भी इल्मे ग़ैब नहीं था।

आसमानी फ़रिश्ते भी नहीं जानते कि ज़मीन पर अल्लाह तआला क्या कुछ करना चाहता है, जब तक उन को मालूम न करा दिया जाए।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 15 पृ० 3, सूः बनी इस्राईल के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

बद्र की लड़ाई में एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लड़ाई की मस्लहतों के हिसाब से राय देते हैं, तो उसी वक़्त एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ़ से अपने हबीब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में यह हुक्म पहुंचाता है कि इस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, आप उसको पहचानते हैं ! हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आसमान के तमाम फ़रिश्तों को मैं नहीं पहचानता, हां, मैं इतना कह सकता हूँ कि यह है फ़रिश्ता, शैतान नहीं है फिर उसी राय पर अमल हुआ।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 81, सूः अन्फाल के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला के बग़ैर बताए किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। अब आइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब देखिए।

कुरआन करीम के आठवें पारे में, सूः आराफ़ के दूसरे रूकूअ में, आयत नं० 19, 20, 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्ज़ुमा ऐ आदम ! तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो-सहो और जहां से चाहो, खाओ-पियो, मगर उस पेड़ के करीब भी न जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन्हें वस्वसा डाला, ताकि उन पर वे चीज़ें खोल दे जो उन पर पोशीदा कर दी गयी थीं (यानी शर्मगाहें)। कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो इस पेड़ से तुम्हें रोक दिया है, यह सिर्फ़ इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि तुम फ़रिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वाले बन जाओ। उनके सामने कसमें खा-खा कर उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं तो तुम्हारा हमदर्द और खैरख्वाह हूँ।

इब्लीस को जन्नत से निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहस्सलाम

को जन्नत में पहुंचा दिया गया था और एक पेड़ के अलावा उन को सारी जन्नत की चीजें खाने की इजाजत दे दी गयी थी। शैतान को इसमें बड़ी ही जलन हुई, उन की नेमतों को देख कर लईन जल गया और ठान ली कि जिस तरह हो, इन्हें बहका कर खुदा के हुक्म के खिलाफ काम करा दूं। चुनांचे झूठ-मूठ उनसे कहने लगा, देखो, यह पेड़ वह है, जिस के खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा की जिन्दगी इस जन्नत में रहोगे। अपना एतबार जमाने के लिए कसमें खाने लगा कि देखो, मेरी बात को सच्ची मानो, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं, तुमसे पहले मैं यहां रह चुका हूं। हर एक चीज की खासियत को मैं जानता हूं। तुम उसे खालो, बस फिर यहीं रहोगे, बल्कि फरिश्ते बन जाओगे। इस खबीस के बहकाने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आ गये।

देखा मेरे अजीज दोस्त ! यह है ग़ैब के मालूम होने की हकीकत कि अल्लाह तआला जब मालूम कराना चाहे तो मालूम हो जाता है। अगर अल्लाह पाक मालूम कराना न चाहे, तो कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम होता कि यह शैतान मुझे बहका रहा है, तो क्या वह इस पेड़ से खाते, हरगिज़ न खाते, मगर उन को इल्मे ग़ैब न था।

अब सुनिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब?

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूर: हूद के सातवें रकूअ में, आयत नं० 69, 70 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास खुशख़बरी लेकर आए और सलाम किया। उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और बग़ैर किसी देर के बछड़े का मांस ले आए। अब जो देखा कि उन के तो हाथ भी उसे नहीं लगते (यानी खाते नहीं) तो उन्हें अन्जान देखकर दिल में उन से डरने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की क़ौम की तरफ़ भेजे हुए आए हैं।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वे फ़रिश्ते इंसानी शक़ल में मेहमान के तौर पर आए हैं जो लूत की क़ौम की हलाकत की ख़बर और हज़रत इब्राहीम के बेटा (यानी लड़का पैदा होने की) खुशख़बरी लेकर अल्लाह की ओर से आए हैं, वे आकर सलाम करते हैं। आप जवाब में सलाम कहते हैं। सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने मेहमानी पेश करते हैं। बछड़े का मांस, जिसे गर्म पत्थरों पर सेंक लिया गया था, लाते हैं। जब देखा कि उन मेहमानों के हाथ तो बढ़ते ही नहीं यानी खाना खाते ही नहीं, उस वक़्त उनसे कुछ बद-गुमान से हो गये और कुछ दिल में ख़ौफ़ खाने लगे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 24, सूर: हूद के सातवें रकूअ की तफ़्सीर में।

देखा मेरे दोस्त ! हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को पहचान न सके और आप

के यहां हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट से औलाद पैदा होगी, इस की भी आप को खबर न थी, क्योंकि आप को ग़ैब का इल्म न था।

अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब सुनिये।

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूर: हूद के सातवें रकूअ में, आयत न० 77-78 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वह उनकी वजह से बहुत ग़मगीन हो गया। और दिल ही दिल में कहने लगा कि बड़ी मुसीबत का दिन है, उसकी कौम दोड़ती हुई उसके पास आ पहुंची, वह तो पहले से ही बद-कारियों में फंसी हुई थी।

हज़रत क्रतादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन में थे कि फ़रिश्ते इन्सान की शकल में आए और उनके मेहमान बने। शर्मा-शर्मी में इन्कार तो न कर सके और उन्हें लेकर घर चले। रास्ते में सिर्फ़ इस नीयत से, कि ये अब भी वापस चले जाएं, उनसे कहा, वल्लाह ! यहां के लोगों से ज़्यादा बुरे और ख़बीस लोग कहीं भी न होंगे, (क्योंकि वह कौम लिवातत में पड़ी हुई थी) कुछ दूर जाकर फिर यही कहा, फ़रिश्तों को खुदा का हुक्म भी यही था कि जब तक उन का नबी उन की बुराई बयान न करे, उन्हें हलाक न करना (क्योंकि ये फ़रिश्ते लूत की कौम की बद-कारियों की वजह से उन को हलाक करने आए थे)

हवाला तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 26, सूर: हूद के सातवें रकूअ की तफ़सीर में।
देखा मेरे दोस्त ! हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को पहचान न सके, क्योंकि आपको इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब !

कुरआन मजीद के तेईसवें पारे में सूर: स्वाद के दूसरे रकूअ में आयत न० 21-22 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर हुई, जबकि वह दीवार फांद कर इबादत की जगह आ गये। जब यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो ये उनसे डर गये।

तिब्बान के हवाले से लिखा है कि जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम दो झगड़ने वालों की शकल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और हर एक के साथ फ़रिश्तों का एक-एक गिरोह था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिन तकसीम कर रखे थे। एक दिन इबादत करते, एक दिन फ़ैसला करते, एक दिन राज़ करते, एक दिन अपने ख़ास काम करते, इबादत के दिन बालाखाने पर जाते यानी ऊपर की मंज़िल पर जाते और पासबान (यानी

चीकीदार) उसके आस-पास खड़े होकर लोगों को ऊपर जाने से मना करते। उस दिन फ़रिश्ते आदमियों की शकल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में आए और उनके इबादतखाने पर चढ़ गये। जब अन्दर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने आए तो वे उन से डर गये, इसलिए कि वे बग़ैर इजाज़त ऊपर चले गये थे। फ़रिश्ते बोले कि न डरो ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम! हम दो गिरोह हैं झगड़ने वाले! एक दूसरे पर हमने जुल्म किया है। आप हमारा फ़ैसला कर दें।

हवाला - तफ़्सीरे कादरी, जिल्द 2, पृ० 331,

देखा मेरे अजीज़ दोस्त! हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को पहचान नहीं सके, क्योंकि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब!

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में, सूर: नम्ल के दूसरे रकूअ में, आयत न० 20, 21, 22 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - आप ने परिंदों की देख-भाल की और फ़रमाने लगे कि यह क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता। क्या वाकई वह ग़ैर हाज़िर है? यकीनन मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे जिब्ह कर डालूंगा या मेरे सामने कोई मुनासिब वजह बयान करे। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हुदहुद ने आकर कहा, मैं एक ऐसी चीज़ की ख़बर लाया हूँ कि तुझे उस की ख़बर ही न थी। मैं सब की एक सच्ची ख़बर लाया हूँ।

हुद हुद नाम का एक परिंदा था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में रहता था। एक समय वह नज़र नहीं आया तो सुलेमान अलैहिस्सलामने फ़रमया कि वह कहां गया और क्यों हाज़िर नहीं हुआ? इतने में हुदहुद परिंदा भी आ गया और कहने लगा कि ऐसी ख़बर लाया हूँ कि जिस की आप को भी ख़बर नहीं है, यानी एक औरत एक जगह पर बादशाही कर रही थी और बहुत बड़ी सल्तनत उसके ताबेअ थी, जिस की ख़बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं थी।

देखा मेरे अजीज़ दोस्त! हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े बादशाह और पैग़म्बर भी थे, लेकिन हुदहुद कहां गया, उस की ख़बर आप को नहीं थी और एक बहुत बड़ी सल्तनत दुनिया ही में थी, जिस पर एक औरत हुकमत कर रही थी, उस की भी ख़बर आपको नहीं थी, क्योंकि इल्मे ग़ैब आप को नहीं था?

अब सुनिये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब ?

कुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में, सूर: यूसुफ़ के ग्यारहवें रकूअ में आयत न० 94 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - जब यह काफ़िला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा, मुझे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे कम अक़ल न समझो।

मेरे अजीज दोस्त ! यह तो आम मुसलमान जानते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने बाप से जुदा कर दिया था, जिनकी जुदाई में कोई कहता है, अस्सी साल, कोई कहता है, तिरप्पन साल, कोई कहता है अठारह साल जुदा रहे बहरहाल बाप-बेटे में जुदाई उनके सगे भाइयों ने डाल दी थी।

मेरे अजीज दोस्तों ! अब आप ही सोचें कि ज़मीन पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खुदा का कोई महबूब बन्दा उस वक़्त न था, मगर फिर भी एक मुद्दत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो-रो कर आंखें जाती रहीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता न चला कि कहां है और क्या कर रहे हैं? जिंदा है या नहीं? और जब अल्लाह तआला को मालूम कराना था तो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुरता बाप की खिदमत में भेजते हैं। जब यह काफ़िला मिस्र से कन्आन् की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आती है। इस को कहते हैं इत्तिलाज़-अललग़ैब, मगर ग़ैब का जानकार तो सिवाए खुदा के कोई भी नहीं है। अगर मेरा मालिक मुख़्तार चाहे तो सातों आसमान के ऊपर या सातों ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है, उस की भी ख़बर हो सकती है और अगर अल्लाह तआला ख़बर देना न चाहे तो सर के ऊपर या पैर के नीचे क्या हो रहा है, उस की भी ख़बर नहीं हो सकती। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इलमे ग़ैब होता तो क्यों वर्षों तक रो-रोकर अपनी आंखें खोते, मगर बात यह थी कि आप को इलमे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इलमे ग़ैब।

कुरआन शरीफ के उन्नीसवें पारे में, सूर: नम्ल के पहले रकूअ में, आयत न० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - याद करो, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मैं ने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ताकि तुम सेंक-ताप लो।

देखा मेरे अजीज दोस्त ! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग समझ कर और आग लेने की नीयत से तूर पहाड़ पर जा रहे हैं। आप को यह तो ख़बर न थी कि मुझे वहां पर जाने से पैग़म्बरी मिल जाएगी।

कुरआन मजीद के उन्नीसवें पारे में, सूर: नम्ल के पहले रकूअ में, आयत न० 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू अपनी लाठी डाल दे, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जब (लाठी ज़मीन पर डाल दी तो) उसे हिलता-डोलता देखा, इस तरह कि गोया वह एक बहुत बड़ा सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी न देखा, ऐ मूसा ! ख़ौफ़ न कर, मेरे दरबार

में पैग़म्बर डरा नहीं करते ।

जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने की नीयत से तूर पहाड़ पर जा पहुंचे, तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया, ऐ मूसा ! लाठी अपने हाथ से ज़मीन पर डाल दो, ताकि तुम अपनी आंखों से देख लो कि अल्लाह तआला फ़ाज़िले मुख्तार है, वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने इर्शाद सुनते ही लाठी ज़मीन पर डाल दी, उस वक़्त वह फनफनाता हुआ सांप बन गयी और बहुत बड़े जिस्म का सांप, बड़ी डरावनी सूरत का और इस मोटापे पर तेज़ चलने वाला जीता-जागता, चलता-फिरता, ज़बरदस्त अज़दहा देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गये और दहशत के मारे ठहर न सके और मुंह मोड़ कर पीठ फेर कर भागने लगे, ऐसे कि मुड़ कर भी न देखा । उसी वक़्त अल्लाह तआला ने उन्हें आवाज़ दी । ऐ मूसा ! डरो नहीं, मैं तो तुम्हें अपना चुना हुआ रसूल और इज़्ज़त वाला पैग़म्बर बनाना चाहता हूँ ।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 61, सूर: नम्ल के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में ।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह तो थी पैग़म्बरी मिलने से पहले की बात । अब आइये पैग़म्बरी मिलने के बाद की बात बताऊं मेरे भैया को ।

कुरआन मजीद के सोलहवें पारे में, सूर: ताहा के तीसरे रूकूअ में, आयत न० 65, 66, 67, 68, 69 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - कहने लगे कि ऐ मूसा ! या तो तू पहले डाल या हम पहले डालते हैं, जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो । अब तो मूसा (अलैहिस्सलाम) को यह ख़्याल गुज़रने लगा कि उन की रस्सियां और लकड़ियां, उन के जादू की वजह से दौड़-भाग रही हैं, तो मूसा (अलैहिस्सलाम) अपने दिल ही दिल में डरने लगे । हम ने फ़रमाया, बिल्कुल डरो मत, तू ही ग़ालिब रहेगा । तेरे दाहिने हाथ में, जो है, उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को खा जाएगा ।

जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब बतलाओ, तुम अपना वार पहले करते हो या हम पहले करें । इस के जवाब में खुदा के पैग़म्बर ने फ़रमाया कि तुम ही पहले अपने दिल की भड़ास निकाल लो, ताकि दुनिया देख ले कि तुम ने क्या किया और फिर खुदा ने तुम्हारे किये को किस तरह मिटा दिया । उसी वक़्त उन्होंने अपनी रस्सियां और लकड़ियां मैदान में डाल दीं । कुछ ऐसा मालूम होने लगा, गोया सांप बन कर चल-फिर रही हैं और मैदान में दौड़-भाग रही हैं । उनकी फेंकी हुई लकड़ियों और रस्सियों से अब सारे का सारा मैदान भरपूर हो गया । वे आपस में गुड़-गुड़ होकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होने लगे । इस मंज़र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डरा दिया कि कहीं ऐसा न हो कि लोग उनके करतब के कायल हो जाएं और इस झूठे जाल में फंस जाएं । उसी वक़्त अल्लाह तआला ने वह्य उतारी कि अपने दाहिने हाथ की लकड़ी को मैदान में डाल दे, डर मत । आप ने हुक्मबरदारी की ।

खुदा के हुक्म से यह लकड़ी जबरदस्त और बे-मिसाल अजदहा बन गयी, जिस के पैर भी थे और सर भी था, केंचुलियां और दांत भी थे, सब को हड़प कर लिया, इन सब पर हक जाहिर हो गया।

हवाला- तफ्सीरें इब्ने कसीर, पारा 16, पृ० 78, सूः ताहा के तीसरे रूकूअ की तफ्सीर में।

मूसा अलैहिस्सलाम को हराने की नीयत से फिरऔन ने जादूगरों की एक बहुत बड़ी टीम को बुलाया था। उस वक्त का यह किस्सा है, जो तफ्सीरों में ज्यादा तफ्सील से लिखा है।

देखा मेरे अजीज दोस्त! हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर पैदा हो गया, क्योंकि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था। उसी वक्त अल्लाह तआला ने वह्य से खबर कर दी। इसी को कहते हैं, इत्तिला अलल ग़ैब (ग़ैब की इत्तिला मिल जाना)।

हदीस - हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, नौफुल बकाली का यह ख्याल है कि बनू इस्राईल के पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम वह मूसा अलैहिस्सलाम न थे, जो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के साथ रहे थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा का दुश्मन झूठ कहता है। मैंने उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है, वह कहते थे कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल के बीच वाज़ करने खड़े हुए। आप से पूछा गया कि लोगों में सब से बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सब से बड़ा आलिम हूँ। उस पर खुदा की तरफ से तंबीह हुई, इसलिए कि उन्होंने इल्म को खुदा की तरफ मंसूब नहीं किया था। खुदा ने उनकी तरफ वह्य भेजी और बताया कि मेरा एक बन्दा मजमअुल बहरैन यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर है, वह तुमसे ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार! मैं क्यों कर उस से मिल सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि जंबील में एक मछली रख लो। जहां पर मछली गुम हो जाए, वह बन्दा उसी जगह पर होगा। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गये और आप के साथ एक जवान यूशअ़ बिन नून भी साथ हो लिए और जंबील में एक मछली डाल ली। दोनों बराबर चलते रहे, यहां तक कि दोनों एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे और सो गये। मछली जंबील में तड़पी और जंबील से निकल कर दरिया में चली गयी और जिस जगह पानी में मछली गिरी थी, खुदा ने वहां के पानी का बहाव रोक दिया और उस जगह पानी के अन्दर ताल बन गया और मछली के लिए वहां पर एक सुरंग सी बन गयी। मूसा अलैहिस्सलाम और वह जवान सोकर उठे और यह कैफ़ियत देखी तो हैरान रह गये और इसके बाद वे दोनों रवाना हो गये और दिन के बाकी हिस्से में और रात भर चलते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम का साथी उन से मछली के निकल जाने का जिक्र करना भूल गया था। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नवजवान से सुबह का खाना तलब किया और कहा कि

इस सफर में हम को सख्त तकलीफ हुई है (यानी हम थक गये हैं) हमारा खाना लाओ, ताकि खाना खा कर ताज़ा दम हो लें। हालांकि वाक़िआ यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह तक बिल्कुल न थके थे, जहां उन को जाने का हुक्म मिला था और उससे आगे अढ़कर उन पर थकान हो गयी थी। यूशज़ ने कहा कि जब हम पत्थर के पास ठहरे थे, तो आप से मैं मछली का ज़िक्र करना भूल गया था और शैतान ही ने मुझे इस का ज़िक्र करने से भुला दिया। वहां मछली जंबील से निकल कर चली गयी और दरिया में उसने अजीब तरीके से अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसी जगह की तो तलाश में थे। चुनांचे दोनों कदम के निशानों पर चल कर वापस हुए और पत्थर पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक आदमी को देखा, जो कम्बल ओढ़े हुए था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उन से पूछा, यह तुम्हारी ज़मीन में सलाम का रिवाज़ कहां है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, बनी इस्राईल वाले मूसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हां (मैं वही मूसा हूं)। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम को खुदा ने जो इल्म दिया है, तुम उस पर कायम रहो और मैं (तुम्हारे) उस इल्म को नहीं जानता हूं और जो इल्म खुदा ने मुझे सिखाया है मैं उस पर कायम हूं, इस इल्म को तुम नहीं जानते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो इल्म खुदा ने आप को दिया है, अगर उसमें से सही तौर पर आप कुछ मुझको सिखा दें, तो मैं आप के साथ चलना कुबूल कर सकता हूं। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रह कर सब्र न कर सकोगे और जिस इल्म को नहीं जानते हो, उस पर सब्र भी क्योंकर कर सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्शाअल्लाह! आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे और किसी मामले में आप मुझको नाफ़रमान न पाएंगे। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तो जब तक मैं खुद किसी बात को न बताऊं, तुम मुझसे कुछ दर्याफ्त न करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेहतर है।

चुनांचे मूसा और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम दोनों दरिया के किनारे-किनारे रवाना हुए। एक जगह दोनों के करीब से एक नाव निकली, तो उन्होंने नाव वालों से कहा, तुम हमको सवार कर लो। नाव के आदमी ने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और दोनों को बग़ैर किराए के किशती पर बिठा लिया। उसके बाद ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने नाव के एक तख़्ते की तरफ तवज्जोह की और उसे नाव में से उखाड़ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने तो हमें बग़ैर किराए के बिठा लिया और आप ने इनकी नाव को तोड़ कर सबको डुबोने का सामान कर दिया। यह बात आपने बहुत ही अजीब की। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम से पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे साथ रह कर सब्र न कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह भूल पकड़ के काबिल नहीं। आप भूल पर मेरी पकड़ न करें और अपने साथ चलने के बारे में मुझको मुश्किलों में न डालें।

फिर नाव से उतर कर दोनों रवाना हुए। दोनों दरिया के किनारे-किनारे जा रहे थे कि

एक लड़का मिला, जो बच्चों के साथ खेल रहा था। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के का सरं पकड़ा और मरोड़ कर उखाड़ डाला और वह मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम बच्चे को मार डाला, यह बहुत ही बुरा काम किया। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम से पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ रह कर सब्र व ज़ब्त से काम न ले सकोगे। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने अब की बार सख़्ती से मूसा अलैहिस्सलाम से ये लफ़्ज कहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर इसके बाद मैं आप से कुछ पूछूं, तो आप मुझ को अपने साथ चलने से मना करके अलग कर दीजिएगा। आप ने तो मेरे उज़्र को कुबूल करने में इतिहा कर दी हैं।

इसके बाद दोनों फिर खाना हुए और एक गांव में पहुंचे। गांव वालों से खाना तलब किया। गांव वालों ने मेहमानदारी से इन्कार कर दिया। वहां दोनों को एक दीवार दिखायी दी जो झुकी हुई थी और गिरने के करीब थी। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर कहा, हम ऐसे लोगों के पास आए कि जिन्होंने हमारी मेहमानी नहीं की और हमें खाना नहीं खिलाया। अगर आप चाहते तो उनसे दीवार ठीक करने का मुआवज़ा तो ले सकते थे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब यहीं से मेरे और तुम्हारे दर्मियान जुदाई है। मैं उन तमाम बातों से तुम को आगाह किये देता हूं, जिन पर तुम से सब्र न हो सका।

वह नाव गरीब लोगों की थी और उस नाव पर उन गरीब लोगों का गुज़ारा था, तो उस नाव को ऐबदार इस लिए बना दिया कि आगे एक ज़ालिम बादशाह था, जो हर अच्छी और नयी नाव को छीन लेता था और इस ख़राबी को देख कर इस नाव को नहीं लेगा और उस लड़के को इस लिए मार दिया कि वह लड़का काफ़िर था और उसके मां-बाप नेक थे और उस लड़के के बदले में अल्लाह तआला उनको नेक लड़की देगा और इस मकान को इस लिए सीधा कर दिया कि यह मकान यतीम बच्चों का था और इस मकान की दीवारों में एक खज़ाना था। अगर यह मकान गिर जाता तो उन यतीम बच्चों का माल दूसरे लोग ले जाते (यि वह राज़ थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से बाहर थे।)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह वाकिआ बयान कर के फ़रमाया, अल्लाह तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फ़रमाए। अगर उन्होंने और सब्र किया होता तो उन की कुछ और ख़बरें हम को मालूम हो जातीं। मूसा और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जब नाव पर जा रहे थे, तो एक चिड़िया नाव के एक किनारे पर आकर बैठ गयी थी और दरिया में से अपनी चोंच में पानी भर लिया। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने यह देख कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मेरे और तुम्हारे इल्म ने खुदा के इल्म में से इतनी भी कमी नहीं की, जितनी कि इस चिड़िया ने दरिया में से एक चोंच भर पानी उठा कर दरिया में कमी की है।

- हवाला-** 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 140, हदीस न० 701, बाब 332, किताबुल फ़जाइल,
2. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 42, हदीस न० 199, इल्म का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 208, हदीस न० 1007, सूः कहफ़ की तफ़सीर में।
4. तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 108, सूः कहफ़ के नवें रूकूअ की तफ़सीर में।

आपने जो हदीस पढ़ी, इसी तरह का मज़मून कुछ कमी व बेशी के साथ कुरआन शरीफ में भी मौजूद है, जिसका हवाला हम देते हैं-

कुरआन शरीफ, पारा न० 15, सूः कहफ़ का नवां, दसवां रूकूअ, आयत न० 60 से आयत न० 82 तक।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! जो इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को था, वह इल्म ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को नहीं था और जो इल्म ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को था, वह इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था और मख़लूक का इल्म अल्लाह तआला के इल्म के सामने दरिया में से एक चिड़िया के चोंच भरने की मिक़दार से भी कम है।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया-

बनी इस्राईल नंगे नहाया करते थे, एक दूसरे की तरफ़ देखते जाते थे और मूसा अलैहिस्सलाम तंहा गुस्ल किया करते थे, तो बनी इस्राईल ने कहा कि वल्लाह! मूसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों के साथ गुस्ल करने से सिवाए इसके कुछ रोक नहीं है कि वह फ़त्क (यानी फ़ोता बढ़ने की बीमारी) में मुब्तला हैं। इत्तिफ़ाक़ से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे, और लिबास पत्थर पर रख दिया, वह पत्थर उनका कपड़ा ले कर भागा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे यह कहते हुए भागे कि ऐ पत्थर! मेरे कपड़े दे दे, यहां तक कि बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ देख लिया और कहा कि वल्लाह! मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी बीमारी नहीं है और (पत्थर ठहर गया)। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा ले लिया और पत्थर को मारने लगे। हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि खुदा की क़सम! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार से उस पत्थर पर छः या सात निशान (अब तक) बाकी हैं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 76, हदीस न० 267, गुस्ल का बयान।

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 56, हदीस न० 289, बाब 121, गुस्त का बयान।
3. तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 234, हदीस 1078, सूर: अहज़ाब की तफ़्सीर में।

ऐ अजीज दोस्त मेरे ! अगर मूसा अलैहिस्सलाम को इल्मे ग़ैब होता तो हर गिज़ हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास इल्म सीखने के लिए न जाते और न उस पत्थर पर कपड़े रखते, मगर बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिये जिन्नों का इल्मे ग़ैब ?

कुरआन शरीफ के बाईसवें पारे में, सूर: सबा के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 14, में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा जब हम ने उन पर मौत का हुकम जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने उनके मरने का पता न बताया, मगर घुन (एक किस्म का कीड़ा होता है, जो लकड़ी को खा जाता है) के कीड़े ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा (डंडे) को खा लिया। जब वह गिर पड़े, तब जिन्नों को हकीकत मालूम हुई कि अगर वह ग़ैब जानते होते, तो वे इस ज़िल्लत की मुसीबत में न फंसे रहते।

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का बयान हो रहा है और यह भी कि जो जिन्न उनके फ़रमान के मुताबिक काम-काज़ कर रहे थे, उन्हें उन की मौत की ख़बर कैसे मालूम हुई। वह वफ़ात के बाद भी लकड़ी टेके हुए खड़े थे और ये जिन्न उनको जिंदा समझते हुए अपने सख्त से सख्त कामों में लगे हुए थे।

मुजाहिद वगैरह फ़रमाते हैं कि लगभग एक साल इसी तरह गुज़र गया। जिस लकड़ी के सहारे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, उसे जब दीमक चांट गयी और वह खोखली हो गयी, तो आप गिर गये। अब जिन्नों और इन्सानों को आप की मौत का पता चला। तब तो न सिर्फ इन्सानों को बल्कि खुद जिन्नों को भी यकीन हो गया कि उनमें से कोई भी इल्में ग़ैब नहीं जानता।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 46, सूर: सबा के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हिन्दुस्तान के कुछ जाहिल लोग इल्मे ग़ैब के लिए लड़-झगड़ रहे हैं, हालांकि इल्मे ग़ैब न फ़रिश्तों को है, न रसूलों को है, न सहाबियों को है, न इमामों को है, न मुहदिसों को है, न औलियाओं को है, न जिन्नों को है, न शैतानों को है। इल्मे ग़ैब सिवाए खुदावन्द करीम के और किसी को भी नहीं है। समझे मेरे भोले भैया !

तंबीहात

तंबीह i. कुरआन शरीफ के तीसवें पारे में सूः आला में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा हम तुम्हें पढ़वा देंगे, फिर तुम नहीं भूलोगे।

जिब्रीह अलैहिस्सलाम व्हय सुना कर फ़ारिग नहीं होते थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भूल जाने के डर से शुरू का हिस्सा दोहराने लगते थे। इसी वजह से अल्लाह तआला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह इत्मीनान दिलाया कि व्हय उतरने के वक़्त आप ख़ामोशी से सुनते रहें, हम आप को उसे पढ़वा देंगे और वह हमेशा के लिए आप को याद हो जाएंगी, इस बात का कोई अदेशा न करें कि इस का कोई लफ़ज़ भी आप भूल जाएंगे।

कुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूः कियामः के पहले रकूअ में, आयत न० 16, 17, 18, 19 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) इस व्हय को जल्दी-जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत न दें, इस को याद करवा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। इसलिए जब हम उसे पढ़ें उस वक़्त आप पढ़ने को ग़ौर से सुनते रहें, फिर उसका मतलब समझा देना भी हमारे ही जिम्मे है।

नुबुव्वत के शुरू के दौर में, जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम व्हय लेकर आते और सुनाते तो आप को यह अन्देशा लगा रहता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कलामे इलाही आपको सुना रहे हैं, वह ठीक-ठीक आप को याद रह सकेगा या नहीं, इस लिए आप व्हय सुनने के साथ-साथ उसे याद करने की कोशिश करने लगते थे। चुनांचे कलाम के सिलसिले को तोड़ कर आप को हिदायत फ़रमायी गयी कि आप व्हय के उतरने के वक़्त व्हय के लफ़ज़ों को याद करने की कोशिश न करें, बल्कि ग़ौर से सुनें। उसे याद करा देना और बाद में ठीक-ठीक पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। आप इत्मीनान रखें कि इस कलामे पाक का एक लफ़ज़ भी आप न भूलेंगे, न कभी उसे याद करने में ग़लती करेंगे।

कुरआन शरीफ के सोलहवें पारे में सूः ताहा के छठे रकूअ में आयत 114 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! कुरआन शरीफ पढ़ने में जल्दी न किया करो, जब तक कि आप की तरफ उस की व्हय तकमील को न पहुंचे और दुआ करो कि ऐ पालनहार! मुझे और ज़्यादा इल्म अता कर।

फ़रिश्ते की किरात चुपके से सुनिये, जब वह पढ़ चुके, फिर आप पढ़िए और मुझसे अपने

इल्म की ज्यादाती की दुआ किया कीजिए, चुनांचे आप ने दुआ की और खुदा ने कुबूल की और अल्लाह तआला ने आप को इतना इल्म दिया कि सारी मर्र्लूक में किसी को इतना इल्म न मिला और न मिलेगा।

तंबीह 2 - कुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: अ-ब-स के पहले रूकूअ में, आयत न० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुर्शरू होकर मुंह मोड़ लिया सिर्फ इसलिए कि आप के पास अन्धा आ गया। आप को क्या ख़बर, शायद वह सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए नफ़ा वर्र्खा हो और जो आदमी बे-परवाई बरतता है (दीन से) उस की तरफ तो आप तवज्जोह करते हैं, हालांकि वह न सुधरे तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं और जो खुद आप के पास दौड़ा हुआ आता है और डर रहा है, उससे आप बे-ख़ुबी बरतते हैं। (आप आइंदा) हरगिज़ ऐसा न कीजिए। कुरआन एक नसीहत की चीज़ है, सो जिस का जी चाहे, उसको कुबूल करे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बार कुरैश के सरदारों को इस्लामी तालीम दे रहे थे, और मशगूलियत के साथ उनकी तरफ मुतवज्जह थे, दिल में ख्याल था कि शायद अल्लाह तआला इन लोगों को इस्लाम नसीब करे। अचानक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु जो अन्धे थे, आपके पास आ गये। पुराने मुसलमान थे आम तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हुआ करते थे, और दीने इस्लाम के हुकम सीखा करते थे। आज भी आदत के मुताबिक आते ही सवाल कर दिये। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहा, लेकिन आप एक अहम दीनी काम में लगे हुए थे और कुरैश के सरदारों को समझा रहे थे, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ तवज्जोह न हुई, बल्कि ज़रा दिल को नागवार हुआ और पेशानी मुबारक पर बल पड़ गये। इस पर ऊपर लिखी आयतें उतरीं कि आप की बड़ी शान और ऊंचे अर्र्लूक के लायक यह बात नहीं थी कि इस अन्धे से, जो आप के दीन के शौक में दौड़ता हुआ आता है और खुदा से डरता भी है, आप उस से मुंह फेर लें और उन लोगों की तरफ ध्यान देते रहें जो सरकश और घमंडी और मगरूर हैं। इसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी इज्जत व ताज़ीम किया करते थे।

हवाला- तफ़्सीरि इब्ने कसीर, पारा 3., पृ० 15, सूर: अ-ब-स के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 3 - कुरआन करीम के दसवें पारे में, सूर: अंफाल के नवें रूकूअ में आयत न० 67-68 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - नबी के हाथ में क़ैदी नहीं चाहिए, जब तक कि मुल्क में अच्छी तरह खूरेजी

की लड़ाई न हो जाए, तुम दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का है। अल्लाह है जोरावर और बाहिकमत, अगर पहले ही से अल्लाह तआला की तरफ से बात न लिखी हुई होती, तो जो कुछ तुमने लिया है, इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सज़ा होती।

मुस्नद अहमद में लिखा है कि बद्र के कैदियों के बारे से रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशिवरा लिया कि अल्लाह तआला ने उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे दिया है, बतलाओ कि क्या इरादा है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि उनकी गरदनें उड़ा दी जाएं। आप ने उनसे मुंह फेर लिया और फिर वही फ़रमाया, अब की बार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! हमारी राय में तो आप उनकी ख़ता से दर गुज़र फ़रमा लीजिए और उन्हें फ़िदया लेकर आज़ाद कर दीजिए। अब आप के मुबारक चेहरे से ग़म के निशान जाते रहे, आम माफ़ी का एलान कर दिया और फ़िदया लेकर आज़ाद कर दिया। इसी वाक़िए पर ऊपर की आयतें उतरतीं।

हवाला- तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 20, सूः अंफ़ाल के नवें रूकूअ की तफ़सीर में।

तंबीह 4 कुरआन करीम के दसवें पारे में, सूः तौबा के छठे रूकूअ में, आयत न० 42 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा- अगर जल्द वसूल होने वाला माल व असबाब होता और हल्का-सा सफ़र होता, तो ज़रूर ये तेरे पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो यह सफ़र कठिन हो गया। अब तो ये अल्लाह की कसमें खाने लगे कि अगर हम में कुव्वत या ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकल चलते। ये अपने आपको हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह तआला इन्हें ख़ूब जानता है कि ये झूठे हैं।

जो लोग तबूक की लड़ाई में जाने से रह गये थे और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आ-आ कर अपने झूठे-झूठे बनावटी उज़र पेश करने लगे थे, उनके बारे में अल्लाह तआला इस आयते करीमा में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बा-ख़बर कर रहा है कि ये बनावटी उज़र करने वाले झूठे हैं। असल में इनमें कोई मजबूरी नहीं थी। अगर कोई आसान ग़नीमत और करीब का सफ़र होता, तो ये लालची साथ हो लेते। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 64, सूः तौबा के छठे रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के दसवें पारे में, सूः तौबा के सातवें रूकूअ में, आयत न० 43, 44, 45 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा अल्लाह तआला तुझे माफ़ करे, तूने क्यों उन्हें इजाज़त दे दी बग़ैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाते और आप झूठे लोगों को भी जान लेते। अल्लाह पर और

क्रियामत के दिन पर ईमान व यकीन रखने वाले तो माली व जानी जिहाद से रुक जाने की कभी भी तुझ से इजाजत नहीं मांगेंगे, अल्लाह तआला परहेजगारों को खूब जानता है। यह इजाजत तुझ से वहीं मांगते हैं, जिन्हें तो अल्लाह तआला पर ईमान है और न क्रियामत के दिन पर ईमान व यकीन है। उन के दिल शक में पड़े हुए हैं और वे अपने शक ही में घूम रहे हैं।

सुब्हानल्लाह ! अल्लाह तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कैसी प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सख्त बात सुनाने से पहले ही माफी का एलान सुनाया जा रहा है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अगर उन्हें जाहिरी तमीज़ हो जाती, इताअत गुज़ार होते, तो हाज़िर हो जाते। नाफ़रमान बावजूद इजाजत न मिलने के भी न निकलते, क्योंकि उन्होंने तो तै कर लिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहें या न कहें, हम तो जिहाद में जाने वाले नहीं। इसी लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद की आयत में फ़रमाया कि यह मुम्किन ही नहीं कि सच्चे ईमानदार लोग अल्लाह की राह में जिहाद से रुकने की इजाजत आप से तलब करें। वे तो जिहाद को अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का ज़रिया मान कर अपनी जान व माल के फ़िदा करने के आरज़ूमन्द रहते हैं, अल्लाह तआला भी उस तक्वे वाली जमाअत को खूब अच्छी तरह जानता है। ये बग़ैर-उज़र शर्ई बहाने बना कर जिहाद से रुक जाने की इजाजत तलब करने वाले तो बे-ईमान लोग हैं, जिन्हें आख़िरत के घर के बदले की कोई उम्मीद ही नहीं, इन के दिल आज तक तेरी शरीअत से शक व शुबहा ही में हैं, ये हैरान व परेशान हैं, एक क़दम इनका आगे बढ़ता है, तो दूसरा पीछे हटता है। इन में साबित क़दमी और जमाव नहीं, ये हलाक होने वाले हैं, ये न इधर हैं, न उधर, ये खुदा के गुमराह किये हुए हैं, तू इनके संवारने का कोई रास्ता न पायेगा।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 65, सूः तौबा के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 5 - कुरआन करीम के दसवें पारे में सूः तौबा के दसवें रूकूअ में, आयत न० 80, में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या न करें, अगर आप सत्तर मर्तबा भी उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, तब भी अल्लाह तआला हर गिज़ उन्हें नहीं बख़्शेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कुफ़्र किया है, ऐसे फ़ासिक लोगों को अल्लाह तआला हिदायत नहीं देता।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबई (मुनाफ़िक) जब मर गया, तो उसका बेटा रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा कि आप मुझे अपना मुबारक कुरता दे दीजिए और उसके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। पस आपने उनको अपना मुबारक कुरता दे दिया और फ़रमाया कि जब

जनाज़ा तैयार हो जाए तो मुझे इत्तिला दे देना, मैं उसकी नमाज़ पढ़ा दूंगा। चुनांचे उन्होंने आपको इत्तिला दी। पस जब आपने चाहा कि उस की नमाज़ पढ़ें, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हटा लिया और अर्ज किया कि क्या मुनाफ़िकों पर नमाज़ पढ़ने से अल्लाह तआला ने आप को मना नहीं फ़रमाया? आपने फ़रमाया, मुझे दोनों बातों का अख़्तियार दिया गया है, पस आपने उसकी नमाज़ पढ़ी।

- हवाला-** 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 282, हदीस 1177, जनाज़े की नमाज़ का बयान।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 217, हदीस 1037, बाब 485, मुनाफ़िकों के हुक्म,

तफ़सीरे इब्ने कसीर में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप का दामन थाम लिया, और अर्ज किया, हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आप उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएंगे, हालांकि अल्लाह ने उससे मना फ़रमाया है? आपने फ़रमाया, सुनो! अल्लाह तआला ने मुझे अख़्तियार दिया है। फ़रमाया है, तू उनके लिए इस्तग़फ़ार कर या न कर, अगर तू उनके लिए सत्तर बार भी इस्तग़फ़ार करेगा, तो भी अल्लाह तआला उन्हें न बख़्शेगा, तो मैं सत्तर बार से भी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह मुनाफ़िक था, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ायी, इस पर यह आयते करीमा उतरी।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 89, सूर: तौबा के ग्यारहवें रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के दसवें पारे में, सूर: तौबा के ग्यारहवें रूकूअ में, आयत न० 84 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा इनमें से कोई मर जाये तो आप उसके जनाज़े की नमाज़ हर गिज़ न पढ़िए और न उस की क़ब्र पर खड़े हुआ कीजिये। (ये लोग) अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इंकारी हैं और उसी हालत पर मरे हैं।

हुक्म होता है कि ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आप मुनाफ़िकों से बे-ताल्लुक हो जाएं, उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाज़े की नमाज़ न पढ़ें और न उसकी क़ब्र पर जा कर उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करें, इसलिए कि ये कुफ़र व फ़िस्क पर ही ज़िंदा रहे और उस पर ही मरे हैं। यह हुक्म आम है, गो इस आयत का शाने नुज़ूल खास अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के बारे में है, जो मुनाफ़िकों का सरदार था। इसके बाद आख़िरी दम तक न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी मुनाफ़िक के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी

और न किसी मुनाफिक की क़ब्र पर आ कर दुआ की।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 89, सूः तौबा के ग्यारहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 6 - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के पास देर तक ठहरते थे और शहद पिया करते थे। मैंने और हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह मशिवरा किया कि हम दोनों में से, जिस के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाएं, तो वह यही कहे कि आप के मुंह से मगाफ़ीर (एक बदबूदार चीज़) की गंध आती है, क्या आप ने मगाफ़ीर खाया है? फिर इन दोनों में से एक के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ ले गये, तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वही बात कही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, नहीं, मैंने तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के पास शहद खाया (पिया) है और अब मैं कभी न पियूंगा। (इस पर ये आयतें उतरीं, जो नीचे लिखी जा रही हैं।)

- हवाला-**
1. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 364, हदीस न० 1592, नज़्र का बयान,
 2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 512, हदीस 3116, खुलज़ और तलाक़ का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 184, खुलज़ और तलाक़ का बयान,
 4. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 95, सूः तहरीम के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूः तहरीम के पहले रूकूअ में, आयत न० 1 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ! जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने आप के लिए हलाल कर दिया है, उस को आप क्यों हराम करते हैं, क्या आप बीवियों की रज़ामंदी हासिल करना चाहते हैं? अल्लाह तआला बख़्शने वाली और रहम करने वाला है।

तंबीह 7 - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहुद के दिन फ़रमाया कि इलाही ! सुफ़ियान पर लानत भेज, इलाही ! हारिस बिन हिशाम पर लानत भेज, इलाही ! सफ़वान बिन उमैया पर लानत भेज। (इस पर यह आयत उतरी।)

हवाला- तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 166, हदीस 863, सूः आले इम्रान की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूः आले इम्रान के तेरहवें रूकूअ में, आयत न० 128-129 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ! आप के अख्तियार में कुछ भी नहीं। खुदा चाहे तो उन की तौबा कुबूल कर ले और चाहे तो अज़ाब कर दे, क्योंकि ये ज़ालिम हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ है, सब अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहे बख़्शा दे, जिसे चाहे अज़ाब दे। अल्लाह बख़्शाने वाला मेहरबान है।

तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस की शरह, में जो ऊपर गुज़र चुकी है और इस आयत की तफ़्सीर में लिखा है कि वे तीनों मुसलमान हो गये, जिनके नाम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत भेजी थी और उनका इस्लाम अच्छा हुआ और ये तीनों साहिबान दीन के पहलवान साबित हुए।

तंबीह 8 - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से फ़रमाया, आप 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कह लीजिए, ताकि क़ियामत के दिन उस की गवाही दे सकूँ (और आप की बख़्शाश और निजात हो)। उन्होंने कहा, मुझे कुरैश ताना देंगे कि वह डर से अपने बाप-दादा के मज़हब को छोड़ कर मुसलमान हो गये। अगर यह आर न दिलवाते तो कलिमा पढ़ कर आप की आंखें ठंडी कर देता (यानी मुसलमान हो जाता) इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी, (जो नीचे दर्ज है)

- हवाला-** 1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 224, हदीस 1045, सूः कसस की तफ़्सीर में,
2. तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 2., पृ० 36, सूः कसस के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ के बीसवें पारे में, सूः कसस के छठे रूकूअ में, आयत न० 56 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू जिसे चाहे, हिदायत नहीं दे सकता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। हिदायत कुबूल करने वालों को अल्लाह ख़ूब जानता है।

ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! किसी को हिदायत पर ला खड़ा करना आप के बस की बात नहीं। आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ पैग़ामे खुदा का पहुंचा देना है, उसी को अदा करते रहिए, हिदायत का मालिक खुदा है। वह अपनी हिकमत के साथ जिसे चाहता है, हिदायत कुबूल करने की तौफ़ीक बख़्शाता है। खुदा ही के इल्म में है कि हिदायत का हकदार कौन है और गुमराही का हकदार कौन है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 35, सूः कसस के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 9 - हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब अबूतालिब की वफ़ात करीब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ लाये, पस आप ने उनके पास अबूजहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन उमैया बिन मुज़ीत को पायां हज़रत मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू तालिब से फ़रमाया कि ऐ चचा ! 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कह लो । मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां इस की गवाही दूंगा । अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कहा कि ऐ अबूतालिब! क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के तरीके से फिरे जाते हो? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बराबर उन को कलिमा शरीफ़ की दावत देते रहे और वे दोनों वही बात कहते रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने सब से आखिरी बात जो उन से की, उसमें यह कहा कि वह अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर हैं और उन्होंने 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहने से इन्कार कर दिया, (फिर वह मर गये) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हां मैं खुदा की कसम ! तुम्हारे लिए उस वक्त तक इस्तफ़ार करूंगा, जब तक मुझको अल्लाह की ओर से रोक न दिया जाए । चुनांचे आप इस्तफ़ार करने लगे, (जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी) ।

हवाला- 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 303, हदीस 1259, जनाज़े की नमाज़ का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 13, बाब 8, किताबुल ईमान ।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के चौदहवें रकूअ में, आयत न० 113 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा नबी को और ईमानदार लोगों को जायज़ ही नहीं कि मुश्रिक लोगों के लिए मग़िफ़रत की दुआ करें, अगरचे वे रिश्तेदार ही हों, जब उन्हें मालूम हो गया कि वे जहन्नमी हैं ।

तंबीह 10- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब नुबुव्वत का दावा किया और लोग धीरे-धीरे मुसलमान होने लगे, तो मक्का वालों ने आपका इम्तिहान लेने के लिए मश्वरा किया तो यह बात तै हुई कि मदीने के यहूदी आलिमों से कुछ सवाल ऐसे पूछ कर ले आओ, जिनका जवाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न दे सकें । चुनांचे कुरैशियों में से नज़्र बिन हारिस और उक़बा बिन मुज़ीत को मदीने के यहूदी उलेमा के पास भेजा गया कि तुम जाकर मुहम्मद के कुल हालात बयान करो । उनके पास अगले अंबिया का इल्म है । उनसे पूछो, उन की राय आप के बारे में क्या है? ये दानों मदीने गये । मदीने के यहूदी उलेमा से मिले । हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हालात व औसाफ़ बयान किये । आप की तालीम का जिक्र किया और कहा कि तुम को इल्म हो तो बताओ कि उनके बारे में क्या ख़्याल है? उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें एक फ़ैसला कर देने वाली बात बताते हैं, तुम जा कर उनसे तीन सवाल करो, अगर जवाब दे सकें, तो उनके सच्चे होने में कोई शक नहीं, बेशक वह खुदा के रसूल और पैग़म्बर हैं । अगर जवाब न दे सकें, तो उनके झूठा होने में भी कोई शक नहीं (फिर तुम जो चाहो, करो) उनसे पूछो कि अगले ज़माने में जो नव-जवान चले गये थे, उनका वाकिआ बयान करो, वह एक अजीब वाकिआ है और उस आदमी की हालत मालूम करो, जिस

ने सारी धरती का गश्त लगाया था, पूरब और पच्छिम हो आया था और रूह के बारे में मालूम करो। अगर वह बतला दें, तो उन्हें नबी मान कर उनकी इताअत करो। अगर न बता सकें, तो वह झूठे हैं, जो चाहो करो।

ये दोनों वहां से वापस आए और कुरैशियों से कहा, लो भाई! उन्होंने आखिरी फैसला कर देने वाली बात बतला दी है। अब चलो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सवाल करें। चुनांचे सब के सब आपके पास आए और तीनों सवाल किये। आप ने फ़रमाया, कल आओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन आप इन्शाअल्लाह कहना भूल गये। पन्द्रह दिन बीत गये, न तो आप पर व्ह्य आयी और न अल्लाह तआला की तरफ से उन बातों का जवाब मालूम कराया गया। मक्के वालों में हलचल मच गयी और कहने लगे, लीजिए साहब! कल का वायदा था और आज पन्द्रह दिन हो गये। इधर आप को दोहरा ग़म सताने लगा। एक तो कुरैशियों को जवाब न मिलने पर उनकी बातें सुनने का और दूसरा व्ह्य के बन्द हो जाने का। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरः कहफ़ लेकर नाज़िल हुए। उसमें इन्शाअल्लाह न कहने पर आप को तंबीह की गयी। उन नव-जवानों का क़िस्सा बयान किया गया और पूरब से पच्छिम तक जाने वाले का ज़िक्र किया गया।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 83, सूरः कहफ़ के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुरैशियों को जवाब देते वक़्त इन्शाअल्लाह कहना भूल गये थे, तो पन्द्रह दिन तक व्ह्य नहीं आयी थी, जिस की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जवाब न दे सके और जवाब न मिलने पर मक्का में एक शोर बरपा हो गया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़ैब का इल्म होता, तो क्यों इस क़दर हैरान व परेशान होते और इन्शाअल्लाह कहना क्यों भूल जाते, जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में, सूरः कहफ़ के चौथे रूकूअ में, आयत न० 23-24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हरगिज़, हर गिज़ किसी काम के लिए यों न कहना कि मैं इसे कल कलूंगा, मगर साथ ही इन्शाअल्लाह कह लेना।

ऊपर की इन तमाम इबारतों से यह बात साफ़ हो गयी कि खुदा के अलावा न तो किसी को अख़्तियारे कुल है और न किसी को ग़ैब का इल्म है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अख़्तियारें कुल या इल्में ग़ैब होता, तो इतनी बातें अल्लाह की तरफ से सुनने की नौबत नहीं आती। इल्मे ग़ैब का मतलब ग़ैब की बात का किसी के बताये बग़ैर खुद से जानना है और यह अल्लाह तआला की सिफ़्त है और जो ग़ैब की बात अल्लाह तआला के बताने

से मालूम हो उस को ग़ैब की इत्तिलाअ कहा जाता है। हकीकत में जितनी होने वाली बातें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बता दी हैं, वह ग़ैब न रहा, बल्कि जो बातें न बताई हों, उस को ग़ैब कहते हैं। आई बात समझ में मेरे भोले भैया के।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इल्मे ग़ैब

मेरे प्यारे दोस्त ! ज़रा समझदारी और नमी के साथ इस बाब को ख़ूब ग़ौर से पढ़ना।

आज हिन्दुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शहर या देहात होगा, जहां इल्मे ग़ैब के मस्अले पर झगड़े न होते हों। हम आपके सामने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की बातें रखते आ रहे हैं और यह भी आपको बतला चुके हैं कि फ़रिश्तों को या नबियों को या वलियों को जो कुछ ग़ैब की बातें बतायी गयीं, वह ग़ैब की इत्तिला हैं और ग़ैब का आलिम खुदा के सिवा और कोई भी नहीं है। हमारा अकीदा और ईमान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तमाम ज़मीन व आसमान के रहने वालों से ज्यादा इल्म व इज़्जत अल्लाह तआला ने दी है और अल्लाह के बाद सब से बड़ी हस्ती और सब से बड़ा मर्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ही है, मगर ग़ैब का आलिम सिवाए अल्लाह तआला के और कोई भी नहीं।

कुरआन अज़ीम के नवें पारे में, सूः आराफ़ के तेईसवें रूकूअ में, आयत न० 188 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा कह दो कि अगर मैं ग़ैब जानता होता, तो मैं अपना बहुत-सा फ़ायदा कर लेता और कोई नुक़सान मुझे न पहुंचता। मैं तो सिर्फ़ डराने वाला और खुशख़बरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों को, जो ईमान लाए हैं।

अल्लाह तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कहलवा रहा है कि आप साफ़-साफ़ कह दो कि ग़ैब की किसी बात का इल्म मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ़ वही जानता हूँ जो अल्लाह तआला मुझे मालूम कराये। अगर मुझे ग़ैब की ख़बर होती, तो मैं अपने लिए बहुत भलाइयां समेट लेता।

हवाला-तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 57, सूः आराफ़ के तेईसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

ऐ मेरे दोस्त ! अब सुनिये वे हदीसें, जिन से ज़ाहिर है कि जब अल्लाह तआला ने कोई नई बात बताई तो मालूम हो गयी और जब न बताया, तो मालूम न हुआ।

हदीस-उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि

उन्होंने कहा, सबसे पहले जो वह्य अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर शुरू हुई, वे अच्छे सपने थे। पस जो सपने आप देखते थे, वह सुबह की रोशनी की मिसाल जाहिर हो जाते थे (फिर अल्लाह तआला की तरफ से) खलवत की मुहब्बत आप को दी गयी और आप हिरा के गार में खलवत फरमाया करते थे और आप वहां तहन्नूस किया करते थे (यानी कई-कई रात लगातार इबादत किया करते थे) बगैर इसके कि अपने घर वालों के पास लौट कर आएँ और आप इस लिए जादेराह (रास्ते का खर्च) लेकर जाया करते थे, (यानी खाना-पीना कुछ दिनों का साथ ले जाते थे) फिर जब वह खत्म हो जाता, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लौट कर आते थे और उसी क्रम में फिर जादेराह (रास्ते का खर्च) ले जाते, यहां तक कि आप के पास वह्य आ गयी और आप गारे हिरा में थे यानी अल्लाह की तरफ से आप के पास फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने आप से कहा, पढ़ो। आप ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि फिर फरिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जोर से दबाया यहां तक कि मुझे तकलीफ हुई फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे फिर पकड़ लिया और तीसरी बार भी मुझे जोर से दबाया, फिर मुझ से कहा-

‘इकरअ बिस्मि रब्बि-क’ (अपने परवरदिगार के नाम की बरकत से पढ़ो, जिस ने हर चीज़ को पैदा किया, इन्सान को जमे हुए खून से पैदा किया और यकीन कर लो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बुर्जुग है।’)

पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दिल इस वाकिए की वजह से हिलने लगा और आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और घर वालों से कहा कि मुझे कम्बल उढ़ा दो। उन लोगों ने आप को कम्बल उढ़ा दिया, यहां तक कि जब आप के दिल से खौफ जाता रहा, तो आप ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से सब हाल, जो गारे हिरा में गुज़रा था, बयान कर के फरमाया, बिला शुबहा, मुझे अपनी जान का खौफ है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा बोलीं कि आपको इस किस्म का ख्याल हर गिज़ न करना चाहिए। खुदा की कसम! अल्लाह तआला आप को कभी परेशान नहीं करेगा। यकीनन आप रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं और खुदा की राह में मदद करते हैं। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप को ले चलीं और वरका बिन नौफुल, (अपने चचा के बेटे) के पास लायीं। यह वह आदमी था, जो जाहिलियत के दिनों में ईसाई हो गया था और इब्रानी किताब लिखा करता था। जिस क्रम में अल्लाह को मंजूर होता था, इन्जील को इब्रानी में लिखा करता था और बड़ा-बूढ़ा आदमी था कि आंखों की रोशनी जा चुकी थी, तो उससे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि ऐ मेरे भाई! अपने भतीजे (नबी सल्ल०) से उन का हाल सुनो, वरका बोले, ऐ मेरे भतीजे! तुम क्या देखते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ देखा था, उन से बयान कर दिया, तो वरका

ने आप से कहा कि यह वह फ़रिश्ता है, जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। ऐ काश ! मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता, जब कि आप की क़ौम आप को (मक्का से) निकालेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से फ़रमाया कि क्या लोग मुझे निकालेंगे? वरका ने कहा, हां। जिस आदमी ने आप जैसी बात बयान की, उससे हमेशा दुश्मनी की गयी है और अगर मुझे आप की नुबुव्वत का ज़माना मिल गया तो मैं बहुत ज़ोरदार आपकी मदद करूंगा, मगर कुछ ही दिनों में वरका की वफ़ात हो गयी और वह्य का आना कुछ दिनों के लिए बन्द हो गया।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 1, हदीस 3, वह्य का बयान।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूरा मुद्त्सिर के पहले रकूअ में, आयत न० 1, 2, 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले ! खड़े हो जा और अग्गाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाई बयान कर।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त ! ये थीं नुबुव्वत के वक़्त की परेशानियां। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता तो क्यों कपड़ा ओढ़ते, क्यों घर में छिपते, क्यों आप को दहशत मालूम होती, क्यों आप वरका का मश्वरा लेते, क्यों आप फ़रिश्ते से डरते, ये सारी बातें इल्मे ग़ैब न होने की वजह से थीं। अब आइए, नुबुव्वत मिलने के बाद की हदीसों सुनाऊं। ख़ूब गौर से सुन लो और याद भी रखो, फिर अपने इमान को तराजू से तोलना कि सही है या नहीं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिस ज़माने में मौता की लड़ाई हो रही थी, इस ज़माने में (एक दिन) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (हम लोगों से) फ़रमाया कि इस वक़्त ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा लिया और शहीद कर दिये गये, फिर जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा लिया और वह शहीद कर दिए गये अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झंडा लिया और वह शहीद कर दिये गये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखें उस वक़्त आंसुओं की ज़्यादती से बह रही थीं, फिर ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बग़ैर सरदारी के झंडा लिया और उनके हाथों पर लड़ाई फ़त्ह हो गयी।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 278, हदीस 1156, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

ऐ मेरे अज़ीज़ ! इस को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब कि सेंकड़ों मील पर लड़ाई हो रही है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीने में बैठे-बैठे ख़बर दे रहे हैं। अब सुनिये बे-ख़बरी की हदीस !

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम अस्फ़ान से लौटते

वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे और रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार थे और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत हुय्यि को आप ने पीछे बिठा लिया था। फिर आप की ऊंटनी का पैर फिसल गया तो आप दोनों (ऊंटनी पर से) गिर पड़े। पस हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से (अपने ऊंट पर से) कूद पड़े और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! अल्लाह आप पर मुझे फ़िदा करे। (कहीं आप को चोट तो नहीं लगी)। आप ने फ़रमाया, तुम औरत की ख़बर लो, पस हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल लिया और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये और उन पर चादर डाल दी और सवारी को दुरुस्त किया, फिर दोनों सवार हो गये।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 89, हदीस न० 324, किताबुल जिहाद।

मेरे अजीज़ दोस्त ! यह सोचने की जगह है, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता तो ऊंटनी के फिसलने से पहले ही आप उतर जाते या कम से कम ऊंटनी का पैर फिसलने से पहले ऊंटनी को संभाल लेते या उसका पैर फिसलने ही न देते, मगर मेरे अजीज़! इल्मे ग़ैब सिवाए खुदा के और किसी को भी नहीं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, जब सूरज ढल गया, बाहर तशरीफ लाये और आप ने जुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर आप मिम्बर पर खड़े हो गये और आपने क़ियामत का ज़िक्र फ़रमाया और बयान फ़रमाया कि उस में बड़े-बड़े हादसे होंगे, इस के बाद आपने फ़रमाया, जो आदमी कुछ पूछना चाहे, पूछे। तुम मुझ से जो बात पूछोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, जब तक मैं अपनी इस जगह पर हूँ, तो लोगों ने रोने की कसरत की और आप ने इस कौल की कसरत की कि मुझसे पूछो। फिर अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि मेरा बाप कौन है? आप ने फ़रमाया, तेरा बाप हुज़ैफा है। फिर आप बार-बार फ़रमाने लगे कि मुझसे पूछो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घुटनों के बल बैठ गये और कहने लगे कि हम अल्लाह से राज़ी हैं, जो हमारा परवरदिगार हैं और इस्लाम से जो हमारा दीन है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो हमारे नबी हैं, पस आप ख़ामोश हो गये। इस के बाद फ़रमाया कि जन्नत और दोज़ख मेरे सामने अभी इस दीवार के कोने में पेश की गयी है। ऐसी उम्दा चीज़ (जैसी जन्नत है) और ऐसी बुरी चीज़ (जैसी जहन्नम है) कभी नहीं देखी।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 134, हदीस 505, नमाज़ का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो पूछना है, पूछो, लेकिन साथ ही साथ यह भी फ़रमा दिया कि जब तक मैं यहां पर हूँ यानी इस जगह पर खड़ा हूँ, उस वक्त तक जो पूछना चाहो पूछ लो। इसी का नाम इत्तिला अलल ग़ैब है, क्योंकि ऐसा नहीं फ़रमाया कि जब चाहो तब पूछ लो। अब सुनिए दूसरी हदीस।

हदीस - हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम एक लड़ाई में थे। मैंने अब्दुल्लाह बिन उबई को अपने कानों से यह कहते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों को खर्चा और ख़ैरात न दो, यहां तक कि वे उनका साथ छोड़ दें और देखो चलने दो। इज़्ज़त वाला ज़लील को निकाल देगा (यानी हम इन्हें मदीने से निकाल देंगे)। मैंने यह बात अपने चचा या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दी। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कह दी। आपने मुझे बुलाया। मैंने जो बात सुनी थी, कह दी। फिर आप ने अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके साथियों के पास आदमी भेजा (कि पूछो उस ने ऐसा कहा या नहीं।) उन्होंने हलफ़ उठा लिया (यानी कसमें खाने लगे) और इन्कार कर दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे झूठा कहा और उन की बात को सच माना। मुझे ऐसा रंज हुआ कि कभी न हुआ था। मैं अपने घर में बैठ रहा। मेरे चचा ने मुझसे पूछा कि क्या वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझे झूठा करार दिया और तुझ पर गुस्सा हो गये। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह आयत शरीफ़ा नाज़िल हुई, (यानी सूर: मुनाफ़िकून) तो आप ने मुझे बुलवाया और वह आयत सुनायी और फ़रमाया, ऐ ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु! अल्लाह ने तेरी तसदीक़ की, तू सच्चा है।

- हवाला-**
1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 617, हदीस 2003, सूर: मुनाफ़िकून की तफ़सीर में।
 2. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 262, हदीस 1165, सूर: मुनाफ़िकून की तफ़सीर में,
 3. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 73, सूर: मुनाफ़िकून के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के अठारहसवें पारे में, सूर: मुनाफ़िकून के पहले रूकूअ में, आयत 1, 2 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- तेरे पास जब मुनाफ़िक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के कायल हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता है कि यकीनन तू उसका रसूल है। अल्लाह तआला गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। पस अल्लाह की राह से रुक गये। बेशक बुरा है वह काम जो ये कर रहे हैं।

इसी सूर: में इसी रूकूअ की आयतें न० 7 व न० 8 में अल्लाह तआला और ज़्यादा खुलासा करते हुए इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा यही वे हैं, जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हैं, उन्हें कुछ न दो, यहां तक कि वे इधर-उधर चले जाएं। आसमान व ज़मीन के कुल खज़ाने अल्लाह ही की मिल्कियत हैं, लेकिन ये मुनाफ़िक, बे-समझ हैं ये कहते हैं कि अगर हम लोग लौट कर मदीना जाएंगे तो हर इज़्ज़त वाला वहां से ज़िल्लत वाले को निकाल

देगा। सुनो! इज्जत तो सिर्फ अल्लाह तआला के लिए है और उसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये मुनाफ़िक बेइल्म हैं।

देखा मेरे अजीज़ दोस्त! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को झूठलाया, हालांकि वे सच्चे थे और मुनाफ़िकों की बातों को सच मान लिया, हालांकि वे झूठे थे। यह सब क्यों हुआ, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्में ग़ैब नहीं था। अगर होता तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझते? हर गिज़ नहीं! यह नहीं हो सकता कि एक बात जानते हुए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम झूठों की तस्दीक करें, मगर बात यह थी कि मुनाफ़िकों की कसमों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यकीन व एतबार आ गया कि ये लोग झूठे नहीं हैं, इसलिए उन मुनाफ़िकों की बात सच मान ली, तो उसी वक़्त अल्लाह तआला ने वह्य नाज़िल फ़रमायी और मुनाफ़िकों का झूठ और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्चाई की अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इतला दी और इसी को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब। आयी बात समझ में? या और आयतें और हदीसों सुनाऊं मेरे भैया को?

हदीस- हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ी, बाद में मिनबर पर बैठ गये और नमाज़ के और हकूअ के बारे में फ़रमाया कि मैं यकीनन तुम्हें पीछे से भी ऐसा ही देखता हूँ, जैसा तुम्हें (आगे से) मैं देखता हूँ।

- हवाला-**
1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 109, हदीस 401, किताबुस्सलात,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 71, हदीस 379, बाब 163, नमाज़ का बयान।
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 215, हदीस 1013, सफ़ों को बराबर करने का बयान।

इस हदीस से भी इल्में ग़ैब साबित नहीं होता, बल्कि एक ख़ास कश्फ़ है, जिसका बयान हम ऊपर कर चुके हैं। अब देखिए दूसरी हदीस ऊपर वाली हदीस के जवाब में।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गया और मैंने कहा कि आप मुझ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीमारी की कैफ़ियत नहीं बयान करतीं। उन्होंने कहा, अच्छा, (सुनो, बात कहती हूँ।) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीमार हुए, फिर आप ने फ़रमाया कि मेरे लिए तश्त में पानी रख दो, (मैं नहाऊंगा)। हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हम लोगों ने ऐसा ही किया। पस आप ने गुस्ल फ़रमाया, फिर खड़ा होना चाहा, मगर आप बेहोश हो गये। इस के बाद होश आया, तो फिर फ़रमाया कि लोग नमाज़ पढ़ चुके? इसी तरह तीन मर्तबा फ़रमाया। (मुख़्तसर)

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 162, हदीस 642, अज्ञान का बयान।

यह हदीस बहुत बड़ी है। हम ने सिर्फ इस हदीस का मज़मून समझाने की गरज से मुख्तसर लिखी है। हम को यह बताना था कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो बार-बार क्यों पूछते कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है या नहीं?

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते थे, जो मुझे इल्म है, वह तुम्हें होता, तो तुम बहुत ही कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते।

हवाला - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 322, हदीस 1401, रिकाक का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 38, हदीस 175, जिहाद का बयान।

इस में कोई शक नहीं कि जो इल्म व इज़्ज़त अल्लाह तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दी है, वह किसी इन्सान को तो क्या किसी फ़रिश्ते को भी नसीब नहीं है, मगर इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आलिमुलग़ैब समझना जहालत है।

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूर: निसा के सतरहवें रूकूअ में, आयत न० 113 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'और तुझे वह सिखाया है, जिसे तू नहीं जानता था। अल्लाह तआला का तुझ पर बड़ा भारी फ़ज़ल है।'

'वह्य नाज़िल होने से पहले आप जो न जानते थे, उसका इल्म परवरदिगार ने आप को बज़रिया वह्य करा दिया।'

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 100, सूर: निसा के सतरहवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मरज़े वफ़ात में बार-बार पूछा करते थे, मैं आज कहां रहूंगा, मैं कल कहां रहूंगा, (यानी हज़रत आइशा सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी का इन्तिज़ार करते थे)। फिर जब मेरा दिन आया तो अल्लाह ने आप को मेरे पहलू और सीने के दर्मियान में कब्ज फ़रमाया (यानी आप का इन्तिकाल हुआ) और मेरे ही घर में दफ़न किये गये।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 313, हदीस 1288, नमाज़ का बयान।

अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो क्यों पूछते? क्या एक बेहतरीन हस्ती जो सारी दुनिया व जहान के लिए सच्चाई व दयानत का मुजस्समा और रहमत का पैकर बनाकर भेजी गयी हो, वह जानने के बावजूद न जानना ज़ाहिर करती और ख़बर होते हुए भी बार-बार पूछेगी कि कल मैं कहां रहूंगा? यह खुला झूठ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक पर एक किस्म का बोहतान है। मुसलमानों को ऐसे लफ़्ज

कहने से रुक जाना चाहिए।

हदीस- हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं कि मैं ईदगाह में थी, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा कि आप ने (औरतों से) फ़रमाया कि तुम लोग सद्का दो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा (अपना माल अपने शौहर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और उन यतीम बच्चों पर, जो उनकी तर्बियत में थे, खर्च किया करती थीं, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम करो कि मेरे लिए यह काफी है कि मैं (अपना माल) तुम पर और अपनी तर्बियत में पल रहे यतीमों पर खर्च करूं, तो उन्होंने कहा, तुम ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछो। चुनांचे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास गयी, तो मैंने दरवाजे पर एक अन्सारिया औरत को देखा कि वह भी मेरी जैसी ज़रूरत से आयी थी। पस हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पास से निकले तो हमने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम करो कि क्या मेरे लिए यह काफी है कि मैं (अपना माल) अपने शौहर और यतीम बच्चों पर, जो मेरी तर्बियत में हैं, खर्च करूं? और हमने (हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से) कह दिया कि तुम हमारी खबर न करना कि फ़ला-फ़लां औरतें हैं। (मगर जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप से जाकर यह पूछा) तो आप ने फ़रमाया, ये दोनों औरतें कौन-कौन सी हैं? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। आप ने पूछा कि कौन-सी ज़ैनब? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी। आप ने फ़रमाया, हां (काफी है) बल्कि उसको दोहरा सवाब मिलेगा। कराबत का हक अदा करने का सवाब और ख़ैरात देने का सवाब।

- हवाला-** 1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 332, हदीस 1361, किताबुज्ज़कात,
2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 162, हदीस 1006, बाब 288, किताबुज्ज़कात।

मेरे प्यारे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो क्यों पूछते कि कौन-सी औरत और कौन-सी ज़ैनब ? क्या नबी और रसूल इसी लिए दुनिया में भेजे जाते हैं कि एक बात को जानते हुए भी ला-इल्मी ज़ाहिर करें। यह किसी तरह से भी सही नहीं है, फिर यह कैसे हो सकता है कि जानने के बावजूद आप पूछें कि कौन-सी औरत और कौन-सी ज़ैनब ? मगर बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़ैब का इल्म नहीं था।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक हब्शी मर्द या हब्शी औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी। जब वह मर गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके बारे में लोगों से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह तो मर गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम ने मुझे ख़बर क्यों न दी? (अच्छा अब)

मुझे उसकी कब्र बता दो। चुनांचे लोगों ने कब्र बतायी, फिर आपने उस पर नमाज़ (जनाज़ा) पढ़ी।

- हवाला-**
1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 118, हदीस 436, किताबुस्सलात,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 292, हदीस 1564, जनाजे का बयान,
 3. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 47।

हदीस - हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत अबी तालिब कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास (फत्हे मक्का) के साल गयी, तो मैंने आपको गुस्ल करते हुए पाया और आप की बेटी हज़रत फ़ातमा ज़ोहरा रज़ियल्ललाहु अन्हा आप पर परदा किए हुए थीं, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने आपको सलाम किया, तो आपने फ़रमाया कि यह कौन है? मैंने अर्ज किया कि मैं हूँ उम्मे हानी बिनत अबी तालिब। आपने फ़रमाया, मरहबा उम्मे हानी।

- हवाला-**
1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 96, हदीस 343, किताबुस्सलात,
 2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 116, हदीस 699, बाब 243, मुसाफिर की नमाज़ का बयान,
 3. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 117, हदीस 593, अब-वाबुल आदाब,
 4. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 606, हदीस न० 3777, अमन का बयान,
 5. मजाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 425, अमन का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! अगर अल्लाह तआला कोई बात बतलाना न चाहे, तो दीवार और पर्दे के पीछे की बात तो क्या, बल्कि पैर के नीचे क्या चीज़ है और सर के ऊपर क्या हो रहा है, इस की भी ख़बर नहीं हो सकती, क्योंकि आलिमुल ग़ैब सिवाए खुदा के कोई भी नहीं और यही तमाम सलफ़े सालिहीन और जम्हूर उलेमा-ए-उम्मत का अकीदा है, जिस का बयान इन्शाअल्लाह आगे आएगा और अगर अल्लाह तआला कोई बात बतलाना चाहता है, तो सातवीं ज़मीन के नीचे और सातों आसमान के ऊपर क्या हैं और क्या हो रहा है, वह भी मालूम हो जाता है, इसी को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब और इल्मे ग़ैब सिवाए खुदा के और किसी को नहीं है।

अब दिल लगा कर ग़ौर से सुनो। कुछ आयतें और कुछ हदीसें सुनाता हूँ मेरे भैया को।

कुरआन करीम के बीसवें पारे में, सूर: नम्ल के पांचवें रूक़अ में, आयत न० 65 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- आप कह दीजिए कि जितनी मरख़्लूक़ात आसमानों और ज़मीन में मौजूद हैं, कोई भी ग़ैब की बात नहीं जानता सिवाए खुदा के।

सुनो, खुदाई फ़ैसला हो चुका है कि आसमान और ज़मीन की तमाम मख़्लूक ग़ैब से बे-ख़बर है।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 2, सूः नम्ल के पांचवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस- हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जो कोई तुम से कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इल्म ग़ैब जानते थे, तो वह झुठा है। (यह कह कर इसी आयत की तिलावत की, जो ऊपर लिखी है।) (मुख़्तसर)

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 537, हदीस 2233, तौहिद का बयान।

2. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 184, हदीस न० 926, सूः अन-आम की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत ख़ालिद बिन ज़क़वान, रुबय्यिअ बिनत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि रुबय्यिअ कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास उस सुबह को जो शबे जुफ़ाफ़ थी, तशरीफ़ लाये और मेरे पास जैसे तू बैठा है, उसी तरह बैठ गये और लड़कियां दफ़ बजाकर मर्सिए अपने बापों, बद्र में मारे गये लोगों के पढ़ रही थीं, यहां तक कि एक लड़की ने उनमें से यह कहा, हम में ऐसे नबी हैं, जो जानते हैं कि कल क्या होगा। आप ने फ़रमाया, इस तरह मत कहो, वही कहो जो तुम (पहले) कह रही थीं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 300, हदीस 1167, किताबुल मगाज़ी,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 494, हदीस 2984, किताबुन्निकाह,

3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 31, पृ० 569, हदीस 1491, बाब 474।

इस हदीस में लड़कियों ने इशारा ग़ैब का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लड़कियों को ऐसा कहने से रोक दिया, क्योंकि यह बात आप को नागवार मालूम हुई (यानी पसन्द नहीं आयी) इसलिए कि ग़ैब कोई नहीं जानता, सिवाए अल्लाह के, मगर जो कुछ अल्लाह तआला चाहता है, मालूम करा देता है, अपने रसूलों को ग़ैब की बातों में से।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 126, निकाह का बयान

मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत, न तो कुरआन करीम की आयतों को मानते हैं और न तो हदीसों को और न फ़ुकहा-ए-किराम की किताबों को। अगर मानते हैं तो सिर्फ़ नफ़्स परस्तों की बातें को।

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूः हूद के तीसरे रूकूअ में, आयत न० 31 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - और मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के (तमाम) ख़जाने हैं और

न मैं ग़ैब की बातों को जानता हूँ।

आप फ़रमाते हैं कि मैं सिर्फ़ रसूल हूँ, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत और तौहीद की तरफ़ उसके फ़रमान के मुताबिक़ तुम सब को बुलाता हूँ। इससे मेरी मुराद तुम से माल समेटना नहीं है। हर बड़े-छोटे के लिए मेरी दावत आम है। जो कुबूल करेगा, निजात पाएगा। खुदा के ख़जाने के हेर-फेर करने की मुझ में कुदरत नहीं और ग़ैब भी नहीं जानता, मगर जो बात मुझे अल्लाह मालूम करा दे, वह मालूम हो जाती है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ 12, सूः हूद के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त ! इल्मे ग़ैब की यही हालत है, जितना अल्लाह तआला बतलाना चाहता है, वह बतला देता है, इस को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब, मगर आलिमुल ग़ैब खुदा के सिवा कोई भी नहीं है।

कुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूः आले इम्रान के अठारहवें रूकूअ में आयत 179 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और न खुदा ऐसा है कि तुम्हें ग़ैब से आगाह कर दे, मगर अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे पसन्द कर लेता है।

खुदा का फ़रमान है कि ग़ैब को तुम नहीं जान सकते। हां, वह ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि मोमिन और मुनाफ़िक़ में साफ़ फ़र्क हो जाए, लेकिन अल्लाह तआला अपने रसूलों में से, जिसे चाहे पसन्द कर लेता है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 54, सूः आले इम्रान के अठारहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

इस आयते शरीफ़ा से कुल इल्मे ग़ैब साबित नहीं होता, बल्कि जितना अल्लाह चाहे, उस की इत्तिला कर देता है।

कुरआन मज़ीद के उन्तीसवें पारे में, सूः जिन्न के दूसरे रूकूअ में, आयत 26, 27 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - वह ग़ैब का जानने वाला है और अपने ग़ैब पर किसी को ख़बरदार नहीं करता सिवाए उस पैग़म्बर के, जिसे वह पसन्द कर ले, लेकिन उसके भी आगे-पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है।

इस आयते करीमा में दलील है इस बात की कि अक्सर जाहिलों में यह जो मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़मीन के अन्दर की चीज़ों का भी इल्म रखते थे, वह बिल्कुल ग़लत है। इस रिवायत की कोई असल नहीं सिर्फ़ झूठ है और बिल्कुल बे-असल है। हम ने तो इसे किसी किताब में नहीं देखा, हां, इस के खिलाफ़ साफ़ साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ियामत के क़ायम होने का वक़्त पूछा जाता है और आप उसके ठीक

वक्त से ला-इल्मी जाहिर करते हैं। एक ऐराबी की शकल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी आ कर जब क़ियामत के बारे में सवाल किया था, तो आप ने साफ़ फ़रमा दिया कि इस का इल्म न पूछने वाले को है और न उसे है जिस से पूछा जाता है।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 50, सूः जिन्न के दूसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के नवें पारे में, सूः आराफ़ के तेइसवें रकूअ में, आयत न० 187 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- तुझ से क़ियामत के बारे में सवाल करते हैं कि उस का कायम होना कब है? तू जवाब दे कि इस का इल्म तो सिर्फ़ मेरे परवरदिगार के पास ही है। वही इस के मुकर्ररा वक्त पर जाहिर कर देगा, वह तो ज़मीन व आसमान में बोझ हो रही है। वह तुम्हारे पास अचानक ही आ जाएगी। इस तरह तुझ से पूछ रहे हैं कि गोया तू उसको जानता है। साफ़-साफ़ कह दे कि उस का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।

हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जब ऐराबी की शकल में यानी (दिहाती इन्सान) की शकल में मसाइल की तलब में आप के पास बैठकर आप से क़ियामत के बारे में पूछने लगे, तो आप ने साफ़ जवाब दिया कि इस का इल्म न तुझे है, न मुझे है।

- हवाला-**
1. सही बुख़री शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 18, हदीस 48, किताबुलईमान,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 5, हदीस 1, बाब 1, किताबुल ईमान,
 3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 95, हदीस 471, अब-वाबुल ईमान,
 4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 608, हदीस 4039, किताबुल फ़ितन।

हदीस- हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों (यानी बीच वाली और शहादत की उंगली) से यों इशारा करके फ़रमाया कि मैं और क़ियामत इस तरह भेजे गये हैं।

- हवाला-**
1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 638, हदीस 2039, सूः नाज़िआत की तफ़्सीर।
 2. सही मुस्लिम, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 247, हदीस 1184, बाब 510, फ़ितनों का बयान,
 3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 18, हदीस 81, अब-वाबुल फ़ितन,
 4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 796, हदीस 5246, क़ियामत का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं और क़ियामत इस तरह आए हैं और आपने दोनों उंगलियां जोड़ कर बतलाया (यानी शहादत की उंगली और बीच की उंगली) लेकिन इसके बावजूद आपको क़ियामत का इल्म न था (कि कब आएगी)? इस के बारे में जब

भी किसी ने सवाल किया, तो अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म मिला कि जवाब दो मैं नहीं जानता, इस का इल्म तो सिर्फ खुदा ही को है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।

कुरआन मजीद के तीसवें पारे में, सूर: नाजिआत के दूसरे रकूअ में, आयत न० 42, 43, 44 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है।-

तर्जुमा - लोग तुझ से कियामत के कायम होने का वक़्त मालूम कर रहे हैं। तुझे, इसके बयान करने से क्या ताल्लुक? इस के इल्म की इन्तिहा तो खुदा की जानिब है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अल्लाह तआला फरमाता है कि लोग कियामत के बारे में आप से सवाल कर रहे हैं कि वह कब आएगी। तुम कह दो कि न मुझे इसका इल्म है, न मरख्लूक में से किसी और को। सिर्फ खुदा ही जानता है कि कियामत कब आएगी और सिवाए खुदा के इस का सही वक़्त किसी को भी मालूम नहीं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 14, सूर: नाजिआत के दूसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

कुछ जाहिल कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जानते थे, मगर बताया नहीं, यह बिल्कुल ग़लत है और झूठ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर एक किस्म का झूठा बोहतान लगाते हैं। अक्सर जाहिल फ़कीर और जाहिल सूफ़ी जो कहते हैं कि कुरआन शरीफ़ के चालीस पारे नाज़िल हुए थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दस पारे किसी को नहीं सिखाये, यह भी बिल्कुल ग़लत और झूठ है, जिस का बयान इन-शाअल्लाहु तआला आगे आएगा।

कुरआन शरीफ़ के सातवें पारे में सूर: अन्-आम के सातवें रकूअ में आयत न० 59 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है।-

तर्जुमा - ग़ैब की कुंजियां सिर्फ उसी के पास हैं, जिन्हें उस के सिवा और कोई नहीं जानता, वह तरी और खुश्की की हर चीज़ का इल्म रखता है। जो पत्ता (पिड़) से गिरता है, उस का भी उसे इल्म है। ज़मीन के अंधेरो में कोई दाना और कोई तरी-खुश्की ऐसी नहीं जो खुली किताब में न हो।

अल्लाह का इल्म तमाम मौजूदात को घेरे हुए है, यानी जो चीज़ कि खुश्क ज़मीन और जंगल में हो, समुन्दर, दरियाओं में कोई चीज़ उस के इल्म के बाहर नहीं आसमान और ज़मीन का एक ज़र्रा भी उस पर पोशीदा नहीं, किसी को कुछ दिखाई दे या न दे, मगर अल्लाह तआला पर कुछ भी पोशीदा नहीं। वह सब की हरकतों को जानता है, जामदात की हरकतों, यहां तक कि पत्तों का झड़ना भी उस के इल्म से बाहर नहीं है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 67, सूर: अन्-आम के सातवें रकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम का कायदा यह था कि जब आप किसी सफर पर जाने का इरादा करते, तो अपनी बीवियों में से कुरआ डालते और जिस का नाम निकल आता, उस को अपने साथ ले चलते। चुनांचे एक बार किसी लड़ाई में जाने के लिए हमारे बीच कुरआ डाला। मेरा नाम निकल आया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ खाना हुई। यह वाकिआ पर्दे का हुकम नाजिल होने के बाद का है। मैं एक हौदज में सवार थी। जब कहीं ठहरना होता तो होदज उतार लिया जाता था, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लड़ाई से वापस हुए। जब मदीने के करीब पहुंचे, तो मामूल के मुताबिक एक रात को पड़ाव से कूच का हुकम हुआ। कूच का ऐलान होते ही मैं उठी और फौज के बाहर निकल कर हाजत पूरी की और फिर अपने ठहरने की जगह पर वापस चली आयी। वहां मैं ने सीने को छूकर देखा, तो मेरा हार जो फलफा नामी जगह के पोथ का था, गायब था। खुदा जाने कहां टूट कर गिर गया। मैं उस की खोज में चल दी और देर तक उसको खोजती रही। इधर वह, जो मेरा हौदज ऊंट पर बांधा करते थे, आए और हौदज को उठाया और उसे ऊंट पर रख दिया, जिस पर मैं सवार हुआ करती थी। उन का ख्याल यह था कि मैं हौदज के भीतर हूं। उस जमाने में औरतें नाजुक अन्दाम हुआ करती थीं, गोश्त और चर्बी की कमी की वजह से मोटी न होती थीं और थोड़ा खाना खाती थीं। इस वजह से लोगों को हौदज में वजन सहसूस न हुआ, जब कि उन्होंने उस को उठाया और ऊंट पर रख कर बांधा, फिर उस जमाने में मैं एक नव-उम्र लड़की थी, इस वजह से होदज में उन को वजन का अन्दाजा न हो सका। गरज यह कि (हौदज बांध कर) उन्होंने ऊंट को उठाया और चल दिये और फौज के चले जाने के बाद मुझे हार मिल गया। मैं अपने ठहरने की जगह पर वापस आयी तो वहां न कोई पुकारने वाला था और न कोई जवाब देने वाला। आखिर मैं उसी जगह पर चली गयी, जहां ठहरी हुई थी और मैंने ख्याल कर लिया कि जब लोग मुझ को न पाएंगे, तो लौट कर यहीं पर आएंगे। मैं अपनी जगह पर बैठी हुई थी कि नींद का खुमार आंखों में पैदा हुआ और मैं सो गयी।

सफवान बिन मुअत्तल सलमी फौज से पीछे शबबाश हो गया था। रात को वहां से चल कर सुबह को मेरे ठहरने की जगह पर पहुंचा और सोये हुए इंसान की स्याही देखी। वह मेरे करीब आया और मुझ को देखते ही पहचान लिया, इस लिए कि पर्दे का हुकम उतरने से पहले उसने मुझ को देखा था, उसने मुझ को पहचान कर-

-इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०'

(हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सब को उसी की ओर पलट कर जाना है)

पढ़ा। मैं उसकी आवाज़ सुन कर जाग गयी और दोपट्टा में मुंह छिपा लिया और खुदा की कसम ! मैं ने उस से एक लफ्ज भी नहीं कहा और न उस की जुबान से।

'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०'

के सिवा कोई कलिमा सुना।

गरज यह कि उसने अपनी ऊंटनी को बिठा लिया और मैं उस के हाथ का सहारा लेकर ऊंटनी पर सवार हो गयी और वह ऊंटनी की महार पकड़ कर (यानी नकेल की रस्सी पकड़ कर) खाना हुए, यहां तक कि हम फौज में पहुंच गये, जब कि कड़ी गर्मी के वक्त फौज वाले एक जगह पर उतर पड़े थे।

(मेरे इस वाकिए में) जिन लोगों को हलाक होना था, हलाक हो गये। (यानी मुझ पर तोहमत और बोहतान लगा कर जिन लोगों की किस्मत में हलाक होना था, हलाक हो गये।) इस मामले में सब से ज्यादा झूठ गढ़ने का जिम्मेदार (मदीने का मशहूर मुनाफिक) अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था।

हम मदीने में पहुंचे और पहुंचते ही मैं बीमार पड़ गयी और एक महीने तक बीमार रही। जिन लोगों ने बोहतान बांधा था, उन के बयान और कौल पर लोग गौर करते रहे, लेकिन मुझ को उस की कोई खबर न थी। अल-बत्ता बीमारी के जमाने में जिस बात ने मुझे शक में डाल दिया था, वह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरी बीमारी के जमाने में जिस मेहरबानी के साथ मुझ से पेश आया करते थे, वह मेहरबानी इस बीमारी में नजर न आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मेरे पास तशरीफ लाते, तो सलाम के बाद पूछते, तुम कैसी हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस रवैए से मुझ को शक होता था, लेकिन किसी बुराई का एहसास मुझ को न होता था।

मुख्तसर यह कि (बीमारी से आराम हो जाने के बाद) कमजोरी ही की हालत में एक बार उम्मे मिस्तह (मिस्तह की मां) के साथ मैं हाजत पूरी करने के लिए बाहर निकली और यह वाकिया घरों के करीब पाखाने बनाने से पहले का है। उस वक्त हमारी हालत पाखाने के लिए जंगलों में जाने के बारे में बिल्कुल (शुरू के) अरबों की-सी थी और हम घरों के करीब पाखाने बनाने में तकलीफ महसूस करते थे। उम्मे मिस्तह फरागत के बाद घर लौटीं। रास्ते में उम्मे मिस्तह अपनी चादर में उलझ कर गिर पड़ीं और उन्होंने कहा, मिस्तह हलाक हो और बर्बाद हो।

मैं ने कहा, तुमने बुरी बात कही। तुम ऐसे आदमी को बुरा-भला कहती हो, जो बद्र की लड़ाई में शरीक हो चुके हैं?

उम्मे मिस्तह ने कहा, अनजान और भोली लड़की! तुमने सुना नहीं, उसने क्या कहा है?

मैंने पूछा, उसने क्या कहा?

हजरत आइशा सिद्दीका रजियसल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मुझ को उम्मे मिस्तह ने बोहतान लगाने वालों की बातें सुनायीं और उन को सुन कर मेरी बीमारी में इस बीमारी का दौरा और ज्यादा हो गया। जब मैं घर वापस आयी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ लाये और मुझ को सलाम कर के पूछा, तुम कैसी हो?

मैंने अर्ज किया, अगर आप मुझ को मेरे मां-बाप के घर जाने की इजाजत दे दें, तो बेहतर है। मेरा मंशा इस से यह था कि मैं अपने मां-बाप के घर जा कर उन से इस खबर की तसदीक करूं।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को इजाजत दे दी और मैंने अपने मां-बाप के घर जा कर अपनी मां से कहा, अम्मां ! लोग क्या कह रहे हैं?

मेरी मां ने कहा बेटी ! ग़म न कर, खुदा की क़सम ! जो औरत चमकदार (यानी हसीन व जमील) होती है और उस का शौहर उस से मुहब्बत करता है और उस की सौतें भी होती हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि उस की सौतें उस पर तरह-तरह के इलज़ाम न लगायें। मैंने कहा, लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं ?

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि उस रात को मैं सारी रात रोती रही, यहां तक कि सुबह हो गयी। न आंसू थमते थे और न नींद आती थी। सुबह को भी मैं बराबर रोती रही।

इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब यह देखा कि वह्य आने में देर हो गयी है, (यानी एक महीने तक वह्य नहीं आयी थी) तो अपनी बीवी को (यानी मुझ को) तलाक़ देने के मामले में मश्वरा करने के लिए अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इल्म की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवी की पाकदामनी को बयान किया और उस मुहब्बत को ज़ाहिर किया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी बीवियों से है। चुनांचे उन्होंने अर्ज किया-

‘ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! वह (यानी आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा) आप की बीवी हैं और हम उन के बारे में भलाई के सिवा और कुछ नहीं जानते।’

और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ‘खुदावन्दे तआला ने आप के लिए तंगी नहीं रखी, उस के सिवा और बहुत-सी औरतें हैं। अगर आप लौंडी से मालूम करेंगे तो वह आप से सच-सच बयान कर देगी।’

चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मश्वरे के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा लौंडी को तलब फ़रमाया और बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा-

‘बरीरह (रज़ियल्लाहु अन्हा !) तुमने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा में कोई ऐसी बात देखी है, जिस से तुम को शक पैदा हुआ हो ?’

बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, ‘क़सम है उस ज़ात की, जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है, मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी, जिससे

उन पर कोई ऐब लगाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि वह एक नव-जवान लड़की हैं, जो घर का गुंधा हुआ आटा छोड़ कर सो जाती हैं आक्सर बकरी का बच्चा आ कर उस को खा जाता है।'

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिम्बर पर तशरीफ ले गये और अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के बारे में उज़र तलब किया। (यानी यह फ़रमाया कि अब्दुल्लाह बिन उबई ने मेरी बीवी के मुताल्लिक तोहमत लगा कर मुझ को तकलीफ पहुंचायी है, उस के ना-मुनासिब काम पर अगर बदला लिया जाए, तो कौन मेरी मदद करेगा?) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया, मुसलमानों! जिस आदमी की तरफ से मुझको अपने घर वालों के मामले में तकलीफ पहुंचायी गयी है, उस की तरफ से कौन उज़र कर सकता है? (यानी इस बोहतान के बारे में कौन जवाब दे सकता है?) खुदा की कसम! मैंने अपनी बीवी में भलाई के सिवा और कोई बात नहीं पायी। और लोगों ने जिस आदमी का मेरे सामने जिक्र किया है, मैं ने उस में भी भलाई के सिवा और कोई बात नहीं देखी। वह आदमी मेरे घर में सिर्फ मेरे ही साथ जाया करता था।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद को सुन कर हज़रत सअद् बिन मुआज अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं उस आदमी के बारे में यह अर्ज करता हूँ कि अगर वह कबीला औस से ताल्लुक रखता है, तो हम उस की गरदन उड़ा देंगे और अगर उस का ताल्लुक हमारे खज़रजी भाइयों से है, तो उस के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हम को जो हुक्म फ़माएंगे, हम उस के ऊपर अमल करेंगे।

सअद् बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के लफ़्जों को सुन कर सअद् बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गये जो खज़रज कबीले के सरदार थे और एक निहायत नेक और दीनदार आदमी थे, लेकिन उस वक़्त कौमी जज़्बे और ग़ुख़र ने उभार दिया था। उन्होंने सअद् बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, (अगर वह आदमी खज़रज कबीले से हुआ तो) खुदा की कसम! तुम उस को क़त्ल नहीं कर सकोगे और न तुम में इतनी ताक़त है कि उस को क़त्ल कर सको। (सअद् बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इन जोरदार लफ़्जों को सुन कर) सअद् बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के चचेरे भाई उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सअद् बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा-

'खुदा की क़सम! तुमने झूठ कहा, हम ज़ख़र उस को क़त्ल कर देंगे, तू मुनाफ़िक है और मुनाफ़िकों की तरफ से झगड़ा करता है।'

मुख़्तसर यह कि औस और खज़रज कबीले के लोगों में जोश पैदा हो गया और वे लोग

लड़ने पर तैयार हो गये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बदस्तूर मिनबर पर तशरीफ फरमा थे और लोगों के जोश को ठंडा कर रहे थे, यहां तक कि उन का जोश ठंडा हो गया और वे खामोश हो गये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी खामोश हो गये।

हजरत आइशा सिदीका रजियल्लाहु अन्हा का बयान है कि वह दिन भी मुझ को बराबर रोते हुए गुजरा और एक लम्हे के लिए भी आंसू न थमते थे और न नींद आती थी। फिर दूसरी रात भी मैं बराबर रोती रही, न आंसू थमते और न आंखों में नींद आती। रोते-रोते मेरी यह हालत हो गयी कि मेरे मां-बाप ने यह ख्याल कायम कर लिया कि रोते-रोते इस का जिगर फट जाएगा। मेरे मां-बाप बैठे हुए थे और मैं रो रही थी कि एक अन्सारिया औरत ने मेरे पास आने की इजाजत तलब की। मैं ने इजाजत दे दी। वह भी मेरे पास बैठ कर रोने लगी।

हम इसी हालत में थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ लाये और सलाम किया, फिर बैठ गये। जब से यह बोहतान का वाकिआ हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास न बैठते थे। एक महीना गुजर गया था और मेरे बारे में कोई व्ह्य नाजिल न हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बैठ कर तशहहूद पढ़ी और फिर फरमाया-

‘हम्द व सलात के बाद ! ऐ आइशा (रजियल्लाहु अन्हा !) तुम को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बारे में मुझ को ऐसी-ऐसी खबरें पहुंची हैं, अगर तुम इन बातों से पाक हो, तो अल्लाह तआला तुम्हारी पाकदामनी को जाहिर कर देगा और अगर तुमने (वाकई) गुनाह किया है, तो तुम खुदा से मग़िफ़रत तलब करो और तौबा करो, इस लिए कि जब बन्दा अपने गुनाह का एतराफ कर के तौबा करता है, तो अल्लाह तआला उस की तौबा कुबूल फरमा लेता है।

इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ये लफ़ज़ खत्म हुए और उधर मेरे आंसू गिर कर सूख गये, यहां तक कि आंसू की एक बूंद भी मुझ को (निकलती हुई) महसूस नहीं हुई। मैंने अपने बाप से कहा, तुम मेरी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इशाद का जवाब दो। मेरे बाप ने कहा कि खुदा की कसम ! मैं नहीं जानता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क्या जवाब दूं ? फिर मैंने अपनी मां से कहा कि तुम मेरी तरफ से जवाब दो। मेरी मां ने कहा कि खुदा की कसम ! मैं नहीं जानती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क्या अर्ज करूं ?

मैं उस जमाने में नवजवान लड़की थी, कुछ ज्यादा कुरआन मजीद भी न पढ़ा था, मैंने अपने मां-बाप से कहा, खुदा की कसम ! मैं इस बात को खूब समझती हूं कि तुम ने इस बात को सुना है और वह तुम्हारे दिलों में जगह पकड़ चुकी है और तुम उस को सच ख्याल करते हो। अगर मैं तुम से कहूं कि मैं गुनाह से पाक और पाकदामन हूं और अल्लाह ही खूब जानता है कि मैं हकीकत में पाक हूं, तो तुम मेरी बात को दुरुस्त न समझोगे और मुझ को सच्ची

करार न दोगे और अगर मैं तुम्हारे सामने किसी बात का एतराफ कर लूं और अल्लाह ही खूब जानता है कि मैं (उस से) पाक व साफ हूं तो तुम ज़रूर मेरे एतराफ की तहदीक करोगे। खुदा की क़सम ! मैं अपने और तुम्हारे मामले में इस मिसाल से बेहतर कोई मिसाल नहीं पाती, जो हज़रत यूसुफ अलहिस्सलाम के बाप (हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम) ने कही थी (यानी मैं सब्से जमील अख़ियार करता हूं और अल्लाह ही मेरा मददगार है) यह कह कर मैंने मुंह फ़ेर लिया और बिस्तर पर जा कर लेट रही। खुदा की क़सम ! मैं उस वक़्त यह यक़ीन रखती थी कि मैं पाकदामन हूं और अल्लाह तआला मुझ को ज़रूर (इस इल्ज़ाम से जो मुझ पर लगाया गया है) बरी कर देगा, लेकिन खुदा की क़सम ! यह बात मेरे वहम व गुमान में भी न थी कि मेरी शान में वह्य नाज़िल होगी और वह वह्य जिस की तिलावत की जाएगी। मैं अपने आप को इतना हकीर समझती थी कि मुझ को इस का ख़्याल भी न हो सकता था कि अल्लाह तआला मेरे बारे में वह्य मल्लू (तिलावत की ज़ाने वाली वह्य) नाज़िल फ़रमायेगा और मेरे मुताल्लिक अपने इर्शाद से इज़्जत बख़ोगा, अल-बत्ता मेरा ख़्याल सिर्फ़ यह था और मैं सिर्फ़ यह उम्मीद रखती थी कि अल्लाह तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़्वाब दिखायेगा, जिसके ज़रिए खुदा की तरफ से मेरी बरीयत हो जाएगी।

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि खुदा की क़सम ! अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस जगह से जुदा न हुए थे, जहां तशरीफ़ फ़रमा रहे थे और न घर वालों में से कोई आदमी बाहर गया था कि अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वह्य नाज़िल फ़रमायी और वह्य नाज़िल होते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इतिहा दर्जे की सख़्ती और शिद्दत होती थी, यहां तक कि सख़्त सर्दी के दिनों में वह्य के बोझ से मोतियों की तरह पसीने के क़तरे टपकने लगते थे। यही हालत आप पर उस वक़्त छा गयी, जब यह हालत दूर हुई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसकुराते हुए सब से पहले यह जुम्ला इर्शाद फ़रमाया-

‘आइशा ! खुश हो जाओ, अल्लाह तआला ने तुम को बरी कर दिया।’

यह सुन कर मेरी मां ने कहा-

‘आइशा ! उठ कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जाओ।’

मैंने कहा, खुदा की क़सम ! मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। हां, सिर्फ़ उस बुजुर्ग व बरतर ज़ात की हम्द व सना करूंगी, जिसने मेरी सच्चाई का हुकम नाज़िल फ़रमाया है।

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि अल्लाह तआला ने मेरी सच्चाई के बारे में दस आयतें नाज़िल फ़रमाई हैं। (वे दस आयतें क़ुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में सूर: नूर के दूसरे रूकूअ में आयत 11 से लेकर 20 तक हैं।)

- हवाला-** 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 212, हदीस 1034, बाब 483, तौबा के बयान में,
 2. सही बुखारी, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 336, हदीस 1290, किताबुल मगाजी,
 3. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 220, हदीस 1037, सूर: नूर की तफ्सीर में।

देखा मेरे अजीज दोस्त ! सारा मदीना हैरान व परेशान था। एक महीने तक किसी को भी इल्मे गैब नहीं था। जब अल्लाह तआला ने वह्य भेजी और दस आयतें नाजिल फरमायीं, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमअीन को हक बात मालूम हुई, वरना बात इतनी गर्म होती चली जा रही थी कि आपस में खून या लड़ाई होने की नौबत आ गयी थी। अगर इन में से कोई भी इल्मे गैब जानता होता, तो आपस में लड़ने के लिए हरगिज तैयार न होते और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे गैब होता, तो क्यों हजरत अली और हजरत उसामा रजियल्लाहु अन्हुम की सलाह लेते और लौंडी बरीरह रजियल्लाहु अन्हा से क्यों पूछते और हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से आप नाराजी क्यों जाहिर करते, आप उन को तौबा के लिए क्यों फरमाते ? तौबा तो वह करे, जिसने गुनाह किया हो और हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा इस गुनाह से पाक थीं। मगर बात असल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गैब के जानकार नहीं थे। अगर गैब के जानकार होते, तो यहां तक नौबत इस बात की न आती, क्योंकि जब काफिला रवाना हुआ, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम हो जाता कि हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया है और वह हार की तलाश में गयी हैं, इसलिए काफिला वालों को थोड़ी देर के लिए रुक जाने का हुक्म फरमाते, मगर मेरे अजीज दोस्त ! ये सारी बातें इल्मे गैब न होने को वजह से, हुई हैं।

कुरआन करीम के सातवें पारे में, सूर: माइदा के पन्द्रहवें रकूअ में आयत न० 109 में, अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - जिस दिन अल्लाह तआला रसूलों को जमा कर के मालूम करेगा कि तुम क्या जवाब दिये गये ? वे कहेंगे, ऐ खुदा ! हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू तमाम छिपी हुई बातों को अच्छी तरह जानने वाला है।

रसूलों से कियामत के दिन सवाल होगा कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें माना या नहीं। रसूलों का यह जवाब कि हमें कुछ खबर नहीं, यह हाल उस दिन दृष्टांत की वजह से होगा, घबराहट की वजह से कुछ जवाब न दे सकेंगे। यह वह वक्त होगा कि अकल जाती रहेगी। फिर दूसरी मंजिल में हर नबी अपनी-अपनी उम्मत पर गवाही देगा, गो अंबिया जानते थे कि किस-किस ने हमारी नुबुव्वत हमारे जमाने में कुबूल की, लेकिन चूंकि वह जाहिर के देखने वाले

थे और खुदाबन्दे आलम बातिन में भी देखने वाला है, इसलिए उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें हकीकी इल्म बिल्कुल नहीं। तेरे इल्म के मुकाबले में तो हमारा इल्म सिर्फ ला-इल्मी है, हकीकी आलिम तो सिर्फ तू ही है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 37, सूः माइदा के पन्द्रहवें रकूअ की तफ्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्तो ! इन हदीसों और आयतों से मालूम हुआ कि जनाबे रसूले करीम अलैहित्तहीयतु वत्तस्लीम को इतना ही इल्म था, जितना अल्लाह तआला ने आपको बताया था, लेकिन जहां पर खुदा की तरफ से आपको इत्तिला नहीं दी गयी, वहां पर आपको अपने आस-पास और करीब की होने वाली बातों तक का इल्म न था। जब यह बात जाहिर हो चुकी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आलिमुल गैब न थे। आलिमुलगैब सिर्फ अल्लाह, इज्जत वाला है, तो अब जाहिल वाइजों और बेदीन लोगों ने गुमराह करने के लिए जहालत का दूसरा दरवाजा खोला और कहते हैं कि जिंदगी में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुल इल्म गैब नहीं था, वफात के वक्त कुल इल्म गैब और अख्तियार दिये गये थे, हालांकि यह बात भी बिल्कुल झूठ, बिल्कुल ग़लत और बे-बुनियाद है। आंखों के अन्धे, जेब के बन्दे, पेट के पुजारी, नफ़स के गुलाम और शरीअत के दुश्मन उम्मते मुहम्मदिया को गुमराह करने के लिए नयी-नयी चालें चलते हैं और नयी-नयी बातें गढ़ते हैं, हालांकि खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी इस बात को भी काट कर रख दिया है। सुनिये हदीस मेरे भोले भैया !

हदीस - सह्ल बिन सअद् रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मैं हौजे कौसर पर तुम्हारा मीरे सामान हूंगा। जो आदमी मेरे पास से गुजरेगा, पानी पियेगा, और जो आदमी पानी पियेगा, वह कभी प्यासा न होगा। अल-बत्ता मेरे पास बहुत-सी कौमें आएंगी, मैं उन को पहचान लूंगा और वह मुझको पहचान लेंगी। फिर मेरे और उनके दर्मियान कोई चीज़ रोक बनाकर खड़ी की जाएगी। मैं कहूंगा, ये लोग तो मेरे हैं या मेरे तरीके में हैं। उसके जवाब में बताया जाएगा कि तुमको मालूम नहीं, इन्होंने तुम्हारे बाद क्या-क्या नयी-नयी बातें पैदा की हैं। (यह सुन कर) मैं कहूंगा, वे लोग दूर हों मुझ से और दूर हों खुदा की रहमत से, जिन्होंने मेरे दीन में मेरे बाद तब्दीली कर डाली है।

- हवाला**-
1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 807, हदीस 5305, हौजे कौसर का बयान,
 2. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 341, हदीस 1494, किताबुल हौज,
 3. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 46, हदीस 211, बाब 85, तहारत का बयान,

4. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 653, हदीस 4303, जोह्द का बयान ।
5. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 386, होज़ का बयान,
6. तफ़्सीरे मुवाहिबुर्ह्मान, पारा 30, पृ० 779, सूः कौसर की तफ़्सीर में,
7. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 112, सूः कौसर की तफ़्सीर में ।

तू सुन्नत वल जमाअत का दावा इस लिए करता है कि जी भर कर कुरआन मजीद को ठुकराये, जी भर कर हदीसों का इन्कार करे । आप ने खुद ही फ़ैसला फ़रमा दिया, यानी न आपको अख़्तियार रहा कि जी चाहते हुए भी अपनी उम्मत के उन लोगों को होज़े कौसर के पानी से सैराब कर सकें और न आप को यह मालूम कि मेरी वफ़ात के बाद उन लोगों ने शरीअत की क्या हालत बना रखी थी । फिर आप को वफ़ात के बाद इल्मे ग़ैब और अख़्तियारात कहां मिले?

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूः हूद के दसवें रकूअ में, आयत न० 123 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है ।

तर्जुमा - 'ज़मीन और आसमानों का इल्मे ग़ैब अल्लाह ही को है ।'

ऐ मेरे प्यारे दोस्त ! अगर इतना समझाने पर भी आप की समझ में न आए, तो आप खुद ही सोच लें कि आप को जहालत ने किस क़दर जाहिल बना दिया है । कुरआन हकीम को खोल-खोल कर बयान कर दिया, हदीसों को वाज़ेह तौर पर समझा दिया, तफ़्सीर को भी आपके सामने रख दिया, इतना समझाने पर भी आप की समझ में नहीं आता तो इसके लिए जितना भी अफ़सोस किया जाए कम है ।

सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का इल्मे ग़ैब

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब उहुद के दिन मुश्रिक भागे तो इब्लीस चिल्लाया कि ऐ खुदा के बन्दो ! अपने पीछे वालों को (और पीछे भी मुसलमान ही थे) । पस आगे वाले मुसलमान (पीछे वाले मुसलमानों पर) टूट पड़े और वे और पीछे वाले आपस में लड़ने लगे, पस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नज़र की, तो अपने बाप यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, तो कहने लगे कि ऐ खुदा के बन्दो ! मेरे बाप, मेरे बाप ! मगर खुदा की क़सम ! वह न रुके, यहां तक कि उन्होंने उनके बाप को कत्ल कर दिया, तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हें बरख़ो । उर्वः रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर बराबर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रंज रहा, यहां तक कि वह अल्लाह अज़्ज व जल्ल से मिल गये ।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 136, हदीस 518, पैदाइश का बयान ।

देखा मेरे दोस्त ! सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इल्मे ग़ैब न था । अगर इल्मे ग़ैब होता तो, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाप यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बावजूद मना करने के क्यों क़त्ल करते और अगर इससे भी ज़्यादा खुलासा देखना हो, तो देख लो ।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चहीती बीवी कहती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हुई, तो हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर अपने मकान सुख से आये, यहां तक कि उतरे और मस्जिद में गये, मगर किसी से बात नहीं कि, यहां तक कि मेरे पास आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास गये और आपको हियरा की एक चादर ओढ़ा दी गयी थी । पस उन्होंने आप का चेहरा खोला, फिर आप पर झुक पड़े और आपका बोसा लिया, इसके बाद रोये और कहा कि मेरा बाप आप पर फ़िदा हो । या अल्लाह के नबी ! अल्लाह तआला दो मौतें आप पर जमा न फ़रमावेगा, लेकिन वह मौत जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी थी, वह आप को हासिल हो चुकी ।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 277, हदीस 1151, जनाज़े का बयान ।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के वक़्त हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर नहीं थे । अगर वह जानते होते कि इस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात होने वाली है, तो क्या वह बाहर जाते ? उनकी ग़ैर हाज़िरी रहती ? हर गिज़ नहीं, मगर बात यह थी कि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था और ऐसा भी होता है कि कभी अल्लाह तआला कोई बात या वाक़िआ जो नामालूम हो, मालूम करा देता है, तो यह सहाबी की करामत गिनी जाएगी । अब इसके बारे में एक हदीस सुनिए-

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फ़ौज (नहावंद की तरफ) भेजी और उस पर हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर मुकर्रर किया । एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु (मस्जिदे नबवी में जुमा का) खुल्ता पढ़ रहे थे कि यकायक आप ने ऊंची आवाज़ से कहा, सारिया ! पहाड़ की तरफ ! इस वाक़िए के कुछ दिनों बाद फ़ौज से एक कासिद आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन ! हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया और हम को हराया, यकायक हमने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी, जो कह रहा था, ऐ सारिया ! पहाड़ की तरफ ! चुनांचे हम ने पहाड़ को अपनी ओट करार दिया और फिर अल्लाह तआला ने दुश्मनों को हरा दिया ।

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 885, हदीस 5671, करामतों का बयान,

2. तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 339, हदीस 1538, करामतों का बयान,

3. मज़ाहिरे हक, ततिम्मा, जिल्द 4, पृ० 53, करामतों का बयान ।

देखा मेरे अजीज दोस्त ! सैकड़ों मील पर लड़ाई हो रही है और मस्जिदे नबवी के मिनबर पर खड़े-खड़े खुत्बे के दौरान में आप ने आवाज़ दे दी कि सारिया ! पहाड़ की तरफ हो जाओ और वह आवाज़ अल्लाह पाक ने उस फ़ौज वालों को सुना दी। इसे कहते हैं करामतें। इस में चार करामतें हैं-

1. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र का पहुंचना मदीने से लड़ाई के मैदान तक,
2. आवाज़ का पहुंचना मदीने से लड़ाई के मैदान तक,
3. आप की आवाज़ तमाम फ़ौज वालों को सुनायी देना,
4. आवाज़ की बुनियाद पर जीत जाना मुसलमानों का।

अब सुनिये बे-ख़बरी का मामला -

हज़रत अम्र बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं-

जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए; मैं खड़ा हुआ था। मेरे और उनके बीच सिवाए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कोई न था और वह जब दो सफ़ों के दर्मियान गुज़रते थे, तो कहते थे, बराबर करो, यहां तक कि जब सफ़ों में कुछ खलल न देखते तो आगे बढ़ते थे और तकबीर कहते थे और अक्सर सूर: यूसुफ़ या सूर: नह्ल या इसी जैसी कोई और सूर: पहली रक़अत में पढ़ते थे, ताकि लोग जमा हो जाएं। पस जैसे ही उन्होंने तकबीर कही कि मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि -

‘क-त-लनी और अ-क-ल निल कल्बु’ (मुझे कुत्ते ने काट लिया।),

जबकि उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को घायल किया। फिर वह गुलाम दोधारी छुरी लिए हुए भागा। दाहिने-बाएं, जिस पर उस का गुज़र होता, उसे वह मारता था, यहां तक कि उसने तेरह आदमियों को घायल किया, उन में से सात मर गये, फिर जब इस बात को एक आदमी ने मुसलमानों में से देखा, तो उसने अपना बारान कोट उस पर डाल दिया।

पस जब उस गुलाम को यह ख़्याल हुआ कि वह पकड़ लिया जाएगा, तो उसने अपने आप को जिब्ह कर डाला और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ कर उन्हें आगे कर दिया।

पस जो आदमी (उस वक़्त) हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब था, वह उन बातों को देख रहा था, जो मैंने देखीं और जो लोग मस्जिद के किनारे में थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ, सिवाए इसके कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ नहीं पायी और वह यह कहते थे कि सुब्हानल्लाह।

फिर उन लोगों को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत हल्की नमाज़

पढ़ा दी। फिर जब लोग नमाज़ से फ़ारिग हुए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ! देखो, तो मुझे किस ने क़त्ल किया है?

पस वह थोड़ी देर तक इधर-उधर देखते रहे, उसके बाद आये और उन्होंने कहा कि मुगीरह के गुलाम ने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस कारीगर ने ?

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हां !

तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह उसे ग़ारत करे। मैं ने उसे एक अच्छी बात का हुक़म दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उस ने मेरी मौत किसी ऐसे आदमी के हाथ पर नहीं की, जो इस्लाम का दावा करता हो।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 230, हदीस 889, मनाकिब का बयान।

देखो मेरे दोस्त ! यह वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनकी नज़र और आवाज़ सैकड़ों मील पहुंची थी और इस वक़्त यह भी पता नहीं कि मुझे किस ने मारा। एक आदमी खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मारने के लिए आपके पीछे नमाज़ियों की सफ़ में खंजर लिए खड़ा है और आप को पता तक नहीं, कि कोई मुझे मारने के लिए आया है, बल्कि पूछते हैं कि मुझे किस ने मारा ?

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कोई मामूली हस्तियां नहीं थीं। उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन से करामतें भी साबित हुई हैं और उनके मर्तबे के मुताबिक हमारे फ़ुक्हा-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम फ़रमाते हैं-

‘अदना (मामूली) सहाबी के मर्तबे को कभी आला (ऊंचे) दर्जे का वली नहीं पहुंच सकता’।

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 35, मुक़दमे में।

इस बात को नज़रों में रखिए कि जब अंबिया किराम और सहाबा अिजाम को भी इल्मे ग़ैब नहीं था, तो वलियों, पीरों, ख़्वाजगान रह० या और दूसरे किसी को भी आलिमुल ग़ैब समझना खुली जहालत नहीं तो और क्या है।

ख़ूब याद रखो मेरे भैया ! नबी अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा हो या किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु या वली रहमतुल्लाहि अलैहि की करामत वह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु और वली रहमतुल्लाहि अलैहि के कब्जे की चीज़ नहीं है कि जब चाहें, जेसे चाहें, उसे दिखा दें। मोजिज़ा हो या करामत, यह ख़ालिस खुदा का काम है, जिस का ज़हूर नबी अलैहिस्सलाम या वली रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़रिए होता है।

अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मोजिज़ों को और औलियाअल्लाह रह० की करामतों को जाहिल लोग उनकी अख़्तियारी चीज़ समझते हैं यानी ये साहिबान जब चाहें दिखला सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह तआला का उन पर ख़ास फ़ज़ल होता है, जब अल्लाह तआला चाहता है, उनसे जाहिर कराता है।

इल्मे ग़ैब के बारे में हनफियों का अकीदा

अल्लाह तआला जैसी कोई चीज़ नहीं और वही सुनने वाला और देखने वाला है। इससे मालूम हुआ कि 'सुनने वाला और देखने वाला' जिस तरह अल्लाह की सिफ़त है, उसमें किसी मर्रूक की मुशाबहत बिल्कुल नहीं है। पस जिस ने अल्लाह की सिफ़त को किसी मर्रूक की सिफ़त से मिलाया, तो वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ और उसकी तौहिद बातिल हुई।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 4, अकीदों का बयान।

'तमाम बन्दों के उलूम खुदा के इल्म के मुकाबले में ऐसे हैं, जैसे समुद्र के मुकाबले में एक बूंद।'

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 55, सूर: लुकमान के तीसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

ग़ैब कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह के, मगर हां, जो कुछ अल्लाह तआला चाहता है, वह मालूम करा देता है, अपने रसूलों को ग़ैब की बातों में से।'

हवाला- मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 126, बाब ऐलानुन्निकाह।

कुल इल्मे ग़ैब सिवाए खुदा के और किसी को भी नहीं। इस में से जितना जिसको चाहता है, बतला देता है, चाहे नबी हो या वली, चाहे कुत्ब हो या अब्दाल या फ़रिश्ता हो, सब को मालूम वही होता है, जो कुछ अल्लाह बता दे, बग़ैर बताए किसी को कुछ भी नहीं मालूम हो सकता।

ज़ाहिर है कि अंबिया अलैहिमुस्सलम को ग़ैब का इल्म नहीं था, मगर उसी क़दर कि अल्लाह तआला ने उन के अलग-अलग वक्तों में उस पर इत्तिला दे दी। (यानी अल्लाह तआला ने चाहा, तो ख़बर दे दी) और उलेमा-ए-हनफ़ीया ने साफ़ कर दिया कि जो कोई दावा करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ैब जानते थे, तो वह काफ़िर है।

हवाला- ऐनुलहिदाया, जिल्द 1, पृ० 60, अकाइद का बयान।

'रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए इल्मे ग़ैब साबित करना कुफ़्र है, क्योंकि इल्मे ग़ैब ख़ास अल्लाह ही को है।'

हवाला- गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, पृ० 11, मुहरमात की फस्तल किताबुन्निकाह !

‘इस्लाम के अकीदे में गैब का इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं।’

हवाला- सीरतुन्नबी, जिल्द 4, पृ० 67।

कुरआन शरीफ में अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक से कहलवा दिया कि आप कह दें कि मैं इल्मे गैब नहीं जानता और हदीसे करीमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मैं इल्मे गैब नहीं जानता और हनफी मसलक के उलेमा-ए-दीन ने फरमाया कि जो आदमी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए इल्मे गैब साबित करे वह काफिर है। इतने-इतने सबूत होते हुए भी जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी अपनी जहालत और नफसानियत पर अड़े हुए हैं, खुद भी तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और भोले अनपढ़ मुसलमानों को भी अकीदे की आड़ बनाकर तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हमारा मजबूह किताबी है, रिवाजी नहीं है और न जुबानी है, जो कुछ होगा, किताबों में लिखा होगा, समझे मेरे भोले भैया !

हम ने कुरआन व हदीस और हनफी फिक्ह के हवालों से दलीलों का ढेर लगा दिया है। अब जो उस को न माने, उस को चाहिए कि कुरआन व हदीस से एक ही हवाला ऐसा पेश कर दे, जिस में आहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह दावा खुले लफ्जों में हो कि-

‘मुझे इल्मे गैब है’ ‘या मैं आलिमुलगैब हूँ।’

मेरे प्यारे दोस्त ! ऐसी-ऐसी ठोस दलीलें कुरआन पाक की आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान और फुक्हा-ए-किराम रह-म-हुमुल्लाहु तआला के फत्वों से खुल्लम-खुल्ला दी गयी हैं। अगर ऐसे ठोस सबूत और मजबूत दलीलों को भी ये शरीअत के दुश्मन और अपनी आखिरत बर्बाद करने वाले न मानें, तो फिर रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की छोटी-छोटी बातों और सुन्नतों को क्या मानेंगे ? और कमाल की बात तो यह है कि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं, फिर भी दलीलों के सामने सीना ठोंक कर आते हैं और एक ही झटके में कुरआन व हदीस और फुक्हा-ए-हनफीया के फैसलों को ठुकरा देते हैं। फिर आखिर मुसलमान होकर किस चीज को मानेंगे ? खूब अच्छी तरह याद रखो कि अहले सुन्नत वल जमाअत उसी को कहते हैं, जिसका ईमान और अमल कुरआन व हदीस ही पर हो।

हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कुछ भी नहीं छिपाया

कुरआन शरीफ के छठे पारे में, सूर: माइदा के दसवें रूकूअ में, आयत न० 67 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है।

तर्जुमा- ऐ रसूल! पहुंचा दे जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से उतारा गया हो। अगर तू ने ऐसा न किया, तो तूने खुदा की रिसालत का हक अदा नहीं किया।

अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल के प्यारे लफ़्जों से आवाज़ देकर अल्लाह तआला हुक्म फ़रमाता है कि अल्लाह के कुल हुक्म लोगों को पहुंचा दो।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 119, सूर: माइदा के दसवें रूकूअ की तफ़्सीर में। अगर तूने मेरे फ़रमान बन्दों तक न पहुंचाए, तो तूने रिसालत का हक अदा नहीं किया। फिर उसकी सज़ा जो है, वह ज़ाहिर है। अगर एक आयत भी छिपा ली, तो रिसालत तोड़ दी।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 120, सूर: माइदा के दसवें रूकूअ की तफ़्सीर में। अब आप ही सोचें कि यह जो जाहिल सूफी और जाहिल फ़कीर वगैरह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अल्लाह तआला ने चालीस पारे कुरआन शरीफ के नाज़िल फ़रमाये थे, मगर उसमें दस पारे आप ने किसी को नहीं बतलाये। ये जाहिल लोग अपने आप को आशिकाने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर एक झूठा बोहतान लगाते हैं। ऐसे लोगों का अमल हमेशा के लिए शरीअत से अलग रहा है, खुद भी गुमराह हैं। और लोगों को भी गुमराह करते रहे हैं।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जो आदमी यह कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्मों में से कुछ छिपा लिया है, तो वह झूठा है, इसलिए कि अल्लाह तआला इस आयत में अहकाम की तब्लीग़ की ताकीद करता है और नबी हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक़ किया करते हैं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 467, हदीस 1715, सूर: माइदा की तफ़्सीर।

2. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 184, हदीस 926, सूर: माइदा की तफ़्सीर।

यह नहीं हो सकता कि नबी खुदा की उतारी हुई किसी चीज़ को छिपा ले और उम्मत

तक उसे न पहुंचाये ।

हवाला- तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 42, सूर: आले इम्रान के सतरहवें रूकूअ की तफ्सीर में ।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा कि लोगों में यह चर्चा हो रहा है कि तुम्हें कुछ बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी बता दी हैं जो और लोगों से छिपायी थीं, तो आपने यही आयत पढ़ी और फ़रमाया, क़सम खुदा की, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी ऐसी मख़सूस चीज़ का वारिस नहीं बनाया ।

हवाला- तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 120, सूर: माइदा के दसवें रूकूअ की तफ्सीर में ।

किस क़दर जाहिल और बद-अक़ीदा लोग हैं, अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही हक़ को छिपाएं तो फिर हक़ कौन ज़ाहिर करेगा । ज़रा देखो तो सही कि नूह की क़ौम कितनी घमंडी थी, और नमरूद कैसा ज़ालिम था और फिरज़ौन कैसे घमंड वाला था । इन लोगों की कसरत ताक़त और शौकत किस क़दर फैली हुई थी,

बावजूद इसके हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने एलान के साथ हक़ को ज़ाहिर कर दिया ।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 68, अकाइद का बयान ।

हदीस - रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर नबी पर खुदा की तरफ़ से फ़र्ज होता है कि अपनी उम्मत को तमाम नेकियां जो वह जानता है सिखा दे और तमाम बुराइयों से जो उसकी निगाह में हैं, आगाह कर दे ।

हवाला- तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 53, सूर: निसा के आठवें रूकूअ की तफ्सीर में ।

अब आप ही इन्साफ़ करें कि जो कुछ लोग यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क़ियामत का इल्म था, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, अल्लाह की पनाह, कुरआन व हदीस और मज़हबे इस्लाम की शान के ख़िलाफ़ बातें बना-बना कर खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं और ऊपर से अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी कहते हैं । बड़े अफ़सोस की बस्त है । खुदा जाने, इन लोगों की अक़ल कहां ग़ारत हो गयी है । कुछ तो इल्म रखने के बावजूद गुमराह होते जा रहे हैं । हमारी दिली दुआ है कि आम मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने रहम व करम से ऐसे गुमराहों की तक़लीद से बचाये । (आमीन)

वह्य के बगैर अहकाम नहीं बताये

कुरआन शरीफ के सातवें पारे में सूर: अन्-आम के पांचवें रकूअ में, आयत न० 50 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - 'मैं तो सिर्फ उसी की ताबेअदारी करता हूँ, जो मेरी तरफ वह्य की जाती है।'

हदीस - 'हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम ! तुमको किस ने मना किया है कि तुम जितनी बार मेरे पास आते हो, उससे और ज्यादा आओ।'

तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह आयत लेकर नाज़िल हुए कि 'मैं अल्लाह के हुकम के बगैर नहीं आता।'

हवाला- सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 19, पृ० 525, हदीस 1834, सूर: मरयम की तफ़्सीर में।

कुरआन मजीद के सोलहवें पारे में, सूर: मरयम के चौथे रकूअ, में आयत न० 64 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - 'हम तेरे रब के हुकम के बगैर उतर नहीं सकते।'

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हारिस बिन हिशाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि आपके पास वह्य किस तरह आती है?

आप ने फरमाया कि हर वह्य में फरिश्ता आता है। कभी घंटी की जैसी आवाज़ में। फिर जब वह्य खत्म हो जाती है, तो जो कुछ वह कहता है, उसे मैं याद कर लेता हूँ और वह वह्य मुझ पर बहुत सख्त है। और कभी वह फरिश्ता इन्सान की शकल में मेरे पास आता है और मुझसे बातें करता है। पस जो कुछ वह कहता है, मैं उसे याद कर लेता हूँ।

हवाला- सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 125, हदीस 446, पैदाइश का बयान।

मेरे अजीज़ दोस्त ! हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जब उन बातों का सवाल किया जाता था, जिन को आप नहीं जानते थे, तो आप वह्य नाज़िल होने से पहले यों फरमाते थे

कि मैं नहीं जानता या जवाब नहीं देते थे, राय और क्रियास से कुछ नहीं फरमाते थे।

हदीस- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बीमार हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पूछने को तशरीफ लाये। जब आप आये, तब मैं बेहोश था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वुजू किया और बचा हुआ पानी मेरे ऊपर छिड़का। मैं होश में आ गया और मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं अपने माल में किस तरह हुकम लगाऊँ और इस का क्या करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझको जवाब न दिया, यहां तक कि आयते मीरास आप पर नाज़िल हुई।

हवाला- सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 520, हदीस 2169, ऐतसाम का बयान।

कुरआन शरीफ के इक्कीसवें पारे में, सूरा अहज़ाब के पहले रूकूअ में, आयत न० 2 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा- जो कुछ तेरी जानिब तेरे रब की तरफ से व्ह्य की जाती है, उसकी ताबेदारी करता रह यकीन मानो कि अल्लाह तआला तुम्हारे हर एक अमल से बा-खबर है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है जब तक अल्लाह तआला की तरफ से व्ह्य न आ जाती, उस वक्त तक शरीअत का कोई हुकम नहीं बताते थे।

आबिद के लिए एक माबूद का होना और उसकी इबादत के तरीकों का मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और तामाम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी तरीके से करते हैं, जो व्ह्य के ज़रिए मालूम हुआ, इसलिए कि इस्लाम, अल्लाह की ख़ालिस इबादत का और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ास रिसालत मान लेने का नाम है ?

न तो अल्लाह तआला की इबादत में कोई दूसरा शरीक हो सकता है और न रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत के सिवा किसी दूसरे तरीके को माना जा सकता है यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीके के सिवा कोई सही तरीका नहीं।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 115, सूरा काफ़िरून की तफ़सीर में।

मैं इन्सान हूं

कुरआन शरीफ के पन्द्रहवें पारे में, सूर: बनी इस्राईल के दसवें रकूअ में, आयत न० 93 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा- तो जवाब दे कि मेरा परवरदिगार पाक है। मैं तो सिर्फ एक इन्सान हूं, जो रसूल बनाया गया हूं।

क्यों मेरे अजीज दोस्त ! हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमानों की जहालत देखिए। अगर कोई कह दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सान थे, तो उस को वहहाबी और इस्लाम से खारिज समझते हैं और बोलना-चालना और सलाम व कलाम भी उससे हराम समझते हैं और खुदावन्दे करीम ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कहलवा दिया कि आप साफ-साफ ऐलान के साथ लोगों से कह दें कि बिला शक व शुबहा मैं एक इन्सान हूं और अल्लाह की तरफ से तमाम जहान के लिए रसूल बना कर भेजा गया हूं।

कुरआन शरीफ के सातवें पारे में, सूर: अन्-आम के पांचवें रकूअ में, आयत न० 50 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा- और मैं फरिश्ता नहीं हूं।

आइए, अब आप क्या फ़ैसला करते हैं ? अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कहलवा दिया कि आप साफ-साफ ऐलान कर दें कि मैं फरिश्ता नहीं हूं। अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सान नहीं थे, तो फिर क्या थे ? आप का ताल्लुक कौन-सी मख्लूक से शुमार करते हो ?

‘जिन्नात में से कोई नबी नहीं हुआ।’

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 17, सूर: अन-आम के सोलहवें रकूअ की तफ़सीर में।

अब आप क्या फ़ैसला करते हैं ? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरिश्तों में से नहीं थे और जिन्नात में से कोई नबी नहीं हुआ, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सान नहीं थे, तो आखिर क्या थे, कुछ होंगे भी तो ? हमारा तो यह ईमान और अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सानों में से ही थे।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ायी और उस में कुछ ज्यादाती या कमी हो गयी। जब आप ने सलाम फेरा, तो आप से अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या नमाज़ में कोई तब्दीली हुई है ?

आपने पूछा, क्या हुआ ?



सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि आपने इतनी-इतनी नमाज़ पढ़ी है। रिवायत करने वाले का बयान है कि यह सुन कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़दमों का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ फ़ेर दिया और क़िब्ला रुख़ होकर दो सज़दे किये और फिर सलाम फ़ेर कर हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया-

अगर नमाज़ में कोई तब्दीली हुई होती, तो मैं उससे तुम को ख़बरदार कर देता। मैं तो एक इन्सान हूँ और जिस तरह तुम भूलते हो, मैं भी भूलता हूँ। जब मैं कुछ भूल जाया करूँ, तो तुम मुझको बता दिया करो और तुम में से जब किसी को नमाज़ के अन्दर शक हो जाए तो वह सही राय कायम करके नमाज़ पूरी करे और उसके बाद दो सज़दे करे।

- हवाला-**
1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 91, हदीस 527, बाब 203, मस्जिदों का बयान।
 2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 106, हदीस 385, क़िब्ले का बयान,
 3. मिशक़ात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 206, हदीस 945, सज़दा-ए-सह्व का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 327, सज़दा-ए-सह्व का बयान।

सुब्हानल्लाह! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भूल दुनिया आलम के मुसलमानों के लिये रहमत की दलील बन गयी। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में न भूलते, तो हम को सह्व का सज़दा नहीं मिलता और शैतान अन्न से मग़िब तक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। नमाज़ में शैतान हम को बार-बार भुला देता और हम को बार-बार नमाज़ दोहरानी पड़ती। अब हम को सह्व का सज़दा मिल गया, अगर शैतान नमाज़ में भुला दे तो सही राय कायम करके दो सह्व के सज़दे कर लें, नमाज़ सही हो जाएगी और शैतान रोता-चीख़ता हुआ भागता है हाय अफ़सोस! आदमज़ाद को सह्व के सज़दे का हुक़म हुआ, उस ने कर लिया और मैं ने अल्लाह का हुक़म नहीं माना और सज़दा नहीं किया।

हदीस- हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीने में तशरीफ़ लाये हैं, उस वक़्त मदीना के लोग ख़जूरों के पेड़ों में ताबीर करते थे। (ख़जूरों के पेड़ों में नर व मादा दोनों क़िस्म के पेड़ होते हैं। मदीने वाले नर ख़जूर का फूल मादा ख़जूर पर झाड़ते थे और उनका ख़्याल था कि इस अमल से ख़जूरें ज़्यादा फलेंगी, इसी को ताबीर कहते हैं) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (लोगों को ताबीर करते देख कर) फ़रमाया, तुम यह क्या करते हो ?

लोगों ने अर्ज किया, हम ऐसा ही करते रहे हैं।

फ़रमाया, अगर तुम ऐसा न करो, तो शायद बेहतर हो।

आप का यह इर्शाद सुन कर लोगों ने इस अमल को तर्क कर दिया और उस साल फल कम आया।

चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस का जिक्र किया गया। आप ने फ़रमाया कि मैं भी एक आदमी हूँ। पस मैं जब तुम को दीनी हुकम दूँ तो तुम उसको कुबूल करो और जब अपनी अक्ल से तुम को कोई बात बताऊँ, तो तुम समझ लो कि मैं भी एक आदमी हूँ।

- हवाला-** 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 106, हदीस 138, सुन्नतों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 71, किताबुल ईमान।

कुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में, सूर: बनी इस्राईल के ग्यारहवें रकूअ में, आयत न० 94, 95 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- लोगों के पास हिदायत पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली सिर्फ़ यही चीज़ रही है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने एक इन्सान को ही रसूल बना कर भेजा है, तू जवाब दे कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते चलते-फिरते और रहते-बसते तो हम भी उनके पास किसी आसमानी फ़रिश्ते को रसूल बना कर भेजते।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अगले ज़माने में यही हालत थी कि अक्सर लोग यही एतराज कर के गुमराह हुए कि क्या इन्सान नबी हो सकता है। इसके जवाब में अल्लाह तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कहलवा रहा है कि आप कह दें कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते रहते-सहते, चलते-फिरते और बसते होते, तो हम भी किसी फ़रिश्ते को रसूल बना कर भेजते। मगर ज़मीन पर इन्सान रहते-सहते, चलते-फिरते और बसते हैं, इसलिए हम इन्सान को ही नबी बनाकर भेजते हैं और आप से पहले भी हम ने नबियों को इन्सानों में से ही भेजा है।

कुरआन शरीफ़ के चौदहवें पारे में, सूर: नहल के छठे रकूअ में, आयत न० 43 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- तुम से पहले भी हम इन्सानों को ही (नबी बनाकर) भेजते रहे, जिनकी जानिब व्ह्य उतारा करते थे। पस अगर तुम नहीं जानते हो तो याद रखने वालों से पूछ लो।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल बना कर भेजा तो अरबों ने साफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि खुदा की शान इससे बहुत ऊंची और ऊपर है कि वह किसी इन्सान को अपना रसूल बनाये।

हवाला- तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 35, सूर: नहल के छठे रकूअ की तफ़सीर में।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है, हम ने तुझ से पहले भी जितने रसूल भेजे हैं सब ही इन्सान थे, जिन पर हमारी व्ह्य आती थी। पहली आसमानी किताब वालों से पूछ लो कि इन्सान थे

या फ़रिश्ते, अगर वे भी इन्सान ही थे, तो फिर जिद करना बेकार है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 35, सूः नह्ल के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

‘रसूल सब इन्सान ही होते हैं।’

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 17, सूः अन्-आम के सोलहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में, सूः फ़ुर्कान के पहले रूकूअ में, आयत न० 7 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा- कहने लगे कि यह कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता-फिरता है। इस बेवकूफी को देखिए कि रसूल की रिसालत के इन्कार का सबब यह बयान करते हैं कि यह खाने-पीने का मुहताज क्यों है और बाज़ारों में तिजारत और लेन-देन के लिए आता-जाता क्यों है ?

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 91, सूः फ़ुर्कान के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में, यह उन जाहिलों का एतराज़ है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत और शरीअत का इन्कार करने के लिए बहाने बनाया करते थे, तो उसके जवाब में अल्लाह तआला का फ़रमान सुनिए-

कुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में, सूः फ़ुर्कान के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 20 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा- हमने तुझ से पहले जितने भी रसूल भेजे, वे सब के सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी चलते-फिरते थे।

अगले सब पैग़म्बर भी इंसानी ज़रूरतें रखते थे, खाना-पीना उन के साथ भी लगा हुआ था, व्यापार, तिजारत व रोज़ी कमाना वे भी किया करते थे, ये चीज़ें नुबूवत के खिलाफ़ नहीं हैं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 95, सूः फ़ुर्कान के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

‘मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ कि न खाऊं, न पिऊं, मैं तो इंसान हूँ, उस की वह्य और इल्हाम का पाबन्द हूँ।’

हवाला- तफ़्सीरे हक्कानी, जिल्द 4, पृ० 78, सूः अन्-आम के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी जूती गांठ लेते और अपना नया या पुराना कपड़ा सी लेते, उस में पैबन्द लगा लेते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में काम करते जैसे कि एक तुम्हारा (आदमी) अपने घर में काम करता है और हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा

ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने कपड़ों में जुएं देखते थे ।

हवाला- मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 494, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख्लाक के बयान में ।

हदीस- हज़रत उमरह रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि किसी ने हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दौलतकदे यानी (मकान) पर क्या किया करते थे ? उन्होंने फ़रमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदमियों में से एक आदमी थे । अपने कपड़ों में खुद ही जूँ तलाश कर लेते थे और खुद ही बकरी का दूध दूह लेते थे और अपने काम खुद ही कर लेते थे ।

हवाला- शमाइले तिरमिज़ी, पृ० 295, हदीस 13, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तवाज़ोअ का बयान ।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी जूतियां खुद गांठ लेते थे, कपड़ा खुद सी लेते थे और अपने घर में काम उसी तरह करते थे, जिस तरह तुम अपने घरों में काम करते हो और हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदमियों में से एक आदमी ही थे, अपने कपड़े की जुएं खुद देख लेते थे और अपनी बकरी का दूध दूह लेते थे और अपनी खिदमत खुद कर लेते थे ।

हवाला- मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 850, हदीस 5543, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख्लाक का बयान ।

इन हदीसों में जो जुओं के बारे में इर्शाद है, उस से हमें कोई वहम नहीं, जूँ किस की थी और कहां से आयी थी, वह तो अल्लाह ही बेहतर जाने । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बैठना, उठना फ़कीरों और मिस्कीनों के साथ ज़्यादा था । दूसरी बात यह है कि मदीना वाले खेतों और बाग़ों वाले लोग थे और जहां पर खेती-बाड़ी होती है, वहां यानी देहात व कस्बा के माहौल में अक्सर जुएं हो जाती है और एक दूसरे पर भी चढ़ जाती हैं । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भी मुम्किन है दूसरों की चढ़ गयी हों और आप को अपने कपड़े देखने पड़ते हों या मुम्किन है बग़ैर जूँ के खाली यों ही देखते हों, क्योंकि कभी-कभी यों मालूम होता है कि जूँ काट रही है और जब उस जगह पर देखा जाता है तो कुछ भी नहीं होता या किसी तिनके या बाल बग़ैरह का ज़रा-सा टुकड़ा होता है और देखने वाले को ऐसा मालूम होता है कि ये जूँ देख रहे हैं ।

हदीस- हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने न तो कोई ऐसा अंबर सूंघा, न मुश्क और न कोई और चीज़, जिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जिस्म की खुशबू से ज़्यादा खुशबू पायी गयी हो और न मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक हाथ से ज़्यादा नर्म दीबा और हरीर देखा (यानी रेशम और मखमल) ।

- हवाला-** 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 133, हदीस 660, बाब 315, फ़ज़ाइल का बयान,
 2. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 441, हदीस 1822, रोज़ों का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 494 ।

उलेमा-ए-दीन का फ़त्वा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक बदन में या कपड़ों में जूं नहीं पड़ती थी, क्योंकि जूं उस को पड़ती है, जिस के पसीने में बदबू आती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पसीने में मुशक व अंबर से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आती थी ।

बहरहाल यह हदीस बयान करने से हमारा मक़सद सिर्फ़ इतना है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान थे या नहीं । अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे, तो फिर जूता सी लेना, कपड़ा सी लेना और बकरी का दूध दूह लेना, ये सब काम इंसान के हैं या और किसी के ?

इसके अलावा अल्लाह के लाल सच्चे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो सुन्नतों पर अमल करते आये हैं और अमल कर रहे हैं और क़ियामत तक अमल करते रहेंगे, वे कहां से आयी हैं ? खाने और पीने की सुन्नतें, उठने और बैठने की, चलने-फिरने और बोलने की सुन्नतें, सोने और जागने की सुन्नतें; बीवी-बच्चों से प्यार और उन के साथ रहने सहने की सुन्नतें, दोस्त-बिरादर और हर रिश्तेदार से सुलूक करने की सुन्नतें, पेशाब और पाख़ाना की सुन्नतें, सलाम व कलाम की सुन्नतें, कपड़े पहनने और उतारने की सुन्नतें, हजामत वगैरह की सुन्नतें, इन के अलावा वुजू, नमाज़, रोज़ा, हज, उमरा और सफ़र की सुन्नतें, ये सब कहां से आयीं? हम जो सुन्नत वल जमाअत का दावा करते हैं, यह कौन-सी सुन्नत और किस की सुन्नत है । अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे तो फिर ये सब सुन्नतें कहां से लाये और किस ने सिखायी हैं?

कुरआन शरीफ के सोलहवें पारे में, सूर: कहफ़ के बारहवें रकूअ में, आयत न० 110 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है ।

तर्जुमा- 'एलान कर दे कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूं ।'

यहां तक तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इंसान होने के सबूत में आयतें और हदीसें सुनीं, अब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इंसानियत का इंकार करते हैं और जिस हदीस से दलील लेते हैं, वह हदीस और उस का जवाब भी सुन लीजिए-

हदीस- हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को विसाल (यानी सौमे विसाल) से उन पर रहम खा कर मना फ़रमा दिया, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि आप तो

विसाल करते हैं? आपने फरमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता-पिलाता है।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 439, हदीस 1813, रोज़े का बयान।

विसाल कहते हैं, लगातार सेहरी और इफ्तार के बगैर रोज़ा रखने को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम विसाल करते थे और आप को देख कर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी करने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन को ऐसा करने से मना फरमा दिया, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि आप तो विसाल करते हैं ? तो आपने फरमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ।

मैं तुम जैसा नहीं हूँ कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, बल्कि इस से मुराद यह है कि मुझे तो अल्लाह तआला की तरफ से खिलाया-पिलाया जाता है और तुम्हें कौन खिलायेगा पिलायेगा, इसलिए मर्तबे के लिहाज़ से तुम जैसा नहीं हूँ।

कुरआन शरीफ के बाइसवें पारे में, सूर: अहज़ाब के चौथे रकूअ में, आयत न० 32 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - 'ऐ नबी की बीवियों ! तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो।'

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! कुछ अक्लमंदी और समझदारी से काम लेना। वह तो हदीस थी और यह तो आयत है और अल्लाह तआला फरमा रहा है कि तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अब आप ही इसाफ करें कि वे औरतें नहीं थीं, तो फिर और कौन थी ? और क्या थीं तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि वे औरतें ही नहीं थीं, बल्कि इस का मतलब यह है कि तक्वा परहेज़गारी और मर्तबे में तुम दूसरी औरतों से अफ़ज़ल हो और यही मतलब उस हदीस का है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तो इस से मुराद यह नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे, बल्कि इस से मुराद यह है कि तक्वा, परहेज़गारी, नुबूवत व रिसालत के बुलंद मर्तबों के लिहाज़ से तुम जैसा नहीं हूँ और आप के मर्तबे के बारे में आयतें और हदीसें आगे आएंगी। इन्शाअल्लाहु तआला।

कुरआन मज़ीद के तेरहवें पारे में, सूर: रअद के छठे रकूअ में आयत न० 38 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - 'और तुझ से पहले भी हम बहुत-से रसूल भेज चुके हैं और हमने उन सब को बीवी-बच्चों वाला बनाया था।'

अल्लाह तआला की तरफ से इशादि हो रहा है कि जैसे आप बावजूद इंसान होने के रसूले खुदा हैं, इसी तरह आप से पहले के तमाम रसूल भी इंसान ही थे, खाना खाते थे, बाज़ारों में चलते-फिरते थे और बीवी-बच्चों वाले थे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 50, सूर: रअद के छठे रकूअ की तफ़सीर में।

अब इस आयते शरीफा से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे क्योंकि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आज भी मौजूद हैं और इन्शाअल्लाह कियामत तक रहेगी। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाप-दादा, पर दादा, मां, नानी, पर नानी और चाचा-चाची यानी हर रिश्तेदार मौजूद था, फिर क्यों इंकार कर रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे।

यह है हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों की खुली हुई जहालत।

कुरआन शरीफ के पन्द्रहवें पारे में, सूर: बनी इस्राईल के सातवें रकूअ में, आयत न० 70, में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - यकीनन हमने औलादे आदम को बड़ी इज्जत दी और उन्हें खुशकी और तरी की सवारियां दीं और उन्हें पाकीजा चीजों की रोजियां दीं और अपनी बहुत-सी मख्लूक पर उन्हें फजीलत अता फरमायी।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है-

‘मोमिन खुदा की नज़र में कुछ फरिश्तों से बुजुर्ग व बरतर है।’

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 837, हदीस 5457, मख्लूकात की पैदाइश का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 462, मख्लूकात की पैदाइश का बयान।

कुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: बय्यिन: में आयत न० 7-8 में, अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - बेशक जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये, ये लोग बेहतरीन खलाइक हैं, इन का बदला इन के रब के पास हमेशा वाली जन्नतें हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआला उन से खुश रहेगा और ये उससे। यह है उस के लिए जो अपने परवरदिगार से डरे।

अपने नेक बन्दों के अंजाम की खबर देता है, जिन के दिलों में ईमान है और जो अपने जिस्मों से सुन्नत के पूरा करने में लगे रहते हैं। ये सारी मख्लूक से बेहतर और बुजुर्ग हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 92, सूर: बय्यिन: की तफ़सीर में।

इस आयत से हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उलेमा-ए-किराम की एक जमाअत ने दलील ली है कि ईमान वाले इंसान फरिश्तों से भी अफ़जल हैं। फिर इर्शाद होता है उन का नेक बदला उन के रब के पास हमेशा वाली जन्नतों की शकल में है, जिनके कोने-कोने पर पाक-साफ़ पानी की नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा-हमेशा की जिंदगी के साथ रहेंगे, न

वहां से निकाले जाएंगे, न वे नेमतें उन से जुदा हों, न कम हों, न और कोई खटका है और न ग़म, फिर इन सब से बढ़-चढ़ कर नेमत व रहमत यह है कि रब की रज़ा और मौला की मर्ज़ी उन्हें हासिल हो गयी है और उन्हें इस क़दर नेमतें जनब बारी तआला ने अता फ़रमायी हैं कि ये भी दिल से राज़ी हो गं हैं, फिर इर्शाद होता है कि यह बेहतरीन बदला, यह भरपूर जज़ा और सब से बड़ा अज़्र दुनिया में खुदा से डरते रहने के बदले में है। हर वह आदमी जिस के दिल में डर हो, जिस की इस्लास में इस्लाम हो, जो जानता हो कि खुदा की इस पर नज़रें हैं, बल्कि इबादत के वक़्त इस मशगूली और दिलचस्पी से इबादत कर रहा हो कि गोया वह खुद अपनी आंखों से अपने ख़ालिक, मालिक और सच्चे रब और हकीकी खुदा को देख रहा है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 92, सूः बय्यिनः की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के तीसवें पारे में, सूः वत्तीन में, आयत न० 4 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - 'यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया।'

इन आयतों से दलील ली है कि इंसान फ़रिश्तों से अफ़जल है।

हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह! तू ने आदम की औलाद को दुनिया दे रखी है, वे खाते-पीते हैं और मौज-मजे करते हैं, तो तू उस के बदले में हमें आख़िरत में ही अता फ़रमा, क्योंकि हम उस दुनिया से महरूम हैं। इस के जवाब में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम! उस की नेक औलाद को, जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है, उस के बराबर हरगिज़ न करूंगा, जिसे मैंने 'कुन' के कलिमा से पैदा किया है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 57, सूः बनी इस्राईल के सातवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

ऐ अल्लाह! मैंने तुझ से एक अह्द (वचन) लिया है यानी मैं तुझसे एक दरख्वास्त करता हूँ, उम्मीद है कि तू उस के ख़िलाफ़ न करेगा यानी उस को तू ज़रूर कुबूल कर लेगा। मैं एक आदमी ही हूँ, (जिस से ग़लती मुम्किन है।) पस जिस मोमिन को मैंने तक्लीफ़ दी हो, जिस मोमिन को मैंने बुरा कहा हो, जिस मोमिन को मैंने लानत की हो, जिस मोमिन को मैंने मारा हो, तो इन सब चीज़ों को उस के हक़ में रहमत बना दे और इन को उन के सारे गुनाहों से पाकी का सबब करार दे और अपनी क़ुरबत का ज़रिया बना कि वे उसके ज़रिए क़ियामत के दिन तेरे करीब हो जाएं।

हवाला -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 368, हदीस 2103, दुआ का बयान।

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 240, दुआ का बयान ।

आप को एक मिसाल देकर समझाता हूं, उम्मीद है कि इन्शाअल्लाहु तआला आप की समझ में बात आ जाएगी । आप जानते हैं कि पत्थर तो पत्थर ही होते हैं, मगर हीरा पत्थर ही में से बनता है, सिवाए पत्थर के और किसी चीज़ में से नहीं बनता । सोना-चांदी, तांबा, पीतल और लोहा वगैरह से नहीं बनता । यही मिसाल तमाम नबियों और रसूलों की है कि नबी जो होते हैं, वे इंसानों ही में से होते हैं, फरिश्तों या जिन्नो में से कोई भी आज तक इंसानों के लिए नबी या रसूल बन कर नहीं आया । आयी बात समझ में मेरे भैया के ।

दुनिया में जितनी भी घास होती है, वह सब घास ही कहलाती है । एक तो वह घास है, जो पांच रुपए की एक मन मिलती है और जाफरान भी तो घास ही है, लेकिन एक तोला सौ रुपए देने के बाद भी सही नहीं मिल रहा है, हालांकि यह भी घास है और पांच रुपए मन वाली भी घास ही है, तो जिस तरह पत्थरों में हीरों को बड़ाई हासिल है और घासों में जिस तरह जाफरान को बड़ाई हासिल है, इसी तरह रसूलों और नबियों को इंसानों पर बड़ाई हासिल है ।

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिव-व आलिही व अस्थाबिही अजमइ न० ।

या साहिबल जमालि व या सय्यिदल बशर

मिन वज्हि-कल मुनीर ल-कद नव्वरल क-मर,

ला यम्किनुस्सनाउ कमा का-न हक्क हूं

बाद अज खुदा बुज्रुर्ग तुई किस्सा मुस्तसर ।

**हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)
की शाने मुबारक**

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक के लिए इतना ही कह देना काफी है कि खुदा के बाद अगर कोई हस्ती उसकी कुल मरूलूकात और तमाम कायनात में बुलंद व बाला है तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बरकतों भरी जात है । बड़े-बड़े नबियों और रसूलों तक से अल्लाह ने यह साफ फरमा दिया कि तुम्हारी नुबूवत और शरीअत उस वक्त मसूख (खत्म) है । जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया में रसूल बन कर तशरीफ ले आएँ और तुम को उन की शरीअत का पाबन्द, उन का मददगार और उनका उम्मती बन कर रहना पड़ेगा और इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को जमा करके मीसाक के दिन अहद (वचन) ले लिया ।

कुरआन मजीद के तीसरे पारे में, सूर: आले इम्रान के नवे रकूअ में, आयत न० 81 में, अल्लाह तआला इशादि फरमाता है ।

तर्जुमा - जब अल्लाह तआला ने नबियों का अह्द लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास वह रसूल आए, जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताये, तो तुम्हें उस पर ईमान लाना और उस की मदद करना ज़रूरी है। फ़रमाया कि क्या तुम इस के इकरारी हो ? और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो ?

सब ने कहा, हमें इकरार है।

फ़रमाया, तो अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ।

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हर नबी से अह्द लिया कि उस की जिंदगी में अगर अल्लाह तआला अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वह आप पर ईमान लाये और आप की इम्दाद करे और अपनी उम्मत को भी यही तल्कीन कर दे कि वे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये और आप की ताबेदारी में लग जाए।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 84, सूः आले इम्रान के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

यह है वह ऊंचा मक़ाम और बड़ा मर्तबा, जो अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इनायत फ़रमाया है। यह है वह शान व मर्तबा, जो क़ुरआन मजीद बता रहा है कि रसूलों और नबियों की मुक़द्दस जमाअत भी इकरार करती है कि अगर ख़ातमुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे ज़माने में तशरीफ़ लाये, तो हम अपनी शरीअत छोड़ कर आप की शरीअत पर चलेंगे और अपनी नुबूवत को ख़त्म समझ कर आप की इताअत में लग कर आप के उम्मती बन जाएंगे। बेशक आप नबियों के इमाम और सरदार हैं, जिन का ज़िक्र हर नबी ने अपने ज़माने में किया।

हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और इमामे आज़म हैं। जिस ज़माने में भी आपकी नुबूवत होती, आप की इताअत वाजिब होती और तमाम नबियों की ताबेदारी पर, जो उस वक़्त हो, आप की फ़रमांबरदारी मुक़द्दम रहती। यही वजह थी कि मेराज वाली रात को बैतुल मक़िदस में तमाम नबियों के इमाम आप ही बनाये गये। इसी तरह हशर के मैदान में अल्लाह तआला को फ़ैसले के लिए लाने में शफ़ीअ (शिफ़ाअत कराने वाले) आप ही होंगे। यही वह मक़ामे महमूद है, जो आप के सिवा और किसी के लायक नहीं। तमाम नबी और कुल रसूल उस दिन इस काम से मुंह फेर लेंगे। आख़िर में आप ही खुसूसियत के साथ उस मक़ाम में खड़े होंगे। अल्लाह तआला अपने दरूद और सलाम आप पर हमेशा-हमेशा भेजता रहे क़ियामत के दिन तक। आमीन !

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 85, सूः आले इम्रान के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने फ़रमाया कि मैं क़ियामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार बनूंगा। सबसे पहले मेरी क़ब्र शक़ होगी, सब से पहले मैं शफ़ाअत करूंगा और सब से पहले मेरी शफ़ाअत कुबूल की जाएगी।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 126, बाब 296, हदीस 620, फ़ज़ाइल का बयान।

देखा मेरे अज़ीज़! हमारी खुशनसीबी के क्या कहने! हम ऐसे बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत हैं, जिन की ताबेदारी करने और जिन की उम्मत में शामिल होने के लिए बड़े-बड़े नबियों और रसूलों तक ने खुशी से इकरार किया और इस इकरार में अपनी सज़ादतमंदी समझी, लेकिन हमारी बद-बख़्ती और जहालत का भी कोई ठिकाना नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से हम दूर हो गये, यहां तक कि अगर आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई सही बात हमें सुनायी जाती है, तो वह हमें ना-गवार मालूम होती है और यह सब कुछ उन नादान पीरों और जाहिल मौलवियों की वजह से हो रहा है, जो आज उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों में धूल झोंक कर गुमराही का बाज़ार गर्म किये हुए हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक देखनी हो तो कुरआन मज़ीद खोल कर देखो कि सिर्फ़ नबियों ने ही अपनी उम्मतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान नहीं बतायी, बल्कि उन पर जो किताबें नाज़िल हुई हैं, उन में भी अल्लाह तआला ने अपने मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पहचान करा दी और बता दिया कि आप की इताअत वाजिब है।

कुरआन मज़ीद के नवें पारे में, सूर: आराफ़ के उन्नीसवें रकूअ में, आयत न० 157 में, अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिन को वे लोग अपने पास तौरैत और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं।

जो लोग नबी उम्मी की पैरवी करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, उन्हें उस पेशीनगोई का इल्म है, जो उन की किताबों तौरात व इंजील में नबी उम्मी से मुताल्लिक लिखी हुई है। नबियों की किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़त (खूबी) का ज़िक्र किया हुआ है, जिन्होंने अपनी-अपनी उम्मत को आप के नबी बनाये जाने की खुशख़बरी दी है और उन का मज़हब अख़्तियार करने की हिदायत की है, उन के उलेमा और राहिब इस चीज़ को जानते हैं।

मुस्नद अहमद में है कि एक बदवी (देहाती) ने बयान किया है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में दूध बेचने के लिए मदीने में गया। बेचने से फ़ारिग होने के

बाद मैंने कहा, चलो, उन से भी (यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मिल लूं और उन से कुछ बातें सुनूं। मैंने देखा कि आप अबूबक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ जा रहे हैं, मैं भी पीछे हो लिया। ये तीनों एक यहूदी के घर पहुंचे, जो तौरैत जानता था। उस का लड़का करीबुल मौत था, नवजवान और खूबसूरत। वह उस के पास बैठा हुआ नफ़स की ताज़ियत के लिए तौरैत पढ़ रहा था। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस यहूदी से बातें करने लगे और फ़रमाया कि तुम्हें तौरैत नाज़िल करने वाले की क़सम है। सच बताओ, इस तौरैत में मेरा ज़िक्र और मेरे पैग़म्बर बनाये जाने की ख़बर भी है या नहीं? उस यहूदी ने सिर हिला कर कहा, नहीं। तो उस का करीबुल मौत नवजवान लड़का बोल उठा कि तौरैत नाज़िल करने वाले की क़सम! कि हम अपनी किताबों में आप के पैग़म्बर बनाये जाने की ख़बर पाते हैं और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब वह मर गया तो आप ने फ़रमाया कि वह मुसलमान है। यहूदियों को यहां से हटा दो, फिर आप ने उस के कफ़न और नमाज़ का इन्तिज़ाम किया।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 29, सूरा आराफ़ के उन्नीसवें स्कूअ में तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला और पूछा कि तौरैत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो सिफ़तें (खूबियां) ज़िक्र की गयी हैं, उन से मुझ को आगाह करो। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हां, (मैं तुम को आगाह करता हूं)। खुदा की क़सम! तौरैत में आप की कुछ वहीं सिफ़तें बयान की गयी हैं, जो क़ुरआन मजीद में पायी जाती हैं, यानी ऐ नबी! हमने तुझको (उम्मत पर) शाहिद बना कर भेजा है और खुशख़बरी देने वाला (सवाब की) और डराने वाला (अज़ाब से) और उम्मियों की पनाह! तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल है। मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा है, न तो तू बुरी तबियत का है, न सख़्ती करने वाला और न बाज़ारों में शोर मचाने वाला और वह बुराई को बुराई के साथ दूर नहीं करता, बल्कि दरगुज़र करता है और मग़िफ़रत की दुआ करता है और अल्लाह उस की रूह को उस वक़्त तक क़ब्ज न करेगा, जब तक कि गुमराह क़ौम को उस के ज़रिए सीधे रास्ते पर न लाये, इस तरह से कि वे लोग इसको मान लेंगे कि खुदा के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है और उस वक़्त तक उस की रूह खुदा क़ब्ज न करेगा, जब तक अंधी आंखों, बहरे कानों, बे-हिस दिलों को इस कलिमे के ज़रिए ठीक न कर दे।

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 840, हदीस 5475, फ़जाइले सय्यिदिल मुर्सलीन,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 470, फ़जाइले सय्यिदिल मुर्सलीन।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह शाने मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कि नबियों ने भी खुशख़बरी दी और उन पर उतरी हुई किताबों ने भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की सिफतें बयान कीं, लेकिन ये यहूदी उस वक़्त आप का इंकार कर बैठे, जब आप रसूल बन कर दुनिया में तशरीफ लाये। यहूदी और ईसाई आप की नुबूवत से पहले अपनी किताबों में लिखी हुई सिफतें मक्का और मदीना वालों को बताते थे और कई यहूदी आलिम और मजूसी तो मदीना तैयिबा में अपने बोरिए और बिस्तर जमाए हुए इन्तिज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के आखिरी पैग़म्बर बनाये जाने का जमाना करीब है और मदीना तैयिबा में आप हिज़रत करके तशरीफ लाएंगे, लेकिन जब आप तशरीफ लाये तो उन्होंने सिर्फ़ इस वजह से इंकार कर दिया कि यहूदी और ईसाई होकर मुहम्मदे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान क्यों लाएं। हममें से अगर आप होते तो हम ईमान लाते और यह कह कर उन बातों को भी छिपा गये, जिन को वे अपनी किताबों में से बयान किया करते थे।

कुरआन करीम के पहले पारे में सूर: बकर: के ग्यारहवें रूकूअ में, आयत न० 89 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'जिस के पहले ये खुद उस के साथ कुफ़्र पर जीत चाहते थे, तो आ जाने के बावजूद और पहचान लेने के बावजूद फिर कुफ़्र करने लगे। अल्लाह की लानत हो इन काफ़िरों पर।'

जब कभी यहूदियों और अरब के मुशिरकों के बीच लड़ाई हुई तो यहूदी कहा करते थे कि बहुत जल्द खुदा की सच्ची किताब लेकर खुदा के एक बहुत बड़े पैग़म्बर आने वाले हैं। हम उन के साथ होकर तुम्हें ऐसा क़त्ल व ग़ारत करेंगे कि तुम्हारा नाम व निशान मिटा देंगे। अल्लाह तआला से दुआएं किया करते थे कि ऐ खुदा ! तू उस नबी को जल्द भेज, जिस की सिफतें हम तौरत में पाते हैं, ताकि हम उन पर ईमान ला कर उनके साथ होकर अपना बाजू मज़बूत करके तेरे दुश्मनों से बदला लें। मुशिरकों से कहा करते थे कि उस नबी का जमाना अब बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैग़म्बर बनाये गये, तमाम निशानियां आप में देख लीं, पहचान लिया, दिल से कायल हो गये, मगर चूंकि आप अरबों में से थे, इस लिए हसद कर के आप की नुबूवत का इंकार कर दिया और अल्लाह तआला की लानत में आ गये, बल्कि वे मुशिरक, जो मदीना में थे और जो उन से यह सुनते चले आते थे, उन्हें ईमान नसीब हुआ और आखिर में वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हो कर यहूदियों पर ग़ालिब आ गये।

एक बार हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत बशर बिन बरा, और हज़रत दाऊद बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मदीना के इन यहूदियों से कहा भी कि तुम तो हमारी शिर्क की हालत में हम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत का जिक्र किया करते थे, जो-जो सिफतें तुम हज़रत के बयान किया करते थे, वे तमाम सिफतें आप में मौजूद हैं, फिर तुम खुद क्यों ईमान नहीं लाते ? आप का साथ क्यों नहीं देते ?

तो सलाम बिन मुशिकम ने जवाब दिया कि हम इन्हें नहीं कहते थे। इसी का जिक्र इस आयत में है कि पहले से मानते थे, इन्तिज़ार में थे, लेकिन आने के बाद हसद और तकब्बुर

से अपनी रियासत के खोये जाने के ख्याल से साफ इंकार कर बैठे।

हवाला - तफसीर इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 142, सूः बकर के ग्यारहवें खूअ की तफसीर में।

मेरे अजीज दोस्त ! ये थे यहूदी कि जो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सब से पहले ईमान लाने का दावा करते थे, आप का साथ देने की डींगें मारते थे, आप की मुहब्बत और इश्क का दावा करते थे, लेकिन जब पैगम्बरे-खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने नुबूवत देकर भेजा, तो ये लोग पीछे हट गये। उन की मुहब्बत के दावे, उन के ईमान लाने के दावे, उन के इश्के रसूल के दावे सब धरे के धरे रह गये और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन के सामने तशरीफ लाये, तो उन यहूदियों ने साफ इंकार कर दिया।

ऐ मेरे भोले-भाले अजीज दोस्त ! ज़रा आंखें खोल कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को देखो, तो आप को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि इन यहूदियों के नक्शे क़दम पर चलने वाले आज अक्सर मुसलमान ही हैं। इश्के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दावा करने वाले मुसलमान, आप के बालों पर जान देने वाले मुसलमान, आप के क़दम के निशान को पूजने वाले मुसलमान ऐसे मिलेंगे कि अगर शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई सही बात किसी अल्लाह वाले से सुनते हैं तो इस तरह भाग खड़े होते हैं, जिस तरह जंगली जानवर जान छुड़ा कर भाग खड़े होते हैं और इस तरह शरीअत की ठोस बातों का इंकार कर देते हैं, जिस तरह यहूदियों ने इंकार किया था।

मेरे अजीज दोस्त ! ऐसे जाली तरीकों से और झूठे दावों से रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान नहीं बढ़ती, बल्कि आप की तौहीन होती है और पैगम्बरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऐसे जाली तराकी और झूठे दावों से शाने मुबारक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक को इस क़दर बढ़ाया और इतना शर्फ अता फ़रमाया कि इस से पहले और बाद में आदम की औलाद के अन्दर किसी को भी नहीं दिया।

कुरआन शरीफ के तीसवें पारे में, सूः अलम नशरह में, आयत न० 4 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'और हम ने तेरा ज़िक्र बुलन्द किया।'

अबू नईम के हवाले से लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह ! मुझ से पहले जितने नबी हुए हैं, उन सब की तूने तकरीम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़लील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को उन के मातहत बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को ताबेअ किया और शैतानों को भी, ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुर्दे ज़िदा कराये हैं, पस मेरे लिए

क्या किया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, क्या मैं ने तुझे इन सब से अफ़ज़ल चीज़ नहीं दी कि मेरे ज़िक्र के साथ ही तेरा ज़िक्र किया जाता है। अपने नाम के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम भी मिला लिया, जबकि मुअज़्ज़िन पांचों वक़्त-

‘अशहदू अल-ला-इला-इल्लल्लाहु’ के साथ

‘अशहदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह’ कहता है, आप की इज़्ज़त व जलाल के इज़हार के लिए अपने नाम से आप का नाम निकाला। देखो वह अर्श वाला महमूद है और आप मुहम्मद हैं, सल्लललाहु अलैहि व सल्लम !

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 75, सूः अलम नशरह की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह है आप की शाने मुबारक कि आज सैकड़ों वर्ष हो रहे हैं, दुनिया आलम की करोड़ों मस्जिदों में, अनगिनत लोग अपनी अज़ानों में, नमाज़ों में, आप का कलिमा बुलंद करते चले आ रहे हैं और इस तरह से अल्लाह पाक बराबर एलान करता चला आ रहा है कि तुम्हारे लिए अमल का नमूना और इताअत के काबिल हमारे बंदों में सिर्फ एक ही ज़ात है, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ाते मुबारक।

मगर हाय हिन्दुस्तान के मुसलमानों की जहालत, कि किसी ने आपको छोड़ कर अपने ‘हज़रत’ को पकड़ लिया, किसी ने आप को छोड़ कर अपने ‘नादान पीर’ को पकड़ लिया, किसी ने आप को छोड़ कर ‘जाहिल मौलवियों’ को पकड़ लिया और किसी ने ‘ख्वाज़ा’ को पकड़ लिया और किसी ने किसी दरवेश को पकड़ा और किसी ने किसी ‘वली’ और ‘सूफी’ को पकड़ा। अगर न पकड़ा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न पकड़ा और छोड़ा तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को छोड़ा।

मेरे भैया ! यही सब से बड़ी बद-किस्मती है, बल्कि सब से बड़ी गुमराही है। ज़रा कान खोल कर सुन कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से ज़रा-सा भी हटना और दूसरे की तरफ झुकना एकदम गुमराही है। लो, ध्यान से सुनो, यकीन के साथ कहता हूँ कि यही एक बात हमारी हिदायत का ज़रिया बन जाएगी, इन्शाअल्लाहु तआला।

हदीस - हज़रत ज़ाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि (एक बार) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास तौरैत का नुस्खा लाये और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! यह तौरैत का नुस्खा है। आप ख़ामोश रहे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ना शुरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे का रंग बदलने लगा। हज़रत अबुबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह देख कर कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ! तुमको गुम करें गुम करने वालियां, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे (की तब्दीली) को नहीं देखते ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप के चेहरे पर नज़र डाली और कहा, पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह

की अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुस्से से। राजी हैं हम अल्लाह के रब होने पर और दीने इस्लाम पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत पर। पस फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, कसम है उस जात की, जिस के कब्जे में मेरी जान है, अगर मौजूद होते तुम में मूसा अलैहिस्सलाम और तुम उन की फरमांबरदारी कुबूल कर लेते और मुझ को छोड़ देते (तो इस का नतीजा यह होता कि) तुम सीधी राह से भटक कर गुमराह हो जाते। अगर मूसा (अलैहिस्सलाम) जिंदा होते और मेरी नुबूवत के जमाने को पा लेते तो (यकीनन) मेरी पैरवी करते।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 113, हदीस 182, अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत का बयान,

2. मजाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 81, किताबुल ईमान।

मेरे दोस्त ! हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने आलमगीर हैसियत दी है और सारे जहान का पेशवा बना कर आप को भेजा है। सारे जहान की इताअतगुजारी सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, सारे जहान के लिए रहमत, पूरी दुनिया कि लिए नबी बना कर भेजे गये हैं।

कुरआन मजीद के सतरहवें पारे में, सूर: अंबिया के सातवें रकूअ में, आयत न० 107 में, अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - 'हमने तुझे तमाम जहान वालों के लिए रहमत ही बना कर भेजा है।'

हजरत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु ! एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने खुत्बे में फरमाया कि जिस को गुस्से में मैं ने बुरा-भला कह दिया हो, या उस पर लानत की हो, तो समझ लो कि मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी गुस्सा आ जाता है, हां, अल-बत्ता मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, तो मेरी दुआ है कि खुदा मेरे उन लफ्जों को भी उन लोगों के लिए रहमत बना दे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 40, सूर: अंबिया के सातवें रकूअ की तफ्सीर में।

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिव-व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम०

ब-ल-गल उला बिकमालिही०

क-श-फद्-दुजा बिजमालिही०

ह-स-नत जमीउ खिसालिही०

सल्लू अलैहि व आलिही०

फज़ाइले सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के तेरहवें रकूअ में, आयत न० 100 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - वे मुहाजिर और अंसार, जिन्होंने सब से पहले ईमान की दावत पर लब्बैक कहने में पहल की (और बाकी उम्मत में) जितने लोग इस्लाम के साथ उन की पैरवी करेंगे, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और वे सब अल्लाह से राजी हुए और अल्लाह तआला ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में हमेशा-हमेशा रहेंगे, यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

हदीस - हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मेरे सहाबा (साथियों) को बुरा न कहो, इस लिए कि अगर तुम में से कोई उहुद के पहाड़ के बराबर सोना (अल्लाह की राह में) खर्च करे तो सहाबी के एक मुद्द या आधे मुद्द के सवाब के बराबर भी उस का सवाब न होगा।

(मुद्द एक पैमाना है, जिस में सैर भर जौ आते हैं)

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 895, हदीस 5722, सहाबा के मनाकिब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 82, सहाबा के मनाकिब का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, उस मुसलमान को आग (यानी दोज़ख़ की आग) न छूएगी, जिस ने मुझ को देखा हो या उस आदमी को देखा हो, जिसने मुझ को देखा हो।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 896, हदीस 5727, सहाबा के मनाकिब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 88, सहाबा के मनाकिब का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, अगर मैं किसी को अपना ख़ालिस दोस्त बनाता, तो अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को बनाता, लेकिन अबूबक्र मेरे भाई हैं और मेरे सहाबी हैं और अल-बत्ता तुम्हारे दोस्त (यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को खुदा ने अपना ख़लील (दोस्त) बनाया है।

हवाला -1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 142, हदीस 703, बाब 333,

फ़ज़ाइलुससहाबा रज़ि०,

2. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 897, हदीस 5734, मनाकिबे हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 92, फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ि०

हदीस - हजरत मुहम्मद जुबैर बिन मुत्ज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और किसी मामले में बातें कीं। आपने उस से फ़रमाया, फिर किसी वक़्त आना, उस औरत ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! यह बता दीजिए, अगर मैं आऊं और आपको न पाऊं (यानी आप इंतिकाल फ़रमा जाएं, तो क्या करूं ?) आपने फ़रमाया, अगर तू मुझ को न पाये, तो अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास चली जाना।

- हवाला** -1. सही बुख़री शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 220, हदीस 851, मनाकिबे अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 142, हदीस 706, बाब 333, मनाकिबे हजरत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5736, मनाकिबे हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 92, मनाकिबे हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को एक फ़ौज का अमीर मुकर्रर कर के ज़ातुस्सलासिल की जगह पर भेजा, फिर जब मैं आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने पूछा, आप को सब से ज्यादा किस से मुहब्बत है फ़रमाया, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। फिर मैंने पूछा और मर्दों में किस से ज्यादा मुहब्बत है ? फ़रमाया, आइशा रज़ि० के वालिद से। मैंने अर्ज़ किया, फिर किस से ? फ़रमाया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से।

हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसी तरह आप ने कुछ आदमियों को गिना और फिर मैं इस ख़्याल से ख़ामोश हो गया कि कहीं मेरा नाम बिल्कुल आख़िर में न आए।

- हवाला** -1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 220, हदीस 854, फ़ज़ाइले अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5737, फ़ज़ाइले अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 93, फ़ज़ाइले अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत मुहम्मद हनफीया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने वालिद (हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु) से मालूम किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कौन आदमी सब से बेहतर है ? तो उन्होंने फ़रमाया, अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) । मैंने पूछा, अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बाद कौन आदमी बेहतर है, फ़रमाया, उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) । हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बाद मैंने इस ख़्याल से न पूछा कि कहीं वह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम न ले लें, बल्कि मैंने सवाल का तरीका बदल दिया और यह पूछा कि फिर आप बेहतर हैं ? उन्होंने फ़रमाया, मैं तो सिर्फ़ एक मर्दे मुसलमान हूँ ।

हवाला -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5738, मनाकिबे हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 93, मनाकिबे हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जिस किसी ने हम को कुछ दिया है, हमने उस को उस का बदला दे दिया है, सिवाए अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी नेकी और बख़्शिश की है, जिस का बदला क़ियामत के दिन खुदा ही देगा और किसी आदमी के माल ने मुझ को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया, जितना अबूबक्र के माल ने पहुंचाया है । अगर मैं किसी को अपना ख़लील व ख़ालिस दोस्त बनाना चाहता तो अबूबक्र को अपना दोस्त बनाता । याद रखो, तुम्हारे दोस्त (यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) खुदा के ख़लील हैं ।

हवाला -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5740, मनाकिबे अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 361, हदी 1518, मनाकिबे अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 94, मनाकिबे अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे सरदार हैं और हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सब से ज़्यादा महबूब हैं ।

हवाला -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5741, मनाकिबे हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 94, मनाकिबे हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, (एक दिन) हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया । (यह वाक़िआ मेराज की रात का है) और मुझ को जन्नत का वह दरवाजा दिखाया, जिस से मेरी उम्मत जन्नत के अन्दर दाख़िल होगी । हज़रत अबूबक्र

सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! काश, मैं भी आप के साथ होता कि उस दरवाजे को देख लेता । रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ! आगाह हों कि मेरी उम्मत में से सब से पहला आदमी तू होगा, जो जन्नत में दाखिल होगा ।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 899, हदीस 5746, मनाकिबे अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 96, मनाकिबे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन उनके सामने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र किया गया । वह इस जिक्र को सुन कर रो पड़े और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक दिन और एक रात के अन्दर जो अमल किए हैं, काश ! उस दिन और रात के अमल की तरह उनकी सारी जिंदगी के अमल होते (यानी उनके एक दिन और एक रात के अमल के बराबर उन की सारी जिंदगी के अमल होते ।)

उन की एक रात का अमल तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हिजरत की रात को खाना होकर गारे सौर पर पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, खुदा की कसम ! आप उस वक़्त तक गार में कदम न रखें, जब तक मैं उसके अन्दर दाखिल होकर यह न देख लूं कि इसमें कोई (तक्लीफ देने वाली) चीज़ तो नहीं है । अगर कोई चीज़ होगी तो उसका नुक़सान मुझे पहुंचेगा और आप मद्दफूज रहेंगे । चुनांचे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अन्दर दाखिल हुए और उसको साफ़ किया । फिर अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को गार के अन्दर तीन सुराख़ नज़र आए । एक में तो उन्होंने अपने तहबंद में से चीथड़ा फाड़कर भर दिया और दो सुराखों में उन्होंने अपनी एडियां दाखिल कर दीं और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, अन्दर तशरीफ लाइएँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गार के अन्दर आ गये और अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रख कर सो गये । इस हालत में सुराख के अन्दर से सांप ने अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में काट लिया, लेकिन वह इसी तरह बैठे रहे और इस ख़्याल से हरकत न की कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख न खुल जाए, लेकिन तक्लीफ की ज्यादती की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़े । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख खुल गयी और आप ने पूछा-

‘अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु !) क्या हुआ ?’

उन्होंने अर्ज किया, मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हों, मुझ को काटा गया (यानी सांप ने मुझको काट लिया है।)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना लुआबे मुबारक उनके पांव के घाव पर लगा दिया और उनकी तकलीफ जाती रही।

इस वाकिए के बहुत दिनों के बाद सांप के ज़हर ने फिर रूजूअ किया और यही ज़हर आपकी मौत की वजह बना (यानी उसी ज़हर से मौत वाक़ेअ हुई)।

और अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दिन का अमल यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वफ़ात पायी।

तो अरब के कुछ लोग मुर्तद हो गये और उन्होंने कहा कि हम ज़कात अदा न करेंगे। अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर लोग मुझ को ऊंट की रस्सी देने से भी इन्कार करेंगे (यानी जो शरई तौर पर उन पर वाजिब होगी) तो उन पर जिहाद करूंगा।

मैंने कहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़लीफ़ा! लोगों से उल्फ़ त व मुरव्वत करो और नर्मी और अख़्लाक से काम लो।

अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जाहिलियत के दौर में तो तुम बड़े सख्त और ग़ज़बनाक थे, क्या इस्लाम में दाखिल होकर ज़लील व ख़्वार (यानी नामर्द व पस्त हिम्मत हो गये), व्ह्य का सिलसिला ख़त्म हो गया है और दीन मुकम्मल हो चुका है, क्या कमाल पर पहुंचने के बाद वह मेरी जिंदगी में कमज़ोर व नाकिस हो सकता है। (हरगिज़ नहीं।)

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 899, हदीस 5747, मनाकिबे अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 97, मनाकिबे अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत सअद् बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त चाही। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें (यानी पाक बीवियां) बैठी हुई बातें कर रही थीं और जोर-ज़ारे से बातें कर रही थीं, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त चाही (और उन औरतों ने उनकी आवाज़ सुनी) वे औरतें उठ खड़ी हुईं और परदे की तरफ दौड़ीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्दर आये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुस्कराते देखकर कहा, अल्लाह तआला आप के दांतों को हमेशा हंसाए।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इन औरतों की हालत पर मुझको ताज्जुब है। (मेरे पास बैठी हुई शोर मचा रही थीं) तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पर्दे में चली गयीं। हज़रत

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको खिताब करके कहा, ऐ अपनी जान की दुश्मन औरतो ! मुझ से डरती हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नहीं डरती ?

उन्होंने कहा, हां (तुम से इसलिए डरते हैं कि) तुम आदत के सख्त और सख्ती से पेश आने वाले हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, ख़त्ताब के बेटे ! और कोई बात करो, (उन को छोड़ो) कसम है उस ज़ात की, जिस के हाथ में मेरी जान है, जब तुम रास्ते पर चलते हो, तो शैतान तुम से नहीं मिलता, बल्कि जिस राह पर तुम चलते हो, उसको छोड़ कर दूसरे रास्ते पर चलता है।

- हवाला** - 1. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 900, हदीस 5749 बाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाकिब,
 2. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 225, हदीस 872, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाकिब,
 3. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 144, बाब 334, हदीस 715, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाकिब,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 98, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाकिब।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जब मैं जन्नत में गया (यानी शबे मेराज में) तो अचानक मेरी मुलाकात हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी (मीसा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई) और मैंने क़दमों की चाप सुनी। मैंने पूछा, यह किस के क़दमों की आवाज़ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के क़दमों की आवाज़ है। फिर मैंने एक महल देखा, जिस के आंगन में एक नव-जवान औरत बैठी थी। मैंने पूछा, यह महल किस का है? जन्नतियों ने कहा, उमर बिन ख़त्ताब का है। मैंने चाहा कि अन्दर दाख़िल हो कर महल को देखूं, लेकिन फिर तुम्हारी ग़ैरत मुझ को याद आ गयी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान ! क्या मैं आप के दाख़िल होने पर ग़ैरत करूंगा ?

- हवाला** - 1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 225, हदीस 868, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,
 2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 144, हदीस 714, बाब 334, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मिशकात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 900, हदीस 5750, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 99, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं सो रहा था कि देखता क्या हूँ, लोगों को मेरे सामने लाया जा रहा है और मुझ को दिखाया जा रहा है। ये सब लोग कुरते पहने हुए थे, जिनमें से कुछ के कुरते इतने छोटे थे जो सीने तक पहुंचते थे और कुछ के उससे नीचे। फिर मेरे सामने उमर बिन ख़त्ताब को लाया गया जो इतना लम्बा कुरता पहने हुए थे कि ज़मीन पर घसीटते हुए चलते थे। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! इस ख़्वाब की ताबीर आप ने क्या करार दी ? फ़रमाया, दीन ।

- हवाला** -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 227, हदीस 880, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 143, बाब 334, हदीस 711, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 900, हदीस 5751, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है-

मैं सो रहा था कि मैंने अपने आप को एक कुएं पर देखा, जिस पर डोल पड़ा हुआ था। मैंने उस डोल से जिस क़दर खुदा ने चाहा, पानी खींचा। फिर हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने डोल लिया और कुएं से एक या दो डोल पानी खींचा और अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के डोल खींचने में सुस्ती व कमज़ोरी पायी जाती थी और खुदावन्द ताअला अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की सुस्ती व कमज़ोरी को माफ़ फ़रमाये। फिर वह डोल चर्स बन गया और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस को ले लिया और मैंने किसी जवान और मज़बूत और ताक़तवर आदमी को ऐसा न पाया, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह उस चर्स को खींचता हो, यहां तक कि लोगों ने अपने ऊंटों को पेट भरकर पानी पिलाया और पानी के ज़्यादा हो जाने की वजह से उस जगह को ऊंटों के बैठने की जगह बना लिया और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में ये लफ़्ज हैं कि फिर उस डोल को अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया और डोल उनके हाथों में पहुंचकर चर्स बन गया। मैंने किसी नव-जवान और ताक़तवर आदमी को नहीं देखा जो (चर्स खींचने में) उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह काम करता हो, यहां तक कि (उन्होंने) लोगों का पानी से जी भर दिया और पानी काफ़ी हो जाने की वजह से उस जगह को लोगों ने ऊंटों के बैठने की जगह बना लिया।

- हवाला** -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 225, हदीस 871, बाब मनाकिबे

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 143, बाब 334, हदीस 713, बाब मनाकिबे

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5753, बाब मनाकिबे हज़रत उमर

रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 100, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ।

- हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग इस बात को गुमान से परे नहीं समझते थे कि सकीनत (तमानियत) हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान पर होती है। (यानी वह जो बात कहते हैं, उससे सुकून व इत्मीनान हासिल हो जाता है।)

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5755, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 101, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ फ़रमायी थी कि ऐ अल्लाह ! इस्लाम को इज़्ज़त व अज़्मत नसीब फ़रमा अबू जह्ल बिन हिशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए ।

इस दुआ के बाद सुबह को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम कुबूल कर लिया और इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एलानिया नमाज़ पढ़ी ।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5756, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 365, हदीस 1538, अब-वाबुल मनाकिब,

3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 101, अब-वाबुल मनाकिब ।

हदीस - हज़रत उक्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, तो उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) होता ।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1543, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5758, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 103, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ हालात मुझसे मालूम किये। चुनांचे मैंने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद मैं ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा किसी को नेक कामों की कोशिश करने वाला और नेक काम करने वाला नहीं देखा, यहां तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर उम्र को पहुंचे।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 903, हदीस 5764, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 106, मनाकिबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं लोगों के दर्मियान था कि लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भली दुआ की (यानी उनकी वफात के दिन) उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत को नहलाने के लिए तख़्त पर रखा गया था, फिर मैं खड़ा हुआ था कि एक आदमी मेरे पीछे आया और अपनी कुहनी मेरे मोठे पर रख कर कहना शुरू किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ! खुदा तुम पर रहम फ़रमाये। मुझ को उम्मीद है कि अल्लाह तआला तुम को तुम्हारे दोनों दोस्तों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा देगा (यानी तीनों को एक जगह कर देगा), इसलिए कि मैं ने अक्सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि मैं था और हज़रत अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मैं गयां और अबुबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मैं दाखिल हुआ और 'अबूबक्र' (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और मैं निकला और अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) (यानी आप अपने हर काम और हर फ़ेल में उन को शरीक रखते थे) मैंने पीछे मुड़ कर देखा, तो वह कहने वाले अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5767, अबूबक्र रज़ि० व उमर रज़ि० के मुश्तरक फ़ज़ाइल,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 109, अबूबक्र व उमर रज़ि० के मुश्तरक फ़ज़ाइल।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

बहिश्त के अन्दर जन्नती इल्लीयीन (ऊंचे रुत्बे की जगह) को इस तरह देखेंगे, जिस तरह तुम आसमान के किनारे रोशन सितारे को देखते हो और अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इल्लीयीन वालों में से हैं (यानी जन्नत के अन्दर वे मक़ाम इल्लीयीन में आएंगे), बल्कि वे इस दर्जे से भी बढ़ गये हैं।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5768, मनाकिबे अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा,
2. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 109, मनाकिबे अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा।

हदीस - हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है,

जन्नत के अन्दर अगले-पिछले जिस कदर अघेड़ उम्र के लोग होंगे, उन सब के सरदार हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा हैं, सिवाए नबियों और रसूलों के (कि उन के सरदार न होंगे)

- हवाला** -1. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 362, हदीस 1520, मुनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा,
2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5769, मुनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा,
3. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 109, मनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा,

हदीस - हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है-

मैं नहीं जानता कि कब तक मैं तुम्हारे दर्मियान रहूँ, पस तुम मेरे बाद हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा की बात मानो और पैरवी करो।

- हवाला** -1. तिर्मिजी, शरीफ, जिल्द 2, पृ० 362, हदीस 1520, मनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा,
2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5770, मनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा,
3. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 109, मनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा।

हदीस - हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाते तो सिवाए हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा के कोई आदमी सर नहीं उठा सकता था। ये दोनों आप की तरफ देख कर मुस्कराते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन की तरफ देख कर मुस्कराते थे।

- हवाला** -1. तिर्मिजी, शरीफ, जिल्द 2, पृ० 363, हदीस न० 1525, मनाकिबे हजरत अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा,

2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5771, मनाकिबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 110, मनाकिबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुजरा शरीफ से निकल कर मस्जिद में इस तरह तशरीफ लाये कि हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप के दाएं-बाएं थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दोनों के हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे और फ़रमाया, क़ियामत के दिन हम इसी तरह उठाए जाएंगे ।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 363, हदीस 1528, अब-वाबुल मनाकिब,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5773, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 110, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन हन्तब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देख कर फ़रमाया-

ये दोनों (मुसलमानों के लिए) कान और आंख जैसे हैं ।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी, शरीफ, जिल्द 2, पृ० 363, हदीस 1528, अब-वाबुल मनाकिब,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5773, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 110, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ।

हदीस - हज़रत अबूबक्र सिद्दीक, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अर्ज किया, मैंने ख़्वाब में देखा कि गोया एक तराजू आसमान से उतरी है, उस तराजू में आपको और हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु को तौला गया, तो आपका वजन ज्यादा रहा, फिर हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तौला गया, तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वजन ज्यादा रहा, फिर हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तौला गया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वजन ज्यादा रहा, फिर तराजू को उठा लिया गया । इस ख़्वाब को सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़मगीन हो गये, यानी इस ख़्वाब ने आप को रंजीदा और ग़मगीन बना दिया । फिर आपने फ़रमाया, तूने जो देखा है, यह नुबुव्वत की ख़िलाफ़त है, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक नुबूव्वत की ख़िलाफ़त है, उस के बाद अल्लाह तआला जिस को चाहेगा, मुल्क अता फ़रमायेगा ।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5775, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाकिब,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 110, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाकिब ।

हदीस - हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन फ़रमाया कि तुम्हारे पास एक आदमी जन्नतियों में से आएगा, पस हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए । फिर आपने फ़रमाया, तुम्हारे पास एक आदमी जन्नतियों में से आएगा, पस उमर रजि० आए ।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 368, हदीस 1551, अब्बाबुल मनाकिब,
2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5776, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाकिब,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 111, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाकिब ।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि-

एक चांदनी रात में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक सर मुबारक मेरी गोद में था, मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या किसी की इतनी नेकियां भी हैं, जितने आसमान पर सितारे । आपने फ़रमाया, हां, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इतनी ही नेकियां हैं ।’

फिर मैंने पूछा और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियों का क्या हाल है?

आपने फ़रमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी उम्र की नेकियां हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक नेकी के बराबर है ।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस न० 5777, हज़रत अबूबक्र व उमर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाकिब ।
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 111, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाकिब ।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि-

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में अपनी रानें या पिंडुलियां खोले पड़े थे कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाज़िरी की इजाज़त चाही, आप ने उन को बुला लिया और उसी तरह लेटे रहे, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त चाही । आप ने उन को बुला लिया और इसी तरह लेटे रहे, फिर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त तलब की । आप उठकर बैठ गये और कपड़ों को दुरुस्त कर लिया (यानी रान

या पिंडलियां ढक लीं) फिर जब वे लोग चले गये, तो हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आये तो आपने हरकत न की और इसी तरह लेटे रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा आए, तो आपने हरकत न की और पड़े रहे, फिर जब हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो आप उठ कर बैठ गये और कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, (इस की क्या वजह है ?) आप ने फ़रमाया, क्या मैं उस आदमी से हया न करूँ, जिस से फ़रशिते हया करते हैं।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 372, हदीस 1567, मनाकिबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,
 2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5778, मनाकिबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 112, मनाकिबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अशरा की तैयारी के ज़माने में एक हज़ार दीनार अपने कुरते की आस्तीन में भर कर लाए और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गोद में डाल दिया। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन दीनारों को अपनी गोद में उलट-पलट कर देखते जाते थे और फ़रमाते जाते थे। आज के बाद हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बुरा अमल करेंगे (यानी कोई गुनाह) तो वह उनको नुक़सान न पहुंचाएगा। दो बार आप ने ये लफ़ज़ फ़रमाये।

- हवाला** -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 906, हदीस 5781, मनाकिबे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु,
 2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 112, मनाकिबे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बैअते रिज़्वान का हुक़म दिया, उस वक़्त हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कासिद की हैसियत से मक्का मुकर्रमा गये हुए थे, लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ पर मौत की बैअत कर ली। (जब सब बैअत कर चुके) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु खुदा और खुदा के रसूल के काम पर गये हुए हैं, फिर अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा। (यानी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से बैअत की) पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हाथ हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बेहतर था, उन हाथों से जिन्होंने अपने हाथों से अपने लिए बैअत की थी।

- हवाला** -1. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 370, हदीस 1559, अब-वाबुल मनाकिब,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 906, हदीस 5782, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु,
 3. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 114, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हजरत मुर्ह बिन कअब् रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फित्नों का जिक्र फरमाते हुए सुना और उन को बहुत करीब बताया। आप यह फरमा रहे थे कि एक आदमी सर पर कपड़ा डाले उधर से गुजरा। आपने उस को देख कर फरमाया, यह आदमी उन दिनों सीधे रास्ते पर होगा।

मुर्ह बिन कअब् रजियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ये लफज सुन कर मैं उठा और उसकी तरफ गया, देखा तो वह हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु थे। फिर मैंने हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु का मुंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ किया और पूछा, क्या यह आदमी उन फित्नों में सीधे रास्ते पर होगा? आपने फरमाया, हां,

- हवाला** -1. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 371, हदीस 1561, अब-वाबुल मनाकिब,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 907, हदीस 5784, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु,
 3. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 49, हदीस 115, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु,
 4. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 115, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फित्ने का जिक्र फरमाया और इर्शाद किया कि उस फित्ने में यह आदमी जुल्म से कत्ल किया जाएगा। यह कह कर आपने हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा फरमाया-

- हवाला** -1. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 371, हदीस 1564, अब-वाबुल मनाकिब,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 907, हदीस 5786, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु,
 3. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 116, मनाकिबे हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम और आप के साथ हज़रत अबूबक्र सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उहद पहाड़ पर चढ़े। उहद हरकत करने लगा (यानी खुशी के जोश में झूमने लगा)। आपने उहद पर एक ठोकर लगायी और फ़रमाया, उहद ! ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी हैं, और सिद्दीक हैं और दो शहीद हैं।

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 230, हदीस 888, मनाकिबे हज़रत उस्मान व उमर रज़ियललाहु अन्हुमा,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 909, हदीस 5791, मनाकिबे हज़रत अबूबक्र व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 118, मनाकिबे हज़रत अबूबक्र व उमर व उस्मान रज़ियललाहु अन्हुम अज-मईन।

हदीस - हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मदीना के एक बाग़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था कि एक आदमी आया और उस बाग़ का दरवाज़ा खुलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दरवाज़ा खोल दो और आने वाले आदमी को जन्नत की खुशख़बरी दो। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, मैंने उन को जन्नत की खुशख़बरी दी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, ने फ़रमाया था। इस पर हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुदा की हम्द व सना की और शुक्र अदा किया।

फिर एक और आदमी आया और दरवाज़ा खुलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दरवाज़ा खोल दो और आने वाले को जन्नत की खुशख़बरी दे दो। चुनांचे मैंने दरवाज़ा खोला, देखा, तो वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मैंने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशख़बरी से आगाह किया। उन्होंने खुदा की हम्द व सना की और शुक्र अदा किया।

फिर एक और आदमी ने दरवाज़ा खुलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दरवाज़ा खोल दो और उन मुसीबतों पर, जो इस आने वाले आदमी को पहुंचेगी, उस को जन्नत की खुशख़बरी दो। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा, तो वह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मैंने उन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद से आगाह किया। उन्होंने खुदा की हम्द व सना की, शुक्र अदा किया और फिर कहा, अल्लाह से उन मुसीबतों पर मदद तलब की जाती है।

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 228, हदीस 884, मनाकिबे उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 145, बाब 335, हदीस 720, फ़ज़ाइले

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मिश्कात शरीफ, जिल्द 3, पृ० 909, हदीस 5792, फ़जाइले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 119, फ़जाइले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ।

हदीस - हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया, तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे । अल-बत्ता इतना फ़र्क है कि मेरे बाद कोई नबी न होगा (यानी जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम पैग़म्बर थे, तू पैग़म्बर नहीं हो सकता) इस लिए कि मेरे बाद कोई नबी न होगा ।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5795, मनाकिबे हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 120,

हदीस - हज़रत ज़रीन बिन ज़ैश रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि कसम है उस ज़ात की, जिसने दाने को फाड़ा (यानी उगाया) और जानदार को पैदा किया कि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को यह हुक्म दिया और यह वसीयत की कि मुझसे यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ़ वह आदमी मुहब्बत रखेगा, जो मोमिन होगा और मुझ से वह आदमी बुग़ज़ व अदावत रखेगा जो मुनाफ़िक होगा ।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5796, फ़जाइले हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 121, फ़जाइले हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू ।

हदीस - हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खैबर के दिन फ़रमाया-

कल मैं यह झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा, जिस के हाथों से अल्लाह तआला खैबर के किले को जितायेगा और वह आदमी अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखेगा और अल्लाह और अल्लाह का रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उस से मुहब्बत करेगा । जब सुबह हुई तो तमाम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में यह उम्मीद लेकर हाज़िर हुए कि वह झंडा उन्हीं को मिलेगा । (जब सब लोग जमा हो गये तो) आपने पूछा, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहां हैं ?

लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! उन की आंखें दुखती हैं ।

आपने फ़रमाया, कोई जा कर उन को बुला लाये ।

चुनांचे उन को बुला कर लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन की आंखों पर लुआबे देहन लगाया और वे अच्छी हो गयीं, गोया दुखती ही न थीं। फिर आपने उनको झंडा अता फ़रमाया।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं उन लोगों से (यानी दुश्मनों से) उस वक़्त तक लड़ूँ, जब तक वे हमारी तरह (मुसलमान) न हो जाएं ?

आपने फ़रमाया जाओ और अपनी फ़ितरी नर्मी और धीमे पन से काम लो। जब तुम लड़ाई के मैदान में पहुंच जाओ, तो पहले दुश्मनों को इस्लाम की दावत दो (यानी इस्लाम की तरफ बुलाओ) और फिर बतलाओ कि इस्लाम कुबूल करने के बाद उन पर खुदा का क्या हक है। खुदा की क़सम ! अगर तुम्हारी तहरीक व तब्लीग़ से अल्लाह तआला ने एक आदमी को भी हिदायत दे दी, तो तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से भी बहुत बेहतर होगा ?

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 233, हदीस 890, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
 2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 146, बाब 336, हदीस 722, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5797, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 121, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन के बीच भाईचारा कायम कर दिया था (यानी दो-दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को भाई-भाई बना दिया था) फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इस हाल में कि उन की आंखों से आंसू जारी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच भाईचारा कायम किया, और मुझ को किसी का भाई न बनाया (यानी मेरे साथ किसी का भाईचारा न कायम कराया)। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दुनिया और आख़िरत दोनों में तू मेरा भाई है।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 375, हदीस 1577, अब-वाब मनाकिबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5801, अब-वाब मनाकिबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 123, अब-वाब मनाकिबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

मैं हिक्मत का घर हूँ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिक्मत के घर का दरवाज़ा है।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 375, हदीस 1580, अब-वाबुल मनाकिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5804, अब-वाबुल मनाकिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 123, अब-वाबुल मनाकिब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुनाफ़िक़ मुहब्बत नहीं रखता और मोमिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुज़ व अदावत नहीं रखता।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 374, हदीस 1574, अब-वाबुल मनाकिब,
2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5808, मनाकिबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 125, मनाकिबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस - हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जिस आदमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा कहा, गोया मुझ को बुरा कहा।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5809, फ़जाइले हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 125, फ़जाइले हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहू।

हदीस - हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

तुझ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक मुशाबहत है। यहूदियों ने उन को बुरा समझा, यहां तक कि उनकी वालिदा मोहतरमा पर जिना की तोहमत लगायी और नसारा (ईसाइयों) ने उन को इतना पसंदीदा महबूब करार दिया कि उन को उस दर्जे पर पहुंचा दिया, जो उन के लिए साबित नहीं है (यानी खुदा का बेटा)। इस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरे मामले में (यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में) दो आदमी (यानी दो जमाअतें) हलाक होंगी (यानी गुमराही में पड़ जाएंगी)-

1. एक तो वह जो हद से ज़्यादा (मुझ से मुहब्बत रखने वाला होगा) और मुझ में वे खूबियां बतायेगा, जो मुझ में न होंगी।

2. दूसरे वह जो मेरा दुश्मन होगा और मुझ से दुश्मनी उस को इस बात पर तैयार कर देगी कि वह मुझ पर बोहतान बांधेगा।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5810, फ़जाइले हज़रत अली करमल्लाहु वज्हेहू,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 125, फ़जाइले हज़रत अली करमल्लाहु वज्हेहू।

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैरवी

दुनिया में जितनी जमाअतें हैं, उन में से आप को कोई जमाअत ऐसी नहीं मिलेगी कि जो अल्लाह तआला से मुहब्बत न करती हों हर जमाअत, हर क़ौम और हर इंसान ने खुदावंद करीम को राजी करने के लिए कुछ न कुछ तरीके बना रखे हैं, गो वे तरीके अल्लाह को पसन्द हों या न हों, लेकिन अपने-अपने बनाये हुए तरीकों पर जान-तोड़ मेहनत करते हैं और जान व माल कुर्बान करना गर्व समझते हैं। शायद ही कोई क़ौम और जमाअत या इंसान दुनिया में ऐसा होगा जो खुदावंद करीम के वजूद का इंकार करता हो, वरना सब की तमन्ना और मंशा यही है कि अल्लाह तआला हमसे राजी हो जाए, हर क़ौम और हर जमाअत के पेशवा, जो मज़हब के रहनुमा समझे जाते हैं, उनका यही कहना और समझाना है कि तुम लोग पैदा करने वाले ख़ालिक व मालिक और रोज़ी देने वाले से डरो और उसके नाम पर जान व माल कुर्बान करो ताकि वह तुम से मुहब्बत करे। कोई क़ौम, कोई जमाअत, कोई इंसान अल्लाह तआला से मुहब्बत में उस वक़्त तक कामियाब नहीं हो सकती, जब तक कि खुद खुदा उस से मुहब्बत न करे। अब हम सब मिल कर इस बात की तहकीक करें कि अल्लाह तआला किस क़ौम से, किस जमाअत से, किस इंसान से मुहब्बत करता है, पहले कुरआन करीम, फिर अहादीसे करीमा से तहकीक करेंगे कि अल्लाह तआला किस से मुहब्बत करता है।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: आले इम्रान के चौथे रकूअ में आयत न० 31 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - कह दो कि अगर तुम खुदा से मुहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, तो खुदा खुद तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह तो बड़ा बख़्शाने वाला मेहरबान है।

इस आयते करीमा ने फैसला कर दिया कि जो आदमी खुदा की मुहब्बत का दावा करे

और उसके अमल और अकीदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ न हों और तरीका-ए-मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर न चल रहा हो, तो वह अपने इस दावे में झूठा है। सही हदीसों में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, जो आदमी कोई ऐसा अमल करे, जिस पर हमारा हुक़म न हो, वह मर्दूद है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 59, सूः आले इम्रान के चौथे स्कूअ की तफ़्सीर में।

सुनो मेरे अज़ीज़ दोस्तो ! अल्लाह पाक ने फ़रमा दिया कि हम तो उस क़ौम से, उस जमाअत से, उस इंसान से मुहब्बत करते हैं, जो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चले, आप की बात माने, आप के हुक़म को मान लें, आप के फ़रमान को तस्लीम कर लें। अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से एलान करवा दिया कि पूरब से पच्छिम तक और उत्तर से दक्खिन तक तमाम रहने-बसने वाले जिन्नो और इंसानों को साफ़ लफ़्जों में आप कह दें कि अल्लाह तआला उस से मुहब्बत करेगा, जो मेरे कहने पर चलेगा। अल्लाह तआला ने तमाम जिन्नो और इंसानों पर यह शर्त लगा दी कि मेरी मुहब्बत के दावे में तुम लोग उस वक़्त सच्चे समझे जाओगे, जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान को दिल व जान से बग़ैर चूं व चरा मान लोगे।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक छोहारे के पेड़ से तकिया लगाये खड़े होते थे, तो एक अंसारी औरत ने या किसी मर्द ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम आप के लिए मिंबर क्यों न बना दें ? आप ने फ़रमाया, अगर चाहो (बना दो)।

चुनांचे उन लोगों ने आप के लिए मिंबर बना दिया। फिर जब जुमा का दिन हुआ, तो आप मिंबर की तरफ़ तशरीफ़ ले गये, वह पेड़ चीखने लगा, जिस तरह लड़का चीखता है, पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिंबर से उतरे और उसको लिपटा लिया। वह ऐसी आवाज़ से रोने लगा जैसे वह लड़का रोये, जो चुप किया जाता हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वह उस ज़िक्र की याद में रोने लगा, जो उसके पास होता था।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 205, हदीस 788, नुबूवत की निशानियों के बयान में,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 355, हदीस 1484, मनाक़िबे के बयान में,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 873, हदीस 5620, मोज़िज़ों के बयान में,
4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 24, मोज़िज़ों के बयान में।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूँ, जो मेरे नबी होने से पहले मुझ को सलाम किया करता था।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 856, हदीस 5572, नुबूवत की अलामतों के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 512, नुबूवत की अलामतों के बयान में।

सलाम उसको किया जाता है, जिस से प्यार होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुल कायनात प्यार करती है, लेकिन हमारा सिर्फ प्यार काम नहीं देगा, अमल भी करना होगा।

कुरआन मजीद के अठारहवें पारे में, सूर: नूर के सातवें रकूअ में, आयत न० 54 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - 'हिदायत तो तुम्हें उस वक्त मिलेगी, जब रसूल के कहने पर चलोगे।

अब कोई फकीर, कोई सूफी, कोई पीर, कोई मुजाविर, कोई मौलवी, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मुफ्ती, कोई सैयद, कोई शेख उस वक्त तक कामियाब नहीं हो सकता, जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक बात को दिल व जान से न मान ले।

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के छठे रकूअ में, आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - 'अल्लाह से डरो और मेरे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कहने पर चलो।'

खुदाई फ़ैसला हो चुका है कि अल्लाह से डरो और मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के मुताबिक चलो, एक इंच भी आगे-पीछे न हटो।

कुरआन करीम के पांचवें पारे में, सूर: निसा के ग्यारहवें रकूअ में, आयत न० 80 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - जिस आदमी ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत की, उसने खुदा की इताअत की।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इताअत गुज़ार सही मानों में मेरा इताअतगुज़ार है। 'आप का ना-फ़रमान मेरा ना-फ़रमान है। सुब्हानल्लाह! जो रूत्बा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मिला, वह किसी नबी या फ़रिश्ते को नहीं मिला।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

जिसने मेरी फ़रमांबरदारी की, उसने खुदा की फ़रमांबरदारी की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने खुदा की नाफ़रमानी की।

(मुख्तसर)

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 59, हदीस 208, जिहाद का बयान,
2. तफ्सीरें इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 70, सूर: निसा के ग्यारहवें रकूअ की तफ्सीर में।

अल्लाह पाक से मुहब्बत का दावा उस वक्त काबिले कुबूल समझा जाएगा, जब कि अल्लाह तआला की बात को दिल व जान से मान ले और अल्लाह पाक की बात यह है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मान लो। अब जो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात को मान लेगा, उसके लिए कामियाबी ही कामियाबी है और जो कोई इंकार करेगा, तो उस के लिए खुदावन्दे करीम ही का फ़त्वा सुन लो।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में, सूर: आले इम्रान के चौथे रकूअ में, आयत न० 32 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - कह दो कि खुदा और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हुकम को मान लो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ऐसे काफ़िरों से मुहब्बत नहीं करता।

अल्लाह तआला ऐसे इंसान से प्यार नहीं करता, जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात को ठुकरा दे या इंकार कर दे या आप की बात पर दूसरों को तर्जीह दे।

कुरआन करीम के पांचवें पारे में, सूर: निसा के नवें रकूअ में, आयत न० 69 में, अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - और जो भी खुदा और रसूल की फ़रमांबरदारी करेगा, वह उन लोगों के साथ होगा, जिन पर अल्लाह तआला ने इनाम किया है, यानी नबी और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन (यानि भले लोम) (के साथ होगा)। ये बेहतरीन दोस्त होंगे। यह फ़ज़ल खुदा की तरफ से है और अल्लाह बस है जानने वाला।

इब्ने मर्दूया के हवाले से लिखा है कि एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं आप को अपनी जान से अपने घर वालों से और अपने बच्चों से ज्यादा महबूब रखता हूं। मैं घर में होता हूं, लेकिन ज़ियारत का शौक मुझे बे-करार कर देता है, सब्र नहीं हो सकता, दौड़ता-भागता आता हूं और दीदार करके चला जाता हूं, लेकिन जब मुझे आप की और अपनी मौत याद आती है और इस का यकीन है कि आप जन्नत में नबियों के साथ बड़े ऊंचे दर्जे में होंगे, तो डर लगता है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीदार से महरूम हो जाऊंगा। आप ने कोई जवाब नहीं दिया, इतने में यह आयते करीमा नाज़िल हुई।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 60, सूर: निसा के नवें रकूअ की तफ्सीर में।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा, मैं अल्लाह को एक जानता हूं और आपके रसूल होने की गवाही देता हूं, पांच वक्त

की नमाज़ पढ़ता हूँ, अपने माल की ज़कात देता हूँ और रमजान के रोज़े रखता हूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो मरते दम तक इसी पर रहेगा, वह क़ियामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ इस तरह जन्नत में रहेगा, फिर आपने अपनी दोनों उंगलियां उठा कर इशारा करके बताया, लेकिन शर्त यह है कि मां-बाप का ना-फ़रमान न हो।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 60, सूः निसा के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक देहाती ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मुझ को कोई ऐसा काम बताइये कि मैं उस पर अमल करूँ और जन्नत में दाखिल हो जाऊँ।

आप ने फ़रमाया, खुदा की इबादत कर, किसी को उस का शरीक न बना, फ़र्ज नमाज़ पढ़, ज़कात अदा कर और रमजान के महीने के रोज़े रख। (यह सुन कर) देहाती ने कहा, कसम है उस ज़ात की, जिस के कब्जे में मेरी जान है, इसमें से मैं कम न करूँगा और न इसमें कुछ बढ़ाऊँगा।

जब वह चला गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी किसी जन्नती को देखना चाहे, तो इस को देख ले।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 7, हदीस 5, बाब 4, किताबुल ईमान, वे मुसलमान सोचें और समझें, जो रस्म व रिवाज में तो जान देना बडाई समझते हैं और नमाज़ रोज़े से तो ऐसे भागते हैं, जैसे बाज़ से परिदे भागते हैं।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में, सूः मुद्स्सिर के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 49-50-51 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया के बिदके हुए गधे हैं जो शेर से भागते हैं।

कौन-सी वजह है कि यह काफ़िर तेरी नसीहत और दावत से मुंह फेर रहे हैं और क़ुरआन व हदीस से इस तरह भागते हैं, जैसे जंगली गधे शिकारी शेर से भागते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 69, सूः मुद्स्सिर के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! जो आदमी भी अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की फ़रमांबरदारी करेगा और अमली ज़िंदगी बना लेगा, तो उसके लिए इस किस्म के मर्तबे अता फ़रमाने का वायदा है कि वह जन्नती है। इतना ही नहीं, बल्कि जन्नत में नबियों, सिद्दीकों और शहीदों और सालिहीन (भले) लोगों का साथ नसीब होगा और सब से बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा नसीब होगी और अल्लाह तआला की रज़ा के मुकाबले में सारी नेमतें बेकार हैं।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गयी है-

1. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं,

2. नमाज़ पढ़ना,

3. ज़कात देना,

4. हज करना,

5. रमज़ान के रोज़े रखना।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 81, हदीस 2, किताबुल ईमान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 25, किताबुल ईमान।

ख़त्मे नुबूवत

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ में आयत न० 40 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - आप खुदा के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं।

अल्लाह तआला की इस ज़बरदस्त रहमत पर उस का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपने रहम व करम से ऐसे बड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हमारी तरफ भेजा और उन्हें ख़त्मुलमुर्सलीन और ख़ातमुन्नबीयीन बनाया और यकसूई वाला, सहल, सच्चा और आसान दीन आप के हाथों कमाल को पहुंचाया। अल्लाह ने अपनी किताब में और प्यारे रसूल सल्ल० ने अपनी सही हदीसों में यह ख़बर दे दी कि आप के बाद कोई नबी नहीं। पस जो आदमी भी आप के बाद नुबूवत या रिसालत का दावा करे, वह झूठा, बोहतान बांधने वाला, दज्जाल, गुमराह और गुमराह करने वाला है, गो वह शौबदे दिखाये और जादूगरी करे और बड़े कमालात और अक्ल को हैरान कर देने वाली चीज़ें पेश करे और तरह-तरह की नैरंगियां दिखाये, लेकिन अक्लमन्द जानते हैं कि यह सब फ़रेब, धोखा और मक्कारी है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 14, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ की तफ़सीर में।

आप अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन्नबीयीन हैं, जैसे फ़रमाया, खुदा ख़ूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखता है। यह आयत नस्स (दलील) है इस बात पर कि आप के बाद कोई नबी नहीं, और जब नबी ही नहीं, तो रसूल कहां? कोई नबी, रसूल आप के बाद नहीं आने का। रिसालत तो नुबूवत से भी ख़ास चीज़ है, हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं।

हवाला - तफ़सीरें इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 13, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन व सुन्नत के बाद तीसरे दर्जे में सब से अहम हैसियत सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन के इज्माअ की है। यह बात तमाम भरोसे की तारीखी रिवायतों से साबित

है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के फौरन बाद ही, जिन लोगों ने नुबूवत का दावा किया और जिन लोगों ने उन की नुबूवत मान ली, उन सब के खिलाफ सहाबा-ए-किराम रिज्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज-मईन ने एक राय होकर लड़ाई लड़ी थी।

पहली सदी से आज तक पूरी इस्लामी दुनिया एक राय होकर 'खात्मुन्नबीयीन' के मायने 'आखिरी नबी' ही समझती रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबूवत के दरवाजे को हमेशा-हमेशा के लिए बन्द मान लेना, हर जमाने में तमाम मुसलमानों का एक राय वाला अकीदा रहा है और इसी मामले में मुसलमानों के बीच कभी कोई इखिलाफ नहीं रहा कि जो आदमी मुहम्मदुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद रसूल या नबी होने का दावा करे, वह और जो उसके दावे को माने, वह इस्लाम के दायरे से निकला हुआ है।

पहली बात यह है कि नुबूवत का मामला एक बड़ा ही नाजुक मामला है। कुरआन मजीद के मुताबिक यह इस्लाम के उन बुनियादी अकीदों में से है, जिनके मानने या न मानने पर आदमी का कुफ़ व ईमान ठहरा हुआ है। एक आदमी नबी हो और आदमी उस को न माने, तो काफ़िर और वह नबी न हो और आदमी उसको मान ले, तो काफ़िर। ऐसे एक नाजुक मामले में तो अल्लाह से किसी बे-एहतियाती की किसी दर्जे में भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी आने वाला होता, तो अल्लाह तआला खूद कुरआन पाक में साफ-साफ बता देता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिए से इसका खुला-खुला एलान कराता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से कभी तशरीफ न ले जाते, जब तक अपनी उम्मत को अच्छी तरह खबरदार न कर देते कि मेरे बाद भी नबी आएंगे और तुम्हें उनको मानना होगा। आखिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हमारे दीन व ईमान से क्या दुश्मनी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबूवत का दरवाजा तो खुला होता और कोई नबी आने वाला भी होता, जिस पर ईमान लाए बगैर मुसलमान न हो सकते, मगर हम को न सिर्फ यह कि इससे बे-खबर रखा जाता, बल्कि इसके उलट अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दोनों ऐसी बातें फ़रमा देते, जिनसे तेरह सौ वर्ष तक सारी उम्मत यही समझती रही और आज भी समझ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है।

सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मुझे तमाम नबियों पर छः फ़ज़ीलतें दी गयी हैं-

1. मुझे जामेअ कलिमे अता फ़रमाये गये हैं,
2. रोब से मेरी मदद की गयी,
3. मेरे लिए ग़नीमतों के माल हलाल किये गये हैं,
4. मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और तहूर (पाक) बनायी गयी,

5. मैं सारी मख्लूक की तरफ नबी बना कर भेजा गया हूँ, और
6. मेरे साथ नबियों को खत्म किया गया है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 13, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूः फ़ह के चौथे रकूअ में, आयत न० 28, में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह की ज़ात वह है, जिसने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि उस को हर दीन पर ग़ालिब फ़रमा दे और अल्लाह की गवाही काफ़ी है।

इस आयते शरीफ़ा में दीने मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दुनिया के तमाम दीनों पर क़ियामत तक ग़ालिब रहने को बयान किया गया है। दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर ग़ालिब होना दलील और बुरहान ही के एतबार से हो सकता है, तो अगर हम फ़र्ज कर लें कि हुज़ूरे पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई दूसरा नबी भी 'भेजा गया' हो, तो ज़ाहिर है कि उसका दीन भी हक़ ही होगा, क्योंकि नबी बहरहाल 'दीने हक़' ही लेकर आता है। इस शक़ल में उस नबी के दीन पर 'दीने मुहम्मदी' सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़लबे का क्या मतलब होगा? क्या हक़ पर हक़ ग़ालिब होता है? इससे साफ़ पता चलता है कि क़ियामत तक के लिए 'दीने हक़' इस्लाम में दायर हो चुका है और इस का मिस्दाक़ सिर्फ़ 'दीने मुहम्मदी' (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) है। अल्लाह की रज़ा उसी पर अमल करने से हासिल हो सकती है।

कुरआन करीम के चौथे पारे में, सूः आले इम्रान के बारहवें रकूअ में आयत न० 110 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए छांट लिए गये हो। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।

इस आयते मुक़द्दसा में उम्मते मुहम्मदिया (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को 'ख़ैरुलउमम (उम्मतों में सबसे बेहतर) की सनद दी गयी है, जिस से यह बात साफ़ हो जाती है कि इस उम्मत को ख़ैरुल अंबिया (नबियों में सबसे बेहतर) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अलावा किसी दूसरे नबी के इन्तिज़ार की जरूरत नहीं है। अब काम इस उम्मत का सिर्फ़ यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद दूसरे नबी का भेजा जाना मान लिया जाए, तो फिर आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत ख़ैरुल उमम कैसे हो सकती है?

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं-

मेरी मिसाल नबियों में ऐसी है, जैसे किसी आदमी ने एक बहुत अच्छा और पूरा मकान बनाया, लेकिन उस में एक ईंट की जगह छोड़ दी, जहां कुछ न रखा। लोग उसे चारों तरफ से देखते-भालते और उस की बनावट से खुश होते, लेकिन कहते, क्या अच्छा होता कि इस ईंट की जगह भर ली जाती, पस मैं नबियों में उसी ईंट की जगह हूं।

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 197, हदीस 741, किताबुल मनाकिबे खातमुन्नबियीन,
 2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 129, हदीस 630, बाब 301, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब खातमुन्नबियीन,
 3. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 351, हदीस 1471, बरिवायत उबई बिन कअब्, किताबुल मनाकिब,
 4. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 13, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

बनी इस्राईल की क्रियादत अंबिया किया करते थे। जब कोई नबी मर जाता, तो दूसरा नबी उसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी न होगा, बल्कि खलीफ़ा हज़रत होंगे।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 180, हदीस 666, किताबुल मनाकिब।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

रिसालत और नुबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। मेरे बाद अब न कोई रसूल है, न नबी।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 31, हदीस 139, किताबुरुअया, बाब जिहाबुनुबूवत।

हदीस - हज़रत उत्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

मेरे बाद अगर कोई नबी होता, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु होते।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1543, किताबुल मनाकिब।

हदीस - हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया-

मेरे साथ तुम्हारी निस्बत वही है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम की थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है।

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 235, हदीस 895, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम,
2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 146, हदीस 721, बाब 336, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ।

हदीस - हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अनहु फ़रमाते है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

क्रियामत उस समय तक कायम न होगी, जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबीले मुशिरकों से न मिल जाएं और जब तक बुतों को न पूजने लगें और मेरी उम्मत में बहुत जल्द तीस कज़ाब (झूठे) होंगे और उन में से हर एक दावा करेगा कि वह नबी है, हालांकि मैं खात्मुन्नबिय्यीन हूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 18, हदीस 86, अबवाबुल फ़ितन,
2. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 311, हदीस 849, किताबुल फ़ितन,
3. मिंश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 774, हदीस 5144, किताबुल फ़ितन,
4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 203, किताबुल फ़ितन ।

इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने 'किताबुल इक़तिसाद' में लिखा है कि अल्लाह तआला का इर्शाद है।

'व ला किर-रसूलल्लाहि व खा-त-मन्नबिय्यीन,' (आयत)

नस्से सरीह मुहकम है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई पैग़म्बर नहीं होगा और यही अहादीसे मुतवातिरा से साबित है और इसी पर सलफ़ व ख़लफ़ तमाम उम्मत का इजमाए कतई है और होशियार रहो कि कुछ दज्जालियों ने यह अकीदा फैलाया है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद रसूल, अज्म वाला नहीं होगा और ख़ाली पैग़म्बर हो सकता है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि यह आदमी काफ़िर है, जिसने कुरआन, हदीस व इज्माअ के ख़िलाफ़ ईमान वालों को धोखा देना चाहा और उसने जो बात कही, साफ़ झूठ है।

हवाला - तफ़सीरे मुवाहिबुर्हमान, पारा 22, पृ० 47, सूः अहज़ाब के छठे रकूअ की तफ़सीर में।

'और अगर कहा कि मैं नबी हूं या तेरा नबी हूं, तो उस की तक़फ़ीर की जाएगी।'

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 843, मुर्तद का बयान।

रसूल या नबी के बाद दूसरा रसूल या नबी कब भेजा जाता है? जिस रसूल या नबी का ज़माना चल रहा हो, उस नबी के मानने वालों ने दीन में रद्दोबदल कर दिया हो, या नाज़िल की हुई किताब में घट-बढ़ कर डाली हो या किसी नबी या रसूल की शरीअत की मुकर्रर की

हुई मीआद पूरी हो गयी हो या एक नबी या रसूल किसी खास क़ौम के लिए हो। सब के लिए न हो, तब दूसरे नबी या रसूल को भेज कर बिगड़े हुए दीन की तर्तीब सही कर दी जाती है और घट-बढ़ की हुई किताब की भी इस्लाह कर दी जाती है या पिछली शरीअत की जगह दूसरी शरीअत नाज़िल कर दी जाती है। अल्लाह तआला का करोड़-करोड़ बार एहसान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गयी हैं-

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में, सूः हिज़्र के पहले रकूअ में, आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हम ने ही कुरआन को नाज़िल किया है और हम ही उस की हिफ़ाज़त करने वाले और निगहबान हैं।

अब इस कुरआन में कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, जैसा कि और किताबों में होता रहता है, हालांकि उन किताबों का कोई मुख़ालिफ़ नहीं है, फिर भी रद्दोबदल होता रहता है और कुरआन करीम में मुख़लिफ़ों की कोशिशों के बावजूद भी कोई रद्दोबदल नहीं कर सका, क्योंकि उसकी हिफ़ाज़त का जिम्मा खुद खुदा ने अपने ऊपर ले लिया है। अल्लाह तआला ने आपने रहम व करम से ऐसा इन्तिज़ाम फ़रमाया कि हर मुल्क में सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तायदाद में कुरआन के हाफ़िज़ पैदा कर दिये, जिन का बयान सुन्नत वल ज़माअत में हम तफ़्सील से कर चुके हैं, अब न इस में कोई घटा-बढ़ा सकता है और न कोई प्रेस वाला ग़लत छाप सकता है। इस कुरआन करीम में न तो रद्दोबदल हुआ और न क़ियामत तक हो सकता है। इसी तरह अल्लाह तआला ने दीन को भी मुकम्मल और पूरा किया है।

कुरआन करीम के छठे पारे में, सूः मायदा के पहले रकूअ में, आयत न० 3 पर अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने पूरा कर दिया और मैं ने तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए पसन्द कर लिया।

यानी क़ियामत तक यही दीन रहेगा। इस दीन को मन्सूख़ कर के कोई दूसरा दीन अब तज़वीज़ नहीं किया जाएगा जब दीन मुकम्मल और कामिल हो गया और इस दीन में क़ियामत तक रद्दोबदल भी नहीं होगी, तो अब इस उम्मत को दूसरे रसूल या नबी की ज़रूरत ही नहीं रही। यह अल्लाह तआला का इस उम्मत पर बड़ा करम व एहसान है।

जितने भी दुनिया में रसूल या नबी भेजे जाते हैं, उन की हिफ़ाज़त बचपन ही से अल्लाह के जिम्मे होती है और दुनिया की तमाम मख़्लूक से उन की जिंदगी बेहतरीन होती है और सारी दुनिया के लिए हिदायत और नसीहत का ज़रिया होती है।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने हुज़ूरे

अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहरे नुबूवत को आप के दोनों मोंदों के दर्मियान देखा, जो लाल रसोली जैसी थी और मिक्दार में कबूतर के अंडे जैसी थी।

हवाला - शिमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 23, हदीस 2, मुहरे नुबूवत का बयान।

मुहर उस वक्त लगायी जाती है, जबकि काम पूरा हो चुका हो। अब उस में न तो कुछ निकाला जा सकता है और न उस में कुछ डाला जा सकता है।

पहली सदी से आज तक पूरी इस्लामी दुनिया एक राय होकर 'खातमुन्नबिय्यीन,' के मायने 'आखिरी नबी' ही समझती रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबूवत के दरवाज़े को हमेशा-हमेशा के लिए बन्द तस्लीम करना हर ज़माने में तमाम मुसलमानों का मुत्तफिका अकीदा रहा है और इस मामले में मुसलमानों में कभी कोई इख़िलाफ नहीं रहा कि जो आदमी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद रसूल-या नबी होने का दावा करे और जो उस के दावे को माने, वह इस्लाम के दायरे से खारिज है।

मेरे अजीज़ दोस्तों! हदीसों से मालूम होता है कि हजरत ईसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कियामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में शामिल होकर अपनी बरकतों से फैज़ पहुंचाएंगे।

हदीस - हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया -

उस ज़ात की कसम, जिस के कब्जे में मेरी जान है, करीब है कि तुम में मरयम के बेटे (हजरत ईसा अलैहिस्सलाम) फ़ैसला करने वाले और इंसाफ़ करने वाले बन कर आएंगे। वे नाज़िल होकर सलीब को तोड़ देंगे, ख़िंज़ीर (सुअर) को क़त्ल करेंगे, जिज़या रोक देंगे और माल (की नहरें) बहां देंगे, इस क़दर कि कोई कुबूल न करेगा।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 21, हदीस 100, अबवाबुल फ़ितन, बाब 46।

इसी बात को लेकर दज्जाली फ़ित्ना व फ़रेब में फंसे लोग भोले-भाले कम इल्म मुसलमानों को इस हालत से 'ख़त्मे-नुबूवत' के मसअले में शुब्हा पैदा कर के अपनी चाल और मक्कारी के जाल में फांसते हैं।

तो इसका जवाब अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लीजिए ताकि कोई धोखेबाज़ आप को धोखा न दे सके। सुनिए, 'ख़त्मे नुबूवत' का मतलब यह है कि हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद किसी नबी की 'बेअसत' नहीं हो सकती, यानी आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ात्मुनबिय्यीन के बाद कोई 'नया नबी' नहीं आ सकता। बेअसत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला किसी बन्दे को नुबूवत अता फ़रमा कर उस को मरलूक की हिदायत का काम सुपर्द फ़रमा दे।

लेकिन जो आदमी नुबूवत से सरफराज़ हो चुका है, उस को दोबारा दुनिया में भेज देने को 'बेअसत' नहीं कहा जा सकता। हजरत ईसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की

बेअसत आंहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले हो चुकी है। वह बनी इस्राईल में अपना काम अंजाम देकर जिंदा आसमान पर उठा लिये गये। उन्हें न मौत आयी और न उन्हें शहीद किया जा सका। इस का बयान कुरआन शरीफ में साफ-साफ आ चुका है।

कुरआन करीम के छठे पारे में, सूर: निसा के बाइसवें रकूअ में, आयत न० 157, 158 में अल्लाह तआला इशार्द फरमाता है-

तर्जुमा - और उन के इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरयम को, जो कि रसूल हैं अल्लाह तआला के, क़त्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने न उन को क़त्ल किया और न उन को सूली पर चढ़ाया, लेकिन उन को शुब्हा हो गया और जो लोग उनके बारे में इख़िलाफ़ करते हैं, वे ग़लत ख़्याल में हैं, उन के पास इस पर कोई दलील नहीं, सिवाए क्रियासी बातों पर अमल करने के और उन्होंने उन को यकीनी बात है कि क़त्ल नहीं किया, बल्कि उन को अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ उठा लिया और अल्लाह बड़े ज़बरदस्त हिक्मत वाले हैं।

अब अगर वह दोबारा आसमान से दुनिया में तशरीफ़ लाएं, तो यह हरगिज़ ख़त्मे नुबूवत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। इस को एक मिसाल से समझिए-

एक बादशाह किसी आदमी को गवर्नरी में दाख़िल कर के किसी सूबे का गवर्नर मुकर्रर कर देता है। वह अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड होकर किसी दूसरे मुल्क में या सूबे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह उसी सूबे से फिर आता है, मगर गवर्नर की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी खुसूसी काम के लिए बादशाह उस को भेज देता है। अब उसकी इस दोबारा आमद से क्या मौजूदा गवर्नर के ओहदे और एज़ाज में कोई फ़र्क़ पैदा हो जाएगा? क्या कोई मूर्ख़ यह कह सकता है कि इस वक़्त इस सूबे में दो गवर्नर हैं?

इसी तरह समझिए कि हज़रत ईसा अला नबीयिना अलैहिस्सलाम वस्सलाम के क़ियामत के करीब तशरीफ़ लाने से आंहुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 'मंसबे ख़त्मे नुबूवत' में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क़ नहीं आ सकता।

याद रखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यह दोबारा आना नबी की हैसियत से न होगा बल्कि ख़ात्मुन्नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक उम्मती की हैसियत से होगा। वह अपनी किताब इंजील शरीफ़ पर भी अमल न फ़रमाएंगे, बल्कि उस के बजाए कुरआन मज़ीद पर ही अमल करेंगे।

हदीसों से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने का एक अहम मक्सद 'मसीह दज्जाल' को क़त्ल कर के उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उस के शर और फ़ित्ने से बचाए रखना है।

हदीस - हज़रत नवास बिन सम्आन किलाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

-फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को दूँढेंगे, आखिर लुद के दरवाजे पर उसे पाएंगे और क़त्ल कर देंगे। (लुद मौजूदा मुल्क इस्त्राईल का हवाई अड्डा है) मुस्त्रसर।

हवाला - त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 23, हदीस 107, बाब 50, अब-वाबुल फ़ितन।

हदीस - हज़रत मज्मा बिन जारिया अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम खुद के दरवाजे पर दज्जाल को क़त्ल कर देंगे।

हवाला - त्तिर्मिज़ी, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 25, हदीस 111, बाब 53, अब-वाबुल फ़ितन।

क़ुरआन व सुन्नत के बाद तीसरे दर्जे में सब से अहम हैसियत सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज-मईन के इज्माअ की है। यह बात तमाम भरोसे की तारीखी रिवायतों से साबित है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद जिन लोगों ने नुबूवत का दावा किया और जिन लोगों ने उन की नुबूवत तस्लीम की, उन सब के खिलाफ़ सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज-मईन ने मिल कर जंग की थी और पहली सदी से लेकर आज तक हर ज़माने के और पूरी इस्लामी दुनिया के हर मुल्क के उलेमा-ए-किराम इस अकीदे पर एक राय हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई आदमी न नबी हो सकता है, न रसूल हो सकता है और यह कि जो भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नबी या रसूल होने का दावा करे, वह काफ़िर है और जो कोई उस की नुबूवत या रिसालत को मान ले, वह भी काफ़िर, इस्लामी मिल्लत से निकला हुआ है।

आगाह रहो, हुज़ूरे पुरनूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद किसी नबी की बेअसत मानना खुला कुफ़्र है। एक फ़िर्का इसी कुफ़्र की तब्लीग़ करता है। उस की चिकनी-चुपड़ी बातों में हरगिज़ न आना। अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को बचाए रखे, दज्जाल के फ़ितने से भी और बनावटी नबियों की घोखाबाजी से भी। (आमीन)

हयातुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

हदीस - हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है,

तुम्हारे दिनों में सबसे अफ़ज़ल जुमा का दिन है। उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन उन का इंतिकाल हुआ, उसी दिन सूर फूँका जाएगा, उसी दिन बेहोशी छायेगी, इस लिए इस दिन मुझ पर दरूद ज़्यादा भेजा करो, क्योंकि तुम्हारे दरूद मेरे सामने पेश किये जाते हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हमारे दरूद आप पर किस तरह पेश किये जाते हैं, जब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक

जिस्म बचा हुआ न होगा। आपने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने नबियों के जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया है।

हवाला -1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 398, हदीस 1034, बाब 358,

2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 174, हदीस 1097, नमाज़ का बाब।

हज़रात ! अंबिया अलैहिमुस्सलाम की क़ब्र में जिंदगी हक़ है। देखिए अल्लामा सखावी रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि हम ईमान लाते हैं और तस्दीक करते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी क़ब्र शरीफ़ में जिंदा हैं और आप को रिज़क दिया जाता है और आपके मुबारक जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। इसी पर उम्मत का इज्माअ है।

हवाला - अल-कौलुल बदीअ पृ० 125 ।

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों के साथ आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक रूह रफ़ीके आला में है। इस के साथ आप की मुबारक रूह का बदन शरीफ़ के साथ ऐसा जोड़ और ताल्लुक है, जिस की वजह से आप सलाम करने वाले का जवाब देते हैं।

हवाला - ज़ादुल मज़ाद, जिल्द 2, पृ० 49, इसरा व मेराज का बाब।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जो आदमी मेरी क़ब्र के पास मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उस को सुनता हूँ और जो आदमी दरूद भेजे मुझ पर दूर से, पहुंचाया जाता है वह मेरे पास।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस 868, दरूद शरीफ़ का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 302 ।

अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि कुरआन पाक की इस आयत का क्या जवाब होगा।

कुरआन पाक के तेईसवें पारे में, सूर: जुमर के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 30 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - बेशक तुझे भी मरना है, और वे भी मर जाएंगे।

इस आयते शरीफ़ा से आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मरना साबित होता है और ऊपर ज़िक्र किये हुए हवालों से मालूम होता है कि हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी-अपनी क़ब्रों में जिंदा हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही साबित हो सकती हैं।

तो जवाब यह है कि मौत से मुराद यह है कि रूह का जिस्म से वह ताल्लुक, जो इस दुनिया में है, ख़त्म हो जाए। देखो, इस दुनिया में रूह का ताल्लुक जिस्म से ऐसा है कि इस

में सांस लेने की ज़रूरत है। अगर बाहर की हवा फेफड़ों को न मिले तो आदमी मर जाता है। इसी तरह खाने-पीने की भी ज़रूरत है, उस के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता। फिर जो खाना-पानी अन्दर गया, उस का हजम होना भी ज़रूरी है। अगर अन्दर जाकर जम जाए तो भी जिंदा रहना मुश्किल है।

इस से मालूम हुआ कि दुनिया की जिंदगी में रूह का जिस्म से ताल्लुक कमजोर है, क्योंकि इस ताल्लुक के कायम रहने के लिए दूसरी चीजों की ज़रूरत होती है। अब समझिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों का उन के जिस्मों से, वह दुनियावी ताल्लुक, जिस का अभी जिक्र हुआ है, कब्र में चूँकि नहीं रहता, इसलिए इस की ताबीर मौत से की जा सकती है, जैसा कि कुरआन करीम की सूर: जुमर की आयत 30 में है।

मगर मेरे अजीज़ ! अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों के मरने के बाद उन के उन्हीं जिस्मों से, जिन के साथ वे इस दुनिया में जिंदा थे, एक दूसरी खास किस्म का ताल्लुक हो जाता है और यह ताल्लुक वफात से पहले वाले ताल्लुक से कहीं ज्यादा कवी और मज़बूत होता है, क्योंकि दुनियावी जिंदगी में रूह का जिस्म से जाना-पहचाना ताल्लुक दुनिया की हालत की मुनासबत से होता है, जिस में सांस लेने और खाने-पीने की ज़रूरत होती है और जाहिर है कि ऐसा ताल्लुक उस ताल्लुक के लिहाज से कमजोर कहा जाएगा, जिस में खाने-पीने और सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह कहना दुरुस्त है कि अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम को मरने के बाद दुनियावी जिंदगी से मज़बूत हकीकी जिस्मानी जिंदगी हासिल होती है।

यों तो हर नबी अपनी-अपनी कब्रों में जिंदा हैं, क्योंकि उन के मुबारक जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर खाना या बिगाड़ना या सड़ाना हराम कर दिया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को, जो खास जिंदगी का शर्फ हासिल है, उस की एक दलील यह भी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत कियामत तक कायम व दाइम रहेगी और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतें मसूख हो गयी हैं।

भाई हम कहते हैं या हम को कहा है

मेरे अजीज़ दोस्तो ! आज हिन्दुस्तान में किसी-किसी जगह पर इस बात पर झगड़े चल रहे हैं कि फ़लां लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने बड़े भाई के बराबर समझते हैं, यह कोई कहने जैसी बात है।

मेरे दोस्तो ! यह बात अक्ल के खिलाफ़ है कि कोई आदमी मुसलमान होकर ऐसा कलिमा भी जुबान से निकाले। मगर बात यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मेहरबानी और रहमदिली से हम पर यह करम किया है कि आप खुद हमें भाई कहते

हैं। अब अगर यह हदीस कोई हुकपरस्त आलिम अपने वाज़ में बयान करते हैं तो फ़िल्ना पैदा करने वाले लोग फ़ौरन फ़िल्ना पैदा कर देते हैं और हवा ऐसी फैलाते हैं कि देखो, देखो, ये मौलवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भाई कहता है और अपने भाई के बराबर समझता है। इस का अकीदा ख़राब मालूम होता है। यह वह्हाबी, देवबन्दी या तब्लीगी मालूम होता है। इस का वाज़ सुनना हराम है, इस से जो आदमी मुहब्बत रखे, उस से भी सलाम-कलाम हराम। जहालत की भी कोई हद है ?

मेरे अज़ीज़ दोस्तो ! ये नफ़्स परस्त और फ़िल्ना पैदा करने वाले कितना उलटा समझाते हैं और हमारे कुछ मुसलमान भाई उन की बातों को सच मान लेते हैं और खुद अपनी अक्ल से नहीं सोचते, न कुछ तद्कीकात करते हैं कि यह जो कुछ कहता है, वह आख़िर सच्चा है या झूठा।

हदीस - हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उमरा करने की इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त दे दी और फ़रमाया, ऐ मेरे छोटे भाई ! अपनी दुआ में मुझ को भी शामिल रखना, भूल न जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह एक बात ऐसी फ़रमायी, जो मुझ को सारी दुनिया के मुकाबले में पसन्द है।

- हवाला** -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 2125, दुआ का बयान,
2. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 337, हदीस 1411, दुआ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 244, ज़िक्र का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, तुम हमारे भाई और दोस्त हो।

हवज़ा - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 75, सूः अहज़ाब के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को ख़लील बनाता, तो बेशक अबूबक्र सिद्दीक (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ख़लील बनाता, मगर वह मेरे भाई और मेरे साथ उठने-बैठने वाले हैं।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 219, हदीस 849, फ़ज़ाइले सहाबा का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सफ़र में सुबह के वक़्त एक बार काफ़िले में वुजू के लिए पानी न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

तलाश कराया तो एक आदमी के पास सिर्फ एक बर्तन में थोड़ा-सा पानी निकला। आपने उस में उंगलियां डाल दीं तो वह बर्तन फुव्वारे की तरह जोश मारने लगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि पुकारो सब को आकर वुजू कर लें। सैकड़ों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वुजू किया और खूब पेट भर कर पानी पिया। जब नमाज़ से फ़ारिग हुए, तो आपने लोगों से पूछा कि तमाम मख़्लूक़ात में से किस का ईमान अजीबतर है? लोगों ने कहा, कि फ़रिश्तों का। तो आपने फ़रमाया कि उनके ईमान में क्या ताज्जुब है? वे तो बारगाहे इलाही में हाज़िर हैं, उसके हुक्मों की पाबन्दी करते हैं, वे क्यों कर ईमान न लाते?

लोगों ने अर्ज़ किया कि आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सैकड़ों मोजिज़े देखते हैं, उनके ईमान में क्या ताज्जुब। अल-बत्ता अजीब ईमान उन का होगा, जो मेरे बाद पैदा होंगे और मेरा नाम सुन कर सच्चे दिल से ईमान लाएंगे। वह मेरे भाई हैं और तुम सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम)।

हवाला - तफ़सीरे हक्क़ानी, जिल्द 2, पृ० 81, सूः बकरः के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक़बरा (जन्नतुल बकीअ) में तशरीफ़ ले गये। पस फ़रमाया, आप ने सलामती हो तुम पर ऐ मोमिनों की क़ौम की ज़माअत! और हम भी तुम्हारे पास इन्शाअल्लाह आने वाले हैं और तमन्ना रखता हूँ इस की कि देखें हम अपने भाइयों को। (यह सुन कर) सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम आप के भाई नहीं हैं? आप ने फ़रमाया, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे भाई वे हैं, जो अभी (दुनिया में) नहीं आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप क़ियामत में उन लोगों को क्यों कर पहचानेंगे जो अभी तक आप की उम्मत में नहीं आए? आप ने फ़रमाया, मुझको बतलाओं कि अगर एक आदमी के पास सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ-पांव के घोड़े हों और वे निहायत सियाह घोड़ों के अन्दर मिले हुए हों, तो क्या वह अपने घोड़ों को पहचान न लेगा? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप ने फ़रमाया, वह क़ियामत में वुजू के असर से सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ-पांव के साथ आएंगे और मैं हौजे कौसर पर उन का मीरे सामां हूंगा।

हवाला - 1. मिशक़ात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 124, हदीस 276, तहारत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 113, तहारत का बयान।

हक़ को पहचान ले और बातिल को छोड़ दे। दीन पर अमल कर, बिदअतों को छोड़ दे, क्योंकि इंसान दुनिया भर के रस्म व रिवाज करता है और बड़े शोक से करता है, पैसे भी

बर्बाद करता है, जिस्मानी मेहनतें भी करता है, लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिसाल दे कर समझाया कि नमाज़ पढ़ने वाले वुजू करते होंगे और वुजू की वजह से उन के चेहरे, उनके हाथ, उनके पैर चांद की तरह चमक रहे होंगे, उसी चमक की वजह से मैं उन को पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मत हैं और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, उनके चेहरे, उनके हाथ, उनके पैर काले रंग के होंगे। अब आप साहिबान ही फ़ैसला कर लो कि क़ियामत के दिन कौन-से गिरोह में रहना चाहते हैं, काले मुंह वाले गिरोह में या सफ़ेद मुंह वाले गिरोह में। अगर सफ़ेद मुंह वाले गिरोह में रहना चाहते हैं, तो आज ही से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, तुम पूरा वुजू करने की वजह से क़ियामत के दिन रोशन पेशानी और चमकदार हाथ-पांव वाले होंगे।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 46, हदीस 210, बाब 85, तहारत के बयान में।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन बिस्र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन मेरी उम्मत सज्दों की वजह से रोशन चेहरे वाली होगी और वुजू की वजह से उसके हाथ-पांव चमकते होंगे।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 121, हदीस 541, नमाज़ के बयान में।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में, सूः आले इम्रान के ग्यारहवें रकूअ में, आयत न० 106, 107 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ काले, काले चेहरे वालों (से कहा जाएगा) कि तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़ क्यों किया, अब अपने कुफ़ का अज़ाब चखो और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाख़िल होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे।

क़ियामत के दिन सफ़ेद चेहरे होंगे और सियाह मुंह भी होंगे।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रमान है कि अह्ले सुन्नत वल जमाअत के मुंह सफ़ेद नूरानी होंगे और अह्ले बिदअत वल जमाअत के मुंह काले होंगे।

हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं, ये काले मुंह वाले मुनाफ़िक होंगे, जिन से कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद कुफ़ क्यों किया, अब उसका मज़ा चखो और सफ़ेद मुंह वाले रहमते खुदा में हमेशा-हमेशा रहेंगे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 11, सूः आले इम्रान के ग्यारहवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक बार हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मक़बरे में आए तो आप ने फ़रमाया-

अस्सलामु अलैकुम दा-र कौमिम मोमिनीन व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम ल-लाहिकून०

कि मुझको यह आरजू होती है कि मैं काश, अपने भाइयों को देख लेता (क्योंकि वे लोग मेरे बाद आने वाले हैं) लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप ने फ़रमाया, मेरे भाई वे लोग हैं, जो मेरी वफ़ात के बाद होंगे। मैं तुम लोगों के वास्ते हौजे कौसर पर पेश खेमा हूंगा। लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! जो लोग आप की उम्मत में से अभी पैदा नहीं हुए हैं या जिन को आप ने नहीं देखा है आप उन को किस तरह पहचान लेंगे ?

आप ने फ़रमाया, देखो जिस घोड़े की पेशानी और पांव सफ़ेद हों, अगर उसको बिल्कुल काले मुश्की घोड़े के साथ मिला दिया जाए, तो वह अपने घोड़े को पहचानेगा या नहीं ? लोगों ने अर्ज किया, जी हां, जरूर पहचान लेगा। आपने फ़रमाया, बस इसी तरह मेरी उम्मत के लोग कियामत के दिन वुजू की वजह से रोशन पेशानी और रोशन पा होकर आएंगे। आप ने (फिर) फ़रमाया कि मैं हौजे कौसर पर तुम्हारा पेशखेमा हूंगा। उसके बाद फ़रमाया कि कुछ लोग मेरी उम्मत के मेरे हौजे कौसर पर से अलग कर दिए जाएंगे, जिस तरह गुमशुदा ऊंट हंका दिया जाता है मैं उन को देख कर कहूंगा, इधर आओ। मुझको जवाब मिलेगा, तुम को इन लोगों की हालत नहीं मालूम कि इन्होंने तुम्हारे बाद क्या-क्या बातें निकालीं और तुम्हारे बाद दीन से फिर गये थे ! उस वक़्त अफ़सोस से मैं कहूंगा, जुदाई ही है, जुदाई है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 653, हदीस 4303, हौजे कौसर के बयान में।

मेरे अजीज़ दोस्त ! खुश होने की जगह है कि हम ग़रीब गुनाहगारों को किस क़दर प्यार और मुहब्बत भरे लफ़्जों से भाई कहा है। हम को भी चाहिए कि दुनिया की तमाम रस्मों और रिवाजों को छोड़ कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बतायी हुई शरीअत पर अमल करें, झगड़ों और फ़ित्नों से क्या फ़ायदा। सच्चा आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो वह है जो आप की बातों को दिल व जान से मान ले।

हमारी हज़ार जानें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कुर्बान और हम को अल्लाह तआला ने जो कुछ माल व औलाद दे रखी है, वे भी कुर्बान कर दें, फिर भी हमारी तरफ से उस भाई के प्यार भरे लफ़्जों का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता।

अंगूठे चूमें या दरूद शरीफ पढ़ें ?

कुरआन शरीफ के बाईसवें पारे में, सूर: अहज़ाब के सातवें रकूअ में, आयत न० 56 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला और उसके फरिश्ते उसके नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो ! तुम भी उन पर दरूद भेजो और अच्छी तरह सलाम भी भेजते रहो।'

मेरे अजीज दोस्त ! अपनी ईमानदारी से फ़ैसला करना इस बात का कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुने तो क्या करना चाहिए ? अपने हाथ के दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखना चाहिए या दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए ? आयते शरीफा में तो दरूद पढ़ने के लिए अल्लाह तआला अपने ईमान वाले बन्दों को ताकीद कर रहा है और हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमान भाई हुज़ूर सल्ल० का मुबारक नाम सुनते हैं, तो अपने दोनों हाथ के अंगूठे चूम कर अपनी आंखों पर लगाते हैं और जो इस तरह न करे, उसको मुसलमान ही नहीं समझते, बल्कि वहहाबी और इस्लाम से खारिज समझते हैं। यह है हमारे हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों की जहालत इस मुसीबत में सिर्फ जाहिल लोग ही नहीं, बल्कि अपने आप को पीर और मौलवी कहलवाने वाले भी मुब्तला हैं।

अब सुनिये हदीसों। मेरे दोस्त को पहले वह हदीस सुनाऊं, जिस हदीस से अंगूठे चूमने का सबूत लेते हैं।

हदीस - एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीसवें मुहर्रम को, जुमा के दिन नमाज़ से पहले मस्जिद में तशरीफ लाये और सतून से मिल कर बैठे और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देने लगे, जब 'अश्हुदु अन-न मुहम्मदरसूलुल्लाह' पर पहुंचे तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों के अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर फेरे और कहा-

-कुर-त ऐनी बि-क या रसूलुल्लाह०' (मेरी आंखों की ठंडक, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ही से है।)

जब अज़ान हो गयी तो हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, ऐ अबूबक्र ! जो कोई यों कहे और करे शौक और मुहब्बत में, जिस तरह तुमने कहा और किया, तो बरखोगा अल्लाह तआला उस के नये-पुराने सोच-समझ कर किये गये, या ग़लती से किये गये, छिपे या खुले गुनाह और मैं शफीअ हूं बरख़ावाने वाला उस के गुनाहों का।

हवाला - तफ़रीहुल अज़क़िया फ़ी अहवालिल अंबिया, जिल्द 2, पृ० 121, अज़ान का बयान।

मेरे अजीज दोस्त ! यह है वह हदीस अंगूठे चूमने की। इस हदीस पर आजकल इस क़दर जोर दिया जाता है कि अंगूठे न चूमने वाले को मुसलमान ही नहीं समझते, इस दहशत से कुछ

ग़रीब जाहिल अनपढ़ भाइयों को हमने अपनी आंखों से देखा है कि वह अज़ान देते-देते, जब 'अशहदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह' कहते हैं, तो तुरन्त बड़ी फुर्ती से अपने दोनों कानों में से उंगलियां निकाल कर अपने दोनों हाथ के अंगूठे चूम कर आंखों पर लगा लेते हैं, फिर फौरन ही बड़ी तेजी के साथ चालू अज़ान में उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। हैं कोई हद जहालत की। उस बेचारे ग़रीब के दिल में फ़ित्नाख़ोरों ने ऐसी दहशत बिठा दी है कि अगर मैं अंगूठे चूम कर आंखों पर न लगाऊं तो मैं इस्लाम से निकल जाऊंगा। हाय रे हिन्दुस्तान की जहालत!

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ने देखा होगा कि किसी वाज़ या मज्लिस में यही फ़साद फैलाने वाले लोग खुद भी कभी-कभी अंगूठे चूम कर अपनी आंखों पर नहीं लगाते, फिर आप क्यों इतना डरते हैं? मेरे दोस्त ! यह एक देखा-देखी बात चली है, किसी ने पूरी तहकीक नहीं की। आपने नहीं देखा और अगर न देखा तो देख लेना कि बात करने वाले या मज्लिस पढ़ने वाले अपने हाथ के अंगूठे चूम कर आंखों में लगाएंगे। जब तो करीब-करीब सब उन की देखा-देखी अपने-अपने अंगूठे चूम कर आंखों में लगाएंगे और अगर कोई ऐसा मौलवी वाज़ करता है कि जो अपने अंगूठे चूमता भी नहीं और आंखों पर लगाता भी नहीं, तो सारी की सारी मज्लिस वाले अंगूठे चूमने और आंखों पर लगाने से रुक जाएंगे। जो चालू अज़ान में अपने कानों से उंगलियां निकाल कर अंगूठा चूमने वाले हैं, वे भी इस मज्लिस में रुक जाते हैं, क्योंकि वाज़ करने वाले मौलवी साहब अंगूठे नहीं चूमते, इस लिए दूसरे भी नहीं चूमते।

मेरे भाई ! इसी को कहते हैं बग़ैर तहकीक की हुई रस्म ! अब सुनिए सही बात इस बारे में क्या है ?

मेरे दोस्त ! मैं किसी फ़िर्के की तरफ से आपको जवाब नहीं दे रहा हूं और आप दिल में यह विचार भी न करना कि मैं किसी फ़िर्के की तरफ से आप को समझा रहा हूं। मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूं कि मैं हनफ़ी मसलक को मानने वाला हूं और जो बात मैं आप के सामने कर रहा हूं, उस की हकीकत हनफ़ी मसलक में क्या है, वह आप के सामने पेश कर रहा हूं। अब सुन लीजिए इस की हकीकत। जो हदीस अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाने की आपने पढ़ी, उस को उलेमा-ए-हनफ़ीया ज़ईफ़ कहते हैं और कुछ कहते हैं कि यह हदीस बनावटी है। इस बात को नज़र में रख कर इस हदीस को कुबूल नहीं किया और जो सही किताबें हैं, जैसे सही बुख़ारी शरीफ़, सही मुस्लिम शरीफ़, तिर्मिज़ी शरीफ़, अबूदाऊद शरीफ़, नसई शरीफ़, इब्ने माजा शरीफ़, जिन पर हमारे हनफ़ी मसलक का अमल है, उन में यह हदीस नहीं है। इस हदीस को मुहद्दीसीन रहिमहुमुल्लाहु तआला ने अपनी किताबों में नहीं लिखा, बल्कि इस हदीस को सवानेह उमरी (जीवनी), तसव्वुफ़, और वाज़ करने वालों ने कुछ ग़ैर-मोतबर किताबों में लिखा है।

अब हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हमारे उलेमा-ए-दीन और फ़ुकहा-ए-किराम

ने इस हदीस को नहीं लिखा और न कुबूल किया और हदीसों लिखने वाले मुहद्दीसीन किराम ने भी सिहाहे सिता वगैरह के अन्दर इस हदीस को अपनी किताबों में न लिखा और न कुबूल किया, तो फिर अंगूठे चूमने-चाटने के लिए लड़ाई-झगड़ा करना या कराना और लोगों को अंगूठे चूमने पर मजबूर करना और अंगूठे न चूमने वालों को हकीर नज़रों से देखना या इस्लाम से खारिज समझना इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है।

अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाना सुन्नत या वाजिब या फ़र्ज नहीं है, बल्कि आप इस को दर्जा भी देंगे तो मुस्तहब, मुस्तहसन या मुबाह के सिवा कुछ भी नहीं दे सकते और जिस मुबाह का यह हाल हो कि सुन्नत, वाजिब और फ़र्ज तो आम तौर से छोड़े जा रहे हों, लेकिन उस मुबाह को छोड़ना सुन्नत, वाजिब और फ़र्ज से भी ज़्यादा बुरा समझते हों, तो उस वक़्त उस मुबाह पर अमल करने के लिए हमारे उलेमा-ए-हनफ़ीया का फ़त्वा सुनिये-

‘जिस मुबाह को सुन्नत या वाजिब समझ लिया जाए, वह मकरूह है।’

हवाला - फ़त्वा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 191, तिलावत के सज़दे का बयान।

मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है, जिस का बयान इन्शाअल्लाहु तआला आगे आएगा।

मेरे अजीज़ दोस्त ! जो लोग अंगूठे चूमने वाले हैं, उन लोगों में ज़्यादातर को हमने अपनी आंखों से देखा है और आप को यकीन न हो, तो आप खुद देख लेना कि ये अंगूठे चूमने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से कोसों दूर होते हैं और जो मौलवी या पीर कहलाते हैं, उन में से भी कुछ लोगों का यह हाल है कि वाजिब और फ़र्ज का भी ठिकाना नहीं होता। जिन मौलवी और पीर साहिबान का यह हाल हो, उन के मुरीद और उन के पीछे चलने वालों का क्या हाल होगा, इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगा लें।

अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाने की जो हदीस है, वह बनावटी है, लेकिन सही हदीसों पर कुछ सोच-विचार नहीं करते, जिन से दरूद शरीफ़ का पढ़ना साबित होता है, क्योंकि एक तो यह आयते करीमा है, जो आपने ऊपर पढ़ ली है। अब सुनिए वे हदीसों, जिन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक़्त आप पर दरूद का पढ़ना वाजिब साबित हुआ।

हदीस - हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, वह आदमी बख़ील (कंजूस) है, जिस के सामने मेरा ज़िक्र किया जाए (यानी नाम लिया जाए) और वह (सुनने वाला) मुझ पर दरूद न भेजे।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 333, हदीस 1394, दुआ का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

एक क़ौम मेरी उम्मत में होगी, जिस को क़ियामत में अल्लाह तआला हुक्म देगा कि

जन्नत में जाओ। वे लोग हैरान होंगे कि अब जन्नत का रास्ता कौन बताये? लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, वे कौन लोग होंगे? आपने फरमाया, जिन के सामने मेरा जिक्र किया गया (यानी नाम लिया गया) और गफलत और भूल की वजह से उन्होंने मुझ पर दरूद नहीं भेजा।

हवाला - दुरतुन्नासिहीन, जिल्द 2, पृ० 58,

हदीस - उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं सेहरी के वक़्त कोई चीज़ सी रही थी, अचानक मेरे हाथ से सूई गिर पड़ी और चिराग़ भी बुझ गया और रात अंधेरी थी। पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास आए और उन के मुबारक चेहरे से घर रोशन हो गया, फिर मुझे सुई मिल गयी। फिर मैं ने पूछा कि या हज़रत! आप का चेहरा क्या ही नूरानी है! हज़रत ने फरमाया, हैफ! सद हैफ! उस पर जो मुझे क्रियामत के दिन न देखेगा। मैंने पूछा या हज़रत! वह कौन है? हज़रत ने फरमाया कि जिस के पास मेरा नाम लिया जाए और वह सुनने वाला मुझ पर दरूद न भेजे।

हवाला - तज़िकरतुल वाजिज़ीन, पृ० 71, दरूद का बयान,

हदीस (1) जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वह मुझ पर दरूद न भेजे, तो वह बद-बरत है।

हदीस (2) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि यह सितम की बात है कि मैं आदमी के पास जिक्र किया जाऊं और वह मुझ पर दरूद न पढ़े।

हदीस (3) शामी के हवाले से हदीसे कुदसी लिखी है कि फरमाया अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कि दूर हो मेरी रहमत से, जिस के पास तेरा जिक्र हुआ और वह तुझ पर दरूद न भेजे। (इन तीनों हदीसों का हवाला यह है।)

हवाला - गायतुल औतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 242, नमाज़ का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! आप ही ईमानदारी से इंसाफ़ करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुना जाए, तो क्या अंगूठे चूम कर आंखों पर रखें या दरूद पढ़ें?

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि इंसान को बखीली के लिए यह काफ़ी है कि मेरा नाम सुन कर दरूद न पढ़े।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 31, सूः अहज़ाब के सातवें स्कूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुझ पर दरूद पढ़ेगा, वह जन्नत का रास्ता न भूलेगा।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 151, हदीस 922, नमाज़ का बयान।

हज़रत इब्ने मज़हर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप पर दरूद भेजने का अच्छा तरीका, जिस को जम्हूर उलेमा ने अख़्तियार किया है, वह यह है कि मज्लिस में जितनी बार भी आप

का नाम सुने तो आप पर दरूद पढ़ना वाजिब है। अगर एक मज्लिस में हजार बार भी आप का नाम सुने क्योंकि आपने फ़रमाया है कि जिस के पास मेरा जिक्र हो और वह नाम सुनने वाला मुझ पर दरूद न भेजेगा, तो वह दोज़ख में दाखिल होगा और अल्लाह उस को दूर फेंकेगा और वह आदमी अपने नफ़्स को मलामत करेगा।

हवाला - दुर्तुन्नासिहीन, जिल्द 1, पृ० 85।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उस आदमी की नाक धूल में सने, जिस के सामने मेरा जिक्र आये (यानी नाम लिया जाए), लेकिन वह (नाम सुनने वाला) मुझ पर दरूद न भेजे और उस आदमी की नाक धूल में सने जिस की जिंदगी में रमज़ानुल मुबारक आए, फिर उससे पहले (यानी रमज़ान खत्म होने से पहले) उसे बरखा न जाए और रमज़ान खत्म हो जाए और उस आदमी की नाक धूल में सने, जिस के सामने उस के मां-बाप पर बुढ़ापा आया, लेकिन दोनों ने उस को जन्नत में दाखिल न किया (यानी वह अपनी मां या बूढ़े बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका)।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 333, हदीस 1393, दुआ का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, 861, दरूद का बयान,

3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 299, दरूद का बयान।

इस हदीस की शरह में हमारे हनफ़ी मस्लक के फ़ुकहा-ए-किराम फ़रमाते हैं।

धूल में सने (खाक आलूद हो) यानी ख़ार और हलाक हो वह आदमी कि जिक्र किया जाऊं मैं यानी नाम लिया जाए मेरा उस के सामने और वह दरूद न भेजे मुझ पर। ज़ाहिर इस हदीस का यह है कि हर बार मज्लिस में जब मुबारक नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का लिया जाए तो दरूद भेजना वाजिब होता है, इस लिए कि छोड़ने पर घमकी आयी है।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 300, दरूद का बयान।

मेरे भैया ! मज़हबी अमल तो किताबों पर होना चाहिए, किसी की जुबान पर नहीं। कम से कम हदीसों की तो लाज रखो। तुम अपने आपको सुन्नी कहते हो, तो अहले सुन्नत वल जमाअत के उलेमा-ए-दीन व फ़ुकहा-ए-किराम के फ़त्वों की तो शर्म रखो। कहां तक जहालत में डूबे रहोगे ? शरीअत का भी तो कुछ ख़्याल करो।

इज्माअ है कि तमाम उम्र में एक बार दरूद शरीफ़ का पढ़ना फ़र्ज और हर बार जब जिक्र हो, तो अलस्सहीह वाजिब है।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 399, नमाज़ का बयान।

दरूद पढ़ना फ़र्ज है उम्र भर में एक बार और वाजिब है जितनी बार कि मुबारक नाम का जिक्र हो, मज़हबे सहीहा से।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुस्तार, जिल्द 1, पृ० 242, नमाज़ का बयान।

अगर सुनने वाले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक्त दरूद न भेजा, तो दरूद भेजना उसकी गरदन पर कर्ज रहा।

हवाला - फतावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 262, कराहत का बयान।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेगा तो कर्ज होगा उस पर।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 317, कराहत का बयान।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना हमारे हनफी मसलक के उलेमा-ए-दीन वाजिब बताते हैं। एक मज्लिस में जितनी बार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुने, उतने ही बार दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। इस का तो कुछ ख्याल करो। इस के अलावा जो दरूद शरीफ पढ़ने की फज़ीलत आयी है, उस से क्यों महरूम रहते हो और लोगों को महरूम रख कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नाराज़गी की वजह क्यों बनते हो ?

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन मुझ से सब से ज़्यादा नज़दीक वह आदमी होगा, जो मुझ पर सब से ज़्यादा दरूद भेजता है।

हवाला -1. तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 99, हदीस 432, जुमे का बयान,

2. मिशक़ात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस न० 857, दरूद के बयान में,

3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद के बयान में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ज़्यादातर हदीसों दरूद शरीफ पढ़ने की फ़ज़ीलत में हैं और इस किस्म की भी हदीसों हैं कि दरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुंचाये जाते हैं-

हदीस - हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हारे दरूद मेरे सामने पेश किये जाते हैं। (मुख्तसर)

हवाला -1. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 398, हदीस 1034, बाब 358,

2. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 174, हदीस 1097, नमाज़ का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! वह इंसान कितना खुशनसीब है जिस का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश किया जाए कि फ़लां-फ़लां आप के उम्मतों ने आप पर दरूद का तोहफ़ा भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक इस मुबारक तोहफ़े से कितनी खुश होती होगी। इस रुत्बे को हासिल करने के लिए आज ही तैयार हो जा। अंगूठे चूमने-चाटने छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह तआला भी दरूद शरीफ पढ़ने को कहता है। फिर भी अगर हम न मानें, न समझें, तो यह हमारी सरासर जहालत और जिद है, क्योंकि शरीअत का अमल तो उस पर होना चाहिए जो कुरआन व हदीस और फ़िक्ह की किताबों से साबित है।

दरूद शरीफ की फ़ज़ीलत

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हदीस - हज़रत अब्दुरह्मान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुलाक़ात की मुझसे कअब् बिन उजरा ने और कहा कि क्या मैं तुझको वह चीज़ हदिया न दूँ, जिसको मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है? मैंने कहा, हां, हमको वह हदिया ज़रूर दें। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया था कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप पर और अह्ले बैत पर हम किस तरह दरूद भेजें? खुदावन्द तआला ने सलाम भेजने का तरीका तो हमको सिखा दिया है। आपने फ़रमाया, इस तरह कहो-

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिव-व अला आलि मुहम्मदिन क-मा
सल्लै-त अला इब्राही-म व अला आलि इब्राही-म इन-न-क हमीदुम मजीद०
अल्लाहुम-म बारिक अला मुहम्मदिव-व अला आलि मुहम्मदिन कमा
बारक-त अला इब्राहि-म व अला आलि इब्राही-म इन-न-क हमीदुम मजीद०

हवाला -1. मिशकात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 195, हदीस 853, दरूद शरीफ की फ़ज़ीलत,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 297, दरूद शरीफ की फ़ज़ीलत।

हदीस - हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजता हूँ। आप यह बताइए कि मैं इसके लिए कितना वक़्त मुक़र्रर करूँ। (अपने आमाल और वज़ीफ़ों में से)? आपने फ़रमाया, जिस क़दर तू चाहे। अगर ज़्यादा करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने अर्ज किया, आधा मुक़र्रर कर दूँ? फ़रमाया, जिस क़दर तू चाहे। अगर ज़्यादा करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा, दो तिहाई मुक़र्रर कर दूँ। आपने फ़रमाया, जिस क़दर तू चाहे। अगर ज़्यादा करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने अर्ज किया, अपनी दुआ का सारा वक़्त मुक़र्रर कर दूँ या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आपने फ़रमाया, यह काफ़ी होगा और तेरे दीन व दुनिया के मक़सदों को पूरा करेगा और तेरे गुनाह दूर किये जाएंगे।

हवाला -1. मिशकात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 863, दरूद का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 65, हदीस 320, रिकाक का बयान,
3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 300, दरूद का बयान।

हदीस - हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन तशरीफ लाये। उस वक़्त आप का चेहरा बश्शाश था। आपने फ़रमाया-

मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फ़रमाया कि आपके परवरदिगार ने फ़रमाया है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) क्या तुझ को यह पसन्द नहीं कि तेरी उम्मत में से कोई आदमी तुझ पर दुरूद भेजे और मैं दस बार उस पर रहमत उतारूं और तेरी उम्मत में से कोई तुझे पर सलाम भेजे और मैं उस पर दस बार सलाम भेजूं।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 862, दुरूद शरीफ का बयान,
 2. दारमी शरीफ, पृ० 416, हदीस 2739, बाब 1167,
 3. नसई शरीफ, जिल्द 1, पृ० 320, दुरूद शरीफ के बयान में,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 300, दुरूद शरीफ के बयान में।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जो आदमी मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजेगा, अल्लाह उस पर दस बार रहमत नाज़िल करेगा, उस के दस गुनाहों को माफ करेगा और दस दर्जे बुलन्द फ़मायेगा।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस न० 856, दुरूद शरीफ का बयान,
 2. नसई शरीफ जिल्द 1, पृ० 320, दुरूद शरीफ का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 298, दुरूद शरीफ का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर एक बार दुरूद शरीफ भेजेगा, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर सत्तर बार दुरूद भेजते हैं।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस 869, दुरूद शरीफ का बयान,
 2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 302, दुरूद शरीफ का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

जो आदमी मेरी कब्र के पास मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं उस को सुनता हूँ और जो आदमी दुरूद भेजे मुझ पर दूर से, पहुंचाया जाता है वह मेरे पास।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस न० 868, दुरूद शरीफ का बयान,
 2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 302, दुरूद शरीफ का बयान।

यानी पास वाले का दुरूद खुद सुनता हूँ बिला वास्ता और दूर वाले का दुरूद मलाइका सय्याहीन (यानी दुनिया में घूमने-फिरने वाले फ़रिश्ते) पहुंचाते हैं और जवाब सलाम का बहरसूरत देता हूँ। इस से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने की क्या बुजुर्गी है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजने वाले को क्या बड़ाई मिलती है? अगर तमाम उम्र के सलामों का एक जवाब आवे तो सज़ादत है, कहां यह

कि हर सलाम का जवाब आए।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 302, दरूद शरीफ का बयान।

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक रोज़े पर, जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, उन लोगों के दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद से सुनते हैं और जो बहुत दूरी से दरूद व सलाम पढ़े जाते हैं, वे फ़रिश्तों के ज़रिए पहुंचाये जाते हैं।

इन तमाम हदीसों को पढ़ने के बाद हाज़िर व नाज़िर का मसअला और मीलाद में खड़े होकर सलाम पढ़ने का झगड़ा ही ख़त्म हो जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमा दिया कि फ़रिश्तों के ज़रिए से सलाम पहुंचाया जाता है, तो अब मामूली से मामूली इंसान भी इंकार नहीं कर सकता। हालांकि हम हाज़िर व नाज़िर मीलाद में खड़े होकर सलामी पढ़ने का आगे तफ़्सील से बयान करेंगे, इन्शाअल्लाहु तआला।

या रसूल, या ग़ौस कि या अल्लाह ?

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! आप यह न समझना कि हमारे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत नहीं है या हम औलिया अल्लाह रह० को नहीं मानते। इस को अपने वहम में भी न लाना, क्योंकि शैतान इंसानों को बहकाने के लिए ऐसे ही झूठे ख़्याल दिल में पैदा करके बहकाता है, तो बराए मेहरबानी गुस्से को थोड़ी देर के लिए काबू में रख कर खुदा के वास्ते इस बाब को पूरा पढ़ कर ज़रा ग़ौर करना, फिर ईमानदारी से इंसाफ़ करना कि खुदा को छोड़ कर हमारे कुछ मुसलमान भाई उठते-बैठते, चलते-फिरते और लेटते वक़्त कोई तो या रसूलल्लाह, कोई या ग़ौस, या मुश्किल कुशा, या अली, या हुसैन, कोई याद अब्बल शाह, या ग़ैबन शाह, कोई या मीरान शाह, कोई या दातार, कोई या ख़्वाजा, जो भी नाम अपने-अपने गांव या शहर या माहौल में मशहूर होते हैं, उनके नाम ये लोग इसी तरह कहते रहते हैं और कोई तहकीक़ नहीं करता कि शरीअत का क्या हुक़म है? इस किस्म के लोग जहालत में ऐसे फंसे हैं कि या अल्लाह, या खुदा कहने वालों को इस्लाम से ख़ारिज या वह्हावी और ग़ैर मुकल्लिद समझते हैं।

अब आइये, इसके बारे में कुरआन करीम और हदीसों से क्या साबित है और हमारे उलेमा-ए-दीन और फ़ुकहा-ए-किराम का इसके बारे में क्या फ़त्वा है?

कुरआन करीम के नवें पारे में, सूर: आराफ़ के बाईसवें रकूअ में, आयत न० 180, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, तो इन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी न रखो, जो उसके नाम में टेढ़ पैदा करते

हैं। उन लोगों को उन के किये की सज़ा ज़रूर मिलेगी।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि खुदा के निन्नान्वे नाम हैं। जो आदमी उन को याद करेगा, जन्नत में जाएगा और अल्लाह तआला वित्र है और वित्र ही को पसन्द करता है (अल्लाह एक है और एक का अदद ताक है। वित्र के मायने ताक है, इसलिए अल्लाह तआला वित्र को पसन्द करता है।)

- हवाला** -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 308, हदीस 1329, दुआ का बयान,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 195, हदीस 955, बाब 448, दुआ का बयान,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 376, हदीस 2162, किताबुल अस्मा,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 257, किताबुल अस्मा।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में, सूः बकरः के अठारहवें रकूअ में, आयत न० 152 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरी शुक्रगुज़ारी करो और कुफ़्र न करो।

सुब्हानल्लाह ! अल्लाह पाक इस खाकी पुतले से वायदा फ़रमा रहा है कि तुम मुझे याद करोगे, तो मैं तुम को याद करूंगा।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि खुदावन्द तआला फ़रमाता है कि मेरा बन्दा मेरे बारे में जो गुमान रखता है, मैं उसके लिए ऐसा ही हूँ, जब वह मुझको याद करता है, तो मैं उसके साथ होता हूँ, वह दिल में मुझ को याद करता है, तो मैं भी उस को दिल में याद करता हूँ, और लोगों में मुझ को याद करता है तो मैं उन से बेहतर मरूलूक में (यानी फ़रिश्तों की जमाअत में) उस का ज़िक्र करता हूँ। वह मेरी तरफ एक बालिशत बढ़ता है, तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ। वह मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है, तो मैं दो हाथ बढ़ता हूँ। वह धीरे-धीरे मेरी तरफ आता है, तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ।

- हवाला** -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 542, हदीस 2255, तौहीद का बयान,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 194, हदीस 953, बाब 447, दुआ का बयान,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस 2140, ज़िक्रे हलाही बा बयान,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 248, ज़िक्रे इलाही का बयान।

कुरआन मजीद के दसबें पारे में, सूर: अन्फाल के छठे रूकूअ में, आयत न० 45 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! जब तुम किसी फौज से भिड़ जाओ, तो साबित कदम रहो और अल्लाह को खूब कसरत से याद करो, ताकि तुम्हें कामियाबी हासिल हो ।

इस आयत में अल्लाह तआला ने दुश्मनों के मुकाबले के वक्त लड़ाई के मैदान में साबित कदम रहने और सब्र करने का हुक्म दिया कि नामर्दी, बुज़दिली, भागना और डर और खौफ न बरसो, अल्लाह को याद करो, उसे न भूलो, उससे फरियाद करो, उसी से दुआएं करो, उसी पर भरोसा रखो, उसी से मदद तलब करो, यही कामियाबी है, उस वक्त भी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअत को हाथ से न जाने दो । वह जो फरमाएं, करो, जिससे रोकें, रुक जाओ । आपस में झगड़े और इख़िलाफ न फैलाओ, वरना ज़लील हो जाओगे, बुज़दिली जम जाएगी, हवा उखड़ जाएगी, ताक़त और तेज़ी जाती रहेगी, इक्बाल व तरक्की रुक जाएगी, देखो सब्र का दामन न छोड़ो और यकीन रखो कि सब्र वालों के साथ खुदा होता है । हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इन हुकमों में ऐसे उतरे कि उनकी मिसाल अगलों में भी नहीं, पिछले वालों का तो ज़िक्र ही क्या । यही बहादूरी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यही इताअत, यही सब्र व इसतक़लाल था, जिसकी वजह से खुदा की मदद शामिल रही और बहुत ही कम मुद्त में बावजूद तायदाद व असवाब की कमी के पूरब व पच्छिम को जीत लिया, न सिर्फ़ लोगों के मुल्कों ही के मालिक बने, बल्कि उनके दिलों को भी जीत कर खुदा की ओर लगा दिया । रूमियों और फारसियों, तुर्कों और सकालिया को, बरबरियों और हब्शियों को, सूडानियों और क़िब्तियों को, गरज़ दुनिया के कुल गोरों और कालों को दबा लिया । अल्लाह के कलिमे को बुलन्द किया, दीने हक़ को फैलाया और इस्लामी हुकूमतों को दुनिया के कोनों-कोनों में जमा दिया, अल्लाह उनसे खुश रहे और उन्हें भी खुश रखे । ख्याल करो कि तीस साल में नक्शा बदल दिया, तारीख का वरक पलट दिया । अल्लाह तआला हमारा भी उन्हीं की जमाअत में शर करे । वह करीम व रहिम् है । आमीन !

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 10, सूर: अन्फाल के छठे रूकूअ की तफ़सीर में । मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह था वह जमाना और इस जमाने के अक्सर मुसलमानों को देखिए लड़ने आएंगे, तो मुसलमानों से और नारे लगाएंगे, तो खुदा को छोड़कर दूसरों के नाम के ।

हदीस - हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

क्या मैं तुम को यह न बता दूँ कि कौन-सा अमल है जो तुम्हारे तमाम आमाल में तुम्हारे मालिक यानी अल्लाह के नज़दीक अच्छा और सब आमाल से पाक है और तुम्हारे दर्जों में सब अमलों से ज़्यादा बुलन्द है और तुम्हारे लिए (अल्लाह की राह में) सोना-चांदी खर्च करने

से भी बेहतर है और तुम्हारे लिए इससे अच्छा है कि तुम अपने दुश्मनों से (लड़ाई) लड़ो और लोगों की तुम गरदन काटो और वे तुम्हारी गरदन काटें। लोगों ने अर्ज किया, ज़ूर बताइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, वह अल्लाह का ज़िक्र है।

- हवाला** - 1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 286, हदीस 1229, दुआ का बयान,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 2145, ज़िक्रुल्लाह का बयान,
 3. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 565, हदीस 3788, जिक्रुल्लाह का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 253, ज़िक्रुल्लाह का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हर चीज़ की सफ़ाई है और दिल की सफ़ाई खुदा का ज़िक्र है और कोई चीज़ खुदा के अज़ाब से बचाने वाली ज़िक्रे इलाही से बेहतर नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, क्या खुदा की राह में जिहाद करना भी नहीं? आप ने फ़रमाया, नहीं! अगरचे जिहाद करने वाले की तलवार लड़ते-लड़ते टूट जाए।

- हवाला** - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 376, हदीस 2161, ज़िक्रे इलाही का बयान,
 2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 257, ज़िक्रे इलाही का बयान।

हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि पूरी भगूलियत के वक़्त यानी जब तलवारें चलती हों, तब भी अल्लाह तआला ने अपना ज़िक्र फ़र्ज रखा है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 9, सूर: अन्फ़ाल के दसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत हशशाम बिन आस उमवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं और एक साहब रूम के बादशाह हिरक़ल को इस्लाम की दावत देने के लिए खाना हुए। (बहुत लम्बी बात के बाद) आप फ़रमाते हैं कि हम शाही महल के पास पहुंचे। यहां पर हम ने अपनी सवारियां बिठायीं। बादशाह दरिचे में से हम को देख रहा था। हमारी जुबानों से बे-साख़्ता-

‘ला इला-ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर’ (अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है)

निकल गया। खुदा खूब जानता है कि उसी वक़्त शाहे रूम का महल थर-थरा उठा, जिस तरह किसी झोंपड़े को तेज़ हवा का झोंका हिला देता है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 29, सूर: आराफ के उन्नीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह था मुसलमानों का नारा, जो दुश्मनों के दिल तो क्या महलों तक को हिला देता था। जंगलों में, पहाड़ों में, शहरों में, समुद्रों में, खुशकी में, जहां भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पहुंचे, यही एक नारा ‘अल्लाहु अकबर’ बुलंद करते हुए लोगों के शहर, और उनके क़िले क्या, बल्कि उनके दिलों को भी फ़तह कर लिया। अफ़सोस है, हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों की जहालत पर कि अल्लाह के नाम को छोड़ कर दूसरे के नाम की पुकारें

लगाते हैं और समझाने वालों को वहहाबी और इस्लाम से खारिज समझते हैं।

कहीं-कहीं तो जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी अपने मुरीदों और मुक्तदियों से इस किस्म के नारे लगवाते रहते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस किस्म के नारे लगाते हैं और कहीं-कहीं तो हर साल जुलूस निकाला जाता है और उसमें इस किस्म के नारे लगाने का बड़ा एहतिमाम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है। इस किस्म का नारा लगाने की ज़रूरत उस वक़्त समझी जाती है, जबकि कोई कहता हो कि तुम लोग ग़ौस का दामन छोड़ दो। पूरे हिन्दुस्तान में हमने कहीं भी नहीं सुना कि कोई आदमी यों कह रहा हो कि जिन के हाथ में ग़ौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का दामन हो वे छोड़ दें। जब कोई कहता ही नहीं है, तो फिर इस किस्म के नारे लगाने का क्या मतलब ?

अगर वाकई किसी के हाथ में हज़रत ग़ौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का दामन है तो कौन ऐसा बद-नसीब इंसान है कि किसी के हाथ से दामन छुड़ा दे, लेकिन दामन हाथ में है ही नहीं, तो छोड़ने का सवाल ही कब पैदा होता है, मेरे भैया!

जो लोग इस किस्म के नारे लगाते रहते हैं, अगर वाकई उनके हाथ में हज़रत ग़ौस पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का दामन होता तो वे लोग हंबली मसलक के होते, क्योंकि हज़रत ग़ौस पाक रहमतुल्लाहि अलैहि हंबली मसलक के थे, हनफी मसलक के नहीं थे। अब जो लोग नारे लगवाते हैं और जो लोग नारे लगाते हैं, सब के सब हनफी मसलक के हैं, फिर उनके हाथ में दामन कैसे रहेगा?

नारा लगाने वालों में से करीब-करीब सभी जाहिल और अनपढ़ होते हैं। शराबी, जुआरी, बे-नमाज़ी और नारा लगाते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या ग़ौस पाक का दामन पकड़ने वाला भी शराब पीएगा, क्या जुआ खेलेगा, क्या नमाज़ को छोड़ देगा ? हर गिज़ नहीं।

असल में बात यह है कि जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी हमारे भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और इस किस्म के हम से नारे लगवा कर हम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हकीकत में दामन न इनके हाथ में है, न उनके हाथ में है, दोनों दामन पकड़ने से महरूम हैं और नारा लगाते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जहालत की भी कोई हद है।

‘हज़रत ग़ौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि हंबली मसलक के हैं तो इमाम हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि का नमाज़ न पढ़ने वालों के लिए फ़त्वा सुनिए।

जो आदमी नमाज़ को फ़र्ज़ नहीं मानता और उसे तर्क करता है, वह काफ़िर है, उसे क़त्ल करना वाजिब है। किसी मसलक वाले को इससे इख़्तिलाफ़ नहीं।

हवाला - गुन्यतुत्तालिबीन, पृ० 543, नमाज़ की शान के बयान में।

हज़रत ग़ौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हैं, वह बे-नमाज़ी के लिए क्या फ़रमाते हैं, जरा इस को भी सुन लीजिए-

जो आदमी नमाज़ को फ़र्ज जानता है मगर सुस्ती और ग़फलत की वजह से उसे अदा नहीं करता, उसे नमाज़ के लिए बुलाया जाए। अगर बुलाने पर हाज़िर न हो और नमाज़ का वक़्त तंग हो जाए, तो वह काफ़िर है। अगर उसे लगातार तीन दिन तक बुलाया जाए, फिर भी न आए, तो उसे तलवार से क़त्ल करना जायज़ है। ऐसा आदमी इन दोनों हालतों में मुर्तद है, मुसलमानों को ऐसे आदमी का माल लूट लेना जायज़ है, उसे बैतुलमाल में दाख़िल कर लें, उस के जनाजे पर नमाज़ न पढ़ें, न ही उसे मुसलमानों के क़ब्रस्तान में दफन होने दें।

हवाला - गुन्यतुत्तालिबीन, पृ० 543, नमाज़ की शान के बयान में।

यह है उस बुजुर्ग हस्ती का फ़त्वा, जिन का ये नारा लगाते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन भी पकड़ना है और नमाज़ भी नहीं पढ़नी है। ये दोनों बातें कैसे निभ सकती हैं। अगर दामन पकड़ना है तो तमाम बुराइयों को छोड़ दो और नमाज़ के पाबन्द बन जाओ, सिर्फ़ नारा लगाने से दामन हाथ में नहीं रहेगा। समझे मेरे भोले भैया !

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, अल्लाह तआला फ़रमाता है-

मैं अपने बन्दे के साथ हूँ, जबकि वह मुझ को याद करता है और उस के दोनों होंठ मेरे ज़िक्र से हरकत करते हैं।

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 375, हदीस 2160, ज़िक्रे इलाही के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 256, ज़िक्रे इलाही के बयान में।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूर: काफ़ के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 16 में अल्लाह तआला इश्रादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और हम उस की रोगे जां से भी ज़्यादा उससे करीब हैं।

इतने करीब वाले को छोड़ कर दूर वालों को पुकारना और उनके नाम के नारे लगाना, हाजतरवा और मुश्किल कुशा समझना, जहालत नहीं तो और क्या है ?

अल्लाह तआला बयान फ़रमा रहा है कि वही इंसान का पैदा करने वाला है और उसका इल्म तमाम चीज़ों को घेरे हुए है, यहां तक कि इंसान के दिल में जो भले-बुरे ख्यालात पैदा होते हैं, उन्हें भी जानता है और हम उस की रोगे जां से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 95, सूर: काफ़ के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूर: रअद के चौथे रूकूअ में आयत न० 28 में अल्लाह तआला इश्रादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग ईमान ले आए, उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को तसल्ली होती है।

जो अल्लाह की तरफ झुके, उससे मदद चाहे, उस की तरफ आजिजी करे, वह हिदायत पाने वाला हो जाता है। जिनके दिल में ईमान जम गया, जिनके दिल अल्लाह की तरफ झुकते हैं, अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं, राजी व खुश हो जाते हैं और अल्लाह का जिक्र दिल के इत्मीनान की चीज भी है। ईमानदारों, नेक लोगों के लिए खुशी और नेक फाली और आंखों की ठंडक अल्लाह का जिक्र है, उनका अंजाम अच्छा है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ये भलाई को समेटने वाले हैं। इनका अल्लाह की तरफ लौटना बेहतर होगा।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 42, सूः रज़द के चौथे रूकूअ की तफ्सीर में।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक आदमी ने पूछा, कि कौन-सा मुजाहिद अफ़जल है? आपने फ़रमाया, सब से ज्यादा खुदा का जिक्र करने वाला।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 8, सूः अहज़ाब के पांचवें रूकूअ की तफ्सीर में।

मेरे अजीज़ दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन, ताबिअीन, मुहद्दिसीने किराम, इमामाने दीन, बुजुगनि उम्मत, औलियाअल्लाह, पीराने पीर, ख्वाजा साहब, निज़ामुद्दीन औलिया, साबिर पिया, मीरान शाह, दावल शाह, हाजी मलंग शाह, दातार बापू, ग़ैबन शाह, कमाल शाह, जमाल शाह, जलाल शाह, ज़ाहिर शाह, बातिन शाह, रोशन शाह रहिमहुमुल्लाहु तआला, कोई भी हो, तमाम सलफ़े सालिहीन का यही तरीका था कि उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, हर वक़्त अल्लाह ही का जिक्र करते थे, अल्लाह ही का नाम उनकी जुबानों से बुलंद होता था, अन्दर-बाहर, गली-बाजार, बस्ती-शहर, आबादी, जंगल, मस्जिद, खानकाह और इबादतगाह भी उनके खुदाई नारों से गूँजती थी और हम उन महबूब और बन्दगाने खुदा की राह तो छोड़ बैठे और खुदा के बजाए खुद उन बुजुर्गों के नाम के नारे लगाने लगे। बताइए, यह जहालत किस क़दर घटा टोप है। इस जहालत पर ले जाने वाले यही जेब भरू पीर और उनके मुरीद और पेट भरू मौलवी और उन के मुक़्तदी ही तो हैं, समझे मेरे भोले भैया !

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर/सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो लोग अल्लाह का जलाल, उसकी तस्बीह, उस की हम्द, उस की बड़ाई, उस की वह्दानियत का जिक्र करते रहते हैं, उन के लिए ये जिक्र के कलिमात अर्श के आस-पास खुदा के सामने उन का जिक्र करते रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि कोई न कोई तुम्हारा जिक्र भी तुम्हारे रब के सामने करता रहे?

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 28, सूः फ़त्ह के दूसरे रूकूअ की तफ्सीर में।

लड़ाई के अन्दर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की उंगलियां कट जाती हैं, तो उस वक़्त उनकी जुबान से 'हिस' निकल गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर

तुम बिस्मिल्लाह कह देते या अल्लाह का नाम ले देते, तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते और आसमान की बुलन्दी की तरफ ले चलते और लोग देखते रहते।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 36, सूः आले इम्रान के सोलहवें रूकूअ की तफ्सीर में।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से सवाल किया कि तुझे अपने तमाम बन्दों से ज़्यादा प्यार कौन है ? जवाब मिला कि जो हर वक़्त मेरी याद में रहे और मुझे न भूले।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 111, सूः कहफ़ के नवें रूकूअ की तफ्सीर में।

ऐ अज़ीज़ मेरे ! आज मुसलमान भाइयों ने अल्लाह को खुश करना छोड़ दिया और हकपरस्तों को जलाने के लिए अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम उनको सुना-सुना कर ज़ोर-ज़ोर से पुकारते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि ऐसी पुकारें लगाने का आख़िर अंज़ाम क्या होगा ?

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जहन्नम में से एक गरदन निकलेगी क़ियामत के दिन और घेरेगी और सख़्त ग़ैज़ व ग़ज़ब में होगी और कहेगी कि मैं तीन किस्म के लोगों के लिए भेजी गयी हूँ-

1. एक तो वे लोग, हैं, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते रहते हैं,
2. दूसरे वे लोग, जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं लाते, और,
3. तीसरे हर सरकश, जिद्दी, घमंडी पर, फिर तो वह उन्हें समेट लेगी और चुन-चुन कर अपने पेट में डाल लेगी।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 43, सूः हज के पहले रूकूअ की तफ्सीर में।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में, सूः बनी इस्त्राईल के पांचवें रूकूअ में, आयत न० 44 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - सातों आसमान और ज़मीन, और जो भी उन में है, उसकी तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो उसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह बयान करने को समझ नहीं सकते, वह बड़ा हलीम और बड़ा ग़फ़ूर है।

सातों आसमान और ज़मीन और उन में बसने या रहने वाली कुल मख़्लूक, उस की कुद्दूसियत, तस्बीह, ताज़ीम, जलालत, बुजुर्गी, बड़ाई, पाकीज़गी और तारीफ़ बयान करती है और जो मुशिरकीन, निकम्मे और बातिल औसाफ़ जाते खुदा के लिए मानते हैं, उन से तमाम मख़्लूक बराअत का इज़हार करती है और उसकी यकताई और रबूबियत में उसे वाहिद और ला शरीक मानती है। हर हस्ती खुदा की तौहिद की जिंदा गवाही है, इन नालायक लोगों की आतों से मख़्लूक तकलीफ़ में है। करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन धंस जाए और पहाड़ टूट जाएं।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 46, सूः बनी इस्राईल के पांचवें रूकूअ की तफ्सीर में।

ऐ अजीज दोस्त मेरे! ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है, सबके सब अल्लाह की तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं और इंसानों में से जब कोई अल्लाह के सिवा दूसरे की तस्बीह पढ़ता है यानि नारे लगाता है, तो खुद खुदा और खुदा की बनायी हुई, तमाम चीज़ें उस इंसान से नाराज हो जाती हैं।

कुरआन करीम के बाईसवें, पारे में, सूः अहज़ाब के छठे रूकूअ में आयत न० 41 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते रहो।

अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का मतलब यह है कि आदमी की जुबान पर हर वक़्त ज़िंदगी के हर मामले में किसी न किसी तरह खुदा का नाम आता रहे। यह कैफ़ियत इंसान पर उस वक़्त तक नहीं होती, जब तक उस के दिल में खुदा का डर बस कर न रह गया हो। इंसान के शऊर से गुज़र कर उस के तहतश-शऊर और ला शऊर तक में जब यह ख़्याल गहरा उतर जाता है, तभी उस का यह हाल होता है कि जो काम और जो बात भी वह करेगा, उस में खुदा का नाम ज़रूर आएगा। खाएगा तो बिस्मिल्लाह कह कर खाएगा, फ़ारिग़ होगा तो अल-हम्दु लिल्लाह कहेगा, सोएगा तो अल्लाह की याद कर के और उठेगा तो अल्लाह का नाम लेते हुए, बात-चीत में बार-बार उस की जुबान से बिस्मिल्लाह, अल-हम्दु लिल्लाह, इन्शाअल्लाह, माशाअल्लाह और इसी तरह के दूसरे कलिमात निकलते रहेंगे। अपने हर मामले में अल्लाह से मदद मांगेगा, हर नेमत मिलने पर उसका शुक्र अदा करेगा, हर आफ़त आने पर उस की रहमत का तलबगार होगा, हर मुश्किल में उस से रूजुअ करेगा, हर बुराई का मौका आने पर उस से डरेगा, हर कुसूर सरज़द हो जाने पर उससे माफ़ी चाहेगा, हर ज़रूरत पेश आने पर उससे दुआ मांगेगा, गरज उठते-बैठते और दुनिया के सारे काम-काज करते हुए उसका तर्ज़ीफ़ा, खुदा ही का ज़िक्र होगा। यह चीज़ हकीकत में इस्लामी ज़िंदगी की जान है। दूसरी जितनी इबादतें हैं, उन के लिए बहरहाल कोई वक़्त होता है, जब वे अदा की जाती हैं और उन्हें अदा कर चुकने के बाद आदमी फ़ारिग़ हो जाता है, लेकिन यह वह इबादत है जो हर वक़्त जारी रहती है और यही इंसान की ज़िंदगी का मुस्तक़िल रिश्ता अल्लाह और उस की बन्दगी के साथ जोड़े रखती है, खुद इबादतों और तमाम दीनी कामों में भी जान इसी चीज़ से पड़ती है कि आदमी का दिल सिर्फ़ उन खास आमाल के वक़्त ही नहीं, बल्कि हर वक़्त खुदा की तरफ़ झुका रहे और उसकी जुबान हमेशा उस ज़िक्र से तर रहे।

ऐ अजीज दोस्त मेरे ! अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को इर्शाद फ़रमा रहा है कि तुम मुझे खूब याद करते रहो, एक आन भी मेरी याद से ग़ाफ़िल न रहो और अल्लाह तआला को याद करने पर जो इनाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाये हैं, उन को

सुनिये-

हदीस - हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

क्या मैं तुम को वह कलिमा बता दूँ जो खुदा के नज़दीक सब से ज़्यादा प्यारा और महबूब है? मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ज़रूर बतला दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, खुदा के नज़दीक सब से ज़्यादा प्यारा कलिमा 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' है।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 201, हदीस 1004, बाब 467, दुआ का बयान।
मेरे अज़ीज़! हिन्दुस्तान की जहालत ने कुछ मुसलमानों को किस कदर जाहिल बना दिया है कि अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं और दावा मुहब्बत का करते हैं और जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किये और करने का हुकम फ़रमाया, उसको नहीं करते हैं और जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवियों के कहने पर चलते हैं। शरीअत को छोड़ कर अपनी नफ़सानियत पर चलते हैं और कुछ सोचते नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद भी बैठते, लेटते, चलते-फिरते खुदा-ए-वाहिद (एक अकेले खुदा) ही को याद करते थे।

कुरआन शरीफ के उन्तीसवें पारे में, सूर: जिन्न के दूसरे रकूअ में, आयत न० 20 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू कह दे कि मैं तो सिर्फ़ अपने रब ही को पुकारता हूँ और उस के साथ किसी को शरीक नहीं करता।

अल्लाह तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक से कहलवा रहा है कि कह दो कि मैं तो सिर्फ़ अकेले अल्लाह ही को पुकारता हूँ।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर हाल में अल्लाह के ज़िक्र (याद) में लगे रहते थे।

हवाला - 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 60, हदीस 317, बाब 134, हुज़ूर सल्ल० का हर हाल में ज़िक्रे इलाही करना,

2. तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 288, हदीस 1236, दुआ का बयान।

हदीस - हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

क्या तुम में से कोई आदमी हज़ार नेकियां हासिल नहीं कर सकता? हाज़िर लोगों में से एक आदमी ने कहा, हम में से कौन एक हज़ार नेकियां हासिल कर सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, एक सौ बार सुब्हानल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए एक हज़ार नेकियां

लिखी जाएंगी और एक हजार गुनाह दूर किये जाएंगे।

- हवाला** -1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 197, हदीस 972, बाब 456, जिफ्र का बाब,
 2. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 312, हदीस 1314, दुआ का बयान,
 3. मिशकात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 379, हदीस न० 2174, तस्बीह व तहमीद का बयान,
 4. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 275, तस्बीह व तहमीद का बयान।

- हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्दु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिसने 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' एक दिन भी एक सौ बार पढ़ा, तो उस के तमाम गुनाह मिटोये जाएंगे, अगरचे दरिया के झागों के बराबर हों।

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 306, हदीस न० 1324, दुआ का बयान,
 2. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 312, हदीस न० 1317, दुआ आ बयान,
 3. मिशकात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 378, हदीस 2171, खुदा-ए-तआला के नामों का बयान,
 4. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 275, तस्बीह व तहमीद का बयान।

कुरआन शरीफ के चौबीसवें पारे में सूरः मुअ्मिन के दूसरे रकूअ में आयत न० 20 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - और खुदा के सिवा जिन को ये लोग पुकारते हैं, वे किसी तरह का भी फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला है।

जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, चाहे वे बुत और तस्वीरें हों या और कुछ हों, किसी चीज़ के मालिक नहीं, उन की हुकूमत ही नहीं, तो हुकम और फ़ैसले करेंगे ही क्या? अल्लाह अपनी मख्लूक की बातों को सुनता है और उन के हालात को देख रहा है। जिसे चाहे राह दिखाता है, जिसे चाहे गुमराह करता है। उस का इस में भी पूरा अदल और इंसाफ़ है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 36, सूरः मुअ्मिन के दूसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त ! यह न समझना कि ये आयतें तो उन लोगों के लिए उतरी हैं, जो अल्लाह तआला को नहीं मानते थे, या जानते नहीं थे। अगर यह ख्याल आप के दिल में आए तो ग़लत है, इस को दिल से निकाल देना। ये आयतें, जिन के बारे में उतरी हैं, वे भी खुदा को बराबर मानते थे और यह भी जानते थे कि खुदा के हुकम के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता? मगर फिर भी ताजीम व तकरूब में दूसरों को ऐसे ही समझते और मानते थे, जिस तरह आज

हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमान भाई वलियों को मानते हैं, जिन का बयान तफसील के साथ हम इन्शाअल्लाह आगे करेंगे।

कुरआन शरीफ के पच्चीसवें पारे में सूर: जुक्क़फ़ के चौथे रूकूअ में, आयत न० 36-37 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और जो आदमी अल्लाह की याद से ग़फलत करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उस का साथी रहता है और वे शैतान उन को सीधे रास्ते से रोकते रहते हैं और वे समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं।

ऐ मेरे अजीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला की तरफ से इर्शाद हो रहा है कि जो आदमी उस रहीम व करीम के ज़िक्र से ग़फलत और बे-परवाई करे, उस पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है।

एक तो है शैतान का मुसल्लत होना। अगर शैतान हम पर मुसल्लत हो जाए, तो अल्लाह तआला उस को हटा सकते हैं और दूसरी बात है अल्लाह की तरफ से मुसल्लत करना। अगर अल्लाह की तरफ से किसी इंसान पर शैतान मुसल्लत कर दिया गया तो अब उस को कोई नहीं हटा सकता।

हदीस - हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, जो आदमी ज़िक्र इलाही करता है और जो आदमी ज़िक्र इलाही नहीं करता, वह जिंदा और मुर्दा के मानिंद हैं।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस न० 2139, अल्लाह के ज़िक्र का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 248, अल्लाह के ज़िक्र का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के सिवा किसी कलाम की कसरत न करो, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा कलाम की कसरत दिल को सख्त कर देती है और अल्लाह से ज़्यादा दूर वह है जो सख्त दिल है।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 55, हदीस न० 275, जोहद का बयान।

कुरआन शरीफ के चौदहवें पारे में, सूर: नह्ल के चौदहवें रूकूअ में, आयत न० 104 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती और उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है।

जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़े, खुदा की किताब से ग़फलत करे, खुदा की बातों यानी

आयतों पर ईमान लाने का इरादा ही न करे, ऐसे लोगों को खुदा भी दूर डाल देता है। उन्हें दीने हक की तौफीक ही नहीं होती और आखिरत में सख्त दर्दनाक अजाब में फंसेंगे।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 58, सूर: नह्ल के चौदहवें रकूअ की तफसीर में।

ऐ अजीज दोस्त मेरे ! अब आइए आखिरी नसीहत में आप को आयतें और हदीसें और फुक्हा-ए-किराम का फत्वा सुना दूं, फिर आप अपनी मर्जी के मुख्तार हैं, चाहे शरीअत पर अमल करें, चाहे अपनी जहालत पर, चाहे अपने जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवियों के कहने पर।

कुरआन शरीफ के चौथे पारे में, सूर: आले-इम्रान के बीसवें रकूअ में, आयत न० 191 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है।

तर्जुमा - जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए।

मेरे अजीज दोस्त ! अल्लाह तआला अपने अक्लमंद बन्दों की खूबी बयान कर रहा है कि वे उठते-बैठते और लेटते अल्लाह का नाम लिया करते हैं और हमारी जहालत देखिए कि खुदावन्दे करीम के बताये हुए कानून के खिलाफ उठते-बैठते और लेटते, या रसूलल्लाह, या गौस, या मुश्किलकुशा, या हुसैन, या ख्वाजा या दातार, या गैबन शाह, या दावल शाह या मीरान शाह वगैरह-वगैरह के नाम लेते हैं। ऐ अजीज ! अपने दिल में यह ख्याल भी न लाना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की या औलिया अल्लाह की हमारे दिल में मुहब्बत नहीं है। अगर इन बुजुर्गों की मुहब्बत मेरे दिल में न होती, तो मुझे आप साहिबों को समझाने की कोई जरूरत ही न पड़ती, लेकिन मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत ही मजबूर कर रही है, क्योंकि आपने हदीस में फरमाया है।

हदीस - हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अनहु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह तआला उस आदमी को शादकाम और कामियाब रखे, जिसने हम से हदीसें सुन कर याद कर लीं और जिस तरह उन्हें सुना था, उसी तरह दूसरों तक पहुंचा दिया, क्योंकि बहुत-से लोग जिन के पास हदीसें पहुंचायी जाती हैं, वे पहुंचाने वाले से बेहतर अक्लमंद और समझदार होते हैं।

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 105, हदीस न० 517, इल्म का बयान।

इस हदीस को नज़रों में रख कर अल्लाह की रहमत के सहारे पर आप को कुरआन करीम की आयतें और हदीसें सुना-सुना कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद आप की समझ में शरीअत की बातें आ जाएं और आप जहालत से बच जाएं। इस नीयत से ये सारी मेहनतें और कोशिशें हो रही हैं।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि किसी आदमी ने आप से कहा, ऐ मुहम्मद! ऐ हमारे सरदार और सरदार के लड़के ! ऐ हम सबसे बेहतर और बेहतर के लड़के! तो आपने

फ़रमाया, लोगों! अपनी बात का खुद ख्याल कर लिया करो। तुम्हें शैतान इधर-उधर न कर दे। मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, मैं खुदा का बंदा और उस का रसूल हूँ। कसम खुदा की, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे मर्तबे से बढ़ा दो।

हवाला—1. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 26, सूः निसा के तेईसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

2. सीरतुन्नबी सल्ल०, जिल्द 4, पृ० 424 ।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ख़ूब सोच कि कहने वाले ने कोई खोटी या बुरी बात तो नहीं कही थी, फिर भी उस को रोक दिया गया, क्योंकि अगली उम्मतों की गुमराही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों के सामने फिर रही थी। उन में इसी तरह धीरे-धीरे गुमराही फैली थी, जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान में फैल रही है।

जो लोग गुमराह हुए और हो रहे हैं, उन में से अक्सर नबियों और वलियों की मुहब्बत ही में हुए हैं, शैतान उन को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वह इन बुजुर्गों को अल्लाह के रुत्बे और मर्तबे के बराबर समझने लगते हैं, जैसे इल्म में, कुदरत में और तसरूफ़ वगैरह में।

एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आ कर कहा कि जो खुदा चाहे और जो तुम चाहो, वह होगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, बल्कि यों कह कि अकेला अल्लाह चाहे वह होगा।

हवाला—1. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान, बाबुल कबाइर,

2. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 75, सूः बकरः के तीसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

इसी तरह मक्का वाले भी गुमराह हुए, क्योंकि वे जिन-जिन को उठते-बैठते और लेटते पुकारते थे, वे भी किसी न किसी ज़माने के बुजुर्ग थे, जिन को नफ़ा और नुक़सान में मददगार और हाज़िर व नाज़िर समझ कर पुकारते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह ही को पुकारते थे।

मक्का के इन मुश्रिकों को एक अल्लाह का पुकारना बहुत बुरा लगता था और बिल्कुल यही हालत आज हमारे हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमान भाइयों की है।

शिरक का असली नुक़सान यह है कि खुदा से इंसान को जिस दर्जे का ताल्लुक, जिस किस्म का इज्ज व नियाज़, जिस मर्तबे की मुहब्बत, जिस दर्जे की इल्तिजा चाहिए है, उस का रुख दूसरी तरफ़ बदल जाता है। हज़ारों-लाखों आदमी हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि देवता कायनात और ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले नहीं हैं, फिर भी वे हर किस्म की ज़रूरतें और मुरादें उन्हीं देवताओं और माबूदों से मांगते हैं, उन्हीं को हाजत रवा जानते हैं, उठते-बैठते

उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं पर नज़्र व नियाज़ चढ़ाते हैं, मतलब यह है कि सीधा उन का जो ताल्लुक होता है, उन्हीं माबूदों से होता है, खूद मूसलमानों में हज़ारों-लाखों आदमियों का तर्ज़ अमल अंबिया व सुलहा बल्कि मज़ारात की निसबत इस के करीब-करीब है। इस वजह से सब से मुकद्दम मामला यह है कि माबूदों की निसबत इस किस्म का ख्याल न पैदा होने पाए, बल्कि साफ़-साफ़ बता दिया जाए कि खुदा के आगे किसी की कुछ नहीं चल सकती और उस की मर्ज़ी में कोई हाथ नहीं डाल सकता।

हवाला - सीरतुन्नबी, जिल्द 4, पृ० 425 ।

कुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूः मोमिन के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 11-12 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - वे लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! आप ने हम को दो बार मुर्दा रखा और दो बार ज़िंदागी दी, सो हम अपनी ख़ताओं का इकरार करते हैं। तो क्या (यहां से) निकलने की कोई शकल है? (जवाब मिलेगा कि) यह अज़ाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ़ अकेले खुदा का नाम लिया जाता था, तो तुम इंकार करते थे और उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था, तो तुम मान लेते थे। सो (इस पर) यह फैसला अल्लाह का है जो आलीशान और बड़े रुबे वाला है।

अल्लाह तआला की कामिल कुदरत को बयान किया कि अल्लाह तआला ! हम मुर्दा थे, तू ने हमें ज़िंदा कर दिया, फिर मार डाला, फिर ज़िंदा कर दिया पस तू हर उस चीज़ पर जिसे तू चाहे कादिर है, हमें अपने गुनाहों का इकरार है, यकीनन हम ने अपनी जानों पर जुल्म व ज्यादती की, अब बचाव की कोई शकल बना दे, यानी हमें दुनिया की तरफ़ फिर लौट दे, जो यकीनन तेरे बस में है, हम वहां जा कर अपने पहले अमल के ख़िलाफ़ अमल करेंगे, अब अगर हम वही काम करें, तो बेशक हम ज़ालिम हैं। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि अब दुनिया में जाने की कोई राह नहीं, इसलिए कि अगर दोबारा चले भी जाओगे, तो फिर भी वहीं करोगे जिस से मना किये जाओगे, तुम ने अपने दिल ही टेढ़े कर लिए हैं, तुम अब भी हक़ को कुबूल न करोगे बल्कि उस के ख़िलाफ़ ही करोगे, तुम्हारी तो यह हालत थी कि जहां एक खुदा का ज़िक्र आया और तुम्हारे दिल में कुफ़्र समाया, हां उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, तो तुम्हें यकीन व ईमान आ जाता था, यही हालत फिर तुम्हारी हो जाएगी, दुनिया में अगर दोबारा गये, तो दोबारा यही करोगे, पस हकीकी हाकिम, जिस के हुक्म में कोई जुल्म न हो, सरासर अदल व इंसाफ़ ही हो, वह अल्लाह तआला ही है, जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे न दे, जिस पर चाहे रहम करे, जिसे चाहे अज़ाब करे, उस के हुक्म व अदल में कोई उस का शरीक नहीं। वह खुदा अपनी कुदरतें लोगों पर ज़ाहिर करता है, ज़मीन व आसमान में उस की तौहीद की अनगिनत निशानियां मौजूद हैं, जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि सब को पैदा

करने वाला, सब का मालिक, सब का पालने वाला और हिफाजत करने वाला वही है, वह आसमान से रेजी यानी बारिश नाज़िल फ़रमाता है, जिस से हर किस्म के अनाज की खेतियां और तरह-तरह के अजीब-अजीब मजे के अलग-अलग रंग-रूप और शकल व बनावट के मेवे और फल-फूल पैदा होते हैं, हालांकि पानी एक, जमीन एक, पस इस से भी उस की शान जाहिर है। सच तो यह है कि इब्रत व नसीहत, फ़िक्र व ग़ौर की तौफ़ीक़ उन्हीं को होती है, जो खुदा की तरफ़ रग़बत व रज़ूअ करने वाले हों।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 33, सूः मुअ्मिन के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

उन लोगों की हालत बयान हो रही है कि जो अल्लाह के साथ दूसरों को हर जगह पर हाज़िर व नाज़िर और नफ़ा व नुक़सान में मददगार समझ कर पुकारते थे। उन से क़ियामत के दिन अल्लाह तआला पूछेगा कि तुम ने मेरा शरीक क्यों किया ! मैंने तो इस को कुरआन शरीफ़ में और अपने हबीब रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबानी भी तुमको समझा दिया था, वे लोग जवाब में कहेंगे कि फिर दोबारा हम को दुनिया में भेज, अब हम शिर्क नहीं करेंगे, तो अल्लाह तआला कहेगा कि तुम्हारी तो यह हालत थी कि जब किसी ने जहां एक अकेले खुदा का नाम लिया, तो तुम्हारे दिल में कुफ़्र समाया और अगर कोई शिर्क करता, तो तुम्हें यकीन आ जाता कि यह सच्चा है।

मेरे प्यारे दोस्त ! यही हालत आज हमारे हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमान भाइयों की है और इस बला व मुसीबत में अपने आप को पीर और मौलवी कहलाने वाले भी मुब्तला हैं, यानी जब कोई मुसलमान भाई उठते-बैठते या अल्लाह, या खुदा या उसका और कोई नाम लेता है, तो फ़ौरन उस पर वह्हाबी या ग़ैर-मुकल्लिद का टाइटिल लगा देते हैं और जो या रसूल, या ग़ौस या ख़्वाजा, या मुश्किल कुशा, या हुसैन, या दातार, या ग़ैबन शाह, या दावल शाह, या मलंगशाह, या कलियर शाह, बहरहाल खुदा को छोड़ कर किसी नबी या किसी वली का नाम उठते-बैठते ले लिया करे, उसी को सुन्नी समझते हैं, इस जहालत की भी कोई हद है।

कुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में, सूः मुअ्मिन के दूसरे रूकूअ की आयत न० 14 में, अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है।

तर्जुमा - तुम अल्लाह ही को ख़ालिस एतकाद करके पुकारो, गो काफ़िर लोग बुरा मानें।

मेरे प्यारे दोस्त ! जो इंसान उठते-बैठते खुदा के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वे लोग जब बीमार हो जाते हैं, और हर इलाज से वे ला-इलाज हो जाते हैं इलाज कराने से, मन्नतें मानने से यानी जब ग़ौसे पाक, ख़्वाजा साहब, ग़ैबन शाह, दावल शाह, पीरान शाह, मलंग शाह वग़ैरह-वग़ैरह सब से ना-उम्मीद हो जाते हैं, उस वक़्त यही लोग इन तमाम को यानी जिन-जिन को पुकारते हैं, सब को भूल जाते हैं और एक अल्लाह ही याद आने लगता है। चारपाई पर

जब मायूस हो कर पड़ जाते हैं और उठने-बैठने से भी लाचार हो जाते हैं, उस वक्त वही खुदा याद आता है, जिसने तमाम नबियों और वलियों को पैदा किया और उन की मुश्किलें भी हल कीं और उनकी परेशानियां भी दूर कीं और जब वे बीमार हुए तो उन को शिफा भी बख्शी वही खुदा उस वक्त याद आ जाता है तब वह अल्लाह को पुकारते हैं।

कुरआन शरीफ, के ग्यारहवें पारे में, सूर: यूनुस के दूसरे रूकूअ में, अयात न० 12 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, तो हम को पुकारने लगता है, लेटे भी, बैठे भी, और खड़े भी। फिर जब हम उस की तकलीफ हटा देते हैं, तो फिर अपनी पहली हालत पर आ जाता है कि गोया जो तकलीफ उस को पहुंची थी, उस के हटाने के लिए उस ने हम को पुकारा ही न था।

यानी जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, तो उस वक्त बड़ी लम्बी-लम्बी दुआएं करने लगता है, हर वक्त उठते-बैठते-लेटते अल्लाह ही से अपनी तकलीफ दूर करने की इल्तिजाएं करता रहता है और जब दुआ कुबूल हुई और तकलीफ दूर हुई, तो ऐसा मालूम होता है गोया वह बीमार ही न हुआ था और दुआ भी न मांगी थी और उसी पहली हालत पर आ जाता है जैसा कि पहले गफलत में था।

कुरआन शरीफ के पांचवें पारे में, सूर: निसा के पन्द्रहवें रूकूअ में, आयत न० 103 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जब तुम नमाज़ अदा कर चुको, तो उठते-बैठते और लेटते अल्लाह का जिक्र करते रहो।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जो आदमी बैठा किसी मज्लिस में (या किसी और जगह) और नहीं जिक्र किया अल्लाह का वहां पर, तो उसका वहां बैठना अल्लाह की तरफ से, इस पर अफसोस और घाटा होगा। और जो आदमी लेटा अपने बिस्तर पर और नहीं जिक्र किया अल्लाह का तो उस पर अल्लाह की तरफ से अफसोस और टोटा होगा।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 2148, अल्लाह के जिक्र में,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 254, अल्लाह के जिक्र में।

यानी हर हाल में उठते-बैठते, सोते और जागते और दिन व रात अल्लाह के जिक्र में लगा रहना चाहिए और जो वक्त जिक्र से खाली होगा, हसरत और नदामत की वजह बनेगा कियामत में।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 254, अल्लाह का जिक्र।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं-

एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! इस्लाम में नेक आमाल का तरीका बहुत कसरत से हो गया है, इसलिए मेरे वास्ते ऐसा अमल बता दीजिए, जिस को मैं हर वक़्त (उठते-बैठते-लेटते) करता रहूं। आप ने फ़रमाया, अपनी जुबान हमेशा अल्लाह तआला के जिक्र से तर रख।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 565, हदीस 3791, जिक्रे हलाही का बयान।

कुछ बातें शिर्क की तफ़्सीरे अज़ीज़ी के हवाले से लिखी हैं, उन में से एक यह भी है कि जो लोग सिवाए खुदा के औरों (यानी ग़ैरों) को इबादत में बराबर खुदा का करते हैं, वे यह हैं। बीच जिक्र के औरों को बराबर खुदा का करते हैं और नाम औरों का मानिंद नाम खुदा के तक़्रूब के तरीके के जिक्र करते हैं, जैसे उठने-बैठने में खुदा के नाम की तरह औरों का नाम लेते हैं। (यह शिर्क है)

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान बाबुल कबाइर।

अब जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उठते-बैठते, लेटते पुकारते हैं, वे जिस को भी पुकारें, चाहे किसी नबी या वली या ग़ौस या कु़त्ब को वे उसे हर जगह हाज़िर व नाज़िर देखने और सुनने और मदद करने वाला समझ कर पुकारते हैं, यह शिर्क है।

मालूम हुआ कि सुनने वाला और देखने वाला, जिस तरह अल्लाह की सिफ़त है, उसमें किसी मर्रूक की मुशाबहत बिल्कुल नहीं। पस जिसने अल्लाह तआला की किसी सिफ़त को किसी मर्रूक की सिफ़त से मिलाया, तो वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 4, अकाइद का बयान।

हज़रत शाह वलिय्युउल्लाह मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है-

शिर्क शरअ में इस को कहते हैं कि जो सिफ़तें ख़ास बारी तआला की हैं, वह उसके ग़ैर में साबित करे यानी जैसा इल्म अल्लाह तआला को हर चीज़ का है और का इल्म भी ऐसा ही जाने और जैसे अल्लाह को कादिर जानता है हर चीज़ पर, वैसा और को भी जाने, जैसे वह तसरूफ़ रखता है आलम में अपने इरादे के साथ वैसे और को भी जाने।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान बाबुल कबाइर व अलामातिन्निफाक।

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में, सूरा: बक़र: के बीसवें रकूअ में, आयत न० 165 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के शरीक औरों को ठहरा कर उन से ऐसी मुहब्बत करते हैं जैसी खुदा से ईमानदार अल्लाह की मुहब्बत में बहुत सख्त होते हैं।

इस आयत में मुशिरकों का दुनियावी और उख्खवी हाल बयान हो रहा है। यह खुदा का शरीक मुकर्रर करते हैं, उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उन की मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसी खुदा की होनी चाहिए, हालांकि वह माबूदे बरहक सिर्फ एक ही है, वह शरीक और साझी से पाक है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 18, सूः बकरः के बीसवें रूकूअ की तफ्सीर में।

कुरआन करीम के तीसरें पारे में, सूः बकरः के चौतीसवें रूकूअ में, आयत न० 257, अल्लाह तआला इशादि फरमाता है।

तर्जुमा - ईमान वालों का कारसाज अल्लाह तआला खुद है। वह उन्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वे उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। ये लाग जहन्नमी हैं, हमेशा उसी में पड़े रहेंगे।

अल्लाह तआला खबर देता है कि उस की रज़ामन्दी के तलबगार को वह सलामती की रहनुमाई करता है और शक व शुब्हे के, कुफ़ व शिर्क के अंधेरो से निकाल कर हक के नूर की साफ रोशनी में ला खड़ा करता है कुफ़ार के वली शयातीन हैं, जो जहालत व गुमराही को कुफ़ व शिर्क से सजा कर के उन्हें ईमान से और तौहीद से रोकते हैं और यों हक के नूर से हटा कर ना-हक की अंधेरियों में झोंक देते हैं। यही काफिर हैं और ये हमेशा दोज़ख में ही पड़े रहेंगे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 11, सूः बकरः के चौतीसवें रूकूअ की तफ्सीर में।

हज़रत साय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहिब फरमाते हैं-
ऐ गाफिल ! उसी को चाह, जो तुझे चाहता है, उसी को तलब कर, जो तुझे तलब करता है उसी से मुहब्बत कर जो तुझ से मुहब्बत करता है और उसी का मुश्ताक बन जो तेरा मुश्ताक है, क्या तूने हक तआला का यह इशादि नहीं सुना कि अल्लाह उनसे मुहब्बत करता है और वे अल्लाह से मुहब्बत करते हैं ?

हवाला - फ़ुयूजेयज़दानी, पृ० 203, मज्लिस 37 ।

ईमानदार अल्लाह तआला की मुहब्बत में बहुत सख्त होते हैं, उनके दिल अल्लाह की बड़ाई और तौहीदे रब्बानी से मामूर होते हैं। वे खुदा के सिवा न दूसरे की ऐसी मुहब्बत करें, न किसी और की तरफ इल्लिजा करें, न दूसरों की तरफ झुकें, न उस की पाक जात के साथ किसी को शरीक करें।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 18, सूः बकरः के बीसवें रूकूअ की तफ्सीर में।

नारा-ए-तक्बीर

मोमिन की तक्रीर अल्लाहु अक्बर,
मोमिन की तहरीर अल्लाहु अक्बर,
मोमिन की शमशीर अल्लाहु अक्बर,
कलिमे की तफ़्सीर अल्लाहु अक्बर।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

ईमान की जान अल्लाहु अक्बर,
इस्लाम की आन अल्लाहु अक्बर,
कुरआं का फ़रमान अल्लाहु अक्बर।
क्रौले मुसलमान अल्लाहु अक्बर।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

आगाज़ व अंजाम अल्लाहु अक्बर,
इन-आम व इक-राम अल्लाहु अक्बर,
पैग़ामे इस्लाम अल्लाहु अक्बर,
सब से बड़ा नाम अल्लाहु अक्बर।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

गूँजा यह नारा जंग व जदल में,
गूँजा यह नारा दशत व जबल में
गूँजा यही मैदाने अमल में,
गूँजा यह नारा क़स्र व महल में।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

सिद्दीक़ व फ़ारूक़, उस्मान व हैदर,
हज़रत बिलाल व सलमान व बूज़र,
ख़ालिद व तारिक़, शब्बीर व शब्बर,
नारा यही था सब की जुबां पर।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

सौम व सलात व बांग व अजां में,
जिन्न व बशर में, करों बयां में,
फ़र्श व फ़लक में, हूर व ख़बां में,
गूँज रहा है कौन व मकां में।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

आब व हवा में, मौज व सबा में,
सौत व सदा में, लहन व निदा में,
सूँह व मसा में, नूर व जि़या में,
गूँजा है अजमल सारी फ़िज़ा में।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर ।।

हाज़िर व नाज़िर

कुरआन करीम के पांचवें पारे में, सूर: निसा के छठे रूकूअ में, आयत न० 41, 42 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उस वक़्त क्या हाल होगा, जब हम हर एक उम्मत में से एक-एक गवाह को हाज़िर करेंगे और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप को उन लोगों पर गवाही देने के लिए हाज़िर करेंगे। उस दिन जिन लोगों ने कुफ़्र किया होगा और रसूल सल्ल० का कहना नहीं माना होगा, वे इस बात की आरजू करेंगे कि काश ! ज़मीन फट जाती और वे उसमें समा जाते, वहां ये (लोग) अपनी कोई बात अल्लाह से छिपा नहीं सकेंगे।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से फ़रमाया कि मुझे कुरआन पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! कुरआन तो आप ही पर उतरा है और मैं आप को सुनाऊं ? आपने फ़रमाया कि मुझे दूसरे से सुनना अच्छा मालूम होता है, तो मैंने सूर: निसा पढ़ कर सुनायी और जब मैं इस आयत पर पहुंचा (जो ऊपर लिख दी गयी है) तो आपने फ़रमाया, बस-बस और आप की आंखों से आंसू जारी थे।

हवाला -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 456, हदीस 1685, सूर: निसा की तफ़्सीर में।

2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 30, सूर: निसा के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में, सूर: नह्ल के बारहवें रूकूअ में, आयत न० 89 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है-

तर्जुमा - और जिस दिन हम हर एक उम्मत में एक-एक गवाह, जो उन्हीं में का होगा, उन के मुकाबले में कायम कर देंगे और उन लोगों के मुकाबले में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को गवाह बना कर लाएंगे।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में, सूर: अहज़ाब के छठे रूकूअ में, आयत न० 45, 46, 47 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ नबी ! यकीनन हमने ही तुझे रसूल बना कर भेजा है, गवाहियां देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला, आगाह करने वाला और अल्लाह के हुक्म से उस की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग, तू मोमिनों को खुशखबरी सुनादे कि उन के लिए खुदा की तरफ से बहुत बड़ा फज़ल है।

तबरानी में यह भी है कि आपने फरमाया, मुझ पर यह उतरा है कि ऐ नबी! हमने तुझे तेरी उम्मत पर गवाह बना कर जन्नत की खुशखबरी देने वाला बना कर और जहन्नम से डराने वाला बना कर और अल्लाह के हुक्म से उस की तौहीद की शहादत की तरफ लोगों को बुलाने वाला बना कर और रोशन चिराग कुरआन के साथ बना कर भेजा है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 17, सूर: अहज़ाब के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।
ऐ पैग़म्बर ! बेशक भेजा हमने तुझे गवाह, उम्मत की तस्दीक और तकज़ीब पर और खुशखबरी देने वाला हमारी रहमत की और डराने वाला अज़ाब से।

हवाला - तफ़्सीरे कादरी, जिल्द 3, पारा 22, पृ० 266, सूर: अहज़ाब के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।

ए नबी हमने तुझ को भेजा है इस शान से कि तू शहिद है। (फ़) यानी अपनी उम्मत पर तौहीदे इलाही अज़्ज़ व जल्ल की गवाही देने वाला है और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत तमाम पैग़म्बरों के वास्ते शहादत (गवाही) देने वाली है।

हवाला - तफ़्सीरे मुवाहिबुर्हमान, पारा 22, पृ० 54, सूर: अहज़ाब के छठे रूकूअ की तफ़्सीर में।
कुरआन करीम के दूसरे पारे में, सूर: बकर: के सतहरवें रूकूअ में आयत न० 143 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है-

तर्जुमा - हमने इसी तरह तुम्हें इंसाफ़ करने वाली उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओं और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा

कि क्या तुमने मेरा पैगाम मेरे बन्दों को पहुंचा दिया था। वह कहेंगे कि हां, ऐ अल्लाह! पहुंचा दिया था। उन की उम्मत को बुलाया जाएगा और उन से पूछ-ताछ होगी कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने मेरी बातें तुम्हें पहुंचायी थीं, वे साफ़ इंकार करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि तुम्हारी उम्मत इंकार करती है, तुम गवाह पेश करो। ये कहेंगे कि हां, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप की उम्मत मेरी गवाह है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 3, सूः बकरः के सतरहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

इब्ने मर्दूया और इब्ने अबी हातिम से लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मैं और मेरी उम्मत क़ियामत के दिन एक ऊंचे टीले पर होंगे, तमाम मख़्लूक में नुमायां होंगे और सब को देख रहे होंगे, उस दिन तमाम दुनिया तमन्ना करेगी कि काश, वे भी हम में से होते। जिस-जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है, हम रब्बुल आलमीन के दरबार में शहादत देंगे कि इन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने रिसालत का हक़ अदा किया था।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 4, सूः बकरः के सतरहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूः जुमर के सातवें रूकूअ में, आयत न० 69, में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - ज़मीन अपने पालनहार के नूर से जगमगा उठेगी नामा-ए-आमाल हाज़िर किये जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दर्मियान हक़ फ़ैसले किये जाएंगे और जुल्म न किये जाएंगे।

क़ियामत के दिन, जबकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मख़्लूक के फ़ैसले के लिए तजल्ली फ़रमायेगा, उस वक़्त उस के नूर से सारी ज़मीन जगमगा उठेगी। आमालनामें लाए जाएंगे। नबियों को पेश किया जाएगा जो गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी उम्मतों को तब्लीग़ कर दी थी और बन्दों के नेक व बद आमाल की हिफ़ाजत करने वाले फ़रिश्ते लाये जाएंगे और अद्ल व इंसाफ़ के साथ मख़्लूक के फ़ैसले किये जाएंगे और किसी पर किसी किस्म का जुल्म व सितम न किया जाएगा।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 19, सूः जुमर के सातवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

इन तमाम इबारतों से मालूम हुआ कि क़ियामत के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गवाही अपने आप में उस गवाही से अलग न होगी, जिस के अदा करने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत को दूसरी उम्मतों पर गवाही देने के लिए गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! गवाह के लिए यह ज़रूरी नहीं कि गवाह अपनी आंखों से खुद असल

वाक़िआ देखे और मुआयना करे, बल्कि किसी सिका और मोतबर के बतलाने पर और किसी माकूल वजह से इल्म होने पर भी गवाही जायज़ है और अगर बग़ैर मुआयना और देखे गवाही और शहादत दुरुस्त न हो तो उम्मत मुहम्मदिया पहली उम्मतों पर किस तरह गवाही देगी ? इस उम्मत ने न हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया, न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, न हज़रत य़क़ूब अलैहिस्सलाम का, न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, मगर क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला का इर्शाद है कि इस उम्मत को दूसरी उम्मतों पर गवाह बनाया गया, अगर गवाही के लिए मुआयना और वाक़िए में हाज़िर होना और देखना ज़रूरी होता, तो यह उम्मत पहली उम्मतों पर हरगिज़ गवाह न बन सकती। अगर यह गवाही आमाल की हो, तो इन सब का हाज़िर व नाज़िर होना लाज़िम आता है और अगर यह गवाही सिर्फ़ इस बात की गवाही देने के लिए बुलाये जाएंगे कि ख़ल्क तक उस के ख़ालिफ़ का पैग़ाम पहुंचाया है, तो ज़रूर ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी इसी गरज के लिए बुलाये जाएंगे।

मेरे प्यारे दोस्त ! उम्मत मुहम्मदिया की गवाही सिर्फ़ इस वजह से होगी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस उम्मत के पास क़तई और यकीनी ख़बर पहुंचा दी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इसी तरह दूसरे नबियों ने अपनी-अपनी उम्मतों को तब्लीग़ की है।

नसब, मौत, निकाह, जिमाअ और काजी की तक़ररी की गवाही बिना देखे दुरुस्त है, जबकि किसी मोतबर आदमी ने ख़बर दी हो।

हवाला - कुदूरी, पृ० 213, किताबुशहादत।

जो चीज़ तवातुर की वजह से मशहूर हो जाए या किसी मोतबर आदमी ने ख़बर दी हो, तो गवाह को उस की गवाही देना जायज़ है।

हवाला - हिदाया, जिल्द 3, पृ० 145, किताबुशहादत।

गरज यह कि शाहिद और गवाह के लिए हर वक़्त हर वाक़िए में मौजूद होना गवाही के लिए ज़रूरी नहीं है। क़ुरआन करीम, हदीस शरीफ़ और फ़िक्ह हनफ़ी से यह बात साबित हो चुकी, मगर जहालत तो देखिए कि अब भी यही कहे जा रहे हैं कि गवाही के लिए देखना और मौजूद रहना और हाज़िर व नाज़िर होना ज़रूरी है। कुछ हद है इस जहालत की।

हर मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में शहादत का कलिमा पढ़ता है। हर मोमिन शहादत के कलिमे-

अशहदु अल-लाइला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु०

पढ़ता है, तो क्या उसने अल्लाह को देखा है ? और क्या उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम

को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, वह्य लाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है, तो बताओ यह गवाही कैसे सही होगी? और या फिर हर कलिमा गो और मुअज़्ज़िन को हाज़िर व नाज़िर मानो।

और इस मज़्मून की ताईद वह हदीस करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हौजे कौसर पर पानी पिला रहे होंगे और कुछ लोग आएंगे, आप उन को पहचान भी लेंगे, बावजूद इस के आप से दूर और अलग कर दिये जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाएंगे, ये तो मेरे उम्मत हैं। जवाब मिलेगा कि आप को मालूम नहीं। इन लोगों ने आप की वफ़ात के बाद आप के दीन में नयी-नयी रस्में यानी बिदाअतें पैदा की हैं।

तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाएंगे, मुझ से दूर हो जाओ और खुदा की रहमत से भी दूर हो जाओ।

इस हदीस को इल्मे ग़ैब के बयान की आखिरी व्हस में हम सात किताबों के हवाले से लिख चुके हैं। इस मज़्मून को इस कसरत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन ने बयान किया है कि इसमें किसी को शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

इस बात से यह साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के एक-एक आदमी और उस की एक-एक हरकत के गवाह कतअन नहीं हैं। रही वह हदीस, जिस में यह जिक्र आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आप की उम्मत के आमाल पेश किये जाते हैं, तो वह किसी तरह भी इस मज़्मून को रद्द नहीं कर सकती, इसलिए कि इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उम्मत के हालात से बा-ख़बर करता है। इसका यह मतलब कब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर आदमी के कामों को अपनी आंखों से देख रहे हैं।

कुछ लोगों ने इस गवाही से यह मतलब लिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आखिरत में लोगों के आमाल पर गवाही देंगे और इस से वे दलील पकड़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम लोगों के आमाल को देख रहे हैं, वरना बे-देखे गवाही कैसे देंगे।

कुरआन करीम के मुताबिक़ यह तावील बिल्कुल ग़लत है। कुरआन मजीद हमें बताता है कि लोगों के आमाल पर गवाही कायम करने के लिए तो अल्लाह ने एक दूसरा ही इन्तिज़ाम किया है। इस गरज़ के लिए उस के फ़रिश्ते हर आदमी का आमालनामा तैयार कर रहे हैं।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूर: काफ़ के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 17-18 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - दो कातिब उस के दाएं और बाएं बैठे हुए हर चीज़ को लिख रहे हैं। कोई लफ़्ज़ उसकी जुबान से नहीं निकलता, मगर यह कि उस के पास निगहबान यानी लिखने वाले

तैयार हैं।

यानी एक तरफ तो हम खुद सीधे-सीधे इंसान की हरकतें, उसके ख्याल वगैरह जानते हैं और दूसरी तरफ हर इंसान पर दो फरिश्तें तैनात हैं, जो उस की एक-एक बात को नोट कर रहे हैं और उस का कोई कौल और फेल ऐसा नहीं, जो लिखा न जाता हो।

जिस वक़्त अल्लाह तआला की अदालत में इंसान को पेश किया जाएगा, उस वक़्त अल्लाह तआला को खुद भी इल्म होगा कि कौन क्या कर के आया है और उस के अलावा दो फरिश्ते गवाही देने के लिए आएंगे और उसके आमाल का दस्तावेज सबूत के लिए लफ़्फ़ कर रख देंगे। इसके अलावा अल्लाह तआला ने और भी इन्तिज़ाम किये हैं।

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में, सूर: यासीन के चौथे रकूअ में, आयत न० 65 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - आज हम उन के मुंह को बन्द कर देंगे और हाथ उन के बोलेंगे और पैर गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कुछ करते थे।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में, सूर: नूर के तीसरे रकूअ में, आयत न० 24 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जिस दिन उनके खिलाफ उनकी जुबानें गवाही देंगी और उन के हाथ और उन के पैर भी (गवाही देंगे) उन कामों की, जो ये लोग करते थे।

कुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूर: सज्द: के तीसरे रकूअ में, आयत न० 20-21 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - यहां तक कि जब बिल्कुल जहन्नम के पास आ जाएंगे, तो उन पर उन के कान और उन की आंखें और उन की खालें उन के आमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वे जवाब देंगी, हमें उस खुदा-ए-तआला ने बोलने की ताकत अता फरमायी, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत बरख़्शी है।

क्रियामत के दिन हर एक इंसान के आमाल की गवाही के लिए अल्लाह तआला ने यह इन्तिज़ाम कर रखा है, उसके हाथ, उसके कान, उसकी आंखें, उस के पैर, उस की जुबान, उस की चमड़ी, गरज यह कि हर चीज़, जो कुछ जितना भी किया होगा, सब का सब बयान कर देंगी। सूर: यासीन में फरमाया है कि मुंह को बन्द कर देंगे और सूर: नूर में फरमाया कि जुबानें भी बोलने लगेगी, तो इस का मतलब यह है कि उस को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहेगा। वह इंसान जो चाहेगा, वह अपनी जुबान से नहीं बोल पाएगा, बल्कि जो हक होगा, वही जुबान बोलेगी।

दुनिया में साईसदां फिल्म की पट्टी को बुलवा सकते हैं, टेपरिकार्ड को बुलवा सकते हैं, रेडियो और टेलिविज़न को बुलवा सकते हैं, जब ये आले बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं महसूस

होता, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि खुद ही इंसान बोल रहा है, हालांकि उस में इंसान नहीं होता, बल्कि उसकी आवाज़ उस में उतार ली जाती है। अल्लाह के बनाये हुए इंसान जब आवाज़ को मशीनों के ज़रिए जब चाहें, तब बुलवा सकते हैं, तो खुदावन्दे करीम तो क़ादिरे मुत्तक हैं, जिस तरह जुबान को बुलवा सकता है, इसी तरह हर अंग हशर के मैदान में बोलने लगेगा।

हाज़िर व नाज़िर सिवाए खुदा के और कोई भी नहीं है, जिन के लिए आयतें, हदीसें और फ़िक्ह की दलीलें हम अपने भोले भैया को सुनाते हैं। उम्मीद है कि इन्शाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में, सूर: अंबिया के तेईसवें रूकूअ में, आयत न० 186 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब मेरे बन्दे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को, जब वह मुझे पुकारता है, कुबूल करता हूँ। पस लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई का ज़रीया है।

हदीस - एक देहाती ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या हमारा पालनहार करीब है? अगर करीब हो तो हम उस से कानाफूसियां करें और अगर दूर हो तो हम ऊंची आवाज़ों से उसे पुकारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खामोश रहे। इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 38, सूर: बक़र: के तेईसवें रूकूअ की तफ़सीर में। हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जब तक मेरा बन्दा मेरा ज़िक्र करता रहता है उस के होंठ हरकत में होते हैं, मैं उस के करीब होता हूँ।

हवाला - 1. इब्ने माजा शरीफ, पृ० 565, हदीस 3790, अल्लाह के ज़िक्र में,
2. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 38, सूर: बक़र: के तेईसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूर: काफ़ के दूसरे रूकूअ में, आयत न० 16 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने इंसान को पैदा किया है और हम उस के दिल में जो ख्याल आता है, उस को भी जानते हैं और हम उस की रगे जां से भी करीबतर हैं।

हमारी कुदरत और हमारे इल्म ने इंसान को इस तरह घेर रखा है कि उस की रगे गरदन भी इस कदर करीब नहीं, जितना कि हम उस से करीब हैं। उस की बात सुनने के लिए हमें

कहीं से चल कर नहीं आना पड़ता। उस के दिल में आने वाले ख्यालों तक को बराहे रास्त जानते हैं।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में, सूर: फातिर के चौथे रकूअ, में आयत नं० 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - बेशक अल्लाह तआला आसमानों और ज़मीनों की हर छिपी चीज़ को जानता है। वह तो तुम्हारे सीने के छिपे हुए भेद तक जानता है।

अल्लाह तआला सातों आसमानें और सातों ज़मीन और उनमें जो कुछ भी है, जानता है। जंगल हो या बस्ती, समुन्दर हो या बयाबान, आंधी हो या बरसात, दिन हो या रात, हर वक्त हर घड़ी हर जगह हाज़िर व नाज़िर है। रात की घंघोर अंधेरी में चलती हुई चींटी और मकड़ी और उड़ते हुए मच्छर को देखता है और उन के दुख और राहत को अच्छी तरह बगैर बताए जानता है। किसी को कुछ दिखायी दे या न दे, लेकिन अल्लाह तआला से कुछ भी पोशीदा नहीं और यह सिफत खुदा के सिवा और किसी में नहीं है।

कुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में, सूर: हदीद के पहले रकूअ में, आयत नं० 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - वह खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए या उस से निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उस में चढ़ कर जाए। जहां कहीं तुम हो, वह तुम्हारे साथ है और जो तुम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है।

अल्लाह तआला से कोई चीज़ छिपी नहीं है। वह जानता है कि आसमान से बारिश की कितनी बूंदें गिरीं, कुल कितनी वर्षा हुई, कितना पानी ज़मीन ने पिया, कितना पानी नदी, नालों, कुओं में रुका और कितना समुद्र में गया और दुनिया वालों ने ज़मीन में कितने दाने डाले हैं और हर-हर दाने में क्या-क्या फल और कितने मिक्दार का अनाज पैदा हुआ है। वह ज़मीन से निकलने वाले पौधे या पेड़ या सब्जी या घास या धान हर एक की मिक्दार को जानता है। ज़मीन से निकलने वाली कोंपल और पेड़ों से झड़ने वाला पत्ता कोई ऐसा नहीं है, जिसको अल्लाह तआला जानता न हो। हमारी हर एक सांस को और हमारे दिल की धड़कनों को वह बगैर किसी के बताये जानता है। कौन कहां पैदा हुआ और कहां मरेगा और कहां बीमार है या तन्दुरुस्त है, हर एक से अल्लाह तआला बा-ख़बर है, इसी तरह चरिंद-परिंद, कीड़े-मकोड़े, मक्खी और मच्छर की रोज़ी का इन्तिज़ाम हर जगह पर कर रहा है और इन सब बातों का इल्म किसी के बताए बगैर रखता है, ऐसा खुदा जिस का नाम आलिमुल ग़ैब है और जिस का निज़ाम हमारी अक्ल से बाहर हो, उस जैसा और कौन हो सकता है मेरे भोले भैया! तौबा कर ले और जहालत को छोड़ दे, सिवाए खुदा के और कोई भी हाज़िर व नाज़िर नहीं है।

कुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूर: मुजादल: के दूसरे रकूअ में, आयत नं० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - क्या तुम को ख़बर नहीं है कि ज़मीन और आसमनों की हर चीज़ का इल्म अल्लाह तआला को है। तीन आदमियों का मश्वरा नहीं होता, मगर अल्लाह उसमें चौथा होता है और न पांच का मगर उसमें छठा (अल्लाह) होता है और न इससे कम और न ज्यादा, मगर उसमें (अल्लाह) होता है। जहां भी वे हों (वहां अल्लाह होता है), फिर क़ियामत के दिन उन्हें उन के आमाल बता दिये जाएंगे (जो कुछ वे कर रहे थे) बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को जानता है।

ऐसी सिफ़त, ऐसी शान अल्लाह तआला के सिवा और किसी में समझना और बताना या साबित करना जहालत नहीं है, तो फिर और क्या है ?

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि खुदा के फ़रिश्ते ज़मीन पर सफ़र करते रहते हैं, वे मेरी उम्मत के दरूद व सलाम मेरे पास पहुंचाते हैं।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 858, दरूद का बयान,
 2. दारमी शरीफ़, पृ० 416, हदीस 2740, बाब 1167,
 3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 316, दरूद का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद का बयान।

आओ, आओ ! रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इश्क का दावा करने वालो! हम जिस रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दम भरते हैं, जिस रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए जान को जान और माल को माल नहीं समझते, उस रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़त्वा है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी मुबारक जुबान से फ़रमा रहे हैं कि खुदावन्दे करीम के बहुत-से फ़रिश्ते दुनिया में घूमते-फिरते हैं और मेरी उम्मत के दरूद व सलाम मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। यह तो फ़रमान है आका-ए-नामदार, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का और चार किताबों के हवाले आपके सामने हैं।

और जेब भरू पीर और पैट भरू मौलवी कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं तो इन जाहिल जेबभरू पीर और पैटभरू मौलवियों के कौल के मुताबिक़ मआज़ल्लाह ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कौल झूठा हुआ। अल्लाह की पनाह ! किस क़दर जहालत है। न तो क़ुरआन की बातें मानते हैं न हदीसों की बातें मानते हैं और न हनफ़ी मसलक की किताबों की बात मानते हैं। अब सुनिए। फ़िक्ह का फ़त्वा!

एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया, मगर गवाह हाज़िर न हुए। उसने कहा कि खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गवाह किया या कहा खुदा और फ़रिश्तों को गवाह किया तो काफ़िर हुआ और अगर उस ने कहा कि दाएं हाथ के फ़रिश्ते और बाएं हाथ

के फ़रिश्ते को गवाह किया तो काफ़िर नहीं हुआ।

- हवाला** -1. फ़तवा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 843, मुर्तद का बयान,
2. मजाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 283, मुर्तद का बयान।

देखा मेरे अजीज़ दोस्त ! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हर जगह हाज़िर व नाज़िर समझने वालों को हमारे उलेमा-ए-दीन काफ़िर कहते हैं, क्योंकि खुदावदे करीम तो हर जगह हाज़िर व नाज़िर है और मौजूद है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर जगह हाज़िर व नाज़िर नहीं हैं, क्योंकि यह सिफ़त खास अल्लाह तआला की है और अल्लाह तआला की सिफ़त में बन्दे को मिलाना कुफ़्र है, चाहे वह नबी हो या वली हो और जो फ़रिश्ते हैं, वे खुदा के हुक्म के बग़ैर किसी भी जगह पर न तो आ सकते हैं और न जा सकते हैं, इसलिए फ़रिश्तों को भी हर जगह हाज़िर व नाज़िर समझने वाले पर हमारे उलेमा-ए-दीन ने कुफ़र का फ़तवा लगाया है। अब रही दाएं और बाएं बाजू पर रहने वाले फ़रिश्तों को गवाह बनाने वाली बात, तो वे दोनों फ़रिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म से इंसान के साथ रहते हैं, न यह कि वे कायनात में हर जगह हाज़िर व नाज़िर हैं। तो अब अगर इन दोनों फ़रिश्तों को गवाह बना लिया तो काफ़िर तो नहीं हुआ, मगर इतना याद रहे कि इन फ़रिश्तों को गवाह बनाने से निकाह नहीं होगा।

मदद किससे मांगें ?

खातमुल अंबिया, हबीबे खुदा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, जबकि रसूलों की दी हुई तालीम मिट चुकी है, उनकी राहें बे-निशान हो चुकी हैं, दुनिया तौहीद को भुला चुकी है, जगह-जगह मर्रलूक परस्ती हो रही है। सूरज, चांद, सितारे, आग, पानी, बुत बग़ैरह की पूजा की जा रही है। खुदा का दीन बदल चुका है, कुफ़्र की तारीकी छा चुकी है, दुनिया का कोना-कोना, चप्पा-चप्पा सरकशी और ज्यादती से भर गया है, अद्ल और इंसफ़ बिल्कुल मिट चुका है, इंसामियत भी फ़ना हो चुकी है, जहालत और कम समझी का दौर-दौरा है, सिवाए कुछ लोगों के खुदा का नाम लेना ज़मीन पर कोई नहीं रहा। पस मालूम हुआ कि आपकी जहालत और इज़्जत खुदा के पास बहुत बड़ी थी और आपने जो खुदाई रिसालत अदा की, वह कोई मामूली रिसालत नहीं थी।

मेरे अजीज़ दोस्त ! तमाम अंबिया अलैहिमुस्लातु वस्सलाम इसी लिए भेजे गये थे कि लोगों को तालीम दें और सिखाएं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह ही की इबादत करो और अल्लाह ही से मदद मांगो और इंसान पैदा भी इसीलिए किया गया है, मगर इंसान अपनी नफ़सानियत और जहालत की वजह से भूल जाता है या ज़िद में आ कर जानते हुए भी उलटा करने लगता है।

अल्लाह तआला अपने कलाम मजीद के अन्दर सूर: फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ में इर्शाद फ़रमाता है-

‘इय्या-क नअ-बुदु व इय्या-क नस्तअीन०’

(हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं)

कामिल इताअत और पूरे दीन का हासिल सिर्फ़ यही दो बातें हैं।

हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि खुदावदे तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम उसी की ख़ालिस इबादत करो और अपने तमाम कामों में उसी से मदद मांगो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 34, सूर: फ़ातिहा की तफ़सीर में।

मेरे अजीज़ दोस्त ! आज वे लोग सोचें और समझें, जो नमाज़ में रोज़ाना पांचों वक़्त कई मर्तबा अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ते हुए इस बात का इकरार करते हैं-

इय्या-क नअबुदु व इय्या-क नस्तअीन०’

(हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं।)

यह आयते करीमा नमाज़ में बार-बार पढ़ते हैं, यह इकरार भी कर रहे हैं और जब नमाज़ पढ़ ली तो अल्लाह ही के घर में उसी मुसल्ले पर से जब उठते हैं तो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को हाज़िर व नाज़िर और नफ़ा व नुक़सान में मददगार समझ कर उसी वक़्त उन के नाम का नारा लगा कर उठते हैं।

मेरे अजीज़ दोस्त ! आप ही इन्साफ़ करें, कोई हद भी है इस जहालत की ! कहां तक रोना रोयें हम हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों की जहालत का।

क़ुरआन मजीद के चौबीसवें पारे में, सूर: मुअ्मिन के छठे रकूअ में, आयत न० 51 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - यकीनन हम अपने पैग़म्बरों की और जो लोग ईमान लायें हैं, उन की दुनियावी ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे।

आयत में रसूलों की मदद करने का खुदा का वायदा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ नबियों को उन की कौमों ने क़त्ल कर दिया, जैसे हज़रत यह्य़ा, हज़रत ज़करिया, हज़र शअ़या सलवातुल्लाहि अलैहिम व सलामुहू और कुछ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपना वतन छोड़ना पड़ा, जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि इन्हें अल्लाह तआला ने आसमान की तरफ़ हिजरत करायी। फिर क्या कोई नहीं कह सकता कि यह वायदा पूरा क्यों न हुआ ? इस के दो जवाब हैं-

1. एक तो यह कि यहां गो आम ख़बर है, लेकिन मुराद कुछ से है और यह लुग़त में

आम तौर से पाया जाता है कि मुत्लक ज़िक्र हो और मुराद खास लोग हों,

2. दूसरे यह कि मदद कग्ने से मुराद बदला लेना हो।

पस कोई नबी अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं गुज़रा, जिसे तकलीफ, पहुंचाने वालों से कुदरत ने ज़बरदस्त बदला न लिया हो। चुनांचे हज़रत यह्या, हज़रत ज़करिया, हज़रत शअ्या अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कातिलों पर खुदा ने उन के दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया और उन्होंने उन्हें ज़ेर व ज़बर कर डाला, उनके खून की नदियां बहा दीं और उन्हें निहायत ज़िल्लत के साथ मौत के घाट उतारा, नमरूद मर्दूद का मशहूर वाक़िआ दुनिया को मालूम है कि कुदरत ने उसे कैसी पकड़ में पकड़ा।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन यहूदियों ने सूली देने की कोशिश की थी, उन पर जनाबे बारी अज़ीज़ व हकीम ने रूमियों को ग़ालिब कर दिया और उन के हाथों उनकी सख्त ज़िल्लत व रुसवाई हुई और अभी जब क्रियामत के करीब आप उतरेंगे, तब दज्जाल के साथ उन यहूदियों को, जो उसके लश्करी होंगे, क़त्ल करेंगे और इमामे आदिल और हाकिम बा-इंसाफ बन कर तशरीफ़ लाएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सुअर को क़त्ल करेंगे और ज़िज़या वातिल कर देंगे, अलावा इस्लाम के और कुछ कुबूल न फ़रमाएंगे। यह है अल्लाह तआला की शानदार मदद और यही कुदरत का दस्तूर है जो पहले से अब तक जारी है कि वह अपने मोमिन बन्दों की दुनियावी मदद भी फ़रमाता है और उन के दुश्मनों से खुद इन्तिक़ाम लेकर उन की आंखें ठंडी करना है।

हवाला - तफ़सीरें इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 50, सूः मूअ्मिन के छठे रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूः आले इम्रान के सतरहवें रूकूअ में, आयत न० 16 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तो तुम पर कोई ग़ालिब नहीं आ सकता और अगर वह तुम्हें छोड़ दें, तो उसके बाद कौन है, जो तुम्हारी मदद करे ?

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की होती है और अगर अल्लाह तआला हमारी मदद न करे, तो दुनिया में कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता।

अब आइए, आप को वे हदीसें और आयतें सुनाऊं, जिन को पढ़ने और सुनने से ईमान ताज़ा हो जाता है और तौहीद में पक्का बन जाता है। कैसी-कैसी मुश्किलों में अल्लाह तआला ने मदद की है और ऐसी-ऐसी सख्त मुसीबतों में भी खुदा के बन्दों ने तौहीद को हाथ से जाने न दिया और हम को सबक दे गये। हमारे ही लिए नहीं, बल्कि, सारे जहान के लिए नमूना बन गये, मगर जो अक्लमंद थे, ईमान वाले थे, समझ वाले थे, उन्होंने बुजुगनि दीन के अमल का हाथ में ले लिया, और अमल कर के बता दिया। बाकी तो अपनी-अपनी ज़िद और नफ़सानियत

ही पर अड़े हुए हैं।

कुरआन हकीम के सतरहवें पारे में, सूर: अंबिया के छठे स्कूअ में, आयत न० ७7 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - मछली वाले (हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम) को याद कर, जबकि वह गुस्से में चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे तंग न पकड़ेंगे, तो फिर वह अंधेरियों के अन्दर से पुकार उठे, ऐ खुदा ! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया।

पैगम्बर हज़रत यूनुस बिन मता अलैहिस्सलाम थे। उन्हें मूसल के इलाके की बस्ती नैनवा की तरफ नबी बना कर खुदा तआला ने भेजा था। आपने खुदा के दीन की दावत दी, लेकिन कौम ईमान न लायी। आप वहां से नाराज़ होकर चल दिये और उन लोगों से कहने लगे कि तीन दिन में तुम पर खुदा का अज़ाब आ जाएगा। जब उन्हें इस बात की तहकीक हो गयी और उन्होंने जान लिया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम झूठे नहीं होते, तो यह सब ते सब छोटे-बड़े मय जानवरों और मवेशियों के जंगल में निकल खड़े हुए, बच्चों को माओं से जुदा कर दिया और बिलक-बिलक कर निहायत गिरया व ज़ारी से जनाबे बारी में नाला व फरियाद शुरू कर दी। इधर उनकी आह व पुकार उठी, उधर जानवरों की भयानक आवाज़। खुदा की रहमत जोश में आ गयी और अज़ाब उठा लिया गया।

और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यहा से चल कर एक नाव में सवार हुए। आगे जा कर तूफान की निशानियां ज़ाहिर होने लगीं। करीब था कि नाव डूब जाए। मश्विरा यह था कि किसी एक आदमी को नदी में डाल देना चाहिए कि वज़न कम हो जाए। कुरआ डाला गया और कुरआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला, लेकिन किसी ने आप को नदी में डालना पसन्द न किया, दोबारा कुरआ डाला गया तो आप ही का नाम निकला। चुनांचे अब की बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो गये। कपड़े उतार कर नदी में कूद पड़े। समुन्दर में से एक मछली पानी काटती हुई खुदा के हुकम से आयी और आप को लुक्मा कर गयी, लेकिन खुदा के हुकम से न आप की हड्डी तोड़ी और न आप के जिस्म को कुछ नुकसान पहुंचाया। आप उस के लिए खाना न थे, बल्कि उस का पेट आपके लिए कैदखाना था। इसी वजह से आप की निसबत मछली की तरफ गयी, यानी जुन्नून (मछली वाले) कहा गया। आप का गुज़ब व गुस्सा आप की कौम पर था और ख्याल यह था कि खुदा आप को तंग न पकड़ेगा, फिर इन अंधेरियों में फंस कर अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। समुद्र के तले का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, ये सब अंधेरे जमा थे। आपने समुद्र की कंकरियों की तस्बीह सुनी और खुद आपने भी तस्बीह शुरू कर दी। आप पहले तो मछली के पेट में जा कर समझे कि मैं मर गया हूं, फिर पैर को हिलाया, तो वह हिला। यकीन हुआ कि मैं ज़िंदा हूं। वहीं सज्दे में गिर पड़े और कहने लगे, ऐ अल्लाह ! मैंने तेरे लिए इस जगह

को मस्जिद बनाया, जिस को इस से पहले किसी ने नज्द की जगह न बनायी होगी और यह दुआ पढ़ने लगे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 30, सूः अंबिया के छठे रकूअ की तफ्सीर में।

कुरआन करीम के सतरहवें पारे में, सूः अंबिया के छठे रकूअ में, आयत न० 87 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

(ला इला-ह इल्ला अन-त सुब्हा-न-क इन्नी कुन्तु मिन-ज्जालिमीन०)

तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया।

जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला को मदद के लिए पुकारा तो अल्लाह तआला की तरफ से मदद भी आ पहुंची।

कुरआन करीम के सतरहवें पारे में, सूः अंबिया के छठे रकूअ में, आयत न० 88 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - तो हमने उस की पुकार सुन ली और उसे ग़म से निजात दे दी। हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला खुद फ़रमा रहा है कि मैं ईमान वालों को इसी तरह बचा लेता हूँ, चाहे समुद्र की तह में हों या नदी के तूफ़ान में, या आग के अलाव में हों या मछली के पेट में हों? उसी वक़्त मछली को हुक़म होता है कि ऐ मछली ! मेरे यूनुस को अपने पेट और समुन्दर से बाहर निकाल दे और यही हुआ भी। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम खुदा की मदद न मांगते, उस को न पुकारते, उस की तस्बीह न पढ़ते, तो इस का अंजाम क्या होता, वह भी सुन ले।

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में, सूः साफ़ात के पांचवें रकूअ में, आयत न० 143-144 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अगर वह तस्बीह करने वालों में से न होते तो क़ियामत तक उसी मछली के पेट में पड़े रहते।

ऐ मेरे दोस्त ! इस से बढ़ कर अब आपको तौहीद के लिए और क्या सबूत चाहिए। खुदावदे आलम फ़रमा रहा है कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी तस्बीह न पढ़ते, मुझ से मदद न मांगते, मुझे अपनी मुसीबत में याद न करते तो क़ियामत तक उसी मछली के पेट में कैद रहते, क्योंकि खुदा के सिवा और कोई मुसीबत में उन का मददगार न था।

कुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में, सूः तौबा के चौदहवें रकूअ में, आयत न० 116 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह की ही सल्तनत है, आसमानों और ज़मीनों में, वही जिलाता है और मारता है और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई भी दोस्त और मददगार नहीं है।

कुरआन करीम के सोलहवें पारे में, सूर: मरयम के तीसरे रूकूअ में, आयत न० 41, 42, 43, 44, 45 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है-

तर्जुमा - इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकिआ भी बयान कर दो। वह हमारे सच्चे नबियों में से थे। जब (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप से कहा कि ऐ अब्बा जान! आप ऐसों को क्यों पूज रहे हैं, जो न सुनें, न देखें और न आप के कुछ काम आ सकें? ऐ मेरे अब्बा! मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आप के पास नहीं है। आप मेरे कहने पर चलिए, मैं आप को सीधे रास्ते पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा! आप शैतान की परस्तिश न कीजिए। शैतान तो खुदा-ए-रहमान का बड़ा दुश्मन है। ऐ अब्बा! मैं डर रहा हूँ कि आप पर कोई अज़ाब न आ जाए और आप शैतान के साथी समझे जाएं।

मेरे दोस्त! दुनिया जानती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र बुत बनाता भी था और बेचता भी था और बुतों को पूजता भी था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही सख्त जवाब मिला, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने अपना खास और मख़सूस बन्दा बना लिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई वह्हाबी तो नहीं थे या देवबन्द से तालीम हासिल करके तो आए नहीं थे, बल्कि अल्लाह तआला की तरफ से सच्चे नबी और ख़लील बनाये गये थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने पर आप को क्या जवाब मिलता है, वह सुनिए-

कुरआन करीम के सोलहवें पारे में, सूर: मरयम के तीसरे रूकूअ में, आयत न० 46 में अल्लाह तआला इर्शादि फरमाता है-

तर्जुमा - उस ने जवाब में कहा, ऐ इब्राहीम (अलैहिस्सलाम)! क्या तू हमारे माबूदों को (और हमारे मज़हब को) बुरा कहता है, तू मुझ से दूर हो जा, (मुझे अपना मुंह न दिखा,) वरना मैं तुझे संगसार करा दूंगा।

यह था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप का जवाब। उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर क्या गुज़री होगी, इस का अन्दाज़ा आप लगा सकते हैं! यही हाल आजकल हमारे नादान मुसलमान भाइयों का है। जब उन को तौहीद या सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अमल करने के लिए समझाया जाता है, क़ब्रपरस्ती, ताज़ियापरस्ती और रस्मपरस्ती को छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो उन समझाने वालों को भी वैसा ही जवाब मिलता है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला था। यहां भी समझाने वालों पर गाली-गलोज और लान-तान करने लगते हैं। मार-पीट तक की नौबत का मामला आ जाता है और कहीं-कहीं तो शहीद भी कर दिये गये हैं। हक़परस्तों को धुत्कार दिया जाता है, उनको मस्जिदों से निकाल दिया

जाता है, उन के वाज़ व इज्तिमाज़ में रोड़े डाले जाते हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक कहने पर, बातिल की मुखालफत करने पर जलाने का मश्विरा हुआ था।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मश्विरा हुआ कि यह हमारे मज़हब और माबूदों को बुरा कंहता है, उसको आग में जला देना चाहिए। बात तै हो गयी, लकड़ियां जमा करने लगे, यहां तक कि जो औरतें बीमार हो जाती थीं वह भी मन्नत मानती थीं की मुझे आराम हो जाएगा तो एक गट्ठा लकड़ी का (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के) जलाने के लिए लाऊंगी। इस तरह बहुत कुछ लकड़ियां जमा करके आग सुलगायी गयी।

लिखते हैं, कि इतनी बड़ी आग कभी किसी ने घरती पर नहीं जलायी थी।

यह आग एक हकपरस्त, तौहीदपरस्त, सच्ची राह दिखाने वाले अल्लाह के लाल के लिए लोगों ने जलायी थी। आज तो सिर्फ मस्जिद ही से निकालते हैं या वाज़ ही बन्द कराते हैं, इतनी-सी बात पर आप घबरा जाते हैं। आप के लिए किसी ने आग तो नहीं जलायी?

बहरहाल जब वह आग बराबर रोशन हो गयी तो इस कदर भड़क रही थी कि कोई परिंदा भी ऊपर से उड़ कर नहीं जा सकता था। इस आग में डालने के लिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधने लगे तो उस वक्त और जब आग में डाले गये तो उस वक्त आप की मुबारक जुबान पर यह कलिमा था-

कुरआन करीम के चौथे पारे में, सूर: आले इम्रान के अठारहवें रकूअ में, आयत न० 173 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - हमारे लिए अल्लाह तआला काफी है और वह बहुत ही अच्छा कारसाज है।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आप की जुबान पर आखिरी कलिमा यही था कि हमारे लिए अल्लाह तआला काफी है।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 447, हदीस 1667, सूर: आले इम्रान की तफ्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह था इम्तिहान ईमान वालों का और यह थी कसौटी। अब अल्लाह तआला की रहमत को देखिए, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंक दिया गया तो, जो बड़े-बड़े फरिश्ते हैं, वह तैयार खड़े थे कि न जाने अल्लाह किस को, कब और क्या हुक्म करता है? यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तैयार खड़े थे कि अगर अल्लाह तआला मुझे हुक्म दे तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिरने से पहले ही बीच रास्ते में से आसमान की तरफ उठा लूं या आग को समुन्दर में डाल दूं। इसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी तैयार खड़े थे कि अगर मुझ को अल्लाह तआला हुक्म करे तो मैं बरसात को इस आग पर ऐसा उमड़ दूं कि एक आन की आन में आग बुझ जाए। इसी तरह हवा का

फ़रिश्ता भी तैयार खड़ा था कि अगर मुझे हुक्म मिले तो एक पल में आंख झपकने के साथ सारी आग को उड़ा कर ले जाऊं, मगर सब के सब मजबूर थे। खुदा के हुक्म के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे फ़रिश्ता हो, या नबी हो या वली, या कुतुब या अब्दाल या ग़ौस हो, बहरहाल अल्लाह तआला जब किसी को बचाना चाहे तो वह किसी की मदद का मुहताज नहीं है कि उस का कोई काम करे तब हो सके।

अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मक़बूल बन्दा समझ कर अपने रहम व करम से अपने दरबार में कुबूल कर लिया था, भला वह आग उन को क्या जला सकती थी?

कुरआन शरीफ़ के सतरहवें पारे में, सूर: अंबिया के पांचवें रकूअ में, आयत 96 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हम ने फ़रमाया कि आग ! तू ठंडी हो जा और सलामती की जगह बन जा, इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के लिए।

याद रख अगर तूने मेरे हक़परस्त, तौहीद का एलान करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी जलाया तो तुझे वह सज़ा करूंगा, जो किसी को न की होगी।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सातों आसमान और सातों ज़मीन के अन्दर जो कुछ भी हैं, वह सब अल्लाह तआला की कुदरत के कब्ज़े में है। वह कहे कि हो जा तो फ़ौरन ही हो जाए और अगर वह कहे कि मिट जा तो फ़ौरन ही मिट जाएं अल्लाह तआला का हुक्म सुनते ही आग फ़ौरन मिस्ल एक बाग़ के बन गयी।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में चालीस या पचास दिन रहे। फ़रमाया करते थे, मुझे उस ज़माने में जो राहत व आराम हासिल था, वैसा उससे निकलने के बाद हासिल नहीं हुआ। क्या अच्छा होता कि मेरी सारी ज़िंदगी उसी में निकलती।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 20, सूर: अंबिया के पांचवें रकूअ की तफ़्सीर में।

अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनिए। आप फिरऔन के पास जाते हैं और खुदा के हुक्म के मुताबिक़ उस को समझाते हैं कि घमंड, सरकशी, ज़िद, नफ़सरस्ती और खुदाई का दावा न कर, तू भी उसी खुदा का बन्दा है, उसी की मदद का मुहताज है, पर वह नहीं माना, अपने घमंड और ज़िद पर अड़ा रहा, समझाने से नहीं समझा, मनवाने से नहीं माना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का हुक्म होता है कि अपनी उम्मत को लेकर यहां से चले जाओ। रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के तमाम छोटों, बड़ों, बूढ़ों और औरतों को लेकर रवाना हो गये।

जब यह ख़बर फिरऔन को हुई, तो उसके बदन में आग लग गयी, क्योंकि वह बनी इस्राईल से गुलामी के काम कराता था। अब अगर वे सब चले जाएं, तो फिर उस की और उसकी

कौम की गुलामी कौन करे, इस लिए हुक्म दिया कि पूरी फ़ौज तैयार होकर मेरे पास हाज़िर हो जाए। तमाम फ़ौज को जमा करके बड़ी शान व शौकत के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। जब सुबह की कुछ निशानिशं नज़र आयी, तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक दरिया आ गया, जिस की वजह से उनको वहां रुक जाना पड़ा और पीछे से फ़िरऔन भी अपनी फ़ौज ले कर आ पहुंचा।

कुरआन मज़ीद के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के चौथे रूकूअ में, आयत न० 61 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब दोनों जमाअतों ने एक दूसरे को देख लिया।

फ़िरऔन की तमाम फ़ौज को आता देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती घबरा गये, उस वक़्त बे-सख़्ता उनकी जुबान से ये लफ़्ज निकले जो इसी आयत में इर्शाद फ़रमाए।

तर्जुमा - मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथी कहने लगे कि बस अब हम तो पकड़ लिये गये।

बेचारे ग़रीबों की आह निकल गयी, क्योंकि खुद तो बे-सर व सामान थे, तायदाद भी ज्यादा न थी और उस में भी बूढ़े, बच्चे और औरतें सब थे, इसलिए उन की जुबान से निकल गया कि ऐ मूसा! हम तो पकड़ लिए गये और अब तो हलाक हो जाएंगे। अब न जाने ये ज़ालिम हम पर क्या-क्या जुल्म व सितम करेगा।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह था इम्तिहान का वक़्त। कौन-सी अक्ल थी जो हैरान न रह जाए। कौन-सा दिल था, जो कांप न जाए। कौन-सा क़दम था जो डगमगा न जाए, कौन-सी आंखें और कान ऐसे थे जो ख़ता न कर जाएं, पर यह थे अल्लाह के ख़ास लाल, जो हम को तौहीद का सबक देने के लिए आए थे। अब सुनिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब।

कुरआन शरीफ़, के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के चौथे रूकूअ में, आयत 62 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हर गिज़ ऐसा नहीं हो सकता। यकीन मानो मेरे साथ मेरा खुदा है, मुझे अभी-अभी रास्ता दिखा देगा।

कुरआन शरीफ़ के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के चौथे रूकूअ में, आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) पंर वह्य भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार दे, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने लाठी मार दी, तो उसी वक़्त दरिया फट गया और मिस्ल पहाड़ों के खड़ा हो गया।

देखा मेरे दोस्त! इस को कहते हैं तौहीद! ऐसी सख़्त घड़ी कि एक तरफ़ तो समुन्दर

में तूफान आ रहा है, पानी की मौजें पहाड़ों की तरह इधर की उधर, उधर की इधर हो रही हैं और पीछे से फिरऔन पूरी तैयारी के साथ धंसा चला आ रहा है, बचने का कोई रास्त नज़र नहीं आता। उस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह की गैबी मदद ऐसी होती है कि अक़ल हैरान रह जाती है। तौहीद पर ईमान रखने वालों, तौहीद को अमली जामा पहनाने वालों की अल्लाह तआला मदद कैसी करता है और किस तरह करता है। इस को भी आपने समझ लिया।

क्यों न हो, यह हमें तौहीद सिखाने आये थे। अल्लाह की ज़ात पर किस तरह भरोसा रखना चाहिए इसका हमें सबक देने आए थे, उन का भरोसा सिर्फ़ रब ही पर होता है, न उसके सिवाए किसी से उम्मीदें रखें, न उस के सिवा उन का कोई मक़सद होता है, न उसके सिवा वह किसी से पनाह चाहें, न उसके सिवा वह किसी से मुरादें मांगें, न किसी और की तरफ़ झुकें। वे जानते थे कि कुदरत वाला वही है, वह जो चाहता है वही होता है। उसकी चाहत में कोई रुकावट नहीं डाल सकता और जो वह नहीं चाहता, वह हरगिज़ नहीं हो सकता। तमाम मुल्क में उसी का हुकम चल रहा है। कायनात के एक-एक ज़र्रे पर उसी की हुकमरानी है। तमाम मर्रूकात पर उसी की नज़र है। सब का पैदा करने वाला वही एक खुदा है और सब का मालिक भी सिर्फ़ वही है, वही रोज़ी देने वाला है। रोज़ी का फैलाव और तंगी भी उसी के हाथ में है। बीमारियों को दूर करने वाला, दुख-सुख में काम आने वाला वही है। मौत व जिंदगी का मालिक वही रब्बुल आलमीन है। वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, न उस के हुकम को कोई टाल सकता है, वह सब के अमलों को देख रहा है, सब उसी की तरफ़ जाने वाले हैं और वह जल्द हिसाब लेने वाला है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त लाठी मारी तो समुन्दर ने बीच में से रास्ता दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम और आप के उम्मती पार हो गये और फिरऔन और उसके साथी उस दरिया में घुसे तो अल्लाह तआला ने समुन्दर को हुकम दिया कि मिल जा। वह मिल गया और इस तरह फिरऔन को और उसकी फ़ौज को हलाक कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और आप के साथियों को अल्लाह ने बचा लिया।

अब आइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अगर आप उम्मती हैं अपने आप को आशिके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं, तो सुन लीजिये, आप क्या फ़रमाते हैं-

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं ग़ार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था। फिर मैंने अपना सर उठाया, तो मैंने कुछ लोगों के पैर देखे। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अगर इनमें से कोई आदमी अपनी नज़र नीची करेगा, तो हमें देख लेगा। आप ने फ़रमाया, ऐ अबूबक्र! चुप रहो, (हम) दो आदमी (ऐसे हैं), जिन का तीसरा अल्लाह है।

हवाला -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 15, पृ० 282, हदीस 1093, हिज़रत का

बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 142, हदीस 702, बाब 333, फज़ाइले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 192, हदीस 953, सूर: तौबा की तफ़सीर में,
4. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 864, हदीस 5587, मोज़िज़ों का बयान,
5. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 1, मोज़िज़ों का बयान।

जब मक्का वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुश्मनी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, यहां तक कि क़त्ल कर देने का भी मश्वरा हो गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सच्चे साथी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर बिल्कुल अकेले मक्का शरीफ से निकल कर खुदा के हुक्म से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर गये। तीन दिन इस हिक्मत से ग़ार में गुज़ारे कि ढूँढने वाले मायूस होकर वापस चले जाएं, तो यहां से निकल कर मदीना तय्यिबा का रास्ता लें। हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु लम्हा ब-लम्हा घबरा रहे थे कि किसी को कहीं पता न चल जाए। उस वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो लफ़ज़ अपनी मुबारक जुबान से अदा फ़रमाये थे, उन्हें हमारी हिदायत के लिए अल्लाह तआला अपने मुक़द्दस कलामे पाक में बयान फ़रमाता है-

क़ुरआन मजीद के दसवें पारे में, सूर: तौबा के छठे रूक़अ में, आयत न० 40 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - दो में से दूसरा, जब कि वे दोनों ग़ार में थे, जब यह अपने साथी से कह रहा था कि ग़म न कर, अल्लाह हमारे साथ है।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे-पीछे था कि आप ने फ़रमाया -

लड़के ! मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ, तू उन की हिफ़ाज़त कर, अल्लाह तआला तेरी हिफ़ाज़त करेगा। अल्लाह तआला (के हुक्म) की हिफ़ाज़त कर, तू अल्लाह को अपने सामने पायेगा और जो कुछ मांगना हो, अल्लाह ही से मांग, अगर मदद तलब करनी हो, तो अल्लाह ही से मदद तलब कर और जान ले कि अगर सारी मख़्लूक इस बात पर जमा हो जाए कि तुझे कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे, तो ये तुझे उतना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं, जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है और अगर सब मिल कर तुझे नुक़सान पहुंचाना चाहें तो उतना ही नुक़सान पहुंचा सकेंगे जितना कि अल्लाह तआला ने लिख दिया है। कलम उठा लिए गये और किताबें सूख गयीं।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 77, हदीस 378, कियामत का बयान,

2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 757, हदीस 5043, तवक्रकुल का बयान,

3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 256, तवक्कुल का बयान ।

इस हदीस की शरह कुत्ब ग़ौस सम्दानी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि 'फुतूहुल ग़ैब' में फ़रमाते हैं कि लायक है हर मोमिन को कि करे इस हदीस को आईना अपने दिल का, पस अमल करे उस पर तमाम हरकात व सकनात अपने में, ताकि सालिम रहे दुनिया व आखिरत में और पावे इज़्ज़त दोनों जहां में अल्लाह तआला की रहमत की वजह से ।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 257, तवक्कुल का बयान ।

यह है हज़रत ग़ौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा, मगर आज हमारी जहालत ने हम को ऐसा जाहिल बना दिया है कि न तो कुरआन करीम की आयतों पर अमल, न हदीसों की परवा और न फ़ुक्हा-ए-किराम के फ़त्वों का लिहाज़ ।

कुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूर: आले इम्रान के सतरहवें स्कूअ में, आयत न० 160 में, अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है:

तर्जुमा - ईमान वालों को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए ।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं- साहिबो ! पैरवी करो, बिदअती मत बनो, मुवाफ़कत करो, मुखालफ़त न करो, ताबेअदार बनो, नाफ़रमान न बनो, मुख़्लिस बनो, मुशिरक मत बनो । हक तआला के तौहीद के मानने वाले बनो और उस के दरवाजे से मत टलो, उसी से मांगो और किसी से न मांगो, उसी से मदद चाहो और ग़ैर से मदद न चाहो, उसी पर भरोसा करो और किसी दूसरे पर भरोसा मत करो ।

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 253, मज्लिस 47 ।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए । पर सैकड़ों बार अफ़सोस है उन मुसलमानों पर, जो खुदा को छोड़ कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं । नफ़ा और नुक़सान के लिए दूसरों की तरफ़ नज़रें जमाये हुए, उम्मीदें लगाये हुए, आस बांधे बैठे रहते हैं । क्या इसी का नाम तौहीद है?

एक वह ज़माना था कि तौहीद का डंका मुसलमानों ने सारे ज़माने में बजा दिया और आज यह ज़माना है कि सुन्नत वल जमाअत का दावा करने वाले, अपने आप को आशिकाने, रसूल समझने वाले, कुछ मुसलमान भाई तो क्या बल्कि अपने आप को पीर मौलवी, सूफ़ी और दरवेश कहलाने वाले भी तौहीद का ज़नाज़ा निकाल चुके हैं और दूसरों को भी उन्हीं अक़ीदों पर मजबूर करते हैं, जिन पर अमल करके तबाह व बर्बाद हुए हैं । उन के दिमाग़ और अक़ल में इतनी-सी बात भी नहीं बैठती कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब दुनिया में भेजे गये थे, वे सब के सब तौहीद सिखाने के लिए और दूसरों को छोड़कर खुदा ही की ज़ात पर भरोसा रखवाने के लिये आये थे, मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! तेरा सत्यानास हो ! तूने हमारे

अक्सर मुसलमान भाइयों के ईमान को तो मलियामेट ही कर दिया है।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में, सूर: नहल के सातवें रकूअ में, आयत न० 53-54, में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं, सब उसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत आ जाये, तो उस की तरफ नाला व फरियाद करते हो और जहां उस ने वह मुसीबत तुम से हटा ली कि तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक करने लग जाते हैं।

अल्लाह वाहिद के सिवा कोई भी इबादत का हकदार नहीं। वह ला शरीक है। वह हर चीज का पैदा करने वाला है, मालिक है, उसी की इबादत खालिस, हमेशा करनी वाजिब है। और उसके सिवा दूसरों की इबादत के तरीके अख्तियार न करना चाहिये, आसमान और जमीन की तमाम मख्लूक खुशी या नाखुशी में उसी की मातहत है, सब का लौटना उसी की तरफ है, खुलूस के साथ उसी की इबादत करो, उस के साथ दूसरों को शरीक करने से बचो, दीने खालिस अल्लाह का ही है, आसमान व जमीन की हर चीज का मालिक तंहा वही है, नफा और नुकसान उसी के अख्तियार में है, जो कुछ उसके बन्दों के हाथ में है, सब उसी की तरफ से है, रोजी, नेमत, आफियत और आराम उसी की तरफ से है। उसी के फज़ल और एहसान बन्दों पर हैं और अब भी इन नेमतों के पा लेने के बाद भी तुम ऐसे ही उसके मुहताज हो, मुसीबतें अब भी सर पर शायद आ जाएं, सख्तों के वक्त वही याद आता है और गिड़-गिड़ा कर पूरी आजिजी के साथ कठिन वक्त में उसकी तरफ झुकते हो, खुद मक्का के मुश्रिकों का भी यही हाल था कि जब समुन्दर में फंस जाते और हवा के झोंके किशती को पत्ते की तरह झकोले देने लगते, तो अपने ठाकुरों, देवताओं, बुतों, पीरों, फकीरों वगैरह-वगैरह सब को भूल जाते और खालिस खुदा से लौ लगा कर खुलूसे दिल से अल्लाह तआला से बचाव और निजात तलब करते, लेकिन किनारे पर किशती के पार लगते ही अपने पुराने खुदा सब याद आ जाते और हकीक्री माबूद के साथ फिर उन की पूजा-पाठ शुरू हो जाती।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 38, सूर: नहल के सातवें रकूअ की तफसीर में।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फरमाते हैं-

ऐ मुखातब ! मैं तुझको मख्लूक के पास देख रहा हूं, न कि खालिक के पास, तू नफस और मख्लूक का हक तो अदा करता है और हक तआला का हक साकित करता है, उसकी नेमतों पर दूसरों का शुक्रिया अदा करता है। ये नेमतें, जिन में तू गर्क है, तुझ को किस ने दी हैं? क्या खुदा के सिवा किसी दूसरे ने दी हैं, जो तू उस का शुक्रिया अदा करता है और उस को पूज रहा है।

हवाला - फ़यूज़े यज़दानी, पृ० 231, मज्लिस 43 ।

अरब के मुशिरक हिन्दुओं जैसा अकीदा रखते थे। जिस तरह हिन्दू यह भी कहते हैं कि ईश्वर जो चाहता है, करता है, उस के खिलाफ कोई कुछ भी कर नहीं सकता, मगर फिर भी सैकड़ों माबूद बना रखे हैं, कहीं देवी पूजी जाती है, कोई हनुमान को मानता है, कोई महादेव के लिंग को पूजता है, कोई लक्ष्मण की मूर्ति पर जल चढ़ाता है और फिर हर मुल्क में हर एक कौम का जुदा ही माबूद है। आग, पानी, पेड़, सूरज, सितारे कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी कि जिस को न पूजते हों। यही हाजत रवा जान कर उन को पुकारना, उन की नज़्र व नियाज़ करना उनकी इबादत है और यह भी कहते हैं कि उन में ईश्वर की माया है। यह भी बड़ी कुदरत रखते हैं, यही हाल अरब के मुशिरकों का था। अफ़सोस हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमानों में भी हिन्दुओं की सोहबत का असर आ गया। ये भी अपने बुजुर्गों के साथ करीब-करीब यही बर्ताव करने लगे। ये इस को तवस्सुल कहते हैं और गैर-कौम अपने बुजुर्गों से ऐसे ही मामले करें, तो उस को शिर्क करार देते हैं, काम एक ही है।

हवाला— तफ़सीरे हक्कानी, जिल्द 5, पृ० 225, सूः मुअ्मिन के पांचवें रूकूअ की तफ़सीर में।

तफ़सीरे हक्कानी के इन लफ़्जों पर गौर किया जाए कि काम एक ही है, चाहे हम अपने बुजुर्गों के साथ करें या वे अपने बुजुर्गों के साथ करें, जैसे

1. हिन्दू लोग हर साल अपने बुजुर्गों की विलादत और शहादत मनाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी अपने बुजुर्गों की विलादत, शहादत और शादी रचाते-मनाते हैं।
2. हिन्दू लोग जहां चाहें मन्दिर बना लेते हैं, तो कुछ मुसलमान भी जहां चाहें मज़ार या छल्ला या ताज़िया बना लेते हैं।
3. हिन्दू लोग अपने देवी-देवता का हर साल मेला करते हैं और उसमें मर्द-औरत खलत-मलत होकर घूमते-फिरते रहते हैं, तो कुछ मुसलमान भी मज़ारों पर उर्स करते हैं और उसमें मर्द-औरत खलत-मलत होकर घूमते-फिरते हैं और परदे का कोई एहतियाम नहीं होता।
4. हिन्दू लोग अपने देवी-देवताओं की मूर्तियों को हर साल नहलाते हैं और इस नहाये हुए पानी को पवित्र समझते हैं, तो कुछ मुसलमान भी अपने बुजुर्गों की कब्रों को हर साल नहलाते हैं और नहाने के पानी को तबरूक या बरकत वाला समझते हैं।

हालांकि शरीअत में गुस्ल (नहाना) पूरे इन्सानी जिस्म को शरीअत के मुत्ताबिक धोने को कहा जाता है, तो कब्र के धोने को गुस्ल कहना शरीअत में इज़ाफ़ा नहीं तो और क्या है?

गुस्ल का पानी या तो नापाक है, जैसे नजासत (नापाकी) के गुस्ल में, या तो पाक है, मगर इस्तेमाल के काबिल नहीं, जैसे मुस्तहब गुस्ल में, यह है गुस्ल के पानी का शरई हुक्म, मगर शरीअत पर इज़ाफ़ा करने वालों ने कब्र धोये हुए पानी को अल्लाह के हुक्म से बढ़ा कर न सिर्फ़ इस्तेमाल के काबिल बल्कि तबरूक भी बना दिया। यह शरीअत में दूसरा इज़ाफ़ा हुआ।

5. हिन्दू लोग मूर्तियों को नहलाने के बाद हर साल उस को नये कपड़े पहनाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद फूलों के हार भी पहनाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी मजारों को गुस्ल देने के बाद हर साल कपड़े की नयी चादर चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने के बाद फूलों की चादर भी चढ़ाते हैं या उस पर फूल बिखेरते हैं।

6. हिन्दू लोग मूर्तियों के पाए को चूमते हैं और सज्दा भी करते हैं, तो मुसलमान लोग भी दरगाह शरीफ को चूमते हैं और सज्दा भी करते हैं।

7. हिन्दू लोग देवी-देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं और इस प्रसाद को मख्लूके खुदा को खिलाते हैं या लोगों में तक़सीम कर देते हैं, तो कुछ मुसलमान भी बुजुर्गों को नज़्र व नियाज चढ़ाते हैं और वे मख्लूके खुदा को खिलाते हैं या बांट देते हैं।

9. हिन्दू लोग देवी-देवता को सहायता करने वाला समझते हैं, तो कुछ मुसलमान भी बुजुर्गों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं।

10. हिन्दू लोग देवी-देवता को हर जगह और हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर समझते हैं, तो कुछ मुसलमान भी बुजुर्गों को हर जगह और हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर समझते हैं।

11. हिन्दू लोग मूर्तियों के सामने चिराग़ जलाते हैं और गोगुल जला कर उस के धुएं की खुशबू देते हैं, तो कुछ मुसलमान भी दरगाहों पर चिराग़ भी जलाते हैं और लोबान की धूनी भी देते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं।

12. हिन्दु लोग देवी देवताओं के सामने तबले-हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, और नाचते भी हैं यानी कीर्तन या भजन वगैरह करते हैं तो कुछ मुसलमान भी मजारों के सामने ढोलक हारमोनियम बजा कर खूब क़व्वलियां करते हैं।

13. हिन्दु लोग देवी-देवताओं की मूर्तियों के बनाने में और मंदिरों के बनाने और सजाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसको पुण्य समझते हैं, तो कुछ मुसलमान लोग भी दरगाहों और ताज़ियों को बनाने और सजाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसको सवाब और निजात का ज़रिया समझते हैं।

14. हिन्दु लोग हर मन्दिर की हिफ़ाज़त के लिए एक पुजारी रखते हैं और उस को देवता-देवी का महन्त या गद्दीनशीन कहते हैं, तो कुछ मुसलमान भी दरगाह शरीफ़ की हिफ़ाज़त के लिए मुजाविर रखते हैं और उस को दरगाह शरीफ़ का सज्जादा नशीन या गद्दीनशीन कहते हैं।

15. हिन्दु लोग मन्दिरों में जूतियों को साथ लेकर जाना पाप समझते हैं या पुजारी किसी को अन्दर जूतियां हाथ में लेकर आने नहीं देता, तो कुछ मुसलमान भी जूतियों को हाथ में लेकर दरगाह शरीफ़ पर जाना गुनाह समझते हैं और वहां का सज्जादा नशीन किसी इंसान को जूते हाथ में लेकर दरगाह शरीफ़ पर फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाने नहीं देगा और बड़ी सख्ती के साथ रोका जाता है, हांलाकि मस्जिद में आप अपनी जूतियां हाथ में लेकर जा सकते हैं।

16. कुछ हिन्दुओं के शरीर में माता या देवी-देवता आते हैं, उस वक्त वे बे-काबू हो कर सर हिलाते हैं और झूमते हैं तो कुछ मुसलमानों के ऊपर सवारी आती है किसी वली की या किसी इमाम वगैरह की ये भी बे-काबू होकर फिर सर हिलाते हैं और नाचने लगते हैं।

17. हिन्दु लोग हर साल रामलीला करते हैं और इस में किस्म किस्म के भेस बना कर नाचते-कूदते हैं और गाते-बजाते भी हैं, तो कुछ मुसलमान भी ताज़ियों में लगूर, चीता और भालू वगैरह बनते हैं, फिर खूब नाचते-कूदते हैं और ढोल-ताशे, शहनाइयां भी बजाते हैं और मर्सिया वगैरह गाते हैं।

18. हिन्दु लोग अपने अजीजों के मरने के बाद तीजा, दसवां सोलहवां करते हैं, तो कुछ मुसलमान अपने अजीजों के मरने के बाद तीजा, दसवां और बीसवां करते हैं।

19. हिन्दु लोग तंहाई में आंखें बन्द कर के ध्यान खींचते हैं, जिनमें भगवान का या देवी-देवता का या अपने गुरु का ध्यान जमाते हैं, यानी उन की शबीह (चित्र) को अपने सामने लाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी तंहाई में आंखें बन्द करके अपने पीर का या मशाइख का तसव्वुर जमाते और उसको अपनी तवज्जोह का किब्ला बनाते हैं और कुछ तो पीर की तस्वीर को भी सज्दा करते हैं।

20. हिन्दु लोग अपने देवी देवता के नाम का जानवर पालते हैं और उस जानवर को उन्हीं के नाम पर छोड़ देते हैं या उनके स्थानों पर ले जा कर उसकी भेंट चढ़ाते हैं, इस नीयत से कि देवी-देवता का कुर्ब हासिल हो, तो कुछ मुसलमान भी बुजुर्गों के नाम का जानवर पालते हैं और उन्हीं के नाम पर छोड़ देते हैं, या मजारों पर लेजा कर जिब्ह करते हैं ताकि उनको बुजुर्गों का कुर्ब हासिल हो।

21. हिन्दु लोग अपने-अपने त्यौहारों में देवी-देवता की मूर्ति बना कर खूब सजाते हैं, उनके सामने खूब नाचते हैं, खेल-तमाशे करते हैं, साज़ वगैरह बजाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उस मूर्ति को कंधों पर या लारियों पर उठा कर चलते हैं, शहर और कस्बे के बाज़ार, गली और कूचों में फिराते हैं, उस वक्त भी उस मूर्ति के सामने नाचते-कूदते, खेल-तमाशे करते हुए साज़ वगैरह बजाते हुए खूब धूम-धाम से लेकर चलते हैं और शाम के वक्त उस मूर्ति को दरिया में या किसी नहर में या किसी तालाब में डुबो देते हैं, तो कुछ मुसलमान भी ताज़िया बनाते हैं और उन को खूब सजाते हैं, फिर उस के सामने कुछ दिन नाचते-कूदते हैं, खेल-तमाशे करते हैं, ढोल-ताशे और शहनाइयां खूब बजाते हैं, फिर दसवीं मुहर्रम को, गली-कूचों में फिराते हैं, उस वक्त भी ताज़िए के आगे-आगे खूब नाचते हैं, मर्सिए गाते हैं, खेल-तमाशे करते हैं, ढोल-ताशे शहनाइयां बजाते हैं, फिर शाम को उस ताज़िए को दरिया में या नहर में या किसी तालाब में डुबो देते हैं, दफ्न नहीं करते और जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते असल बात यह है कि हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं और हिन्दुओं में से मुसलमान

हुए हैं, तो देखने में तो मुसलमान हैं, लेकिन पुरानी जो आदत थी, वह नहीं गयी, सिर्फ रूख बदला है। हिन्दु लोग अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं और मुसलमान अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, हालांकि शरीअत इन कामों की किसी को भी इजाजत नहीं देती।

कुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के सातवें रूकूअ में आयत न० 67 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - समुन्दर में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें पुकारते थे, उन सब को भूल जाते हैं, सिर्फ़ वही खुदा बाकी रह जाता है, फिर जब वह तुम्हें खुशकी की तरफ़ बचा लाता है, तो मुंह फेर लेते हो। इंसान बड़ा ही ना शुक्रा है।

अल्लाह तबारक व ताआला का इशादि हो रहा है कि बन्दे मुसीबत के वक़्त तो खुलूसे दिल के साथ अपने परवरदिगार की तरफ़ झुकते हैं, उसी से दिली दुआएं करते हैं। और जहां वह मुसीबत खुदा ने टाल दी कि ये आंखें फेर लेते हैं। मक्का की जीत के वक़्त, जबकि अबू जहल का लड़का इक्रिमा हब्शा जाने के इरादे से भागा और नाव में बैठ कर चला तो इत्तिफ़ाक़ से नाव तूफ़ान में फंस गयी। हवा के झोंके उसे पत्ते की तरह हिलाने लगे, उस वक़्त नाव में जितने कुफ़ार थे, सब के सब एक दूसरे से कहने लगे कि इस वक़्त सिवाए अल्लाह तआला के और कोई कुछ काम नहीं आयेगा, उसी को पुकारो।

इक्रिमा के दिल में उसी वक़्त ख़याल आया कि जब तरी में सिर्फ़ वही अकेला अल्लाह काम आ सकता है तो ज़ाहिर है कि खुशकी में भी वही काम आ सकता है। ऐ अल्लाह! मैं नज़्र मानता हूँ कि अगर तूने मुझे इस आफ़त से बचा लिया तो मैं सीधा जा कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में हाथ दे दूंगा और यकीनन वह मुझ पर मेहरबानी और रहम व करम फ़रमाएंगे। चुनांचे समुन्दर से पार होते ही वह सीधे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम कुबूल किया। फिर तो इस्लाम के पहलवान साबित हुए। रज़ियल्लाहु अन्हु !

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 56, सूर: बनी इस्राईल के सातवें रूकूअ में तफ़सीर में।

ऐ दोस्त मेरे ! आप यह न समझना कि उस ज़माने में, जबकि कुरआन करीम नाज़िल हो रहा था, कोई, अल्लाह तआला को मानने वाला ही न था। यह ख़याल आप का बिल्कुल ग़लत है। उस ज़माने में भी अल्लाह तआला को बराबर मानते थे, फिर भी शिर्क व कुफ़र करते थे।

मुशिरक दो किस्म के थे, बल्कि अब भी हैं-

1. एक तो वे जो पत्थर या और चीज़ों की मूर्तियों को पूजते थे, और
2. दूसरे वे जो बुजुर्गों को पूजते थे।

हवाला - तफ़सीरे, हक्कानी जिल्द 5, पृ० 34, सूर: नहल के दसवें रूकूअ की तफ़सीर में। अक्सर उम्मतें ख़ालिक़ के वजूद की कायल थीं (और वे इस बात को मानते थे कि खुदा

के सिवा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता) फिर भी औरों की इबादत उन्हें वास्ता देकर वसीला जान कर खुदा से नज़दीक करने वाले और नफ़ा देने वाले समझ कर करती थी।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 59, सूः इब्राहीम के दूसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

अफ़सोस ! आज हिन्दुस्तान के कुछ जाहिल मुसलमान भाइयों की भी यही हालत है जो अगले काफ़िरों और मुशिरकों की थी।

कुरआन शरीफ़ के छठे पारे में सूः माइदा के दसवें रकूअ में आयत न० 76 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - कह दे कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उन की इबादत करते हो, जो न तुम्हारे नुक़सान के मालिक और न किसी नफ़ा के। अल्लाह ही खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है।

खुदा के सिवा जिनकी इबादत की जाती है, उससे मना किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों से कह दो कि वह तुम्हारे दुख को मिटाने की और नफ़ा पहुंचाने की कुछ भी ताक़त नहीं रखते। आख़िर तुम क्यों उन्हें पूजते हो और पुकारते हो ? तमाम बातों का सुनने वाला, तमाम चीज़ों को जानने वाला सिवाए अल्लाह तआला के और कौन है ? तुम लोग उस से हट कर कहां भागे जा रहे हो ? बे-कुदरत चीज़ों के पीछे पड़ जाना कौन-सी अक़लमंदी है !

ऐ अह्ले किताब ! हक़ की पैरवी की हदों से आगे न बढ़ों, जिस की इज़्जत करने का जितना हुक़म हो उतनी ही उस की इज़्जत करो। इंसानों को जिन्हें खुदा ने नुबूव्वत दी है, नुबूव्वत के दर्जे से खुदाई के दर्जे तक न पहुंचाओ, जैसे कि तुम जनाबे मसीह के बारे में ग़लती कर रहे हो और इसकी कोई वजह नहीं, अलावा इसके कि तुम अपने गुमराह-पीरों, मुशिदों, उम्मतों और इमामों के पीछे लग गए हो। वे तो खुद ही गुमराह हैं, बल्कि गुमराह करने वाले हैं। इस्तिक़ामत और अदल के रास्ते छोड़े हुए उन्हें जमाना गुज़र गया है। उन को तो गुमराही और बिदअतों में मुब्तला हुए एक समय हो गया।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 125, सूः के दसवें रकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूः यूनुस के बारहवें रकूअ में आयत न० 106 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - इन में से अक्सर लोग बावजूद खुदा पर ईमान रखते हुए भी मुशिरक हैं।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि खुदा पर ईमान फिर शिर्क से दस्तबरदारी नहीं। आसमान व ज़मीन पहाड़ और पेड़ों का, इंसानों और जिन्यों का और तमाम कायनात का खुदावंदे करीम को मालिके मुख़्तार मानते हैं, लेकिन फिर भी उस का शरीक ठहराते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 19, सूः यूसुफ़ के बारहवें रकूअ की तफ़्सीर में।

जिस क़दर मुश्रिक गिरोह हैं, वे जो ग़ैर-अल्लाह को पूजते हैं (यानी अल्लाह के सिवा जिस को पूजते या पुकारते हैं) ज़रूर उन को जिंदा और निगहबान समझते हैं। अल्लाह तआला के कारख़ाने में नफ़ा और नुक़सान का मालिक व मुख़्तार भी जानते हैं। अरब के मुश्रिक बुतों को, अवहि ग़ैर-मरईया (यानी अनदेखी रूहें, जिन्न, भूत-प्रेत वग़ैरह) को और ईरानी लोग अनासिर और सितारों को, कुछ फ़रिश्तों और खुदा के बंरगुज़ीदा बन्दों को पूजते पुकारते हैं, उन की नज़्र व नियाज़ करते हैं, इस एतकाद से कि वे कारसाज़ हैं (यानी मदद कर सकते हैं) हमारे काम बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसा अक़ीदा रखना इस्लाम मज़हब में कुफ़्र है।

हवाला - तफ़सीर हक्क़ानी, जिल्द 3, पृ० 93, सूर: आले इम्रान के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत इम्रान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे बाप से फ़रमाया कि तुम आजकल कितने माबूदों को पूजते हो?

उन्होंने जवाब दिया कि सात माबूदों को, जिन में से छः ज़मीन में हैं और एक आसमान पर।

हूज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, फिर तुम उन में से उम्मीद और डर किस से रखते हो ?

मेरे वालिद ने जवाब दिया कि आसमान वाले से। (मुख़्तार)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 316, हदीस 1334, दुआ का बयान।

कुरआन मजीद के नवें पारे में सूर: आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ में आयत न० 197 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - और तुम जिन लोगों की खुदा को छोड़ कर इबादतें करते हो, वे तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं और न वे अपनी मदद कर सकते हैं।

जिन को तुम पूजते हो, न वे तुम्हें कुछ मदद दे सकते हैं और न वे खुद की कुछ मदद कर सकते हैं। ईसाइयों के कौल के मुताबिक़ मसीह को यहूदियों ने सूली दी और वे कुछ न कर सके। इसी तरह और बुजुर्ग जिन को तुम पूजते हो, मौत और बीमारी से निजात न पा सके। (वे तुम्हारी क्या मदद करेंगे ?)

हवाला - तफ़सीरे हक्क़ानी, जिल्द 4, पृ० 179, सूर: आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

इस आयते करीमा में दो बातें बतायी जा रही हैं-

1. एक तो यह है कि तुम लोग खुदा को छोड़ कर जिन-जिन को पूज रहे हो और नज़्र

व नियाज़ चढ़ा रहे हो और उन के नाम के नारे लगा रहे हो, इस उम्मीद पर कि ये हमारी मदद करेंगे, वे नबी हों या वली, जिन्न हों या फ़रिश्ते या खुदा की मख़्लूक में से कोई भी हो, वे तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते।

2. दूसरी बात यह बतायी जा रही है कि वे खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, वे तुम्हारी मदद क्या करेंगे ?

अब पहली बात को समझें-

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबील को न बचा सके और काबील ने उसको मार डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को न बचा सके, वह बाढ़ में डूब गया।

हज़रत लूत अहिस्सलाम अपनी बीवी को न बचा सके, वह हलाक हो गयी।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को न बचा सके, वह भी बाढ़ में डूब गयी।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम को न बचा सके। वह आप की गोद ही में वफ़ात पा गये।

इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आप के चाहने वालों को और मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया गया, लेकिन वह उन को बचा न सके।

दूसरी बात यह है कि वह खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते, वह आप की क्या मदद करेंगे ?

इब्लीस के गले में लानत का तौक डाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सका।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहरे कुल्जुम (लाल सागर) के किनारे खड़े रहे, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन दिन तक ग़ार में छिपे पड़े रहे, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत अमीरे हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गये, लेकिन अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक गुलाम ने शहीद कर दिया लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को भूखा-प्यासा शहीद कर दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु को ज़हर देकर शहीद कर दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला के मैदान में मय ख़ानदान के शहीद कर दिया गया, लेकिन वह न तो अपनी मदद कर सके, न ही वह दूसरों की मदद कर सके। इन मामलों में ये बुजुर्ग हस्तियां अपनी ज़िन्दगी में न तो दूसरों की मदद कर सकीं, न तो अपने आप की मदद कर सकीं। नबी, वली, पीर, ग़ौस, कुत्ब, जिन्न, फ़रिश्ता कोई भी खुदा की दी हुई कुदरत के दायरे से बाहर किसी की मदद नहीं कर सकता। जब वे अपनी ज़िदगियों में इस बारे में मदद के मुख़्तार नहीं थे, तो फिर वफ़ात के बाद हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। अगर वफ़ात के बाद भी मदद कर सकते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़रूर मदद करते और करबला की लड़ाई में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन जो दुनियां से गुज़र चुके थे, सारे के सारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद को आ जाते लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर सका, तो फिर जलाल शाह और कमाल शाह, ज़ाहिर शाह और बातिन शाह, रोशन शाह और अन्धेर शाह ग़ैबन शाह और दावल शाह, यतीम शाह और अमीर शाह, पत्ते शाह और मटके शाह, छोटा पीर और बड़ा पीर तुम्हारी मदद क्या करेंगे ?

ज़रा सोचो भी तो जब नबी अकरम सल्लललाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रिज्वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन भी नहीं मदद कर सकते, तो फिर औलिया अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर और मुस्तक़िल मददगार समझना खुला शिर्क नहीं तो और क्या ? जो कुछ भी मांगना हो, खुदा ही से मांगों, क्यों अपना ईमान खोते हो?

कुरआन करीम के नवें पारे में सूरा: आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ में, आयत न० 192 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - और वे उन को किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते और वे खुद अपनी ही मदद नहीं कर सकते।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘तुम में से हर एक अपनी तमाम हाजतें अपने पवरदिगार से मांगे, यहां तक कि जूतियों का तस्मा टूट जाए, तो वह भी अल्लाह से ही मांगे।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 349, हदीस 1461, अब-वाबुद्-दुआ,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 2128, दुआ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 245, दुआ का बयान।

हदीस - हज़रत साबित बुनानी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

तुम में से हर आदमी अल्लाह ही से अपनी हाजत मांगे, यहां तक कि नमक भी उसी से मांगे।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 349, हदीस 1462, दुआ का बयान।

कुरआन शरीफ़ के सोलहवें पारे में सूः कहफ़ के बारहवें रकूअ में आयत न० 102 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - सो क्या फिर इन काफ़िरों का ख्याल है कि मुझ को छोड़ कर मेरे बन्दों को अपना कारसाज़ यानी मददगार समझते हैं। हम ने काफ़िरों की मेहमानी के लिए दोज़ख़ को तैयार कर रखा है। हमने वहां उन के लिए बजाए निजात के जहन्नम तैयार कर रखी है। यह उन की मेहमानी और ज़ियाफ़त है। दुनिया में जो कुछ इन माबूदों की इबादत में कोशिशें की थीं, माल खर्च किये थे, उस बातिल तरीके को ग़ालिब करने के लिए अह्ले हक़ से लड़ते थे, हक़ के मिटाने में माल व जान खर्च करते थे और उस को दुनिया व आख़िरत की कामियाबी समझते थे।

हवाला - तफ़सीरे हक़क़ानी, जिल्द 5, पृ० 144, सूः कहफ़ का बारहवां रकूअ।

हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है, आप ने फ़रमाया है कि-

‘मलअून है वह आदमी, जिस का भरोसा अपनी जैसी मर्र्लूक़ पर हो।’

कितनी कसरत से हैं वे लोग जो इस लानत में दाख़िल हुए। बहुतेरी मर्र्लूक़ में से एक-आध ही होगा जो हक़ तआला पर भरोसा रखता होगा और जिसने हक़ तआला पर भरोसा किया तो बेशक उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया और जिसने अपनी जैसी (कमज़ोर मुहताज) मर्र्लूक़ पर भरोसा किया, उस की मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी मुट्ठी में पानी बन्द कर के (समझे कि पानी पर कब्ज़ा कर लिया और) अपना हाथ खोले तो उस में कुछ भी नज़र न आए, तुझ पर अफ़सोस मर्र्लूक़ तेरी हाजतें एक-दो दिन पूरी कर देगी तीन दिन पूरी कर देगी महिना

भर पूरी कर देगी साल-दो साल पूरी कर दूगी, आखिरकार तंग आ जाएगी (और घबरा कर रुख बदल देगी) तो हक़ तआला की सोहबत अख्तियार कर और उसी पर अपनी हाज़तें पेश कर कि दुनिया हो या आखिरत, न वह तुझ से कभी तंग आएगा और न घबराएगा-

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 243, मज्लिस 45 ।

कुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूरः शूरा के चौथे रकूअ में आयत न० 31 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - खुदा के सिवा और कोई तुम्हारा हामी और मददगार नहीं है ।

बला को दफ़ा करने के लिए औरों को पुकारते हैं या हासिल करने मुनाफ़ा में औरों की तरफ़ रूजूअ करते हैं । (यह शिर्क है)

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान, कबीरा गुनाहों का बयान ।

जिसने गुमान किया कि भलाई या बुराई ग़ैर की तरफ़ से होती है, वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ और उस की तौहीद बातिल हुई ।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 10, अक़ाइद का बयान ।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के सातवें रकूअ में आयत न० 68 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला ईमान वालों का हामी है (और मददगार) ।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूरः रूम के पांचवें रकूअ में आयत न० 47 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हम पर मोमिनों की मदद लाज़िम है ।

बहुत ही सच है अल्लामा हाली रह० ने

करें ग़ैर गर बुत की पूजा तो काफ़िर,
जो ठहराए बेटा, खुदा का तो काफ़िर,
झुकें आग पर बहरे सज्दा तो काफ़िर,
कवाकिब में मानें करिश्मा तो काफ़िर,

मगर मोमिन पर कुशादा है राहें,
परस्तिश करें शौक़ से जिस की चाहें ।

नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं,
इमामों का रुत्बा नबी से बढ़ाएं,

मजारों पे दिन-रात नज़्रें चढ़ाए,
शहीदों से जा-जा के मांगें दुआएं।

न तौहीद में कुछ खलल इस से आए,
न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए।

वह दी जिस से तौहीद फैली जहां में,
हुआ जल्वा गर हक ज़मीन व जहां में,
रहा शिर्क बाकी न वहम व गुमां में,
वह बदला गया आके हिन्दूस्तां में।

हमेशा से था जिसपे इस्लाम नाज़ां,
वह दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमां।

नफ़ा और नुक़सान का ग़ैर अल्लाह को अख़्तियार नहीं

अब आइए मेरे अज़ीज़ दोस्त ! दूसरी आयतें और हदीसें सुनाऊं, जिन के सुनने और पढ़ने से इंसान का ईमान मज़बूत और तौहीद पक्की हो जाती है, मगर ज़रा ठंडे दिल से इत्मीनान के साथ बग़ैर गुस्सा और जिद के पढ़ने की मेहरबानी करना। अगर गुस्सा करोगे तो मेरा इन्शाअल्लाह कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप खुद ही समझने और संभलने से महरूम रह जाओगे।

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में सूर: हूद के चौथे रकूअ में आयत न० 42-43 में अल्लाह तआला इश्रादि फ़रमाता है-

तुर्जमा - और वह किशती उन्हें लेकर मौजों में पहाड़ों की तरफ़ जा रही थी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को, जो एक किनारे पर खड़ा था, पुकार कर कहा कि प्यारे बेटे ! हमारे साथ सवार हो जा और काफ़िरों में न रह। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ़ पनाह में आ जाऊंगा, जो मुझे बचा लेगा।

नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुकम से बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ वही बचेंगे, जिन पर खुदा का रमह होगा। अचानक बीच में मौज रोक बन गई और वह डूबने वालों में से हो गया।

जब नूह अलैहिस्सलाम नाव पर सवार होकर समुन्दर में चलते हैं, उस वक़्त उनका एक बेटा था। नाम उसका कनआन लिखते हैं। वह जाहिलों की सोहबत में रहता था। नूह

अलैहिस्सलाम का लखते जिगर और नूरे नज़र था। बेटे को इस हालत में देख कर कि वह किनारे पर खड़ा है, बाप की मोहब्बत जोश में आ गयी और अपने बेटे को समझाने लगे-

ऐ बेटा ! मेरे साथ नाव पर सवार हो जा और मेरे कहने को मान ले और जाहिल काफ़िरो की मुहब्बत को छोड़ दे, तो कनआन ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी किशती की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। उस पहाड़ की ऊंचाई की वजह से मैं बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आज अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है कि कोई बच नहीं सकता। बेहतर यही है कि तू किशती में आ जा, मगर वह न माना फिर क्या हुआ, वह सुनिए-

कुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में सूर: हूद के चौथे रकूअ में, आयत न० 45-46 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तुर्जुमा - नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहने लगा, मेरे रब! मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। यकीनन तेरा वायदा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, ऐ नूह! यकीनन वह तेरे घराने के लोगों में नहीं है। उस के काम बिल्कुल ही ना शाइस्ता हैं। तुझे हर गिज़ उस चीज़ को न मांगनी चाहिए, जिस का तूझे बिल्कुल इल्म न हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू नादानों में से अपनी गिनती कराने से रुक जाए।

मेरे प्यारे दोस्त ! आपने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बचाने के लिए दुआ की लेकिन कुबूल न हुई और तंबीह की गयी और कनआन बाढ़ में डूब कर हलाक हो गया। आप देखते रहे, लेकिन बचा न सके, क्योंकि अख़्तियार नहीं था। अगर नूह अलैहिस्सलाम का कुछ अख़्तियार होता या बस चलता, तो वह अपने बेटे को हरगिज़ कुफ़ की तरफ़ न जाने देते और न बाढ़ में डूबने देते, मगर अख़्तियार सिर्फ़ इतना था कि अल्लाह तआला से दुआ करें, वह अपने रहम व करम से कुबूल कर लें, तो उसकी मेहरबानी है और अगर कुबूल न करें तो उस के अख़्तियार की बात है। बहरहाल वह आख़री हथियार जो दुआ का नूह अलैहिस्सलाम के पास था। वह भी अल्लाह के दरबार में आजमा चुके, लेकिन कामियाब न हुए, बल्कि धमकाये जा रहे हैं कि ऐ नूह ! अब के अगर दुआ मांगी या जुबान हिलाई या हाथ उठाये तो तेरी गिनती नादानों में हो जाएगी।

यह सुन कर नूह अलैहिस्सलाम थर्रा उठे और मारे डर के कहने लगे-

कुरआन करीम के बारहवें पारे में सूर: हूद के चौथे रकूअ में आयत न० 47 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तुर्जुमा - नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा, परवरदिगार ! मैं तुझ से पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझ से सवाल करूँ, जिस की मुझे हकीकत मालूम नहीं और अगर तू मुझे नहीं बख़ोगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा, तो मैं तबाह हो जाऊंगा।

बेटे की हकीकत तो भूल गये, अब अपनी फिक्र होने लगी।

कुरआन शरीफ के अठाईसवें पारे में सूर: मुस्तहिन: के पहले रूकूअ में, आयत न० 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - लेकिन हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार ज़रूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे खुदा के सामने किसी चीज़ का अख़्तियार कुछ भी नहीं है।

मेरे प्यारे दोस्त ! दुनिया जानती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप बुत परस्त बुततराश और बुत-फ़रोश था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, मगर न समझा। आख़िर एक हथियार जो आप के पास था, उसको आपने आजमाया यानी अल्लाह तआला से आपने अपने बाप के लिए दुआ की तों अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म होता है-

कुरआन शरीफ के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के चौदहवें रूकूअ में, आयत न० 114 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - इब्राहीम अलैहि० का अपने वालिद के लिए इस्तग़फ़ार तो सिर्फ़ इस वायदे की वजह से था जो उससे वह कर चुका था। फिर जब उस पर खुल गया कि वह खुदा का दुश्मन है तो वह उसी वक़्त उस से बेज़ार हो गया। इब्राहीम तो बड़ा ही नर्म दिल, बुर्दबार था।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया-

क़ियामत के दिन इब्राहीम अपने बाप आजर से मिलेंगे और आजर के चेहरे पर उस वक़्त स्याही और गुबार होगा, तो उस से इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, क्या मैंने तुम से न कहा था कि तुम मेरी ना-फ़रमानी न करो। तो उन का बाप कहेगा कि अब से मैं तुम्हारी नाफ़रमानी न करूंगा। पस इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार ! तू ने मुझसे फ़रमाया था कि तुझे रुसवा न करूंगा, जिस दिन लोग जमा किये जाएंगे (यानी क़ियामत के दिन) पस अब कौन-सी रुसवाई मेरे बाप की ज़िल्लत से ज़्यादा होगी। अल्लाह तआला फ़रमायेगा, मैंने तो ज़न्नत काफ़िरों पर हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा कि ऐ इब्राहीम ! तुम्हारे पैरों के नीचे क्या चीज़ है ? वह देखेंगे, तो एक गुफ़्तार (यानी बिज्जू) खून में लिथड़ा हुआ पाएंगे। पस उस के पैर पकड़ लिए जाएंगे और वह दोज़ख में डाल दिया जाएगा।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 149, हदीस 572, अंबिया की पैदाइश का बयान,

2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 4, पृ० 801, हदीस 5275, हशर का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 372, हशर का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! देखा! अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अख़्तियार चलता, तो अपने

बाप को दोख में जाने देते ? हरगिज़ नहीं। लेकिन अख़्तियार सिर्फ़ दुआ करने का था, वह कर चुके, मगर कुबूल न हुई।

कुछ लोग कहते हैं कि आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, बल्कि इब्राहीम के चाचा का नाम आजर था। ये लाग बग़ैर तहकीक़ के जो दिल में आये, वह कह देते हैं। आपने ऊपर की हदीस सही बुख़ारी शरीफ़ की पढ़ ली है। अब ज़रा कलाम मजीद को भी देख लें कि आजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम था या चाचा का।

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूर: अन्-आम के नवें स्कूअ में आयत न० 74 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - और वह वक्त भी याद करने के काबिल है, जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप आजर से फ़रमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है ? बेशक मैं तुझे और तेरी सारी क़ौम को खुली ग़लती में देखता हूँ।

कुरआन शरीफ़ के अठाईसवें पारे में सूर: तहरीम के दूसरे स्कूअ में, आयत न० 10 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला काफ़िरों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का हाल बयान फ़रमाता है। वे दोनों हमारे खास बन्दों में से दो बंदों के निकाह में थीं, सो उन औरतों ने उन दोनों बन्दों की ख़ियानत की। वे दोनों बन्दे अल्लाह के मुक़ाबले में उन को ज़रा भी काम न आ सके और उन दोनों औरतों को हुक्म हो गया कि जाने वालों के साथ तुम दोनों भी जहन्नुम में चली जाओ।

अल्लाह तआला मिसाल देकर समझा रहा है कि काफ़िरों का मुसलमानों से मिलना-जुलना, ख़लत-मलत, उन्हें उन के कुफ़्र की वजह से खुदा के यहां कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकता। देखो, दो पैग़म्बरों की औरतें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, जो हर वक्त उन नबियों की सोहबत में रहने वाली और दिन-रात साथ उठने-बैठने वाली और साथ ही खाने-पीने, बल्कि सोने-जागने वाली थीं, लेकिन चूँकि ईमान व अमल में उन के साथ न थी और अपने कुफ़्र पर कायम थीं, पस पैग़म्बरों की आठ पहर की सोहबत उन्हें कुछ काम न आयी, हालांकि वे नबी थे, उन्हें आख़िरत का नफ़ा कुछ भी न पहुंचा सके और न आख़िरत के नुक़सान से बचा सके, बल्कि उन औरतों को भी जहन्नमियों के साथ जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 102, सूर: तहरीम के दूसरे स्कूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूर: तहरीम के दूसरे स्कूअ में आयत न० 11 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला ईमान वालों के लिए फिरऔन की बीवी (हज़रत आसिया

रज़ियल्लाहु अन्हा) का हाल बयान फ़रमा रहा है, जबकि उसने कहा कि ऐ मेरे पालनहार मेरा मकान जन्नत में अपने पड़ौस में बना और मुझे फ़िरऔन से और उस के अमल से बचा और ज़ालिमों के जुल्म से बचा।

अल्लाह तआला हमारी हिदायत के लिए और नसीहत के लिए फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का हाल बयान फ़रमा रहा है कि मुसलमानों का काफ़िरों के साथ ख़लत-मलत रहने से ईमान वालों को कोई नुक़सान नहीं और काफ़िरों को ईमान वालों के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा फ़िरऔन की बीवी थीं लेकिन फ़िरऔन को जहन्नम से नहीं बचा सकीं। फ़िरऔन जहन्नम में होगा और उसकी बीवी जन्नत में होंगी।

ऐ मेरे दोस्त ! वे लोग सोंचे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दावा करते हैं और शरीअत के ख़िलाफ़ कुफ़ व बिदअत और शिर्क में सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं और समझने से नहीं समझते, मनवाने से नहीं मानते और जो उनकी रहनुमाई करे, उन्हें समझाए, उसी को इस्लाम से ख़ारिज़, व्हहाबी और अपना दुश्मन समझते हैं, इस क़दर जुल्म करने के बावजूद बख़्शे जाने की उम्मीद रखते हैं।

मेरे प्यारे दोस्त ! अक्सर हमारे मुसलमान भाइयों की जहालत का मैं क्या बयान करूं। इनकी जहालत के बारे में जितना भी रोना रोया जाए, वह कम है, अल्लाह ही उनकी हिदायत का मुख़्तार व मालिक है। अगर वह हिदायत देने का कोई सबब या वजह बना दे, जब तो कोई बात नहीं। जाहिल से जाहिल भी हिदायत पर आ सकता है, वरना इन अज़ीजों की तो यह हालत है कि अपनी ज़िद में, अपने घमंड में, अपनी रौ में सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं ऐसे ज़िदी इन्सानों को किस तरह समझाया जाए और अगर कोई दोस्त इन को समझा फुसला कर किसी हक़परस्त को वाज़ में ले भी आया तो ये जाहिल हज़रत साफ़-साफ़ कह देते हैं कि यह मौलवी कुरआन शरीफ़ की आयतों का ग़लत तर्जुमा बयान करता है। यह हदीसों के नम्बर झूठे देता है, यह फ़िक़ह की किताबों के हवाले ग़लत बयान करता है। अब आइए, इस बात का आख़िरी मज़्मून मेरे भैया को समझा दूं।

कुरआन शरीफ़ के सातवें पारे में सूर: अन-आम के दूसरे रूकूअ में आयत न० 17 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - अगर अल्लाह तुझे कोई नुक़सान पहुंचाना चाहे, तो उस को हटाने वाला सिवाए खुदा के कोई नहीं और अगर वह तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वह तमाम चीज़ों पर कादिर है। अल्लाह तआला ख़बर दे रहा है कि नफ़ा और नुक़सान का मालिक मैं ही हूं। वह अपनी मख़्लूक में जो चाहे हेर-फेर कर सकता है। उस के हुक़मों को कोई टाल नहीं सकता। उसके फ़ैसलों को कोई रद्द नहीं कर सकता।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि खुदाया ! जिसे तू दे, उसे कोई रोक नहीं सकता और तू जिस से रोक ले, उसे कोई दे नहीं सकता ।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ 51, सूः अन्आम के दूसरे रूक़अ की तफ़्सीर में ।

कुरआन पाक के ग्यारहवें पारे में, सूः यूनुस के पांचवें रूक़अ में आयत न० 49 में अल्लाह तआला इश्राद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू कह दे कि मैं तो अपनी जान के नफ़े और नुक़सान का अख़्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे ।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कहलवाया जा रहा है कि आप कह दें कि मेरे अख़्तियार में कोई बात नहीं । जो बात मुझे बतला दी जाए, मैं तो वही जानता हूँ, किसी चीज़ की मुझ में कुदरत नहीं, यहां तक कि खुद अपने नफ़ा और नुक़सान का भी मालिक नहीं हूँ ।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 62, सूः यूनुस के पांचवें रूक़अ की तफ़्सीर में ।

कुरआन शरीफ़ के उन्तीसवें पारे में सूः जिन्न के दूसरे रूक़अ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला इश्राद फ़रमाता है-

तर्जुमा - यह कह दे कि मुझे तुम्हारे किसी नफ़े और नुक़सान का अख़्तियार नहीं है ।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कहलवाया जा रहा है कि आप कह दें कि तुम्हारे नफ़े और तुम्हारे नुक़सान का मैं मालिक नहीं हूँ ।

ऐ मुसलमानों ! ज़रा सोचने का मक़ाम है कि अल्लाह तआला अपने प्यारे रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक से पहले तो, यह कहलवा रहा है कि अल्लाह तआला नफ़े और नुक़सान का मालिक है जिसे चाहे नफ़ा पहुंचाए, जिसे चाहे नुक़सान । इसमें किसी को कुछ भी अख़्तियार नहीं है ।

दूसरी बार यह कहलवा दिया कि मैं अपनी जान के लिए भी नफ़ा और नुक़सान का मालिक नहीं हूँ । तीसरी बार यह कहलवा दिया कि आप कह दें कि मैं तुम्हारे नफ़े और नुक़सान में कुछ अख़्तियार नहीं रखता । पस मसअला साफ़-साफ़ कुरआन की आयतों से मालूम हो गया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नफ़ा और नुक़सान में कुछ अख़्तियार नहीं रखते, तो फिर ग़ौस, कुत्ब, अब्दाल और औलिया-ए-किराम की तो क्या मजाल कि किसी की मदद कर सकें ।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

'क्या तुझे मालूम नहीं कि कोई नहीं अता करने वाला और न मना करने वाला और न नुक़सान पहुंचाने वाला और न नफ़ा देने वाला और न आगे बढ़ाने वाला और न पीछे हटाने

वाला मगर अल्लाह अज़-ज़ व जल्ल । पस अगर तू कहे कि यह तो मुझे मालूम है, तो मैं कहूंगा यह क्योंकर हो सकता है कि तुझ को मालूम हो और फिर ग़ैर को उस पर मुक़द्दम रखे । तुझ पर अफ़सोस है, तू अपनी दुनिया के सबब अपनी आख़िरत को कैसा बिगाड़ रहा है ?'

हवाला - फ़ुयूजे यज़दानी, पृ० 66, मज्लिस 9 ।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

‘हर वह आदमी जो नफ़ा और नुक़सान को ग़ैर-अल्लाह की तरफ से समझे, वह अल्लाह का बन्दा नहीं है, वह उसी का बन्दा है, जिस की तरफ से नफ़ा-नुक़सान को समझा ।

हवाला - फ़ुयूजे यज़दानी, पृ० 140, मज्लिस 23 ।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के ग्यारहवें रकूअ में, आयत न० 214 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डरा दे ।

हुक़म हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डरा दे । कोई यह न समझे कि हम आले नबी हैं या नबी के ख़ान्दान से हैं, या सोहबते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हासिल कर चुके हैं या ख़ादिमे रसूल बन चुके हैं यानी ईमान व अमल से अगर कोई इंसान हट गया, तो फिर उसको रिश्ता और नाता और नसब कुछ भी काम नहीं आ सकता ।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी (जो आपने ऊपर पढ़ी) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये और आपने फ़रमाया, ऐ गिरोहे कुरैश ! तुम अपनी जानों को बचाओ । मैं खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता । ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद! मैं तुम्हें खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता । ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! मैं तुम्हें खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता और ऐ सफिय्या (खुदा के रसूल की फूफी) ! मैं तुम्हें खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता और ऐ फ़तिमा बिनते मुहम्मद ! तुम मुझ से मेरा माल जिस क़दर चाहो, ले लो, मगर मैं खुदा (के अज़ाब) से तुम्हें कुछ भी नहीं बचा सकता ।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 11, पृ० 14 हदीस 24, वसीयत का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 223, हदीस 1042, सूर: शुअरा की तफ़सीर ।

अब वे साहिबान सोचें, जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं । हम फ़लां की औलाद हैं, हम फ़लां के उम्मतौ हैं, हम फ़लां के मुरीद हैं, हम फ़लां के दामनगीर हैं और अमली ज़िन्दगी से हज़ारों मील दूर है ।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सोचने और समझने जैसी बातें हैं, गुस्सा या मज़ाक में उड़ाने जैसी

बातें नहीं हैं। आप इन बातों पर अमल करें या न करें, वह तो आप की मर्जी की बात है, मगर मरने के बाद और क़ियामत में इन्शाअल्लाह ये बातें आप को यकीनन याद आएंगी, फिर उस वक्त पछताना और न पछताना बराबर होगा। अब भी वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बराए मेहरबानी कुफ़र व शिर्क और बिद्अत, रस्म व रिवाज और जहालत व जिद से तौबा कर ले और शरीअत का आमिल बन जा।

कुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूः बकरः के चालीसवें रूकूअ में आयत न० 286 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तुर्जमा - जो नेकी, करे वह उसके लिए है और जो बुराई करे, वह उस पर है।

अपनी-अपनी करनी, अपनी-अपनी भरनी। आमाल नेक करोगे, जज़ा पाओगे, बुरे आमाल करोगे, तो सज़ा पाओगे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 40, सूः बकरः के चालीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में सूः बनी इस्राईल के दूसरे रूकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तुर्जमा - कोई जादमी किसी (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाएगा।

कुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूः फ़ातिर के तीसरे रूकूअ में, आयत न० 18 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तुर्जमा - कोई भी किसी दूसरे का गुनाह नहीं उठायेगा और अगर गुनाह में दबा हुआ दूसरे को अपने गुनाह उठाने के लिए कहेगा, तो वह इंकार कर देगा, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों न हो।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि एक इंसान अपने गुनाहों का बोझ दूसरे को उठाने के लिए कहेगा, तो वह इंकार कर देगा और कहेगा कि मेरे ऊपर जो गुनाहों का बोझ है, वह क्या कम है कि हम तेरे गुनाह उठा लें। चाहे मां हो या बाप हो या बीवी हो या भाई हो या बेटा हो या दोस्त हो, या रिश्ते-नाते वाला हो, हर इंसान को अपनी-अपनी पड़ी होगी।

कुछ जगह पर जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी अपने-अपने मुरीदों और मुक्तदियों को समझाते रहते हैं कि बेटा! हम हैं आप को क़ियामत का क्या ग़म है? आप हमारे मुरीद हो जाएं, हम आप को ले जाएंगे, मगर कहां ले जाएंगे जन्नत में या जहन्नम में?

अल्लाह तआला के दरबार में बड़े-बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी परेशान होंगे, तो फिर रस्मपरस्त पीरों की और रिवाजी मौलवियों की और शिकम परवर मुजाविरों की तो हकीकत ही क्या?

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा (अबू तालिब) से फ़रमाया, लाइला-ह इल्लल्लाहु कह लीजिए, ताकि कियामत के दिन मैं उसकी गवाही दे सकूँ (और आप की बख़्शिश व निजात हो सके) उन्होंने कहा कि मुझे कुरैश के लोग ताना देंगे कि उस ने डर से ऐसा किया (यानी अपने आबाई और असली पुराने बाप-दादा के मज़हब को छोड़ कर मुसलमान हो गया) अगर ये शर्म न दिलाते तो इस से मैं आप की आंखें ठंडी कर देता (यानी मुसलमान हो जाता) ।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 224, हदीस 1045, सूः क़सस की तफ़्सीर ।
जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने चचा को समझा रहे थे, उस वक़्त यह आयत शरीफ़ा नाज़िल हुई ।

कुरआन करीम के बीसवें पारे में सूः क़सस के छठे रूक़ुअ में, आयत न० 56 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह तआला जिसे चाहे हिदायत करता है हिदायत वालों को वही ख़ूब जानने वाला है ।

हदीस - हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैहि अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि जब अबू तालिब की वफ़ात करीब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन के पास तशरीफ़ लाये । पस आपने उन के पास अबू जह्ल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया बिन मुगीरह को पाया । हज़रत सईद रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू तालिब से फ़रमाया कि ऐ चचा ! लाइला-ह इल्लल्लाहु कह दो । मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां इस की गवाही दूंगा । अबू जह्ल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने कहा कि ऐ अबू तालिब ! अब्दुल मुत्तलिब के तरीक़े से फिर जाते हो, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बार-बार कलिमा शरीफ़ पर उन को दावत देते रहे और वे दोनों वही बात कहते रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने सब से आख़िरी बात जो उन से की, उस में यह कहा कि वह अब्दुल मुत्तलिब के तरीक़े पर हैं और उन्होंने ला इला-ह इल्लल्लाह कहने से इंकार कर दिया । (फिर वह मर गये) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हां, मैं खुदा की क़सम ! तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूंगा, जब तक कि मुझ को उस से मना न किया जाए ।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 303, हदीस 1259, जनाज़े का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 13, बाब 8, किताबुल ईमान,
3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 20, सूः तौबा के चौदहवें रूक़ुअ की तफ़्सीर में ।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना कि आप के सामने आप के चचा अबू तालिब का जिक्र किया गया, तो आपने फ़रमाया कि उम्मीद है कि क़ियामत के दिन उन्हें मेरी शफ़ाअत कुछ फ़ायदा दे जाएगी और वह आग के दर्मियानी दर्जे में कर दिये जाएंगे कि आग उन के टखनों तक पहुंचेगी, मगर इससे उन का दिमाग़ उबलने लगेगा।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 15, पृ० 268, हदीस 1060, जाहिलियत का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, दोज़ख़ियों में सब से हल्का अज़ाब अबू तालिब को होगा। उन को आग की जूतियां पहनायी जाएंगी, जिस से उन का दिमाग़ ख़ौलने लगेगा।

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 826, हदीस 5394, दोज़ख़ियों के हाल का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 433, दोज़ख़ियों के हाल का बयान।

हदीस - हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

दोज़ख़ियों में सब से हल्का अज़ाब जिस को दिया जाएगा, उस को आग की जूतियां पहनायी जाएंगी, जिनके ऊपर आग के तस्मे होंगे और इन दोनों चीज़ों से उस का दिमाग़ ख़ौलने लगेगा, जिस तरह देग जोश खाती है। वह आदमी उस अज़ाब को सख़्तर ख़्याल करेगा, हालांकि वह सब से हल्का अज़ाब होगा,

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 826, हदीस 5393, दोज़ख़ियों के हाल का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 433, दोज़ख़ियों के हाल का बयान।

सुना मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सगे चचा जो आप का हर तरह का साथ देते थे। जब तक अबू तालिब ज़िदा थे, आप को कोई कुछ भी तक़लीफ़ न दे सका और जब वह वफ़ात पा गये तो आपको मक्का वालों ने ऐसी तक़लीफ़ें दीं कि मक्का छोड़ कर मदीना तैयिबा की तरफ़ हिजरत कर के जाना पड़ा। इतनी मुहब्बत होने के बावजूद भी वह जहन्नम में होंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन को जहन्नम के अज़ाब से बचा न सकेंगे।

ऐ अज़ीज़ ! इस किताब के पढ़ने वाले ! कुछ सोच और समझने की कोशिश कर। बग़ैर ईमान व अमल के नाते और रिश्तेदारी क़ियामत के दिन कुछ भी काम न आएगी। अब तो

आप की समझ में यह बात आयी या नहीं। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को अख्तियार होता, तो हजरत अली कर्मल्लाह वज्हेहू का बाप हरगिज जहन्नम में न होता। अब भी अगर आप की समझ में कुछ कसर रह गयी हो, तो और सुन लें। अल्लाह तआला हक़ बात को जाहिर करने में दीन के दुश्मनों से ज़रा भी नहीं डरता। मैंने तो खुदा के फज़ल से दिल में ठान ली है कि जब तक ज़ान में जान हैं, इन्शाअल्लाहु तआला हक़ बात का एलान करता ही रहूंगा। हिदायत का दार व मदार तो अल्लाह के हाथ है, जिसको चाहे दे, जिस को चाहे न दे। अब सुन लो आखिरी बातें, कानों के पर्दे हटा कर सुन लो, दिल से अंधेरियों को दूर कर के नफ़सानियत को मिटा कर सुन लो। जब अबू तालिब की वफ़ात हो गयी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फ़रमाया था कि जब तक मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से मना न किया जाए, मैं अल्लाह तआला से उनके लिए दुआ करता रहूंगा। यही एक चीज़ नबियों और वालियों के पास होती है। अब किसी की दुआ को कुबूल करना या न करना अल्लाह ही की मर्जी और अख्तियार की बात है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करना शुरू किया तो आप पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई है।

कुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में सूर: तौबा के चौदहवें रकूअ में आयत न० 113 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - नबी को और ईमान वालों को यह लायक़ ही नहीं कि मुशिरकों के लिए दुआ-ए-इस्तग़फ़ार करें, गो वे क़राबतदार ही क्यों न हों, इस के बाद कि उन पर जाहिर हो चुका है कि वे दोज़खी हैं।

अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी रोक दिया और ईमान वालों को भी रोक दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब गुज़र गये और आप उनके लिए दुआ-ए-मग़िफ़रत मांगने लगे, तो जिन-जिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बड़े-बड़े कुफ़्र की हालत में मर गये थे, वे उन के लिए भी दुआ-ए-मग़िफ़रत मांगने लगे, क्योंकि नबी का अमल उम्मत के लिए सुन्नत होता है। जब यह रिवाज आम हो गया तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ख़ामोश और चुप हो जाने का हुक्म फ़रमा दिया और सब को ख़ामोश हो जाना पड़ा। समझे मेरे भोले भैया ! कि अभी और सुनाएं।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबूक की लड़ाई से वापस हुए और उमरा की नीयत बांधी और जब अस्फ़ान से उतरे तो आपने अपने साथ के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फ़रमाया,

उक़बा में ठहरो, मैं अभी आया।

वहां से उतर कर आप अपनी मां की क़ब्र पर गये। अल्लाह तआला से देर तक मुनाजात करते रहे, फिर फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। आप के रोने से सब लोग रोने लगे और वह समझे कि आपकी उम्मत के बारे में कोई नयी बात पैदा हुई, जिस से आप इस क़दर रो रहे हैं।

उन्हें रोता देख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वापस हुए और मालूम किया कि तुम लोग क्यों रो रहे हो ?

उन्होंने जवाब दिया कि आप को रोते देख कर और यह समझ कर कि शायद आप की उम्मत के बारे में कोई ऐसा नया हुकम उतरा, जो ताक़त से बाहर है।

आपने फ़रमाया, सुनो, बात यह है कि यहां मेरी मां की क़ब्र हैं। मैंने अपने पालनहार से क़ियामत के दिन अपनी मां की शफ़अत की इजाज़त तलब की, लेकिन अल्लाह तआला ने अता नहीं फ़रमायी, तो मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझ से फ़रमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तग़फ़ार अपने बाप के लिए सिर्फ़ एक वायदे से था, जिस का वायदा हो चुका था, लेकिन जब उस पर खुल गया कि उस का बाप खुदा का दुश्मन है, तो वह फ़ौरन बेज़ार हो गये। बस, आप भी अपनी मां से उसी तरह बेज़ार हो जाइए, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेज़ार हो गये।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 21, सूर: तौबा के तेरहवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मां की क़ब्र की ज़ियारत की। आप रोये और जो लोग आप के साथ थे, वे भी रोये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं ने अपनी मां के लिए मग़ि़रत की दुआ की इजाज़त अपने परवरदिगार से तलब की थी। इस की मुझ को इजाज़त नहीं दी गयी। मैंने क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की, तो उस की इजाज़त मुझ को मिल गयी। तुम लोग क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे मौत याद आती है।

हवाला - 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस 982, बाब 279, जनाजे का बयान,

2. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 586, हदीस 1477, बाब 622,
3. मिशक़ात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 305, हदीस 1663, क़ब्र की ज़ियारत का बयान,
4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 79, क़ब्र की ज़ियारत का बयान।

कुछ लोग यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मां-बाप दोनों जिन्दा

किये गये। फिर ईमान लाये, इसी तरह अबू तालिब की बात करते हैं। अगर ये बातें सही सनद से साबित हो जाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि अल्लाह तआला जो करना चाहे, कर सकता है।

इन हदीसों को बयान करने से हमारा मक्सद यह है कि कुछ लोग अपने पीरों और मौलवियों के कहने और बहकाने से चलते-फिरते, उठते-बैठते और मज्लिसों में भी इस किस्म के नारे लगाते फिरते हैं- या रसूलल्लाह ! अलमदद, या गौस अल-मदद, या ख्वाजा ! अल-मदद, या गैबनशाह ! अल मदद, या मीरान शाह ! अल-मदद या दावलशाह ! अल-मदद या दातार ! अल-मदद, या मलंग शाह ! अल-मदद, या हुसैन ! अल-मदद, या अली ! अल-मदद वगैरह-वगैरह !

दुनिया व आखिरत में सिवाए खुदा के और कोई भी हामी और मददगार नहीं हैं। ज़रा होश में आ कर समझदारी से काम लीजिए। आप इतना तो ख्याल कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे, और उन का उड़का काबील जहन्नम में होगा और नूह अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और उन का बेटा जहन्नम में होगा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और उनका बाप आजर जहन्नम में होगा और नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और उन दोनों की बीवियां जहन्नम में होंगी। फिरऔन की बीवी जन्नत में होंगी और फिरऔन जहन्नम में होगा। हज़रत अ़िक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में होंगे और उन का बाप अबू जह्ल जहन्नम में होगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जन्नत में होंगे और आप की खैर-ख्वाही करने वाला चचा अबू तालिब जहन्नम में होंगे।

ज़रा होश में आ जा मर्दे मुजाहिद और खूब सोच कि जिन की गोद और नस्ल से गौस, कुत्ब, अब्दाल, औलिया, इमाम, मस्त, मज्जुब वगैरह पैदा हुए, वह और खुद हज़रत अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में होंगे और उनका सगा बाप अबू तालिब जहन्नम में होगा। हज़रत अली शेरे खुदा खुद अपने बाप को जहन्नम से न बचा सकेंगे, तो फिर तुम को गौस, कुत्ब या औलिया जहन्नम से किस तरह बचाएंगे ? बगैर ईमान व अमल के नाते रिश्ते और मुहब्बत, आखिरत में कुछ भी काम न आएगी। ज़िद करना छोड़ दे और फौरन लब्बैक कह कर तौहीद के झंडे को हाथ में ले ले इन्शाअल्लाहु तआला दुनिया और आखिरत की कामियाबी मिल जाएगी।

कुरआन शरीफ़ के बीसवें पारे में, सूरः क़सस के सातवें रूक़अ में, आयत न० 68 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - और तेरा पालनहार जो चाहता है, पैदा करता है और जिस (हुक़म को चाहता है) पसंद करता है, उन लोगों को तज्वीज़ (अहक़ाम) का कोई हक़ हासिल नहीं। अल्लाह तआला उन के शिर्क से पाक और बरतर है।

सारी मख्लूक का खालिक, तमाम अख्तियारों वाला अल्लाह ही है, न इस में कोई उस से झगड़ने वाला, न उसका शरीक, न साझी, जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे अपना खास बन्दा बना ले, जो वह चाहता है, होता है और जो नहीं चाहता, हो ही नहीं सकता। तमाम मामले सब खैर व शर उसी के हाथ में हैं, सब की बाजगशत उसी की ओर है, किसी को कोई अख्तियार नहीं।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 40, सूर: कसस के सातवें स्कूअ की तफसीर में।

हजरत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फरमाते हैं- ऐ रिया के बुत की परिस्तिश करने वाले ! तू हक तआला के कुर्ब की बू भी न सूँघ सकेगा, न दुनिया में, न आखिरत में। ऐ मख्लूक को शरीके खुदा समझने वाले और दिल से उन पर मुतवज्जह होने वाले ! मख्लूक से ऐराज कर कि उनकी तरफ से नुकसान है, न फायदा और न बरिखाश है, न महरूमियत अपने कल्ब के साथ छिपे हुए शिर्क के होते हुए तौहीदे हक का मुद्दजी मत बन कि इस से तेरे हाथ कुछ भी न आएगा।

हवाला - फुयूजे यज़दानी, पृ० 211, मज्लिसं 38।

और जिसने यह गुमान किया कि अल्लाह ने बन्दे को अपनी कोई हुकूमत या कुदरत मुंतकिल कर दी है, तो उसने कुफ़ किया।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 74, सूर: आराफ़ के सातवें स्कूअ की तफसीर में।

कुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के पहले स्कूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला अपनी जिस रहमत को लोगों के लिए खोल दे उसे बन्द करने वाला कोई नहीं और जिसे वह रोक दे, उसे उस के सिवा भेजने वाला कोई नहीं, वह ग़ालिब और हिक्मत वाला है।

अल्लाह तआला का चाहा हुआ सब कुछ होकर रहता है, बे उस की चाहत के कुछ भी नहीं होता। जो वह दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे वह रोक ले, उसे कोई देने वाला नहीं।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 69 सूर: फ़ातिर के पहले स्कूअ की तफसीर में।

मोज़िज़े और करामतें भी अल्लाह ही के अख़्तियार में हैं

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! नबियों के मोज़िज़े और वलियों की करामतें हक़ हैं, लेकिन जेबभरू पीर और भेटभरू मौलवियों से आप ये बातें सुन कर यह न समझ लें कि नबी या वली जो चाहें वह कर सकते हैं। जिसे चाहें, नफ़ा पहुंचाए और जिसे चाहें नुक़सान पहुंचाए। यह अक़ीदा कहीं आपको तबाह व बर्बाद न कर दे। इसी अक़ीदे ने अक्सर पहली उम्मतों को भी हलाक कर दिया और इसी अक़ीदे ने आज हिन्दुस्तानी मुसलमानों के ईमान का मलिया मेट कर दिया है, जिस को हम दो बाबों में पूरी तफ़्सील के साथ समझा चुके हैं और इन जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवियों को इन बातों के सिवा और कुछ वाज़ आते ही नहीं।

कुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूर: रअद के छठे रकूअ में आयत न० 38 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई मोज़िज़ा बग़ैर खुदा की इजाज़त के ले आए।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मोज़िज़े जाहिर करना किसी नबी के बस की बात नहीं। यह तो अल्लाह अज़्ज व जल्ल के क़ब्ज़े की चीज़ है। वह जो चाहता है, करता है, जो इरादा करता है, हुक़म देता है, सो वह हो जाता है।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 50, सूर: रअद के छठे रकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूर: इब्राहीम के दूसरे रकूअ में आयत न० 11 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - बग़ैर हुक़म ख़ुदा हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मोज़िज़ा तुम्हें ला दिखलाएं।

ख़ुदा के पैग़म्बरों से लोग बार-बार मोज़िज़े तलब करते हैं, इसके जवाब में फ़रमाया जाता है कि जो चीज़ तुम हमारे हाथों देखना चाहते हो, उसके बारे में भी सुन लो कि वह हमारे बस की बात नहीं है। हां, हम अल्लाह तआला से तलब करेंगे, अगर हमारी दुआ कुबूल हुई, तो बेशक हम दिखा देंगे।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 59, सूर: इब्राहीम के दूसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

यह ख़्याल रहे कि कुछ औलिया अल्लाह रह० के हाथों जो करामतें जाहिर हो जाती हैं और कभी-कभी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, उनका हमें इंकार नहीं। वह खुदा की तरफ़ से उन पर एक ख़ास फ़ज़ल होता है और वह भी उन के बस का नहीं होता, न उन के क़ब्ज़े का होता है, न वह कोई कारीगरी होती है न फ़न। वह सिर्फ़ खुदा के फ़रमान का नतीजा है।

अल्लाह तआला अपने फ़रमांबरदार और नेक बन्दों के हाथों अपनी मख़्लूक को दिखा देता है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 43, सूः क़सस के आठवें रूकूअ की तत्सीर में।

मेरे भोले भैया ! अल्लाह के हुक़म के बिना न कोई फ़रिश्ता आ सकता है और न कोई फ़रिश्ता कहीं जा सकता है, न अंबिया अलैहिमुस्सलाम कोई मोज़िज़ा दिखला सकते हैं और न औलिया उल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से करामतें सरज़द हो सकती हैं। यह बस कुछ अल्लाह के फ़ज़ल से होता है। जब कोई बन्दा अल्लाह का मक़बूल हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन से ऐसी बातें या काम ज़ाहिर करवा देता है, जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। वह खुद उस के अख़्तियार की बात नहीं होती, वह अल्लाह की तरफ़ से उन पर इनाम होता है।

इस्लाम और साइन्स

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूः नहल के पहले रूकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और घोड़े और ख़च्चर और गधे भी पैदा किये, ताकि तुम उन पर सवार हो और साथ ही ज़ीनत के लिए भी और वह ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाता है, जिन की तुम को ख़बर भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कामिल कुदरत का बयान फ़रमा रहा है कि हम ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जिन की तुम को ख़बर नहीं। आज साइकिल जो है, वह सवारी है। मोटर बस, मोटर साइकिल, ट्रेन, जहाज़ और राकेट इन सब की सवारियों में गिनती है। गो बनाने वाले इंसान हैं, लेकिन बनवाने वाला खुदा है। जब तक अल्लाह तआला दिल व दिमाग़ में बात न डाले, इंसान कुछ बना ही नहीं सकता। आज से चौदह सौ साल पहले सवारी में घोड़े, ख़च्चर, गधे और ऊंट ही माने जाते थे, लेकिन आज अल्लाह तआला ने ऐसी-ऐसी सवारियां बना दी हैं कि हज़ार साल पहले किसी के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकता था, लेकिन आज जो सवारियां बनी हैं, उसी पर मसअला ख़त्म नहीं है। आने वाले ज़माने में खुदा ही जानता है कि वह कैसी-कैसी सवारियां और भी दुनिया वालों के हाथों से बनवाएगा, जिस का इल्म उसी को है, गो कैसी ही सवारियां बनें और कितनी ही तेज़ रफ़्तार बनें, बहरहाल क़ियामत तक जो-जो और जैसी-जैसी सवारियां दुनिया वालों के हाथों से अल्लाह तआला बनवायेगा उस की तसदीक़ कुरआन करीम चौदह सौ साल पहले ही कर चुका है, लेकिन हम अपनी कम-इल्मी की वजह से साइंस वालों की तारीफ़ के पुल बांध देते हैं और कुरआन करीम की जो अहमियत है, उस को भूल बैठे हैं।

साइंस की हम भी कद्र करते हैं, लेकिन जितना साइंस आगे बढ़ा उतना ही ख़तरा बढ़ा। जिस मंज़िल तक पहुंचने में हफ़्तों और महीनों लग जाते थे, वहां पर घंटों में पहुंच जाते हैं।

मफ़र में बड़ी आसानी हो गयी है। लेकिन इसी के साथ साथ ख़तरात भी बढ़ गये। किसी मोटर का ऐक्सीडेंट हो गया तो पांच या छः आदमी मर गये। कोई बस अगर खड में गिर गयी या नहर में चली गयी या दरिया में गिर गयी तो उस में चालीस या पचास आदमी मर गये। रेलवे ट्रेन अगर कहीं टकरा गयी या पटरी से उतर गयी या कहीं का पुल टूट गया और दरिया में गिर गयी, तो सैकड़ों आदमी मर गए। प्लेन टूटा या दरिया में गिरा तो दो ढाई सौ आदमी मर गये और जब ये सवारियां नहीं थी, तो इंसान घोड़े, खच्चर, गधे पर सवार होकर जाया करते थे। कहीं रास्ते में कोई हादसा आ भी गया तो या सवार गिर जाता, हाथ-पैर में चोट लगती या एक दो आदमी मर जाते।

कुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूर: अंबिया के छठे रूकूअ में आयत न० 81 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने तेज़ और जोरदार हवाओं को सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के ताबेअ कर दिया जो उस के फ़रमान के मुताबिक़ उस ज़मीन की तरफ़ चलती थीं जहां हमने बरकत दे रखी थी।

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में, सूर: स्वाद के तीसरे रूकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - हमने उसके लिए हवा को ताबेअ कर दिया, जो उसके हुकम से नर्मी के साथ चलती थी, जिधर वह चाहता था।

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा में नर्मी पैदा कर दी गयी, जिधर वह चाहते थे, उधर आपको आसानी के साथ ले जाती थी।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे, में सूर: सबा के दूसरे रूकूअ में आयत न० 12 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के लिये हवा को ताबेअ कर दिया कि सुबह की मंज़िल उसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंज़िल भी।

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें उतारी गयी थीं उनका बयान हो रहा है कि उनके लिये हवा को ताबेअ फ़रमान बना दिया। महीने भर की राह सुबह ही सुबह तै हो जाती और इतनी ही दूरी का सफ़र शाम को हो जाता, जैसे दमिश्क़ से तख़्त मय फ़ौज व असबाब के उड़ाया और थोड़ी देर में इस्तख़र पहुंचा दिया, जो तेज़ सवार के लिए भी महीने भर का सफ़र था। इसी तरह शाम को वहां से तख़्त उड़ा और शाम ही को काबुल पहुंच गया।

हवादा - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 47, सूर: सबा के दूसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हवाई जहाज़ तो अब बने, लेकिन कुरआन करीम की तस्दीक तो देखिए कि अल्लाह तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को हवाई जहाज़ बना दिया था और मय फौज व असबाब के जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे, वहां महीनों के रास्तों को हवा के ज़रिए तै करके घंटों में पहुंच जाते थे। उसकी चर्चा करना मुसलमान भूल गये और साइंस की तरफ रुझान बढ़ गया।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में, सूर: बनी इस्राईल के पहले रूकूअ में, आयत न० 1 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - पाक है वह खुदा, जो अपने बन्दे को रात ही रात में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक ले गया, जिसके आस-पास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के कुछ नमूने दिखाएं यकीनन अल्लाह ही खूब सुनने-देखने वाला है।

अल्लाह अपनी ज़ाते पाक की इज्जत व अज़मत और अपनी पाकीज़गी व कुदरत बयान फरमाता है कि वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उसकी सी कुदरत किसी में नहीं। वही इबादतों के लायक और सिर्फ वही सारी मरूलूक की परवरिश करने वाला है। वह अपने बन्दे यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक ही रात के एक हिस्से में मक्का शरीफ की मस्जिद से बैतुलमकिदस की मस्जिद तक ले गया, जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़माने से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मर्कज़ रहा। इसीलिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वहीं आपके पास जमा किये गये और आपने वहीं उन्हीं की जगह उन सब की इमामत की, जो दलील है इस बात की कि इमामे आजम और रईसे मुक़द्दम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही हैं।

**(स-ल-वातुल्लाहि व सलामुन अलैहि
अलैहिम अज-मईन०)**

तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 2, सूर: बनी इस्राईल के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

यह मेराज वाली रात का बयान हो रहा है कि रात के एक हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुलमकिदस तक, जो महीनों का रास्ता था, मिनटों में अल्लाह तआला ने तै करवा दिया। यह तो कुरआन करीम के लफ़ज़ हैं और हदीसों में लिखा है कि यही सवारी सातों आसमान तक गयी। उस से आगे अल्लाह तआला ने जहां तक चाहा, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ले गया और वहां से जब लौट कर मक्का मुअज़्ज़मा में आये हैं तो वही रात चल रही थी। वह कौन-सा राकेट था? लेकिन हम अपनी कम इल्मी की वजह से कुरआन करीम की क़द्र भी नहीं पहचान पाये। अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम को सारी खूबियों से भर दिया है। अब जो मुसलमान इन नेमतों से महरूम हैं और जानकारी तक नहीं रखता तो यह उसकी खुद की कमी है इस्लाम तो हर कमालात से मालामाल है।

हदीस - हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक साथ चले। (बैतुल्लाह के अन्दर जाकर) आपने मुझ से फ़रमाया, बैठ जाओ और आप मेरे कंधों पर चढ़ गये। मैं आपको लेकर उठने लगा, तो आपने मुझे कमज़ोर महसूस किया, इसलिए उतर गये और खुद बैठ गये और मुझ से फ़रमाया, मेरे मोंढों पर चढ़ जा। मैं आपके मोंढों पर चढ़ गया।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप मुझ को लेकर उठे। उस वक़्त मैं महसूस करने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो आसमान के किनारों को पा लूँ यहाँ तक कि मैं बैतुल्लाह पर चढ़ गया, और उसपर पीतल और तांबे की मूर्तियाँ बनी रखी थीं मैं उनको अपने दाएं-बाएं, सामने और पीछे से उठाने लगा, यहाँ तक कि मैंने सब उठा लीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया इनको फेंक दे। (चुनांचे मैंने ऐसा ही किया) वह शीशे की तरह गिरकर चूर चूर हो गयी। फिर मैं उतरा और मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम साथ-साथ जल्दी-जल्दी चले और घरों की दीवारों से छिपते-छिपते वापस आ गये कि कहीं ऐसा न हो कि कोई हमें देख ले।

तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4 पृ० 467, हदीस 1670।

तशरीह - रसूलुस्सक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जान खुलासा-ए-कायनात कही जाती है और यकीनन आप अफ़ज़लुरुसूल और खातमुन्नबिय्यीन थे इसलिए अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप के कंधों पर चढ़ कर यह महसूस किया कि वह आसमान के किनारों को पा सकते हैं तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? आख़िर हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह (अलैहिमुस्सलाम) जिस पत्थर पर चढ़ कर खाना-ए-काबा की तामीर कर रहे थे वह भी जितनी ज़रूरत होती, खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो इंसान थे और तमाम मख़्लूक़ात और तमाम इन्सानों से अफ़ज़ल के मुक़द्दस कंधों पर चढ़े हुए थे इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो मंज़र बुतों से सफ़ाई के मौक़े पर नज़र आया वह नज़र आना ही चाहिये था। आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहोद का ज़ब्बा देखिये कि खुद अपने मुबारक कंधों पर आदमी को चढ़ा कर उसकी सफ़ाई फ़रमा रहे थे और उसमें क़तई तौर पर कोई बे-इज़्ज़ती महसूस नहीं कर रहे थे।

तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द4, पृ० 467, तशरीह 1670।

यह कौन सा राकेट था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक कंधे पर खड़े हैं और आसमान के किनारों को पकड़ने की बातें कर रहे हैं। राकेट-प्लेन वगैरह मशीन के मुहताज हैं। अगर कोई पुर्जा ख़राब हो गया या टूट गया तो राकेट हो या प्लेन सब बेकार और उन पर सवार होने वालों को मौत का सामना करना पड़ता है और अल्लाह की दी हुई नेमत, जिसमें न मशीन ख़राब होने का खतरा और

न पुर्जा टूटने की फ़िक्र ।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जब कुरैश ने झुठलाया (और कहा कि आप का मेराज का दावा सही नहीं । अगर सही है तो बैतुलमक़िदस के हालात बतलाओ) तो मैं हजर यानी (हतीम) में खड़ा हो गया । (ख़ाना-ए-काबा के पास एक आधे दायरे की नीची दीवार है उसको हतीम या हजर कहते हैं) अल्लाह तआला ने बैतुलमक़िदस को मेरे सामने ज़ाहिर कर दिया । मैं बैतुलमक़िदस को देखकर उसकी निशानियां बताने लगा, उस वक़्त ऐसा महसूस होता था कि गोया मैं बैतुलमक़िदस को देख रहा हूँ ।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 204, हदीस 991, सूः बनी इस्राईल की तफ़्सीर में । यह है टेलीविज़न, जिसकी आज से चौदह सौ साल पहले ही से इस्लाम उसकी खबर दे चुका है । उसको तो मुसलमान भूल गये और दुनिया का बनाया हुआ टेलीविज़न याद रहा । कुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में सूः क़मर के पहले रूक़अ में आयत न० 1, 2, 3 में अल्लात तआला इशादि फ़रमाता है ।

तर्जुमा कियामत करीब आ गयी और चांद फट गया । ये अगर कोई मोजिज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं कि जोरदार चलता हुआ जादू है । उन्होंने झुठलाया और अपनी ख़्वाहिशों की पैरवी की । हर काम ठहरे हुए वक़्त पर मुक़र्रर हैं ।

मुस्नद अहमद में है एक टुकड़ा एक पहाड़ पर दूसरा दूसरे पहाड़ पर । इसे देखकर भी जिनकी किस्मत में ईमान न था, बोल पड़े कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है, लेकिन समझदारों ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि हम पर जादू कर दिया है तो तमाम दुनिया के लोगों पर तो नहीं कर सकता ।

तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 41, सूः क़मर के पहले रूक़अ की तफ़्सीर में ।

कुफ़ार के मज्मे ने यह तै किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हुज़ूर सल्ल० की सच्चाई में कोई शक नहीं । अब जो बाहर से आया, जब कभी आया जिस तरफ़ से आया हर एक ने इसकी गवाही दी कि हां हमने अपनी आंखों से (चांद को फटते) देखा है ।

तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 42, सूः क़मर के पहले रूक़अ की तफ़्सीर में ।

चांद पर जाना अहमियत रखता है या चांद का दो टुकड़े होना अहमियत रखता है लेकिन मुसलमान अपनी कहानी भूल गये और दूसरों की याद रही ।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में चांद दो टुकड़े हो गया तो अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमसे फ़रमाया कि गवाह रहो।

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 602, हदीस 1967, तफ़ासीर में,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 252, हदीस 1141, तफ़ासीर में।

हज़रत जुबैर बिन मुत्तिअम रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में चांद फट गया, यहां तक कि उसके दो टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ़ और एक उस तरफ़ हो गया। यह देख कर कुफ़ार ने कहा, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हम पर जादू कर दिया। उनमें से कुछ ने कहा कि अगर हम पर जादू किया तो ऐसा नहीं कर सकते कि सब लोगों पर जादू करें।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 253, हदीस 1143 तफ़ासीर में।

कुछ मुल्क वाले चांद फटने के मोजिज़े को नहीं मानते और कुछ मुल्क वाले मानते हैं इसकी वजह यह है कि कुछ मुल्कों में दिन होता है और उसी वक़्त कुछ मुल्कों में रात होती है। जहां दिन होता है वहां चांद का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और जहां-जहां, जिन-जिन मुल्कों में रात थी वहां चांद फटने का मोजिज़ा देखा गया। इतना बड़ा मोजिज़ा होने के बावजूद मक्का के मुशिरक ईमान नहीं लाये, ज़िद इंसान को कहां ले जाती है।

इस्लाम की अमली ज़िन्दगी इंसान को किस दर्जे तक पहुंचा देती है, इसका अन्दाज़ा इस हदीस से लगाइए।

हदीस - हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (एक दिन) सुबह के वक़्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला कर फ़रमाया-

‘बिलाल! (रज़ियल्लाहु अन्हु) तुम किस वजह से मुझ से पहले बहिश्त में पहुंच गये? जब भी मैं जन्नत में दाख़िल हुआ, तो अपने आगे तुम्हारी आहट ज़रूर सुनी। चुनांचे में पिछली रात जन्नत में दाख़िल हुआ तो अपने आगे तुम्हारी आहट फिर सुनी, फिर मैं एक चौकोर महल के पास आया, जो सोने का था और जो बहुत बुलंद था और उसके ऊपर कंगुरे थे। मैंने पूछा, यह महल किसका है? उन्होंने कहा, एक अरबी नवजवान का है। मैंने कहा, अरबी तो मैं भी हूँ लेकिन यह महल किस (अरबी) का है? उन्होंने कहा, कुरैश के एक नवजवान का है। मैंने कहा, कुरैशी मैं भी हूँ। यह महल (आख़िर) किस (कुरैशी) का है? उन्होंने कहा, ‘अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मती का।’ मैंने कहा, मुहम्मद तो मैं ही हूँ। फिर यह महल किसका है? उन्होंने कहा, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियललाहु अन्हु का।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैंने जब भी अज़ान कही, तो दो रकअत नमाज़ पढ़ी और जब भी मैं बे वुजू हुआ तो (फौरन दूसरा) वुजू किया। और मैंने समझ लिया कि मेरे ज़िम्मे अल्लाह की दो रकअतें ज़रूरी हैं।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'इन्हीं दो रक़अतों से तुम्हें यह दर्जा मिला है (कि तुम मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गये।)

हवाला - त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1546, मनाकिब के बयान में।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़े लिखे नहीं थे अनपढ़ थे गोरे नहीं थे काले थे लेकिन इस्लाम की अमली ज़िन्दगी ने आप को इस दर्जे तक पहुंचा दिया कि मक्का की सर ज़मीन पर चलते थे और आप के पैरों की आहट जन्नत में सुनायी देती थी।

अब आप ईमानदारी से फैसला करें कि अल्लाह के नज़दीक किसकी अहमियत ज़्यादा है? चांद पर जाने वालों की या जन्नत में पैर की आवाज़ सुनायी देने वाले की, लेकिन आज मुसलमानों की जुबान से जा बजा चांद पर जाने वालों की तारीफें होती रहती हैं और जन्नत वालों का चर्चा ही ख़त्म हो गया क्योंकि जो खुद अमली ज़िन्दगी से महकूम हैं वे अमली ज़िन्दगी वालों की कद्र क्या जानें।

कुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: फ़ील में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया? और उन पर परिंदों के झुरमुट भेज दिये जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे बस उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया।

अबरहा ने अपना कासिद ज़ाता हमीरी मक्का वालों के पास भेजा कि मक्का के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास लाओ और यह भी एलान कर दो कि मैं मक्का वालों से लड़ने को नहीं आया। मेरा इरादा सिर्फ़ बैतुल्लाह को गिराने का है, हां अगर मक्का वाले उसको बचाने के दरपे हुए तो ला महाला मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ज़ाता जब मक्का में आया और लोगों से मिला जुला तो मालूम हुआ कि यहां का बड़ा सरदार अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। यह अब्दुल मुत्तलिब से मिला और शाही पैग़ाम पहुंचाया, जिसके जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वल्लाह! न हमारा इरादा उससे लड़ने का है, न हममें इतनी ताकत है। यह खुदा का हुर्मत वाला घर है, उसके ख़लील हज़रत इब्राहीम की ज़िन्दा यादगार है। खुदा अगर चाहेगा तो अपने घर की आप हिफ़ाज़त करेगा, वरना हम में तों हिम्मत व कुव्वत नहीं।

ज़ाता ने कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ बादशाह तक चले चलिए।

अब्दुल मुत्तलिब साथ हो लिए। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो हैबत में आ गया। अब्दुल मुत्तलिब गोरे-चट्टे, सुडोल और मज़बूत कुवा वाले हसीन व जमील इंसान थे देखते ही अबरहा तख़्त से नीचे उतर आया और फ़र्श पर अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठ गया और अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछो क्या चाहता है?

अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे दो सौ ऊंट, जो बादशाह ने ले लिए हैं, उन्हें वापस कर दिया जाए।

बादशाह ने कहा इनसे कह दे कि पहली नज़र में तो तेरा रौब मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में तेरी इज़्जत बैठ गयी थी लेकिन पहले ही कलाम में तूने सब कुछ खो दी। अपने दो सौ ऊंट की तो तुझे फ़िक्र है और अपनी क़ौम के दीन की तुझे फ़िक्र नहीं। मैं तो तुम लोगों का इबादत खाना तोड़ने और उसे ख़ाक में मिलाने के लिए आया हूँ।

अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि सुन बादशाह! ऊंट तो मेरे हैं इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश में मैं हूँ और ख़ाना-ए-काबा खुदा का है, वह खुद उसे बचा लेगा।

इस पर यह सरकश कहने लगा कि खुदा भी आज उसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता।

अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेहतर है वह जाने और तू जाने।

अब्दुल मुत्तलिब तो अपने ऊंट लेकर चल दिये और आकर कुरैश को हुक्म दिया कि मक्के को बिल्कुल ख़ाली कर दो, पहाड़ों में चले जाओ।

अब अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ कुरैश के चुनीदा लोगों को लेकर बैतुल्लाह में आया और बैतुल्लाह के दरवाज़े का कुंडा थाम कर और रो-रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी शुरू की कि अल्लाह तआला अबरहा और उसके खूंखार लश्कर से अपने पाक और इज़्जत वाले घर को बचा ले। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त यह दुआ भरे शेअर पढ़े-

ला हम-म इन्नल मर-अ-यम

नअु रिहलहू फ़म-नअु रिहालक

ल यग़िल बन-न सलीबुहुम

व महालुहुम अ-ब-दम-महा-लक

तर्जुमा - हम बे-फ़िक्र हैं। हम जानते हैं कि हर घर वाला अपने घर का बचाव आप करता है। ऐ खुदा! तू भी अपने घर को अपने दुश्मनों से बचा। यह तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि उनकी सलीब और उनकी डोलें तेरी डोलों पर ग़ालिब आ जाएं।

अब अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह के दरवाज़े का कुंडा हाथ से छोड़ दिया और अपने तमाम साथियों को लेकर आस-पास के पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गया। दूसरी सुबह अबरहा के लश्कर में मक्का में जाने की तैयारियां होने लगीं। अपना ख़ास हाथी जिसका नाम महमूद था उसे तैयार किया। लश्कर में कमरबन्दी हो चुकी और मक्का शरीफ़ की तरफ़ मुंह उठा कर चलने की तैयारी की, उसी वक़्त फ़ुज़ैल बिन हबीब, जो उससे रास्ते में लड़ा था और अब कैदी के तौर पर उसके साथ था वह आगे बढ़ा और शाही हाथी को पकड़ लिया और कहा, महमूद बैठ जा और जहां से आया है वहीं ख़ैरियत के साथ चला जा तू अल्लाह तआला के मोहतरम शहर में है।

यह कह कर कान छोड़ दिया और भाग कर करीब की पहाड़ी में जा छिपा।

महमूद हाथी यह सुनते ही बैठ गया।

अब हजारों जतन फीलवान कर रहे थे लश्करी भी कोशिश करते करते थक गये लेकिन हाथी अपनी जगह से हिलता ही नहीं। सर पर अंकुश मार रहे हैं इधर उधर से भाले और बरछे मार रहे हैं आंखों में डाल रहे हैं, गरज तमाम जतन कर लिए, लेकिन हाथी जुंबिश भी नहीं करता, फिर इम्तिहान के तौर पर उसका मुंह यमन की तरफ कर के चलाना चाहा तो झट से खड़ा होकर दौड़ता हुआ चल दिया। शाम की तरफ चलाना चाहा तो भी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। पूरब की तरफ ले जाना चाहा तो भी भागा-भागा गया, फिर मक्का शरीफ की तरफ मुंह करके आगे बढ़ाना चाहा तो वहीं बैठ गया। उन्होंने फिर उसे मारना-पीटना शुरू किया कि देखा कि एक घटा टोप परिंदों का झुरमुट बादल की तरह समुन्दर के किनारे की तरफ से उमड़ा चला आ रहा है। अभी पूरी तरह देखने भी नहीं पाये थे कि वे जानवर सर पर आ गये। चारों तरफ से लश्कर को घेर लिया। उनमें हर एक की चोंच में एक मसूर या माश के दाने के बराबर कंकरी थी और दोनों पंजों में दो कंकरियां थीं। ये उन पर फेंकने लगे, जिस जिस पर कंकरी आ पड़ी वह वहीं हलाक हो गया अब तो उस लश्कर में भगदड़ पड़ गयी। हर एक फुजैल-फुजैल कहने लगा क्योंकि उसे उन लोगों ने अपना रहबर और रास्ता बताने वाला समझ रखा था। फुजैल तो हाथी को कह कर पहाड़ पर चढ़ गया था और दूसरे मक्का वाले उन लोगों की यह दुर्गत अपनी आंखों से देख रहे थे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 105, सूः फील की तफ्सीर में।

कुरआन करीम से बम साबित है, ऊपर से गिराओ और नीचे वालों को मारो। यही तरीका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अमल में आ चुका है जिसकी गवाही कुरआन करीम दे रहा है इसमें एक बात और भी गौर के काबिल है यानी मक्का के मुशिरक खुदा को मानते हुए तीन सौ साठ बुत खुदा के घर में रखकर उनकी पूजा-पाठ भी कर रहे थे। उन बुतों को कादिरे मुत्लक समझकर नहीं पूजते थे, बल्कि वास्ता, वसीला और तवस्सुल समझकर पूज रहे थे, लेकिन जब ठीक वक्त आया तो सब को भूल गये और हकीकी खुदा की तरफ मुतवज्जह हुए और अल्लाह तआला ने अपने घर की हिमायत की बिना पर उनकी मदद फरमायी। उस दिन के बाद से एक साल तक जितनी शायरी होती रही, उनमें शिर्क का शायबा तक नहीं मिला।

कुरआन करीम के तेरहवें पारे में सूः यूसुफ़ के बारहवें रकूअ में आयत न० 105, 106, 107 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - आसमानों और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे यह मुंह मोड़े गुजर जाते हैं उनमें से अक्सर लोग बावजूद खुदा पर ईमान रखने के भी मुशिरक ही हैं। क्या वे इस बात से बे-खौफ हो गये हैं कि उन के पास खुदा के अजाबों में से कोई आम अजाबा आ जाए

या उन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वे सिर्फ़ बेख़बर ही हों। बयान हो रहा है कि कुदरत की बहुत सी निशानियां वहदानियत की बहुत सी शहादतें दिन रात उन के सामने हैं फिर भी अक्सर लोग निहायत बेपरवाही और हल्केपन से उनमें कभी गौर व फ़िक्र नहीं करते। क्या यह इतना बड़ा लम्बा आसमान क्या यह इस क़दर फैली हुई ज़मीन, क्या ये खेतियां और सब्जियां, ये हलचल बरपा करने वाले समुन्दर और ये जोर से चलने वाली हवाएं ये मुख़लिफ़ किस्म के रंगा रंग मेवे, ये अलग-अलग ग़ल्ले और कुदरत की अनगिनत निशानियां एक अक्लमंद को इस क़दर भी काम नहीं आ सकतीं कि वह उनसे अपने खुदा की जो अहद है जो समद है जो फ़र्द है जो वाहिद है जो ला शरीक है जो कादिर व क़य्यूम है जो बाकी और काफ़ी है ज़ात को पहचान लें और उसके नामों और सिफ़तों के कायल हो जाएं बल्कि उनमें अक्सरियत की ज़ेहनियत तो यहां तक बिगड़ चुकी है कि खुदा पर ईमान है फिर भी शिर्क से दस्तबरदारी नहीं। आसमान ज़मीन, पहाड़ व दरख़्त का और इंसान और जिन्न का ख़ालिक़ अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर भी उसके सिवा दूसरों को उसके साथ उसका शरीक ठहराते हैं ये मुशिरक हज को आते हैं एहराम बांध कर लब्बैक पुकारते हुए कहते हैं कि ऐ खुदा! तेरा कोई शरीक नहीं। जो भी शरीक है उनका खुद का मालिक भी तू है और उनकी मिलकियत का मालिक भी तू ही है

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 19, सूः यूसुफ़ के बारहवें स्कूअ की तफ़सीर में।

हिन्दुस्तान के हज़ारों मुसलमान हज के लिए जाते हैं और वहां जाकर इन कलिमात को बार-बार पढ़ते हैं।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तलबिया के लफ़ज़ ये थे-

‘लब्बैक अल्लाहुम-म लब्बै-क ला शरी-क लक लब्बै-क इन्नल हम-द वननिअ-म-त-ल-क वल-मुल-क ला शरी-क ल-क०

तुर्जमा ऐ अल्लाह! मैं तेरी ख़िदमत में हाज़िर हूं हाज़िर हूं हाज़िर हूं। तेरा कोई शरीक नहीं मैं तेरी ख़िदमत में हाज़िर हूं हर किस्म की हम्द व नात तेरे ही लिए है और मुल्क व हुकूमत में तेरा कोई शरीक नहीं।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 192, हदीस 1206, बाब 351, हज का बयान।

इन लफ़ज़ों को हाजी साहिबान बार-बार अपनी जुबानों से अदा रकते हैं लेकिन कुछ हाजी लोग हिन्दुस्तान में आकर वही पहली रफ़्तार जो बेढंगी थी, दूसरों को हाजतरवा और मुश्किल कुशा समझते हैं।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फौज (नहावंद की तरफ़) भेजी और उस पर हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु

अन्हु को अमीर मुकर्रर किया एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु (मस्जिदे नबवी में जुमा का) खुत्बा पढ़ रहे थे कि यकायक आपने ऊंची आवाज़ से कहा-

सारिया! पहाड़ की तरफ़!

इस वाकिआ के कुछ दिनों बाद फौज की तरफ़ से एक कासिद आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन! हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया और हमको हरा दिया। यकायक हमने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था-

‘सारिया! पहाड़ की तरफ़’

चुनांचे हमने पहाड़ को अपनी पुश्तपनाह करार दिया और फिर अल्लाह तआला ने दुश्मनों को हरा दिया।

- हवाला** - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 885, हदीस 5671, करामतों का बयान,
2. तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4 पृ० 339, बयान 1538, करामतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 53, करामतों का बयान।

ऊपर के बयान में चार करामतें हैं-

1. नज़र का पहुंचना मदीना तैयिबा से,
2. आवाज़ का पहुंचना मदीना तैयिबा से,
3. आवाज़ का सारे लश्कर को सुनायी देना,
4. आवाज़ की वजह से लश्कर का फ़तह पाना।

मेरे भोले भैया! यह हुआ वायरलैस! आजकल लड़ाई के मौके पर वायरलैस का इस्तेमाल होता है जो बैट्री और पुर्जों का मुहताज होता है। इस्लाम ने इसको चौदह सौ साल पहले ईजाद कर दिया है जिसमें न बैट्री की ज़रूरत है न पुर्जों की लेकिन आज हम इस वायरलैस को इस्तेमाल करने के काबिल न रहे इसलिए अल्लाह तआला ने इस नेमत को हमसे छीन लिया।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मस्जिद में (जुमा के दिन) खुत्बा पढ़ते तो खजूर के उस तने पर जो सतून के तौर पर मस्जिद में खड़ा था, कमर लगा लेते। फिर जब मिम्बर तैयार हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस पर खुत्बा पढ़ते होते तो वह सतून, जिससे कमर लगा कर आप खुत्बा पढ़ा करते थे चिल्लाता (यानी नबी सल्ल० के फ़िराक़ में) और करीब था कि वह (फ़िराक़ की तक्लीफ़ की तेज़ी से) फट जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिम्बर से उतरे, सतून को हाथों से पकड़ा और फिर सीने से लगाया फिर उस सतून ने बच्चों की तरह रोना और नाला करना शुरू किया हां उन बच्चों की तरह, जिन को तसल्ली देकर खामोश किया जाता है यहां तक कि उस सतून को सुकून हासिल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, यह सतून इसलिए रोया कि जो बयान वह सुना करता था उसको उसने न सुना, वह उससे महरूम हो गया।

- हवाला** - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 873, हदीस 5620, मोजिजों का बयान,
 2. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 205, हदीस 788, नुबुव्वत की अलामतों का बयान,
 3. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 355, हदीस 1484, अब-वाबुल मनाकिब,
 4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 24, मोजिजों का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे नबी होने से पहले मुझको सलाम किया करता था।

- हवाला** - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 856, हदीस 5572, नुबुव्वत की अलामतें,
 2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 512, नुबुव्वत की अलामतें।

लकड़ी के तने से आवाज़ का आना और पत्थरों का सलाम करना क्या यह साइंस वाले कर सकते हैं? साइंस वालों ने रेडियों और टेप रिकार्ड बनाया, जो बैट्री और पुर्जों का मुहताज है।

इसमें एक बात और गौर करने की है कि एक लकड़ी का तना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी की परवाह नहीं करते और इस लापरवाही का नतीजा हशर के मैदान में अगर जुदाई का आ गया यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कह दिया कि मैं तुम को नहीं जानता तो हमारा हशर क्या होगा? इसपर हर एक मुसलमान को गौर करने की ज़रूरत है।

हज़रत मुआविया बिन हरमल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हर्मा मक़ाम में आग ज़ाहिर हुई तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमीमदारी के पास आकर हुक्म फ़रमाया कि देखो, यह आग लग रही है। इसकी तरफ़ जाकर इस को हटा दो।

उन्होंने अर्ज किया, 'ऐ अमीरुल मोमिनीन! मेरी हस्ती क्या है और मैं इस काबिल कहां हूँ। वह इसरार फ़रमाते ही रहे आख़िर उनके साथ-साथ उठकर चल दिये और मैं भी साथ-साथ हो लिया और वे दोनों आग की तरफ़ बढ़ते रहे तो तमीमदारी इस आग को धक्के दे रहे थे। आख़िर वह आग एक घाटी में जा घुसी और तमीमदारी थे कि उसके पीछे लगे रहे। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जो आदमी किसी बात को अपनी आंखों से देख ले वह उसके बराबर नहीं हो सकता जो खुद मुशाहदा न करे।

ये कलिमात तीन बार फ़रमाए।

- हवाला** - तर्जुमानुस्सुन्न: जिल्द 4, पृ० 344, बयान 1544।

साइंस वाले आग को अपने हाथों से धक्के मार कर हटा सकते हैं? या बुझा सकते हैं? अलबत्ता उन्होंने आग बुझाने के लिए फ़ायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाली गाड़ियों का इन्तिज़ाम किया।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उसैद बिन हुज़ैर रज़ि० और इबाद बिन बिशर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन बड़ी रात तक अपनी किसी ज़रूरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बातें करते रहे। यह रात बहुत तारीक थी फिर दोनों अपने घरों को खाना हुए दोनों के हाथों में लाठियां थीं। इन दोनों में से एक की लाठी रोशन हो गयी और दोनों को रास्ता साफ़ नज़र आने लगा, फिर जब दोनों का रास्ता अलग-अलग हुआ तो दूसरे की भी लाठी रोशन हो गयी और हर आदमी अपनी लाठी की रोशनी में घर पहुंच गया।

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 15, पृ० 252, हदीस 986, मनाकिब का बयान,
 2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 883, हदीस 5661, करामतों का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 48, करामतों का बयान,
 4. तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 371, हदीस 1565, करामतों का बयान।

क्या किसी साइंस वाले की लाठी में रात को रोशनी पैदा हो सकती है, अलबत्ता इन लोगों ने बिजली और टार्च का इन्तिज़ाम किया, टार्च में सेल डालो, बटन दबाओ, तब रोशनी पैदा होगी और अगर बल्ब खराब हो गया या सेल ख़त्म हो गये तो अंधेरी रातों में ठोकरें खाओ। रूहानी पावर तो इस्लाम के दायरे में अमल करने ही से पैदा होता है मेरे भैया!

हदीस - हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मआज़ तीमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिना के मैदान में हमें खुत्बा दिया। उसके सुनने के लिए हमारे कान खोल दिये गये और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने हमारे कानों को सुनने के लिए इस तरह खोल दिया कि अपनी अपनी मंज़िलों में थे और वहीं सुन रहे थे।

हवाला - तर्जुमानुस्सुन्नः जिल्द 4, पृ० 431, हदीस 1634।

तशरीह - आवाज़ पहुंचने का बड़ी हद तक दारोमदार ज़ाहिरी वजहों में, दूर व नज़दीक, हवा के मुखालिफ़ मुवाफ़िक़ होने में और खुद आवाज़ की पस्ती व बुलंदी पर है बाकी अंबिया-ए-किरोम, रसूले अिज़ाम की जहां और खुसूसियतें हैं एक खुसूसियत यह भी है कि उनकी आवाज़ में सबसे ज़्यादा तासीर और कुव्वत होती है और इस हदीस से मालूम होता है कि फैलाव भी मुस्ताज़ होता है। सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का अंदाज़े बयान बता रहा है कि यह बात खर्क़े आदत के तौर पर थी जो जहां था आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुत्बा इस तरह सुन रहा था गोया यहीं खड़े आप खुत्बा दे रहे हैं।

हवाला - तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 431।

तारीख़ बताती है कि उम्मत के मुस्ताज़ लोग भी कभी-कभी इस नेमत से नवाज़े गए

हैं अब नयी ईजादात ने इस मसअले को हल कर दिया है और किसी के लिए अचम्भे की बात नहीं, गो दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है कि एक आलों और मशीनों का मुहताज है (यानी लाउडस्पीकर) और दूसरी आवाज़ किसी आले की कतअन मुहताज नहीं और न जाहिरी आलों को वहां कोई दखल है।

हवाला - तर्जुमानुसुन्नः, जिल्द 4, पृ० 432।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सफ़र में सुबह के वक्त एक बार काफ़िले में वुजू के लिए पानी न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तलाश करवाया तो एक आदमी के पास सिर्फ़ एक बर्तन में थोड़ा सा पानी निकला। आपने उसमें उंगलियां डाल दीं तो वह बर्तन फुव्वारे की तरह जोश मारने लगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि पुकारो सबको कि आकर वुजू कर लें। सैकड़ों सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने वुजू किया और पेट भर कर पानी पिया। जब नमाज़ से फ़ारिग हुए तो आपने लोगों से पूछा कि तमाम मख़्लूक़ात में से किस का ईमान अजीबतर है।

लोगों ने कहा कि फ़रिश्तों का

तो आपने फ़रमाया कि उनके ईमान में क्या ताज्जुब है? वे तो बारगाहे इलाही में हाज़िर हैं उसके हुक़मों को मानते हैं वे क्योंकर ईमान न लाते?

लोगों ने फिर अर्ज किया कि आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का?

तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया मेरे सहाबा रज़ि० सैकड़ों मोजिजे देखते हैं उनके ईमान में क्या ताज्जुब? अलबत्ता अजब ईमान उनका होगा जो मेरे बाद पैदा होंगे और मेरा नाम सुन कर सच्चे दिल से मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। वे मेरे भाई हैं और तुम सहाबा (रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन)

हवाला - तफ़्सीरे हक्कानी, जिल्द 2, पृ० 81, सूः बकरः के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में।

है कोई साइंस वाला, जो अपनी उंगलियों से या उंगलियों के पोरों से पानी के धारे बरसा दे अलबत्ता इन लोगों ने नल की स्कीम बनायी और पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े डेम (तालाब) बनवाये, लेकिन जब यह डेम फटता है या ज़्यादा पानी हो जाने के बाद डेम की हिफ़ाज़त के लिए कि डेम टूटने न पाये, इस वजह से डेम के रास्ते पानी निकलने के लिए खोल दिये जाते हैं तो सैकड़ों जानदार बह जाते हैं और फ़सलों में लाखों का नुक़सान हो जाता है।

जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खादिम हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक बार समुन्दर के सफ़र में एक नाव में बैठे। इत्तिफ़ाक़ से वह नाव टूट गयी और मैं उस नाव के एक तख़्ते पर बैठ गया। उस तख़्ते ने मुझको ले जाकर खुशकी की एक झाड़ी के करीब डाल दिया, जिसमें शेर भी था। उसे देखकर तो मुझे डर लगने लगा, मगर मैंने शेर से कहा ऐ अबुल हारिस! मैं सफ़ीना हूं सफ़ीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम का खादिम। यह सुनकर उसने अपना सर झुका दिया और उसने आगे बढ़ते हुए अपना कंधा हिलाया, गोया वह मुझे रास्ता दिखा रहा था यहां तक कि उसने मुझे रास्ते पर पहुंचा दिया। जब वह मुझे रास्ते तक पहुंचा चुका तो वह एक बार गरजा, तो मैं समझ गया कि वह मुझे रुख्त कर रहा है।

हवाला - 1. तर्जुमानुस्सुन्न: जिल्द 4, पृ० 363, बयान 1559,

2. मिशकत शरीफ, जिल्द 2, पृ० 884, बयान 5666, करामतों का बयान,

3. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 50, करामतों का बयान।

अगले ज़माने में बादशाह अपनी हिफ़ाज़त के लिए बड़े-बड़े क़िले बनवाते थे और हर मुल्क वाला अपने मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए कोई एटम बम कोई नेपा बम, कोई हाइड्रोजन बम बनाता है और इस्लाम के दायरे में आने वाले की हिफ़ाज़त अल्लाह तआला दरिदों से करवाता है बल्कि वह दरिदा उसका रहबर बनकर उसको रास्ता भी दिखाता है और रुख़ती के वक़्त सलाम भी अर्ज कर रहा है। यह सिफ़त साइंस वालों को कहां मिल सकती है, अलबत्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुलामों के हिस्से में आयी है।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के पैतीसवें रूकूअ में आयत न० 258 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या तूने उसे नहीं देखा कि जो सल्लनत पाकर इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था। जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि मेरा रब तो वह है जो जिलाता और मारता है। वह कहने लगा कि मैं जिलाता और मारता हूं। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा अल्लाह तआला सूरज को पूरब की तरफ़ से लेकर आता है, तू उसे पच्छिम की तरफ़ से ले आ अब तो वह काफ़िर हैरान रह गया और अल्लाह तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का बयान हो रहा है। नमरूद को अल्लाह तआला ने बहुत बड़ी बादशाही दे रखी थी और वह खुदाई का दावा करने लगा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको समझाया कि तू खुदाई का दावा छोड़ दे और तू भी खुदा का बन्दा है। खुदा की इबादत में झुक जा।

तो जवाब में नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो खुदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता?

तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा जिलाता भी है और मारता भी है।

तो जवाब में नमरूद ने कहा यह तो मैं भी कर सकता हूं दो मुजरिमों को बुलाया जो क़त्ल किये जाने वाले थे। एक मुजरिम को क़त्ल कर दिया, एक मुजरिम को छोड़ दिया और कहा कि देखो हमने भी एक को जिला दिया एक को मार दिया हालांकि अल्लाह तआला का

मारना-जिलाना और है लेकिन वह इस तरह तावील करके निकल गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी समझ गये कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ज़रा टेढ़ी करनी पड़ेगी।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरा रब पूरब की तरफ़ से सूरज को निकालता है और पच्छिम की तरफ़ डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पच्छिम की तरफ़ से सूरज निकाल। इस पर नमरूद ला जवाब हो गया। कोई जवाब नहीं बन पाया। पहले सवाल की तो तावील कर गया, दूसरे सवाल की तो तावील भी नहीं कर सका, हालांकि यह मांग खुदाई का दावा करने पर तलब की गयी थी लेकिन जवाब तक नहीं बन सका। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान को देखिए।

हदीस - हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहबा नामी जगह में जुहर की नमाज़ पढ़ी और अस्त्र की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। (हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी तक अस्त्र की नमाज़ नहीं पढ़ी थी) जब तशरीफ़ लाये तो आपने उनकी गोद में अपना मुबारक सर रखा (और आप की आंख लग गयी) हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको जगाना पसन्द नहीं किया यहां तक कि सूरज डूबने के करीब हो गया (और अस्त्र की नमाज़ का वक़्त निकल गया) जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अस्त्र की नमाज़ का वक़्त जाता रहा तो आपने दुआ फ़रमायी ऐ अल्लाह! तेरा बन्दा हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) तेरे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ख़िदमत में था (और उसकी अस्त्र की नमाज़ जाती रही) तो तू सूरज को फिर पूरब की तरफ़ लौटा दे।

हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि सूरज इतना लौट आया कि उसकी धूप पहाड़ों पर फिर पड़ने लगी। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और वुजू फ़रमा कर अस्त्र की नमाज़ अदा फ़रमायी। इसके बाद सूरज डूबा।

हवाला - तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 153, हदीस 1338, मोजिजे का बयान।

है किसी साइंस वाले की ताक़त कि डूबे हुए सूरज को वापस लौटा ले। यह शान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हुज़ूर नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बरख़्शी है।

वसीला

मेरे प्यारे दोस्त! हनफी मसलक में वसीला से दुआ मांगना मुजायका नहीं, मगर इस में भी बहुत कुछ ग़लतफ़हमियां हो गयी हैं जिनको समझना और सीखना ज़रूरी है।

जो लोग औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से तवस्सुल को साबित करने के लिए वसीला वाली आयत से दलील पकड़ते हैं कि देखो, कुरआन शरीफ़ में वसीला पकड़ने को साफ़

तौर से कहा गया है और वस्हावी लोग इसका इंकार करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त! यह बात बिल्कुल धोखे की है।

कुरआन करीम के छठे पारे में सूर: माइदा के छठे रकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इशार्द फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और अल्लाह तआला का कुर्ब दूंडो और अल्लाह की राह में जिहाद करो। उम्मीद है कि तुम कामियाब हो जाओगे।

इस आयते करीमा में तीन बातों का हुकम है-

पहला, अल्लाह से डरो,

दूसरा, अल्लाह की तरफ वसीला दूंडो,

तीसरा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो।

कुरआन करीम में जहां अल्लाह तआला ने ईमान वालों को खिताब फरमा कर किसी चीज का हुकम फरमाया है तो वहां अगर कोई करीना या दलीले वजूब (फर्ज) के खिलाफ नहीं, तो वह चीज, जिसका हुकम दिया गया है फर्ज और वाजिब जरूर होगी। यह उसूले फिक्ह का माना हुआ मसअला है।

हमारे नजदीक यानी हनफियों के नजदीक हुकम की हकीकत वजूब है, (न कि मुस्तहब और मुबाह्र होना) जब तक उसके खिलाफ कोई करीना और दलील न हो।

हवाला - नुरुल अन्वार, असल अव्वल, पृ० 27, अम्र का बयान।

अब देखना और समझना यह है कि वसीला वाली आयत में हुकम 2 में वसीला दूंडने को जो कहा गया है उससे क्या मुराद है?

मेरे प्यारे दोस्त! आयते शरीफा में तीन बातों का हुकम दिया गया है इसमें से पहली और तीसरी चीज तो बिना किसी इखिलाफ के सबके नजदीक जरूरी और वाजिब है यानी अल्लाह से डरना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।

अब रहा बीच का हुकम यानी वसीला पकड़ना तो जब इसी आयते शरीफा में पहली और तीसरी चीज वाजिब और जरूरी हुई तो बीच वाली चीज वाजिब क्यों न होगी? बिला शुब्हा वह भी वाजिब होगी अब देखना यह है कि वसीले का वह कौन सा मतलब है जो वाजिब है?

अगर वसीले का वही मतलब मुराद हो जो जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी लेते हैं यानी अपनी हाजतों को पूरा करने में औलिया अल्लाह से इस्तिआनत और मददतलबी और उनका तवस्सुल तो जरूरी होगा कि यह भी वाजिब हो क्योंकि हुकम के बावजूद वाजिब होने का इंकार हनफी फिक्ह के उसूल के खिलाफ है जिसका हवाला अभी गुजर चुका।

इसके अलावा यह बात बहुत भोंडी होगी कि अगला और पिछला हुकम तो वाजिब हो और बीच का न वाजिब हो, न सुन्नत, बल्कि मुस्तहब भी न हो।

अब आइए, फ़िक्हे हनफी में देखें कि औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से मदद और तवस्सुल क्या दर्जा रखता है?

सलफ़े सालिहीन का क़रूने सलासा में यह दस्तूर रहा है कि जो हज़रत अपने ज़माने में नेक और वलियुल्लाह मालूम हुए उनको लोग अपनी दुआ की कुबूलियत के वास्ते तकलीफ़ देते रहे और उनसे दुआ करने की ख़्वास्तगारी करते रहे। इसी बुनियाद पर अगर अब भी कोई नके या वलीयुल्लाह मालूम हो और लोग उससे दुआ कराएं या अपनी दुआ की कुबूलियत में वसीला ठहराएं, जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने पेशवा करके अपनी ज़रूरत तलब की थी सबके नज़दीक जायज़ होगा और उससे किसी हनफी फ़कीह का इख़्तिलाफ़ नहीं है।

रहा बाद विसाल (यानी वफ़ात के बाद) उनसे दुआ कराने या अपनी हाजत रवाई के वास्ते किसी तरह तकलीफ़ देने का तो यह दस्तूर 'क़रूने सलासा मशहूद लहा बिल ख़ैर' (यानी वे तीन ज़माने, जिनके सरापा ख़ैर होने की गवाही दी गयी है) और मुज्ताहिदों के ज़माने में नहीं पाया गया।

इसकी बुनियाद पर हमारे हनफी फ़ुक्हा इसमें मुख़्तलिफ़ हैं। अक्सर जायज़ न होने के कायल हैं जानना चाहिये कि यही मज़हब अक्सर फ़ुक्हा का काबिले फ़त्वा हमारे ज़माने के लिए है क्योंकि इसमें एहतियात है।

हवाला - मजमूअतुल फ़तावा (मौलाना अब्दुलि हई फ़रंगी महल्ली) पृ० 349, 395।

वसीला से दुआ मांगना न तो शरीअत में फ़र्ज़ है न वाजिब और न सुन्नत यहां तक कि हमारे हनफी फ़ुक्हा के नज़दीक मुस्तहब भी नहीं है। इसपर ज़्यादा से ज़्यादा जो कहा जा सकता है वह यह है कि वसीले से दुआ करना सिर्फ़ जायज़ है तो एक मुबाह दर्जे की चीज़ जिससे बड़े-बड़े फ़िल्नों के दरवाज़े खुल रहे हैं क्या इसको करना बेहतर है या उससे बचना बेहतर है? बजाए उसको छोड़ने के उसपर और ज़िद करना और बहस व मुबाहसा करना जहालत नहीं है तो फिर और क्या है?

अब जो लोग अहले कुबूर से मदद चाहते या दुआ कराने में औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से तवस्सुल को साबित करने के लिए वसीला वाली आयत पढ़कर अपना रंग जमाते हैं और उलेमा-ए-हक़ को गुमराह बताते हैं और अपने आपको पक्का सुन्नी हनफी जताते हैं वे क़ुरआन शरीफ़ के मतलब में तहरीफ़ करते हैं और मनमानी तफ़्सीर करते हैं जिसकी वईद हदीस शरीफ़ में आयी हुई है।

क्योंकि आयते शरीफ़ा में अगर वसीला का मतलब वही हो जो वे लोग लेते हैं तो अहले कुबूर से मदद चाहना और औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से वसीला पकड़ना वाजिब होना चाहिए ताकि आयत में बयान होने वाली तीनों बातों में बराबर का हुकम हो यानी जैसे

अल्लाह तआला से डरना और अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करना वाजिब है इसी तरह अहले कुबूर से मदद हासिल करना भी वाजिब है हालांकि आपने देख लिया कि हनफी फुक्हा सिर्फ जायज़ कहते हैं। इससे मालूम हो गया कि आयते शरीफ़ा में जिस वसीले का जिक्र है इससे वह मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता जो ये बनास्पती सुन्नी हनफी मुराद लेते हैं या तो ये लोग आयते शरीफ़ा के मायने और मतलब को नहीं जानते हैं या फिर जानबूझ कर भोली-भाली जनता को धोखा देकर अपनी दुकान चमकाते हैं।

अब हम हवाले के साथ आयते शरीफ़ा की वह तफ़्सीर बयान करते हैं, जो तमाम मुफ़्फ़िसरी ने किराम ने जिक्र की है और वही सही तफ़्सीर है। इससे मालूम हो जाएगा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और उलेमा-ए-रब्बानी वसीला का क्या मतलब इस आयते शरीफ़ा से लेते हैं?

इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को तक्वा का हुक्म फ़रमाया है और जब तक्वा अल्लाह तआला की इताअत के साथ मिला हुआ हो तो उससे मुराद हराम चीज़ों से रुकना और रोकी गयी चीज़ों को छोड़ना होता है। इसके बाद अल्लाह तआला ने 'वबतगू इलैहिल वसील-त (अल्लाह की तरफ़ वसीला ढूंडो) फ़रमाया है तो इसके बारे में सुफ़ियान सोरी रहमतुल्लाहि इलैहि रिवायत करते हैं तलहा रहमतुल्लाहि अलैहि से और तलहा रह० रिवायत करते हैं अता से और अता रह० रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि-

‘वसीला के मायने कुर्ब और नज़दीकी के हैं।’

और यही बात कही है अबू वाइल रहमतुल्लाहि अलैहि और हसन रहमतुल्लाहि और क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि और अब्दुल्लाह बिन कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि और सुद्दी रहमतुल्लाहि अलैहि और इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाहि अलैहि और उनके अलावा मुफ़्फ़िसरीने किराम ने और हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला से नज़दीकी हासिल करो, फ़रमांबरदारी और पसंदीदा अमल से।

आयते शरीफ़ा का यह मतलब तमाम मुफ़्फ़िसरीन का मुत्तफ़का है, इसमें कोई इख़िलाफ़ नहीं है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 93, सूः माइदा के छठे रकूअ की तफ़्सीर में।

‘वबतगू इलैहिल वसील-त’ (अल्लाह की तरफ़ वसीला ढूंडो)

यानी फ़रमांबरदारियों का काम करना और गुनाहों को छोड़ना, जिन के ज़रिए अल्लाह से नज़दीकी हो और उसके सवाब तक रसाई हो। वसीले का लफ़ज़ ‘व-स-ल’ से बना है, जिसका मतलब नज़दीक होना और कुर्ब हासिल करना है।

हवाला - तफ़्सीरे बैजावी शरीफ़, पारा 6, पृ० 233, सूः माइदा की तफ़्सीर में।

उसकी तरफ़ वसीला ढूंडो यानी अल्लाह की इताअत जो तुमको उससे करीब कर दे।

हवाला - तफ्सीरे जलालैन शरीफ, पारा 6, पृ० 99, सूः माइदा की तफ्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! अब आया आप की समझ में?

तमाम मुफ़स्सरीन बिला इख़्तिलाफ़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आयते शरीफ़ा में वसीला से मुराद कुर्ब व नज़दीकी है या वे आमाल जिन से कुर्ब इलाही हासिल हो। यही बात अपनी-अपनी इबारतों में तमाम मुफ़स्सरीन बयान फ़रमाते हैं।

और वह मतलब जो जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी और उनके चेले बधान करते फिरते हैं यानी औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से मांगना और हर काम में उनसे मदद चाहना और मिसाल दिया करते हैं कि अगर बादशाह से कुछ लेना है तो पहले उसके मातहत मुसाहिबों और हाकिमों के पास जाना होगा, तब ही काम बनेगा। इसी तरह खुदा का मामला भी है तो यह बात इतिहाई गुमराह करने वाली और इस्लामी शरीअत के बिल्कुल खिलाफ़ है।

मेरे प्यारे दोस्त! वसीला का एक मतलब तो वही है जो आयते वसीला में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किया गया है और एक वसीला वह है जो अज़ान के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ में है इससे मुराद जन्नत में एक ऊंचा दर्जा है जो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए मख़सूस है।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिसने अज़ान सुनने के बाद यह दुआ मांगी-

अल्लाहुम-म रब-ब हाज़िहिद-दज़्-वति ताम्मति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्म-द-निल-वसील-त वल-फ़ज़ी-ल-त वब-असहु मक़ामम-महमू-द-निल-लज़ी व अत्तहू०

तर्जुमा - ऐ अल्लाह! इस मुक़म्मल पुकार और कायम रहने वाली नमाज़ के मालिक! मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत अता कर और मक़ामे महमूद में भेज, जिसका तूने वायदा किया।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं-

जिसने यह दुआ मांगी, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गयी।

हवाला - त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 46, हदीस 189, नमाज़ का बयान।

इस हदीस में अज़ान की दुआ के अन्दर जो वसीले का लफ़ज़ है उससे भी किसी नबी या वली रहमतुल्लाहि अलैहि का वसीला मुराद नहीं है, बल्कि इस वसीले से मुराद या तो जन्नत की वह जगह है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के लिए खास है या तो फिर उस जगह का नाम है जहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े होकर तमाम उम्मतियों की शफ़ाअत करेंगे।

हदीस - तबरानी के हवाले से लिखा है कि तुम अल्लाह से दुआ करो कि खुदा मुझे

वसीला अता फ़रमाए जो आदमी मेरे लिए दुनिया में दुआ करेगा मैं उसपर गवाह या सिफ़ारशी कियामत के दिन बन जाऊंगा।

और हदीस में है, 'वसीले से बड़ा कोई दर्जा जन्नत में नहीं है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 93, सूः माइदा के छठे स्कूअ की तफ़्सीर में।

आयते शरीफ़ का सही मतलब अब बयान किया जाता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है-

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो।'

'यानी गुनाह के काम न किया करो, और

'वसीला ढूंढो अल्लाह की तरफ़'

यानी पसंदीदा और नेक अमलों से और गुनाह के कामों को छोड़ने से खुदा का कुर्ब और नज़दीकी तलब करो।

यह बात इसलिए कही जा रही है कि जब पहले फ़रमाया कि अल्लाह से डरते रहो तो अब यह बताया जा रहा है कि अल्लाह से डरना ऐसा नहीं जैसा आदमी सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया से डर कर दूर भागता है, बल्कि खुदा से डरना ऐसा होना चाहिए कि उसकी नाखुशी से डर कर उसका कुर्ब और वसीला हासिल करने की कोशिश हो। खौफ़ और डर की पहली सूरत नफ़रत की वजह से होती है और यह दूसरी सूरत मुहब्बत की वजह से होती है। इसी लिए जब डरने वाली बात पहले कही गयी तो उसके बाद अल्लाह तआला से कुर्ब तलब करने का हुकम हुआ और अल्लाह तआला का कुर्ब पसन्दीदा अमल ही से हो सकता है।

उसके बाद इस आयत में तीसरा हुकम है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, यानी वे ताकतें जो तुम्हें खुदा के रास्ते से हटा देने वाली हों, उनका डट कर मुक़ाबला करो, वे चाहे कुफ़ार व मुश्रिक हों या तुम्हारा अपना नफ़्स हो या शैतान हो। यह है सही रिवायतों के मुताबिक़ इस आयत की तफ़्सीर।

हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि खुदा की इताअत और उसकी मर्जी के आमाल से उससे करीब होते जाओ। इन इमामों ने वसीले का मतलब इस आयत से जो लिया है उसपर सब मुफ़स्सिरों का इत्तिफ़ाक़ है। इसमें किसी एक का भी इख़िलाफ़ नहीं है।

इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर एक अरबी शेर भी कहा है जिसमें वसीले का मतलब कुर्बत और नज़दीकी लिया गया है।

हवाला -1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 93, सूः माइदा के छठे स्कूअ की तफ़्सीर में।

2. तफ़्सीरे मुवाहिबुर्हमान, पारा 6, पृ० 113, सूः माइदा के छठे स्कूअ की तफ़्सीर में।

वसीले का सही मतलब जान व माल से अल्लाह की राह में मेहनत करना है, इसी का नाम वसीला है।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजरात के दूसरे रूकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - मोमिन तो वे लोग हैं जो अल्लाह और उसके (रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान रखते हैं और उसमें शक व शुब्हा नहीं करते और अपनी जान व माल से अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं। यही लोग सच्चे हैं।

वसीले का यही मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से ईमान ले आए और इसमें कोई शक व शुब्हा किसी तरह का भी न रखे। इसके बाद अल्लाह की बतायी हुई नेक राह में अपनी जान व माल खर्च करे। यही लोग हैं सच्चे, जो ईमान के दावे में सही उतरे।

कुरआन करीम के अठाईसवें पारे में सूर: सफ़्फ़ के दूसरे रूकूअ में आयत न० 10 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें वह तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले।

ईमान वालों से अल्लाह तआला मुखातिब होकर फरमा रहा है कि हम तुम्हें एक तिजारत बतला दें, जो तुमको दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। दुनिया में जो तिजारतें चल रही हैं मिसाल के तौर पर एक का लिया, दो का दिया दो का लिया, तीन का दिया, यह तो आप सब जानते हैं, लेकिन एक मख़सूस तिजारत जो दुनिया वालों की तिजारत से बिल्कुल अलग है और दुनिया व आखिरत दोनों जहान में फ़ायदा ही फ़ायदा वाली है, हम तुमको बताते हैं वह यह है-

कुरआन शरीफ़ के अठाईसवें पारे में सूर: सफ़्फ़ के दूसरे रूकूअ में आयत न० 11 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला पर और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान ले आओ और अल्लाह की राह में अपनी जान व माल से जिहाद करो। यह काम भी अच्छा है और इसका अंजाम भी अच्छा है, अगर तुम समझो।

एक जिहाद तो वह था जो सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और ताबईन रहमतुल्लाहि अलैहिम व तबअ ताबईन रहमतुल्लाहि अलैहिम कर चुके हैं। आज हममें वह ताकत नहीं है जो अगले साहिबान कर चुके हैं लेकिन कम से कम अल्लाह की राह में जो जिहाद किया जा सके करना चाहिए। आजकल अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना, अल्लाह की इबादत करना जिस्मानी जिहाद है। जुबानी जिहाद यह है भली बातों का हुक्म करना और बुरे काम या रस्म व रिवाज या बुरी बातों से मख़लूके खुदा को बचाने की मेहनत करना और

माली जिहाद यह है कि अल्लाह के दीन में सही रास्ते पर अपना माल लगाते रहना, ऐसे लोगों के लिए वायदा है-

कुरआन करीम के अठाईसवें पारे में सूर: सफ़ के दूसरे रकूअ में आयत न० 12 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा और तुम्हें जन्नत में दाख़िल कर देगा जिसमें नहरें चल रही हैं और वह तुम्हें हमेशा के बाग़ में दाख़िल करेगा। यह बहुत ही बड़ी कामियाबी है।

समझ में बात आई मेरे भैया! कि इस आयते करीमा में जो वसीला है वह यही वसीला है कि इंसान की पूरी जिन्दगी की पूंजी और अपनी जान अल्लाह की राह में लग जाए तो अल्लाह का वायदा है कि वे लोग जन्नत के ऊंचे बाग़ों यानी बेहतरीन मकानों में रहेंगे-

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: तौबा के चौदहवें रकूअ में आयत न० 111 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - बेशक अल्लाह तआला ने मुसलमानों से उनकी जानें और उनके माल इस बात के बदले में ख़रीद लिए हैं कि उनको जन्नत मिलेगी।

जो सच्चे और पक्के ईमान वाले हैं, उनसे अल्लाह का सौदा हो चुका है। अल्लाह तआला ने जन्नत के बदले में मोमिनों की जानें और उनके माल ख़रीद लिए हैं, यही है सही वसीला।

जहालत की वजह से या बे ख़बरी से या भूल से या रस्मी तौर पर जो लोग दरगाहों या ख़ानकाहों पर या ताजियों पर जाते हैं और वहां पर नियाज़, नज़्र करते हैं और जाहिल मुजाविर कहीं-कहीं तो सज्दे करवाते हैं और जाहिल, अनपढ़ और भोले लोगों को समझाते हैं कि क़ियामत के दिन ये तुम्हारी निजात के लिए वसीला बनेंगे या तुम्हें अल्लाह के करीब कर देंगे। यही अक़ीदा मक्का के मुशिरकों का था इसी अक़ीदे की बुनियाद पर बुतपरस्ती फैलती चली गयी और आज इसी अक़ीदे पर क़ब्रें पूजी जा रही हैं। इसी अक़ीदे पर छल्ले और ख़ानकाहें निभ रही हैं इसी अक़ीदे पर ताज़िए सजाए जा रहे हैं इसी अक़ीदे पर चर्च और गिरजे बनाये जा रहे हैं। और इसी अक़ीदे पर देव, देविंयां पूजी जा रही हैं और इसी अक़ीदे पर मज़ारों पर नियाज़ व नज़्र चढ़ायी जा रही हैं। इसी अक़ीदे ने अगले लोगों को भी तबाह व बर्बाद किया और आज भी इसी अक़ीदे पर लोग तबाह व बर्बाद हो रहे हैं।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के दूसरे रकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ये लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको नुक़सान पहुंचा सकते हैं और न नफ़ा पहुंचा सकते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के पास ये हमारी सिफ़ारिश करेंगे।

अल्लाह तआला उनके ग़लत अकीदों की तर्दीद कर रहा है कि खुदा को छोड़कर तुम जिन जिन को पूज रहे हो वे किसी नफ़ा के मालिक नहीं और किसी नुक़सान के भी मालिक नहीं और न तुम्हारी सिफ़ारिश कर सकते हैं न शफ़ाअत, न अल्लाह के दरबार में तुम्हारे लिए वसीला बन सकते हैं।

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में सूर: जुमर के पहले रूकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और जिन लोगों ने खुदा के सिवा औलिया बना रखे हैं, वे कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के नज़दीकी मर्तबे तक हमारी पहुंच कर देंगे।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि ये लोग मुझे छोड़ कर मेरी मख़्लूक को पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं। ये सिर्फ़ यही समझ कर पूज रहे हैं कि ये बुजुर्ग हमें अल्लाह के करीब करवा देंगे और अल्लाह के दरबार में हमारे लिए सिफ़ारिशी या वसीला बनेंगे। पक्के मज़ार बनाने वाले, मज़ारों पर बड़े-बड़े गुंबद बनाने वाले, ख़ानकाहें और छल्ले सजाने वाले और ताज़िया सजाने वाले सब यही समझ कर जुटे पड़े हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के दरबार में और हशर के मैदान में हमारी निजात के लिए सिफ़ारिश करेंगे और हमारी फ़लाह के लिए वसीला बनेंगे।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के छठे रूकूअ में आयत न० 57 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिनको ये लोग पुकारते हैं वे खुद अपने रब की नज़दीकी हासिल करने का वसीला तलाश करते हैं कि कौन उस अल्लाह के करीबतर हो जाए और वे उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अज़ाब से डर रहे हैं।

ये लफ़ज़ खुद गवाही दे रहे हैं कि मुश्रिकों के जिन-जिन भाबूदों और फ़रियादरसों का यहां ज़िक्र हो रहा है, उनसे मुराद पत्थर के बुत नहीं हैं बल्कि या तो फ़रिश्ते हैं या गुज़रे हुए ज़माने के बरगुज़ीदा इंसान हैं।

मतलब इस आयते करीमा का साफ़-साफ़ यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम हों या औलिया रहमतुल्लाहि अलैहिम, या फ़रिश्ते किसी की भी यह ताक़त नहीं है कि तुम्हारी मदद को पहुंचे। तुम हाजत रवाई के लिए उनको वसीला बना रहे हो और उनका हाल यह है कि वे खुद अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह तआला का ज़्यादा तक़रूब हासिल करने के लिए वसीला ढूंड रहे हैं।

मक्का के कुफ़ार कहते थे और दुनिया भर के मुश्रिक चाहे वे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को पूज रहे हैं या औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम को, चाहे वे पत्थर के बुत पूज रहे हों या लकड़ी और काग़ज़ के ताज़िए बना कर उन्हें पूज रहे हों, वे सबके सब यानी दुनिया

भर के शिर्क करने वाले यही कहते हैं कि हम दूसरी हस्तियों की इबादत उनको मालिक समझकर नहीं करते हैं मालिक तो हम अल्लाह ही को मानते हैं और असल माबूद उसी को समझते हैं लेकिन अल्लाह तआला की बारगाह बहुत ऊंची है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, तो हम इन बुजुर्ग हस्तियों को इसलिए वसीला बनाते हैं ताकि ये हमारी दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह तआला तक पहुंचा दें अब आप ही सोचें कि यह जहालत नहीं तो और फिर क्या है?

वसीले के बारे में यह बयान वह है जो कुरआन में आया है अब हदीसों में इसका बयान सुनिये।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तीन आदमी चले जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी, तो वे पहाड़ के एक ग़ार में घुस गये। पहाड़ से ग़ार के मुंह पर एक पत्थर आ पड़ा और ग़ार को बंद कर दिया। निकलने का रास्ता न रहा, तीनों में से हर एक ने दूसरे से कहा कि अपने उन नैक कामों पर नज़र डालो, जो खास तौर पर खुदा के लिए किया हो और उस अमल के वसीले से खुदा से दुआ मांगों। उम्मीद है कि अल्लाह तआला इस पत्थर या इस मुसीबत को दूर कर दे।

उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे मां-बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे कई छोटे बच्चे थे और मैं बकरियां चराया करता था ताकि उनका दूध उन सब को पिलाऊं। जब शाम हो जाती तो मैं घर आता, दूध दुहता और सबसे पहले अपने मां-बाप को पिलाता, फिर बच्चों को देता।

एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि चरागाह के पेड़ मुझ को दूर ले गये, यानी बकरियों को चराता-चराता मैं दूर निकल गया और वक़्त पर मैं घर वापस न आ सका, यहां तक कि शाम हो गयी। जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे मां-बाप दोनों सो गये। मैंने मामूल के मुताबिक़ दूध दुहा, फिर दूध का बरतन लेकर बाप के पास पहुंचा और उनके सिरहाने खड़ा हो गया। मुझको उनका जगाना भी बुरा मालूम हुआ और यह भी कि मां-बाप से पहले बच्चों को दूध पिला दूं। बच्चे मेरे पांव के पास भूख से पड़े रोते और चिल्लाते रहे और मैं दूध लिए खड़ा रहा। सुबह तक यही हाल रहा, यानी दूध लिये खड़ा रहा, बच्चे रोते रहे और मां-बाप पड़े सोते रहे।

ऐ अल्लाह! अगर तू जानता है कि मैंने यह काम सिर्फ़ तेरी रज़ामन्दी और खुश्नूदी के लिया किया है तो तू इस पत्थर को इतना खोल दे कि हम आसमान देख सकें। चुनांचे खुदावन्द तआला ने पत्थर इतना हटा दिया कि आसमान नज़र आने लगा।

दूसरे आदमी ने कहा-

ऐ अल्लाह! मेरे चचा की एक बेटी थी मैं उससे ग़ैर मामूली मुहब्बत रखता था ऐसी मुहब्बत,

जैसी कि मर्द औरतों से करते हैं। मैंने उससे जिमाज़ की ख्वाहिश जाहिर की। उसने जाहिर किया कि जब तक सौ दीनार न दो, ऐसा नहीं हो सकता।

मैंने कोशिश शुरू की और सौ दीनार जमा कर लिए और इन दीनारों को लेकर मैं उसके पास पहुंचा फिर जब मैं उसकी दोनों टोगों के दर्मियान बैठा जिमाज़ के लिए, तो उसने कहा कि ऐ खुदा के बन्दे! खुदा से डर और मुहर को न तोड़ यानी कुंवारेपन को बर्बाद न कर।

मैं खुदा के डर से फौरन उठ खड़ा हुआ, यानी उससे जिमाज़ नहीं किया।

ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक मेरा यह काम सिर्फ तेरी रज़ामंदी और खुश्नूदी के लिए था तो तू इस पत्थर को हटा दे और हमारे लिए रास्ता खोल दे।

खुदावंद तआला ने पत्थर को थोड़ा और हटा दिया।

तीसरे आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह! मैंने एक आदमी को मज़दूरी पर लगाया था एक फर्क (पैमाना) चावल के मुआवज़े पर। जब वह आदमी अपना काम पूरा कर चुका तो कहा, मेरी मज़दूरी मुझको दिलवाइए। मैं उसकी मज़दूरी देने लगा तो वह उसको छोड़कर चला गया और फिर अपना हक लेने की तरफ तवज्जोह न की। मैंने उसकी मज़दूरी के चावलों से खेती शुरू की और बराबर खेती करता रहा, यहां तक कि उन चावलों की कीमत से मैंने बहुत से बैल और उनके चरवाहे जमा कर लिए।

उसके बाद वह मज़दूर मेरे पास आया और कहा, खुदा से डर और मुझ पर जुल्म न कर और मेरा हक मेरे हवाले कर दे।

मैंने कहा, इन बैलों और चरवाहों को ले जा (कि यह तेरा हक है)।

उसने कहा कि खुदा से डर और मुझसे मज़ाक न कर।

मैंने कहा, मैं तुझ से मज़ाक नहीं करता। इन बैलों और इन चरवाहों को ले जा।

चुनांचे उसने उन सबको जमा किया और लेकर चला गया।

ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक मेरा यह काम सिर्फ तेरी खुश्नूदी और रज़ामंदी के लिए था तो तू पत्थर को हटा दे।

चुनांचे खुदावंद तआला ने पत्थर को हटा दिया और रास्ता खोल दिया।

हवाला -1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 24, पृ० 218, हदीस न० 909, आदाब का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 202, हदीस न० 1014, बाब 472, तौबा का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 712, हदीस न० 4692, एहसान का बयान,

4. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 126, एहसान का बयान।

यह है वह हदीस, जिसको वसीले की दलील में लेते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तुम लोग इसी तरह दुआएं मांगना, बल्कि एक कहानी या वाकिए के तौर पर यह बात फरमायी कि बनी इस्राईल में एक किस्सा ऐसा हुआ था। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक से निकलने वाले लफ़्ज़ दर्जा ज़रूर रखते हैं और उन पर उलेमा का फ़त्वा होता है।

और इस हदीस से मालूम हुआ कि मुस्तहब है वसीला पकड़ना नेक कामों के साथ, सख़्ती व परेशानी की हालत में, इसलिए कि अल्लाह तआला ने दुआ उनकी कुबूल की इससे और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसकी उस कौम से बीच मारज़े सना और ज़िक्रे फ़ज़ाइल (यानी तारीफ़ और फ़ज़ीलत के तौर पर) के ख़बर दी और इस्तिहबाब न हो तो जवाज़ तो यकीनी है।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 127, भलाई और सिला रहमी का बयान।

मकरूह है कि आदमी अपनी दुआ में कहे बहक़के फ़लां यानी बहक़के फ़लां बुजुर्ग मेरी दुआ कुबूल फ़रमा या कहे या इलाही! बहक़के अंबिया या बहक़के रसूल मेरी दुआ कुबूल फ़रमा। इसी तहर अगर कहे कि इलाही! बहक़के बैतुल्लाह मेरी दुआ कुबूल कर, तो भी मकरूह है इस वास्ते कि मख़्लूक़ का हक़ मालिके अज़्ज़ व जल्ल पर नहीं है और हक़ यह होता है कि बग़ैर उसको अदा किये छुटकारा न हो तो ज़ाहिर है कि किसी मख़्लूक़ का हक़ अल्लाह तबारक व तआला पर नहीं है। इससे मालूम हुआ कि कुछ लोग मुनाजात में ये अशज़ार पढ़ा करते हैं-

इलाही! बहक़के मुहम्मद रसूल,

दुआ मुझ गुनाहगार की कर कुबूल।

यह मकरूह है और इसमें किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। हां, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलियाअल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम के वसीले से दुआ करना मुज़ायका नहीं।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 326, कराहत का बयान।

बहक़ से मुराद हक़ वाजिब लिया जाए, तो मकरूहे तहरीमी है और अगर बहक़ से मुराद वास्ता या वसीला या तवस्सुल या बरकत लिया जाए, तो मकरूह नहीं है बल्कि मुबाह है लेकिन आम लोग इस बात को समझ नहीं सकते हैं इसलिए एहतियात ही बेहतर है क्योंकि हिन्दुस्तान में मज़ारों पर जितना शिर्क व कुफ़्र या बिदअतें हो रही हैं, वह करीब-करीब वसीले ही के बहाने से हो रही हैं। शैतान को वसीले के बहाने से जितने गुमराह करने के रास्ते मिले हैं, इतना आसान तरीका उसको कोई नहीं मिला है तो उम्मत को शिर्क व कुफ़्र से बचाने के लिए कोई मुस्तहब दर्जे की चीज़ और छोड़नी भी पड़े तो यह ना मुनासिब बात नहीं होगी। फिर कुछ आलिम साहिबान वसीला के लिए इतनी हुज्जत व सख़्ती क्यों करते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आता।

जिस मुबाह को सुन्नत या वाजिब समझ लिया जावे, वह मकरूह है।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 191, तिलावत के सज्दे का बयान।

जब इंसानों के दिल में फ़र्ज, वाजिब और सुन्नतों की अहमियत न रहे, बल्कि मुबाह, मुस्तहब या मुस्तहसन को फ़र्ज, वाजिब और सुन्नतों पर भी तर्जीह दी जाने लगे तो उस वक़्त उस मुबाह, मुस्तहब, या मुस्तहसन पर अमल करना मकरूहे तहरीमी होगा।

इमाम अबू हनीफ़ा व साहिबैन र-ह-महुमुल्लाहु तआला ने कहा कि मकरूह है कि आदमी यों कहे कि मैं तुझ से दुआ करता हूँ बहक्के फ़लां या बहक्के अंबिया व रूसुल या बहक्के बैतुल-हराम व मानिंद इसके, इस वास्ते कि किसी का अल्लाह तआला पर कुछ हक़ नहीं है।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 41, अक़ाइद का बयान।

अब आप अपने आप तहक्कीक़ कर लेना। हमने तो तहक्कीक़ करने के बाद ही किताब लिखी है जो लोग मज़ारों पर ख़ानकाहों पर, आस्तानों पर छल्लों पर और ताज़ियों पर जाने वाले लोग हैं उनमें से बहुत ही कम आपको नमाज़ रोज़े के पाबन्द मिलेंगे।

किसी मज़ार पर जाकर या अपने घर ही में से उनके हक़ में बाद फ़ातिहा व मसनून दुआएं या ख़ानाकाबा या मस्जिद या दूसरी मुक़द्दस जगहें या कुरआन की तिलावत की बरकत से या फ़लां जिन्दा बुजुर्ग के नेक आमाल की बरकत से ए! बारी तआला! फ़लां काम पूरा कर दे तो यह जायज़ है क्योंकि सवाल में ख़िताब खुदा से हो और इन सबका ज़िक्र बरकत की वजह से किया गया हो।

वसीले का दर्जा सिर्फ़ इतना है कि इस तरह से दुआ मांगी जाए जो तरीका ऊपर बताया गया है तो इसमें कोई हरज नहीं है। यह इतना सा दर्जा वह रंग लाया कि दुनिया में कुफ़्र व शिर्क व बिदअत के जितने भी रास्ते खुले हैं वे करीब-करीब वसीले के बहाने से ही खुले हैं हालांकि दुआ के वक़्त किसी किस्म के वास्ते या वसीले की ज़रूरत नहीं है और न शरअ शरीफ़ में इसका कोई हुक्म ही है और न खुदा को इसकी ज़रूरत है क्योंकि वह हर वक़्त बग़ैर वसीले के सुनता और देखता है लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हरज भी नहीं है।

दुआ मक़बूल होने के लिए हमें जो वसीला मिला है, वह यह है-

हदीस - हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि-

दुआ उस वक़्त तक आसमान और ज़मीन के बीच लटकती रहती है और उसमें से कोई चीज़ ऊपर नहीं चढ़ती, जब तक कि तू दरूद न भेजे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 99, हदीस 434, वित्र का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस 872, दरूद का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 303, दरूद का बयान।

दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद शरीफ़ पढ़ लिया करें, तो इन्शाअल्लाह यकीनन दुआ क़ुबूल होगी। यह हमारा आजमाया हुआ है और हज़र के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नज़दीकी हासिल करने के लिए भी यही दरूद शरीफ़ है।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

क़ियामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक वह आदमी होगा जो मुझ पर सब से ज़्यादा दरूद भेजता है।

- हवाला** -1. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द, 1, पृ० 99 हदीस 432, वित्र का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 857, दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत।

मुर्दे ज़िन्दा हैं या नहीं?

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: नह्ल के दूसरे रकूअ में, आयत न० 20-21 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिन-जिन को ये लोग खुदा को छोड़ कर पुकारते हैं (पूजते हैं) वे किसी चीज़ के पैदा करने वाले नहीं है बल्कि खुद पैदा किये हुए हैं वे तो मर चुके हैं, ज़िन्दा भी नहीं हैं और यह भी ख़बर नहीं है कि (दोबारा) कब ज़िन्दा किये जाएंगे।

इस आयते करीमा में कई बातें हैं जो ग़ौर करने के काबिल हैं-

1. पहली बात तो यह है कि खुदा को छोड़कर जिन-जिन हस्तियों को पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं वे चाहे नबी हों या वली फ़रिश्ते हों या जिन्न या शैतान हों या खुदा की मख़्लूक में से कोई भी हो, वे किसी चीज़ के न तो पैदा करने वाले हैं न मालिक हैं।

2. दूसरी बात यह है कि वे खुद पैदा किये गये हैं उन्होंने कोई चीज़ नहीं बनायी। ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, खुशकी-तरी, हवा, पानी, आग यानी कुल कायनात को अल्लाह ही ने पैदा किया है बल्कि जिनको ये लोग पूज रहे हैं चाहे वे किसी मख़्लूक में से हों सबको पैदा करने वाला अल्लाह ही है। फिर अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को हाजतरवा समझ कर पुकारना या पूजना या उनके नाम की नियाज़ व नज़ करना जहालत नहीं तो और क्या है?

3. तीसरी बात यह है कि वे मर चुके हैं। अब मरने का जो सवाल है, वह जानदार मख़्लूक पर ही आता है, लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी की मूर्तियां वगैरह बना कर पूजते हैं उन पर मौत का कोई सवाल ही नहीं आता। मरने का जो सवाल है वह जानदार

मख्लूक के साथ ताल्लुक रखता है अब ये जिन-जिन को पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं चाहे मूर्ति की शकल बनाकर या मज़ार की शकल बना कर पूजें या पुकारें वे किसी न किसी ज़माने में अल्लाह के नेक, चुने हुए और सालेह बन्दे थे। जिस ज़माने में वे ज़िन्दा थे रंज व ग़म भुगत चुके और ऐश व आराम भी जितना किस्मत में था कर चुके वे अल्लाह की इताअत और फ़रमांबरदारी में बाग़-बाग़ थे और अल्लाह के ग़ज़ब व अज़ाब से हर वक़्त डरते थे और तुम लोग खुदा को छोड़कर उन बुजुर्गों के पीछे पड़ गये हो। यह तुम्हारी जहालत है शरीअत नहीं है।

किसी नबी, किसी वली ने यह नहीं कहा कि हमारा मज़ार या छल्ला या क़ब्र या ताज़िया या मूर्ति बनाकर उसकी आवभगत करना, उसके नाम के चढ़ावे चढ़ाना या नियाज़ व नज़्र करना और हर साल मेले लगाना यह सब हमने अपनी जहालत से बना रखा है। शरीअत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और

4. चौथी बात यह है कि वे ज़िन्दा भी नहीं है और

5. पांचवीं बात यह है कि वे दोबारा (यानी क़ियामत के दिन) कब ज़िन्दा किये जाएंगे, यह भी उनको ख़बर नहीं है।

अब चौथी बात जो है वह बहस के क़ाबिल है यानी वे हमारी तरह ज़िन्दा भी नहीं हैं कि आप उनके पास जाकर चीख व पुकार करें और अपनी हाजतें मांगें या अपनी फ़रियादें पेश करें।

अब आपके दिल में एक बात खटक रही होगी कि हमने सुना है अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फ़रमाया है-

‘जो अल्लाह की राह में मर जाएं उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वे ज़िन्दा हैं।’

अब इस आयते करीमा को भी सुन लें। इन्शाअल्लाहु तआला हम अमानतदारी से बयान करेंगे, ख़ियानत नहीं करेंगे, हमको मर कर अल्लाह को जवाब देना है।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूरः आले इम्रान के सत्तरहवें रकूअ में आयत न० 169 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वे ज़िन्दा हैं और अपने रब के पास रोज़ी पाते हैं।

अब रोज़ी किस किस्म की होगी और खाने के क्या असबाब और क्या तरीके होंगे, वह हमारी अक्ल से बाहर की बात है।

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूरः बक़रः के उन्नीसवें रकूअ में आयत न० 154 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वे ज़िन्दा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िन्दगी को समझ नहीं सकते।

मेरे मोहतरम ! जब अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि तुम उनकी ज़िन्दगी को समझ नहीं सकते, तो अब बहस ही ख़त्म हो गयी। हमारी ज़िन्दगी अलग है और उन साहिबों की ज़िन्दगी अलग है।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमया-

शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में हैं। उनके लिए अर्श इलाही के नीचे कंदीलें लटकायी गयी हैं। वे जन्नत में सैर करती हैं और फिर कंदीलों में चली आती हैं, परवरदिगार उनकी तरफ़ झांकता है और फ़रमाता है कि तुमको किसी चीज़ की ख़्वाहिश है।

वे कहते हैं कि हम किस चीज़ की ख़्वाहिश करें? हमारा जहां जी चाहता है, हम जन्नत में सैर करते हैं। तीन बार अल्लाह तआला पूछता है। जब रूहें यह देखती हैं कि हमसे बार-बार पूछा जाता है तो वे कहती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि हम फिर एक बार तेरी राह में जिहाद करें और मारे जाएं।

जब अल्लाह तआला देखता है कि इन रूहों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो उनको उसी हाल में छोड़ दिया जाता है।

हवाला - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 75, हदीस 327, बाब 144, बाबुल इमारत,
2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 11, सूः बक़रः के उन्नीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

मुसनद अहमद के हवाले से लिखा है, 'मोमिन की रूह एक परिंदा है, जो जन्नती पेड़ों पर रहती है और क़ियामत के दिन वह अपने जिस्म की तरफ़ लौट आएंगी।'

इस बांत से मालूम होता है कि हर मोमिन की रूह वहां ज़िन्दा है; लेकिन शहीदों की रूह को एक तरह की शराफ़त, करामत, इज़्जत और अज़मत हासिल है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने, कसीर, पारा 2, पृ० 11 सूः बक़रः के उन्नीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

इस दुनिया की ज़िन्दगी अलग और आख़िरत की ज़िन्दगी अलग है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा-ए-किराम और औलिया-ए-अिजाम और नेक मोमिन मर्द और औरतें ज़िन्दा हैं।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जब तुम में से कोई मरता है तो क़ब्र के अन्दर सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है यानी जन्नती को जन्नत और दोज़ख़ी को दोज़ख़ दिखायी जाती है और उससे कहा जाता है कि यह है तेरा ठिकाना, तू इस का इन्तिज़ार कर, उस वक़्त तक कि खुदा तुझ को क़ियामत के दिन उठा कर वहां भेजे।

हवाला -1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 308, हदीस 1278, बाब क़ब्र का अज़ाब ।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 231, हदीस 1103, बाब 501, बाब जन्नत,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 102, हदीस 118, बाब जन्नत,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 63, बाब जन्नत ।

कुरआन करीम के सोलहवें पारे में सूः ताहा के तीसरे रकूअ में, आयत न० 74 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो भी गुनाहगार बन कर खुदा के पास जाएगा उसके लिए दोज़ख है उसमें न मरेगा न जिएगा ।

मरेगा इसलिए नहीं कि उसमें मौत नहीं है और जिएगा इसलिए नहीं कि उसमें जीने का मज़ा और लज़ज़त नहीं । इसलिए अल्लाह तआला ने ऐसे जीने को न जीना फ़रमाया है ।

नमरूद, फिरऔन, हामान, शदाद, क़ारून और अबू जह्ल की रूहें भी जिन्दा हैं ये लोग पीटे जा रहे हैं और मोमिनों की रूहें राहत व आराम में हैं रूहें जिन्दा तो भोले भैया ! दोनों की हैं ।

हदीस - हज़रत अबूसईद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमा रहे हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

काफ़िर के ऊपर उस की क़ब्र में निन्नानवे अज़दहे मुक़र्रर किये जाते हैं जो उसको काटते और डसते हैं क़ियामत तक और वे अज़दहे ऐसे हैं कि अगर उनमें से एक ज़मीन पर फुंकार मार दे, तो ज़मीन सब्ज़ा पैदा करने से महरूम हो जाए ।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 104, हदीस 125, क़ब्र के अज़ाब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 67 क़ब्र के अज़ाब का बयान ।

अल्लाह तआला दुनिया की ज़िन्दगी और आख़िरत की ज़िन्दगी को किस अन्दाज़ से समझाता है इसपर ज़रा ग़ौर से ध्यान कीजिए-

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूः फ़ातिर के तीसरे रकूअ में आयत न० 19, 20, 21, 22 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अंधा और आंख वाला बराबर नहीं और अंधेरा और रोशनी, (ये भी बराबर नहीं) और छांव और धूप (ये भी बराबर नहीं) और ज़िन्दे और मुर्दे (यह भी बराबर नहीं)

सुब्हानल्लाह! अल्लाह तआला कितनी बेहतरीन दलील से समझा रहा है । एक अंधा हो और एक आंख वाला, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि इसमें बहुत फ़र्क है । इसी तरह रात की अंधेरी और रोशनी जहां सैंकड़ों कंदीलें या बत्तियां जलती हों ये दोनों बराबर नहीं हो सकतीं, बल्कि इसमें भी बहुत फ़र्क है । इसी तरह बेहतरीन घनी-घनी छावों और गर्मी के मौसम

की चिलचिलाती धूप ये दोनों बराबर हो सकती हैं ? नहीं हो सकतीं और इसमें भी बहुत फर्क है। इसी तरह जिन्दा और मुर्दा ये दोनों बराबर हो सकते हैं ? बिल्कुल नहीं हो सकते। मेरे भैया! इनमें बहुत बड़ा फर्क है।

इस बात को कुबूल कर लिया जाए कि मुर्दे जिन्दा हैं तो अब यह सवाल पैदा होगा कि मुर्दे सुनते भी हैं या नहीं, इस बात की भी सफाई हो जानी चाहिए क्योंकि कुछ मुसलमान मर्द भी और औरतें भी मजारों पर जा-जा कर उन मजार वालों से फरियाद करते रहते हैं कि हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए या अल्लाह तआला से करवा दीजिए या हमारे हक में दुआ-ए-खैर कर दीजिए वगैरह-वगैरह।

ये जाहिल लोग कब्रों के पास खड़े रह कर हाथ जोड़ कर इस तरह गिड़गिड़ाते रहते हैं कि गोया वह साहिबे कब्र उनको देख रहे हैं और उनकी आह व पुकार को सुन रहे हैं और उनकी परेशानियों को मिटाने पर कादिर हैं।

मुर्दे सुनते हैं या नहीं?

कुरआन करीम के बीसवें पारे में सूर: नम्ल के छठे रकूअ में आयत न० 80 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - तू मुर्दों को नहीं सुना सकता और उन बहरों को भी नहीं सुना सकता, जो पीठ फेर कर जा रहे हों।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: रूम के पांचवें रकूअ में आयत न० 52 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न उन बहरों को सुना सकते हो जो पीठ फेर कर जा रहे हों।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

मुर्दा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी (उसको दफन करके) वापस होने लगते हैं (तो वह मुर्दा) उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। (मुख्तसर)

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 297, हदीस 1239, जनाजे का बयान।

हदीस - हज़रत उर्व: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बद्र के कुएं पर खड़े होकर कहा-

क्या तुमने अपने रब का वायदा हक पाया?

फिर आपने फरमाया, ये काफिर इस वक्त जो कुछ मैं कहता हूँ, सुनते हैं।

किसी ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ़ यह कहा था अब काफ़िर जान लेंगे कि मेरा कहना सच था।

फिर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वही आयत पढ़ी, जो आगे गुज़र चुकी।

हवाला -1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 295, हदीस 1149, किताबुल मगाज़ी।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 152, हदीस 934, बाब 279, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

इस हदीस में हमारी बात की तसदीक़ हो गयी। हम आगे लिख चुके हैं कि काफ़िर की रूहें भी जिन्दा हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बद्र की लड़ाई वाले दिन में जिन-जिन को मुख़ातिब होकर फ़रमाया था, वे कोई वली या दीन के बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि काफ़िर थे।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के तीसरे रकूअ में आयत न० 22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - आप उन लोगों को नहीं सुना सकते, जो क़ब्रों में हैं। यहां पर सोचने और समझने की बात यह है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो फिर हमारी और आपकी बात ही क्या। यहां पर एक बात में ज़रा तआरुज़ और टकराव मालूम होता है वह यह कि हदीस में आया है कि मुर्दे ज़ूतियों की आवाज़ सुनते हैं और कुरआन यह कहता है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, अब इसका जवाब हमको आयते करीमा से ही मिल जाए तो फिर शक व शुब्हा ही ख़त्म हो जाए।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के तीसरे रकूअ में आयत न० 22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला जिनको चाहता है सुनवा देता है। लीजिए साहब! अल्लाह पाक जिसको चाहता है सुनवा देता है। अल्लाह तआला तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है जिसको चाहे सुनवा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को हुक्म कर दिया कि तू बाग़ की शकल में हो जा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली को हुक्म कर दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से और समुद्र से बाहर निकाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहरे कुलजुम (लाल सागर) को हुक्म कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तू फटजा और जाने के लिए रास्ता दे दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए पानी को हुक्म कर दिया कि नूह अलैहिस्सलाम और उनकी नाव को न डुबोये। अल्लाह तआला तो जिससे जो चाहे करवा सकता है।

हवा को, पानी को, आग को, पत्थर को, ज़मीन को, आसमान को, चांद-सूरज और सितारों को, वह तो मुख्तार कुल है जिनको चाहे सुना दे, लेकिन किसी इंसान की कोई ताकत नहीं है कि वह किसी मुर्दे को अपनी आवाज़ सुना दे।

कुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे में सूर: अह्काफ़ के पहले रकूअ में आयत न० 5 में अल्लाह तआला इश्रादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो खुदा को छोड़कर ऐसों को पुकार रहा है जो क़ियामत के दिन तक जवाब न दे सकें। (अरे जवाब देना तो दूर की बात) उनकी पुकार को सुनते ही नहीं (तो जवाब क्या देंगे?)

जवाब से मुराद हाजतमंदों की हाजतें और मुरादें हैं न कि सलाम का जवाब। ये जाहिल लोग, जो खुदा को छोड़ कर दूसरों से बेटा-बेटी और हाजतरवाई के नियाज़ व नज़्र वगैरह चढ़ाते रहते हैं उनका बयान हो रहा है कि वे तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं तो हाजतरवाई का कोई सवाल ही नहीं रहता।

कुरआन करीम की और हदीस की दोनों की इबारतों को सामने रख कर हमारे हनफ़ी मसलक का फ़त्वा सुनिये।

फ़त्वा

इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुललाहि अलैहि व असहाब व सब मशाइख़ के नज़दीक बिल-इत्तिफ़ाक़ किसी को कुदरत नहीं कि अपनी आवाज़ किसी मय्यत को सुना दे लेकिन जब अल्लाह तआला चाहे, तो मुर्दा सुनता है और अल्लाह तआला का चाहना, सलाम और दुआ वगैरह हमको शरअ से मालूम हुआ, पस अपने अटकल से हम किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते और आख़िरत की ज़िन्दगी का क़ियास दुनियावी ज़िन्दगी पर बिल्कुल ग़लत है और इस पर फुक्हा और उलेमा-ए-उम्मत मुत्तफ़िक़ हैं।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 732, मय्यत की सिफ़त का बयान।

फ़त्हुल क़दीर में ज़िक्र किया गया है कि मय्यत को समाअत नहीं (यानी मुर्दा सुनता नहीं) तो फ़हम भी नहीं (यानी समझता भी नहीं) और मौत के बाद मय्यत की क़ब्र की ज़ियारत होती है, न मय्यत की और यह जो सही बुख़ारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बद्र की लड़ाई के मक्तूलों की लाशों को कुएं में डलवा कर उनसे फ़रमया कि जो तुम्हारे रब ने वायदा किया था यानी कुफ़ार की हार का, उसको तुमने सच पाया?

हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अललाह के रसूल, (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप मुर्दों से बात करते हैं?

तो आपने फ़रमाया क़सम है उस पाक ज़ात की, जिस के काबू में मेरी जान है तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुनते।

इसका एक जवाब यह है कि इस हदीस के मुक़ाबले में बुख़ारी शरीफ़ की दूसरी हदीस शाहिद है कि हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस रिवायत को कुरआन मजीद की दो आयतों से रद्द किया है-

पहली आयत यह है-

‘व मा अन-त बि मुसमिज़िन मन फ़िल कुबूर० (यानी तू सुना नहीं सकता उनको जो कब्रों में हैं) और

दूसरी आयत यह है-

‘फ़ इन्न-क ला तुस्मिज़ुल मौता’ (यानी पस बेशक तू सुना नहीं सकता मुर्दों को) और

दूसरा जवाब यह है कि कलाम ज़र्बुल मसल था (यानी कहावत के तौर पर यह जुम्ला इस्तेमाल किया आपने) जिन्दों की नसीहत के वास्ते।

चुनांचे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि कब्रस्तान में जाकर फरमाया कि-

तुम्हारी औरतों के निकाह हो गये और तुम्हारे माल बंट गये और तुम्हारे मकानों में और लोग रहते हैं यह ख़बर है तुम्हारी हमारे पास, सो हमारी खबर तुम्हारे पास क्या है? और

तीसरा जवाब यह है कि यह मुर्दों से बोलना और उनका सुनना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत थी मोजिज़े की वजह से (यानी मुर्दों से बात करना और इस सौके पर मुर्दों का सुनना यह आप की खुसूसियत और आप का मोजिज़ा था) ताकि काफ़िरों की हसरत ज़्यादा हो और जो सही मुस्लिम में हदीस मर्फूज़ है कि मय्यत जूतियों की आवाज़ सुनती है जब लोग दफ़न कर के वापस होते हैं तो इसका जवाब यह है कि दफ़न के शुरू का यह सुनना और समझना (यानी दफ़न के बाद यह जूते की चाल सुनना) मुक़द्दमा (शुरुआत) है मुन्किर-नकीर के सवाल व जवाब का। इस खुसूसियत की यह वजह है ताकि हदीस और कुरआन की आयतों में इत्तिफ़ाक़ हो जाए और तज़ारुज (टकराव) बाकी न रहे। इस वास्ते कि दोनों आयतें मुर्दों के न सुनने की ख़बर देती हैं। इन्तिहा कलामुल फ़तह (यानी फ़तुल कदीर की इबारत ख़त्म हुई)

अन्नहरुल फ़ाइक़ में कहा है कि तीसरा जवाब बहुत अच्छा है यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कलाम करना और मुर्दों का सुनना मोजिज़े के तौर पर था तो इससे मुर्दों का आम तौर से सुनना साबित नहीं (यानि आम मुर्दों का सुनना साबित नहीं) चुनांचे मोजिज़े के तौर पर हज़रत से पेड़-पत्थर ने भी कलाम किया है हालांकि पेड़-पत्थर बोलते नहीं।

यानि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिज़ा था कि आप से पेड़ और पत्थर ने भी बात की, हालांकि पेड़ और पत्थर से कलाम बे महल है।

और सही मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत के जवाब को ताक़त दूसरी हदीस से मिल सकती है कि जब मुन्किर नकीर क़ब्र में मोमिन से माकूल जवाब सुन लेते हैं तो उससे कहते हैं-

‘नम क-नौमतिल उरूस’ (यानी अब आराम से सो जा, जैसे दुल्हन सोती है)

जाहिरी तौर पर यह हदीस इस बात की दलील है कि मोमिन पूरी दुनिया से गाफिल हो जाता है जैसे सोने वाला आदमी गाफिल हो जाता है और कलाम नहीं सुनता।

बहरहाल हम लोग अहले तकलीद हैं इज्तिहाद की ताकत नहीं रखते, फिर जिन फुक्हा-ए-किराम के मुकल्लिद हैं उनके यहां नुसूस से जब साबित हुआ कि मुर्दे को फह्म व सिमाअ नहीं (यानी वह समझ और सुन नहीं सकते) तो इसमें ज्यादा बातें करना और छान-बीन करना बे-मौका है।

हवाला - गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 2, पृ० 391, बाबुल यमीन फिज्जर्बि वल कत्लि।

हदीस - हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

जब मय्यत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास काले रंग के केरी आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुन्किर, दूसरे का नाम नकीर होता है वे दोनों उस मरने वाले से कहते हैं कि-

तुम इस आदमी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में क्या कहते हो?

यह आदमी वही बात कहता है जो (दुनिया में) कहा करता था कि यह अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल हैं।

वे दोनों कहते हैं कि हां हम जानते हैं कि तुम यों ही कहते थे। फिर उसके लिए (कब्र को) सत्तर हाथ लंबा और सत्तर हाथ चौड़ा कर दिया जाता है और उसमें नूर की रोशनी कर दी जाती है। फिर उससे कहा जाता है कि सो रहो, जिस तरह दुल्हन सोती है।

(मुख्तसर)

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 207, हदीस 975, कब्र के अजाब का बयान।

मुर्दे कुछ कर भी सकते हैं या नहीं?

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के दूसरे रूकूअ में आयत न० 14 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - अगर तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं और अगर (मान लो) सुन भी लें, तो तुम्हारा कहा न कर सकें और कियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ़ इन्कार कर देंगे। अल्लाह तआला से बढ़ कर और कौन सही खबर दे सकता है?

ऊपर के बयान में सुनने और न सुनने की बहस चल रही थी। अगर इस बात को कुछ

देर के लिए तसलीम और कुबूल भी कर लिया जाए कि मुर्दे सुनते हैं तो फिर दूसरी बहस छिड़ जाएगी कि अगर सुनते हैं तो कुछ कर भी सकते हैं या नहीं?

इसके जवाब में खुद खुदावंद करीम फ़रमा रहा है कि एक तो वे तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं हैं और अगर मान लिया जाए कि सुन भी लें, तो तुम्हारा कहा कर नहीं सकते बल्कि कियामत के दिन तुम्हारी इन हरकतों का वे इंकार कर देंगे और कहेंगे कि हमने कब कहा था कि हमारा पुख़्ता मज़ार बनाना हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्र पर बड़े-बड़े गुंबद और कुब्बे बनाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों को चूमना चाटना, हमने कब कहा था कि हमारे नाम का उर्स करना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर औरतों के जिन्न और भूत उतरवाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर ढोल-ताशे, नक्क़ारे बजवाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर सैंकड़ों फ़ानूस या बत्तियां जलाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों को धो-धो कर बरकत के तौर पर उसका पानी पीना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर फूल की चादरें चढ़ाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर मखमली और रेशमी चादरें चढ़ाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर चढ़ावे चढ़ाना, हमने कब कहा था कि हमारे नाम की नज़्र व नियाज करना, हमने कब कहा था कि हमसे मुरादे मांगना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर लोबान की धूनी या अगरबत्ती जलाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों की मुजावरी करना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर क़व्वाली या नाच कराना, हमने कब कहा था कि खुदा को छोड़ कर हमको हाजतरवा समझना ये सारी की सारी बातें हशर के मैदान में खुल कर सामने आने वाली हैं। जिन-जिन हस्तियों को ये जाहिल अपनी जहालत से हाजतरवा समझ कर पुकार रहे हैं वे सब कियामत के दिन पुकारने वालों के मुखालिफ़ बन कर सामने खड़े रहेंगे और अल्लाह तआला से इंसाफ़ की मांग करेंगे कि ऐ अल्लाह तआला! हम बे-कुसूर हैं। हमने इनमें से किसी को भी नहीं कहा कि हमारी क़ब्रों पर या छल्ले पर या ताज़िया पर आकर तुम लोग हमसे हाजते मांगना और शिर्क व कुफ़्र या बिदअतें करना और करवाना। हम बिल्कुल बे-कुसूर हैं। इन लोगों ने जहालत की वजह से यह सब कुछ किया है। हमें इसका इल्म तक नहीं कि कौन-कौन और कैसी-कैसी नाजायज़ हरकतें हमारी क़ब्रों पर करवायी गयी हैं। उस वक़्त जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आज ही तौबा कर लो, अल्लाह तआला से बढ कर सही और सच्ची ख़बर देने वाला और कौन हो सकता है?

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के दूसरे रूकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिन्हें तुम खुदा के सिवा पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं।

दे तो वह सकता है जो मालिक हो, यहां तो अल्लाह तआला खुद फ़रमा रहा है कि तुम जिनको हाजतरवा समझ कर पुकारते हो चाहे वे नबी हों या वली हों या फ़रिश्ते या जिन्न

या शैतान, चांद हो या सूरज, आग हो या पानी या हवा, बहरहाल दुनिया में से कोई भी हो और किसी मख्लूक में से हो, अल्लाह तआला फरमाता है कि खजूर की गुठली पर जो एक सफेद पतली सी झिल्ली होती है वे उस पतली झिल्ली के भी मालिक नहीं है, वे तुम को क्या दे सकते हैं?

कुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूरः हज के दसवें रकूअ में आयत न० 73 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ लोगों! अल्लाह तआला एक मिसाल बयान फरमाता है, उसको कान लगा कर सुन लो। खुदा के सिवा तुम जिन-जिन को पुकारते हो, वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे सारे के सारे जमा हो जाएं (अरे मक्खी तो नहीं बना सकते, बल्कि) मक्खी अगर उनसे कोई चीज़ लेकर भागे तो छुड़ा भी नहीं सकते। मदद मांगने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद मांगी जा रही है वे भी कमजोर।

अल्लाह तआला एक मिसाल देकर इनको समझा रहा है कि तुम जिन-जिन को हाजतरवा समझ कर पुकारते हो नारे लगा रहे हो सर को झुका कर अदब से खड़े रह कर दुआएं मांग रहे हो अगर वे सारे के सारे पूरी दुनिया के तमाम नबी, तमाम वली, तमाम इमाम, तमाम फकीर, तमाम दरवेश, तमाम फरिश्ते, तमाम जिन्न, तमाम शैतान सबके सब जमा होकर इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि एक मक्खी बनानी है तो ये लोग एक मक्खी तक भी नहीं बना सकते। अरे मक्खी बनाना तो बहुत ही बड़ी बात है। उन्हें जो हलवा, मलीदा, शर्बत, खिचड़ा या नज़्र व नियाज़ आप चढ़ा रहे हैं उनमें से अगर मक्खी कुछ लेकर भागे, तो वह मक्खी से छुड़ा भी नहीं सकते। वे तुम्हारी क्या मदद करेंगे? इन बातों में ये दोनों गये गुजरे हैं न तो मांगने वालों को मिल सकता है और न वे दे सकते हैं जिनसे मांगा जा रहा है।

इतनी साफ़ और रोशन दलील कुरआन करीम के अन्दर होने के बावजूद ये चर्च क्यों पूजे जा रहे हैं? ये रिगजे क्यों निभाये जा रहे हैं? ये मन्दिर क्यों बनाये जा रहे हैं? ये दरगाहे क्यों साजायी जा रही हैं? ये ताज़िए क्यों पूजे जा रहे हैं? ये छल्ले क्यों निभाये जा रहे हैं? इसका जवाब भी कुरआन करीम ही से सुन लें।

कुरआन शरीफ़ के तेईसवें पारे में सूरः यासीन के पांचवें रकूअ में आयत न० 74-75 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को माबूद बनाये हुए हैं इस नीयत से कि उनकी मदद की जाए, यकीनन ये उनकी मदद कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि ये मुशिरक लोग उलटे उनके लिए हाज़िरबाश लश्करी बने हुए हैं।

बातिल अकीदों की तर्दीद हो रही है। जिन-जिन को ये लोग पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं नज़्र व नियाज़ और चढ़ावे चढ़ा रहे हैं चाहे वे पैगम्बर हों या वली,, इमाम हों या शहीद

या फरिश्ते या जिन्न या शैतान हों, इन सब की यह समझ कर आवभगत कर रहे हैं कि वे उनकी नुसरत और मदद करेंगे, उनकी रोजियों में बरकत देंगे और उनके ज़रिए खुदा से तकरूब हासिल होगा।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि वे उनकी कुछ भी मदद नहीं करते वे तो खुद अपनी ही मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे, अगर ये मुजाविर और पुजारी न होते तो कोई आकर उनको तोड़-फोड़ कर चला जाता तो उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो बोल-चाल पर भी कादिर नहीं, किसी चीज़ के मालिक नहीं, किसी काम या किसी बात का उन्हें कुछ अख्तियार भी नहीं फिर भी ये जाहिल लोग उनके सामने सर झुकाये, हाथ जोड़े हुए इस अदब से खड़े होते हैं कि गोया ये माबूद अपने आबिद को देख रहे हैं हालांकि ये माबूद न किसी नफ़ा के मालिक हैं और न किसी नुक़सान के मालिक हैं। फिर भी ये आबिद लोग इन पर मरे जा रहे हैं यहां तक कि इन माबूदों के खिलाफ़ कोई बात और कोई आवाज़ सुनना भी गवारा नहीं कर सकते और गुस्से से बे-काबू होकर मारने या मरने पर तैयार हो जाते हैं। जब ये झूठे, बातिल और बेकार हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी खूबियां और सारे करिश्में इन मुजाविरों और पुजारी लोगों के हैं। यही लोग उन्हें पुजवा रहे हैं। अगर ये पुजारी और मुजाविर लोग न होते तो इन झूठे माबूदों की खुदाई एक दिन भी न चल सकती। यही लोग अपने माबूदों को खूब सजाते-बनवाते और मुख्तलिफ़ रंग व रोगन और पालिश करवाते हैं वगैरह-वगैरह। भोले और अनपढ़ लोगों के सामने उनकी तारीफ़ के पुल बांध देते हैं।

जैसे कहते हैं इन पीर साहब ने सितारों को नीचे उतार लिया था इन मस्त बाबा ने इस पहाड़ के टुकड़े कर डाले थे, इस देव ने यहां पर दरिया बहा दिया था, इस देवी ने पानी को दूध बना दिया था।

इस तरह झूठे बंडल मार-मार कर खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं और इन झूठे माबूदों की खुदाई को निभाए जा रहे हैं लेकिन हशर के मैदान में ये सब के सब माबूद अपने इबादत गुज़ारों के मुख्तलिफ़ हो जाएंगे, मुजाविरों और पूजा-पाठ करने वालों के दुश्मन बन जाएंगे और कहेंगे कि हमको तुम्हारी मुजावरी और पूजा-पाठ और इबादतों की ख़बर तक नहीं कि तुम लोगों ने हमारे पीछे क्या कुछ किया और क्या करवाया है।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनस के तीसरे रकूअ में आयत न० 28, 29, 30 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा 4 - और वह दिन भी जिक्र के काबिल है जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम उनमें आपस में फूट डालेंगे और उनके वे शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। सो हमारे तुम्हारे दर्मियान खुदा काफी गवाह है कि हमको तुम्हारी इबादत की भी ख़बर न थी। इस जगह पर हर आदमी अपने अगले किये हुए कामों का इम्तिहान कर लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ़

जो उनका हकीकी मालिक है, लौटाए जाएंगे और जो कुछ माबूद गढ़ रखे थे सब उनसे गायब हो जायेंगे।

अल्लाह तआला का कौल है कि जिन्न और इंसान, नेक व बद सब ही को हम कियामत के दिन ला हाज़िर करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा और मुशिरकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी-अपनी जगह ठहरे रहो और मोमिनों से अलग-थलग रहो।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 55, सूः यूनुस के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला फ़रमाएगा, ऐ मुशिरको! तुम और तुम्हारे शरीक, जिनकी तुम इबादत करने लगे थे सब अपनी-अपनी जगह अलग-अलग रहो। पहले के शरीकों ने इस बात से इंकार कर दिया होगा कि वे उनसे अपनी इबादत कराते थे। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिन बुजुर्गों की ये पैरवी करते थे और इसी वजह से उन्हें खुदा का शरीक समझ कर शरीक बना लिया था, अब यही शरीक उनसे बेज़ारी ज़ाहिर करेंगे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 55, सूः यूनुस के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

उससे बढ़कर और कौन गुमराह होगा जो ऐसे शरीकों को पुकारता है जो कियामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और उसकी दुआ को सुन ही नहीं सकते और जब लोग कियामत में उठाए जाएंगे तो वे खुद अपनी परिस्तिश करने वालों के दुश्मन होंगे और कहेंगे कि हमें तो उनकी परिस्तिश का कोई इल्म नहीं, तुम हमारी इबादत करते होंगे लेकिन हम जानते तक नहीं और इसका खुदा गवाह है हमने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं था की हमारी परिस्तिश करो। इस तरह मुशिरकों का मुंह बंद कर दिया गया है कि जो न सुनते हैं न देखते हैं न किसी काम आ सकते हैं उन्हें तुमने क्यों पूजा था?

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 55, सूः यूनुस के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

चुनांचे वह फैसला कर के जन्नतियों को जन्नत में और दोज़खियों को दोज़ख की तरफ़ भेजेगा। अब उन गुमराहों ने अपनी तरफ़ से जो झूठमूठ माबूद बना रखे थे सब हवा की तरह उड़ जाएंगे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 56, सूः यूनुस के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूः नह्ल के बारहवें रूकूअ में आयत 88 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिन्होंने कुफ़ किया और (कुफ़ करवा कर) राहे खुदा से रोका, हम उन्हें अज़ाबों पर अज़ाब बढ़ाते जाएंगे, उस फ़साद के बदले में जो ये दुनिया में करते थे।

अज़ाब के ऊपर अज़ाब होगा-एक अज़ाब तो कुफ़ करने का और दूसरा अज़ाब मख़्लूक़े खुदा से कुफ़ करवाने का उस वक़्त पता चलेगा कि त्राज़िए और क़ब्रें देवताओं और देवियों को पूजने और पुजवाने में क्या क्या और कैसी-कैसी सज़ाएं और अज़ाब भुगतना पड़ेगा।

पुजवाने वालों से पूछो तो?

कुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूर: जुर्खूफ़ के सातवें रकूअ में आयत न० 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और अगर तुम इनसे पूछो कि उनको किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये कहां उलटे जा रहे हैं?

इन पीर परस्तों से, या बुतपरस्तों से या ताजिया परस्तों से कोई पूछे कि तुम को किसने पैदा किया है तो जवाब में कहेंगे, अल्लाह तआला ने। अफ़सोस और सद अफ़सोस है उस इंसान पर जो हकीकी खुदा को जानते हुए भी दूसरों को हाजतरवा समझता है।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: मुअमिनून के पांचवें रकूअ में आयत न० 84, 85 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - इनसे पूछो अगर तुम जानते हो तो बताओ यह ज़मीन और उसकी सारी आबादी किसकी है? (तो) ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह तआला की। कहो फिर तुम क्यों नहीं समझते?

ज़मीन और ज़मीन के अन्दर या ऊपर जो कुछ है जितना है इनसे पूछो कि किसका है और किसने बनाया है? कौन इसका मालिक है? कौन इसका रखवाला है? ज़मीन के ऊपर दरिया किसने बनाये? ज़मीन के अन्दर समुन्दर किसने बनाये? ज़मीन में से चश्मों के ज़रिए पानी किसने अत्ता किये, वह चाहे तो ज़मीन से आग के शोले निकले वह चाहे तो ज़मीन से पेट्रोल निकले, वह चाहे तो ज़मीन से खज़ाने निकाल दे वह चाहे तो ज़मीन में ज़लज़ला लाकर लाखों-करोड़ों का नुक़सान कर दे और हज़ारों लाखों की जानें ले ले वह चाहे तो जहां मिट्टी है वहां रेत लाकर डाल दे जहां रेत है वहां मिट्टी डाल दे, वह चाहे तो खुश्क ज़मीन को पानी की जगह बना दे पानी की जगह को खुश्की बना दे वह कौन है?

इन मज़ारों, ताजियों और आस्तानों के पूजने और पुजवाने वालों से पूछो कि कौन है वह जो ज़मीन की सारी की सारी आबादी का मालिक है, तो उसकी जुबान से बे-सारज़ता यही लफ़ज़ निकलेगा कि अल्लाह। दूसरा लफ़ज़ निकल ही नहीं सकता, चाहे वह मुजाविर हो या पुजारी हो, पूजने वाला हो या पुजवाने वाला, सारे के सारे एक ही जुबान से कह उठेंगे कि अल्लाह तआला, तो फिर आप साहिबान क्यों नहीं सोचते और समझते? खुदा को छोड़कर खुदा की बनायी हुई चीज़ों को पूजना, उनको हाजतरवा समझना जहालत नहीं तो फिर और क्या है।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: मुअमिनून के पांचवें रकूअ में आयत न० 86, 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - इनसे पूछो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ सातो आसमान और अर्शे अज़ीम का मालिक कौन है? ये लोग जवाब में कहेंगे, अल्लाह इनसे कहो कि फिर तुम क्यों नहीं डरते?

इन गिरजाओं को निभाने वाले, इन मन्दिरों को पूजने वाले, इन दरगाहों को सजाने वाले, इन ताज़ियों को आबाद करने वालों से पूछो तो सही कि सातों आसमान का और अर्शे अज़ीम का मालिक हौन है? तो उनकी जुबान से बे-साख़्ता यही लफ़ज़ निकलेगा कि अल्लाह। फिर खुदा से क्यों नहीं डरते? खुदा को छोड़ कर दूसरों को क्यों पुजवाते हो? खुदावदे करीम को एक मानते हुए शिर्क करना या करवाना जहालत नहीं तो फिर और क्या है?

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: मुअमिनून के पांचवें रकूअ में आयत न० 88, 89, 90 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - इनसे पूछो कि तमाम चीज़ों का अख़्तियार किसके हाथ में है और वह कौन है जो पनाह देता है और उसके मुक़ाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, तो जवाब यही होगा कि अल्लाह। कह दे कि फिर किसने तुम पर जादू किया है? हक़ आ चुका अब जो कोई न माने, वह झूठा है।

इनसे पूछो कि वह कौन है जो सबको पनाह देता है और उसकी दी हुई पनाह को कोई तोड़ नहीं सकता उसके मुक़ाबले में कोई पनाह दे भी नहीं सकता यानी ऐसा बड़ा बादशाहे हकीकी, तमाम मुल्क का मालिक, कादिरे मुत्लक, हाकिमे कुल है उसका इरादा कोई बदल नहीं सकता, उसका हुक़म कोई टाल नहीं सकता, उससे कोई पूछ-ताछ कर नहीं सकता, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वह सब की पूछ-ताछ करे, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि उससे कोई सवाल कर सके, उसकी अज़मत उसकी किब्रियाई, उस का ग़ल्बा, उसका दबाव, उसकी कुदरत, उसकी हिक्मत उसका अद्ल व इंसाफ़ बे-मिस्ल है। मख़्लूक़ सबकी सब उसके सामने आजिज़, पस्त और लाचार है वह सब सारी मख़्लूक़ से पूछ-ताछ करने वाला है वह है कौन? ज़रा इनसे पूछो तो जवाब यही होगा कि अल्लाह!

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: अन्कबूत के छठे रकूअ में आयत न० 61 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - इनसे पूछो तो कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला कौन है और सूरज व चांद को काम में लगाने वाला कौन है? तो उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह तो फिर किधर उलटे जा रहे हो?

दुनिया-ए-आलम में आप किसी भी इंसान से पूछें कि कुल कायनात का ख़ालिक व मालिक और राज़िक कौन है तो जवाब मिलेगा, अल्लाह!

इस बात को मानते हैं कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह, हर चीज़ का ख़ालिक अल्लाह

और कुल कायनात का राज़िक अल्लाह है फिर उसको छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हैं? और उसके सिवा दूसरों पर तवक्कुल क्यों करते हैं? जबकि मुल्क का मालिक तंहा वही है तो इबादत के लायक भी वही तंहा है।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: आले इम्रान के तीसरे रूकूअ में आयत न० 26, 27, में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - कहो, ऐ खुदा! मुल्क के मालिक! तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे और जिस से चाहे छीन ले जिसे चाहे इज्जत दे जिसको चाहे ज़लील कर दे। हर भलाई तेरे अख़्तियार में है तू हर चीज़ पर कादिर है तू ही रात को दिन में दाख़िल करता है और दिन को रात में ले जाता है तू ही बे-जान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान को पैदा करता है तू ही जिसको चाहता है अनगिनत रोज़ी देता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आप अपने रब की ताज़ीम के तौर पर उसका शुक्रिया बजा खाने के लिए और उसे अपने तमाम काम सौंप देने के लिए और उस पाक ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए इन लफ़्ज़ों में उसकी बड़ाइयां बयान कीजिए।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 56, सूर: आले इम्रान के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में। ज़मीन व आसमान पर चांद और सूरज पर पूरा-पूरा कब्ज़ा तेरा है और तमामतर तसरूफ़ तेरा ही है। जाड़े को गर्मी से और गर्मी को जाड़े से बदलना तेरा ही काम है, बहार और ख़ज़ां पर भी तू ही कादिर है ज़िन्दा से मुर्दे को और मुर्दे से ज़िन्दा को निकालने वाला तू ही है खज़ूर को गुठली से और गुठली को खज़ूर से तू ही पैदा करता है मोमिन को काफ़िर के यहां और काफ़िर को मोमिन के यहां तू ही पैदा करता है। मुर्गी से अंडे और अंडे से मुर्गी तू ही पैदा करता है तू जिसको चाहे बे-हिसाब माल व दौलत दे दे जिसको चाहे फ़कीर बना दे, तेरा हर काम हिक्मत से भरा हुआ होता है।

इन पूजने वालों और पुजवाने वालों से पूछो तो यह सब काम किसकी मर्ज़ी से होते हैं तो जवाब मिलेगा कि अल्लाह के हुकम से होते हैं तो फिर जिन जिन को आप पूज रहे हैं या पुजवा रहे हैं उन्होंने क्या किया ज़रा हम को भी तो समझा दो।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के चौथे रूकूअ में आयत न० 31 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - इनसे पूछो तो वह कौन है जो तुम को आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है वह कौन है जो तुम्हारे कानों और आंखों पर पूरा अख़्तियार रखता है वह कौन है जो जानदार को बेजान से निकालता है और बे जान को जानदार से निकालता है वह कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है तो जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह! तो इनसे कहो कि फिर तुम

खुदा से क्यों नहीं डरते?

अल्लाह तआला खुद सवाल कर रहा है कि इन पेट के पुजारियों से पूछो खुदा की मख्लूक को पूजने और पुजवाने वालों से पूछो, नज़्र व नियाज़, हलवा, मलीदा, शरबत और खिचड़ा खाने और खिलाने वालों से पूछो कि आसमान से पानी कौन बरसाता है? तो जवाब में कहेंगे कि अल्लाह! अल्लाह तआला अगर बारिश का बरसाना बन्द कर दे तो दूसरा कोई है जो इस बारिश को बरसा दे। कोई जलाल शाह या कमाल शाह या जाहिर शाह या बातिन शाह या रोशन शाह या अंधेरे शाह, गैबन शाह या दावल शाह या यतीम शाह, या अमीर शाह, मटके शाह, या पत्ते शाह, छोटा पीर या बड़ा पीर या फ़रिश्ता या जिन्न या शैतान या खुदा की मख्लूक में से कोई है जो बारिश को बरसा दे? जब बारिश बन्द हो जाती है तो मुसलमान जगह-जगह अज़ानें देना और शहर या कस्बा या देहात को छोड़कर जंगलों में नमाज़ें पढ़ कर खुदा से गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगते हैं और गैर-मुस्लिम लोग रामधुन करने लगते हैं उस वक़्त मुसलमान या गैर-मुस्लिम, जिन-जिन को पुकारते और पूजते हैं उन सब को भूल जाते हैं और एक अकेला खुदा ही याद आने लगता है उस वक़्त पीर पैग़म्बर सब को भूल जाते हैं और जब बारिश बेहतरीन तरीक़े से हो जाए तो नज़्र व नियाज़ हलवा-मलीदा खुदा को छोड़कर दूसरों को चढ़ाते हैं इससे बढ़कर जहालत किस चीज़ का नाम है?

पूछो कि ज़मीन से रोज़ी कौन देता है? और पेड़ फल-फूल मेवे वगैरह ज़मीन से कौन उगाता है? तो जवाब में कहेंगे कि अल्लाह! तो फिर जिनकी आप आह भर रहे हैं जिनकी आप दुहाइयां दे रहे हैं जिनकी पूजा-पाठ कर रहे हैं जिनके आस्तानों की हिफ़ाज़त के लिए जान और माल की बाज़ी लगा रहे हैं उन्होंने क्या बनाया है? तो गुस्से में आकर और जुनून में झुंझला कर कहेंगे कि यह वह्हावी मालूम होता है यह बे-ईमान मालूम होता है। इस का अकीदा ख़राब हो गया है यह औलियां अल्लाह का मुन्किर मालूम होता है अब आप ही सोचें कि जहालत की कोई हद है!

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इन अक़ल के अंधों से पूछो कि तुम्हारे कानों पर कौन कंट्रोल किये हुए है? अगर समाअत (सुनने की ताक़त) छीन ली जाए तो दूसरा कोई दे सकता है?

और तुम्हारी आंखों की रोशनी किस के अख़्तियार में है? अगर वह अंधा कर दे तो दूसरा कोई रोशनी दे सकता है?

और वह कौन है जो मुर्दे को ज़िन्दा से और ज़िन्दा को मुर्दे से पैदा करता है?

और तमाम जहान का इन्तिज़ाम किसके हाथ में है?

सूरज का निकलना और डूबना चांद का छिपना और चमकना, जिन में एक सिकेंड का भी फ़र्क़ नहीं होता जो हज़ारों साल से बराबर ही तर्तीब से चले आ रहे हैं और न जाने कब तक इसी तरह चलते रहेंगे, ये सारे कारोबार और ये सारे इन्तिज़ाम किसके बस में है?

वक़्त पर बारिश का होना, वक़्त पर गर्मी का आना, वक़्त पर सर्दी का पड़ना, इन सारी

चीजों का मुख्तारे कुल कौन है? तो जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह! ये सारे निजाम अल्लाह ही के हाथ में हैं तो फिर देहातों में, कस्बों में, शहरों में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में कोई मंदिर की शकल बनवा कर, कोई गिरजों की शकल बनवा कर, कोई दरगाहों की शकल बनवा कर कोई ताजिए की शकल बनवा कर पूज रहे हैं और भोले अनपढ़ इंसानों को गुमराह कर रहे हैं और खुद भी गुमराह हो रहे हैं।

इनसे पूछो तो सही, जिनको आप लोग पुजवा रहे हैं उनके हाथ में कौन सा अख्तियार है? ज़रा हमें भी तो समझाओ और अगर नहीं समझा सकते हो तो कम से कम तौबा कर लो, क्यों खामखाह जहालत में फंस कर अपनी आखिरत बर्बाद करते हो? और दूसरों के ईमान का मलियामेट करते हो?

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में, सूर: अन्कबूत के छठे रूकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - इनसे पूछो तो किसने आसमान से पानी बरसाया? और किसने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया?

वे जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह!

कहो, अल-हम्दु लिल्लाह! मगर अक्सर लोग समझते ही नहीं।

अल्लाह तआला सवाल कर रहा है कि इनसे पूछो कि आसमान से पानी कौन बरसाता है और उस पानी के ज़रिए से मुर्दा और खुश्क ज़मीन को ज़िन्दा कौन करता है? तो जवाब में कहेंगे कि अल्लाह!

इस जवाब पर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कहो, अलहम्दु लिल्लाह! यानी अल्लाह का शुक्र है कि इस बात का यकीन करते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता।

फिर आयत के आखिर में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अक्सर लोगों में अक्ल ही नहीं।

इसका मतलब यह नहीं है कि अक्ल ही नहीं, बल्कि मतलब यह है कि अक्ल तो है मगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, वरना हर बात और हर काम पर अल्लाह के एक होने की तस्दीक करें और फिर भी शिर्क करें, यह हो नहीं सकता। अल्लाह को कादिरे मुत्लक मानते हुए भी शिर्क कर रहे हैं इसकी यही वजह है कि अक्ल से काम नहीं लेते बल्कि जहालत से काम लेते हैं।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बकर: के बीसवें रूकूअ में, आयत न० 165 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के शरीक औरों को ठहरा कर उनसे ऐसी मुहब्बत करते हैं जैसी खुदा से, ईमानदार, अल्लाह की मुहब्बत में बहुत सख्त होते हैं।

इस आयत में मुशिरकों का दुनियावी और उख़वी हाल बयान हो रहा है, ये खुदा का शरीक मुकर्रर करते हैं उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उसकी मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसी खुदा की होनी चाहिए हालांकि वह माबूदे बरहक सिर्फ एक ही है वह शरीक और साज़ी से पाक है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 18 सूः बक़रः के बीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

शिरक

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूः निसा के सातवें रूकूअ में, आयत न० 48 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - यकीनन अल्लाह तआला शिरक करने वालों को नहीं बख़ोगा, इसके अलावा जिसको चाहेगा, बख़्शा देगा। अल्लाह तआला के साथ शिरक करना बहुत ही बड़ा गुनाह है।

शिरक करने वालों से दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई छूट जाती है और वे राहे हक़ से दूर जा पड़ता है वह अपने नफ़्स को और अपने दोनों जहान को बर्बाद कर लेता है।

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूः निसा के अठारहवें रूकूअ में आयत न० 116 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - यकीनन अल्लाह तआला शिरक करने वालों को नहीं बख़ोगा। इसके अलावा जिसको चाहेगा, बख़्शा देगा। अल्लाह तआला के साथ शिरक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा।

शिरक इतना बड़ा गुनाह है कि बख़्शने के काबिल है ही नहीं और वह गुमराही में इतना दूर चला गया है कि उसका वापस आना ही मुश्किल है।

कुरआन पाक के सातवें पारे में सूः अनआम के नवें रूकूअ में आयत न० 88 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग ईमान लाकर अपने ईमान को शिरक से ख़लत मलत नहीं करते, उन्हीं लोगों के लिए अमन है और हक़ीक़त में राह पाये हुए वही लोग हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो लोग सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और खुलूस के साथ दीनदारी करें, रब के साथ किसी को शरीक न करें, ईमान वाले, सीधे रास्ते वाले यही लोग हैं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

क़ियामत के दिन दोज़ख़ियों में सबसे कम अज़ाब वाले से अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि अगर ज़मीन की कुल चीज़ें तेरी हों तो उन सबको देकर तू छुटकारा लेगा?

बह कहेगा हां लूंगा?

अल्लाह तआला फ़रमायेगा मैंने तुझ से बहुत ही हल्की चीज़ चाही थी कि तू शिर्क न करना मगर तूने इंकार किया और शिर्क ही किया।

हवाला -1. सही बुख़ारी, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 336, हदीस 1471, किताबुर्रिकाक़,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 827, हदीस 5396, दोज़ख़ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 434, दोज़ख़ और दोज़खियों का हाल।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शिर्क और जादू से बचो, जो हलाक करने वाले हैं।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 24, पृ० 184, हदीस 710, किताबुत्तिब।

हदीस - हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया कि-

ऐ मुआज़! तुम जानते हो कि खुदा का बन्दों पर क्या हक़ है?

उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही ख़ूब जानते हैं?

आपने फ़रमाया, हक़ यह है कि बन्दे उसकी इबादत करें और उस के साथ किसी को शरीक न करें। और फ़रमाया-

तुम जानते हो कि बन्दों का खुदा पर क्या हक़ है ?

उन्होंने कहा कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही ख़ूब जानते हैं? फ़रमाया कि उन को अज़ाब न करे।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 535, हदीस न० 2226, तौहीद का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 102, हदीस 503, अब-वाबुल ईमान,
3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 651, हदीस 4292, क़ियामत के दिन खुदा की रहमत का बयान।

हदीस - हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आये और उन्होंने मुझको बशारत दी कि जो इस हाल में मर गया कि खुदा के साथ उसने शरीक न किया हो, तो उसके वास्ते जन्नत है।

मैंने कहा, अगरचे उसने चोरी की हो और ज़िना किया हो?

उन्होंने कहा, हां! अगरचे चोरी की हो और ज़िना किया हो।

हवाला -1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 570, हदीस, 2333, तौहीद का बयान,

2. सही मुसिरीफ़, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 75, बाब 37, किताबुल ईमान,
3. तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 103, हदीस 504, किताबुल ईमान ।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त! हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमानों पर जहालत कुछ ऐसी छापी हुई कि बिदअतों पर अमल करें तो दीन की पाबन्दी समझते हैं और कुफ़र करें तो सवाब समझते हैं और शिर्क करें तो निजात का ज़रिया समझते हैं कोई हद है जहालत की?

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जो आदमी इस हाल में मर जाए कि वह अल्लाह के साथ शिर्क करता हो तो वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा ।

मैंने अर्ज किया कि जो आदमी इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो तो? आपने फ़रमाया, वह जन्नत में दाख़िल होगा ।

हवाला -1. सही बुखारी शरीफ़ जिल्द 1, पारा 5, पृ० 276, हदीस 1148, जनाइज़ का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 74, बाब, 37, किताबुल ईमान ।

हदीस - हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

मेरे परवरदिगार के पास से एक आने वाला आया और मुझे अख़्तियार दिया कि दो सूरतों में से कोई एक सूरत कुबूल कर लीजिए-

एक तो यह कि आप की आधी उम्मत जन्नत में दाख़िल हो,

दूसरी शफ़ाअत, मैंने शफ़ाअत को अख़्तियार कर लिया, (मगर याद रहे) मेरी शफ़ाअत का हक़दार वह है जो ऐसी हालत में मरा हो कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो ।

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 62, हदीस 304, कियामत का बयान ।

कुरआन शरीफ़ के तेईसवें पारे में सूर: जुमर के दूसरे रकूअ में आयत न० 17-18 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिन लोगों ने खुदा के सिवा दूसरों की इबादत से परहेज किया और पूरी तरह दिल लगाकर अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह रहे, वे खुशख़बरी के हक़दार हैं । पस मेरे बन्दों को खुशख़बरी सुना दे, जो बात को कान लगा कर सुनते हैं फिर जो बेहतरीन बात हो उस

पर अमल करते हैं। यही हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने हिदायत की है और यही अक्लमंद भी हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो लोग अल्लाह के सिवा सबसे बेजारी और खुदा की फ़रमांबरदारी करें, उनके लिए दोनों जहान में खुशीयां हैं बात समझ कर, सुनकर जब वह अच्छी हो उस पर अमल करने वाले मुबारकबाद के हकदार हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने, कसीर, पारा 23, पृ० 81, सूः जुमर के दूसरे रूक़ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि-

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा, उम्मीदें रखता रहेगा, मैं तुझे बरखाता रहूंगा, चाहे जिस क़दर तुझमें गुनाह हों मैं परवाह नहीं करता। ऐ आदम के बेटे! अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तू मुझसे बरिखाश चाहे, तो भी मैं बरखा दूंगा। मैं परवाह नहीं करता। ऐ आदम के बेटे! अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह लाएगा और मुझसे इस हाल में मिलेगा कि तूने (दुनिया में) किसी को मेरा शरीक न किया होगा तो मैं तुझे उसके बराबर मग़िफ़रत (बरिखाश) दूंगा।

- हवाला** - 1. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 332, हदीस 1388, दुआ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 384, हदीस 2211, तौबा का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 288, तौबा का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं कोई एक अंगूठी, कोई दो, कोई तीन, कोई इससे भी ज्यादा अंगूठियां पहनते हैं और उन अंगूठियों में पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े लगे होते हैं जिनको अक्सर लोग तो बे समझे बूझे शौकिया पहनते हैं और कुछ लोग इस नीयत से पहनते हैं और गले में लटकाते हैं कि यह कारामद है यानी उसको अंगूठी में डलवा कर उंगली में पहनने से या चांदी में मढ़वा कर गले में लटकाने से नफ़ा होता है और नुक़सान से इंसान बच जाता है।

इन पत्थरों के नाम भी लेते हैं कि यह पत्थर सुलेमानी है या यह पत्थर याकूत है या यह पत्थर नीलम है या ज़मरूद है या यह लाल है या कुहरबा है या यह अकीक है या यह सनीज़ है वगैरह। नफ़ा होने और नुक़सान से बचने की नीयत से इन पत्थर के टुकड़ों में तासीर समझ कर कितने मुफ़्ती, मौलवी, फ़कीर, सूफ़ी, मस्त, मलंग, पीरज़ादे, दरवेश, सज्जादानशीन और मुजाकिर वगैरह के हाथों की अंगूठियों में ये पत्थर होते हैं और कुछ लोग अपने गलों में यह पत्थर पहने हुए होते हैं।

मुस्तक़िल तासीर का एतकाद करके जो लोग पहनते हों तो यह हराम है बल्कि एक तरह का शिर्क है और अगर यह एतकाद नहीं है तो इसकी इजाज़त है मगर एक ही अंगूठी हो और चांदी की हो और उसमें एक ही नगीना हो।

इसी तरह कुछ लोग लोहे की या तांबे की अंगूठी भी पहनते हैं और उससे नफ़ा या तन्दुरुस्ती की उम्मीद रखते हैं तो यह नाजायज़ है और इस अक़ीदे से पहनना कुफ़्र है। अगर कोई बीमारी है तो इलाज करवाओ इलाज कराना जायज़ है।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

हर मरज़ की दवा है, जब दवा मरज़ के मुवाफ़िक़ हो जाती है तो मरीज़ खुदा के हुक्म से अच्छा हो जाता है।

हवाला - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 116, हदीस 559, बाब 276, किताबुस्सलाम,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 666, हदीस 4290, बाब तिब्ब और मंत्रों का बयान।

इसी तरह औरतें अपने-अपने बच्चों के गले में या पांवों में पत्थर या लोहे या तांबे के कड़े या और कुछ पहना देती हैं कुरआनी तावीज़ और मशरूअ दुआओं के अलावा लड़के के गले या पैर में नफ़ा या तन्दुरुस्ती की नीयत से बांधना शिर्क है।

हदीस - हज़रत ईसा बिन हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन हकीम के पास गया उनका जिस्म (बीमारी से) सुख़ था। मैंने कहा कि तुम तावीज़ क्यों नहीं बांधते?

उन्होंने कहा हम खुदा के ज़रिए उससे पनाह चाहते हैं (इसलिए कि) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है जो आदमी कोई चीज़ लटकाये या बांधे वह उसी के हवाले कर दिया जाता है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 669, हदीस 4331, तिब्ब और मंत्रों के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 14, किताबुत्तिब्ब के बयान में।

कुछ आलिम साहिबान कुरआनी तावीज़ या दुआएं वगैरह लिख कर गले में या हाथ के बाजू वगैरह में बरकत के लिए बांधना जायज़ बताते हैं, लेकिन इस तावीज़ या दुआ वगैरह को तांबे या पीतल वगैरह की डिबिया में डालकर बांधते हैं यह सबके नज़दीक नाजायज़ और मना है चाहे मर्द हो या औरत क्योंकि तांबा पीतल और लोहा अपने आप में पहनना मना है तो तावीज़ उसमें डालने से जायज़ नहीं हो सकता और चांदी या सोने की डिबिया में डाल कर औरत पहन सकती है मर्द नहीं पहन सकता, इसलिए कि चांदी या सोने का पहनना औरत के लिए जायज़ है और मर्द के लिए सिवाए चांदी की अंगूठी के जायज़ नहीं और सोना तो मर्द के लिए बिल्कुल ही हराम है चाहे अंगूठी हो या और कोई ज़ेवर हो। अगर तावीज़ वगैरह पहनना ही है तो उसको मोमजामा करके पहन सकता है।

कुछ पैरों के अंगूठों में या उंगलियों में तांबे या पीतल का तार बांधते हैं कि उसके बांधने से तन्दुरुस्ती रहती है और बीमारी से निजात मिलती है। यह भी एक किस्म का शिर्क और हराम है। कुछ पढ़े-लिखे भी पहनते हैं बल्कि कुछ आलिमों को भी हमने इस किस्म के तांबे

के तार हाथ की उंगलियों में या पैर की उंगलियों में पहने हुए देखा हैं और कहीं-कहीं नवजवान लड़कों को हाथ में लोहे के कड़े, कंगन की तरह पहने हुए देखे हैं। ये साहिबान शौकिया पहनते हैं सिख साहिबान के धर्म में कड़े का पहनना लाजमी हैं उनकी देखा देखी मुसलमान लड़के भी पहनते हैं यह हराम है।

कुछ मर्द या औरतें हाथ या पैर में लोहे या पीतल या तांबे का कड़ा पहनते हैं और कहते हैं कि यह तो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह से मेरा भाई लाया था या मेरा बाप लाया था या मीरां दातार से मेरी फूफी या मेरी बहन लायी थी और उसको बा बरकत समझ कर पहनते हैं यह भी जहालत है।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक चांदी की अंगूठी बनवायी, उसका नगीना हथेली की जानिब में रहता था उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह खुदा हुआ था।

हवाला - शमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 82, हदीस 6।

आप लोगों ने कुछ आदमियों के हाथ में अंगूठी देखी होंगी। हमने भी कुछ लोगों के हाथ में देखी हैं और जब पढ़े लिखे आदमियों के हाथ में अंगूठी देखते हैं और शरीअत के खिलाफ़ पहने हुए देखते हैं तो उस वक़्त हमें बहुत रंज होता है ये लोग सुन्नत समझ कर पहनते हैं और अमल मक्रूहात पर करते हैं और उनके अमल को देखकर दूसरे लोग भी इसी पर अमल करते हैं।

मिसाल के तौर पर किसी आलिम ने अंगूठी पहनी है और उसको मसअला मालूम नहीं, ऐसे ही बगैर तहकीक़ के पहन ली है तो अब इस आलिम साहब के जितने भी शागिर्द होंगे या चाहने वाले होंगे, वे इस आलिम साहब से अंगूठी के बारे में मसअला पूछेंगे नहीं बल्कि देखा-देखी ये लोग भी अंगूठी पहन लेंगे।

इसी तरह पीर साहब ने या सज्जादा नशीन ने या गुजाविर ने अंगूठी पहनी हो, तो इन लोगों की देखा देखी दूसरे लोग भी अंगूठी पहन लेते हैं।

जब अंगूठी पहने, तो चाहिए कि उसका नगीना अपनी हथेली की तरफ़ रखे, ऊपर की तरफ़ न रखे और औरत ऊपर की तरफ़ रखेंगी, इसलिए कि औरतें ज़ीनत के वास्ते पहनती हैं और मर्द मुहर लगाने के वास्ते पहनता है।

हवाला -1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 295, कराहत का बयान,

2. ऐनुल हिदाया जिल्द 4, पृ० 233, कराहत का बयान।

आप लोग जिसके हाथ में अंगूठी देखेंगे, चाहे वह मौलवी हो या फ़कीर, सूफ़ी हो या दरवेश, मुर्शिद हो या सज्जादानशीन या मुजाविर हो, उसकी अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ नहीं होगा, बल्कि हथेली के पीछे नगीना होगा। आप जिसको भी इस तरह अंगूठी पहने हुए देखें तो समझ लें कि उसे मसअला याद ही नहीं है, बल्कि देखा देखी उसने अंगूठी पहन ली है।

बादशाह और काज़ी और वक्फ़ माल के मुतवल्ली के अलावा दूसरों को अंगूठी का छोड़ना अफ़ज़ल है।

हवाला - गयातुल अवतार उर्दू तरजुमा दुर्रे मुख्तार जिल्द 4, पृ० 207, बाबुल ख़तर।

अंगूठी के मसअले को आम तौर से लोग जानते नहीं हैं, रिवाजी तौर पर पहनते हैं और अगर किसी ने इत्तिफ़ाक़ से पूछ लिया कि अंगूठी का पहनना कैसा है तो ये अंगूठी पहनने वाले जवाब में कहते हैं कि सुन्नत हैं हालांकि अंगूठी का पहनना सुन्नत नहीं है अगर अंगूठी का पहनना सुन्नत होता तो तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के हाथों में अंगूठी होती।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सोने की एक अंगूठी बनवाई थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसको पहनते तो उसका नगीना अन्दर कर लेते और लोगों ने आप की अंगूठी देखकर अंगूठियां बनवा लीं।

एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर बैठ कर अपनी उंगली से अंगूठी निकाल ली और फ़रमाया-

मैं इस अंगूठी को पहना करता था और इसका नगीना हथेली की तरफ़ रखता था।

यह फ़रमा कर आपने अंगूठी को फेंक दिया और फिर फ़रमाया- खुदा की क़सम! अब मैं इसको कभी न पहनूंगा।

यह देखकर लोगों ने अपनी-अपनी अंगूठियों को फेंक दिया।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 474, बाब 227, किताबुल्लिबास।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आपने उसको उतार कर फेंक दिया और फ़रमाया-

क्या तुममें से कोई आदमी आग का अंगारा उठाकर अपनी हथेली पर रख सकेगा।

जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चले गये तो उस आदमी से कहा गया-

अपनी अंगूठी उठा ले और इससे नफ़ा हासिल कर।

उसने कहा जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फेंक दिया, मैं उसको कभी न उठाऊंगा।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 473, बाब 227, किताबुल्लिबास।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अजमी शाहों को रिसालत का पैग़ाम पहुंचाने के लिए ख़त लिखना चाहा तो आपसे अर्ज़ किया गया कि वे लोग ख़त नहीं लेते हैं मगर सर बमुहर तो आपने चांदी की अंगूठी बनवायी (जिसका नगीना हब्शी तरीके का था) इसमें 'मुहम्मदुरसूलुल्लाह' नक़श फ़रमाया। पस यह अंगूठी आपके हाथ में रही, यहां तक कि वफ़ात फ़रमायी।

फिर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रही, यहां तक कि वफ़ात फ़रमायी।

फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रही, यहां तक कि वफ़ात फ़रमायी।

फिर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रही, यहां तक कि ख़िलाफ़त के आख़िरी दिनों में आपके हाथ से बीरे अरीस में गिरी, पस आपने तमामा उसको तलाश करने का हुक्म दिया, मगर हाथ नहीं आई।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 230, किताबुल कराहत।

बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अंगूठी उस वक़्त बनवायी थी जब मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ी। अगर मुहर लगाने की ज़रूरत न होती तो आप अंगूठी बनवाते ही नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में अंगूठी नहीं थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गये और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़िलाफ़त मिली तो जो अंगूठी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहर लगाने के लिए पहनते थे वह अंगूठी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहन ली। जब आप वफ़ात पा गये तो वह अंगूठी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहन ली। जब आप भी शहीद हो गये तो वह अंगूठी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहन ली और आप ही के हाथ से वह अंगूठी बीरे अरीस में गिर गयी। बहुतेरा तलाश किया, लेकिन वह अंगूठी नहीं मिली। बहरहाल अंगूठी पहनना सुन्नत नहीं है लेकिन अगर अंगूठी पहन ली तो मना नहीं है और पहन लेने के बाद अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ रख लेना सुन्नत है।

इस मसअले से कुछ पढ़े लिखे लोग भी ग़ाफ़िल हैं इसी वजह से फ़ुकहा-ए-किराम ने तीन किस्म के आदमियों को अंगूठी पहनने के लिए इजाज़त दी है इसलिए कि इन तीनों को मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इनके अलावा दूसरों को अंगूठी का छोड़ना अफ़ज़ल है। इस ज़माने में शायद ही कोई अंगूठी को मुहर लगाने की ज़रूरत से पहनता हो। आज तो लगभग शौक़ ही से लोग पहन लेते हैं। अगर सुन्नत समझ कर पहनते तो उनको मसअला याद होता।

जिन तीन आदमियों का नाम ऊपर लिखा गया उनके अलावा अगर दूसरे लोग भी अंगूठी पहनें तो जायज़ है मना नहीं है लेकिन अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ होना चाहिए और अंगूठी एक होनी चाहिए दो नहीं।

अंगूठी का छोड़ना इसलिए अफ़ज़ल बताया है कि अगर गुस्ल करने के वक़्त अंगूठी के नीचे एक बाल के बराबर सूखा रह गया तो गुस्ल सही नहीं होगा। इसी तरह वुजू करने में अगर एक बाल के बराबर सूखा रह गया तो वुजू नहीं होगा और जब वुजू नहीं होगा तो नमाज़ भी नहीं होगी, इसलिए अंगूठी का छोड़ देना ही अफ़ज़ल है।

हदीस - हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की खिदमते अक़दस में हाज़िर हुआ और वह लोहे की अंगूठी पहने हुए था।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या बात है? मैं तुमको दोज़ख़ वालों का ज़ेवर पहने हुए देखता हूँ यानी तुम जो लोहे की अंगूठी पहने हो यह दोज़ख़ियों का ज़ेवर है, (क्योंकि उन्हें लोहे के तौक और जंजीरे पहनायी जाएंगी।)

इसके बाद फिर वह आदमी आया। इस बार वह पीतल की अंगूठी पहने हुए था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या बात है, मैं तुम में बुतों की बू पाता हूँ? (इस के बाद) तीसरी बार आया, इस बार वह सोने की अंगूठी पहने हुए था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या बात है, मैं तुम्हें दोज़ख़ वालों का ज़ेवर पहने हुए देखता हूँ। उसने पूछा कि मैं किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ? आपने फ़रमाया, चांदी की और उसे मिस्काल भर से कम रखो।

- हवाला** -1. तिरमिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 350, हदीस 1684, किताबुल्लिबास,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा-26, पृ० 301, हदीस 821, बाब 292, अंगूठी पहनने का बयान।

कुछ मर्द अपने कान और नाक में सोने या चांदी या पीतल बग़ैरह की बालियां औलिया रहमतुल्लाहि अलैहिम के नाम की पहनते हैं, यह भी हराम और शिर्क है। तुम इतना तो सोचो कि जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम नफ़ा और नुक़सान के मालिक नहीं हैं, तो फिर पत्थर के टुकड़े लोहे, पीतल और तांबे की क्या हकीकत है? तुम इतना तो समझो कि जो वलीयुल्लाह कुफ़्र व शिर्क से कोसों दूर रहते थे और कुफ़्र व शिर्क के शायबे से बिल्कुल पाक व साफ़ थे और इसी की तालीम सारी मख़्लूक को देते रहे, क्या ये बुज़ूर्ग़ ऐसी हरकतों को पसन्द करेंगे? हरगिज़ नहीं। यह तुमने अपनी जहालत से उनके नाम के कड़े, अंगूठियां और बालियां वग़ैरह बना-बना कर पहन ली हैं और सोचते नहीं कि कल कियामत के दिन इस का अंजाम क्या होगा?

हाय अफ़सोस! हिन्दुस्तान की जहालत अख़िर ऐसा रंग लायी कि हमारे मुसलमान भाइयों को कुफ़्र व शिर्क तक ले गयी।

हज़रत तुफ़ैल बिन संजरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सौतेले भाई फ़रमाते हैं कि मैं ने ख़्वाब में कुछ यहूदियों को देखा और उन से पूछा, तुम कौन हो?

उन्होंने कहा, हम यहूदी हैं।

मैंने कहा, अफ़सोस! तुम में यह बड़ी ख़राबी है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हो?

उन्होंने कहा, तुम भी अच्छे लोग हो, लेकिन अफ़सोस! तुम कहते हो कि जो खुदा चाहे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चाहें।

फिर मैं ईसाइयों की जमाअत के पास गया और उन से भी इसी तरह पूछा। उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया।

मैं ने उन से कहा, अफसोस ! तुम मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हो !
उन्होंने भी ऐसी ही जवाब दिया।

मैं ने सुबह को इस ख्वाब का जिक्र लोगों से कर दिया। फिर दरबारे नबी में हाजिर होकर आप से भी यह वाक़िआ बयान किया।

आपने पूछा, क्या किसी और से भी तुम ने इस का जिक्र किया है ?

मैंने कहा, हां।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अब खड़े हो गये और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया कि तुफ़ैल (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक ख्वाब देखा है और तुम में से कुछ से बयान भी कर दिया है। मैं चाहता था कि तुम्हें उस कलिमा के कहने से रोक दूं, लेकिन फ़लां-फ़लां काम की वजह से मैं अब तक न कह सका। याद रखो, अब हरगिज (खुदा चाहे और उस का रसूल चाहे) कभी न कहना, बल्कि यों कहो कि सिर्फ़ अल्लाह अकेला जो चाहे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 74, सूः बकरः के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

आज कुछ मुसलमान भाइयों का यह तकिया-ए-कलाम हो गया है। जब भी कोई काम पड़ा या किसी से कोई वायदा किया, तो फ़ौरन कह देते हैं कि अल्लाह और उस के रसूल सल्ल० के हुक्म से हो जाएगा या यों कहते हैं कि अल्लाह और ग़ौसे पाक रह० के हुक्म से हो जाएगा। ख्वाजा ग़रीब नवाज़ रह० हमारी बिगड़ी बना देंगे, मलंग शाह बापू हुक्म करेंगे, मीरान शाह बापू इशारा कर देंगे, ग़ैबन शाह हमारी मुराद पूरी कर देंगे या हज़रत मुश्किल कुशा हमारी मुश्किलें हल कर देंगे वग़ैरह-वग़ैरह ! यह खुल्लम-खुल्ला कुफ़्र व शिर्क है, मगर जहालत का अंधापन कुछ ऐसा छाया हुआ है कि खुद समझते नहीं और समझाने वालों को ग़ैर-मुकल्लिद, बह्हाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं।

हदीस - एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या तू मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है। यों कहो, जो अल्लाह अकेला चाहे।

हवाला - 1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 75, सूः बकरः के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 41, बाबुल कबाइर, किताबुल ईमान।

कुरआन मजीद के चौबीसवें पारे में, सूः जुमर के सातवें रूकूअ में, आयत न० 65 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - यकीनन तेरी तरफ भी और तुझ से पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वह्य

की गयी है। अगर तूने शिर्क किया, तो बेशक तेरा अमल बेकार जाएगा और यकीनन तू घाटा उठाने वालों में से होगा।

ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! तेरी तरफ और तुझसे पहले के नबियों की तरफ हम यह हुकम भेज चुके हैं कि अगर मान लिया जाए कि तू ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! या तुझसे पहले के नबी शिर्क करें, तो उनके नेक काम अकारत हो जाएं, वे बड़ी बरबादी में पड़ जाएं। यह जलाली कलाम शाहंशाही रौब के कायदे पर है। हज़रत रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अगले नबियों से शिर्क का सरज़द होना महाल था क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं मगर मुखातब के सुनाने को ऐसा जोरदार हुकम दिया गया कि यह बेहूदा काम किसी को माफ नहीं।

हवाला - तफ़सीरे हक्कानी, जिल्द 6, पारा 24, पृ० 193, सूः जुमर के सातवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि कुरैश एक मख़जूमी औरत के मामले में बहुत फ़िक्रमंद थे, जिसने चोरी की थी (और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके हाथ काटने का हुकम दे दिया था) कुरैश ने कहा कि कौन उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात-चीत करे? कुछ लोगों ने कहा, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बहुत मुहब्बत है अगर कुछ कह सकते हैं तो वही कह सकते हैं। चुनांचे उसामा रज़ि० ने आप से उसका ज़िक्र किया।

आपने फ़रमाया तू खुदा की हदों में सिफ़ारिश करता है?

यह कह कर आप खड़े हो गये और लोगों के सामने खुल्बा दिया फिर फ़रमाया तुमसे पहली उम्मतें इसलिए हलाक हुई हैं कि उनमें से जब कोई शरीफ़ आदमी चोरी करता था तो उसको छोड़ देते थे और कमज़ोर आदमी चोरी करता था तो उसको सज़ा देते थे। क़सम है खुदा की अगर फ़ातिमा, मुहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूँ।

- हवाला** - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 288, हदीस 1329, हदों का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 559, हदीस 3426, शरई सज़ा की सिफ़ारिश का बयान।
3. मज़हबिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 321, किताबुल हुदूद,
4. तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 97, सूः माइदा के छठे रूकूअ की तफ़सीर में।

अब आप ही सोचें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या चोरी कर सकती थीं? हरगिज़ नहीं! बल्कि ये लफ़ज़ मुखातब को सुनाने के लिए बयान कर दिये गये कि किसी रईस ख़ानदान का क्या सवाल, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी मआज़ल्लाह चोरी करती, तो वह भी इस सज़ा से नहीं बच सकती, फिर औरों की हकीकत ही क्या?

इसी तरह अल्लाह तआला अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फ़रमा रहा है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि माफ़ करने के काबिल है ही नहीं।

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के चौथे रकूअ में आयत न० 39 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और अल्लाह बरहक के साथ कोई और माबूद मत बनाना, वरना तू भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मलामतजदा और हर भलाई से महरूम रहेगा।

ये हुकम हमने दिये हैं सबसे बेहतरीन खूबियां हैं और जिन बातों से हमने रोका है वे बड़ी ज़लील आदतें हैं। हम ये सब बातें तेरी तरफ़ वह्य के ज़रिए नाज़िल फ़रमा रहे हैं कि तू लोगों को हुकम दे और मना करे देख मेरे साथ किसी को माबूद न ठहराना, वरना वह वक्त आएगा कि खुद अपने आप को मलामत करने लगेगा और खुदा की तरफ़ से मलामत होगी, बल्कि तमाम मर्र्लूक की तरफ़ से भी और तू हर भलाई की तरफ़ से दूर कर दिया जाएगा। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से आप की उम्मत से खिताब है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो मासूम हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 45, सूर: बनी इस्राईल के चौथे रकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुखातिब होकर फ़रमाया जा रहा है कि आप मेरे रसूल हैं आप महबूबे खुदा हैं आप रहमतुललिल आलमीन हैं आप हशर के मैदान के शफ़ीअ हैं आप नबियों के इमाम हैं आप दुनिया व आख़िरत के सरदार हैं आप हौजे कौसर के साकी हैं लेकिन जान लीजिए कि अगर आप भी शिर्क करें तो आप खुद भी मेरे अज़ाब से नहीं बच सकते और आप के सारे के सारे मर्तबे धरे के धरे रह जाएंगे मआज़ल्लाह।

ऐ किताब पढ़ने वाले! आप खुद सोचें और इंसाफ़ करें क्या मआज़ल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शिर्क करते? हरगिज़ नहीं वह तो मासूम थे लेकिन हमें सुनाने के लिए आप अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ मुखातिब होकर फ़रमा रहे हैं कि अगर आप शिर्क करें तो आप भी हमारे अज़ाब से नहीं बच सकते तो फिर इन शेख़ ज़ादों की क्या हकीक़त? इन मालदारों और अमीरज़ादों की क्या हकीक़त? इन मुजाविरों और मुजाविरज़ादों की क्या हकीक़त? इन क़ब्रपरस्तों और ताज़ियापरस्तों की क्या हकीक़त? जो खुदा के मुकाबले में खुदा की मर्र्लूक या खुदा की बनायी हुई चीज़ों को पूज रहे हैं और पुजवा भी रहे हैं।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के नबी व बन्दे और उसके रसूल बर्गुज़ीदा हैं। कभी आपने न तो बुत पूजा और न किसी तरह अल्लाह तआला के साथ पलक मारने के बराबर कभी शिर्क किया और न कभी कबीरा और सगीरा गुनाहों के मुर्तकिब हुए।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 13, मुक़द्दमे में।

कुरआन करीम के छठे पारे में सूर: माइदा के दसवें रूकूअ में आयत न० 72 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिसने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह तआला ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे ज़ालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा।

मौलाना जलालुद्दीन दव्वानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो कबीरा गुनाह नक़ल किये हैं उनमें से कुछ ये हैं-

शिक़ करना साथ अल्लाह के चाहे उसकी ज़ात में किसी को शरीक करे या इबादत या इस्तिज़ानत में (यानी मदद मांगने में) या इल्म में या कुदरत में या तसरूफ़ में या पैदा करने में या पुकारने में या कहने में या नाम रखने में या नज़्र मानने में या लोगों का काम सौंपने में यानी जैसे अल्लाह को सब के काम सूपुर्द हैं वैसे औरों को भी जाने।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 39 किताबुल ईमान, कबीरा गुनाहों का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

हर पैग़म्बर के लिए एक मक़बूल दुआ होती है और मैंने अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए अपनी दुआ छिपा रखी है और यह शफ़ाअत इन्शाअल्लाह उसको नसीब होगी जो मेरी उम्मत में से इस हाल में मरा कि अल्लाह तआला के साथ उसने किसी को शरीक न किया हो।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 347, हदीस 1450, दुआ का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 41, हदीस 176, बाब 69, किताबुल ईमान।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के बीसवें रूकूअ में आयत न० 165 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को उसका हमसर बनाते हैं।

यानी खुदाई की जो सिफ़तें अल्लाह के लिए खास हैं उनमें से कुछ सिफ़तों को दूसरों से जोड़ देते हैं और खुदा होने की हैसियत से बन्दों पर अल्लाह के जो हक़ हैं वे सब या उनमें से कुछ हक़ ये लोग उन दूसरे बनावटी माबूदों को अदा करते हैं जैसे असबाब के सिलसिले पर हुक्मरानी, हाजतरवाई, मुश्किल कुशाई, फ़रियादरसी दुआएं सुनना, ग़ैब की हर चीज़ को जानना, ये सब अल्लाह की खास सिफ़तें हैं और यह सिर्फ़ अल्लाह ही का हक़ है। उसी के सामने बन्दगी के एतराफ़ में सर झुकाएं उसी से अपनी हाजतें मांगें, उसी को मदद के लिए पुकारें उसी पर भरोसा करें, उसी से उम्मीदें रखें और उसी से ज़ाहिर व बातिन में डरते रहें।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमते हैं-

कलिमा 'लाइला-हइल्लल्लाहु' को सिर्फ लफज़ से नहीं बल्कि उसको इस्लास से कह कर अपने शैतानों को कमज़ोर बनाओ, तौहीद इंसान व जिन्न दोनों किस्म के शैतानों को जला देती है क्योंकि वह नारी है शैतानों के लिए और नूर है तौहीद वालों के लिए तू लाइला-हइल्लल्लाह किस तरह कहता है? हालांकि तेरे दिल में क्या कुछ माबूद भरे हुए हैं अल्लाह के सिवा हर चीज़, जिस पर तू एतमाद और भरोसा कर ले वह तेरा बुत है दिल के मुशिरक होने पर जुबान की तौहीद तुझको मुफ़ीद न होगी।

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 206, मज्लिस 38।

हज़रत शाह वली युल्लाह साहब मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि शिर्क शरीअत में इसको कहते हैं कि जो सिफ़तें खास अल्लाह की हैं वह उसके ग़ैर में साबित करे यानी जैसा अल्लाह तआला को हर चीज़ का इल्म है और का इल्म भी ऐसा ही जाने या जैसा अल्लाह को कादिर जानता है हर चीज़ पर ऐसा ही और को भी जाने या जैसा वह तसरूफ़ रखता है आलम में साथ इरादा अपने के वैसा और को भी जाने।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: रूम के चौथे रूकूअ में आयत न० 40 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह वह है जिसने तुमको पैदा किया फिर तुम को रोज़ी दी फिर तुम को मौत देता है फिर तुम को ज़िन्दा भी करेगा। क्या तुम्हारे ठहराये हुए माबूदों में कोई ऐसा है जो इन कामों में से कोई एक काम भी करता हो पाक है वह अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं।

इंसान नंगा भूखा दुनिया में आता है एक छिलका भी उसके बदन पर नहीं होता फिर रब ही उसे रोज़ी देता है वह इस हयात के बाद तुम्हें मार डालेगा फिर क़ियामत के दिन ज़िन्दा कर देगा खुदा के सिवा तुम जिन-जिन की इबादत कर रहे हो उनमें से एक भी इन बातों में से किसी एक पर काबू नहीं रखता, उन कामों में से एक भी कोई नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अकेला पैदा करने वाला, रोज़ी देने वाला और मौत ज़िन्दगी का मालिक है वही क़ियामत के दिन तमाम मख़्लूक़ को जिला देगा, उसकी मुक़द्दस मुनज़ज़ह मुअज़्ज़म और इज़्ज़त व जलाल वाली ज़ात इससे पाक है कि कोई उसका शरीक हो या उस जैसा हो या उसके बराबर हो या उसकी औलाद हो या मां-बाप हों वह अहद है समद है फ़र्द है मां-बाप से औलाद से पाक है उसकी मिस्ल का कोई नहीं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 33, सूर: रूम के चौथे रूकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है हम ही तुम को पैदा करते हैं हम ही तुम को रोज़ी देते हैं हम ही तुम्हें मौत देते हैं हम ही तुम्हें दोबारा हशर के मैदान में ज़िन्दा करेंगे। अब तुम लोग

जिन-जिन को पूजते या पुकारते हो वे पीर हों या पैगम्बर, फ़रिश्ते हों या जिन्न या शैतान या मख़्लूक़ में से कोई भी हो उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो तुम्हें पैदा भी करे फिर तुम्हें रोज़ी भी दे फिर तुम्हें मौत भी दे फिर तुम्हें हज़र के मैदान में (यानी क़ियामत के दिन) जिन्दा भी करे है कोई? अगर है तो बताओ? वह कौन है? और अगर नहीं है तो फिर तुम जिन-जिन को नज़्र व नियाज़ हलवा-मलीदा, खिचड़ा, शर्बत चढ़ा रहे हो या तीजा, दसवां, बीसवां, गयारहवीं और बारहवीं करके जिनको वास्ता या वसीला समझ कर पूज रहे हो वे आख़िर हैं किस मरज़ की दवा?

अल्लाह वह है जिसने बग़ैर मां-बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह वह है जिसने बग़ैर मां के दादी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाया अल्लाह वह है जिसने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तुमने जिन जिन को खुदाई दर्जे दे रखे हैं, उन्होंने आख़िर क्या पैदा किया? कुछ बताओ और समझाओ तो सही? या बे समझे ही पूजते रहोगे? इसी का नाम जहालत है यह शरीअत नहीं है समझे मेरे भोले भैया!

हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहिब फ़रमाते हैं-

ऐ अपने आका की खिदमत से भागे हुए गुलाम और ऐ बर्गुज़ीदा अंबिया व मुर्सलीन और नेक बन्दों की राय से हट कर अपनी राए को काफी समझने वालो! और ऐ हक़ तआला को छोड़ कर मख़्लूक़ पर भरोसा रखने वालों! क्या तुमने सुना नहीं कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मलऊन है मलऊन है जिसका भरोसा अपनी जैसी मख़्लूक़ पर हो।

हवाला - फ़्यूज़े यज़दानी, पृ० 335, मज्लिस 56।

शफ़ाअत

कुरआन करीम के पहले पारे में सूर: बकर: के छठे रकूअ में आयत न० 48 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तज़ुमा - उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा नहीं दे सकेगा और न शफ़ाअत और सिफ़ारिश कुबूल होगी और न कोई बदला या फ़िदया लिया जाएगा और न कोई मदद करने वाला होगा।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि क़ियामत के दिन से डरो, उस दिन कोई किसी का नहीं होगा कोई किसी की सिफ़ारिश या शफ़ाअत भी नहीं करेगा और न कोई बदला या फ़िदया कुबूल किया जाएगा यानी वह दुनिया की अदालत नहीं है कि कुछ दे दिला कर इंसान छुटकारा हासिल कर ले और न कोई किसी की हिमायत और मदद करने वाला मिलेगा, उस दिन का मामला बहुत ही सख्त होगा।

कुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: इन्फ़ितार के पहले रकूअ में आयत न० 19 में अल्लाह

तआला इशाद फरमाता है-

तर्जुमा - जिस दिन कोई आदमी किसी आदमी के लिए किसी चीज़ का मुख्तार नहीं होगा और सबके सब हुक्म और फरमान उस दिन अल्लाह ही के होंगे।

अल्लाह तआला फरमा रहा है कि कियामत के दिन कोई किसी को कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा और न अज़ाब से नजात दिला सकेगा हां यह बात और है कि किसी को शफ़ाअत करने की इजाज़त खुद खुदावन्द करीम अता फरमा दे शफ़ाअत में कामियाबी हासिल करने के लिए कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों से रस्म व रिवाज जहालत व जिद से मुंह धो ले सीना साफ़ कर ले ईमान के साथ अमली जिन्दगी बना ले वरना आपकी यह उम्मीद उम्मीद नहीं है बल्कि शैतानी फरेब और नफ़सानी धोखा है।

मेरे प्यारे दोस्तो ! शफ़ाअत की तीन किस्में हैं-

1. शफ़ाअते वजाहत,
2. शफ़ाअते मुहब्बत,
3. शफ़ाअते रहमत अब हम आपको मिसाल के तौर पर समझाते हैं-

एक आदमी को चोरी करने की आदत है और उस चोर को बादशाह के क़ानून की कोई परवाह नहीं है उसने चोरी की और इसी हालत में पकड़ा गया और हाज़िर हुआ बादशाह के दरबार में बादशाह दिल से चाहता है कि इस चोर को कुछ सज़ा दे मगर वह चोर बादशाह के दरबार में बैठने वाले अमीर, उमरा या वज़ीर के रिश्तेनाते से था और उन्होंने उस चोर को छोड़ देने के लिए सिफ़ारिश भी की तो बादशाह ने उस चोर को छोड़ दिया इसलिए कि अगर उसको नहीं छोड़ेगा तो अमीर उमरा नाराज़ हो जाएंगे और आगे के लिए सल्तनत को ख़तरा रहेगा इसलिए एक चोर का मामला है छोड़ दो यह नीयत करके उस बादशाह ने उस चोर को छोड़ दिया इसी का नाम है शफ़ाअते वजाहत।

अब अल्लाह के दरबार में शफ़ाअते वजाहत नहीं होगी क्योंकि अल्लाह तआला की बादशाही को कोई ख़तरा नहीं है चाहे जिसको जन्नत में डाले और वह चाहे जिसको जहन्नम में डाले।

दूसरी शफ़ाअते मुहब्बत है। इसकी मिसाल यह है कि एक चोर है और उसने चोरी की और इसी हालत में पकड़ा हुआ बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने चाहा उसको सज़ा दे लेकिन वह चोर बादशाह के महबूब के रिश्ते नाते से था और बादशाह के महबूब ने उस चोर की सिफ़ारिश कर दी। बादशाह ने सोचा कि अगर इस चोर को सज़ा दूंगा तो महबूब नाराज़ हो जाएगा, बहरहाल बादशाह ने उस चोर को छोड़ दिया।

यह शफ़ाअते मुहब्बत भी अल्लाह के दरबार में काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह तआला से कोई भी नाराज़ नहीं होगा।

तीसरी शफ़ाअते रहमत है जैसे चोर चोरी करने का आदी नहीं है बादशाह और उसके क़ानून से मुहब्बत है मगर इत्तिफ़ाक़न चोरी का काम उससे हो गया और वह सख़्त परेशान

है और इसी हालत में गिरफ्तार हो गया और इसी हालत में बादशाह के दरबार में पेश किया गया बादशाह को उसकी हालत, खबर देने वाले के ज़रिए से मालूम हो गयी पस इस वजह से बादशाह नहीं चाहता कि उसको सज़ा दे बादशाह ने वज़ीर और अमीर उमरा की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया कि बताओ इस चोर के लिए क्या करना चाहिए।

वज़ीर और अमीर व उमरा बादशाह का इशारा समझ गये और खड़े हो कर सिफ़ारिश कर दी कि हुज़ूर यह ग़रीब आदमी है भूल हो गयी। इसको माफ़ कर दिया जाए पस बादशाह ने वह सिफ़ारिश कुबूल कर ली और उसको छोड़ दिया।

इसको कहते हैं शफ़ाअते रहमत। पस खुदा के दरबार में यानी क़ियामत के दिन यही शफ़ाअते रहमत होगी मगर खुदा को दुनिया के बादशाहों की तरह ख़बर देने की ज़रूरत नहीं है वह सब का हाल जानता है।

हवाला - पचपन खूबियों वाला क़ुरआन मजीद पृ० 24।

पैग़म्बरों, बुजुर्गों, आलिमों, हाफ़िज़ों, आबिदों, उममत के नेक लोगों और दूध पीते बच्चे जो मर गये होंगे, वे सब के सब शफ़ाअत करेंगे, मगर यह शज़ाअत उन लोगों के लिए कुबूल करने के काबिल होगी और उन्हीं लोगों के लिए इजाज़त दी जाएगी जिनसे इत्तिफ़ाक़ से गुनाह के काम हो गये होंगे और वे गुनाहगार अपने गुनाह पर शर्मिन्दा होंगे और उनको खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से पूरी मुहब्बत होगी पस इस शफ़ाअत का सिलसिला खुद खुदा की तरफ़ से जारी होगा, किसी और की हिम्मत न होगी कि दख़ल दे सके और इजाज़त के बग़ैर कोई शफ़ाअत कर सके।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअते कुबरा भी इजाज़त के बग़ैर न होगी और वह शफ़ाअत सिर्फ़ उन लोगों के हक़ में मंज़ूर होगी जिनकी निजात के बारे में शफ़ाअत से पहले खुदा-ए-अज़्ज़ व जल्ल की मर्ज़ी उस आदमी को बरख़्श देने की हो चुकी होगी।

कुछ लोग बुरे कामों के बदले सज़ा पाकर दोज़ख़ से रिहा होंगे, जो ईमान के साथ दुनिया से गुज़रे थे मगर उनसे बेहतर वे लोग होंगे जो बग़ैर सज़ा के हशर के मैदान में बरख़्श दिये जाएंगे जिनके गुनाह कम होंगे और नेकियां ज़्यादा होंगी। अल्लाह तआला अपने रहम व करम से हमारी और आपकी साथ ही बच्चों और औरतों की गिनती ऐसे नेक और बेहतर लोगों में करे।

(अमीन)

शफ़ाअत बिला इजाज़त ना मुम्किन है देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मेहरबान चचा अबू तालिब के लिए शफ़ाअत नहीं करेंगे क्योंकि यह शफ़ाअत अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ़ है।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के चौतीसवें रकूअ में आयत न० 255 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-



तर्जुमा - ऐसा कौन आदमी है जो उसके पास किसी की सिफारिश कर सके बगैर उसकी इजाजत के।

जिस इंसान की शफ़ाअत होगी और जिस हस्ती की तरफ़ से होगी वह अल्लाह तआला की मर्ज़ी के मुताबिक़ होगी। शफ़ाअत उस आदमी की होगी जिन को बख़्ताने के लिए अल्लाह ने पहले ही इरादा कर लिया होगा और जिनको बख़्ताने का इरादा अल्लाह तआला का नहीं होगा, उनकी कोई आदमी शफ़ाअत करेगा ही नहीं।

कुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के पहले रूक़अ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - कोई सिफ़ारिश (यानी शफ़ाअत) करने वाला नहीं, बगैर (अल्लाहकी) इजाज़त के।

जब तक अल्लाह तआला इजाज़त नहीं देगा सब के सब चुपचाप खड़े होंगे

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: सबा के तीसरे रूक़अ में आयत न० 23 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और खुदा के सामने (किसी की) सिफ़ारिश किसी के काम नहीं आ सकती मगर जिसको (अल्लाह तआला) इजाज़त दे दे।

किसी का मालिक होना या मुख़्तार बनना या मिल्कियत में शरीक होना या मदद करना तो दूर की बात सारी कायनात में कोई ऐसी हस्ती तक पायी नहीं जाती जो अल्लाह के दरबार में किसी के हक़ में अपने आप सिफ़ारिश कर सके। कुछ लोग इस ग़लतफ़हमी में पड़े हुए हैं कि कुछ खुदा के प्यारे ऐसे हैं कि अगर वे अड़ बैठें तो खुदा को उनकी सिफ़ारिश माननी ही पड़ेगी हालांकि वहां हाल यह होगा कि बगैर इजाज़त के जुबान तक खोलने की कोई ताक़त नहीं रखता होगा। जिस को इजाज़त मिलेगी, सिर्फ़ वही कुछ अर्ज़ करेगा और जिसके हक़ में इजाज़त मिलेगी उसी के हक़ में सिफ़ारिश की जाएगी दूसरों की शफ़ाअत नहीं होगी।

कुरआन मजीद के तीसवें पारे में सूर: नबा के दूसरे रूक़अ में आयत न० 37 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो मालिक है आसमान का और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो इन चीज़ों के दर्मियान में हैं (और जो) रहमान है (और) किसी को उसकी तरफ़ से मुस्तक़िल अख़्तियार न होगा (कि उसके सामने अर्ज़ मारूज़ कर सकें) जिस दिन तमाम रूह और फ़रिश्ते (खुदा के सामने) सफ़ बांधे खड़े होंगे (उस दिन) कोई न बोल सकेगा अलावा उसके जिसको रहमान बोलने की इजाज़त दे दे और वह आदमी बात भी ठीक कहे।

ठीक बात से वह बात मुराद है जिसकी इजाज़त दी गयी हो यानी बोलना भी हद के अन्दर होगा यह नहीं कि जो चाहे बोलने लगे।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

तुम्हारे किसी के अमल निजात न देंगे।

लोगों ने कहा आप के भी?

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया हां न मेरे अमल निजाते देंगे मगर यह
(मुख्तसर)
कि अल्लाह मुझ पर रहम करे।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 318, हदीस 1379, किताबुर्रिकाक़,
मतलब यह है कि जन्नत में दाख़िल होना अमल के जोर से ना मुम्किन है, क्योंकि उसमें
दाख़िल होने के लिए उसके लायक़ अमल का अदा करना मुश्किल है इस वजह से खुदा की
मेहरबानी की ज़रूरत है मगर खुदा की मेहरबानी हुज़ूर सल्ल० की शफ़ाअत हासिल करने के
लिए ईमान व अमल शर्त है इस वजह से तमाम कुरआन में जन्नत में दाख़िल होने के लिए
ईमान व नेक अमल का ज़िक्र है।

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूर: निसा के अठारहवें रूकूअ में आयत न० 122 में अल्लाह
तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किये हम उन को बहुत जल्द ऐसे
बाग़ों में दाख़िल करेंगे कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे और अल्लाह
का वायदा सच्चा है और अल्लाह तआला से ज़्यादा कौन सच्चा हो सकता है?

इस आयते करीमा में ईमान का सवाल पहले है और बाद में अमल का सवाल है। अब
सुनिए दूसरी आयते करीमा।

कुरआन करीम के पांचवें पारे में सूर: निसा के अठारहवें रूकूअ में आयत न० 124 में अल्लाह
तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और जो आदमी कोई नेक अमल करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत और ईमान
वाला भी हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उन पर ज़रा भी जुल्म न होगा।

इस आयते करीमा में अमल का सवाल पहले है और ईमान का सवाल बाद में है। ईमान
व अमल का जोड़ है अमल वही करेगा जिसके पास ईमान होगा और जिसके पास ईमान नहीं
होगा वह अमल क्यों करेगा और जो बावजूद ईमान होने के अमल नहीं करते उनकी मिसाल
ऐसी है जैसे कि एक इंसान को प्यास लगी है और वह मारे प्यास के पानी-पानी पुकार रहा
है और पानी उसके पास मौजूद है मगर पानी पीता नहीं है तो इस तरह उसकी प्यास नहीं बुझेगी
पानी को पी लेने से ही प्यास ख़त्म होगी। पानी तो है ईमान और पानी को पी लेना यह हुआ
अमल। जब ईमान व अमल का जोड़ हो जाएगा तो प्यास ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एक
आदमी को भूख लगी है और रोटी-रोटी पुकार रहा है रोटी उसके पास रखी हुई है मगर खाता

नहीं है सिर्फ रोटी-रोटी पुकार रहा है जब तक रोटी नहीं खायेगा उसकी भूख खत्म नहीं होगी रोटी खाने से ही भूख खत्म हो सकती है रोटी तो है ईमान और जब रोटी खा ली तो यह हुआ अमल। जब ईमान व अमल का जोड़ हो जाएगा तो भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी पर ईमान व अमल का जोड़ है इन दोनों में से एक चीज़ खत्म हो जाती है तो दूसरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ईमान व अमल और अमल व ईमान अगर ये दोनों सलामत हैं तो इन्शाअल्लाह दुनिया के अज़ाब से मौत के अज़ाब से क़ब्र के अज़ाब से हशर के अज़ाब से दोज़ख़ के अज़ाब से बच जाएंगे और शफ़ाअत में कामियाब हो जाएंगे। शफ़ाअत में कामियाब होने के लिए ईमान व अमल शर्त है और ईमान लाने के बाद अमल दो किस्म का है-

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजुरात के दूसरे रूकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - मोमिन तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं फिर शक व शुब्हा नहीं करते और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं यही लोग सच्चे हैं।

मुसनद अहमद में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं-

दुनिया में मोमिन की तीन किस्में हैं-

1. वह जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाया शक व शुब्हा न किया और अपनी जान और अपने माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया,
2. वे जिनसे लोगों ने अमन पा लिया न ये किसी का माल मारें न किसी की जान लें।
3. वे जो लालच की तरफ़ जब झांकते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद करते हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 89, सूर: हुजुरात के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में। माल की फिर दो किस्में हैं-

कुरआन शरीफ़ के अठ्ठाईसवें पारे में सूर: मुनाफ़िकून के दूसरे रूकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ईमान वालो! तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम को खुदा की याद से ग़ाफ़िल न कर दे और जो ऐसा करे तो वे लोग घाटा उठाने वाले हैं।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को हुक्म देता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया करें और तंबीह करता है कि ऐसा न हो कि माल व औलाद की मुहबबत में फंस कर अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल हो जाओ फिर फ़रमाता है कि जो अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल हो जाए और दुनिया की जीनत पर रीझ जाए अपने रब की इताअत में सुस्त पड़ जाए, वह अपना नुक़सान आप करने वाला है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 76, सूः मुनाफिकून के दूसरे स्कूअ की तफ्सीर में।

कुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूः तहरीम के पहले स्कूअ में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को और घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है?

हजरत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अल्लाह की इताअत का हुक्म दो और नाफरमानियों से रोकते रहो, उनपर अल्लाह का हुक्म कायम रखो और उन्हें खुदा के हुक्म बजा लाने की ताकीद करते रहो नेक कामों में उनकी मदद करो और बुरे कामों पर उन्हें डांटों डपटो।

हजरत जह्हाक रहमतुल्लाहि अलैहि व मुक़ातिल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि अपने रिश्ते कुंबे के लोगों को और अपने लौंडी गुलाम को अल्लाह के फ़रमान बजा लाने की और उसकी नाफरमानियों से रुकने की तालीम देता रहे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 99, सूः तहरीम के पहले स्कूअ की तफ्सीर में। ईमान के बाद अमल से महरूम रखने वाली यही दो चीज़ें हैं-

1. एक औलाद,
2. दूसरी दौलत।

पस खुशनसीब हैं वे इंसान जो ईमान लाने के बाद अमल करने में कोताही नहीं करते। यही वे लोग हैं जो खुदा की रहमत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत के पहले दर्जे के हक़दार हैं।

कुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूः जासियः के चौथे स्कूअ में आयत 30 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - जो लोग ईमान लाये और नेक अमल करते रहे उनको उनका परवरदिगार अपनी रहमत में दाख़िल करेगा यही सही कामियाबी है।

पस खुदा की मेहरबानी और शफ़ाअत एक इनाम है और जाहिर है कि गुस्ताख़ और नाफरमान नौकरों को इनाम नहीं दिया जाता बल्कि फ़रमांबरदारों ही को उनकी इताअत के दर्जे के मुताबिक़ इनाम दिये जाते हैं। पस काफ़िर और साथ ही वे लोग जिन के दिल में अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लायी हुई शरीअत की इज्जत न हो और गुनाह करने के आदी बन गये हों और मरने से पहले सच्ची और ख़ालिस तौबा से महरूम हो गये हों तो उन पर न खुदा की मेहरबानी होगी और न उनके हक़ में किसी की शफ़ाअत मंजूर होगी पस काफ़िर हमेशा के लिए दोख़ में रहेंगे मगर ऐसे गुनाहगार मुसलमान जो ईमान की सलामती के साथ मरे होंगे वे लोग अपने गुनाहों के बदले में दोख़ की सज़ा भुगत कर छुटकारा पाएंगे और उनकी निजात हो जाएगी।

पस खुशनसीब तो वे लोग हैं जो खालिस तौबा में जल्दी करके नेक अमल पर जोर दे दें क्योंकि ऐसे गुस्ताख और नाफरमान को खुदा तौबा की तौफीक नहीं देता जो इस उम्मीद पर गुनाह करता रहता है कि मौत का वक़्त तो मालूम नहीं और समझता है कि मैं आखिर में तौबा कर लूंगा और यह भी याद रहे कि खालिस तौबा से खुदा के सब हक़ माफ़ हो जाते हैं मगर बन्दे के हक़ माफ़ नहीं होते वे तो सिर्फ़ अदा करने से या उनसे माफ़ कराने से ही माफ़ होते हैं।

बे-अमल आलिम

फ़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बकर: के पांचवें रकूअ में आयत न० 44 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या लोगों को भलाईयों का (यानी नेक काम करने का) हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो वाबजूद कि तुम किताब को पढ़ते हो क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं?

रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि-

मेराज वाली रात में मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा गया कि आपकी उम्मत के ख़तीब, वाइज़ और आलिम लोग हैं जो दूसरों को भलाई सिखाते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जन्नती लोग जहन्नमियों को देखकर कहेंगे कि तुम्हारी नसीहतें सुन सुन कर हम तो जन्नती हो गये मगर तुम जहन्नम में क्यों आ पड़े हो? वे कहेंगे अफ़सोस! हम तुम को कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 107, सूर: बकर: के पांचवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि क़ियामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा उसका पेट फट जाएगा और आंतें बाहर निकल पड़ेंगी और वह उन आंतों को लिए हुए इस तरह घूमता फिरेगा जिस तरह गधा चक्की के गिर्द घूमता है। दोज़खी उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे ऐ फलां आदमी! तुझ को क्या हुआ तू तो नेक कामों की हिदायत किया करता था और बुरे कामों से मना किया करता था। वह कहेगा हां ऐसा ही था लेकिन मैं दूसरों को नेक कामों की हिदायत किया करता था और खुद अमल न करता था दूसरों को बुरी बातों से रोकता था और खुद उनको अमल में न लाता था।

हवाला -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 468, हदीस 1976, फ़िल्ने का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 253, हदीस 1218, बाब 520 जोहद का बयान,
3. मिशकात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 735, हदीस 4883, अम्र बिल मारूफ़ का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 189, अम्र बिल मारूफ़ का बयान,
5. तफ़सीरे इब्ने क़सीर, पारा 1, पृ० 108, सूः बक़रः के पांचवें रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूः सफ़फ़ के पहले रूकूअ में आयत न० 1, 2 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तुम जो न करो, उस का कहना खुदा को सख्त ना पसन्द है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-
मुनाफ़िक़ की तीन आदतें होती हैं-

1. जब वायदा करे, ख़िलाफ़ करे,
2. जब बात करे, झूठ बोले,
3. जब अमानत दिया जाएं ख़ियानत करे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने क़सीर, पारा 28, पृ० 54, सूः सफ़फ़ के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

मेराज की रात में मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ, जिन की जुबानें कैचियों से काटी जा रही थीं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये आपकी उम्मत के ख़तीब (वाज़ कहने वाले लेक्चरर) हैं जो ऐसी बातें कहते थे जिन पर खुद अमल नहीं करते थे।

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 698, हदीस 4563, बयान और शेअर का बाब,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 89, बयान और शेअर का बाब।

कुरआन करीम के पहले पारे में सूः बक़रः के दसवें रूकूअ में आयत न० 86 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है

तर्जुमा - ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत के बदले मोल लिया है इनसे न तो अज़ाब हल्के होंगे और न उनकी मदद की जाएगी।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

जिससे कोई इल्मे दीन की बात पूछी गयी जिसको उसने जान लिया (यानी वह आलिम

जिससे कोई बात पूछी जा रही है वह उस बात को जानता है) मगर बावजूद जानने के उसको छिपा लिया तो क़ियामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम होगी।

- हवाला** -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 103, हदीस 509, इल्म का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 117, हदीस 210, किताबुल इल्म,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 94, किताबुल इल्म।

क़ुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूर: जासिय: के दूसरे स्कूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ये लोग जो बुरे काम करते हैं क्या यह ख़्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर रखेंगे जिन्होंने ईमान और नेक अमल अख़्तियार किया कि इन सब का जीना और मरना एक सा हो जाए ये बुरा हुकम लगाते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कुफ़्र और बुराई वाले, ईमान और अच्छाई वाले मौत और ज़िन्दगी, दुनिया में और आख़िरत में बराबर हो जाएं। यह तो हमारी ज़ात और हमारी अद्ल की सिफ़त के साथ पहले दर्जे की बद गुमानी है।

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि चार चीज़ों पर अल्लाह तआला ने अपने दीन की बुनियाद रखी है जो उनसे हट जाए और उन पर आमिल न रहे वह खुदा से (फ़ासिक़ होकर) मुलाक़ात करेगा। पूछा गया कि वे चार चीज़ें क्या हैं?

फ़रमाया यह कामिल अक़ीदा रखे कि हराम व हलाल हुकम और मुमानिअत ये चारों सिर्फ़ अल्लाह के अख़्तियार में हैं। उसके बताये हुए हलाल को हलाल, उसके हराम बताये हुए को हराम मानना, उसके हुकमों को तामील के क़ाबिल और तसलीम करने के लायक़ जानना, उसके मना किये हुए कामों से बाज़ आ जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है कि जिस तरह बबूल के पेड़ से अंगूर पैदा नहीं हो सकते, इसी तरह बदकार लोग नेककारों का दर्जा हासिल नहीं कर सकते।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 63, सूर: जासिय: के दूसरे स्कूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मक्का मुकर्रमा में एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये और ऊंची आवाज़ में फ़रमाने लगे-

लोगों! क्या मैंने खुदा की बातें तुम तक पहुंचा दीं? लोगों! क्या मैंने तब्लीग़ कर दी? लोगों! क्या मैं वह्दानियत और रिसालत पहुंचा चुका?

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाने लगे हां हुज़ूर! बेशक आपने खुदा का दीन हमें पहुंचा दिया।

फिर जब सुबह हुई तो आपने फ़रमाया-

सुनो खुदा की कसम! इस्लाम ग़ालिब होगा और खूब फैलेगा यहां तक कि कुफ़र अपनी जगह जा छिपेगा। मुसलमान इस्लाम को लेकर समुद्रों को चीरते-फ़ाड़ते निकल जाएंगे और इस्लाम को फैलाएंगे। याद रखो, वह ज़माना भी आने वाला है कि लोग क़ुरआन को सीखेंगे और पढ़ेंगे (फिर तकब्बुर और खुदबीनी के तौर पर) कहने लगेंगे कि हम कारी हैं हम आलिम हैं कौन है जो हमसे बढ़ चढ़ कर है? क्या उन लोगों में कुछ भी भलाई होगी?

लोगों ने पूछा हुज़ूर! वे कौन लोग हैं?

आपने फ़रमाया कि वे तुम ही मुसलमानों में से होंगे, लेकिन यह ख़्याल रहे कि वे जहन्नम के ईधन हैं (यानी जहन्नम ऐसे इल्म वाले लोगों से सुलगायी जाएगी)

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 47, सूः आले इम्रान के दूसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूः जासियः के तीसरे रकूअ में आयत न० 23 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या आपने उस आदमी की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपने नफ़्स की ख़्वाहिश को बना रखा है और अल्लाह तआला ने उसको बावजूद समझबूझ के गुमराह कर दिया है। (यानी इल्म के होते हुए भी अल्लाह तआला ने उसको गुमराह कर दिया है) और अल्लाह तआला ने उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आंख पर परदा डाल दिया है तो ऐसे आदमी को बाद खुदा के (यानी खुदा जिसे गुमराह कर दे उसे) अब कौन हिदायत कर सकता है? क्या तुम फिर भी नहीं समझते?

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुमने देखा भी है जो अपनी ख़्वाहिशों को खुदा बनाये हुए है जिस काम की तरफ़ तबियत झुकी, कर डाला और जिससे दिल रुका छोड़ दिया। उसके कानों पर मुहर है नफ़ा देने वाली शरीअत की बात सुनता ही नहीं। उसके दिल पर मुहर है हिदायत की बात उसके दिल पर उतरती ही नहीं उसकी आंखों पर परदे हैं कोई दलील उसे दिखती ही नहीं। अब भला अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाये? क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते?

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25 पृ० 64, सूः जासियः के तीसरे रकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मेरी उम्मत में ऐसे-ऐसे लोग भी होंगे जिनकी रग-रग में इस तरह नफ़्सानी ख़्वाहिश घुस जाएगी जिस तरह कुत्ते का काटा हुआ इंसान एक एक रग में और एक-एक जोड़ में उसका असर महसूस करता है।

हवाला - 1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 11, सूः आले इम्रान के ग्यारहवें रकूअ की तफ़्सीर में।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: फुकानि के चौथे रकूअ में आयत न० 43-44 में अल्लाह तआला इशदि फरमाता है-

तर्जुमा - क्या तूने उसे भी देखा है जिसने अपने नफ़्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया है क्या तू उसका जिम्मेदार हो सकता है क्या तू इसी ख्याल में है कि उनमें अक्सर सुनते हैं या समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गये गुज़रे हैं।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया इस आसमान के नीचे अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद पूजे जा रहे हैं उनमें अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा माबूद नफ़्स की ख्वाहिश है जिसकी पैरवी की जा रही है।

हवाला - तबरानी।

जो आदमी अपनी ख्वाहिश को अक्ल के ताबेअ रखता हो और अक्ल से काम लेकर फैसला करता हो कि उसके लिए सही रास्ता कौन है और ग़लत कौन सा है ऐसा इंसान अगर किसी किसम के शिर्क या कुफ़र में फंस जाए तो उसको समझा कर सीधे रास्ते पर ला सकते हैं लेकिन नफ़्स का बन्दा और ख्वाहिशों का गुलाम एक बे-नकेल का ऊंट है उसको तो उस की नफ़्स की ख्वाहिश जिधर ले जाएगी वह उधर ही जाएगा नफ़्स की ख्वाहिशों की पैरवी करने वाले को इसकी परवाह नहीं होती कि सही क्या है और ग़लत क्या है हक़ क्या है और बातिल क्या है?

जिस तरह भेड़ बकरियों को यह पता नहीं होता कि हांकने वाला उनको चरागाह की तरफ़ ले जा रहा है या क़साइवाड़े की तरफ़ वे तो आंखे बन्द करके हांकने वाले के पीछे चलती रहती हैं इसी तरह ज्यादातर लोग अपनी नफ़्स की ख्वाहिशों और गुमराह लीडरों या गुमराह पीरों या गुमराह मौलवियों या गुमराह मुजाधिरों या गुमराह चौधरियों के इशारों पर आंखें बन्द किये चले जा रहे हैं वे कुछ भी नहीं जानते कि उनको फ़लाह की तरफ़ लिये जा रहे हैं या बर्बादी की तरफ़ इस हद तक तो उनकी हालत भेड़ बकरियों की मिसाल पर है लेकिन भेड़ बकरियों को खुदा ने अक्ल और समझ नहीं दी है वे अगर चरवाहे और क़साई में फ़र्क़ नहीं कर सकती तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि उनमें अक्ल नहीं है लेकिन अफ़सोस है इंसानों पर जिनको अल्लाह तआला ने अक्ल और समझ की नेमत दी है फिर भी भेड़ बकरियों की तरह अंधी तक्लीद करते हैं और अक्ल व समझ से कुछ भी काम नहीं लेते।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फरमाते हैं-

अल्लाह तआला की बुर्दबारी से धोखा मत खा क्योंकि उसकी पकड़ बहुत सख्त है उन मौलवियों से जो हक़ तआला से जाहिल हैं धोखा मत खा कि उनका सारा इल्म उनके ऊपर वबाल है नफ़ा देने वाला नहीं। ये अल्लाह तआला के सिर्फ़ हुक़मों के आलिम हैं और खुदा की ज़ात से जाहिल हैं लोगों को एक काम का हुक़म कर देते हैं मगर खुद उसको नहीं करते उनको एक काम से मना करते हैं मगर खुद उनसे बाज़ नहीं आते दूसरों को अल्लाह तआला

की तरफ बुलाते हैं और खुद उससे भागते हैं।

हवाला - 'फुयूजे यज़दानी, पृ० 79, मज्लिस 11।

मेरे प्यारे दोस्त! आप इतना नहीं समझते कि अंबिया और खास तौर से नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मारफ़त के तमाम दर्जे तै कर चुके थे और खुद इल्म व इरफ़ान में सब दुनिया से कामिल थे रब की सिफ़ात और ज़ात का सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा खुदा की इबादत करते थे और रब की इताअत में तमाम दुनिया से ज़्यादा मशगूल थे और दुनिया में आखिरी दम तक उसी में लगे रहे और अल्लाह से डरते रहे।

ऐ मेरे अज़ीज़! आपको क्या हो गया है? आप दीन की नसीहत और खुदा की इबादत को छोड़कर अपनी ज़िद और नफ़सानियत पर अड़े हुए हैं शरीअत को छोड़ कर जहालत पर अड़े हुए हैं और अमल से ग़ाफ़िल हैं।

कुरआन मजीद के तेईसवें पारे में सूर: जुमर के दूसरे स्कूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इश़ादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - कह दे कि मुझे तो अपने रब की नाफ़रमानी करते हुए बड़े दिन (यानी क़ियामत) के अज़ाब का डर लगता है।

अल्लाह तआला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म फ़रमाता है कि लोगों में एलान कर दो कि बावजूद इसके कि मैं खुदा का रसूल हूँ लेकिन अज़ाबे इलाही से बे-ख़ौफ़ नहीं हूँ। अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूँ तो क़ियामत के दिन अज़ाबों से मैं भी नहीं बच सकता, तो दूसरे लोगों को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी करने से ज़्यादा डरना चाहिए।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 23, पृ० 80, सूर: जुमर के दूसरे स्कूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसको उसके अमल ने पीछे रखा उसको उसका नसब आगे न बढ़ायेगा।
(मुख़्तसर)

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 151, हदीस 802, बाबुल क़िरात।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! असल चीज़ अमल है नस्ल व नसब कोई चीज़ नहीं। अल्लाह तआला के दरबार में अंधेर नहीं है वहां कोई नाटक, सिनेमा की खिड़की नहीं है कि जाने दो ये शहज़ोर साहब हैं या यह तो पीर साहब हैं या ये तो नवाब साहब हैं या यह तो मौलवी हैं या यह तो सैयद हैं या यह तो सूफ़ी साहब हैं या मस्त या मलंग या शाह साहब हैं। वहां पर क़ियामत के दिन यह लक़ब या नस्ल और नसब सब बेकार हो जाएंगे वहां पर तो सिर्फ़ नेक अमल, जो दुनिया में किये होंगे वे काम आएंगे और उसी से छुटकारा होगा।

मेरे दोस्तो! अल्लाह तआला ने अपने कलाम मजीद में या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने किसी हदीस शरीफ में यह नहीं फरमाया कि सय्यिदज़ादे बरखा दिये जाएंगे पीर या पीरज़ादे बरखा दिये जाएंगे या हाफिज़ बरखा दिये जाएंगे या कारी साहब बरखा दिये जाएंगे या मुफ़्ती बरखो जाएंगे या मौलवी बरखो जाएंगे या वाज़िज़ीन बरखो जाएंगे या अपने आपको मस्त मलंग, दरवेश और सूफ़ी कहलाने वाले बरखो जाएंगे दुनिया के मर्तबे और लक़ब कोई हैसियत नहीं रखते असल चीज़ सही अक़ीदा और अमल है। अगर इन दो के साथ लक़ब है जब तो सुब्हानल्लाह! बहुत ही मुबारक लक़ब है और अगर बग़ैर अमल के लक़ब हैं जब तो दुनियावी दगा है, नफ़्सानी फ़रेब और शैतानी धोखा है।

कुरआन शरीफ़ के छब्बीसवें पारे में सूर: फ़त्ह के चौथे रूक़अ में आयत नं० 29 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला ने उन लोगों से जो कि ईमान लाए हैं और नेक काम कर रहे हैं मग़िफ़रत और बड़े अज़्र का वायदा कर रखा है।

मुनाज़रह

मुनाज़रा और मुबाहसा इल्म में करना मदद और ताइदि हक़ के वास्ते (यानी ख़ालिस हक़ के लिए हक़ बात की तह्कीक़ात के वास्ते मुनाज़रा करना) इबादत है और तीन बातों में से किसी बात के वास्ते मुनाज़रा करना हराम है।

1. मुसलमान को मग़लूब करने के वास्ते (यानी एक मुसलमान भाई को हराने की नीयत से) मुनाज़रा करना हराम है,
2. अपने इल्म और क़ाबिलियत के इज़हार करने के वास्ते (यानी लोगों में अपने इल्म की शोहरत और तारीफ़ करने की नीयत से) मुनाज़रा करना हराम है,
3. दुनिया हासिल करने या माल या कुबूले ख़लाइक के वास्ते मुनाज़रा करना हराम है (यानी दुनिया का माल जमा करने और तलब करने की नीयत से या लोगों में अपनी मक़बूलियत हासिल करने की नीयत से) मुनाज़रा करना हराम है।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्द तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 244, बाबुल हज़र।

ऐ मरे अज़ीज़ दोस्त! आपने शायद कोई मुनाज़रा देखा होगा कुछ लोग जो जेब भरु पीर और पेट भरु मौलवी हैं और हकीक़त में वे झूठे हैं लेकिन अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मुनाज़रा करने के वास्ते तैयार हो जाते हैं। इन लोगों को मुनाज़रा करने की ज़रूरत यों होती है कि इन लोगों के ताबेअ ज़्यादातर जाहिल और अपनढ़ लोग होते हैं। जब इन लोगों को अपनी हार नज़र आती है और समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई पहलू नज़र नहीं आता तो फौरन कोई ऐसी बात कह डालते हैं जिसकी शरीअत में कोई असल न हो यानी जाहिलों पर अपना

असर डालने के लिए हक परस्त आलिम से यह सवाल कर बैठते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो फलां-फलां को काफिर कहो और वे काफिर थे ऐसे दस्तखत कर दो अब इस बात को एक हकपरस्त आलिम, जिसको अल्लाह तआला ने हिदायत से मालामाल कर रखा हो वह कैसे मान लेगा क्योंकि हनफी मसलक में काफिर को भी काफिर कहने का हुकम नहीं है जिसका बयान हम पहले कर चुके हैं वह एक मुसलमान को काफिर कैसे कहेगा और ऐसी बेजा बात पर वह कैसे दस्तखत करेगा। जब वह दस्तखत करने से इंकार कर देता है और समझदार और बा इल्म इंसान को तो इंकार ही कर देना चाहिए तो फौरन ये जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी जाहिलों पर अपना असर डालने के लिए बोल उठते हैं कि देखो भाई अगर ये सुन्नी होते तो फलां-फलां को काफिर जरूर कहते। अब तुम्हें मालूम हो गया कि ये सुन्नी नहीं बल्कि वहहाबी हैं।

बस इतना कहना था कि एक कियामत का हंगामा बरपा हो जाता है और जाहिल और अनपढ़ लोग मारने और मरने पर तैयार हो जाते हैं और जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं कि हम झूठे और मक्कार हैं फिर भी नफसानियत की जिद और दुश्मनी की वजह से या अपनी नाक ऊंची रखने के लिए या जाहिलों पर अपना रौब जमाने के लिए वे हक बात को कुबूल नहीं करते बल्कि अबू जह्ल की तक्लीद करके दूसरे मुसलमानों में फिलना फैला देते हैं और इन बेचारे जाहिल अनपढ़, गरीब मुसलमानों को गुमराह भी करते हैं उनके माल नाजायज़ तरीकों से खा जाते हैं और हक परस्तों के वाज़ भी नहीं सुनने देते, क्योंकि इन गरीबों के कान में अगर हक की आवाज़ पड़ जाएगी और ये सही तरीके पर आ जाएंगे सच्चे मुसलमान हो जाएंगे तो उनकी सरदारियां खत्म हो जाएंगी और उनके हदिए, नज़राने सारे के सारे हमेशा के लिए बन्द हो जाएंगे।

यही मेहनत अबूजह्ल की थी, वह मक्का के मुश्रिकों में एलान के साथ इस तरह कहता फिरता था कि जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जुबान से कुरआन करीम की तिलावत को न सुनो और जब कुरआन पढ़ा जाए तो तुम लोग थालियां पीटो, तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ, ताकि तुम्हारे कान में कुरआन करीम की आवाज़ सुनायी न दे, बल्कि तुम्हारी आवाज़ कुरआन पर गालिब आ जाए।

कुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूर: सज्द: के चौथे रकूअ में आयत न० 26 में अल्लाह तआला इशार्द फरमाता है-

तर्जुमा - काफ़िरों ने कहा, इस कुरआन को सुनो ही मत और जब यह सुनाया जाए तो इस में खलल डालो, शायद कि इस तरह तुम गालिब आ जाओ।

यह मक्का के काफ़िरों के उन मंसूबों में से एक था जिन से वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत और तब्लीग को नाकाम करना चाहते थे। उन्हें खूब मालूम था कि कुरआन अपने अन्दर किस बला की तासीर रखता है और उसको सुनाने वाला किस पाए का इंसान है और उस शख्सियत के साथ उसके अदा का तरीका किस दर्जे असर डालने वाला

है। वे समझते थे कि ऐसे ऊंचे रुखे वाले आदमी की जुबान से दिल मोह लेने वाले अंदाज़ में इस बेनज़ीर कलाम को जो भी सुनेगा, आखिरकार कायल होकर रहेगा, इसलिए उन्होंने यह प्रोग्राम बनाया कि इस कलाम को न खुद सुनो न किसी को सुनने दो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब भी इसे पढ़ना शुरू करें तो शोर मचाओ तालियां पीटो, आवाज़ें कसो एतराज़ों की बौछार कर दो और इतनी आवाज़ बुलन्द करो कि उनकी आवाज़ इसके मुक़ाबले में दब कर रह जाए। इस तदबीर से वे यह उम्मीद रखते थे कि अल्लाह के नबी को शिकस्त दे देंगे। यही हाल आज हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों का है जहां कहीं हक़ परस्तों का वाज़ या इज्तिमाअ होता है उसी दिन और उसी रात को ये बातिल परस्त भी कोई न कोई प्रोग्राम रख देते हैं। क़व्वाली कराते हैं, मीलादें पढ़वाते हैं रेडियों को ज़ोर-ज़ोर से बजाते हैं। कहीं-कहीं तो रंडियों के नाच करवा देते हैं इस नीयत से कि कुछ न कुछ मख़्लूक रुक ही जाएगी और हक़ परस्तों के जलसे ठंडे पड़ जाएंगे। ये सारी मेहनतें बातिल को निभाने के लिए की जाती हैं और भोले जाहिल और अनपढ़ मुसलमानों को समझाया जाता है कि अगर तुम इन हक़परस्तों के वाज़ या इज्तिमाअ में जाओगे तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूर: अन्फ़ाल के पहले रूक़अ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - सच्चे ईमान वाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का ज़िक्र सुन कर कांप जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें (यानी क़ुरआन करीम) उनके सामने पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वे अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं।

मुनाफ़िक़ जब नमाज़ का फ़र्ज़ अदा करते हुए दिखायी देते हैं तो क़ुरआन की आयतें ज़रूर भर उनके दिल पर असर नहीं करतीं न अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं न खुदा पर तवक्कुल करते हैं न नमाज़ पढ़ते हैं जबकि घर में होते हैं न अपने माल की ज़कात देते हैं अल्लाह तआला खबर देता है कि मोमिन ऐसे नहीं होते मोमिनों की खूबी इस आयत में यों बयान फ़रमाता है जब ये क़ुरआन पढ़ते हैं तो खुदा के डर से उनके दिल कांप उठते हैं जब आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो तसदीक़ करने की वजह से उनका ईमान और बढ़ जाता है और वे खुदा के सिवा किसी दूसरे पर भरोसा करते ही नहीं।

मोमिन की हकीकी पहचान यही है कि किसी मामले में खुदा का नाम बीच में आ गया तो उनके दिल कांप उठते हैं वे उसके हुक्म की तामील करते हैं और उसकी मना की हुई बातों से बाज़ रहते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9 पृ० 72 सूर: अन्फ़ाल के पहले रूक़अ की तफ़्सीर में। अल्लाह का फ़रमान तो यह है कि जब क़ुरआन करीम सुनाया जाता है तो ईमान ताज़ा और मज़बूत हो जाता है और यह जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी कहते हैं कि तुम क़ुरआन करीम को न सुनो, वरना तुम्हारा ईमान चला जाएगा, हक़परस्तों का ईमान तलबारों की छांवों

में और तीरों की बौछारों में भी नहीं गया वह हक़ बात सुनने से कैसे चला जाएगा, ये लोग शराब पीने से नहीं रोकते चोरी करने से नहीं रोकते, जुआ खेलने से नहीं रोकते, सिनेमा देखने से नहीं रोकते, रस्म व रिवाज से नहीं रोकते, कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों से नहीं रोकते, जितना कि हक़परस्तों के वाज सुनने से और तब्लीगी जमाअत के इज्तिमाअ से रोकते हैं।

बहरहाल यह अबू जह्ल की तक्लीद हो रही है अबू जह्ल इस तरह क्यों मेहनत कर रहा था इसकी बजह क्या थी सिर्फ़ यही कि अगर मक्का वाले कुरआन को सुन लेंगे, तो यकीनन ये लोग मुसलमान हो जाएंगे और हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी और हुआ भी यही। आखिर मक्का वालों के कानों में कुरआन करीम की आवाज़ आ गयी और वह सच्चे मुसलमान हो गये और अबू जह्ल ईमान से महरूम रह गया।

यही तरीका इन जेबभरू पीरों और पेटभरू मौलवियों का है।

ये कहते हैं कि देवबन्दी आलिमों का वाज़ न सुनो! तब्लीगी जमाअत वालों की बात न सुनो! वरना तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इतनी जद्दो जहद करने के बावजूद भी हजारों की तादाद में तब्लीगी जमाअत में लग गए और लाखों की तादाद में उलेमा-ए-देवबन्द के अकीदतमंद हो गये लेकिन ये जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी हिदायत से महरूम ही रह गये। वही अबू जह्ल की तक्लीद है जो पहले थी। ये लोग गरीब अनपढ़ और भोले लोगों को वाज़ सुनने से मना करते हैं उनसे कस्में भी ली जाती हैं उनसे हाथ उठवाये जाते हैं उनसे इकरार कराया जाता है कि अब आप लोग हक़परस्तों का वाज़ नहीं सुनेंगे लेकिन वह खुद देवबन्दी आलिमों का वाज़ छिप कर बड़े मजे से सुनते हैं और तब्लीगी जमाअत के इज्तिमाअ में चोरी चोरी आते हैं यह भी अबू जह्ल की तक्लीद है।

एक बार अबू जह्ल के दिल में यह ख्याल आया कि जो आदमी कुरआन सुनता है वह मुसलमान हो जाता है आखिर इस कुरआन में ऐसी कौन सी बात है इसलिए वह भी रात को कुरआन सुनने की गरज से अंधेरे में छिपता-छिपता गया उसी रात को अबू सुफ़ियान बिन सख़् को यही ख्याल आया और वह भी उसी रात को अंधेरे में छिपता-छिपता गया। उसी रात को अख़्नस बिन शुरैक़ को भी यही ख्याल आया वह भी उसी रात को अंधेरे में छिपता-छिपता गया, सुबह सादिक़ से पहले ये तीनों वहां से चल दिये उनमें से किसी को एक दूसरे की खबर न थी इत्तिफ़ाक़ से तीनों एक जगह पर मिल गये। हर एक दूसरे से पूछने लगा कि तू कहां गया था? सब ने इकरार कर लिया कि कुरआन सुनने गये थे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हम दूसरों को तो कुरआन सुनने से मना करते हैं और खुद छिप-छिप कर सुनते हैं। अगर दूसरे लोगों को खबर हो गयी कि हम छिप कर कुरआन सुनते हैं तो वे सब लोग सुनने लग जाएंगे और जब कुरआन सुनेंगे और बात उनकी समझ में आ जाएगी तो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे और हमारी सरदारियां खाक में मिल जाएंगी इसलिए हम कसम खा लें कि अब दूसरी बार कुरआन सुनने को नहीं जाएंगे।

दूसरी रात आयी तो अबू जह्ल करवटें बदल रहा है। उसको नींद नहीं आती। ख्याल हुआ कि उन लोगों ने तो कसम खायी है इस वजह से नहीं आएंगे, मैं तो चल कर सुनूं! यही ख्याल अबू सुफियान और अरुनस को भी हुआ और दूसरी रात को भी उन तीनों ने छिप कर कुरआन करीम को सुना। सुबहे सादिक से पहले-पहले ये तीनों उठ कर चल दिये। इत्तिफाक से फिर एक जगह पर मिल गये। एक दूसरे के पूछने पर कहा कि हम कुरआन सुनने गये थे तो कहने लगे लो हम पर भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जादू चल गया। कल हमने कसमें खायी थी फिर भी आ गये। अब हलफ उठा कर कसम खाओ कि आइंदा कुरआन सुनने नहीं जाएंगे।

अल्लाह की शान देखिए कि तीसरी रात को भी अबू जह्ल को नींद नहीं आयी। दिल में सोचा कि आज तो उन्होंने हलफ उठा कर कसम खायी है इसलिए यकीनन नहीं आएंगे मैं तो जाकर सुनूं। यही हाल उन दोनों का हुआ। रात भर कुरआन करीम को सुना और सुबह सादिक से पहले पहले खाना हो गये और उसी जगह पर फिर तीनों मिल गये। फिर तो एक दूसरे पर लान तान करते हुए अपने अपने घर चले गये।

सुबह को अरुनस तंहाई में अबू जह्ल से मिला और कहने लगा, सच बलाओ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारे नजदीक सच्चे हैं या झूठे? देखो यहां पर मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, दिल की बात मुझ से न छिपाना।

उसने कहा, जब यही बात है तो सुनो! कसम खुदा की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिल्कुल सच्चे हैं और यकीनन सादिक हैं उम्र भर में किसी छोटी सी छोटी बात में कभी आप झूठ नहीं बोले।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 56, सूर: अन्-आम के चौथे रकूअ की तफ्सीर में।

हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अबू जह्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि हम आपको झूठा नहीं कहते, हम तो उस चीज को झुठलाते हैं जिसको आप लाये हैं (यानी कुरआन करीम को)

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 851, हदीस 5555, अरुलाक व आदात का बयान,

2. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 498, अरुलाक व आदात का बयान।

हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू जह्ल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि हम आपको नहीं झुठलाते, बल्कि आप जो दीन पेश करते हो उसको झुठलाते हैं।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा, 7, पृ० 56, सूर: अन्-आम के चौथे रकूअ की तफ्सीर में।

अबू जह्ल के इन लफ्जों पर कि हम आपको नहीं झुठलाते बल्कि आप जिस को पढ़कर सुनाते हैं यानी कुरआन करीम को झुठलाते हैं इस पर आयते करीमा नाजिल होती है-

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूरः अनआम के चौथे रकूअ में आयत न० 33 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग कहते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि ये ज़ालिम तो मेरी आयतों को झुठलाते हैं।

कुरआन करीम की सच्चाई को जिसने भी सुन लिया उसके दिल ने एहसास कर लिया कि यह हक़ की आवाज़ है मगर ज़िद और जहालत की वजह से लोग हिदायत से महकूम रह जाते हैं।

कल्दा बिन उसैद बिन खल्फ़, यह बड़ा घमंडी था और साथ ही बड़ा ताक़तवर था। यह गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता, फिर दस ताक़तवर आदमी मिल कर उस चमड़े को उसके पांव के नीचे से निकालना चाहते तो खाल के टुकड़े हो जाते और उसके क़दम हिलते भी नहीं थे। यही आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आकर कहने लगा कि आप मुझसे कुश्ती लड़ें। अगर आपने मुझे गिरा दिया तो मैं आपकी बात और नुबुव्वत को मान लूंगा। चुनांचे हुज़ूर ने उससे कुश्ती लड़ी और कई बार उसको गिरा दिया लेकिन उसे ईमान लाना नसीब न हुआ।

हवाला - तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 65, सूरः मुद्सिर के पहले रकूअ की तफ़सीर में।

मेरे दोस्तो! जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं होती, उसके लिए कोई पहलू भी हिदायत का ज़रिया नहीं बन सकता और वह अपनी हार को भी जीत समझने लगता है और ऐसे ही लोग खुद भी गुमराह हैं और बेचारे ग़रीब और अनपढ़ लोगों को भी गुमराह करते हैं मगर उन लोगों के सामने हक़परस्त बन्दे क़ियामत तक इन्शाअल्लाह बाकी रहेंगे।

हदीस - हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

मुझे अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले इमामों ही का डर है और मेरी उम्मत का एक ग़िरोह हमेशा हक़ पर रहेगा और ग़ालिब होकर रहेगा। उनका साथ छोड़ने वाले (यानी उनसे दुश्मनी करने वाले) उनका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। और यह सिलसिला क़ियामत तक रहेगा।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 20, हदीस 96, फ़िल्ने का बाब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 772, हदीस 5132, फ़िल्ने का बाब,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 296, क़िताबुल फ़ितन।

हदीस - हज़रत क़अब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जिसने इल्म इस ग़दज़ से हासिल किया कि उसके ज़रिए उलेमा से फ़ख़्र और मुक़ाबला करे या उसके ज़रिए बेवकूफ़ों से झगड़ा और बहस करे और उसके ज़रिए से लोगों को अपनी तरफ़ माइल करे, तो अल्लाह तआला उसको दोज़ख़ में दाख़िल करेगा।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 104, हदीस 514, इल्म का बयान,

2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 117, हदीस 211, इल्म का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 94, इल्म का बयान।

एक वह इल्म, जिसमें कोई ऐसा नफ़ा नहीं है जिसको जानने वाला आखिरत में ले जावे और वह इल्म जद्ल और मनाज़रात है (यानी झगड़े का इल्म) पस ऐसे इल्म की तरफ़ मशगूल होना एक ऐसी चीज़ के वास्ते उम्र बर्बाद करना है जिसका आखिरत में कुछ नफ़ा नहीं है और इस इल्म में तो इसी वास्ते मशगूल होते हैं कि अपने खसम (यानी सामने वाले) को मग़्लूब करें (यानी हरा दे) यह गरज नहीं कि हक़ ज़ाहिर करें और मसाइल में जो फ़र्क़ है उस पर मौकूफ़ हो (यानी उसको जान ले) और अहक़ाम से तनाकुज दूर करे (यानी शरीअत में जो इख़्तिलाफ़ हों, उनको दूर करे) पस उसको छोड़कर किसी दूसरे इल्म में जो उसके हक़ में दुनिया या आखिरत में मुफ़ीद हो मशगूल हो ले और उम्र जाया न करे तो अच्छा है।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 258, कराहत का बयान।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब अपने बेटे हम्माद को कलाम (अक़ीदे) में मनाज़रा करते देखा तो उसको मना फ़रमाया तो हम्माद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज़ किया कि मैंने आपको अक़ीदों में मनाज़रा करते देखा है और आप मुझे मना कर रहे हैं तो फ़रमाया कि हम मुनाज़रा किया करते थे इस सुकून (यानी इत्मीनान और मुहब्बत व नमी) से गोया हमारे सरो पर चिड़ियां बैठी हैं इस डर से कि हमारे सामने का आदमी लग़ि़श न खावे और तुम इस नीयत से मुनाज़रा करते हो कि तुम्हारा सामने का आदमी फिसल जावे और जिसने अपने सामने के आदमी की लग़ि़श चाही तो उसका कुफ़्र चाहा और जिसने उसका कुफ़्र चाहा तो खुद काफ़िर हुआ।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 53, अक़ाइद का बयान।

कुरआन शरीफ़ के सतरहवें पारे में सूर: हज के नवें रकूअ में आयत न० 69 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - अल्लाह तआला तुम्हारे दर्मियान क़ियामत के दिन (अमली) फ़ैसला फ़रमा देगा जिन चीज़ों में तुम इख़्तिलाफ़ करते थे।

कियामत के दिन हम और तुम में खुदावन्द करीम फ़ैसला कर देगा और उस वक़्त सारे इख़्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएंगे।

अगर ये आपको झुठलाएं तो आप इनसे कह दें कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है तुम मेरे अमल से बरी हो मैं तुम्हारे करतूतों से बेज़ार हूं। पस यहां भी उनके कान खोल दिये गये। अल्लाह तआला तुम्हारे अमलों से बा खबर है वह तुम्हारी छोटी से छोटी हरकत को भी जानता है वही हम तुम में काफ़ी गवाह है कि क़ियामत के दिन हम तुम में फ़ैसला अल्लाह पाक खुद कर देगा उस वक़्त सारे इख़्तिलाफ़ मिट जाएंगे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 74, सूर: हज के नवें रकूअ की तफ़सीर में।

बातिल को हक समझने वाले

मेरे प्यारे दोस्त! अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बातिल को हक समझ कर अमल करते रहते हैं ऐसे लोग तौबा से महकूम रह जाते हैं और उन लोगों में से शायद ही किसी को तौबा नसीब होती हो क्योंकि जो आदमी गुनाह समझ कर अमल करता है उसके लिए तो उम्मीद हो जाती है कि कभी न कभी वह तौबा करेगा, पर जो आदमी गुनाहों के कामों को नेक और आखिरत का तोहफा निजात का जरिया समझ कर अमल करे ऐसे लोगों में से शायद ही किसी को तौबा नसीब होती हो।

कुरआन शरीफ के सतरहवें पारे में सूर: हज के पहले रकूअ में आयत न० 3, 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - कुछ लोग खुदा के बारे में बातें बनाते हैं और वह भी बे इल्मी के साथ सरकश शैतान की ताबेदारी में जिस पर अल्लाह का फैसला लिख दिया गया है कि जो कोई उसकी रिफाकत (यानी दोस्ती) करे उसको वह गुमराह कर देगा और आग के अजाब की तरफ उसको ले जाएगा।

खुदा के फरमान से हट कर नबियों की ताबेदारी को छोड़ कर इंसानों और जिन्नों की ताबेदारी करते हैं उन की अल्लाह तआला तदीद कर रहा है। आप देखेंगे कि जितने बिदअती और गुमराह लोग हैं वे हक से मुंह फेर लेते हैं बातिल की इताअत में लग जाते हैं और खुदा की किताब और उसके रसूल की सुन्नत छोड़ देते हैं और गुमराह सरदारों को मानने लगते हैं इसलिए फरमाया कि उनके पास सही इल्म नहीं होता ये जिसकी मानते हैं वे उन्हें बहकाते रहते हैं और आखिर उन्हें अजाबों में फंसा देते हैं जो जहन्नम के ईधन बनने वाले हैं।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 44, सूर: हज के पहले रकूअ की तफसीर में।

कुरआन शरीफ के सतरहवें पारे में सूर: हज के पहले रकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - कुछ लोग खुदा के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झगड़ते हैं।

चूंकि ऊपर की आयतों में गुमराह जाहिल मुकल्लिदों का हाल बयान फरमाया था (यानी जाहिल तफलीद करने वालों का) अब यहां उनके पीरों और मुर्शिदों का हाल बयान फरमा रहा है कि वे बे-अक्ली और बे-दलीली से, सिर्फ राय, कियास और ख्वाहिशे नफ्सानी से खुदा के बारे में कलाम करते रहते हैं हक से कतराते हैं तकब्बुर से गरदन मोड़ लेते हैं, हक को कुबूल करने से बे-परवाही से इंकार कर जाते हैं।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 47, सूर: हज के पहले रकूअ की तफसीर में।

जैसे हड़क वाले पर हड़क ग़ालिब होती है और वह पानी से भागता है और प्यासा ही मर जाता है इसी तरह झूठे मज़हब वालों पर ख्वाहिशे नफ़्सानी ग़ालिब होती है और इल्मे हक़ से भाग कर गुमराही के जंगल में हलाक होते हैं।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 80, किताबुल ईमान।

जो लोग मौत के बाद की ज़िंदगी के इंकारी हैं और खुदा को इसपर क़ादिर नहीं मानते और खुदा के फ़रमान से हट कर नबियों की ताबेदारी को छोड़ कर सरकश इंसानों और जिन्नों की मातहत कर लेते हैं उनकी अल्लाह तआला तर्दीद फ़रमा रहा है।

आप देखें कि जितने बिदअती और गुमराह लोग हैं वे हक़ से मुंह फेर लेते हैं बातिल की इताअत पर लग जाते हैं खुदा की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को छोड़ देते हैं और गुमराह सरदारों की मानने लगते हैं इसलिए फ़रमाया कि उनके पास कोई सही इल्म नहीं होता ये जिस की मानते हैं वे अज़ली मर्दूद हैं अपने मानने वालों को बहकाते हैं और आखिर में उन्हें अज़ाबों में फंसा देते हैं जो जहन्नम के जलाने वाले आग के (ईंधन) हैं।

हवाला तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 44, सूः हज के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

गुनाह के कामों में मख़्लूक़ की इताअत हराम है

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूः निसा के आठवें रूकूअ में आयत न० 59 में अल्लाह तआला इश़ादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और जो लोग तुम में से हुकूमत वाले हैं (उनका कहना भी मानो) फिर अगर किसी मामले में तुम आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगे, तो उस मामले को अल्लाह और रसूल के हवाले कर दिया करो, (वहां से जो भी हुकम मिले उसे कुबूल कर लिया करो) अगर तुम अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हो। ये मामले सब बेहतर हैं और इनका अंजाम खुशतर (यानी बहुत अच्छा) है।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप फ़रमाते हैं-

(इमाम की बात) सुनना और मानना हर आदमी पर ज़रूरी है जब तक उसे किसी गुनाह की बात का हुकम न दे दिया जाए। फिर अगर किसी गुनाह का हुकम दिया जाए तो न सुनना और न मानना ज़रूरी है।

हवाला

- 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 59, हदीस 207, जिहाद का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 340, हदीस 1606, जिहाद का बयान।

हदीस

- हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक लश्कर रवाना किया और एक आदमी को उस पर अमीर बनाया। उस आदमी ने आग जलवा कर लोगों से कहा इसमें दाख़िल हो जाओ कुछ ने दाख़िल होने का इरादा किया मगर और लोगों ने कहा कि हम तो आग से ही पनाह के वास्ते इस्लाम लाये हैं फिर उन्होंने यह ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया आपने उन लोगों को, जिन्होंने आग में दाख़िल होने का इरादा किया था।

फ़रमाया अगर वे उसके अन्दर दाख़िल हो जाते तो क़ियामत तक उस में रहते और बाकी लोगों से फ़रमाया (अल्लाह के) गुनाह में किसी की इताअत नहीं है इताअत नेक काम के अन्दर है।

हवाला

- सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 505, हदीस 2121, एक आदमी की ख़बर का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में सूः तौबा के पांचवें रूक़अ में आयत 31 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा

- इन लोगों ने खुदा को छोड़ कर अपने आलिमों और दरवेशों को खुदा बना लिया है।

हदीस

- हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया उस वक़्त मेरे गले में सोने की सलीब (लटक रही) थी। आपने फ़रमाया अपने पास से इस बुत को दूर कर दो और मैंने आप को सूः तौबा में से यह पढ़ते सुना (यानी ऊपर की आयत)

यह सुन कर मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्होंने तो कभी मौलवियों और पीरों को खुदा नहीं बनाया।

आपने फ़रमाया कि ऐसा नहीं था कि लोग उनको पूजते थे बल्कि जब वे (पीर और मौलवी) किसी चीज़ को उन के लिए हलाल कर देते थे तो ये उसको अपने लिए हलाल समझते थे और जब किसी चीज़ को उन पर हराम कर देते थे तो ये लोग उस चीज़ को अपने ऊपर हराम समझते थे।

हवाला

- तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 192, हदीस 952, सूः तौबा की तफ़सीर।

यानी अपने पीरों और मौलवियों के कहने पर चलते थे चाहे वे ग़लत बता दें या सही। जो उन्होंने कहा तक़लीद में उसे मान लिया यह उस ज़माने की जहालत थी अफसोस वही मुसीबत आज हिन्दुस्तान में तेज़ी से फैली हुई है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले से लेकर बाद तक ईसाइयों में पोप और दूसरे

बुजुर्ग और मौलवी इस मर्तबे पर माने जाते थे और अब भी माने जाते हैं कि अगर वे सरासर कोई बात खिलाफे अक्ल व नक्ल भी कहें तो बे-चूं व चरा माननी चाहिए। यही मजहबी तकलीद हराम है, क्योंकि यह मर्तबा तो खास खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का है कि बे चूं व चरा उनके कौल को माना जाए। उनके बाद जो किसी की बात मानी जा सकती है (यानी मानने के काबिल है) तो सिर्फ इसलिए है कि वे या तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं या उस रिवायत में से हुक्म देते हैं।

हवाला - तफ्सीर हक्कानी, जिल्द 3, पृ० 119, सूर आले इम्रान के सातवें स्कूअ की तफ्सीर में।

मख्लूक की इताअत खालिक के गुनाह में जायज नहीं और इस वास्ते हराम है मर्द पर दूसरे की दाढ़ी काटना।

हवाला - गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 235, बाबुल हज़र।

यानी कोई आदमी किसी नाई यानी हज्जाम से कहे कि मेरी दाढ़ी में कांट-छांट कर दे या मूंड दे तो मुसलमान हज्जाम को ऐसा करना हराम है।

यह तो एक दलील के तौर पर समझाने के लिए मिसाल दी गयी है वरना हर वह काम जिस में शरीअत की मुखालफत होती हो उस काम में मख्लूक की इताअत हराम है। ईमान का तकाज़ा यह है कि जहां पर या जिस काम में अल्लाह तआला की मासियत होती हो तो उस जगह पर या उस काम में दूसरे की इताअत न करना लाज़िम है क्योंकि कुरआन मजीद से यही बात साबित है।

कुरआन करीम के छठे पारे में सूर: माइदा के पहले स्कूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करते रहो, गुनाह और जुल्म व ज्यादती में मदद न करो। अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तआला सख्त सज़ा देने वाला है।

तबरानी के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं-

जो आदमी किसी ज़ालिम के साथ जाए ताकि उसकी मदद इमदाद करे और वह जानता हो कि यह ज़ालिम है वह यकीनन दीने इस्लाम से खारिज हो जाता है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 38, सूर: माइदा के पहले स्कूअ की तफ्सीर में।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो, मुफ़्लिस (ग़रीब) कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया हम में तो मुफ़्लिस वह आदमी है जिसके पास न तो दिरहम हो, और न सामान व असबाब।

आपने फ़रमाया मेरी उम्मत में से क़ियामत के दिन मुफ़्तिस वह आदमी होगा, जो दुनिया से नमाज़, रोज़ा और ज़कात वगैरह हर क़िस्म की इबादतें लेकर आएगा और साथ ही किसी को गाली देने किसी पर तोहमत लगाने, किसी का माल खा जाने, किसी को नाहक मार डालने और किसी को नाहक मारने के गुनाह भी लायेगा, फिर एक मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा और दूसरे मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और लोगों के हक़ बाकी रह जाएंगे तो उन हक़दारों की बुराईयां और गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा।

हवाला -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 733, हदीस 4871, जुल्म व सितम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 183, जुल्म व सितम का बयान।

हदीस - हज़रत अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुदा की तमाम रिसालत पहुंचा दी। आपने यह भी फ़रमाया है कि जुल्म से बचो, क्योंकि क़ियामत वाले दिन में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमायेगा, मुझे अपनी इज़्ज़त की और अपने जलाल की क़सम! आज एक ज़ालिम को भी न छोड़ूंगा, फिर एक मुनादी निदा करेगा कि फ़लां फ़लां है? वह आएगा और पहाड़ के पहाड़ नेकियों के उसके साथ होंगे, यहां तक कि अह्ले मद्शर की निगाहें उसकी तरफ़ उठने लगेंगी। वह खुदा के सामने आ कर खड़ा हो जाएगा, फिर मुनादी निदा करेगा कि उसकी तरफ़ किसी का कोई हक़ हो उसने किसी पर जुल्म किया हो वह आ जाए और अपना बदला ले ले। अब तो लोग इधर उधर से उठ खड़े होंगे और उसे घेर कर खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे। अल्लाह तआला फ़रमाएंगे, मेरे इन बन्दों को इनके हक़ दिलवाओ। फ़रिश्ते कहेंगे, खुदाया कैसे दिलवाएं? अल्लाह तआला फ़रमाएगा, इसकी नेकियां लो और इन्हें दो।

चुनांचे यों ही किया जाएगा यहां तक कि एक नेकी बाकी न रहेगी और अभी तक कुछ मज़्लूम और हक़दार बाकी रह जाएंगे अल्लाह तआला फ़रमाएगा इन्हें बदला दो।

फ़रिश्ते कहेंगे, अब तो इसके पास एक नेकी भी नहीं रही अल्लाह तआला हुक्म देगा कि इनके गुनाह उस पर लाद दो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 51, सूः अंकबूत के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में।
कुरआन शरीफ़ के अठ्ठाईसवें पारे में, सूः मुजादला के दूसरे रूकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - ऐ ईमान वालो! जब तुम सरगोशी करो (यानी ज़रूरत के वक़्त जब कोई मीटिंग या प्राइवेट बातें करने लगे) तो गुनाह और रसूल सल्ल० की नाफ़रमानी की बातें न करो और नफ़ा और परहेज़गारी की बातें करो और अल्लाह से डरो, जिसके पास तुम सब जमा किये जाओगे।

अल्लाह तआला मोमिनों को अदब सिखाता है कि तुम इन मुनाफ़िकों और यहूदियों के

से काम न करना तुम गुनाह के कामों और हद से गुज़र जाने वाले काम और नबी की बात न मानने के मशिवरे न करना बल्कि तुम्हें उनके बर ख़िलाफ़ नेकी के और अपने बचाव के मशिवरे करने चाहिए तुम्हें हर वक़्त उस अल्लाह से डरना चाहिए जिसके पास तुम्हें जाना है और वह उस वक़्त तुम्हें हर नेकी बदी की जज़ा व सज़ा देगा और तमाम कामों और बातों से मुतनब्बह (सचेत) करेगा अगर चे तुम भूल गये हो लेकिन उसके पास सब महफूज और मौजूद हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 10, सूः मुजादला के दूसरे स्कूअ की तफ़सीर में।

हर आदमी को चाहिए कि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमांबरदार बन जाए जो हुक्म मिले, बजा लाये, जिन चीज़ों से रोक दे रुक जाए, जो गुनाह हो जाए, उससे खौफ़ खाता रहे, आगे के लिए उससे बचता रहे। ऐसे लोग तमाम भलाइयों के समेटने वाले और तमाम बुराइयों से बचने वाले हैं। दुनिया और आख़िरत में वही निजात पाने वाले हैं।

जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी

कुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूः बकरः के दूसरे स्कूअ में आयत न० 8, 9, 10 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तआला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हैं लेकिन हकीकत में वे ईमान वाले नहीं होते अल्लाह तआला को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने आपको धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। उनके दिलों में इस किस्म की बीमारी थी और अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इसलिए कि वे झूठ बोलते थे।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

क़ियामत के दिन मर्तबे के लिहाज़ से बदतरीन आदमी वह होगा जिसने अपनी आख़िरत को दुनिया हासिल करने के लिए बर्बाद कर दिया होगा।

हवाला -1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 734, हदीस 4876, जुल्म व सितम का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 186, जुल्म व सितम का बयान।

असल में निफ़ाक़ कहते हैं भलाई को ज़ाहिर करने और बुराई को छिपाये रखने को।

निफ़ाक़ की दो किस्में हैं-

1. एक को एतकादी कहते हैं और 2. दूसरी को अमली कहते हैं।

पहली किस्म के मुनाफ़िक़ तो हमेशा के जहन्नमी हैं और दूसरी किस्म के बदतरीन मुजरिम हैं।

इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि मुनाफ़िक़ का कौल उसके फ़ेल के खिलाफ़, उसका छिपा हुआ उसके ज़ाहिर के खिलाफ़, उसका आना जाने के खिलाफ़, उसकी मौजूदगी, न मौजूद होने के खिलाफ़ हुआ करती है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 61, सूर: बक़र: के दूसरे रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बक़र: के दूसरे रकूअ में आयत न० 11, 12 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद न करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं ख़बरदार हो यकीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शऊर और समझ नहीं है।

उनका फ़साद कुफ़्र और अल्लाह तआला की ना-फ़रमानी थी मतलब यह है कि ज़मीन में खुदा की नाफ़रमानी करना या नाफ़रमानी करने का हुकम देना, ज़मीन पर फ़साद करना है और ज़मीन व आसमान की इस्लाह अल्लाह की इताअत ही में है।

हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि उन्हें जब अल्लाह तआला की नाफ़रमानी से रोका जाता है तो कहते हैं कि हम तो हिदायत व इस्लाह पर हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 65, सूर: बक़र: के दूसरे रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बक़र: के पांचवें रकूअ में आयत न० 42 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हक़ को बातिल के साथ ख़लत-मतल न किया करो और न हक़ को छिपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है

यहूदियों की इस बुरी आदत पर उनको तंबीह की जा रही है कि बावजूद जानने के कभी तो वह हक़ और बातिल को गड़ड़-मड़ड़ कर दिया करते थे कभी बातिल को ज़ाहिर कर दिया करते थे हक़ को छिपा दिया करते थे तो उन्हें इन नापाक आदतों के छोड़ने को कहा जाता है और हक़ को ज़ाहिर करने और उसे खोल-खोल कर बयान करने की हिदायत की जाती है कि हक़ और बातिल सच और झूठ न मिलाओ अल्लाह के बन्दों का भला चाहो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 106, सूर: बक़र: के पांचवें रकूअ की तफ़सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! इन यहूदियों और ईसाइयों की तक्लीद आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह पर जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी कर रहे हैं खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं और बेचारों के नाहक़ पैसे भी खा जाते हैं।

इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि हर बहकाने और गुमराह करने वाले को शैतान कहते हैं जिन्नों में से हो या इंसानों में से।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 67, सूः बकरः के दूसरे रकूअ की तफ्सीर में।

कुरआन शरीफ के दसवें पारे में सूः तौबा के पांचवे रकूअ में आयत न० 34 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! अक्सर उलेमा और इबादतगुज़ार लोगों का माल नाहक़ खा जाते हैं और राहे हक़ से भी रोकते हैं

यहूदियों के उलेमा को अहबार और ईसाई इबादत गुज़ारों को रुहबान कहते हैं।

आयत का मक़सद लोगों को बुरे उलेमा और गुमराह सूफ़ियों और आबिदों से होशियार कराना और डराना है।

हज़रत सूफ़ियान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हमारे उलेमा में से वही बिगड़ते हैं जिनमें कुछ न कुछ शायबा यहूदियत का होता है और सूफ़ियों और आबिदों में से हम मुसलमानों में वही बिगड़ता है जिसमें ईसाईयत का असर होता है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 51, सूः तौबा के पांचवें रकूअ की तफ्सीर में।

हदीस - हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

बेशक यकीनन तुम लोग अपने से पहले लोगों की पैरवी करोगे। बालिश्त पर बालिश्त और गज़ पर गज़, यहां तक कि अगर वह किसी सोसमार के सूरख में गये होंगे, तो तुम भी उसमें जाओगे।

हम लोगों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! (पहले लोगों से) क्या यहूद और नसारा (मुराद हैं)?

आपने फरमाया, (वह मुराद नहीं तो) फिर कौन?

हवाला - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 180, हदीस 667, बनी इस्राईल का बयान।

2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 765, हदीस 5100, लोगों की हालतों में तगय्युर व तबद्दुल का बयान।

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 279, लोगों की हालतों में तगय्युर व तब्दुल का बयान।

यहूदियों के आलिमों को जहालत के ज़माने में बड़ा ही मर्तबा हासिल था। उनके तोहफे, हदिए, खैरात, चिरागी मशहूर व मुक़रर थे जो बे-मांगे उन्हें पहुंच जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत के बाद इसी तमा व लालच ने उन्हें कुबूले इस्लाम से रोका और हक़ के मुक़ाबले में इस तरफ़ से भी कोरे रहे और आख़िरत से भी गये गुज़रे।

ज़िल्लत और हकारत उन पर बरस पड़ी, और खुदा के ग़ज़ब में पड़ कर तबाह और बर्बाद हो गये। यह हराम खाऊ जमाअत खुद हक़ से रुक कर औरों के दरपे रहती थी। हक़ और बातिल को ख़लत-मलत कर के लोगों को भी राहे हक़ से रोक देती थी जाहिलों में बैठ कर गप हांकते थे कि हम लोगों को राहे हक़ की तरफ़ बुलाते हैं हालांकि यह खुला धोखा है वे तो जहन्नम की तरफ़ बुलाने वाले हैं। क़ियामत के दिन ये लोग बे-यार व मददगार छोड़ दिये जाएंगे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 51, सूः तौबा के पांचवे रूकूअ की तफ़्सीरे से।

अफ़सोस ! आज हिन्दुस्तान के अक्सर पीरों और मौलवियों की यही हालत है कि जाहिलों में बैठ कर बग़ैर इल्म और बग़ैर तह्कीक़ के मसअले मसाइल की गपें मारते रहते हैं और हर साल नियाज़ व नज़राना वसूल कर लेते हैं और हक़ परस्तों को वाज़ नसीहत से रोकते हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूः निसा के पांचवें रूकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! मत खाओ अपने आपस के माल नाजायज़ तरीके से।

अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को एक दूसरे का माल बातिल तरीके से यानी हीलासाज़ी के साथ खाने से मना फ़रमा रहा है जो लोग सद्का, ख़ैरात न करें और अल्लाह की अता की हुई ज़्यादती (निमत) पर सब्र व शुक्र न करें। दुनिया का माल जमा करते फिरें और बदतरीन और ख़िलाफ़े शरअ तरीकों से कमाया करें और लोगों के माल बातिल और नाहक़ के साथ खा जाएं। वे खुदा के दुश्मन हैं। इन ना शुक्रों और गुनाहगारों पर खुदा का प्यार नहीं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 29, सूः बकरः के अड़तीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

हर बात के बदले दुनिया समेटने की फ़िक्र में लग गये हैं। जेब भर दो और जो चाहे कहलवा लो और उम्मीद यह है कि फिर तौबा कर लेंगे, माफ़ हो जाएगा। फिर मौका आया फिर दुनिया लेकर खुदा की बातें बदल दीं, गुनाह से तौबा की, फिर मौका मिलते ही लपक कर गुनाह कर लिया, मक्सद उनका दुनिया तलबी है हलाल से मिले या हराम से फिर भी मग़िफ़रत की तमन्ना है। ये हैं जो अपने आप को वारिसे रसूल सल्ल० कहलवाते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 40 सूः आराफ़ के इक्कीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन पाक के दूसरे पारे में सूः बकरः के इक्कीसवें रूकूअ में आयत न० 168 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - लोगो! ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ, पियो और शैतानी राह न चलो वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने जिस वक़्त इस आयत की तिलावत हुई तो

हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर कहा ।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मेरी दुआओं को कुबूल फ़रमाया करे ।

आपने फ़रमाया ऐ सअद (रज़ियल्लाहु अन्हु) पाक चीज़ें और हलाल लुक़मा खाते रहो, अल्लाह तआला तुम्हारी दुआएं कुबूल फ़रमाता रहेगा । क़सम है उस खुदा की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जान है हराम लुक़मा जो इंसान अपने पेट में डालता है उसकी शूमी की वजह से चालीस दिन की उसकी इबादत कुबूल नहीं, जो गोश्त हराम से पला, वह जहन्नमी है ।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़त्वा देते हुए फ़रमाया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है वह तुम्हें बुरे कामों और उससे भी बढ़ कर ज़िनाकारी और उससे बढ़ कर खुदा पर उन बातों के जोड़ लेने को कहता है जिनका तुम्हें इल्म न हो पस हर काफ़िर और बिदअती इसमें दाख़िल हैं जो बुराई का हुक़म करे और बदी की तरफ़ रग़बत दिलाये ।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 19-20 सूः बक़रः के इक्कीसवें स्कूअ की तफ़सीर में ।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में सूः बक़रः के इक्कीसवें स्कूअ में आयत न० 172 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ईमान वालो! जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो ।

इस आयत में अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक़म देता है कि तुम पाक व साफ़ और हलाल तय्यिब चीज़ें खाया करो और मेरी शुक्रगुज़ारी करो ।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 21, सूः बक़रः के इक्कीसवें स्कूअ की तफ़सीर में ।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने फ़रमाया कि-

दिरहम व दीनार के बन्दे और रेशमी व ऊनी कपड़ों के गुलामों का सत्यानास हो । (उनकी हालत यह है) कि अगर किसी ने उन्हें कुछ दे दिया तो खुश और अगर न दिया तो ना खुश रहे ।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 312, हदीस 1353, किताबुर्रिकाक़ ।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा-

मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि अगर बनी आदम को दो जंगल भी माल से भरे हुए मिल जाएं तो यह तीसरे जंगल की खोज में रहेगा और औलादे आदम का पेट तो मिट्टी ही भरती है जो अल्लाह की तरफ़ शुक़ता है अल्लाह भी इस पर मेहरबान होता है ।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 313, हदीस 1354, किताबुर्रिकाक, कुरआन शरीफ के तेरहवें पारे में सूर: इब्राहीम के पहले रूकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशाद फरमाता है-

तर्जुमा - जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिन्दगी पसन्द करते हैं और राहे खुदा से रोकते रहते हैं और उसमें टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं।

ये लोग दुनिया को आखिरत पर तर्जीह देते हैं दुनिया के लिए पूरी कोशिश करते हैं और आखिरत को भूल बैठे हैं रसूलों की ताबेदारी से दूसरों को भी रोकते हैं राहे खुदा जो सीधी और साफ है उसे टेढ़ी और तिछी करना चाहते हैं यह इसी जहालत और गुमराही में रहेंगे लेकिन राहे खुदा न टेढ़ी हुई है और न होगी। ऐसी हालत में उनके सुधरने की क्या उम्मीद?

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 55, सूर: इब्राहीम के पहले रूकूअ की तफसीर में।

इस्लाम में जो आलिम बिगड़ेगा, उसकी मुशाबहत यहूदियों के आलिमों के साथ होगी यानी ऐश व इशरत दुनिया और दौलत का लालची होगा दीन के हुकमों को लोगों की मर्जी के मुताबिक बतायेगा और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शरीअत को बिगाड़ेगा और हक बात को छिपायेगा और जो दरवेश बिगड़ेगा, उसकी मुशाबहत नसरानी राहिब के साथ होगी।

हवाला - फतावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 9 मुकदमा

कुरआन करीम के छठे पारे में सूर: माइदा के नवें रूकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इशाद फरमाता है-

तर्जुमा - उनके उलेमा और मशाइख गुनाह की बात कहने से और हराम का माल खाने से क्यों मना नहीं करते वाकई उनकी यह आदत बुरी है।

अल्लाह तआला फरमाता है कि ये लोग गुनाह पर हराम पर और बातिल के साथ लोगों के माल पर किस तरह चढ़ दौड़ते हैं उनके आमाल निहायत ही खराब हो चुके, उनके औलियाअल्लाह यानी आबिद और उलेमा उन्हें इन बातों से क्यों नहीं रोकते, असल में बात यह है कि इन आलिमों और पीरों के आमाल भी बदतरीन हो गये हैं।

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उलेमा और पीरों फकीरों की डांट (यानी घमकी) के लिए इससे ज्यादा सख्त आयत कुरआन में कोई नहीं।

हजरत जह्हाक (रहमतुल्लाहि अलैहि) से भी इसी तरह नकल किया गया है।

हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने अपने एक खुत्बे में हम्द व सना के बाद फरमाया-

लोगों! तुमसे अगले लोग इसी वजह से हलाक कर दिये गये कि वे बुराइयां करते थे और उनके आलिम और अल्लाह वाले खामोश रहते थे जब यह आदत उनमें पड़ गयी तो खुदा ने उन्हें किस्म-किस्म की सजाएं दीं। पस तुम्हें चाहिए कि भलाई का हुकम करो और बुराई से रोको इस से पहले कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए, जो तुमसे पहले वालों पर आए

और यकीन रखो कि अच्छाई का हुक्म और बुराई से मना करना न तो तुम्हारी रोजी को घटा सकता है और न मौत को करीब कर सकता है।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 116, सूः माइदा के नवें रूकूअ की तफसीर में।

मेरे प्यारे दोस्त ! हिन्दुस्तान में कहीं-कहीं पर ऐसी जहालत फैली हुई है कि किसी को मुर्शिद यानी पीर बनाने के लिए या गांवों में इमाम बना कर मौलवी रखने के लिए कुछ तहकीक़ नहीं करते, बल्कि जो अपने बाप-दादा का पीर व मुर्शिद था उसी के लड़के या पोते को मुर्शिद बना लेते हैं चाहे वह मुर्शिद बनाने के क़ाबिल हो या न हो और गांव में मौलवी इमामत के लिए होता है जब वह मर जाता है तो उसके लड़के को या उसी के पोते को इमाम बना लेते हैं फिर यह नहीं देखते कि उसमें इमामत करने की सिफ़त है या नहीं।

मेरे दोस्त ! पीर के घर जो लड़का पैदा हुआ तो उस को पीर समझते हैं चाहे वह कितना ही जाहिल और गुमराह क्यों न हो और जो मौलवी के घर लड़का पैदा हुआ तो उसको मौलवी समझते हैं चाहे उसको इस्तिंजे का मसअला भी याद न हो। इसी को कहते हैं अन्धी तक्लीद और इसी को कहते हैं रस्म व रिवाजकी पाबन्दी और इन्हीं को कहते हैं जेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी आप इतना तो सोचिए कि एक घर के जो दो चार कुत्ते होते हैं, उनमें भी आपस में मुहब्बत और प्यार होता है मगर यह जो अपने आप को पीर कहने वालों और अपने आप को मौलवी कहलाने वालों के घर और खानदान हैं उनमें भी कहीं कहीं प्यार व मुहब्बत नहीं है बाप और बेटे में दुश्मनी है भाई-भाई में मुहब्बत नहीं है भला वह तुम्हें क्या हिदायत करेंगे जो खुद हिदायत पर नहीं हैं।

अपने प्यारे दोस्त को एक मिसाल के तौर पर समझाऊं कि एक डी०एस०पी० आफिसर है। अब उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। वह जवान होकर तालीम पाकर डाक्टरी लाइन में पास हुआ। अब उसको सर्जन कहेंगे या डी०एस०पी० कहेंगे? हां डी०एस०पी० का लड़का ज़रूर कहेंगे मगर डी०एस०पी० नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाप का काम और है उसका काम और है।

इसी तरह एक जाहिल और बे अमल इंसान पीर व मुर्शिद या मौलवी कैसे हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता।

हकीक़त में बात यह है कि ये लोग हमारी जहालत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और यही बात है कि अपने बे इल्म मुरीदों और मोतकिदों यानी अपने ताबेदारों को जहां तक हो सके वे जाहिल रखना चाहते हैं और हक़परस्तों के वाज़ व नसीहत सुनने के लिए भी मना करते हैं। उनसे बात चीत सलाम व कलाम सब कुछ हराम बताते हैं क्योंकि अगर वे जाहिल लोग हिदायत पर आ जाएं तो फिर इन पीर साहिबान की जेब कौन भरे? और मौलवी साहिबान का गुज़ारा कैसे चले?

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक एक कबीले के पास जाते और फ़रमाते-

लोगो! मैं तुम्हारी तरफ़ खुदा का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि एक अकेले खुदा की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो मुझे सच्चा जानो मुझे मेरे दुश्मनों से बचाओ ताकि मैं उसके काम को बजा लाऊं यानी तब्लीग़ कर सकूँ जिस का हुक्म देकर मुझे अल्लाह तआला ने भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जहां पर यह पैग़ाम पहुंचा कर फ़ारिग़ होते कि आप का चचा अबू लहब पीछे से पहुंचता और कहता-

ऐ फ़लां-फ़लां क़बीले के लोगो! यह आदमी तो तुम्हें लात व उज़्ज़ा से हटाना चाहता है और बन्ू मालिक बिन अक़यश तुम्हारे हलीफ़ जिन्नों से तुम्हें दूर कर रहा है और अपनी लायी हुई नई गुमराही की तरफ़ तुम्हें भी घसीट रहा है खबरदार न उसकी सुनना और न मानना।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 119, सूः लहब की तफ़सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! कुछ इलाकों में यही मुसीबत फैली हुई है जो अपने आप को पीर कहते हैं वे पेशवा समझे जाते हैं और जो अपने आप को मौलवी कहते हैं वे इन पीरजादों की पार्टी के मेम्बर समझे जाते हैं ये दोनों मिल कर लोगों को गुमराह करने में और लड़ाने में और नाजायज़ तरीके से अपनी जेबें भरने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। इन लोगों से जब कोई मसअला पूछे तो जो चालू ज़माने में रिवाज होता है उसको जायज़ बता देते हैं और इन जाहिल अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए दलील यह देते हैं कि अगर यह काम जायज़ न होता तो हमारे बाप दादे उस को क्यों करते? ऐसी बेजा दलीलों से इन बेचारों को समझा कर रहे हक़ से रोक देते हैं और खुद भी रुक रहे हैं। या अल्लाह तआला! अपने रहम व करम से हमारे आम मुसलमान भाइयों को इन फंसाने वाले पीरों और मौलवियों के फ़रेब से बचा ले और सच्चे दीन की तरफ़ बुला ले। आमीन!

हदीस - हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि-

जो आदमी कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि उसको हाथों से बदल दे (यानी रोक दे) और जिससे यह न हो सके, तो वह अपनी जुबान ही से बदले (यानी जुबान से रोक दे) और जिससे यह भी न हो सके, वह अपने दिल में (उस को बुरा समझे) और यह ईमान का सबसे कम दर्जा है। (मुक्तासर)

हवाला - 1. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 8, हदीस 38, फ़िल्ने का बाब,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 31, बाब 18, किताबुल ईमान।

मेरे दोस्त! ज़रा सोचने की जगह है कि बुरे काम को सिर्फ़ दिल से बुरा समझना कमतर ईमान है और जो अपने दिल में बुरा न समझे वह ईमान से महरूम है तो सोचने की बात यह है कि उस बुरे काम के हुक्म करने वाले और उस बुरे काम को खुद करने वाले ईमान से कितने कोरे समझे जाएंगे।

हदीस - हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

उस ज़ात की क़सम, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है अगर तुम लोगों ने भलाई का हुक्म किया और बुराई से रोका तो बेहतर है वरना अन्क़रीब अल्लाह तआला तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फ़रमाएगा फिर तुम लोग अल्लाह तआला से दुआ करोगे, लेकिन तुम्हारी दुआ भी कुबूल न होगी।

हवाला - 1. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 8, हदीस 35, अबवाबुल फ़ितन।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि-

जब ईमानदारी जाती रहे तो समझ लेना कि क़ियामत करीब है। किसी ने पूछा कि ईमानदारी कैसे जाती रहेगी? फ़रमाया जब नालायक़ लोग इस्लाम की बातों में मुस्तनद क़रार दिये जाएं उस वक़्त क़ियामत को करीब समझना।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 324, हदीस न० 1412, किताबुर्रिकाक़।

गुमराहों की तक्लीद का अंजाम

क़ुरआन करीम के बीसवें पारे में सूर: अंकबूत के पहले रूकूअ में आयत न० 12-13 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - काफ़िर लोग ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारे कहने पर चलो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे, हालांकि वे उन गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे। ये तो झूठ बोलते हैं। अलबत्ता ये अपना बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ ही और दूसरों का बोझ भी क़ियामत के दिन (उठाएंगे)।

कुफ़ारे कुरैश मुसलमानों को बहकाने के लिए उनसे यह भी कहते थे कि तुम हमारे मज़हब पर अमल करो, अगर इसमें कोई गुनाह हो तो वह हम पर।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 50, अंकबूत के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के तीसरे रूकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - अगर कोई गुनाह में दबा हुआ दूसरों को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वह उसमें से कुछ भी न उठाएगा गो क़राबतदार ही हो।

क़ियामत के दिन कोई दूसरे पर अपना बोझ डालना चाहे तो यह चाहत भी उसकी पूरी न होगी कोई न मिलेगा कि उसका बोझ उठाये। अज़ीज़ व अक़रिब भी मुंह मोड़ेंगे और पीठ

फेर लेंगे गो मां-बाप और औलाद हों हर आदमी अपने हाल में मशगूल होगा हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 22 पृ० 75 सूः फ़ातिर के तीसरे रूकूअ की तुसीर में।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूः नह्ल के तीसरे रूकूअ में आयत न० 25 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - इसी का नतीजा होगा कि क़ियामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे, जिन्हें बे-अमली से गुमराह करते थे देखे तो कैसा बुरा बोझा उठा रहे हैं।

हमने उन्हें इस राह पर इसलिए लगा दिया है कि ये अपने पूरे गुनाहों के साथ उनके भी कुछ गुनाह अपने ऊपर लादें, जो उनके मुक़ल्लिद हैं और उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 29, सूः नह्ल के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है।

जिसने कोई अच्छा तरीका निकाला और उसकी पैरवी की गयी तो उसके लिए अपना सवाब भी है और उन का सवाब भी जो उस पर अमल करें बग़ैर इसके कि उन लोगों के सवाबों में से कुछ कम किया जाए और जिसने कोई बुरा तरीका निकाला और उसकी पैरवी की गयी तो उसे अपने इस अमल का भी गुनाह होता है और पैरवी करने वालों के गुनाहों के बराबर भी गुनाह होता है बग़ैर इसके कि उनके गुनाहों में कुछ कमी की जाए।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 108, हदीस 534, इल्म का बयान,
2. मिश्क़त शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 108, हदीस 149, सुन्नतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 75, ईमान का बयान।

कुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूः सफ़फ़ के पहले रूकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है गो काफ़िर बुरा मानें।

इन कुफ़ार की चाहत तो यह है कि हक़ को बातिल से रद्द कर दें। उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई सूरज की रोशनी को अपने मुंह की फूँकों से बे नूर करना चाहे। जिस तरह यह महाल है कि उसके मुंह की फूँको से सूरज की रोशनी जाती रहे इसी तरह यह भी महाल है कि खुदा का दीन इन कुफ़ार से रद्द हो जाए। अल्लाह तआला फैसला कर चुका है कि वह अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा। काफ़िर बुरा मानें तो मानते ही रहें।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 59, सूः सफ़ के पहले रकूअ की तफसीर में।

कुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूः अहज़ाब के आठवें रकूअ में आयत न० 66 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिस दिन उनके चेहरे आग से उलट-पलट किये जाएंगे, उस वक़्त वे कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती।

जब जहन्नम के किनारे खड़े कर दिये जाएंगे और आग की एक ही लपक उनके चेहरों का गोशत पोस्त जला कर पानी की तरह बहा कर ले जाएगी उस वक़्त बड़ी हसरत और अफ़सोस से कहते होंगे कि अगर हमने अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मान ली होती तो अच्छा था। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात नहीं मानी तो फिर किसकी मानी, यह सुनिए-

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूः अहज़ाब के आठवें रकूअ में आयत न० 67-68 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और कहेंगे, ऐ रब हमारे! हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने को मान लिया और उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। ऐ अल्लाह इन पर डबल अज़ाब कर और इन पर सख़्त लानत भी कर।

मेरे प्यारे दोस्त! अब अल्लाह तआला इन गुमराह करने वालों पर दुगना अज़ाब करे यह लानत करे, लेकिन हम तो अपनी ज़िन्दगी हार बैठे उस वक़्त पछताना और न पछताना दोनों बराबर होगा। अब भी और इसी वक़्त तौबा कर ले। यह वक़्त है संवरने का मरने के बाद सोचना और रंज व अफ़सोस करना सब बेकार होगा।

कुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूः सबा के चौथे रकूअ में आयत न० 31, 32, 33 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - छोटे दर्जे के लोग बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे, अगर तुम न होते तो हम मुसलमान ही होते। ये बड़े दर्जे वाले इन छोटे दर्जे वालों को जवाब देंगे कि तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हमने क्या तुम को इससे रोका था? नहीं बल्कि तुम खुद ही गुनाहगार थे।

इसके जवाब में ये छोटे दर्जे के लोग इन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं, नहीं बल्कि तुम्हारा रात-दिन मकर व फ़रेब से हमको खुदा के साथ कुफ़्र करने और उसके शरीक मुक़र्रर करने का हुक़म देना ही सबब हुआ हमारी बे-ईमानी का।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जब खुदा के सामने जहन्नम के किनारे खड़े हुए छोटे बड़ों को और बड़े छोटों को इलज़ाम देंगे, हर एक दूसरे को कुसूरवार ठहराएगा। ताबेदारी करने वाले अपने सरदारों से कहेंगे कि अगर तुम हमें न रोकते तो हम ज़रूर ईमानदार हो जाते। उनके बुजुर्ग़ यानी उनके सरदार उन्हें जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें रोका था? हमने तो एक

बात कही थी जिसको तुम भी जानते थे कि यह बे-दलील है और दूसरी जानिब यानी हकपरस्तों की तरफ से दलीलों की बरसती हुई बारिश तुम्हारी आंखों के सामने थी। फिर तुमने उसकी पैरवी छोड़ कर हमारी बात को क्यों मान लिया? यह तुम्हारी अपनी बे-अक्ली थी। तुम खुद शह्वतपरस्त, नफसपरस्त थे। तुम्हारे दिल खुदा की बातों से भागते थे। रसूलों की ताबेदारी खुद तुम्हारी तबीयतों पर भारी पड़ती थी। सारा कुसूर तुम्हारा खुद का था हमें क्यों इल्जाम दे रहे हो?

ये बे-दलील अपने बुजुर्गों की मान लेने वाले उन्हें फिर जवाब देंगे कि दिन रात की तुम्हारी धोखेबाजी और फरेबकारी हमें इत्मीनान दिलाना कि हमारे काम और अक्दीदे ठीक हैं। हमसे बार-बार कुफ़ और शिर्क न छोड़ने को, पुराने दीन के न बदलने को, बाप-दादाओं के मजहब पर कायम रहने को कहना, हमारी कमरें थपकना, यही वजह हुई हमारे ईमान से रुक जाने की। तुम ही हमें अक्ली ढकोसले सुनाते थे और इस्लाम से फेरते थे।

दोनों इल्जाम भी देंगे और अपने बचाव की दलीलें भी देंगे, लेकिन दिल में अपने किये पर पछता रहे होंगे। उन सबके हाथ उन की गरदनो से मिला कर तौक और जंजीर से जकड़ दिये जाएंगे। अब हर एक को उनके आमाल के मुताबिक बदला मिलेगा, गुमराह करने वालों को भी और गुमराह होने वालों को भी। हर एक को पूरा-पूरा अज़ाब होगा।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जहन्नमी जब हांका हर जहन्नम के पास पहुंचाएं जाएंगे तो जहन्नम के एक ही शोले की लपक से सारे जिस्म का गोश्त जल भुन कर पैरों पर आ पड़ेगा।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 59, सूः सबा के चौथे रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन मजीद के चौबीसवें पारे में सूः मुअमिन के पांचवें रूकूअ में आयत न० 47-48 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग जो ताबेअ थे वे बड़े दर्जे वालों यानी अपने सरदारों से कहेंगे कि हम तो दुनिया में तुम्हारी पैरवी करने वाले थे (यानी जो तुम कहते थे हम करते थे) तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? वे बड़े लोग जवाब देंगे कि हम तो सभी इस आग में ही हैं। अल्लाह तआला अपने बंदों के दर्मियान फैसला कर चुका है।

यानी ताबेदारी करने वाले और हुकम अहकाम के मानने वाले, जिनकी बड़ाई और बुजुर्गों के कायल थे और जिनकी बातें तस्लीम और कुबूल कर लिया करते थे और जिनके कहने पर अमल करने वाले थे उनसे कहेंगे कि दुनिया में हम तो तुम्हारे फ़रमान के ताबेअ रहे जो तुमने कहा हम बजा लाए। कुफ़ व गुमराही के हुकम भी जो तुम्हारी बारगाह से सादिर होते थे, तुम्हारे तकद्दुस और इल्म व फ़ज़ल, सरदारी और हुकूमत की वजह से हम सब को मानते रहे।

अब यहां आप हमारे कुछ तो काम आए। हमारे अजाबों का कोई हिस्सा अपने ऊपर उठा लीजिए। ये रईस, अमीर, सादात और बुजुर्ग जवाब देंगे कि हम भी तो तुम्हारे साथ जल झुलस रहे हैं। हम को जो अजाब हो रहे हैं वे क्या कम हैं जो तुम्हारे अजाब उठाएं।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 48, सूर: मुअ्मिन के पांचवें स्कूअ की तफसीर में।

बिदअत

कुरआन मजीद के छठे पारे में सूर: माइदा के पहले स्कूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने में राजी हो गया।

अल्लाह तआला अपनी जबरदस्त, बेहतरीन, आला और अफजलतर नेमत का जिक्र फरमाता है कि मैंने तुम्हारा दीन हर तरह और हर हैसियत से कामिल और मुकम्मल कर दिया। तुम्हें इस दीन के सिवा किसी दीन की जरूरत नहीं न इस नबी के सिवा और नबी की तुम्हारे लिए हाजत है। खुदा ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खातमुन्नबीयीन बनाया। उन्हें तमाम जिन्नो और इन्सानों की तरफ भेजा है। हलाल वही है जिसे वह हलाल कहे, हराम वही है जिसे वह हराम कहे, दीन वही है जिसे वह मुकरर करे, दीन को कामिल करना तुम पर अपनी नेमत को पूरी करना है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे इस दीने इस्लाम पर राजी हूँ इस लिए तुम भी इस पर राजी रहो यही दीन खुदा का पसन्दीदा है। उसको देकर उसी ने अपने फजल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा है और अपनी अशरफ किताब नाजिल फरमायी है।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर पारा 6, पृ० 48, सूर: माइदा के पहले स्कूअ की तफसीर में।

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि-

दीने इस्लाम को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए कामिल व मुकम्मल कर दिया है अब यह रहती दुनिया तक किसी ज्यादाती का मुहताज नहीं, इसे खुदा ने पूरा किया है जो कियामत तक नाकिस नहीं होने का। इस दीन से खुदा खुश है और कभी ना खुश नहीं होने वाला।

हवाला - तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 48, सूर: माइदा के पहले स्कूअ की तफसीर में।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि एक आदमी था खुदा के दीन का बड़ा पाबन्द, एक जमाने के बाद शैतान ने उसे बहका दिया कि जो अंगले कर गये हैं वही तुम भी कर रहे हो इस में क्या रखा है इसकी वजह से न तो आम लोगों में तुम्हारी कद्र होगी और न शोहरत, तुम्हें चाहिए कि कोई नयी बात ईजाद करो उसे लोगों में फैलाओ फिर देखो कैसी शोहरत होती

है और किस तरह जगह-जगह तुम्हारा जिक्र होने लगता है।

चुनांचे उसने ऐसा ही किया। उसकी वे बातें लोगों में फैल गयीं और एक ज़माना उसकी तकलीद करने लगा अब तो उसे बड़ी शर्म आयी और उसने वह मुल्क छोड़ दिया और तंहाई में खुदा की इबादतों में मशगूल हो गया, लेकिन खुदा की तरफ़ से उसे जवाब मिला कि तेरी ख़ता ही सिर्फ़ होती, तो मैं माफ़ कर देता लेकिन तू ने तो आम लोगों को बिगाड़ दिया और उन्हें गुमराह करके छोड़ा उन्हें ग़लत राह पर लगा दिया, जिस राह पर चलते चलते वे मर गये उनका बोझ तुझ पर से कैसे हटेगा? मैं तो तेरी तौबा कुबूल नहीं करूंगा।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 125, सूः माइदा के दसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अनहा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जो आदमी इस अम्र (यानी दीन) में ऐसी कोई नयी बात पैदा कर दे जो उसमें नहीं है वह मर्दूद है।

हवाला -1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 35, हदीस 181, बाब 59, अक्ज़ीए का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 105, हदीस 131, सुन्नतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 68, सुन्नतों का बयान।

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी यहां नयी बात (यानी बिदअत) करे या किसी नयी बात करने वाले को जगह दे, उस पर खुदा की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत, न उससे कोई नफ़ल इबादत कुबूल की जाएगी, न फ़र्ज़।
(मुख्तसर)

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 115, हदीस 413, जिहाद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! आज हिन्दुस्तान में बहुत ज़्यादा बिदअतों का चलन हो गया है और इस पर ताज्जुब तो यह है कि जो इन बिदअतों पर अमल न करे, उसको मुसलमान ही नहीं समझते, बल्कि इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं।

अब आप यह सोचिए कि इन बिदअतों की मुहब्बत हमारे अक्सर नादान अनपढ़ मुसलमान भाइयों के दिल में किस क़दर घर कर गयी है किसी बिदअत को छोड़ना गोया मज़हब छूट जाने के बराबर समझते हैं। यह सारा कुसूर जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवियों का है क्योंकि ये लोग इल्म से कोरे होते हैं और अगर किसी में इल्म है भी तो उसमें नफ़सानियत होती है इसलिए इन जाहिलों की मर्जी के मुताबिक़ कुछ तावीलें करके फ़त्वा दे देते हैं और वे जाहिल इसी को मज़हब समझते हैं।

इनमें से ज़्यादातर लोग एक दूसरे की देखा देखी अमल करते हैं क्योंकि सब करें और

एक आदमी न करे तो उसके ऊपर जमाअत की तरफ से दबाव होता है यहां तक कि उसको जमाअत से अलग कर देने की धमकी भी दी जाती है खुद मेरे साथ भी यही हुआ था मगर मेरे मालिक व मुख्तार ने मुझे अपने रहम व करम से बचा लिया।

जहालत तो देखिए, फर्ज, वाजिब और सुन्नतों के लिए कोई किसी पर दबाव नहीं डालता, किसी को धौंस धमकी भी नहीं देता कोई जमाअत से किसी को अलग भी नहीं करता और एक बिदअत के लिए जिस पर शरीअत में कड़ी धमकी आयी है उसके लिए शायद ही कोई ऐसा देहता या कस्बा या शहर होगा जहां पर झगड़े न होते हों।

हदीस - हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

बिदअती की नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, उमरा, जिहाद, सद्का फ़िदया, कुछ भी अल्लाह तआला कुबूल नहीं करता, बल्कि वह इस्लाम से ऐसा बाहर हो जाता है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए।

हवाला - इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 40, हदीस 51, उमूरे बिदअत का बयान।

तहकीक़ निकलेगी बीच उम्मत मेरी के कई क़ौमें सरायत करेंगी बीच उनकी ख़्वाहिश यानी बिदअतें अक़ीदों में और आमाल में जैसे कि सरायत करती है हड़क भड़क वाले को नहीं बाकी रहती इससे कोई रग और न कोई जोड़, मगर दाख़िल होती है उसमें।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

जब कुत्ता बावला हो जाता है और हड़क उसकी नस-नस में पैवस्त हो जाती है तो वह कुत्ता पानी को देखता है और भागता है पानी पीना तो दूर की बात, पानी को देखना भी पसन्द नहीं करता। इसी तरह जिस इंसान की नस-नस में बिदअत पैवस्त हो जाती है वह इंसान कुरआन व हदीस सुनता है और भागता है कुरआन व हदीस पर अमल करना तो दूर की बात उसको सुनना भी पसन्द नहीं करता। जिस तरह बावले कुत्ते को पानी नसीब नहीं होता और वह प्यासा ही मर जाता है उसी तरह बिदअती को तौबा नसीब नहीं होती और वह गुमराही के जंगल में ही मर जाता है।

जो शरीअत की किसी दलील से साबित न हों, ऐसी बातों को दीन में दाख़िल करने को बिदअत कहते हैं और बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जो आदमी ऐसा काम करता है वह गोया अल्लाह से मुक़ाबला करता है इसलिए कि शरीअत अल्लाह तआला की भेजी हुई है। इसमें कमी बेशी का हक़ किसी को हासिल नहीं है।

पस जिसने शरीअत में किसी ऐसी बात को निकाला जो उसमें नहीं थी तो उसने उस शरीअत को नाक़िस समझा और अपनी तरफ़ से एक नयी शरीअत उसने बनायी, फिर उसपर अमल करने वाला बना और दूसरों को उसपर अमल करने की दावत दे रहा है तो गोया वह

अल्लाह तआला का मुक़ाबला कर रहा है। देखने में तो वह अपने आप को फ़रमांबरदार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाला समझ रहा है लेकिन ऐसा इंसान सरख्त गुमराह है और उसपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फ़रमायी है।

जो इंसान गुनाह करता है उसके लिए यह उम्मीद की जा सकती है। कि कभी न कभी वह तौबा कर लेगा, कोई मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ता या रोज़ा नहीं रखता या शराब पीता है या जुआ खेलता है या चोरी करता है बहरहाल वह तौबा कर सकता है क्योंकि गुनाह को गुनाह समझ कर कर रहा है और बिदअती को तो तौबा भी नसीब नहीं होती क्योंकि वह बिदअत को इबादत समझ कर, कर रहा है और उसे कुर्बे खुदावन्दी समझता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम समझता है या औलिया-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत समझता है फिर तौबा काहे को करेगा। बिदअती अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता। ऐसे इंसान को तौबा नसीब होना महाल है इल्ला माशाअल्लाह!

अक्सर लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व सल्लम की मुहब्बत और ताज़ीम समझ कर बिदअतें कर रहे हैं और कुछ औलिया-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की अज़मत समझ कर बिदअतें कर रहे हैं और जब उन्हें समझाया जाता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सही और सच्ची बातों को ठुकरा देते हैं क्योंकि वे बातें इन बिदअतों के खिलाफ़ हैं।

हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि जो भी काम करे, पहले उसको कुरआन व हदीस या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुबारक ज़िन्दगी से तहक्कीक़ कर ले वहां से दलील मिलती है तो करे वरना छोड़ दे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने जो काम नहीं किया वह काम अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह तआला हम से क़ियामत के दिन नहीं पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं किया और अगर हम उसको सवाब समझ कर करेंगे और अल्लाह तआला ने हशर के मैदान में पूछ लिया कि तुमने क्यों किया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, मेरे भैया सोच लीजियो!

जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम ने नहीं किया और न करने का हुक्म दिया और न सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया ऐसा काम दीन समझ कर करना गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में नक्स निकालना है कि इन बातों को मआज़ल्लाह वह समझ नहीं सके, जिनको हम अदा कर रहे हैं अल्लाह की पनाह!

जिन बातों की हशर के मैदान में पूछ होने वाली ही नहीं, उन बातों में न उलझें बल्कि जिन बातों की हशर के मैदान में पूछ होने वाली है उनपर अमल करें। अल्लाह तआला हमें और हर मुसलमान मर्द व औरत को हर बिदअत से बचाये। आमीन!

इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि-

जो बात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित न हो ऐसी नयी बात पर एक ज़माने का इत्तिफ़ाक़ होना भी तुझे धोखे में न डाल दे और तू सलफ़ के उसी तरीके पर मज़बूती अख़्तियार कर ले, अल्लाह-तेरा मददगार है।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 107, मुक़दमे में।

मेरे प्यारे दोस्त! बिदअत किसको कहते हैं? यह बात अक्सर लोग नहीं समझते और उनके दिल में शैतान यह बात डाल देता है कि क़ुरआन शरीफ़ का तर्जुमा, हदीस की किताबें, फ़ुक्हा की किताबें, मदरसों और मस्जिदों में नमाज़ियों के लिए हर तरह का इन्तिज़ाम यह सब बिदअत है। ये बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में कहां थीं तो फिर इन बातों को अमल में क्यों लाते हो? ये हैं शैतानी वसवसे जो अक्सर लोगों के दिलों में पैदा होते रहते हैं।

अब सुनिये इसकी हकीक़त! वे तमाम चीज़ें दीन के इन्तिज़ाम के लिए हैं अमल नहीं, अमल और चीज़ है इन्तिज़ाम और चीज़ है। अगर अमल में कोई चीज़ बढ़ायी जाएगी तो उसको बिदअत कहेंगे और उस पर अमल करना मना है और ऐसी बिदअतों को छोड़ देने के लिए जब समझाया जाता है तो जवाब में कहते हैं कि इसमें बुरा क्या है? आख़िर यह भी तो अच्छी बात है मना कहां लिखा है?

सुनिये जवाब !

मिसाल के तौर पर कलिमा तैयिबा बहुत अच्छी चीज़ है और उसको हर कोई पसन्द करता है इस धरती पर कोई मुसलमान आप को ऐसा न मिलेगा, जिसे कलिमा तैयिबा से प्यार न हो और दिल व जान से उसको न चाहता हो। यही कलिमा दीन की बुनियाद है यही कलिमा जन्नत की कुंजी है लेकिन जब अज़ान होती है तो अज़ान का आख़िरी कलिमा 'ला इला ह इल्लल्लाह आता है अब अगर कोई प्यार और मुहब्बत के साथ मुहम्मदुरसूलुल्लाह मिला ले तो क्या कोई हरज है? या इसमें कोई बुराई है? या कोई गुनाह है? फिर क्यों नहीं मिलाते? अगर कोई मिला ले तो पूरा कलिमा तैयिबा हो जाएगा और मना भी नहीं लिखा है फिर क्यों नहीं पढ़ते? और कलिमा तैयिबा की फ़ज़ीलत के बारे में तो सुब्हानल्लाह क्या कहना। इस्लाम का निज़ाम ही इस कलिमे पर है फिर क्यों नहीं पढ़ते? असल बात यह है कि वह अमल है और अमल में ज़्यादती नहीं हो सकती।

दीन में झगड़ा नहीं है। रस्म व रिवाज और बिदअतों में झगड़ा होता है। जो दीन होगा वह सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही हुक्म रखता होगा और जो रस्म व रिवाज और बिदअतें होंगी वे मुख़्तलिफ़ शक़लों में होंगी और कभी-कभी इन बिदअतों और रस्म व रिवाज की शक़लें बदलती रहती हैं और जो दीन होगा, वह सारी दुनिया के लिए एक ही हुक्म रखता होगा और क़ियामत तक बदल नहीं सकता और न उसमें कोई इख़्तिलाफ़ पैदा हो सकता

है जैसे ख़त्ना कराना सुन्नत है तो सारी दुनिया के मुसलमानों पर ख़त्ना कराना सुन्नत है इसमें कहीं भी किसी मुल्क में या किसी मसलक में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है इसी तरह निकाह पढ़ाना सुन्नत है तो सारी दुनिया के मुसलमानों में सुन्नत है कहीं भी किसी जगह पर भी इख़्तिलाफ़ नहीं है किसी मुल्क में कोई भी सुबह की नमाज़ बजाए दो रकअत के तीन रकअत नहीं पढ़ता। जुमा की दो रकअतें हैं तो सारी दुनिया में दो ही पढ़ी जाती हैं। ईद की नमाज़ दो रकअत है तो सारी दुनिया में दो ही पढ़ी जाती है। फ़ज़्र की नमाज़े जमाअत में ऊंची आवाज़ से कुरआन करीम पढ़ा जाता है जुमा की नमाज़ में भी ऊंची आवाज़ से ईद की नमाज़ में भी बुलन्द आवाज़ से मग़िब की नमाज़ में भी ऊंची आवाज़ से इशा की नमाज़ में भी ऊंची आवाज़ से तरावीह में और वित्र की जमाअत में भी बुलन्द आवाज़ से कुरआन करीम पढ़ा जाता है। जुहर और अस्त्र की नमाज़ में ऊंची आवाज़ से कुरआन करीम नहीं पढ़ा जाता। अगर कोई बिदअती मौलवी जुहर और अस्त्र की नमाज़ में ऊंची आवाज़ से कुरआन करीम पढ़ेगा तो मामूली से मामूली मुसलमान भी उसे रोक देगा।

मग़िब की तीन रकअत नमाज़ फ़र्ज़ हैं तो सारी दुनिया में तीन ही रकअत पढ़ी जाती है। कहीं भी किसी जगह पर इख़्तिलाफ़ नहीं है। अगर कोई मौलवी मग़िब की चार रकअत नमाज़ पढ़ेगा तो जाहिल से जाहिल भी आदमी उसको मना करेगा और अगर कोई मौलवी जबरन मग़िब की चार रकअत नमाज़ पढ़ेगा तो उसको मार कर मस्जिद से भी निकाल देंगे, क्योंकि ये अहकाम हैं और अहकाम में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। अलबत्ता अरकानों में इख़्तिलाफ़ है जिनका बयान हम सुन्नत वल जमाअत में कर चुके हैं। अब आप अल्लाह के वास्ते सोचें कि नमाज़ जैसी चीज़ में एक रकअत बढ़ाने से वह नमाज़ ही बातिल हो जाती है तो फिर हमारे दुनिया भर के रस्म व रिवाज कैसे कुबूल होंगे?

रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा तो तरावीह शुरू हो गयी और ईद का चांद देखा तो तरावीह खत्म हो गयी। मग़िब की अज़ान हुई तो रोज़ेदारों ने रोज़ा खोल दिया। कोई मुसलमान इशा की नमाज़ के वक़्त रोज़ा खोले तो आप उसे क्या कहेंगे? आपके पास समझाने के लिए यही लफ़्ज होंगे, भाई साहब! शरीअत का हुकम मग़िब की अज़ान के वक़्त रोज़ा खोलने का है और आप इशा की अज़ान के वक़्त रोज़ा खोलते हैं। यह रोज़ा आप का नहीं हुआ बल्कि आप गुनाहगार होंगे।

इस समझाने पर वह मुसलमान आप के ऊपर गुस्से हो जाए और कहने लगे कि वाह साहब! हमारा रोज़ा कैसे नहीं होगा जबकि हमने दो घंटे ज़्यादा भूखें रह कर खोला है। आप साहब तो वहहाबी मालूम होते हैं। आपका अक़ीदा ख़राब हो गया है मेरा तो अक़ीदा है कि इशा की अज़ान के वक़्त रोज़ा खोलने से मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ऐसा अक़ीदा हश्र के मैदान में नहीं चलेगा, क्योंकि यह अक़ीदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के ख़िलाफ़ है और जहालत में शुमार किया जाएगा।

बहरहाल मज़हब में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है और न कोई झगड़ा है। हिन्दुस्तान में या किसी और जगह पर मज़हब के नाम से जो झगड़े हो रहे हैं वह हकीकत में मज़हब नहीं बल्कि रस्में हैं या बिदअतें हैं।

एक इंसान बिदअत पर अमल करता है और करते करते एक आदत बन जाती है तो आदत को इबादत समझने लगता है हालांकि आदत इबादत नहीं बन सकती क्योंकि आदत मुख़्तलिफ़ शक़लों में होती है और वक़्त वक़्त से कमी बेशी भी होती रहती है और इनकी शक़लें भी बदलती रहती हैं और इबादत सारी दुनिया के लिए एक ही हुक़म रखती है इसमें न तो कमी बेशी हो सकती है न इसकी शक़ल बदल सकती है।

हदीस - हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दुआ सिखाते हैं उसमें एक लफ़्ज यह था 'व नबिय्यि-क' कुछ दिनों के बाद हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने वही दुआ पढ़ते हैं जब वह 'व नबिय्यि-क' पर पहुंचते हैं तो नबिय्यि-क के बदले 'व रसूलि-क' पढ़ देते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके सीने पर एक मुक्का मारा, और फ़रमाया 'व नबिय्यि-क' पढ़ो।
(मुख़्तसर)

हवाला -1. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 290, हदीस 1246, दुआ का बयान।

2. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 70, हदीस 237, वुजू का बयान।

देखा मेरे दोस्त! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 'व. रसूलि-क' कहने से भी मना फ़रमा दिया, हालांकि नबी उसको कहते हैं जो बग़ैर किताब के अल्लाह की तरफ़ से दुनिया में नबी बनाकर भेजा गया हो और उस पर कोई आसमानी किताब भी नाज़िल न हुई हो। और रसूल उस को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ़ से नबी भी बनाया गया हो और उस पर आसमानी किताब भी नाज़िल हुई हो आप की समझ में बात आयी कि नहीं कि नबी के लफ़्ज से रसूल का लफ़्ज मर्तबे के लिहाज़ से बढ़ कर है हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे मगर फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना फ़रमा दिया क्योंकि यह अमल है और अमल में ज़्यादती किसी भी तरह जायज़ नहीं इसलिए रोक दिया कि आज तो तुमने इतना बदला और कल शायद तुम या और कोई जिसके जो दिल में आए बदल डालेगा या बढ़ा घटा देगा, यह नहीं होना चाहिए बल्कि अमल वही करो और उसी तरह करो जिस तरह हम तुम्हें बता चुके हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! हर चीज़ की हद होती है। देखिए जब अल्लाह तआला का नाम आता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए ये लफ़्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि अल्लाह तआला के बाद सबसे बड़ा मर्तबा आपका है और फिर हुज़ूर सल्ल० के बाद सब से बड़ा मर्तबा हज़रत अबूबक्र सिदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, लेकिन हम अबूबक्र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं

कह सकते, बल्कि अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहना पड़ेगा।

इसी तरह हर चीज़ की हद होती है मगर अपनी बे इल्मी की वजह से हम जहालत के फंदों में फंसते चले जा रहे हैं और हमारे जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी हम को फंसा रहे हैं। अगर हमारे पास सही इल्म होता तो ये लोग हम को बहका न सकते, हमारी बे इल्मी ने ऐसे बे दीन पीरों और मौलवियों के हौसले बढ़ा दिये हैं।

तावीलों का अंजाम

कुरआन मजीद के पहले पारे में सूर: बकर: के आठवें रकूअ में आयत न० 65-66 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ़्ते के बारे में हद से आगे बढ़ गये और हमने भी कह दिया कि तुम ज़लील बन्दर बन जाओ। इसे हमने अगलों और पिछलों के लिए इबरत का सामान बनाया और परहेज़गारों के लिए वाज़ व नसीहत का (सबब बनाया)।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि-

उन लोगों पर जुमा की इज़्ज़त और अदब को फ़र्ज़ किया गया था लेकिन उन्होंने जुमा के दिन को पसन्द न किया और सनीचर के दिन को अख़्तियार किया और उस दिन की इज़्ज़त के तौर पर उन लोगों पर मछलियों का शिकार खेलना वगैरह उस दिन हराम कर दिया गया था। इधर खुदा की आजमाइश के तौर पर सनीचर के दिन तमाम मछलियां ऊपर आ जाया करती थीं और कूदती उछलती रहतीं और दिनों में कोई एक मछली भी नज़र नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो ये लोग ख़ामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे मगर उनमें से एक आदमी ने यह हीला निकाला कि सनीचर के दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे में फांस कर डोरी को किनारे पर किसी चीज़ से बांध दिया (और मछली का शिकार खेलने वाले अक्सर कांटे वगैरह से मछली को पकड़ लेते हैं) फिर दूसरे दिन इतवार को जाकर उस मछली को निकाल लाया और पका कर खायी। लोगों ने खुशबू पाकर पूछा तो उसने कहा-

‘मैंने तो आज इतवार को शिकार किया है।’

आख़िर यह भेद खुला तो और लोगों ने भी इस हीले को पसन्द किया और इस तरह वे सब मछलियों के शिकार करने लग गये।

फिर तो कुछ लोगों ने दरिया के आस पास गढ़े खोद लिये। हफ़्ते वाले दिन यानी सनीचर को जब मछलियां उसमें आ जातीं तो उस गढ़े का मुंह यानी पानी जाने का रास्ता बन्द कर

देते थे और इतवार के दिन मछलियां पकड़ लाते थे कुछ लोग जो उनमें नेक दिल और सच्चे मुसलमान थे उन्हें रोकते और मना करते थे लेकिन उनको जवाब यही मिलता था कि हम सनीचर को शिकार नहीं खेलते हैं हम तो इतवार वाले दिन मछलियों का शिकार पकड़ते हैं इन शिकार खेलने वालों और उन मना करने वालों के सिवा एक गिरोह और हो गया जो वक्त की मस्लहत बरतने वाले थे वे न उनका साथ देते ओर न मछलियों का शिकार करने वालों को रोकते थे बल्कि कहते थे कि इस कौम को वाज़ व नसीहत क्यों करते हो जिन्हें खुदा हलाक करेगा या सज़ा करेगा और तुम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर चुके उन्हें मना भी कर चुके, जब नहीं मानते तो अब उन्हें छोड़ दो।

ये हकपरस्त लोग जवाब देते कि एक तो खुदा के यहां हम माज़ूर होंगे और दूसरे इस लिए भी कि शायद आज नहीं कल और कल नहीं तो परसों यह मान जाएंगे और खुदा के अज़ाब से बच जाएंगे। आखिर वे मुस्लिम जमाअत वाले इन शिकारियों से बिल्कुल अलग हो गये और बस्ती के बीच में से एक अलग दीवार बना ली और एक दरवाज़ा अपने आने जाने के लिए रखा। इस तरह एक मुद्दत गुज़र गयी।

एक दिन सुबह को मुसलमान जागे, दिन चढ़ गया लेकिन अब तक उन लोगों ने अपना दरवाज़ा न खोला था और न उनकी आवाज़ें आती थीं। ये लोग हैरान थे कि आज क्या बात है उनका दरवाज़ा अभी तक बन्द है आखिर जब ज़्यादा देर हो गयी तो उन लोगों ने दीवार पर चढ़ कर देखा तो वहां अजीब मंज़र नज़र आया। देखा कि वे तमाम लोग मय बच्चों और औरतों के बन्दर बना दिये गये हैं। उनके घर जो रात को बन्द थे उसी तरह बन्द हैं और अन्दर वे कुल इन्सान बन्दरों की शकल में हैं जिनकी दुमें निकली हुई हैं बच्चे छोटे बन्दरों की शकल में मर्द बड़े बन्दरों की शकल में और औरतें बन्दरियां बनी हुई हैं और हर एक को पहचाना जाता है कि यह मर्द फ़लां है या यह औरत फ़लां है यह बच्चा फ़लां है वगैरह वगैरह।

यह भी याद रहे कि जब वह अज़ाब आया तो न सिर्फ़ वही हलाक हुए जो शिकार खेलते थे। बल्कि उनके साथ वे भी हलाक हुए, जो उन्हें मना नहीं करते थे खामोश बैठे थे और मेल जोल न छोड़ा था। सिर्फ़ वही बचे, जो उन्हें मना करते रहे और उनसे अलग थलग हो गये थे यही हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है (ये बन्दर सिर्फ़ तीन दिन ज़िन्दा रहे और फिर सबके सब मर गये और अब जो बन्दर हैं वे तो पहले ही से एक अलग खुदा की मख़्लूक हैं)

गरज़ यह अज़ाब उनके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए एक सबक है यहां तक कि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए भी कि ये लोग डरते रहें कि जो अज़ाब और सज़ा उनके हीलों की वजह से और उनके मकर व फ़रेब से हराम को हलाल कर लेने के बदले नाज़िल हुई, अब जो ऐसा करेगा तो ऐसा न हो कि वही सज़ा और वही अज़ाब उस पर भी आ जाए।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि, तुम वह न करो, जो यहूदियों ने किया हीले हवालों से अल्लाह के हलाल को हराम न कर लिया करो।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 125, से 127 तक, सूः बकरः के आठवें स्कूज की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

कियामत के दिन तुम बद-तरीन लोगों में उनको पाओगे जो दो मुंह रखने वाले मुनाफ़िक़ होंगे, (यानी मुंह देखी बात कहते होंगे) उनके पास जाएंगे तो उनकी सी कहेंगे और इनके पास जाएंगे तो इनकी सी कहेंगे।

हवाला -1 मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 700, हदीस 4583, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 93, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान।

हदीस - हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

दुनिया में जो आदमी दो जुबान होकर मरे (यानी किसी से कुछ कहता हो किसी से कुछ) कियामत के दिन उसके (मुंह में) आग की दो जुबानें होंगी।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 702, हदीस 4605, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 101, जुबान की हिफ़ाज़त का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

हलाक किया अल्लाह तआला ने यहूदियों को, जबकि अल्लाह ने उन पर गाय बकरी की चर्बी हराम कर दी तो उन्होंने उसको पिघला लिया (फिर हीला बना लिया कि अब चर्बी नहीं रही, और अब तो तेल हो गया और हलाल हो गयी) और बेचकर उसकी कीमत खा गये।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 474, हदीस 1736, सूः अन्-आम की तफ़्सीर में।

मेरे दोस्त! इसी तरह आज हिन्दुस्तान में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी अकसर जगह बहुत तावीलें और हीले बहाने गढ़ लिये और बना लिये हैं अल्लाह ही बचाये इस मुसीबत और बला से आमीन !

शक वाली बातों से बचो

हदीस - हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

हलाल ज़ाहिर है और हराम ज़ाहिर है। इन दोनों के दर्मियान शुब्हे की चीज़ें हैं तो जिस आदमी ने उस चीज़ को छोड़ दिया, जिसमें उसको गुनाह का शुबहा हो, वह उसको सबसे पहले छोड़ देगा, जिसका गुनाह होना हाज़िर हो और जो आदमी इस बात पर हिम्मत करेगा, तो बहुत जल्द वह ऐसी बात में मुब्तला हो जाएगा, जिसका गुनाह होना ज़ाहिर होगा और मज़ासी (गुनाह के काम) अल्लाह की चरागाहें हैं, जो जानवर चरागाह के गिर्द चरेगा, वह बहुत जल्द उस चरागाह में पहुंच जाएगा।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 457, हदीस 1893, किताबुल-बुयूअ,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 241, हदीस 1107, किताबुलबुयूअ।

हदीस - हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह याद किया है कि-

जो चीज़ तुम्हें शक व शुबहा में डाले उसको छोड़कर बग़ैर शक व शुब्हे वाली चीज़ को अख़्तियार करो, क्योंकि सच इत्मीनान है और झूठ शक व शुबहा है।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 77, हदीस 380, अबवाबुरिकाक।

हदीस - हज़रत अतीया सादी रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी हैं, फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

बन्दा परहेजगारों में गिनती किये जाने के क़ाबिल उस वक़्त तक नहीं होता जब तक कि वह नुक़सान देने वाली चीज़ों के डर से जायज़ और बे नुक़सान चीज़ों को भी न छोड़ दे।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 64, हदीस 314, अबवाबुरिकाक।

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘मेरे सामने सबसे पहले तीन आदमी जन्नत में दाख़िल होंगे। उन तीनों में से एक (वह है जो) हराम और शुबहा (यानी हराम चीज़ों और शक वाली बातों) से बचा होगा।’ (मुख़्तसर)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 329, हदीस 1542, अबवाबुल जिहाद।

जिस चीज़ में दलील से इख़्तिलाफ़ पड़े कि वाजिब है या बिदअत तो एहतियात यह है कि उस पर अमल करे और जिस की सुन्नत या बिदअत में तरद्दुद हो तो उसे छोड़ दे।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 743, नमाज़ का बयान।

अगर किसी चीज़ में यह शक हो कि वह वाजिब है या बिदअत तो एहतियातन उसको अदा करे और अगर यह शक हो कि वह सुन्नत है या बिदअत तो छोड़ दे।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 237, तिलावत के सज्दे का बयान।

बिदअत और शुबहा मक्रूहे तहरीमी जैसा है (यानी बिदअत और शक वाली बातों पर अमल करना हराम के नज़दीक है।)

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 193, बाबुल हज़र।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के पांचवें रकूअ में आयत न० 90-91 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - परहेज़गारों के लिए जन्नत करीब कर दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम करीब कर दी जाएगी।

ताज़िया

क़ुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूर: जुमर के चौथे रकूअ में आयत न० 41 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुझ पर हमने हक़ के साथ यह किताब लोगों के लिए नाज़िल फ़रमायी है पस जो आदमी सीधे रास्ते पर आ जाए उसको अपने लिए नफ़ा है और जो गुमराह हो जाए, उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है तू उसका जवाबदेह नहीं।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब करके फ़रमा रहा है हमने तुझ पर इस क़ुरआन को सच्चाई और रास्ती के साथ तमाम जिन्नों और इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल फ़रमाया है। उसके फ़रमान को मान कर हिदायत का रास्ता पाने वाले अपना ही नफ़ा करेंगे और इस कलाम मजीद के होते हुए भी दूसरे ग़लत रास्तों पर चलने वाले अपना ही बिगाड़ेंगे तो आप इस बात के जवाब-देह नहीं है कि हर आदमी इस बात को मान ही ले। आप के जिम्मे सिर्फ़ शरीअत के हुक़मों का पहुंचा देना है और हिसाब लेने वाले हम हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 5, सूर: जुमर के चौथे रकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के चौदहवें पारे में सूर: नहल के पांचवें रकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - मुशिरक लोग कहने लगे कि अगर खुदा चाहता तो हम और हमारे बाप दादे उसके सिवा और की इबादत ही न करते न उसके फ़रमान के बग़ैर किसी चीज़ को हराम करते। यही काम इनसे पहले लोगों का भी रहा तो रसूलों पर सिर्फ़ खुल्लम खुल्ला पैग़ाम का पहुंचा देना है।

अल्लाह तआला फरमाता है कि मुशिरकों की औंधी खोपड़ी तो देखो! गुनाह करें, हराम को हलाल करें, जैसे जानवरों को अपने खुदाओं के नाम का करें और तक्दीर को हुज्जत बनाएं और फिर कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला को हमारे और हमारे बाप दादाओं के यह काम बुरे लगते और पसन्द न आते तो हमें उसी वक्त सज़ा मिलती। उन्हें जवाब दिया जा रहा है कि यह हमारा दस्तूर नहीं। हमें तुम्हारे ये काम सख्त ना पसन्द हैं और उनकी ना पसन्दीदगी का इज़हार हम अपने सच्चे पैगम्बरों की जुबानी कर चुके हैं! हर बस्ती में हर कौम में हर शहर में पैगम्बर भेजे जा चुके हैं। सब पैगम्बर अपना-अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। बन्दगाने खुदा खुदा के हुक्मों की साफ़-साफ़ तब्लीग़ कर चुके हैं। सब को कह दिया गया है कि एक अल्लाह ही की इबादत करो। उसके सिवा दूसरों को न पूजो और न पुकारो। सबसे पहले जब शिर्क का जुहूर ज़मीन पर हुआ तो अल्लाह तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख़लअते नुबूवत देकर भेजा और सबसे आखिर में ख़ातमुल मुर्सलीन का लक़ब देकर रहमतुल्लिलआलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना नबी बनाया, जिसकी दावत तमास जिन्नो और इंसानों के लिए ज़मीन के इस कोने से उस कोने तक थी और है और क़ियामत तक रहेगी, इन्शाअल्लाहु तआला।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 33, सूः नह्ल के पांचवे रकूअ की तफ़सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! आज हिन्दुस्तान के कुछ जाहिल मुसलमान भी यही कहते हैं कि अगर ताज़िया बनाना अल्लाह को पसन्द न होता तो यह बनता ही नहीं और बनाने वाले हलाक हो जाते।

मेरे दोस्त! ये सब जहालत की बातें हैं। अल्लाह तआला हरगिज़ इसको पसन्द नहीं करता। अगर ताबूत (यानी ताज़िया) बनाने से सवाब होता तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक खास ताज़िया अलग बनता, दूसरे नम्बर में उलमाए दीन की तरफ से एक ताज़िया बनता फिर जाहिलों का नम्बर आता मगर जो सच्चे सय्यद और आले रसूल हैं वे तो इस ताज़िए को देखना भी हराम समझते हैं और हक़परस्त उलेमा-ए-दीन के सैकड़ों फ़त्वे ताज़िया न बनाने के बारे में मौजूद हैं मगर हिन्दुस्तान की जहालत कुछ ऐसा रंग लायी कि ये जाहिल किसी की भी नहीं सुनते और वही बात करते हैं कि अगर खुदा को पसन्द नहीं है तो फिर क्यों बनते हैं?

मेरे प्यारे दोस्त! आप इतना तो सोचें और समझें कि बुतपरस्ती दुनिया में आम हो रही है और उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं होता, तो क्या बुतपरस्ती भी अल्लाह को पसन्द है? खुदा की पनाह!

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूः फ़ातिर के पांचवें रकूअ में आयत नं० 45 में अल्लाह तआला इश्राद फरमाता है-

तर्जुमा - और अगर अल्लाह तआला इन लोगों पर इनके आमाल की वजह से (फ़ौरन) गिरफ्त (पकड़) फ़रमाने लगता तो धरती पर एक जानदार को न छोड़ता लेकिन अल्लाह तआला इनको एक तै मीआद (यानी क़ियामत) तक मोहलत दे रहा है। जब वह उनकी मीआद आ पहुंचेगी, (उस वक्त) अल्लाह तआला अपने बन्दों को आप देख लेगा।

मेरे दोस्त ! ऐसा नहीं है कि इधर इंसान ने गुनाह किया और उधर अल्लाह तआला का अज़ाब नाज़िल हुआ, अगर इस तरह अल्लाह तआला करता तो शायद ही दुनिया में कोई इंसान बचता, मगर यह हमारे मालिक व मुख्तार का बड़ा रहम व करम है कि अपने बन्दों को ढील देता रहता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों कभी न कभी समझने की कोशिश करेंगे और गुनाहों से तौबा कर लेंगे।

कुरआन शरीफ़ के दूसरे में पारे सूः बकरः के इक्कीसवें रकूअ में आयत न० 170 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इसी तरीके पर अमल करेंगे, जिस पर हमने अपने बाप दादों को (अमल करते हुए) देखा है। अगरचे उनके बाप दादे बे अक्ल और गुमकरदा राह हों (यानी बाप दादे कुछ भी न समझते हों, फिर भी उनकी तक्लीद करना कहां की अक्लमंदी है?)

अल्लाह तआला इन काफ़ि़रों और मुशिरकों से कहता है कि अल्लाह की किताब पर और सुन्नते रसूल पर अमल करो और अपनी जहालत को छोड़ दो तो वे कहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की राह लगे हुए हैं, (यानी जो हमारे बाप-दादा करते थे हम उसी तरीके पर अमल कर रहे हैं जिन चीज़ों की वे पूजा-पाठ किया करते थे हम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे।)

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 20, सूः बकरः के इक्कीसवें रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूः हज के नवें रकूअ में आयत न० 72 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब उनके सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयतों की तिलावत की जाती है तो तुझको काफ़ि़रों के चेहरों पर ना खुशी की साफ़ निशानियां नज़र आती हैं करीब है कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठें कह दे कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ना खुशी की खबर दूं वह आग है जिसका वायदा खुदा ने काफ़ि़रों से कर रखा है और वह बहुत ही बुरी जगह है।

बग़ैर दलील के बिना सनद के खुदा के सिवा दूसरे की पूजा-पाठ, इबादत व बन्दगी करने वालों का जहल व कुफ़्र अल्लाह तआला बयान फ़रमाता है कि सिवाए शैतानी तक्लीद और बाप दादों की देखा देखी के न कोई नक्ली दलील उनके पास है न ही अक्ली, इन ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं कि खुदा के किसी अज़ाब से उन्हें बचा ले, उन पर खुदा के पाक कलाम की आयतें सही दलीलें वाज़ेह हुज्जतें जब पेश की जाती हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है खुदा की तौहीद रसूल सल्ल० की पैरवी को साफ़ तौर पर बयान किया कि उन्हें मिर्चे लगीं शकलें बदल गयीं त्पौरियों पर बल पड़ने लगे आस्तीनें चढ़ने लगीं अगर बस चले तो ज़बान खींच लें, एक लफ़्ज हक्कानियत का जुबान पर आने न दें, उसी वक्त गला घोंट दें इन सच्चे

खैर र्खाहों की खुदा के दीन के मुबल्लिगों की बुराइयां करने लगते हैं जुबानें उनके खिलाफ चलने लगती हैं और मुश्किन हो तो हाथ भी उनके खिलाफ उठने में न रुकें।

अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! इनसे कह दो कि एक तरफ तो तुम जो दुख इन खुदा के दीन के मतवालों को पहुंचाना चाहते हो उसे वजन करो। दूसरी तरफ उस दुख का वजन कर लो जो तुम्हें यकीनन तुम्हारे कुफ़ व इंकार की वजह से पहुंचने वाला है फिर देखो बदतरीन चीज़ कौन सी है? दोख़ की वह आग और वहां के तरह-तरह के अजाब? या जो तकलीफ़ तुम इन सच्चे एहले तौहीद को पहुंचाना चाहते हो? अब तुम ही समझ लो कि जहन्नम कैसी बुरी जगह है? किस क़दर हौलनाक है? किस क़दर तकलीफ़ देने वाली है? और कितनी मुश्किल वाली जगह है? यकीनन वह निहायत ही बदतरीन जगह और बहुत ही खौफ़नाक जगह है जहां राहत व आराम का नाम भी नहीं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 75, सूः हज के नवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! आज हिन्दुस्तान के जाहिल अनपढ़ मुसलमानों की तरफ़ से भी हक़परस्तों को यही जवाब मिलता है कि अगर ताबूत व ताज़िया बनाना शरीअत में नाजायज़ था मना था हराम था तो फिर हमारे बाप-दादा उसको क्यों बनाते थे? मेरे भैया! यह जवाब देना आपको ज़ेबा नहीं। आप के बाप-दादा भोले, बे समझ और बे-इल्म थे इस वजह से वे सवाब समझ कर करते थे और आप तो समझदार हैं इल्म भी रखते हैं फिर आप ऐसी गुमराही में क्यों पड़े हुए हैं? यह आपकी आखिरत के लिए ठीक नहीं है आप यह ख्याल भी न करना कि सारे हिन्दुस्तान में ताज़िए बन रहे हैं तो फिर वे लोग बन्द क्यों नहीं करते? यह आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है लेकिन ताबूत व ताज़िए बन्द नहीं हो रहे इसकी भी एक खास वज़ह है और इस वज़ह को भी कान लगकार खूब ध्यान से सुन लो।

हक़परस्त उलेमा-ए-दीन का समझाना हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अक्सर जगह जो बेकार साबित हो रहा है उसकी वज़ह हमारे जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी, मुल्ला और सूफ़ी हैं। ये लोग सिर्फ़ मलीदा खाने के और नज़राना लेने के मुसलमान हैं। अगर जहालत की रस्में बन्द हो जाएं तो उन लोगों को मिलता हुआ मलीदा और नज़राना भी हमेशा के लिए बन्द हो जाता है इसलिए जाहिल, अनपढ़ मुसलमानों को बहकाने के लिए वे जान तोड़ मेहनत करते हैं वे चिल्ला चिल्ला कर इस तरह समझाते हैं कि हमारी ये रस्में हमारे बड़े बूढ़ों के ज़माने से यानी बाप-दादा के खानदानों से चली आ रही हैं क्या वे मुसलमान नहीं थे? क्या वे बेवकूफ़ थे? क्या वे जाहिल थे? पहले इस्लाम नहीं था? शरीअत नहीं थी? किताबें नहीं थी? मुल्ला और मौलवी नहीं थे? आलिम और मुफ़्ती नहीं थे? वाज़िज़ीन नहीं थे? जो आज ये लोग नये नये मसअले निकाल कर हमारी पुरानी रस्मों को बन्द कराना चाहते हैं? तुम लोग हरगिज़ इन लोगों की बातों में न आना तुम जानते नहीं हो ये सब वहहाबियों की बातें हैं इन लोगों को सरकार की तरफ़ से तंख्याहें मिलती हैं या फ़लां फ़लां जमाअत की तरफ़ से इन लोगों

को वजीफा मिलता है? अल्लाह की पनाह! अपने नफ़्स की खातिर कैसे-कैसे बोहतान अल्लाह के नेक बन्दों पर लगाये जाते हैं? खुदा मुसलमानों की आंखे खोले कि वे हक़ बात को समझने लगे और पेटपरस्त, खुदपरस्त और नफ़्सपरस्त लोगों से बचें और हर बुरी रस्म को बन्द कर दें और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी बन्द कर देने के लिए समझाएं। अल्लाह पाक ज़रूर हक़परस्तों की मदद फ़रमायेगा। यह है वह वजह जो ताज़िया और रस्में बन्द नहीं होतीं।

कुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूः आले इम्रान के पन्द्रहवें रूकूअ में आयत न० 148 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला नेक लोगों को दोस्त रखता है।

मेरे प्यारे दोस्त! अल्लाह तआला तो नेक लोगों को दोस्त रखता है।

क्या आप या आपके मौलवी साहब किसी आयत से या हदीस से हनफी मसलक की किसी 'मोतबर' किताब से कह सकते हैं कि ताबूत व ताज़िया बनाना नेक काम है या उसकी नज़्र व नियाज़ करना नेक काम है या उसमें रक़म खर्च करना नेक काम है या वहां पर नाचना कूदना नेक काम है या रीछ बन्दर बनना नेक काम है या जीते जी मुंह काला करना नेक काम है और मर्दों का ग़ैर औरतों के साथ और औरतों का ग़ैर मर्दों के साथ मिल जुलकर ख़लत मलत होकर मातम करना या बाज़ारों में फिरना नेक काम है? धूम धाम और शोर व गुल, ढोल ताशे, नक्क़ारे और शहनाइयां बजाना नेक काम है? नौहे पढ़ना नेक काम है? अगर इनमें से कोई एक भी काम नेक नहीं है और इस्लाम में सबका सब हराम और नाजायज़ और बुरा है तो फिर आपकी अक्ल कहां ग़ारत हो गयी है कि आप इन बातों को छोड़ते नहीं और बावजूद इल्म होने के समझते और जानते हुए भी गुमराही के काम करते हैं यह कितनी बड़ी बेवकूफी और नादानी है।

कुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूः बक़रः के दूसरे रूकूअ में आयत न० 16 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ये वे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ले लिया है। पस न तो उनकी तिजारत ने उनको फ़ायदा पहुंचाया और न ये हिदायत वाले हुए।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० और इब्ने मसऊद रज़ि० और कुछ दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि उन्होंने ईमान के बदले में कुफ़्र कुबूल किया।

मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि ईमान लाये फिर काफ़िर हो गये।

क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि उन्होंने हिदायत पर गुमराही को पसन्द किया।

मतलब यह है कि मुनाफ़िक़ हिदायत से हट कर गुमराही पर आ गये और हिदायत के बदले गुमराही ले ली। उनके दिलों पर मुहर कर दी गयी। हिदायत से भरे हुए गुलिस्तां में से निकल कर गुमराही के कांटों भरे जंगल में और सुन्नत के पाक गुलशन से निकल कर बिदअत से भरे हुए जंगल में आ गये।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 68, सूः बकरः के दूसरे रूकूअ की तफ्सीर में। ताज़िए में तीन बातें कसरत से होती हैं-

1. एक तो खेल कूद,
2. दूसरी नौहागरी, 3. तीसरी फ़िज़ूलखर्ची।

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूः अनआम के आठवें रूकूअ में आयत न० 70 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उन्हें छोड़ दे, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनियावी ज़िन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है।

अल्लाह पाक फ़रमाता है कि इन लोगों को छोड़ दे जिन्होंने दीन को एक खिलौना बना रखा है क्योंकि वे बड़े अज़ाब की तरफ़ जा रहे हैं। इसीलिए फ़रमाया कि उन्हें इस कुरआन के ज़रिए नसीहत व इबरत दिलाओ अल्लाह के अज़ाब से उन्हें डराओ ताकि वे अपने आमाल की वजह से हलाक न कर दिये जाएं।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 74, सूः अनआम के आठवें रूकूअ की तफ्सीर में।

जब किसी के घर में बूढ़ा या जवान या किसी बच्चे की मय्यत हो जाती है तो दूसरे लोग जो ज़िन्दा हैं वे मुर्दे की मिसाल नज़र आते हैं और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भी ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि उनको सांप सूंघ गया हो पूरे महल्ले में सन्नाटा छा जाता है किसी के चेहरे पर रौनक या हंसी नज़र नहीं आती और सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ती हुई नज़र आती हैं। उस वक़्त कोई नहीं नाचता और कोई नहीं कूदता कोई ढोल-ताशे और शहनाइयां नहीं बजाता, कोई खेल तमाशा नहीं करता कोई भेस नहीं बनाता कोई रीछ या बन्दर नहीं बनता कोई नहीं हंसता, कोई नहीं हंसाता, कोई अच्छे-अच्छे कपड़े नहीं पहनता, किसी को शर्बत भी नहीं भाता और सब के सब ऐसे बैठ हुए नज़र आते हैं कि उन लोगों के सर पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है।

सय्यिदिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर तरह तरह के खेल और तमाशे करते हैं नाचते कूदते हैं और ढोल ताशे शहनाइयां बजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं चाय-पान सिगरेट, हलवा पूरी, शर्बत मजे से खाते पीते हैं आपस में एक दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं तरह-तरह के मर्सिए गाते हैं और तरह-तरह के भेस बनाते हैं और नाचने उछलने पर और खेल तमाशों पर एक दूसरे को वाह-वाह की दाद देते हैं और किसी के चेहरे पर सिवाए खुशी के ग़म के आसार तक नज़र नहीं आते।

अब यह शर्म की बात नहीं है कि जब हमारे घर में कोई मर जाए तो हम लोग मुर्दे की मिसाल चुप चाप और गुम सुम बैठे रहें और जन्नत के नव-जवानों के सरदार सय्यिदिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो रसूले खुदा के प्यारे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लाडले थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियललाहु अन्हा के जिगर के टुकड़े और आंखों की रोशनी थे उनकी शहादत पर खेल तमाशे करें, इन लोगों को शर्म नहीं आती। इतना करने के बावजूद

अपने आप को मुसलमान और आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझते हैं। जिस तरह सय्यिदिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफ़े के लोगों ने शहीद किया और उनकी शहादत पर नाचे कूदे खेल तमाशे किये इसके बावजूद वे अपने आपको आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमान समझते थे।

ये नादान लोग जब घोड़े और ताबूत को लेकर बाज़ार के गली कूचों में निकलते हैं उस वक़्त अखाड़े वालों की एक अजीब रौनक होती है। लोग कहते हैं कि अखाड़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। अगर अखाड़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का होता तो वह हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर कभी नहीं खेल सकता। क्या बाप का अखाड़ा बेटे की शहादत पर खेल सकता है? हरगिज़ नहीं।

अगर हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस ज़माने में ज़िन्दा होते और उनके सामने घोड़ा ताबूत और अलम या पंजे वगैरह बनाये जाते और उसके सामने नाचते कूदते, उछलते और खेल खेलते, लंगूर या भालू या तरह-तरह के भेस बनाकर खेल तमाशे करते ढोल ताशे शहनाइयां खूब बजाते, नौहा गाते, मर्सिया पढ़ते सीना कूटते, मर्द और औरतें जानवरों की तरह खलत-मलत होकर घूमते-फिरते, बाज़ार की गली और कूचों में औरतें बे पर्दा होकर सीना कूटतीं और इन तमाम हरकतों को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी आंखों से देखते तो ईमानदारी से आप ही फैसला करें क्या वह इन हरकतों को पसन्द करते? हरगिज़ नहीं बल्कि बे इतिहा समझाने की कोशिश करते।

जो लोग ताबूत और घोड़ा बनाने वाले हैं उनमें से कुछ तो पैसे कमाने के लिए बनाते हैं और कुछ सरदारियां हासिल करने के लिए बनाते हैं और कुछ नाचने कूदने और खेल तमाशे का मज़ा लूटने के लिए बनाते हैं और कुछ लोग तो इन हरकतों को मज़हब की बुनियाद समझ बैठे हैं। ये लोग हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूहे मुबारक को एक रोज़ा रख कर नहीं बरखाते और न दो रक़अत नफ़ल नमाज़ पढ़ कर बरखाते हैं ये लोग तो सिर्फ़ झूठी मुहब्बत का दावा करके नाचने-कूदने का मज़ा उड़ाने वाले हैं। इन लोगों को खुदा का भी डर नहीं और न अज़ाब का डर है। कितने नादान और बे-समझ लोग हैं। नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना तो वबाले जान और मुसीबत समझते हैं और रस्म व रिवाज का निभाना ही मज़हब समझते हैं।

कुरआन करीम के छठे पारे में, सूर: माइदा के नवें रकूअ में, आयत न० 57 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! उन लोगों को दोस्त न बनाओ, जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाये हुए हैं।

क्या तुम उन से दोस्तियों करोगे जो तुम्हारे ताहिर मुतह्हर दीन को हंसी में उड़ाते हैं और उसे एक खेल और तमाशा बनाये हुए हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 113, सूर: माइदा के नवें रकूअ की तफ़सीर में।

दूसरी बात ताज़िए में अक्सर जगह नौहागरी होती है और इसको सवाब समझ कर किया जाता है। अब नौहा करने वालों और नौहा करने वाली औरतों के लिए जो वईद (यानी अज़ाब की घमकी) आयी है उसको भी सुन लो।

हदीस - हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जाहिलियत के दिनों की चार बातें हैं जिनको मेरी उम्मत के लोग न छोड़ेंगे-

1. फ़ख़ करना हसब पर, 2. तान करना नसब पर, 3. पानी तलब करना सितारों से, 4. नौहा करना - और नौहा करने वाली औरत अगर अपने मरने से पहले तौबा न कर लेगी तो क़ियामत के दिन खड़ी की जाएगी, इस हाल में कि उसके जिस्म पर क़तरान और ख़ारिश का कुरता होगा। यानी उसके जिस्म में ख़ारिश होगी।

हवाला - 1. मिशकता शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 299, हदीस 1628, मय्यत पर रोने का बयान, 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 152, हदीस 936, जनाज़े का बयान, 3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 194, हदीस 907, जनाज़े का बयान, 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 67, मय्यत पर रोने का बयान।

हदीस - हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गरेबान चाक करने वाली औरत, मुंह नोचने वाली और वावेला करने वाली औरत पर लानत फ़रमायी है-

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 243, हदीस 1605, जनाज़े का बयान।

हदीस - हज़रत अबूसईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लानत फ़रमायी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नौहा करने वाली और नौहा सुनने वाली औरत पर।

हवाला - 1. मिशकत शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 300, हदीस 1633, मय्यत पर रोने का बयान, 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 68, मय्यत पर रोने का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

वह आदमी हम में से नहीं जो (ग़म में अपने) रुख़्सारों पर तमांचे मारे और गरेबान फाड़े और जाहिलियत की सी बातें करें, (यानी हाय वावेला करे)

हवाला - 1 सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 288, हदीस 1198, जनाज़े का बयान, 2. सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 18, हदीस 83, बाब 40, किताबुल ईमान, 3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 193, हदीस 905, जनाज़े का बयान, 4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 243, हदीस 1604, जनाज़े का बयान।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी जाहिलियत की सी पुकारें पुकारे, वह जहन्नम का कूड़ा करकट है।

लोगों ने पूछा हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगर वह रोज़ेदार और नमाज़ी हो तो? आपने फ़रमाया अगरचे वह नमाज़ पढ़ता हो और रोज़े भी रखता हो और अपने आप को मुसलमान भी कहता हो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 76, सूः बकरः के तीसरे रूकूअ की तफ़सीर में। तीसरी बात फ़िज़ूल खर्ची की है। हिन्दुस्तान के मुसलमान भाई जितनी रक़म ताज़िया और दुलदुल बनाने में खर्च करते हैं उतनी रक़म किसी और काम में खर्च नहीं करते बजाए ताबूत और दुलदुल बनाने के यह रक़म अगर दीनी मदरसों में खर्च करते या अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाते या मुसाफ़िरों के लिए मुसाफ़िर खाना बनाते या ग़रीबों को देते या मुहताजों को देते या फ़कीरों को देते या यतीमों को देते या बेवाओं को देते या मुसाफ़िरों को देते या कर्ज़दारों का कर्ज़ अदा करवा देते फिर उसका सवाब हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूहे मुबारक को बरखा देते तो कितना अच्छा होता।

ताज़िया में पैसा खर्च करने से कुछ भी सवाब नहीं मिलता, बल्कि आख़िरत में अज़ाब होगा क्योंकि ताज़िया बनाने से दीन में कोई फ़ायदा नहीं होता। ताज़िया की घमाघमी और धूम धाम में जितनी रक़म खर्च होती है वह फ़िज़ूलखर्ची होती है और फ़िज़ूल खर्च करने वालों को अल्लाह तआला ने शैतान का भाई बताया है-

कुरआन मजीद के पन्द्रहवें पारे में सूः बनी इस्राईल के तीसरे रूकूअ में आयत न० 26-27 में अल्लाह तआला इश्राद फ़रमाता है-

तर्जुमा - रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफ़िरों को उनका हक़ अदा करो और फ़िज़ूल खर्ची करके माल को न उड़ाओ क्योंकि फ़िज़ूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं।

फ़िज़ूल खर्ची और बेवकूफी और अल्लाह की इताअत के छोड़ने और नाफ़रमानी करने की वजह से फ़िज़ूल खर्च लोग शैतान के भाई बन जाते हैं। शैतान में यही बद खसलत है कि वह रब की नेमतों का शुक्र उसकी इताअत का छोड़ने वाला उसकी नाफ़रमानी और मुखलफ़त का अमल करने लगता है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 40, सूः बनी इस्राईल के तीसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

कुछ जगह पर घोड़े ज़्यादा बनाते हैं और कुछ जगह पर ताज़िए ज़्यादा बनाते हैं और कुछ जगह घोड़े और ताज़िए दोनों बनाते हैं। ताज़िया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े की नक़ल करते हैं और घोड़ा इसलिए बनाते हैं कि इस पर करबला के मारके में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवार हुए थे और जब आप कूफ़ा की तरफ़ रवाना हुए,

उस वक़्त आपके साथ ऊंट थे तो ऊंट बनाते हैं और कुछ जगहों पर शेर बनाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि शेर क्यों बनाते हैं?

कुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के सत्तरहवें रकूअ में आयत न० 169 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये हैं उन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझो बल्कि वे जिन्दा हैं अपने रब के पास रोज़ियां दिये जाते हैं।

मुसनद अहमद के हवाले से लिखा है कि शहीद को छः इनाम हासिल होते हैं-

1. उसके खून का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरते ही उसके कुल गुनाह माफ़ हो जाते हैं,
2. उसे उसका जन्नत का मकान दिखला दिया जाता है।
3. और निहायत खूबसूरत बड़ी-बड़ी आंखों वाली हूरों से उसका निकाह कर दिया जाता है
4. वह बड़ी घबराहट से अमन में रहता है
5. वह क़ब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है
6. उसे ईमान के ज़ेवर से आरास्ता कर दिया जाता है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 32, सूर: मुहम्मद के पहले रकूअ की तफ़्सीर में।

ये जाहिल हर वर्ष हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या समझ कर दफ़न करते हैं और इसके बाद तीजा, दसवां, बीसवां और चालीसवां सब कुछ करते हैं गोया कि हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दफ़न कर आए और जब दफ़न करने के लिए ताज़िया उठाया जाता है तो हरिजनों से या मज़दूरों से उठवाया जाता है और अगर इन लोगों के घर कोई मर जाता है तो खुद से कंधा देंगे और दफ़न के बाद वे तमाम रस्में होनी चाहिएं जो मरने वालों के पीछे ये जाहिल लोग करते हैं।

एक बात बड़ी हैरत और अफ़सोस की है वह यह कि जब ताज़िया दफ़न करते हैं उस वक़्त जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ते और बग़ैर नमाज़ पढ़े ही दफ़न कर देते हैं। मरने वाले के पीछे जो कुछ होता है वह सब कुछ करते हैं सिर्फ़ एक जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ते। इतनी कसर क्यों रखते हैं?

अगर ताज़िए पर जनाज़े की नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ते कि वह जायज़ नहीं तो फिर यह घोड़ा और ताज़िया, तीजा, दसवां, बीसवां और चालीसवां या जो कुछ ताज़िए के सिलसिले में होता है वह कब जायज़ है? और कौन सी किताब में लिखा है? हमारा मज़हब किताबी है रिवाजी नहीं। अगर कुरआन व हदीस में कहीं भी ये बातें लिखी हुई नहीं हैं तो फिर क्यों करते हो? तौबा क्यों नहीं कर लेते?

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

जब किसी आदमी की मुहब्बत और दूसरे का बुग़्ज दिल में वाक़ेअ हो तो अपने नफ़्स और अपनी तबियत से न उसको महबूब बना और न उससे बुग़्ज रख, बल्कि इन दोनों को फैसले के लिए अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर पेश कर दे। पस जिसको तूने महबूब बनाया है अगर वे दोनों उसकी मुवाफ़क़त करें तो हमेशा उसकी मुहब्बत पर कायम रह और अगर मुख़ालिफ़ हों तो उसकी मुहब्बत से बाज आ जा।

हवाला - फ़्यूज़े यज़दानी, पृ० 351, मज़्लिस 59।

ऐ मेरे मुसलमान भाइयो और मेरी मुसलमान बहनो! अब सुन लो ताबूत व ताज़िया और ग़म के अन्दर मातम करने के बारे में फ़त्वे-

हज़रत सय्यिदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के दिन को ग़म व अलम का दिन मान लिया जाए तो पीर का दिन उससे भी ज़्यादा ग़म करने का दिन है क्योंकि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात उसी दिन हुई है और उसी दिन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी वफ़ात पायी है।

हवाला - गुन्यतुत्तालिबीन, पृ० 454, यौमे अशूरा पर तान के बयान में।

मुहदिस अल्लामा मुहम्मद ताहिर रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

फ़ुक़हा-ए-किराम र-ह-महुमुल्लाहु तआला ने तह्कीक़ के साथ लिखा है कि जो हर साल सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मातम करने में आता है वह मक्ख़हे तहरीमी है (यानी हराम के नज़दीक़ है)

हवाला - मज़्मऊलबहार, हिस्सा 3, पृ० 550।

मुहदिस अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

ख़बरदार! ख़बरदार आशूरा के दिन राफ़ज़ियों की बिदअतों में हरगिज़ मशगूल न होना जैसा कि मर्सिया ख़्वानी, चिल्लाना मातम करना ये सब काम मुसलमानों के नहीं हैं।

हवाला - सवाअिके मुहर्रिका, पृ० 112।

मुहदिस शाह अब्दुल हक़ रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

अहले सुन्नत का तरीक़ा यह होना चाहिए कि आशूरा के दिन रवाफ़िज़ फ़िर्के की निकाली हुई बिदअतें, जैसे कि मर्सिया और मातम और नौहा वगैरह से बचता रहे। वजह इसकी यह

है कि ये सब काम हम मुसलमानों के नहीं हैं।

हवाला - शरह स-फ-रस-सआदत, पृ० 543।

शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

मुहर्रम में ताज़िया बनाना और बनावटी क़ब्रें बनानी, उन पर मन्नतें चढ़ानी और रबीउस्सानी (यानी ग्यारहवीं के महीने में) मेंहदी रोशन करनी और उसपर मन्नतें चढ़ानी शिर्क है।

हवाला - फ़तावा अजीज़िया हिस्सा 1, पृ० 147

मेरे प्यारे दोस्तो! मैं आपको क्या सुनाऊं और क्या न सुनाऊं? मेरी तो अक्ल हैरान है कि इतने इतने सबूत होते हुए भी अपने आपको सुन्नी और हनफी कहलाने वाले तौबा नहीं करते और अपनी आंखें बन्द करके गुमराहों की अन्धी तक्लीद कर रहे हैं। मजमूआ-ए-फ़तावा, जिल्द 2, पृ० 106, में लिखा है कि ताबूत और उसके सामने जितने काम हो रहे हैं ये सब काम बिदअत और मना हैं इसका करने वाला बिदअती और फ़ासिक है।

खुत्बा हनफीया, वार्ज न० 16, पृ० 127, के अन्दर ताबूत बनाने को हराम लिखा है।

मेरे अजीज़ दोस्तों! हनफी मज़हब के मानने वाले तमाम उलेमा-ए-दीन ताबूत को नाजायज़, मना, गुमराही और हराम बताते हैं। इस मसअले में देवबन्दी और बरेलवी उलेमा सबका इत्तिफ़ाक़ है यानी दोनों तरफ़ के उलेमा ताबूत बनाने से या उसमें शामिल होने से या उसकी मदद करने से मना फ़रमाते हैं।

अब सुनिये बरेलवी उलेमा के फ़त्वे

हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी का फ़त्वा

अलम, ताज़िया, अबरीक, मेंहदी जैसे तरीके जारी करना बिदअत है। बिदअत से इस्लाम की शान बढ़ती नहीं। ताज़िया की हाजत को पूरा करने वाला मानना जहालत पर जहालत है। उसकी मन्नत मानना बेवकूफी और न करने में नुक़सान जानना जनाना वहम है। मुसलमानों को ऐसी हरकत से बचना चाहिए।

हवाला - रिसाला मुहर्रम व ताज़ियादारी, पृ० 59।

मुहर्रम में काले और हरे रंग के कपड़े (पहनना) ग़म की निशानी है और ग़म हराम है।

हवाला - अहकामे शरीअत, हिस्सा 1, पृ० 90

हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब बरेलवी का फ़त्वा

ताज़िया बनाना बिदअत है। इससे इस्लाम की शौकत या दबदबा नहीं बढ़ता बल्कि माल को फ़िज़ूल फेंक देना है। इसके लिए सख्त सज़ा की वईद (यानी धमकी) आयी है।

हवाला - रिसाला मुहर्रम व ताजियादारी, पृ० 60

हज़रत मौलाना मुहम्मद इफ़ान रिज़्वी साहब बरेलवी का फ़त्वा

ताजिया बनाना और उस पर फूल हार चढ़ाना वगैरह सब काम नाजायज़ और हराम हैं।

हवाला - इफ़ाने हिदायत, पृ० 9।

हज़रत मौलाना हश्मत अली साहब बरेलवी का फ़त्वा

ताजिया जिस तरीके से चालू है उसमें कितने गुनाह ख़िलाफ़े शरीअत बातों का मज्मूआ है गुनाह, नाजायज़ बहुत बुरी बिदअत है। अल्लाह के अज़ाब की वजह से और राफ़ज़ियों का तरीका और शरीअत से ना वाकिफ़ और बे इल्म के सिवा कोई जायज़ नहीं कहता।

हुज़ूरे अक्दस सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं-

हर एक बिदअत गुमराही है। हर एक गुमराही का ठिकाना ज़हननम है।

दूसरी हदीस में है-

हर एक बुरा काम नयी पैदा की हुई राह है और हर एक नयी पैदा की हुई राह बिदअत है और हर एक बिदअत गुमराही है। (मिशकात शरीफ़)

इसलिए हर एक ताजिया बनाने वाला रखने वाला उसमें पैसे देने वाला या खाली मदद करने वाला उसके ऊपर शीरीनी यानी नियाज़ चढ़ाने वाला, फ़ातिहा देने वाला सब गुनाहगार और सख्त अज़ाब के हक़दार हैं क्योंकि ये सब बातें अज़ाब का ज़रिया हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि गुनाह और जुल्म के कामों में मदद न करो, मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी खतरनाक बिदअत से और बुरे कामों से तुम्हारे लिए बचना ज़रूरी है। हदीस के मुताबिक बचे और दूर रहे और किसी तरह भी इसमें शरीक न हों।

हवाला - मज्मउल मसाइल, हिस्सा 1, पृ० 119।

हज़रत मौलाना अमजद अली साहब रिज़्वी बरेलवी का फ़त्वा

ताजियादार करबला के वाकिआत के सिलसिले में तरह तरह के ढांचे बनाते हैं और उनको हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रौज़ा-ए-पाक की शबीह कहते हैं कहीं तख़्त बनाये जाते हैं कहीं ज़री बनती है और अलम शदे निकाले जाते हैं ढोल ताशे और किस्म-किस्म के बाजे बजाए जाते हैं। ताजियों का बहुत धूम धाम से ग़श्त होता है। आगे पीछे होने में जाहिलियत के से झगड़े होते हैं पेड़ की शाखें काटी जाती हैं कहीं चबूतरे खुदवाये जाते हैं ताजियों से मन्नतें मानी जाती हैं सोने चांदी के अलम चढ़ाये जाते हैं हार, फूल, नारियल चढ़ाये जाते हैं वहां जूता पहन कर जाने को गुनाह जानते हैं बल्कि इस शिद्दत से मना करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानिअत नहीं करते छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं ताजियों के अन्दर दो बनावटी कब्रें बनाते हैं-

एक पर सब्ज गिलाफ़ और दूसरी पर सुर्ख गिलाफ़ डालते हैं और सब्ज गिलाफ़ वाली कब्र को हज़रत सय्यिदिना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र और सुर्ख गिलाफ़ वाली को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शबीह या कब्र बताते हैं और वहां शर्बत, मलीदा वगैरह पर फ़ातिहा दिलवाते हैं।

यह सोच कर कि हज़रत इमामे आली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रौज़ा-ए-अक़दस पर फ़ातिहा दिला रहे हैं फिर यह ताज़िए दसवीं तारीख़ को बनावटी करबला में ले जाकर दफ़न करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफ़न कर आए फिर तीजा, दसवां, चालीसवां सब कुछ किया जाता है और हर एक खुराफ़ात पर मुश्तमल होता है। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मेंहदी निकालते हैं गोया उनकी शादी हो रही है मेंहदी रचायी जाएगी।

और इसी ताज़ियादारी के सिलसिले में कोई पीक बनता है जिसकी कमर से घुंघरू बंधे होते हैं गोया यह हज़रते इमाम आली मक़ाम का कासिद और हरकारा है जो यहां से ख़त लेकर इब्ने ज़ियाद के पास जाएगा और वह हरकारों की तरह भागा फिरता है किसी बच्चे को फ़कीर बनाते हैं और उसके गले में झोली डाल देते हैं और घर घर से भीख मंगवाते हैं कोई सक्का बनाया जाता है छोटी सी मशक उसके कंधे से लटकती है गोया यह दरियाए फ़रात में से पानी भर कर लाएगा किसी अलम पर मशक लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया कि हज़रत अब्बास अलमदार हैं कि दरियाए फ़रात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदियों ने मशक को तीर से छेद दिया है। इसी किस्म की बहुत सी बातें की जाती हैं ये सब लगव और खुराफ़ात हैं इनसे हरगिज़ सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुश नहीं हैं।

यह तुम खुद गौर करो कि उन्होंने एह्याए दीन व सुन्नत के लिए ज़बरदस्त कुर्बानियां दीं और तुमने मज़ाज़ल्लाह उसको बिदअत का ज़रिया बना लिया कहीं तो इसी ताज़िएदारी के सिलसिले में बुराक बनाया जाता है जो अजीब किस्म का मुजस्समा होता है कुछ हिस्सा इंसानी शकल का होता है और कुछ हिस्सा जानवर का सा होता है शायद यह हज़रते आली मक़ाम की सवारी के लिए एक जानवर होगा कहीं दुलदुल यानी घोड़ा बनता है कहीं बड़ी-बड़ी कब्रें बनती हैं कुछ जगह आदमी बन्दर रीछ और लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं जिनको इस्लाम तो इस्लाम इन्सानी तहज़ीब भी जायज़ नहीं रखती। ऐसी बुरी हरकत इस्लाम हरगिज़ जायज़ नहीं रखता। अफ़सोस कि मुहब्बत अह्ले बैते किराम से करने का दावा और ऐसी बेजा हरकतें?

यह वाकिआ तुम्हारे लिए नसीहत थी और तुमने उसको खेल तमाशा बना लिया। इस सिलसिले में नौहा और मातम भी होता है और सीना कोबी भी होती है इतने ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वरम हो जाता है सीना लाल हो जाता है बल्कि कहीं कहीं तो जंजीरों और छुरियों

से मातम करते हैं कि सीने से खून बहने लगता है ताजियों के पास मर्सिया पढ़ा जाता है और ताजिया जब गश्त को निकलता है उस वक्त भी उसके आगे मर्सिया पढ़ा जाता है मर्सिया में गलत वाकियात नज़्म किये जाते हैं। अह्ले बैते किराम की बे-हुर्मती होती है और बे-सब्री और ज़ज़अ फ़जअ का ज़िक्र किया जाता है क्योंकि अक्सर मर्सिए राफ़जियों के ही हैं कुछ में तबर्रा भी होता है मगर उसी रौ में सुन्नी भी उसे बे-तकल्लुफ़ पढ़ जाते हैं उन्हें इसका ख्याल भी नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं ये सब नाजायज़ और गुनाह के काम हैं।

हवाला - बहारे शरीअत, हिस्सा 16, पृ० 211, मजालिस का बयान।

अलम और ताजिया बनाने और पीक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फ़कीर बनाने और बद्धी पहनाने और मर्सिये की मज्लिस करने और ताजियों पर नियाज़ दिलाने वगैरह खुराफ़ात जो राफ़जी और ताजियादार लोग करते हैं उसकी मन्नत सख्त जहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करें और इन सबसे बदतर शेख सद्दू का मुर्गा और कड़ाही है।

हवाला - बहारे शरीअत, हिस्सा 9, पृ० 35, मन्नत का बयान।

न मुस्तफ़ा की मुहब्बत है ताजियाबाजी।

न अह्ले बैत की उलफ़त है ताजिया बाजी।

ख़िलाफे शरअ जो तुम ऐसे आशिक आए हो,

नयी तुम्हारी इग़ादत है ताजियाबाजी।

नमाज़ व रोज़ा व हज व ज़ाकत छोड़के सब,

समझते हैं कि किफ़ायत है ताजियाबाजी।

डरो खुदा से करो तौबा इन गुनाहों से,

यह सारी नफ़स की शामत है ताजियाबाजी।

बहुत सा क़ौम को समझा चुके हम ऐ असरार!

न छोड़ें, उनकी जहालत है ताजियाबाजी।

हवाला - खुल्बा हनफ़ीया, वाज न० 17, पृ० 135।

मेरे प्यारे दोस्त! ताबूत और घोड़ा बनाना बिदअत है उससे मुराद मांगना और उसे हाजत पूरी करने वाला समझना कुफ़र है उसकी मन्नत मानना और उस पर नारियल और फूल चढ़ाना या कोई नियाज़ वगैरह चढ़ाना शिर्क है उसकी ताज़ीम व तकरीम करना और क़ाबिले सवाब समझना बुतपरस्ती है। इस ताबूत और घोड़ा बनाने में या नाचने कूदने में और नौहागरी करने में या मर्सिए पढ़ने में कोई क़ाबिले सवाब बात नहीं है ये सब काम शरीअत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और परले दर्जे की गुमराही के तरीके हैं।

बुतपरस्ती का अंजाम

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के चौथे रूकूअ में आयत न० 52 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को वह्य भेजी कि रातों रात मेरे बन्दों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा।

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म होता है कि बनी इस्राईल को लेकर यहां से रातों रात निकल जाओ। आप रातों रात उन्हें लेकर खाना हो गये। सुबह फिरऔनियों ने देखा कि रात को सारे बनी इस्राईल चले गये तो फिरऔन को जाकर खबर कर दी। उसने सारे मुल्क में खबर भेजकर फौजें तलब कीं और बहुत बड़ी जमीयत के साथ उनका पीछा किया। रास्ते में जो दरिया बीच में आता था उसकी तरफ खुदा की वह्य पहुंची कि तुझ पर जब मेरे बन्दे मूसा (अलैहिस्सलाम) की लकड़ी पड़े तो तू उन्हें रास्ता दे देना तुझ में बारह रास्ते में हो जाएं ताकि बनी इस्राईल के बारह कबीले अब्ग अलग अपनी राह लग जाएं फिर जब ये पार हो जाएं और फिरऔनी अन्दर आ जाएं, तो तू मिल जाना और उनमें से एक को भी गर्क किये बगैर न छोड़ना।

मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पर पहुंचे तो देखा कि वह मौजे मार रहा है पानी चढ़ा हुआ है शोर उठ रहा है तो घबरा गये और लकड़ी मारना भूल गये। दरिया बे करार था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके किसी हिस्से पर मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी मार दें और उसे खबर न हो तो खुदा के अजाब में नाफरमानी की वजह से फंस जाए।

इतने में फिरऔन का लश्कर बनी इस्राईल के करीब आ पहुंचा। ये घबरा गये और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे मूसा हम पकड़ लिये गये अब आप वह कीजिए जो खुदा का आप को हुक्म है यकीनन न तो खुदा झूठा है और न आप झूठे हैं आपने फरमाया था कि मुझे हुक्म किया गया है कि जब तू दरिया पर पहुंच जाए तो वह तुझे बारह रास्ते दे देगा तू गुजर जाना।

उसी वक्त याद आया कि लकड़ी मारने का हुक्म हुआ है चुनांचे लकड़ी मारी। इधर फिरऔनी लश्कर का अब्बल हिस्सा बनी इस्राईल के आखिरी हिस्से के करीब आ चुका था कि दरिया सूख गया और उसमें बारह रास्ते हो गये और आप अपनी कौम को लिए हुए उसमें बे खतर उतर पड़े और आराम के साथ जाने लगे। जब बनी इस्राईल समुन्दर से पार हो गये तो फिरऔनी सिपाही उनके पीछे दरिया में उतरे और जब यह सारा लश्कर दरिया में उतर गया तो खुदा के फरमान के मुताबिक दरिया फिर खां हो गया यानी असली हालत में बहने लगा और सबको एक ही वक्त में गर्क कर दिया।

बनी इस्राईल इस वाकिए को अपनी आंखों से देख रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा ऐ अल्लाह

के नबी! हमें क्या ख़बर कि फ़िरऔन भी मर गया या नहीं। आपने अल्लाह से दुआ की और दरिया ने फ़िरऔन की बेजान लाश को किनारे पर फेंक दिया जिसे देखकर उनको पूरा यकीन हो गया कि उनका दुश्मन मय अपने लश्कर के तंबाह हो गया।

कुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ़ के सोलहवें रकूअ में आयत न० 138 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - बनी इस्राईल को हमने समुन्दर से पार कर दिया फिर ये चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुज़र हुआ जो अपने कुछ बुतों पर लट्टू हो रही थी (यानी पूज रहे थे)। कहने लगे ऐ मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दीजिए जैसा कि इन लोगों के माबूद हैं। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि तुम लोग बड़े जाहिल हो।

ऊपर की आयते करीमा गौर के काबिल है। सोचने और समझने की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम साथ हैं सैकड़ों मीजिजे देखते चले आ रहे हैं अभी अभी समुन्दर फटा, बनी इस्राईल पार हो गये और फ़िरऔन गर्क हो गया। यह सब कुछ आंखों के सामने हुआ है किसी की सुनी सुनायी बात नहीं थी फिर भी समुन्दर से पार होकर कुछ दूर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जमाअत बुतों की पूजा कर रही है उनको देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम से गुज़ारिश और सिफ़ारिश करते हैं कि हमें भी एक ऐसा बुत पूजने के लिए बना दीजिए जैसा कि इन लोगों के पास है शैतान की मेहनत को देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूद होते हुए उनके दिल में बुतपरस्ती की मुहब्बत डाल दी।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाराज़ होकर फ़रमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। तुम लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी इबरतनाक निशानियां देखीं ऐसे अहम वाकिआत सुने, लेकिन अब तक इबरत हुई, और न ग़ैरत आयी।

हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए यह बात गौर के काबिल है कि कुछ खास वक़्त भी नहीं गुज़रा अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में होने के बावजूद बनी इस्राईल बुत पूजने की तमन्ना कर रहे हैं।

• आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लगभग चौदह सौ साल हो गये क्या हम को शैतान ने कुछ भी नहीं बहकाया होगा? क्या हम सबके सब उसी तरीके पर हैं जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया के लिए लेकर आए थे।

हदीस - हज़रत अबू वाकिद लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुनैन की तरफ़ तशरीफ़ ले चले तो मुशिरकों के एक पेड़ के पास से गुज़रे। उस पेड़ को जाते अन्वात कहते थे। उस पर वे अपने हथियार लटकाते थे। लोगों ने अर्ज किया-

ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम लोगों के लिए भी जाते अन्वात

बना दीजिए, जैसा कि इनके लिए जाते अन्वात है।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया यह वैसी ही मांग है जैसी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि हम लोगों के लिए भी कुछ माबूद बना दीजिए, जिस तरह इनके लिये माबूद हैं। उस ज़ात की क़सम! जिस की कुदरत के कब्जे में मेरी जान है बेशक तुम लोग अपने से पहले लोगों (यहूदी व ईसाइयों) के तरीके पर चलोगे।

- हवाला**—1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 11, हदीस 46, फ़िल्ने का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 775, हदीस 5146, फ़िल्ने का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 304, फ़िल्ने का बयान।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुनैन की लड़ाई की तरफ़ चले तो आपके साथ दस हजार आदमियों का लश्कर था। रास्ते में कुछ लोग किसी एक पेड़ पर हथियार लटकाये बैठे थे। उनके ख्याल में यह था कि इस पेड़ पर कुछ दिन या कुछ घंटे हथियार लटकाने से वह हथियार दुश्मनों पर बहुत चलता है।

उन्हें देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरर्वास्त की गयी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम लोगों के लिए भी ऐसा ही एक पेड़ बना दीजिए ताकि हम भी बरकत हासिल कर सकें।

तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह ऐसी ही मांग है जैसी कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनके उम्मतियों ने की थी। खुदा की क़सम! तुम लोग दूसरों के क़दम-ब-क़दम चलोगे यानी जो काम यहूदियों और ईसाइयों ने किया है उनसे कम तुम भी नहीं रहोगे।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ होते हुए भी शैतान ने बुत परस्ती की मुहब्बत उनके दिल में डाल दी। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लगभग चौदह सौ साल हो गये फिर यह शैतान हमको ताज़िया और क़ब्रें नहीं पुजवायेगा तो क्या छोड़ देगा?

वहां से आगे चल कर एक मंज़िल पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ियाम किया और वहां अपना ख़लीफ़ा हज़रत हाक़ून अलैहिस्सलाम को बना कर कौम से ख़िताब फ़रमाया कि मेरी वापसी तक इनकी फ़रमांवरदारी करते रहना। मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। तीस दिन का उसका वायदा है। खुनांचे कौम से अलग होकर वह वायदे की जगह पहुंचे और तीस दिन रात के रोज़े पूरे कर के खुदा से बातें करने का ध्यान पैदा हुआ लेकिन यह समझ कर कि रोज़े की वजह से मुंह से बदबू निकल रही है थोड़ी सी घास लेकर आपने चबा ली।

अल्लाह तआला ने इल्म के बावजूद पूछा कि ऐसा क्यों किया?

आपने जवाब दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि खुदाया तुझसे बातें करते वक़्त मेरा मुंह खुशबूदार मालूम हो।

अल्लाह तआला ने फ़रमाया तुझे मालूम नहीं कि रोज़ेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा अच्छी लगती है। अब तू दस रोज़े और रख, फिर मुझसे बातचीत करना, आपने रोज़े रखने शुरू कर दिये।

कौम पर तीस दिन गुज़र गये और वायदे के मुताबिक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस न आये, तो वह ग़मगीन रहने लगे।

हज़रत हाज़ून अलैहिस्सलाम ने उनमें वाज़ किया और फ़रमाया कि-

जब तुम मिस्र से चले थे तो क़िब्तियों की रक़म तुम में से कुछ के ऊपर उधार थी। इसी तरह उनकी अमानतें भी तुम्हारे पास रह गयी हैं। ये हम उन्हें वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि वे हमारी मिल्कियत में रहें, इसलिये तुम एक गहरा गढ़ा खोदो ओर जो असबाब, बर्तन, ज़ेवर, सोना-चांदी उनका तुम्हारे पास है सब उसमें डाल दो और आग लगा दो।

चुनांचे ऐसा ही किया गया।

उनके साथ सामरी नामी एक आदमी था। यह गाय और बछड़े पूजने वालों में से था। बनी इस्राईल में से नहीं था लेकिन पड़ौसी होने की वजह से और फिरऔन की कौम में से न होने की वजह से यह भी इनके साथ वहां से निकल आया था। उसने एक खास निशान से कुछ मुट्टी में उठा लिया था। हज़रत हाज़ून अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया तू भी उसे डाल दे।

उसने जवाब दिया कि यह तो उस फ़रिश्ते के असर से है जिसके ज़रिए तुम्हें दरिया से पार कर दिया गया। खैर! मैं उसे डाल देता हूँ लेकिन इस शर्त पर कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इससे वह बन जाए, जो मैं चाहता हूँ।

आपने दुआ की और उसने अपनी मुट्टी में जो था उसे डाल दिया और कहा मैं चाहता हूँ कि इस का बछड़ा बन जाए। खुदा की कुदरत से उस गढ़े में जो था वह एक बछड़े की शकल में हो गया जो भीतर से पोला (यानी खोखला) था। उसमें रूह नहीं थी लेकिन हवा उसके पीछे के सूरख से जाकर मुंह से निकलती थी इससे एक आवाज़ पैदा होती थी।

बनी इस्राईल ने पूछा सामरी! यह क्या है?

उस बे-ईमान ने कहा यही तुम्हारा रब है।

लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गये और दूसरी जगह रब की तलाश में चले गये। इस बात ने बनी इस्राईल के कई फ़िर्के कर दिये।

एक फ़िर्के ने तो कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक इसके बारे में कोई बात तै नहीं कर सकते। मुम्किन है यही खुदा हो तो हम इसकी बे अदबी क्यों करें? और अगर यह रब नहीं तो मूसा अलैहिस्सलाम के आते ही यह हकीकत खुल जाएगी।

दूसरी जमाअत ने कहा, महज़ वाहियात है। यह शैतानी हरकत है। हम इस लग़व बात

पर बिल्कुल ईमान नहीं रखते न यह हमारा रब न इस पर हमारा ईमान।

एक पाजी फिर्के ने उसको दिल से मान लिया था और सामरी की बात पर ईमान ले आया और हक को झुठला दिया।

(मेरे अजीज दोस्त! कोई आदमी कैसी भी गुमराही की रस्म निकाले उसको दुनिया में कुछ लोग तो यकीनी तौर पर मान ही लेते हैं)

हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सब को जमा करके फरमाया-

ऐ लोगो! यह खुदा की तरफ से तुम्हारी आजामइश है। तुम इस झगड़े में कहां फंस गये? तुम्हारा रब तो रहमान है तुम मेरी इताअत करो और मेरा कहा मानो।

उन्होंने कहा आखिर इस की क्या वजह है कि तीस दिन का वायदा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गये हैं और आज चालीस दिन होने को आए हैं लेकिन अब तक लौटे नहीं।

कुछ बेवकूफों ने यहां तक कह दिया कि उनसे उनका रब खता कर गया। अब वह उसकी तलाश में होंगे।

उधर दस रोजे पूरे होने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला से हमकलामी का शर्फ हासिल हुआ। आप को बतलाया गया कि आप के बाद आप की कौम का क्या हाल है? आप उसी वक्त रंज और अफसोस और गम व गुस्से के साथ वापस लौटे और यहां आकर कौम से बहुत कुछ कहा सुना अपने भाई के सर और दाढ़ी के बाल पकड़ कर घसीटने लगे। गुस्से की ज्यादाती की वजह से (यह भी ख्याल न रहा कि मेरे हाथ में कितनी मुकद्दस चीज है और) तख्तियां भी हाथ से फेंक दीं। फिर असल हकीकत मालूम हो जाने पर अपने भाई से माफी चाही और उनके लिये दुआ की।

फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे कि तूने ऐसा क्यों किया?

उसने जवाब दिया कि खुदा के भेजे हुए के पांव तले से मैंने एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। ये लोग उसे पहचान न सके और मैंने जान लिया था। मैंने वही मिट्टी उस आग में डाल दी थी। मेरे दिल में यही बात आयी।

आपने फरमाया जा इसकी सजा दुनिया में तो यही है कि तू यही कहता रहे कि मुझे हाथ लगाना नहीं। फिर एक वायदे का वक्त है जिसका खिलाफ होना ना मुम्किन है। (यानी कियामत के दिन का अजाब जो कुछ होगा वह इस अजाब से अलग होगा) और तेरे देखते हुए हम तेरे इस माबूद को जला कर उसकी खाक भी बहा देंगे।

चुनांचे आपने यही किया उस वक्त बनी इस्राईल को यकीन आ गया कि यह वाकई खुदा न था। अब वह बड़े शर्मिन्दा हुए और सिवाए उन मुसलमानों के जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हम अकीदा थे बाकी लोगों ने उजर व माजरत की और कहा-

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी चीज़ की मुहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 9 पृ० 22 सूः आराफ़ के अठारहवें स्कूअ की तफ़सीर में।
मेरे प्यारे दोस्त! आज हमको भी ताबूत, छल्ले और क़ब्रपरस्ती की मुहब्बत ने अंधा और बहरा बना दिया है। हमारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों की बर्बादी इसी गुमराही का नतीजा है। मूसा अलैहिस्सलाम के अक्सर उम्मतियों के दिल में जिस तरह बछड़े की मुहब्बत घुस गयी थी उसी तरह हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमानों के दिल में जहालत और बे इल्मी की वजह से कुफ़्र व शिर्क और बिदअत की मुहब्बत घुस गयी है जो निकालने से भी नहीं निकलती।

बुतपरस्ती कैसे फैली

कुरआन शरीफ़ के नवें पारे में सूः आराफ़ के चौबीसवें स्कूअ में आयत न० 194 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - वाकई तुम खुदा को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वे भी तुम ही जैसे बन्दे हैं तुम उनको पुकारो फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिन चीज़ों को तुम पूजते हो माना कि पत्थरों के बुतों को तुम नहीं पूजते हो बल्कि उनको जिनकी ये फ़र्जी मूरते हैं सो वे भी तुम्हारी ही तरह खुदा के बंदे हैं और पैदा किये गये हैं और हाजत मांगने में तुम्हारे ही जैसे हैं फिर उनमें कौन सी बात उलूहियत (यानी माबूद बनने) की है अच्छा उनको पुकारो देखो वे तुम्हें जवाब देते भी हैं या नहीं अगर तुम अपने ख़्याल में सच्चे हो वरना महज़ ग़लत वह्म की पूजा करते हो।

हवाला - तफ़सीरे हक्कानी जिल्द 4, पृ० 179, सूः आराफ़ के चौबीसवें स्कूअ की तफ़सीर में।
कुरआन करीम के नवें पारे में सूः आराफ़ के चौबीसवें स्कूअ में आयत न० 195 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चलें, क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुनें ?

अगर इन मूर्तियों और तराशे हुए पत्थरों को पूजते हो तो यह बिल्कुल बेवकूफी है क्योंकि वे तुम से भी ज़्यादा मुहताज हैं। तुम्हारे तो हाथ पांव, आंख, कान भी हैं, ये तो इनसे भी महरूम हैं, इनके न पांव हैं जिनसे वे चल सकें और चलकर तुम्हारी मदद को पहुंचें, न हाथ हैं कि जिनसे तुम्हारे दुश्मनों को रोक सकें न तुम्हें कुछ दे सकते हैं और न आंखे हैं कि तुम्हारा हालेज़ार देखकर तुम पर रहम करें और न कान हैं कि तुम जो उनके नाम की दुहाई देते हो पुकारते हो। अला हाज़ल क़ियास, यानी दुहाई का शोर मचाते हो (खुदा को छोड़ कर जिन

जिन के नारे लगते हो) ऐ फलां मेरी मदद कीजियी, मुसीबत के वक्त कहते हो। उठते बैठते या अल्लाह की जगह या फलां या फलां पुकारते हो। (इस नीयत से कि वह) इन बातों को सुनते हैं और मुश्कों के ख्याल में यह बात भी जमी हुई थी कि अगर हम उनको न पुकारें और न पूजें और उनकी मामूली नज़ व नियाज़ अदा न करें, तो ये हम को नुकसान पहुंचाएंगे।

हवाला - तफ़्सीरे हक्कानी, जिल्द 4, पृ० 179, सूः आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

अफ़सोस आज हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों की भी यही हालत है वे हर साल में पीरों के नाम का कुछ न कुछ नियाज़ व नज़ करते हैं और उसको तर्क करने में यही बातिल ख्याल जम गये हैं कि अगर हम उन का मुक़रर किया हुआ हर साल नज़ व नियाज़ न करेंगे तो हमको नुक़सान होगा।

कुरआन करीम के नवें पारे में सूः आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ में आयत न० 191-192 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को बना न सकें और वे तो खुद ही बनाये जाते हैं और वे उनको किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते और वे खुद अपनी भी मदद नहीं कर सकते हैं।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि लात एक आदमी था जो हाजियों की मेहमानी किया करता था और सत्तू घोल कर पिलाया करता था (जब वह मर गया तो जिस पत्थर पर वह बैठा करता था उसको बुत की सूरत बना कर लोग पूजने लगे और उसका नाम लात रखा)।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 600, हदीस 1962, सूः नज्म की तफ़्सीर में।

आले जीकिलाज़ का कबीला हमीर, नस्त्र बुत को मानता था ये सब बुत असल में नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सालेहीन नेक बुजुर्ग औलिया अल्लाह थे। उनके मर जाने के बाद शैतान ने उस ज़माने के लोगों के दिलों में यह बात डाल दी कि इन बुजुर्गों की इबादतगाहों में उनकी यादगार कायम कर लो।

चुनांचे उन्होंने वहां निशान बना दिये और हर बुजुर्ग के नाम पर उन्हें मशहूर कर दिया। जब तक वे जिन्दा रहे तब तक तो उस जगह पूजा पाठ न हुई लेकिन उन निशानात और यादगार कायम करने वाले लोगों के मर जाने के बाद और इल्म के उठ जाने के बाद जो लोग पैदा हुए वे अपनी जहालत की वजह से बाकायदा उन जगहों की और उन बुजुर्गों के नाम की पूजा पाठ करने लगे।

हज़रत इक्रिमा, हज़रत जह्हाक, हज़रत क़तादा और हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैहिम भी यही फ़रमाते हैं।

हज़रत मुहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि ये बुजुर्ग आबिद अल्लाह वाले औलिया अल्लाह थे हज़रत आदम और नूह अलैहिमुस्सलाम के सच्चे ताबेदार सालेह और नेक लोग थे जिनकी पैरवी और लोग भी करते थे जब ये मर गये तो उनके मानने वालों ने कहा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना लें तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और इबादत का शौक इन बुजुर्गों को देखकर बढ़ता ही रहेगा। चुनांचे उन्होंने अपने बुजुर्गों की तस्वीरें बना डालीं। जब ये लोग मर खप गये और उनकी नस्लें जो बाद में नई पैदा हुईं तो शैतान ने उन्हें यह पट्टी पढ़ाई कि तुम्हारे बाप दादा तो इनकी पूजा पाठ करते थे और इनसे बारिश वगैरह की दुआएं मांगते थे। चुनांचे उन्होंने अब बाकायदा शैतान की बतायी हुई राह पर इन बुजुर्गों की तस्वीरों की परस्तिश शुरू कर दी।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 42, सूः नूह के दूसरे स्कूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जो बुत कौमे नूह में थे बाद में अरबों ने उनकी इबादत की। चुनांचे वुद् कौमे कल्ब का बुत था और दौमतुल जुन्दल में रखा हुआ था और सुवाज़ हुज़ैल कौम का बुत था और यगूस मुराद कौम का था फिर बनी गतीफ़ का हो गया जो जर्फ़ मक़ाम में रहा जो सबा के नज़दीक है और यअूक़ हमदान का बुत था नस्त्र हमीर का बुत था यानी आले जी किलाज़ का और ये सब नाम नूह की कौम के सालेह और नेक लोगों के थे। जब वे मर गये तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में यह बात डाल दी कि जिस मक़ान में ये लोग रहा करते थे और अक्सर बैठा करते थे वहां पर एक एक बुत रख दो और उनका नाम लगा दो उन्होंने ऐसा ही किया लेकिन जब तक ये लोग ज़िन्दा रहे बुतों की इबादत किसी ने नहीं की और जब ये मर गये और इल्म जाता रहा तो उनके बाद वालों ने उन बुतों की इबादत शुरू कर दी।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20 पृ० 629, हदीस 2022, सूः नूह की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! उस ज़माने में तो नेक लोग यानी बुजुर्गानि दीन औलियाअल्लाह जहां पर बैठा करते थे उस जगह पर एक-एक निशान करके उन औलियाअल्लाह के नाम से कुफ़ व शिर्क और बिदअत करने लगे थे मगर अफ़सोस हिन्दुस्तान के अक्सर नादान मुसलमान भाई तो उन लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ गये यानी जो औलियाअल्लाह हिन्दुस्तान में कभी नहीं आए और जो हिन्दुस्तान में हैं उनके नाम के बगैर उनकी इबादतगाहों के चिल्ले और तुर्बतें बना बना कर उसकी नज़ व नियाज़ अदब व ताज़ीम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह कि पहले लोग कर चुके हैं खुद भी गुमराह और बर्बाद हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह और बर्बाद कर रहे हैं जैसे-

यह बड़े पीर साहब का चिल्ला है या यह ग़ैबनशाह पीर का चिल्ला है या यह दातार पीर का चिल्ला है या यह दावलशाह पीर का चिल्ला है अब आप ही सोचें कि ये लोग किस

क़दर जाहिल और बे इल्म हैं जो बग़ैर तुर्बतों के इन औलिया अल्लाह के नाम से कुफ़्र व शिर्क और बिदअतें कर रहे हैं वे तुर्बतों को बग़ैर सजाए कैसे छोड़ देंगे।

इस ख़त को मैं शुरू करता हूँ, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिमुस्सलाम के खुदा के नाम से यह ख़त है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से जो खुदा के नबी और रसूल हैं नजरान के सरदार की तरफ़ और नजरान के लोगों की तरफ़। अल्लाह तआला की मैं तुम्हारे सामने हम्द व सना बयान करता हूँ। फिर मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि बन्दों की इबादत को छोड़ कर खुदा की इबादत की तरफ़ आ जाओ और बन्दों के वाली पने को छोड़कर खुदा की विलायत की तरफ़ आ जाओ। और तुम उसे न मानो तो जिज़या दो और मातहती अख़्तियार करो। अगर इससे भी इंकार है तो तुम्हें लड़ाई का एलान है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 74, सूः आले इम्रान के छठे रूक़अ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने उस मरज़ में जिस में आपने वफ़ात पायी है यह फ़रमाया कि अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया है। हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अगर यह ख़्याल न होता तो आप की क़ब्र शरीफ़ ज़ाहिर कर दी जाती, मगर मैं खौफ़ करती हूँ कि वह मस्जिद बना ली जाएगी।

हवाला - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 296, हदीस 1231, जनाज़े का बयान,
2. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, मस्जिद का बयान।

हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिमुस्सलाम और उनके अलावा जिन आलिम, आबिद, बुजुर्गों की परस्तिश (यानी पूजा-पाठ) ये लोग करते हैं वे तो खुद अल्लाह की इताअत करते थे और शिर्क से बेज़ार और उससे रोकते थे मगर उनके बाद इन गुमराहों और जाहिलों ने उन्हें माबूद बना लिया वे बे कुसूर हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 38, सूः जुख़ूफ़ के छठे रूक़अ की तफ़सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! वे लोग भी अल्लाह तआला को मानते थे मगर बुजुर्गों को हर जगह हाज़िर व नाज़िर और नफ़ा और नुक़सान का देने वाला ही समझ कर मानते थे जैसे आज हिन्दुस्तान के अक्सर जाहिल मुसलमान औलिया अल्लाहि रहमतुल्लाहि अलैहिम को समझते हैं और इसी का नाम शिर्क है।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूः फ़ुक़ान के पहले रूक़अ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - दिलों ने उसे छोड़ कर (यानी अल्लाह को छोड़ कर) ऐसे माबूद बना लिए हैं जिन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया बल्कि खुद पैदा किये गये हैं। ये तो अपनी जान

के नफ़ा या नुक़सान का भी अख़्तियार नहीं रखते न (किसी को) मार सकते हैं न (किसी को) ज़िला सकते हैं और न दोबारा जी उठने के वे मालिक हैं।

मुशिरकों की जहालत बयान हो रही है कि वे पैदा करने वाले मालिक क़ादिर, मुख़्तार बादशाह को छोड़कर उन की इबादतें करते हैं जो एक मच्छर का पर भी नहीं बना सकते बल्कि वे खुद खुदा के बनाये हुए और उसी के पैदा किये हुए हैं वे अपने आप में भी किसी नफ़ा नुक़सान के पहुंचाने के मालिक नहीं बजाय कि दूसरे का भला कर दें या दूसरे का नुक़सान कर दें या दूसरी कोई बात कर सकें वे अपने जीने मरने का या दोबारा जी उठने का भी अख़्तियार नहीं रखते फिर अपनी इबादत करने वालों की इन चीज़ों के मालिक वे कैसे हो जाएंगे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 88, सूः फुर्क़ान के पहले रूक़ूअ की तफ़सीर में।

हाय अफ़सोस! इतना-इतना सबूत और मुमानिअत होते हुए भी क़ब्र परस्ती, ताज़ियापरस्ती, चिल्लापरस्ती खुले आम हो रही है।

क़ब्रों पर इमारतें फूल और चिराग़

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मरजुल मौत में यह फरमाते थे-

‘अल्लाह यहूदियों पर, जिन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया लानत भेजता है।’

इसलिए आप की क़ब्र शरीफ़ खुली न रखी गयी कि कहीं मुसलमान पूजने न लगे।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 413, हदीस 1555, आंहज़रत की वफ़ात का ज़िक्र।

हदीस - हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात से पांच दिन पहले मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना-

‘खबरदार हो कि तुमसे पहली उम्मतों ने अपने नबियों और नेक मुर्दों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया था। तुम हरगिज़ क़ब्रों को मस्जिद न बनाना, मैं तुमको इससे मना करता हूँ।’
(मुख़्तसर)

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 85, हदीस 488, बाब 187, मसाजिद का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को पक्की करने से (यानी पक्की बनाने से) मना फ़रमाया है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 240, हदीस 1581, जनाजे का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों पर लिखने से मना फ़रमाया है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 240, हदीस 1582, जनाजे का बयान।

हदीस - हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों पर इमारतें बनाने से मना फ़रमाया है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 240, हदीस 1583 जनाजे का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों को गच (यानी पक्की) करने उसपर लिखने, इमारत बनाने और उस पर चलने से मना फ़रमाया है।

हवाला - 1. तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 203, हदीस 956, जनाजे का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 156, हदीस 973, बाब 279, जनाजे का बयान,

3. अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 583, हदीस 1468, बाब 617।

आजकल कब्रों पर लिखने का रिवाज आम होता जा रहा है नादान से नादान आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र पर लिखा जाता है 'अलहाज्ज' फ़लां बिन फ़लां फ़लां सन में पैदाइश, फ़लां सन में वफ़ात, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों पर लिखने से मना फ़रमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नामे मुबारक पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जितने भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे उनमें से किसी के नाम से पहले अल हाज्ज नहीं लिखा गया। इमामों के नाम पर मुहदिसीने किराम के नाम पर कहीं भी अल हाज्ज लिखा हुआ नज़र नहीं आता लेकिन हमारे हिनदुस्तान में एक जाहिल की कब्र पर लिखा जाता है अल हाज्ज फ़लां बिना फ़लां हालांकि आलिम हो या जाहिल, किसी की कब्र पर लिख कर लगवाना जायज़ नहीं है।

- हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबुल हय्याज असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि,

तुम्हें उसी काम पर मैं भेजता हूँ जिस काम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे भेजा था वह यह कि किसी बड़ी ऊंची कब्र को बराबर किये बगैर न छोड़ो, न किसी मूरत को बगैर मिटाये रहने दो।

हवाला - 1. तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 203, हदीस 954, जनाजे का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 156, हदीस 972, बाब 279, जनाजे का बयान,

3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 581, हदीस 1461, बाब 613,
- 4 नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 493, मोत का बयान,
5. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 296, हदीस 1598, मय्यत के दफ़न का बयान,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 56, मय्यत के दफ़न का बयान ।

कुछ कहते हैं कि कब्रें पक्की बन जाने के बाद उसको तोड़ने का हुक्म नहीं है । वे साहिबान बगैर इल्म के बहस करते रहते हैं उनको न तो कुरआन करीम का इल्म है और न तो हदीसों की जानकारी है और न तो फ़ुक़हा-ए-किराम के फ़त्वों की तहकीक़ात है । आपने हदीसों तो पढ़ लीं, अब मोतबर किताबों के फ़त्वे भी सुन लीजिए ।

कहा उलेमा ने कि बुलन्द हो कब्र बक़्द्र बालिश्त के और मक्क़ह है ज़्यादा इससे और मुस्तहब है ढा देना ज़्यादा का ।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 56, मय्यत के दफ़न का बयान ।

हिन्दुस्तान वालों ने ऊंची कब्रें करने में और बड़ी कब्रें बनाने में हद कर दी है । कहीं तो बीस गज़ का पीर पूजा जा रहा है कहीं तीस या बत्तीस गज़ा पीर पूजा जा रहा है । इतनी बड़ी-बड़ी कब्रें ये मुजाविर इसलिए पुजवा रहे हैं कि अगर कोई जाहिल चादर चढ़ाने वाला मिल जाए तो एक ही चादर में पूरे खानदान का कपड़ा बन जाए हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में इतने बड़े क़द का कोई उम्मती नहीं हुआ और इतनी लम्बी कब्रें न तो मक्का मुअज़्ज़मा में हैं न तो मदीना तैयिबा में हैं ।

हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है कि-

‘कब्र को पुख़्ता (यानी पक्की) बनाना और उसे चूना ग़च (यानी पक्की प्लास्टर) करना सलफ़े सालिहीन मक्क़ह जानते थे ।’

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 43, सूः मुअ्मिन के चौथे खूअ की तफ़्सीर में ।

‘कब्रों पर इमारतें बनाना मक्क़ह है ।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत ।

‘कब्र पर कोई इमारत बनाना और बैठना और सोना और उसको फलांगना और उस पर पेशाब पाख़ाना करना या मालूम होने की कोई निशानी जैस किताबत वगैरह बनाना मक्क़ह है ।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 233, जनाजे का बयान ।

‘इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि कब्रों पर इमारतें बनाना मक्क़ह है ।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 730, बाब दफ़नुल मय्यत ।

मेरे प्यारे दोस्त! ताबूत और चिल्लों में हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं जहां पर न तो कोई मुर्दा दफ़न है और न किसी की कब्र । ऐसे जाहिल लोग कब्रों को बगैर सजाए कैसे छोड़ देंगे ।

जहां कहीं खोदने में या किसी जगह पर कोई पुरानी कब्र नज़र आयी तो उसका नाम रख लिया ग़ैबन शाह और लगे चंदा करने और जाहिलों को समझाने कि भाई साहब! फ़लां जगह पर ग़ैबन शाह पीर का मज़ारे मुबारक जाहिर हुआ है। इस पर गुंबद और इमारत बनाना ज़रूरी है और सवाब का काम है तो आप इसमें क्या इमदाद देते हैं क्योंकि यह तो दीन का काम है बस जितनी कब्रें और रौजे सजाए जाते हैं उतना ही वहां कुफ़ व शिर्क ज़्यादा होने लगता है। यह है हमारे हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों की जहालत।

ऐ मेरे अजीज़! अब सुनो कब्रों पर फूल डालना और चिराग़ वगैरह जलाना कैसा है।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो कब्रों पर से गुज़रे, तो आपने फ़रमाया इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर अज़ाब नहीं हो रहा है-

1. एक तो उनमें से पेशाब से बचता न था (यानी पेशाब के छींटों की कुछ एहतियात न करता था) और
2. दूसरा चुगलखोरी करता था।

फिर आपने एक तर शाख़ ली और उसे चीर कर दो टुकड़े कर दिये और हर कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! यह आपने क्यों किया?

फ़रमाया उम्मीद है कि जब तक ये दोनों (लकड़ियां) सूख न जाएं अज़ाब उन पर कम रहेगा।

- हवाला** -1. सही बुखारी, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 64, हदीस 211, तहारत का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 51, हदीस 250, बाब 103, तहारत का बयान,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 501, किताबुल जनाइज़।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह एक मोजिज़ा था। आपके हाथ मुबारक की बरकतें थीं। हम लोग अगर पूरे का पूरा पेड़ किसी कब्र पर रख दें तब भी अज़ाब कम नहीं हो सकता। हम खुद अपने ऊपर होने वाले अज़ाब को कम नहीं करा सकते, तो दूसरों के अज़ाब क्या कम कराएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों की कब्रों पर हरी डाली लगायी थी जिन की कब्रों पर अज़ाब हो रहा था अब आप अगर इस हदीस से फूल चढ़ाने की दलील लेते हैं तो सबसे पहले उस कब्र पर अज़ाब साबित करना पड़ेगा, जिस कब्र पर आप फूल चढ़ाते हैं और तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हकीकत में जो अल्लाह के वली रह० हैं उन पर अज़ाब नहीं होता।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शायद एक ही बार अपनी जिन्दगी में हरी डाली

इन दोनों कब्रों पर लगायी है बार बार ऐसा नहीं किया और न करने का हुक्म दिया है और जब सहाबा किराम रिज्वानुल्लाहि अलैहिम ने अर्ज किया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फ़रमाया कि उम्मीद है कि जब तक ये लकड़ियां हरी रहेंगी, उस वक़्त तक उन कब्र वालों पर अज़ाब कम रहेगा, यानी उम्मीद के तौर पर कहा। यों नहीं फ़रमाया कि अब इन कब्रों पर अज़ाब ही नहीं होगा।

इसकी नक़ल कुछ लोग आज हिन्दुस्तान में करते हैं और औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की कब्रों पर फूलों के ढेर लगा देते हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों की नीयत यह होती है कि तीन जुमेरात या पांच जुमेरात या सात जुमेरातों को वलियों की कब्र पर फूल चढ़ाने और फ़ातिहा पढ़ने से मुश्किल हल हो जाती है। इस नीयत से औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम के मज़ारों पर जाना कुफ़्र है और अगर यह नीयत नहीं है तो औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की कब्र में अज़ाब तो होता नहीं है फिर फूल चढ़ाने का क्या मतलब?

अगर अज़ाब को कम करने की नीयत से फूल चढ़ाते हैं तो औलिया की कब्रों पर नहीं बल्कि आम लोगों की कब्रों पर होना चाहिए यानी शराबियों, चोरों, डाकुओं, जुवारियों, बे नमाज़ियों, ज़ालिमों, फ़ासिकों, फ़ाजिरों की कब्रों पर फूलों के ढेर लगाने चाहिए, ताकि उनका अज़ाब कम हो और अगर सवाब की नीयत से फूल चढ़ाते हों तो औलिया-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम और आम लोगों की कब्रें ये दोनों सवाब को नीयत से बराबर होनी चाहिए बल्कि सवाब की ज़्यादा हक़दार तो आम लोगों की कब्रें हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! ये सब रस्में हैं जो देखा देखी रंग पकड़ गयी हैं।

‘फूलों के डालने से सवाब होता है और हमारे फूल डालने से किसी कब्र वाले पर यकीनन अज़ाब कम हो जाता है।’

इस बात का हवाला आप को किसी किताब में नहीं मिलेगा और फूल डालने वाले अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि नमाज़ रोज़ा और सुन्नते रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अमल करने से भी कोरे होते हैं। भला ऐसे लोग दूसरों के अज़ाब को क्या कम करा सकेंगे, जिनके सिर पर खुद ही खुदा का अज़ाब मुसल्लत है।

आप किसी मज़ार पर जुमेरात को फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाएं तो मेरी इस बात की ज़रूर तहकीक़ कर लें। जितनी मख़्लूक़ मज़ार पर आती है उसमें से आप को सौ में से निन्नान्वे बे नमाज़ी मिलेंगे, फूल चढ़ाने वाले भी और फूल बेचने वाले भी।

जब अन्न और मख़िब की नमाज़ का वक़्त आए और मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में-

हय-य अलस्सला: हय-य अलस्सला:

पुकारे, उस वक़्त आप को अन्दाज़ा हो जाएगा, जो दरगाह शरीफ़ पर मुजावरी करने वाले या सज्जादानशीन बने हुए हैं वे भी नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जुमेरात की शाम को मख़्लूक़े

खुदा का एक हुजूम होता है यह मुजाविर साहब की कमाई का वक्त होता है और हफ्ते में यह वक्त एक ही बार आता है इसको छोड़कर वह हरगिज़ नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि कुछ मुजाविर साहिबान तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है फिर फूल चढ़ाने वाले और फूल बेचने वाले क्या नमाज़ पढ़ेंगे?

‘कब्रों पर फूल और खुशबू रखना अच्छा है और अगर उनकी कीमत का सदका दे दे तो बहुत अच्छा है।’

- हवाला** -1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत,
 2. फतावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 319, बाबुल कराहत।
 3. गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

मेरे प्यारे दोस्त ! फूलों का कब्रों पर डालना अच्छा है यह आम कब्रों का हुक्म है सिर्फ़ औलिया-ए-किराम-रहमतुल्लाहि अलैहिम की कब्रों के लिए खास नहीं और इसमें दूसरी किसी किस्म की नीयत न हो, यानी ये मेरी मुश्किल हल कर देंगे या मुझे बेटी बेटा देंगे या कर्ज़ से निजात दिलाएंगे या मुझे नौकरी या व्यापार धंधा मिल जाएगा। इस नीयत से कब्रों पर जाना क़तअन हराम है क्योंकि यह शिर्क है और शिर्क करने वाला बे तौबा मर गया तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है।

और फूलों की कीमत ख़ैरात कर देना फूल चढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यह ईसाले सवाब है जिसके लिए कसरत से हदीसों मौजूद हैं और इसमें शिर्क की बू भी नहीं आ सकती लेकिन यह ईसाले सवाब भी जिन के लिए किया जा रहा है उनसे किसी किस्म की मुश्किल हल कराने की उम्मीद न हो और ईसाले सवाब भी शरीअत के मुताबिक़ हो वरना ईसाले सवाब के लिए खर्च करना भी बेकार हो जाएगा। रक़म को ख़ैरात कर दे उसका सवाब उस कब्र वाले को बरख़्शा दे या किसी की रूह को बरख़्शा दे, यह फूलों से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक ग़रीब को पैसे भी मिलेंगे जो उस बेचारे के काम आ जाएंगे और उस रूह को भी सवाब मिलेगा और करने वाले को भी सवाब मिलेगा।

‘कब्रों को मस न करे, न बोसा दे, क्योंकि यह ईसाइयों की आदत है।’

- हवाला** -1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत,
 2. फतावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 318, बाबुल कराहत।
 3. गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

हदीस - हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह (तवाफ़ में) काले पत्थर (हजरे अस्वद) के पास आए फिर उस को बोसा दिया और कहा कि बेशक मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है न (किसी को) नुक़सान पहुंचा सकता है और न फ़ायदा पहुंचा सकता है और अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तेरा बोसा देते न देखा

होता तो मैं तुझे (हरगिज़) बोसा न देता।

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 363, हदीस 1482, हज का बयान।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 169, हदीस 775, हज का बयान।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इन लफ़्ज़ों से मक्सद यह था कि कहीं अगले ज़माने के लोग सिर्फ़ पत्थर की ताज़ीम व तकरीम न करने लगे और उसको नफ़ा या नुक़सान का मालिक न समझ बैठें और उसका चूमना देखकर लोग किसी फ़िल्ने में मुब्तला न हो जाएं।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त! अब क़ब्रों पर चिराग़ जलाने और क़ब्रों को सजाने के बारे में भी सुन ले और फिर खुद अपनी अक्ल और ईमानदारी से इंसाफ़ कर कि हम शरीअत पर हैं या जहालत पर?

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है और क़ब्रों पर मस्जिद बनाने और चिराग़ जलाने वालों पर भी लानत फ़रमायी है।

- हवाला** -1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 587, हदीस 1479, बाब 623, ज़नाजे का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 67, हदीस 280, नमाज़ के बयान,
3. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 173, हदीस 682, मसाजिद का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 238, मस्जिद का बयान,
5. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 496, मौत का बयान।

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन किस्म के लोगों पर लानत फ़रमायी है-

1. क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत। आजकल औरतें बहुत ज़्यादा मज़ारों पर जाती हैं वे तो लानत की मुस्तहिक़ होती ही हैं लेकिन, उस औरत का बाप या भाई या शौहर या बेटा अगर उस औरत को खुशी से मज़ारों पर भेजता है तो भेजने वाले पर भी लानत होगी क्योंकि शराब पीना हराम, तो पिलाना भी हराम, सूदा का लेना हराम, तो सूद का देना भी हराम। इसी तरह जो क़ब्रों पर जाने वाली औरतें हैं उन पर लानत फ़रमायी गयी है तो अब जो भी खुशी से औरतों को मज़ारों पर भेजेगा तो भेजने वाले पर भी लानत होगी।

2. दूसरे क़ब्रों पर मस्जिद बनाने वालों पर लानत। इन लफ़्ज़ों का यह मतलब नहीं है कि क़ब्रों पर कोई मस्जिद बना डाले, तो उस पर लानत, बल्कि इस का मतलब यह है कि जितनी ताज़ीम और अदब मस्जिद की होनी चाहिए उस क़ब्र की ताज़ीम व अदब बढ़ा देने पर लानत फ़रमायी है। अब सुनिए और इंसाफ़ कीजिए-

आपने किसी मस्जिद में सोने या चांदी के किवाड़ नहीं देखे होंगे, मगर कुछ दरगाहों में आपने देखे होंगे, कहीं-कहीं तो सोने या चांदी की जालियां होती हैं और कहीं-कहीं तो दरवाजे भी बने हुए देखे होंगे। जब क़ब्रें सजायी जाती हैं तो उन क़ब्रों की इज़्ज़त व तौकीर और अदब

व ताज़ीम जामा मस्जिदों से भी बढ़ जाती है मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी बढ़ जाती है और काबा शरीफ़ से भी बढ़ जाती है। आप कहीं भी किसी मुल्क में, किसी कस्बे या शहर में, किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आप अपने जूते मस्जिद में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं और एहतियात से रख सकते हैं यहां तक कि जो लोग हज को जाते हैं वे मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में भी अपनी जूतियां रख सकते हैं और काबा शरीफ़ के अड़ौस-पड़ौस में आप जहां चाहें अपनी जूतियां रख सकते हैं लेकिन आप अपनी जूतियां दरगाह शरीफ़ में नहीं ले जा सकते क्योंकि अब उस दरगाह शरीफ़ का मर्तबा मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और काबा शरीफ़ से भी बढ़ गया है।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जब तुम में से कोई आदमी नमाज़ पढ़े तो अपनी जूतियों को दाएं बाएं न रखे इसलिए कि बाएं जानिब रखना दूसरे के दाएं जानिब रखना होगा, बल्कि जूतियों को पांवों के दर्मियान रख ले।

- हवाला** -1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 269, हदीस 649, बाब 239,
 2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 224, हदीस 1452, नमाज़ के बयान में,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 176, हदीस 709, शर्मगाह को ढांकने का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 247, किताबुस्सतर।

इसके अलावा तवाफ़ काबे का था ये लोग दरगाहों का तवाफ़ करने लगे, बोसा देना हजरे अस्वद का था ये लोग दरगाहों को चूमने लगे, बरकत वाला पानी ज़मज़म का है और तबर्क समझ कर पिया जाता है ये लोग क़ब्रों को धो-धो कर यानी गुस्ल देकर और उस गुस्ल वाले पानी को तबर्क और बरकत वाला समझ कर पीने लगे और बेचने भी लगे हैं। ग़िलाफ़ तो काबे पर चढ़ाया जाता है, ये लोग क़ब्रों पर हज़ारों रुपए की कीमत का ग़िलाफ़ चढ़ाने लगे। सज्दा अल्लाह तआला को था ये जाहिल क़ब्रों पर सजदा करने लगे। अदब से हाथ बांध कर नमाज़ में खड़े रहने का हुकम था ये लोग क़ब्रों पर हाथ जोड़े खड़े रहने लगे और जब दरगाह से बाहर निकलेंगे तो उस वक़्त ये जाहिल लोग दरगाह शरीफ़ को पीठ देकर नहीं निकलेंगे, बल्कि उलटे पैर पीछे हटते हटते बाहर निकलेंगे। हज को जाने वाले हाजी लोग काबे को पीठ देकर वापस हो सकते हैं मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में नमाज़ पढ़ लेने के बाद और दरूद व सलाम पढ़ लेने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मज़ारे मुबारक को आप पीठ देकर बाहर निकल सकते हैं मगर उस दरगाह शरीफ़ को पीठ देकर आप बाहर नहीं निकल सकते? जहालत की भी कोई हद है।

3. तीसरे क़ब्रों पर चिराग़ जलाने वालों पर लानत।

‘कब्रों पर चिराग जलाना हराम है।’

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 238, मसाजिद का बयान।

‘रात के पहले हिस्से में कब्रों पर चिराग ले जाना बिदअत है।’

हवाला - 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 319, बाबुल कराहत,

2. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

‘अव्वल रातों में मक़ाबिर में (यानी कब्रों पर) चिराग ले जाना बिदअत है। इसी तरह उर्स वगैरह में चिराग जलाना बिदअत है।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत।

शायद ही कोई ऐसी दरगाह होगी जहां पर मुजाविर न रहता हो और उस दरगाह पर चिराग-बत्ती न जलती हो और जब उर्स करते हैं और संदल चढ़ाते हैं उस वक़्त तो अपनी सब ताकतों कब्र पर रोशनी करने में ख़त्म कर देते हैं।

ऐ अज़ीज़ मेरे! यह सबूत और दलीलें आपके सामने हैं अब आप ही अन्दाज़ा लगा लें, हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमान भाइयों की जहालत का।

कब्र के पास सोना और ऐसा फ़ेल करना जो सुन्नत से साबित नहीं वह मक्ख़ह है और सुन्नत से सिर्फ़ यही साबित है कि कब्र की ज़ियारत और खड़े होकर (उसकी मग़ि़रत की) दुआ करे।

हवाला - 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 732, मय्यत के दफ़न का बयान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 233, जनाजे का बयान,

मेरे अज़ीज़ दोस्त! आपको इन मोतबर किताबों के हवालों से सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मालूम हो गयी कि एक तो कब्र की ज़ियारत करना सुन्नत है और दूसरे उस कब्र वाले की मग़ि़रत के लिए अल्लाह तआला से दुआ करना सुन्नत है।

अब आप ही अन्दाज़ा लगा लें कि आज इन दोनों तरीकों के सिवा कब्रों और मज़ारों पर क्या कुछ नहीं होता, यानी कब्रों का तवाफ़ करना, कब्रों को धो-धो कर पीना, वहां पर हाल चढ़ा के सर घुनना, मुशाअरा और कव्वाली कराना, रंडियें का गाना, मज़ार पर सजदे करना, नियाज़ व नज़्र चढ़ा कर हाजतें मांगना, मासूम बच्चों को तुर्बतों पर लिटाना, लोबानदानी की ख़ाक चाटना, घोड़े लटकाना, पालने टांगना, डोरे घागे मज़ारों की जालियों में अपने-अपने नाम के बांधना और तुर्बतों पर घुमा घुमा कर डोरों को अपनी गरदनो, बाज़ुओं, कमर और येड़ू पर बांधना, ये तमाम क़म नाजायज़ व हराम और गुमराही व जहालत के तरीके हैं जो इंसान को शरीअत से महख़म करके शिर्क व कुफ़्र तक ले जाते हैं।

इन मुजाविरों का और सज्जादानशीन जो कब्रों की गद्दी पर बैठने वाले हैं, उन लोगों का यह एक पेशा है एक धंधा बना रखा है कब्रों पर ज़्यादातर आप को औरतें ही मिलेंगी, सबसे

ज्यादा भूत औरतों ही को पकड़ता है मर्द तो गिने चुने नज़र आएंगे, अगर औरतों को मज़ारों पर और ताज़ियों पर जाने से रोक लिया जाए तो इन्शाअल्लाहु तआला बहुत कुछ झुलाह हो सकती है।

उर्स

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्दु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह कहते हुए सुना है कि अपने घरों को क़ब्रों की तरह न बनाओ और मेरी क़ब्र पर ईद और खुशी (यानी उर्स) न करो। अलबत्ता मुझ पर दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मेरे पास पहुंचते हैं चाहे तुम कहीं भी हो।

हवाला -1. मिशक़ात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 860, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 299, दरूद शरीफ़ का बयान।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में दो नस्लें आबाद थीं-

1. एक तो पहाड़ी पर और
2. दूसरी नर्म ज़मीन पर।

पहाड़ियों के मर्द खूबसूरत थे और औरतें स्याह फ़ाम यानी काली थीं और ज़मीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्दों का रंग काला था। इब्लीस उन्हें बहकाने के लिए इंसानी शकल अपना कर नर्म ज़मीन वालों के पास आया और एक आदमी का गुलाम बन कर रहने लगा। फिर उसने एक बांसुरी बनायी और उसे बजाने लगा, उसकी आवाज़ पर लोग लट्टू हो गये और उनकी भीड़ लगने लगी और एक दिन मेले का मुक़र्रर हो गया जिसमें हज़ारों मर्द और औरतें जमा होने लगे।

इत्तिफ़ाक़न एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया और उनकी औरतों को देखकर जापस जाकर अपने लोगों में उन औरतों के हुस्न की चर्चा करने लगा और वे लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे। अब पहाड़ी मर्दों और उन औरतों में मुहब्बत पैदा हो गयी फिर तो बदकारी और ज़िनाकारी का आम रिवाज हो गया। यही जाहिलियत की कारस्तानी है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 3, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! एक तो उर्सों में आजकल हर जगह यही काम होता है जिसका ऊपर की इबारत में ज़िक्र किया गया और दूसरा उस दरगाह वाले यानी जो क़ब्र में सोया है उसकी तारीफ़ कर-कर के मुजाविर लोग जाहिलों को लूटते हैं अगर वह दरगाह वाला देने का अख़्तियार रखता है दूसरों को बेटा-बेटी या दौलत और नौकरी देता है तो फिर अफ़सोस तो यह है कि वे मुजाविर लोग क्यों भीख मांगते हैं?

मेरे दोस्त! कुछ भी नहीं है यह पेटपरस्तों की एक चाल है। जाहिलों और अनपढ़ लोगों के पास से पैसे निकालने की तर्कीब और हीला है फिर मजे से बारह महीने तक बैठे-बैठे आराम से खायेंगे। जहां खर्च कम हुआ जेब खाली हुई कि उर्स का दिन आ गया। बस फिर क्या पूछते

हो? अक्सर जगह पर तो जिनाकारियां हो रही हैं चरस और गांजों का दौर चल रहा है कहीं जुआ खेल रहे हैं रंडियां गा रही हैं कव्वालियां हो रही हैं, ढोल ताशे नक्कारे और शहनाइयां बज रही हैं दरगाह पर नियाज़ नज़्रें चढ़ रही हैं और नारियल घड़ा-घड़ टूट रहे हैं कुछ लोग कब्रों को चूमते हैं, कुछ गिलाफ़ चूम रहे हैं कुछ तवाफ़ कर रहे हैं कुछ सज्दे कर रहे हैं कुछ दुआएं मांग रहे हैं कुछ मुश्किलें हल करवा रहे हैं कुछ हाजतें पेश कर रहे हैं मगर नमाज़ तो उन में से शायद ही कोई पढ़ता हो वरना सब के सब आप को बे नमाज़ी ही नज़र आएंगे। खुदा का बन्दा मुजाविर खुद नमाज़ न पढ़ता हो तो फिर उसके चाहने वाले लाइले काहे को नमाज़ पढ़ेंगे?

एक ईसाई पादरी ने एक बार देखा कि एक परिंदे का छोटा सा बच्चा, जिसे उड़ने और चलने फिरने की ताकत नहीं है एक घोंसले में बैठा है। जब वह अपनी कमज़ोर और पस्त आवाज़ निकालता है तो और परिन्दे उसे सुन कर रहम खाकर जैतून का फल उसके घोंसले में ला-लाकर रख जाते हैं उसने इसी शक्ल का एक परिन्दा किसी चीज़ का बनाया और नीचे से उसको खोखला रखा और एक सूराख उसकी चोंच की तरफ़ रखा जिस के ज़रिए से हवा उसके अन्दर घुसती थी फिर जब निकलती थी तो उसी तरह की आवाज़ उससे पैदा होती थी उसे लाकर अपने गिरजे में हवा के रुख़ पर रख दिया। छत में फिर एक छोटा सूराख कर दिया ताकि हवा उसमें से निकल जाए। अब जब हवा चलती और उसकी आवाज़ निकलती तो इस किस्म के परिन्दे जमा हो जाते और जैतून के फल ला ला कर रख जाते। उसने लोगों में शोहरत और चर्चा करना शुरू कर दिया कि इस गिरजा में यह करामत है यहां एक बुजुर्ग का मज़ार है और यह करामत उसी की है। लोगों ने जब यह अनहोनी अजीब बात देखी तो उनका एतकाद जम गया उस क़ब्र पर नियाज़ व नज़्र चढ़ने लगीं और यह करामत दूर-दूर तक मशहूर हो गयी, हालांकि न कोई करामत थी न कोई मोजिज़ा, सिर्फ़ एक पोशीदा फ़न, एक मक्काराना तरीका था, जिसे उस मलऊन आदमी ने अपना पेट भरने के लिए पोशीदा तौर पर अपना रखा था और लानती फ़िर्का उसपर रीझा हुआ था यानी उसे एक गुमराह फ़िर्के ने पसन्द कर लिया था।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 159, सूर: बकर: के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ब्रों पर उर्सों में जाकर खुराफ़ात, (बिहूदा काम और फ़िज़ूलखर्ची) करते हैं बहुत बुरा है करना है उनका।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 299, दरूद शरीफ़ का ख़यान।

जिस दिन उर्स होता है उस दिन दरगाह के लिए तो कहीं-कहीं पचास रुपये की इस क़ब्र पर डालने के लिए चादर बनवाते हैं और कहीं सौ रुपए की और कहीं दो सौ रुपये की यहां तक कि एक एक हज़ार और पांच-पांच हज़ार तक की चादरें चढ़ा दी जाती हैं। अगर ये लोग ऐसा न करते, यानी चादरें न खरीदते और इतनी रक़म ग़रीबों को, मुहताजों को या मिस्कीनों को या बेवाओं को या किसी मदरसे में दे देते और उसका सवाब वास्ते अल्लाह के उस क़ब्र

वाले की रूह को बख्श देते तो दुनिया के एतबार से भी अच्छा था और आखिरत के एतबार से भी क्योंकि उस रकम से तीन फायदे होते-

1. एक तो मरूके खुदा उस रकम से फायदा उठाती ।
2. दूसरे ईसाले सवाब से उस कब्र वाले की रूह खुश होती ।
3. तीसरे खर्च करने वाले को भी सवाब होता ।

इसी तरह दूसरे खर्चे भी समझ लें, यानी तुर्बतों पर सैकड़ों बत्तियां जलानी या कब्रों पर इमारतें बनानी या कब्रों पर बजाने के लिए ढोल ताशे खरीदने, कव्वालों और रंडियों के लिए रकम खर्च करने से कुछ भी सवाब नहीं मिलता और यह तमाम रकम फिजूल और बेकार जाती है ऊपर से सख्त गुनाह भी होता है ।

कुरआन शरीफ के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के तीसरे रकूअ में आयत न० 26-27 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफिरो को उनका हक अदा करो और फिजूलखर्ची करके माल को न उड़ाओ, क्योंकि फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही ना शुक्रा है ।

मेरे अजीज दोस्त! रकम को उसी तरह खर्च करो जिस तरह हम ऊपर बता चुके हैं, इन्शाअल्लाहु तआला उस कब्र वाले को भी नफा होगा और मरूके खुदा को भी रकम से अच्छा फैज पहुंचेगा और ईसाले सवाब के बदले में आप को भी दुनिया व आखिरत में जरूर अज्र व सवाब मिलेगा ।

मेरे दोस्त! समझने के लिए इतनी दलील और समझाना काफी है । अगर उर्स करना जायज या सवाब होता जिस तरह कि आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह हो रहा है तो सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मजारे मुबारक पर उर्स होता । आपके अलावा हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्हु हजरत उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु के मजारे मुबारक पर भी उर्स होते । मगर वहां पर ये बातें नहीं होती हैं तो इससे साफ मालूम हो गया कि यह सब इन मुजाविरों के ही पेट भराई के घंघे होते हैं और ये लोग शरीअत से बिल्कुल अलग चलते हैं ।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: नूर के तीसरे रकूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! शैतान के कदम-ब-कदम न चलो । जो आदमी शैतान की पैरवी करे तो वह बेहयाई और बुराई के कामों का हुक्म करेगा और अल्लाह तआला का फज़ल व करम तुम पर न होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक व साफ न होता लेकिन अल्लाह तआला जिसे पाक करना चाहे कर देता है । अल्लाह तआला सब सुनने वाला सब जानने वाला है ।

शैतानी तरीकों पर न चलो, उसकी बातें न मानो। वह तो बुराई का बेहयाई का हुक्म देता है पस तुम्हें उसकी बातें मानने से परहेज़ करना चाहिए उसके वसवसों से दूर रहना चाहिए खुदा की नाफ़रमानी से बचो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 48, सूः नूर के तीसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

क़व्वाली

मेरे प्यारे दोस्त! शायद ही कोई ऐसा उर्स होता होगा जहां पर गाना बजाना न होता हो। क़व्वाल और गाने वाली औरतें न आती हों।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘अल्लाह तआला ने मुझको दुनिया के लिए रहमत व बरकत का सबब बना कर भेजा है और बाजों, मजामीर, बुतों, सलीब और जाहिलियत की तमाम बुरी रस्मों और तरीकों के मिटाने का हुक्म दिया है। (मुख्तसर)

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3465, शराब पीने की वर्ईद में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 334, शराब पीने की वर्ईद में।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है गाना या राग दिल में इस तरह निफ़ाक़ को पैदा करता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 699, हदीस 4571, बयान और शेअर का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 91, बयान और शेअर का बयान,

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि-
‘तुम लोग गाने से परहेज़ करो कि वह शैतान की तरफ़ से है और वह अल्लाह के नज़दीक शिर्क़ है और सिवाए शैतान के नहीं गाता है।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 223, बाबुल कराहत।
गाना और क़व्वाली और नाच, जो हमारे ज़माने के सूफी लोग करते हैं वह हराम है और उसकी तरफ़ जाना और वहां पर बैठना जायज़ नहीं।

हवाला - 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 320, बाबुल कराहत,
2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 290, बाबुल कराहत।

‘क़व्वाली से भीख मांगना हराम है।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 20, मुक़दमे में।

जब क़व्वाली से भीख मांगना हराम है तो क़व्वालों को भीख देना भी हराम है और शायद ही कोई ऐसा उर्स होगा कि जहां पर क़व्वाल बुलाये न जाते हों।

‘हराम है माल, जिसको बाजे बजाने वाले लेते हैं।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 247, बाबुल हज़र।

अब वे मुसलमान भाई सोचें, जो शादी ब्याह और उर्स वगैरह में बाजे बजवाने पर सैंकड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं बाजे वालों को भी पैसा देकर हराम काम करवाते हैं और खुद भी हराम काम में पड़ते हैं और यह सब रक़म हराम कामों में जा रही है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी बेजा हरकतों से तौबा करके बच जाएं।

तबला, तंबूरा और मआजिफ़ व मलाही (यानी लह्व व लअिब, खेल-तमाशे और गाने-बजाने) की चीजों में से कोई (भी घर में) रखी तो मक्रूह है गुनाहगार होगा अगरचे उनको इस्तेमान न करता हो।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 350, बाबुल कराहत।

मेरे प्यारे दोस्त ! वे मुसलमान भाई सोचें, जिनको बगैर रेडियो के अपने मकान में लुफ़ व मज़ा नहीं आता और बगैर रेडियो के घर को सूना समझते हैं और आजकल तो टेलीविज़न का भी इन्तिज़ाम हो चुका है।

हाय अफ़सोस ! मुसलमानों को अब बजाए मफ़रत के इन शैतानी चीजों से उलफ़त है बल्कि उसको इज़्ज़त व शराफ़त की अलामत समझा जा रहा है और जो उसको मना करे उसको बे-दीन, वह्हाबी, लह्हाबी और काफ़िर कहा जा रहा है। हद हो गयी जहालत की।

क़ब्रों की ज़ियारत मर्दों के लिए

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘मैंने तुम को क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। अब तुम क़ब्रों की ज़ियारत किया करो।’
(मुख्तसर)

हवाला - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस 983, बाब 279, जनाज़े का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 203, हदीस 958, जनाज़े का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि उनकी ज़ियारत से आख़िरत याद आती है।’

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 241, हदीस 1589, क़ब्रों की ज़ियारत का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! मर्दों के लिए कब्रों की ज़ियारत जायज़ है इसमें किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है लेकिन उलेमा-ए-हनफ़ीया ने कब्रों की ज़ियारत के लिए एक खास तरीका बयान फ़रमाया है उस पर अमल करते हुए आज तक मैंने तो अपनी नज़रों से किसी को भी नहीं देखा है। वह तरीका यह है-

जब कब्र की ज़ियारत का इरादा करे, मुस्तहब है कि अपने घर में दो रक़अत (नफ़ल नमाज़) पढ़े, हर रक़अत में सूरा: अल-हम्दु शरीफ़ और आयतुल कुर्सी एक बार, और सूरा: इक्लास तीन बार पढ़े फिर उसका सवाब मय्यत को पहुंचा दे, (यानी उसकी रूह को बर्खा दे) तो अल्लाह तआला मय्यत की कब्र में एक नूर भेजता है और मुसल्ली (यानी नमाज़ पढ़ कर उसका सवाब बर्ख़ाने वाले) को भी भारी सवाब अता फ़रमाता है। फिर कब्रस्तान की तरफ़ ख़ाना हो और रास्ते में बेकार बातों में मशगूल न हो जाए फिर जब कब्रस्तान में पहुंचे, तो अपनी जूतियां उतार दे और क़िब्ले की तरफ़ पीठ करके मय्यत की तरफ़ मुंह करके यों कहे-

‘अस्सलामु अलैकुम या अह्लल कुबूर० यग़िफ़रुल्लाहु लना व लकुम व अन्तुम स-फलफुना व नहनु बिल अस्रि०

(ऐ कब्र वालो! तुम पर सलाम हो। अल्लाह हमारे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे तुम हमसे पहले गुज़र गये और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं।)

फिर जब मय्यत के वास्ते दुआ करना चाहे तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह हो (और कब्र की तरफ़ पीठ)

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 317, बाबुल कराहत,

2. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

यह तो है हमारे हनफ़ी मसलक का तरीका और हमारी जहालत देखिए कि जहां नमाज़ पढ़ ली कि फ़ौरन उत्तर की तरफ़ मुंह करके सब लोग फ़ातिहा पढ़ने लग जाते हैं और जो इन नादानों की इताअत और पैरवी न करें, उनको वहहाबी, लहहाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं हालांकि कब्र की मौजूदगी में भी कब्र को भी पीठ देकर क़िब्ले के सामने मुंह करके दुआ करे यानी फ़ातिहा पढ़े और ये नादान बग़ैर तुर्बत के क़िब्ले की तरफ़ से मुंह फिरा कर खड़े रहते हैं और हमारे फ़ुकहा-ए-किराम इसको पसन्द नहीं करते।

जब मज़ार पर जाए तो सलाम करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ हो और मज़ार की तरफ़ मुंह हो और जब मज़ार वाले के लिए दुआ करे, तो कब्र की तरफ़ पीठ हो और क़िब्ले की तरफ़ मुंह हो, क्योंकि सलाम के वक़्त मुख़ातिब मज़ार वाले की तरफ़ है और दुआ के लिए मुख़ातिब खुदा से है।

इस इबारत में जो जूतियां उतारने को लिखा है वह तो खास दुआ के आदाब में एहताराम के तौर पर बताया है वरना जूतियां पहन कर कब्रस्तान में चलना मक्रूह नहीं है। हां, इतना

ख्याल रहे कि कब्रों पर पैर रख कर न चले, न उस पर से फलांगे। हदीसों में इससे मना किया गया है-

‘कब्रस्तान में जूतियां पहन कर चलना मक्खूह नहीं।’

हवाला - फतावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 234, जनाजे का बयान।

कब्रों की जियारत औरतों के लिए

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान का हब्शा में इतिक़ाल हुआ तो मक्का में लाये गये और मक्का ही में दफ़न किये गये। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब मक्का तशरीफ़ लायीं तो (अपने भाई) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबूबक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की कब्र पर भी आईं और दो शेअूर पढ़कर फ़रमाया कि खुदा की क़सम! अगर मैं तुम्हारे पास मौजूद होती तो तुम वहीं दफ़न होते जहां मरे थे। और अगर मैं (उस वक़्त) हाज़िर होती तो तुम्हारी जियारत न करती। (मुख़्तसर)

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 204, हदीस 960, जनाजे का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! औरतों के लिए कब्रों की जियारत में उलेमा में इख़्तिलाफ़ है। कुछ आलिम जायज़ बताते हैं और कुछ मना करते हैं मगर किसी खास शकल में औरतों के लिए भी कब्रों की जियारत जायज़ है, लेकिन आज हिन्दुस्तान की औरतें उसी में और दरगाहों पर ज़्यादा से ज़्यादा काफ़िले की तरह मिल कर जाती हैं यह तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है क्योंकि ये औरतें वहां जाकर सिवाए कुफ़्र व शिर्क के और कुछ नहीं करतीं उनको नमाज़ तक भी याद नहीं वे कब्रों पर जाकर शिर्क न करें तो फिर और क्या करें! इसलिए हर मुसलमान भाई पर वाजिब है कि अपने अपने घरों की औरतों को दरगाहों पर जाने और शिर्क व कुफ़्र करने से रोके, क्योंकि ऐसी औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से लानत फ़रमायी है।

हदीस - हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 242, हदीस 1594, जनाजे का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों पर जाने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 242, हदीस 1596, जनाजे का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कब्रों पर जाने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 242, हदीस 1595, जनाजे का बयान।

औरतों को उसों में जाने से और ताज़ियों में जाने से रोक लिया जाए तो इन्शाअल्लाहु तआला बहुत कुछ इस्लाह हो सकती है।

मन्नत

नज़्र यानी मन्नत माननी किसी की सिवाए अल्लाह के जायज़ नहीं न नबी सल्ल० की न फ़रिश्ते की, न वली की, न और किसी की।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 233, नज़्र का बयान

हज़रत शाह वलिय्युल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी क़द्द-स सिरूहू लिखते हैं-

‘शिरक़ की किस्मों में से एक किस्म यह है कि अल्लाह तआला के अलावा किसी से अपनी ज़रूरतों में मदद तलब करें जैसे मरीज़ के लिए शिफ़ा या मुहताज के लिए गिना (मालदारी) और उसकी नज़्र और मन्नत माने और उम्मीद रखें कि हमारी नज़्र से मुरादे पूरी होंगी या उनके नामों का वज़ीफ़ा बना लें।

हवाला - हुज्जतुल्लाहिल बालिगः, पृ० 62, अक्सामे शिरक़ का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! खुदा के सिवा और किसी की भी नज़्र यानी मन्नत माननी जायज़ नहीं, चाहे फ़रिश्ता हो या नबी हो या वली हो। आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह पर ऐसी जहालत फैली हुई है कि दरगाहों पर जा जा कर मुरादे मांगते हैं नियाज़ व नज़्र चढ़ाते हैं।

मेरे दोस्त! हमारे मुसलमान भाई और बहनों की जहालत की कोई हद नहीं रही जैसे एक लड़का बीमार हुआ तो उस की नज़्र मानी जाती है कि ऐ फ़लां वलिय्युल्लाह ! अगर मेरे लड़के को आराम हो जाएगा तो तेरे नाम की इतनी नज़्र यानी मन्नत करेंगे। अब अगर उस लड़के को अल्लाह तआला ने अपने रहम व करम से आराम दे दिया, जब तो फिर नियाज़ व नज़्र लेकर बड़ी खुशी से उस दरगाह पर लगे कुफ़्र व शिरक़ करने और अगर अल्लाह तआला ने उस लड़के को दुनिया से उठा लिया यानी मौत दे दी जब तो सारी बदनामी अल्लाह के ऊपर उस वली पर कुछ भी नहीं। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे लड़के को आराम नहीं हुआ। आप लोगों ने तो कोशिशें बहुत कीं, यानी कुफ़्र किया और शिरक़ भी किया और कोई बिदअत बाकी नहीं छोड़ी, फिर भी आपके बच्चे को आराम नहीं हुआ, तो वे जवाब में कहेंगे कि भाई! अल्लाह को मंज़ूर ही नहीं था तो फिर हमारे हीलों से उसे आराम कैसे होता।

मेरे प्यारे दोस्त! किस क़दर बेवकूफी और जहालत है। जानते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई भी आराम दे नहीं सकता। जिस पीर या वली की हम मन्नत मान रहे हैं उनके सामने भी उनके अज़ीज़ व अक़ारिब यानी खानदान में से कोई न कोई तो ज़रूर मरा होगा बल्कि वे

खुद भी बीमारी और मौत से न बच सके फिर भी अल्लाह को छोड़ कर उनसे मुरादे मांगते हैं। यह है हमारी जहालत का अंधापन।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में, सूर: रूम के चौथे रूकूअ में आयत न० 33-34 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - लोगों का हाल यह है कि जब उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ़ रूजूअ करके उसी को पुकारते हैं। फिर जब वह कुछ अपनी रहमत का मज़ा उन्हें चखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा मज़े कर लो बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा।

किसी मज़हब या किसी मसलक का इंसान हो और चाहे जितना भी जाहिल हो मगर उसके दिल की गहराइयों में तौहीद की गवाही मौजूद है उम्मीदों के सहारे जब भी टूटने लगते हैं तो उसका दिल खुद भी अन्दर से गवाही देता है कि इस कायनात का असली मालिक तो एक अल्लाह ही है और उसी की मदद उसकी बिगड़ी बना सकती है और जब भी बिगड़ी बन गयी तो होता यह है कि दूसरे माबूदों की नियाज़ व नज़्र चढ़ने लग जाती है और कहा जाता है कि यह मुसीबत फ़लां बुजुर्ग के सदके में या उन के तुफ़ैल में टल गयी। आखिर यह बात किस दलील से साबित हुई कि मुसीबतें अल्लाह तआला नहीं टालता, बल्कि फ़लां बुजुर्ग या फ़लां आस्ताने के सदके से टली है?

क्या अक्ल इसकी गवाही देती है या कोई किताबे इलाही में इसकी दलील है? या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा कहा है? अगर अल्लाह तआला के अपने कलाम मजीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सही हदीसों में इसकी दलील मौजूद नहीं है तो फिर ऐसा एतकाद रखना जहालत नहीं तो फिर और क्या है?

कुरआन शरीफ़ के नवें पारे में सूर: आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ में आयत 190 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - जब अल्लाह तआला ने उन दोनों को सही सालिम औलाद दे दी तो अल्लाह तआला के शरीक करार देने लगे, सो अल्लाह तआला पाक है उनके शिर्क से।

जब औरतों का पांव भारी हो जाता है तो डर होता है कि देखिए क्या होता है इससे जिन्दा सलामत रहती है कि नहीं इसलिए मियां बीवी दोनों खुदा से दुआ करते हैं (क्योंकि कड़े मौके पर वही एक अल्लाह याद आता है) कि अगर तूने हमको अच्छा और जीता जागन्ना बच्चा दिया तो हम तेरी शुक्रगुजारी किया करेंगे।

फिर जब खुदा उनको बा मुराद बच्चा देता है तो खुशी में आकर खुदा के साथ इस काम में औरों को भी मिला लेते हैं। कोई तबियतों की तरफ़ जोड़ देता है जैसा कि दहरिया, कोई सितारे के निकलने डूबने की तरफ़, कोई अपने बुतों और देवताओं की तरफ़ मंसूब करता है

कोई कहता है कि फ़लां (वली या बुजुर्ग) की नियाज़ मानी थी तो खुदा ने यह मुराद दी।

हवाला - तफ़्सीरे हक्क़ानी, जिल्द 4, पृ० 177, पारा 9, सूः आराफ़ के चौबीसवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूः नह्ल के ग्यारहवें रूकूअ में आयत न० 78 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह ने तुमको तुम्हारी मांओ के पेटों से निकाला, इस हालत में कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे उसने तुम को कान दिये, आंखे दीं और सोचने वाले दिल दिये इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ार बनो।

किसी जाहिल से जाहिल इंसान से भी पूछो कि तुम्हारी मां के पेट में रोज़ी किसने दी? तुम्हारे हाथ पैर, आंख-कान, नाक-मुंह किसने बनाये? सोचने और समझने के लिए दिल और अक्ल किसने दिया? तो जवाब यही मिलेगा कि अल्लाह ने। तो फिर जिन जिन को हलवा-मलीदा, नियाज़ व नज़्र चढ़ा रहे हो उन्होंने कौन सा हिस्सा जिस्म के हिस्सों में से बनाया है जो उनकी आव भगत कर रहे हो।

अल्लाह तआला की ना शुक्री इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि सारी की सारी नेमतें तो अल्लाह तआला दे और एहसान दूसरों का माना जाए।

मुश्रिक किसी को भी ज़ात में खुदा के बराबर न समझते थे मगर इबादत में और मदद मांगने में नज़्र व नियाज़, अदब और ताज़ीम उनकी भी उसी तरह करते थे कि जिस तरह खुदा की तो गोया उन्होंने अपने माबूदों को खुदा के बराबर समझा।

हवाला - तफ़्सीरे हक्क़ानी, जिल्द 2, पारा 1, पृ० 106, सूः बक़रः के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

सैकड़ों जाहिल हज़रते औलिया, अंबिया, फ़रश्तों और दूसरी ग़ैर महसूस चीज़ों और अनदेखी रूहों को यह समझते हैं कि वे हमारी हाजत को पूरा करते हैं अगर हम उनकी परस्तिश न करें तो हमारे कारोबार में फ़र्क आ जाए और वे लाग हम को नुक़सान या तकलीफ़ पहुंचाएंगे और उस पर इत्तिफ़ाक़न मुराद का हासिल हो जाना या परस्तिश में कमी से इत्तिफ़ाक़न कोई हादसा पेश आ जाना उसके बातिल ख्याल की और भी मज़बूत दलील हो जाती है। हकीक़त में यह वहमी ताक़त की कारीगरी है और कुछ नहीं। जिस तरह रात को अकेली जगह या मकान में अवाम को मुर्दे से डराती है और ऊंचे मकान पर चलने से पांव लड़खड़ाती है इसी तरह उन लोगों को नफ़ा और नुक़सान का वहम भी यही वहमी ताक़त दिलाती है।

हवाला - तफ़्सीरे हक्क़ानी, जिल्द 2, पारा 1, पृ० 107, सूः बक़रः के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में।

हर क़ौम और मज़हब के कुछ न कुछ लोग अपने अपने बुजुर्गों की मन्नत मानते हैं। अब

अगर किसी बुजुर्ग से लड़का मांगा था और लड़का ही पैदा हुआ तो फौरन उसी वक्त शकर या जलेबी या बताशे या नान खताई कुछ न कुछ बंटने लगेगी। जब उनसे पूछा जाए कि भाई! यह क्यों बांट रहे हो? तो जवाब में कहेंगे, हमने फ़लां बुजुर्ग की मन्नत मानी थी तो घर में लड़का पैदा हुआ अगर लड़की पैदा हो गयी तो गुमसुम होकर चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं बांटेंगे और किसी को ख़बर भी नहीं करेंगे और अगर कोई इत्तिफ़ाक़िया पूछ ले कि आपके याहं बच्चा पैदा होने वाला था फिर क्या हुआ? तो शर्म से सर झुका कर कहेंगे कि लड़की पैदा हुई अल्लाह की मर्जी।

अब किस क़दर जहालत की बात है कि लड़की पैदा हो तो अल्लाह की मर्जी और लड़का पैदा हो तो उस बुजुर्ग की मर्जी, गोया अल्लाह तआला के अख़्तियार में अब लड़कियां ही हैं और लड़कों का ठेका इन बुजुर्गों ने ले लिया है, अल्लाह की पनाह!

कुरआन शरीफ़ के सत्ताइसवें पारे में सूर: तूर के दूसरे रकूअ में आयत न० 39 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहां लड़के हैं?

यह भी इन की बड़ी भारी ग़लती है कि कहते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की लड़कियां हैं। क्या मजे की बात है कि अपने लिए तो लड़कियां नापसन्द करें और अल्लाह तआला के लिए (लड़कियां) साबित करें? उन्हें अगर मालूम हो जाए कि उनके यहां लड़की हुई है तो ग़म के मारे चेहरा स्याह पड़ जाए और अल्लाह तआला के मुक़र्रब फ़रिश्तों को उसकी लड़कियां बतायें।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 15, सूर: तूर के दूसरे रकूअ की तफ़सीर में।

अरबों की जहालत का बयान हो रहा है। वे अल्लाह तआला के मुक़र्रब फ़रिश्तों को अल्लाह तआला की लड़कियां कहते थे और खुद के घर में लड़कियों का जन्म हो जाए तो मारे ग़म के मुंह स्याह हो जाए चेहरा उतर जाए।

कुछ लोगों की जहालत का यह हाल था कि लड़की पैदा होते ही उस को मार डालते थे अब यह किस क़दर जहालत है कि अल्लाह के लिए तो लड़कियां साबित करें और खुद अपने लिए लड़कियों को पसन्द न करें?

यही हालत हिन्दुस्तान में कुछ जाहिलों की है। कुछ जाहिल औलिया अल्लाह की मन्नत मानते हैं यानी या फ़लां बाबा! मेरे घर लड़का पैदा होगा तो इतनी नियाज़ या इतना नज़ाना आपके नाम का करेंगे? अब मन्नत मानने के बाद इत्तिफ़ाक़िया अगर लड़का पैदा हुआ तो उस बाबा की मर्जी, जिस की मन्नत मानी थी और अगर बावजूद मन्नत मानने के लड़की पैदा हुई तो कहेंगे कि अल्लाह की मर्जी!

किस क़दर जहालत है कि अगर लड़की पैदा हुई तो अल्लाह की मर्जी और अगर लड़का पैदा हो तो बाबा की मर्जी, हालांकि लड़की पैदा हो या लड़का, दोनों में से जो भी पैदा हो

अल्लाह ही की मर्जी से होता है। इस में कोई दखल नहीं दे सकता न वली दे सकते हैं न अंबिया अलैहिमुस्सलाम दखल दे सकते हैं न फरिश्ते।

कुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूर: शूरा के पांचवें रकूअ में आयत न० 49-50 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह जिस को चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है या उनको जमा कर देता है बेटे भी और बेटियां भी (दोनों देता है) और जिसको चाहे बे औलाद रखता है बेशक वह बड़ा जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है।

फ़रमाता है कि ख़ालिक, मालिक और मुत्सरिफ़ ज़मीन व आसमान का सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। वह जो चाहता है होता है जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे जिसे चाहे न दे जो चाहे पैदा करे और बनाये जिसे चाहे सिर्फ़ लड़कियां दे जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वस्सलाम और जिसे चाहे सिर्फ़ लड़के ही अता फ़रमाता है जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है जैसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और जिसे चाहे बे औलाद रखता है जैसे हज़रत यह्य़ा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वस्सलाम पस ये चार किस्में हुई-

1. लड़कियों वाले,
2. लड़कों वाले,
3. दोनों वाले और
4. दोनों से खाली हाथ।

वह जानने वाला है हर मुस्तहिक़ को जानता है।

कुदरत वाला है जिस तरह का चाहे फ़र्क़ रखता है।

पस यह जगह भी उस फ़रमाने इलाही जैसी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि ताकि हम इसे लोगों के लिए निशान बनायें यानी कुदरत की दलील बनायें और दिखा दें कि हमने मख़्लूक़ को चार तौर पर पैदा किया।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ मिट्टी से पैदा हुए, न मां, न बाप। हज़रत हव्वा सिर्फ़ मर्द से पैदा हुई। बाकी कुल इंसान मर्द औरत दोनों से, सिवाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कि वह सिर्फ़ औरत से बग़ैर मर्द के पैदा किये गये। पस आप की पैदाइश से ये चारों किस्में पूरी हो गयीं। पस यह जगह मां-बाप के बारे में थी और वह जगह औलाद के बारे में। उसकी भी चार किस्में और इसकी भी चार किस्में।

सुब्हानल्लाह! यह है उस खुदा के इल्म व कुदरत की निशानी।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 25, सूर: शूरा के पांचवें रकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं

1. एक का नाम हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था और
2. दूसरी का नाम हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था,

लेकिन औलाद नहीं थी तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला से दुआ मांगने लगे-

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में सूर: साफ़ात के तीसरे रकूअ में आयत न० 100 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ अल्लाह! मुझे नेक औलाद अता फ़रमा ।

अब सोचने की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी हैं जिनका लक़ब ख़लीलुल्लाह है यानी अल्लाह का दोस्त और नबियों का दर्जा वलियों से बे इतिहा बड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद जब अल्लाह तआला से लड़का ले नहीं सकते तो वलियुल्लाह लड़का दे क्या सकते हैं?

मेरे भैया! अल्लाह तआला से मांगना यह तमाम नबियों और तमाम रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अकीदा है और तमाम नबी और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया को यही सिखाने और समझाने आए थे कि अल्लाह ही से मांगो और उसी खुदा पर भरोसा रखो और उसी पर एतमाद व यकीन रखो। समझे मेरे भोले भैया!

जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से दुआ मांगी, तो अल्लाह तआला ने कुबूल कर लिया और बशारत होती है-

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में सूर: साफ़ात के तीसरे रकूअ में आयत न० 101 में अल्लाह तआला इशादि फ़रगाता है-

तर्जुमा - हमने भी एक नर्म दिल लड़के की खुशखबरी दे दी।

उसके काम में न तो कोई नबी दरख़ल दे सकता है न कोई वली। तुम इतना तो सोचो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सब लड़कियां थीं उनके लड़के नहीं थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब लड़के थे एक भी लड़की नहीं थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यहां लड़के भी हुए और लड़कियां भी। हज़रत यह्या और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम दोनों बे औलाद थे।

बस अल्लाह की कुदरत में किसी को कुछ भी अख़्तियार नहीं है जिस को हम तफ़सील के साथ पहले बयान कर चुके हैं। बन्दे के अख़्तियार में फ़क़त दुआ मांगना है और उस दुआ को कुबूल करना या न करना मेरे मालिक व मुख़्तार की मर्जी की बात है।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज़्र मानने से मना फ़रमाया है और फ़रमाया है कि-

यह न किसी चीज़ को आगे कर सकती है और न पीछे कर सकती है मगर हां इसकी वजह से बख़ील का माल खर्च हो जाता है।

हवाला -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 364, हदीस 1594 नज़्र का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 19, हदीस 113, बाब 53 नज़ का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

नज़ मत मानो क्योंकि नज़ मुक़द्दर को हरगिज़ नहीं टाल सकती और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बस इसके ज़रिए से बख़ील का माल निकाल लिया जाता है। (मुख्तसर)

हवाला - तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 310, हदीस 1439, नज़ का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सअ्द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फ़त्वा पूछा कि मेरी मां मर गयी और उन पर एक नज़ बाकी है।

आपने फ़रमाया तुम उसको उनकी तरफ़ से पूरा कर दो।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 11, पृ० 16, हदीस 31, वसीयत का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 19, हदीस 112, बाब 52, नज़ का बयान।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जिसने अल्लाह की फ़रमांवरदारी करने की नज़ मानी (यानी जायज़ तरीके पर नज़ मानी है) तो उसे अल्लाह की फ़रमांवरदारी करनी चाहिए और जिस ने अल्लाह की ना फ़रमानी की नज़ मानी (यानि ना जायज़ तरीके पर नज़ मानी है) तो उसे अल्लाह की नाफ़रमानी न करनी चाहिए।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 307, हदीस 1426, नज़ का बयान।

यह जो दिरहम व दीनार या रुपया पैसा वगैरह लेकर औलिया के मज़ारों पर उनकी जनाब में तकरूब के वास्ते जाते हैं सबके नज़दीक हराम है जब तक कि यह क़स्द न हो (यानी इरादा न हो) कि वहां जिन्दा फ़कीरों पर खर्च करे और इसमें कुछ इख़्तिलाफ़ नहीं हालांकि लोग इस हराम में ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तला हैं।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 958, रोज़े का बयान।

जो लोग इस तरह कहते हैं कि अगर मेरी ज़रूरत पूरी होगी तो वास्ते फ़लां वली या बनाम फ़लां वली के इस क़दर खाना या इस क़दर नक़द रक़म फ़लां वली के नाम पर खर्च करूंगा बस इस तरह नज़ करनी बातिल है बिल इज्माअ (यानी सबके नज़दीक) और खाना उस खाने का हराम है।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 233, नज़ का बयान।

खुदा को छोड़ कर दूसरों से हाजत मांगने वालों के लिए हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर

जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फरमाते हैं-

गैर अल्लाह से किसी चीज़ के मांगने वाले! तू बेवकूफ़ है क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो अल्लाह के खज़ानों में न हो।

हवाला - फुयूजे यज़दानी, पृ० 25, मज्लिस 1।

फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज़्र दो किस्म की है-

1. सो जिस आदमी की नज़्र अल्लाह तआला की इताअत और इबादत में होवे तो अल्लाह के वास्ते है और उसमें नज़्र अदा करना ज़रूरी है।

2. और जिस आदमी की नज़्र अल्लाह तआला की मासियत और गुनाह में हो वह नज़्र शैतान के वास्ते है उसका अदा करना (यानी मन्नत का पूरा करना) ज़रूरी नहीं और उसमें कफ़ारा देवे जो कसम का कफ़ारा है ये जो अक्सर अवामुन्नास (आम लोग) नज़्र मानते हैं इस तहर कि कुछ औलियाअल्लाह की कब्रों पर जाते हैं यों कहते हुए कि या हज़रत फ़लाने! हमारा ग़ायब आदमी अगर वतन में फिर आवे या बीमार हमारा अच्छा हो जावे या मुराद हमारी पूरी हो जावे तो आप के वास्ते इतना सोना या इतनी चांदी या इस क़दर खाना या चिरागों के वास्ते इतना तेल या मोम नज़्र करेंगे। यह नज़्र और मन्नत बिल इत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा-ए-किराम व इज्माए उलेमा बातिल है कुछ दलीलों से-

1. अव्वल यह कि नज़्र मख़्लूक के वास्ते जायज़ नहीं यानी नज़्र मख़सूस खुदा-ए-अलीम व क़दीर के लिए है और

2. दूसरी दलील बातिल की यह है कि जिनकी नज़्र मानी है वह मय्यत है और मय्यत किसी चीज़ का मालिक नहीं होता और

3. तीसरी दलील यह है कि ऐसी नज़्र करने वालों के गुमान में यह है कि सिवाए खुदा के मय्यत भी क़ादिर है। आलम में कुछ इस का तसरूफ़ भी जारी है और यह एतक़ाद कुफ़्र है।

हवाला -1. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 2, पृ० 338, ईमान का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 234, नज़्र का बाब बहरुराइक़ के हवाले से।

किसी ने इस नीयत से नज़्र मानी कि औलियाअल्लाह भी जो चाहे कर सकते हैं तो यह अक़ीदा कुफ़्र है। जिसने नज़्र की वास्ते किसी नबी के अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से या किसी वली के औलिया में से लाज़िम नहीं आता उस पर कुछ, फिर अगर देवे वह किसी को आदमियों में से इस नीयत पर तो लाज़िम नहीं है लेना उस का और अगर हो खाना तो नहीं है हलाल खाना उसका और अगर हो वह जानवर जिब्ह किया हुआ, पास वह मुर्दार है और अगर खावे वह बिस्मिल्लाह कह कर काफ़िर हों सब और नज़्र करे अल्लाह तआला की फिर खावें लोग और बख़्शो सवाब उस का किसी आदमी को तो यह जायज़ है।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 236, ईमान व नज़्र का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त! कुछ मुसलमानों की जहालत का क्या कहना। अभी तक बेचारे देव देवियों के नाम पर जानवर वगैरह जिब्ह करके खाते हैं और उनमें से जो अपने आप को सुधरे हुए और ईमानदार समझते हैं ये इन बातों को तो समझने लगे हैं लेकिन ये साहिबान अब औलियाअल्लाह रह० के नाम पर जानवर जिब्ह करते हैं।

अब सुनिए उसके बारे में फ़त्वे और हवाले।

गैर अल्लाह के नाम का जानवर हलाल नहीं

कुरआन मजीद के दूसरे पारे में सूः बकरः के इक्कीसवें स्कूअ में आयत न० 173 में अल्लाह इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और हर वह चीज़ जो खुदा के नाम के सिवा दूसरों के नाम पर मशहूर की जाए हराम है।

जो चीज़ अल्लाह तआला के सिवा और किसी के नाम पर मशहूर की जाए वह हराम है।

जाहिलियत के ज़माने में काफ़िर लोग अपने झूठे माबूदों के नाम पर जानवर जिब्ह किया करते थे, जिनको अल्लाह तआला ने हराम कर दिया।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 22, सूः बकरः के इक्कीसवें स्कूअ की तफ़्सीर में।

एक बार एक औरत ने गुड़िया के निकाह पर एक जानवर जिब्ह किया तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़त्वा दिया कि उसे न खाना चाहिए इसलिए कि वह एक तस्वीर के लिए जिब्ह किया गया है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 22, सूः बकरः के इक्कीसवें स्कूअ की तफ़्सीर में।

इसका इत्लाक़ उस जानवर के गोश्त पर होता है जो खुदा के नाम के सिवा किसी और के नाम पर जिब्ह किया गया हो और उस खाने पर भी होता है जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर नज़्र के तौर पर पकाया गया हो। हकीकत यह है कि जानवर हो या ग़ल्ला या और कोई खाने पीने की चीज़, असल में उसका मालिक अल्लाह ही है और अल्लाह ही ने वह चीज़ हम को अता की है। इसलिए नेमत के एतराफ़ के तौर पर सद्का हो या नियाज़ व नज़्र हो, इन चीज़ों पर अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह सिर्फ़ एक अल्लाह ही का नाम है। इसके सिवा किसी दूसरे का नाम लेना यह मतलब रखता है कि हम खुदा के बजाए या खुदा के साथ उसकी बरतरी भी मान रहे हैं और नेमतों का देने वाला भी मान रहे हैं तभी तो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों के नाम का किया जाएगा।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल होता है कि अजमी (यानी गैर अरबी) लोग

जो अपने त्यौहारों और ईद के मौके पर जानवर जिब्ह करते हैं और मुसलमानों को भी उसमें से हदिया भेजते हैं उनका गोश्त खाना चाहिए या नहीं तो आपने फ़रमाया, उस दिन की बड़ाई के लिए जो जानवर जिब्ह किया जाए उसे न खाओ, उनके दरख्तों के फल खाओ।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 22, सूः बकरः के इक्कीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।
मेरे प्यारे दोस्त! ग़ैर कौमों के त्यौहारों में शामिल होना और उनके साथ मिल जुल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देना, और एक दूसरे को हदियां और तोहफ़ा भेजने वालों पर भी कुफ़्र का फ़त्वा है।

अगर नौ रोज़ के दिन (यानी नौरतन या दीवाली में और इसी तरह दूसरे त्यौहारों के दिन) मजूसी को एक अंडा भेजा, (यानी हदिया के तौर पर) तो कुफ़्र है। नौ रोज़ के दिन मजूसी जमा होकर खुशी करते थे। एक मुसलमान ने देखकर कहा कि अच्छी सीरत उन लोगों ने रखी है तो कुफ़्र है। किसी ने नौरोज़ के दिन उसकी ताज़ीम की नीयत करके या समझ कर कोई चीज़ खरीदी तो कुफ़्र है और और उसने यों ही खरीदी और उसको नौरोज़ का ख्याल नहीं है तो कुफ़्र नहीं है अगर नौरोज़ का दिन मालूम हो लेकिन उसने अपनी मेहमानी की ज़रूरत वगैरह की नीयत से खरीदी तो भी कुफ़्र नहीं है।

हवाला - 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 86, अक़ाइद का बयान मुक़दमें में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 289, मुर्तद का बयान,
3. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 853, मुर्तद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! अल्लाह बचाए आज तो अक्सर मुसलमान इस मुसीबत में कसरत से मुब्तला हैं बल्कि अपने आपको पीर और मौलवी कहलाने वाले भी कुछ तो इस बला में फंसे हुए हैं।

कुरआन शरीफ़ के छठे पारे में सूः माइदा के पहले रूकूअ में आयत न० 3, में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और वह चीज़ जो खुदा के सिवा दूसरों के नाम पर मशहूर की जाए हराम है।

नुसुब पर जो जानवर जिब्ह किये जाएं, वे भी हराम हैं।

मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं-

ये परस्तिश की जगहें कअ़बे के इर्द गिर्द थीं।

इब्ने जरीर रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं,

ये तीन सौ साठ बुत थे जहालत के ज़माने में। अरब लोग इनके सामने अपने जानवर कुर्बान करते थे और उनमें से जो बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब थे उस पर इन जानवरों का खून छिड़कते थे और गोश्त को उन बुतों पर चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते थे। पस अल्लाह तआला ने यह काम मुसलमानों पर हराम किया और उन जानवरों का खाना भी हराम कर दिया है।

अगरचे उन जानवरों के जिब्ह करते वक्त 'बिस्मिल्लाह; भी पढ़ी हो क्योंकि यह शिर्क है जिसे अल्लाह तआला वह्दहू ला शरीक लहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हराम किया है और यही लायक है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 46, सूः माइदा के पहले रूकूअ की तफ्सीर में।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं-

'मैंने अम्र बिन लुहय बिन कमआ को देखा कि वह जहन्नम में अपनी आंते घसीट रहा था।'

यही वह आदमी था जिसने सबसे पहले गैर अल्लाह के नाम पर जानवरों का छोड़ना बतलाया। यह आदमी खजआ के बादशाहों में से एक था। इसी ने सबसे पहले इन कामों की शुरुआत की थी।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 12, सूः शूरा के तीसरे रूकूअ की तफ्सीर में।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि मौज़ा 'अस्फल बल्दह' (एक जगह का नाम है) में आपकी मुलाक़ात ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल से हुई और यह किस्सा वह्य के नाज़िल होने से पहले का है। उसने आपके सामने एक ख्वान जिसमें गोश्त था पेश किया। आपने उसके खाने से इंकार किया और फ़रमाया कि तुम्हारे बुतों पर (जो जानवर) जिब्ह किये जाते हैं उनको मैं नहीं खाता, बल्कि अल्लाह ही के नाम पर जो जिब्ह किये जाएं उनको खाता हूँ।

हवाला - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 23, पृ० 131, हदीस 463, ज़बीहे का बयान।

हदीस - हज़रत आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया-

'हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आप से खुफ़िया तौर पर क्या फ़रमाया था?'

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यह सुन कर गुस्सा आ गया और फ़रमाया कि-

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे पोशीदा तौर पर कोई ऐसी बात नहीं कही, जिसको लोगों से छिपाना मक़सूद हो। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे चार बातें कही थीं-

1. एक तो यह कि खुदा उस आदमी पर लानत करता है जो अपने बाप पर लानत करे,
2. दूसरी यह कि खुदा उस पर लानत करता है जो गैर अल्लाह के नाम पर कोई जानवर जिब्ह करे,
3. तीसरी यह कि खुदा उस पर लानत करता है, जो किसी बिदअती को पनाह दे,
4. चौथी यह कि खुदा उस आदमी पर लानत करता है जो ज़मीन की हदों के निशानों को बदल डाले या मिटा डाले।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 86, हदीस 385, बाब 184, जिब्ह का बयान।

हदीस - हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि-

‘इस्लाम में अकर नहीं है।’

अब्दुरज्जाक ने कहा कि जाहिलियत (के जमाने) में लोग कब्रों के पास जाकर गाय या बकरी काटा करते थे। (इसी को अकर कहते हैं इस्लाम में इस से मना कर दिया गया।)

हवाला - अबूदाऊद शरीफ, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 582, हदीस 1465, बाब 615।

हैवानात को जो मशाइख की नज़ करते हैं और उन को कब्रों पर जाकर जिब्ह करते हैं फिक्ह में इस अमल को भी शिर्क में दाखिल किया गया है और इस बारे में बहुत मुबालगा किया है और इस जिब्ह को जिन्नात के ज़बीहों की किस्म से ख्याल किया है जो शरीअत से मना और शिर्क के दायरे में दाखिल है। इस अमल से भी परहेज़ करना चाहिए कि इसमें भी शिर्क की बू पायी जाती है।

नज़ और मन्नत के तरीके और बहुत हैं। क्या ज़रूरत है कि हैवान के जिब्ह करने की मन्नत और नज़ माने और उसी को जिब्ह करके जिन्नों के ज़बीहों से मिलाये और जिन्नों के पुजारियों के साथ मुश्किल पैदा करे इसी तरह वे रोज़े, जो औरतें, पीरों, बीवियों की नीयत पर रखती हैं और अक्सर उनके नामों को अपने पास से गढ़ कर उनके नाम पर अपने रोज़ों की नीयत करती हैं और हर रोज़े के लिए खास एहतिमाम करती हैं और खासतौर पर इफ्तार करती हैं और रोज़ों के लिए दिनों को मुक़रर कर लेती हैं और अपने मतलबों और मक्सदों को इन रोज़ों पर मौकूफ़ करती हैं और इन रोज़ों के ज़रिए उन पीरों और बीवियों से हाजतें तलब करती हैं और इन रोज़ों के ज़रिए उनको अपना हाजतरवा और मुश्किलकुशा जानती हैं। यह सब इबादत में शिर्क है और यह जो अक्सर औरतें इस काम की बुराई जाहिर करने के वक़्त कहती हैं कि हम इन रोज़ों को अल्लाह तआला के लिए रखती हैं और इनका सवाब पीरों को बरखाती हैं,

यह उनका हीला बहाना है।

हवाला - मक्तूबे इमामे रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि जिल्द 3, पृ० 10, मक्तूब 41।

खुदा के नाम के सिवा किसी और के नाम पर अगर जानवर को जिब्ह किया जाए तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत में यह फ़ेल शिर्क और ऐसे जानवर का गोश्त खाना हराम है।

हवाला - सीरतुन्नबी, जिल्द 5, पृ० 32।

यह जो हिन्दुस्तान में जाहिलों में रिवाज है कि मन्नत मान कर सैयद अहमद कबीर की गाय और शेख सद्दू का बकरा जिब्ह करते हैं वह गाय और बकरा मुरदार है इस वास्ते कि जिब्ह ताजीमे गैर खुदा और तर्क़्बि मख़्लूक़ का इरादा करते हैं और यह जो कुछ लोग कहते हैं कि जिब्ह के वक़्त खुदा का नाम लेने से ज़बीहा हलाल और पाक हो जाता है गो नीयत अवाम की खराब हो तो यह उनकी ग़लतफ़हमी है इस वास्ते कि मज़कूर हो चुका कि ताजीमे गैरे खुदा की सूरत में ज़बीहा मुरदार हो जाता है अगरचे अल्लाह का ख़ालिस नाम लिया जाए।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 179, ज़बीहे का बयान।

जो जानवर कि नामजद किया गया और शोहरत दिया गया (यानी वह जानवर मशहूर हो चुका है कि यह दुंबा या बकरा फ़लां वली या फ़लां पीर या बुत या देवता या माता या और किसी के नाम का भी हो) तर्क़्ब और ताजीम के लिए बनामे गैरे खुदा वह हराम है जैसा कि अवाम जाहिलों में दस्तूर है।

यह बकरा शेख सद्दू का है, यह गाय सैयद अहमद कबीर की है यह बकरा तोप शाह का या यह मुर्गा मदार साहब का या यह जानवर जिब्ह करना बुजुर्गों की क़ब्रों के पास या किनारे दरिया के या भोग के तौर पर साथ नाम जिन्नों के पस करने वाला इन कामों का मुर्तद काफ़िर है और यह ज़बीहा मुर्दार और हराम है। अगरचे वक़्त जिब्ह के नाम खुदा का लिया हो यानी बिस्मिल्लाह कह कर जिब्ह किया हो तो भी हराम है इस वास्ते कि पहले ही से यह जानवर गैरे खुदा जानवर के नाम पर मशहूर हो चुका था फिर जिब्ह करने के वक़्त अब नाम खुदा का कुछ फ़ायदा नहीं देता।

मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि वह जानवर जो मशहूर हो गया सिवाए नाम अल्लाह के वह सुअर से भी बुरा और मुरदार है।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 289, मुर्तद का बयान।

कुछ लोगों को यहां पर एक शुब्हा यह भी होता है कुर्बानी के जानवर भी तो आदमी के नामजद होते हैं वे तो हलाल समझे जाते हैं और औलिया अल्लाह के नाम पर जो जानवर बिस्मिल्लाह करके जिब्ह किया जाए, वह कैसे हराम हो जाएगा।

असल में बात यह है कि कुर्बानी के जानवर को शरीअत ने हलाल करार दिया है और जो बुजुर्गों के नाम पर मशहूर कर दिया जाए या नामजद कर दिया जाए उसको शरीअत ने हराम करार दिया है। मिसाल के तौर पर औरतें तो सब औरतें ही हैं जिस्मानी एतबार से उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है लेकिन कुछ औरतों से शरीअत ने निकाह को हराम करार दिया है निग्न चिन औरतों से शरीअत ने निकाह करना हराम बताया है अगर कोई औरत उस औरत से निकाह पढ़वाएगा तब भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि शरीअत ने उस औरत से निकाह करना ही हराम बताया है तो अब निकाह पढ़ाने से वह औरत हलाल नहीं हो सकती।

इसी तरह जिन जिन जानवरों को शरीअत ने हराम करार दिया है उन जानवरों को जिब्ह कैंरते वक़्त अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ कर जिब्ह करेगा, तब भी वे जानवर हलाल नहीं हो सकते, क्योंकि शरीअत ने उनको पहले ही से हराम करार दे दिया है यही बात है कि हलाल और जायज़ पर बिस्मिल्लाह का पढ़ना सवाब बताया गया है और हराम पर पढ़ना कुफ़्र है।

शराब पीते वक़्त या चौसर खेलते वक़्त बिस्मिल्लाह कहेगा तो काफ़िर हो जाएगा।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 850, मुर्तद का बयान।

यह इबारत तो एक मिसाल के तौर पर बयान की गयी है वरना जिन जिन कामों को शरीअत ने हराम करार दिया है उनको बिस्मिल्लाह से शुरू करना हराम है और जिन-जिन चीज़ों का खाना या पीना शरीअत ने हराम करार दिया है उसको बिस्मिल्लाह कह कर खाना या पीना हराम है।

मेरे प्यारे दोस्त! हमारा मज़हब किताबी है रिवाजी नहीं है फिर भी हम लोग न मानें, न समझें, तौबा न करें तो हशर के मैदान में हमीं को भुगतना पड़ेगा और हमें गुमराह करने वाले हशर के मैदान में ढूँढे भी न मिलेंगे, यहां तो हमारी पीठ थपकते हैं और हमें ग़लत सलत समझा कर मज़े से माल मलीदे और मुर्गियां खाते हैं और शरीअत से अलग तरीकों पर अमल करवा कर अपना पेट पालते हैं। समझे मेरे भोले भैया!

ये लोग हक़परस्तों पर कुफ़्र के फ़त्वे लगा रहे हैं, हक़परस्तों को गालियां दिलवा रहे हैं हक़परस्तों से सलाम-कलाम को भी मना कर रहे हैं ग़रीब और अनपढ़ मुसलमानों को जानते हुए समझते हुए भी गुमराह कर रहे हैं जब ये मरेंगे तब इनको पता चलेगा कि दुनिया में घोखा देकर मख़्लूके खुदा को गुमराह करने की क्या क्या और कैसी कैसी सज़ाएं भुमतनी पड़ेंगी।

औलियाअल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम

कुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में सूर: यूनुस के सातवें रकूअ में आयत 62-63, 64 में अल्लाह तआला इश्रादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ख़बरदार हो कि जो लोग खुदा के दोस्त हैं उन पर किसी किस्म का ख़ौफ़ नहीं और न वे ग़मगीन होंगे। जो लोग ईमान लाए और परहेज़गारी करते रहे, उनके लिए दुनिया में भी इश़ारत (ख़ुश ख़बरी) है और आख़िरत में भी। कलामे खुदा के लिए कोई तब्दीली नहीं, यही तो ज़बरदस्त कामियाबी है।

औलियाअल्लाह वे हैं जिनके दिल में ईमान और यकीन हो जिनका ज़ाहिर तक्वा और परहेज़गारी में डूबा हुआ हो जितना तक्वा होगा उतनी ही विलायत है। ऐसे लोग सिर्फ़ निडर और बे-ख़ौफ़ हैं क़ियामत के दिन की दहशत इनसे दूर है न वे कभी ग़म व रंज सहेंगे। दुनिया में जो छूट जाए उस पर उन्हें हसरत और अफ़सोस नहीं होता।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला के कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे।

लोगों ने पूछा हुजूर! वे कौन लोग हैं? हमें बताइए कि हम भी उन से मुहब्बत रखें। आपने फ़रमाया ये वे लोग हैं जो सिर्फ़ अल्लाह की वजह से आपस में मुहब्बत रखते हैं यानी फ़ायदे की वजह से नहीं। रिश्तेदारी और नसब की वजह से नहीं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए एक दूसरे को चाहते हैं उनके चेहरे नूरानी होंगे। ये नूर के मिम्बरों पर होंगे। सब को डर व खौफ़ होगा, लेकिन ये बिल्कुल बे खौफ़ और निडर होंगे। जब लोग गमज़दा होंगे ये बे-ग़म होंगे।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 66, सूः यूनुस के सातवें रूकूअ की तफ़सीर में।

मोजिजे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए और करामतें औलिया के लिए बरहक़ हैं।

हवाला - ऐनुलहिदाया, जिल्द 1, पृ० 19, मुक़दमे में।

हदीस - हज़रत अबू हुऱैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से मुहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला कर कहता है कि मैं फ़लां बन्दे से मुहब्बत रखता हूँ तू भी उससे मुहब्बत कर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं और आसमान में एलान कर देते हैं कि अल्लाह तआला फ़लां बन्दे से मुहब्बत करता है तुम भी उससे मुहब्बत करो और आसमान वाले भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं फिर उस बन्दे के लिए ज़मीन में भी कुबूलियत रखी जाती है (यानी ज़मीन के लोग भी उससे मुहब्बत करते हैं) और अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से बुग़ज़ रखता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला कर कहता है कि मैं फ़लां बन्दे से बुग़ज़ रखता हूँ तू भी बुग़ज़ रख। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे बुग़ज़ रखते हैं और आसमान में एलान कर देते हैं कि अल्लाह तआला फ़लां आदमी से बुग़ज़ रखता है तुम भी उससे बुग़ज़ रखो और आसमान वाले भी उससे बुग़ज़ रखते हैं और फिर उसके लिए ज़मीन में भी बुग़ज़ रखा जाता है (यानी ज़मीन वाले भी उससे बुग़ज़ रखते हैं।)

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 720, हदीस 4757, खुदा के लिए मुहब्बत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 145, खुदा के लिए मुहब्बत का बयान,

हदीस - हज़रत अबू हुऱैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

अल्लाह तआला फ़रमाता है-

जिसने मेरे वली से दुश्मनी की तो मैं उसके साथ लड़ाई का एलान करूंगा और मुझे अपने

बन्दे को नज़दीकी हासिल करना किसी और ज़रिए से इतना महबूब नहीं, जितना उससे जो मैंने उस पर फ़र्ज किया है और मेरा बन्दा हमेशगी नवाफ़िल से मेरे करीबतर हो जाता है यहां तक कि मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूं और जब मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूं तो मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वह सुनता है और उसकी वह आंख जिससे वह देखता है और उसका वह हाथ जिससे वह पकड़ता है और उसका वह पैर जिससे वह चलता है और अगर वह मुझसे (किसी चीज़ का) सवाल करता है तो मैं उसको ज़रूर देता हूं और अगर वह मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूं और मुझे किसी काम के करने में इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी मोमिन की रूह कब्ज़ करने में। वह मौत को नापसन्द करता है मैं उसे नाराज़ करना नहीं चाहता।

(मुख्तसर)

- हवाला** -1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 325, हदीस 1418, रिक्क़ का बयान,
 2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 372, हदीस 2142, ज़िक्रे इलाही का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 249, ज़िक्रे इलाही का बयान,
 4. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 47, सूः नह्ल के ग्यारहवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

इस हदीस का मतलब यह है कि जब मोमिन इख़्लास और इताअत में कामिल हो जाता है तो उसके तमाम काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए होते हैं। वह सुनता है अल्लाह के लिए वह देखता है अल्लाह के लिए यानी शरीअत की बातें सुनता है शरीअत ने जिन चीज़ों का देखना जायज़ किया है उन्हीं को देखता है इसी तरह उसका हाथ बढ़ाना, पांव चलाना भी अल्लाह की रज़ामंदी के कामों के लिए ही होता है। अल्लाह पर उसका पूरा भरोसा होता है। वह उसी से मदद चाहता है तमाम काम उसके अल्लाह तआला की रिज़ा हासिल करने के लिए ही होते हैं।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं कि-

अह्लुल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कायम मक़ाम हैं पस जिस बात का भी वे तुम को हुक्म करें उसको कुबूल करो, क्योंकि वे तुम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के हुक्म से हुक्म करते और उन्हीं के मना से मना फ़रमाते हैं उनको बुलाया जाता है तब वे बोलते हैं न अपनी तबियत और नफ़्स की खातिर कोई हरकत करते हैं और न अपनी ख्वाहिशाते नफ़्स को दीने खुदावन्दी में खुदा का शरीक बनाते हैं वे जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम कौलों और फ़ेलों में आपके ताबेअ हुए। उन्होंने हक़ तआला का यह इर्शाद सुना कि जो कुछ तुम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दें वह ले लो और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इत्तिबाअ किया यहां तक कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको

अपने भेजने वाले खुदा तक पहुंचा दिया। वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुकर्रब हुए षस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको हक तआला का मुकर्रब बना दिया।

हवाला - फ़ुयूजे यज़दानी, पृ० 248, मज्लिस 46।

इस हदीस के शुरू के हिस्से में अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि मेरे वली से दुश्मनी रखने वाले से मेरा जंग का एलान है मुझसे जंग कर लें। अब आप ही बताएं सोचें और समझें कि अल्लाह तआला से जंग कौन करेगा? जब कुरआन करीम से साबित है कि वली जो हैं वे अल्लाह के दोस्त हैं और सही बुखारी शरीफ़ की हदीस में है कि मेरे औलिया से दुश्मनी रखने वालों से मेरा जंग का एलान है। अब कौन ऐसा बद बख्त है जो औलियाअल्लाह को नहीं मानेगा।

मेरे मोहतरम ! मेरे भोले भैया ! शरीअत का हुकम औलियाअल्लाह के मानने का है उनसे मांगने का नहीं। अब हम औलिया अल्लाह को मानें भी और उनसे मांगें भी तो यह है हमारी जहालत। शरीअत का हुकम मानने का है उनसे मांगने का नहीं। समझ में आयी बात मेरे भोले भैया?

इस क़दर कुरआन व हदीस से खुलासा होने के बावजूद झगड़े क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि कुछ लोग औलियाअल्लाह को मानते हैं उनसे मांगते नहीं और कुछ लोग औलियाअल्लाह को मानते भी हैं और उनसे मांगते भी हैं।

कुछ इन्सान कहते हैं कि हमारा तो यह अक़ीदा है कि औलिया अल्लाह से हम को मिलता है इसलिये हम मानते भी हैं और उनसे मांगते भी हैं।

कुरआन करीम के सोलहवें पारे में सूः कहफ़ के बारहवें रकूअ में आयत न० 102 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - सो कया फिर भी इन काफ़िरों का ख्याल है कि मुझ को छोड़कर मेरे बन्दों को अपना कारसाज़ समझते हैं सो ऐसे काफ़िरों के लिए हमने जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है।

इस आयते मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा उसके बन्दों में किसी को अपना कारसाज़ समझना कुफ़्र की बात है।

अगर इन्सान अपनी तरफ़ से कोई अक़ीदा बना कर जाएगा तो यह अक़ीदा हशर के मैदान में काम नहीं देगा अक़ीदा तो वही काम आयेगा, जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का था।

अक़ीदा तो मेरे भाई! चौदह सो साल पहले बन चुका है अब कोई नया अक़ीदा नहीं बनेगा।

मिसाल के तौर पर औरतें तो सब औरतें ही हैं लेकिन शरीअत ने यह हुकम दिया कि इसको मां कहो उसको बहन कहो, उसको बीवी कहो, उसको बेटी कहो, वगैरह-वगैरह। अब कोई इन्सान अपनी नादानी या बे समझी या जहालत की वजह से अपनी बीवी को अम्मी कहे

तो इसका क्या इलाज । इसको शरीअत हरगिज़ मंज़ूर नहीं करेगी और समझदार इन्सान उसको समझाएगा कि भाई साहब! बीवी को अपनी अम्मी कहना मना है । ये लफ़्ज़ सुनते ही सामने वाला चिढ़ जाए और कहने लगे कि वाह साहब! आप तो वहहाबी मालूम होते हैं । मेरा तो अक्कीदा है कि मेरी बीवी मेरी अम्मी के बराबर है तो ऐसे इन्सान का दुनिया में कोई इलाज नहीं है जो शरीअत के क़ानून को छोड़कर अपने आप अपना अक्कीदा बना ले ।

दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हुए हैं चाहे वे नबी हों या वली वे सबके सब अल्लाह ही को पुजवाने आये थे और अल्लाह ही को आलिमुल ग़ैब समझते थे अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर मानते थे । अल्लाह ही से मदद मांगते थे और दुनिया वालों को अल्लाह की तरफ़ झुकाने आए थे । अल्लाह ही की इबादत करने और अल्लाह ही से मदद मांगने की आदत डलवाने आए थे लेकिन हम अपनी बे इल्मी और कम समझी और ग़लत फ़हमी और ज़हालत की वजह से उन बुजुर्गों को ही पूजने लग गये, उन्हीं को हाज़िर व नाज़िर व आलिमुल ग़ैब मानने लगे और उन्हीं बुजुर्गों को हाजतरवा समझने लगे । यह हमारी अपनी जहालत है वरना किसी नबी या वली ने यह नहीं कहा कि वे सिफ़तें हमारे अन्दर हैं बल्कि सभी ने यही कहा कि ये सारी सिफ़तें अल्लाह ही में हैं ।

हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

क्या तूने हक़ तआला का इर्शाद नहीं सुना कि ऐ दाऊद! हमने तुम को खलीफ़ा बना दिया ज़मीन में । ज़रा इर्शाद को ग़ौर की निगाह से देख । यों नहीं फ़रमाया कि तुमने अपने आप को खलीफ़ा बना लिया । पस अल्लाह वालों का न कोई ज़ाती इरादा होता है न अख़्तियार, बल्कि वह सिर्फ़ हक़ तआला के हुक्म और फ़ैल और तद्बीर और इरादे के तहत में होते हैं । ऐ सीधे रास्ते से हटे हुए आदमी! तू हुज्जत मत कर कि तेरे पास कोई दलील नहीं है ।

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 302, मज्लिस 52

हज़रत लुकमान हकीम से एक आदमी ने कहा, क्या तू बनी हसहास का गुलाम नहीं?

आपने फ़रमाया हां हूं ।

उसने कहा क्या तू बकरियों का चराने वाला नहीं?

आपने फ़रमाया हां हूं ।

फिर उसने कहा क्या तू स्याह रंग का नहीं?

आपने फ़रमाया हां हूं लेकिन तुम यह बताओ कि पूछना क्या चाहते हो?

उसने कहा यही कि फिर तेरे में ऐसी कौन सी बात है कि तेरी मज्लिस भरपूर रहती है लोग तेरे दरवाजे पर आकर पड़े रहते हैं और तेरी बातें शौक से सुनते हैं?

आपने फ़रमाया सुनो भाई! जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं उन पर अमल कर लो तो तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे ।

1. आंखें हराम चीजों से बन्द कर लो,
2. जुबान बेहूदा बातों से रोक लो,
3. माल हलाल खाया करो,
4. अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो,
5. जुबान से सच बोला करो
6. वायदे को पूरा किया करो
7. मेहमान की इज्जत करो,
8. पड़ौसी का ख्याल रखो,
9. बे फायदा कामों को छोड़ दो

इन्हीं आदतों की वजह से मेरी बुजुर्गी हुई है।

हवाला— तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 43, सूः लुक़्मान के दूसरे रूकूअ की तफ्सीर में।

हज़रत लुक़्मान तो बड़ई के गुलाम थे। उनसे एक दिन उनके मालिक ने कहा कि बकरी जिब्ह करो और उसके बेहतरीन और अच्छे से टुकड़े गोश्त के मेरे पास लाओ।

वह दिल और जुबान ले गये।

कुछ दिनों के बाद उनके आका ने फिर यही हुकम दिया और कहा कि आज उसके गोश्त में जो बद-तरीन और ख़बीस टुकड़े हैं वह ला दो।

आप आज भी यही दो चीज़ें ले गये।

मालिक ने पूछा इसकी क्या वजह है कि बेहतरीन टुकड़े तुझसे मांगे गये तो तू यही दो लाया और बदतरीन टुकड़े मांगे गये तो भी तूने यही दो ला दिये। यह क्या बात है? आपने फ़रमाया जब ये अच्छे हैं तो इनसे बेहतर जिस्म का कोई हिस्सा नहीं और जब ये बुरे बन जाएं तो फिर सब से बदतर भी यही दो हैं।

हवाला— तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 43, सूः लुक़्मान के दूसरे रूकूअ की तफ्सीर में।

हदीस— हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

बहुत से परेशान हाल और दरवाजे से धक्के दिये जाने वाले लोग ऐसे हैं कि अगर वे खुदा के भरोसे पर (किसी बात की) क़सम खा लें तो खुदा उनकी क़सम को पूरी कर देगा।

हवाला— सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 186, हदीस 907, बाब 424, अदब का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! इतना ख़ूब याद रखना कि शरीअत के खिलाफ़ अमल करने वाला वली नहीं हो सकता आपने नहीं सुना, जो हदीसों से साबित है कि एक दज्जाल पैदा होगा वह कैसे

कैसे खिलाफे आदत काम करके लोगों को दिखाएगा, लेकिन इन शोबदों की वजह से वह वली नहीं, बल्कि मलऊन और मर्दूद होगा क्योंकि उसके सब काम शरीअत के खिलाफ होंगे और वह खुद भी शरीअत का दुश्मन होगा।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमसे रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दज्जाल का किस्सा बयान फ़रमाया था। उनमें से जो आपने हम से बयान फ़रमाया कुछ यह था कि-

दज्जाल आएगा और उस पर हराम है कि मदीने के रास्तों में दाखिल हो। वह मदीने से बाहर बंजर ज़मीन में ठहरेगा तो उस दिन एक आदमी उसके पास जाएगा और वह तमाम आदमियों से बेहतर होगा वह कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू दज्जाल है जिसके बारे में रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदीस बयान फ़रमायी थी।

तो दज्जाल कहेगा कि बताओ अगर मैं इस आदमी को क़त्ल करके फिर ज़िन्दा करूँ तो क्या तुम लोग फिर भी मेरे मामलों में शक करोगे?

लोग जवाब देंगे कि नहीं।

चुनांचे दज्जाल उस आदमी को क़त्ल कर देगा। उसके बाद उसे ज़िन्दा करेगा।

जिस वक़्त दज्जाल उस आदमी को ज़िन्दा कर चुकेगा, तो वह उस आदमी कहेगा कि मैं अब और भी ज़्यादा तेरे हाल को जान गया।

फिर दज्जाल कहेगा कि मैं इसको क़त्ल किये डालता हूँ मगर फिर वह उस आदमी पर काबू न पाएगा।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 7, पृ० 421, हदीस 1736, मदीने के फ़ज़ाइल का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि उस दज्जाल का एक फ़िल्ना यह भी होगा कि वह आसमान को पानी बरसाने का हुक़म देगा। आसमान से बारिश होगी। वह ज़मीन को पैदावार उगाने का हुक़म देगा। और ज़मीन से पैदावार होगी। उस का एक फ़िल्ना यह भी होगा कि वह एक क़बीले के पास जाएगा। वे उसे न मानेंगे। उसी वक़्त तमाम चीज़ें बर्बाद और हलाक हो जाएंगी और वह दूसरे क़बीले के पास जाएगा जो उसे खुदा मान लेंगे। उसी वक़्त उसके हुक़म से उन पर आसमान से बारिश बरसेगी और ज़मीन पर फल और खेती उग आयेगी। उनके जानवर पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े और दूध वाले हो जाएंगे, सिवाए मक्का और मदीने के तमाम ज़मीन पर यह मर्दूद फ़िरेगा। (अल्लाह पाक आम मुसलमानों को बचाए, उस मर्दूद के फ़िल्ने से। आमीन)

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 15, सूर: निसा के बाईसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए और हवा में उड़ते हुए देखो तो उसे वली न समझो जब तक उसके तमाम आमाल और अफ़आल कुरआन और हदीस के मुताबिक़ न हों।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 100, सूः बकरः के चौथे रकूअ की तफ़सीरे में।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बक्र सिदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रज़ामंदी उनके अहले बैत (की खिदमत और मुहब्बत) में समझो।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 236, हदीस 901, हुज़ूर के क़राबतदारों के मनाकिब।

मगर अफ़सोस! आज अक्सर ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अहले बैत की मुहब्बत का दावा करते हैं मगर शरीअत से कौसों दूर हैं। अपने आप को सैयद कहलवाने और कहने वाले साहिबान ज़रा एक मिनट रुक कर सोचें और समझें कि सैयद के मयाने सरदार के हैं अगर वह मुसलमानों में सरदार हैं यानी कोई दीन का सरदार कोई इल्म व इफ़ान का सरदार कोई ईमान व अमल का सरदार कोई रूहानियत और सच्चाई का सरदार है तो वाक़ई वह सैयद है शरीअत पर उसके क़दम मज़बूत हैं तो सैयद का लफ़ज़ उसके लिए इज़्ज़त, शर्फ़, सर बुलन्दी और एहताराम की ज़मानत देता है लेकिन इस दौर में कुछ सैयद शरीअत के नहीं बल्कि सबसे बुरी जहालत के सरदार बने हुए हैं जेब भरू पीर भी सैयद हैं पेट भरू मौलवी भी सैयद हैं क़ब्रों के सज्जादा नशीन भी सैयद हैं जाहिल लोगों को बहका कर उनकी नियाज़ व नज़्र हज़म कर जाने वाले भी सैयद हैं नमाज़ की चोरी और रोज़ाख़ोरी करके मज़ारों पर चौसर, शतरंज और ताश खेलेन वाले भी सैयद हैं, मस्जिदों को वीरान करके मज़ारों पर क़व्वालियों की तानें सुनने वाले और रंडियों के नाच व मुजरे कराने वाले और देखने वाले भी सैयद हैं।

हां, ऐ मेरे प्यारे दोस्त! बड़े दुख की बात है कि एक ज़माना वह था कि सैयद सादात शरीअत की सरदारी, इल्म की सरदारी, सच्चाई की सरदारी, सखावत की सरदारी, अख़्लाक़ व इख़्लास की सरदारी, परहेज़गारी की सरदारी, अमल की सरदारी के मालिक थे। आज वह ज़माना है कि अक्सर सैयद जहालत की सरदारी के मालिक हैं और शरीअत को मिटाने की सरदारी कर रहे हैं कुफ़र व शिर्क और बिदअतें फैलाने की सरदारी कर रहे हैं ताबूत व ताज़िया पुजवाने में सैयदों की सरदारी है, चिल्लों और तुर्बतों को पुजवाने में सैयदों की सरदारी है। किसी जगह पर बाल पुजवाते हैं किसी जगह पर कुरता पुजवाते हैं किसी जगह पर कटोरा पुजवाते हैं किसी जगह पर नालैन पुजवाते हैं किसी जगह पर क़दम के निशानात पुजवाते हैं।

मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तिरप्पन साल ज़िन्दगी बसर की और मदीना मुबारक में दस साल ज़िन्दगी बसर की, लेकिन वहां न तो क़दम मुबारक पूजा जाता है न तो बाल मुबारक पूजा जाता है न तो कुरता मुबारक पूजा जाता है बल्कि हाजी

साहिबों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक रोज़े की जाली को छूने तक नहीं दिया जाता।

कुछ सैयदी के दावेदारों ने अल्लाह को पूजना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, नेकी पर चलना और नेकी का रास्ता बताना छोड़ दिया, आखिरत की फिक्र करनी छोड़ दी, खुदा का खौफ दिलों में न रहा, परहेज़गारी से उनको मतलब न रहा फिर ये कैसे सैयद हैं जिनकी सीरत भी इस्लाम के खिलाफ़ और जिनकी शकल भी शरीअत के मुताबिक़ नहीं।

सैयदों की असल सरदारी, जो तौहीद मानने और मनवाने की थी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत पर अमल करने और कराने की थी उसको छोड़कर जहालत और गुमराही की सरदारी को अख़्तियार कर लिया है।

अगर किसी सुन्नत की हिकारत की तो काफ़िर हुआ और अगर ताज़ीम के बावजूद बे उज़र छोड़ दे तो बक़ौले सही गुनाहगार है।

हवाला - ऐनुलहिदाया, जिल्द 1, पृ० 541, नवाफ़िल का बयान।

सही मायनों में सैयद और वली वही है जो शरीअत का पाबन्द हो, तमाम फ़र्जों, वाजिबों और सुन्नतों पर अमल करता हो, जिन्दगी अमल और तक्वा के नूर से रोशन हो, वह है मोमिन, वह है अल्लाह का प्यारा।

किसी आदमी ने सुन्नतें छोड़ीं और अगर उन सुन्नतों को हक़ नहीं समझता, तो काफ़िर हो गया, इसलिए कि उसने उनको ख़फीफ़ (यानी हल्का) जानकर छोड़ा और अगर उनको हक़ समझता है, तो सही यह है कि गुनाहगार होता है इस वास्ते कि सुन्नतों के छोड़ने पर वर्इद आयी है।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 153, नवाफ़िल का बयान।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त! हर एक मुसलमान भाई के लिए सोचने का मक़ाम है, जो अपने आप को सुन्नी कहता है वह खुद अपने आपको परख ले कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर कितना अमल करने वाला है?

छोड़ दिया सुन्नत को और उनको हक़ समझता है तब तो छोड़ने से गुनाहगार होगा वरना काफ़िर हो जाएगा, यानी हिकारत की वजह से।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 316, नवाफ़िल का बयान।

जितनी सुन्नतों की पाबन्दी यानी पैरवी व अमल ज़्यादा हो उसी क़दर मर्तबा ज़्यादा है और जिस क़दर क़मी हो उसी क़दर नुक़सान है और बिल इत्तिफ़ाक़ उनके नज़दीक, जो आदमी कि शरीअत के खिलाफ़ और सुन्नत के खिलाफ़ को अपनाने वाला हो, तो डर है कि वह शैतान का आला हो (यानी शरीअत के खिलाफ़ काम करने से धीरे धीरे इन्सान शैतान के रुत्बे तक पहुंच जाता है) और वह वली हरगिज़ न होगा, बशर्ते कि वह होश में हो।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द, 4, पृ० 291, बाबुल कराहत।

ईसाले सवाब और फ़ातिहा

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरी मां मर गयी है और कोई वसीयत न कर सकी और मेरा ख़्याल है कि अगर वह बात करती तो ज़रूर सदका और खैरात करती, अगर मैं उसकी तरफ़ से सदका करूं तो क्या इसका अज़्र और सवाब उसको मिलेगा?

तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हां (मिलेगा)

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 163, हदीस 1010, बाब 289, ज़कात का बयान,

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

'क़ब्र में मुर्दे की हालत ऐसी होती है जैसे कि डूबने वाले आदमी की होती है वह हर वक़्त अपने से मुताल्लिक लोगों यानी बाप, मां, भाई या दोस्त की तरफ़ दुआ का इन्तिज़ार करता रहता है और जिस वक़्त उसको दुआ पहुंचती है तो वह उसके नज़दीक दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अज़ीज़ होती है और अल्लाह तआला क़ब्र वालों को दुनिया वालों की दुआ का इतना बड़ा सवाब पहुंचाता है जैसा पहाड़ और ज़िन्दों की तरफ़ से मुर्दों के लिए बेहतरीन हदया इस्तफ़ार है।'

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 387, हदीस 2229, तौबा का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 292, तौबा का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जब इन्सान मर जाता है, तो उसके अमल बन्द हो जाते हैं लेकिन तीन अमल ऐसे हैं जिनका सवाब मरने के बाद मिलता रहता है-

1. सदका जारिया, (जारी रहने वाला सदका)
2. ऐसा इल्म, जिससे लोग नफ़ा हासिल करते रहें और
3. नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करे।

हवाला - तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 277, हदीस 1275, अहकाम का बयान।

नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात वगैरह का सवाब हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक पहुंचता है। (मुत्तसर)

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 39, अक़ाइद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्तो! खाने पीने की चीजें या कपड़ा या खैर खैरात सबका सवाब, जिस किसी की भी रूह को पहुंचाना चाहो, इन्शाअल्लाहु तआला वह जरूर पहुंचेगा और मरने वाले को उससे नफा होता है, लेकिन कुछ जगह पर खाने-पीने की चीजों पर फ़ातिहा पढ़ने की जो पाबन्दी होती है वह बुरी होती है। फ़ातिहा पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं पर फ़ातिहा पढ़ने की इस क़दर पाबन्दी होती है कि जब तक खाने-पीने की चीजों पर फ़ातिहा न पढ़ी जाए, उस वक़्त तक उसमें से खाना-पीना या खिलाना-पिलाना नाजायज़ समझते हैं और खाने के लिए बच्चे वगैरह इधर-उधर घूमते फिरते और ताकते रहते हैं लेकिन जब तक मुल्ला साहब या मुजाविर साहब उस पर फ़ातिहा न पढ़ दें, उस वक़्त तक उसमें से किसी को एक दाना खाने को या एक क़तरा पीने को नहीं मिल सकता।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) ने ऊपर को दरवाज़ा खोलने की सी आवाज़ सुनी। सर उठा कर देखा और कहा यह आसमान का दरवाज़ा खोला गया है और आज ही खोला गया है इससे पहले कभी नहीं खोला गया फिर उस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता निकला। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फ़रिश्ता आज ही ज़मीन पर उतरा है इससे पहले कभी नहीं उतरा। फिर फ़रिश्ते ने (हाज़िर होकर) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सलाम किया और कहा खुशख़बरी हो, आपको, दो ऐसे नूर अता किये गये हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिये गये (और वह) सूर: फ़ातिहा (यानी, सूर: अल-हम्दु) और सूर: बक़र: की आखिरी आयतें हैं इनमें से जो हर्फ़ भी आप पढ़ेंगे उसका सवाब दिया जाएगा।

- हवाला** - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 131, हदीस 802, बाब 264, सूर: फ़ातिहा और सूर: बक़र: की आखिरी आयत की फ़ज़ीलत,
 2. नसई शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 236, नमाज़ का बयान,
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 355, हदीस 2006, फ़ज़ाइले कुरआन का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 203, फ़ज़ाइले कुरआन का बयान,
 5. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, जिल्द 1, पृ० 14
 6. तफ़्सीरे मज़हरी, जिल्द 1, पृ० 14
 7. तफ़्सीरे मुबाहिबुररह्मान, जिल्द 1, पृ० 5,
 8. तफ़्सीरे हक्कानी, जिल्द 2, पृ० 61।

अब इस सूर: का इंकार किसको है? कौन इंसान ऐसा बंद नसीब होगा जो इस मुबारक सूर: का इंकार कर सकेगा। इस सूर: फ़ातिहा से पहले चार सूरतें नाज़िल हो चुकी थीं-

1. सूर: अलक, 2. सूर: कलम, 3. सूर: मुज़म्मिल, 4. सूर: मुद्स्सिर, सूर: फ़ातिहा

के उतरने का नम्बर पांचवां है।

सूर: अलक तीसवें पारे में है सूर: कलम, सूर: मुज्जम्मिल, सूर: मुद्स्सिर, ये तीनों उन्तीसवें पारे में हैं और सूर: फ़ातिहा कुरआन करीम के अब्वल में है यानी कुरआन करीम इसी सूर: फ़ातिहा से शुरू होता है।

अल्लाह तआला ने आसमान को चांद, सूरज और सितारों से सजाया, जन्नत को हूरों से सजाया, फ़रिश्तों को जिब्रील अलैहिस्सलाम से सजाया, नबियों और रसूलों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सजाया, महीनों को रमज़ानुल मुबारक से सजाया, दिनों को जुमा से सजाया, रातों को लैलतुल क़द्र से सजाया, ज़मीन को मस्जिदों से सजाया और मस्जिदों को बैतुल्लाह से सजाया किताबों को कुरआन करीम से सजाया और कुरआन करीम को सूर: फ़ातिहा से सजाया और सूर: फ़ातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सजाया। ऐसी बरकत वाली सूर: फ़ातिहा को कौन नहीं पढ़ेगा?

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया कि-

ऐसी यानी सूर: फ़ातिहा जैसी सूर: न तौरात में है और न इंजील में है और न ज़बूर में है। (मुख्तार)

हवाला -1. दारमी शरीफ़, पृ० 481, हदीस 3329, बाब 1341, सूर: फ़ातिहा की फ़ज़ीलत,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 357, हदीस 2023, फ़ज़ाइले कुरआन,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 209, फ़ज़ाइले कुरआन,
4. तफ़्सीरे हक़क़ानी, जिल्द 1, पृ० 62, फ़ज़ाइले कुरआन।

हदीस - हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘सूर: फ़ातिहा में हर बीमारी की शिफ़ा है।’

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 360, हदीस 2050, फ़ज़ाइले कुरआन,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 215, फ़ज़ाइले कुरआन,
3. दारमी शरीफ़, पृ० 481, हदीस 3326, बाब 1341, सूर: फ़ातिहा की फ़ज़ीलत।

इस मुबारक सूर: को नमाज़ की हर रकअत में पढ़ना वाजिब है सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों की पिछली रकअतों में सूर: फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है बाकी हर रकअत में और हर नमाज़ में सूर: फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या वाजिब हो या सुन्नते मुअक्कदा हो नफ़ल नमाज़ हो या तरावीह हो, जुमा की नमाज़ हो या ईदैन की नमाज़ हो। इतना याद रहे कि हनफ़ी मस्लक में इमाम के पीछे जब नमाज़ पढ़े तो मुक्तदी सूर: फ़ातिहा न पढ़ें।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: हिज़ के छठे रूकूअ में आयत न० 87 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने आपको सात ऐसी आयतें दी हैं जो बार-बार पढ़ी जाती हैं और तुम्हें कुरआन करीम भी अता किया।

यानी यह वह मुबारक सूरात है जो नमाज़ में बार-बार पढ़ी जाती है। यह शर्फ़ कुरआन करीम में किसी दूसरी सूरात को नहीं मिला। अब जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, उन लोगों का नमाज़ पढ़ने वालों पर एतराज़ है कि ये लोग सूरात फ़ातिहा नहीं पढ़ते और अनपढ़ लोगों के नज़दीक नमाज़ की अहमियत नहीं है इस वजह से नमाज़ में पढ़ी जाने वाली सूरात फ़ातिहा की भी अहमियत नहीं है बल्कि उन लोगों के नज़दीक नियाज़ व नज़्र और शर्बत खिचड़ा या ग्यारहवीं की बिरयानी पर पढ़ी जाने वाली फ़ातिहा की कद्र है। उनके दिल में सूरात फ़ातिहा की कद्र नहीं अगर उनके दिल में सूरात फ़ातिहा की कद्र होती तो ये लोग भी नमाज़ के पाबन्द होते नियाज़ व नज़्र पर फ़ातिहा पढ़वाने की जितनी ये साहिबान पाबन्दी करते हैं। उतनी नमाज़ की पाबन्दी नहीं करते।

किसी मौलवी साहब या पीर साहब के या किसी मुजाविर साहब के घर पर किसी ने आज तक बड़े पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की ग्यारहवीं का खाना या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का खिचड़ा नहीं खाया होगा ये जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी और नफ़्स परस्त मुजाविर लोगों को ग्यारहवीं का खाना और मुहर्रम का खिचड़ा बनवाने और खिलाने की खूब ताकीद करते हैं लेकिन आजतक आप साहिबों ने नहीं देखा होगा कि कोई मौलवी साहब या पीर साहब या मुजाविर साहब ने खिलाने के लिए ग्यारहवीं का खाना या मुहर्रम का खिचड़ा बनाया हो और उस पर फ़ातिहा पढ़ कर लोगों को खिलाया हो। इन लोगों के नज़दीक सिर्फ़ खाना जायज़ है खिलाना जायज़ नहीं। अगर खिलाना भी जायज़ होता तो ये लोग भी मरबूके खुदा को खिलाते, लेकिन कोई नहीं खिलाता, शायद ही हज़ारों में से किसी एक ने खिलाने का काम भी किया हो। ये लोग मज़ारों पर सज्दा करने को जायज़ कहते हैं लेकिन बजाते खुद किसी मज़ार पर कभी सज्दा नहीं करेंगे। ये लोग ताज़िया बनाने को जायज़ कहते हैं लेकिन बजाते खुद ताज़िया नहीं बनाएंगे और ताज़िया बनाने में चन्दा भी नहीं देंगे।

इन लोगों की अजीब हालत है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये लोग मज़ारों पर सज्दा नहीं करेंगे, मज़ारों को चूमेंगे नहीं, मज़ारों पर चादर नहीं चढ़ाएंगे, मज़ारों का तवाफ़ नहीं करेंगे, मज़ारों के गुस्ल का पानी नहीं पिएंगे।

कुरआन करीम के अठ्ठाईसवें पारे में सूर: सफ़ के पहले रूकूअ में आयत न० 2, 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तुम जो न करो, उसका कहना खुदा को सख्त ना पसन्द है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मुनाफ़िकीन की तीन आदतें होती हैं-

1. जब वायदा करे तो ख़िलाफ़ करे,
2. जब बात करे, झूठ बोले,
3. जब अमनात दी जाए, ख़ियानत करे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 54, सूर: सफ़्फ़ के पहले रूकूअ की तफ़्सीर में-

अल्लाह तआला का सवाल ईमान वालों से है बे ईमानों से नहीं है। फ़रमान हो रहा है कि ऐसी बात क्यों कहते हो, जो खुद नहीं करते। अगर वाकई वह चीज़ जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे नज़दीक जायज़ है तो फिर आप साहिबान क्यों नहीं करते। अल्लाह तआला इस बात से बहुत नाराज़ है कि तुम कहो और खुद न करो।

मगर कैसे करते ये साहिबान। अच्छी तरह जानते हैं यह नज़्र व नियाज़ और ग्यारहवीं गैर-अल्लाह के नाम की हरगिज़ जायज़ नहीं, ताज़िया बनाना बिल्कुल हराम है, मज़ारों पर सज्दे करना क़तई तौर पर हराम है। यह तो उन भोले भाले अनपढ़ मुसलमानों को धोखा देकर अपना पेट पालना चाहते हैं जाहिलों को लुभाने के लिए जायज़ कह देते हैं और खुद नहीं करते।

आप साहिबान को इस बात का तजुर्बा होगा कि बहुत से अल्लाह के बन्दे दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि हज़ारों रुपये अल्लाह के नाम पर दे देते हैं। हज़ारों रुपए की जागीर, बाग़, मकान वगैरह अल्लाह की राह में दे देते हैं और उस पर सूर: फ़ातिहा नहीं पढ़ी जाती, फिर भी उसका सवाब मिलता है तो फिर ये देग़ या जिस में खाना पकाया गया है क्या बगैर फ़ातिहा के इसका सवाब नहीं मिलेगा? ये सब पेट भरू मौलवियों और जेब भरू पीरों और नफ़्सपरस्त मुजाविरों के पेट भरने की तर्कीबें हैं ख़ैरात का सवाब अलग है और फ़ातिहा का सवाब अलग है।

अब हम आपको मिसाल देकर समझाते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर पांच या दस रुपए के नोट हैं और उसका सवाब हम किसी नबी या वली या और किसी मुसलमान की रूह को बख़्शाना चाहते हैं तो इस रुपए को पहले अल्लाह के नाम पर ख़ैरात करना होगा। अगर आपने इन रुपयों को ख़ैरात नहीं किया बल्कि अपने सामने इन रुपयों को रख कर इन पर फ़ातिहा पढ़ कर बख़्श दिया तो फ़ातिहा का सवाब मिलेगा, मगर रुपयों का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वह रुपया तो अभी आप की मिल्कियत में है। इसका सवाब कहां से मिलेगा? जब आपने वह रुपया किसी ग़रीब या मिल्कीन या मुसाफ़िर पर या और किसी नेक रास्ते में अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया तो अब आपको इसका सवाब मिलेगा, अब अगर आप फ़ातिहा पढ़ कर अल्लाह से इल्तिजा करें कि ऐ अल्लाह तआला! इन रुपयों का सवाब जो तेरे रास्ते में खर्च कर चुका हूं और इस फ़ातिहे का सवाब फ़लां रूहे मुबारक को बख़्शाता हूं तब दोनों का सवाब मिलेगा।

इसी तरह जो खाना पकाया गया है पहले वह अल्लाह के नाम पर जिनका हक़ है उनको

खिला दिया जाए खिलाने के बाद फ़ातिहा वगैरह पढ़ कर अल्लाह तआला से दुआ करे कि इस खाने का सवाब और इस फ़ातिहा का सवाब मैं फ़लां की रूह को बरखाता हूँ और जो खाना ईसाले सवाब के लिए पकाया गया है और वह किसी को खिलाया नहीं गया तो बगैर खिलाये उन पर पचासों फ़ातिहे पढ़ दें तब भी उस खाने का सवाब नहीं मिलेगा।

अगर खिलाने से पहले ही फ़ातिहा पढ़ देने से उस देगंची के अन्दर जो खाना है उसका सवाब पहुंच जाता है जब तो फिर खाना पकाने की ज़रूरत ही क्या है। बाज़ार में चलते चलते किसी हलवाई की दुकान के सामने खड़े होकर फ़ातिहा पढ़कर उस हलवाई की पूरी दुकान ही बरखा दो।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब कभी खाने पीने की चीज़ों पर पढ़ा है और दुआ की है तो वह बरकत के वास्ते की है यानी दस आदमियों का खाना था और पांच सौ आदमियों ने खा लिया या पचास आदमियों का खाना था और हजार आदमियों ने खा लिया। यह आपके मोजिज़ों में से है ईसाले सवाब के लिए नहीं पढ़ा।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह हुआ ही था कि मेरी मां उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर, घी और पनीर का मलीदा सा बनाया और प्याले में भर कर मुझको दिया और कहा अनस (रज़ियलाहु अन्हु) इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले जा और अर्ज कर कि मेरी मां ने यह हकीर हदिया आपकी खिदमत में भेजा है और आप को सलाम अर्ज किया है और कहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह एक थोड़ा हदिया हमारी तरफ़ से है कुबूल फ़रमाइए! चुनांचे मैं गया और जो कुछ मेरी मां ने कहा था अर्ज कर दिया।

आपने फ़रमाया इसको रख दे और फ़लां फ़लां आदमियों को जिनके नाम आपने बताये बुला ला और रास्ते में जो आदमी मिले उसको भी बुला ला।

चुनांचे मैं उन आदमियों को, जिनके नाम आप ने बताये थे और जो लोग मुझको रास्ते में मिले थे उनको बुला लाया जिनसे सारा घर भर गया।

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तुम सब कितने लोग होंगे?

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तीन सौ के करीब।

फिर मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस मलीदा या हलवे पर हाथ रखा और दुआ की जो खुदा ने चाही।

फिर दस-दस आदमियों को उसमें से खिलाना शुरू किया और खाने वालों से फ़रमाया खुदा का नाम लेकर खाओ और अपने सामने से खाओ।

चुनांचे जब ये आदमी खा चुके और खूब पेट भर गया वे उठ गये और दूसरी जमाअत

आ गयी यहां तक कि इसी तरह तमाम लोगों ने खा लिया।

इसके बाद आप ने मुझसे फ़रमाया अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) प्याले को उठा लो।

मैंने प्याले को उठा लिया मैं नहीं कह सकता कि जिस वक़्त मैंने प्याले को रखा था उस वक़्त उसमें मलीदा ज़्यादा था या उस वक़्त जबकि उसको उठाया।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 876, हदीस 5630, मोजिज़ों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 30, मोजिज़ों का बयान।

रुपया पैसा या कपड़ा, खाना या और कोई चीज़, हम किसी ग़रीब या मुहताज, फ़कीर या मिस्कीन, यतीम या और किसी हाजतमन्द को या मस्जिद मदरसा या यतीमखाना वगैरह में देते हैं वह चीज़ उस रूह को नहीं पहुंचती, बल्कि उसका सवाब पहुंचता है।

कुछ लोग अपनी जहालत से यह समझते हैं कि ख़ास वही चीज़ उस रूह को मिलती है जो ख़ैरात की जाती है इसलिए यह देखा गया है कि मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यास बुझाने की गरज़ से पानी की सबीलें जगह-जगह पर लगायी जाती हैं इस ख़्याल से कि इमाम को पानी मिले। खिलाने के लिए कहीं सबीलें नहीं लगतीं। अगर कोई दूध पीता बच्चा इन्तिकाल कर जाता है तो उसके ईसाले सवाब में दूध ख़ैरात किया जाता है इस एतकाद से कि उसके दांत नहीं थे इसलिए वह दूध के अलावा दूसरी चीज़ नहीं चबा सकेगा।

ये सारी एतकादी ख़राबियां हैं ईसाले सवाब के लिए किसी चीज़ या किसी तारीख़ के तअय्युन की कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ ख़ैरात की जाएगी, उसका सवाब मिलेगा, वह चीज़ वैसे ही नहीं मिलेगी।

एक बात यह भी काबिले ग़ौर है कि जो खाना ईसाले सवाब के लिए बनाया गया है वह ग़रीबों, मिस्कीनों, फ़कीरों या यतीमों का हक़ है, मालदारों का नहीं, लेकिन आम तौर से देखा गया है कि मालदार लोग ही ज़्यादातर खाते हैं और जो लोग खाना खाने के हक़दार हैं उनको तो दरवाज़े ही पर खड़ा रखते हैं। दरवाज़े पर एक दरबान डंडा हाथ में लिए खड़ा रहता है वह बगैर इजाज़त के किसी ग़रीब को अन्दर आने नहीं देता। जब बड़े-बड़े अमीर और मालदार लोग खा लेंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो बेचारे इन ग़रीबों को दिया जाएगा। जब तक ये अमीर लोग खा पीकर फ़ारिग़ न हो लें तब तक हक़दारों को दरवाज़े ही पर खड़ा रहना पड़ता है अन्दर तक आने नहीं देते। यह सब जहालत नहीं तो फिर और क्या शरीअत है?

कुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के आठवें रकूअ में आयत न० 60 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - सदक़ात तो असल में फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं।

कुरआन व हदीस को तो आपने सुन लिया। अब एक मिसाल से समझिए कि ग़रीब कौन है?

हमने पचास या सौ आदमियों का खाना ईसाले सवाब की नीयत से पकाया है और आदमी

खाने के लिए भी आ गये हैं। जब वे लोग खाना खा चुकें तो हर आदमी के हाथ में एक-एक रुपया अल्लाह के नाम पर दिया जाए। अगर ये लोग रुपया ले लेते हैं तब तो खाना खाने के हकदार हैं और अगर रुपया न लें तब तो खाना खाने के हकदार नहीं क्योंकि वह खाना गरीबों के लिए है अमीरों के लिए नहीं है।

जो लोग नियाज़ व नज़्र या ग्यारहवीं के लिए शरबत या खिचड़ा, हलवा मलीदा वगैरह बनाते हैं वे अल्लाह के लिए नहीं बनाते और न अल्लाह के नाम पर करते हैं बल्कि ज्यादातर इन्सान औलिया अल्लाह ही के नाम पर करते हैं और नीयत यह होती है कि इस बाबा या बुजुर्ग या वली के नाम का हर साल इतना नज़्र व नियाज़ करेंगे तो हमारी कमाई में और हमारे घर में बरकत होगी और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अब खुदा को छोड़ कर किसी के नाम पर नज़्र व नियाज़ करना शिर्क और हराम बताया गया है जिसे हम मन्नत के बयान में तफ़्सील से बयान कर चुके हैं।

आप यह तो ख्याल करें कि अगर हमने दस रुपए किसी वली के नाम पर दे दिए, तो अब इसका सवाब कौन देगा? वली तो सवाब दे नहीं सकता। सवाब देना तो सिर्फ अल्लाह ही के अख्तियार में है इसलिए यह देना ही ग़लत है फिर सवाब क्या मिलेगा? अलबत्ता अगर हमने वे दस रुपए अल्लाह के नाम पर दे दिये तो अब हमको इसका सवाब मिला। अब हम जिसको चाहें बरख़्श दें। यही सही है और वह ग़लत था।

सिवाए अल्लाह तआला के मर्र्लूके खुदा में से न कोई रोज़ी में बरकत दे सकता है और न कोई इज़्जत बढ़ा सकता है। हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं-

वह जिस पर चाहे फ़ज़ल फ़रमाए और जिसको चाहे रोज़ी दे अनगिनत सारी भलाई उसी के हाथ में है दीन उसके हाथ में है दुनिया उसके हाथ में है तवंगरी उसके हाथ में है फ़कीरी उसके हाथ में है और इज़्जत व ज़िल्लत उसके हाथ में है उसके साथ किसी के हाथ अख्तियार कुछ भी नहीं पस अक़लमंद वह है जो उसके दरवाज़े को चिमट जाए और दूसरे के दरवाज़े से मुंह फेर ले।

हवाला - फ़ुयूजे यज़दानी, पृ० 42, मज़्लिस 3।

मक्का के मुशिरक इस बात का इक़रार करते थे कि ये सारी नेमतें अल्लाह तआला ही की दी हुई हैं और इन नेमतों पर अल्लाह तआला का एहसान मानने से इंकार भी नहीं था लेकिन जो ग़लती करते थे वह यह थी कि उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ-साथ बहुत सी दूसरी हस्तियों का भी शुक्रिया अदा करते थे जैसे आजकल मुसलमान औलियाअल्लाह का करते हैं।

क़ुरआन करीम के आठवें पारे में सूः अन्आम के सोलहवें रूकूअ में आयत न० 136 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और अल्लाह तआला ने जो खेती और मवेशी पैदा किये हैं उन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा तो अल्लाह का मुकर्रर किया और अपने आप कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है और यह हमारे माबूदों का है फिर जो चीज़ उनके माबूदों की होती है वह तो अल्लाह की तरफ़ नहीं पहुंचती और जो चीज़ अल्लाह की होती है वह उनके माबूदों की तरफ़ पहुंच जाती है। उन्होंने क्या बुरी तज्बीज़ निकाल रखी है?

इस बात की तो सारी दुनिया कायल है कि ज़मीन अल्लाह की है और खेतियां वही उगाता है साथ ही उन जानवरों का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है जिनसे हम अपनी खिदमत लेते हैं लेकिन अक्सर लोगों का यह ख्याल पहले भी था और आज भी है कि हम पर अल्लाह की यह मेहरबानी, पीर, पैग़म्बर, फ़रिश्तों, जिन्नातों और आसमानी सितारों या बुजुगनि सलफ़े सालिहीन की रूहों के तुफ़ैल और बरकत से है जो हम पर नज़रे करम रखते हैं इसलिए ग़ल्ला या फलों में से जो कुछ होता था उन में से दो हिस्से निकालते थे-

1. एक हिस्सा तो अल्लाह का और
2. एक हिस्सा अपने बनाये हुए माबूदों का।

अब अगर इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के हिस्से में से कुछ उनके बनाये हुए माबूदों में मिल जाता तो उसको उसी में रहने देते और अगर इन बनावटी माबूदों का हिस्सा इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के हिस्से में मिल जाता तो उसे निकाल लेते और अपने माबूदों के हिस्से में डाल देते थे और बहाना यह करते थे कि अल्लाह तो मनी है उसका हिस्सा कम हो जाए तो कोई हरज नहीं और यह हमारे बनाये हुए माबूद मुहताज हैं इनका हिस्सा कम नहीं होना चाहिए।

आज हमारे बहुत से मुसलमान भाई और बहनें इस बीमारी में मुब्तला हैं कि जितनी एहतियात नियाज़ व नज़्र और ग्यारहवीं या शर्बत और खिचड़ा या मन्नत की करते हैं उतनी एहतियात नमाज़, रोज़े और ज़कात की नहीं करते और उनका भी यही अक़ीदा है कि सारी खुदाई और क़ुदरत तो अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है लेकिन ये जो बुजुर्ग हैं जिनकी हम नज़्र व नियाज़ या मन्नतें मानते हैं उनकी वजह से भी बहुत सी बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं और हमारी रोज़ी रोज़गार में भी बरकत होती है।

ऐसा अक़ीदा रखने वालों के लिए हज़रत सय्यिदिना अब्दुल कादिर जीलानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

जब तू अपनी मां के पेट में बच्चा था तो उस वक़्त तुझ को खाना किसने दिया था? आज तू एतमाद कर रहा है अपने नफ़्स पर, अपने दीनारों पर, अपने दिरहमों पर, अपने ख़रीदने बेचने पर और अपने शहर के हाकिम पर, हर चीज़ कि जिस पर तू भरोसा करे, वह तेरा माबूद है और हर वह आदमी जिससे तू डरे या उम्मीद करे, वह तेरा माबूद है और वह हर आदमी जिस पर नफ़ा और नुक़सान के मुताल्लिक़ तेरी नज़र पड़े और तू यों न समझे कि अल्लाह तआला

ही उसके हाथों उसका जारी करने वाला है तो वह तेरा माबूद है। बहुत जल्द तुझे अपना अंजाम नज़र आएगा कि अल्लाह तआला तेरी समाअत तेरी बसारत, तेरी पकड़ने की ताकत, तेरा माल और हर वह चीज़, जिस पर तूने उसको छोड़ कर एतमाद किया था वे लोग और तेरे और मख्लूक के दर्मियान ताल्लकु तोड़ देगा।

हवाला - फुयूजे यज़दानी, पृ० 120, मज्लिस 20।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूः नह्ल के दसवें रकूअ में आयत न० 73 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और खुदा को छोड़ कर ऐसों की इबादत करते हैं जो न तो उनको आसमान से रोज़ी दे सकते हैं और न तो ज़मीन से रोज़ी देने का अख़्तियार रखते हैं और न (किसी किस्म की) कुदरत रखते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है तुम लोग जिन जिन की नियाज़ व नज़्र और मन्नतें कर रहे हो वे चाहे पैग़म्बर हों या फ़रिश्ते, पीर हों या जिन्न या शैतान या मख़्लूक़े खुदा में से कोई भी हो वे न तो आसमान से बारिश बरसा सकते हैं और न ज़मीन से जानदार के लिए खाने का कोई सामान पैदा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और तुम जिन-जिन को पुकार रहे हो दुहाइयां दे रहे हो, वे भी उसी के मुहताज हैं।

कोई तौहीदपरस्त किसी बातिलपरस्त को समझाता है कि भाई! आप अल्लाह ही से मांगें, अल्लाह तबारक तआला सारे जहान की सुनता है, वह आपकी भी सुनेगा, तो जवाब देते हैं कि भाई! हमारी पहुंच अल्लाह तक नहीं हो सकती, जैसे कि एक बादशाह के पास या किसी बड़े अफ़सर के पास बग़ैर किसी की सिफ़ारिश के हम नहीं जा सकते। दूसरे या तीसरे मंज़िले पर जाना हो तो ज़ीनों से जाना पड़ता है कुंए से पानी निकालने के लिए रस्सी और बालटी की ज़रूरत पड़ती है दारोगा से मिलने के लिए चपरासी से मिलना पड़ता है। यह है इन जाहिलों का जवाब। अब इन जाहिलों के जवाब में अल्लाह तआला का जवाब सुनिए-

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूः नह्ल के दसवें रकूअ में आयत न० 74 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला के लिए मिसालें न बनाओ। अल्लाह ख़ूब जानता है और तुम कुछ नहीं जानते।

दोस्तो! अल्लाह तआला को किसी चपरासी की ज़रूरत नहीं। वह हर वक़्त सुनता है और देखता है और हमारी एक-एक सांस को जानता है और आइंदा हम क्या करने वाले हैं वह भी जानता है।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूः काफ़ के दूसरे रकूअ में आयत न० 16 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में जो ख्याल आते हैं हम उनको भी जानते हैं और हम इंसान के इस कदर करीब हैं कि उसकी जान की रग से भी करीब हैं।

इतने करीब वाले को छोड़ कर दूर वालों को कहां ढूँढ़ते फिरोगे। दूर वालों को खोजने में ही वक्त चला जाएगा और जिससे हम को मक्सद हल करवाना है या अपनी दुआएं कुबूल करवानी हैं या अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं वह तो हमारी रों जां से भी करीब हैं। फिर इतने करीब वाले को छोड़ कर दूर दराज वालों को खोजते फिरना जहालत नहीं तो क्या शरीअत है?

नमाज़ के बाद का फ़ातिहा

मेरे प्यारे दोस्त! नमाज़ के बाद का जो फ़ातिहा पढ़ा जाता है उसके भी अक्सर जगह पर झगड़े चल रहे हैं इसका भी खुलासा सुन लें।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कोई आदमी नमाज़ के बाद दाएं जानिब फिर कर बैठना ज़रूरी जान कर अपने अक़ीदे में शैतान का हिस्सा मुकर्रर न करे इसलिए कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बाएं जानिब मुड़ कर बैठते अक्सर देखा है।

- हवाला** - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 115, हदीस 680, बाब 237, नमाज़ का बयान,
 2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 196, हदीस 796, नमाज़ का बयान,
 3. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 198, हदीस 880, तशह्हुद में दुआ का बयान,
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 305, तशह्हुद में दुआ का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! आज हिन्दुस्तान में जहालत की अक्सर जगह यह हालत है कि बायीं तरफ़ मुंह करके नमाज़ के बाद कोई इमाम दुआ पढ़े तो उस पर फ़ौरन वस्हाबी का टाइटिल लगा देंगे और कहने लगेंगे कि देखो यह बड़े पीर साहब को नहीं मानता, इसलिए उत्तर की तरफ़ मुंह नहीं करता या नमाज़ ख़त्म होने के बाद अगर नवाफ़िल व सुन्नत उसी जगह पर न पढ़े और चला जाए तो भी किस्म किस्म के टाइटिल लगा देते हैं।

हदीस - हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिस घर में खुदा का ज़िक्र होता है और जिस घर में खुदा का ज़िक्र नहीं होता उनकी मिसाल ज़िन्दा और मुर्दा की सी है।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 127, हदीस 774, बाब 253, नमाज़ का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तुम में से जब कोई आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ चुके (यानी फ़र्ज़ नमाज़) तो उसको चाहिए कि वह अपने घर के लिए भी नमाज़ का कुछ हिस्सा रखे इसलिए कि खुदावंद तआला नमाज़ की वजह से घरों में भलाई पैदा करता है।

- हवाला** - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 127, हदीस 773, बाब 253, नमाज़ का बयान,
 2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 242, हदीस 1218, रमज़ान की इबादत का बयान,
 3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 418, रमज़ान की इबादत का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरा मकान में नमाज़ पढ़ना बेहतर है या मस्जिद में?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तुम नहीं देखते कि मेरा मकान मस्जिद के किस क़दर क़रीब है लेकिन इस पर भी मुझ को यह ज़्यादा अच्छा मालूम होता है कि मैं अपने मकान ही में पढ़ूं, अलबत्ता फ़र्ज़ के वास्ते मस्जिद मुक़र्रर की गयी है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 215, हदीस 1395, नमाज़ का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘मकानों को क़ब्रें न बनाओ।’

यानी उनमें नमाज़ अदा किया करो, बग़ैर नमाज़ के न छोड़ो।

- हवाला** - 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 215, हदीस 1394, नमाज़ का बयान,
 2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 396, हदीस 1030, बाब 356।
 3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 170, हदीस 659, नमाज़ के मक़ामात का बयान।
 4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 231, नमाज़ के मक़ामात का बयान।

हदीस - हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा आदमी की बेहतर मनाज़ उसके घर ही में है।’ (मुख़्तसर)

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 244, हदीस 1040, किताबुल आदाब।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के बाद कया इतने से काम में तुम को तकलीफ़ होती है कि इन

फर्जों के मक़ाम से आगे या पीछे हो जाओ या दाहिनी जानिब या बायीं जानिब हो जाओ ।

हवाला - 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 224, हदीस 1446, नमाज़ का बयान,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 258, हदीस 612 बाबा 221 ।

जिन फर्जों के बाद सुन्नतें हैं तो इमाम अपने फर्जों की जगह से दाएं या पीछे हट कर या अपने घर में जाकर सुन्नतें पढ़ें ।

हवाला - ऐनुन हिदाया, जिल्द 1, पृ० 407, नमाज़ का बयान,

जब इमाम जुहर व मग़िब व इशा का सलाम फेर चुके, तो फिर वहां बैठे इतिज़ार करना मकरूह है फौरन सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाए और जहां फर्ज पढ़ी हों, सुन्नतें न पढ़ें । दाहिने या बाएं या पीछे को हट जाए और अगर चाहे, अपने घर जाकर सुन्नतें पढ़ें ।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 104, नमाज़ का बयान ।

सब सुन्नतें और नफ़लें अदा करने के लिए अफ़ज़ल घर है । यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है और मस्जिदे नबवी में पढ़ने से भी अफ़ज़ल फ़रमाया है हालांकि आप की मस्जिद में एक नमाज़ का पचास हज़ार गुना सवाब है ।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 570, कियामे रमज़ान का बयान ।

हदीस - हज़रत मुगीरह बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

इमाम फर्जों से फ़ारिग़ होने के बाद उस जगह से अलग हो जाए जहां उसने फर्ज अदा किये हैं उस जगह पर और नमाज़ न पढ़ें ।

हवाला - 1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 384, हदीस 993, बाब 345,

2. इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 224, हदीस 1447, नमाज़ के बयान में ।

इन हदीसों पर आज किसी का भी अमल नहीं है न अहले हदीस का, न अहले तक़लीद का । एक दूसरे पर एतराज़ करने में या एक दूसरे के ऐब निकालने में और नुक्ताचीनी करने में येश पेश हैं लेकिन इन हदीसों पर अमल किसी का भी नहीं है शायद सैकड़ों में नहीं, बल्कि हज़ारों में एक मिलेगा जिन का अमल इन हदीसों पर होगा हालांकि इस मज़्मून की हदीसों कसरत से मौजूद हैं ।

मेरे प्यारे दोस्तो! आयी बात आप की समझ में कि जिस नमाज़ के बाद सुन्नतें और नवाफ़िल हैं जैसे जुहर, मग़िब और इशा की नमाज़ें, उनमें तो फ़ातिहा सानी पढ़ने का झगड़ा ही मिट गया क्योंकि इमाम को जब वहां से फर्ज नमाज़ पढ़ लेने के बाद हट जाने का हुक्म है तो फिर फ़ातिहा का झगड़ा ही कहां रहा । और मुक्तादियों के लिए यह बेहतर है कि फर्ज नमाज़ पढ़ लेने के बाद सुन्नतें और नफ़ल घर में अदा करें, इस लिए दूसरा फ़ातिहा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया । फ़ातिहा सानी की तो कोई गुंजाइश ही बाकी न रही । अब बात रही फ़ज़्र और अत्र

की, क्योंकि इन नमाज़ों में बाद फ़र्जों के सुन्नत और नवाफ़िल नहीं है तो सुन लो इस का भी फैसला।

अगर दुआ-ए-मासूरा ऊंची आवाज़ से इस वास्ते कहे कि साथ वाले सीख जाएं तो हरज नहीं है और जब सीख गये तो उन लोगों का ऊंची आवाज़ से पढ़ना बिदअत होगा और अगर सिखाने की गरज़ नहीं है तो (ऊंची आवाज़ से) पढ़ना मक्रूह है।

- हवाला**—1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 341, कराहत का बाब,
2. फ़तावा आलमग़िरी, जिल्द 4, पृ० 267, कराहत का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त! हमारी जहालत तो देखिए कि कुछ जगहों पर तो जब तक इमाम साहब तीन चार बार फ़ातिहा न पढ़ लें उस वक़्त तक लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और इमाम साहब बेचारे इस डर से कि इन लोगों के कहने के मुताबिक़ फ़ातिहा न पढ़ूंगा तो ये लोग मुझे गांव से निकाल देंगे या नौकरी पर से हटा देंगे इस नीयत से वह बेचारे इमाम साहब तीन चार या जितनी भी बार कहो फ़ातिहा पढ़ाते चले जाते हैं और फिर उसको जाहिल लोग मज़हब समझ लेते हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि सही बात यह है कि जब इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो अब इमाम इमाम न रहा और मुक़्तदी मुक़्तदी न रहे क्योंकि सलाम फेर देने के बाद दोनों आज़ाद है। जिसका जी चाहे चला जाए और घर में बाकी नमाज़ अदा करे जिसका जी चाहे बैठा रहे जिसका जी चाहे अल्लाह का जिक़र करे या दरूद शरीफ़ पढ़े।

नमाज़ के बाद का मुसाफ़ा

हदीस — हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया कि अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में मुसाफ़ा (करने का दस्तूर) था ?

उन्होंने फ़रमाया हां। (वे मुसाफ़ा किया करते थे)।

- हवाला**—1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 276, हदीस 1188, बाबुल अदब,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 116, हदीस 587, बाबुल अदब।

हदीस — हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तशहूद सिखाया और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफ़ा किया।

हवाला — सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 276, हदीस 1187, बाबुल अदब वल अख़लाक़।

इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने का बाब भी बांधा है लफ़्ज ये है—

बाब - दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने के बयान में है और हम्माद बिन ज़ैद ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 277, इजाज़त लेने के बयान में।
इस हदीस और इस इबारत पर हनफी उलेमा का फ़त्वा है कि दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया जाए और यही सही है।

मुसाफ़ा सुन्नत है मुलाक़ात के वक़्त चाहिए कि दोनों हाथों से हो।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 59, बाबुल मुसाफ़ा।

हदीस - हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

जब दो मुसलमान आपस में मुलाक़ात करके मुसाफ़ा करते हैं तो अल्लाह तआला उनको अलग होने से पहले बरख़ा देता है।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 117, हदीस 590, बाबुल अदब,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 662, हदीस 1770, बाब 569,

3. इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 554, हदीस 3702, अर्रूक़ व आदाब के बयान में,

4. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 686, हदीस 4447, बाबुल मुसाफ़ा।

मेरे प्यारे दोस्तो! ज़रा समझदारी और ईमानदारी से काम लेना अगर गुस्सा करोगे तो समझने से कोरे रह जाओगे। मुलाक़ात के वक़्त हाथ मिलाना या मुसाफ़ा करना तो सुन्नत है पर यहां जो बात हो रही है, वह नमाज़ के बाद की बात है यानी कुछ जगह पर नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करने का रिवाज हो गया है और वह इस तरह कि नमाज़ जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सब मुक़्तदी खड़े होकर इमाम साहब से मुसाफ़ा करते हैं। एक मुक़्तदी ने इमाम साहब से मुसाफ़ा किया और इमाम के पड़ौस में खड़ा हो गया फिर दूसरा मुक़्तदी इमाम से मुसाफ़ा करेगा उसके बाद पड़ौस में जो पहला मुक़्तदी खड़ा है उससे मुसाफ़ा करेगा। बाद में वह भी उससे पहले के मुक़्तदी के पड़ौस में खड़ा हो जाएगा। इसी तरह जितने नमाज़ी हैं वे सबके सब एक के बाद दूसरे से मुसाफ़ा कर के लाइन से खड़े रहने के आदि हैं इस में अगर किसी नमाज़ी ने मुसाफ़ा न किया और बग़ैर मुसाफ़ा के चला गया तो उस पर वहहाबी का टाइटिल लगा देते हैं अब इसका खुलासा सुनिए फिर इस जहालत का अन्दाजा खुद ही लगा लीजिए-

‘मुबाह है मुसाफ़ा (यानी हाथ मिलाना) सुब्ह (की नमाज़) के बाद शाफ़ई मसलक के मुताबिक और हनफी मसलक में मक्रूह है।’

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 69, किताबुल ईमान।

‘मुसाफ़ा सलाम का ततिम्मा है इसलिए फ़ज़्र या अन्न की नमाज़ के बाद जो मुसाफ़ा शाफ़ई

मसलक में खास तौर से हरमे मोहतरम में रायज है। शेख मुल्ला अली क़ारी रस्मतुल्लाहि अलैहि ने एक खास रिसाला में ममनूअ लिखा है और यही ठीक है।'

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 294, बाबुल कराहत।

यह है इख़्तिलाफ़ यानी इमाम शाफ़ई रस्मतुल्लाहि अलैहि के मसलक में फ़ज़ और अस्त्र की नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करना यानी हाथ मिलाना मुबाह है और पांचों नमाज़ों के बाद हाथ मिलाने की तो वे भी इजाज़त नहीं देते, सिर्फ़ दो वक़्त फ़ज़ और अस्त्र के बाद इजाज़त है और सिर्फ़ मुबाह बताया है फ़र्ज वाजिब या सुन्नत नहीं बताया और हमारे हनफ़ी मसलक में हर नमाज़ के बाद हाथ मिलाना मक्रूह है चाहे ईद की नमाज़ हो चाहे पंजगाना नमाज़ के बाद हो चाहे जुमा की नमाज़ के बाद हो।

'मुसाफ़ा सुन्नत है मुलाक़ात के वक़्त सलाम के बाद। और नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करने की कोई असल शरीअत में नहीं है बल्कि कुछ लोगों ने तो इसे बिदअत और मक्रूह लिखा है।'

हवाला - अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 662, हदीस 1770, की शरह में।

'मुसाफ़ा अस्त्र की या जुमा की नमाज़ के बाद कुछ नहीं है और वक़्त खास करने की वजह से बिदअत है और हमारे कुछ उलेमा ने तशरीह की है कि ज़िक्र किया गया मुसाफ़ा मक्रूह है।'

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 59, बाबुल मुसाफ़ा।

'मुहीत के हवाले से लिखा है कि मुसाफ़ा करना बाद नमाज़ ईद के हर हाल में मक्रूह है क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको नहीं किया और यह तरीका राफ़ज़ियों का है।'

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 385, बाबुल ईद।

गायतुल अवतार के इसी सफ़े के हाशिए पर लिखा है कि-

'मुसाफ़ा हर नमाज़ के बाद मक्रूह है क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित नहीं है और यह राफ़ज़ियों की सुन्नत है।

ऊपर की तमाम इबारतों से मालूम हुआ कि हमारे हनफ़ी मसलक के ज्यादातर उलेमा-ए-दीन का यही फ़त्वा है कि नमाज़ के बाद हाथ न मिलाना यानी मुसाफ़ा न करना ही बेहतर और अफ़ज़ल है।

सखी और बखील

कुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूर: तगाबुन के दूसरे रकूअ में आयत न० 16 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जहां तक हो सके खुदा से डरो उसके अहकाम को सुनो और उसके फ़रमांबरदार रहो उसकी राह में खर्च करो। यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है और जो आदमी बुख़ल से बच गया ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।

कुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में सूर: हदीद के दूसरे रकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - बेशक सद्का देने वाले मर्द और सद्का देने वाली औरतें और जो (सद्का देने वाले) अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं वह सद्का उनके लिए बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए अज़्र पसंदीदा है।

फ़कीर, मिस्कीन, मुहताजों और हाजतमंदों को खालिस खुदा की मर्जी की तलाश में जो लोग अपने हलाल माल को नेक नीयती से अल्लाह की राह में सद्का देते हैं उनके बदले बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह तआला उन्हें अता फ़रमायेगा, दस-दस गुने और इससे भी ज्यादा सात सौ गुने तक, बल्कि इससे भी ज्यादा उनके सवाब बे हिसाब हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 109, सूर: हदीद के दूसरे रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूर: बकर: के छत्तीसवें रकूअ में आयत न० 264 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ इमान वालो! तुम एहसान जता कर या तकलीफ़ पहुंचा कर अपनी खैरात को बर्बाद मत करो, जिस तरह वह आदमी जो अपना माल खर्च करता है सिर्फ़ लोगों को दिखलाने की गरज़ से और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और आखिरत पर।

इस आयत में इशादि होता है कि अपने सद्कात व खैरात को एहसान रखकर और तकलीफ़ पहुंचा कर बर्बाद न करो। इस एहसान के जताने और तकलीफ़ के पहुंचाने का गुनाह सद्का और खैरात का सवाब बाकी नहीं रहने देता फिर मिसाल दी कि एहसान और तकलीफ़दही से सद्के के गारत हो जाने की मिसाल उस सद्के जैसी है जो रियाकारी के तौर पर लोगों के दिखावे के लिए दिया जाए अपनी सखावत और फ़ैयाज़ी और नेकी की शोहरत नज़र के सामने हो लोगों में तारीफ़ व सताइश की चाहत हो अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब न हो न उसके सवाबों पर नज़र हो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 17 सूर: बकर: के छत्तीसवें रकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

‘जन्नत में मक्कार और बख़ील दाख़िल न होगा और न वह आदमी, जो खैरात देकर एहसान जताए।’

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 321, हदीस 1771, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 120, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बकर: के सैंतीसवें रूकूअ में आयत न० 267 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! (निक काम में) खर्च किया करो उम्दा चीज को अपनी कमाई में से और उसमें से जो कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया उनमें से खुरी चीजों से खर्च करने का क़स्द न करो, हालांकि तुम कभी उसके लेने वाले नहीं, हां मगर आंखें चुरा जाओ (तो और बात है) और यकीन रखो कि अल्लाह तआला किसी के मुहताज नहीं, तारीफ़ के लायक है।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को सद्का करने का हुक्म देता है कि तिजारत का माल जो खुदा ने तुम को दिया है सोना चांदी और फल अनाज वगैरह जो उसने तुम्हें ज़मीन से निकाल कर दिये हैं उनमें से बेहतरीन अच्छी और पसन्दीदा उम्दा-उम्दा चीजें अल्लाह की राह में दो, रद्दी और वाहियात, सड़ी गली, गिरी पड़ी, बेकार व फिज़ूल और ख़राब चीज़ राहे खुदा में न दो। अल्लाह खुद तैयिब है वह ख़बीस को कुबूल नहीं करता हम उसके नाम पर गोया उसे वह ख़राब चीज़ देना चाहते हैं जिसे अगर हमें दिया जाता तो हम खुद कुबूल न करते तो फिर खुदा कैसे कुबूल कर लेगा।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 19, सूर: बकर: के सैंतीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

अगर लिल्लाह दे फ़कीर को कुछ हराम माल में से और उम्मीद रखे सवाब की काफ़िर होता है और अगर जाने फ़कीर उसको फिर दुआ दे उसको और आमीन कहे देने वाला पस काफ़िर हुआ।'

हवाला -1. मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 286, मुर्तद का बयान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 849 मुर्तद का बयान,

3. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 86, मुक़दमे में।

अब ये लोग सोचें जो रंडियों के घरों में गाने बजाने वालों के घरों में नाचने कूदने और खेल तमाशे से पैसा कमाने वालों के घरों में शराब व जुए के अड़्डे चलाने वालों के घरों में सूद खाने वालों के घरों में वाज़ व नसीहत के लिए जाते हैं और मीलाद व मज्लिस पढ़ते हैं और बड़ी-बड़ी दुआएं उनके लिए मांगते हैं और वहां पर मुर्गा पुलाव, ज़र्दा, बिरयानी बड़े मजे से खाते हैं और नज़ाना हाथ में लेकर जेब में डालते वक़्त 'जज़ाकल्लाहु' कहते हैं वे साहिबान सोचें।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बकर: के छत्तीसवें रूकूअ में आयत न० 261 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से सात बालियां निकलीं और हर बाली में सौ दाने हों और खुदा जिसको चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है।

इस आयत में बयान हो रहा है कि जो आदमी अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब में अपने माल को खर्च करता है उसे बड़ी बरकतें और बहुत बड़े सवाब मिलते हैं और नेकियां सात-सात सौ गुनी कर के दी जाती हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 15, सूः बकरः के छत्तीसवें रूकूअ की तफ़सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जो आदमी ख़ैरात करे बराबर खज़ूर के पाक व हलाल कमाई से और खुदा पाक व हलाल ही को कुबूल करता तो अल्लाह उसको कुबूल करता है अपने दाहिने हाथ से फिर पालता और बढ़ाता है उस ख़ैरात को ख़ैरात करने वाले के लिए जिस तरह कि पालता है कोई तुम्हारा अपने बछड़े को यहां तक कि हो जाती हैं वे ख़ैरात (या उसका सवाब) मानिंद पहाड़ के।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 325, हदीस 1786, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 126, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

ख़ैरात करने से माल कम नहीं होता (बल्कि उसमें बरकत होती है) और किसी का कुसूर माफ़ कर देने से (बावजूद इंतिक़ाम की कुदरत रखने के) अल्लाह उस बन्दे की (जिसने माफ़ किया) इज़्जत बढ़ाता है और नहीं तवाज़ो करता कोई आदमी खुदा के लिए मगर खुदा उसका रुत्बा बढ़ाता है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 325, हदीस 1787, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 127, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस - हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जल्दी करो सद्कात व ख़ैरात देने में इसलिए कि सद्कात से बला नहीं बढ़ती यानी सद्का बला को रद्द कर देता है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 325, हदीस 1785, खर्च की फ़ज़ीलत के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 126, खर्च की फ़ज़ीलत के बयान में।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

‘सद्का खुदा के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को दूर करता है।’

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 327, हदीस 1806, खैरात की फज़ीलत में,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 131, खैरात की फज़ीलत में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ अदम के बेटे! तू खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा, यानी तुझ को दूंगा।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 320, हदीस 1760, खर्च की फज़ीलत में।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं,
फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

ऐ बेटे! आदम के माल को तेरा खर्च करना जो तेरी ज़रूरत से ज्यादा हो तेरे लिए बेहतर है और माल को रोकना तेरे लिए बुरा है और नहीं मलामत किया जाएगा, तू ज़रूरत के बक़द माल अपने कब्जे में रखने पर और खर्च कर तू सबसे पहले अपने अयाल पर।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 320, हदीस 1761, खर्च की फज़ीलत में।
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 118, खर्च की फज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

हदीस - हज़रत अबूसईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जो मुसलमान किसी नंगे बदन मुसलमान को कपड़ा पहनाये अल्लाह तआला उसको बहिश्त के सब्ज हुल्लों में से हुल्ला पहनाएगा और जो मुसलमान भूखे मुसलमान को खाना खिलाए अल्लाह तआला उसको बहिश्त के फलों में से फल खिलाएगा और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसको मुहर की हुई शराब में से पिलायेगा।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 327, हदीस 1810, खैरात की फज़ीलत में,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 132, खैरात की फज़ीलत में।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

जो मुसलमान कोई पेड़ लगाये या खेती बोये और उसमें से इंसान, परिंद और चरिंद खाएं तो यह भी उसके लिए सदका है।

- हवाला** -1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 326, हदीस 1798, खैरात की फज़ीलत में।
2. मज़ाहिरे हक जिल्द 2, पृ० 130, खैरात की फज़ीलत में।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि- हसद न किया जाए मगर दो आदमियों पर :

1. एक तो उस पर जिसको खुदा ने कुरआन अता फ़रमाया यानी जिसको कुरआन याद हो गया पस वह दिन रात कुरआन पढ़ता और इबादत करता है और

2. दूसरे उस पर जिसको खुदा ने माल बख़्शा और वह उसमें से दिन रात नेक कामों पर खर्च करता हो।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 353, हदीस 1996, फ़ज़ाइले कुरआन का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 198, फ़ज़ाइले कुरआन का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

नहीं है कोई ऐसा दिन कि जिस में सुबह के दो फ़रिश्ते न उतरते हों जिनमें से एक तो यह कहता रहता है कि ऐ अल्लाह! खर्च करने वाले को उस का बदला दे यानी जो आदमी खैर के मसारिफ़ में या मुनासिब मौके पर खर्च करता है उसको इससे ज़्यादा दे और दूसरा यह कहता रहता है ऐ अल्लाह! बख़ील के माल को खत्म कर दे।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, हदीस 1758, खर्च की फ़ज़ीलत,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 117 खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि

सखी करीब है अल्लाह की रहमत से करीब है जन्नत से और करीब है लोगों से और दूर है दोज़ख़ से और बख़ील दूर है अल्लाह की रहमत से दूर है जन्नत से दूर है लोगों से और करीब है आग से और जाहिल सखी खुदा के नज़दीक बेहतर है बख़ील आबिद से।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 321, हदीस 1767, खर्च की फ़ज़ीलत में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 119, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत में

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

सखावत एक पेड़ है जन्नत में, पस जो आदमी सखी होगा वह उस पेड़ की टहनी पकड़ लेगा और वह टहनी उसको उस वक़्त तक न छोड़ेगी, जब तक उसको जन्नत में दाख़िल न करा लेगी और बुख़्ल एक पेड़ है दोज़ख़ में पस जो आदमी बख़ील होगा वह उस पेड़ की एक टहनी पकड़ लेगा और वह टहनी उस वक़्त तक न छोड़ेगी, जब तक उसको दोज़ख़ में दाख़िल

न करा लेगी।

- हवाला** - 1. मिशकात शरीफ, जिल्द.1, पृ० 324, हदीस 1784, खर्च की फज़ीलत,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 126, खर्च की फज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत में।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बकर: के अड़तीसवें रकूअ में आयत न० 274 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है।

तर्जुमा - जो लोग अपने मालों को रात दिन छिपे खुले खर्च करते रहते हैं उनके लिए उनके रब के पस बदला है और न उन्हें डर है और न वे ग़मगीन होंगे।

इस आयत में अल्लाह तआला खर्च करने का तरीका बता रहे हैं चाहे रात को खर्च करो चाहे दिन को खर्च करो चाहे पोशीदा खर्च करो या अलल एलान खर्च करो हर तरह से इजाज़त है इतना याद रहे खर्च नेक कामों में किया जाए और अलल एलान खर्च करने में रियाकारी न हो।

कुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के पांचवे रकूअ में आयत न० 34 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते सो आप उनको खुशख़बरी सुना दें। दर्दनाक अज़ाब की।

न तो ज़कात देते हैं न तो मज़दूरों को पूरी मज़दूरी देते हैं न तो हक़दारों का हक़ अदा करते हैं न तो हाजतमंदों को देते हैं बल्कि जमा ही करते चले जाते हैं तो उन कंजूसों को और उन मक्खी चूसों को दर्दनाक अज़ाब की खुशख़बरी दे दें।

कुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के पांचवें रकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - उस दिन उसको (यानी उनके माल को) दोज़ख़ की आग में तपाया जाएगा फिर उससे उन लोगों की पेशानियों और उनकी करवटों और उनकी पीठों को दागा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) जिसको तुमने अपने वास्ते जमा कर रखा था सो अब अपने जमा करने का मज़ा चखो।

जो आदमी अपने माल की ज़कात न दे, उसका माल क़ियामत के दिन आग की तर्रितियों जैसा बना दिया जाएगा और उससे उसकी पेशानी, पहलू और कमर दागी जाएगी। पचास हजार साल तक लोगों के फैसले हो जाने तक तो उसका यही हाल रहेगा, फिर उसे उसकी मंज़िल की राह दिखा दी जाएगी, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 53, सूर: तौबा के पांचवे रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के सातवें रकूअ में आयत न० 54 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और उनकी ख़ैरात कुबूल होने से और कोई चीज़ इसके अलावा रुकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया और वे लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, मगर हारे जी से और खर्च नहीं करते मगर नागवारी के साथ।

तुम्हारे खर्च करने का खुदा भूखा नहीं। तुम खुशी से दो तो और नाराज़गी से दो तो वह कुबूल फ़रमाने का नहीं, इसलिए कि तुम फ़ासिक लोग हो। तुम्हारे खर्च के कुबूल न होने की वजह तुम्हारा कुफ़्र है और आमाल की कुबूलियत की शर्त कुफ़्र का न होना, बल्कि ईमान का होना है। साथ ही किसी अमल में तुम्हारा नेक मक़सद और सच्ची हिम्मत नहीं। नमाज़ को आते हो तो भी हारे दिल से गिरते पड़ते, मरते-बिछड़ते, सुस्त और काहिल होकर देखा देखी मज्मे में दो चार (रुपए) दे भी देते हो, तो मरे जीते जी से दिल की तंगी से।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 68, सूः तौबा के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

आप साहिबान ने देखा होगा कि कुछ जगह पर लोग शादी कार्ड छपाई के दो दो हज़ार रुपए देंगे और शामियाना लगाने का खर्च एक हज़ार देंगे। बिजली या डेकोरेशन करने वाले को दो हज़ार देंगे, नाचने वाली रंडी को दावत दी है तो उसे एक हज़ार पहले ही दे आएं और कव्वालों को बुलाया है तो उनको भी एक हज़ार रुपए पहले ही दे आएं। बैंड बाजे बजाने वालों को पांच सौ रुपए देंगे और ढोल बजाने वालों को पचास रुपए या सौ रुपए देंगे और लाउड स्पीकर वालों को पांच सौ रुपए देंगे और निकाह पढ़ाने वाले आलिमे रब्बानी को निकाह पढ़ाई के दस रुपए देंगे और कहीं-कहीं तो दस रुपए भी नहीं देते बल्कि कह देते हैं कि मौलवी साहब! फिर मिल लीजियो, इस वक़्त ज़रा हमको फुर्सत नहीं है इन लोगों को शैतानी हरकतों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि निकाह पढ़ाने वाले को भी कुछ दे सकें।

किसी नवाब साहब से या किसी रईस से या किसी जागीरदार से या किसी सेठ से पूछो कि हज़रत! शादी में कितना खर्च आया? तो जवाब मिलेगा, तीस चालीस हज़ार रुपए खर्च हुए हैं पर इन लोगों से पूछो कि आपने निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को निकाह पढ़ाई का क्या दिया तो जवाब मिलेगा दस रुपए दिये हैं और हमारी जमाअत का यही उसूल है। अल्लाह पाक इन मालदारों को हिदायत दे सिर्फ़ मौलवियों ही के लिये उसूल बना रखे हैं और शैतानी हरकतों के लिये तिजोरियों के मुंह खोल रखे हैं फिर अज़ाबे खुदावन्दी नहीं आयेगा तो और क्या होगा?

आज के ज़माने में शहर में जो म्युनिसिपलटी में काम करने वाले भंगी हैं उनको भी चार सौ पांच सौ रुपए तंख्वाह मिलती है इसके अलावा उनका फंड भी जमा होता है और मुसलमानों को देखिए कि इमामों और उस्तादों की तंख्वाह एक महीने की पचास या सौ रुपए है। शायद ही कहीं दो सौ तीन सौ रुपए तक तंख्वाह होती होगी। इन आलिमों का न तो फंड जमा हो न जमाअत की तरफ़ से कोई मदद मिले। जब मौकरी से हटा दिये जाएं तो या तो भीख मांगें

या भूखे मरें।

इन मालदारों पर जब कोई मुसीबत आती है तो दौड़ते भागते बावलों की तरह आलिमों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और आलिमों का हाथ या दामन पकड़ कर रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं-

मौलाना साहब! हमारे हक़ में दुआ कर दीजिये फ़लां फ़लां मुसीबत आ पड़ी है उसको अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से टाल दे।'

मुसीबत के वक़्त आलिम साहब याद आते हैं! खुशी के वक़्त नाच गाने खेल तमाशे और क़व्वालियां याद आती हैं और दुआ कराने के लिये आलिम साहब याद आते हैं। अब आलिमों के पास क्यों आते हो? शादी ब्याह में तो आलिम साहब नहीं याद आ रहे थे अब क्यों याद आ रहे हैं? दुआ कराने के लिये इन रंडियों के पास और क़व्वालों के पास और खेल कूद करने वाले बहुरूपियों के पास जाओ, मंडप सजाने वालों के पास और बिजली का डेकोरेशन करने वालों के पास और बैंड बाजे और ढोल ताशे, शहनाइयां बजाने वालों के पास जाओ, जिनको हज़ारों रुपए बड़ी हंसी खुशी हंसते मुंह देते थे उनके पास जाओ और दुआ कराओ। आलिमों के पास क्यों आते हो? आलिमों की कीमत तो तुम्हारे नज़दीक दस बीस या पचास रुपए की थी और शैतानी जमाअत वालों की कीमत तुम्हारी निगाह में हज़ार रुपयों की थी। यह है तुम्हारा इन्साफ़ उलेमा-ए-रब्बानी के साथ? फिर अज़ाबे खुदावन्दी नहीं आयेगा तो क्या आयेगा?

अगर वाकई कोई आदमी सखी है और खुदा न ख्वास्ता उस पर कोई मुसीबत आ गई है या आने के आसार हैं तो बग़ैर कहे हज़ारों इन्सानों के हाथ आसमान की तरफ़ उठेंगे और दिल से दुआ निकलेगी कि ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़रमा इस पर करम फ़रमा इस पर फ़ज़्ल फ़रमा यह सखी आदमी है ग़रीबों, मिस्कीनों, मुहत्ताजों और यतीमों की मदद करता है और अगर कोई इन्सान बखील है उस पर कोई मुसीबत आती है या आने के आसार हैं तो बिना कहे लोगों की जुबानों से निकल जायेगा कि ऐ अल्लाह! इसको और फंसा इस पर और ज़्यादा मुसीबत भेज यह बड़ा कंजूस है बड़ा ही मक्खी चूस है मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं देता है ग़रीबों का और पड़ोसियों का हक़ भी अदा नहीं करता है बल्कि ग़रीबों की ज़मीन, ग़रीबों के मकान तक हड़प कर जाता है।

कुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूर: मुज़्जम्मिल के दूसरे रकूअ में आयत न० 20 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - और नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़क़ात देते रहो और अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज़ दो। जो नेक अमल अपने लिए आगे भेज दोगे, उसको अल्लाह के पास पहुंच कर उससे अच्छा और सवाब में बड़ा पाओगे और अल्लाह से गुनाह माफ़ कराते रहो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला रहम फ़रमाने वाला है।

इन मालदारों की हालत नासमझ और नादान बच्चों जैसी हो गई है। कोई व्यक्ति बाज़ार से आता है एक दो किलो मिठाई लाता है तो छोटे बच्चे के हाथ में देता है ताकि बच्चा खुश

हो जाये। जब उस बच्चे के हाथ में मिठाई का बंडल दे दिया जाता है तो वह बच्चा उस मिठाई को गोद में लेकर बैठ जाता है न खुद खाता है न दूसरे बच्चों को खाने देता है हालांकि बच्चा किलो दो किलो मिठाई तन्हा खा नहीं सकता, लेकिन ना समझी देखिये कि दूसरों को खिला नहीं सकता।

यही हालत मालदारों की है। अल्लाह तआला ने जो दौलत उनको दे रखी है उसको अपनी जिन्दगी में खा नहीं पायेंगे और दूसरों को खिला भी नहीं सकते। यह नादानी नहीं तो और क्या है? ये लोग जब मरेंगे तो पीछे लाखों की दौलत छोड़ कर मरेंगे, लेकिन मदरसों या मस्जिदों या किसी यतीम खाने में या मुसाफिर खाने में नहीं देंगे। जिन्दगी भर जिन आलिम के पीछे नमाज़ पढ़ी होगी उसको भी मरते वक़्त पांच दस हजार की रक़म नहीं देंगे। जिन आलिमों ने इन मालदारों के बच्चों को इल्मे दीन पढ़ाया होगा उनको भी दो चार हजार नहीं देंगे।

कुछ मालदारों को अल्लाह तआला जब बीमारी में आजमाता है तो घर वाले उसको अस्पताल में दाखिल कर देते हैं और डाक्टर उसको लज़ीज़ खाना खाने को मना कर देता है उस वक़्त सारी की सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है इस दौलत में से एक रुपए की मिठाई लेकर खा नहीं सकता।

कुछ मालदारों को अल्लाह तआला अदालतों में फांस देता है हजारों रुपए बैरिस्ट्रों को देने पड़ते हैं परेशानी का यह आलम होता है कि दिन भर खाना नतीब नहीं होता, रात भर नींद भी नहीं आती, नींद लाने के लिये ख्वाब वाली गोलियां खानी पड़ती हैं फिर भी नींद नहीं आती, लाखों की दौलत होते हुए जिन्दगी के सुख चैन से महरूम रहते हैं फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलतीं। यह ना समझी और नादानी नहीं तो और क्या है?

मालदार साहिबान महलों में आराम के साथ अपनी जिन्दगी गुज़ारें और आलिम साहिबान चटाइयों पर रोते रात गुज़ारें आलिमों के साथ यह जुल्म नहीं है? आलिमों के साथ यह बे इन्साफी नहीं है? इतना करने के बाद मालदार साहिबान कहते हैं-

इन आलिमों की हमारे दिल में बड़ाई है हम आलिमों की कद्र करते हैं।'

इस किस्म के मालदार जब मरेंगे तब पता चलेगा कि वे आलिमों की कितनी बड़ाई और कद्र करते थे।

कुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूर: मुनाफ़िकून के दूसरे रकूअ में आयत न० 10-11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो कुछ हमने तुम को दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे तू थोड़ी सी देर की मोहलत क्यों नहीं देता? कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं जब किसी की उम्र की मुद्त पूरी हो जाये फिर उसे अल्लाह तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है।

अपनी इताअत में माल खर्च करने का हुक्म दे रहा है कि अपनी मौत से पहले खर्च कर लो, मौत के वक्त की बेकसी देखकर शर्मिन्दा होना और उम्मीदें बांधना कुछ नफा न देगा। उस वक्त चाहेगा कि थोड़ी देर के लिये भी अगर छोड़ दिया जाये तो जो कुछ नेक अमल हो सके, करे और दिल खोल कर अल्लाह तआला की राह में दे ले लेकिन आह! अब वक्त कहां? आने वाली मुसीबत आन पड़ी और न टलने वाली आफत सर पर खड़ी हो गयी।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 76, सूः मुनाफिकून के दूसरे स्कूअ की तफ्सीर में। जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है-
'मेरे रब! मुझे लौटा दे तो मैं नेक अमल करूं।'

मौत का वक्त आगे पीछे नहीं होता खुदा खुद खबर रखने वाला है कि कौन अपने कौल में सच्चा है और अपने सवाल में हक पर है ये लोग अगर लौटाए जाएं तो फिर इन बातों को भूल जाएंगे और वही करतूत करने लग जाएंगे जो इससे पहले करते रहे।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 76, सूः मुनाफिकून के दूसरे स्कूअ की तफ्सीर में। कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूः बकरः के चौतीसवें स्कूअ में आयत न० 254 में अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! खर्च कर लो उन चीजों में से जो हमने तुमको दी हैं इससे पहले कि वह दिन (कियामत का) आ जावे, जिसमें न तो खरीद व फरोख्त होगी और न दोस्ती होगी और न (बगैर अल्लाह की इजाजत के) कोई सिफारिश होगी।

अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म करता है कि वे भलाई की राह में अपना माल खर्च करें ताकि खुदा के पास उनका सवाब जमा रहे और फिर फरमाता है कि अपनी जिन्दगी ही में खैरात व सदकात कर लो कियामत के दिन न तो खरीद व फरोख्त है न जमीन भर सोना देने से जान छूट सकती है न किसी का नसब और दोस्ती या मुहब्बत कुछ काम आ सकती है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 3, सूः बकरः के चौतीसवें स्कूअ की तफ्सीर में।

हवाला - हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने,

इन्सान का अपनी तन्दुरुस्ती के दिनों में एक दिरहम खर्च (खैरात) करना मरने के वक्त सौ दिरहम खर्च (खैरात) करने से बेहतर है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 321, हदीस 1768, खर्च की फज़ीलत और बुख्ल की कराहियत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 120, खर्च की फज़ीलत और बुख्ल की कराहियत का बयान।

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं-

तुम में से कोई ऐसा है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा प्यारा हो? लोगों ने कहा हुजूर कोई नहीं।

आपने फरमाया मैं तो देखता हूँ कि तुम अपने माल से ज्यादा अपने वारिस का माल चाहते हो इसलिये कि तुम्हारा माल तो हकीकत में वह है जो तुम खुदा की राह में अपनी जिन्दगी ही में खर्च करो और जो छोड़ कर जाओ, वह तुम्हारा माल नहीं, बल्कि तुम्हारे वारिसों का माल है तो तुम्हारा खुदा के रास्ते में कम खर्च करना और ज्यादा जमा करना यह दलील है इस बात की कि तुम अपने माल से अपने वारिसों के माल को ज्यादा अजीज रखते हो।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 25, सूर: आले इम्रान के चौदहवें रूकूअ की तफ्सीर में।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने कि-

‘बन्दा मेरा माल मेरा माल कहता रहता है और हकीकत यह है कि उसके माल में से जो कुछ उसका है वे सिर्फ़ तीन चीज़ें हैं-

1. एक तो वह जो खाया और खत्म कर दिया,
2. दूसरी वह जो पहनी और फाड़ डाली,
3. तीसरी वह जो खुदा की राह में दी और आखिरत के लिए जखीरा की।

इन तीनों चीज़ों के सिवा जो कुछ है उस सब को वह लोगों के लिए छोड़ कर चला जाने वाला है।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 740, हदीस 4910, किताबुर्रिकाक़,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 202, किताबुर्रिकाक़।

कुरआन करीम के नवें पारे में सूर: अन्फ़ाल के पहले रूकूअ में आयत न० 3-4 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता हैं-

तर्जुमा - जो लोग नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और हमने उन को जो कुछ दिया है वे उसमें से खर्च करते हैं सच्चे ईमान वाले यही लोग हैं उनके बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास मग़िफ़रत है और इज़्ज़त की रोज़ी।

जो कुछ अल्लाह ने दिया है अगर ज़कात के काबिल हों तो ज़कात दें और जो कुछ भी है लोगों को देते दिलाते रहें। बन्दों के वाजिब और मुस्तहब माली हुकूक़ अदा करते रहें और अल्लाह तआला ने दिया है तो सब की मदद करें क्योंकि सब लोग खुदा की अयाल हैं खुदा को वही बन्दा सबसे ज्यादा मक्बूल है जो मर्रूक़ को सबसे ज्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला है। तुम्हारे सब माल खुदा की तरफ़ से तुम्हारे पास गोया अमानत के तौर पर हैं और बहुत जल्द तुम्हारा माल तुमसे जुदा होने वाला है इसलिए इससे मुहब्बत नहीं होना चाहिए जिनमें ये खूबियां हैं वही हकीकी मोमिन हैं।

क़ियाम की दलीलें

बचपन से एक बात सुनते सुनते या एक काम करते करते आदत बन जाती है और आदत को इंसान इबादत समझने लगता है और फिर उसको मज़हब के दायरे में ले लेता है फिर उसको अक़ीदा बना लेता है ऐसे आदमी को तौबा की तौफ़ीक़ बड़ी मुश्किल से होती है हालांकि वह एक रस्म या रिवाज होता है मज़हब नहीं होता। हमारा मज़हब किताबी है, रिवाजी नहीं। जो कुछ होगा, कुरआन करीम या अहादीसे सहीहा से साबित होगा और उसी के ऊपर उलेमा-ए-हनफ़ीया का फ़त्वा होगा।

दलील 1

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूः फ़त्ह के पहले रूकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इशार्दि फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम वाजिब और फ़र्ज़ है, ज़रा भी कोई तौहीन करेगा, तो फ़ैजे रिसालत से हमेशा के लिए महरूम रहेगा।

हवाला - तफ़सीरे हक्कानी, जिल्द 6, पृ० 288,

मेरे प्यारे दोस्त! ये लोग जो मज्लिसे मीलाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक रूह को आयी हुई समझ कर क़ियाम करते हैं और दलील इस आयत से लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तआला खुद अपने बन्दों को हुक्म फ़रमा रहा है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम करो। मज्लिसे मीलाद में खड़े होने के लिए यह दलील बिल्कुल बे असल है क्योंकि ताज़ीम से मुराद खड़ा होना नहीं है। अगर इस आयत से खड़ा होना ही मुराद है जब तो फिर मज्लिसे मीलाद में सलामी के वक़्त खड़ा होना मुस्तहब या मुस्तहसन न होगा, बल्कि वाजिब या फ़र्ज़ होगा और वाजिब या फ़र्ज़ को छोड़ना सख़्त गुनाह है तो इस दलील से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने पर खड़े न होते थे वे भी सख़्त गुनाहगार हुए। अल्लाह की पनाह! और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ताज़ीम के लिए खड़े होने से मना फ़रमाया है वह सही हदीसों से साबित है जिसका बयान आगे आ रहा है तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी खुदा के हुक्म के खिलाफ़ अपना हुक्म जारी किया। अल्लाह की पनाह! या तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुरआन मजीद को समझते ही न थे। अल्लाह की पनाह! और न सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन समझ सके अल्लाह की पनाह! बल्कि इस ज़माने में कुरआन मजीद को समझने वाले ये जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी

पैदा हुए ? जहालत की भी कोई हद है। मेरे दोस्त! ऐसा नहीं है बल्कि ताज़ीम व तौकीर से मुराद यह है कि उसके दीन की मदद करो।

ताज़ीम से मुराद दीन की पाबन्दी और (दीन की) मदद है।'

हवाला - तफ़्सीरे हक्कानी, जिल्द 6, पृ० 288।

ताज़ीम से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अज़मत और बड़ाई को दिल में बिठाना है जिसका इज़हार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अमल करने और उसको अज़ीज़ रखने से होता है।

दलील 2

मज्लिसे मीलाद में खड़े होने की दूसरी दलील यह लाते हैं कि हम ताज़ीम समझ कर खड़े नहीं होते हैं। बल्कि सवाब की नियत से खड़े होते हैं यह दलील भी बे असल है क्योंकि सवाब का मिलना यकीनन उस वक़्त माना जाएगा, जब कुरआन व हदीस से साबित हो, अगर सबूत नहीं है तो अक्ली दलीलें बेकार हैं।

यकीन करो कि जितनी बातें तुम ख़्याल व गुमान और वहम व क़ियास और अटकल या अन्दाज़े से अपने ख़ज़ाने में भरते हो वे कंकर और रोड़े हैं, तुम चाहे उसे मोती समझो।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 5, मुक़दमे में।

शरीअत को छोड़ कर अपने नफ़्स की राह अख़्तियार करना गुमराही है और नफ़्स की राह यह भी है कि अपनी समझ पर अमल करे।

हवाला - ऐनुलहिदाया, जिल्द 4, पृ० 274, कराहत का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! हर एक अमल के लिए सबूत पूरा चाहिए, सिर्फ़ जुबानी या अक्ली बातों से काम नहीं चल सकता।

हदीस - हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बड़ी हदीस रिवायत करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

हर नबी पर खुदा की तरफ़ से फ़र्ज़ होता है कि अपनी उम्मत को तमाम नेकियां जो वह जानता है सिखा दे और तमाम बुराइयों से जो उसकी निगाह में हैं आगाह कर दे।'

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 53, सूः निसा के आठवीं रकूअ की तफ़्सीर में,

मेरे प्यारे दोस्त! ताज़ीम के लिए खड़ा होना अगर सवाब था तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ताज़ीम के लिए खड़े होने से क्यों भना फ़रमाया गोया आपने भी फ़र्ज़ को तर्क किया? नअूजु बिल्लाहि मिन्हा,

मेरे प्यारे दोस्त! ऐसा नहीं है बल्कि सही यही है कि मज्लिसे मीलाद में खड़ा होना बे असल है।

दलील 3

मज्लिसे मीलाद में ताज़ीम के लिए खड़े होने वाले तीसरी दलील यह लाते हैं जो हदीस सही बुखारी शरीफ़ के अन्दर सोलहवें पारे में है।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि बनी कुरैज़ सअद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के हुकम पर उतर आए तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी को सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। सअद रज़ियल्लाहु अन्हु गधे पर बैठे हुए तशरीफ़ लाये। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अन्सार से कहा कि अपने सरदार या अपने बुजुर्ग की तरफ़ खड़े हो (और उन्हें उतार लो) फिर सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि ये काफ़िर तेरे हुकम पर उतरे हैं (तो तुम क्या हुकम देते हो?) सअद रज़ि० ने जवाब दिया कि जो काफ़िर मुसलमानों से लड़ें उन्हें मार दिया जाए और उनकी औलाद कैद की जाए। रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘तूने खुदा के हुकम के मुताबिक़ हुकम दिया।’

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 332, हदीस 1276, किताबुलमगाज़ी,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 663, हदीस 1774, बाब 571,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4463, कियाम का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 64, कियाम का बयान।

मज्लिसे मीलाद में कियाम करने वाले तीसरी दलील में यही हदीस लाते हैं और कहते हैं कि अगर ताज़ीम के लिए खड़ा होना मना था तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अन्सार को उनके सरदार हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खड़े होने का हुकम क्यों फ़रमाया।

इस हदीस का मतलब ये लोग समझ नहीं सके।

बनू कुरैज़ा यहूदियों का एक कबीला था। हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खन्दक की जीत के बाद बनू कुरैज़ा की दगाबाज़ी की वजह से पच्चीस दिन तक उनको क़िले में घेरे रखा। फिर जब वे लोग सुलह करने पर उतर आए तो यहूदियों ने कहा कि हमारा फैसला सअद (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) करें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सअद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाने के लिए किसी एक आदमी को भेजा।

जब सअद रज़ियल्लाहु अन्हु गधे पर बैठ कर तशरीफ़ लाये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अन्सार से कहा कि खड़े हो जाओ अपने सरदार की तरफ़। यह इसलिए फ़रमाया था कि सअद रज़ियल्लाहु अन्हु बद्र की लड़ाई में घायल हो गये थे और घावों से उसी दिन

खून का बहना बन्द हुआ था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खड़े होने का हुक्म इसीलिए फरमाया था कि तुम लोग खड़े होकर सअद (रज़ियल्लाहु अन्हु) को धीरे से सवारी पर से उतार लो। कहीं ऐसा न हो कि वे खुद गधे पर से उतरें और फिर खून घावों से बहना शुरू हो जाए। (और इसी हदीस की शरह में यह भी लिखा है कि) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खत्मे ज़िन्दगी तक कियाम (यानी खड़े होने) को मक्रूह समझा है।

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 64, कियाम का बयान।

मेरे प्यारे दोस्तो! मुसलमानों के लिए सोचने का मक़ाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब हयाते तैयिबा में कियाम को पसन्द नहीं फरमाया तो वफ़ात के बाद कियाम कैसे पसन्द हो सक्ता है? फिर भी हम मानें तो यह हमारी जहालत है। शरीअत में तो इस की कोई असल नहीं, बल्कि इससे मना किया गया है।

‘कुछ उलेमा के नज़दीक कियाम सुन्नत है मगर साबित यह हुआ कि मक्रूह है।’

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 64, कियाम का बयान

मेरे प्यारे दोस्त! शरीअत में तो साफ़ मक्रूह लिखा है मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी है जिसका बयान आगे आ रहा है।

और जो लोग जायज़ समझते हैं वे हकीकत में बे समझे बूझे अपनी जहालत पर अड़े हुए हैं जिनमें से ज़्यादा नफ़्स परस्त ही होते हैं जो जाहिलों का दिल बहलाने के लिए जायज़ कहते हैं ताकि अपना निबाह हो सके।

दलील 4

मज्लिसे मीलाद में खड़े होने वाले चौथी दलील में यह हदीस लाते हैं-

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आती थीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके लिए उठते, उनका बोसा लेते और अपने पास बिठाते और जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास जाते थे तो वह अपनी जगह से उठ जाती थीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बोसा लेतीं और अपनी जगह पर बिठातीं। (मुस्तसर)

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 404, हदीस 1728, मनाकिब का बयान।

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 663, हदीस 1776, बाब 571।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खड़ा होना हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का खड़ा होना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए, ये आदाब घरेलू हैं, मस्फ़िल के लिए नहीं हैं।

फतावा काजी खां के हवाले से लिखा है कि कुछ लोग कुरआन पढ़ते हैं या एक आदमी कुरआन पढ़ता है फिर उसके पास कोई खास में से आया, तो फुकहा ने कहा है कि आने वाला मर्द आलिम हो या कारी या बाप या उस्ताद तो उसके वास्ते उठना जायज़ है और उसके सिवा कियाम जायज़ नहीं।

और मजमए फतावा अन्ताकी में है कि कियाम कारी का जायज़ है जब कोई उससे ज्यादातर आलिम या उसका उस्ताद जिसने उसको कुरआन या इल्म सिखाया हो वह आए या उसके मां बाप आवें और उन के सिवा और किसी के वास्ते कियाम जायज़ नहीं, अगरचे आने वाला जलीलुल कद्र और शरीफ हो।

हवाला - गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 220, बाबुल हज़र।

मेरे प्यारे दोस्त! ऊपर वाली हदीस से फुकहाए किराम ने अपने उस्ताद के लिए और मां बाप के लिए कियाम जायज़ बतलाया है। अब इस इबारात से कोई जाहिल यह न समझे कि अपने बाप और उस्ताद के लिए तो हम कियाम करें यानी उनकी ताज़ीम के लिए उठें तो जायज़ है फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क्या हमारे बाप या उस्ताद के बराबर भी न समझा जाए।

मेरे प्यारे दोस्त! समझदारी से काम ले। पहला सवाल तो यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में यकीनन आते हैं इस का कोई सबूत नहीं जिसका बयान पूरी दलीलों के साथ इन्शाअल्लाह आएगा और यहां पर जो बात चल रही है वह सारी जमाअत की है यानी मज्लिसे मीलाद में सारी जमाअत का उठना कैसे जायज़ होगा, क्योंकि सारी जमाअत के उठने का सबूत आप को कहीं से भी नहीं मिलेगा और अगर सबूत मिलेगा भी तो इन्शाअल्लाह मुमानिअत का मिलेगा।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायह है कि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लाठी पर टेक लगाये हुए हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हो गये। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अजमियों की तरह कुछ लोग कुछ की ताज़ीम के लिए खड़े न हुआ करो।

- हवाला** - 1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द3, पारा 32, पृ० 668, हदीस 1789, वाब 581,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4467, कियाम का बयान,
3 मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 66, कियाम का बयान,
4. गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 220, बाबुल हज़र।

मेरे प्यारे दोस्त ! इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर और साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने सारी जमाअत का खड़ा होना पसन्द नहीं था, तो आज सारी मज्लिस वालों का उठना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कैसे पसन्द आएगा? हरगिज़ नहीं ! यह शैतान का बहकावा है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म और मुबारक मर्ज़ी

के खिलाफ अमल करवा रहा है और जिन लोगों ने कुछ लोगों के लिए खड़ा होना मुस्तहसन या मुस्तहब लिखा है, उस की वजह यह लिखी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खड़े न होने वालों से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मुस्तहसन या मुस्तहब रखा गया है, मगर इन लोगों को ऐसा दिल में ख्याल रखना न चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भी सख्त वईद आयी है।

हदीस - हज़रत अबू मुज्लिज़ रह० कहते हैं कि हज़रत मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर निकले तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हज़रत इब्ने सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन उन्हें देख कर ताज़ीम में उठ खड़े हुए, तो हज़रत मुआवियह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, तुम दोनों बैठ जाओ। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि-

‘जिस को इस बात की खुशी हो कि लोग बुत की तरह उस के लिए खड़े रहें, तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में ठीक कर लेना चाहिए।’

- हवाला** - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 120, हदीस 614, अबवाबुल आदाब,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 667, हदीस 1788, बाब 581,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4466, क़ियाम का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 66, क़ियाम का बयान।

दलील 5

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि थे हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम साथ हमारे मस्जिद में बैठे बातें करते हम से। फिर जिस वक़्त उठते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े होते हम भी, यहां तक कि देखते हम आप को, दाख़िल होते अपने बीवियों के कुछ घरों में।

- हवाला** - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 689, हदीस 4472, क़ियाम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 67, क़ियाम का बयान।

इस हदीस में भी क़ियाम साबित नहीं होता, क्योंकि इस हदीस की शरह यानी मतलब यह है कि खड़े हुए मज्लिस के बर्खास्त होने की वजह से, न कि खड़े हुए वास्ते ताज़ीम के, इस लिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं खड़े होते थे वक़्त तशरीफ़ लाने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के, पस क्यों खड़े होते वक़्त जाने के और देर तक खड़े रहना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इस लिए था कि शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आ जाएं बैठने के लिए या किसी काम के लिए या कुछ हुक़म फ़रमाएं, मगर जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु व सल्लम घर में तशरीफ़ ले जाते तो ये भी अपने अपने घर तशरीफ़ ले जाते।

- हवाला** - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 67, क़ियाम का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं कि कोई आदमी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बढ़ कर महबूब न था, लेकिन ये लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखते थे, तो आप के लिए उठते न थे, क्योंकि वह जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसे पसन्द नहीं फ़रमाते।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 120, हदीस 613, अबवाबुल आदाब,
2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4465, कियाम का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 65, कियाम का बयान।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे! आम मुसलमान भाइयों के लिए सोचने का मक़ाम है। ऊपर वाली इदीस बयान करने वाले सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दस साल तक ख़िदमत की है।

हदीस - अबू खुल्दा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अबुल आलिया से कहा- क्या अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ सुना है? अबुल आलिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्होंने दस साल आंहुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत की है और आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के लिए दुआ की है और उन के पास एक बाग़ था, जिस में साल में दो बार फल आता था और उस में फूल का एक पेड़ था, जिस से मुशक की खुशबू आती थी।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 396, हदीस 1689, बाबुल मनाकिब।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! हिन्दुस्तान की जिहालत पर अफ़सोस है। ऐसे-ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अमल न करना और अपनी मर्ज़ी पर चलना शैतानी फ़रेब और नफ़सानी धोखा है।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि-

‘लोग जब तक हदीस हासिल करने पर झुके रहेंगे, अच्छे रहेंगे और जब उसे तर्क कर देंगे, बर्बाद हो जाएंगे।;

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 130, मुक़द्दमे में।

मेरे दोस्त! हमारी बर्बादी इस से बढ़ कर और क्या होगी कि अक्सर मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाइयों को बुरी निगाहों से देखते हैं और अपने भाई को हराने और रुसवा करने-कराने के लिए तमाम ताक़तें खर्च कर देते हैं और कुरआन व हदीस के खिलाफ़ अमल कर रहे हैं।

आपने जो ख़बरें दी हैं वे सब सच हैं। सच्चे इमाम आप ही हैं। तमाम झगड़ों का फ़ैसला आप के हुक़म से किया जा रहा है, जो आप की बात बताये, वह सच्चा है और जो आप के

हुकम के खिलाफ कहे या बतलाये वह मर्दूद है, ख्वाह कोई भी हो।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 15, सूः फुर्कान के पांचवें स्कूअ की तफ्सीर में।

कुरआन शरीफ के अठ्ठाईसवें पारे में सूः हशर के पहले स्कूअ में आयत न० 7 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - तुम्हें जो कुछ रसूल दे, ले लो और जिस से रोके, रुक जाओ और अल्लाह से डरते रहा करो, अल-बत्ता अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है।

अल्लाह का हुकम हो रहा है कि जिस काम से वह तुम्हें रोकें तुम उस से रुक जाओ, यकीन मानो के जिस का वह हुकम करते हैं, वह भलाई का काम होता है और जिस से वे रोकते हैं, वह बुराई का काम होता है।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 25, सूः हशर के पहले स्कूअ की तफ्सीर में।

सहीहैन में हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

‘जब मैं तुम्हें कोई हुकम दूँ, तो जहां तक तुम से हो सके, बजा लाओ और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूँ तो तुम रुक जाओ।

हवाला - तफ्सीर इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 26 सूः हशर के पहले स्कूअ की तफ्सीर में।

मेरे अजीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला का भी यही हुकम है कि जिस काम के करने को मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहें, उसे करो और जिस काम से रोकें, रुक जाओ और यकीन मानो, कि जिसका वे हुकम करते हैं, वह भला काम होता है, और जिस से वे रोकते हैं, वह बुरा काम होता है।

कुरआन करीम के अठ्ठाईसवें पारे में, सूः मुजादला के पहले स्कूअ में, आयत न० 5 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुखालफत करते हैं, वे इसी तरह ज़लील व ख़्वार कर दिये जाएंगे, जिस तरह इन से पहले लोग ज़लील व ख़्वार किये जा चुके हैं। हम ने साफ़-साफ़ आयतें नाज़िल की हैं और काफ़िरों के लिए ज़िल्लत का अजाब है।

यानी वे लोग जो अल्लाह की हदों और उसके फ़र्जों की जगह दूसरी हदें तज्वीज़ करते हैं, वे इसी तरह ज़लील व ख़्वार होंगे, जिस तरह पहले के लोग हो चुके हैं।

इशादि इलाही का मतलब यह है कि अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुखालफत और उस के हुकमों से बगावत का जो अंजाम अगले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें देख चुकी हैं, इस से वे लोग हरगिज़ नहीं बच सकेंगे, जो अब मुसलमानों में से वही

रवैया अपनाएंगे। उन उम्मतों ने भी जब खुदा की शरीअत के खिलाफ खुद क़ानून बनाये या दूसरों के बनाये हुए तरीकों को अख़्तियार कर लिया, तब अल्लाह के फ़ज़ल और उस की इनायत की नज़र से महरूम हुए।

दलील 6

मेरे प्यारे दोस्तो ! आप साहिबान ने पढ़ लिया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को क़ियाम करने से मना फ़रमाया और मना करने के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से फिर किसी ने भी क़ियाम नहीं किया। न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने पर क़ियाम किया और न तो जाने पर क़ियाम किया। फिर हम क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ़ अमल करें। हमें तो वही काम करने चाहिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक़म के खिलाफ़ अमल कर के कोई आदमी भी अबदी सज़ादत तक नहीं पहुंच सकता।

सहीहैन में हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जब मैं तुम्हें कोई हुक़म दूँ तो जहां तक तुम से हो सके, उसे बजा लाओ। जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूँ तो रुक जाओ। याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ना-फ़रमानी यानी आप के हुक़म का इन्कार करने वालों को और आपके मना किये हुए कामों के करने वालों को अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देता है और दुख की मार मारता है।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 26, सूः हशर के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूः तौबा के आठवें रूकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त करेगा, उसके लिए दोज़ख़ की आग़ है जिस में वह हमेशा रहेगा और यह बहुत बड़ी रुसवाई है।

हक़ और बातिल को जानते हुए भी हक़ की मुख़ालफ़त करे और बातिल की दरफ़दारी करें, उस का अंजाम जहन्नम नहीं होगा, तो फिर और क्या होगा, हक़ की मुख़ालफ़त करना, गोया अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने वास्ते सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को खड़े होने से मना करते थे और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आप के वास्ते (मना करने के बाद) क़ियाम नहीं करते थे, जो आप अपने हक़ में बहालते हयात पसन्द नहीं फ़रमाते थे, बल्कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को इस से मना करते थे, वह बाद वफ़ात के आप के तशरीफ़ लाने

के वक्त (सारी जमाअत का) क्यों-कर उठना जायज होगा।

हवाला - फ़तावा मजमूआ, जिल्द 2, पृ० 330, मुतफ़रिकात का बाब।

अहले सुन्नत वल जमाअत का यही अकीदा है-

‘जो कौल और फ़ेल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित न हो, वह बिदअत है? इस लिए कि अगर उसमें बेहतरी होती तो यह पाक जमाअत, जो किसी चीज़ में (यानी नेक आमाल में) पीछे रहने वाली न थी, वह उसे तर्क न करती।’

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 7, सूर: अह्काफ़ के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

दलील 7

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! मज़हब तो उस को कहते हैं जो कुरआन व हदीस से साबित हो। जब हदीसों से क़ियाम करना मना साबित है, तो फिर तावीलें करना बेकार है, बल्कि फ़ौरन मान लेना चाहिए, इसी का नाम ईमान है।

कुरआन करीम के अठठाहरवें पारे में सूर: नूर के सातवें रूकूअ में आयत न० 51-52 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - ईमान लाने वालों का काम तो यह है कि जब वे अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तरफ़ बुलाये जाएं, ताकि रसूल उन के मुक़दमे का फ़ैसला कर दें; तो वे (यानी ईमान वाले) कहते हैं कि हमने सुन लिया और (दिल व जान से) मान लिया। ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं और कामियाब वही हैं, जो अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की फ़रमांबरदारी करते हैं और अल्लाह से डरते हैं।

जब कोई बात सही हदीस से साबित हो जावे और मज़हबे हनफी के ख़िलाफ़ हो, तो उस हदीस पर अमल किया जाएगा और वही मज़हब क़रार दिया जाएगा (यानी जो हदीस से साबित हुआ, वही मज़हब समझा जाएगा) और उस पर अमल करने से हनफी मज़हब से ख़ारिज न होगा (बल्कि हनफी ही रहेगा) क्योंकि इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि से सही रिवायत आयी है कि जब कोई हदीस सही हो जावे, तो वही मेरा मज़हब है।

हवाला - फ़तावा आंलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 120, मुक़दमे में।

बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे इमाम साहब का तो यह कौल है कि हदीस को मान लिया जाए और मेरा कौल अगर हदीस के ख़िलाफ़ हो, तो छोड़ दिया जाए। मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! कि हदीसों बयान कर के थक जाएं, समझा-समझा कर तंग आ जाएं, फिर भी इस ज़माने के ज़ेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी और उन के जाहिल मुरीद और मोतकिदों का कौल रद्द नहीं हो सकता। वे तो बराबर अपनी जहालत पर अड़े हुए हैं और ज़िद को छोड़ते नहीं, बल्कि नफ़सानियत के बन्दे बने हुए हैं।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक मज्मा मस्जिद में था। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिलावते कुरआन कर रहे थे। इतने में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफ़िक़ आया और अपनी गद्दी बिछा कर अपना तकिया लगा कर वजाहत से बैठ गया और था भी गोरा-चिट्ठा, बढ़-बढ़ कर फ़साहत के साथ बातें बनाने वाला।

कहने लगा, ऐ अबूबक्र रज़ि० ! तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहो कि आप कोई निशान हमें दिखाएं, जैसे कि आप से पहले अंबिया निशानात लाये थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तख़्तियां लाये थे, ईसा अलैहिस्सलाम इनजील लाये थे और आसमानी दस्तर ख़ान भी और दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लाये थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी लायं थे।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह सुनकर रोने लगे।

इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी घर से निकले तो अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे सहाबा से फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ और इस मुनाफ़िक़ की फ़रियाद दरबारे रिसालत में पहुंचाओ।

आपने फ़रमाया, सुनो ! मेरे लिए खड़े न हो जाया करो, सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए खड़े हुआ करो।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 4, सूः अंबिया के पहले रूकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन शरीफ़ के दूसरे से पारे में सूः बकरः के इक्कीसवें रूकूअ में आयत न० 238 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - और अल्लाह के लिए बा-अदब खड़े रहा करो।

सही हदीसों में है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नज़दीक़ रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा और कोई महबूब न था, यानी आप से ज़्यादा बाइज़्ज़त कोई न समझा जाता था, लेकिन आप को देख कर वह खड़े नहीं होते थे, जानते थे कि आप इसे मक्खूह समझते हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 12, सूः मुजादला के दूसरे रूकूअ की तफ़सीर में।

इतना समझाने पर भी आप की समझ में न आए, तो आप की जहालत पर सद अफ़सोस।

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूः निसा के ग्यारहवें रूकूअ में आयत न० 80 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जिसने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘जिसने मेरा हुक्म माना, उसने अल्लाह का हुक्म माना और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की।

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 59, हदीस 208, किताबुल जिहाद,
2. तफसीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 70, सूः निसा के ग्यारहवें रूकूअ की तफसीर में।

रूहे मुबारक आती है या नहीं ?

मेरे प्यारे दोस्त ! आप खूब समझ लें कि ये लोग मज्लिसे मीलाद में जो कियाम करते हैं, उन की समझ में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी हर मज्लिस में तशरीफ लाते हैं। अब सुनिए उनकी दलीलें और वजहें।

पहली वजह - नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अगर मज्लिसे मीलाद में आते हैं तो कब और कि वक्त आते हैं ? इस का सबूत कोई नहीं दे सकता कि मज्लिसे मीलाद के शुरू होते ही आते हैं या आधी पढ़ लेने के बाद आते हैं या खत्म होने के बाद आते हैं ? अगर शुरू ही में आ जाते हैं तो पूरी मीलाद खड़े-खड़े पढ़नी चाहिए और अगर दर्मियान में आते हैं तो आधी मीलाद बैठ कर और आधी मीलाद खड़े हो कर पढ़नी चाहिए। आप खत्म होने के वक्त ही तशरीफ लाते हैं, इस का सबूत ही कहां है ? यह बात तो बिल्कुल बे-असल है, क्योंकि ये सारी बातें बगैर सबूत के अपनी तरफ से मीलाद पढ़ने वालों ने बनायी है।

दूसरी वजह - नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में अगर तशरीफ लाते हैं, तो खुद अपनी मुबारक मर्जी से तशरीफ लाते हैं, या मीलाद पढ़ने वालों की मर्जी पर आते हैं। आप किसी जाहिल से पूछेंगे, तो वह यही कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर तशरीफ लाएंगे, तो खुद अपनी मर्जी से तशरीफ लाएंगे न कि मीलाद पढ़ने वालों की मर्जी पर।

मेरे प्यारे दोस्त ! यहां पर सोचने की जगह यह है कि ये लोग जो खड़े होते हैं, वे अब्बल तो शरीअत के खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि शरीअत में इसकी कोई असल नहीं, बल्कि मना है।

दूसरी बात यह है कि मीलाद पढ़ने वाले खुद अपनी मर्जी पर खड़े होते हैं, इससे तो यह मालूम हुआ कि ये मीलाद पढ़ने वाले लोग जब चाहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुला लें, क्योंकि इन लोगों को देखा है कि कभी तो मीलाद को जल्दी से खत्म कर देते हैं और कभी आधी रात को करते हैं और कभी तो कहीं-कहीं सुबह को खत्म करते हैं। जब चाहें, कियाम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुला लें। गोया नऊजु बिल्लाह ! हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामु इन जाहिलों के ताबेअ हैं, जब ये चाहें आप को बुला लें, अल्लाह की पनाह ! कैसे जाहिल लोग है। शरीअत को छोड़ कर जहालत को मजहब बना बैठे हैं और फिर ताज्जुब की बात तो यह है कि समझाने वालों को इस्लाम से खारिज वहहाबी और गैर-मुकल्लिद समझते हैं। है कोई हद जहालत की ?

तासरा वजह - गैर क्त्बे के काबिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को

हाज़िर व नाज़िर समझ कर साल में कम से कम एक या दो बार मज्लिसे मीलाद अपने घर पढ़वाते हैं और पढ़ने वाले तो एक साल में सैकड़ों मीलादें पढ़ लेते हैं और कोई मज्लिसे मीलाद ऐसी नहीं होती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आते हुए समझ कर खड़े न होते हों, हर मीलाद में ये लोग क़ियाम करते हैं, फिर भी इन लोगों को आप देखिये कि फ़ैजे रिसालत से महरूम हैं। मीलाद पढ़ाने वाले तो साल में एक दो बार ही पढ़वाते हैं, मगर खुद मीलाद पढ़ने वाले भी फ़ैजे रिसालत से महरूम हैं, जो हर साल सैकड़ों मीलादें पढ़ लेते हैं। उन लोगों का हाल यह है कि वे नमाज़ तक नहीं पढ़ते और अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो रोज़ा नहीं रखते और अगर नमाज़ और रोज़ा करते हैं तो शरीअत के मुताबिक़ शक़ल या लिबास नहीं होगा और अगर यह बात भी होगी तो अख़लाक़ तो शायद ही किसी के ठीक होंगे।

इस बात का हम अपनी ज़ात से ख़ूब अच्छी तरह तर्जुबा कर चुके हैं और आपको यकीन न हो, तो तर्जुबा कर के देख लीजिएगा। मज्लिसे मीलाद में क़ियाम करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दावा करते हैं और मज्लिसे मीलाद में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ लाने का यकीन भी करते हैं, फिर भी ये लोग फ़ैजे रिसालत से महरूम क्यों, इसका हमें बड़ा अफ़सोस होता है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मीलाद में आने की सनद हम को तो नहीं मिली, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मीलाद में आते ही नहीं, तो सनद कहां से मिलेगी? और मीलाद पढ़ने का रिवाज भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद न जाने कब हुआ? और किस ने निकाला? अब जो नयी रस्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद ईजाद की गयी हो उस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता?

अगर यह मीलाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित होती और आप ने फ़रमाया होता कि मैं हर मज्लिसे मीलाद में क़ियाम के वक़्त हाज़िर हूंगा, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जो अमली ज़िन्दगी में सारी दुनिया से आगे थे, वे रोज़ाना मीलाद पढ़ते और क़ियाम करते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा कर फ़ैजे रिसालत से सरफ़राज और मालामाल होते, लेकिन लगभग डेढ़-दो लाख सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने भी मीलाद नहीं पढ़ी, जिस तरह हिन्दुस्तान में पढ़ी जाती है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने का जो सवाल है, तो ख़्वाब में आने के बारे में हदीसें हैं और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से अलग-अलग लफ़्ज़ों में नक़ल की गयी हैं, जिन को हम यहां पर बयान कर देते हैं और उन किताबों के हवाले भी बता देते हैं-

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि- 'जिसने मुझको ख़्वाब में देखा, उसने मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरा हम शक़ल नहीं बनता और मोमिन्न का अच्छा ख़्वाब नुबुवत के छिप्यालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है।'

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 442, हदीस 1882, किताबुर्ऊया,
 2. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 3, पृ० 32, हदीस 143, किताबुर्ऊया,
 3. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 124 हदीस 610, वाब 294, किताबुर्ऊया,
 4. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 676, हदीस 4379, किताबुर्ऊया,
 5. मज़ाहिरे हक जिल्द 4, पृ० 35, किताबुर्ऊया।
 6. दारमी शरीफ, पृ० 324, हदीस 2114, बाब 694, किताबुर्ऊया।

अब सुनिए ! शराब की तिजारत करने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, जुए का अड्डा चलाने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, सट्टे की बेटिंग लेने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, सूद खाने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, गाने-बजाने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, खेल-तमाशे करने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, जो रंडियां नाचने वाली हैं और जो उनको नचाते हैं, वे भी मीलाद पढ़वाते हैं, बाजारी औरतें और उनकी दलाली करने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, दाढ़ी मुंडवाने वाले और नमाज़ न पढ़ने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं। ये लोग जितनी मीलाद पढ़वाने की पाबन्दी करते हैं, इतनी नमाज़ पढ़ने की पाबन्दी नहीं करते हैं तो क्या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन लोगों के घर भी आते हैं? आप अपने दिल से भी पूछ लीजिए, आपका दिल गवाही देगा कि हर गिज़ नहीं आ सकते, मगर ये जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी और मीलाद पढ़ने वाले वहां भी मीलाद पढ़ने को जाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक को आयी हुई समझ कर कियामं करते हैं और झूम-झूम कर सलामी पढ़ते हैं। हद है कोई जिहालत की?

चौथी वजह - मज्लिसे मीलाद में ज़्यादा से ज़्यादा पचास या सौ रुपए खर्च होते हैं और कम से कम पांच या दस रुपए खर्च होते हैं। अब यहां पर सोचने की बात तो यह है कि इतना खर्च करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर हमारे घर तशरीफ़ ले आए तो ज़रा सोचो तो भाई साहब ! जो मालदार यानी अमीर लोग हैं, वे तो हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने घर बुलवाएं और फ़ैजे सालत से फ़ैजयाब हों, क्योंकि दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाले ऐसे भी पड़े हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत में अपनी जान को जान नहीं समझते, तो फिर दौलत क्या चीज़ है ? मगर ये सब बातें बे-असल हैं।

पांचवी वजह - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

अल्लाह तआला के फ़रिश्ते हैं। जो ज़मीन पर चलते फिरते हैं, वे मेरी उम्मत के सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 22, पृ० 33, सूर: अहज़ाब के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियललाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

'खुदा के फ़रिश्ते ज़मीन पर सफ़र करते रहते हैं, वे मरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं' ।

हवाला - 1. दारमी शरीफ़, पृ० 413, हदीस 2740, बाब 5167,

2. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 316, दरूद शरीफ़ का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 858, दरूद शरीफ़ का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद शरीफ़ का बयान ।

हदीस - हज़रत शदाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'जुमा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाएगा ।' (मुख्तसर)

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 174, हदीस 1097, नमाज़ का बयान ।

हदीस - हज़रत औस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि-

तुम्हारे दिनों में सब से अफ़ज़ल जुमा का दिन है, इसलिए उस दिन मुझ पर दरूद ज़्यादा भेजा करो, तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किये जाते हैं । (मुख्तसर)

हवाला - अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 398, हदीस 1034, बाब 358, जूनाज़े का बयान,

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह कहते हुए सुना है कि-

अपने घरों को क़ब्रों की तरह न बनाओ और मरी क़ब्र पर ईद और खुशी न करो, अल-बत्ता मुझ पर दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मेरे पास पहुंचते हैं, चाहे तुम कहीं भी हो ।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 860, दरूद का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 299 ।

मेरे दोस्त ! हदीसों से तो यह साबित होता है कि हम जो दरूद व सलाम पढ़ते हैं, उस दरूद व सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक फ़रिश्ते पहुंचा देते हैं, यह रसम जो मज्लिसे मीलाद में खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक को आयी हुई समझ कर सलामी पढ़ना और कियाम करना किसी तरह से भी साबित नहीं है तो कम से कम हदीसों की और फ़ुक़हाए किराम के फ़त्वों की तो लाज रखो । कहां तक जहालत में डूबे रहोगे ।

यहां एक बात और भी ग़ौर के काबिल है और वह यह कि एक तरफ़ तो यह कहा जाता

है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 'हाज़िर व नाज़िर' हैं, यानी हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ आंखों से देखते हैं, 'हाज़िर व नाज़िर' के यही मायने तो हैं, हालांकि ये सिफ़्तें तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की हैं।

तो अब सवाल यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं, तो मज्लिस में तशरीफ़ लाने का क्या मतलब हुआ ? अब दो बातों में से एक को मानना और एक को छोड़ना ही होगा। या तो कहो मज्लिसे मीलाद में हुजूर तशरीफ़ लाते हैं, तो हाज़िर व नाज़िर नहीं, क्योंकि तशरीफ़ तो वही लाता है, जो पहले से मौजूद न हो और जो मौजूद और हाज़िर हो तो तशरीफ़ लाना कैसा और अगर हाज़िर व नाज़िर मानते हो तो मीलाद की मस्फ़िल में आना और आने पर क़ियाम करने के लिए पूरी की पूरी मज्लिस का उठ कर सलाम पढ़ना ग़लत हुआ। अब इसका फैसला तुम खुद करो। ग़लत बात की खुसूसियत यही है कि वह पूरी फ़िट नहीं होती। कितना भी रंग व रोगन चढ़ाओ, ग़लत-ग़लत ही रहेगी मेरे भोले भैया!

सलामी

हदीस - हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझ से क़अब बिन उज़रा ने मुलाक़ात की और कहा कि क्या मैं तुम को वह चीज़ हदया न दूं, जिसको मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है!

मैंने कहा, हम को वह ज़रूर हदया दें।

उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया था कि- ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप पर और अह्ले बैत पर हम किस तरह दरूद भेजें ? अल्लाह तआला ने सलाम भेजने का तरीका तो हम को सिखा दिया है।

आपने फ़रमाया इस तरह कहो-

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिवं-व अला आलि
मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला इब्राही-म व अला
आले इब्राही-म इन्नका हमीदुम मजीद० अल्लाहुम-म
बारिक अला मुहम्मदिवं-व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारक-त अला इब्राहीम-म व अला आलि
इब्राही-म इन्न-क हमीदुम मजीद०

तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! दरूद और रहमते कामिल नाज़िल फ़रमा अपने हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और आप की औलाद पर ऐसे ही जैसे कि आप ने दरूद और रहमते कामिल नाज़िल फ़रमायी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर।

ऐ अल्लाह ! बरकत नाज़िल फ़रमा अपने हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

पर और उनकी औलाद पर जैसा कि तूने बरकत नाज़िल फ़रमायी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर, । बेशक बाप तारीफ़ के काबिल और ब्रजुर्ग हैं ।

- हवाला** - 1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 375, हदीस 963, बाब 334,
 2. दारमी शरीफ़, पृ० 219, हदीस 1332, बाब 261,
 3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 318, दरूद शरीफ़ का बयान,
 4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 195, हदीस 853, दरूद शरीफ़ का बयान,
 5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 297, दरूद शरीफ़ का बयान ।

ज़रा बताओ, वह कौन-सी सलामी थी, जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पढ़ते थे क्या वह यही सलामी थी जिसको आज के मीलाद पढ़ने वाले पढ़ते हैं ? या कोई और सलामी थी ? सुनिए हदीस शरीफ़ ।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो तशहहुद में यह कहते थे-

अस्सलामु अलल्लाहि क़ब-ल इ़बादिही, अस्सलामु अला

जिब्री-ल अस्सलामु अला मीकाई-ल अस्सलामु अला फ़ुलानिन०

तर्जुमा - यानी अल्लाह पर सलाम है, बन्दों में पहले, जिब्रील पर सलाम है, मीकाईल पर सलाम है, और फ़लां (यानी फ़रिश्तों वगैरह) पर सलाम है ।

पस एक दिन जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया- अल्लाह पर सलाम न कहो, क्योंकि अल्लाह खुद सलाम है, जब तुम में से कोई नमाज़ के अन्दर बैठे तो यह कहे-

अत्तहीय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्स-

लामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु व र्हमतुल्लाहि व ब-र-

कातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सा- लिहीन०

तर्जुमा - तमाम जिस्मानी और माली और कौली इबादतें सब अल्लाह ही के लिए हैं, सलामती और बरकत हो, ऐ नबी ! आप पर और र्हमतें नाज़िल हों आप पर और सलाम हो हमारे ऊपर और तमाम नेक बन्दों पर ।

पस जो आदमी इन कलिमों को कहे, तो पहुंचती है भलाई, (सलामी) उसकी हर नेक बन्दों को, जो आसमान और ज़मीन में हैं और फिर इन कलिमात को आपने इन लफ़्ज़ों पर खत्म किया ।

अशहदु अल-ला इला-ह हल्लल्लाहु व अशहदु अन-न

मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

तर्जुमा - मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।

इसके बाद जो दुआ पसन्द हो, वह मांगे।

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 192, हदीस 779, नमाज़ का बयान,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 64, हदीस 349, बाब 152, नमाज़ का बयान,
 3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 370, हदीस 955, बाब 333,
 4. दारमी शरीफ़, पृ० 218, हदीस 1330, बाब 260,
 5. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 149, हदीस 912, नमाज़ का बयान,
 6. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, दरूद शरीफ़ का बयान,
 7. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 194, हदीस 844, दरूद शरीफ़ का बयान,
 8. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 293, दरूद शरीफ़ का बयान।

यह है वह सलामी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिखायी थी, जिस पर आज तक बराबर अमल हो रहा है और क़ियामत तक अल्लाह के नेक बन्दे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाले करते रहेंगे। नमाज़ का पढ़ना फ़र्ज और सलामी का पढ़ना वाजिब और उस को पढ़ने के लिए बैठना वाजिब या फ़र्ज, अगर कादा-ए-ऊला है तो बैठना वाजिब है और अगर कादा-ए-अख़ीरा है तो बैठना फ़र्ज और तशहहुद का पढ़ना वाजिब है और आजकल जो नक़ली सलामी पढ़ी जाती है, वह दुनिया वालों की तरफ़ से बनायी गयी है, उस के लिए खड़ा होना फ़र्ज ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अहमियत उन जाहिलों ने दे रखी है। अगर कोई नमाज़ न पढ़े तो कोई उस पर लान-तान नहीं करेगा, लेकिन अगर मीलाद या वाज़ के बाद खड़े होकर सलामी न पढ़ी जाए या कोई मज्लिस में खड़ा न हो तो उस की जान लेने तक की नौबत आ जाती है, गोया फ़र्ज नमाज़ से भी इस सलामी की अहमियत ज़्यादा है। है कोई हद जहालत की।

जिस आदमी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक के ये लफ़ज़ मौजूद हैं और आप फ़रमाते हैं कि तुम यह सलामी-

(अस्सलामु अलैना व अला अ़िबादिल्लाहिस्सालिहीन०)

पढ़ो। जब ये लफ़ज़ ज़बान से निकलते हैं तो ज़मीन व आसमान में कोई नेक रूह ऐसी बाकी नहीं रहती, जिस को आप की सलामी न पहुंचती हो। सुब्हानल्लाह! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के उम्मतियों को भी इस सलामी में ले लिया है और उन के अलावा कोई सहाबी, कोई उम्मती और कोई वली ऐसा नहीं जिस को नमाज़ पढ़ने वालों की सलामी न पहुंचती हो, मर्द हो या औरत, यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक जो भी नेक

रूहें होने वाली हैं, उन सब को सलामी पहुंचती है। अब आप खुद ही इंसॉफ़ करें कि जिस सलामी के पढ़ने के लिए आठ आठ किताबों के हवाले मौजूद हैं, उसे छोड़ कर एक रस्म की पाबन्दी पर मर मिटना कौन-सी ईमानदारी और अक्लमंदी की दलील है? ये जेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी जहां तालीम हासिल करते हैं वहां पर यानी उन के मदरसों में, जबकि कुरआन का दर्स खत्म होता है या हदीस का दर्स खत्म होता है या अदब व फ़िक्ह की किताब का दर्स खत्म होता है, तो वहां पर न तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाते हैं और न ये लोग खड़े होकर सलामी पढ़ते हैं और रस्मी मीलाद के मुक़ाबले की जगह से मदरसों की जगह बहुत ऊंची है और रस्मी मीलाद के मुक़ाबले में दर्से कुरआन और दर्से हदीस तो सुब्हानल्लाह! क्या कहना! सारे दीन का दारोमदार ही इन दोनों पर है। इन से कोई इतना तो पूछे कि मौलवी साहब! आप खुदा के वास्ते सच और सही-सही बताइए कि आपको आप के उस्ताद ने कुरआन के दर्स में खड़े होकर सलामी पढ़ायी है या ख़त्मे हदीस के दर्स पर सलामी पढ़ायी है? तो जवाब यही मिलेगा कि नहीं।

क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दर्से कुरआन और दर्से हदीस में नहीं आते? सिर्फ़ मीलाद में आते हैं? तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नज़दीक कुरआन व हदीस की क़द्र नहीं है और रस्मी मीलाद की क़द्र है। अल्लाह की पनाह! किस कदर जहालत है कि समझाए नहीं समझते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नज़दीक इस सलामी की अहमियत कितनी थी, इस का अन्दाज़ा इस हदीस से आप लगाएं।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रूसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हम को इस तरह तशह्हुद सिखाते थे, जिस तरह कुरआन की कोई सूरः।

- हवाला** - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस 350, बाब 152, नमाज़ का बयान
2. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 60, हदीस 257, नमाज़ का बयान।
 3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 150, हदीस 915, नमाज़ का बयान,
 4. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 315, तशह्हुद इस तरह सिखाया, जैसे कुरआन की आयत,
 5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 194, हदीस 845, तशह्हुद का बयान,
 6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 294, तशह्हुद बयान।

सोचिए और गौर कीजिए, जो सलामी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रिज़्वानुन्नाहि अलैहिम अज-मई को सिखायी है, वह इस तरह सिखाते थे, जिस तरह कुरआन की तालीम देते थे, ताकि इस सलामी को खूब-खूब अहमियत दी जाए और किसी हालत में भी तर्क न किया जाए। अब जो लोग नमाज़ी हैं और पांचों नमाज़ें अदा करते हैं और पांचों

वक्त सलामी पढ़ते हैं, फर्ज, वाजिब, सुन्नत और नवाफिल वगैरह मिल कर लगभग चौबीस घंटे में अड़तालीस रकअतें हैं और उनके कुल पचास कादे होते हैं, तो हर नमाज़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और तमाम नबियों को और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के उम्मतियों को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पूरी उम्मत को हर रोज़ पच्चीस बार सलामी भेजता है। यह रस्मी इन मीलाद पढ़ने वालों की नज़र में नहीं आती, बल्कि उनकी बनायी हुई सलामी कोई खड़ा होकर न पढ़े, तो वह वहहाबी, काफ़िर, बे-दीन और जहन्नमी समझा जाता है जिस तरह ये जाहिल लोग खड़े होकर जमाअत के साथ राग-रागनी वाली सलामी पढ़ते हैं, इस तरह अगर कोई आदमी न पढ़े तो वह इन जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी के कौल के मुताबिक वहहाबी, काफ़िर, बे-दीन और जहन्नमी है, तो फिर लगभग डेढ़-दो लाख सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबिअीन रहिमहुमुल्लाह तआला व तबअ ताबिअीन रहिमहुमुल्लाहु तआला यहां तक कि बड़े पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि, ये सब के सब वहहाबी साबित हो गये। चूंकि इन बुजुर्गों ने खड़े होकर इन जाहिलों की सी सलामी नहीं पढ़ी है। अगर आप इन बुजुर्गों को मानते हैं तो तौबा कर लें और अगर इन तमाम बुजुर्गों को नअज़ुबिल्लाह वहहाबी और बे दीन समझते हैं तो अब आप खुद ही अपनी जहालत का अन्दाज़ा लगा लें।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजुरात के पहले रकूअ में आयत न० 1 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे पेशकदमी न करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यह ईमान वालों का पहला और बुनियादी तकाज़ा है कि जो आदमी अल्लाह को अपना रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना हादी और पेशवा मानता हो, वह अगर अपने इस अकीदे में सच्चा है, तो उस का तरीका यह नहीं होना चाहिए कि अपनी राय और ख्याल मुकद्दम रखे, न इन मामलों में आज़ादाना राय कायम करे, न उन के फैसले अपने आप तोड़ डाले और कुरआन व हदीस की कोई परवाह न करे, इसलिए हुक्म हो रहा है कि ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे पेशकदमी न करो, यानी उन से आगे बढ़ कर न चलो, बल्कि पीछे चलो, मुकद्दम न बनो, बल्कि ताबेअ बन कर रहो।

कुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे में, सूर: हुजुरात के पहले रकूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची न करो उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करो, जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो, वरना तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें ख़बर भी न होगी।

ईमान वालों को अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपनी आवाज़ों को बुलन्द न करो, बल्कि आप के सामने इस तरह भी न बोलो, जिस तरह तुम लोग आपस में एक दूसरे के सामने बोलते हो, अगर इस अदब में ज़रा भी कमी हुई तो याद रखो, तुम्हारा ईमान और सारी नेक कमाई ख़त्म हो जाएगी और तुम को पता तक भी नहीं चलेगा। हाजी साहिबान जो हज को जाते हैं और मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रोज़ा -ए-पाक पर हाज़िरी देते हैं, तो वहां भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ने की इजाज़त नहीं है और यही आयते करीमा ठीक उसी जगह पर लिख कर लगायी गयी है, जहां पर हुज्जाजे किराम सलामी पढ़ते हैं, तो रोज़ा-ए-अक़दस पर भी बुलन्द आवाज़ से कुछ भी न पढ़ा जाए, वरना तुम्हारे सारे आमाल ज़ब्त कर लिये जाएंगे और तुम्हें पता भी न चलेगा और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में नहीं आते, तो फिर खड़े होने का क्या मतलब?

ऐ किताब पढ़ने वालो ! खुदा के वास्ते इंसाफ़ करो कि ये लोग जो रस्मी मीलाद की मज्लिस के खड़े होकर सलामी पढ़ते हैं वे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हाज़िर यानी मज्लिसे मीलाद में तशरीफ़ फ़रमा समझ कर खड़े होते हैं। अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में बक़ौल मीलाद ख़्वां के आते हैं तो उन को ख़ामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि ख़ामोश होने का हुक़म खुदा का है। हमारे घर पर अगर कोई अच्छा नामवर आलिम आ जाता है या कोई पीर व मुर्शिद आ जाता है, तो सब के सब चुपचाप और अदब से बैठे हुए नज़र आते हैं, गोया कि सब को सांप सूंघ गया हो और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मट्फ़िल में आ जाएं, तो अल्लाह के हुक़म के ख़िलाफ़ ऐसा चीख़-चीख़ कर सलामी पढ़ते हैं कि वुजू भी टूट जाए। अब आप ही बताएं कि हक़ किधर है। कुरआन करीम की मुख़ालफ़त करने वाला भी कोई हशर के मैदान में अबदी सआदत हासिल कर सकता है ?

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजुरात के पहले रकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग पैग़म्बरे खुदा के सामने दबी आवाज़ से बोलते हैं खुदा ने उन के दिल तक्वा के लिए आज़मा लिये हैं, उनके लिए बरिख़ाश और बड़ा बदला है।

अल्लाह तबारक व तआला आप के सामने आवाज़ पस्त करने की रज़बत देता है फ़रमाता है, जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने अपनी आवाज़ें धीमी करते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक्वा के लिए ख़ालिस कर लिया है। अहले तक्वा और महल्ले तक्वा यही लोग हैं, यह खुदा की मग़िफ़रत और बड़े अज़्र के लायक हैं।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 75, सूर: हुजुरात के पहले रकूअ की तफ़सीर में।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: इहज़ाब के तीसरे रुकूअ आयत न० 56 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो! तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो।

इस आयते करीमा में 'सल्लू' का लफ़्ज़ पहले है और नबी का लफ़्ज़ बाद में है। सल्लू का मतलब सलाम या रहमत के होते हैं, तो इस आयत में पहले सलाम है और बाद में कलाम है और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेराज शरीफ़ हुई और आप अल्लाह के दरबार में जाने लगे तो आप अपनी जुबाने मुबारक से कहने लगे-

'अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तैयिबातु'

(यानी ऐ अल्लाह! मेरी जुबानी इबादतें, मेरी जिस्मानी इबादतें, मेरी माली इबादतें सब तेरे लिए हैं), तो उसके के जवाब में अल्लाह तआला ने फ़रमाया-

अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु (हमारा सलाम आप पर, ए नबी!)

इस हदीस के सबूत में हम पहले आठ किताबों के हवाले दे चुके हैं। इस हदीस से हम को यह समझना है।

कि अल्लाह तआला पहले सलाम भेजते हैं, बाद में कलाम करते हैं। अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक का इर्शाद किया हुआ फ़त्वा सुनिए-

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'कलाम करने से सलाम करना चाहिए।'

- हवाला** - 1. तिमिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 112, हदीस 558, आदाब का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 682, हदीस 4421, सलाम का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 51, सलाम का बयान,

'पहले सलाम करे, बाद में बात-चीत करे।'

- हवाला** - 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 345, कराहत का बयान,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 278, कराहत का बयान,
3. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 240, किताबुल ख़तर।

मेरे मोहतरम किताब पढ़ने वाले अब इन्साफ़ कर कि कुरआन का फ़त्वा है, पहले सलाम, बाद में कलाम। खुदावदे करीम का कौल है, पहले सलाम बाद में कलाम।

हदीस में आया है, पहले सलाम बाद में कलाम।

फ़िक्ह का फ़त्वा है, पहले सलाम, बाद में कलाम और ये मीलाद रूबां हज़रात जो सलामी

पढ़ते हैं, उस में पहले कलाम है, बाद में सलाम । दखिए इन साहिबों की सलामी 'या नबी सलाम, अलैकुम, या रसूल सलामु अलैकुम, या हबीब सलामु अलैकुम, सलवातुल्लाहि अलैकुम' कुरआन के खिलाफ, अल्लाह के कौल के खिलाफ हदीस के खिलाफ फिक्ह के खिलाफ अमल करके अपने आप को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाला समझते हैं। हद है कोई जहालत की !

जिस वक्त ये लोग सलामी पढ़ते हैं, उस वक्त इन जाहिलों को अजीब रंग-ढंग और जोश होता है, उसी जोश में सलामी के दर्मियान गालियां भी देने लगते हैं, सुनिए -

सुन्नियों का हो बोल बाला,

वहहाबियों का हो मुंह काला,

या नबी सलामु अलैकुम ।

ईमानदार और अक्लमंद इन्सान सोचें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने बुलन्द आवाज़ भी मना है, वहां पर ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हाज़िर व नाज़िर समझते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं, मख्लूक़े खुदा को गालियां देते हैं और अपने आप को ऊंचे दर्जे का सुन्नी समझते हैं ।

अगर कोई इन्सान समझना चाहे, तो उसके लिए कुरआन व हदीस और फिक्ह की किताबों के हवाले नम्बर मौजूद हैं और अगर कोई इन्सान अपनी जहालत ही पर चलना चाहे, तो यह उसकी मर्जी है, जो चाहे सो करे । समझाना हमारा काम था मानना या न मानना यह उसकी मर्जी की बात है और हिदायत का देना न देना यह अल्लाह के अख्तियार की बात है ।

जनाजे के साथ मीलाद

कहीं-कहीं देखा गया है कि जब कहीं मय्यत हो जाती है, तो ये मीलाद पढ़ने वाले मीलाद को जनाजों के साथ सवाब समझ कर पढ़ते हुए जाते हैं । मेरा अपना भी यही हाल था, क्योंकि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि मेरी पैदाइश रस्मों में हुई थी और मैं जवान भी इन्हीं रस्मों में हुआ, तो हमारे कुंबा और हमारी जमाअत वाले जैसा करते थे, और कहते थे मैं भी वही कहता और करता था । अब सुनिए जनाजे के साथ क्या करना चाहिए ? 'मक्खह है जनाजे के साथ बुलन्द करना आवाज़ का जिक्र या कुरआन की किरात में ।

हवाला - गायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 419, जनाजों का बयान ।

'जनाजे के साथ आवाज़ का बुलन्द करना जिक्र हो या कुरआन की किरात, मक्खह है ।'

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 316, करअत का बयान ।

जो लोग जनाजे के साथ जाते हैं, उन को खामोश रहना चाहिए और जिक्र और कुरआन

की किरात में आवाज़ का बुलन्द करना उनको मक्रूह है।'

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 228, जनाजे का बयान।

अब आप ही बताएं कि मौलूद का जनाजे के साथ पढ़ना सवाब है या अज़ाब ? शरीअत है या जहालत ? जब कुरआन शरीफ़ और खुदा का जिक्र ऊंची आवाज़ से जनाजे के साथ पढ़ना मना है, तो फिर मौलूद का पढ़ना जनाजे के साथ बुलन्द आवाज से कैसे जायज़ होगा ? हरगिज़ नहीं।

'अल्लाह का जिक्र करना चाहे, तो दिल में जिक्र करे।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द, 1 पृ० 228, जनाजे का बयान।

ये तो हैं फ़ुक़हा-ए किराम के फ़त्वे। अब आप खुद ही हमारे कुछ मुसलमान भाइयों की जहालत का अन्दाज़ा कर लीजिए।

मौलूद की मज्लिसों और मज्लिसों के फ़ज़ाइल

मौलूद के लुग़त के एतबार से मयाने हैं पैदा होने की जगह, वह जगह जहां पैदा हुआ हो, वतन, जाए पैदाइश, वक्ते पैदाइश और इस के मयाने पैदाइश के भी हैं, और मीलाद के मयाने भी पैदाइश के हैं और मौलूद के मयाने बच्चे के हैं और मज्लिस के लुग़त के एतबार से मयाने हैं बैठने की जगह, वह जगह जहां लोग जमा हों।

अब हिन्दुस्तान की जहालत को देखिए कि कुछ लोग मज्लिसे मौलूद राग-रागनी के क़सीदे पढ़ने को समझते हैं। अगर बजाए इस मीलाद पढ़ने के अल्लाह की हम्द व सना बयान करते या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक का बयान करते या आप की मुबास्क जिन्दगी का हाल बयान करते या शरीअत के हुकम और इमान व अमल लोगों को सिखलाते दुनिया से नफ़रत दिलाते और आख़िरत में जो नेमते मिलने वाली हैं, उनका शौक और रग़बत दिलाते और रस्म व रिवाज से नफ़रत दिलाते, बुरे कामों से रोकते और फ़िज़ूल खर्च करने से मना करते, आपस में इत्तिफ़ाक़ और मुहब्बत से रहने की ताकीद करते और निफ़ाक़ से लोगों को रोकने की कोशिश करते, नमाज़ व रोज़े की पाबन्दी खुद भी करते और दूसरों को भी ताकीद करते, तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इन बातों से इस्लाम ताज़ा और जिन्दा रहता है, और मुसलमान भाइयों में समझ पैदा होने से जहालत दूर होती है सिर्फ़ क़सीदों से पढ़ने से खुद पढ़ने वाले भी शरीअत की पाबन्दी से महरूम हैं, तो वे दूसरों को क्या हिदायत कर सकते हैं?

हदीस - हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कुछ फ़रिश्ते रास्तों में अल्लाह का जिक्र करने वालों को ढूँढ़ते फिरा करते हैं और जब उनको अल्लाह का जिक्र करने वाले मिल जाते हैं, तो वे अपने साथी फ़रिश्तों को पुकारते हैं कि आओ अपनी हाजत की तरफ़।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, फिर ये फ़रिश्ते उन लोगों को अपने परो

से ढांक लेते हैं और पहले आसमान तक तह ब तह पहुंच जाते हैं, जिक्र की मजलिस खत्म होने के बाद जब फरिश्ते अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो अल्लाह तआला उन से मालूम करता है, हालांकि वह उनसे ज्यादा जानता है कि मेरे बन्दे क्या कर रहे थे ?

ये कहते हैं ! तेरी तस्बीह व तक्दीस और हम्द व सना बयान कर रहे थे ।

खुदावन्द तआला बयान फरमाता है कि ऐ फरिश्तों ! क्या उन्होंने मुझको देखा है ?

फरिश्ते कहते हैं कि नहीं वल्लाह ! उन्होंने तुझको देखा नहीं है ।

अल्लाह तआला फरमाता है, फिर अगर वह मुझको देखते तो क्या होता?

फरिश्ते कहते हैं, अगर वह तुझ को देख लेते तो निहायत शिद्दत से तेरी हम्द व सना और तस्बीह व तक्दीस करते ।

फिर अल्लाह तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों ! वे मुझ से किस चीज़ का सवाल करते हैं?

फरिश्ते कहते हैं, वे तुझसे जन्नत मांगते हैं ।

अल्लाह तआला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है, जो उस की तलब करते हैं ।

फरिश्ते कहते हैं कि नहीं देखा है ।

अल्लाह तआला फरमाता है, अगर वे जन्नत को देख लेते तो क्या होता ?

फरिश्ते कहते हैं, अगर उस को देख लेते तो बहुत शिद्दत से उस की ख्वाहिश करते ।

फिर अल्लाह तआला फरिश्तों से कहता है कि वे पनाह किस चीज़ से मांगते हैं ।

फरिश्ते कहते हैं, दोज़ख़ से वे लोग पनाह मांगते हैं ।

अल्लाह तआला फरमाता है, क्या उन्होंने दोज़ख़ को देखा है?

फरिश्ते कहते हैं कि नहीं ।

अल्लाह तआला फरमाता है, उस को देख लेते तो क्या होता ?

फरिश्ते कहते हैं, अगर उस को देख लेते तो उससे भागते और बहुत ही खौफ़ करते ।

फिर अल्लाह तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तो ! मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने उन लोगों को बख़्श दिया । फिर उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है कि उन जिक्र करने वाले लोगों में एक आदमी जिक्र करने वालों में से नहीं था, बल्कि किसी ज़रूरत से वहां आ गया था ।

अल्लाह तआला फरमाता है, वे ऐसे लोग हैं, जिन का हमनशीन (साथ उठने-बैठने वाला) महरूम नहीं रहता, (यानी वे अल्लाह तआला का जिक्र करने वाले और उस जिक्र को दिल व जान से सुनने वाले ऐसे मर्तबे के मुबारक लोग हैं । अल्लाह जल्ल शानुहू के नज़दीक उनके साथ बैठने वाला भी बख़्श दिया जाता है) ।

- हवाला** - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 307, हदीस 1327, दुआ का बाब,
 2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 196, हदीस 964, बाब 454, दुआ का बाब,
 3. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 346, हदीस 1448, दुआ का बाब,
 4. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 372, हदीस 2143, जिकरुल्लाह का बयान,
 5. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 250, जिकरुल्लाह का बयान।

हदीस - हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

जब बहिश्त के बागों (की तरफ) से गुजरो, तो चर लिया करो।

लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि बहिश्त के बागों से क्या मुराद है ?

आपने फरमाया कि जिक्रे इलाही करने वालों के हलके (यानी जिक्रे इलाही करने वालों की मज्लिस, जन्नती मज्लिस है।)

हवाला - तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 324, हदीस 1360, दुआ का बयान।

हदीस - हजरत अबूहरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबूसईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु दोनों गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

हर वह जमाअत जो अल्लाह का जिक्र करती है, उसको फरिश्ते आ कर घेर लेते हैं और रस्मते इलाही आ कर उन को ढांप लेती है और उन पर क़ल्ब का इत्मीनान नाज़िल होता है और अल्लाह तआला उनका ऊंचे दर्जे के फरिश्तों में जिक्र करता है।

- हवाला** - 1. तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 287, हदीस 1230, दुआ का बयान,
 2. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस 2137, जिक्रे इलाही का बयान,
 3. मजाहिरे हक, जिल्द 2, पृ० 247, जिक्रे इलाही का बयान।

हदीस - हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

जिस वक़्त गुजरो तुम बहिश्त के बागों से, पस मेवे खाओ।

सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, जन्नत के बाग क्या हैं ?

फरमाया, जिक्रे इलाही के हलके।

हवाला - मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 2147, जिक्रे इलाही का बयान।

क़साइद की मज्लिसें

ऐ प्यारे दोस्त मेरे ! आप ने अल्लाह तआला का जिक्र करने वालों और सुनने वालों की फ़ज़ीलत का बयान तो सुन लिया और इस फ़ज़ीलत का कोई इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि हदीसों से साबित है और राग-रागनी से जमा हो कर दो-चार आगे और दस-बारह पीछे । जवाब देने वालों की मज्लिस का सवाब हमें किसी किताब में भी नज़र नहीं आया, बल्कि इस की तो मुमानिअत लिखी है सुनिए फ़त्वा-

‘शामी के हवाले से लिखा है कि बुरा है मन्नत करना मूलिद के पढ़ने का मीनारों में कि उसमें राग और लज़िब होता है और उसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बरखा जाता है ।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 537, किताबुस्सियाम ।

देखा मेरे प्यारे दोस्त ! इस में तो यह लिखा है कि ऐसी मीलाद, जिस में राग और लज़िब हो, उसके पढ़ने का कुछ भी सवाब नहीं है । अब हमारी जहालत को देखिए कि मीलाद पढ़ने वाले मीलाद पढ़ाने वालों को एक साल की बरकत का सवाब बताते हैं ।

कुछ खुदग़रज़ लोग अपने वाज़ में जाहिल, अनपढ़ और ग़रीब लोगों को समझाते हैं कि जो आदमी अपने घर में मीलाद पढ़वाता है । उस के घर में अल्लाह तआला एक साल की बरकत नाज़िल फ़रमाता है । यह किस मौलवी प. व. ह्य. उत्तरी थी कि मीलाद पढ़ाने वाले के घर में एक साल तक बरकत ख़त्म नहीं हाती । इन लोगों की बातें सुन कर बेचारे भोले, अनजान लोग हर साल में एक मीलाद का पढ़वाना ज़रूरी समझते हैं और मीलाद पढ़वाने की पाबन्दी ऐसी सख़्त करते हैं कि जिस महीने और जिस दिन अगली साल को मीलाद पढ़ायी थी, हर साल उसी दिन और उसी महीने में पढ़ाते हैं, ताकि घर में बरकत ख़त्म न हो जाए, और यही लोग नमाज़-रोज़े की पाबन्दी नहीं करते लेकिन मीलाद की तो तारीख़ टलनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए कुछ गांवों में लोगों की तरफ़ से तारीख़ मुक़र्रर होती है कि इस तारीख़ को मीलाद पढ़ने वाले सिवाए उस घर के और किसी के घर पर मीलाद पढ़ने को नहीं जा सकते । अब यह बात कैसे मानी जाए कि मीलाद पढ़वाने वाले के घर में एक साल तक बरकत कम नहीं होती । ये सब बनायी हुई बातें और ग़प हैं, क्योंकि हनफी मस्लक की मोतबर और मुस्तनद किताबों में तो ऐसी मीलाद कि जिस में राग व रागनी और लज़िब हो, पढ़ने और सुनने की भी मुमानिअत लिखी है और अपने आप को हनफी कहने वाले मुसलमान भाइयों को देखिए कि वे अमल क्या करते हैं, हालांकि ये लोग जो मीलाद पढ़ने वाले हैं, वे सब आपने आपको ऊंचे दर्जे का सुन्नी और हनफी समझते हैं ।

अब सुनिए दूसरा फ़त्वा ।

‘जो लोग मज्लिसे मीलाद में राग के शेर पढ़ते हैं, तो पढ़ना और सुनना हराम है और

पढ़ने वालों पर भारी खतरा है (कुफ़र का) ।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 224, कराहत का बाब ।

मेरे प्यारे दोस्त ! शेर व अशआर का पढ़ना जायज़ है, चाहे अल्लाह तआला की हम्द व सना में हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक में हो या किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में हो या किसी वली की शान में, या इस्लाम की सच्चाई के बारे में हो, मगर इतना ख्याल रहे कि शरीअत से टकराता न हो, यानी शरीअत का कुछ कहना हो और अशआर का मज़मून व मतलब कुछ और हो, तो ऐसे अशआर इन्सान को कुफ़ तक पहुंचा देते हैं ।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमते है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया

यकीनन अशआर में कुछ ऐसे होते हैं, जो हिक्मत की बातों से भरे होते हैं ।

हवाला - 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 132, हदीस 704, अब-वाबुल आदाब,
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 561, हदीस 3755, अदब का बयान ।

इस हदीस के आलावा और भी इस किस्म की हदीसें हैं, जिन से साबित होता है कि शेर व अशआर पढ़ना जायज़ है, मगर कभी भी ऐसा न हो कि शेर व शायरी में ऐसा लग जाए कि दीन की ज़रूरतों के मसाइल से भी गाफ़िल हो जाए, मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! तूने हमें बर्बाद कर दिया । आज गाने-बजाने वाले और मज्लिसों में क़सीदे पढ़ने वाले शेर व शायरी का मुशायरा कराने वाले अक्सर ऐसे देखे गये हैं कि नमाज़ तक नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों के लिये जो घमकी आयी है, वह भी सून लो-

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के ग्यारहवें रूकूअ में आयत न० 225-226 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'क्या तूने नहीं देखा कि शायर हर एक मैदान में सर टकराते फिरते हैं और वह कहते हैं, जो करते नहीं ।'

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन की नेक जमाअत के साथ अरज में जा रहे थे । एक शायर शेर पढ़ता हुआ मिला ।

आप ने फ़रमाया, इस शैतान को पकड़ लो । तुम में से कोई आदमी खून और पीप से अपना पेट भर ले, यह इससे बेहतर है कि वह शेअरों से अपना पेट भर ले । इन्हें जंगल की ठोकरें खाते किसने नहीं देखा ? हर लगू में ये घुस जाते हैं, कलाम के हर फ़न में बोलते हैं, कभी किसी की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, कभी किसी की मज़म्मत में आसमान ज़मीन सर पर उठाते हैं, झूठी तारीफ़ें, खुशामदाना बातें, झूठी बुराइयां, गढ़ी हुई बदियां इनके हिस्से में आयी हैं ये जुबान के भांड होते हैं, लेकिन काम के काहिल ।

हवाला - तफ्सीरे इब्ने कसीर, पार्श 19, पृ० 55, सूः शुअर के ग्यारहवें खूअ की तफ्सीर में।

हदीस - हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

तुम्हारा पेट अगर फेफड़े तक पीप से भर जाए, तो यह इससे अच्छा है कि शेअर उस में भर जाए।

हवाला - 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 561, हदीस 3759, अदब का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 133, हदीस 711, अदब का बयान।

हदीस - हज़रत अबू हुदैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

पेट को कै से भर लेना,, जो पेट को ख़राब कर दे, इस से बेहतर है कि उस में शेअर को भरे। (शेअर से मुराद बुरा शेअर है)

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 697, हदीस 4557 शेअर की मज़म्मत में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 87, शेअर की मुज़म्मत में।

ऐ मेरे प्यारे दोस्ते ! अब आप खुद तह्कीक़ कर लेना हम ने तो तह्कीक़ कर के फिर किताब लिखनी शुरू की है। जो लोग मीलाद पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं और गाने वाले हैं शेअर व अशआर का मुशायरा करने वाले और कराने वाले हैं, उन में से ज्यादा तर लोग आप को ऐसे मिलेंगे, जिन को दीन की ज़रूरतों में इस्तिज़ें का मसअला भी याद नहीं होगा, नमाज़ रोज़े और दूसरे फ़राइज़ और वाजिबात के मसाइल तो अलग रहे।

और कभी-कभी तो ये मजालिस करने वाले हज़रत ऐसे-ऐसे अशआर पढ़ देते हैं, जिन की वजह से कुफ़ तक नोबत पहुंच जाती है और ऐसे कुफ़ और शिर्क भरे अशआर अलापने वालों को भूल कर भी यह ख़्याल नहीं आता कि हम क्या बक रहे हैं। मैं पहले ही आप से यह अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं इन कामों को अच्छी तरह से जानता हूँ और वाकिफ़ भी हूँ, क्योंकि मैं खुद सतरह वर्ष तक क़व्वाल रहा हूँ, मगर अल्लाह तआला की रहमत देखिए कि आज अपने भाई मुसलमानों को समझाने के लिए किताब लिख रहा हूँ और वह आप के हाथ में आज मौजूद है। फ़-लिल्लाहिल हम्द।

आइए, एक बात और सुनाऊं-

पढ़ो कलिमा मुहम्मद का मुहम्मद नाम ले-लेकर

करो इस्लाम को ताज़ा मुहम्मद नाम ले-लेकर।

मेरे प्यारे दोस्त ! मजिलसे मीलाद में जब ये क़सीदे पढ़ते हैं, तो बड़े जुनून और जोश के साथ, बड़ी मस्ती और इश्क़ के साथ पढ़ते हैं और उन के अन्दाज़ और हालात से उस वक़्त ऐसा मालूम होता है कि अभी-अभी ये लोग इस्लाम को ज़िन्दा और ताज़ा कर के दिखा देंगे,

मगर बड़े अफ़सोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों को सुबह की नामज़ के लिए उठना भी भारी पड़ता है और कुछ तो नहीं बल्कि अक्सर इन में से ऐसे होते हैं जो सिरे से नमाज़ ही नहीं पढ़ते, सिर्फ़ क़सीदे पढ़ने के ऐसे शैकीन होते हैं कि कहीं से भी मीलाद की दावत आ जाए तो फ़ौरन कुबूल कर लेंगे और वक़्त से एक घंटा पहले ही बन ठन कर पहुंच जाएंगे, मगर शरीअत के ऊपर चलने से ऐसे भागते हैं, जैसे कमान से तीर और यही हालत ज्यादातर गाने-बजाने वालों की होती है।

आह ! है कोई खुदा तरस और दर्दनाक दिल जो इन लोगों की जहालत पर रो उठे।

तीन शर्तें

‘जिस ने मीलाद की मज्लिस को जायज़ रखा, उस ने अदब व सुकून और सही रिवायत की शर्त लगाई।’

हवाला— ऐनुलहिदाया, जिल्द 4, पृ० 224, कराहत का बयान। मेरे प्यारे दोस्त! तीन शर्तें हैं—

1. पहली शर्त अदब है, 2. दूसरी शर्त सुकून है, और 3. तीसरी शर्त सही रिवायत है।

अब हम इन तीनों को अलग-अलग बयान करते हैं, ताकि हमारे मोहतरम भाइयों की समझ में आ जाए।

पहली शर्त

अदब के अन्दर चार बातें हैं—

1. ताज़ीम, 2. कायदा, 3. अक़ल, और 4. इल्मे दीन।

मेरे प्यारे दोस्त ! आप ने कहीं तो देखा होगा कि मीलाद पढ़ने वाले कहीं-कहीं रात भर पढ़ते हैं और किसी जगह पर आधी रात तक और कहीं एक या दो घंटे तक पढ़ते हैं और इतनी देर तक सब इंसानों का वुजू नहीं रह सकता और बे वुजू मीलाद का पढ़ना और किताबों का छूना अदब के खिलाफ़ है और ज्यादा वक़्त लगाने से कुछ लोगों पर नींद का ग़लबा होने की वजह से ऊंघते रहते हैं। यह ताज़ीम और अदब के खिलाफ़ है।

जहां पर मीलाद पढ़ी जाती है, उन मीलाद पढ़ाने वालों के घरों में ताक़ वग़ैरह पर कुछ देहातों में फटे-पुराने जूते भी पड़े रहते हैं और वह घर में बे-ख़बरी से रह जाते हैं और पढ़ने वालों को पता भी नहीं होता। यह भी अदब के खिलाफ़ है।

जिस घर में मीलाद पढ़ी जाती है, उस घर की अच्छी तरह सफ़ाई तक नहीं होती, यह भी अदब के खिलाफ़ है

और जिस घर में मीलाद पढ़ी जाती है उस घर में कहीं-कहीं तो दुलदुल या बुराक़ या उन घर वालों की तस्वीरें वग़ैरह मकान की सजावट के लिए रखी हुई होती हैं। यह तो बिल्कुल

ही हराम है। इन फोटुओं का घर की सजावट के लिए रखना बिल्कुल शरीअत के खिलाफ है, क्योंकि जहां पर ऐसी तस्वीरें होती हैं, वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस का बयान आगे आ रहा है और मीलाद में करीब करीब सभी लोग जाहिल होते हैं। शरीअत का पाबन्द शायद ही आप को उस में से कोई मिले, न तो मीलाद पढ़ने वालों में शरीअत की पाबन्दी होती है और न घर वालों में और न ही सुनने वालों में, क्योंकि मीलाद पढ़ने वाले भी रस्मी तौर पर पढ़ते हैं और पढ़वाने वाले भी जहालत की वजह से पढ़वाते हैं और सुनने वाले भी रस्मी तौर पर जमा हो जाते हैं कि आज उस के घर हम नहीं जाएंगे, तो फिर कल हमारे घर कोई नहीं आएगा।

ये तमाम बातें ताजीम व कायदा और अदब के खिलाफ हैं और जहां पर दो-चार पढ़ने वाले जमा हो जाते हैं, तो उन लोगों में मुकाबला होने लगता है। आवाज और तर्ज में, कसीदों के पढ़ते वक्त सूरीली आवाज निकाल-निकाल कर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। यह सब ताजीम व कायदा और अदब के खिलाफ है और जिस जगह पर बहुत देर तक मीलाद पढ़ते हैं, वहां पर कुछ देर के लिए रुकते हैं। उस वक्त एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं या किसी की गीबत करते हैं। ये सारी बातें ताजीम और अदब और कायदे के खिलाफ हैं।

रही बात इल्म की तो इससे ये लोग बिल्कुल कोरे होते हैं। मीलाद पढ़वाने वाले और सुनने वाले खैर बेचारे बे-इल्म होते ही हैं। मगर जो मौलवी बन-ठन कर मीलाद पढ़ने को आते हैं, वे भी अदब और ताजीम का लिहाज नहीं करते और बहुत-सी बातें अदब के खिलाफ कर जाते हैं।

दूसरी शर्त सुकून है

मेरे प्यारे दोस्त ! सुकून कहते हैं खामोश रहने को, बे-हरकत व बे आवाज होने को।

आप ने देखा होगा कि घर के अन्दर मीलाद पढ़ी जाती हो, तो बाहर बैठने वाले बड़े मजे से बातें करते रहते हैं और बाहर मीलाद पढ़ी जाती हो, तो घर के अन्दर बड़े मजे में बातें करते रहते हैं गोया यह दूसरी शर्त के खिलाफ है।

तीसरी शर्त सही रिवायत है

मेरे प्यारे दोस्त ! आप को कुछ शेअर और उस का जवाब बता दूं ताकि पूरी बात आप की समझ में आ जाए-

है महशर में काफी वसीला तुम्हारा,

तुम आका हो मेरे, मैं बन्दा तुम्हारा।

इस शेअर में अल्लाह के रसूल सल्लल्ललाहु अलैहि व सल्लम का बन्दा अपने आप को बनाया है। अब सुनिय इस के बारे में कुरआन करीम की आयत और हदीस पाक।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के आठवें वकूअ में, आयत न० 79 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - किसी बशर से यह बात नहीं हो सकती है कि अल्लाह तआला उसको किताब और समझ और नुबूवत दें, फिर वह लोगों से कहने लगे कि खुदा को छोड़ कर तुम मेरे बन्दे बन जाओ, बल्कि यों कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ।

अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि यह हो नहीं सकता कि जिस को अल्लाह तआला नुबूवत दे, हिक्मत दे, और किताब भी अता फ़रमाये और फिर यों कहे कि तुम खुदा को छोड़ कर मेरे बन्दे बन जाओ।

यह तमाम ग़लत बातों की एक जामेअ तर्दीद है जो दुनिया की बहुत सी कौमों ने खुदा की तरफ़ से आये हुए पैग़म्बरों की तरफ़ जोड़ कर के अपनी मज़हबी किताबों में शामिल कर दी हैं और जिन के मुताबिक़ कोई पैग़म्बर या कोई बुजुर्ग या फ़रिश्ता किसी न किसी तरह खुदा और माबूद के दर्जे तक पहुंचा दिया गया है।

इस आयते करीमा में साफ़ बताया है कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बन्दगी या परस्तिश सिखलाती हो और किसी बन्दे को। बन्दगी की हद से हटा कर खुदाई के मुक़ाम तक ले जाती हो, हर गिज़-हर गिज़ किसी पैग़म्बर ने नहीं दी है। जहां कहीं-किसी मज़हबी किताब में यह चीज़ नज़र आए तो समझ लेना कि यह गुमराह लोगों की तहरीफ़ात का नतीजा है।

हदीस - हज़रत अबू हरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि तुम में से कोई यों न कहे कि मेरा बन्दा और मरी बन्दी।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 10, पृ० 573, हदीस 2356, गुलामों को आज़ाद करने का बयान,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 585, हदीस 1540, बाब 498, गुलामों को आज़ाद करने का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह भी अल्लाह के बन्दे हैं।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ।’ (मुख़्तसर)

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 17, पृ० 382, हदीस 1454, किताबुलमुग्ज़ाज़ी।

यूसुफ़ भी उनकी गुलामी में है,

देखा-देखा ज़लीखा हमारा नबी।

मेरे प्यारे दोस्त! इस शेअर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम का गुलाम साबित किया गया है और हदीस शरीफ में इस तरह कहने की मुमानिअत आयी है

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया गया कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है ?

आप ने फ़रमाया, जो सब से ज्यादा खुदा का खौफ़ रखता हो।

सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया, हम यह नहीं पूछते।

आप ने फ़रमाया, तो यूसुफ़ नबीयुल्लाह !

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 189, हदीस 701, मनाकिब का बयान।

ऐ प्यारे दोस्त मेरे ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुदा-ए-पाक के बाद तमाम ज़मीन व आसमान के रहले वालों से मर्तबे में बढ़ कर हैं। फिर भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आप तारीफ़ फ़रमा रहे हैं और हम क़सीदों में गुलाम साबित कर रहे हैं। यह है हमारी ज़हालत।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘तुम लोग अंबिया में आपस में एक दूसरे पर फ़ज़ीलत न दिया करो।’ (मुख्तसर)

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 9, पृ० 540, हदीस 2224, झगड़ों का बयान,
निकल जाए महिफल से जो बे-अदब हो,
उठो ताकि ताज़ीमे महबूबे रब हो।

मेरे प्यारे दोस्त ! मज्लिसे मीलाद वाले सलामी पढ़ने के वक़्त यानी खड़े होने से पहले यह शेअर पढ़ते हैं और इस शेअर में बयान है कि जो न उठे, वह बे-अदब है और इस मज्लिसे मीलाद से बाहर निकल जाए। हम पहले क़ियाम के बारे में पूरी तफ़सील के साथ बयान कर चुके हैं कि सहाबा क़िराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम के लिए नहीं उठते थे, तो गोया वे भी बे-अदब थे और इस चौदहवीं सदी में जो लोग मीलादख़्वां हैं, वे-अदब वाले पैदा हुए हैं। (अल्लाह की पनाह)

तमाम उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि अदना सहाबी के मर्तबे को कभी आला दर्जे का वली नहीं पहुंच सकता।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 35, मुक़दमे में।

निदा थी कि सरकार तशरीफ़ लाओ,

दो आलम के मुख़्तार तशरीफ़ लाओ।

जमी को भी इज़्ज़त हो अर्शे उला की,

दिखा जाओ बन्दों को सूरत खुदा की।

मेरे प्यारे दोस्त ! इस शेअर में अल्लाह तआला की शकल साबित की जा रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शकले मुबारक अल्लाह तआला के बराबर बतायी जा रही है और यह कुफ़्र है ।

अब मामूली से मामूली मुसलमान भाई भी समझ सकता है कि खुदा वन्द करीम की कोई सूरत व शकल नहीं और न हमारे मजहब में दूसरी कौमों की तरह अवतार हैं, फिर भी बे-घड़क ऐसे अशआर पढ़ देते हैं और कुछ सोचते नहीं कि हम क्या कहते हैं ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेराज वाली रात को जो बेहतरीन इनाम अता किये गये, उनमें से एक यह भी था कि आप से फ़रमाया गया कि तेरी उम्मत का कोई खुत्बा जायज़ नहीं, जब तक वह इस बात की गवाही न दें कि तू मेरा बन्दा और रसूल है ।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 95, सूः निसा के तीसरे रूकूअ की तफ़्सीर में ।
जिसने अल्लाह तआला की किसी खूबी को किसी मख्लूक की जैसा ठहराया, तो वह अल्लाह से काफ़िर हुआ, ।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 4, अक़ाइद का बयान ।

परदा-ए-इन्सान में आकर दिखाना था जमाल,

रखा लिया नामे मुहम्मद ताकि रसवाई न हो ।

मेरे प्यारे दोस्त ! इस शेअर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश मुबारक को अल्लाह तआला का अवतार बता दिया और यह कलिमा कहना कुफ़्र है । इसमें किसी का इस्तिलाफ़ नहीं है ।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सरताज हैं । हम ईसाइयों की तरह और यहूदियों की मानिंद इस कदर नहीं कहते कि खुदा-ए-पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सूरत में जाहिर हुआ था, क्योंकि यह (अकीदा रखना) कुफ़्र है ।

हवाला - तफ़्सीरे हक्कानी, पारा 1, पृ० 64, मुक़दमे में ।

किसी आदमी ने आप से कहा, ऐ मुहम्मद ! ऐ हमारे सरदार के लड़के ! ऐ हम सब से बेहतर के लड़के !

तो आपने फ़रमाया, लोगों ! अपनी बात का खुद ख्याल करो, कहीं शैतान तुम्हें इधर-उधर न कर दे । मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ मैं खुदा का बन्दा और उस का रसूल हूँ । कसम खुदा की, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे रत्ने में बढ़ा दो ।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 26, सूः निसा के तेईसवें रूकूअ की तफ़्सीर में ।

मेरे प्यारे दोस्त ! खूब सोच कि कहने वाले ने कोई खोटी या बुरी बात तो नहीं कही थी, फिर भी उस आदमी को रोक दिया गया, क्योंकि अगली उम्मतों की गुमराही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों के सामने फिर रही थी और वह गुमराही धीरे-धीरे इसी तरह फैली

थी, जिस तरह आज हिन्दुस्तान के अक्सर जाहिल मुसलमानों में फैल रही है।

मेरे अजीज दोस्त ! जो लोग गुमराह हुए और हो रहे हैं, उन में अक्सर नबियों और वलियों की मुहब्बत ही में होते हैं। शैतान उनको ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि लोग उस नबी या वली को खुदा के रूबे और मर्तबे के बराबर समझने लगते हैं, जैसे इल्म में, कुदरत में और तसर्कुफ़ वगैरह में।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत उमर को मीनार पर यह फ़रमाते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि- मुझे ऐसा न बढ़ाओ, जैसे नसारा (ईसाइयों) ने ईसा बिन मरयम को बढ़ाया क्योंकि मैं तो खुदा का बन्दा हूँ, बल्कि तुम (मैरी निस्बत) यह कहो, कि खुदा का बन्दा और उसका रसूल।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 178, हदीस 659, अंबिया की पैदाइश का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तो हम को समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी मगर हाय हमारी जहालत और बे इल्मी कि शरीअत को समझ ही न सके बल्कि यों कहें तो भी बजा है कि समझने की कुछ कोशिश ही नहीं की।

शैअल लिल्लाहि या अब्दल कादिर मुहीयद्दीन फ़िल क़ल्ब

हाज़िर जीलानी बिल्लाहिल बादिर अल-मदद या अब्दल कादिर-

कुछ लोगे वज़ीफ़े के तौर पर यों कहा करते हैं - 'या अब्दल कादिर शैअल-लिल्लाहि' - इस में राजेह अदमें तक्फ़ीर है (यानी कुफ़्र तो नहीं) लेकिन ख़ौफ़े कुफ़्र से ख़ाली नहीं।

हवाला - ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दूरें मुख्तार, जिल्द 2, पृ० 529, मुर्तद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! यह फ़त्वा तो सिर्फ़ 'शैअलिल्लाह' या अब्दल कादिर' कहने वालों के लिए है और 'अल-मदद या अब्दल कादिर' कहना और यकीनन मदद करने वाला समझना तो हनफी मस्लक में क़तअन कुफ़्र है।

सुनिए दूसरा फ़त्वा-

'जिसने गुमान किया कि भलाई या बुराई ग़ैर की तरफ़ से होती है, तो वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ और उसकी तौहीद बातिल हुई।'

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 10, अक़ाइद का बयान।

मुबारक हो कि पैदा शाहेवाला होने वाला है,

कि जिस के नूर से घर-घर उजाला होने वाला है।

इस शेअर में यह कहा जा रहा है कि दुनिया में अंधेरा है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैदा होंगे, तो घर-घर में उजाला हो जाएगा, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम को पैदा हुए लगभग चौदह सौ साल होने को आए हैं और पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्खिन तक दीने हक़ का नूर फैल गया और घर-घर में अल्लाह की तौहीद का नूर दुनिया वालों को-पहुंचा कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से तशरीफ़ भी ले गये और ये मीलाद वाले कहते हैं कि अब उजाला होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर में और उनके दिलों में बिदअतों का अंधेरा मौजूद है। इस वजह से दुनिया में फैला हुआ दिन व शरीअत का उजाला उनको नज़र नहीं आता।

मेरे मुह्सिन साहिबान ! अगर आप को उजाला देखना हो तो जिद से, जहालत से, रस्म व रिवाज से, कुफ़्र व शिर्क से, बिदअत और नफ़सानियत से तौबा कर ले, तो इन्शा अल्लाहु-तआला यकीनन आपके दिल की गुमराही का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको दीने हक़ का उजाला ही उजाला नज़र आने लगेगा। समझे मेरे भेले भैया!

अरब में चांद निकलेगा, जहां में रोशनी होगी,

बुतों के मुल्क में अल्लाह वाला होने वाला है

तौबा मेरे अल्लाह ! तौबा ! इस क़सीदे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत का इन्कार हो रहा है यानी अभी तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुनिया में पैदा नहीं हुए और इस्लाम नहीं फैला, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अब पैदा होने वाले हैं। अल्लाह की पनाह ! इन तमाम बातों को नज़र में रख कर हमारे हनफी उलेमा ने यह फ़त्वा दिया है कि-

‘अक्सर जाहिल मीलाद पढ़ने वाले ऐसे अशआर पढ़ते हैं कि उन अशआर के पढ़ने से कुफ़्र होने में किसी को ख़िलाफ़ नहीं है और हराम से कुफ़्र तक नौबत पहुंच जाती है।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 224, कराहत का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! सही और सच्चे मज़हब को मान लेना चाहिए। तावीलें कर के मतलब का रास्ता ढूँढना न चाहिए, क्योंकि जितनी उम्मतें गुमराह होती हैं, वे सिर्फ़ दो बातों से होती हैं- एक तो खुदा को छोड़ कर दूसरों को हाजतरवा समझना, और दूसरे यह कि सही मज़हब में तावील कर के अपना मतलब निकालना।

मां-बाप के हुक्क़

कुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के तीसरे ह्कूअ में, आयत न० 23-24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तेरा परवरदिगार साफ़-साफ़ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और मां-बाप के साथ सुलूक व एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ़ तक न कहना, न उन्हें डांट-डपट

करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बात-चीत करना और उनके सामने शफ़क़त से, इंकिसारी के साथ झुके रहना और यों दुआ करते रहना कि-

‘ऐ मेरे परवरदिगार ! इन दोनों पर रहमत फ़रमाइए, जैसा उन्होंने मुझ को बचपन में पाला और परवरिश की।’

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने वहां कुरआन पढ़ने की आवाज़ सुनी। मैं ने पूछा, यह कौन है, (जो कुरआन पढ़ता है) ?

फ़रिश्तों ने कहा, हारिसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु।

(यह सुन कर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को यह दर्जा क्योंकर मिला ?) आप ने इसकी वजह बयान करते हुए फ़रमाया यही सवाब है (मां बाप से) नेकी करने का और हारिसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने वाला था।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 711, हदीस 4680, अकारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 123, अकारिब के सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत बहज़ा बिन हकीम अपने वालिद से और वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज किया-

‘ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मैं किस के साथ भलाई करूं ? आप ने फ़रमाया, ‘अपनी मां के साथ।’

मैंने पूछा, ‘फिर किस के साथ ?’

फ़रमाया, ‘मां के साथ ?’

मैंने पूछा, ‘फिर किस के साथ ?’

फ़रमाया, ‘मां के साथ ?’

मैंने पूछा फिर किस के साथ.... ?

फ़रमाया, ‘बाप के साथ, फिर करीबतर रिश्तेदार के साथ और फिर उससे करीबतर रिश्तेदार के साथ।’

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 711, हदीस 4683, अकारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 124, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत मुआवियह बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज किया,

ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ! मैंने जिहाद पर जाने का इरादा किया है और आप से मशिवरा लेने आया हूँ।

आपने मालूम फरमाया, क्या तेरी मां (ज़िंदा) है ?

उसने अर्ज किया, हां।

आपने फरमाया, मां की खिदमत को अख्तियार कर, इसलिए कि जन्नत मां के कदमों में है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 713, हदीस 4693, अकारिब से सुलूक का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 128, अकारिब के सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत अस्सा बिनत अबी बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हां कहती हैं, मेरी मां मेरे पास आयी, (यानी मक्का से मदीने में) और वह मुश्रिक थी और यह वाकिफ़ा उस शक्त का है, जबकि कुरैश से हुदैबिया का समझौता हो चुका था।

मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरी मां मेरे पास आयी है और वह इस्लाम से बेज़ार है। क्या मैं उसके साथ सुलूक करूं ?

आप ने फरमाया, 'हां, उससे सुलूक करो।'

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 710, हदीस 4667, अकारिब से सुलूक का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 119, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

'परवरदिगार की रज़ामन्दी बाप की रज़ामन्दी में है और परवरदिगार की नाखुशी बाप की नाखुशी में है।'

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 711, हदीस 4681, अकारिब से सुलूक का बयान,

2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 124, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

जो आदमी इस हाल में सुबह करे कि वह मां-बाप के हक में खुदा के हुकमों को मानता हो (यानी मां-बाप के हकों को अदा करता हो), तो वह इस हाल में सुबह करता है कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। और मां-बाप में से कोई एक ही ज़िंदा हो तो जन्नत का एक दरवाज़ा खुला होता है और जो आदमी इस हाल में सुबह करे कि वह मां-बाप के हक में खुदा का नाफरमान हो, तो वह इस हाल में सुबह करता है कि उसके लिए दोज़ख के दरवाजे खुले होते हैं और मां-बाप में से कोई एक ज़िंदा हो तो दोज़ख का एक दरवाज़ा खुला

होता है।

एक आदमी ने अर्ज किया, अगरचे मां-बाप जुल्म करें ?

इस पर आप ने फ़रमाया, अगरचे उस पर जुल्म करें, अगरचे उस पर जुल्म करें, अगरचे उस पर जुल्म करें।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 713, हदीस, 4697, अकारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 128, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

-जो बेटा कि मां बाप को रहमत व शफ़क़त की नज़र से देखे अल्लाह उसके हिसाब में हर नज़र के बदले एक मक़बूल हज का सवाब लिखता है।'

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, अगरचे दिन भर में सौ बार देखे ?

आप ने फ़रमाया, हां, अल्लाह बहुत बड़ा और पाकीज़ा है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4698,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 129, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

अपने मां-बाप को गाली देना बड़े गुनाहों में से है।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या आदमी अपने मां-बाप को गाली दे सकता है ?

आप ने फ़रमाया, 'हां कोई आदमी किसी के मां-बाप को गाली देता है और वह उसके मां-बाप को गाली देता है।'

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 710, हदीस 4670, अकारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 120, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस शरीफ़ में है-

तुम अपने मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेगी, तुम गैर-औरतों से पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी।

हवाला - तबरानी व हाकिम,

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: अह्काफ़ के दूसरे रकूअ में आयत न० 15-16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जुमा - और हमने इंसान को अपने मां-बाप के साथ सुलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी मां ने उसे तकलीफ़ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त करके उसे जना, उस के हमल का और उस के दूध छुड़ाने का ज़माना तीस महीने का है, यहां तक कि जब वह अपनी कमाल कुव्वत के ज़माने को और चालीस साल की उम्र को पहुंचा, तो कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे तौफ़ीक़ दे कि तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं, तो तूने मुझ पर और मेरे मां-बाप पर इनाम किया है और यह कि मैं ऐसे नेक अमल करूं, जिन से तू खुश हो जाए और मेरी औलाद में भी सलाहियत पैदा कर। मैं तेरी तरफ़ रुजूअ करता हूं और मैं मुसलमानों में से हूं। यही वे लोग हैं, जिन के नेक अमाल तो हम कुबूल फ़रमा लेते हैं और जिन के बद-आमाल से दर गुज़र कर लेते हैं, जन्नती लोगों में हैं मुताबिक़ उस सच्चे वायदे के, जो उनसे किया जाता है।

अल्लाह के बाद इन्सानों में सब से मुक़द्दम हक़ मां-बाप का है, औलाद को मां-बाप का इत्ताअतगुज़ार, ख़िदमतगुज़ार और अदब शनास होना चाहिए समाज का इज्तिमाई अख़्लाक़ ऐसा होना चाहिए जो औलाद को मां-बाप से बे-नियाज़ बनाने वाला न हो, बल्कि उनके एहताराम का पाबन्द बनाये और बुढ़ापे में इसी तरह उनकी ख़िदमत करना सिखाये, जिस तरह बचपन में वह उसकी परवरिश कर चुके हैं।

मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी है

मेरे प्यारे दोस्त ! आप को जान लेना चाहिए कि जहां पर मक्रूहे तहरीमी लिखा हो, वह तो तहरीमी ही समझ जाएगा और जहां पर मक्रूहे तंजीही लिखा हो, वह तंजीही समझ जाएगा और जहां पर सिर्फ़ मक्रूह लिखा हो और उस के साथ तंजीही या तहरीमी कुछ भी न लिखा हो, तो उस मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी समझ जाएगा, बशर्ते कि इस के ख़िलाफ़ कोई करीना न हो।

‘मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी है।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तुर्जुमा दुर्रे मुख्तार जिल्द 1, पृ० 182, अज़ान का बयान।
इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि ‘हर मक्रूह हराम है।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 249, कराहत का बयान।

इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि से कहा कि जहां आपने कहा कि मैं इस को मक्रूह समझता हूं, तो उस में आप की क्या राय है ?

फ़रमाया, तहरीमी यानी हराम जानता हूं।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 214, कराहत का बयान।

इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि से रिवायत है कि हर मक्रूह हराम है यानी जिस

को मक्खे तहरीमी कहा है, वह हकीकत में हराम है यानी हराम का छोड़ना जरूरी है इसी तरह मक्खे का छोड़ना भी जरूरी है।

हवाला - ऐजुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 214, कराहत का बयान।

इस्तिंजा

हदीस - हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

अब पाखाने को बैठी, तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह न करो और उसकी तरफ़ पीठ भी न करो।
(मुख्तसर)

- हवाला** - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 105, हदीस 379, नमाज़ का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 47, हदीस 222, बाब 89, तहारत का बयान,
3. त्तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 2, हदीस 7, तराहत का बयान,
4. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा, पृ० 43, हदीस 9, बाब 4,
5. मिशक़ात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 128, हदीस 306, पाखाने के आदाब का बयान,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 120, पाखाने के आदाब का बयान।

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जो कोई क़िब्ला रुख़ पेशाब करने बैठ गया, फिर याद करके क़िब्ले की ताज़ीस के वास्ते दूसरी तरफ़ फिर गया तो उस बैठक से उठने न पायेगा कि उस की मग़फ़िरत हो जाएगी।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 160, किताबुत्तहारत, मक्खे तहरीमी है क़िब्ले का सामना करना और उस को पीठ देना पेशाब करने या पाखाने करने के वक़्त।

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 160, किताबुत्तहारत।
मेरे प्यारे दोस्त ! आज हमारी जहालत को देखिए कि मस्जिदों के पास कहीं-कहीं ऐसे पेशाब खाने बने हुए हैं कि मजबूरन क़िब्ले की तरफ़ पीठ करनी पड़ती है। मुसलमानों को चाहिए कि उसको सुधार लें।

‘मक्खे तहरीमी है पक्की ईट और ठीकरी और कांच, और हुर्मत वाली चीज़ से इस्तिंजा करना।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा, दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 159, किताबुत्तहारत।

मेरे प्यारे दोस्त ! अब हमारी जहालत को देखिए कि हमारे पेशाब खानों में पक्की ईट

और पक्की ठीकरी के सिवा अक्सर जगह पर तो और कुछ रखते ही नहीं। मेरे भैया ! कोई एक या दो बातें होतीं तो इन्सान को समझाने में सहल रहतीं, यहां तो लगभग सब काम उल्टे ही हो रहे हैं।

जिन औरतों के मासूम बच्चे होते हैं उन औरतों को भी चाहिए कि उन बच्चों को पेशाब-पाखाना कराते वक़्त उनका मुंह या पीठ क़िब्ले की तरफ़ न रखें, अगर उस बच्चे की पीठ या मुंह क़िब्ले की तरफ़ रखेगी, तो गुनाहगार मां होगी, बच्चा नहीं होगा और जब बच्चा समझदार हो जाए और तन्हा पेशाब या पाखाने के लिए जाने लगे तो उस वक़्त भी मां उस को समझा दिया करे कि बेटा ! जब पेशाब-पाखाने के लिए बैठा करो, तो क़िब्ले की तरफ़ न तो आप का मुंह होना चाहिए और न पीठ होनी चाहिए। इस समझाने का नतीजा यह होगा कि इन्शाअल्लाहु तआला ज़िन्दगी भर वह क़िब्ले का एहतराम करेगा और इस का सवाब उस की मां को मिलता रहेगा।

‘औरत को मक्रूह है कि बच्चे को पाखाना फिराने या पेशाब कराने को क़िब्ले की रुख़ लेकर बिठाए।’

हवाला - 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 250, तराहत का बयान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 67, तहारत का बयान।

कहीं-कहीं तो देखा गया है कि लोग बैतुल ख़ला में जाते वक़्त बीड़ी या सिगरे ज़लाकर पीते-पीते अन्दर जाते हैं और अन्दर बैठे आराम से पीते रहते हैं और कुछ लोग पान के आदी होते हैं, जो बैठे-बैठे पान चबाते रहते हैं और कुछ लोग तम्बाकू के आदी होते हैं, जो तम्बाकू को बैतुल ख़ला में बैठे-बैठे चूसते रहते हैं, जैसे कि बच्चे चाकलेट चूसते हैं। यह सब मना है। ऐसी बुरी आदतें इन्सान को छोड़ देनी चाहिए, बैतुल ख़ला में और पेशाबख़ाने में ख़ाना-पीना मना है और उस जगह पर थूकना भी मना है, क्योंकि मोमिन का थूक पाक है और वह जगह नापाक है।

एक बात यह भी देखी गयी है कि जब बैतुल ख़ला में जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी टोपी या पगड़ी उतार कर जाते हैं यानी खुले सर जाते हैं।

‘सर ढांक कर पाखाना में जावें।’

हवाला - 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 67, तहारत का बयान,

2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 250, तराहत का बयान।

यही साहिबान जो बैतुल ख़ला में खुले सर जाते हैं, वे जब खाना खाने के लिये बैठेंगे, उस वक़्त टोपी ज़रूर पहन लेंगे, अगर कोई लड़का खाना खाने के लिए बैठ गया और उस के सर पर टोपी नहीं है, तो उस को ताकीद करेंगे कि बेटा ! टोपी पहन कर खाना खाओ।

‘सर खुले खाना खाना मक्रूह नहीं है।’

- हवाला** - 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 275, कराहत का बयान,
 2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 298, कराहत का बयान,
 3. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 195, बाबुल हज़र।

कितना उलटा हो रहा है, जहां खुले सर जाने का हुक्म नहीं है, वहां बजाते खुद जाते हैं और जहां खुले सर खाना खाने की इजाज़त है, वहां रोकते हैं।

बैतुल ख़ला में या पेशाब ख़ाने में या हम्माम में दाख़िल होते वक़्त पहले बायां पैर डाले और निकलते वक़्त पहले सीधा पैर निकाले और मस्जिद में इसके ख़िलाफ़ करे यानी मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त पहले सीधा पैर डाले और निकलते वक़्त मस्जिद से पहले उलटा पैर निकाले, बाद में सीधा पैर निकाले।

पाख़ाने में दाख़िल होते वक़्त बायां पांव आगे बढ़ाये और निकले तो दाहिना पांव पहले बढ़ावे।

- हवाला** - 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 68, किताबुत्तहारत,
 2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 250, किताबुत्तहारत।

लहसुन, प्याज़ और तम्बाकू

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से एक आदमी ने पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से लहसुन के बारे में क्या सुना है?

उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो आदमी इस पेड़ में से खा ले, वह हमारे करीब न आए और हमारे साथ नमाज़ न पढ़ें।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 800, नमाज़ का बयान।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ प्याज के एक खेत के पास से गुज़रे। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वहां ठहर कर उस में से कुछ खा लिया और कुछ ने नहीं खाया। फिर हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप ने उन लोगों को, जिन्होंने प्याज नहीं खाया थी, अपने पास बुला लिया और जिन लोगों ने प्याज खाया थी, उन को उस वक़्त तक दूर रखा, जब तक कि उस की बू न जाती रही।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 90, हदीस 520, बाब 201, मसाजिद का बयान।

‘हुक्का पीना या तम्बाकू खाना मक्रूह तंजीही है, अगर बू आवे वरना कुछ हरज नहीं।’

हवाला - फ़तावा रशीदिया कामिल, पृ० 488, किताबुल हज़र, वल इबाहत (प्रिंट पाकिस्तान)।

मेरे प्यारे दोस्त ! इतना तो आप समझ सकते हैं कि इस तम्बाकू में प्याज़ और लहसुन से तो कई गुना ज्यादा और बुरी बदबू आती है। आप अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी कहते हैं और इतनी सी बात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत के लिए नहीं छूटती, बड़े अफ़सोस की बात है।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने,

जो आदमी इस बदबूदार पेड़ में से कुछ खाये यानी लहसुन और प्याज़ में से, तो वह हमारी मस्जिदों के करीब न आए, इसलिए कि फ़रिश्ते भी ईज़ा पाते हैं उस चीज़ से, जिस से अज़ीयत पाते हैं इंसान।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 170, हदीस 653, नमाज़ के मक़ामात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ 229, नमाज़ के मक़ामात का बयान।

हमें तो तर्जुबा हो चुका है कि जिन-जिन साहिबों ने अपनी ज़िन्दगी में न हुक्का पिया है, न बीड़ी पी है और न तम्बाकू खायी है, उनको भी तर्जुबा हुआ होगा। जमाअत से नमाज़ पढ़ने में कभी इत्तिफ़ाक़ से कोई ऐसा आदमी बराबर में खड़ा हो जाता है जो हुक्का, बीड़ी पीने का ज्यादा आदी होता है, तो उसके मुंह और बदन से इतनी बुरी बदबू आती है कि नमाज़ ख़त्म होने तक उसके पड़ोस में खड़ा रहना वबाले जान होता है।

यह भी तर्जुबा हुआ है कि रमज़ान के महीने में बीड़ी या हुक्का पीने वाले कुछ लोग उसी से रोज़ा खोलते हैं और ऐसा दम लगाते हैं कि जमाअत से नमाज़ पर कादिर नहीं रहते। कुछ देर के बाद होश में आते हैं, तब नमाज़ पढ़ते हैं। जो लोग हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि हक्क़ानी साहब ने तम्बाकू को हराम लिख दिया है, वह बिल्कुल ग़लत है, हम कोई मुफ़्ती नहीं हैं, कि फ़त्वा दें हम तो नक़ल करने वाले हैं।

यह भी तर्जुबा हुआ है कि जिन की आदत हुक्का या बीड़ी पीने की ज्यादा होती है और वे करीब में आ कर बात करते हैं, तो उनके मुंह से हवा तो बात करते वक़्त निकलती है, उस में इतनी बुरी बदबू आती है कि उन की बात ख़त्म होने तक सुनने वाले को सब्र करना भारी पड़ जाता है। यह भी तर्जुबा हुआ है कि जिस आदमी को हुक्का या बीड़ी पीने की आदत ज्यादा होती है, वह इन्सान अगर किसी गिलास या बरतन वगैरह में मुंह लगा कर पानी पी ले, तो फ़ौरी तौर पर कोई इन्सान उस बरतन से मुंह लगाकर पानी नहीं पी सकता और अगर पी ले, तो उसे या तो कै हो जाएगी या चक्कर आने लगेंगे या कुछ देर के लिए घबराहट-सी महसूस होने लगेगी।

चुरट पीना मिस्ल हुक्का पीने के मक्रूहे तहरीमी है और चुरट में नसारा से मुशाबहत की वजह से ज्यादातर कराहत है।

हवाला - मज़्मूअतुल फ़तावा, मौलाना अब्दुल हुई फरंगी महल्ली, जिल्द 1, पृ० 93।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शहद की नबीज़ के बारे में पूछा गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जितनी पीने की चीज़ें नशा लाती हैं, वे सब हराम हैं।

हवाला - 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 88, हदीस 397, बाब 191, पीने की चीज़ों का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 361, हदीस 1762, पीने की चीज़ों का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 563, हदीस 3449, शराब की वर्इद का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 330, शराब की वर्इद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! तम्बाकू में अगरचे इस दर्जे का नशा नहीं है, जिस दर्जे के नशे की तारीफ़ फ़िक्ह में की जाती है, यानी ऐसी मदहोशी जिसमें बात करने में कुछ का कुछ जुबान से निकले, मगर इतना तो ज़रूर है कि तम्बाकू का जो आदी होता है, जब तक उसको खाये या पियेगा नहीं दिल में प्रबराहट महसूस करता है और इबादत से जी उकताता है। मज्लिस में ज्यादा देर तक बैठने से उसका दिल घबरायेगा, जैसा कि आजकल अक्सर बीड़ी, सिग्रेट या हुक्का पीने वालों की आदत है।

हदीस - हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर उस चीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है जो नशा लाये और जो दिमाग़ में फ़तूर पैदा करे।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3461, शराब की वर्इद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 333, शराब की वर्इद का बयान।

एक शराबी जब शराब पीने का आदी हो जाता है और एक अफीमची जब अफीम खाने का आदी हो जाता है तो उस को थोड़ी-सी शराब और थोड़ा-सा अफीम असर नहीं करता, लेकिन जिस ने ज़िन्दगी में कभी शराब न पी हो और न अफीम खाया हो, उसको शराब या ज़रा-सी अफीम खिला-पिला कर देखो कि उस की हालत क्या होती है?

इसी तरह तम्बाकू खाने पीने वालों को नशा और तकलीफ़ मामूली होती क्योंकि ये लोग इसके आदी हो जाते हैं, मगर जिसने ज़िन्दगी में कभी तम्बाकू न खाया और न पिया हो, उस को ज़रा-सा खिला-पिला कर देखो कि उसकी क्या हालत होती है? जो इन्सान जिस जगह की तम्बाकू या बीड़ी का आदी हो जाता है, उस को अगर दूसरी जगह से तम्बाकू या बीड़ी लाकर दी जाती है तो उस की भी हालत बिगड़ जाती है, तो फिर जिसने ज़िन्दगी में कभी छुआ भी न हो, उस के लिए तो पूछना ही क्या।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुआ सुना है कि हर नशा वाली चीज़ हराम है।

हवाला - तिर्मिजी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 361, हदीस 1763, पीने की चीजों का बयान।
मेरे प्यारे दोस्त ! जितनी परहेजगारी करोगे, उतनी ही दिल में नूरानियत बढ़ती जाएगी।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जो चीज़ ज़्यादा तायदाद में इस्तेमाल करने से नशा लाए उस का थोड़ी तायदाद में इस्तेमाल करना भी हराम है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 564, हदीस 3456, शराब की वर्ईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 332, शराब की वर्ईद का बयान।

‘उलेमा ने लिखा है कि, ‘जिस की ज़्यादा मिक्दार नशा लाये, उसकी थोड़ी मिक्दार भी हराम है। यह ऐसी चीजों के लिए है जो पतली और बहने वाली हों, जैसे शराब, ताड़ी वगैरह।’

चुनांचे फ़त्वे की मशहूर किताब शामी में है, ‘जो बड़ी मिक्दार में नशा लावे, उस की थोड़ी मिक्दार हराम है।’

यह माइज़ के साथ खास है, यानी जो पतली बहने वाले पानी के मिस्ल हो, जामिद चीज़ें, जो अक़ल और बदन के लिए नुक़सानदेह हो, उस में उसी क़दर नुक़सान पहुंचाने वाली चीज़ों का खाना हराम है।

हवाला - शामी, जिल्द 5, पृ० 304, किताबुल अशिरबा। (मिस्री एडीशन)

‘नज़्मुद्दीन ज़ाहिदी ने कहा है कि चुरट का एक बार या दो बार इस्तेमाल करना बड़ा गुनाह तो नहीं है, मगर हमेशा इस्तेमाल करना बड़ा गुनाह है मिस्ल छोटे गुनाह के कि हमेशा करने से बड़ा हो जाता है।’

हवाला - दुर्रे मुख़्तार बर हाशिया शामी पृ० 305, जिल्द 5, पीने की चीजों का बयान।

‘तम्बाकू का हमेशा इस्तेमाल करना बड़ा गुनाह है, जैसे छोटे गुनाह को हमेशा करने से बड़ा गुनाह हो जाता है।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 268, पीने की चीजों का बयान।

‘इस्तेमाल तम्बाकू का हराम है।’

हवाला - मज़ाहिरे हक, जिल्द 3, पृ० 329, ख़म्र का बयान।

तम्बाकू के इस्तेमाल के बारे में हमने उलेमा के कौलों को मोतबर किताबों के हवाले से नक़ल कर दिया है। कोई उस को मुबाह करार देता है और बदबू पैदा करने की शक़ल में मक्खूह तंजीही बताता है और किसी ने उस को मक्खूहे तहरीमी कहा है, कोई हराम लिखता

है और किसी ने हमेशा इस्तेमाल करते रहने को बड़ा गुनाह करार दिया है।

यह इबारात तो थी हनफी किताबों की, जो आप ने पढ़ी। इस के अलावा दुनिया के तमाम साइंसदां और बड़े-बड़े डाक्टर साहिबान तम्बाकू के इस्तेमाल को नुकसान देह बता रहे हैं और हर हुकूमत अपने अपने मुल्कों में सिग्रेटों के पैकटों पर लिखवा रही है कि तम्बाकू का इस्तेमाल आप न करें, क्योंकि सेहत के लिए नुकसान देह है। इसके अलावा हिन्दुस्तान में भी हर सिग्रेट के पैकट पर यह लिखा हुआ है-

STATUTORY WARNING

CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

जखूरी इत्तिला
सिग्रेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है

तम्बाकू इस्तेमाल करने से जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, हालांकि शरीअत ने उस को पहले ही से मना कर रखा है। साइंस वालों की समझ में तो अब आया है। यह तम्बाकू जिस्म के लिए तो नुकसान देह है ही इस के अलावा उसको इस्तेमाल करने में फिजूल खर्ची भी है तो फिजूल खर्ची को भी शरीअत मना करती है, फिर ये कुछ मौलवी साहिबान इस तम्बाकू को मुबाह मुस्तहब साबित करने की फिक्र में हैं। यह जहालत नहीं तो और क्या है ?

मेरे प्यारे दोस्त ! मैं न तो आलिम हूं और न मुफ्ती। मेरा मंसब इन अलग-अलग फत्वों के बारे में फैसला करना भी नहीं है। यह काम बड़े-बड़े उलेमा -ए-दीन का है। मेरा काम तो उलेमा के फत्वों का सिर्फ नकल कर देना है। मैं अपनी तरफ से कोई फत्वा देने का अह्ल नहीं हूं और न मैंने फत्वा दिया है। फिर मुझ पर क्यों एतराज किया जाता है कि हक्कानी साहब ने तम्बाकू के बारे में यह लिखा, वह लिखा। भाई लिखा तो जखूर है, मगर वह नकल ही तो है। अगर नकल में मैंने गलती की हो तो आपको एतराज का पूरा हक है और अगर नकल सही है तो एतराज मुझ पर क्यों है? जिन किताबों से मैंने नकल किया है, उन किताबों के लिखने वालों पर एतराज करो।

मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि जब तम्बाकू के इस्तेमाल को कुछ उलेमा किराम मना करते हैं, यहां तक कि कुछ शक्लों को मक्खे तहरीमी करार दिया है तो इससे परहेज करना बेहतर है। आदी बन जाने के बाद मुंह में बदबू का अपने आप को तो एहसास नहीं होता मगर दूसरों को उस बदबू से सख्त तकलीफ होती है और इस हालत में उस को तमाम उलेमा मक्खे करार देते हैं। फिर क्या इस से हमको बचना नहीं चाहिए?

हदीस - हजरत आइशा सिदीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

‘जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो और कुछ भी ख्याल नहीं करते, उन से भी परहेज करो।’

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 643, हदीस 4241, परहेज गारी का बयान।

हदीस - हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि तुम लोग ऐसे काम कर गुज़रते हो कि वे तुम्हारी आंखों में बाल से ज्यादा बारीक होते हैं। इन्हों कामों को हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सख्त हलाक करने वाला (गुनाह) समझा करते थे।

हवाला - 1. सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पाय 26, पृ० 323, हदीस 1408, किताबुर्रिकाक़,
2. मिशक्रात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 764, हदीस 5094, रोने और डरने का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ 277, रोने और डरने का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! किसी गुनाह को हल्का और छोटा समझ कर करते रहना बहुत बड़ी नादानी है।

‘किसी गुनाह को मामूली समझना कुफ़्र है।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 44, अकाइद का बयान।

गुनाह कोई भी हो, मामूली नहीं होता। क्या आग की मामूली चिंगारी को कोई होशमंद अपने छप्पर में डालने की इजाज़त देगा ? हर गिज़ नहीं, तो फिर दीन की बातों में वह एह्तियात क्यों नहीं बरती जाती? देखिए नमाज़ में खुजलाना सिर्फ़ मक्रूह है। कोई इन्सान अगर एक ही रुकन में तीन बार खुजलाए तो हमारे हनफी उलेमा कहते हैं कि उस की नमाज़ ही टूट गयी, फिर से दोबारा नमाज़ शुरू करे।

‘अगर एक रुकन में तीन बार खुजलाया, तो उसकी नामज़ फ़ासिद हो जाएगी। यह इस सूरत में है कि जबकि हाथ उठाए, लेकिन अगर हाथ नहीं उठाया, तो फ़ासिद नहीं होगी, और अगर एक ही मर्तबा खुजलाया, तो सिर्फ़ मक्रूह है।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 143, नमाज़ का बयान।

हालांकि नमाज़ में खुजलाना सिर्फ़ मक्रूह था, मगर एक रुकन में तीन मर्तबा करने से नामज़ ही फ़ासिद हो गयी। अब आप सोचें कि तम्बाकू जैसी मक्रूहात का आदी बने रहना और उस को लगातार इस्तेमाल करते रहना कहां की अक्लमंदी है।

मेरे अजीज़ दोस्त ! तम्बाकू तो क्या, बल्कि हर मक्रूह हो छोड़ दो। आप तो नाटक और सिनेमा तक के आदी बने हुए हैं।

हदीस - हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा ख्याल करता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी यह डर रखता हो कि कहीं पहाड़ (या उस का कोई हिस्सा) उस पर न गिर पड़े (यानी अल्लाह की

नाफरमानी करने से डरता है) और फ़ाजिर (यानी बद-कार) गुनाह को ऐसा समझता है कि जैसे नाक पर एक मक्खी बैठी हो, हाथ हिलाया और वह उड़ गयी। (मुख्तार)

हवाला - 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 23, पृ० 286, हदीस 1231, दुआ का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 74, हदीस 360, क़ियामत का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के पांचवें रकूअ में आयत न० 90-91 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - परहेज़ागों के लिए जन्नत बिल्कुल करीब कर दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है। जन्नत मकरूहात में घिरी हुई है और दोज़ख़ र्खाहिशात में।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 225, हदीस 1066, बाब 496, जन्नत की नमतों का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! जन्नत मकरूहात में घिरी हुई है, यानी छोटे-छोटे मकरूहात तक को छोड़ने से जन्नत की ख़ास-ख़ास नेमतें मिलने वाली हैं और दोज़ख़ र्खाहिशाते नफ़सानी में यानी दिल की तमन्नाओं को शरीअत के ख़िलाफ़ पूरी करते रहना दोज़ख़ में जाने की वजह बन जाता है।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

'अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मैं ने अपने नेक बन्दों के लिए ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है कि जिस को न कभी आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और न किसी के दिल में उस का ख़्याल आया है।'

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 225, हदीस 1067, बाब 496, जन्नत की नमतों का बयान।

क़ुरआन मजीद के इक्कीसवें पारे में सूर: सज्दा के दूसरे रकूअ में आयत न० 17 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - कोई आदमी नहीं जानता कि उसके लिए क्या-क्या आंखें ठंडी करने वाली नेमतें उसके आमाल के बादले में छिपा रखी हैं।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ये सारी नेमतें गुमाह से बचने वालों के लिए हैं, मगर अफ़सोस उन लोगों पर है जो आख़िरत पर इमान रखते हैं और गुनाहों से बचने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते।

हदीस - हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जब खाना लाया जाता, तो उसमें से आप को जिस क़दर ख़ाहिश होती, आप खा लेते और बाकी मेरे पास भेज देते।

एक दिन आपने मेरे पास एक प्याला भेजा, जिस में से, खाया न था, इसलिए कि उस में लहसुन था। मैंने आप से पूछा, क्या लहसुन हराम है

फ़रमाया नहीं, लेकिन मैं इस की बू को पसन्द नहीं करता।

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, जिस चीज़ को आप पसन्द नहीं करते, मैं भी पसन्द नहीं करता।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 634, हदीस 3989, खानों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 495, खानों का बयान।

हदीस - हज़रत मुआविया बिन कुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो पेड़ों यानी लहसुन और प्याज़ से मना फ़रमाया है और कहा है कि जो आदमी इनको खाये, वह हमारे मस्जिदों के करीब न आए।

और फ़रमाया कि अगर उनका खाना ज़रूरी हो तो उनको पका कर (यानी उनकी बू मार कर) खाया करो।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 172, हदीस 678, नमाज़ के मक़ामात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 237, नमाज़ के मक़ामात का बयान।

पकाई हुई प्याज़ और पकाया हुआ लहसुन खाना मक्रूह नहीं है। क्योंकि पकने के बाद उस में से बदबू निकल जाती है।

नुजूम (तारे)

हदीस - हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

जो आदमी काहिन और नुजूमी (ज्योतिषी) के पास आए, और उससे मालूम करे, उस की चालीस दिन की नमाज़ें कुबूल नहीं की जाती।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 674, हदीस 4367, फ़ालगोई का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 31 फ़ात्रलगोयी का बयान

हदीस - हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुत्ते की कीमत, रंडियों की मज़दूरी और काहिन की उजरत (मुआवज़ा)

से मना फरमाया है।

- हवाला** - 1. सही बुखार शरीफ, जिल्द 3, पारा 22, पृ० 97, हदीस 315, तलाक़ का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 391, हदीस 1970, तिब्ब का बयान,
3. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 446, हदीस 2625, किताबुल बुयूज़,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 8, किताबुल बुयूज़।

हदीस - हज़रत इब्ने मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुत्ते की कीमत और रंडी ज़ानिया का खर्चा और काहिन और नजूमी की उजरत लेने-देने से मना फरमाया है-

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 1, पृ० 256, हदीस 1176, अब-वाबुल बुयूज़।

मेरे प्यारे दोस्त ! ये हदीसें इस लिए बयान की गयी हैं कि अक्सर जाहिल औरतें ज़रा-ज़रा सी तकलीफ़ या बीमारी या शादी वगैरह के वक़्त इन मौलवियों के पास जाती हैं कि फ़्लां-फ़्लां बारे में हमें ज़रा किताब में देख कर बताइए। वह मौलवी साहब किताब को निकाल कर सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं कि इस किताब पर सवा पांच आने रखो या सवा रुपए रखो या पांच रुपए रखो। जैसा इंसान हो, वैसा ही भाव करते हैं, फिर उस किताब पर उंगली रखते हैं या और कोई तर्कीब कर के अक्ली, झूठी बातें इधर-उधर की बता देते हैं और अक्सर जाहिल मुसलमान उन बातों को सच मान लेते हैं और इन पेटभरू मौलवियों का इन्हीं कामों पर पेटगुज़ारी का दारोमदार होता है।

ज़रा फुकहा-ए-किराम का फ़त्वा भी सुनतें जाइए मेरे भाई जान !

‘हराम है वह माल, जिस को ग़ैबी ख़बरें बताने पर लेते हैं।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 247, बाबुल हज़र।

तस्वीर

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु व सल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि-

खुदा के यहां सख़्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 664, हदीस 4272, तसावीर का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 572 तसावीर का बयान,

हदीस - हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है-

‘जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों, उस में फरिश्ते नहीं आते।’

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 663, हदीस 4264, तसावीर का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 570, तसावीर का बयान।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि-
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए एक तकिया भर दिया, जिस में तस्वीरें थीं और वह छोटा-सा था। पस आप दोनों दरवाज़ों के बीच में खड़े हो गये और आप के चेहरे का रंग बदलने लगा-

मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! हम से क्या कुसूर हुआ?

आपने फ़रमाया, यह तकिया कैसा है ?

मैंने कहा, यह तकिया मैंने आप के लिए बनाया है, ताकि आप इस पर लेटें।

आपने फ़रमाया, क्या तुम नहीं जानतीं कि फ़रिश्ते उस घर में नहीं जाते, जिस में तस्वीर हो और जो आदमी तस्वीर बनाता है, कियामत के दिन उस पर अज़ाब होगा और अल्लाह तआला (उन लोगों से) फ़रमायेगा कि जो सूरतें तुमने बनायी हैं, उन को जिन्दा करो।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 126, हदीस 455, पैदाइश का बयान,

2. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 663, हदीस 4267, तसावीर का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 571, तसावीर का बयान।

हदीस - हज़रत राफ़ेअ बिन इसहाक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि-

मैं और अब्दुल्लाह बिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों हज़रत अबूसईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उन की बीमारी में मिज़ाज पुरसी के लिए गये तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० ने फ़रमाया-

हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़बर दी है कि जिस घर में मूर्तियां या तस्वीरें हों, उस में रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 126, हदीस 663, बाबुल अदब।

मेरे प्यारे दोस्त ! इन हदीसों के बयान करने से मेरा मतलब यह है कि आजकल अक्सर मुसलमान भाई अपने-अपने घरों को तस्वीरों से सजाते हैं। कोई दुलदुल की तस्वीर रखता है, कोई बुराक़ की, कोई फ़िल्मों में काम करने वाले नट-नटनियों की और कोई अपनी और अपने घर वालों की तस्वीरों को मकान की सजावट के लिए दीवारों पर लगा रखता है।

अब यहां सोचने की जगह तो यह है कि जब कोई हमारे घर में मरता है तो उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फ़रिश्ते या अज़ाब के फ़रिश्ते आते हैं। अब अगर हदीस के मुताबिक़

जहां तस्वीरें हैं, वहां रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, तो उस घर में मरने वाले की रूह को अज़ाब के फ़रिश्ते लेने के लिए आएंगे। किस कदर जहालत है कि दुनिया की रौनक, ज़ीनत और मुहब्बत का अंधापन इंसान को जहन्नम तक ले जाता है। -

खान्दानी

कुरआन करीम के अठ्ठारहवें पारे में सूर: नूर के चौथे रकूअ में आयत न० 32 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुम में से जो लोग मुजर्रद (ग़ैर-शादी शुदा) हों और तुम्हारे लौंडी-गुलामों में से जो नेक हों, उनके निकाह कर दो। अगर वे ग़रीब हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन को ग़नी कर देगा। अल्लाह बड़ी वुसअत और जानने वाला है।

इस का मतलब असल में यह है कि मुसलमानों को आम तौर पर यह फ़िक्र होनी चाहिए कि उन के समाज में लोग बिन ब्याहे न बैठे रहें, खानदान वाले, दोस्त, पड़ोसी, सब इस मामले में दिलचस्पी लें और जिस का कोई न हो, उस को हुकूमत इस काम में मदद दे।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजूरात के दूसरे रकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ लोगों! हमने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और मुख्तलिफ़ खानदान बनाये ताकि एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ़ वही है जो सब से ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह खूब जानने वाला, पूरा ख़बरदार है।

अल्लाह तआला के नज़दीक मक्बूलियत के लिए खानदानी कोई चीज़ नहीं हैं, बल्कि परहेज़गारी है। एक इंसान अपने आप को सैयद या शेख़ कहता हो और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान को ठुकराता हो, उससे वह हब्शी अच्छा हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान पर दिल जान से अमल करता हो।

हम में एक जहालत यह भी है कि एक खानदान की लड़की दूसरे खानदान में नहीं दी जाती या एक खानदान दूसरे खानदान की लड़की को नहीं लेता, यह सब जहालत है।

अल्लाह तआला के नज़दीक तो तक्वा और परेजगारी पसन्द है। खानदान पसन्द नहीं है।

मेरे प्यारे दोस्त! हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमन भाइयों में एक यह भी जहालत की रस्म है कि ब्याही हुई लड़की या बहन बेवा हो जाए तो फिर दूसरी बार उसका निकाह किसी और से कर देना अपनी खानदानी रिवायत के खिलाफ़ समझते हैं और कुछ मर्द भी ऐसे ही हैं जो बेवा औरत से निकाह करना बुरा समझते हैं।

अब सुनिये खानदानी कौन है ?

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कुल ग्यारह बीवियां हुईं, जिन में से

सिर्फ एक ही बीवी हज़रत आइशा सिद्दीका कुवारी थीं और हज़रत ज़ैनब बिनते जहश को हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलाक़ दे दी थी, बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने निकाह में ले लिया था और उन के अलावा जो नौ बीविया हैं, वे सब की सब बेवाएं थीं और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो फ़ारुकें आजम कहलाते हैं, जिनकी बहादुरी का दुनिया में डंका बज गया, जिनके इंसफ़ का रहती दुनिया तक चर्चा रहेगा, जिन्होंने इस्लाम का झंडा आधी दुनिया पर लहरा दिया था, उन की बेटी हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा हो गयीं तो आप ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उन का निकाह पढ़ा दिया। हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में भी एक बेवा औरत थी, जिन के पेट से हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई थीं।

अब जो दीन के बानी-मुबानी थे, वे तो बेवाओं से निकाह भी कर लें और जो बेवा हो जाए, उस की दूसरी जगह किसी से शादी भी करा दें और हमारी जहालत को देखिये कि हम इसको अपनी ख़ानदानी रिवायत के खिलाफ़ समझते हैं।

मेरे प्यारे दोस्त ! जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी किया और हम को भी करने के लिए फ़रमाया, वह काम हमारे लिए सुन्नते मुअक्कदा हुआ, अब किसी सुन्नत को हकीर और बेकार समझ कर छोड़ना गोया ईमान से हाथ धोना है।

‘तर्क किया सुन्नत को और उन को हक़ समझता है, तब तो तर्क से गुनाहगार होगा, वरना काफ़िर हो जाएगा, यानी हिक़ारत की वजह से।’

हवाला - 1. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 316, नवाफ़िल का बाब,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 156, नवाफ़िल का बाब,

3. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 541, नमाज़ का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त ! जो कुछ लोग ख़ानदानी इज़्ज़त को पाल रहे हैं, वे तो हकीकत में अपनी आख़िरत के लिए बर्बादी है, दुनिया का घमंड और हमारे बड़े-बूढ़ों की रस्में हमें कहीं बर्बाद न कर दें। तौबा करो, आज ही किसी अच्छे और नेक आदमी से अपनी बेवा बेटी और अपनी बेवा बहन का निकाह कर दो। अगर कोई औरत अपनी औलाद की हिफ़ाज़त के ख़्याल से दूसरा निकाह करने से इंकार करे, तो उसे बैठे रहने की इजाज़त है, मगर आज कुछ जगहों पर लड़कियां बैठी हुई हैं। अपने बाप या भाई या कुन्बा के दबाव के मारे वे क़ियामत के दिन उन लोगों के लिए वबाले जान हैं, जो उन को निकाह से रोक रहे हैं।

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक औरत मेरे पास आयी, जिस के साथ उस की दो बेटियां भी थीं। मुझ से उसने कुछ मांगा। मेरे पास सिर्फ़ एक ख़जूर उस वक़्त थी, वही मैंने उस को दे दी। उसने उस ख़जूर को आधी-आधी दोनों बेटियों को दे

दी और खुद उसमें से कुछ न खाया। फिर वह उठी और बाहर चल दी।

उस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये। मैं ने यह वाक़िया बयान किया।

आपने फ़रमाया, जो आदमी इन लड़कियों के साथ आजमाइश में मुब्तला किया जाए (यानी जो बेटियों की वजह से मुसीबत और तंगी में पड़े), और वह उन बेटियों के साथ एहसान व सुलूक करे तो ये बेटियां उस के लिए दोज़ख़ की आग के सामने परदा होंगी (यानी उस को दोज़ख़ से बचाएंगी।)

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4703, बाब शफ़क़त व रहमत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 130, बाब शफ़क़त व रहमत।

हदीस - हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क्या मैं तुमको बेहतरीन सद्के से आगाह कर दूँ। वह अपनी उस बेटी साथ सुलूक करना है, जो तरी तरफ़ वापस कर दी गयी है, (यानी उसके शौहर ने तलाक़ दे दी है या मर गया है) और तेरे सिवा अब उस के लिए कोई कमाने वाला नहीं है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 720, हदीस 4755, बाब शफ़क़त व रहमत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 139, बाब शफ़क़त व रहमत।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जो आदमी दो बेटियों की परवरिश करे, यहां तक कि वे बालिग़ हो जाएं (यानी उनकी शादी हो जाए और वे अपने शौहर के घर पहुंच जाएं) तो वह आदमी और मैं क़ियामत के दिन इस तरह एक जगह होंगे, जिस तरह ये उगलियां हैं (यानी शहादत वाली और बीच की उंगली) और दोनों उगलियां को आपने मिला कर दिखाया।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4704, मरलूक पर शफ़क़त का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 130, मरलूक पर शफ़क़त का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जिस आदमी के पास एक बेटी हो और उसको (जाहिलियत के दिनों की तरह) ज़िन्दा दफ़न न किया हो, न उस को ज़लोल व ख़्वार करके रखा हो और हुकूक़ देने में लड़कों को उस पर तर्जीह न दी हो, दाख़िल करेगा अल्लाह उस को बहिश्त में।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 717, हदीस 4733, शफ़क़त व रहमत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 128, शफ़क़त व रहमत का बयान।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूः अहज़ाब के पांचवे रकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तुर्जमा - किसी मुसलमान मर्द व औरत को खुदा और उसके रसूल के फ़रमान के बाद अपने किसी मामले का कोई अख़्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो खुदा और उसके रसूल सल्ल० की जो भी नाफ़रमानी करे, वह खुली गुमराही में पड़ेगा।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का पैग़ाम लेकर हज़रत ज़ैनब बिनत जह़श रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये।

उन्होंने कहा, मैं उनसे निकाह नहीं करूंगी।

आपने फ़रमाया, ऐसा न कहो और उनसे निकाह कर लो।

हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि अच्छा, फिर कुछ मोहलत दीजिए, मैं कुछ सोच लूँ।

अभी ये बातें हो ही रही थीं कि वह्य नाज़िल हुई और यह आयत उतरी।

उसे सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या आप इस निकाह से रज़ामन्द हैं ?

आप ने फ़रमाया, हां,

तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि बस फिर मुझे कोई इंकार नहीं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नाफ़रमानी नहीं करने की। मैंने अपना नफ़्स उनके निकाह में दे दिया।

हवाला - तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 9, सूः अहज़ाब के पांचवें रकूअ की तफ़सीर में।

हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफीज़ाद बहन थीं। वह कुरैश ख़ानदान से थीं और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुलाम थे, जिन को आप ने बेटे की हैसियत से रखा था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रज़ामन्दी और खुशनूदी के लिये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी ख़ानदानी शराफ़त को नज़रंदाज़ कर दिया और एक गुलाम से निकाह कर लिया और आज हम लोग रुपयों की तलाश में हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रज़ामन्दी की तलाश में नहीं हैं, यह है जहालत।

कुछ जगहों पर दहेज़ का रिवाज है। कुछ जगहों पर लड़की वाले दो चार-हज़ार रुपए लेते हैं, तब लड़की देते हैं। कहीं-कहीं लड़के दो-चार हज़ार रुपए लेते हैं, तब लड़की को कुबूल करते हैं। यह रस्म कितनी बुरी और मनहूस है कि किसी-किसी जगह पर कई-कई लड़कियां बमैर शादी के बैठी हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी रस्मों को ख़त्म करें।

हाय हिन्दुस्तान, तेरी जहालत ! अब तो मैं भी तेरी जहालतों को बयान करते-करते थक गया हूँ। तूने तो हमारे अक्सर मुसलमान भाइयों को बर्बाद कर दिया।

औरतों की शानेमुबारक

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अहज़ाब के चौथे रकूअ में आयत न० 32 में अल्लाह इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - नबी की बीवियों ! तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो, तो दबी जुबान से बात न किया करो कि दिल की खराबी में मुबतला कोई आदमी लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ़ सीधी बात करो।

इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों से खिताब किया गया है, मगर मक्सूद तमाम मुसलमान घरों में इन इस्लाहों को लागू करना है। पाक बीवियों को मुखातब करने की गरज़ सिर्फ़ यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर से इस पाकीज़ा तर्जे ज़िन्दगी की शुरुआत होगी, तो बाकी सारे मुसलमान घरानों की औरतें खुद उस की तक़लीद करेंगी, क्योंकि यही घर उन के लिए नमूने की हैसियत रखता था।

आयते करीमा में यह बतलाया जा रहा है कि ज़रूरत पेश आने पर किसी मर्द से बात करने में कोई हरज नहीं है लेकिन ऐसे मौकों पर औरत का लेहजा और बात करने का अन्दाज़ ऐसा होना चाहिए, जिस से बात करने वाले मर्द के दिल में कभी यह ख्याल तक न गुज़र सके कि इस औरत से कोई और उम्मीद भी कायम की जा सकती है। उस के लेहजे में कोई लोच नहीं हो, उस की बातों में कोई लगावट न हो, उस की आवाज़ में जानते-बूझते कोई मिठास घुली हुई न हो, जो सुनने वाले मर्द के ज़ब्रों को भड़का सके और उसे आगे क़दम बढ़ाने की हिम्मत दिलाये।

बात करने के इस तरीके के बारे में अल्लाह तआला साफ़ फ़रमाता है कि यह किसी ऐसी औरत को ज़ेब नहीं देता, जिस के दिल में खुदा का डर और बुराई से बचने का ज़ब्बा हो।

दूसरे लफ़्ज़ों में यह फ़ाजिरा व फासिका औरतों के बात करने का अन्दाज़ है, न कि मोमिन परहेज़गार औरतों का।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: नूर के चौथे रकूअ में, आयत न० 31 में अल्लाह तआला इशादि फरमाता है-

तर्जुमा - और अपने पांव (ऐसे तौर पर ज़मीन पर) न मारें कि (झंकार की आवाज़ कानों में पहुंचे और) उन का छिपा हुआ ज़ेवर मालूम हो जाए।

अल्लाह रब्बुल आलमीन का मंशा यह मालूम होता है कि औरतें ख़्वाहमख़्वाह अपनी आवाज़ या अपने ज़ेवरों की झंकार ग़ैर-मर्दों को न सुनाएं और अगर ज़रूरत पड़ने पर अजनबियों से

बोलना पड़ जाए, तो पूरी एहतियात के साथ बात करें- इसी लिए औरत के लिए अज़ान देना मना है।

साथ ही अगर नमाज़ की जमाअत में कोई औरत मौजूद हो और इमाम कोई ग़लती करे, तो मर्द की तरह 'सुब्हानल्लाह' कहने की उसे इजाज़त नहीं है, बल्कि उस को सिर्फ़ हाथ पर हाथ मार कर आवाज़ पैदा करनी चाहिए, ताकि इमाम ख़बरदार हो जाए।

अब यह ज़रा सोचने की बात है कि जो दीन औरत को ग़ैर-मर्द से बात करते हुए भी लोचदार बात करने का तरीका अपनाने की इजाज़त नहीं देता और उसे मर्दों के सामने बिला ज़रूरत -आवाज़ निकालने से भी रोकता है, क्या वह कभी इस को पसन्द कर सकता है कि औरत स्टेज पर आ कर गाये, नाचे, थिरके, भाव बताये और नाज़ व नख़रे दिखाये? क्या वह इस की इजाज़त दे सकता है कि रेडियो पर औरत आशिकाना गीत गाये और सुरीले नग़मों के साथ बेहयाई के मज़्मून सुना-सुना कर लोगों के ज़ब्बात में आग लगाये? क्या वह इसे जायज़ रख सकता है कि औरतों को ड्रामों में कभी किसी की बीवी और कभी किसी की माशूका और कभी किसी की बहन और कभी उस की मां का पार्ट अदा करें? या मेज़बान बनायी जाएं उन्हें खास तौर पर मुसाफ़िरों का दिल लुभाने की तर्बियत दी जाए? या कल्बों और इज्तिमाज़ी तक़रीबों और मिली-जुली मज्लिसों में बन-ठन कर आएँ और मर्दों से खूब घुल-मिल कर बात-चीत और हंसी-मज़ाक करें? यह कल्चर आख़िर उन को कहां से मिला है? खुदा का नाज़िल किया हुआ कुरआन तो सबके सामने है। इस में कहीं इस कल्चर की गुंजाइश नज़र नहीं आती है अगर किसी जगह आती हो, तो उस जगह की निशानदेही की जाए।

हदीस - हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया -

अल्लाह तआला ने मुझ को दुनिया के लिए रहमत व बरकत की वजह बना कर भेजा है और बाजों, मज़ामीर, बुतों, सलेब और जाहिलियत की तमाम बुरी रस्मों और तरीकों को मिटाने का हुक्म दिया है और मेरे बुजुर्ग बरतर खुदा ने क़सम खायी है कि मेरे बंदों में से जो बंदा शराब का एक घूंट पियेगा, मैं उस को दोज़खियों के बदन से निकली हुई उतनी ही पीप पिलाऊंगा और जो आदमी मेरे डर से शराब पीना छोड़ देगा, मैं उस को पाक हौज़ में से (शराबे तहूर) पिलाऊंगा।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3465, शराब की वर्ईद,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 324, शराब की वर्ईद।

वे मुसलमान भी सोचें, जो शादी-ब्याह में शराबनोशी करते हैं और हज़ारों रुपए देकर गाने वालियों को बुलाते हैं, खुद भी हराम काम करते हैं और दूसरों को भी रुपए देकर हराम काम करवाते हैं।

कहीं तो एक गाने वाली बुलायी जाती है और कहीं तो दो गाने वाली बुलायी जाती हैं और कहीं तो ज्यादा बुलायी जाती हैं और रात भर गाना होता रहता है, लोग गाने वालियों से मज़ाक करते रहते हैं और रक़म भी देते हैं। गाने वालियां भी इशारों से बेवकूफ़ बनाती रहती हैं, इसी तरह रात भर हंसी मज़ाक़ होता रहता है और गाना बजाना भी होता रहता है। यहां तक कि फ़ज़र का वक़्त हो जाता है अज़ान भी होती रहती है और गाना बजाना भी होता रहता है अज़ान और नमाज़ का एहसास न गाने-बजाने वालों को होता है और न मस्फ़िल वालों को होता है। यही लोग अपने आप को आला दर्जे का सुन्नी समझते हैं। हद हो गयी जहालत की।

हदीस - हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थीं कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु (ना-बीना) आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम से फ़रमाया, इन से परदा करो।

मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! वह तो अंधे हैं, हम को नहीं देख सकते।

आप ने फ़रमाया, क्या तुम भी अंधी हो कि उनको नहीं देख सकतीं ?

हवाला - 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 491, हदीस 2964, आज़ा के छिपाने का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 117, आज़ा के छिपाने का बयान।

कहीं-कहीं कुछ रस्मी पीर साहिबान आते हैं और हमारी जवान बेटियां और जवान बहनें, जवान बहुएं उन पीर साहिबों को हवा झलती हैं और सर में तेल वगैरह भी डालती हैं और बैठ कर बड़े अदब व एहताराम से खाना भी खिलाती हैं।

अब आप ही सोचें कि यह कहां की शराफ़त है यह जहालत नहीं तो क्या शरीअत है?

पाक बीवियां तमाम मुसलमानों की माएं हैं। इस के बावजूद आपने एक अंधे सहाबी से परदा करने का हुक्म दिया और आज हमारी औरतों की बे-परदगी का क्या हाल है ? इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगायें ?

मर्दों और औरतों की शान अल्लाह तआला अपने कुरआन करीम के अन्दर एक साथ दोनों को किस अदा से बयान फ़रमाता है, जो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, उन की भली-भांति खूबियां गिन-गिन कर बयान फ़रमाता है और उन के लिए मग़िफ़रत और बड़े बदले का वायदा फ़रमाता है।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरा: अहज़ाब के पांचवें रकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इशाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें,

फरमांबरदारी करने वाले मर्द और फरमांबरदारी करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें, जिनाकारी से बचने वाले मर्द और जिनाकारी से बचने वाली औरतें, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह तआला ने भारी मग़्फ़रत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में अर्ज किया कि आख़िर इस की क्या वजह है कि मर्दों का जिक्र कुरआन में आता रहता है, लेकिन हम औरतों का तो जिक्र ही नहीं किया जाता? एक दिन मैं अपने घर में बैठी अपना सर सुलझा रही थी कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज़ मिन्बर पर सुनी। मैंने बालों को तो यों ही लपेट लिया और हुजूरों में आकर आप की बात सुनने लगी, तो आप उस वक़्त यही आयत तिलावत फ़रमा रहे थे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 7, सूरा अहज़ाब के पांचवें रूकूअ की तफ़्सीर में।

मेरी मां साहिबा ! जब तू तौहीद पर थी, जब तू दीन पर थी, जब तू परदे में थी, जब तू पाकदामन थी, जब तू हक़ पर थी, तो अल्लाह तआला ने तेरी गोद से ऐसे लाल पैदा किये हैं कि ज़मीन तो ज़मीन आसमान को भी फ़ख़्र हासिल है।

- तौहीद का डंका दुनिया में बजवाने वाले लाल मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- सच्चाई का सिक्का दुनिया पर बिठा देने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- सखावत की धूम दुनिया में मचा देने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए।
- बहादुरी का डंका दुनिया में बजा देने वाले लाल, मेरी मां, तेरी गोद से पैदा हुए,
- तीरों की बौछारों में और तलवारों की छांवों में भी नमाज़ को क़ज़ा नहीं करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- जब तू हक़ पर थी, तो आलिम तेरी गोद से पैदा हुए,
- मौलवी तेरी गोद से पैदा हुए,
- हाफ़िज़ तेरी गोद से पैदा हुए,
- क़ारी तेरी गोद से पैदा हुए,
- मुफ़्ती तेरी गोद से पैदा हुए,
- इमाम तेरी गोद से पैदा हुए,
- मुहद्दिसीन तेरी गोद से पैदा हुए,
- शहीद तेरी गोद से पैदा हुए,
- औलियाअल्लाह तेरी गोद से पैदा हुए,

- अरे, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी तो मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए हमने मान लिया कि तू आज नबियों को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि नुबूवत खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरी मां !

- तू वही मां है जो पहले थी,
- तेरी वही गोद है, जो पहले थी,
- तेरा वही खून है, जो पहले था,
- तू आज भी आलिमों को जन्म दे सकती है,
- तू मौलवियों को जन्म दे सकती है,
- तू कारियों को जन्म दे सकती है,
- तू हाफिजों को जन्म दे सकती है,
- तू मुफ्तियों को जन्म दे सकती है,
- तू इमामों को जन्म दे सकती है,
- तू मुहद्दीसीन को जन्म दे सकती है,
- तू सखियों को, बहादुरों को, दयानतदारों को जन्म दे सकती है,
- तू शहीदों को जन्म दे सकती है,
- मेरी मां ! तू औलिया अल्लाह को आज भी जन्म दे सकती है,

लेकिन जब से तू ने तौहीद को छोड़ा, तू ने परदे को छोड़ा, तू शिर्क करने लगी, सिनेमा देखने लगी, खेल-तमाशों में आने-जाने लगी, तो-

- शराब पीने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- जुआ खेलने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- चोरी करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुआ,
- चरस, गांजा, अफीम खाने-पीने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- ढोल, ताशे, शहनाइयां बजवा कर इस्लाम को बदनाम करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- नमाज़ नहीं पढ़ने वाले लाल, रोज़े नहीं रखने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- ज़कात नहीं देने वाले और-सूद खाने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- हैसियत होते हुए हज को नहीं जाने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- हक़परस्तों को सताने वाले और बातिलपरस्तों का साथ देने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,
- ताजियों को पूजने वाले और पुजवाने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,



- मज़ारों पर सज्दा करने वाले लाल और सज्दे करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

- कुफ़्र को सवाब समझने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

- शिर्क को निजात समझने वाले लाल, तेरी गोद से पैदा हुए,

- बिदअत को दीन समझने वाले लाल, तेरी गोद से पैदा हुए,

- बातिल को हक़ समझने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

- गुमराही को हिदायत समझने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

- जहालत को शरीअत समझने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

- हदीसों का इंकार करने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

- कुरआन करीम की आयतों को झुठलाने वाले लाल भी तो मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

तूने ऐसे को क्यों जन्म दिया? तू बांझ रहती तो अच्छा था, तू बे-औलाद रहती तो अच्छा था ।

मेरी मां साहिबा ! जब तू भली बनती है, तो भलों को जन्म देती है और जब तू बुरी बनती है, तो बुरों को जन्म देती है ।

जब तू भली थी तो-

○ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,

○ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी तो मेरी मां ! तूने जन्म दिया ।

और जब तू बुरी बनती है तो बुरों को जन्म देती है-

- नमरूद को तूने जन्म दिया,
- शदाद को तूने जन्म दिया,
- फिरऔन को तूने जन्म दिया,
- हामान को तूने जन्म दिया,
- काखून को तूने जन्म दिया,
- अबूजह्ल को भी तो मेरी मां ! तूने जन्म दिया ।

○ जब तू भली बनती है, तो पूरा घर भला होता है और जब तू बुरी बनती है, तो पूरे घर को बर्बाद कर देती है ।

○ तेरा दामन जब पाक होता है तो पूरे खानदान को फ़ख़्र हासिल होता है, जब तेरे दामन में दाग़ लग जाता है, तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है ।

○ जब तू सज्दे में जाती है, तो तेरा नन्हा-सा बच्चा, जो उम्र में सिर्फ़ दो साल का है, वह भी तुझ को सज्दे में देख कर सज्दे में गिर जाता है । जिस घर में मां नमाज़ी होती है, उस घर में छोटे बच्चे को भी सज्दा करने की आदत पड़ जाती है । तेरा नन्हा-सा बच्चा जब सज्दे में जाएगा, तो अल्लाह की रहमत उस पर झूम पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह तआला को सब से ज़्यादा पसन्द सज्दा है और तेरा मासूम सज्दे में गया हुआ है । अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आयी हुई है, तो अल्लाह तआला उस को उठा लेगा और अगर मुसीबत आने का इम्कान है, तो रोक लेगा । अल्लाह तआला उस बच्चे पर करम करेगा । जब यह बड़ा होगा, आलिम होगा, हाफ़िज़ होगा, क़ारी होगा, इमाम होगा, मुहद्दिस होगा, सखी होगा, बहादुर होगा, दयानतदार होगा, अमानतदार होगा, मख़्लूके, खुदा की भलाई चाहने वाला होगा, दीन का पहलवान होगा, शरीअत का शैदाई होगा, यकीनन कुछ न कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि तू ने उस पर सज्दे का रंग चढ़ा दिया है, इस लिए वह तो तौहीद परस्त होगा, हक़परस्त होगा, तेरे सज्दे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी ।

लेकिन अफ़सोस मेरी मां साहिबा ! तू ने सज्दे को छोड़ दिया, परदे को भी छोड़ दिया, सिनेमा देखने लगी, ढोल-ताशों पर गाने लगी, ताज़ियों पर कूटने और पीटने लगी, और तेरा पांच साल का लड़का तेरी ये सारी हरकत देख रहा है । अब यह लड़का जब जवान होगा, तो-

-औलिया अल्लाह के मज़ारों पर रंडियां नचवायेगा, क्योंकि मां को नाचते हुए देखा था, इसलिए उस पर कलर जो था, ग़लत चढ़ गया ।

-जिन औलियाअल्लाह ने अपनी पूरी ज़िन्दगी में दूसरी औरतों की शकल को देखना हराम समझा, उन औलियाअल्लाह के मज़ारों पर उर्स के नाम से रंडियों को नचवायेगा ।

- अगर उससे यों कहा जाए कि अपनी मां को नचा, अपनी बहन को नचा, अपनी बीवी

को नचा, अपनी लड़की को नचा, तो ऐसे लफ़्ज़ कहने वाले को गोली मार देगा, क्योंकि यह जुम्ला उसे पसन्द नहीं आया, लेकिन मेरे मोहिसन ! तू जिसको भी नचवा रहा है वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की बहन है, वह भी किसी की बीवी है, वह भी किसी की मां है, किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना तुझे ज़ेबा नहीं देता ।

- जिन-जिन चीज़ों को शरीअत ने हराम करार दिया है जिन चीज़ों से औलियाअल्लाह रह। हज़ारों मील दूर थे, वे सारी की सारी बातें उस के नाम से औलियाअल्लाह के मज़ारों पर करवायेगा, ढोल-ताशे, शहनाइयां वहां बजेंगी, चर्स, गांजा, अफीम वहां बिकेगी, जुआ वहां खेला जाएगा, बेपरदगी वहां होगी, कुफ़्र, शिर्क और बिदअतें वहां होंगी ।

- ये सारी हरकतें तेरे साहबजादे ने क्यों की, इसलिए कि तुझे नाचते हुए देखता था, तेरा असर बच्चे पर ग़लत पड़ गया -

- अब यह मदरसों की हिमायत नहीं करेगा,

- आलिमों की हिमायत नहीं करेगा,

- यतीमों, मिस्कीनों, मुहताजों, ग़रीबों की हिमायत नहीं करेगा,

- अब तो यह रंडियों को बुलवायेगा,

- क़व्वालों को बुलवाएगा, और

- औलियाअल्लाह के मज़ारों पर उस का मुक़ाबला करवायेगा,

- बहूरूपियों को बुलवायेगा,

- खेल-तमाशे वालों को बुलवायेगा,

- हज़ारों रुपए चन्दा कर के बेजा खर्च करेगा, क्योंकि,

- मेरी मां ! तुझे नाचते हुए देखा था, इसलिए इस पर कलर जो था, ग़लत चढ़ गया ।

आज मेरी मां साहिबा का आम तौर से रोना रहता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरा खाविन्द मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता इस किस्म का रोना आमतौर पर औरतें रोती रहती हैं लेकिन मेरी मां साहिबा तू ज़रा सोच तो सही कि तू खुद खुदा का कहा नहीं मानती खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कहा नहीं मानती अपनी भूल तुझे याद नहीं, अपनी ख़ता तुझे याद नहीं अपनी ग़लती तुझे याद नहीं । मेरी मां साहिबा तू खुदा का कहा मान ले, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कहा मान ले, तो तेरी बात तेरा बेटा मान लेगा, तेरी बात तेरा खाविन्द भी मान लेगा तेरी बात तेरा भाई भी मान लेगा तेरी बात तेरा बाप भी मान लेगा ।

लेकिन मेरी मां साहिबा ! तू खुदा के हुक्म को भूल गयी, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म को भूल गयी, तू तो मौलवियों के पास जाती है और उन से कहती है- 'मौलवी साहब ! मेरा खाविन्द मेरे ताबेअ हो जाए, मेरा कहना मान ले, मेरा उठाय़ा उठे, मेरा

बिठाया बैठे। एक ऐसा तावीज़ बना दो।' वह तुझे तावीज़ बना देता है और पांच-दस रुपए तुझ से ले भी लेता है।

मेरी मां साहिबा ! तू इस तावीज़ पर यकीन ले आयी, तू सोच तो सही, किसी मौलवी साहब के तावीज़ में यह तासीर और पावर होता कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के ताबेअ हो सकता है, तो फिर यह मौलवी ब-जाते खुद किसी लखपती को अपने ताबेअ क्यों नहीं कर लेता। ये मौलवी तेरे भालेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं।

इन मौलवियों से जब तू तंग आ जाती है, तो फिर मुजाविरों के पास जाती है और मुजाविरों से कहती है-

'मुजाविर बाबा ! मुझे फ़लां-फ़लां तकलीफ़ें हैं, उन को दूर कर दो या जिन की मुजावरी कर रहे हो, उन से दूर कराओ।'

और मुजाविर तुझे दरगाह पर से या ताज़िए के ऊपर से पानी फिरा-फिरा कर देता है और कहता है, इस को पियो और पिलाओ।

मेरी मां साहिबा ! तू इस पर यकीन ले आई ज़रा सोच तो सही कि यह मुजाविर जब कभी बीमार पड़ता है तो डाक्टरों के यहां इंजेक्शन लेने जाता है। मुजाविर अपने आप दरगाह के ऊपर से या ताज़िए के ऊपर से पानी फिरा के क्यों नहीं पीता ? ये लोग तेरे भालेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।

अपने खाविन्द की हक़ कमाई अपने मासूम बच्चों को खिला। इन नफ़सपरस्तों को, दीन के दुश्मनों को न खिला। तुझे मांगना है, तो खुदा से मांग ! खुदा से क्या कुछ नहीं मिलता ! खुदावंद करीम सारी दुनिया को एलान के साथ फ़रमा रहा है।

कुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के पन्द्रहवें रकूअ में आयत न० 145 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है--

तर्जुमा - और दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आख़िरत का सवाब चाहने वाले को हम वह भी दे देते हैं, एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे।

दुनिया चाहने वालों को अल्लाह तआला दुनिया देता है और आख़िरत चाहने वालों को आख़िरत देगा और दोनों चाहें, तो अल्लाह पाक दोनों देगा। उस की रहमत में कमी, नहीं उसकी खुदाई में ख़ामी नहीं, जो चाहो ले लो, जो मांगो पालो और अगर दुनिया भी न चाहो और आख़िरत भी न चाहो, सिर्फ़ जानवरों की ज़िन्दगी जीनी है या दुनिया में ठोकरे खानी हैं, तो ठोकरें ही खाते रहो, अल्लाह तआला को इस की भी परवाह नहीं है।

मेरी मां साहिबा ! जब तू सज्दे में जाती है, तेरे नन्हें-नन्हें हाथ जब आसमान की तरफ़ उठते हैं, तेरे आंसू जब तेरे गालों से बहने लगते हैं, उस वक़्त तेरी दुआ कितनी मक्बूल होती है, तेरी दुआ में कितनी तासीर होती है, तेरी दुआ में कितना असर होता है, तेरी दुआ में कितना

पावर होता है, इस की तुझे भी ख़बर नहीं, तुझे पता भी नहीं, तुझे मालूम भी नहीं, लेकिन हम को मालूम है, हम को पता है, हम को ख़बर है। हम बताते हैं कि तेरी दुआ में मक्बूलियत का कितना असर है।

हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि बचपन में अंधे हो गये थे। उन की मां बेटे के अंधे हो जाने से बहुत परेशान थीं और दिन रात दरगाहे रब्बुल आलमीन में दुआ फ़रमाती रहती थीं। एक रात उन्होंने ख़ाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि उन को मुखातब कर के फ़रमा रहे थे, तुम को खुशख़बरी हो कि अल्लाह तआला ने तेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस लौटा दी, सुबह को उठ कर उन्होंने देखा, तो बेटे की आंखें रोशन थीं।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65,

2. शरहे विकाया, जिल्द 1, पृ० 8।

बच्चा अंधा हो गया था, लेकिन मां अल्लाह की रहमत से ना'उम्मीद नहीं हुई और बराबर अल्लाह तआला से दुआएं मांगती रही।

कुरआन करीम के चौबीसवें पारे में सूर: जुमर के छठे रकूअ में आयत न० 53 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - मेरी रहमत से ना-उम्मीद न हो जाओ।

यह मां अल्लाह तआला से मांगने लगी-

'अल्लाह तआला तेरे ख़जाने में खोट नहीं है, तेरी रहमत में कमी नहीं है, तेरी रहमत से ना-उम्मीद होना बड़ा गुनाह है, तू मेरे बच्चे को आंखें देके रहेगा, मैं लेके रहूंगी।'

अल्लाह तआला की शान को देखिए कि उस बच्चे को अल्लाह तआला ने आंखें दे दीं।

मेरी मां साहिबा ! तेरी दुआ में यह तासीर थी, अंधे बच्चे को आंखें दिलाने वाली तू थी और आज तू मौलवियों से भीख मांग रही है। तू मुजाविरों से भीख मांग रही है ये सब तुझ से भीख मांगने के लायक हैं, तू उनसे भीख मांगने के लायक नहीं। ये सब तेरी गोद से पैदा हुए हैं, तू उन की गोद से नहीं। ये सब तेरे मुहताज हैं, तू इनकी मुहताज नहीं। ये सब तेरी गोद में पले हैं, तू उनकी गोद में नहीं।

मेरी मां साहिबा ! तू सोच तो सही-

- ये मौलवी तेरे जने हुए,

- हाफ़िज़ तेरे जने हुए,

- कारी तेरे जने हुए,

- आलिम तेरे जने हुए,

- मुफ़्ती तेरे जने हुए,

- मुहद्दिस तेरे जने हुए,

- इमाम तेरे जने हुए,
- शहीद तेरे जने हुए,
- गद्दीनशीन तेरे जने हुए,
- औलियाअल्लाह तेरे जने हुए,
- अंबिया अलैहिस्सलाम भी तो मेरी मां ! तेरे जने हुए, तू भीख किस से मांग रही है ? तेरा भीख मांगना तेरी शान के खिलाफ है, तेरे रुत्बे के खिलाफ है, तेरे मर्तबे के खिलाफ है।

इस मां की दुआ से वह बच्चा, जो बचपन में अंधा था, आंख वाला हो गया। उस के साथ मां की दुआ का असर देखिए, सारी दुनिया का इमाम भी बन गया, हालांकि-

- हमाम अबूहनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है,
- इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है,
- इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है,
- इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है।
- लेकिन उस बच्चे को, जिन का नाम मुहम्मद बिन इस्माईल है और इमाम बुखारी के नाम से मशहूर हैं, सब मसलक वालों ने इमाम मान लिया। यह तेरी दुआ का असर था !
- इतना ही नहीं कि इमाम हुआ, बल्कि आपने एक किताब लिखी, जिस का नाम सही बुखारी शरीफ़ है, जिस में सात हजार दो सौ पछहत्तर हदीसें मौजूद हैं। कुरआन करीम के बाद सारी दुनिया की किताबों में नम्बर एक समझी गयी। मेरी मां साहिबा ! यह तेरी दुआ ही का असर था।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने इस उम्मत में तीन आदमियों को देखा कि अगर वे बनी इस्राईल में होते, तो वे उम्मतों में न बटते। हमने उन की कुन्नियत अबू हमज़ा पुकार कर कहा कि उन को हमें भी बताइए और हम उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास सुफ़्फ़ा में बैठे हुए थे।

उन्होंने कहा कि एक औरत अपने साथ अपना एक बच्चा लेकर आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और वह बालिग़ हो चुका था। आपने उस औरत को औरतों का मेहमान बना दिया और उसके बेटे को हमारी मेहमानी में दे दिया। पस कुछ देर न लगी होगी कि मदीना तैबिया में उस को एक वबाई बीमारी लग गयी, तो कुछ दिन तो वह लड़का बीमार पड़ा रहा, उस के बाद उस का इंतिक़ाल हो गया।

आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसकी आंखें बन्द कर दीं और उस की तज्हीज़ व तक़फ़ीन का हुक़म फ़रमाया।

जब हमने उसको गुस्ल देने का इरादा किया, तो आप ने फ़रमाया-



ऐ अनस रज़ि० इस की मां के पास जाओ और उन को बताओ

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उन की वालिदा को वफ़ात की ख़बर दी। वह आयी, यहां तक की उनके पैरों के पास बैठ गयीं और ग़म में पैर पकड़ कर कहा-

इलाही ! मैं दिल से तुझ पर ईमान रखती हूं और बुतों से नफ़रत करके उन को छोड़ दिया और तेरी मुहब्बत में तेरे लिए हिजरत भी की। इलाही ! अब तू मुझ पर बुतपरस्तों को हंसी उड़ाने का मौक़ा न दे और ऐसी मुसीबत मुझ पर न डाल, जिस को उठाने की मुझ में ताक़त न हो।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अभी देर न लगी होगी कि उस लडके ने अपने पैरों को हरकत दी और अपने मुंह पर से कपड़ा हटा कर मुंह खोल दिया। फिर बड़ी मुद्दत तक जिन्दा व सलामत रहा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गयी और उसकी मां का भी इंतिक़ाल हो गया।

इस वाक़िअ को इमाम बैहकी रह० ने रिवायत किया है और इसको अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मर्फूअन नक़ल किया है और इस में इतना इज़ाफ़ा और है कि उम्मे साइब रज़ियल्लाहु अन्हा एक अंधी बूढ़ी औरत थीं।

हवाला - 1. अल-बिदाया वन-निहाया, जिल्द 6, पृ० 154,

2. तर्जु मानुसुन्नः, जिल्द 4, पृ० 345, हदीस 1545, बाब मुर्दों का ज़िन्दा करना

मेरी मां साहिबा ! मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने मुर्दों को ज़िन्दा करने वाली तू थी और आज तू मौलवियों से भीख मांग रही है, मुजाविरों से भीख मांग रही है, सज्जदा नशीनों से भीख मांग रही है, यह तेरी शान को ज़ेबा नहीं देता।

तेरी बहादुरी और अक़लमंदी शायद तुझे याद नहीं रही। तू भूल गयी लेकिन हम नहीं भूले, हम को याद है।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन के नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख़्र है और जिन के ईमानी जोश से आज तेरह सौ वर्ष बाद तक काफ़िरों के दिल में ख़ौफ़ है, इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के मुक़ाबले और तकलीफ़ पहुंचाने में भी मुस्ताज़ थे।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़त्ल के दरपे रहते थे। एक दिन काफ़िरों ने मशिवरे की कमेटी कायम की कि कोई है जो मुहम्मद को क़त्ल कर दे।

उमर ने कहा, मैं करूंगा।

लोगों ने कहा, बेशक तुम्हीं कर सकते हो ?

उमर तलवार लटकाये हुए उठे और चल दिये।

इसी फ़िक्क़ में जा रहे थे कि एक साहब क़बीला ज़ोहरा के, जिन का नाम हज़रत सज़द

बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु है और कुछ लोगों ने और साहब लिखे हैं, मिले।

उन्होंने पूछा कि उमर कहां जा रहे हो ?

कहने लगे, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के क़त्ल की फ़िक्र में हूँ (नअज़ुबिल्लाह)

हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बनू हाशिम और बनू ज़ोहरा और बनू अब्दे मुनाफ़ से कैसे मुत्मइन हो गये ? वे तुमको बदले में क़त्ल कर देंगे।

इस जवाब पर बिगड़ गये और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बे-दीन (यानी मुसलमान) हो गया, ला पहले तुझी को निमटा दूँ।

यह कह कर तलवार संभाल ली।

और हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यह कह कर कि हां, मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली।

दोनों तरफ़ से तलवार चलने को थी हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो ख़बर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं।

यह सुनना था कि गुस्से से भर गये और सीधे बहन के घर गये वहां हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु किवाड़ बन्द किये हुए उन दोनों मियां बीवी को कुरआन पढ़ा रहे थे।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किवाड़ खुलवाये। उन की आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु तो जल्दी से अन्दर छिप गये और वह सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर कुरआनी आयतें लिखी हुई थीं। बहन ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर रज़ि० के हाथ में कोई चीज़ थी, जिस को बहन के सर पर मारा, जिस से सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन! तू भी बद दीन हो गयी।

उस के बाद घर में आए और पूछा, क्या कर रहे थे और यह आवाज़ किस की थी?

बहनोई ने कहा कि बात-चीत कर रहे थे।

कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़ कर दूसरा दीन अख़्तियार कर लिया?

बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक़ हो तब ? यह सुनना था कि उन की दाढ़ी पकड़ कर खींची, और बे-हताशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिरा कर खूब मारा।

बहन ने छुड़ाने की कोशिश की, तो उन के मुंह पर एक तमांचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया, वह भी आख़िर उमर ही की बहन थी, कहने लगी कि उमर ! हम को इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गये। बेशक हम मुसलमान हो गये हैं, जो तुझ से हो सके, तू कर ले।

उसके बाद हज़रत उमर (रज़ि०) की निगाह उस सहीफ़े पर पड़ी, जो जल्दी में बहार रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मार-पीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म-सी भी आ रही थी, कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ, यह क्या है?

बहन ने कहा कि तू नापाक है और उस को नापाक हाथ नहीं लगा सकते।

बहुत बार कहा, मगर वह बिना वुजू और गुस्ल के देने को तैयार न हुई।

हज़रत उमर रज़ि० ने गुस्ल किया और उस को लेकर पढ़ा उस में सूरः ताहा लिखी हुई थी, उस को पढ़ना शुरू किया और-

‘इन्नी अनल्लाहू ला इला-ह इल्ला अना फ़ज़-बुदनी व अकिमिस्सला-त लिज़िक्री०’

तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गयी।

कहने लगे कि अच्छा, मुझे भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में ले चलो।

ये लफ़ज़ सुन कर हज़रत ख़ब्बाव रज़ियल्लाहु अन्हु अन्दर से निकले और कहा कि-

ऐ उमर! तुम्हें खुशख़बरी देता हूँ कि कल रात जुमेरात को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह! उमर और अबू जह्ल में जो तुझे ज्यादा पसन्द हो उस से इस्लाम को क़वत अता फ़रमा। (ये दोनों ताक़त में मशहूर थे) मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कुबूल हो गयी। इस के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हुए।

उनका मुसलमान होना था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गये, मगर फिर भी यह निहायत मुख़्तसर जमाअत थी और सारा मक्का, बल्कि सारे अरब में इस लिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे कर के, मशिवरे कर के इन हज़रात को नापेद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह के उपाय किये जाते थे, फिर भी इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का मुअज़्ज़ामा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि-

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह थी और उन की हिज़रत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफ़त रहमत थी।

हवाला - हिकायाते सहाबा, पृ० 19।

मेरी मां साहिबा! उस पहलवान का दिल इस्लाम की तरफ़ मोड़ने वाली तू थी, उन के दिल में ईमान का जोश पैदा करने वाली तू थी, हक़ परस्ती की तरफ़ झुकाने वाली तू थी, हज़रत उमर अपनी बहन के घर से खाना होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरवाज़े पर जाते हैं, तो गिने-चुने मुसलमान दरवाज़ा बन्द करके दीन सीख रहे थे, नमाज़ छिप-छिप कर घर में पढ़ी जा रही थी, मक्का के मुशिरकों का यह जुल्म था कि सच्चे खुदा का उन के सामने नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था।

हज़रत उमर रज़ि० ने दरवाज़े पर जाकर कुंडी खटखटायी और आवाज़ दी कि दरवाज़ा

खोलो ।

लोग आवाज़ पहचान गये कि हज़रत उमर की आवाज़ है, सब डर गये, क्योंकि हज़रत उमर रज़ि० अभी मुसलमान नहीं हुए थे और बहादुर भी थे, मुसलमानों से चिड़ते भी थे । मक्का के मुशिरकों की ताईद में भी थे । इस वजह से दरवाज़ा खोलने से लोग डर रहे थे । उन के जवाब का सिर्फ़ एक ही आदमी था, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ।

उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा खोलो, डरते क्या हो ? अगर अच्छी नीयत से आए हैं, तो अच्छी बात है, वरना उन्हीं की तलवार होगी और उन्हीं की गरदन ।

लेकिन दरवाज़े खोलने में सब से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब्क़्त ले गये और दरवाज़ा खोला ।

और कहा, ऐ उमर ! तू उस वक़्त तक मुसलमान नहीं होगा, जब तक तेरे ऊपर कोई अज़ाब नाज़िल न हो !

हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं अपनी बहन के दरबार से मुसलमान होके आ रहा हूँ ।

मेरी मां साहिबा ! यह तेरी सोहबत और कुर्बानी का असर था कि ऐसा कट्टर काफ़िर जो हज़ारों में बेड़ा उठा चुका था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक गरदन काटने के लिए जा रहा था, ऐसे आदमी को मुसलमान बनाने वाली तू थी ।

और आज तू हमको मुसलमान की हैसियत से जन्म देकर,

-हमारे कान में अज़ान व इक़ामत कहलवा कर,

-हमारा नाम मुहम्मद यूसुफ़, अय्यूब याक़ूब रखवा कर,

-हमारा ख़त्ना कटवा कर,

हम को तू मुसलमान न बना सकी । मेरी मां साहिबा ! तू खुद मुसलमान न रही, हम को क्या मुसलमान बनायेगी ।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे खुदा की इबादत छिप-छिप कर हो और बातिल खुदाओं की इबादत अलल एलान हो, अब यह नहीं होगा, क्योंकि उमर मुसलमान हो चुका है ? किस की ताक़त है, जो हम को नमाज़ पढ़ने से रोके ? चलो, बाहर निकलो, अब मैदान में नमाज़ पढ़ी जाएगी । जब तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को लेकर जो लगभग चालीस की तायदाद में थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्के के मैदान में नमाज़ पढ़ने के लिए चले हैं, तो मक्के में खलबली मच गयी । दुनिया आलम में सबसे पहले मैदान में अलल एलान नमाज़ पढ़ी गयी तो मेरी मां ! तेरे सड़के में पढ़ी गयी और इन्हीं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आधी दुनिया पर तौहीद का झंडा लहरा दिया । मेरी मां साहिबा ! यह तेरी कुर्बानियों का सड़का था, इस दिने इस्लाम में

सब से पहले ईमान लाने वाली हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं और इस दीने इस्लाम में सब से पहले शहादत का दर्जा हासिल करने वाली भी तू ही है।

हज़रत सुमैया बिनत ख़य्यात, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा थीं। यह भी अपने लड़के हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपने ख़ाविद हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह इस्लाम की ख़ातिर किस्म-किस्म की तकलीफ़ें और मशक्कतें बर्दाश्त करती थीं, मगर इस्लाम की सच्ची मुहब्बत, जो दिल में घर कर चुकी थी, उसमें ज़रा भी फ़र्क़ न आता था, उन को गर्मी के वक़्त सख़्त धूप में कंकरियों पर डाला जाता था और लोहे की ज़िरह पहना कर धूप में खड़ा किया जाता था, ताकि धूप में लोहा तपने लगे और उस की गर्मी से तकलीफ़ में ज़्यादाती हो।

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उधर को गुज़र होता, तो सब की नसीहत फ़रमाते और जन्नत का वायदा फ़रमाते।

एक बार हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खड़ी थीं कि अबू जहल का उधर को गुज़र हुआ, बुरा कहा और गुस्से में बर्छा शर्मगाह पर मारा, जिस के घाव से इंतिकाल फ़रमा गयीं। इस्लाम के लिए सब से पहली शहादत इन्हीं की हुई।

हवाला - हिकायाते सहाबा, पृ० 127।

मेरी मां साहिबा ! अल्लाह तआला ने तुझे जो शर्फ़ बख़्शा है, वह मर्दों को नहीं मिला-

० जब तू बेटी बन कर दुनिया में जन्म लेती है, मां-बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती है, और

० जब तू जवान होकर अपने शौहर के घर जाती है, तो तू खुद जन्नती बन जाती है और,

० जब तू औलाद वाली होती है, तो औलाद के लिए जन्नत की दलील बन जाती है।

यह मर्तबा अल्लाह तआला ने तुझे बख़्शा है, मर्दों को नहीं मिला। अब सुनिए वे हदीसें, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तेरी शान के बारे में बयान फ़रमायी हैं।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जिस आदमी के एक बेटी हो और उस को जाहिलियत (के दिनों) की तरह ज़िंदा दफ़न न किया हो, न उस को ज़लील व ख़वार कर के रखा हो और हकों के देने में लड़कों को उस पर तर्जीह न दी हो, दाख़िल करेगा अल्लाह उसको बहिश्त में।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 717, हदीस 4733, बाब शफ़क़त व रहमत,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 138, बाब शफ़क़त व रहमत।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने फरमाया है-

‘जो औरत पांचों वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के महीने के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह को महफूज़ रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उस को अख़्तियार है, जन्नत के जिस दरवाज़े से जाना चाहे चली जाए।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 509, हदीस 3093, सोहबत व इख़्तिलात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 176, सोहबत व इख़्तिलात का बयान।

हदीस - हज़रत मुआविया बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैंने जिहाद पर जाने का इरादा किया है और आप से मश्वरा लेने आया हूँ।

आपने पूछा, क्या तेरी मां (जिंदा) है ?

उसने अर्ज़ किया, हां।

आपने फ़रमाया, मां की ख़िदमत को अख़्तियार कर, इस लिए कि जन्नत मां के कदमों में है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 713, हदीस 4693, अकारिब से सुलूक,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 119, अकारिब से सुलूक।

तीजा और कुरआन ख़्वानी

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात की ख़बर सुनायी गयी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन के पास अपने में मशगूल करने वाली मुसीबत आयी है।’

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 193, हदीस 904, जनाजे का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 301, हदीस 1639, मय्यत पर रोने का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 70, मय्यत पर रोने का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! शरीअत का हुक्म तो यह था कि जिस के घर मैयत हो गयी हो, उन लोगों को खाना वगैरह पका कर खिलाया जाए, मगर हमारी जहालत दखिए कि कहीं-कहीं उलटे हम उस के घर खाने को जमा होते हैं।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि अहले मैयत के पास जमा होने और उन के वास्ते खाना तैयार करने को हम नौहा (की तरह) समझा करते थे।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 247 हदीस 1633, जनाज़े का बयान,

‘अहले मैयत को तीसरे दिन मेहमानी करना जायज़ नहीं।’

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 235, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

‘मय्यत वालों को खाना पका कर जमा होने वालों को खिलाना मक्ख़हे तहरीमी है (यानी हराम के नज़दीक है)

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 732, मैयत के दफ़न का बयान,

कुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रूक़ुअ में आयत न० 204 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब कुरआन पढ़ा जाए तो उस की तरफ़ कान लगा कर खामोशी के साथ सुना करो, उम्मीद है कि तुम रहम किये जाओ।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘न बुलन्द आवाज़ से पढ़े एक दूसरे पर कोई कुरआन करीम।’

हवाला 1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, हदीस 792, किरात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 279, किरात का बयान।

‘कुरआन करीम के तीस पारे में जमाअत के साथ पारा-पारा कर के पढ़ना मक्ख़हे तहरीमी है, क्योंकि ऐसा करने से आपस में आवाज़ों का बुलन्द करना कि एक दूसरे की किरात न सुने, लाज़िम आता है।’

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 316, किताबुल कराहत।

‘वाजिब है सुनना किराते कुरआन का हर हाल में।’

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 253, नमाज़ का बयान।

किसी उर्र की वजह से कुरआन की किरात न सुन सके तो माफ़ है, जैसे-

घर में लड़का कुरआन मजीद की तिलावत कर रहा है और घर वाले काम-काज में लगे हुए हैं, तो उन पर वाजिब नहीं था बाज़ार में कोई आदमी तिलावत कर रहा है तो बाज़ार में काम-काज के लिए आने-जाने वालों पर कुरआन की किरात का सुनना वाजिब नहीं, अला हाज़ल कियास, बल्कि ऐसी जगह आवाज़ से कुरआन पढ़ने वाला गुनाहगार होगा।

फ़तावा शामी में है कि कुरआन पढ़ने वाले पर कुरआन का एहताराम वाजिब है।

‘इस तरह बाजारों और मशगूलियतों की जगह न पड़े। अगर ऐसी जगहों में पड़ेगा, तो वह खुद ही कुरआन के एहताराम के खिलाफ़ करने वाला होगा, इस लिए वह खुद गुनाहगार होगा, न कि काम में लगे हुए लोग।’

हवाला - फ़तावा शामी, जिल्द 1, पृ० 383, कुरआन की किरात का बयान।

अगर ये लोग जमा होकर कुरआन पढ़ने वाले चुपके से पढ़ें और किसी की भी आवाज़ बुलन्द न हो, तो जायज़ है, लेकिन यह मुश्किल है कि सब लोग खामोशी के साथ पढ़ें, क्योंकि सब लोग मसाइल को नहीं जान पाते।

एक बात समझने के काबिल है, वह यह कि मैयत के मर जाने के बाद तीसरे दिन तीजा और ख़त्मे कुरआन क्यों करते हैं, पहले ही दिन क्यों नहीं कर लेते? अगर हमारे भाई या बाप या बेटे को कोई दारोगा पकड़ कर ले जाए, तो हम उसी दिन उस की ज़मानत की मेहनत करेंगे या तीसरे दिन जाएंगे? क्या उसी दिन भाग दौड़ में नहीं लग जाते? यहां तक कि जब तक जमानत न हो जाए, हमारा खाना-पीना, आराम करना सब हराम हो जाता है।

अफ़सोस की बात है कि जब दुनिया का दारोगा पकड़ कर ले जाए, तो उस की ज़मानत के लिए उसी दिन एक तूफ़ान और कोहराम मचा देंगे और खुदा के घर से कोई फ़रिश्ता हमारे किसी अज़ीज़ की रूह को ले जाए, तो तीसरे दिन ईसाले सवाब और ख़त्मे कुरआन कराएंगे, यह जहालत नहीं तो और क्या है

मेरे मोहतरम दोस्त! जितना भी हो सके, उस मरने वाले के लिए ईसाले सवाब उसी दिन कर दे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

क़ब्र आख़िरत की पहली मंज़िल हैं, वहां पर जो सवाल व जवाब होते हैं उस में अगर मरने वाला कामयाब हो गया, तो सब जगह कामियाब हुआ और अगर ना-कामियाब हुआ तो ना-कामियाब ही रहेगा।

मेरे भाई साहब! मरने वाला जब मर जाए, तो आप की जितनी भी ताक़त हो, ईसाले सवाब उसी दिन कर देना चाहिए, ताकि मरने वाले को सवाल व जवाब में आसानी हो जाए। अगर कोई ग़रीब आदमी हो और उसी दिन नहीं कर सकता, तो यह और बात है, क्योंकि वह ग़रीब है, लेकिन साहिबे माल को तो उसी दिन कर देना चाहिए और आम लोगों में जो तीसरे दिन का रिवाज पड़ा हुआ है, वह मज़हब नहीं, बल्कि रिवाज है। दसवां, बीसवां, चालीसवां यह भी रिवाज है। हमारी जहालत का हाल तो देखिए कि जब मरने वाला तीन दिन तक अच्छी तरह फ़रिश्तों के हाथों से पीटा जा चुके, तब उस के बाद ईसाले सवाब करते हैं, यह जहालत नहीं तो फिर और क्या है।

कफ़न पर कलिमा और क़ब्र पर अज़ान

जब आदमी मर जाता है, तो उस को गुस्ल दिया जाता है, बाद में कफ़न पहनाये जाते हैं तो कहीं-कहीं कफ़न पर कलिमा-ए-तय्यिबा लिखवा कर उस मय्यत को पहनाते हैं और दफ़न करने के बाद क़ब्र पर अज़ान देते हैं। ये दोनों मना हैं।

‘मय्यत की पेशानी या अमामा, या कफ़न पर अह्दनामा लिखा गया, तो उम्मीद है कि मय्यत को अल्ललाह तआला बरख़ा दे।’

हवाला - दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 424, जनाज़े का बयान।

यह है वह इबारत, जिसे कफ़न पर लिखने वाले पेश करते हैं, मगर इबारत में तो अह्दनामा लिखने के बारे में लिखा है, कलिमे का तो नाम भी नहीं और अगर है भी तो यह कोई हदीस या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का कौल नहीं है, किसी इमाम का कौल भी नहीं, फिर कफ़न पर लिखना कैसे साबित होगा, सिर्फ़ एक ख़्वाब के सहारे से यह बात लिखी गयी है।

किसी आदमी ने वसीयत की कि मेरी पेशानी और सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम लिख देना, तो लिख दी गयी।

बाद इस के किसी ने उस को ख़्वाब में देख कर उसका हाल पूछा। उसने कहा कि जब मैं क़ब्र में रखा गया, तो मेरे पास अज़ाब के फ़रिश्ते आए, सो जब उन्होंने मेरी पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिखी देखी, तो उन्होंने कहा कि तू खुदा के अज़ाब से बच गया।

हवाला - दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 424, जनाज़े का बयान।

अब यह वाक़िआ शायद इस तरह हुआ हो कि सिर्फ़ शहादत की उंगली से बग़ैर किसी स्याही और क़लम के पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिख दी हो।

चुनांचे कुछ फ़ुक़हा इस तरह उंगली ही से लिखना बिस्मिल्लाह का पेशानी पर और कलिमा तय्यिबा का सीने पर बाद नहलाने के कफ़न देने से पहले तज़वीज़ करते हैं, बहरहाल किसी भी तरह हुआ हो, शरीअत के हुक़मों का दार व मदार ख़्वाब पर नहीं हो सकता।

इब्ने सलाह ने फ़त्वा दिया है कि क़ुरआन और अस्मा-ए-मुअज़्ज़मा में से (यानी अल्लाह पाक के नामों में से) कुछ न लिखा जाए, क्योंकि कफ़न वग़ैरह पर इन कलिमाते करीमा को लिखना जान-बुझ कर मुर्दा की निजासतों में उन को आलूदा करना है। और फ़त्हुल क़दीर में है कि क़ुरआन और अस्मा-ए-इलाही (यानी अल्लाह के नामों) का लिखना रुपयों और मेहराबों और दीवारों पर मक्रूह है, इसलिए कि ख़ौफ़ उनके पांव तले आने और बे-अदबी का है। इस से मालूम हुआ कि मुर्दा के बदन या कफ़न पर लिखना बतरीके औला मक्रूह होगा, जब तक कि मुज्ताहिद से साबित न हो या किसी हदीस में इस का खुलासा न हो।

हवाला - गायतुल अवतार, जिल्द 1; पृ० 424, जनाजे का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! कफ़न पर कलिमा न लिखने के सबूत में इस से भी ज्यादा तहकीक़ करना हो तो देखो शामी, जिल्द 1, पृ० 847, जनाजे के बयान में पूरा खुलासा लिखा है और आख़िर में लिखा है कि कफ़न पर कलिमा वगैरह न लिखना ही बेहतर है।

और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्दगी भर न तो नमाज़ पढ़ी और न तो रोज़ा रखा, इस के अलावा शराब, जुआ, चोरी, शिर्क, कुफ़्र और बिदअतें करता रहा, अब बिस्मिल्लाह लिखने से क्या होगा ?

मेरे मोहतरम ! जिन्दगी और तन्दुरुस्ती को एक नेमत समझ और बुरे कामों से तौबा कर ले और अल्लाह की इबादत में खुले दिल से लग जा, मरने के बाद पिछले वालों की उम्मीद मत रख, इस लिए कि पिछले वाले अगर कोई काम ईसाले सवाब का करेंगे, तो मालूम नहीं शरीअत के मुताबिक़ होगा या जहालत के मुताबिक़। अगर शरीअत के मुताबिक़ हुआ तो अल्लाह तआला यकीनन कुबूल फ़रमाएगा। और मरने वाले को इन्शाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। समझे मेरे भेले भैया !

हदीस - हज़रत आइशा सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-जिस मैयत पर मुसलमानों की एक जमाअत, जो सौ की तायदाद तक पहुंच जाए, नमाज़ पढ़े और यह जमाअत मय्यत के लिए खुदा से सिफ़ारिश करे, तो उस की यह सिफ़ारिश कुबूल की जाती है।

- हवाला**
1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 292, हदीस 1566, नमाजे जनाज़ा का बयान,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 154, हदीस 951, बाब 279, किताबुल जनाइज़,
 3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 199, हदीस 924, अबवाबुल जनाइज़।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि-

जब किसी मुसलमान की मय्यत पर चालीस ऐसे जमा हो जाएं, जो खुदा के साथ किसी को शरीक न करते हों (यानी उस मैयत के जनाजे पर नमाज़ पढ़ें) तो कुबूल करता है अल्लाह तआला उन की शफ़ाअत को मैयत के हक़ में।

- हवाला**
1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 292, हदीस 1565, नमाजे जनाज़ा का बयान,
 2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 254, हदीस 952, बाब 279, किताबुल जनाइज़।

अज़ान सुन्नत है। पांचों नमाज़ व जुमा के लिए, न उस के अलावा के लिए।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 291, किताबुस्सलात।

मेरे प्यारे दोस्त ! अज़ान जो है वह बुलाने के लिए है, ताकि ज़्यादा आदमी नमाज़ में शामिल हो सकें। इस लिए हर मस्जिद में रोज़ाना पांच वक़्त अज़ान होती है। अगर मरने के बाद क़ब्र पर अज़ान जायज़ होती, तो जनाज़े की नमाज़ पढ़ने से पहले होती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनाज़े की नमाज़ में शामिल हो सकें। जब जनाज़े की नमाज़ के वक़्त अज़ान नहीं है, तो दफ़न होने के बाद क़ब्र पर कैसे हो सकती है यह भी जहालत है शरीअत में इस का कोई सबूत नहीं, मरने वाले की क़ब्र पर अज़ान न मक्का मुअज़्ज़मा में दी जाती है, न मदीना तैयिबा में।

जिस क़दर सुन्नत का इत्तिबाज़ ज़्यादा हो, उसी क़दर मर्तबा ज़्यादा है, जिस क़दर कमी हो, उसी क़दर नक्स है और बिल इत्तिफ़ाक़ इमामों के नज़दीक जो आदमी कि शरीअत और सुन्नत के खिलाफ़ का मुर्तकिब हो, तो डर है कि वह शैतान का आला हो और वह वली हरगिज़ न होगा, बशर्ते कि होश में हो।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 291, कराहत का बयान।

ख़त्ना

ख़त्ना के लिए बारह बरस तक हद मुस्तहब बतायी है, (यानी बारह बरस के अन्दर-अन्दर बच्चे का ख़त्ना हो जाना चाहिये) और बूढ़ा कमज़ोर अगर इस्लाम लाया और वह ख़त्ना की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, पस अगर होशियार आदमियों ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो छोड़ दिया जाएगा, इस वास्ते कि उज़्र की वजह से वाजिब का तर्क करना जायज़ है, तो सुन्नत का तर्क करना औला तरीके से जायज़ है और कुछ लोगों ने फ़रमाया कि बालिग़ का ख़त्ना अगर वह खुद कर सकता है, तो कर ले, वरना नहीं किया जाएगा और अगर ऐसी औरत से निकाह कर सके तो ख़त्ना करना जानती हो, तो उस से निकाह कर ले, बाद में वह उस का ख़त्ना कर दे।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 327, कराहत का बयान।

मसअला यों है कि ख़त्ना करवाना सुन्नत है और नाफ़ से लेकर घुटने तक जिस्म का ढांकना फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ के लिए सुन्नत छोड़ी जा सकती है, मगर सुन्नत के लिए फ़र्ज़ नहीं छोड़ा जा सकता और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों मुसलमान होते जाते थे, उन के ख़त्ने का इन्तिज़ाम नहीं था कि पचासों आदमी हमेशा ख़त्ने काटने के लिए ही तैयार रहे हों कि जहां कोई मुसलमान हुआ, फ़ौरन उस का ख़त्ना कर दिया गया हो।

मुसलमानों के दिल में ख़त्ने की अहमियत रहीं और नमाज़-रोज़ों की बड़ाई ख़त्म हो गई। अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो तो मां-बाप दोनों उस बच्चे के ख़त्ने की फ़िक्र में लग जाएंगे, ग़रीब होने की वजह से सात-आठ साल का बच्चा हो गया और ख़त्ना नहीं करा पाये हैं, तो उन की नींद हराम हो जाएगी और रात दिन इसी फ़िक्र में रहेंगे कि किसी हालत में बच्चे

का ख़त्ना होना चाहिए, गो रक़म कर्ज़ से ही लानी पड़े, क्योंकि अगर ख़त्ना नहीं कराएंगे, तो लोग ताना देंगे कि कितना बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक ख़त्ना नहीं कराया।

यह है ख़त्ने की अहमियत और वही मां बाप जो ख़त्ने की फ़िक्र में हैं, वे नमाज़ तक नहीं पढ़ते, लेकिन इस का उनको एहसास तक नहीं होता और ताना देने वाले नमाज़ नहीं पढ़ते, इस का उन को ख़याल तक नहीं आता, तो मालूम हुआ कि मुसलमानों के दिल में ख़त्ने की तो अहमियत है, मगर नमाज़ की बड़ाई ख़त्म हो गयी, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहिह व सल्लम ने फ़रमाया कि नमाज़ दीन का सुतून है।

इसी तरह मुसलमानों के दिल में निकाह की अहमियत है और नमाज़ की बड़ाई ख़त्म हो गयी। जिन लड़के-लड़की की शादी हो रही है, उन का निकाह तो होना ही चाहिए, गो दूल्हा भी नमाज़ न पढ़ता हो और दुल्हन भी नमाज़ न पढ़ती हो, अब आप ही बताइए कि नमाज़ की अहमियत ज़्यादा है या निकाह की। अगर खुदा-न-ख़्वास्ता निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो बारात रुकी हुई है, बग़ैर निकाह पढ़ाये दुल्हन रुख़सत नहीं हो सकती। दुल्हा और दुल्हन के मां-बाप दोनों परेशान नज़र आएंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए कोई परेशान नज़र नहीं आता, चाहे दुल्हे के मां-बाप हों या दुल्हन के, आम तौर पर देखा गया है कि दुल्हा भी नमाज़ नहीं पढ़ता दुल्हन भी नमाज़ नहीं पढ़ती, दुल्हे के मां-बाप भी नमाज़ नहीं पढ़ते, दुल्हन के मां-बाप भी नमाज़ नहीं पढ़ते, मगर निकाह तो ज़रूर पढ़वाएंगे।

अब आप ही ईमानदारी से बताएं कि निकाह की अहमियत ज़्यादा है या नमाज़ की। अगर किसी इंसान ने निकाह नहीं पढ़ाया है और बग़ैर निकाह के किसी औरत को घर में रख लिया है, तो एक जाहिल से जाहिल इंसान भी उस के घर का पानी तक नहीं पियेगा और बे-नमाज़ी के घर का खाना-पीना कोई बुरा नहीं समझता, तो मालूम हुआ कि निकाह की हमारे दिल में अहमियत है और नमाज़ की अज़मत हमारे दिल से निकल गयी। अब यह कौम पीटी नहीं जाएगी, तो और क्या होगा?

मस्जिद के मसाइल

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वक़्त में मीनारा अज़ान के लिए न था।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद की छत पर अज़ान कहा करते थे, बाद को हज़रत अमीर मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक़म से मीनारा बना दिया गया।

हवाला ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 180, अज़ान का बयान, सुन्नत यह है कि अज़ान ऊंची जगह दे, मस्जिद के अन्दर नहीं, बल्कि मीज़न: पर या मस्जिद से बाहर अज़ान होनी चाहिए।

हवाला - 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 295, बाबुल अज़ान,

2. फतावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 75 बाबुल अज़ान ।

इब्नुल हाज्ज मुहम्मद मालिकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब 'मदखल' में लिखा है कि जुमा की अज़ान में सुन्नत तरीका यह है कि जब इमाम मिनबर पर बैठे तो अज़ान देने वाला मीनारे पर हो ।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में यही तरीका था, फिर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक अज़ान और ज़्यादा कर दी गयी, जो 'जूरा' पर होती थी। (जूरा मदीना मुनव्वरा के बाज़ार को कहते हैं) और वह अज़ान जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में थी वह मीनारे पर ही होती रही, (यानी छत पर) फिर जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक वाली हुआ (यानी हाकिम बना), तो उसने उस अज़ान को, जिस की शुरूआत हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से हुई थी, मीनारे पर कर दी और उस वक़्त तक मुअज़्ज़िन एक ही होता था, जो अज़ान ज़वाल के बाद देता था। फिर इमाम के मिनबर पर बैठने के वक़्त जो अज़ान मीनारे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबूबक्र व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के शुरू ज़माने में होती थी, उस को इमाम के सामने कर दिया।

हदीस - हाशिया शरहे विक़ाया, अरबी जिल्द 1, पृ० 245, बाबुल जुमआ ।

मेरे प्यासे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में एक ही अज़ान थी, जो मस्जिद की छत पर होती थी। हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ज़माने तक यही दस्तूर रहा। इस के बाद जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त हुई, तो आपने एक अज़ान ज़्यादा कर दी और अज़ान मदीना के बाज़ार में होती थी।

फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब तख़्त पर बैठा, तो उसने बाज़ार वाली अज़ान को मीनारे पर कर दिया और जो अज़ान मीनारे पर होती थी, उस को मस्जिद के अन्दर मिनबर के सामने कर दिया और इस अमल को सभी ने पसन्द कर लिया, किसी ने उस की मुख़ालफ़त नहीं की, तो इस से यह मालूम होता है कि जुमा की अज़ान, जो मिनबर के सामने मस्जिद के अन्दर होती है, वह भी जायज़ है और मस्जिद के बाहर दें, तो भी जायज़ है।

हज़रत मौलाना मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि शाहजहांपुरी, सदर मुदर्रिस मदरसा अमीनिया का फ़त्वा-

सवाल - खुत्बे की अज़ान किस जगह होनी चाहिए,

जवाब - ख़तीब के सामने होनी चाहिए, मिनबर के पास हो या एक दो सफ़ों के बाद मस्जिद में हो या बाहर, हर तरह जायज़ है।

हवाला - तालीमुल इस्लाम, हिस्सा 4, पृ० 48, जुमे की नमाज़ का बयान।

'मस्जिद में बोरिया या घास या टाट वगैरह इस वास्ते रखना कि लोग उससे पांच रंगड़

लिया करें, तो यह अइम्मा-ए-मशाइख के नजदीक मक्रूह है।'

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 222, कराहत का बयान।

'जो हमारे जमाने में लोग मस्जिदों में हरादी (यानी नरकुल का बोरिया) डाल कर रखते हैं और उस से कदम साफ़ कर लेते हैं, यह इमामों के नजदीक मक्रूह है।'

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 271, बाबुल कराहत।

मेरे प्यारे दोस्त ! आजकल अक्सर जगह पर देखा गया है कि मस्जिद के अन्दर पांव पोंछने के लिए बोरिया रखते हैं, वह मक्रूह है, मस्जिद के अन्दर नहीं रखना चाहिए, बल्कि मस्जिद के बाहर रखें तो मक्रूह नहीं है।

'मस्जिद में सिर्फ़ दुनिया की बातें करने के वास्ते बैठना मक्रूहे तहरीमी है और अगर अदा-ए-इबादत के बाद ऐसी बातें करे, जिन से इबरत हो या शुक्रे इलाही हो या आख़िरत याद दिलाने वाली बातें हों, तो कोई हरज नहीं है।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 324, बाबुल कराहत।

'मस्जिद की छत पर चढ़ना मक्रूह है, इस वजह से गर्मी की ज्यादाती की वजह से मस्जिद के ऊपर जाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ना मक्रूह है, लेकिन अगर मस्जिद तंग हो और नमाज़ी न समाएं, तो ज़रूरत की वजह से उस की छत पर चढ़ना मक्रूह नहीं है।

हवाला 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 273, बाबुल कराहत,

2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 324, बाबुल कराहत।

'दोनों खुत्बों के बीच में जब इमाम बैठता है, (उस वक़्त) दुआ मांगते हैं, वह बिदअत है और निहायत मक्रूह है और इसी तरह जुमा की नमाज़ से पहले (यानी सुन्नतों से पहले) जो सलात पुकारते हैं, वह बिदअत है और हरगिज़ जायज़ नहीं।'

हवाला - नूरुल हिदाया, उर्दू तर्जुमा शरहें विकाया, जिल्द 1, पृ० 233, जुमा का बयान।

'जो दूसरे खुत्बे में खतीब मिनबर से एक सीढ़ी उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, यह बुरी बिदअत है।'

हवाला - ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 1, पृ० 380, बाबुल जुमा।

हिदायत की हदीसें

कुरआन शरीफ़ के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजुरात के पहले रकूअ में, आयत न० 10 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - मुसलमान तो (आपस में) सब भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘मुसलमान मुसलमान का (दीनी भाई) है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर न तो जुल्म करे, न उसको रुसवा होने दे और न उस को ज़लील व हकीर समझे, तक्वा इस जगह है।’

यह फ़रमा कर आपने तीन बार सीने की तरफ़ इशारा किया और फिर फ़रमाया-

‘इंसान के लिए इतनी बुराई काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर व ज़लील जाने। मुसलमान की सारी चीज़ें मुसलमान पर हराम हैं, यानी मुसलमान का खून, मुसलमान का माल, मुसलमान की आबरू।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 715, हदीस 4713, मख़्लूक़ पर शफ़क़त का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1826, एहसान का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 132, मख़्लूक़ पर शफ़क़त का बयान

हदीस - हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है कि उस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मज़बूत करता है।’

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1827, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘तुम में से हर एक अपने भाई का आईना है, इसलिए अगर वह उसमें कोई बुराई या खराबी या ऐब देखे, तो उसे दूर कर दे।’

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1828, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की बेकरारी और तकलीफ़ दूर की, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस की बेकरारियों और तकलीफ़ों में से एक बेकरारी और एक तकलीफ़ को दूर कर देगा और जिसने दुनिया में किसी तंगदस्त को तंगदस्ती से छुड़ाया और उस की मुश्किल आसान की, अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस की मुश्किल आसान कर देगा जिस ने किसी मुसलमान के ऐवों पर पर्दा डाला अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस के ऐवों पर परदा डाल देगा और अल्लाह तआला अपने बन्दे की मदद में मशगूल रहता है, जब

तक वह बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में मशगूल रहता है।

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1829, एहसान का बयान,

हदीस - हज़रत अबुदर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिसने अपने भाई की इज़्ज़त और आबरू पर होने वाले हमले को रोक लिया और उस को दूर किया, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस के चेहरे से आग को दूर कर देगा।

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1830, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आया। उस का मक्सद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिलना था। लोगों ने उस को जगह देने में देर की, इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बूढ़ों की ताज़ीम व तौकीर न की, वह हम में से नहीं है। (यानी वह मुसलमानों में से नहीं)

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1818, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया

‘जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता’

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1821, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि- मेहरबानी सिर्फ़ बद-नसीब से छीन ली जाती है, (यानी रहमदिल न होना बद-नसीबी की निशानी है।)

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1822, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, पस ज़मीन वालों पर रहम करो। अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम पर आसमान वाला रहम करेगा।’

रहम रहमान की जड़ की रग है, जो उस से मिलेगा, तो अल्लाह तआला भी उस से मिलेगा, जो उसे छोड़ देगा अल्लाह तआला भी उसे छोड़ देगा।

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1823, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

‘वह शरक्स मलऊन है, जिसने किसी मोमिन को नुकसान पहुंचाया या उस के साथ मकर व फरेब किया।’

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 372, हदीस 1840, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

‘हर भलाई सदका है और यह भी एक भलाई है कि अपने मुसलमान भाई से खंदा पेशानी से मिलो।’ (हंसते मुहं मिलते रहो।)

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 376, हदीस 1869, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

‘ईमान वालों में से सब से बढ़ कर कमाल ईमान के एतबार से वह है जिस का खुल्क (यानी अख्लाक व आदात) सब से अच्छा है और तुम में अच्छे वे हैं, जो अपनी औरतों के लिए अच्छे हैं।’

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 228, हदीस 1064, मुख्तलिफ़ अबवाब में।

हदीस - हज़रत अबुदर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

‘जिस को नर्मी में से हिस्सा दिया गया, उसे गोया भलाई में से हिस्सा दिया गया और जिसे नर्मी के हिस्से से महरूम रखा गया, उसे गोया भलाई से महरूम रखा गया।’

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 382, हदीस 1910, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

‘तुम में से जो लोग खास हैं, जिन से मुझे ज्यादा मुहब्बत है और जो क़ियामत के दिन मुझ से ज्यादा करीब बैठने वाले हैं, उन्हीं में से वे लोग हैं, जो सब से अच्छे अख्लाक वाले हैं और तुम लोगों में से वे लोग, जिन से मुझे ज्यादा नफरत है और जो क़ियामत के दिन मुझ से बहुत दूर हैं, उन्हीं में से वे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा बोलने वाले, लोगों से जुबान दराज़ी और फहशगोई करने वाले और गुरूर और तकब्बुर करने वाले हैं।’ (मुख्तसर)

हवाला - तिर्मिजी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 382, हदीस 1915, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

‘हमारे लिए यह बात शायानेशान नहीं है कि हम अपनी दी हुई चीज़ वापस ले लें।’ (जो आदमी ऐसा करे, वह उस कुत्ते की मानिंद है, जो अपनी कै खा ले)। (मुख्तसर)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 260, हदीस 1199, अब-वाबुल बुयूअ।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘जिसने तगंदस्त को (क़र्ज चुकाने में) मोहलत दी या उस का क़र्ज माफ़ कर दिया, तो अल्लाह तआला उस को क़ियामत के दिन अपने अर्श के साए में पनाह देगा, उस दिन सिवाए उस साए के और कोई साया न होगा।’

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 262, हदीस 1207, अब-वाबुल बुयूअ।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ‘मालदार को क़र्जदार का टालना जुल्म है।’ (मुख्तसर)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 263, हदीस 1209, अबवाबुल बुयूअ।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता, वह अल्लाह तआला का (भी) शुक्र अदा नहीं करता।’

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 1853, एहसान का बयान।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

‘तुम से पहले एक आदमी था, जिस को अल्लाह तआला ने इस लिए बख़्श दिया था कि वह बेचने में, ख़रीदने में और क़र्ज का तकाज़ा करने में नर्मी करता था।’

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ 265, हदीस 1220, अबवाबुल बुयूअ।

हदीस - हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

‘मोमिन को यह मुनासिब नहीं है कि वह अपने आप को ज़लील करे।’

लोगों ने अर्ज किया, वह अपने आप को ज़लील कैसे करेगा ?

आपने फ़रमाया, अपने आप को इतनी मुसीबतों और मुश्किलों में डाल देना, जिन को बर्दाश्त करने की ताकत न रखता हो, यही अपने आप को ज़लील करना है।

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 28, हदीस 121, फिल्लों का बयान ।

हदीस - हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

‘जो आदमी अल्लाह के डर से रोया, वह दोज़ख में उस वक्त तक दाखिल न होगा, जब तक कि थन से निकला हुआ दूध थन में वापस न चला जाए (यानी वह दोज़ख में दाखिल न होगा) और अल्लाह के रास्ते का गुबार और दोज़ख का धुआं एक जगह जमा न होगा ।’

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 38, हदीस 173, अबवाबुल जिहाद ।

हदीस - हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

‘जो तुम से नीचे है और मामूली दर्जे का है, उस की तरफ देखा करो उस की तरफ न देखो, जो तुम से ऊपर है । ऐसा करना इस लिए है कि इस तरह तुम अल्लाह तआला की नेमतों को अपने ऊपर हकीर न समझोगे ।’

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 76, हदीस 375, अबवाबुरिकाक ।

हदीस - हजरत जैद बिन अरकम रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि-

‘कोई आदमी वायदा करे और उस की नीयत वायदा (पूरा) करने की हो, मगर वह उसे (किसी वजह से) पूरा न कर सके, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं ।’

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 100, हदीस 493, अबवाबुल ईमान ।

हदीस - हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नजदीक सब से ज्यादा पसंदीदा अमल वह था, जो हमेशा किया जाए (और नागा न हो) ।

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 134, हदीस 718, अबवाबुल आदाब ।

हदीस - हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि-

‘जो चुप रहा, उसने निजात पायी ।’

हवाला - तिमिजी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 74, हदीस 363, रिकाक का बयान ।

हदीस - हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि-

हर मरज़ (यानी बीमारी) की दवा है । जब दवा मरज़ के मुवाफिक हो जाती है, तो मरीज़ खुदा के हुकम से अच्छा हो जाता है ।

हवाला सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 116, हदीस 559, बाब 276, सलाम का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं, कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

‘आदमी खान है, जैसे सोने-चांदी की खानें होती हैं, जो लोग जाहिलियत के ज़माने में बहतर ये बे इस्लाम में भी बहतर हैं अगर वे समझें।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 1, पृ० 114, हदीस 189, इल्म का बयान,
2. मज़ाहिरे हक, जिल्द 1, पृ० 85, इल्म का बयान।

हदीस - हज़रत उत्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

‘ग़ैर औरत के पास जाने से अपने आप को बचाओ।’

यह सुन कर एक अंसारी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! देवर के बारे में क्या इर्शाद है?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, देवर तो मौत है। (यानी देवर तो सब से ज़्यादा खतरनाक है)

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 111, हदीस 532, बाब 260, सलाम का बाब।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जिस आदमी को अल्लाह तआला उस चीज़ की बुराई से बचा ले, जो उस की दोनों डाढ़ों के बीच है (यानी ज़बान) और उस चीज़ की बुराई से जो दोनों टांगों के बीच है (यानी शर्मगाह) तो वह जन्नत में दाखिल होगा।

हवाला - त्तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 55, हदीस 273, अबवाबुल जिहाद।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिस मुसलमान के पास कोई चीज़ वसीयत के क़ाबिल हो, उस के वास्ते यह जायज़ नहीं कि बग़ैर वसीयत लिखे हुए उस पर दो दिन भी गुज़र जाएं।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 412, हदीस 2711, वसीयत का बाब।

हदीस - हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जो आदमी वसीयत कर के मरा, समझ लो कि वह सुन्नत तरीके पर और परहेज़गारी के साथ मरा, बल्कि शहीद हुआ! उस की मग़फ़िरत होगी।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ, पृ० 412, हदीस 2713, वसीयत का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि-

‘जो आदमी अपने वारिसों को तर्का (जागीर, दौलत या और किसी चीज़ में) दिलाने से भागेगा (और ऐसी तर्कीब करेगा कि वारिसों को तर्का न मिले) तो ऐसे आदमी को अल्लाह तआला जन्नत की मीरास अता न फ़रमायेगा।’

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 412, हदीस 2715, वसीयत का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

एक आदमी सत्तर बरस तक नेक अमल करता है, लेकिन मरते वक़्त वसीयत में जुल्म करता है, तो उस का खात्मा बुराई पर होगा और दोज़ख में चला जाएगा और एक आदमी सत्तर बरस तक बुरे काम करता है, लेकिन मरते वक़्त वसीयत इंसाफ़ के साथ कर जाता है, वह जन्नत में दाख़िल हो जाता है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 412, हदीस 2713, वसीयत का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया कि-

‘जब कोई आदमी तुम में से किसी को मारे, तो चाहिए कि मुंह पर मारने से बचे।’

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 10, पृ० 577, हदीस 2362, गुलाम आज़ाद करने का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि-

कभी-कभी बन्दा ऐसी बात कह देता है, ज़िन की वजह से वह दोज़ख़ के अन्दर उतरता चला जाता है, इतनी दूर तक जितनी दूरी पूरब व पच्छिम के दर्मियान है।

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 253, हदीस 1217, बाब 519, जोह्द का बयान।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया-

‘अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तीन आदमी ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन मैं उन का दुश्मन हूंगा-

1. वह आदमी जो मेरा नाम लेकर अह्द करे, फिर अह्द को तोड़े दे,

2. दूसरा वह आदमी, जो किसी आज़ाद आदमी को बेच डाले और उस की कीमत

खा जाए।

3. तीसरा वह आदमी, जो कि मजदूर को उजरत में लगाये, फिर उस से पूरा काम लेकर मजदूरी न दे।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 9, पृ० 501, हदीस 2095, इजारे का बयान,

हदीस - हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-

‘जब तुम तीन आदमी एक जगह हो, तो तीसरे को छोड़ कर आपस में चुपके-चुपके कोई बात न करो, जब तक कि बहुत-से आदमी न हों, ताकि वह (तीसरा आदमी) रंजीदा न हो।

हवाला - सही बुखारी शरीफ, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 283, हदीस 1214, इजाजत लेने का बयान।

हदीस - हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि-

पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और हर उस बन्दे की बख्शिश की जाती है, जो खुदा के साथ किसी को शरीक न करता हो, मगर वह आदमी बख्शिश से महरूम रह जाता है जो किसी मुसलमान से कीना अदावत रखता हो और फरिश्तों से कह दिया जाता है कि उनको मोहलत दे दो कि आपस में सुलह कर लें।’ (मुत्तसर)

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 179, हदीस 856, बाब 395, अदब का बयान।

हदीस - हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि-

-जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वह दोज़ख में नहीं जाएगा और जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वह जन्नत में नहीं जाएगा।’

हवाला - सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 73, बाब 36, किताबुल ईमान।

हदीस - हजरत सईद बिन आस रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है-

‘बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है, जैसा कि बाप का हक बेटे पर।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4700, अकारिब से सुलूक का बयान,

2. मजाहिरे हक, जिल्द 4, पृ० 129, अकारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हजरत अबू मूसा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है-

‘नेक और बद-हमनशीन मुश्क बेचने वाले और धौकनी धौकने वाले की तरह हैं। मुश्क बेचने वाला या तो तुझ को मुश्क मुफ्त दे देगा या तू उस से खरीद लेगा और कम से कम

और कुछ नहीं तो उस की खुशबू ज़रूर तेरे दिल व दिमाग को ताज़ा कर देगी और घोंकनी घोंकने वाला या तो तेरे कपड़ों को जला देगा या तू उससे दिमाग ख़राब करने वाली बू (घुवां) हासिल करेगा ।'

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 721, हदीस 4762, खुदा से मुहब्बत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 147, खुदा से मुहब्बत का बयान ।

हदीस - हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है-

मैं तुम को बताऊं कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन हैं ?,

सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया, हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!

फरमाया, 'तुम में से बेहतरीन लोग वे हैं, जिन को देख का खुदा याद आए ।'

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 722, हदीस 4774, खुदा से मुहब्बत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 151, खुदा से मुहब्बत का बयान ।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया है-

'हया और ईमान को एक जगह रखा गया है, (यानी एक दूसरे से मुताल्लिक हैं) इन में से जब एक को उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है ।'

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० की रिवायत में यों है कि-

'इन में से जब एक को दूर किया जाता है, तो दूसरा भी जाता रहता है ।'

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 29, हदीस 4839, नर्मी और हया का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 172, नर्मी और हया का बयान ।

हदीस - हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

झूठ बोलना सिर्फ़ तीन मौकों पर जायज़ है-

1. एक तो मर्द का झूठ बोलना अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए ,
2. दूसरे लड़ाई में झूठ बोलना, और.
3. तीसरे लोगों के दर्मियान सुलह कराने में झूठ बोलना ।

1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 724, हदीस 4783, दोस्ती और ऐबजूई का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 154, दोस्ती और ऐबजूई का बयान ।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तीन आदमी हैं जिन पर खुदा ने जन्नत को हराम कर दिया है-

1. एक वह आदमी, जिसने हमेशा शराब पी,
2. दूसरा वह, जिसने मां-बाप की नाफ़रमानी की,
3. तीसरा दय्यूस, जो अपने घर वालों से नापाक काम कराये, यानी जिना।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3466, शराब पर वर्ईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 335, शराब पर वर्ईद का बयान।

हदीस - हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तीन आदमी जन्नत में न जाएंगे-

1. हमेशा शराब पीने वाला,
2. रिशतेदारी के ताल्लुक़ को ताड़ने वाला, और
3. जादू पर यकीन व एतकाद रखने वाला।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3467, शराब पर वर्ईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 335, शराब पर वर्ईद का बयान।

हदीस - हज़रत अस्मा बिनत यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने खाना लाया गया, फिर हमारे सामने खाने को पेश किया गया।

हमने अर्ज़ किया, हम को ख्वाहिश नहीं है। (अगर चे हम भूखे थे, लेकिन तकल्लुफ़ में ये लफ़ज़ कह दिये) आपने फ़रमाया,

‘भुख और झूठ को न जमा करो।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 641, हदीस 4047, ज़ियाफ़त का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़। जिल्द 3, पृ० 514, ज़ियाफ़त का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लराहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

‘जिस आदमी को खाने पर बुलाया जाए और वह दावत कुबूल न करे, तो उसने खुदा और उसके रसूल सल्ल० की ना फ़रमानी की और जो आदमी बिना बुलाये किसी के यहां खाने को चला जाए, वह चोरों की तरह आया और माल लूट कर वापस हुआ।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 504, हदीस 3063, वलीमे का बयान,
2. मज़ाहिरक हक़, जिल्द 3, पृ० 165, वलीमे का बयान।

हदीस - हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

‘नहीं फेरती तक्दीर को मगर दुआ और नहीं ज़्यादा करती उमर को मगर नेकी।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 2112, दुआओं का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 242, दुआओं का बयान।

हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हवा निकलने पर हंसने वालों को नसीहत करते हुए कहा,
‘तुम में से कोई आदमी ऐसी बात पर क्यों हंसता है, जिस को वह खुद भी करता है।’
(मुज़्तसर)

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 507, हदीस 3082, सोहबत व इख़ितात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ 171, सोहबत व इख़ितात का बयान।

हदीस - हज़रत अबु इर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा गया कि-

‘क्या है इल्म की मिक्दार कि जब इन्सान इतना हासिल कर ले तो फ़कीह (आलिम) बन जाए।’ (और दुनिया व आख़िरत में उस की गिनती आलिमों में हो)

पस फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

‘जो आदमी मेरी उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चालीस हदीसों दीन के मामले की याद कर ले, अल्लाह उस को क़ियामत में फ़कीह उठाएगा और क़ियामत के दिन मैं उस का शफ़ीअ और गवाह हूंगा।’

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 120, हदीस 229, इल्म का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 12, पृ० 102, इल्म का बयान।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: ज़िलज़ाल में आयत न० 7, 8 में अल्लाह तआला इश़ादि फ़रमाता है-

तर्ज़ुमा - जिसने ज़र्रे बराबर नेकी की होगी, वह उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रे बराबर बुराई की होगी, वह उसे देख लेगा।

छोटी नेकी को हकीर न समझो, यह बड़ी होकर मिलेगी और थोड़े से गुनाह को भी बेजान न समझो कहीं थोड़ा-थोड़ा मिल कर बहुत न बन जाए।

ज़र्रा के मायने छोटी चींटी के हैं यानी नेकियों और बुराइयों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपने नामा-ए-आमाल में देख लेगा। बदी तो एक ही लिखी जाती है, नेकी एक के बदले दस, बल्कि जिस के लिए खुदा चाहे, इस से भी बहुत ज़्यादा, बल्कि इन नेकियों के बदले

बुराइयां भी माफ़ हो जाती हैं। फिर यह भी है कि जिस की नेकी बुराई से एक ज़र्रे के बराबर बढ़ गयी, वह जन्नती हो गया।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 95, सूः ज़िलज़ाल की नफ़्सीर में।

कुरआन करीम के तीसवें पारे में सूः ज़िलज़ाल में आयत न० 1 2, 3, 4, 5, में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब ज़मीन पूरी तरह झिंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया। उस दिन ज़मीन अपनी सब ख़बरें बयान कर देगी, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा।

सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि अल्लाह के रूसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं-

ज़मीन अपने कलेजे के टुकड़ों को उगल देगी, सोना-चांदी, मिस्ल सतूनों के बाहर निकल पड़ेगा। कातिल उसे देख कर अफ़सोस करता हुआ कहेगा कि हाय ! इसी माल के लिए मैंने फ़लां-फ़लां को क़त्ल किया था। आज यह यों इधर-उधर रिल रहा है, कोई आंख भर कर देखता भी नहीं।

इसी तरह सिलारहमी (करीबी रिश्तेदारी) तोड़ने वाला भी कहेगा कि इसी की मुहब्बत में आकर रिश्तेदारों से मैं सुलूक नहीं करता था।

चोर भी कहेगा कि इसी की मुहब्बत में मैंने हाथ कटवा दिये। गरज़ वह माल यों ही रिलता-फिरेगा, कोई नहीं लेगा। इंसान उस वक़्त हक्का-बक्का रह जाएगा और कहेगा-

यह तो हिलने-जुलने वाली न थी, बिल्कुल ठहरी हुई बोझल और जमी हुई थी। इसे क्या हो गया कि यों बेद की तरह थरथराने लगी और साथ ही जब देखेगा कि तमाम अगली-फिछली लाशें भी ज़मीन ने उगल दीं, तो हैरान व परेशान हो जाएगा कि आखिर उसे क्या हो गया है ? पस ज़मीन बिल्कुल बदल जाएगी और आसमान भी और सब लोग उस क़ह्हार खुदा के सामने खड़े हो जाएंगे। ज़मीन खुले तौर पर साफ़ गवाही देगी कि फ़लां-फ़लां नाफ़रमानी उस पर की है।

हवाला - तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 94, सूः ज़िलज़ाल की तफ़्सीर में।

कुरआन मजीद के पच्चीसवें पारे में सूः शूरा के दूसरे रूकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इशादि फ़रमाता है-

तर्जुमा - खुदा ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है। हम को हमारे आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस और तक़रार नहीं है। खुदा हम सब को (क़ियामत के दिन) जमा करेगा और उस की तरफ़ लौट कर जाना है।

मेरे प्यारे दोस्त ! क़ियामत एक दिन ज़रूर आएगी और अल्लाह तआला हम सब को

जिंदा करेगा, और हिसाब व किताब हर एक आदमी का होगा। उस वक्त हक और बौतिल, सच और झूठ सारी बातें मालूम हो जाएंगी। हम को हमारे आमाल का बदला मिलेगा और तुम को तुम्हारे आमाल का बदला मिलेगा।

ऐ मेरे मालिक-मुख्तार ! तू ग़फ़ार है,

तू करीम है, तू रहीम है। हम सब तेरे बन्दे हैं और तेरे हबीब अहमद मुज्ताबा, मतुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मीदारी हैं, तेरे रहम व करम और मग़्फ़िरत के उम्मीदवार हैं। ऐ मेरे मौला ! तेरे रहम व करम से तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम का कलिमा पढ़ने वाले तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, उन को भलाई की जिन्दगी अता फ़रमा और ईमान की सलामती दे दुनिया और आखिरत के तमाम ग़मों से निजात दे और क़ियामत में तेरी रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़आत मुझे और मेरे मां-बाप और मेरे आम मुसनमाल भाइयों को नसीब कर, (आमीन - आमीन - आमीन)

तम्मत बिफ़ज़िल्लाहिल करीम

हिन्दुस्तान के उलेमा-ए-किराम के इज़्हारे एतमाद और
अख़बारों के तब्सरे 'शरीअत या जहालत' की तार्ईद में

- 662 हज़रत मौलाना क़ारी मुहम्मद तथ्यिब साहब मद्ज़िल्लहु आली, मोहम्मिम दारुल उलूम देवबंद की तसदीक,
- 664 शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब मद्ज़िल्लहु सहारनपुरी की तसदीक,
- 664 हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल-हसनी अन-नदवी साहब दामत फ़ुयूज़हुम लखनऊ का इज़्हारे एतमाद,
- 665 साहबज़ादा मोहम्मद हज़रत मौलाना सैयद असद मियां साहब मदनी का इज़्हारे एतमाद,
- 666 हज़रत मौलाना ज़मीर अहमद साहब आजमी (फ़ाज़िले देवबन्द) और उनके मुआविनों की तसदीक,
- 667 हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्माईल साहब का इज़्हारे एतमाद,
- 668 क़ाज़ी अहमद हुसैन साहब मर्हूम शहर कानपुर के क़ाज़ी का इज़्हारे हकीकत,
- 670 मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब जूनागढ़ आलिम व फ़ाज़िले अदब पंजाब युनिवर्सिटी का इज़्हारे एतमाद,

- 671 सपासनामा मिनजानिब इदारा अहले सुन्नत वल जमाअत व अहालियाने मस्जिद कमाल सुल्तान शाही, हैदराबाद,
- 673 नज़राना-ए-अकीदत,
- 674 बहुजूरे आशिके महबूबे सुब्हानी अल्लामा हक्कानी मद्ज़िल्लाहू,
- 676 बड़ौदा की मीटिंग और उलेमा-ए-गुजरात का बयान,
- 679 हक्कानी साहब का मुक़दमा अदालतगाहे नुबूवत में,
- 681 हज़रत मौलाना हक्कानी साहब और एक अहम इस्तिफ़्ता मय जवाब,
- 684 हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब मुरत्तिब फ़तावा दारुल उलूम देवबन्द,
- 684 जिसे तू गरां समझता है- अज़, हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब, एडीटर देवबन्द टाइम्स,
- 685 उलेमा-ए-बरेली का इज़हारे ख़्याल,
- 687 अरब्बारात के तब्सरे किताब 'शरीअत या जहालत की ताईद में।'
- 697 हक्कानी साहब का बम्बई में वरूदे मस्ऊद,
- 702 हक्कानी साहिबे इल्म की नज़र में।

बिस्मिल्लाहिर्हिमानिर्हिम

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम०

तस्दीक

हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद तैयिब साहब मद् ज़िल्लाहू,
मोहतमिम दारुल उलूम, देवबन्द

हक्कानी साहब इस्लाम के मशहूर मुबल्लिग़ और ख़वास व अवाम में मक़बूल इंसान हैं। बज़ाहिरे वह अनपढ़ हैं, तालीमयाफ़्ता लोगों में उनकी गिनती नहीं की जाती है, लेकिन अपने इल्म व मालूमात और इल्मी महफूज़ात के लिहाज़ से अहले इल्म के जुमरे में अल्लाह की तरफ़ से शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी एक ताज़ा किताब 'शरीअत या जहालत' में जो हर ख़ास व आम में मक़बूल हो चुकी है, मुरव्वजा बिद्अतों और गन्दी रस्मों के ख़िलाफ़ किताब व सुन्नत और हनफी फ़िक्ह की रोशनी में जो दलीलें पेश की हैं और किताबों के हवाले के एतबार से बल्कि सफ़हां व सतर की कैद के साथ, वे अटल हैं और उन से हज़ारों इंसानों की इस्लाह हुई

1. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 120, हदीस 239, किताबुल इल्म।

है। सिर्फ बिदअत पसन्द लोग लिखते हैं कि एक बे-पढ़े-लिखे जाहिल आदमी को आगे लाया जाना और वह भी उलेमा के कलम से जेब नहीं देता, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि हदीसे नबवी में है कि एक ऐसे आदमी को, जो सिर्फ चालीस हदीसें याद किये हुए हो, हजर के दिन उलेमा के जुमरे में उठाया जाएगा⁽¹⁾, तो जिस आदमी के सीने में हजारों हदीसें और रिवायतें और अल्लाह की किताब की आयतें सफहा व सतर के साथ महफूज हों, आखिर उलेमा के जुमरे में गिने न जाने की वजह क्या हो सकती है, खास तौर से, जबकि उस के वाज़ व नसीहत से हजारों जाहिलों की इस्लाह हुई है।

आखिर दर्जे की बात यह है कि अहले हक ने हजारों जाहिलों और बिदअत के गिरफ्तारों को साठ-सत्तर बरस तक भुगता है, वे लोग आखिर एक जाहिल को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते ?

हक़ानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' के कई एडीशन हजारों की तायदाद में छप चुके हैं और मख़्लूके खुदा की इस से ग़ैर मामूली इस्लाह हुई है। इस किताब में कुछ चीजें तौजीह तलब थीं, हक़ानी साहब की हक़पसन्दी और बे-लौसी है कि उन्होंने नये सिरे से फिर उलेमा-ए-हक़ की तरफ़ रुजुअ करके उस पर तंकीदी नज़र डालने की ख़्वाहिश की।

मौलाना ज़मीर अहमद साहब फ़ाज़िले देवबन्द, सदरुल मुदरिसीन मदरसा इस्लामिया अरबि या (करामतिया दारुल फ़ैज़) जलालपुर ज़िला फ़ैज़ाबाद ने उन मुब्हम बातों की तौजीह फ़रमा दी है, जिस से वह खटक भी दूर हो गयी है, जिसे मुख़ालिफ़ लोग उन के ख़िलाफ़ एक हथियार की हैसियत से इस्तेमाल करते थे।

अब यह किताब एक मुस्तनद किताब की हैसियत रखती है, जिस से सुन्नत व बिदअत और तौहीद व शिर्क अलग-अलग होकर मुस्ताज़ हो जाते हैं। हक़पसन्द और हक़ के खोजी मुसलमानों के लिए यह किताब आईना-ए-तौहीद और मिराते सुन्नत (सुन्नत का आईना) है, जिस से उम्मीद है कि लोग फ़ायदा उठाएंगे और हक़ानी साहब के हक़ में दुआ गो रहेंगे।

अल्लाह तआला इस किताब को मक़बूल फ़रमाये और मुसलमानों के लिए मिफ़ताहे ख़ैर (भलाई के दरवाज़े खोलने वाला) और मिग़लाके शर (बुराई का दरवाज़ा बन्द करने वाला) बना दे। आमीन !

ई दुआ अज़ मन व अज़ जुम्ला जहां आमीन आबाद

(कारी) मुहम्मद तैयिब

मोहतमिम दारुलउलूम देवबन्द

11 अगस्त 1975

बिस्मिल्लाहिर्ह्मानिरीहिम!

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

तस्दीक

शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब मद् ज़िल्लहू

यह नाकारा हक्कानी साहब को दस-पन्द्रह साल से जानता है और उन के उलूम से नफ़ा पहुंचना मेरे गुजराती दोस्तों ने बयान किया। उन का रिसाला 'शरीअत या जहालत' में भी देख चुका हूँ।

अल्लाह तआला हक्कानी साहब और उन की किताब को दोनों जहान में मक्बूल बनाये। अब आंखों की मजबूरी और मरज़ों की ज़्यादती की वजह से किताब 'शरीअत या जहालत' को इश्तियाक के बावजूद न मालूम कब तक सुन सकूंगा! जैसा कि हज़रत करी (मौलाना मुहम्मद तैयिब साहब, मुहत्तमिम दारुल उलूम देवबन्द) ने तहरीर फ़रमाया है कि पहले जो इश्कालात हो सकते थे, उन को भी दूर कर दिया गया। ऐसी सूरत में यह किताब और भी जामेअ और मुफ़ीद होगी।

अल्लाह तआला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस से मुतमत्ता फ़रमाये। आमीन!

-शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब

सहानपुर (उ० प्र०)

12, शाबान, 1395 हि०

इज़्हारे एतमाद

हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल-हसनी अन-नदवी साहब दामत फ़ुयूज़ुहूम

अल-हम्दु लिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला अ़िबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा० अल्लाह अपना काम जिस से भी ले, यह उस की हिक्मत व रहमत पर मुनहसर है। व लिल्लाहि जुनुदुस्समावाति वल अर्ज़ि उसके लिए न किसी मदरसे का मुस्तनद आलिम होना शर्त है, न ज़बरदस्त आलिम और पुराना नामवर मुसन्निफ़ शर्त है, न जोरदार ख़तीब, इधर कई साल से हमारे मोहतरम दोस्त हक्कानी साहब से वह हक़ को हक़ साबित करने और बातिल को बातिल साबित करने का जो अहम काम एक बड़े पैमाने पर ले रहा है और उन के वाज़ों व तक्रीरों से कम से कम अक़ीदे की और रस्मों की इस्लाह के मैदान में ख़ल्के खुदा को जो नफ़ा पहुंच रहा है, वह इस का एक नमूना है। अयां रा च बयां।

उन की इन्हीं इस्लाही ख़िदमतों में उन की किताब 'शरीअत या जहालत' है जो सब की

समझ में आने वाली और आम लोगों के मज़ाक़ के मुताबिक़ होने की वजह से सैकड़ों पढ़ने वालों के लिए मुफ़ीद साबित हुई है, अफ़सोस है कि यहां आंख की कमज़ारी और खुद से पढ़ने-लिखने की मजबूरी की वजह से उस को पढ़ नहीं सका हूं, लेकिन हक्क़ानी साहब के ख़्यालात व मसलक और उन के वाज़ों के असर को जानता हूं। हमारे मुल्क की दो बड़ी हस्तियों मख़दूमना हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब दामत बरकतुहुम और हज़रत मौलाना क़ारी मुहम्मद तय्यब साहब की तहरीर व तौसीक़ के बाद मेरे कुछ लिखने की ज़रूरत न थी, लेकिन अपनी सआदत और एक हक़ की गवाही समझ कर ये लफ़ज़ लिखवा दिये। अल्लाह इस किताब से ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुंचाए और मुसन्निफ़ को और इस को और ज़्यादा नफ़ाबख़्श बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन !

-अबुल हसन अली

दाहल उलु नदवतुल उलेमा, लखनऊ

1 सितम्बर 1975 ई०

786

इज़हारे एतमाद

साहबज़ादा मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अस-अद
मियां साहब मदनी

सदर जमज़ियतुल उलेमा हिंद

जनाब मख़दूम हक्क़ानी साहब और उन की किताब 'शरीअत या जहालत' को बरसों से जानता हूं। और मख़तलिफ़ वक्तों में और मक़ामात पर मुलाक़ात का शरफ़ भी हासिल कर चुका हूं। बहरहाल दूसरे हज़रात ख़ास तौर से हज़रत शेखुल हदीस मद ज़िल्लुहुम की राय और तब्सरे से मुत्तफ़िक़ हूं। अल्लाहु तआला हक्क़ानी साहब से इस्लाम और मुसलमानों की मक़बूल खिदमात ले और खुलूस व कुबूलियत से ज़्यादा से ज़्यादा नवाज़े और जज़ा-ए ख़ैर अता फ़रमाए ! अमीन !

-फ़क़त वस्सलाम

(हज़रत मौलाना) सैयद अस-अद गुफ़ि-र लहू मदनी

सदर जमीयतुल उलेमा हिंद

2 दिसम्बर 1975 ई०, वारिदेहाल बहराइच

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तस्दीक

हज़रत मौलाना ज़मीर अहमद आजमी (फ़ाज़िले देवबन्द) और उनके असिस्टेंट

यह कुदरत की देन ही तो है कि अनपढ़ आदमी जो उर्दू की मामूली इबारत भी आसानी से पढ़ने वा कादिर न हो, दीन और शरीअत को न जानता हो, उस को दीन और शरीअत के इल्म से इतना नवाज़ दिया जाए कि अब वह न सिर्फ़ दीन का ज़बरदस्त मुबल्लिग़ बे-मिसाल वाइज़ और ख़तीब है, बल्कि वह एक ऐसी मुफ़ीद और सब की समझ में आने वाली किताब 'शरीअत या जहालत' का मुसन्निफ़ भी है, जो तौहीद के बयान, बिदअत के रद्द और रस्मों की इस्लाह में एक कामियाब किताब है।

इस किताब में हैरत में डाल देने वाली ख़ूबी यह है कि इस में जो मसअला भी बहस के तौर पर आया है, उस के बारे में कुरआनी आयतें, हदीसें और तफ़सीर व फ़िक्ह कि किताबों के मुस्तनद हवाले इतने ज़्यादा ज़िक्र किये गये हैं कि पढ़ने वाले में अगर इस्लाह कुबूल करने का कुछ भी एहसास बाकी है, तो मुतास्सिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता।

चूँकि यह किताब पहली बार दिसम्बर 1962 में छपी थी, जिस पर 17 साल की मुद्दत गुज़र चुकी है, इस मुद्दत में जनाब हक्कानी साहब ने अपने तजुर्बों की रोशनी में ज़रूरत महसूस फ़रमायी कि अपनी नयी और मुफ़ीद जानकारियों को इसमें बढ़ा दें और इस पर कुछ दोस्तों का इस्रार भी हुआ, साथ ही यह भी कि किताब पर नज़रे सानी की भी ज़रूरत थी ताकि जिन इबारतों में कुछ इबहाम (ऐसी चीज़ जो साफ़ न हो) महसूस किया जा रहा था, उसको वाज़ेह कर दिया जाए और फिर उलेमा की ख़िदमत में पेश करके सनदे ऐतमाद हासिल कर ली जाए। चुनांचे इस सिलसिले में हक्कानी साहब ने मुझ नाचीज़ के पास किताब का मुसव्वदा भेजा। मैंने अपने इल्म में कमजोरी महसूस करते हुए अपने मदरसे के दूसरे मुदरिसों और उलेमा-ए-किराम की मौजूदगी में बराबर एक महीने तक किताब के मुसव्वदे का एक-एक हर्फ़ गौर से पढ़ा और जो जगह अपनी समझ के मुताबिक़ वज़ाहत तलब नज़र आयी या कहीं-कहीं कुछ इज़ाफ़े की ज़रूरत महसूस की गयी, तो वहां बहस व तम्हीस से जहां तक हो, सका इत्मीनान हासिल करके मुनासिब वज़ाहत या इज़ाफ़ा कर दिया।

इसी के साथ इन्सान बहरहाल इन्सान है, भूल-चूक से पाक होने का दावा नहीं हो सकता, मेरे नज़दीक हक़पसन्द वह है, जो हक़ कुबूल करने के लिए हर वक़्त तैयार रहे और अपनी ग़लती को अगर वाक़ई ग़लती है, तो कुबूल करके अपनी इस्लाह कर ले।

हक्कानी साहब में अल्लाह तआला शानूहू ने यह ख़ूबी भी अता फ़रमायी है। बहरहाल

मैं अपने इल्म की हद तक इस किताब को सही मुफ़ीद और भरोसा करने के लायक समझता हूँ। अल्लाह तआला इस किताब के जरिये इस्लाह और इफ़ादे को आम और ताम बनाये। आमीन !

-अबुल अज़हर ज़मीर अहमद आजमी गुफ़िर लहू
सदरुल मुदरिसीन मदरसा इस्लामिया अरबीया
(करामतिया दारुल फैज़) जलालपुर।

-अल-अब्द ज़हीरुद्दीन फैज़ाबादी उफ़ि-य अन्हु
-नबीह मुहम्मद, मदरसा करामतिया, जलालपुर
-मुंशी नूर मुहम्मद साहब, जलालपुर (फैज़ाबाद)

9 मई, 1975

इज़हारे एतमाद

मोहतरम हज़रत मौलाना हक्कानी साहब के साथ मुझे लगातार ग्यारह महीने तक रहने का इत्तिफ़ाक़ रहा है। मेरा काम यह था कि 'शरीअत या जहालत' के इज़ाफ़े शुदा (बढ़ाये गये) एडीशन के मुसव्वदे को साफ़ करके कातिबों के हवाले करने के लायक बनाऊँ।

इस बीच मुझे इस किताब को कई-कई बार नक़ल करना पड़ा।

नक़ल के दौरान जो बात मैंने खास तौर से महसूस की, वह यह थी कि इस किताब का कोई ऐसा जुम्ला, जो जुबान के क़वाइद के एतबार ग़लत हो, अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जाये तो असर डालने की वह कैफ़ियत, जो पहले थी, बाकी नहीं रह जाती।

हक्कानी को मैंने करीब से देखा है। आप का ताल्लुक़ क़ुरआन व हदीस से बहुत गहरा है। हर सवाल का जवाब क़ुरआन व हदीस में तलाश करते हैं और सवाल करने वाले को जवाब क़ुरआन व हदीस से इस तौर से देते हैं कि वह मुतमइन हो जाता है। आपका क़ुरआन व सुन्नत से लगाव इश्क़ की हद तक पहुंचा हुआ है।

क़ुरआन व सुन्नत से इसी इश्क़ और लगाव का यह नतीजा है कि आपका बयान, चाहे तक़रीर की शक़ल में हो या तहरीर की शक़ल में अपने अन्दर हकीक़त, यकीन, विक़ार और अजीब तरह का हुस्न और सादगी रखता है और आपके इस्लास और हक़ की तब्लीग़ के लिये सोजे क़ल्बी और इत्तिबाए सुन्नत में आशिक़ाना शान रखने ही का यह नतीजा है कि अल्लाह तआला ने चाहे तक़रीर हो या तहरीर दोनों मैदानों में बराबर का कुबूल आम अता फ़रमाया है।

-मौलाना मुहम्मद इस्माईल

डाक़ख़ाना बाग़ नगर, ज़िला बस्ती (उ० प्र०)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वाकिफे अस्रारे कुरआनी : मंबा ए-फुयूज व बरकाते रब्बानी

महबते इलहामे रब्बानी : हजरत मौलाना मुहम्मद पालन हक्कानी

इज्जारे हकीकत

हजरत मौलाना मुहम्मद पालन हक्कानी गुजराती की कानपुर में तशरीफावरी एक इत्तिफाक की बात थी, मगर कौन जानता था कि कुदरत ने कानपुर के बाशिंदों की किस्मत की कुंजी मौलाना के मुबारक हाथ में रख दी है।

कुछ दिनों के लिये मौलाना साहब को कानपुर आने की ज़हमत दी गयी थी, मगर आज यह कहना बजा और दुरुस्त है कि अब कानपुर के एक-एक बाशिंदे के दिल में हक्कानी बस चुके हैं। अब हक्कानी साहब और कानपुर लाज़िम व मलजूम हो चुके हैं। मौलाना की तकरीरों से पीढ़ियों से चली आ रही रस्मों और बिदअतों का खत्मा हुआ, अहले हक का बोलबाला हुआ। अब कानपुर के मुसलमान शिर्क व बिदअत और फर्ज व सुन्नत में फर्क व इम्तियाज़ करना सीख गये हैं और अहले-बातिल के सामने उभर कर आ गये। मौलाना हक्कानी की तकरीरों ने बेश-कीमत सीपी को स्वाति की बारिश की तरह कीमती मोती से भर दिया यानी कानपुर की धरती को कुरआन व हदीस के आबदार मोतियों से मालदार कर दिया। रास्ते से भटके लोगों को हिदायत की राह नसीब हुई। बुरी रस्मों से बचने का सलीका आ गया, घर-घर से अंधेरा दूर हो गया, कुरआन व हदीस की रोशनी फैली, नुबूवत की रोशनी ने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया, कितनों ने सीधे रास्ते पर चलने का अहद व पैमान किया। कितनों ने अपनी गफलत की पिछली जिन्दगी पर नदामत के आंसू बहाए। नव जवानों ने दीन की बातें सुनना सीखा और अपनी इस्लाह का एलान किया। कितनों ने दाढ़ी मुंडाने से तौबा की। कितनों ने नमाज़ें शुरू की, कितने जालिम नव-जवानों ने अपने जुल्म व सितम को छोड़ कर के खिदमते खल्क व खिदमते दीन का बेड़ा उठाया। कितनी औरतों ने बुरी रस्मों से तौबा कर ली। बिदअतों को छोड़ दिया। सुन्नत की पैरवी और नमाज़-रोज़े की पाबन्दी अपने घर बीवी-बच्चों में रिवाज दे दी। बूढ़ों और कमजोरों ने खुदा की तरफ लौ लगायी, रिज़ाए इलही के चाहने वाले और अल्लाह से डरने वाले हो गये। अल-गरज़ मौलाना मुहम्मद पालन हक्कानी साहब ने वह करिश्मा दिखाया और अपनी जोरदार और पुर असर दिल पसन्द तकरीरों से मुद्दतों के स्याह बादल को चाक कर के किताब व सुन्नत के सूरज को चमका दिया, जिसकी रोशनी में अब राहे हिदायत नुमायां और रोशन हैं।

जज़ा कल्लाहु अहसनल् जज़ाइ इला यौमिल कियामति०

मौलाना हक्कानी की तकरीरों ने बिदअतियों की जुबान छीन ली। उनसे बात अब ब्रनाये

नहीं बनती । मुसलमानों को मौलाना ने हक़ व बातिल का फ़र्क करना सिखा दिया । अत्राम व ख़वास को कुरआन व हदीस की कसौटी बरख़्शा दी । आइन्दा अहले बिदअत व ज़लालत के फंदों में फंसने से बचने की राह खोल दी और होशियार और सूझ-बूझ वाला बना दिया ।

मेरा और कानपुर और कानपुर के आस पास के उलेमा-ए-रब्बानियीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक़क़ानी साहब का मज़हबी किताबों, ख़ास तौर से कुरआन व हदीस व फ़िक्ह का मुताला बहुत ज़्यादा और हाफ़िज़ा बे-पनाह व बेहद मज़बूत, बल्कि फितरत से परे है । एक मौजूज़ पर कुरआन करीम की इतनी आयतें मय पारा, सूरः, स्कूअ व आयत न० वगैरह पेश करते हैं कि अक़ल वाले और इल्म वाले दंग रह जाते हैं और मालूम होता है कि कुरआन की बारिश या नुज़ूल हो रहा है । इसी तरह नबी सल्ल० की हदीसों के, दरसी किताबों के अलावा गैर-दरसी और पुरानी किताबों तक के मय नाम किताब, बाब, सफ़हा, हदीस न० रावी के नाम वगैरह इस तरह बयान करते हैं कि हदीस के बड़े-बड़े माहिर और हाफ़िज़ दांतों तले उंगली दबा लेते हैं-

व ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मय-यशा० वल्लाहु जुल फ़ज़िल अज़ीम०

ख़ुलासा यह है कि मौलाना हक़क़ानी को क्या कहा जाए । एक ही वक़्त में मुबल्लिग़ हैं, मुजाहिद हैं, मुक़र्रिर हैं, कुरआन व हदीस के हाफ़िज़ हैं । अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं, अल्लाह के रसूल के आशिक़ हैं, साहिबे अख़्लाके हसना, साहिबे बिर् व नवाल, नर्म मिज़ाज, हंसमुख, सच कहने वाले, हक़ समझने वाले, तबीयत में सादगी, मगर निहायत सफ़ाई व सुथराई के साथ बे-तकल्लुफ़ी, क़ल्बे मुबारक भले ज़ब्बे से भरा हुआ खुदा की मख़्लूक़ की हमदर्दी से पुर, मिस्कीनों, ग़रीबों, मुहताजों और मासूम बच्चों के हद से ज़्यादा भला चाहने वाले और और दिल रखने वाले, अल्लाह की दी हुई इल्मी व माली दौलत को बे-तहाशा दीन व मिल्लत व इन्सानियत पर कुर्बान करने वाले, मेहमान नवाज़, तलबा नवाज़, मुत्साफ़िर नवाज़, अल ग़रज़ मौलाना हक़क़ानी साहब कुदरत का एक शाहकार और अस्लाफ़े सालीहीन का एक बेहतरीन नमूना हैं और आज के ज़माने में अल्लाह की तरफ़ से मामूर और उसके ख़ास बन्दों में से हैं, जो एक तरफ़ मुसलमानों के दिलों को किताब व सुन्नत से गरमाते हैं, तो दूसरी तरफ़ गैर-मुस्लिमों से भी वाहवाही पाते हैं । कुछ गैर-मुस्लिम हाकिम तो उनको अवतार समझने लगे हैं । उन पर फ़ज़्ले रब्बी यह है कि तक़रीर में भी बे-मिसाल हैं, तो तहरीर में भी सलामत और रवानी है । सब की समझ में आने वाली तहरीर में भी महारत हासिल है, जिस की मिसाल आप की किताब 'शरीअत या ज़हालत' है, जो मारफ़तों और हकीक़तों का ख़ज़ाना है । हर बच्चे, बूढ़े, औरत व मर्द उसके पढ़ने से हिदायत पा सकते हैं ।'

इस हकीक़त से इन्कार ना-मुम्किन है कि मौलाना की तक़रीरों में अल्लाह की ओर से दी हुई तासीर पायी जाती है या आपकी करामत है कि ढाई महीने तक लगातार रात के जलसों में एक लाख-डेढ़ लाख का मज्मा आपकी तक़रीरों से फ़ैज़ हासिल करता रहा । कानपुर वालों

का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी दौर में किसी बड़ी से बड़ी कांफ्रेंस में भी कभी इतने लोग जमा नहीं हुए और लगातार रातों का जागना और लाखों आदमियों का जागना और ज्यादा जागने का शौक़, यह इन्सानों का पलटना फ़ज़ले खुदा और करामत नहीं तो और क्या है। ज़ादल्लाहु उम-रहु व हफ़िज़हू०

-काजी अहमद हुसैन साहब, काजी शहर, कानपुर

30 जुलाई, 1973

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहिम

जनाब मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब, जूनागढ़ी
आलिम व फ़ाज़िले अदब पंजाब युनिवर्सिटी

का

इज़हारे एतमाद

हामिदन व मुसल्लियन

मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु काबतुल्लाह की छत पर अपनी लुभावनी आवाज़ में अज़ान देने लगे, तो कुछ कुरैशी नव-जवान यह कहते हुए बाहर निकले-

‘लो, अब ये नंगे - भूखे और काले कलूटे लोग काबतुल्लाह पर काबिज़ हो गये, तो जीने से क्या फ़ायदा ! हमारी सरदारी तो खाक में मिल गयी, इज़ज़त व मसावात भी गयी, गो बाद में वे भी मुसलमान हो गये।’

कुछ इसी तरह बिदअतियों, मुशिरकों, नादान पीरों, नाम निहाद मौबलियों और शहवतपरस्त सज्जादा नशीनों ने उस वक़्त कहा, जबकि हक्क़ानी हक़ तआला के दीने हक़ का ऐलान करते हुए मुजाहिदाना शान से मन्ज़रें आम पर आए के दुश्मनों ने कहा कि गुजरात और सौराष्ट्र में रहना अब बेकार है। सत्यानास निकाल दिया है इस शख्स ने हमारा। अगर मुख़ालिफ़ों ने यह कहा, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हालात और वाकिआत गवाह हैं कि हक्क़ानी साहब एक एटम बम या आसमानी बिजली बन कर उनके सिरों पर गिरे हैं। जब उन्हें अपना मुस्तक़बिल अंधेरा नज़र आने लगा और कोई वाक़ई एतराज़ की बात उन्हें न मिली, तो हक्क़ानी साहब को अनपढ़ बताकर और उनकी किताब ‘शरीअत या जहालत’ को ग़ैर-मुस्तनद और कमज़ोर इबारतें पेश करके गिराना चाहा, मगर सब ने देख लिया कि ऐसे आलिम खुद ही आवाम की नज़रों से गिर गये और अगर हसद व तकब्बुर का यही हाल रहा तो वह वक़्त दूर नहीं जब हक़ को पहचानने वाली मुस्लिम क़ौम के सामने उन्हें सर छिपाने और मुंह दिखाने की भी

जगह न मिल सकेगी। हां, अलबत्ता उसूली तौर पर इल्मी बहस व फ़िक्र और नक़द व नज़र से किसी को नहीं रोका गया। अगर सही व मुस्तनद बात करके किताब की ख़ामी और ग़लती पर मुतवज्जह किया जाएगा तो यकीनन वह बात लाइके तवज्जोह और क़ाबिले कुबूल होगी, मगर हासिदाना लफ़्फ़ाज़ी और मुआनिदाना बक्वास के लिये इस तह्कीकी किताब में कोई गुंजाइश नहीं।

इस मौके पर गुजरात के उलेमा और मुस्लिम अख़बारों के एडीटरों को जितनी भी मुबारकबाद दी जाये, कम है, जिन्होंने न सिर्फ़ हक्क़ानी साहब की ज़ोरदार ताईद की, बल्कि हिम्मत अफ़ज़ाई और तआवुन के लिये मौसूफ़ के कमज़ोर कांधों पर अपना शफ़क़त और हमदर्दी भरा हाथ रखा और ठीक उस वक़्त, जबकि बिदअतियों ने किताब 'शरीअत या जहालत' ज़ब्त कराने के लिये पूरी-पूरी तैयारी कर ली थी, तो इन उलेमा-ए-किराम और दूसरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात ने सरूत जद्दोजेहद और निहायत दौड़-धूप करके इस किताब की इशाअत को बहाल रखवाया।

अल्लाह तआला इन बुजुर्ग हस्तियों के फ़ुयूज़ व बरकात से मिल्लत व कौम को फ़ैज़याब करे और उनसे अपने दीन की ज़्यादा से ज़्यादा ख़िदमतें लेकर दुनिया व आख़िरत की खुशगवार नेमतों और लाज़वाल सआदतों से उन्हें मालामाल करे। आमीन !

-अब्दुल मतीन मैमन बिन मौलाना हाफ़िज़,

अब्दुल-लतीफ़ गुफ़िर लहू,

जूनागढ़ (सौराष्ट्र)

10, ज़िलहिज्जा 1384 हि० मुताबिक़

13 अप्रैल, 1965 ई०

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम

सपासनामा

मिन जानिब : इदारा अहले सुन्नत व जमाअत व अहालियाने मस्जिद

कमान सुलतान शाही, हैदराबाद (दक्कन)

बख़िदमत शरीफ़ हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक्क़ानी साहब ज़ादल्लाहु ईमान कुम!

मुकर्रम व मोहतरम !

अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहू

हैदराबाद की पिछली पचास साला तारीख़ के पेशेनज़र हमारा यह ईक़ान है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद की जारिया मजालिसे वाज़ व ज़िक्रे इलाही अपनी नज़ीर आप है। मज़हब व अक़ीदे के इख़्तिलाफ़ की वजह से मुसलमान मुख़्तलिफ़ तब्क़ों और फ़िर्कों में बंटे हुए हैं। इन सब को एक स्टेज पर जमा करने की कोशिशें पिछले दौर में भी की गयी थीं और अब भी की जा रही हैं, लेकिन

'वअ-तसिमू बिहबिल्लाहि ज़मीअन'

की जो अमली ताबीर दस दिनों में यहां मक्का मस्जिद में नज़र आयी है, आप के मुबारक वाजों की लिल्लाहियत ने, इख्लास फ़िद्दीन ने, खास तौर पर अल्लाह की किताब और रसूल सल्ल० की सुन्नत की पैरवी की दावत ने जो काम किया है और मुख्तलिफ़ मकातिबे फ़िक्र, जैसे अहले सुन्नत व जमाअत, जमाअत इस्लामी और अहले हदीस, तब्लीगी व इस्लामी तहरीकों की दावत देने वाले मुख्तलिफ़ इदारे, जमाअतें और आम व खास लोग, अपने-अपने इख्तिलाफ़ात को नज़रंदाज़ करते हुए जिस तरह यहां हम-ख्याल व हम आहंग नज़र आते हैं, उस की मिसाल हैदराबाद की पिछली तारीख़ में मिलनी मुश्किल है। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, जिन की फ़ितरत एक, जिनके जज़्बात व दाज़ियाते रंज व अलम राहत व अमन सभी एक, जिन का खुदा एक, फिर कोई वजह नहीं कि एक अल्लाह की किताब और एक अल्लाह के रसूल की तालीमात की पैरवी जैसा कि उस का हक़ है, के ज़रिए हम ख्याल व हम मज़हब होकर 'मा अना अलैहि व असहाबी' के मेयार पर एक ही जमाअत न बन जाएं। कोरी तकलीद और उलेमा-ए-सू के चक्कर से उम्मत को निजात दिलाना बन्दगाने खुदा को अल्लाह ही के दर पर झुका देना, किताब व सुन्नत के तहत मख्लूके खुदा को आम तौर से और मुसलमानों को खासतौर से 'मा अना अलैहि व असहाबी' के मेयार पर 'दावत इलल ख़ैर' पेश करना, ताकि यह उम्मत ख़ैरे उम्मत बन कर दुनिया में अमन व आख़िरत में मग़्फ़रत व जन्नत की मुस्तहिक़ हो सके, चुनांचे वक़्त की इस अहम ज़रूरत को अलहम्दु लिल्लाह वाला जनाब ने तौफ़ीके इलाही से महसूस फ़रमा कर जो कोशिशें फ़रमायी है और जिस तरह हक़ की आवाज़ को बुलन्द फ़रमाया है और शहादते हक़ का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, उसने खुदा और रसूल के शैदाइयों को इस दस दिन की छोटी-सी मुद्दत में 'जाअल हक्कु व ज़-ह क़ल बातिल' का अमली नमूना इसी मस्जिद में दिखला दिया।

इस के अलावा मक्का मस्जिद अपने तारीख़ी फैलाव बावजूद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी, इस वजह से मज़ीद दो तक़रीरें नुमाइश मैदान में करनी पड़ीं।

हम आप की जी तोड़ कोशिशें और एक मोमिन जैसी हिम्मत की तारीफ़ करते हैं और आप के और उन हज़रात के जिन्होंने आप को यहां बुलाने की सज़ादत हासिल की है, तहे दिल से मशकूर हैं कि ऐसे फ़िल्नों के दौर में आप के यहां तशरीफ़ आवरी हज़ारों बल्कि लाखों इंसानों की ख़ैर व फ़लाह और अकीदों के इस्लाह का ज़रिया साबित हुई।

अल्लाह तआला आप को बेहद फ़ज़ल व रहमत से नवाजे और आप की कोशिशों को कुबूल फ़रमा कर दुनिया व आख़िरत में आप के दर्जों को बुलन्द फ़रमाये। आमीन!

जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा०

-मुहम्मद अब्दुल अज़ीज़, नायब अमीर

इदारा अहले सुन्नत व जमाअत

व अराकीने इदारा व अहालियाने मुहल्ला

20 मार्च 1975 ई०, मुताबिक़,

6 रबीउल अब्वल, 1395 हि०

नज़-राना-ए-अकीदत

हक्कानियत के बेबाक मुबल्लिग़ व अलमबरदार सुलतानुल वाअिज़ीन

जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी साहब की खिदमत में

राह गुमराहों को दी है, फ़िल हकीकत आपने,

लिख के अवसके 'शरीअत या जहालत' आपने ।

कोशिशों की हैं ख़िलाफ़े शिर्क व बिदअत आपने,

दीन की अंजाम दी बे-लौस खिदमत आपने ।

क्या हैं अह्कामाते रब्बानी व इशदि रसूल,

सामने लोगों के रख दी यह हकीकत आपने ।

राहे हक़, शरहे मती को आम करने के लिए,

की है बे-बुनियाद बातों की मज़म्मत आपने ।

जिस का जी चाहे 'शरीअत या जहालत' देख ले,

कर दिया है इंक़िशाफ़े दीन व सुन्नत आपने ।

था अंधेरा जहल का हर सू मियाना क़ौम में,

कर दिया रोशन चिरागे दीने फ़ितरत आपने ।

दिल मुनव्वर हो गये हैं, आप की तक्रीर से,

बरखा दी ताबानी-ए-शमा-ए रिसालत आपने ।

बे-नमाज़ी जिस क़दर थे सब नमाज़ी हो गये,

दीन की फैलायी बे-दीनों में रूबत आपने ।

ऐसे भटके थे, न आए राह पर जो उम्र भर,

उन को भी दिखलायी है, राहे हिदायत आपने ।

मुस्तनद उलेमा-ए-दीं में मोतबर माने गये,

की है हासिल इस क़दर गोया फ़ज़ीलत आपने ।

दीने हक़ का बोल बाला हो गया पहुंचे जहां,

ख़ूब की अह्कामे रब्बी की इशाअत आपने ।

हलवे, मांडे, खुदगरज़ मुल्लाओं के ठंडे पड़े,

कर दिया बे-खौफ़ ऐलाने सदाकत आपने ।
 जिस जगह पहुंचे, वहीं एक जलजला-सा आ गया,
 हर जगह तोड़ी शयाती की जमाअत आपने ।
 हासिदों ने मुंह की खायी चारों शाने चित गिरे,
 दे दिया सब को जवाबे बा शरीअत आपने ।
 हर तरफ़ मानिंद तूफ़ां थे मुखालिफ़ आप के,
 खत्म कर दी आखिरश उन की जहालत आपने ।
 थी मुहम्मद पालन इस में भी खुदा की मस्लहत,
 यों रखी सैयद अली शह से अकीदत आपने ।
 जिन्दगी में आप की आया है यह जो इंकिलाब,
 उस की खातिर ही उठायी हर अज़ीयत आपने ।
 हो सकी उलेमा-ए-जैयद को न बरसों भी नसीब,
 मुख्तसर अर्से में हासिल की जो शोहरत आपने ।
 एक मामूली से मिल मजदूर थे गुजरात के,
 कर दिया है, आज सब को मह्वे हैरत आपने ।
 लिख के जौहर नज़्म यह हक्कानी साहब के लिए,
 खूब दिखलाया है मैलाने तबीयत आपने ।

-पेशकरदा-

-सरदार जौहर, एडीटर इशाअते उर्दू हिंद

-मकारानी पाड़ा, मलाड, बम्बई 94

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम

बहुजूर अशिके महबूबे सुब्हानी अल्लामा
हक्कानी महजिल्लहु

बुतूने ग़ैब का एक राज़ हैं अल्लामा हक्कानी,
 सरापा पैकरे एजाज़ हैं अल्लामा हक्कानी ।

चमन तौहीद का शादाब करने के लिए हमदम,
 नसीमे सुब्ह के दमसाज़ हैं अल्लामा हक्कानी ।

लब व लेहजे से तकरीरों की यह मालूम होता है,
जुबाने ग़ैब की आवाज़ है अल्लामा हक्क़ानी ।

अदा जिस में मुबल्लिग़ की सदा जिसमें मुग़न्नी की,
एक ऐसा रूह परवर साज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।

उड़ा दीं धज्जियां बिद्अत की जिस ने जोरे ईमां से,
एक ऐसे दीन के जांबाज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।

अगर मैदां में आना खूशा चीनो ! सोच कर आना,
मुक़ाबिल में समन्दे ताज हैं अल्लामा हक्क़ानी ।
सरे तस्लीम ख़म होता है जिस की साफ़गोई पर,
हकीक़त में वही हक्क़बाज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।

हज़ारों मारकों से हो गया सब पर यही ज़ाहिर,
बड़े आला, बड़े मुस्ताज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।
उतर जाए जो दिल में वह असर जादूबयानी का,
हदीसे क़ल्ब के हमराज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।

बुजुर्गों की दुआओं का समर है जिस की डाली में,
वही शजरे गुहर परदाज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।
ख़बर लाती है यह बादे सबा मक्का मदीना से,
कि ख़ाके हिंद का एजाज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।

जुबाने शेअर से अरशद यही बातें निकलती हैं,
तख़य्युल की हसीं परवाज़ हैं अल्लामा हक्क़ानी ।

पेशकरदा

अरशद करीमी, मदरसा फ़ैज़ानुल उलूम
बहादुरगंज, गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश)

बड़ौदा की मीटिंग में

उलेमा-ए-गुजरात का बयान

गुजरात के जय्यिद उलेमा और मशहूर वुक्ला और तजुर्बेकार अख़बार नवीसों (पत्रकारों) और कौमी कारकुनों की बड़ौदा की मीटिंग में मंज़ूर की गयी

एक अहम करार दाद

‘शरीअत या जहालत’ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तौहीन नहीं है।

गुजरात के मुसलमानों के लिए काबिले ज़िक्र दिनों में एक दिन का और इज़ाफ़ा हुआ है और वह 19 नवम्बर 1963 सनीचर का दिन है। इस तारीख़ को गुजरात के मुसलमान कभी भी नहीं भुला सकते, इस लिए कि उस दिन बड़ौदा में गुजरात के जय्यिद उलेमा किराम और बा-शऊर व मशहूर वुक्ला और सहाफ़ती दुनिया में कीमती ज़र व जवाहर बिखेरने वाले अख़बार नवीस और मुसलमान कारकुन और मुअज़्ज़ज़ लीडरान की एक यादगार बैठक हुई, जिस में एक निहायत अहम फैसला किया गया, जिस का इन्तिज़ार सारी कौम को था।

गुजरात के इस्लामी हलक़े और अख़बारी माहौल में एक शोर और बदतमीज़ी का एक तूफ़ान बरपा कर देने वाली इश्तिहारबाज़ी और जुबान दराज़ी और एकतरफ़ा ग़लत और बे-बुनियाद प्रोपगंडा से माहौल को मस्मूम और तंग बनाने वाले भाइयों ने कौम को कशमकश में ढकेल दिया, इस में से कौम को निकालने के लिए यह फैसला होने वाला था।

जनाब हक्कानी साहब की पुरफ़ैज़ तक्रीरों और अपकी शानदार किताब ‘शरीअत या जहालत’ के ख़िलाफ़ पूरे गुजरात में मुनज़्ज़म तौर से प्रोपेगण्डे का जाल बिछाया जा रहा था, उस के बारे में गौर कर के फैसला करने के लिए यह इज़्लास ब तारीख़ 16 नवम्बर 1963 ई० की रात को बमुक़ाम बड़ौदा जामा मस्जिद की बिल्डिंग में मुनअकिद हुआ था।

‘शरीअत या जहालत’ नाम की किताब छपने के बाद कुछ लोगों की तरफ़ से इस किताब के बारे में प्रोपेगंडा शुरू किया गया था इस किताब पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ि० और औलिया-ए-अज़ाम की तौहीन के इलज़ाम लगाये गये थे। इस लिए इस किताब की एक-एक नक़ल गुजरात के मशहूर दारुल उलूमों में और मशहूर उलेमा की ख़िदमत में भेजी गयी और मज़हबी तरीक़े से उस पर फ़त्वा तलब किया गया गुजरात के उलेमा

ने इस किताब के बारे में जो फत्वे पेश किये हैं, उन का मुख्तसर खुलासा दर्जे जैल है-

किताब 'शरीअत या जहालत' वाकई सुन्नी हनफ़ी तरीके के मुताबिक है। इस किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० और औलिया-ए-अिज़ाम की तौहीन की कोई बात बिल्कुल नहीं है। किताब 'शरीअत या जहालत' को जो लोग तौहीन करने वाली समझते हैं, वे ग़लत समझते हैं और ग़लत इल्ज़ाम देते हैं। ब्रिटिश गर्वमेंट ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए जो बरेलवी फ़िल्ना बरपा किया था, उस इख़्तलाफ़ और फ़साद को ख़त्म करने के लिए यह किताब 'शरीअत या जहालत' बहुत ही मुफ़ीद है। हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि हठधर्मी से अलग होकर इस किताब को पढ़े और समझने की कोशिश करे। इन्शाअल्लाह सही और हक़ राह आंखों के सामने दिखायी देगी।

हमने इस किताब को देखा। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम और औलिया-ए-अिज़ाम में से किसी की तौहीन नहीं की गयी है। किताब में जो हवाले दिये गये हैं, वे सही हैं।

1. अहक़र मुहम्मद इस्माईल गुफ़ि-र लहू, शेखुल हदीस जामिअ अरबिया तालीमुल इस्लाम, आनन्द ज़िला खेड़ा,
2. सैयद अब्दुरहीम राजपुरी, गुफ़ि-र लहू, मुफ़्ती गुजरात, मक़ाम रादेर, ज़िला सूरत,
3. मुहम्मद सईद रादेरी, मोहम्मिम दाहल उलूम जामिआ हुसैनिया, मक़ाम रादेर, जिला सूरत,
4. अब्दुरहीम सादिक रादेरी, मुफ़्तिर कुरआन, मक़ाम रादेर, ज़िला सूरत,
5. मुहम्मद इब्राहीम पालनपुरी, मुदरिस मदरसा इस्लामिया, तालीमुद्दीन, डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,
6. अब्दुल हक़ इब्राहीम मियां, सदर मुदरिस खुदामुद्दीन, डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,
7. बन्दा अब्बुल ग़नी कावी कानल्लाहु लहू मुदरिस जामिआ अशरफ़ीया, व नायब मुफ़्ती रादेर, ज़िला सूरत,
8. अहमद इब्राहीम बीमात, गुफ़ि-र लहू मुदरिस मदरसा जामिआ इस्लामिया तालीमुद्दीन, डाभेल, ज़िला सूरत,
9. गुलाम मुहम्मद नूर गत, नायब सदर मज्लिस खुदामुद्दीन डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,
10. अब्दुल हई मुफ़्ती बिस्मिल्लाह गुफ़ि-र लहू जनरल सिकरेट्री मज्लिस खुदामुद्दीन, डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,
11. अब्दुल्लाह कापूदरी गुफ़ि-र लहू, मुदरिस जामिआ इस्लामिया तालीमुद्दीन, डाभेल, समलक ज़िला सूरत,
12. मुहम्मद कासिम उफ़ि-य अन्हु सदर मुदरिस मदरसा अरबीया, मिफ़्ताहुल उलूम,

13. अब्दुरहीम तारापुरी, मुदरिस मदरसा अरबीया तालीमुल इस्लाम आनन्द, जिला खेड़ा,
14. गुलाम रसूल, नाजिम मदरसा शम्सुल उलूम, बड़ौदा,
15. मुहम्मद हाशिम ई रावत, नसीरपुरी सरपरस्त मदरसा अली मुद्दीन नसीरपुर, जिला सूरत,
16. कमरुद्दीन महमूद बड़ौदवी गुफि-र लहु साबिक मुदरिस मदरसा जामिआ इस्लामिया तालीमुद्दीन, डाभेल,
17. मौलवी करीम, हाजी अब्दुल गनी, पठान फ़तहपुरा बड़ौदा।

-16 नवम्बर 1963 ई० बड़ौदा

1. किताब 'शरीअत या जहालत' के खिलाफ़ जो मशहूर किया गया है, वह बिल्कुल ग़लत और अक्ल के खिलाफ़ है। इस किताब में जो पेश किया गया है वह मोतबर किताबों से लिया गया है, सब हवाले सही हैं। जिन लोगों ने इस किताब के खिलाफ़ शोर मचाया है, वे यह सोच लें कि इस किताब में जो कुछ लिखा है और जो हवाले पेश किये गये हैं, वे हदीसों की किताबों से लिए गए हैं जैसे मुस्लिम शरीफ़, बुख़ारी शरीफ़, अबू दाऊद शरीफ़ वगैरह।

-मौलाना अहमद अशरफ़ रादेरी,
दारुल उलूम अशरफिया,
रादेर, 11 नवम्बर 1963 ई०

2. किताब 'शरीअत या जहालत' अहले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदे के मुताबिक़ बिल्कुल ठीक है। इस किताब में जो कुछ लिखा गया है, वह मोतबर किताबों से लिया गया है। इस किताब में कोई एसी बात देखने में नहीं आयी, जो इस्लामी अक़ीदों के खिलाफ़ हो, बल्कि इस किताब में इस्लामी अक़ीदों की इशाअत और आजकल मुस्लिम क़ौम जिन बातों में फंसी हुई है, इस किताब में उन के लिए राहे हिदायत है। इस किताब में जो कुछ लिखा गया है, वह मुसलमानों के लिए बहुत ही मुफ़ीद है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदों की इशाअत करने वाली है।

-मुहम्मद इब्राहीम पालनपुरी, मदरसा जामिआ इस्लामिया, डाभेल,
5 दिसम्बर 1963 ई०

3. किताब 'शरीअत या जहालत' सुन्नी मसलक की किताब है। इस किताब में क़ुरआन शरीफ़ की आयतों की तशरीह है और पारा, रुकूअ और आयत न० के साथ हवाला पेश किया गया है। किताब में मुख़्तलिफ़ बातों में कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया, जो सुन्नी हनफ़ी मुसलमानों के अक़ीदों के खिलाफ़ हो, जिस से मुसलमानों का मज़हबी नुक़सान हो, ऐसा कुछ भी नहीं।

-मौलाना अब्दुरह्मान पालनपुरी, मोहतमिम
मदरसा दारुल उलूम छापी, 28 जनवरी 1964

4. किताब 'शरीअत या जहालत' सुन्नी हनफी मसलक की किताब है, इस किताब में कुरआन शरीफ की आयतों की तशरीह है और पारा, रकूअ और आयत न० के साथ हवाला भी पेश किश गया है। किताब में मुखतलिफ बातों में कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया जो सुन्नी हनफी मसलक के मुसलमानों के अकीदों के खिलाफ हो, जिस से मुसलमानों का मज़हबी नुक़सान होता हो।

-सदर मुदरिस, मदरसा इम्दादुल उलूम,
विडाली, 14 फ़रवरी
1964 ई०

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हक्कानी साहब का मुक़दमा अदालत गाहे नुबूवत में

हज़रत मोहतरम मुहम्मद पालन हक्कानी साहब ने अपनी तर्तीब किताब 'शरीअत या जहालत' में अपना तआरुफ़ जिस सफ़ाई के साथ कराया है, उस को पढ़ने के बाद और फिर उन के बयानों की शोहरत और अवाम मुसलमानों की उन में बड़ी तायदाद में शिकत दक्खिन ही में नहीं, बल्कि उत्तरी हिंद के बड़े-बड़े शहरों में जहां एहले ज़बान, अहले क़लम और ख़ास अहले इल्म के अलावा उलेमा-ए-किराम और मक्बूले आम दीनी मदरसों की कसरत है, वहां भी मौसूफ़ की मक्बूलियत मालूम करने के बाद सीधे-सीधे मुलाक़ात का शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह तआला ने इस का शर्फ़ बरखा, फिर इन तमाम मरहलों से गुज़रने के बाद मैंने हदीसों और इस्लामी तारीख़ की रोशनी में एक राय कायम की कि जिस आदमी ने अपनी इल्मी कमी के बावजूद इस्लाम की ख़िदमत और इस निस्बत से आवाम की इस्लाह के लिए अपने आप को तैयार कर लिया हो, शरीअत के उसूल को देख कर, परख कर जुहला के साथ उठ-बैठ कर शरई ज़िंदगी को तमाम ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों का इलाज यकीन कर के अपना लिया हो, इस से अन्दाज़ा हुआ कि परवरदिगार अपने दीन की ख़िदमत के लिए अपने बन्दों में से इस किस्म के लोगों को भी चुन कर के उन की मदद फ़रमाते हैं।

हक्कानी साहब किसी दीनी दर्सगाह के फ़ारिग़ तो बड़ी बात, उस की शक़ल भी उन्होंने नहीं देखी, उलेमा-ए-दीन से फ़ायदा उठाना उन की ज़िन्दगी के तसव्वुर से ख़ारिज मसअला है, हां अवाम के इस्लाही जज़्बे ने उन को कुरआन करीम की आयतें याद करने के लिए और उनके मज़बूत हवालों के साथ उन के मायने ज़ेहन में बिठा लेने और उसी के मुताबिक़ अहादीसे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलामु के तर्जुमों को पूरी सनदों के साथ दिल पर नक्श करने पर तैयार

किया। किसी मुस्तनद आलिम के खिताब में आप आयतों और रिवायतों के हवाले बहुत ही कम पाएंगे, मगर हक्कानी साहब मुस्तनद आलिम कहां हैं ? इसी लिए इस पर मेहनत की।

अवाम को गुमराह करने के लिए जब दुनियादार मौलवी आयतों और रिवायतों को तोड़ पर पेश कर के उन का ग़लत मतलब पेश करते हैं, तो हक्कानी साहब उन के मुक़ाबले में हकीकतों को पेश कर के हक़ व बातिल में तमीज़ पैदा कर देते हैं और अवाम सुनने वालों पर इस का फैसला छोड़ देते हैं। मुजद्दिदीन की यही सिफ़त बतलायी गयी है कि वह एक सदी के अन्दर की बिगड़ी हुई फ़िज़ा को तौहीद और सुन्नत के मुताबिक़ हमवार बना कर दुनिया से चले जाते हैं, उन का यह कारनामा मक़बूले आम बन जाता है। मौजूदा सदी और अगली सदियों में इस किस्म के मुस्लिहीन का तारीख़ में नाम मिलता है, जिन्होंने अपने दौर के उन फ़सादों को जो दीन और शरीअत के अन्दर पैदा कर दिये थे, इस्लाह फ़रमायी और दीन व शरीअत के असली ख़द व ख़ाल (रूप-रेखा) को शफ़फ़ाफ़ सूरत के साथ जाहिर कर दिया। अइम्मा मुज्जहिदीन के अलावा खुद इस मुल्क में हज़रत शेख़ अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि का बुलन्द रुत्बा इन्हीं कारनामों की वजह से मिला है। हज़रत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी क़द्-स सिरिहू का खानदान इस मुल्क के अन्दर एला-ए-कलिमतुल हक़ अिन-द सुल-तानिन जाइर का फ़रीजा अंजाम दे चुका है। उलेमा-ए-किराम अपने मदरसों में आरिफ़ीन अपनी ख़ानकाहों में, इमाम व ख़तीब अपनी मस्जिदों के मेहराब व मिनबरो में दीन ही की ख़िदमत अंजाम देते हैं और अवाम की इस्लाह का फ़रीजा अंजाम देते हैं। उन के अन्दर से एक कमज़ोर आदमी अल्लाह के तवक्कुल पर दीन की तब्लीग़ का सौदा दिमाग़ में लेकर उठता है। बस्ती निज़ामुद्दीन दिल्ली से मेवात तक उस ने अपना दायरा बनाया, मगर उस के इख़्लास और इस्तिक़ामत ने उस के इस्लाही कारनामों को जमाअतों की शक़ल देकर पूरी दुनिया में फैला दिया, क्या यह तज्दीदी कारनामा नहीं है ?

अगर किसी आलिम के अन्दर इल्म का घमंड, किसी आरिफ़ के अन्दर तक्वे का घमंड और किसी सुधारक के अन्दर दिखावा और हसद की ख़बासत नहीं है, तो वह यकीनन हक्कानी साहब के तर्ज़े बयान और उन की किताब 'शरीअत या जहालत' को देखकर अपनी सफ़ाई उसी शान के साथ पेश करेगा, जिस का इज़हार हज़रत मौलाना मुहम्मद तैयब मोहत्तमिम दारुल उलूम देवबन्द, हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब नाज़िम नदवतुल उलेमा लखनऊ, मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलेमा हिंद और जुनूब के मुस्तनद आलिम मौलाना काज़ी महमूदुल हसन साहब मोहत्तमिम मदरसा वसीयतुल उलूम बरनाम बट्ट (तमिलनाडु) ने फ़रमाया है।

हक्कानी साहब पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, उन के बयानात की मक़बूलियत इस

दौर का एजाजे नबवी है और उनकी तर्तीब मुस्लिहीने उम्मत की खिदमतों का एक मुस्तनद सरमाया है। इस का नया एडीशन अगले एडीशन के मुकाबले में ज्यादा वजनदार और मुस्तनद है।

मुहम्मद पालन हक्कानी सहाब के वे तमाम वाज भी इसी तर्तीब का हिस्सा-ए-खैर और मज्मूआ-ए-इस्लाह हैं, जिन से पूरा मुल्क मुस्तफीज हो रहा है।

हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह की तरफ से कुरआन दुनिया के सामने पेश किया, फिर उस की अमली सूरात हदीसों के जरिए पेश की, जिन पर उम्मत, के असातीने अब्बल हजरत सहाबा-किराम और उन के जरिए ताबईन, तबअ तअबईन मुजहिदीन और मुहद्दीसीन और मुज्तिहिद उलेमा-ए-मतीन ने जिन्दगियां खपायीं और अनवारे नुबूवत से मुनव्वर हो कर उम्मत की हर तरह इस्लाह की और कियामत तक ऐसी मुग्तनम हस्तियों से उम्मत वायदा-ए-नुबूवत की हकीकत पर हरगिज महरूम नहीं होगी। इस हकीकत पर हक्कानी साहब का मुकदमा अदालतगाहे मुहम्मदी में पहुंच कर और ज्यादा वजनदार बन जाता है।

व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बिअज़ीज़०

-मौलाना अब्दुल जमील खतीब साहब बाक़्जी

मुहल्ला मुस्लिमपुर, पोस्ट वानमबाड़ी

(तमिलनाडु) इंडिया।

हज़रत मौलाना हक्कानी साहब और एक अहम इस्तिफ़ता मय जवाब

सवाल

मोहतरम हज़रत सदर मुफ़्ती साहब दारुलउलूम देवबन्द दा-म फ़ुयूजु कुम !

अस्सलामु अलैकुम

नीचे के मसअले में शरअ शरीफ़ का हुकम मतलूब है। यहां के मुसलमानों ने एक बाहर के मुकर्रिर को इस्लाह की गरज़ से बुलाया। फ़ाज़िल मुकर्रिर ने यहां और संभल में अपनी तक़रीरों से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। खुदावन्द करीम ने सादा और मीठी भाषा दे रखी है, जिसकी वजह से बड़े भारी-भारी मजमे हुए। हाज़िरीन के शौक़ का यह हाल है कि बच्चों और औरतों तक ने भी पूरी तवज्जोह से तक़रीरें सुनीं। औरतों की चें-चें, में-में ख़त्म, बच्चों की नौद गायब, तक़रीरें ज्यादातर इस्लाहे अकाइद और रस्म व रिवाज के छोड़ने के मज्मून पर निहायत एहतिया के साथ होती हैं। हर मसअले को कुरआन पाक की आयतों और हदीस शरीफ़ और फ़िक्ह

के मुकम्मल हवालों के साथ खोल-खोल कर बयान फ़रमाते हैं। यहां के उलेमा ने भी आम तौर से आपकी तक़रीरों से दिलचस्ती ली, असर भी ऐसा रहा कि कितने ही बे-नमाज़ियों ने नमाज़ शुरू कर दी और बहुत से चेहरों पर दाढ़ियों का नूर नज़र आने लगा। बद-एतकादी से बहुत बड़ी जमाअत ने तौबा कर ली, लेकिन इन सब के बावजूद यह साहब लिखने-पढ़ने की इस्तेदाद मुकम्मल नहीं रखते, क़िरात और उर्दू का तलफ़फ़ुज़ भी ग़लत है, गुजराती में लिख-पढ़ लेते हैं, उर्दू बिल्कुल लिखना नहीं आती, अलबत्ता उर्दू की किताब पढ़ लेते हैं, दीनी मुताला बहुत बड़ा है, कभी यह साहब क़व्वाल थे। खुदावन्द करीम ने उन का रुख़ अपनी ओर मोड़ लिया है।

कुछ लोग कहते हैं कि अनपढ़ की तक़रीर सुनना और उस की मज्लिस में हाज़िर होना दुरुस्त नहीं। अब मालूम करने की बात यह है कि ऐसे आदमी की मज्लिस में हाज़िर होना और तक़रीरें सुनना दुरुस्त है या नहीं और इस उम्मत में इस किस्म की और मिसालें भी मिलती हैं या नहीं, तफ़्सील से बयान फ़रमाएं। खुदा आप को बहुत-सा अज़्र दे। -फ़क़्त

अल-मुस्तफ़्ती, हाफ़िज़ बदरुद्दीन हक्क़ानी
दवाख़ाना बाज़ार गंज सरायतरीन, जिला मुरादाबाद 3-1-86 हि०

अल-जवाब

हामिदन व मुसल्लियन ! वाज़ व इस्लाह इसालतन साहिबे बातिन उलेमा-ए-हक्क़ानी का मंसब और फ़रीज़ा है। ग़ैर-आलिम आम तौर से हुदूद की रियायत करने और हक़ व बातिल में तमीज़ करने से कांसिर होते हैं। आजकल सही दीन आम तौर पर तो बा-ज़ाब्ता मुहक्क़क़ उलेमा की ख़िदमत में रह कर किताबें पढ़ने से हासिल होता है, कमी सिर्फ़ उलेमा की सोहबत और किताबों के मुताला से भी काफ़ी इल्म आ जाता है, अगर तबीयत में सलामती और ग़बावत व ग़वायत (यानी कुन्द ज़ेहनी व गुमराही) से हक़ तआला महफ़ूज़ रखे, तो यह इल्म भी, जो कि महज़ सोहबते अकाबिर से हासिल हुआ है बहुत नफ़ा बरख़्श हो जाता है। फिर सोहबते अकाबिर से मुजाहदे की ताक़त जाग जाए, तो ऐसे इल्म वाले के सामने अकाबिर उलेमा भी झुकते हैं और उस की सोहबत व तज्कीर को अक्सीर समझते हैं। उस की नज़ीरें माज़ी क़रीब व बईद में भी मौजूद हैं और ज़माना हाल में भी ख़ाली नहीं। हज़रत गंगोही रह०, हज़रत नानौतवी रह०, हज़रत थानवी रह० बड़े ऊंचे दर्जे के मुहक्क़क़ व मुस्तनद उलेमा थे और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रह० की सोहबत से वे चीज़ें हासिल की, जो मदरसे में उन को नहीं मिली थी, लेकिन ऐसी नज़ीरें कभी कभी ही देखने को मिलती हैं। पस अगर मुक़र्रिर मौसूफ़ को खुदा-ए-पाक़ ने अपनी रहमत (तज्कीर व तासीर) से नवाज़ा है और उलेमा उन की तक़रीर व तहरीरों को उसूले शरअ के मुताबिक़ सही और उन के बयान किये हुए हवालों को मोतबर फ़रमाते हैं, तो ज़रूर उनका वाज़ सुनना और तक़रीर से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। फ़क़्त ! वल्लाहु

तआला आलमु !

-हररहुल अब्दु महमूद उफ़ि-य अन्हु,

मदरसा दारुल उलूम देवबन्द

अल-जवाबुस्सहीह

6-1-86 हि०

सैयद मेहदी हसन

(सदर मुफ़्ती दारुल उलूम)

अल-जवाबुस्सहीह

-सैयद अहमद अली सईद (नायब मुफ़्ती दारुल उलूम)

अल-जवाबुस्सहीह

मुहम्मद निज़ामुद्दीन, उफ़ि-य अन्हु,

मुहर दारुल इफ़्ता

दारुल उलूम देवबन्द

देवबन्द

अल-जवाबुस्सहीह

इस मज़कूर फ़त्वा (फ़त्वा दारुल उलूम देवबन्द) की शहादत के लिए यह बात बहुत काफ़ी है कि सैयिदी अल-इमाम अश-शअरानी रह० हज़रत सैयिदी अली अल-ख़वास की सोहबत में, जो कि महज़ उम्मी थे, उन ऊंचे दरजों तक पहुंच गये कि अपनी किताब 'लताइफ़ुल मनन' में इस बात पर अल्लाह जल्ल जलालुहू के फ़ज़ल व करम का इज़्हारे शुक्र किया है और यह भी मालूम है कि अल्लाह तआला के फ़ुयूज़ात के दरवाज़े लिखने-पढ़ने वाले लोगों के साथ मख़सूस व महसूर नहीं हैं, बल्कि 'ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युज़ति हि मय-यशाउ' और हज़रत सय्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया है, 'ला तन्ज़ुर इला मन का-ल वन-ज़ुर इला मा का-ल!' (कहने वाले को मत देखो, जो कुछ कहा है, वह देखो)

और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत में देखना चाहिए कि 'उम्मियत' हुज़ूर के आली अख़्लाक व बुलन्द औसाफ़ में से गिनी जाती है ब आंकि हादी ए-बशारियत अल्लाह तआला की तरफ से बने।

-शेख़ अब्दुल कादिर कंधारी उफ़ि-य अन्हु

मुदीर दारुल इशाअतुल अरबिया

कंधार (अफ़ग़ानिस्तान)

20-12-75 ई०

तआरुफ़

अज़ हज़रत मौलाना मुफ़ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब
मुरत्तिब फ़तावा, दारुलउलूम देवबन्द

अल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल
मुर्सलीन व अला आलिही व अस्थाबिही अज-मईन

वे लोग बड़े खुश नसीब हैं जो दीनें क़य्यिम की इशाअत व तर्वीज में लगे हुए हैं और उनका दिन-रात का मशग़ला ही 'कालल्लाहु व कालररसूलु' है।

उनके मुख़ातब अवाम भी हैं और ख़वास भी, शहरी भी हैं और देहाती भी, आलिम भी हैं और जाहिल भी और उनकी ख़िदमतों से मख़्लूके खुदा की रहनुमाई हो रही है, भटके हुए रास्ते पर आ रहे हैं, बुरे बुराइयों से तौबा कर के नेकी के रास्ते पर लग रहे हैं और इस तरह बिद्अतों और खुराफ़ातों की जड़ काटने का फ़रीज़ा अंजाम पा रहा है। माशा अल्लाह मुहम्मद पालन हक्क़ानी साहब भी उन्हीं लोगों में हैं।

मुहम्मद पालन हक्क़ानी साहब इस्लाम के एक मुबल्लिग़ की हैसियत रखते हैं और उनकी ज़िंदगी का मिशन इस्लाम की तब्लीग़ है। हिन्दुस्तान की शायद कोई ज़िक्र करने के क़ाबिल आबादी ऐसी नहीं है, जहां उनका वाज़ न हुआ हो और लोगों ने उससे फ़ायदा न उठाया हो। यह हकीक़त है कि उनकी तक्रीर में जैसा मज्मा देखने में आता है, कम मुक़र्रिरो की तक्रीरो में होता है। अवाम उनकी तक्रीरो को बहुत पसन्द करते हैं और लोगों के दिल व दिमाग़ उस तक्रीर का असर भी कुबूल करते हैं। आदमी वज़ादार और संजीदा है। हाफ़िजा माशाअल्लाह अच्छा है, ज़्यादा बातें क़ुरआन पाक और हदीसे नबवी के हवाले से बयान करते हैं और कुछ बे-सफ़हे की हिकायतें भी सुनाते हैं।

-तालिबे दुआ

मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन गुफ़ि-र लहु

दारुल उलूम देवबन्द, 21-11-98 हि०

जिसे तू गरां समझता है

अज़ हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब, एडीटर देवबन्द दाइम्स'

इस रंगारंग दुनिया में हर चीज़ शायद दो चीज़ों के आपसी टकराव से वजूद पाती है। यह और आत है कि इस टकराव में कोई अपना वजूद ख़त्म कर ले और कोई वजूद का नया रूप अपना ले।

मैं समझता हूँ कि हक्क़ानी साहब को इसी टकराव ने एक नया रंग रूप और नयी हस्ती

का हुस्न अता किया है। वह जिस माहौल में पले जवान हुए, वह ऊपर से उनके लिये साजगार सही, लेकिन अन्दर से उनके लिये सख्त जंग जू वाक़ेअ हुआ था, वह सालों अन्दर और बाहर की जंगों में अपनी शख़्सियत को झूमता हुआ देखते थे और आख़िर में एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अन्दरख़ाना इस सर्द जंग में बातिन जाहिर पर ग़ालिब आ गया है और फ़ितरत उन को अपनी असल मंज़िल पर ले आयी है, फिर जब बातिन का जुहूर हुआ और उसके जमाल का रंग चमकने-दमकने लगा, तो टकराव ने यहां भी उनका पीछा न छोड़ा। वह अंधेरे और रोशनी को दस्त व ग़रेबां देखते रहे और इस हकीक़त पर यकीन व एतमाद को और पक्का कर लिया कि सारी कि सारी दुनिया के अंधेरे रोशनी के एक तिनके से सर टकरा कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे और रोशनी अपने जर्ज़ा भर वजूद में भी सब पर ग़ालिब रहेगी। हक्क़ानी साहब के ख़िलाफ़ उनकी बे पनाह मक्बूलियत से ख़ार खा कर आये दिन नज़रियाती जंग का-सा मंज़र कायम होता रहता है, लेकिन यही चीज़ उनकी शख़्सियत को और निखार रही है और वह दिन ब दिन अहम से अहमतर होते जा रहे हैं। वह अनपढ़ जाहिल हैं, सनद पाये हुए आलिम नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आज तक यह दावा कब किया है कि लोग उन्हें आलिम तस्लीम करें, अल-बत्ता उनकी जुबान से इल्म व फ़िक्र और सूझ-बूझ की जो बारीक बातें आबशार की तरह बह रही हैं और हज़ारों नहीं, लाखों इन्सानों के दिलों में ईमान व यकीन की गर्मी पैदा कर रही हैं, यह सिर्फ़ खुदा का फ़ज़ल है, इस पर हसद की कोई गुंजाइश नहीं।

-शाहीन जमाली

एडीटर देवबन्द टाइम्स 30-7-78 ई०

हज़रत मौलाना हक्क़ानी साहब

और उनके बारे में कुछ मुक्त्तदिर हज़रत और
उलेमा-ए-बरेली का

इज़हारे ख़्याल

खुदावन्दे करीम को जब दीनी ख़िदमत लेना होती है, तो आलिम और गैर-आलिम में फ़र्क नहीं फ़रमाते, बल्कि जिस को भी मुनासिब समझा जाता है, सलाहियतों से नवाज़ा जाता है-

ऊपर ज़िक्र किये गये दांवे का सबूत हज़रत हक्क़ानी साहब की ज़ात है। आपकी तक़रीरें आठ दिन से मदरसा इशाअतुल उलूम वाक़े सराय ख़ाम बरेली में हो रही हैं। बरेली और आस-पास के हज़ारों मुसलमान मर्द व औरतें अकीदों में फ़र्क किये बग़ैर सुन रहे हैं। और फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। खुदावन्दे करीम की अजीब शान है कि तक़रीरें रुशद व हिदायत का समुन्द्र हैं जो उमड़ा चला आता है। असर का यह हाल कि अवाम का इज्तिमाअ हर दिन बढ़ता ही चला जाता है। कुरआन मजीद की आयतों और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों

के हवाले बे-तकल्लुफ़ पारा, सूरः, रकूअ, आयत का नम्बर और जिल्द, हिस्सा नम्बर हदीस के साथ देते जाते हैं और ऐसी रवानी तो बड़े-से बड़े आलिमों में भी कम ही होती है।

‘शरीअत या जहालत’ के नाम से आप्र के वाजों का मज्मूआ भी इन ही खसूसियतों का हामिल किताबी शकल में छप चुका है। जरूरत है कि इस किताब की कम से कम एक जिल्द हर मुसलमान के घर में हो। फ़क़त ! व मा अलैना इल्लल बलाग़

1. मौलाना अब्दुरऊफ़ साहब एम.एल.सी., मोहतमिम मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
2. मौलाना मुहम्मद रफी साहब, सदर मुदरिस व मुफ़्ती, मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली
3. मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब, मुंदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
4. मौलाना अब्दुल अली साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
5. मौलाना शौकत अली साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम बरेली,
6. मौलाना मुहम्मद कासिम अली साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
7. मौलाना मुहम्मद सिराजुद्दीन साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
8. मौलाना अब्दुल अव्वल साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
9. मौलाना सैयद नूरुल हसन साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली
10. मौलाना अब्दुस-समीअ, नायब सदर मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
11. मौलाना फ़ज़्ले करीम साहब कश्मीरी सिक्रेट्री जमअीयतुल उलेमा, बरेली,
12. मौलाना हकीम हामिद अली साहब, सदर जमीयतुल उलेमा व अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
13. मौलाना ख़ान असगर ख़ालिदी साहब, सदर अंजुमन मुहिब्बाने मिल्लत,
14. मौलाना मुहम्मद कासिम साहब, कश्मीरी, बरेली,
15. मौलाना अब्दुरहीम साहब, नायब सदर अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
16. मौलाना शेख़ मुहम्मद यूसुफ़ साहब कुरैशी, सिक्रेट्री अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
17. जनाब मुहम्मद इल्यास साहब, मुहांसिब अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
18. जनाब अब्दुल मजीद साहब, बाज़ार सराय ख़ाम नायब सदर अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
19. जनाब रईस बेग साहब, नाज़िमे हल्का न० 14 अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
20. जनाब अब्दुल मजीद साहब, सराय बांस मंडी, अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली
21. जनाब अब्दुरहमान साहब, मुदरिस मदरसा इशाअतुल उलूम बरेली,
22. जनाब शौक साहब, बरेलवी, मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
23. जनाब हाज़ी मुहम्मद नबी साहब, बरेली,
24. जनाब मुहम्मद लईक साहब, कुरैशी, बरेली,

25. जनाब मुस्तफ़ा मियां साहब, कुरैशी, बरेली,
26. जनाब शाकिर अली साहब, टिम्बर डीलर, बांस मंडी, बरेली,

अख़्बारात के तब्सरे

किताब 'शरीअत या जहालत' के बारे में
'मुस्लिम गुजरात' सूरत की राय

कुरआन और हदीस के मुताबिक़ जिन्दगी गुज़ारने की तालीम देने वाली, तौहीद के अकीदों का सही इल्म बताने वाली यह साढ़े पांच सौ सफ़हों की किताब 'यहदी मय्युरीद' (खुदा जिसे चाहता है, हिदायत देता है) का एक रोशन सबूत है, क्योंकि लिखने वाला एक सीधा-सादा मिल मज़दूर है। मदरसों की तालीम से दूर और उसूल के साथ इल्म हासिल करने से महरूम है। फिर भी अपनी मुख़्लिसाना दीनी अकीदत से अपने आप को ईमान और यकीन की दौलत से मालामाल कर दिया। दूसरे दीनी भाइयों की तरह सच्ची तौहीद और इस्लामी तालीम की इशाअत और तब्लीग़ करने वाला बना दिया। कहने को एक अनपढ़ मुस्लिम लेकिन हकीक़ते हाल एक मुस्तनद मौलवी, किताब 'शरीअत या जहालत' कुरआन और हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हवालों से भरी हुई है। इसमें पचास-साठ दीनी मज़हबी सवालों का पूरा खुलासा है। लोगों में फैली हुई मुश्रिकाना बिदअतों और ग़ैर-इस्लामी तर्ज़े जिन्दगी की साफ़ सफ़ाई है और ऊंचे दर्जे की तौहीद की तालीम है। आम लोगों के लिये बहुत ही मुफ़ीद अच्छी और आसान तब्लीग़ है। यह किताब इस काबिल है कि इसको कसरत से पढ़ें और पढ़ाएं और ज्यादा आलम में फैलाएं।

- 'मुस्लिम गुजरात'

8-2-63

माहनामा 'आबेहयात' तहरीर करता है

जब मज़हब की तरफ़ से लोगों की सर्द मोहरी बढ़ती जाती है, जब इस्लाम के पीछे चलने वाले शिर्क व बिदअत, दहरियत, और तवहहुमात परस्ती और इस्लाम के खिलाफ़ रिवाजों में मुब्तला हो जाते हैं और बिदअती लोग ग़लत एतकादों को ठीक इस्लाम समझने लगते हैं और उम्मत मुहम्मदिया को ऐसी ग़लत बातों से बचाने की कोशिश करने वाले उलेमा के खिलाफ़ पेट भरू मुल्ला और मक्कार पीर ग़लत प्रचार करके कौमों की जहालत से फ़ायदा उठा कर अल्लाह के अज़ाब और अपनी जिम्मेदारियों से बे-परवाह होकर कम-समझ तबके को अल्लाह और उसके रसूल के नाम से धोखा देकर अपने पेट भरने की फ़िक्र में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कौम में फूट और ना-इत्तिफ़ाकी और ग़लत एतकाद पैदा हो जाते हैं, जो उम्मत दुनिया

की इमामत और रहबरी के लिये पैदा की गयी है, वह गुनाहों और बिदअतों की नजासतों में फंस जाती हैं, तब अल्लाह तआला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह अज्ज व जल्ल अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत को टोकने और झिझोड़ने के लिये और दीन की खिदमत अंजाम देने के लिये किसी ऐसे इन्सान को लाकर मैदान में खड़ा कर देता है, जो न तो मौलवी होता है, और न मुफ्ती, न पीर होता है, अल-बत्ता अल्लाह तआला उस को एक खुद गरज़ मौलवी से जायद दीन का इल्म अता फरमाता है, उसे कुरआन को वक्त पर पेश करने की समझ देता, है जो हाफिज़ को मयस्सर न हो, उसकी तिलावत में ऐसा असर बरखाता है, जितना किसी रियाकार कारी में न हो, उसको शरीअत के मसाइल का इतना काबिले एतमाद इल्म देता है, जितना पेट भरू मुफ्ती में मौजूद न हो और उसको तक्वा और परहेजगारी की नेमत से ऐसा मालामाल करता है, जितनी कि आजकल के नामनिहाद मौलवियों और पीरों को न मिली हो।

ऐसी ही एक हस्ती मियाना मुहम्मद पालन हक्कानी हैं, जो मौलवी हाफिज़, कारी, मुफ्ती, पीर वगैरह कुछ भी नहीं हैं, इसके बावजूद अल्लाह तआला अपने दीने बरहक की उनसे ऐसी खिदमत करा रहा है कि तमाम लोग दम ब खुद हैं। जिन मक्कारों की रोटी-रोजी का दारोमदार इल्मे दीन से महरूम मुसलमान भाइयों और बहनों को फरेब देने पर ही रहा है, वही लोग हक्कानी साहब के खिलाफ चीख व पुकार करते फिरते हैं, मगर बे-सूद।

जनाब हक्कानी साहब के रूह परवर वाजों की गुजरात में धूम मची हुई है रोजाना हजारों की तायदाद में भाई और बहनें उन से मुस्तफीज़ होकर आकिबत दुरुस्त कर रहे हैं।

शर्क व बिदअत के तोड़ में उनकी किताब 'शरीअत या जहालत' निहायत ही जौक व शौक और कद्र की निगाहों से हाथों हाथ ली गयी और बड़े अच्छे पैमाने पर फरोख्त हुई है और इन्शाअल्लाहु तआला यह सिलसिला चलता ही रहेगा। किराये के मुबल्लिग और पेटपरस्त मुल्ला, पीर और उनके एजेंट हसद की अग मे जलते ही रहेंगे।

मुद्ई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।

- 'आबेहयात' (अहमदाबाद)

1-8-1963 ई०

माहनामा 'इंकिलाब' (अहमदाबाद) लिखता है

अहमदाबाद में आखिरी दो एक माह से मशहूर वाइज़ मियाना मुहम्मद पालन हक्कानी साहब के वाजों ने धूम मचा दी है। बारिश न हो तो बहुत कम ही कोई ऐसा दिन गुज़रता होगा, जिसमें हक्कानी साहब का वाज़ न हो। इसकी वजह क्या है? हक्कानी साहब के वाज़ आम लोगों में इस क़दर क्यों कुबूलियत हासिल कर गये, इसका जवाब सिर्फ़ यह है कि जनाब

हक्कानी साहब के वाज़ कमा कर खाने के लिये नहीं होते, बल्कि देने हक की खिदमत के लिये होते हैं।

मौसूफ़ हक्कानी साहब अपने वाज़ों में मुसलमानों को काफ़िर नहीं बनाते, मगर गुमराहों को सीधे रास्ते पर लाने का काम करते हैं। उनकी तक़रीर सादा जुबान में होती है, इसके बावजूद सुनने वालों पर बेहद असर करती है। उनकी तक़रीर में पेटपरस्त मुल्लाओं की तरह लफ़्फ़ाज़ी नहीं होती, मगर कुरआन और हदीस की खुल्लम-खुल्ला बातें होती हैं। यह हकीकत से भरी बातें इस्लाम के शैदाइयों के गले में उतर जाती हैं। यही वजह है कि उन के मुख़ालिफ़ों में एक तूफ़ान पैदा हो गया है वे लोग घबराहट के मारे बोखला गये हैं क्योंकि उन की आमदनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। धोलका के लोग और जंगल के शेर कंधों पर रुमाल डालकर जनाब हक्कानी साहब को निकाल देने के लिये निकल पड़े हैं। बनावटी पीरों और मुरीदों की आमदनी पर जलसा करने वाले पीरजादे किराये के तूफ़ानी आर्दामियों को लेकर पचास-पचास और सौ-सौ इंसानों की कंगाल हाज़िरी वाली मज्लिसों का इन्तिज़ाम करते हैं, तबरुक की देगें खिलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, मगर शाबाश है अहमदाबाद के मुसलमानों को, जो ऐसे किराए के टट्टू मौलवियों और पेट के पुजारी पीरों और पीरजादों की चालों में नहीं फंसते, बल्कि जनाब हक्कानी साहब की हक व सदाकत से भरी बातें सुनने के लिये एक भीड़ जमा हो जाती है। जैसे-जैसे पेटपरस्त मुल्ला जनाब हक्कानी साहब के ख़िलाफ़ ग़लत शोर करते हैं, वैसे-वैसे जनाब हक्कानी साहब की हर दिल अज़ीज़ी बढ़ती जाती है-

तुअिज़्जु मन तआाउ व तुजिल्लु मन तशाउ (अल्लाह जिस को चाहे इज़्जत देता है और जिस को चाहे ज़िल्लत देता है।) -माहनामा 'इन्क़िलाब' अहमदाबाद,

17 अगस्त, 1963

माहनामा 'कारवां' (अहमदाबाद) का इज़्हारे ख़्याल

मियाना मुहम्मद पालन हक्कानी साहब की करीब साढ़े पांस सौ सफ़हों की मोटी किताब 'शरीअत या जहालत' बिदअतियों के लिये फ़ारूकी दुरे से कम नहीं है।

जनाब हक्कानी साहब ने 'एक मामूली आदमी होने के बावजूद इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों के बारे में कुरआन करीम, अहादीसे नबवी और हनफ़ी-फ़िक्ह की मोतबर किताबों के सही हवालों से ऐसी पक्की दलीलें पेश की हैं कि जिन्हें पढ़ते ही लिखने वाले की खुदादाद लियाक़त का एहसास हो जाता है। शरीअत के नाम से आजकल कितने ही 'ले भागू पीर' और मौलवी कैसी-कैसी जहालत फैला रहे हैं और अल्लाह के बन्दों और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मतियों को कैसे-कैसे ग़लत रास्तों पर ले जा रहे हैं। वह इस किताब को पढ़ने से मालूम हो जाता है। आज बिदअती जमाअत के लोग मुसलमानों को रोज़ा-नमाज़ जैसे इस्लामी हुक्मों की तरफ़ नहीं बुलाते, लेकिन बिदअती कामों में फंसा देते हैं। ऐसी बातों को लिखने

वाले ने कुरआनी दलीलो से पेश किया है। हर एक मुसलमान को यह किताब पढ़ कर बिदतियों का जाल तोड़ फेंकना चाहिए।

-माहनामा कारवां, अहमदाबाद,

1-3-1963 ई०

माहनामा 'मोमिन जगत' (बम्बई) का इज़हारे ख्याल

लगभग साढ़े पांच सौ सफ़हों की इस मोटी किताब में एक-एक सफ़हे पर तौहीद और शरीअत की तालीम देने वाले इल्म के चश्मे हैं। पेट भरू मौलवियों ने ग़लत दलीलें और मनगढ़त बातें जारी करके मुकम्मल और सही इल्म से नावाकिफ़ मुसलमानों में अनकिमनत बिदअतें, रस्में और फित्ने जारी किये हैं। उन तमाम बातों का कुरआनी आयतों और अहदीसे नबवी से इस किताब में रद्द किया गया है। करीब-क़ारब साठ मसअलों का इस किताब में निहायत उम्दा जवाब है। इसके लिखने वाले एक मिल मज़दूर मुसलमान हैं, मगर दीन की हमदर्दी और सही इल्म की तब्लीग़ की तमन्ना ने उन से एक उम्दा और मुस्तनद व मोतबर किताब मिल्लत की खिदमत में पेश करा दी है।

- 'मोमिन जगत', बम्बई

15 मार्च, 1963,

माहनामा 'इन्सान' (रादेर) तहरीर करता है

इस किताब के लिखने वाला लगभग अनपढ़ और एक मिल मज़दूर है, मगर जोशे अकीदत और दिलचस्पी से उन्होंने एक सनद याफ़्ता मौलवी से भी ज़्यदा फ़िक्र से यह किताब तैयार करके तब्लीगी तहकीकी खिदमतें अंजाम दी हैं।

कुरआन व हदीस और फ़िक्ह की मोतबर किताबों के ज़रिए एक-एक सवाल को हल किया है। ऐसे सही हवाले पेश किये हैं कि हमारे बहुत से इख़िलाफी मसअलों का इसमें खुलासा आ जाता है। पेट के पुजारी मुल्ला और धंधा करने वाले पीरों ने कौम में जो जहालत भरी अकीदत मन्दी और मनगढ़त अकीदे फैलाए हैं ग़लत और बे बुन्याद रिवाजों और मज़हबी ढोंग से कौम को ख़राब करने की कोशिश की गयी है, उन को इस किताब का एक-एक मोतबर फ़िकरा तोड़-फोड़ डालता है।

यियाना मुहम्मद घालन हक्कानी के दिल में अल्लाह तआला ने तहकीकी और तज़सुसी ताक़त अता फ़रमा कर उनकी मारफ़त तफ़सीर व हदीस और फ़िक्ह के एक मुस्तनद आलिम का काम लिया है। हमारी जोरदार अपील है कि हर एक इन्सान इस किताब का गहराई से मुताला कर के अपने मसअलों का हल तलाश करे।

- माहनामा 'इन्सान' रादेर, 1-8-1963

‘मेमन गुजरात’ मैगज़ीन कोलम्बो (लंका) की तहरीर

‘शरीअत या जहालत’ यानी शरीअत क्या है और जहालत क्या है ? इस का दलीलों के साथ और तफ़्सील से खुलासा करने वाली यह किताब हर मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है, पेट परस्त मुल्लाओं के मनगढ़त मज़हब की जड़ उखाड़ने वाले इख़िताफ़ी मसज़लों का खूबसूरती से फैसला करने वाली यह किताब रात-दिन अपने सामने आने वाले इख़िताफ़ी-फुरूज़ी मसज़लों का सही हल बताती है। इस में एक बात भी कुरआन व हदीस और हनफी फ़िक्ह के मज़बूत हवाले के बग़ैर पेश नहीं की गयी। किताब के लिखने वाले जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी साहब एक मामूली मिल मज़दूर हैं। उन्हें अपने आलिम होने का कोई दावा भी नहीं। हकीकत में अल्लाह तआला अपने दीन का काम कैसे-कैसे आदमियों से कराता है और वह किस तरह कामियाब होते हैं यह देखना हो तो किताब ‘शरीअत या जहालत’ का मुताला करो।

-‘मेमन गुजरात’ मैगज़ीन, कोलम्बो (लंका) 1-4-63 ई०

माहनामा ‘तंजीम’ (कावी) का इज़हारे ख़्यान

सुन्नी और वहहाबी का किस्सा ख़त्म करने की गरज़ से तैयार की गयी और शरीअत का सही और हकीकी रास्ता बतलाने वाली यह किताब ‘शरीअत या जहालत’ कुरआन व हदीस और हनफी मसलक की मोतबर किताबों के सफ़हों के हवालों से आखिरी सही हल है। खुदावन्दे करीम लिखने वाले और उन के हामियों को ऐसा इनाम दोनों जहान में अता फ़रमाये, जिस को बयान करने से जुबान भी आजिज़ रहे। आमीन!

जो भाई अरबी नहीं जानते, उन के लिए यह एक अनोखा हथियार और बेहतरीन तोहफ़ा है। मज़हबी इख़िताफ़ों के लिए एक जजमेंट है। आम मुसलमानों से अपील है कि इस किताब से रूहानी फ़ैज़ हसिल करें।

-माहनामा ‘तंजीम’ कावी, 5 जनवरी, 1963 ई०

‘माहनामा निज़ाम’ (कानपूर) की तहरीर

गुजरात में पिछले तीन साल से जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी नामी एक मिल मज़दूर रहे बिद्रात की एक ज़बरदस्त तहरीक ले कर उठे और देखते ही देखते पूरे गुजरात पर छा गये। हक्कानी साहब ने मामूली-सी उर्दू गुजराती की तालीम पायी है, मगर अल्लाह तआला ने उन से अपने दीन की वह ख़िदमत ली कि बड़े-बड़े उलेमा आज दांतों तले उंगली दबाते हैं।

उन की तहरीर में वह जादू है कि सुनते ही इन्सान की क़ल्बे माहियत हो जाती है। मौसूफ़ की तहरीरों की वजह से सैकड़ों बदकार मुसलमानों ने तौबा कर ली और हज़ारों लोग नमाज़-रोज़े के पाबन्द हो गये।

-माहनामा ‘निज़ाम’ कानपुर,

जून 1964 ई०

माहनामा 'तजल्ली' (देवबन्द) की तहरीर

जनाब हक्कानी साहब खुद मुत्तकी और बे-लौस इंसान हैं, इसलिए अल्लाह तआला ने उन की जुबान में भी अजीब तासीर रख दी है। कुरआन मजीद की हजारों आयतें, पारे, सूरतें, रुकूअ और आयत न० के पक्के हवालों के साथ, साथ ही सिहाहे सित्ता और दुर्रे मुख्तार, आलमगीरी, ऐनुलहिदाया की सैकड़ों हदीसों और फिक्ही मसअले उन्हें याद हैं और वह अपनी तकरीरों में किताब का नाम, जिल्द, बाब और सफहा व हदीस नम्बर बताते हैं। इसी तरह फिक्ही मसअलों में भी पूरें-पूरे हवाले देकर इस खूबी से दीन की उसूली बातें लोगों को समझाते हैं कि कोई बड़े से बड़ा बिदअती भी मुतास्सिर हुए बिना नहीं रह सकता और खूबी की बात तो यह है कि हक्कानी साहब का यह सारा मुताला उर्दू तर्जुमों तक ही महदूद है। अरबी-फारसी वह जानते ही नहीं, लेकिन अल्लाहसुब्हानहू व तआला कैसे-कैसे लोगों से कैसी-कैसी खिदमत ले रहा है, यह देख कर वाकई हक तआला की कुदरते कामिला याद आ जाती है। हक्कानी साहब ने गुजराती जुबान में एक किताब 'शरीअत या जहालत' लिखी है, इस में आयाते करीमा और अहादीसे नबवी और मुस्तनद फिक्ही हवालों के साथ मुख्तार बिदअतों और गैर-इस्लामी बिदअतों का इस तरह रद्द किया गया है कि बरेली फिर्के की बनायी हुई पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है। खुदा ने इस किताब को कुबूले आम ऐसा अता फरमाया है कि उस के पांच-पांच हजार के दो गुजराती एंडीशन हाथों हाथ बिक गये और अब दस हजार का यह तीसरा एंडीशन उर्दू जुबान में आप के हाथों में है।

-माहनामा 'तजल्ली', देवबन्द, मई 1964 ई०

हजरत मौलाना मुख्तार अहमद साहब नदवी नाजिमे आला जमीअत अहले हदीस बम्बई तहरीर फरमाते हैं

मौलाना हक्कानी खालिस मसलक के एतबार से हनफी आलिम हैं, जिन का ताल्लुक तब्लीगी जमाअत से है! अर्सा तीन चार माह से लगातार बम्बई में उन के वाज व बयान होते रहे हैं। इन वाजों में मौसूफ ने खुलकर शिर्क व बिदअत की तर्दीद की और तौहीद व सुन्नत पर बड़े दिल नशीन अंदाज में तकरीरें फरमायीं। खुदा ने उन्हें रुजूए आम की नेमत अता फरमायी है। उन के वाजों में हर अकीदा व मसलक के मुसलमान इतनी बड़ी तायदाद में जमा होते हैं कि आस-पास के तमाम रास्ते बन्द हो जाते हैं मौसूफ हक का मेयार सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को करार देते हुए पूरी तकरीर कुरआन व हदीस की दलीलों की रोशनी में करते हैं। ताजियादारी, फातिहा, मीलाद, उर्स व कव्वाली और इस किस्म की तमाम बुरी रस्मों की उन्होंने खुले लफ्जों में तर्दीद की, जिस से बौखला कर बेरीलवी तबके ने उन के खिलाफ मोर्चा कायम किया, लेकिन वह पब्लिक के आम रुझान के मकुकाबले में बुरी तरह नाकाम रहे।

-अखबार 'अहले हदीस' दिल्ली,

15 अक्टूबर 1964 ई०

शाहनामा 'दाखलउलूम' (दिवबन्द) की तहरीर

किताब 'शरीअत या जहालत', मुसन्निफ़ मुबल्लिगे इस्लाम मुहम्मद हक्कानी, मुबल्लिगे इस्लाम मुहम्मद हक्कानी ने एक मिल मजदूर की हैसियत से अपनी जिन्दगी शुरू की। फिर जिन्दगी ने उन्हें अच्छी समझ, हक़ की तलाश का जज़्बा, सही दीनी जिन्दगी अख़्तियार करने की तमन्ना और तब्लीगे इस्लाम का शौक़ इनायत फ़रमाया। उर्दू की किताबें पढ़ कर उन्होंने ने इतनी काबिलियत पैदा की कि अब मुल्क के अक्सर हिस्सों में वह पचास-पचास हजार के मज्मों में तक्रीरें करते हैं और शिर्क व बिदअत की तर्दीद में उन की तक्रीरें निहायत कामियाब हैं।

मुहम्मद हक्कानी एक बे-गरज़, मुख़्लिस और सरगर्म इंसान हैं। हक़ तआला उन पर मक्बूलियत के दरवाज़े खोल रहे हैं। उन की किताब देखकर वाकई ताज्जुब हुआ कि एक मामूली काबिलियत के इंसान ने इस्लामी अक़ीदे और उसूल की तशरीह में काफ़ी कामियाबी पायी है। वे दीन के रुमूज़ व इशारात को बड़ी हद तक समझने और उन्हें लफ़ज़ व बयान के दायरे में लाने पर कुदरत रखते हैं।

उन की यह किताब दीनी अक़ीदों की तशरीह और कुफ़्र व बिदअत के रद्द में कामियाब किताब है। शुरू में वह हर उन्वान और हर मसअले पर कुरआन मजीद की आयत पेश करते हैं। फिर उस मज्मून का मुस्तनद हदीसों और ज़रूरत के मुताबिक़ कुरआन व हदीस की तशरीह करते जाते हैं। इस्लामी अक़ीदों के बयान में उन्होंने ने कहीं ठोकर नहीं खायी।

सय्यद मुहम्मद अज़हर शाह कैसर

मार्च 1966 ई०

'मैमन न्यूज़' डरबन (दक्खिनी अफ़्रीका) के एडीटर इब्राहीम उस्मान के तास्सुरात

मुहम्मद पालन हक्कानी आए और चले भी गये, मगर यकीनन उन के बयानों के असरात लोगों के दिलों पर बहुत दिनों तक बाक़ी रहेंगे। आपने अवामी सोच की ताक़त को सधा लिया। लोगों के बिछे जाने को देख कर ऐसा मालूम होता था कि आप का दौरा आज तक होने वाले तमाम दौरों में एक खास शान और इम्तियाज़ का हामिल था। ये इज्तिमाआत तमाम मजहबी मज्लिसों में एक इन्फ़िरादियत रखते थे और बहुत शानदार थे। यकीनन आप का सब से बड़ा हथियार आप की खुदादाद सलाहियत है। आप कुरआन मजीद की मुख़्तलिफ़ आयतों का हवाला मय सूः रूकूअ और आयत नम्बर साथ ही मुख़्तलिफ़ हदीसों का हवाला मय किताब जिल्द नम्बर सफ़हा नम्बर व हदीस नम्बर देते हैं।

आप का अन्दाज़े बयान सादा, सब की समझ में आने वाला और दिल लुभाने वाला है। यही वजह है कि आप के हर वाज में सुनने वालों की एक भारी भीड़ रहती है, जो दीन की

इशाअत की तब्लीग का एक नया तरीका लिये हुए है। हो सकता है कि हम आप के तमाम बयानों से पूरी तौर पर मुत्तफिक न हों और न ही बयान के तरीके की ताईद में हों। लेकिन उन्होंने हमारी बहुत सी आम राइजशुदा मजहबी रस्मों को बे-निकाब किया, जिन्हें हम दीने इस्लाम समझे हुए थे। उन्होंने हम से निहायत आसान ज़बान में कहा है कि हमारे लम्बे अर्से की कायम की हुई रस्में, जो हमारी रूहानी तकरीब बन चुकी हैं बिल्कुल तिजारत और गैर-इस्लामी हैं, उन में सही व खालिस दीनी किरदार की कमी है।

बिला शुब्हा हक्कानी साहब की इस सच्ची बात ने उन तमाम लोगों में बेचैनी पैदा कर दी, जो बरसों से उस में मुत्तला थे और यह गैर इस्लामी अमल उन के दिल व जान में समा गये थे, बहुत से लोगों के दिल थर्रा गये और बहुत से लोगों के ज़मीर ने चुभन महसूस की।

हक्कानी साहब के नज़रियात व बयानात की रोशनी में सारी गैर इस्लामी रस्में नाकारा साबित हो रही हैं और कुरआन व हदीस से इन रस्मों का टकराव हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी तायदाद ऐसे लोगों की है, जो इन रस्मों पर चलने वाले और इस ग़लत अक़ीदे के मानने वाले हैं। ऐसे हालात में इंसानी ज़मीर ही एक अकेला पंच है और उसी को फ़ैसला करना है।

बहरहाल एक चीज़ यकीनी है कि हक्कानी साहब की जोशीली तकरीरों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम नये सिरे से इन रस्मों पर जो धीरे-धीरे हकीकी दीन का बदल बनती गयीं और जिन पर हम गैर-इरादी तौर पर अमल कर रहे हैं, खूब तवज्जोह देकर नज़रेसानी करें और जायज़ा लें।

यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम उन की तकरीरों की हर चीज़ को तस्लीम ही कर लें और न ही इन जारी शुदा रस्मों के ख़िलाफ़ कोई शदीद रद्दे अमल ज़ाहिर करें, बल्कि हमें चाहिए कि अपने ज़ब्बों पर काबू रखते हुए हक्कानी साहब की तरफ़ से इस मसअले पर उठाए गये नुक्तों पर ईमानदारी के साथ गौर करें।

हमें चाहिए कि ऐसे लोगों कि हिमायत भी न करें जो मुख़ालफ़त की बुनियाद पर हक्कानी साहब को बदनाम करने के लिए इन अहम तकरीरों और इज्तिमाओं को मेला बताते हैं।

(अंग्रेजी से तर्जुमा)

एहतिमाम : अरबी एडीटर इब्राहीम उसमान, डरबन,
(दक्खिनी अफ़्रीका)

नाताल (डरबन) में दो लाख मुसलमानों की बाढ़

लगभग एक लाख से ज़्यादा लोग आप की मज्लिसों में इस्लाम मजहब और कुरआन पाक पर शामिल तकरीरों में शिकत करने के लिये टूट पड़े थे जो कि आम तौर से लगभग तीस से ज़्यादा हानों की मदद से की जाती थी। अक्सर व बेशतर लोगों की एक भीड़ को, जो कि

मीलों का सफ़र तै करके आप की आसान और असर भरी तक़रीरों को सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती उस भीड़ पर काबू पाने के लिए लगभग तीन सौ से ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत पड़ी थी। आपके बयानों को लोग इस तवज्जोह से सुना करते थे कि कभी-कभी आप के बयान लगातार पांच घण्टे तक जारी रहते, लेकिन इसके बावजूद सुनने वालों के चेहरों पर थकन व उकताहट का नाम व निशान भी न होता था वे जादू बयान मुकर्रि इस्लाम, वाइजे खुश बयान एक मुस्लिम मुबल्लिग़ जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी साहब हैं जिन की तक़रीरों ने दिक्खनी अफ्रीका में एक तहलका मचा रखा है। आप की तक़रीर को सुनने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी है नाताल में आप के प्रोग्रामों का इन्तिज़ाम इदारा ने किया है जहां आपके तीस से ज़्यादा प्रोग्राम दो लाख से ज़्यादा लोगों ने सुने डरबन में जहां मज़हबी जलसों की कोई अहमियत नहीं होती और ऐसी मज्लिसों की कतई तौर पर हिम्मत-अफ़ज़ाई नहीं की जाती, आप की असर भरी तक़रीरों और आप के बयान की कशिश ने आठ से दस हज़ार लोगों की तवज्जोह को अपनी ओर खींचा आपके हर बयान में लोगों की भीड़ खिची चली आती थी, एक एतबार के काबिल असरदार मुस्लिम के बयान के मुताबिक़ आज तक हिन्दुस्तान के किसी भी हिन्दू या मुस्लिम वाइज से लोग इतने लुत्फ़ लेने वाले और फ़ैज़ हासिल करने वाले नहीं हुए, जितने आपकी यादगार तक़रीरों से हुए।

इस्लाम मज़हब और कुरआन पाक पर गौर करने का ज़ब्बा बेदार हो गया। आप लोगों को ऐसी रूहानी तालीम से नवाज़ते कि तक़रीरों को सुनने के लिए वक़्त से पहले पहुंच जाते और पिंडाल आपके तशरीफ़ लाने से पहले ही खचाखच भर जाता और तिल धरने की जगह न रह जाती।

हक्कानी साहब ने बा-कायदा तालीम हासिल नहीं की और न ही आज से सात साल पहले आपके दिल में मज़हबी रुझान पाये जाते थे, रूहानी इल्हाम होने से पहले आप आम लोगों में एक मुगन्नी (गवैए) की हैसियत से पहचाने जाते थे। (अंग्रेजी से तर्जुमा) -डेली न्यूज़ पेपर, जुनूबी अफ्रीका,

नाताल (डरबन) 1-11-69 ई०

रोज़नामा 'पैग़ाम' कानपूर के तास्सुरात

एक अकेले हक्कानी ने तुम्हारे महलों को हिला डाला, जबकि तुम्हारे कौल के मुताबिक़ वह सिर्फ़ जाहिल है, जिसका मुकाबला पूरे शहर के उलेमा न कर सके और हिन्दुस्तान भर के चोटी के उलेमा-ए-किराम बार बार कानपुर बुलाये गए, खूब धुंवाधार तक़रीरें हुईं, लेकिन हक्कानी साहब का रंग बजाए फीका होने के उसमें चमक पैदा हो गई। आखिर क्या बात है, क्या ऐसा तो नहीं तुम जो हक्कानी को जाहिल कहते हो, तुम्हारे पास खुद कोई इल्म नहीं है और यह बात तो हलफ़िया कही जा सकती है कि अमल नाम की तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है। तुम को अपने ज़्यादा होने का झूठा गुमान था, इसका भी मुकाबला हो गया, तुम्हारे

बे-पनाह प्रोपेगंडों, घरों से बुलाने, नारे लगवाले, आल इण्डिया स्तर के लीडरों के आने के बावजूद बड़ी मुश्किलों से आठ-दस हजार का मज्मा कर सके, लेकिन अकेला हक्कानी जिसके जल्से में तीस-चालीस-पचास हजार, एक लाख तक मज्मा होता है। अब तुम्हीं बताओ कि ज्यादा तादाद किधर है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अक्लीयत मुसलमान जिसकी अहमियत को वक्त की हुकूमत भी अच्छी तरह समझती है और वह उस की मांगों पर सर झुकाने जा रही है, तुम उसमें दराड़ डालना चाहते हो, ताकि वह पाश-पाश हो जाए, सुन्नी अलग, देवबन्दी अलग, बरेलवी अलग, यह सब होने के बाद मुसलमान का यह दावा कि वह मुल्क की सबसे बड़ी अक्लीयत है, खत्म हो जाता है आओ हमें मुस्लिम अवाम को हकीकत से आशना करें।

असल में हक्कानी के कानपुर आ जाने से उत्त प्रदेश की सबसे ज़रखेज़ और बड़ी मंडी तुम्हारे हाथों से निकली जा रही है। अब तुम मदरसों इस्लाम और मुसलमान के नाम से चन्दा करा के अपने जाती महल न बनवा सकोगे। गरीब मुसलमानों के गाढ़े खून और पसीने की कमाई के लाखों रुपए हर साल नज़ व नियाज़ के नाम पर अब कैसे वसूल करोगे? क्योंकि हक्कानी साहब की तक़रीर के बाद उन्हें भी होश आता जा रहा है।

कितने अफ़सोस और शर्म की जगह है कि तुमने महज़ हक्कानी की दुश्मनी में मीलाद पाक की मुतबरिक महफ़िलें भी बन्द कर दी। तुम चाहते हो कि हुकूमत और मुक़ानी हाकिम हमारे दीनी मसअलों में दरख्त दें, हमारी मस्जिदों को अपने जूतों से नापाक करें, हमारे मजहबी मामलों के फैसलें करे, लेकिन सुनो तुम्हारी किसी भी मक्रूह हरकत का असर न हाकिमों पर पड़ेगा, न मुस्लिम अवाम पर। कुछ गिनती के बेकार गरीब मुसलमान तुम्हारे साथ हैं जिन्हें तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, उन की मजबूरियों और गरीबी से फ़ायदा उठाते हो और कुछ पैसों में खरीद कर उन्हें जेल भिजवा देते हो खुद बाहर लीडरी करते हो। लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, तुम्हें यह भी मालूम नहीं, सुनो हम बताते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौज के आगे रहते थे और तुम फ़ौज के पीछे, इसलिये कि तुम बुज़दिल हो, अगर बहादुर होते तो आगे जाते। पहला जत्था तुम्हारा होता, लेकिन तुम चन्दा करके अपना और घर का खर्च चलाने के साथ राजा बने बैठे हो और पब्लिक को कटवा रहे हो।

बुधवार, 1 अगस्त 1973 ई०

रोज़नामा 'सियासत जदीद' कानपुर का बे-लाग़ तब्सरा

फूल बाग़ कानपुर के लम्बे-चौड़े मैदान में तीन लाख से ज्यादा अकीदतमंदों का भारी इज्तिमाअ, जिसने कानपुर के मजहबी जलसों की तारीख़ के तमाम पिछले रिकार्ड तोड़ दिये, फूल बाग़ की तारीख़ में पहली बार मुसलमानों, हिन्दुओं, ईसाइयों और दूसरे अहले मजहब ने

कुरआन मुकद्दस के अहकाम और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाकीजा तालीमात को पूरे तौर पर सुना। मुबल्लिगे इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक्कानी साहब ने तौहीदे इलाही और शिर्क पर बसीरत अफ़रोज़ तक्रीर फ़रमायी। इस तारीखे इज्लास में लग भग 50 हज़ार औरतें और अलग-अलग ज़िलों के 15 हज़ार शाइकों ने भी शिर्कत की।
-बुधवार, 26 सितम्बर, 1973 ई०

‘नवेद’ दकन का हज़ारे ख्याल

हज़रत मौलाना पालन हक्कानी साहब आज के दौर के अज़ीम मुबल्लिगे दीन और इस्लामी दुनिया में खास किस्म के अपने आप में बे मिसाल तौहीद की दावत देने वाले और मौजूदा दौर के बेशक माया-ए नाज़ मुक़र्रिर हैं। मौलाना मौसूफ़ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला इशाअते इस्लाम और तब्लीगे दीन का वह बड़ा काम ले रहा है, जिस के ज़रिए हज़ारों मर्द और औरतें शिर्क व बिदअत और फ़िस्क़ व फुज़ूर से तौबा करके मुख़्लिस और मुवह्हिद मुसलमान बन गये। यह भी एक हकीक़त है कि आपकी गिनती पूरी दुनिया की उन गिनी-चुनी ही शख़सियतों में होती है, जिनको अल्लाह तआला ने गैर-मामूली मक़बूलियते आम्मा अता फ़रमायी है। यही वजह है कि आपके प्रोग्राम बगैर किसी इन्टरवेल के बराबर मुल्क भर में एक-एक साल तक तैशुदा रहते हैं इससे भी कौन इन्कार कर सकता है कि आपकी तक्रीरों में मज्मे का यह आलम होता है कि वह हज़ारों से आगे बढ़ कर लाखों तक पहुंच जाता है। इज्तिमाअ में शरीक होने वालों में मर्दों की तरह औरतों की भारी तायदाद शिर्कत करती है। चार-चार, पांच-पांच लाख तक हक़ की तलब रखने वालों की तादाद गिनी गयी है, जहां गये, जिस जगह गये, वहां एक बड़ा इन्क़िलाब पैदा कर दिया। दुनिया में ऐसी बड़ी हास्तियां मुद्दत में ही पैदा हुआ करती हैं-

बड़ी मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना,

बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूरे मैखाना।

-रोज़नामा ‘नवेद’ दकन हैदराबाद (आंध्रा प्रदेश), 7 जून, 1977 ई०

हक्कानी साहब का बम्बई में वरूदे मसूऊद

गुजरात और सौराष्ट्र के मशहूर व मारूफ़ और हरदिल अज़ीज मुबल्लिगे दीन जनाब मुहम्मद पालन हक्कानी साहब के इन्क़िलाबी वाज़ जब गुजरात के देहात-देहात और ज़िले-ज़िले में हों रहे थे और क़ौम के हज़ारों मर्द व औरतें उन ईमान बढ़ाने वाले वाज़ों के असर से शिर्क व बिदअत और गैर इस्लामी रिवाज़ों को तलाक़ देकर अपने अमल व अकीदा और ईमान व इस्लाम की ताक़त जुटा रहे थे। इसी बीच बम्बई के बहुत से दोस्तों ने जनाब हक्कानी साहब के दो-चार वाज़ों का एहतिमाम करने की दरख़्वास्त की और उनकी यह ख़्वाहिश दिन बदिन बढ़ती ही गयी, पर वाज़ों के प्रोग्राम कई-कई महीने के पहले ही मुक़र्रिर हो जाते थे। इन हालात में वक़्त निकाल कर बम्बई पहुंचने का जनाब हक्कानी साहब को मौका भी नहीं होता था।

मगर 'कुल्लु अम्रिन मरहूनन विऔक़ातिही' के मुताबिक़ हर काम के लिए कुदरत की तरफ़ से एक वक़्त शुरू ही से मुक़र्रर कर दिया जाता है। मुक़र्ररा वक़्त आ जाने पर जनाब हक़क़ानी साहब को बम्बई पहुंचते देर नहीं लगी।

गुजरात में मुसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से देहातों और शहरों में उनके वाज़ कराने में कठिनाई पैदा होने लगी। अगर कभी बारिश में कोई वाज़ किसी देहात में रखा जाता, तब भी तौहीद की शमा के परवाने मुक़र्रर शुदा देहात में वाज़ सुनने के लिए अपनी लारियां, मोटरों और दूसरी सवारियों में बड़ी तायदाद में आ जाते और बहुत से शाइकीन तो कीचड़ में लत-पत होते, पैदल ही पहुंचते और वाज़ ख़त्म होने के बाद यह शैदाइयों की भीड़ रात ही को वापस खाना हो जाती और रास्ते की तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों को बरदाश्त करके सुबह तक अपनी-अपनी जगह को वापस होती।

यह सूरते हाल देख कर कुछ संजीदा दोस्तों ने यह इन्तिज़ाम करने की कोशिश की कि जनाब हक़क़ानी साहब को थोड़ा आराम करने दिया जाए, मगर आराम हक़क़ानी जैसे सरगर्म मुबल्लिग़ को कहां मंज़ूर? इसलिए उन्हें बम्बई भेज दिया गया, जहां पर बड़ी-बड़ी मस्जिदों और पब्लिक जगहों साथ ही मुसाफ़िर खानों में बारिश के दिनों में भी वाज़ जारी रखे जा सकते हैं और वहां वे लोग उनसे फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं।

बम्बई तशरीफ़ ले जाने से पहले गुजरात और सौराष्ट्र में जनाब हक़क़ानी साहब ने शिर्क व बिदअत के खिलाफ़ एक ज़बर्दस्त जिहाद जारी किया, जिस की वजह से पीर लोग और पेशेवर मौलवी एक दम ख़फ़ा हो गये। उनके दिलों में ग़ैज़ व ग़ज़ब की आग़ भड़क उठी और साथ ही मुश्रिकाना तरीकों और बिदअतों के चलते हुए बाज़ारों में मन्दी और सर्द मेहरी छा गयी और इन लोगों ने कौम के अनपढ़ और अन्धी तकलीद करने वाले लोगों में जनाब हक़क़ानी साहब के मुताल्लिक़ निहायत ही गंदी और ग़लत बातें फैलानी शुरू कीं। उलटे तरीकों से भोले भाले लोगों को भड़काया, ग़लत बातों से जगह-जगह फ़िल्ना व फ़साद पैदा करने के लिए ज़हरीली फ़िजा पैदा कर दी।

जनाब हक़क़ानी साहब की क़िलाब 'शरीअत या जहालत' को ज़ब्त कराने के लिए एक नाम निहाद तहरीक चलायी और अपनी उस बदनामेज़माना कोशिश में चोटी से एड़ी तक का जोर लगा डाला और इस तरह से उन्होंने अपनी कसाद बाज़ारी को गरम बाज़ारी में तबदिल करने की नाकाम कोशिश की और इन पेट भरू और दीन के दुश्मन लोगों की नापाक हरकतें इस हद तक पहुंचीं कि गुजरात के हालिया 'कूफ़ा' खम्बात के नज़दीक 19 जून, 1964 ई० को जुमा के दिन उस मर्दे मुजाहिद और मुबल्लिगे दीन को क़त्ल कर डालने तक की नापाक और ज़लील कोशिश कर डाली, मगर,

नूरे हक़ शमा-ए-इलाही को बुझा सकता है कौन !

जिस का हामी हो खुदा उस को मिटा सकता है कौन !

मख्लूके खुदा ने देखा कि हक़ की आवाज़ दब न सकी और कुदरत के हाथ ने बढ़ कर जनाब हक्क़ानी साहब की मदद फ़रमायी और हज़ारों दुश्मनों के नर्गे से बचा लिया। जालसाज़ों के चेहरे स्याह हो गये और हक्क़ानी साहब का तब्लीगी मिशन आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब हक्क़ानी साहब के हौसले बढ़ चुके थे, इसलिये आप की तब्लीग़ में पहले से कहीं ज़्यादा जोश व असर आ गया था और फिर यह तब्लीग़ दुश्मनों के सरो के उपर बिजली बन कर टूटने लगी।

इन वाकिआत की ख़बरें उत्तरी भारत तक जा पहुंचीं और उत्तर प्रदेश की जगहों से भी जनाब हक्क़ानी साहब को बुलाने की मांग होने लगी। कुदरत ने ही हक्क़ानी साहब की शोहरत का इन्तिज़ाम उनके हसद करने वालों ही से करवाया, क्योंकि उन्होंने जितनी मुख़ालफ़त की, उतनी ही आपकी शोहरत बढ़ती गयी।

अब जबकि हक्क़ानी साहब को बम्बई भेजने का सवाल सामने आया तो साथ ही यह बात भी सोचनी पड़ी कि वहां पर न तो हक्क़ानी साहब कभी गये हैं और न वह किसी को बम्बई में पहचानते हैं, तो उन का वहां पर अब कौन इन्तिज़ाम करेगा?

यह एक निहायत ही अहम सवाल था, लेकिन यह तो तै कर ही लिया गया था कि उन्हें बम्बई तो ज़रूर ही भेजना चाहिए, क्योंकि वहां का माहौल और भी बिगड़ा हुआ है और कुफ़्र व शिर्क को ऐन ईमान और रस्म प रिवाज़ को दीन समझा जाता है, इसलिए हक्क़ानी साहब जैसे सच्चे मुबल्लिग़ और इन्क़िलाबी रहनुमा को ज़रूर पहुंचना चाहिए और दीने हनीफ़ के इस हमदर्द और सच्चे मुबल्लिग़ का इन्तिज़ाम खुद ख़दा-ए-तआला फ़रमा देगा।

फिर हमने सिर्फ़ इतना किया कि बम्बई में रहने वाले हमारे एक मुख़्लिस दोस्त जनाब सल्लू भाई को खत लिखकर हक्क़ानी साहब के बम्बई में आने का पैग़ाम पहुंचा दिया, लेकिन सल्लू भाई भी हक्क़ानी साहब को न जानते थे और वहां की मुस्लिम आबादी ने भी जनाब हक्क़ानी साहब को देखा न था, मगर फ़ारसी के मुहावरे के मुताबिक़ मुश्क आ नस्त कि खुद बबोयद न कि अत्तार बगोयद।

(मुश्क तो खुद अपनी खुशबू से पहचान लिया जाता है, अत्तार को मुश्क की पहचान नहीं करानी पड़ती।)

हक्क़ानी साहब के पास हक़ तआला और उसके रसूले बरहक़ के सरमदी पैग़ाम के सिवा और कुछ भी नहीं था। ऐसा रोशन पैग़ाम जो सूरज की तरह रोशन और पानी की तरह शफ़फ़ाफ़ है। जिन लोगों के दिल साफ़ सुथरे होते हैं, उन पर उस इस्लामी सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, तो वे जगमगा उठते हैं और जिन लोगों के दिल शिर्क और बिदअतों की गन्दगी में आलूदा होते हैं, जब उन पर उस चश्मा-ए-इलाही का साफ़ शफ़फ़ाफ़ पानी पड़ता है तो वे धुलकर पाक व साफ़ हो जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से हुआ भी इसी तरह।

बम्बई में खोखा बाज़ार की मस्जिद में जनाब हक्क़ानी साहब के दो-चार वाज़ हुए और

लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जिस तरह सूखी और मुरझाई हुई खेती में रहमते इलाही की बारिश होते ही लहलहा उठती है उसी तरह ईमान व अमल की मुरझाई हुई खेती में रहमते इलाही की बारिश होते ही एक नई जिन्दगी और ताज़गी आ गयी इस्लाम के गुलिस्तान में फूल खिलने लगे और बम्बई की फिज़ा रूहानी खूशबू से मुअत्तर हो गयी।

जनाब हक्कानी साहब के वाज़ों के लिए दावतें आनी शुरू हो गयीं। इतनी दावतें जिन्हें देखते ही ऐसा मालूम होता था कि शायद बम्बई की आबादी एक ज़माने से इस मर्दे मुजाहिद और मुबल्लिगे दीन के इन्तिज़ार में बैठी थी। जब ताबड़-तोड़ और पै दर पै वाज़ की दावतों का तांता बंध गया, तो एक इन्तिज़ामिया कमेटी की बुनियाद डाली गई और फिर हक्कानी साहब की सदाए तब्लीग़ खोखा बाज़ार से आगे बढ़ कर घोघारी मुहल्ला, नल बाज़ार, अब्दुरहमान स्ट्रीट, चक्ला स्ट्रीट नाखुदा मुहल्ला, काजी मुहल्ला, मदनपुरा, पारस रोड़, तेली मुहल्ला, भिंडी बाज़ार, निज़ाम स्ट्रीट, सात रास्ता अकोला मस्जिद, डोंगरी वगैरह जगहों को पार करती हुई कुरला, सीवड़ी और जोगेश्वरी तक जा पहुंची।

आज मौसूफ के वाज़ों में बम्बई के अन्दर इन्सानों का एक समुन्दर मौज़ें मारता हुआ नज़र आता है और उस वक़्त रूह परवर मंजर देखकर लोगों का बयान है कि हमने अपनी जिन्दगी में ऐसे शानदार रूहानी इज्तिमाज़ किसी भी आलिम के वाज़ में नहीं देखे। चारों तरफ़ का ट्रैफ़िक़ रोक दिया जाता है। बड़े-बड़े रास्ते चलने के लिए नाकाफ़ी और बड़े-बड़े लम्बे मैदान बैठने के लिए तंग हो जाते हैं, खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। 20-20, 30-30 मील दूर रहने वाले शाइकीन अपने घर वालों को मोटर कारों में लेकर वाज़ सुनने के लिए आते हैं मगर जगह न होने की वजह से अपनी कार ही में बैठे-बैठे अपनी रूह व ईमान को ताजा करके पिछली रात को अपने घर वापस जाते हैं। जिस मुहल्ले में वाज़ होता है, उस मुहल्ले के मैदान और गली-कूचे जमाअत ख़ाने बगैरह लोगों से भर जाते हैं। मुहल्ले वाले अपने-अपने मकानों में दूर-दूर से आने वालों के लिए बैठने का बन्दोबस्त करते हैं। चार-चार और पांच-पांच मंज़िला इमारतें भी मर्दों-औरतों से खचाखच भर जाती हैं। इस तरह बम्बई में हक्कानी साहब की मक्बूलियत हुई। मददे खुदावन्दी ने क़दम-क़दम पर आपका साथ दिया।

तब्लीग़ की असरपज़ीरी का आलम देख कर बड़े-बड़े बूढ़े और पुराने लोग कहते हैं कि हमने अपनी जिन्दगी में खुदा की राह से भटके हुए इन्सान की इस्लाह इतने ऊंचे पैमाने पर नहीं देखी। वे लोग जिनकी पेशानियां कभी सज्दे के लिए नहीं झुकी थीं, वे लोग आन की आन में खुदा के दर के पुजारी बन गये। जिनकी उम्रें चोरी, जुआ और शराब व कबाब में गुज़री थीं, उनके कानों में ज्योंही हक् की आवाज़ पहुंची, उनके दिल पिघल कर रह गए और सच्ची तौबा नसीब हुई। जिनको दीनदारी से दूर का भी वास्ता न था, उनकी जिन्दगी इस्लामी रंग में रंग गई और यह रूहानी इन्क़लाब एक दो की जिन्दगी में नहीं, दो-चार और दस-बीस की जिन्दगी में नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिन्दगियों में ऐसा आया कि उनकी काया पलट गई। फ़लिल्लाहिल हम्दु०।

सभी जानते हैं कि जहां फूल होते हैं, वहां पर कांटों से भी वास्ता पड़ता है। सौराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह पेशेवर मौलवी और जाल साज किस्म के नादान पीरों की बस्ती है, वैसी ही बम्बई में भी मौजूद है और ऐसे लोगों के हसद और कीना में एक खास किस्म का फरेब और आग होती है। ऐसे लोगों की फरेब भरी जिन्दगी और मक्कारना चालों के लिए हक्कानी साहब शोला-ए-जब्वाला और मौत का पैगाम हैं और जाहिर है कि ऐसे नफ़्सपरस्त और दुनिया तलब लोग अपनी मौत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उन लोगों ने भी हक्कानी साहब को क़त्ल करने की साजिश बनायी। तारीख 2-6-65 को अन्न के वक़्त घोघारी मुहल्ले में जनाब सल्लू भाई के घर में हक्कानी साहब को क़त्ल करने के लिये घुस आए। इत्तिफ़ाक़ की बात थी कि जनाब सल्लू भाई घर में मौजूद थे। जनाब सल्लू भाई भी एक बहादूर दादा किस्म के आदमी थे। उन लोगों में काफी देर तक बहस होती रही। आख़िरकार हक्कानी साहब को क़त्ल नहीं कर सके और हाथ मलते हुए वापस चले गये।

इन हासिद व मुआनिद रहनुमाओं ने अपने ऐरे-गैरे, नत्थू-ख़ैरे किस्म के लोगों का एक वफ़द बनाया और पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच कर हक्कानी साहब के ख़िलाफ़ ग़लत और बे-बुनियाद किसम की बातों का तूमार बांधा और अपना रिवायती रोना उसी तरह ख़ूब रोये, जिस तरह अक्सर जगहों पर उनको रोते देखा गया है। पुलिस हुक्काम ने मुनासिब कार्रवाई और इन्तिज़ाम का वायदा करके उन्हें रुख़सत कर दिया, उसके बाद खुद हक्कानी साहब के वाज़ के टेप रिकार्ड मंगवा कर पुलिस के हुक्काम ने सुने। बम्बई की पुलिस ने बहुत अद्ल और इन्साफ़ की राह अख़्तियार की और बजाए इन ग़लत किस्म के प्रोपेगंडे पर भरोसा करने के खुद तहकीक़ की। इस पर बम्बई पुलिस हर इन्साफ़ पसन्द हिन्दुस्तानी और खास कर हर सही अकीदे वाले मुसलमान की तरफ़ से मुबारक बाद के काबिल है।

पुलिस के हुक्काम के सामने हक्कानी साहब के वाज़ का टेप-रिकार्ड बोलने लगा।

दूर-दूर के रहने वाले अरब के वट्शी और सर तापा कुफ़्र व शिर्क की लानत में फंसे हुए और इस्लाम के कट्टर दुश्मनों के दिल जिस ने पिघला कर मोम कर दिये, वह रूह परवर आवाज़ कलामे इलाही की थी, जिसने गुमराह और भटकी हुई इन्सानियत को हक़परस्ती और सच्चाई का रास्ता दिखा कर मख़्लूके खुदा के दिलों को नूरे ईमान से भर दिया। इस टेप-रिकार्ड में रसूले बर हक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह मोज़िज़नुमा अहादीस थीं, जिनमें सच्चाई और अख़्लाक़ के सबक़ थे। उनमें इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद से रहने की हिदायत की। उसमें गुनाह आलूद जिन्दगी को छोड़कर इस्लामी अहक़ाम कुबूल कर लेने की ताकीद थी। उसमें मुहब्बत, इन्सानियत, इख़्लास और मसावात और रोज़मर्रा की जिन्दगी का दर्स था। उसमें किसी की भी बुराई और ग़ीबत नहीं थी। किसी के भी ऐब नहीं निकाले गये थे और न ही किसी को चैलेंज किया गया था और न लड़ाने-भिड़ाने की कोई बात थी।

मुस्लिम हुक्काम ताज्जुब में पड़ गये, क्योंकि नत्थू ख़ैरे वफ़द ने जो कुछ ज़हर फैलाया

था, वह रिकार्ड में कतई नहीं पाया, फिर भी बराहे रास्त हक्कानी साहब की जुबान से सुनने के लिए कुछ अफसर बजाते खुद वाज सुनने के लिए आए। इस के बाद तो वे अपने अह्ल ब अयाल को हक्कानी साहब का वाज सुनाने के लिए साथ लाये और तीसरे दिन मजकूर नत्थू खैरा वफ़द जब दोबारा अफसरान से मिलने गया तो उन को बड़ी जिल्लत और बे-इज्जती के साथ पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन के झूठ की कलई खुल गयी थी।

आजकल हक्कानी साहब के वाज बम्बई में बराबर हो रहे हैं और जो मुसलमान भाई-बहन वाजों के नाम से उन पेशेवर मौलवियों की मनगढ़त बातों में फंस गये थे और उन बातों की बजह से ग़लत एतकाद और गैर-इस्लामी रिवाज जेहन व दिमाग में जड़ पकड़ चुके थे, उन्हें आज कुरआन मजीद और अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रोशनी में दीन की सच्ची बातें सुनने का मौका मिला है। ज्यादातर भाई और बहन नमाज़ के पाबन्द हो गये।

ग़लत रास्ते को छोड़ कर सीधा रास्ता अपना लिया है। सुन्नते नबवी की पैरवी की तमन्ना दिलों में मौजज़न है। लाखों के मालिक बड़े-बड़े सेठों से लेकर फुटपाथ पर जिन्दगी बसर करने वाले गरीबों तक सारे के सारे इस सुनहरी मौके से फायदा उठा रहे हैं। माशाअल्लाह !

जनाब हक्कानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' जिस को ज़ब्त कराने के लिए गुजरात में एक ड्रामाई तहरीक चलायी गयी थी, खुदा, की शान किताब तो ज़ब्त न हुई, अल-बत्ता उस का दूसरा ऐडाशन भी खुदा के फज़ल से तैयार होकर पब्लिक के हाथ में आ गया। अब वह भी ख़त्म होने के करीब हैं और अब उस का तीसरा एडीशन उर्दू जुबान में दस हजार की तायदाद में मंज़रे आम पर बड़ी शान से आ रहा है। यह सब क्या है ? क्या हक्कानी साहब की करामत है ? नहीं, यह सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़ल व एहसान है और उस के रसूले बरहक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीन की सदाक़त व हक्कानियत है।

- 'आबेहयात' (अहमदाबाद)

हक्कानी साहिबे इल्म की नज़र में

बात सन 1974 ई० की है। हक्कानी साहब दो दिन के लिए हैदराबाद तशरीफ़ लाये। शहर उन के लिए नया था और वह शहर के लिए अजनबी और लुत्फ़ यह कि बुलाने वाले हज़रात भी अनजान।

पहला खिताब शहर की बहुत बड़ी मस्जिद में और दूसरा खिताब जामा मस्जिद सिकन्दराबाद में तै पाया। दकन वालों ने बड़े-बड़े दीनी मज्मों को देखा था, लेकिन एक गैर-मारूफ़ नये आये शख्स हक्कानी के इस खिताब में अपनी सोच और अन्दाजों से कहीं, ज्यादा मज्मा देखकर दंग रह गये। तारीखी मक्का मस्जिद ने अपने बनने के बाद किसी शख्स के खिताब में शायद इतने सुनने वालों को अपनी गोद में न लिया होगा। जहां तक नज़र जा रही थी,

इंसानी सरोँ का समुन्दर मालूम होता था।

मज्लिसे इल्मिया हैदाराबाद ने इस अकल को हैरान कर देने वाली शख्सियत से और अर्धक फायदा उठाने के लिए अम्र के बाद मस्जिद मलिक पैठ में एक इल्मी मुजाकरा तै कर लिया। शहर और शहर के जिलों से बड़ी तायदाद में उलेमा के आलावा आम मुसलमानों ने शिकत की। हक्कानी साहब ने शुरू में इमामों की तकलीद पर आधा घंटे ऐसी दलील भरी तकरीर की कि अह्ले इल्म मुतास्सिर हुए बगैर न रह सके।

फिर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और हक्कानी साहब ने बरजस्ता जवाबात मुस्तनद किताबों के हवालों से देकर अह्ले इल्म करे हैरत में डाल दिया। सवालात हर किस्म के थे। जवाब हां या न में हर आलिम के लिए आसान है, लेकिन बरजस्ता कुरआन व हदीस और फिक्ह की किताबों के हवाले दुनियाए अह्ले इल्म के लिए ऐसा नया तजुर्बा था, जो उन्होंने ने अपनी लम्बी जिन्दगी में कभी देखा ना था। ज्यादातर सवालात आम मुसलमान कर रहे थे। सवालों की वे छोटी-छोटी परिचियां आज भी महफूज हैं, जो उसी वक्त लिख कर दी गयी थीं, अह्ले इल्म हैरान थे कि गैर मुतवक्कअ सवालों के जवाबों को अनगिनत हवालों के साथ बरजस्ता देना ज़ाहिर में इंसानी कोशिशों का नतीजा नहीं हो सकता, सिवाए इस के कि इस वाकिए को अल्लाह की कोई आयत क़रार दिया जाए।

पूरे मज्मे पर बे-खुदी तारी थी। हर आदमी हैरानी के साथ सोच रहा था कि इस उम्मी सिफ्त हक्कानी को कुरआन व हदीस और फिक्ह की किताबों पर इतनी कुदरत किस तरह हासिल है, वह हर-हर सवाल पर बरजस्ता दो-दो, चार-चार किताबों के सफ़हे व नम्बर देते जा रहे हैं, जब कि सवालात भी पहले से तै न थे। इस तरह यह 'करामाती मुजाकरा' मग़िब की अज़ान पर खत्म हुआ।

यह तज़्किरा तो हक्कानी साहब की ज़ात से मुताल्लिक़ था। उनकी आलमी शोहरत याफ़ता किताब, जिसका नाम उन्होंने 'शरीअत या जहालत' रखा है, आम दीनी किताबों से बिल्कुल अलग है। हर मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ जब अपनी किताब तर्तीब देता है, तो उसमें किसी न किसी उन्वान से अपना ज़ाती नज़रिया भी शामिल करता है, जिस को वह हक़ समझता है, लेकिन 'शरीअत या जहालत' हमारे इल्म में अकेली किताब नज़र आती है, जिसके मुआल्लिफ़ ने इसमें अपना ज़ाती नज़रिया पेश नहीं किया, जो बात भी लिखी है, वह किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह या फ़ुक़हाए किराम के नज़रिए हैं, जो किताब व सुन्नत से लिये गये हैं, यहां तक कि हक्कानी साहब ने इस बात का भी पूरा एहतिमाम किया है कि तर्जुमा व तशरीह में भी मुस्तनद किताबों की इबारत जैसी है वैसी ही नक़ल कर दी जाए। यही वह खुसूसी हैसियत है, जिसने इस किताब को दूसरी किताबों से अलग कर दिया है। इसके अलावा हक्कानी साहब ने किताब की तर्तीब में एक अनोखा, लेकिन निहायत मज़बूत तरीका अपनाया है। वह उन्वान के तहत जो मज़्मून नक़ल करते हैं, पहले तो किताबुल्लाह के उस मज़्मून की खुली आयतें नक़ल

करते हैं। फिर उसी मजमून की और ज्यादा वजाहत के लिए सही हदीसों को नकल करते हैं, फिर (नतीजे के तौर पर) आखिर में फिक्ह की किताबों से इबारतें दर्ज करते हैं।

और हर इबारत का सफ़हा नम्बर, पारा, रकूअ वगैरह इतने वाज़ेह तौर पर नकल करते हैं कि एक आम आदमी को भी तलाश करने की तकलीफ़ नहीं होती। यह एक ऐसा जिम्मेदाराना तरीका है कि जिस की नज़ीर पहलों में तो मिलती है, लेकिन पिछलों में बहुत कम है। हक्कानी साहब की यही खुसूसियात हैं कि आने वाला तारीख़दां उनकी ज़ात और उनकी किताब को 'अजाइबे कुदरत' में गिनेगा।

व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बिअज़ीजु०

-मुहम्मद अब्दुरहमान,
नाज़िमे मज्लिसे इल्मिया, हैदाराबाद (ए०पी०)
हाल मुकीम जद्दा (सऊदी अरब)

तम्मनात बिल्खैर